Punjab Vidhan Sabha Debates

19th March, 1959

Vol. I—No. 22 (*Afternoon sitting*)

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 19th March, 1959

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab, 1959.

Price Rs. 3.35 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 22

DATED THE 19TH MARCH, 1959. (AFTERNOON SITTING)

Read	*for*	*on page*	*line*
पैप्सू	पैसू	(22)2	15
argued	arg ed	(22)3	29
होगा	हौता	(22)8	11
मन्त्रिमंडल	मंन्त्री मडंल	(22)13	1
साथ	ाथ	(22)31	25
Planning	P anning	(22)31	27
जैन	जै	(22)32	heading
हैं	यों	(22)32	6
schools	school	(22)33	2nd from below
grant	grants	(22)36	18
वट	वव	(22)45	34
पहिले	पहिल	(22)59	12th from below
ले	ल	(22)65	12

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, 19th March, 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 3.00 p.m., of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज Question Hour dispense with कर दिया जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਚਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ।

श्री अध्यक्ष : सब की राए ले लें । [Let us take the sense of the House.]

वित्त मंत्री : जैसी आप की इच्छा हो ।

उद्योग मंत्री : Government तो इस मामला में neutral है, जैसा आप मुनासब समझें कर लें ।

श्री अध्यक्ष : तो जो सवाल रखने के हामी हैं उन को debate में टाइम नहीं मिलेगा । क्या आप की राए है कि सवाल चलें ? [Then the hon. Members in favour of taking up the Question Hour, will not get time during the debate. Is it the sense of the House that the questions be taken up ?]

(No body affirmed and the Question Hour was dispensed with)

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Rao Gajraj Singh : Sir, I beg to present the Report of the Committee of Privileges regarding alleged attempt of a Police Officer to serve a warrant of arrest on Comrade Jangir Singh, M.L.A., within the precincts of the Sabha when the Sabha was sitting.

ADOPTION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Report of the Committee of Privileges be adopted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Report of the Committee of Privileges be adopted.

Mr. Speaker : Question is—

That the Report of the Committee of Privileges be adopted.

The motion was carried

QUESTION OF PRIVILEGE REGARDING THE ALLEGED LEAKAGE OF THE BUDGET

श्री अध्यक्ष : कुछ दिन हुए मेरे पास पंडित राम किशन भड़ोलियां और उन के साथियों की तरफ़ से question of privilege का एक notice आया था। मैं ने उस पर अपनी ruling को defer कर दिया था क्योंकि मैं ने उन को कहा था कि मुझे मिलें और मुझे पता लगे कि असल बात क्या है। लेकिन वह आए नहीं हैं। आज चूंकि बजट की आखरी stage है, मैं इस मामले को pending नहीं रख सकता और इस लिए मैं इस पर अपनी ruling दूंगा।

मैं इन वजूहात की बिना पर इस सवाल को यहां पर raise किये जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने एतराज़ किया था कि बजट पेश होने से पहले Public Relations Department को translate करने के लिये बजट speech की कापी भेजने और special messengers के ज़रिये उस की कापियां प्रैस को भिजवाने से House के privileges का breach हुआ है। इस सिलसिले में मैं ने कुछ मेम्बर साहिबान—खास तौर से सरदार भूपेन्द्र सिह मान को consult किया है जो कि integration से पहले पैप्सू विधान सभा के मेम्बर थे। मैं ने उन से सलाह लेनी इस लिये मुनासब समझी, क्योंकि ऐसा मौका merger से पहले पैप्सू विधान सभा में भी आया था। इस के अलावा मैं ने इस मामले को legal aspects से भी देखा है। ज़ाहिर है कि Official Secrets Act सभी सरकारी services पर एक ही तरह से लागू होता है। वह सब इस Act के provisions के पाबन्द हैं। यहां सभा में बजट पेश होने से पहले तक, बजट speech मुतअल्लिका सरकारी दफ्तरों के अफ़सरों और कर्मचारियों तक ही महदूद थी जो कि—जैसा मैं ने बताया—Official Secrets Act के पाबन्द हैं। उस वक्त तक breach हुआ नहीं समझा जा सकता जब तक कि यह साबत न किया जाए कि उन लोगों ने उस Act के provisions की तामील नहीं की और उन की खिलाफ़वर्ज़ी करते हुए, उस speech के contents को बजट के इस House के अन्दर पेश किये जाने से पहले divulge किया है। इस सिलसिले में, आनरेबल मेम्बरान, जिन्होंने कि इस motion का notice दिया, यह साबत नहीं कर सके कि किसी भी official की वजह से कोई leakage, publicity या publication हुई है।

अगर Public Relations Department को translate करने के लिये बजट speech दिये जाने पर इसे breach of privilege समझ लिया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर छपने के लिये इसे प्रैस को भेजा जाए तो फिर भी यह breach of privilege होगा क्योंकि Public Relations Department की तरह Printing Department भी सरकार का एक अलग महकमा है। अगर ऐसा समझा जाए फिर तो बजट छप ही नहीं सकता।

इस लिये जहां तक इस हाऊस का सम्बन्ध है कोई breach of privilege नहीं हुई है। सरकार को पूरा हक है कि बजट तैयार करवाने, छपवाने और translation वग़ैरा करवाने में वे अपने अलग अलग महकमों से assistance ले सकती है।

(A few days ago, I had received notice of a question of privilege from Pandit Ram Kishan Bharolian and his colleagues . I had deferred my ruling on it because I wanted them to see me in my chamber so that I might find out the real position. They have, however, not turned up. Since today is the last stage of the budget, I cannot keep the matter pending and I will give my ruling.

I cannot give my consent to this question being raised for these reasons. They had alleged that the sending of the copies of the budget speech for translation to the Public Relations Department as also to the Press through special messengers before its presentation to the House constituted a breach of privilege of the House. In this connection, I have consulted some Members, especially Sardar Bhupinder Singh Mann, who, before integration, were members of the erstwhile Pepsu Vidhan Sabha. I thought it advisable to consult them because such an occasion had also arisen in the erstwhile Pepsu Vidhan Sabha before merger. Besides, I have examined this point from its legal aspects as well. It is evident that the Official Secrets Act applies to all the State Services alike. All of them are bound by the provisions of that Act. The budget speech was, till the presentation of the budget to the Sabha, with the officers and officials of the Government Departments concerned, who, as I have already stated, are bound by the Official Secrets Act. No breach can be said to have occurred unless it is proved that those Officers in violation thereof had failed to comply with the provisions of that Act and had divulged the contents of that speech before the presentation of the budget to the Sabha. In this case, the hon. Members, who gave notice of the motion, have not been able to prove that there was any leakage, publicity, or publication on the part of any official.

If it is contended that giving of budget speech to the Public Relations Department for translation purposes is a breach of privilege, then it might as well be argued that if it is given to the Press for printing purposes, it might be a breach of privilege because the Printing Department like the Public Relations Department is also a different department of the Government. If this is carried to its logical conclusion, then the budget cannot be printed at all. There has, therefore, been no breach of privilege so far as this House is concerned. Government has the fullest right to obtain assistance from its various Departments in connection with the preparation, printing, translation, etc., of the budget).

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या स्पीकर साहिब, ऐसी हालत में यह मुमकिन नहीं हो सकता कि जब हम ने motor spirit पर tax बढ़ाया तो इस से किसी को फ़ायदा पहुंच गया हो ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि budget speech में किसी तरह की leakage हुई है या उसकी details की समय से पहले publication हुई है। अगर यह साबित हो जाता तो फिर यह privilege motion का subject matter बन सकता था। चूंकि यह एक vague motion है, मैं ने इस को move करने की consent नहीं दी। [But it has not been proved that there has been any leakage or premature publication of the details of the Budget Speech. If it had been proved, then it could have become the subject matter of a privilege motion. Since it is a vague motion, I have not given my consent to move it.]

THE PUNJAB APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1959

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the Punjab Appropriation (No. 2), Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

मैं मेम्बर साहिबान को बता दूं कि इस बिल पर कोई बहुत लम्बी चौड़ी बातें नहीं हो सकतीं। इस का बड़ा छोटा सा scope है। दो चार मिनट में जो जो suggestions implementation के बारे में देना चाहें वह आप दे सकते हैं। (I would like to point out to the hon. Members that this Bill offers no scope for lengthy speeches. Its scope is very limited. If they like, they may give any suggestions with regard to its implementation in a few minutes).

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर—पश्चिम) : स्पीकर साहब बहुत ज्यादा time लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। थोड़े से समय के अन्दर जो कुछ suggestions हैं वह मैं आप के द्वारा मन्त्रिमंडल के सामने रखना चाहता हूं। आज जो एक अरब और 19 करोड़ रुपये के बजट के बारे में Appropriation Bill हमारे वित्त मन्त्री ने सदन के सामने रखा है, इस के बारे में बहुत सी बातें समय समय पर इस House के भिन्न २ सदस्यों ने उन के सामने रखी हैं। स्पीकर साहब, अब इस बिल के पास हो जाने के बाद जो अखराजात हैं वह हम Secretaries और Heads of the Departments को allocate कर रहे हैं। उन्हीं के ज़रिए वह अखराजात होने वाले हैं। अब, स्पीकर साहब, आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट इस बात की तरफ़ ध्यान दे कि जो अखराजात होने वाले हैं वह ठीक ढंग से होते हैं या नहीं। पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ audit reports और Public Accounts Committees की reports House की मेज़ पर रखी गई। P.A.C. की Report को पढ़ कर निहायत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस के अन्दर जो जो observations की गई हैं और जो जो बातें पंजाब के लोगों के सामने रखी गई हैं और सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश की गई है, उन में कई ऐसी अजीब बातें देखने को मिलती हैं जिन की कभी तवक्को नहीं की जा सकती थी। हैरानगी होती है कि.........

Mr. Speaker : It is not a discussion on that Report. It is a discussion on the Appropriation Bill.

In this connection, I may, for the information of the hon. Member, read out the rule relating to the scope of discussion on this Bill—

"225 (5). The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may

withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance."

The point which the hon. Member is seeking to discuss relates to a Budget which was passed years ago. It does not relate to the present Budget. The hon. Member may raise this point on some other occasion.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं उन से कुछ बातें derive करना चाहता हूं, उन को discuss करने का मेरा हरगिज़ कोई मनशा नहीं। मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि जो बातें उन reports के अन्दर रखी गई हैं उन को सामने रखते हुए इस बात से सावधान रहा जाए कि वही बातें आगे repeat न हों और उस बजट में repeat न हों जिस का appropriation करने के लिये आज यह बैठक हो रही है। ज़रूरी है कि ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाए कि जो बातें उन reports के अन्दर point out की गई हैं, उन का repetition हमारी आंखों के सामने न आए। यकीनन अगर उन बातों से नसीहत हासिल कर के आगे के लिये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए तो पंजाब की जनता और सरकार दोनों का भला है। Report के अन्दर एक बात ऐसी कही गई है जिस का मैं खास तौर से ज़िक्र करना चाहता हूं। उस में बताया गया है कि जो रुपया legislature किसी department के ज़िम्मे देती है वह उस से ज़्यादा अखराजात कर लेते हैं। यह एक बहुत भारी lapse है। Secretaries और Heads of the Departments से कदापि यह आशा नहीं की जा सकती कि वह बगैर legislature से मंज़ूर करवाए अपनी इच्छा से जो चाहें खर्च कर सकें। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की tendency को encourage किया गया तो यह पंजाब के लिये एक बहुत बुरी बात होगी। यह इस तरह की बात है जिसे कि बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता। हम यहां पर जो भी बिल पास करते हैं उस का मतलब यह होता है कि उस में निर्दिष्ट चारदीवारी के अन्दर रह कर काम किया जाए। Secretary या departmental head को यह इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि जो specific allocations हैं उन के बाहर बिना sanction लिए खर्च करते जायें। इस लिये मैं सरकार का इस बात की तरफ खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी tendency को रोकने की खास तौर से कोशिश करे और जो lapses पहले हुए हैं, वह दुबारा न होने पाएं।

इस के अलावा कुछ और बातें भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। कुछ बातें यहां पर की गई हैं जिन का ज़िक्र बजट में भी आया है और मैं समझता हूं कि वह जो सारी बातें हैं वह ठीक तरीका से नहीं हो रहीं। उन के ठीक तरीका से न होने के कारण बहुत सारा रुपया—पंजाब की जनता का रुपया waste हो रहा है। यदि इस को ठीक तरीके से न किया गया तो यह रुपया आगे भी waste होता रहेगा। हमारा जो Department of Publicity है, जैसा कि इस के बारे में पहले भी कहा गया है, इस पर बहुत सा रुपया waste हो रहा है। इस के बावजूद हमारी सरकार इस तरफ़ ध्यान नहीं दे रही। इस Department के कई काम ऐसे

[श्री बल राम दास टंडन]

wasteful हैं जिन के बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कई व्यक्तियों को ऐसे ढंगों से इस में लगाया गया है जो कि मैं समझता हूं, जनता के रुपये को ज़ाया करने के बराबर है। इस की तरफ़ से एक व्यक्ति को दिल्ली में रखा गया है जिसे मैं एक सफ़ेद हाथी बांधने वाली बात कहूं तो इस में कोई ज़्यादती न होगी। उसे और काम तो कोई सौंपा नहीं गया सिवाय इस के कि वह वहां Parliament Hall की press gallery के अन्दर बैठ कर उन लोगों को जो इस सरकार के विरुद्ध बोलने वाले हों और इस का विरोध करते हों, गालियां दे। इस के सिवाय उस का और कोई काम नहीं। इतना ही नहीं, स्पीकर साहिब, यहां एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि उस की selection का काम Public Service Commission के purview से बाहर निकाल लिया हुआ है। फिर, स्पीकर साहिब, किसी post को Public Service Commission के purview से बाहर निकालने का यह मतलब नहीं होता कि इस से सरकार को खुली छुट्टी मिल जाती है कि वह जिस तरह से मर्ज़ी आये करे या यह कि इस के लिये कोई और जायज़ रास्ता या ढंग नहीं रहता जिस से वह post भरी जाये। सरकार के लिये कम अज़ कम यह तो ज़रूरी हो जाता है कि वह उस के लिये कोई कम अज़ कम qualifications मुकर्रर करे, उस post की advertisement करे और यह देखे कि जो आदमी रखा जाता है वह उन qualifications को पूरा करता है या नहीं। मगर यह सरकार इन चीज़ों को नहीं सोचती। बल्कि मैं तो समझता हूं यह केवल यही सोचती है कि इस ने किसी न किसी तरीका से अपने आदमियों को लगाना है। इस के सिवा इस के सामने और कोई criterion नहीं है। आप सुन कर हैरान होंगे कि यहां एक सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि इस गाली देने वाले अफ़सर की qualification under-graduate है। अजीब बात है। Under-graduate एक F.A. पास भी हो सकता है और F.A. फ़ेल भी हो सकता है। गो ठीक ठीक बताया नहीं गया लेकिन इस शब्द से सारी बात स्पष्ट हो जाती है। उस व्यक्ति को एक हज़ार रुपये माहवार पर रखा गया है। इस से मैं समझता हूं कि सरकार के लिये पंजाब की आम जनता के रुपये पर डाका डालने के सिवा और कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, फिर एक सवाल के जवाब में उस दिन बताया गया था कि Publicity Department के अन्दर खास खास जगहों पर कई चौथी पास आदमियों को अफ़सर भरती किया गया है। वैसे तो बड़े बड़े अफसरान जो दूसरे महकमों में भरती किये जाते हैं, सभी Public Service Commission की मारफ़त भरती किये जाते हैं.. (घंटी की आवाज़)

Mr. Speaker : The hon. Member need not repeat the point s which have already been raised during the general discussion. The scope of discussion on this Bill is very limited.

श्री बल राम दास टंडन : तो स्पीकर साहिब, एक दो बातें Finance Minister साहिब ने ....(घंटी की आवाज़)

श्री अध्यक्ष : दो मिनटों में wind up कर लें । आप को इतने मौके मिले हैं और इसके बावजूद भी आप की तसल्ली नहीं हुई । यहां पर ऐसे मैम्बर साहिबान भी बैठे हुए हैं जो एक दफा भी सारे सैशन में नहीं बोले और आज उन्होंने चार चार मिनट लेने हैं । (The hon. Member may now wind up his speech within two minutes. He has been given many opportunities to speak during this session yet he is not satisfied. There are ceitain Members who have not spoken even for once during the whole session. To day they will be given four minutes each.)

श्री बलराम दास टंडन : तो, स्पीकर साहिब मैं यह बताने लगा था कि उस दिन Education के बारे में general debate का जवाब देते हुए हमारे Finance Minister साहिब ने Upper House में जो तकरीर की थी उसे सुनने का मुझे भी मौका मिला था । जब वहां बहुत से मैम्बर साहिबान ने इस बात पर सरकार की नुक्ताचीनी की और कहा कि सरकार को यह अच्छा नहीं लगता कि सरकारी स्कूलों में तो सातवीं class तक free education दी जाये और private स्कूलों में जो बच्चे पढ़ें उन्हें फ़ीस देनी पड़े. . . .

Minister for Finance : I rise on a point of Order, Sir. How is he referring to my speech in the Punjab Legislative Council?

श्री बल राम दास टंडन : यह तो अखबारों के अन्दर भी आ गया था ।

श्री अध्यक्ष : जो चीज़ें अखबारों में आ जाती हैं उन का reference यह यहां दे सकते हैं । That is a public property now. (He can refer to things which apear in the press. That is a public property now.)

वित्त मंत्री : मेरी वहां की speech को यह यहां कैसे reference कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : He is just refering to it.

श्री बलराम दास टंडन : मैं बता रहा था कि ऐसे अजीब तरीके से उस नुक्ता चीनी का जवाब दिया गया जिस को किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप ने यही बात करनी है तो वित्त मंत्री का एतराज़ ठीक था । You are not discussing his speech as a Member of the Upper House.

(If the hon. Member wants to criticise it like that then the Minister for Finance was quite within his right to raise the objection. He is not discussing his speech as a Member of the Upper House).

श्री बल राम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं तो इतना ही refer कर रहा हूं कि इन्होंने वहां क्या बात कही । इन्होंने वहां यह कहा कि क्या hon. Member यह चाहते हैं कि Government स्कूलों में सरकार ने जो free education

[श्री बलराम दास टण्डन]
की सुविधा लोगों को दे रखी है जब कि private स्कूलों में यह नहीं दे सकती, तो Government स्कूलों में भी यह concession बन्द कर दे ? मेरे ख्याल में कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता होगा चाहे वह Opposition के बैंचों पर बैठे हुए सदस्यों में से हो या Treasury Benches पर बैठने वाला हो । वह यह नहीं चाहेगा कि free education न दी जाये । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस तरीका से यह सरकार कर रही है यानी गवर्नमेंट स्कूलों में तो इस ने free education देनी शुरु कर दी है और private स्कूलों में यह नहीं दी जाती, यह तरीका ठीक नहीं है । इस से जो लोग पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी पहुंच वाले, सिर्फ़ वही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखल करवाने में कामयाब हो जाते हैं और जो गरीब हैं या जिन की पहुंच नहीं होती उन के बच्चे ऐसे स्कूलों में दाखल नहीं हो सकते । उन्हें मजबूर हो कर अपने बच्चों को private स्कूलों में दाखल कराना पड़ता है । इस का नतीजा यह होता कि वह free education का फ़ायदा नहीं उठा सकते । इस से तो मैं यह समझता हूं कि यह public funds की wastage के सिवाये और कुछ नहीं । अगर यह समझते हैं कि सरकार के पास इतने resources नहीं जिन से यह प्रान्त के सारे सरकारी और private स्कूलों में free education दे सके तो मैं कहूंगा कि बजाये सातवीं जमात तक सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूलों में free education देने के इसे सिर्फ़ primary classes तक free education करनी चाहिये और यह तमाम स्कूलों में करनी चाहिये--चाहे वह सरकारी हों या private ताकि इस का फ़ायदा सब लोग उठा सकें । ज्यों ज्यों हमारे resources बढ़ते जायें इन के साथ साथ free education gradually और classes में भी बढ़ाई जा सकती है और अंत में यह matric तक free की जा सकती है ।

इस के साथ साथ मैं Education Minister साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस सिलसिले में एक कमेटी बनायें जो यह देखे कि कितनी आमदनी वाले families के बच्चों को मुफ़त विद्या दी जाये । वह कमेटी अगर इस बात का फ़ैसला करे कि 100 रुपये तक की income वालों के बच्चों को मुफ़त विद्या दी जाय तो उसे यह भी देखना होगा कि 100 रुपये से ऊपर कहां तक की आमदनी वालों के बच्चों की आधी फ़ीस माफ़ की जाये और उस से ऊपर आमदनी वालों के बच्चों को सारी फीस देनी पड़े । यदि इस तरह कर दिया जाये तो मुफ़त विद्या का वह लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्हें सही मायनों में इस की आवश्यकता होती है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यहां पर सरकार की ओर से पहले भी कई बार और आज भी यह कहा गया है कि यह तो socialist pattern of society बनाने की तरफ़ चल रही है । एक बात इस बारे में मैं इन की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई यह चाहते हैं और इन चीज़ों में sincere हैं तो यह अपनी इन भावनाओं को जनता के सामने अमली रूप दे कर रखें ताकि उसे पता चले कि वाकई यह सरकार इस तरफ़ जाना चाहती है । इस के लिये जो बड़ी बड़ी

तन्खाहें लेने वाले बड़े बड़े अफ़सर हैं उन की तन्खाहों के बारे में इसे यह फ़ैसला कर देना चाहिये कि वे ज्यादा से ज्यादा 2 हज़ार रुपये तक ही ले सकेंगे और कम तन्खाह वालों की तन्खाह सौ रुपये से कम न होगी ताकि लोगों को पता लगे कि वह किस हद तक socialist pattern of society की तरफ जाना चाहती है। (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, केवल दो मिनट और लेकर खत्म कर दूंगा।

Mr. Speaker : No please . I have not dispensed with the Question Hour for your sake only.

श्री बलराम दास टंडन : केवल एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी Constitution में Judiciary और Executive को अलग अलग करने के लिये लिखा हुआ है और सरकार भी इन को अलग अलग करना चाहती है। मैं यह समझता हूं कि अगर वाकई हमारी सरकार यह चाहती है तो यह सब से सुन्दर बात है। अगर सरकार यह सच्चे दिल से चाहती है तो लोगों को इन्साफ़ मिलने में किसी प्रकार की interference नहीं होनी चाहिये और इस के लिये यह ज़रूरी है कि इन्साफ देने वालों की increments और transfers executive के हाथ में नहीं होनी चाहियें जैसा कि हमारी पैप्सू State में पहले था हालांकि हम यह दावा करते हैं कि पंजाब आगे बढ़े हुए ख्यालों पर चलने वाला सूबा है। इस लिये मैं यह कहूंगा कि Executive से Judiciary for all purposes and in the real sense of the word अलग होना चाहिये। (घंटी की आवाज़)

स्पीकर साहिब, जो बात कैरों साहिब ने Betterment Levy के मुतअल्लिक कही........(घंटी की आवाज) कैरों साहिब, ने कहा था कि जनसंघ वाले भी चाहें तो इस agitation में आ सकते हैं। स्पीकर साहिब उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार पिछले आन्दोलन में न केवल कैरों साहिब ने गिड़गिड़ा कर इस आन्दोलन को बन्द करने के लिये कहा, बल्कि......

Mr. Speaker : Please wind up. When I ring the bell for the socond time the hon. Member who is speaking should resume his seat.

श्री बल राम दास टंडन : बल्कि पंडित नेहरू तथा पन्त जी ने भी आख़री दिनों में वैसी ही requests की थीं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। Betterment Levy का बिल कल हाउस के सामने आना है, आप को वह बात करने की ज़रूरत नहीं है जो फिर इस हाउस में आने वाली है। (The hon. Member should now resume his seat. Tomorrow the Bill regarding the Betterment Levy will come before this House and, therefore, there is no need to speak on a subject which is to be discussed in the House.)

श्री बल राम दास टंडन : स्पीकर साहिब, सिर्फ़ इतनी ही बात है......

Mr. Speaker: Now the hon. Member should resume his seat.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ 'ਜਨਰਲ') : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਮਾਨਯੋਗ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ lapse ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ supplementary ਬਜਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ token demands ਰਾਹੀਂ supplementary ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ bad budgeting ਹੈ । Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ close ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪਰ supplementary grants ਵੇਲੇ token grants ਲੈਕੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ Buildings ਅਤੇ Roads ਅਤੇ Irrigation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ, drains ਜਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਪਿਆ supplementary ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ co-operation ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ Community Project ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਅਤੇ B. D. Os. ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ voice ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ Rabi Campaign ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । B.D.Os. ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ Irrigation ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ tube-wells ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ co-operation ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ campaign ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ । ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ sugarcane roads ਬਣਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਈ । ਉਸ ਵਿਚੋਂ $\frac{1}{3}$ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ,

⅓ ਹਿੱਸਾ sugar factories ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ⅓ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ earth work ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ D. C., S. D. O. ਅਤੇ B. D. O. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਢਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹ earth work ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ P. W. D. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤਕ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਵਿਚੋਂ ਛੁੜਾਕੇ 21 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, standard ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੜਕ complete ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਫਿਰ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜੋ Second Five-Year Plan ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ cut ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਪੈਪਸੂ Plan ਮੁਤਾਬਕ Road Transport ਨੂੰ nationalise ਕਰਨ ਦਾ programme ਸੀ। ਜਦ ਇਸ Assembly ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ Address ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀ Road Transport ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ Pepsu ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ transport nationalisation ਦੀ policy ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Finances ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ Pepsu ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ Pepsu ਦੀ Road Transport ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ nationalise ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਥੇ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਤਕਾਵੀਆਂ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ recovery ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ 200 ਜਾਂ 400 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (*interruption*) ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਕਾਵੀਆਂ due ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ recovery ਵਿਚ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਿਛੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ Residential University ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Engineering Colleges ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Thapar Engineering Institute ਨੂੰ 7½ ਲੱਖ ਰੁਪਿਏ ਦੀ grant ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Guru Nanak Engineering College ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਨਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ Engineering College, Chandigarh ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (ਵਿਘਨ) ਇਸ college ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਨਾਲੋ ਇਹ institution ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ technical ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डर (नूह) : स्पीकर साहिब, आज करोड़ों रुपया हम अपनी सरकार को दे रहे हैं कि वह अच्छे कामों पर और अच्छे ढंग से खर्च करे।

श्री अध्यक्ष : जो मैम्बर साहिबान गवर्नर साहिब के ऐड्रैस पर और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर या इन में से किसी एक पर भी बोल चुके हैं वह उठने की तकलीफ़ गवारा न करें। लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। (The hon. Members who got time to speak during the discussion on the Governor's Address and on the Demand for General Administration or on any of them need not try to rise in their seats. I have got a list of their names before me.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यहां चर्चा हुआ कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में demoralisation है। मेरा यकीन है कि वह उन बातों की तरफ़ तवज्जुह देंगे जो ग़लत हुईं या जिन में कमियां आईं और इस रुपये को ठीक ढंग से खर्च करेंगे और पहली बातों की repetition न होगी। Demoralisation ऊपर से चलती है। मैं ने आज तक नहीं सुना कि जिस मैजिसट्रेट का केस हो वह उसी के सामने फ़ैसला के लिये आए। रिवाड़ी में इश्तमाल हो रहा है। जिस वज़ीर की ज़मीन का इश्तमाल हो रहा है उसी को उस महकमा का वज़ीर भी बना दिया गया है। कभी ऐसी बात सुनने में नहीं आई। सूरज मल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे थे मगर उन्हें बदल कर इन को यह काम दे दिया गया। यह गिरावट की बात है। और मुख्य मंत्री जी को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए। (विघ्न) जालन्धर की बात आप कर लें। मैं तो अपने प्रधान मंत्री से बात कर रहा हूं। (हंसी) यह बड़े दुख की बात है कि एक वज़ीर किसी दूसरे वज़ीर की ज़मीन वैलफ़ेयर के नाम पर या बीज अच्छे पैदा करने के नाम पर या हरिजनों के नाम पर खरीद करे। यहां एक वज़ीर ने दूसरे वज़ीर की ज़मीन खरीद ली है। यह demoralisation की बात है। इन को देख कर अफ़सरों में भी demoralisation आती है। एक वज़ीर ने दूसरे वज़ीर की रेवाड़ी में ज़मीन खरीद कर ली और एक वज़ीर ने अपने दोस्तों या अपने रिश्तादारों की ज़मीन खरीद कर ली। यह बड़ी नापसंदीदा बात है।

तीसरी बात जिस की तरफ मैं अपने मंत्री मंडल का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह demoralisation की है । इस बात का हर रोज़ और हर जगह चर्चा किया जाता है लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि यह ऊपर से शुरू होती है नीचे से नहीं । इस लिये सरकार को ऊपर की तरफ़ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । एक दफ़ा हमने अखबार में एक इश्तहार देखा था आप ने भी, स्पीकर साहिब, जरूर देखा होगा, उस में दर्ज था कि "मैनेजिंग डायरैक्टर श्री भीम सेन सच्चर, चीफ मिनिस्टर, पंजाब" । हमने इस बात पर उस वक्त भी एतराज किया था कि यह बदसूरत बात है । फिर हाई कोर्ट में केस जाते हैं और अगर अर्जेदाश्त देने वाले के नाम के साथ son of फ़लां लिखा हुआ हो-- son of चीफ मिनिस्टर, पंजाब—तो यह एक बदसूरत बात है और ऐसा हुआ । हकूमत के लिये यह स्पीकर साहिब, यह एक गिरावट की बात है और इस तरह हाई कोर्ट को मुतासिर करने की कोशिश की जाती है । स्पीकर साहिब, मुझे ऐसी बातें कहने पर दुःख होता है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि demoralisation तब दूर होगी जब ऊपर से इस का इन्तज़ाम किया जाएगा और ऐसी बातों को रोका जाएगा । फिर Chief Justice ने कहा था कि सूबे के अन्दर गुन्डा राज है (विघ्न) मेरा मतलब यह है कि उन्होंने यह कहा था कि दिहात के अन्दर बदमाशों का जोर है (घंटी) । जनाब स्पीकर साहिब, मैं ने आप का इशारा पा लिया है और मैं यह बात ज़रा सफाई से कहूंगा । Demoralisation के नए नए तरीके राइज़ हो रहे हैं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मन्त्रिमंडल को देखना चाहिए कि कौनसी खूबसूरती से कोई बात हो रही है और कहां पर खराबी है जिस से हकूमत के बदनाम हो जाने का डर हो ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर बलदेव प्रकाश खुश हैं कि किस खूबसूरती से आप ने बात कही है और कैसे इसे चला दिया है । (Dr. Baldev Parkash is happy over the stylish way in which the hon. Member has initiated this topic.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मैं तो सिर्फ यह अर्ज़ कर रहा था कि अगर चीफ़ मिनिस्टर का रिश्तेदार ज़मीन खरीद कर ले या और कोई काम या परममिट उस के नाम पर allot हो जाए तो इस से ज्यादा और demoralisation क्या हो सकती है ? फिर मान साहिब ने कहा है कि दस रुपए ले लिए या दस हज़ार ले लिया ।

श्री अध्यक्ष : छोड़िए इस बात को । मान साहिब ने मज़ाक से कहा होगा । (Please leave it. Mann Sahib might have said so in a lighter vein.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मंत्री मंडल यह कहे कि यह मसला ऐग्रीकल्चर का है या और कोई है तो कोई बात नहीं बनती । इस में कोई हर्ज नहीं । लेकिन अगर रिश्तेदारों के नाम पर कोई कोटे दिये जाएं तो यह खूबसूरत बात नहीं । तो अगर इस में से 10 फीसदी को इस्तेमाल किया जाए और बाकी black market में चला जाए तो यह बात कोई जेब नहीं देती—न सरकार को और न मंत्रिमंडल को । मंत्रिमंडल को इस तरह की बातें check करनी चाहिएं ।

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

स्पीकर साहिब, मैं ने भट्ठों की बात कही थी तो कहा गया था कि मौलवी अब्दुल ग़नी को भट्ठों से दिलचस्पी है। लेकिन वह सच्चाई की बात थी। अगर किसी वज़ीर का रिश्तेदार या मिलने वाला दस बीस भट्ठे ले ले तो यह अच्छी बात नहीं–एक बदसूरत बात है। जहां मंत्रिमंडल में ऐसी खूबियां हैं, जिन्हें हम यहां पर भी और हाऊस के बाहिर भी बयान करते रहते हैं वहां ऐसी बदसूरत बातें जब लोग मंत्रिमंडल के बारे में करें तो अच्छा मालूम नहीं देता। लोग कहते हैं कि हमें सरकार की ख़ूबियां बताते हो; अगर यही बात है तो यह कोटे और डिपो क्यों उन के रिश्तेदारों के पास हैं ? सड़कों और नहरों पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन इस तरह की बातें corruption को बढ़ाती हैं। यह demoralisation की बातें हैं। आजकल corruption के नए नए ढंग निकल आए हैं। मिनिस्टर हमारे मिनिस्टर हैं लेकिन इन की कोठियों में दस दस मैम्बर साहिबान को रखा जाता है। यह भी एक तरह की corruption है और इस तरह demoralisation की जाती है। अफ़सरान भी इस तरह demoralise होते हैं। (विघ्न) जनाब, मैं आप की protection चाहता हूं। थोड़ा सा वक्त मिला है, उस में यह interrupt करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कहां घूम रहे हैं ? (What is the hon. Member broaching ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं जनाब अर्ज़ करना चाहता हूं कि जितना रुपया दिया जा रहा है और जिन कामों के लिए दिया जा रहा है वह काम पूरे करने हैं तो ज़रूरी है कि administration को corruption से साफ़ किया जाए। जो demoralisation आ चुकी है, इसे दूर करने की कोशिश की जाए।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूं कि रिवाड़ी में जो हादसा पिछले दिनों हुआ उसे आप जानते हैं। जिस Inspector को इस मामले की enquiry का काम सुपुर्द किया गया उस ने सरकार के इशारे को न माना और इन की मन मानी नहीं की तो नतीजा स्पीकर साहिब, क्या हुआ ? यह कि उस को पिटवाया गया और ज़लील किया गया। (*Voice : Shame, Shame.*) पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस बारे में कहा तो एक वज़ीर। ने इतराज़ किया कि इन्हें शायद तफसील पता नहीं थी लेकिन मैं तो उस इलाके का हूं। मेरे इलाके में ऐसी बात हुई और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस के साथ ज्यादती हुई। यह एक ग़लत तरीका है और इस से अफ़सरान में कमज़ोरी आती है।

स्पीकर साहिब, जब Unionist Government थी और डाक्टर गोपी चंद जी हमारे लीडर थे हम अपोज़ीशन में थे तो हम जानते हैं कि पंजाब में 29 ज़िले थे और 4 करोड़ की आबादी होने पर भी एक आई. ज़ी. पुलिस एक महकमा का एक ही डाइरैक्टर और एक ही चीफ़ इनजिनियर हुआ करता था। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मुश्किल आ गई है कि पांच या छ: तो चीफ इंजिनियर हैं और उन में कोई मेल मिलाप और ताल मेल नहीं है ? कोई ज़िम्मावारी नहीं लेता। नहर का मामला हो या सड़क का मामला हो—इस की ज़िम्मेवारी नहीं लेता क्योंकि अफ़सरान ही इतने

ज्यादा हैं । और अब अगर इन की strength को और बढ़ा दिया गया तो यह और भी ग़लत बात होगी । फिर दो ही I. G. पुलिस हैं । कहा जाता है कि साहिब पैप्सू का इलाका मिल गया । तो मिल कर भी तो सिर्फ 18 इज़ला ही बने 29 तो नहीं बन गए जो कि मुश्तर्का पंजाब में थे । लेकिन यह बात नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है । यहां पर भी लोग इस बात पर तरह तरह की बातें करते हैं कि किस बिना पर अफसरान की गिनती इस कदर रखी हुई है जब कोई ज़िम्मेवारी ही नहीं लेता । मुझे इस बात से बहस नहीं कि पैप्सू का इलाका हम से मिला है। ठीक है । मुझे इस से सरोकार नहीं कि Chief Engineer पैप्सू का हो या Director पैप्सू का हो या आइ० जी० पुलिस पैप्सू का हो । लेकिन जिम्मेदार हो और एक हो, यह ज़रूरी है । (घंटी) मैं, स्पीकर साहिब, सिर्फ एक आध मिनट में ही खत्म कर दूंगा । स्पीकर साहिब, मुझे फिकर इस बात का है कि यहां पर पुलिस अफसरान और दूसरे अफसरान को मिनिस्टर साहिबान की तरफ से धमकी दी जाती है कि यह काम इस तरह से करो । यह सरकार के लिये ठीक तरीका नहीं फिर मिनिस्टर साहिब एक जगह 48 दफा जाते हैं और वह भी आठ महीने में यानी तकरीबन हर हफता तो इस का नतीजा यह होता है कि अफसरान अपना काम भी नहीं कर सकते । फिर, स्पीकर साहिब, आप को एक जगह का वाक्या सुनाऊं । मैं नाम नही लूंगा । वज़ीर साहिब जाते हैं और एक सब-इन्स्पैक्टर को कहते हैं कि यह काम करना है हमारे फलां मिलने वाले या रिश्तेदार का काम है । वह नेक आदमी था । उस को तबदील कर दिया गया । यहां तक ही नहीं । उस पर तरह तरह के इलज़ामात लगा दिए कि तुम पर यह कसूर है । तुम्हारा यह गुनाह है । क्या इस तरह से हकूमत के लिये बातें सुनना मुनासिब हैं ?

आज, स्पीकर साहिब, गुड़गावां के अन्दर कहा जा रहा है कि वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज नहीं और न ही सरदार प्रताप सिंह कैरों का राज है वहां पर एक M.L.C. का राज है । अफसरान डरते हैं और जगह जगह इस बात का चर्चा होता है । क्या तबाही आने वाली है जो इस तरह की बातें......(घंटी) सिरफ दो मिन्ट में ही खत्म करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बातें तो हाऊस सुनता आया है । (The House has already been listening such things)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब यह तो बिलकुल नई बात है कि एक ऐम. ऐल. सी. का कहीं पर राज हो । कभी सुना नहीं था इस तरह.........(विघ्न) सरदार प्रताप सिंह की जय हो । लेकिन इस तरह की बातें होने पर अफसरान और नीचे के मुलाज़मीन के दिलों पर हकूमत का क्या असर रह जाता है ? सुना जाता है कि खुले आम अफसरों के नाम पर उसी के हुक्म से रिश्वत चलती है । इस तरह की बातें सरकार को कड़े हाथों से खत्म करनी ज़रूरी हैं । अगर आप corruption और रिश्वत को खत्म करना चाहते हैं तो अगर इसे ऊपर से खत्म किया जाए, तो नीचे खुद बखुद इस का असर पड़ेगा ।

स्पीकर साहिब, हकूमत ने दो करोड़ रुपया नेक काम में लगाने के लिये रखा है । यह रुपया सरकार ने गरीबों के नाम पर दिया है । इस के लिये गुज़ारिश है कि यह रुपया

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

उन लोगों को मिलना चाहिए जिन के लिये यह रखा गया है। मैं तमाम नहीं कहता लेकिन इन में से बहुत ज़्यादा उन को मिलना चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि जिन के लिये रुपया रखा गया है वह उन्हें नहीं मिलता। मैं अर्ज़ करता हूं कि खुदा के वास्ते जो वादा लोगों से किया है उसे पूरा किया जाय। जो इलाके डूब रहे हैं उन के बचाव के लिये ही यह सरफ होना चाहिए। (विघ्न) मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जो रुपया जिस जिस काम के लिये सरकार ने मनज़ूर करवाया है और गरीब लोगों से जो वायदे किये हैं उन को पूरा किया जाए और जो इलाके डूब रहे हैं उन्हें बचाने पर खर्च किया जाए, डरेन्ज़ के काम को पूरा किया जाए।

मैं सिर्फ एक वाक्या के बारे में ज़िक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां एक जरमनी का expert आया था। जब introduction करवाई गई तो कहा गया कि यह हमारे पंजाब के चीफ इनजीनियर कैनालज़ हैं। फिर दूसरों को भी चीफ इनजीनियर बताया गया, तो वह बहुत हैरान हुआ और उस ने कहा कि हमारे हां तो canals और drains एक ही हैं और एक शोहबा का एक चीफ इन्जीनियर होता है। नीज़ हम जब तक डरेन नहीं बनाते नहरें बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले drains बनाई जाती हैं। इस लिए drains के लिये जो रुपया सरकार ने रखा है मैं उस के लिये इस सरकार को credit देता हूं क्योंकि drains के बन जाने से तबाही को रोका जा सकेगा। लेकिन इस के साथ ही गुज़ारिश करूं कि जो रुपया गुड़गांवां में drains के लिये रखा गया है और जिस की मन्ज़ूरी ले ली गई है वह कहीं एक करोड़ से कम हो कर 45-46 लाख और फिर इस तरह से बिलकुल ही कम न कर दिया जाए। इस के लिये आखिर में मैं अर्ज़ करूंगा कि जो वादा आपने अपने गुड़गावां के लोगों से किया है वह पूरा किया जाये और जो रुपया drains के लिये रखा गया है उसे सरफ किया जाए ताकि गुड़गावां के इलाके को drains बनाकर तबाही से बचाया जा सके।

चौधरी चन्द्र भान (तोशाम) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह Appropriation Bill जो House में पेश है, ऐसा आज से 12 महीने पहले भी इसी House में पेश हुआ था। हमारे Prime Minister नेहरू जी और इन से पहले महात्मा गांधी जी और उन से भी पहले महात्मा तिलक जी जैसे बजुर्ग इसी बात पर जोर देते चले आ रहे हैं कि गरीब लोगों को ऊपर उठाया जाये और जो लोग गरीबों का खून चूसते हैं उन को नीचे दबाया जाये। मगर मैं ने पिछला भी Bill देखा था और आज भी यह Appropriation Bill देख रहा हूं। मैं तो गरीबों की भलाई की इस में कोई बात देख नहीं सका। मैं एक social worker हूं, leader type का वकील नहीं हूं। मैं तो कहीं भी हो; practical काम देखना चाहता हूं। मगर मुझे ज़्यादा यहां पर बोलने वाले ही नज़र आते हैं, practical काम करने वाला यहां कोई नहीं है। यह जो बड़े बड़े आदमी आगे बैठे हुए हैं यह सब leader type के वकील हैं। मगर यह मेरी भूल थी कि मैं आज तक यही समझता रहा कि इन से हमारा कुछ भला होगा। यह मैं

ने ग़लती ही खाई है (एक आवाज़: अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा) (हंसी) । पिछली दफा भी मैं ने मंत्री महोदय से यह अर्ज़ किया था कि लोहारू पंजाब की boundary में शामिल है, राजस्थान में नहीं। पिछले साल भी इस को बिल्कुल ignore किया गया अब की दफा भी इस के लिये कुछ provision नहीं है । न यहां के लिये roads का, न transport का, न पानी का और न ही बिजली का कोई प्रबंध है । हम ग़रीबों को कोई भी नहीं पूछता ।

एक माननीय सदस्य : आप के लिये विनोबा भावे जो आ रहे हैं।

चौधरी चन्द्र भान : मैं विनोबा भावे जी के मुतअल्लिक कुछ कहना नहीं चाहता । इन्होंने तो इन के mission को भी fail कर देना है। संतों का, महात्माओं का जो mission होता है वह किसी दबाव के ज़ोर से नहीं चलता । अगर कोई दान दे तो उसे अपने आप ही देना चाहिए। मगर यह अपनी ताकत से इस संतों के mission को materialistic दृष्टिकोण की तरफ लिये जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि लोगों में दान देने का अपने आप ही उत्साह होना चाहिये ।

मेरा कहने का मतलब था कि लोहारू का जो इलाका है इस के तीन तरफ राजस्थान की सरहद लगती है । यहां पर और तो क्या होना था पीने का पानी भी नहीं मिलता । Minister P.W.D. मेरे ज़िले के हैं । सारे ज़िले का हाल जानते हैं, घर घर को जानते हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। हम यह समझते थे कि चौधरी सूरज मल हरियाना की एक बहुत बड़ी तोप हैं, मगर इन से भी हम ग़रीब लोगों का कोई भला नहीं हुआ । चौधरी छोटू राम भी जब मनिस्टर बने थे तो हम यह सोचते थे कि यह हम लोगों को ऊपर उठायेंगे, मगर पता नहीं इन Benches में क्या बीमारी है कि जो भी यहां आ जाता है हमारे लिये खत्म हो जाता है। मेरा इलाका बड़ी देर से नवाबों की हकूमत में रहा है । हम उस वक्त से गुलामी की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं। इस के बाद आज़ादी आई । गांधी जी ने कहा कि हम गरीबों का भला करेंगे । मगर फिर भी वही हाल हुआ । पुराने जमाने को एक मिसाल मशहूर है कि--पहले जमाने में मालिया गांव गांव से वसूल किया जाता था और यह लम्बरदार ही इकट्ठे वसूल किया करते थे। मगर यह लम्बरदार रास्ता में ही आधा खा जाते थे। आधा दाखल खज़ाना करा देते थे। यह सिलसिला नवाबी हकूमतों में चलता रहा है । 8-9 साल के बाद नवाब को पता लगा कि यह लोग तो आधा मालिया खा जाते हैं, इन का कोई न कोई इन्तज़ाम होना चाहिये । उस ने चंद्रभान जैसे को साथ लगा दिया कि यह साथ मालिया इकट्ठा करने जाया करेगा । लम्बरदार ने मेरे जैसे को कहा कि आप खाह मखाह तकलीफ करेंगे यह लो धोती जोड़ा, आप घर जायें 10-15 मील पैदल चलने की जरूरत ही क्या है, मालिया हम खुद दे देंगे। वह भी धोती जोड़ा लेकर वापस घर आ गया, और लम्बरदार फिर वैसे ही करते रहे। स्पीकर साहिब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई इस रास्ता पर जाता है वही डूब जाता है। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि वज़ीर बने नहीं और सब कुछ भूले नहीं। सिवाये अपने लोगों की सिफारिशें मानने के कुछ करते ही नहीं हैं। मैं चौधरी सूरज मल से भी मिला हूं और दूसरे ministers से भी मिला हूं। सभी उठ कर कहते हैं कि हम ने इस इलाके में ऐसा किया और उस इलाके में ऐसा किया,

[चौधरी चन्द्र भान]

लकिन मेरा एक ऐसा इलाका है जिस के District Headquarter में पहुंचने के लिये 150 कोस तय करके जाना पड़ता है। एक तरफ तो सरदूल पुर से होकर आना पड़ता है और दूसरी तरफ रिवाड़ी से हो कर आना पड़ता है। दो दिन की यहां से छुट्टी मिलती है और दो दिन तो भिवानी तक जाते ही लग जाते हैं। इस के इलावा पैदल भी वहुत सा रास्ता तय करना पड़ता है। यह फायदे की बातें तो सब बड़े बड़े लोगों के लिये ही हैं गरीबों को कोई भी नहीं पूछता। आज मैं अपने इलाका के मुताल्लिक कह सकता हूं कि न वहां कोई line of communication है और न ही वहां पर कोई line of roads है। न वहां कोई वजीर जाता है और न ही वहां पर कोई सुधार का काम होता है।

लोहारू का इलाका एक desert है--रेतला इलाका है। इस में कोई 60 के करीब गांव है जिन की यह हालत है कि पीने का जो पानी मिलता है वह कड़वा होता है। कहीं मीठा पानी नहीं मिलता। यह इलाका most backward इलाका है; ऐसा पंजाब भर में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शान्ति से काम लें। एक तो पानी नहीं मिलता दूसरे आप गर्म हैं। (Please be calm. On the one hand there is shortage of water and on the other the hon. Member is of hot temper.)

चौधरी चन्द्र भान : यह दिहातों में तो कहते हैं कि हम आप के लिये काम करेंगे मगर जब यहां पर आकर देखते हैं तो यहां शहरी ही शहरी हैं। इस लिये मेरी इन से प्रार्थना है कि यह हमारे लिये गड़वा भर पानी का प्रबन्ध करें। मेरे पड़ोस में चौधरी साहिब का गांव शिडवां है। हमारे नहीं मगर उन के मीठा पानी मिलता है। इन को चाहिये कि जल्दी से जल्दी वहां भी पीने के पानी का प्रबन्ध करें। मगर वजीर साहिब यहां पर वकीलों के तरीका से चल रहे हैं। जहां काम करना होता है वहां तो चुपके से कर देते हैं। जहां पर नहीं करना होता वहां के लिये बहाने बनाये जाते हैं। जैसा कि मैं ने पहले कहा हम तो चौधरी सूरज मल को एक बड़ी भारी तोप समझते थे, मगर यह तो वह बात है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। (हंसी)।

श्री अध्यक्ष : यह हैं तो बड़ी तोप मगर आप को चलानी नहीं आती। (He is, no doubt a big gun—but the hon. Member does not know how to fire it ?)

चौधरी चन्द्र भान : यह जनाब मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे गांव वालों ने कहा कि भाई तुम M.L.A. बनने के लिये खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। न मैं ने किसी से कोई टिकट ली और न मैं ने election लड़ने पर पैसे खर्च किये। किसी ने मुझे कहा कि तुम कामयाब हो गये, चंडीगढ़ जाओ। तो मैं यहां चला आया। अगर मेरे मुकाबले में चौधरी सूरजमल के रिशतेदार हार गये हैं तो इस में मेरा कसूर ही क्या है। अगर आज चौधरी साहिब अपने रिश्तेदार की हार पर मेरे इलाके से बदला लेना चाहते हैं तो इस में political corruption नहीं तो और क्या है।

श्री अध्यक्ष : आज बात निकली (हंसी) (So the truth is out today) (Laughter).

चौधरी चन्द्र भान : मैं तो स्पीकर साहब, यही कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में सड़कें ज़रूर ही बनवाई जानी चाहियें। रह गया इस Appropriation Bill का सवाल, वह तो मैं vote न भी दूं तो पास हो जाना है।

एक चीज़ भार्गव जी से कहूंगा कि बिनोबा भावे का जो mission है वह बहुत उत्तम है। लेकिन उस में सरकारी अफसरों के ज़रिये चन्दा उगराहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा mission हकूमत की ताकत से नहीं चल सकता। उस के लिये तो spiritual ताकत की ही ज़रूरत पड़ती है। वह पैदा कीजिए।

अंत में चौधरी सूरजमल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सड़कें बनाने की तरफ ज़रूर ख्याल करें।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ) . ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ Appropriation Bill ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ।

Pepsu and Punjab ਦੇ merger ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ feeling ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 'ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ integration ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ decision *ad hoc* basis ਪਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤੇ। Police Radio Staff ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ feelings ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Pepsu ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ development ਦਾ programme ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ merger ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ aid ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Punjab ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ 5 ਆਨਾ per head ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 9 ਆਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ Middle School ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ 8 ਆਨੇ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ 9 ਆਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ High School ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Pepsu ਵਿਚ ਕੇਵਲ 9 ਰੁਪਏ। ਇਹ discrimination ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

16 ਮਾਰਚ, 1959, ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਆਨ

ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ position ਨੂੰ clear ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਆਈਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਇਕ ਸਾਲਿਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਔਰ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਖੀ Constitution ਕਰਦਾ ਹੈ, democratic way ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ । ਔਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ peaceful demonstration ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Kanwarani Jagdish Kaur : Shame, shame, shame (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ advance booking ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । (*Interruptions*)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਚਮਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਬੱਸਾਂ ਦੇ route permit ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । Public Relation Department ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਵਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਚਮਚਾ ਕਿਹਾ ਜੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚੀ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ । (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ । ਉਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ —ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ ।

Mr. Speaker : You are not standing on the public platform.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ responsibility ਲੈਣ ਤੋਂ shirk ਕੀਤਾ ਹੈ । 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਥ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : No insinuation please.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ......

Mr. Speaker : ਕੁਝ Appropriation Bill ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੋ । (The hon. Member should speak something on the Appropriation Bill also).

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ Press ਵਿਚ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ Speaker ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ordinary ਆਦਮੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ Press ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ—ਕਿ individual person under an ordinary law was arrested.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ position clear ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ? (I will clear the position. If the hon. Member so desires, I can do so just now).

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਜੀ ।

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि आपने Adjournment Motion के बारे में इशारा किया है । अगर ग़लत फहमी हुई तो इस लिये कि पंडित श्री राम शर्मा मेरी ruling का सही मतलब नहीं समझ सके । बात यह है कि कई तरह के Privileged Persons होते हैं । जैसे एक मैं बैठा हूं । गवर्नर of the State है या President है । इसी तरह शेख अब्दुल्ला बतौर State Premier के एक privileged person थे लेकिन उस का जब trial हुआ तो law के नुक़ता नज़र से वह एक ordinary person ही समझे गये यह legal terms हैं । जिन्होंने Law पढ़ा है, वह साहिब ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं । मैं ने जो reference दी थी वह यह थी कि अगर कहीं स्पीकर भी पकड़ा जाए, तो उसे भी trial के समय कोई privilege हासिल नहीं है :—

4.00 P.M.

In the eyes of law, we are ordinary persons. Master Tara Singh is an individual arrested under the ordinary administration of law.

वैसे जहां तक मास्टर तारा सिंह जी की leadership और महानता का सवाल है, उस में किसी का शक नहीं है और न ही मैं इस के ऊपर dispute करता हूं

[Mr, Speaker]

(I think the hon. Member has pointed to the adjournment motion on this subject. If there has been any misunderstanding, it is because Pandit Shri Ram Sharma could not follow the exact import of my ruling. The thing is that there are certain privileged persons such as myself or the Governor of the State, or the President of the Union. In the same way Sheikh Abdulla as Premier of a State was a privileged person but when he was tried in a court of law, he was treated as an ordinary person. These are legal terms. Those who have read law can well understand it. What I meant to say was this that even if the Speaker was arrested, he too, would not enjoy any privilege while facing his trial. In the eyes of law, we are ordinary persons. Master Tara Singh is an individual arrested under the ordinary administration of law. So far as the leadership and greatness of Master Tara Singh is concerned there can be no doubt about it nor do I want to dispute it.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਔਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ?

Mr. Speaker : In a way, the matter was such that it needed clarification in order to avoid any possibility of misunderstanding about me. Otherwise my ruling is there. It is clear that he is an individual person arrested under the ordinary administration of law. He has not got any privileged position. It is for this reason that I made it clear to him. Therefore, there should not be any misunderstanding about me.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ backward, declare ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ committed ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ backward ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਿਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ T. A. ਔਰ D. A. ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ 352 ਦਿਨ ਏਥੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

चौधरी हरि राम (धर्मसाला) : Thank you very much for the time given to me. स्पीकर साहिब, इस budget पर ग्राज 17-18 रोज़ से बहस हो रही है। Budget पेश हुग्रा, उस पर बहस हुई ग्रौर पास हुग्रा। ग्राज Appropriation Bill पेश हुग्रा है ग्रौर यह भी पास हो जाएगा । इस बजट में हमारी state के लिए तरक्की के साधन काफ़ी बड़े २ रखे गए हैं। खासकर low paid employees and pensioners के बारे । इस लिए मैं ग्रपने Finance Minister साहिब को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सुन्दर budget पेश किया है। इस budget में भी ग्रौर पहले budgets में भी हमारे ज़िला कांगड़ा का हिस्सा तो ज़रूर मिलता रहा है, लेकिन मुकाबलतन दूसरे इज़लाह के हमें बहुत कम share मिलता रहा है ग्रौर यही वजह है कि मेरे ज़िले में ग्रौर दूसरे पहाड़ी इलाकाजात में मुनासिब development नहीं हुई। हमारे ज़िला ग्रौर दूसरे पहाड़ी इलाकाजात के साथ ही हिमाचल प्रदेश बसता है। उस की population तकरीबन कांगड़ा ज़िला के बराबर है ग्रौर area मेरे ख्याल में इस से कुछ कम नहीं लेकिन उस साथ वाली state में इस कदर रुपया खर्च हो रहा है कि उस के मुकाबिले में हमारी सरकार कांगड़े पर उस का 1/4 हिस्सा बड़ी मुश्किल से खर्च करती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रौर कांगड़ा में जो conditions, prevail करती हैं वह एक जैसी हैं। Plains का ग्रौर पहाड़ का बहुत फर्क है। मैदानों में जितनी लागत से 10 मील लम्बी सड़क बन सकती है उतने खर्च से हमारे इलाके में (Kangra में) एक मील लम्बी सड़क नहीं बन सकती। इस लिए हमें जो रुपया साबिका Budgets में दिया जाता रहा है, उस से वहां पर (Kangra) में नुमायां तरक्की नहीं हो रही है। पिछले साल हमने इस बात का ज़िक्र Chief Minister से किया ग्रौर ज़ोर दिया था ग्रौर Leader of the House को कहा था कि हमें Budget में बहुत कम रुपया दिया गया है। इस के बाद कांगड़ा के लिए कुछ schemes तैयार हुईं । कैरों साहिब ने कमाल मेहरबानी की ग्रौर उन्होंने हमारे ज़िले के लिए 40 लाख रुपया दिया । बहुत सारी schemes, Second Five-Year Plan में भी रखी गई थीं लेकिन मुझे ग्रपने दोस्त श्री ग्रमर नाथ शर्मा जी से ग्रभी २ पता लगा है कि वह रुपया lapse हो चुका है ग्रौर हम देखते ही रहे। यह बात तो ठीक है कि जो schemes बनी थीं, उन में से कोई भी वहां पर चालू नहीं हुई। इसलिए, मैं ग्रर्ज़ करूंगा कि ग्रगर वाक्या ही वह रुपया lapse हो गया है तो उस के बजाए हमें कुछ ग्रौर additional रक्म दे दी जाए ताकि हमें जो नुकसान हुग्रा है, वह पूरा हो जाए। ग्रब मैं एक दो बातें Police के बारे में कहूंगा। स्पीकर साहिब, हमारे ज़िले में ग्रव्वल तो crime होता ही नहीं ग्रौर ग्रगर होता भी है

[चौधरी हरि राम]
तो बहुत कम होता है। मगर हम ने देखा है कि वहां और दीगर इज़ला में जो Police का investigating staff है वह अपना quota पूरा करने के लिए दफा 107 Criminal Procedure Code वगैरह के झूटे cases बना लेता है, और वह लोगों को नाजाइज़ तौर पर गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर वहां पर दो parties के दरम्यान किसी किस्म का ज़रा सा भी तनाज़ा हो जाए तो थाने वाले उन्हें Police Station में बुला कर लिख देते हैं कि दोनों parties हमारे सामने झगड़ा करने लगीं और गलोगीर हो गए। नुकस अमन का खतरा सिर्फ थाने में हो जाता है, इस बहाने से उन की गिरफ्तारी ज़ेरे दफा 107 Criminal Procedure Code की जाती है। वहां ऐसे बेशुमार cases, courts में लाए जाते हैं लेकिन उन में से 1 case भी कामयाब नहीं होता क्योंकि parties का आपस में ऐसा कोई तनाज़ा होता ही नहीं, इस तरह powers का misuse होता है। इसी तरह जब कोई रात के वक्त रास्ते में जाता हुआ नज़र आ जाता है तो उस को दफा 109 C. P. C. की आड़ में पकड़ कर उस का चालान कर दिया जाता है। इन मुकद्दमात में एक फी सदी कामयाबी भी नहीं हुई। Power के इस नाजाइज़ इस्तेमाल की वजह से और सौ फीसदी false cases कायम करके लोगों को गिरफ्तार कर के किस तरह public opinion अपने हक में कर सकते हैं और पब्लिक को इस तरह harassment दे कर पुलिस का आम लोगों से contact कैसे sweet और अच्छा हो सकता है। I.P.S. Cadre के अफसरान S.P. वगैरा बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उन में काफी सुधार हुआ है। लेकिन उन का mass contact बहुत ही कम होता है। मैं यह अर्ज़ ज़रूर करूंगा कि investigating staff में बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। इस के लिए मैं यह suggest करूंगा कि Police का prosecuting staff पुलिस से ज़रूरी तौर पर अलहदा कर दिया जाए क्योंकि वाकयात से मालूम हुआ है कि prosecuting staff सब का सब पुलिस investigation staff के ज़ेरे असर रहता है और उस से बाहर नहीं जा सकता। अगर एक थानेदार कोई मुकदमा लाकर prosecuting branch के सामने पेश करता है तो ज़रूरी तौर पर out of the way जाकर Prosecuting Inspector को उस की support करनी पड़ती है चाहे उस को यह यकीन हो जावे कि मुकदमा false और गलत है। अगर वह कोई नुकस निकाले तो थानेदार कहने लग पड़ता है कि मुलज़म की approach हो गई है और उस बिचारे के बरखिलाफ खुफिया डायरी ऊपर पहुंच जाती है इस लिए वह हिम्मत नहीं कर पाते कि investigating staff के बरखिलाफ राए दें। तो मैं कहूंगा कि यह prosecuting agency पुलिस से बिल्कुल separate होनी चाहिए तब ही satisfactorily काम चल सकता है और पुलिस का public के साथ contact sweet हो सकता है। हाल ही में यह सुनने में आया था कि एक District Attorney की स्कीम जारी की जाएगी लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उस स्कीम का क्या हशर हुआ है। तो मैं यह कहूंगा कि यह जो prosecuting agency है इस को बिल्कुल separate किया जाए ताकि Police administration में सुधार हो सके।

एक बात मैं education के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे ज़िला में सिर्फ एक कालिज है और सिर्फ B.A. तक तालीम देता है । लेकिन कांगड़े के बच्चे भी M.A. तक पढ़ना चाहते हैं और उनको भी ऐसा शौक है। वहां गुरबत इतनी है कि वह दूसरे दूर दराज़ के मुकामात पर जा कर M.A. तक तालीम हासिल नहीं कर सकते। इस लिए वहां M.A. की classes जारी की जाएं। मैं यह नहीं कहता कि फलां subjects की M.A. classes जारी करो। आप चाहे हिन्दी की करें पंजाबी की करें या दूसरी करें, लकिन M.A. की classes वहां ज़रूर जारी करें ताकि बच्चे पूरी तालीम हासिल कर सकें। इसके इलावा हमारे कालिज में Geology की कलास जारी की गई है। पहिले F.Sc. Geology की class खोली फिर B.Sc की खोली गई है और वह दो साल से चल रही है। B.Sc. पास करने वाले लड़के M.Sc. Geology पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अज तक उसका कोई इन्तज़ाम नहीं हुआ। हम काफी अर्सा से बार २ कह रहे हैं कि वहां M.Sc. का इंतज़ाम किया जाए लेकिन शुनवाई नहीं हुई जिस को वजह से Geology students का valuable career जाया हुआ है। उनके इस नुकसान का कौन जिम्मादार है ? इस बात के लिए मैं गवर्नमेंट का बड़ा मशकूर हूं कि एक Basic Training College हमें दिया है। कुछ Basic Schools भी दिए हैं और बहुत सारे बच्चे कोर्स पूरा कर के पास कर चुके हैं लेकिन मुलाजमत का यह हशर है कि पिछली दफा Subordinate Services Selection Board की तरफ से 25—30 Basic Trained टीचरों की posts advertise की गई, मगर मौका पर उन्होंने दो ढाई सौ सब बाहर के teacher भरती कर लिए। इनमें सवाए दो चार कांगड़े के लड़कों के बाकी सब बाहर से लिए गए और वहां के लड़कों को मौका ही नहीं दिया गया। न ही वह selection में आ सके क्योंकि advertisement जो की थी वह बहुत थोड़ी आसामियों के लिए की थी। फिर तो Kangra में Training College के खोलने का कोई फायदा नहीं। जब कांगड़े में भी सब के सब teacher बाहर के हों। ऐसी institution का फायदा तो तब ही है कि उन पसमांदा पहाड़ी लड़कों का ख्याल कांगड़े की ज़रूरत को पूरा करते वक्त रखा जाए और उन को भरती के मौका पर पूरा हिस्सा दिया जाए। Basic Education मेरे ख्याल में निहायत ही मुफीद है। मेरे दोस्त पंडित श्री राम शर्मा जी को गलत फहमी हो गई है कि basic education अच्छी नहीं। मैं उन को अपने खर्च पर धर्मसाला अपने Basic Training College में ले चलूंगा और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि उन की यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। हमारे Principal Mr. N.D. Sodhi ने हमारे कालेज को एक art gallery बना दिया है और यह साबत कर दिया है कि basic education निहायत ही अच्छी और लाज़मी चीज़ है।

अब मैं अर्ज़ करूंगा कि मेरी Dharamsala constituency में means of communication अच्छी नहीं है और न कोई पुल बना है आमदोरफ्त का सिलसिला बहुत दुश्वार और खराब है। मैं बहुत देर से बार बार दरखास्त दे रहा हूं कि Dharamsala के करीब एक पुल मौज़ा चड़ी में काफी अर्सा से floods की वजह से गिरा

[चौधरी हरि राम]
हुआ है उस को बनाया जाए। पठानकोट से धर्मसाला को जो सड़क via चम्बी और चड़ी जाती है उस पर एक चड़ी के मुकाम पर सड़गड़ पर पुल था वह पिछले 8—10 साल से गिरा हुआ है इस पुल को दोबारा तामीर करने के लिए priority मिलनी चाहिए थी। इस पुल के गिर जाने से धर्मसाला की trade खत्म हो गई है। 50,0C0 मरदमान का इस सदर मुकाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर पुल हो तो रसद इन पार वाले देहात से सदर पहुंचने के लिए सिर्फ 6 मील का फासला पड़ता है लेकिन अब पुल न होने की वजह से बरास्ता गगल कम अज़ कम 15 मील का चक्कर लगा कर धर्मसाला पहुंचना पड़ता है और यह पुल बन जाए तो पठानकोट से धर्मसाला पहुंचने के लिए 8 मील की बचत होती है। इसी तरह Yol Camp पहुंचने के लिए 8 मील का फासला कम हो जाता है। पठानकोट से धर्मसाला तकरीबन 60 vehicles रोज़ाना आती जाती हैं और इसी रास्ते Yol Camp के लिए 50 vehicles आती जाती हैं। अगर यह पुल बन जाए तो दोनों मुकामात पर पहुंचने के लिए तकरीबन 16 मील का फासला बचता है। Calculations से साबित हो गया है, कि पुल बन जाए तो फासला घट जाने की वजह से चार हज़ार रुपया की national saving हो सकती है क्योंकि 100 से ज्यादा लारियां उस सड़क पर रोज़ चलती हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि जितनी जल्दी से हो सके top priority दे कर इस चड़ी पुल को बना दिया जाए और चम्बी धर्मसाला, Yol road जो पहले ही motorable है की मुरम्मत की जाए (घंटी)।

एक बात मैं irrigation के बारे में कर के बैठ जाऊंगा। हमारे भी irrigation का एक Sub-Division रखा हुआ है और कूहलें बनाई गई हैं लेकिन लोग उन का पानी नहीं लेते हैं क्योंकि आबियाना की शरह बहुत ज्यादा है। मैं तो कहूंगा कि अगर देखा जाए तो plains के मुकाबिले में half होना चाहिए न कि plains की शरह के बराबर लेकिन पैदावार के हिसाब से देखें तो बमुकाबिलतन plains के double बनती है क्योंकि plains के मुकाबिले पहाड़ी ज़मीन की पैदावार बहुत कम है। इस लिए यह शरह आबियाना plains के मुकाबिले में वहां कम होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि वहां की आबियाना की शरह plains के मुकाबिले कम से कम $\frac{1}{2}$ की जाए। Thank you, Sir, for the 5 minutes given to me to place before the House through you some of my demands and suggestions.

श्री गुरदत्त (पलवल, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत ही धन्यवाद है कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज इस हाउस में Appropriation Bill पर बहस चल रही है। मैं गुड़गांव के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। जिस तरह कांगड़ा का ज़िला पसमांदा है, उसी तरह हमारा गुड़गांव का ज़िला भी पसमांदा है और उस से किसी तरह कम नहीं है। बदकिस्मती से कुदरत की तरफ से जो तबाही वहां आई है शायद ही किसी और ज़िला में उस तरह का कहर नाज़ल हुआ हो। बरसात की वजह से पानी से इतनी खराबी हुई है कि चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है और लोगों की हालत बहुत खसता हो गई है। पिछले दिनों जब यह हड़ आए तो हमारे मंत्रिमण्डल के मिनिस्टर साहिबान भी वहां पहुंचे और हमारे सरदार राड़ेवाला साहिब ने मौका पर जा कर सारी हालत देखी। हमारे

मुख्य मंत्री जी वहां गए और उन्होंने देख कर काफी दर्द महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सैंकड़ों की तादाद में ऐसे गांव हैं जो तबाह हो गए हैं। बड़े संतोष की बात है कि यहां से इमदाद के लिए पैसे का इन्तज़ाम किया गया और 40 लाख रुपया loans और grants की शकल में वहां दिया गया। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह रुपया कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो इस के मुस्तहिक नहीं थे। जिन गांव में flood नहीं आया उन गांव के लोगों को भी बराबर की grant तकसीम कर दी गई। स्पीकर साहिब, अब भी आप देखेंगे कि उन गांव की ऐसी हालत है कि किश्तियां चलती हैं और उन लोगों के लिए वहां गुज़ारा करना मुश्किल है क्योंकि जब ज़मीन में काश्त ही नहीं होती तो पैदावार कैसे हो और लोग क्या खाएं ? वहां आप देखेंगे कि गांव के गांव खाली पड़े हैं क्योंकि गुज़ारा न होने की वजह से वह वहां से हिजरत कर गए हैं। उस का एक फायदा यही हुआ है कि चूंकि वह ज़िला देहली के नज़दीक हैं इसलिए वहां से सरकारी आदमी शिकार और सैर के लिए बहुत आने लग पड़े हैं और वहां एक शिकारगाह बन गई है। M. Ps. वग़ैरा के लिए भी वह दिल बहलाने की जगह बन गई है, लेकिन वहां के लोग दोज़ख की ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं।

स्पीकर साहिब वहां से देहली से ग्रांडट्रंक रोड जो जाती है उस में भी अभी तक पानी भरा हुआ है; वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। एक सड़क पलवल से गुड़गांव जाती है वह बिल्कुल खुली नहीं है और वहां पानी ही पानी नज़र आता है। P.W.D. Minister वहां गए थे और उन्होंने वायदा किया था कि सड़क जल्दी खोलेंगे लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया और पलवल सब डिवीज़न cut off हो गई है। मैं P.W.D. Minister को मुअदबाना अर्ज़ करूंगा कि सड़क खोली जाए। पहले उम्मीद थी जबकि हमारे ज़िले के मन्त्री के पास P.W.D. का महकमा था कि सड़कों का जाल बिछ जायगा लेकिन अफसोस की बात है कि वह सड़कों का जाल रीवाड़ी की तरफ चला गया। बल्लभगढ़ तहसील हैडक्वार्टर है लेकिन वहां से गुड़गांव के लिए कोई सड़क नहीं जाती और वहां देहली के रास्ते जाना पड़ता है। इसीलिए सब से पहले पांच--साला योजना में वह सड़क रखी गई थी। लेकिन जब tender call हो रहे थे तो चण्डीगढ़ से तार जाती है और वह सड़क cancel हो जाती है। स्पीकर साहिब, यह देख कर बहुत दुःख होता है कि जो योजना नीचे से बन कर आती है उस पर कोई ग़ौर नहीं होता। जैसे मौलवी साहिब ने कहा कि हमारे ज़िले में ऊपर से बहुत दखल दिया जाता है। यह निहायत अफसोस की बात है कि इस तरह से M.L.A. साहिबान की नाकाबन्दी की जाय। हम पर इस का असर नहीं पड़ेगा लेकिन हमें इस बात का अफसोस होता है कि पार्टी पर इस का बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं मुअदबाना अर्ज़ करूंगा कि गुड़गांव का ज़िला पसमान्दा ज़िला है और मैं कह सकता हूं कि तमाम पंजाब में अमन पसन्द ज़िला है। वहां के लोग agitations में हिस्सा नहीं लेते। वे पक्के राजभक्त हैं। मगर उस के बावजूद भी उन के साथ इस तरह का सलूक होता है तो यह बहुत दुःख की बात है। राड़ेवाला साहिब को हमारे ज़िले की सड़कों के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। एक दफा वे ग्रांड ट्रंक रोड पर जीप में जा रहे थे तो उन की जीप पानी में डूब गई और आदमियों ने धक्का देकर निकाली। इसी तरह से ज़िम्मेदार

[श्री गुरदत्त]
मिनिस्टर साहिबान वहां जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इलाका का दौरा करते हैं । वहां एक दरबार लगता है और उनका खाने का इन्तज़ाम भी दिल्ली से होकर आता है। इसलिए स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूंगा कि वहां के लोग मुसीबत में हैं। इसलिए इस ज़िला के जो इलाके पानी से भरे हुए हैं उनका इन्तज़ाम किया जाय। पहले बहुत सी स्कीमें थीं। पिछले साल भी चर्चा थी कि पानी निकाल दिया जायगा लेकिन अफ़सोस की बात है कि हर साल बजट में स्कीमें रखी जाती हैं और lapse हो जाती हैं। हमारे मेम्बर साहिबान को पता होगा कि दो साल पहले हमारे एक भाई ने गुड़गांव कैनाल का एक रैज़ोल्यूशन रखा था और वह इत्तफाक राय से पास हुआ था। हर साल चर्चा होती है लेकिन गुड़गांव नहर काग़ज़ों में ही रह जाती है। मैं आप के द्वारा सिंचाई मंत्री साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी अमलीजामा पहनाया जाय।

इसके अलावा, स्पीकर साहिब, एक अर्ज़ मैं और करना चाहता हूं कि हमारी मार्किटिंग कमेटियों की मियाद तीन साल होती है लेकिन प्रेज़िडेंट को सात-आठ साल हो जाते हैं। तीन साल file Secretariat में ही घूमती रहती है। यह कोई अच्छी बात नहीं। इस की चर्चा सब जगह चलती है। इसलिए Agriculture Minister साहिब को इस तरफ तवज्जुह देनी चाहिए। आज यह हालत है कि एक छोटे से छोटे अफसर की तबदीली भी ऊपर से होती है और नीचे से कोई काम नहीं होता। इन बातों को अमली जामा पहनाने की जल्द अज़ जल्द कोशिश की जाए।

कामरेड मुनी लाल (शिमला) : स्पीकर साहिब, यह Appropriation Bill हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास जितना बड़ा बजट हो वह इस बात की अलमत है कि सरकार development के लिए रुपया खर्च करना चाहती है। लेकिन इस पर विचार करते हुए दो बातों का ख्याल रखना होता है। एक यह कि रुपया किस ढंग से वसूल किया जाता है और दूसरा यह कि रुपया खर्च किस ढंग से किया जाता है। मैं अपनी सरकार की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर इस रुपया की तकसीम को देखें तो यह मुतज़ाद नज़र आती हैं। पहली चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को चाहिए था कि वह अपना बजट Socialistic Pattern of Society को सामने रख कर बनाती और उसे backward areas और low paid classes का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन यह देखकर मायूसी होती है कि उन्होंने इन को काफी हद तक नज़रअन्दाज़ किया है। इसके साथ ही मैं समझता हूं कि सरकार को अपना बजट Directive Principles of Constitution के साथ मुकाबला करके बनाना चाहिए था।

सब से पहले मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि judiciary और executive को अलग करने की तरफ कम कदम उठाया गया है बल्कि यह बहुत आहिस्ता उठाया है। दूसरी बात मैं prohibition के बारे में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस principles का तो बहुत प्रचार करती है लेकिन उस पर अमल कम होता है। हमारे मिनिस्टर साहिब ने यह कहा कि prohibition रुपया की कमी की वजह से नहीं कर सकते।

Free compulsory education कि तरफ हमारी सरकार का कदम सराहनीय है लेकिन इस का असल मकसद पूरा नहीं होता। मैं यह समझता हूं कि बजाय इसके कि 7th standard तक free education करते primary तक free compulsory education कर देते तो ज्यादा अच्छा था और यह वक्त की मांग के ज्यादा मुताबिक होता। उस से सरकारी और प्राईवेट स्कूल में जो discrimination की है वह भी न होती और equal opportunities to all मिलतीं। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या जो बच्चे पंजाब के प्राईवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वे पंजाब के बच्चे नहीं हैं ? पंजाब सरकार को उनकी पढ़ाई का भी इन्तज़ाम करना चाहिए और यह discrimination नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की इस पालिसी की निन्दा करूं लेकिन मजबूर हो कर यह बात कहनी पड़ती है कि इस मामले में discrimination करना ठीक नहीं। इसके बाद मैं एक बहुत गम्भीर समस्या पर आता हूं वह यह कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह equal opportunities to all मुहैया करे। पैप्सू के अदग़ाम पर सरकार के ज़िम्मे कुछ liabilities हैं। कुछ पहाड़ी इलाके हैं जिन की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह इस पसमान्दा इलाके की तरफ ध्यान दे। सरकार ने बतलाया कि हम rope bridge बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस से वहां के लोगों की हालत बेहतर नहीं हो सकती। किसी शहर की तरक्की का इनहिसार industrialization पर होता है। यह ठीक है कि शिमला जैसे शहर में industrialization नहीं हो सकती इस लिए वहां की तरक्की दफ्तरों पर निर्भर थी लेकिन इस शहर के साथ सरकार ने बेइनसाफी की है। मैं यह महसूस करता हूं कि backward areas को उठाना सरकार के लिए निहायत ज़रूरी है। यह ठीक है कि सरकार के resources कम हैं लेकिन देखना यह है कि सरकार का कदम इस ओर उठता है या नहीं। सब से पहली चीज़ जो पहाड़ी इलाकों की development के लिए ज़रूरी है वह है सड़कें। सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह होता है कि पहाड़ी इलाका में जो पैदावार होती है वह सस्ते दामों middle man वहां से ले आता है क्योंकि सड़कें वहां नहीं पहुंचतीं इसलिए industries भी नहीं बन सकतीं। Far flung इलाका होने से अफसरान वहां दौरा भी नहीं कर सकते क्योंकि सड़कें नहीं हैं और raw material लाने का कोई साधन नहीं है। पिछले साल बारिशों में बहुत नुक्सान हुआ, फसलें damage हो जाने की वजह से हालात ऐसी सूरत इख्तियार कर गये कि लोगों ने agitation शुरू कर दी लेकिन डिप्टी कमिशनर इलाके का दौरा न कर सके, क्योंकि सड़कें नहीं थीं। सरकार को कंडाघाट और कांगड़े के इलाके में road development की तरफ खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। सरकार का यह कहना है कि उस के पास रुपये की कमी है मगर वह यह भी कहती है कि Himachal Pradesh ने road development के लिए करोड़ों रुपये की रकम खर्च की है। इस लिए मैं गवर्नमेंट से गुज़ारिश करूंगा कि कांगड़ा ज़िले में भी उस के बराबर सड़कें बनाई जाएं ताकि backward areas में means of communications की वजह से वहां की produce मार्किट में आ सके। स्पीकर साहिब, गुस्ताखी न हो तो एक बात कहूं

[कामरेड मुनी लाल]
कि यह सरकार उन इलाकों में road development का काम नहीं करती जिन इलाकों से Opposition के नुमायंदे elect हो कर आये हैं । आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की successful working के लिए Opposition का होना बहुत ज़रूरी है । लेकिन इस के बावजूद हमारी सरकार Democracy का दम भरती है और socialistic pattern of society का नारा लगाती है मगर यह महज़ एक ढोंग है और दिखावे की बातें हैं । पिछले दिनों food shortage की वजह से मुखालिफ पार्टी के लोगों ने जलूस निकाले और आवाज़ बुलन्द की कि खुराक लोगों को पहुंचाना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है लेकिन इस जलूस पर lathi-charge किया गया और गोली चलाने तक नौबत आई । इस सिलसिले में हमारे साथी चौधरी बलबीर सिंह को भूख हड़ताल करनी पड़ी । मैं सरकार को इस बात पर accuse करता हूं कि एक तरफ तो वह सोसायटी में बराबरी लाने की बातें करती है और दूसरी तरफ undemocratic means इख्तियार कर के अपने मुखालिफों को कुचलना चाहती है ।

स्पीकर साहिब, मैं एक दो suggestions और देना चाहता हूं । मैं सरकार की इस बात की तारीफ करता हूं कि उस ने Co-operative Societies की तरफ तवज्जुह दी है । लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इन के by-laws गलत किस्म के हैं और आम आदमी की समझ से बाहर हैं । इस का नतीजा यह हो रहा है कि इस वक्त सोसायटियां Co-operative Department के Inspectors के हाथों में चल रही हैं । इसलिये बेहतर होगा कि यह by-laws गुरमुखी ज़बान में लिखे जायें ताकि लोग इन्हें आसानी से समझ सकें । एक दफा हमारे प्रधान मन्त्री ने फरमाया था कि यह by-laws उन लोगों के बनाए हुए हैं जो इस movement के दुश्मन हैं । मैं हाउस का ज़्यादा time न लेता हुआ सरकार का ध्यान Nationalization of Transport की तरफ दिलाना चाहता हूं । अभी हाल ही में इस सिलसिले में एक deal हुई है जो मैं समझता हूं कि fair deal नहीं है । 120,000 मील सड़कों पर गवर्नमेंट की buses चलती हैं और 46,000 मील private operators में तकसीम कर दी गई हैं । लेकिन यह deal Mundhra Deal की तरह है एक तरफ तो सरकार Nationalization of Transport की स्कीम को मुलतवी करने की बातें करती है और दूसरी तरफ अपनी आमदनी के sources tap करने की कोशिश करना चाहती है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान फिर Nationalization of Transport की तरफ दिलाता हूं । आखिर में मैं, स्पीकर साहिब, आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) माननीय स्पीकर साहिब, Appropriation Bill पर बहस करते हुए मैं अपने विचार शिक्षा सम्बन्धी बातों तक ही सीमित रखूंगी । स्पीकर साहिब, किसी मुल्क की तरक्की वहां के mechanical equipment industrial power, factories पर निर्भर नहीं हुआ करती बल्कि वहां के

नौजवान होने वाले बच्चों पर होती है, वहां के system of education पर होती है, जिस के द्वारा हम अपने बच्चों के character को mould करना चाहते हैं, जिस के द्वारा हम उन्हें अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब सरकार ने दूसरी States के मुकाबले में अच्छी lead हासिल की है। हमारी Government ने छटी जमात तक गवर्नमेंट स्कूलों में विद्यार्थियों की फीसें माफ कर दी हैं और flood-affected districts में दसवीं जमात तक। इस चीज़ का सपना हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट अभी देख रही है कि वह Third Five-Year Plan तक शायद primary education free कर पाएं लेकिन हमारी सरकार ने थोड़े अरसे में ही यह achievement कर ली है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा 11 करोड़ रुपये का बजट जो सारे बजट का 20 फीसदी बनता है, Education पर खर्च किया जा रहा है। इस सरकार ने बड़ी हिम्मत की बात की है कि 11 करोड़ में से 8½ करोड़ रुपया non-planned schemes पर रखा गया है और इस Beneficent Department को encourage किया है। अगले साल के बजट में 136 स्कूल Higher Secondary Schools में convert किये जायेंगे। Multipurpose Schools पर भी सरकार की planned scheme के अनुसार काफी रुपया खर्च होता है। स्कूलों को basic schools में convert करने के लिए अलहदा रकम रखी गई है। इसके इलावा Nursery Schools और Kinder Garten Schools—जो कि modern education का एक progressive अंग है—के खोलने का भी provision है। हालांकि जो पैसा इन स्कूलों पर खर्च किया जाएगा, बड़ा negligible है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक नई चीज सोची है क्योंकि जब ये स्कूल देहातों में खोले जायेंगे तो काफी तरक्की और नई रोशनी लोगों में आएगी।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि इस ने teachers के pay scales revise किये हैं। इस तरह से हमारी सरकार को अब काफी खर्च का सामना करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में 1 crore 15 lakhs रुपये के करीब रुपया रखा गया है। इस के साथ साथ unemployment को दूर करने के लिए तेरह लाख रुपए की तजवीज़ है। श्री श्रीमाली ने लोक सभा में एक statement दिया कि वह Planning Commission से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 46,000 teachers और दिये जायें जोकि backward areas में भेजे जाएंगे। Unemployment की problem को दूर करने के लिए primary teachers रखने चाहिएं जो backward areas में बच्चों को शिक्षा दे सकें।

Women's education के सिलसिले में भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। इस ने गांव में lady teachers के लिए घर provide करने के लिए इंतजाम किया है। पांच सौ के करीब नये lady teachers primary schools में रखे जायेंगे और उन के लिए जगह का भी प्रबन्ध किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने हरयाने में दो तीन women कालेज खोलने का बन्दोबस्त किया है। स्पीकर साहिब, औरतों की backwardness को देखते हुए यह सब चीजें प्रशंसनीय हैं। हरिजन backward है, scheduled castes के

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

लोग backward हैं लेकिन हमारे देश में एक और कौम भी backward है और जिसकी तादाद सारी backward communities से अधिक है। वह कौम स्त्रियों की है। उनकी तरफ भी हमें तवज्जुह देनी चाहिए। अगर हम उन्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं, और उन के द्वारा अपने मुल्क को ऊँचा ले जाना चाहते हैं तो education द्वारा ही उठा सकते हैं। मुझे अफसोस है कि गुड़गांवा, रोहतक और कुरुक्षेत्र में जो women colleges बनाने की schemes थीं उन पर अभी तक अमली कदम नहीं रखा गया सिर्फ एक administrative approval होने से ही वे colleges नहीं बन जाएंगे। श्री श्रीमाली जी ने लोक सभा में कहा है कि अगर State Governments women colleges और उनके hostels बनाएंगी तो हम assistance देंगे। उन्होंने कहा है कि women education को बढ़ाने के लिए जो State Governments अपनी plans में बढ़ावा देंगी उसके लिए वह 75% grant देंगे। लड़कियों के स्कूलों को Higher Secondary बनाने के लिए 50 % रकम Central Government देने का इरादा रखती है। मुझे अफसोस है कि Education का जो budget तैयार किया गया है उसमें इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया। मैं ने सारा budget अच्छी तरह देखा है। उन्होंने जिक्र तो किया है कि Higher Secondary Schools बनाएंगे। मगर पता नहीं कि लड़कियों के कितने Higher Secondary Schools होंगे। लड़कियों के स्कूलों को encourage नहीं किया। और जो 50% grant Central Government से women's education को encourage करने में मिलनी है वह lapse हो जाएगी यदि हमारी Government ने इस तरफ कोई concrete steps न उठाए या कोई स्कीम न तैयार की। मैं अपनी सरकार का और Finance Minister का ध्यान दिलाती हूं कि अगर वे Central Government का रुपया भी लेना चाहते हैं, State की backwardness दूर करना चाहते हैं तो लड़कियों के स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिएं।

स्पीकर साहिब, सब मैम्बरों को मालूम है कि पिछले दिनों में National Committee on Women's Education बनी। मैं ने अपनी पिछली speech में भी जिक्र किया था उसकी Chairman श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख ने कहा है कि लड़कियों और लड़कों की education में समानता होनी चाहिए। हमारी women education जो primary group में है वह लड़कों की education की निसबत 50 % से भी कम है। Middle education 25 % से भी कम है जो High School Education है वह लड़कियों की लड़कों के 1/6 हिस्से से भी कम है। यह हालत है। अगर हम Central Government का पैसा चाहते हैं और चाहते हैं कि उसे पूरी तरह utilise करें तो हम इसके लिए एक separate Directorate बनाएं जैसा कि श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख भी कहती हैं। मैं नहीं सोचती कि State Government के exchequer पर ज्यादा बोझ पड़ेगा यदि women's education के लिए एक separate directorate बनाई जाए ताकि मौजूदा हालात में Deputy Directress और finance के बीच में D.P.I. की जो link है वह खत्म

हो सके तथा लड़कियों की education के सिलसिले में women's directorate अपना independent initiative ले सके और girls education को promote करने में अपनी नई स्कीमें बना सके। तो इस में मुझे कोई शुबा नहीं कि हमारी State जल्दी इस तरीके से तरक्की करेगी ।

स्पीकर साहिब, अब मैं कुछ free education की तरफ आना चाहती हूं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे कुछ members इस बात के लिए सरकार को बदनामी देते हैं कि इन्होंने education free की, लेकिन government schools में यानी Government institutions और private institutions को at par नहीं ला सके। लेकिन स्पीकर साहिब, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकारी मुलाज़मों और private मुलाज़मों में फर्क नहीं होता। यदि private firms के employees कहें कि उन के term of service में भी Government service की तरह security होनी चाहिए तो Government कैसे ज़िम्मेदारी ले सकती है ? यह मैं ज़रूर मानती हूँ कि education के मामले में Government and private schools में इतना भारी फर्क नहीं होना चाहिए। पहले सरकार छटी जमात तक की शिक्षा सब के लिए free करे। इस साल के budget में कहा गया है कि Government schools में सातवीं जमात तक शिक्षा free होगी । मैं कहती हूं कि Government Schools में सातवीं, आठवीं, नौवीं या दसवीं जमात तक शिक्षा free करने की फिक्र न करें; इस free education को universal बनाने की कोशिश करें। Government schools में free education करने का कोई फायदा नहीं अगर private schools पर burden रहता है। हमारे विधान में भी free and compulsory education की बात कही गई है और यह चीज़ तभी पूरी होगी, जब हम education को slowly and gradually universally free करने की कोशिश करें ।

जब मैं women education की बाबत कह रही थी तो एक बात रह गई। मैं कहती हूं कि कुछ Women और men Services में जो Education Department में है, disparity है। Finance Minister साहिब ने अपनी speech में कहा है कि Class I और Class II Women Services को Men Services के at par ला दिया है । सरकार की बड़ी कृपा है । यह बधाई की बात नहीं; यह हमारा legal और constitutional right है। लेकिन मुझे अफसोस है कि Lady District Inspectress के case में अभी disparity है। Men District Inspectors को P.E.S., Class II में रखा जाता है लेकिन जो Women District Inspectresses of Schools हैं वे पंजाब की Subordinate Education Service में है। यह बड़ी भारी disparity है जो दूर करनी चाहिए। यह rule अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था जब there were only a handful of girls school which were to be inspected by the District Inspectress. इस वक्त देखा जाए तो पता लगता है कि कितना काम

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

बढ़ गया है । Lady Inspectresses को गांव में tours पर जाना पड़ता है । उन्हें कोई खास T. A. या और कोई allowance नहीं मिलता । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस बात का ध्यान क्यों नहीं करती । Lip service and public praise have been tried too long for women and only serve to harden their hearts and is considered an act of cowardice of Government. सरकार को चाहिए कि इस disparity को दूर किया जाए और District Inspectresses के grade District Inspectors के grade के बराबर ला देना चाहिए ।

मैं कुछ private schools के बारे में भी कहना चाहती हूं । Private schools को Government aid भी देती है । लेकिन यह देखने में आया है कि बहुत जगहों पर उन की administration सुधरी हुई नहीं । कोई rules नहीं जिनकी strict compliance होती है । जो private schools के teachers हैं वे managing committee की mercy पर रहते हैं । इसके साथ साथ वहां पढ़ाई का standard Government schools के मुकाबले में नीचा है । सरकार private स्कूलों के लिए कोई ऐसे rules बनाए जिनके तहत वहां के teachers की administration में या उनकी conditions of service में कोई मौलिक परिवर्तन आ सके, तो मैं समझता हूं कि Government private schools के लिए बड़ी भारी service करेगी । स्पीकर साहिब, उन teachers की कोई security नहीं । मैं चाहती थी कि कुछ educational zones बना दिए जाएं, district में या Division level पर ताकि उस Divisional Zone में ही private स्कूलों के teachers की inter-transfer हो सके ; एक private school का teacher दूसरे private school में जा सके । किसी private school के teacher की तभी security हो सकती है जब उसकी service permanent हो और उसे यकीन हो कि इत्तफाक से एक स्कूल की managing committee के मैम्बरों से उस की नहीं बनती, तो वह दूसरी जगह जा सकता है । वह दूसरे private school में जा सके, उसकी promotion हो सके, उसको seniority कायम हो सके । Time थोड़ा है इस लिए मैं ज़्यादा explain नहीं कर सकती । (घंटी) उन teachers को selection भी Subordinate Services Selection Board के ज़रिए की जाए और private schools की grant बढ़ाई जाए । अगर private schools के teachers Subordinate Services Selection Board के through लगाए जाएं तो उन स्कूलों की पढ़ाई के standard में भी फर्क पड़ जाएगा । Private schools में managing committee के बहुत से मेम्बर ऐसे होते हैं जो professional electioneers होते हैं, political party के होते हैं । बाज़ वक्त यह देखा गया है कि schools और colleges में politics आ जाता है, राजनैतिक पार्टियां अपना हक जमाने लगती हैं । इन institutions को politics से अलग होना चाहिए । सरकार ऐसे कदम उठाए कि वे ऐसे institutions को जो political पार्टियों के

active members के influence के under हैं उन को recognise न करे तो मैं समझती हूं कि जो political, स्यासी बातें इन private स्कूलों और कालिजों में चलती है वे इन institutions में न चलें। (घंटी) यहां Education Department का कोई representative नहीं बैठा। पता नहीं मेरी बातों का असर होगा या नहीं। मैंने अपनी बात कह दी है।

ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਜਗਰਾਓਂ): ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਐਸ ਵੇਲੇ education ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁ points ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ privately-managed ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਇਲਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ possible ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਐਡਮਨਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। Privately-managed ਸਕੂਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ mercy ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ teachers ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ management ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Managing committee ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ Code ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Rules and Regulations ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ management ਔਰ teachers ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ agreement ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ management ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ teachers ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਸ ਲਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ private schools ਵਿਚ Party Politics ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ managing committees ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ privately-managed schools ਦੀਆਂ Managing Committees ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ Presidents ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ life dedicate ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਈ private ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ private school ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦਾ communal ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ staff ਵਿਚ ਭੀ communal-minded ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Private Schools ਨੂੰ condemn ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

[ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Private ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ buildings ਉਪਰ ਖਰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ । Managing Committee ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ President ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧੰਨ ਸਭ ਕੁਝ Private Schools ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ Punjab Education Code ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ grants ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ private ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ grant ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਮੈਨਿਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਝਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ private ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 % Results ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ grant ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ staff ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਓਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 6,000 ਵਿਚੋਂ ਕਿਨਾ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ grant ਹੀ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ condemn ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grants ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ private ਸਕੂਲ ਤਾਂ 40—50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ aim ਕੇਵਲ Education ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ staff ਦੇ members ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । Punjab Education Code ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ treatment ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ harmful ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ privately-managed schools ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ students ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

श्री रोशन लाल (नारायणगढ़ रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, आज Appropriation Bill हाउस में ज़ेरे बहस है। जिस वक्त पंजाब और पैप्सू की integration

हुई थी और पंजाब के नेताओं ने सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली थी तो हमारा विचार था कि पंजाब के साथ मिल कर पैप्सू के undeveloped इलाकों की नुमायां तरक्की होगी और जो स्कीमें अभी अधूरी रहती थीं उन को पायाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि Second Five-Year Plan में जो targets लिये गये थे उन में से कुछ ऐसे हैं जिन को अभी तक touch भी नहीं किया गया। कुछ ऐसे काम भी हैं जिन को पैप्सू सरकार के वक्त शुरू तो किया गया था लेकिन उन को वहीं का वहीं छोड़ दिया गया और आगे नहीं बढ़ाया गया। मिसाल के तौर पर मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि Second Five-Year Plan के सफा 419 पर दर्ज था कि पिंजौर से नालागढ़ कीरतपुर सड़क बनाई जाएगी। उस के लिये बीस लाख रुपया मखसूस किया गया था। वह सड़क 1956-57 में चार मील बननी थी, 1957-58 में तीन मील, 1958-59 में पांच मील और 1959-60 में इस सड़क को खत्म किया जाना था। लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उस काम को शुरू भी नहीं किया गया। कई बार वज़ीर साहिबान से इस बात का ज़िक्र किया गया और उन को याद दिलाया गया। मुझे खुशी है कि इस साल गवर्नमेंट ने इस सड़क के लिये 150 हज़ार रुपया मखसूस किया है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से Second Five-Year Plan में दर्ज है उसी time limit में यह सड़क मुकम्मल हो जाएगी या नहीं। इसी तरह से कंडाघाट के अंदर Jeep Tracts in Hills के लिये सात लाख रुपया मांगा गया था। पैप्सू सरकार ने सवा दो लाख रुपया खर्च कर के jeep tractable road बनाई थी। *(At this stage Shri Lal Chand, a Member of the Panel of Chairmen occupied the chair)* लेकिन अफसोस का मकाम है कि पैप्सू सरकार ने जितना काम किया था वह वहीं का वहीं रुक गया। बल्कि उस के बाद land slides होने की वजह से जो सड़क बनी थी वह भी मिसमार हो गई। उस के बाद अभी तक उस तरफ ध्यान नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह से रुपया खर्च करना जनता के रुपये को खराब करना है। अगर जनता का रुपया सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता तो उस का ज़िम्मेदार यह हाऊस है। यह रुपया जनता से टैक्स वग़ैरह ले कर इकट्ठा किया जाता है और अगर इस को इस तरह से खर्च किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह एक किस्म की misappropriation है। सात लाख रुपये में जो 45 मील लंबी सड़क बननी थी वह नहीं बनी है। इस लिये मैं वज़ीर मुताल्लिका से निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि जो targets Second Five-Year Plan में रखे गये थे उन को पूरा करने की कोशश करें और जो रुपया उन के लिये मखसूस किया गया था उस को सही तरीके से खर्च करें। मैं ने पिछले दिनों अपने चीफ मिनिस्टर साहिब से इस बात का ज़िक्र किया था और उन से प्रार्थना की थी कि यह सड़क ज़रूर बननी चाहिये। चुनांचि उस के लिये रुपया भी मखसूस किया गया।

मैं नहीं चाहता कि इस में ज़्यादा राए ज़नी करूं। लेकिन चूंकि पहले मुझे लीडर साहिब ने बताया था कि जो रुपया तुम्हारे जिले के लिये इस मकसद के लिये रखा गया था, वह वहीं पर—गो दूसरे कामों पर—खर्च किया गया है इस

5.00 p.m.

[श्री रोशन लाल]
लिये मैं आज फिर मिनिस्टर मुताल्लिका से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस साल जो रुपया बजट में provide किया गया है वह इसी सड़क पर खर्च होना चाहिए। ऐसा न हो कि वह ज़िले की किसी दूसरी तहसील में चला जाए।

जनाब, चेयरमैन साहब, बजट के अन्दर social welfare और Scheduled Castes का हर साल ज़िक्र किया जाता है। मैं नहीं कहता कि इस बार के बजट में भी और दूसरी दूसरी speeches में भी backward areas, backward tribes और पिछड़ी हुई जातियों का ज़िक्र किया है लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह सिर्फ़ eyewash की तरह का ही ज़िक्र किया गया है। मिस्टर चेयरमैन, इस State के अन्दर 36 लाख की आबादी हरिजनों और दूसरी पिछड़ी हुई जातियों की है। इसी हिसाब से इस House के अन्दर हरिजनों और backward classes के 36 मैम्बर हैं। (*Interruptions*) यह जो बजट हम पास करने जा रहे हैं, यह ख़ुद एक common man's budget है। इस का tax-payer एक common man यानी middle man और दूसरी गरीब sections of societies हैं। उन्हीं के पास से सारा taxation का रुपया और revenue आता है लेकिन फिर भी उन्हें अपना due share नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि जितनी स्कीमें बनती हैं बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अफ़ज़ल होती हैं, उन के पीछे बड़े अच्छे मकसद होते हैं लेकिन, कह नहीं सकता कि बाद में वह उसी spirit में implement होती हैं या नहीं। बहरहाल जो loan Central Government देती है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजाय सीधा लोगों की हालत को सुधारने के लिये लगाया जाय—Scheduled Castes और Scheduled Tribes के welfare के लिये लगाया जाय, वह Social Welfare Department पर खर्च कर दिया जाता है और Lahaul and Spiti area की तरफ divert कर दिया जाता है। यह रुपया दरअसल backward communities की development और education के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए था। कह नहीं सकता कि अगले माली साल में भी वह रुपया इन communities के लिये खर्च किया जाएगा, Lahaul and Spiti की development के लिए खर्च किया जाएगा या किसी और मद पर खर्च किया जाएगा। लेकिन मैं आप की मार्फत गवर्नमेंट की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वाकई इन backward classes और पिछड़े हुए लोगों को आपने उठाना है—और अगर आप सही तौर पर secular State का दावा करते हैं तो इस बात के लिये एक statutory board कायम करें जिस में हरिजनों के नुमायन्दे लिये जाएं ताकि वह सही तौर पर backward areas और Scheduled Castes की ज़रूरयात का जायज़ा लेकर जहां जहां जैसी ज़रूरत हो, वैसी recommendations कर सके। वह उन की समस्याओं को हल कर सके ताकि वह भी आज़ादी का फायदा उठा कर आज़ादी के दौर में आज़ाद कहलवाने के हकदार बन सकें। आज जो provision हम देखते हैं वह 3,600,000 की आबादी

के लिये आठ आने फी आदमी भी औस्त नहीं पड़ती। बहरहाल इन लफ़्ज़ों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद करता हूं कि वह इन बातों की तरफ़ खास तौर से ध्यान देगी।

चौधरी कर्म चन्द सिधु (होशियारपुर 'रिजर्वड') : चेयरमैन साहिब, आप ने जो मुझे इस Appropriation Bill पर बोलने का time दिया, उस के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूं। जनाब, जिस constituency से मैं आया हूं—मैं तो समझता हूं कि यह मेरे लिये खुश किस्मती की बात है लेकिन हकूमत की बदकिस्मती से बावजूद वह double-member constituency होने के दोनों M.L.As opposition parties के ही चुन कर यहां असेम्बली में आए हैं। यही वजह है कि उस ज़िला की development के सिलसिले में गवर्नमेंट आंख बन्द किये बैठी है। चेयरमैन साहिब होशियारपुर proper के block development area को छोड़ कर जिस २ जगह से कांग्रेसी M.L.A.s साहिबान आए हैं वहीं पर सारा काम शुरु किया गया है। मेरी constituency के अन्दर इस काम की तरफ़ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। इस लिये आप की विसातत से हकूमत के notice में यह बात लाना चाहता हूं कि इस तरह की discrimination करना कोई अच्छी हकूमत का कारनामा नहीं है। ज़रूरी है कि जब बार बार democratic state और socialistic pattern of society का नारा लगाया जाता है तो अपने ज़ाविए नज़र को इन असूलों के मुताबिक रखे।

चेयरमैन साहिब हमारे होशियारपुर के ज़िला में चोएं इतनी हैं कि उन की वजह से लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। कई बार पहिले भी इस House के अन्दर सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया गया है। इस के इलावा जो हमारी Press Gallery में बैठे हुए दोस्त हैं जब हम यहां पर किसी बात का ज़िक्र करते हैं तो वह एक लफ़्ज़ भी अखबारों में नहीं देते। मैं आप की विसातत से उन से request करूंगा कि जो जो तकलीफें हम अपनी constituencies के लोगों के बारे में यहां पर सरकार के notice में लाते हैं उन्हें वह आम public तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे नुमाइन्दे असेम्बली में जाकर क्या कुछ कहते हैं। तो, चेयरमैन साहिब, मैं चोओं की बात कर रहा था। होशियारपुर के अन्दर इतनी चोएं हैं कि उन से लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट कोई drainage system बना कर—छोटी नालियां बना कर—वह पानी बड़ी बड़ी नालियों में डाले और फिर बड़ी नालियों का पानी दरिया में डाल दे तो इस से लाखों एकड़ ज़मीन को सेम से बचाया जा सकता है और अनाज पैदा कर के आमदन को बढ़ाया जा सकता है।

वहां पर एक और बहुत भारी मसला है जिस का इन्तज़ाम किए जाने पर लाखों मन अनाज ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। वह stray cattle का मसला है। मुझे समझ नहीं आता कि बावजूद इतनी बार दुहराने के किसी मिनिस्टर ने आज तक क्यों इस बात की तरफ़ अपना ध्यान नहीं दिया। Stray cattle का एक ऐसा मसला है जिस से ज़िला होशियारपुर में ही नहीं सारे पंजाब में फसलों का भारी नुकसान होता है।

[चौधरी कर्म चन्द सिधु]
जो लोग मवैशी आवारा छोड़ देते हैं उन की वजह से फसलों का लाखों मन का नुकसान हो जाता है। इस लिये मैं आप की विसातत से आज फिर गवर्नमेंट से पुरज़ोर अपील करूंगा कि आनरेबल मिनिस्टर साहिब मुतअल्लिका इस सिलसिले में House के अन्दर बयान दें कि वह इस मामले में क्या इन्तज़ाम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस मकसद के लिये गवर्नमेंट के ज़ेरे ग़ौर कोई तजवीज़ है या नहीं। यह public की आवाज़ है। हकूमत को इस तरफ़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। (घंटी) चेयरमैन साहिब, अभी तो मैंने तीन चार बहुत ज़रूरी बातों का ज़िक्र करना है।

अब मैं Education की ओर आता हूं। Education ही एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों की जहालत को दूर करने में ज़्यादातर मददगार होता है। सरकार को चाहिए कि वह private स्कूलों को इस बात पर मजबूर न करे कि जो आधी fees की concession हरिजनों को थी, वह अपने पास से अदा करें। Private school इस हालत में नहीं हैं कि वह उस फीस को अपने funds में से अदा कर सकें। लाज़मी तौर पर यह नज़ला हरिजन बच्चों पर पड़ेगा जिन के वालदैन भी फीस अदा करने में लाचार हैं। इस लिये मैं सरकार से पुरज़ोर अपील करूंगा कि वह इस खर्च को खुद बर्दाश्त करे क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो ग़रीब हरिजन तालीम हासिल करने से बिल्कुल महरूम रह जायेंगे। उस से उन को अच्छी नौकरियां नहीं मिल सकेंगी और वह तरक्की के रास्ते पर दूसरों के शाना बशाना नहीं चल सकेंगे।

इस के साथ ही मैं हरिजनों की services में representation की बाबत भी अर्ज़ करना चाहता हूं। House के अन्दर मुख्तलिफ सवालात के जवाबात में यह बताया जाता है कि suitable candidates ही नहीं मिलते। यह चीज़ हमारे साथ एक किस्म का धोका है—ज़ुल्म है। मैं इस के खिलाफ़ protest करता हूं और आप की विसातत से गवर्नमेंट को पुरज़ोर अपील करता हूं कि उसे इस बात की तरफ़ निहायत इमानदारी से ग़ौर करनी चाहिए और जो backward classes और Scheduled Castes को services में 21 per cent की reservation दे रखी है उस को हर हालत में पूरा किया जाए। इस चीज़ को देखने के लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि हरिजन मेम्बरों पर मुश्तमिल एक Board बनाया जाए वरना यह बात ज़ाहिर है कि जैसा कि पहले से हकूमत उन ग़रीबों पर अत्याचार करती आई है; आगे भी ऐसा ही करेगी।

चेयरमैन साहिब एक और अर्ज़ करना चाहता हूं। Subordinate Services Selection Board में तो हकूमत ने हमारा एक नुमाइन्दा रखा हुआ है। वह Scheduled Castes Backward Tribes और विमुक्त जातियों की नुमाइन्दगी करता है। हकूमत ने जितनी gazetted posts fill करनी होती है वह Public Service Commission की मार्फत की जाती हैं यानी D.S.P., S.P. और दीगर जितनी ऐसी बड़ी २ posts होती हैं वह सब की सब Public Service Commission के

through भरी जाती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि Public Service Commission में हमारा कोई नुमायंदा नहीं रखा गया हुआ। यह एक किस्म की बेइनसाफी है। जब तक इस Commission में हमारा कोई नुमायंदा नहीं होगा तब तक हमारी community के अच्छे लिखे पढ़े लड़कों के किसी service में लिये जाने की उम्मीद भी नहीं हो सकती। इस लिये मैं सरकार से appeal करूंगा कि कम से कम हमारा एक नुमायंदा इस Commission में लिया जाये ताकि इस वक्त जो बददयानती हो रही है......

Mr. Chairman : These are not the words to be uttered here.

श्री कर्म चन्द सिधु : मैं आप की बात मानता हूँ लेकिन जो मैं कह रहा हूँ यह हो ही रहा है। इस लिये मैं आप के द्वारा सरकार से यह appeal करना चाहता हूँ कि हमारी reservation पूरी करने के लिये यहां इस बात का एलान करें कि यह एक board कायम करेगी जिस में हमारी नुमायंदगी होगी ताकि 21 per cent की जो reservation है वह हर कीमत पर पूरी करने के लिये कदम उठाये जा सकें।

इस के बाद मैं आप का धन्यबाद करता हूँ जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है।

श्री राम प्रकाश (जगाधरी 'रिज़र्वड') : स्पीकर साहिब, मैं अपने Finance Minister साहिब को बधाई पेश करता हूँ जो उन्होंने पिछले सालों की निसबत इस साल बड़े अच्छे तरीके का बजट पेश किया है। इस बजट की मुख्तलिफ demands पर मुख्तलिफ मैम्बर साहिबान ने नुकता चीनी की है और उस में से सब से ज़्यादा नुकता चीनी पुलिस पर हुई है। यह ठीक है कि हरेक department में कुछ न कुछ खामियां जरूर होती हैं और इस के साथ साथ उन खामियों को दूर करना भी हमारा फर्ज़ होता है लेकिन यह खामियां महज़ नुकता चीनी से, डर से, धमकियों से नहीं बल्कि प्रेम से दूर हो सकती हैं। कभी किसी साहिब ने इस बारे में अन्दाज़ा नहीं लगाया कि police staff को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई चोरों और डाकूओं का उन्हें मुकाबिला करना पड़ता है और इस मुकाबिले में कई सिपाही और थानेदार मारे भी गये हैं। फिर उन की 24 घंटे duty होती है और इस 24 घंटे की duty के साथ उन की तन्खाहें बहुत कम हैं। जहां तक उन के daily allowances का सवाल है यह constables और A. S. Is. को नहीं मिलता हालांकि इसी महकमे के दूसरे बड़े अफसरान यानी D. S. P. और S. P. को यह मिलता है। फिर आप देखिये कि जो S. H. O. होता है उस के घोड़े का allowance A. S. I. के घोड़े के allowance से दुगना होता है। मेरे ख्याल में A. S. I. का घोड़ा एक S. H. O. के घोड़े से कम नहीं खाता। इस लिये उस के घोड़े का allowance भी उतना ही कर दिया जाये जो कि S.H.O. को मिलता है।

[श्री राम प्रकाश]

इस के साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब पुलिस में हमारी Scheduled Castes के बहुत सारे आदमी बतौर constable मुलाज़म हो गये हुए हैं लेकिन उन को तरक्की नहीं मिल रही। इस महकमे में तरक्की उन आदमियों को दी जाती है जिन की या तो सिफारिश हो या वह खुद पहुँच वाले हों; बाकी आदमियों को ignore कर दिया जाता है।

इस के साथ साथ मैं बड़े अदब से इस हाउस के सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुज़ारों की मुश्किलात की तरफ भी ध्यान दिया जाये। जब से यहां इस हाउस ने तहफ्फ़ज़ मुज़ारान ऐक्ट पास किया है यहां कई बार इस बारे में बात चीत होती रही है लेकिन मुझे मजबूर हो कर यह कहना पड़ता है कि —

मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की।

ज्यों २ यहां इस बारे में कानून पास किये जाते रहे त्यों त्यों मुज़ारों की गर्दन पर तलवार चलती गई। मैं समझता हूँ कि इस में कुछ मुश्किलात गवर्नमैंट के सामने भी थी। मसलन कई दफा landlords का इस पर ज़ोर पड़ जाता है या और कई प्रकार का इसे लिहाज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि देहात में 87 फी सदी.... (*Interruptions by S. Umrao Singh*)

Shri Ram Parkash : Will you please keep quiet ? Let me speak.

Mr. Chairman : Order please.

श्री राम प्रकाश : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा भी है कि एक साल या दो साल के अन्दर २ सांझी खेती बाड़ी का सिलसिला शुरू हो जायेगा। मैं कहता हूँ कि वह बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम सब को उन्हें इस में support करना चाहिये और मैं अपने landlord भाइयों से भी अर्ज़ करूँगा कि वे अपने सारे प्रदेश के representatives हैं इस लिये उन्हें भी सब का फायदा सोचना चाहिये। उन्हें महज़ अपना ही फायदा नहीं सोचना चाहिये। जब तक यह सांझी खेती बाड़ी का सिलसिला शुरू नहीं हो जाता तब तक सब छोटे आदमियों को रोटी नसीब नहीं हो सकती।

फिर मैं अपनी सरकार से यह अर्ज़ करूँगा कि हमारे पंजाब में जितनी surplus ज़मीनें हैं और जो बहुत फालतु ज़मीनें पड़ी हुई हैं वह जल्दी से जल्दी हरिजनों को दे दी जानी चाहियें क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में जो अनाज की shortage है वह इस तरह भी दूर की जा सके। इस के साथ साथ यहां जितनी भी पंजाब सरकार की ज़मीन है वह सब बेज़मीन मुज़ारों को दे दी जाये और इस में खास तौर पर हरिजन मुज़ारों को तरजीह दी जाये क्योंकि यह एक ग़रीब Community है। चाहे इस community को facilities देने का फैसला हमारी सरकार ने किया हुआ है लेकिन उस पर अमली तौर पर खास काम नहीं होता।

इस के साथ ही मैं एक और अर्ज़ भी करना चाहता हूँ। जहां तक मुज़ारों की बेदखलियों का सवाल है वह कानूनी तौर पर तो बिल्कुल बन्द हो गई है लेकिन इस के साथ २ दूसरी किस्म की बेदखलियां शुरू हो गई हैं। देहात में produce की रसीद करवाने का कोई रिवाज नहीं है और इसी वजह से अगर एक मुज़ारे ने अपनी produce की रसीद मालक ज़मीन से नहीं ली होती तो मालक ज़मीन उस पर तीन साल की produce का झूठा दावा कर देता है। जहां तक Magistrates का ताल्लुक है आम तौर पर तो वे इनसाफ ही करते हैं। लेकिन कइयों की ज़हनियत ऐसी होती है कि वे ग़रीब आदमियों की प्रवाह नहीं करते। और उन झूठे produce के दावों पर मुज़ारों के खिलाफ degree कर देते हैं। इस तरह से जब उन ग़रीब आदमियों के खिलाफ एक हज़ार या दो हज़ार की degree हो जाती है तो आप अन्दाज़ा लगायें कि जिन आदमियों को दो वक्त रोटी मुयस्सर नहीं होती वे कैसे यह रुपया दे सकते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें इस तरह से मजबूरन बेदखल होना पड़ता है। इस तरह से हज़ारों आदमी झूठे produce के दावों से बेदखल हो रहे हैं।

मेरी जो constituency है उस में एक sugar factory है और यह सारी constituency sugar factory का area करार दिया गया हुआ है जो लेकिन वहां के sugar cane growers को बड़ी तक्लीफें हैं हालांकि सरकार ने एलान किया हुआ है कि co-operative societies की इमदाद की जायेगी। वहां भी sugar factory के owners ने पिछले ज़माने में Sugarcane Commissioner के साथ मिल कर अपनी मर्ज़ी के by-laws बनवा लिये हुए हैं। उस society के सात zone बनाये गये हुए हैं और हरेक zone में 15, 15 delegate होते हैं। जहां तक इन delegates का सवाल है जब factory की general meeting बुलानी होती है तो इन्हें एक जगह पर बुला कर, वहां सारे इकट्ठे हो कर फैसले करते हैं। लेकिन जब President की election का सवाल आता है तो यह अलहदा २ अपने २ zones में बैठते हैं। फर्ज़ करो कि एक zone के 15 delegate होते हैं और उन में से सात एक ख्याल के होते हैं और आठ दूसरे ख्याल के होते हैं। इन के अलावा हरेक zone में पांच वोट mill owners के होते हैं। इस तरह वह कुछ votes अपने साथ मिला कर अपनी मर्ज़ी का president elect करवा लेते हैं। इस तरह जिधर 9 वोट हो जाते हैं वह जीत जाता है और जिधर 6 वोट होते हैं वह हार जाता है और इसी तरह से इन के director का सवाल....

श्री चेयरमैन : यह मामला तो पहले हाउस में discuss हो चुका है। आप इस को छोड़ें। (This matter has already been discussed in the House. The hon. Member may leave it.)

श्री राम प्रकाश : चेयरमैन साहिब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह by-laws पिछले ज़माना के बने हुए हैं। इन्हें ख़त्म कर देना चाहिये। वैसे तो नये by-laws बन चुके हैं लेकिन Cane Commissioner साहिब ने पता नहीं वह क्यों लागू नहीं किये।

इस के अलावा मैं अपने इलाके की कुछ तकलीफें आप के सामने रखना चाहता हूँ। उन में से एक यह है कि मेरे हल्का में जगाधरी से लेकर अम्बाला कैंट तक एक सड़क बनवाने की बड़ी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि जितनी importance की यह सड़क है इतनी importance की सारे पंजाब में शायद ही कोई और सड़क हो। अगर यह सड़क बन जाये तो इन दो जगहों के दरम्यान फासला सिर्फ 30 मील रह जाता है हालांकि आज कल अम्बाले से जगाधरी जाने के लिये 60 मील का चक्र काट कर जाना पड़ता है। यह ठीक है कि दूसरी Second Five-Year Plan में यह सड़क आई हुई है लेकिन इस की तामीर की रफतार बहुत सुस्त है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस की तामीर के काम को खत्म किया जाये।

अभी मेरे एक दोस्त ने Public Service Commission के मुताल्लिक अर्ज़ किया है। जहां तक Subordinate Services Selection Board का सवाल है उस में हमारा एक नुमायंदा है जो बड़ी अच्छी तरह से हमारी रहनुमाई कर रहा है। मगर Public Service Commission में हमारा representative नहीं है। इस लिये गवर्नमैंट की figures से पता नहीं चलता कि कितने हरिजन Gazetted Officers लिये गए हैं और कितने नहीं लिये गए। जितने अफसर मुकर्रर किए गए हैं उन से हमारी 21% representation पूरी नहीं होती। इस की वजह यही मालूम होती है कि हमारा वहां पर नुमायंदा नहीं है। इस लिये Public Service Commission पर हमारा एक नुमायंदा ज़रूर लिया जाए। आप का शुक्रिया।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ M.L.A's ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ-ਪੁਰ ਤੋਂ elect ਹੋਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀ

ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਗ ਪਏ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਲਭੇ । ਮੈਂ P. W. D. Minister ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਬਰਾਸਤਾ ਜਨੌਰੀ ਜੋ ਕਚੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕਰਾਉਣ (ਵਿਘਨ) ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕੁਝ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਿਰ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ connect ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 9, 10 ਮੀਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਲਕਿ ਦਸੂਆ ਦੌਲਤ ਪੁਰ ਚੌਕ ਦੀ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ । ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ । (*interruptions*) ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਨ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਾਟਕ — (ਵਿਘਨ) ਫਿਰ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹਰਿਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਕਾਂਟਾ ਚੁਭੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਤੋ ਮਰਤੇ ਹੈਂ ਹਮ ਅਮੀਰ
ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕਾ ਦਰਦ ਹਮਾਰੇ ਜਿਗਰ ਮੇਂ ਹੈ

ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ । ਪਰ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ clever ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਲ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 150/- income ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਖਾਂ, ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਂਉਂਦੇ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]

ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਥੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ sweeper ਜਾਂ ਭੰਗੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਈਂ । ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਟੀਆਂ ਢੁਕਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਬੇਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ । (*Interruptions*) ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ Central Government ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 85/- ਰੁ੦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ । Municipal Committees ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ supersede ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਸਵੀਪਰ ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ Superintendent ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਵੀ class IV ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੋ ਘਟ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਗਰੀਬ ਚਪੜਾਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਸਵੀਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10, 10 ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3, 3ਜਾਂ 4, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ) ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 10 ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਥੋੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਧਾਉ । ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਕਰੋ ।

ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ deserve ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2000/- ਜਾਂ 4000/- ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਚੇ ਦੀ education ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) : ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਕੇਵਲ ਪਾਲਿਸੀ

ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ । ਅਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਜਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ । (ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ)

ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ. ਏਜ਼ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਹਿਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੁਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ crime ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15--20 ਕਤਲ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਬਾਪ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ S.H.O. ਛੁਟੀ ਤੇ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁਟੀ ਕਟਾ ਕੇ ਓਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਛੁਟੀ cancel ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਂ C.I.A. ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ੫ ਜਾਂ ੭ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਬਟਾਲਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ case ਇਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਈਮਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਰਗੜ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਟਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਸੀ । ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ਦਦ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । Magistrate ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। (I would like to remind the hon. Member that he should keep in mind the fact that he should not refer to any such case which is sub judice or pending in any court of law.)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ pending ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਈਮਾ ਤੇ ਕਢ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੀ 1,600 ਰੁਪਏ ਤਕ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਮ ਬੋਲੀ 3500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਢ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਜਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਚਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਰਾਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਡਾ ਭਾਰੀ smuggler ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਤਾਂ ਲਿਆ

ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਥੇ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ police rule ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ । ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ routine ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ । ਪਰ ਐਸ. ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕੋਈ particular ਕੇਸ ਦਸੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ S.H.O. ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ terror ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਂਦਾ—ਕੀ ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕੀ ਡੀ.ਐਸ. ਪੀ. ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ confidence win ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਭਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਜਣਾ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਿਆਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਹਲੇ ਤਹਿ ਕਰ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਏਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ discussion ਹੁੰਦੀ ਹੈ, । ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਲੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਹੈ ? ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ discussion ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਇਹ discuss ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮੀਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਔਰ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ amendment ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਤਕੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਤਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ । ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਏਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੇਜੋਂ ਅਤੇ ਊਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਵੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਥਰ ਰਖਿਆ, ਚੂਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਦੌਲਤ ਪੁਰ ਵਿਚ ਓਅਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਤਲਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਊਨੇ ਤੋਂ ਦੌਲਤਪੁਰ 32 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਊਨਾ ਸੜਕ via ਅੰਬ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਸੜਕ ਨੂਰਪੁਰ-ਊਨਾ via ਚੂਰੜ ਹੈ । ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਇਹ

ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲਮ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ industry ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਏਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਮਾਂਡ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹਨ।

Education ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair*)

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ credit ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਸੇਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ?

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ credit ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ credit ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ ਵਿਚ 28 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾਕੇ ਉਹ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 113,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਹਨ । ਏਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਏਥੇ ਕੋਈ 3 ਕਨਾਲ ਫੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਏਥੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ । ਪਰ ਏਥੇ ਸਨਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ Paper Mill ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਨਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਨਾ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਦੇਣ ਲਈ Degree College ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ।

ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3rd Grade ਅਤੇ Class IV employees ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ relief ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਇਕ ਮੁਸੱਲਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਤੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 35 ਜਾਂ 60 ਜਾਂ 65 ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟੋ ਘਟ 100/- ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਸਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ sacrifice ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ communist ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ statement ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਨੀਆਂ ਗਈਆਂ......(*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ Governor ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.....

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ।

ਉਸ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ Parliament ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ Forward Block ਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ Republican Party ਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਮੁਟਿਆਨ ਫਗਵਾੜਾ-ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਮੀਲ ਨਰੂੜ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਂਬੰਰ ਮੁਟਿਆਨ ਤਾਂਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬੰਰਾਂ ਨੇ Parliament ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Civil Liberty ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਬੰਰ ਕਲ ਨਰੂੜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਮੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ...... (*Interruption*) ਜਦ Law and Order ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਅਮਨ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ......

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਾਇਆਂ ਅਜ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਛੀ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲਿਆਂ : ਮੈਂ ਤਾਂ Civil Liberty ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਮਜ਼ਮੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री अमर नाथ शर्मा (कांगड़ा) : स्पीकर साहिब, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 1,19,43,86,680 रुपए का Appropriation Bill सदन के सामने पास होने के लिये पेश किया है उसकी मैं support करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता

[श्री अमर नाथ शर्मा]

हूँ कि वह बिल जिससे हमारे सूबे की बेहतरी होनी है, ज़रूर पास होना चाहिये। लेकिन मैं आपके द्वारा अपनी सरकार का ध्यान उस सबसे बड़ी रकम की ओर दिलाना चाहता हूँ जो 11 करोड़ की है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने यूनिवर्सिटी की Scientific Laboratory का बुनियादी पत्थर रखते हुए फरमाया था कि जब तक हम इनसानों को इनसान नहीं बना लेते और पूरी तरह शिक्षित नहीं कर लेते तब तक सड़कों, हस्पतालों, इमारतों या मशीनरी का कोई मतलब नहीं। सरकार ने सबसे बड़ी रकम शिक्षा के लिये provide की है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर बड़े ग़ौर करने और खोज करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने यकम अक्टूबर, 1958 से शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े काम किए हैं। सबसे पहला काम यह कि सरकार ने लोकल बाडीज़ के स्कूलों को provincialise किया। लेकिन जब मुख्य मंत्री एक खालसा कालेज की एक रस्म अदाई कर रहे थे तो उन्हों ने यह फरमाया कि मेरा ख्याल था कि इस स्कीम पर सिर्फ 50 लाख रुपया खर्च होगा लेकिन देखा यह जाता है कि 6 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इसलिये provincialisation के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके मायने यह हैं कि शायद सरकार लोकल बाडीज़ के स्कूलों को वापस करने के लिये सोच रही है।

हमारे विधान की 45 वीं धारा में हिन्द सरकार ने यह वायदा किया था कि देश भर में 6 साल से लेकर 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिये मुफ्त और compulsory education जारी कर दी जाएगी लेकिन अभी Planning Commission तो ऐसा कर नहीं पाया मगर पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया और यह योजना बनाई। स्पीकर महोदय, यह एक बड़ा अच्छा काम था। लेकिन देखना यह है कि सूबे के अन्दर जो शिक्षा का ढांचा बना हुआ है यह कैसा है। स्पीकर महोदय,

6.00 p.m.

शिक्षा मंत्री की अपनी Report के यह आंकड़े हैं कि पंजाब में कुल 424 Government High Schools हैं जिन में newly provincialized स्कूल भी शामिल हैं। अगर provincialised schools को एक तरफ रखा जाए और हर तहसील में और District Headquarters में एक एक Government High School गिन लिया जाए तो सिर्फ़ एक सौ सरकारी हाई Schools बनते हैं। शिक्षा मंत्री ने अपनी Survey Report में बताया है कि provincialized schools मिला कर कुल Government Schools 424 हैं। वह कहते हैं कि 31st March, 1957 में इस State में कुल प्राइवेट 755 schools थे। इस लिये आप अन्दाज़ा लगाएं कि बाकी के स्कूल कौन से हैं। वह private schools हैं या नहीं? स्पीकर महोदय, सरकार ने पिछले साल private स्कूलों को grants देने के लिये Budget में दो लाख रुपए की provision की थी। यह बात अलहदा है कि वह रकम किसी को दी नहीं गई लेकिन उसी provision में यह लिखा गया है कि Private अदारे जो हैं वह secondary education देने में सब से अच्छा काम कर रहे

हैं। स्पीकर महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी के अपने आंकड़े यहां पर बताना चाहता हूँ। वह यह हैं कि इस वक्त 3 लाख 55 हज़ार 134 लड़के middle schools में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यह उन की 1957 की Report है। 1957 में कुल 80 हज़ार लड़के लड़कियां matriculation के examination में बैठे थे। स्पीकर महोदय, चन्द दिन हुए जब देश के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यहां पर Science Laboratory का foundation-stone रखा था तो वहां पर Vice-Chancellor साहिब ने अपनी तकरीर में बताया था कि इस साल एक लाख 32 हज़ार लड़के लड़कियां matriculation के examination में वैठ रहे हैं। इन में से अगर 97 हज़ार लड़के लड़कियां private गिन लिये जाएं तो बाकी के जो बचते हैं वह मन्ज़ूरशुदा schools से इमतहान दे रहे हैं। इस हिसाब को अगर लिया जाए तो आप के छटी जमात में एक लाख students होने चाहियें। Middle classes में कुल चार लाख लड़के लड़कियां पढ़ती हैं। इन में से $1\frac{3}{4}$ लाख Government Schools में पढ़ते हैं और $2\frac{1}{4}$ लाख लड़के लड़कियां private schools में पढ़ते हैं जिन को कि सरकार की तरफ से free education की facility नहीं मिलती। वह भी इसी देश के बच्चे हैं इस लिये उन के साथ step-motherly treatment नहीं किया जाना चाहिये। अगर मुल्क की तकसीम के बाद private schools को देखा जाए तो आप को वह सब से ज्यादा ज़िला कांगड़ा और होशियारपुर में मिलेंगे और मिलते थे। स्पीकर महोदय, partition के बाद उस वक्त की Government ने, जिस के Chief Minister डाक्टर गोपी चन्द जी थे, ने उन private अदारों को बसाने की मदद की जो कि West Punjab Frontier में और बहावलपुर रियास्त वगैरह में चल रहे थे। विद्या को ज्यादा फैलाने के लिये त्यागियों और महात्मा पुरुषों ने मेहनत से स्कूल बनाये थे। उस वक्त की सरकार ने उन को grants दीं और उन स्कूलों को उन private managements ने पंजाब और पैप्सू में आबाद किया है। सरकार ने उन की मदद करने में बड़ी कृपा की। लेकिन आज कई माननीय मैम्बर ऐसे हैं जिन्हों ने शायद Code of Education को नहीं पढ़ा हुआ और यहां पर अजीब सी बातें करते हैं। श्रीमती ओम प्रभा ने जो बातें कहीं हैं उन्हें सुन कर मुझे हैरानी हुई है। अगर उन्होंने Code of Education को पढ़ा होता तो फिर वह ऐसी बात न कहतीं। मैं उन को बताना चाहता हूँ कि उस Code of Education में यह दर्ज है कि school या जो भी educational Institutes हैं उन्हें recognition तब मिलती है अगर वह prescribed service rules को adopt कर लें और अपने teachers के grades वगैरह सब उसी हिसाब से रखें जैसा कि Code में बताया गया है। इस के इलावा Code of Education के section 121 में लिखा हुआ है कि अगर कोई school communalism फैलाता है या किसी political party का काम करता है तो उस की recognition को withdraw करने का हक सरकार को है। बाकी सरकार ऐसा

[श्री अमर नाथ शर्मा]

करे या न करे यह इस की अपनी मर्जी है। मैं मानता हूँ कि कई स्कूलों में Managing Committees की ज्यादती की वजह से हालात खराब होंगे। उस का इलाज सरकार के पास मौजूद है। लेकिन जो अन्याय उन बच्चों के साथ हो रहा है उस का ख्याल करना ज़रूरी है। स्पीकर महोदय, आप हर Government school में तशरीफ ले जा कर देखें वहां के Headmasters, one sectional school रखने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ कि इस दफा सरकार ने मेहरबानी करके एक circular जारी किया है कि चूंकि Government Schools में free education रखी गई है इस लिये शायद कुछ लड़के private schools में से migrate कर के Government Schools में आए। इस लिये उन Government Schools को 10 per cent और लड़के दाखल करने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त कुल जो विद्यार्थी Middle Schools में तालीम हासल कर रहे हैं वह चार लाख हैं उन में से अब पौने दो लाख बच्चे Private Schools में पढ़ रहे हैं जिन को Government के free education करने का कोई लाभ नहीं पहुँच रहा। उन को शायद Government अपने बच्चे नहीं समझती इस लिये उन्हें मुफ्त तालीम नहीं देना चाहती। स्पीकर महोदय, मैं आप के द्वारा अपनी सरकार को इस सम्बन्ध में तीन चार अच्छे सुझाव देना चाहता हूँ। स्पीकर महोदय, जहां तक कांगड़े के ज़िले के स्कूलों का ताल्लुक है उन के लिये सरकार ने यह condition रखी है कि उन्हें तब provincialize किया जाएगा अगर उन की managing committees तीन साल के घाटे को पूरा करने की ज़िम्मेदारी लें। मगर कांगड़ा इतना नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। अगर सरकार उन teachers को जो अभी service करने के काबिल हैं ले ले और उन की तनखाहों की ज़िम्मेदारी ले ले तो हम अपने सारे स्कूल Government के हवाले करने के लिये तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर Government उन स्कूलों को ले ले तो वहां सब से अच्छा काम होगा। लेकिन स्पीकर साहिब, मैं समझता हूँ कि उन स्कूलों को लेकर, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया था, मुझे यह डर है कि free education करने के लिये शायद आप के खज़ाने पर ज्यादा बोझ पड़ जाये। इस की मिसाल मैं शिक्षा मंत्री के उन लफ्ज़ों द्वारा मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ जिस में उन्हों ने फरमाया है कि हमारे पास इतने resources नहीं हैं कि हम जल्दी से free education के लिये आगे बढ़ सकें। इस लिये मैं निवेदन करूँगा कि इस योजना को बनाने के लिये Government एक Committee बनाए जो इस बात पर विचार करे कि उन पौने दो लाख private स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वह सहूलतें किस तरह दी जाएं जो कि Government Schools में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती हैं। अगर यह न मंज़ूर हो तो मैं इस के बदले में दूसरा सुझाव पेश करता हूँ। पिछले Budget में ऐसे private schools को compensate करने के लिये 2 लाख रुपया provide किया गया था मगर इस दफा वह रकम इस Budget में बिल्कुल नदारद है। इस लिये उन तमाम private

स्कूलों को जो 1931 के बाद के खुले हुए हैं permanent grants-in-aid दी जायें। हरेक private हाई स्कूल को अगर छः हजार रुपया बतौर grant दिया जाये तो 800 स्कूलों को तकरीबन पांच लाख के करीब रुपया देना पड़ेगा। अगर यह तरीका अख्तियार कर लिया जाए तो इस से सरकार का भी बोझ हलका हो जाएगा और उन स्कूलों का मसला भी हल हो जाएगा। तो स्पीकर साहिब, मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से जिस के दिल में अपने बच्चों के लिये प्रेम है स्नेह है और उनको तालीमयाफ़्ता बनाना चाहती है, अर्ज़ करूँगा कि आपने private अदारों.... (घंटी) मुझे आप सिर्फ एक मिनट और दें....

श्री अध्यक्ष : अब आप एक मिनट में wind up करें। (The hon'ble Member may now wind up in a minute).

श्री अमर नाथ शर्मा : मैं एक अर्ज़ Basic education के बारे में भी करना चाहता हूँ कि यह तालीम महात्मा गांधी जी के पूज्य विचारों पर आधारित है। मैं इस बारे में ज्यादा न कहता हुआ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जिन स्कूलों को आप बेसिक स्कूल बना रहे हैं कृपा करके उनके साथ कुछ न कुछ agricultural farms के लिये ज़मीन लगा दी जाए और उन स्कूलों के अन्दर उन बच्चों को crafts सिखाने का सामान पूरी तरह मुहैया करें ताकि वे matric या higher secondary पास करके नौकरियों की तरफ़ ही न दौड़ें बल्कि अपने तौर पर कोई धंधा चला सकें और अपनी रोटी कमा सकें। हम पढ़े लिखे नौजवानों की बेकारी को तब ही दूर कर सकेंगे अगर बेसिक स्कूलों में वाकई महात्मा गांधी जी के विचारों के मुताबिक उनको self-supporting करने के लिये crafts की तालीम दी जाएगी। इस लिये मेरी अर्ज़ है कि इस के लिये उन स्कूलों में सारे के सारे provisions किए जाएं। इतने शब्द कह कर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री सुमेर सिंह (हसनपुर) : स्पीकर साहिब, इस इवान में जितने मैम्बर हैं उनमें से कम से कम 95 फीसदी ऐसे हैं जो किसानों के votes से मैम्बर बन कर यहां आए हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि किसानों को क्या २ amenities मिलनी चाहियें ताकि वह ज्यादा अनाज पैदा कर सकें। हकूमत एक तरफ तो यह चाहती है कि खुराक का मसला हल हो जाए लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने अनाज पैदा करके इस मसले को हल करना है उनको कोई amenities नहीं दी जा रही हैं। जब उन को amenities नहीं दी जाएंगी और उनकी तकलीफें दूर नहीं की जाएंगी उस वक्त तक आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएं यह मसला हल नहीं होगा। सरकार बाहर से जो गेहूँ आता है उस पर तो 4 रुपए फ़ी मन के हिसाब से subsidy देती है लेकिन हमारे जो गरीब किसान इतनी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं उनको कुछ भी देने के लिये तैयार नहीं है। मैं ने देखा है कि हरेक भाई चाहे communist हो या और कोई हो किसानों का हमदर्द बनता है लेकिन अफसोस है कि यह बात किसी ने नहीं कही कि किसानों को यह २ रियायतें और सहूलतें मिलनी चाहियें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह जो खुराक का मसला है कानून बनाने से हल नहीं होगा बल्कि मुहब्बत से और किसानों को रियायतें और

[श्री सुमेर सिंह]

सारी amenities देने से ही हल होगा। तो मै दरखास्त करनी चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि ज़रूर ही यह betterment levy लगानी है तो आप जो लोग foodgrains बोते और पैंदा करते हैं उन को इस से exempt करें और betterment levy न लगाएं। जो commercial crops बोते और पैंदा करते हैं उन पर बेशक लगा लें। इसके इलावा मैं आप से अर्ज़ करूँगा कि U.P. में खेती करने वालों को बिजली एक आना फी unit दी जाती है लेकिन आप यहां के गरीब किसानों से $2\frac{1}{2}$ आने फी unit के हिसाब से ले रहे हैं। अगर आपका सलूक खुराक पैंदा करने वालों से यही है तो फिर यह मसला कैसे हल हो सकता है इस लिये आप इन किसानों की हौसलाअफ़ज़ाई करें ताकि वह ज़्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करके इस मसले को हल करें। तो अगर आप उनको सहूलतें दें तभी यह मसला हल होगा वरना नहीं। गन्ने और कपास की काश्त करने वाले जो हैं उनको तो आप सहूलतें दें या न दें लेकिन जो अनाज पदा कर रहे हैं उनको यह तमाम सहूलतें और रियायतें दी जानी चाहियें। किसान को उसकी पैंदावार की कीमत मुकर्रर कर देनी चाहिये ताकि किसान को उसकी उम्मीद हो कि पैंदावार के ठीक दाम मिल जायेंगे।

इसके इलावा मैं एक बात और आपकी मारफत अर्ज़ करनी चाहता हूँ। एक high powered committee भाखड़ा डैम की गड़ बड़ की enquiry के लिये बनाई गई थी और उसने अपनी report भी दे दी है। उस में उन्हों ने बहुत सी बातें बताई हैं कि नातजरुबाकार आदमियों को लगाया गया, undeserving लोगों को तरक्कियां दी गई हैं। और इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिये और गुनाहगारों को सज़ाएं मिलनी चाहियें। अब देखने में यह आता है कि यह position ली जाती है कि अभी इस काम के लिये staff मुकर्रर करना है ताकि कार्रवाई न हो। तो मैं Finance Minister साहिब से दरखास्त करूँगा कि जिस किसी को यह सारी कार्रवाई करने के लिये मुकर्रर करना है उसे मुकर्रर किया जाये और जल्दी सारी कार्रवाई की जाए। मैं कहता हूँ कि जब तक आप बुरा काम करने वालों को सज़ा नहीं देंगे यह corruption कभी खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। यह सज़ा भी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिये ताकि दूसरों को पता लगे और corruption रुके। अगर एक आदमी ने आज जुल्म किया है और उसे सज़ा 4 साल बाद मिलती है तो उसका असर ठीक नहीं पड़ता है। इस लिये जल्दी सज़ाएं मिलनी चाहियें ताकि बुरा काम करने वालों को कान हों और दूसरों को कान हों कि corruption न करें। Rehabilitation के मामले में भी जो scandals हुए हैं उनके सिलसिले में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। उसके बारे में भी report में कहा गया है कि बहुत हेरा फेरी की गई है और कई लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिये दूसरों के साथ भारी ज़्यादतियां की गई हैं। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस किसी का इस में कसूर है उन सब को जल्दी सज़ा मिलनी चाहिये। अगर हकूमत चाहती है कि यह भ्रष्टाचार दूर हो और

उस की नेकनामी हो तो जिन लोगों ने corruption में हिस्सा लिया है चाहे Rehabilitation में गड़बड़ की है, भाखड़ा डैम में की है या Capital Works और दूसरे कामों में गड़ बड़ की उनको ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये, चाहे इस के लिये कोई special कानून ही क्यों न बनाना पड़े। ऐसे मामलों में कोई किसी किसम की रियायत नहीं होनी चाहिये चाहे कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो सब को सज़ा मिलनी चाहिये। आखिर यह पैसा किन का है? यह पैसा गरीब लोगों का है जिन की कमर आपने टैक्सों से तोड़ रखी है। इस लिये जिन लोगों ने इस पैसे को बरबाद किया है और खाया है वह गुनाहगार हैं और उनको भारी सज़ाएं मिलनी चाहियें।

इसके इलावा मैं चीफ मिनिस्टर साहिब के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि General Administration का खर्च हर साल कभी 28 लाख कभी 30 लाख बढ़ता जा रहा है। हर साल बढ़ रहा है। एक तरफ तो इतना खर्च हो रहा है और दूसरी तरफ लोगों को इन्साफ नहीं मिल रहा बल्कि उनको तंग किया जाता है। आप रोज़मर्रा देखते हैं कि हज़ारों सैंकड़ों आदमी चंडी गढ़ अपने कामों के लिये आते हैं। उसकी वजह यह है कि वहां उनकी तकलीफें दूर नहीं की जाती हैं और काम नहीं होते हैं। यह सारे काम तो वहां D. C.s को ही करने चाहियें, लोगों की सारी तकलीफ़ें दूर करनी चाहियें और फैसले सुनाने चाहियें। अगर D.C. ग़लत फैसला करता है तो उसका फैसला फिर आप करें और ग़लती करने वालों को सज़ा दें। लेकिन लोगों को यहां आन के लिये मजबूर न करें। यह जो इतना top heavy administration है और हर साल खर्च बढ़ता जा रहा है इस को कम करें ताकि गरीब जनता पर ज़्यादा बोझ न पड़े।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब स्पीकर साहिब, मेरा काम अब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है क्योंकि बावजूद आपके इरशाद के इन भाइयों ने बहुत सारी उन बातों को ही दुहराया है जो कि पहिल General Discussion of the Budget के मौका पर भी आ चुकी हैं और जब अलग २ महकमा की Demand पर बहस होती थी; उस में भी आ चुकी है। चूंकि आपने देखा होगा कि education के मुताल्लिक कितना ज़्यादा कहा गया हालांकि यही बातें पहले General discussion of the Budget पर भी हुई थीं और जब यह demand ज़ेरे बहस आई तो उस वक्त भी कही गईं। एक बात ज़रूर देखी कि जो कुछ मैं ने General Discussion of the Budget पर इस बारे में Upper House में कहा उसे पढ़ कर कुछ मैम्बर साहिबान ने यहां सुना दिया और यह सोचा कि चूंकि उनकी पार्टी के मैम्बरों ने वहां तो उन चीज़ों का ज़िक्र कर दिया जो पहले यहां नहीं हुआ इसीलिये शायद उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि उनका ज़िक्र यहां पर भी कर दिया जाए।

उन्होंने ज़िक्र किया है कि वहां जो जवाब मैं ने दिया था उस को भी देख लें। ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया गया जो कि education के मुताल्लिक मैं ने कहा था।

[वित्त मंन्त्री]

मैं इस के मुताल्लिक कुछ नहीं कहूंगा अगर वक्त रहा तो बाद में कुछ कहूंगा क्योंकि education पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। जनाबे वाला, यह चीज़ कही गई कि रुपया जिन स्कीमों के मुताल्लिक लिया जाता है अफ़सरान या heads of the departments परवाह नहीं करते, और उस चीज़ पर खर्च नहीं करते दूसरी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ का मुताल्या किया होता तो उन्हें यह एतराज़ न होता। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि जो grants दी जाती है स्कीमों के मुताबक दी जाती हैं और यकम अप्रैल से उन स्कीमों पर काम शुरू हो सकता है। हां, इतना अख्तियार heads of the departments को है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वे re-appropriation कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वह token demand के तौर पर supplementary demands में आती है। आपने देखा होगा कि जो supplementary demand की token demand आती है वह 10 रुपये की होती है, रुपया ज़्यादा खर्च करना होता है। सिवाय थोड़ी सी रकमों के जो डिपार्टमेंट वाले लेजिस्लेचर की वोट के बग़ैर reappropriate कर सकते हैं कोई और reappropriation नहीं हो सकती और अगर कोई नया काम शुरू हो तो उस के लिये proposal supplementary demand के तौर पर हाउस के सामने आती है और साल में दो दफा तो ज़रूर आ ही जाती है। एक चीज़ ज़रूरी है और उस के लिये भी कोशिश की जा रही है, कि excess demands जो होती हैं उन की audit report कई साल के बाद निकलती है। यह बात Public Accounts Committee कहती है। खर्चों को देखने और तफ्तीश करने का काम Accountant-General साहिब के अख्तियार में है। Finance Department बजट भेज देता है और Accountant General देखते हैं कि किस मद में कितनी ज़रूरत थी। मैं समझता हूं कि heads of the departments को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जब हमें अपने घर के हिसाब में रुपया खर्च करना होता है तब हम देखते हैं कि आया हम इतना खर्च कर सकते हैं या नहीं, आया हमारी जेब में इतना पैसा है या नहीं। इसी तरह heads of the departments को भी खर्च करते वक्त देखना चाहिए कि आया उन के पास पैसा है या नहीं और उन्हें within the demand खर्च करना चाहिए और अगर ज़्यादा की ज़रूरत हो तो उस के लिये supplementary demand करनी चाहिए। इस तरीके से काम होता है। और आयंदा इसी के मुताबक चलेगा। जो demands पास की गई हैं उन पर पहली अप्रैल से काम शुरू हो जायगा।

दूसरी चीज़ में बहुत से एतराज़ात का जवाब आ जाता है खास तौर पर इस बात पर हमारे बड़े ज़िम्मेदार साथियों ने ज़ोर दिया कि पैप्सू का रुपया पेप्सू में खर्च नहीं हो रहा। मैं ने कहा था कि Second Five Year Plan में जो पेप्सू की Second Five Year Plan का रुपया था वह पेप्सू में खर्च होगा बाहर नहीं होगा। वह फरमाते हैं education की बात कि वहां नहीं हुआ। Education में दो स्कीमें हैं। एक planned schemes और एक unplanned schemes, Unplanned schemes पंजाब के pattern पर चलेंगी और planned schemes जैसा कि उन्हें Second Five

Year Plan में merger से पहले शामिल किया गया था वे उसी तरीके से चलेंगी। यह शिकायत है कि unplanned schemes में education के लिये जो पैसा दिया जाता है उस तरीके से नहीं दिया जाता जिस तरीके से पेप्सू में दिया जाता था। होगा, लेकिन अगर प्लैन में वह नहीं है तो फिर पंजाब और पेप्सू यक्सां चलेंगे। Planned Schemes में कुछ रुपया ऐसा है जो प्लैन के मुताबक है, कुछ percentage State Government देती है कुछ Central Government से मिलता है। Second Five Year Plan के अन्दर जितना रुपया पेप्सू और पंजाब ने अपनी प्लैन में रखा था उस के मुताबक हर साल देख कर कि कितना काम लिया है अगले साल के लिये तैयारी होती है। अब इस साल के अखीर में जनवरी और फरवरी में उस प्लैन पर नज़रसानी कर के 4th year की तैयारी होगी। उस के बाद सितम्बर तक देखेंगे कि कितनी progress हो गई है और उस के बाद दिसम्बर के अखीर तक दो काम करने हैं, दिसम्बर से पहले ही Third Five Year Plan का sketch बना कर experts के साथ discuss कर के Advisory Cammittee के साथ discuss कर के गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के पास भेजना है। इसे पहले Secretariat level पर discuss किया जायगा फिर National Development Council के पास भेजेंगे फिर Sketch Scheme तैयार होगी जो कि अगले financial year में यानी 1959-60 में पार्लियामेंट के अन्दर पेश होगी। उस के बाद 1960-61 का जो 5th year रह गया है उस के लिये स्कीम तैयार होगी और उस का नवम्बर के अन्दर अन्दाज़ा लगा कर National Development Council और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के साथ फैसला होगा कि कितना रुपया खर्च करना था, कितना रुपया हमें दे चुके और कितना सेंटर ने देना है। उस के मुताबक अलग अलग departments की जो स्कीमें थीं उन में adjustment कर के उन को पास करना है और जो planned schemes हैं वे इस तरीके से पास होती हैं। जब Second-Five Year Plan बनी तो States ने हर district के लिए अलग अलग रुपया बांट दिया और वह एक printed document है जिस में इस बात का ज़िक्र है कि हर district में कितना कितना रुपया हर डिपार्टमेंट के अन्दर खर्च होना है और उस में roads का भी ज़िक्र है जिस की यहां पर ज़्यादा चर्चा की जाती है कि फलां इलाके में road नहीं बनती। आप Five-Year Plan को देखें। उस में लिखा है कि प्लैन के मुताबक कौन कौन सी road बनेगी, कौन कौन सी road हैं जो district boards बनाएंगे, कच्ची बनाएगा या पक्की बनाएगा। यह plan हर साल तैयार करते हैं। यहां पर ज़िक्र किया गया कि फलां सड़क बननी चाहिए। लेकिन देखना यह चाहिए कि जब Second Five-Year Plan बनीं थी तो उस में लाई गई थी या नहीं। अगर ज़्यादा ज़रूरी समझा जाय तो उस में लिखा है कि डिपार्टमेंट अपने हाथ से change नहीं कर सकता Cabinet की मर्ज़ी से change हो सकती है।

मेरे एक साथी ने जो लोहारू से तशरीफ लाये शिकायत की कि वहां पर भिवानी की सब-तहसील में डिवेलपमेंट का काम बहुत पीछे है। मैं उन को बताऊं कि लोहारू को N.E.S.

[वित्त मंत्री]

ब्लाक से निकाल कर C.P. ब्लाक बना चुके हैं और मैं कह सकता हूं कि वहां पर ब्लाक डिवैल्पमेंट अफसर श्री जगदीश चन्द्र शर्मा बेहतरीन काम करने वाले हैं और उन्होंने इलाका में निहायत अच्छा काम किया है। इस सिलसिले में मुझे एक मिसाल याद आ गई है। एक नट लाठी लेकर रस्से पर नाच रहा था और वह ख्याल करता था कि लोग उस की skill की तारीफ करेंगे लेकिन एक बुजुर्ग नीचे बैठा हुआ आवाजें लगाये जाता था कि मैं न मानूं, कसर रह गई, कसर रह गई। सो स्पीकर साहिब, यही हाल है मेरे दोस्तों का। इन मैम्बर साहिबान की तसल्ली कभी होने वाली नहीं चाहे वे इस side पर बैठे हों या उस side पर। मेरे भाई मुझे माफ़ करें अगर मैं यह कहूं कि स्टेट का बजट individual benefit के लिये नहीं बनाया जा सकता बल्कि तमाम State के मुफाद के लिये बनाया जाता है। बाज़ औकात तो मैम्बर साहिबान यहां तक, गवर्नमेंट पर, गिला कर देते हैं कि वे जो कुछ हाउस में बोलते हैं वह Press वाले report नहीं करते। वह चाहते हैं कि ऐसा किया जाय ताकि उन की constituency के लोगों को पता लगे कि मैम्बर ने असैम्बली में अपने constituents के मुफाद के लिये यह यह बातें कहीं। यह भी गवर्नमैण्ट के खिलाफ charge लगाया जाता है। अगर individual point of view से बजट को देखना है तो यह कभी satisfy नहीं हो सकते। As a whole State की तरफ देखें कि आया यह तरक्की करती है या नहीं। यहां कांगड़ा के भाइयों ने ज़िक्र किया कि Basic Training Schools और Colleges तो खोले गये हैं लेकिन गिला इस बात का किया कि जो लड़के पास होते हैं वह नौकरियों में नहीं लिये जाते। अगर हर ज़िले के लोगों के लिये नौकरियों की proportion fix की जाये तो गवर्नमैण्ट नहीं चल सकती। यह बात unconstitutional है कि किसी area के लिए खास तनासब मुकर्रर किया जाये। अगर किसी district का लड़का standard पर पूरा नहीं उतरता और उसे services में लिया जाये तो कुदरती तौर पर inefficiency बढ़ेगी। मेरे एक कम्युनिस्ट भाई ने एतराज़ उठाया था कि कई आसामियां Public Service Commission की मार्फत fill up नहीं की जातीं बल्कि गवर्नमैण्ट खुद कई आदमियों को appoint कर लेती है। क्या हम publicity के लिये उन के आदमियों को रखें जो हमें sabotage करना चाहते हैं (*Interruption by Ch. Dharam Singh Rathi*) मैं हैरान था स्पीकर साहिब, कि यह क्यों नहीं बोले।

Mr. Speaker : No interruptions, please.

वित्त मंत्री : जनाबे वाला Pay की बाबत ज़िक्र किया गया है। Pay Revision Committee पंजाब ने बनाई थी और पहली अक्तूबर 1957 से उस की सिफारिश को मंजूर कर के पहली अक्तूबर से increment देनी थी वह दे दी। Government of India ने Pay Revision Committee मुकर्रर की हुई है और तमाम देश के लिये की है। उन की रिपोर्ट आयेगी तो देखेंगे कि कितनी implement कर सकते हैं। फिर यह कहा जाता है कि 100 रुपये तनखाह कर दी जाये। अगर आज उन Government employees की जिन की तनखाह 100 रुपये से कम है 100 रुपये कर दी जाये तो

छे करोड़ रुपया साल का खर्च बढ़ता है और इस के खिलाफ अगर 1,000 रुपये माहवार से ज़्यादा तनखाह पाने वालों की तनखाह कम की जाये तो सिर्फ 21 लाख रुपये की बचत होती है। क्या हाउस इस काम को मुकम्मल करने के लिये छ: करोड़ रुपये के taxes लगाने की इजाज़त देगा ? मेरे भाई पंडित अमरनाथ शर्मा ने कहा था कि अगर 50 लाख रुपया और दे दो तो private schools में विद्यार्थियों की फीसें माफ कर देंगे। क्या उन्हों ने कभी सोचा है कि इस रकम से free compulsory education हो सकेगी ? इस के लिये तो कितने करोड़ रुपये देने की ज़रूरत होगी और इतनी heavy sum कोई State बरदाश्त नहीं कर सकती। Constitution के मुताबिक छ: से 11 साल तक के बच्चों के लिये हम ने आधी compulsory education करनी है। इस पर इतना रुपया खर्च होता है जो किसी स्टेट में ताकत नहीं। आखिर जितनी ताकत हो उस के मुताबिक ही हम ने काम करना है। एक भाई ने कहा कि unemployment को दूर करने का एक ही तरीका है कि basic schools खोलते चले जायें। यानी मैट्रिक पास को तीन महीने की training दो और वह कमाने के लायक बन जायेगा। मेरा ख्याल है कि इस से न unemployment दूर होगी और न education बढ़ने वाली है। आज कल एक लाख के करीब लड़के और लड़कियां हर साल मैट्रिक में पास होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट के पास services 1,20,000 के करीब होंगी। कुछ लड़के Colleges से भी हर साल पास होते हैं। अगर हर साल एक को नौकरी देनी हो तो एक साल वह नौकर हो जायेगा और दूसरे साल unemployed हो जायेगा। क्या इस तरीके से unemployment दूर हो सकती है ?

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, यह शिकायत की गई और मैं यह बात अपने लीडर को खास तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे एक responsible साथी ने कहा कि integration के वक्त *ad-hoc* तरक्कियां दे कर Pepsu के आदमियों को downgrade कर दिया। मुझे खुद integration की कमेटी का मैम्बर होने का फख्र हासिल है। यह कहना कि किसी खास तबके के Pepsu या पंजाब के आदमियों को खास तौर पर *ad-hoc* तरक्कियां दे कर seniority list को re-arrange कर के Pepsu वालों को down grade कर दिया है यह सदाकत से बईद बात है। मैं जानता हूं कि शिकायत सब तरफ से आती है। आज बदकिस्मती से पंजाब और पैप्सू के Government employees में भी give and take और adjustment करने का विचार नहीं। आखिर जब merger हुआ तो उस के मायने adjustment के थे। Adjustment खुद करनी चाहिये थी। इस कमेटी की जो पहली meeting हुई मैं ने चीफ मिनिस्टर से अर्ज़ की—जो preside करते थे–कि अगर Department वाले कोई agreed solution लाएं तो हम बीच में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वह agree कैसे करते। पंजाब वाले आपस में नहीं करते और Pepsu वाले आपस में नहीं करते; पंजाब और Pepsu वाले तो आपस में कैसे कर सकते हैं ? लेकिन हमारी नियत पर शक करना और कहना कि हमने Integration Council में *ad-hoc* arrangement कर के बदनियती की है इस से ज़्यादा बेबुनियाद अलज़ाम और नहीं हो सकता।

[वित्त मंत्री]

जनाब, यहां कहा गया, शायद पहले General Administration की बहस पर भी कहा गया कि दो I. G. Police क्यों कर दिए, 1947-48 में एक था। Chief Minister साहब ने इस का जवाब दिया। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि जब किसी नई post का सवाल आता है तो Finance Department की concurrence लेनी पड़ती है। और ऐसी चीज़ के लिये बगैर justification किए Finance Department की concurrence नहीं मिलती। अगर काम की वजह से तसल्ली हो जाय तब concur करते हैं। अगर Finance Department concur न करे तो उस को तनखाह नहीं मिलती क्योंकि A.G. को इजाज़त नहीं जाती। इस लिये यह ख्याल कर लेना कि Chief minister साहिब ने या I.G. ने कहा होगा कि दूसरा I. G. कर दो, यह बात गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। Finance का incharge होते हुए जब तक मेरी तसल्ली न हो जाए कि काम के लिये यह चीज़ जरूरी है मैं उस में concurrence नहीं देता और न ही हमारे Finance Secretary देते हैं। वह तो एक बड़े भारी critic हैं। वह एक ज़िम्मेदार आदमी के तौर पर बैठ कर काम करते हैं। इस लिये जब यह देख लिया कि हालात की वजह से दूसरे I.G. की जरूरत है तब concur किया नहीं तो नहीं हो सकता था।

फिर, जनाब, hilly area की बाबत बहुत ज़िक्र किया गया। जनाबे वाला, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ हमारे में separation की spirit आती जाती है और दूसरी तरफ हम separation के लिये अलग अलग खाने बनाते चले जाते हैं। पहले तो communal चीज़ होती थी। जनाबे वाला, partition से पहले Joint Punjab Assembly ने कायदा बनाया था कि अगर कोई starred question communalism के मुताल्लिक आए तो उस को starred question admit नहीं किया जाता था। Unstarred Question देकर कोई ऐसी बात पूछना चाहे तो पूछ ले। अब Communalism के सवाल तो आने बंद हो गए लेकिन एक और class खड़ी हो गई। पहले scheduled castes के लिए reservation थी। अब उस में backward classes भी मिल गई। यह Constitution में है। Constitution ने provide किया इस लिये वह भी करना पड़ा फिर backward areas बन गए एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मेरे भाई खड़े हो कर कहते हैं कि backward area है तो वे क्यों नहीं मानते कि पंजाब में forward area भी है। जो forward area है वहां तो तरक्की हो। वे गलत बात कहते हैं कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ। यह कहना गलत बात है कि मेरे area में सब कुछ हो जाए, मेरा area बहिशत बन जाए, अगर नहीं बनता तो मुझे एक separate area दिया जाए, division दिया जाए। जो इस तरह की division चाहते हैं वे क्या चाहते हैं क्या इस से top heavy administration नहीं होती चली जाएगी? Division बनता है तो

उस के लिये Commissioner होगा, D.I.G. Police होगा। उस Division का ग्रौर staff लगेगा ग्रौर वह बढ़ता जाएगा। क्या उस से ग्राप की तरक्की होगी? फिर यह फरमाते हैं कि हिमाचल है ग्रौर हिमाचल State के साथ एक ज़िला का मुकाबला होता है। शिमला के साथ कंडाघाट के साथ उसे मिलाते हैं, ऊना भी मिलाते हैं ग्रौर मुकाबला करते हैं। Hilly area का नालागढ़ भी साथ मिलता है। शिमला का इलाका चाहते हैं, कंडाघाट का इलाका चाहते हैं ग्रौर इस तरीके से फिर हिमाचल से मुकाबला करते हैं। Himachal एक separate State है। वह under the Centre काम करता है। Centre उस को रुपया sanction करता है। वह centrally administered area है, ग्रलग State है। एक state को district के level पर मिलाया जाता है; तो यह नहीं हो सकता। मैं यह कहूंगा कि जब वे पंजाब में ग्रपना share देखते हैं तो कहते हैं कि इसी लिये तो हम पंजाब में नहीं रहना चाहते। यह separatism हमें कहां तक ल जाएगी? एक तरफ फरमाते हैं कि हमारे हां production की proportion less है। उतनी नहीं हो सकती जितनी plains में है। ग्रगर production के लिहाज़ से वह deficit area है तो वे सड़कें काहे के लिये चाहते हैं? ग्रगर वहां ज़्यादा ग्रनाज होता हो फिर तो वे कहें कि ग्रनाज इधर लाने के लिये सड़कें चाहिएं। ग्रगर यहां से ग्रनाज न जाए तो ये क्या करें? ग्रनाज तो यहां से जाना चाहिए। वह भेजने के लिये इंतज़ाम है। जहां deficit है, sources हैं वहां ग्रनाज भेजना है। जो बातें वे कहते हैं ग्राखिर उसका इलाज कुछ नहीं। हिमाचल में सड़कों का नाम लेते हैं ग्रौर कहते हैं कि वहां बहुत तरक्की हुई है। वहां तो बकरी के ऊपर दो सेर चावल लाए जाते हैं ग्रौर दो सेर चावल बुशहर तक भेजा जाता है। कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनाएं। Rome was not built in a day कोई ग्रलादीन का चिराग़ नहीं कि रगड़ा ग्रौर सड़क बन जाएगी। ग्राप देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रब Third Five-Year Plan बनेगी; जो सड़कें ज़रूरी समझते हैं दी जाएंगी। ग्रगर व्यास पर डेरा गोपी पुर में पुल बनाना है तो इस का तरीका यह है कि unimportant को छोड़ कर important को लें। Planning में ऐसा तरीका होता है। ग्रगर ग्राप कहें कि जहां पहले पुल हैं वे तोड़ दिए जाएं। सतलुज ग्रौर ब्यास के दूसरे पुल तोड़ दीजिए ग्रौर डेरा गोपी पुर में पुल बना दिया जाए तो, उन के गिराने से यह पुल नहीं बनना है। यह इस तरीके की विचार धारा ठीक नहीं है। स्पीकर साहिब, मैं ग्राप की वसातत से दरखास्त करूंगा कि विचार धारा इस तरीके की होनी चाहिए कि सारी State में काम हो, सारे पंजाब की तरक्की हो, सब तरफ़ से तरक्की हो। हर ज़िले में तरक्की हम कैसे ला सकते हैं? ग्राहिस्ता २ काम होगा। ग्रगर ग्राज तमाम कांगड़ा में सड़कें बनाने का काम शुरू करें ग्रौर बाकी काम छोड़ दें, सारे P.W.D. staff को लगा दें तब भी वह staff काफ़ी नहीं होगा ग्रौर staff रखना पड़ेगा। ग्राखिर देखना चाहिए कि कितनी capacity है—funds नहीं, technical ग्रादमी नहीं मिलत। इतने technical ग्रादमी कहां मिलते हैं? Chandigarh Engineering College में ज्यादा students के लिये provision

[वित्त मंत्री]
कर दिया है, मगर qualified teachers नहीं मिलते। जब तक qualified teachers न मिलें trained technical आदमी वहां से नहीं निकलेंगे तो इस काम को कौन करेगा ?

मैं एक बात और अर्ज़ करूंगा । स्पीकर साहिब, मैं आप से दरखास्त करूंगा कि क्योंकि इस का ज़िक्र आया है इस लिये आप मुझे भी उस का थोड़ा सा जवाब देने की इजाज़त दें। पूज्य मास्टर तारा सिंह जी के बारे में reference हुआ था। Betterment levy के मुताल्लिक तो मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि वह मामला काफी discuss हो चुका है। लेकिन Chief Minister साहिब के statement देने के बाद Appropriation bill पर उस statement को discuss करने की कोशिश की गई। मै एक ही बात कहना चाहता हूं ; उसके pros and cons में नहीं जाना चाहता। यह allege किया गया कि मास्टर तारा सिंह जी दिल्ली में एक पुरअमन जलूस निकालना चाहते थे ; उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन Government ने कौन सी violence की इस मुआमले में ? चाहे non-violent procession निकालना था लेकिन अगर किसी चीज़ को, जो नुक्सान देने वाली है, non-violent तरीका से रोका गया तो यह violence नहीं । (*Hear hear*) उस non-violent तरीका को violent कैसे कहा जाता है ? लेकिन मेरे भाई उस को violent मानते हैं क्योंकि उन को यही लफज suit करता है। जो लोग realization of fines के लिये पुलिस की resistence करते हैं, उस की राह में रुकावट डालते हैं, अपने हाथों में चूड़ियां पहन कर बहनों को आगे करते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि उन के खिलाफ़ action लें । उस action को हम पसंद नहीं करते। फिर कहते हैं कि हमारी non-violence कायम थी। मैं पूछता हूं कि क्या police को resist करने में भी non violence कायम रह जाती है ? अगर आप non-violent थे तो क्या हम ने मास्टर तारा सिंह को non-violent तरीके से गिरफ्तार नहीं किया ? हम भी तो non violent ही रहे हैं (*Hear, hear*) ठीक है कि वे बड़े आदमी हैं लेकिन Law is no respector of persons. गांधी जी को भी कैद हुई, वे detention में भी रहे। क्या गांधी जी से भी कोई बढ़िया आदमी आज दुनिया में मौजूद है? Law is no respector of persons गांधी जी खुद कहते थे कि जब मैं civil resistence करता हूं, civil disobedience करता हूं तो अपने आप पर तकलीफ invite करने के लिये करता हूं । आप खुद तकलीफ बरदाश्त कर के वे दूसरे का mind change करना चाहते थे। civil disobedience का यह कायदा है। यह नहीं कि मन के अंदर तो मैं पाप रखूं, मन में तो नफ़रत रखूं और कहता फिरूं कि मैं civil disobedience करता हूं । अगर किसी खराबी को दूर करना है तो civil liberty की respect की जानी चाहिये। गालियां तो कोई नहीं बरदाश्त करता ! जब आप गालियां देते हैं तो दूसरी तरफ से आप को लाठी मिलती है।

जब गालियों के बदले में लाठी खाई तो आप की क्या sacrifice हुई । आप की कोई sacrifice नहीं रह जाती । जब आप violence करते हैं तो violence invite करते हैं । अगर आप non violent रहिए और आप पर violence हो तो हमारी गलती है । आप non-violence के नाम पर violence करना चाहते हैं । आप को दोनों चीज़ों को mix नहीं करना चाहिये ।

स्पीकर साहिब, जो बातें पहले discuss हो चुकी हैं उन का ज़िक्र करना मेरे लिये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हाऊस उन को पास कर चुका है । Appropriation Bill. के सम्बन्ध में जो points raise किये गए थे उन का जवाब देने की मैं ने कोशिश की है । मैं उम्मीद करता हूं कि हाऊस इस को जल्दी ही पास कर देगा ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : The House will now proceed with the Bill Clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the bill.

The motion was carried

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the bill.

The motion was carried

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ Appropriation Bill ਦੀ ਆਖਰੀ reading ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ repeat ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Administration top heavy ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ Administration ਐਨੀ top heavy ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘਟ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ foot steps ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੀ statement ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ figures ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਦਿਲੀ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ figures ਹਨ । ਦਿਲੀ ਜਲੂਸ ਵਿਚ 2–3 ਲਖ ਆਦਮੀ ਨੇ Participate ਕੀਤਾ ਸੀ । ਐਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ figure ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ B. B. C. ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਲੇਇੰਗ agency ਹੈ 2–3 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ figure ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ statement ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । (*Interruptions*) (ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ?) ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਉਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ 3 ਲਖ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2-2½ ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । 2 ਲਖ ਦਿਲੀਉਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਹਿਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਨ (*Interruptions*)ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ arrest ਦੇਨਾਲ Betterment Levy ਦੀ ਗਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ (*Interruptions*) ਅਕਾਲੀ Movement ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ Appropriation Bill ਦੀ Last Reading ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ relevent ਨਹੀਂ ਹਨ । (This is the last reading of the Appropriation Bill but the points discussed by the hon. Member are irrelevant).

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਜਲੂਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ arrest ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ speech ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री अध्यक्ष : अगर मैं जानता कि आप ने Appropriation Bill की 3rd reading stage पर ऐसी बातें करनी हैं तो मैं आप को बोलने की इजाज़त ही न देता। Third reading stage पर Bill की provisions की implementation के manner और method के बारे में suggestions दी जा सकती हैं। यह कहा जा सकता है कि सरकार किस तरह से उस बिल की provisions को properly और expeditiously implement करे और delay और pit falls को किस तरह से avoid करे। इस केस में hon. member suggest कर सकते थे कि खर्च किस तरह से किया जाना चाहिये और wastage किस तरह से avoid की जानी चाहिये। मुझे अफसोस है कि hon. member गैर ज़रूरी चीज़ें, discuss करते रहे हैं।

(Had I known that the hon. Member would discuss such things in his speech at the third reading of the Appropriation Bill, I would not have permitted him to speak. At the third reading stage only suggestions in regard to the manner and method of implementation of the provisions of the Bill can be made. That is to say, suggestions can be made as to how the Government should avoid delays and pitfalls and implement the provisions of the Bill properly and expeditiously. In this case the hon. Member could have suggested how the expenditure should be incurred and how wastage should be avoided. I am sorry to say that the hon. Member has been discussing extraneous matters.)

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried.

HOLDING OF TWO SITTINGS OF THE SABHA ON 20TH MARCH, 1959

श्री अध्यक्ष : कुछ मेम्बर साहिबान ने मुझे लिख कर भेजा है कि जो काम सभा ने शनिवार को करना है वह सारा शुक्रवार के दिन रख लिया जाए और शनिवार को off day कर दिया जाए। मैं हाऊस की राए जानना चाहता हूं। (Some hon. Members have sent me in writing that the business scheduled for Saturday the 21st March, 1959, be taken up tomorrow the 20th and saturday be observed as an off day. I would like to know the sense of the house in this connection.)

Voices from the Treasury Benches : Yes, yes. We agree with the proposal.

पंडित राम किशन भड़ौलियां : जनाब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज भी 2 sittings हुई हैं और अगर कल भी इसी तरह से 2 sittings ही हुईं तो यह ठीक नहीं होगा। बड़ा अहम बिल है और वह अच्छी तरह से discuss नहीं हो सकेगा। इस लिये मेरी suggestion है कि programme के मुताबिक कल के दिन एक ही sitting होनी चाहिये और दूसरी sitting परसों शनिवार के दिन की जानी चाहिये।

A Voice from Treasury Benches : No, No.

Voices: कल ही दो sittings होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि कल परसों से Majority of the Members ने मुझे approach किया है और वह यह चाहते हैं कि चूंकि किन्हीं खास हालात के कारण वह अपने अपने गांव को जाना चाहते हैं इस लिये कल दो sittings कर दी जाएं। (The position is that since yesterday and day before that most of the members have approached me and have expressed their desire that because they wanted to leave for their places for special reasons, there may be held two sittings tomorrow).

700. p m.

Voices: Yes, Sir दो sittings ही कर लें (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Very well, To-morrow there will be two sittings one in the forenoon from 10.00 a.m., to 1.30 p.m. and the second in the after-noon from 3.0 to 7.30 p.m.

(*The Sabha then adjourned till 10.00 A.M. on Friday the 20th March 1959*)

6178 P.V.S.—347—C. P., & S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha
Debates

20th March, 1959

Vol. I No. 23 (*Morning Sitting*)

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday 20th March, 1959

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, No. 23,

DATED THE 20TH MARCH, 1959.

(*Morning Sitting*)

Read	*for*	*on page*	*line*
to reply this	to to reply this	(23)2	11
straightaway	straightway	(23)3	8th from below
Tarn Taran	Ta n Taran	(23)12	20
from	f om	(23)13	11th from below
on	o	(23)13	10:h from below
to	o	(23)13	17
out	ou	(23)14	18
Railway	ailway	(23)14	22
these	hese	(23)14	23
sought	ough	(23)14	24
Mr. Speaker	Mr. Sp aker	(23)14	12th from below
point	poin	(23)17	10
my	by	(23)17	14
is not	is a not	(23)20	17
D.O. letter	D.O. नम्बर	(23)22	1
non-cereals	non-ceeals	(23)23	20
not that the members should cross-examine the Ministers	not the members cross-examine the Ministers	(23)25	23
to cover them	to covcr him	(23)25	24
financial	Financia	(23)26	4th from below
at the end	at the end l	(23)26	2nd from below
are to be	aie to	(23)27	3
officers	officeres	(23)30	4th from below
expenditure	expditure	(23)32	38
ਤੋਂ	ਤੋਂ	(23)49	14
ਮੈਂਬਰਾਂ	ਮੈਂਬਰਾਂ	(23)49	5th from below
ਤੇ	ਤੋਂ	(23)49	last
ਵਸੂਲਿਆ	ਵਸੂਲੀਆਂ	(23)50	23
ਤਾਂ	ਤਂ	(23)57	11th from below
ਵਿਚ	ਤ਼ਿਚ	(23)59	last
ਜਿਹੜੀ	ਜਿਹਵੀ	(23)59	last
communicated	commun cated	(23)71	4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 20*th March*, 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 10.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONSTRUCTION OF PACCA ROAD TO CONNECT VILLAGE LONGOWAL WITH SANGRUR-BARNALA ROAD

***3882. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 2776 printed in the list of Questions for 12th September, 1958, whether Government have decided to construct pacca road to connect village Longowal with Sangrur-Barnala road during the Second Five-Year Plan period ; if so, the time by which the construction work on this road is proposed to be started ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes. The work will be taken in hand next year subject to the availability of funds.

FREE PASSES TO LEGISLATORS FOR TRAVEL IN GOVERNMENT OWNED BUSES

***3134. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to issue free passes to the Legislators for travel in the Government owned buses in the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : No.

INCREASE IN DEARNESS ALLOWANCE OF GOVERNMENT PENSIONERS

***3213. Shri Rup Singh 'Phul' :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to increase the Dearness Allowance of the State Government Pensioners ; if so, the time by which the proposal is expected to be implemented ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Government have had under consideration a proposal to enhance the temporary increase allowed to Government Pensioners in receipt of small pensions and necessary orders have been issued.

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि pensioners को यह जो relief दिया गया है यह कब तक जारी रहेगा ?

मंत्री : जब तक dearness allowance जारी रहेगा तब तक यह भी जारी रहेगा।

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह किस तरह के मुताबिक दिया गया है।

Mr. Speaker : It has been enquired whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the dearness allowance of State Government pensioners ; if so, the time by which the proposal is expected to be implemented.

अगर hon. Minister जवाब दे सकते हैं तो वे दे दें। वैसे यह सवाल main question से arise नहीं होता। (If the hon. Minister wants to to this reply supplementary, he may do so but this does not arise out of the main question.)

Minister : The Punjab Government in the year 1945 sanctioned the following rates of temporary increase to their pensioners :—

Amount of pension	Amount of temporary increase
	Rs
Pension not exceeding Rs 20 per mensem	4 per mensem
Exceeding Rs 20 but not exceeding Rs 60 per mensem ..	5 per mensem
Exceeding Rs 60 but not exceeding Rs 100 per mensem ..	6 per mensem
Exceeding Rs 100 per mensem ..	Such marginal adjustment as would make the total amount to Rs 106 per mensem.

The Punjab Government on the basis of the Government of India, enhanced the rates of temporary increase in the year 1958 for their pensioners as under :—

Amount of pension	Rate of temporary increase
Pensions up to Rs 50 per mensem ..	A temporary increase of Rs 10 per mensem
Pensions above Rs 50 per mensem but not above Rs 100 per mensem	A temporary increase of Rs 12.50 per mensem
Pensions above Rs 100 per mensem ..	Such temporary increase will bring the total pension to Rs 112.50 per mensem.

GRADES OF MALE AND FEMALE NURSES

***3301. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state with reference to reply to unstarred question No. 1295 printed in the list of questions, for 24th September, 1958 whether any decision has so far been taken to equalise the pay scales and allowances with those of the staff nurses (female) ; if so, the details thereof ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : The matter is again under consideration.

श्री राम प्यारा : यह कब तक finalize हो जायेगा ?

उप-मन्त्री : जल्दी कर दिया जायेगा ।

श्री राम प्यारा : पांच छ: महीने हो गये हैं यह अभी तक under consideration चला आ रहा है और male nurses को female nurses से लगातार कम तनखाहें दी जा रही हैं। पिछले सैशन में भी यह सवाल पूछा गया था।

श्री अध्यक्ष : यह supplementary इस question से कैसे पैदा होता है ? अगर पंडित मोहन लाल इस का जवाब दे रहे होते तो वह बता देते । अब इस का जवाब कोई और दे रहा है। (हँसी) (How does it arise out of the main question ? If Pandit Mohan Lal had replied to this question, he might have given this information. But now Shrimati Dr. Parkash Kaur is replying to this question. (*Laughter*) How does it arise out of the main question?)

श्री बलराम दास टंडन : जब पंडित मोहन लाल जवाब दें तो क्या उस का मतलब कुछ और हो जाता है ?

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, जब पीछे मेरे सवाल नम्बर *1295 का जवाब दिया गया था तो यह बताया गया था कि जो male nurses हैं उन की तनखाह 50 रुपए माहवार से शुरू होती है और female nurses की 100 रुपए माहवार से शुरू होती है हालांकि उन की qualification, training, experience और nature of duty एक जैसे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा supplementary करें यह आप क्या कर रहे हैं । (What is the hon. Member doing ? He should straightway put a supplementary question.)

पंडित श्री राम शर्मा : वह अपने supplementary को explain कर रहे हैं।

श्री राम प्यारा : यह जो जवाब दिया गया है. . . .

Chief Minister : We will consider it as a closed matter. This would satisfy the hon. Member.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताने का कष्ट करेंगे कि आदमियों के साथ यह बेइनसाफी करने की वजह क्या है ?

मुख्य मंत्री : यह इस लिये है क्योंकि आदमियों ने स्त्रियों के साथ बहुत दफा बेइनसाफी की है ।

श्री राम प्यारा : डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने इस सवाल के जवाब में अभी बताया है कि हम यह consider कर रहे हैं और मेरे पिछले सवाल के जवाब में भी यही बताया गया था कि यह consider हो रहा है लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि. . . .

Chief Minister : The suggestions have been rejected twice.

श्री राम प्यारा : क्या मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूँ कि पहले जो डिप्टी मिनिस्टर ने जवाब दिया है वह ठीक है या जो जवाब इन्हों ने दिया है यह ठीक है ?

Chief Minister: This is the latest position.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब से मैं यह पूछ सकता हूँ कि ऐसा भी कभी वक्त था जब यह जो male nurses और female nurses हैं इन को बराबर तनखाह दी जाती थी ?

Chief Minister: I would advise the hon. Member to use the words men and women and not males and females. I would however require notice to answer this question.

श्री बलराम दास टंडन : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या इन दोनों का nature of work, qualifications और experience एक जैसा होता है या इन में कोई फर्क है ?

Chief Minister: Their duties are somewhat different and the hon. Member knows it.

श्री बलराम दास टंडन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि मैं यह फर्क जानता हूँ लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं । साथ ही मैं हाउस की जानकारी के लिये यह जानना चाहता हूँ ।

मुख्य मंत्री : वह मैं आप को बाहर अलहदा बता दूंगा ।

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, अभी चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उन की duties में फर्क है लेकिन मेरे सवाल नम्बर *1295 के जवाब में बताया गया था कि उन का काम, nature of work, qualifications, period of training और experience एक जैसे हैं तो इन दोनों जवाबों में से कौन सा जवाब ठीक है ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਣਗੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

श्री अध्यक्ष : जो बाहर बताने की बात हो वह अगर बाहर बताई जाये तो इसमें हर्ज क्या है ? (What is the harm in conveying an information outside the House, if it is required to be conveyed accordingly?)

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि उन दोनों किस्म की nurses की duties, experience, training और qualifications के बारे में जो जवाब चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने अब दिया है वह ठीक है या जो जवाब पिछले सैशन में मेरे सवाल नम्बर *1295 के जवाब में दिया गया था वह ठीक था ?

श्री अध्यक्ष : इस के पूछने से क्या फायदा हो सकता है ? (What is the use of asking this supplementary?)

श्री राम प्यारा : जनाब एक section पर इतना जुल्म हो रहा है. . . .

श्री अध्यक्ष : अगर जुल्म की बात करनी है तो question hour में ही करनी है ? (Is question hour the proper time to talk about injustice, if at all this is to be talked?)

पंडित श्री राम शर्मा : Chief Minister साहिब ने फरमाया है कि उन की duties में फर्क है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या फर्क है ?

मुख्य मंत्री : मैं ने अर्ज़ की थी कि अगर यह सब जानना चाहें तो अलहदा नोटिस दें। वैसे आप जानते हैं कि no woman would like to be served by a man. वे मर्दों से मालिश कराना या नहाना गवारा नहीं करेंगी । औरतें मर्दों को नहला सकती हैं ।

ELECTION TO PANCHAYATS

***3212. Shri Rup Singh 'Phul' :** Will the Chief Minister be pleased to state with reference to the reply to starred question No. 1364 included in the list of starred question for 21st January, 1958 whether any date has so far been fixed for the elections to Panchayats in the State ?

Sardar Gurbanta Singh : No, Sir. Elections to Panchayats will be held after the laws pertaining to erstwhile States of Punjab and Pepsu have been unified. The necessary Bill is expected to be brought before the Legislature in the next Session.

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Panchayats elections सन 1959 में हो जायेंगी या नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੇਪਸੂ ਦੇ laws unify ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.........

Chief Minister : I beg to correct this. ਦੋਨਾਂ ਦੇ laws ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗੇਗੀ । We will go in for the elections as soon as the lists are ready, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ public meetings ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

RESOURCES AND RETRENCHMENT COMMITTEE

***3643. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the Resources and Retrenchment Committee appointed by the Government have submitted their draft report ; if so, when ;

(b) the details of recommendations made by the said Committee ;

(c) the manner in which and the time within which the said recommendations are intended to be implemented, and the likely saving as a result thereof ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, a draft report was submitted to the Government by the Chairman, Resources and Retrenchment Committee, on 29th January, 1959 as an interim measure ;

(b) and (c) The recommendations are under consideration of Government. The implementation can begin after consideration of Government and decision as to which of these recommendations are to be accepted and which are not and those which are accepted, in what form.

Full report or any abstract can be published after Government's consideration.

ALLOTMENT OF COAL TO BRICK KILN OWNERS

***3135. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the quantity of coal being allotted by Government to the brick-kiln owners in the State for burning one lakh bricks ;

(b) the number of coal wagons supplied to brick-kilns in the tehsils of Tarn Taran (Except villages Jaura and Kairon), Rewari, Sirsa and Jhajjar during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59, separately, together with number of bricks burnt by each of the said kilns during the above period and the percentage of first, second and third grade bricks out of those burnt ?

Shri Mohan Lal : (a) Approximately 20—22 tons (one wagon) of slack coal are required to burn one lakh bricks. Slack coal is allotted to licencees in wagon loads by Government but the actual number of bricks burnt therewith depends on variable factors like manner and frequency of operation and the nature of earth used etc.

(b) Government allot slack coal to Brick-Kiln Licencees but actual supplies are arranged directly by the latter from collieries or through coal agents. Statements containing information required is placed on the Table of the House.

TEHSIL SIRSA DISTRICT HISSAR

Serial No.	Name of Kiln Owner	Coal allotted during 1956-57	Coal allotted during 1957-58	Coal allotted during 1958-59	Bricks burnt during 1956-57	PERCENTAGE			Bricks during 1957-58	PERCENTAGE			Bricks burnt during 1958-59	PERCENTAGE			REMARKS
						1st	2nd	3rd		1st	2nd	3rd		1st	2nd	3rd	
1	Shri Rama Nand, BKO., Sirsa ..	20	10	13	3,677,510	86	4	10	2,256,277	86	4	10	117,200	85	6	9	
2	Shri Ram Gopal BKO., Sirsa ..	10	10	13	760,000	92	5	3	635,000	94	4	2	1,000,000	90	6	4	
3	M/s. Ravindra Bros. BKO., Mandi Dabwali	15	10	14	1,000,000	80	15	5	1,300,000	85	10	5	554,000	85	10	5	
4	Shri Lachman Dass Monga, BKO., Mandi Dabwali	..	..	13	153,300	45	41	14	7,925 (Tiles)	..	..	..	..	..	..	..	
5	Shri Bahadur Mall, Dabwali ..	9	10	13	1,027,300	75	15	10	953,500	75	20	5	Kiln not fired	..	..	..	
6	Jowahar Mal-Bajrang Dass, Ellanabad	3	10	14	393,000	74	13	13	700,000	85	12	3	500,000	80	13	7	
7	Shri Maghi Ram, Kalanwali ..	9	10	13	1,000,000	86	5	9	250,000	82	9	9	500,000	84	8	8	
8	Shri Brij Behari Lal-Parkash Chand, Sirsa	..	4	14	Kiln has been fired but no bricks have been turned out.												
9	Shri Gulab Singh-Trilochan Singh, Sirsa	..	4	14					Ditto								
10	Shri Bhagwan Dass Raman ..	..	4	14					Ditto								
11	Shri Jiwan Ram-Kheuli Ram, Odhan	..	4	14					Ditto								
12	Shri Hari Singh, BKO., Kallanwali	..	4	14					Ditto								

[Minister for Industries]

TEHSIL JHAJJAR, DISTRICT ROHTAK

Serial No.	Name of B. Kiln Owner	Coal allotted during 1956-57	Coal allotted during 1957-58	Coal allotted during 1958-59	Bricks burnt during 1956-57	PERCENTAGE			Bricks burnt during 1957-58	TAG			Bricks burnt during 1958-59	PERCENTAGE			REMARKS
						1st	2nd	3rd		1 st	2nd	3rd		1st	2nd	3rd	
1	Shri Salag Ram, Mehmudpur ..	2	9	8	..	..	..	..	1,200,000	60	30	10	800,000	60	30	10	
2	Shri Kalu Singh, BKO., Mandolk	6	9	8	..	..	..	..	..	..	..	..	900,000	60	30	10	
3	M/s. Nand Ram-Paras Ram Didhal	6	9	8	300,000	60	30	10	400,000	60	30	10	1,300,000	60	30	10	
4	Shri Gagan Singh, Daboda ..	6	9	10	600,000	60	30	10	600,000	60	30	10	1,600,000	60	30	10	
5	Shri Molar Singh, Bahadurgarh	3	9	10	..	..	..	..	..	..	..	..	500,000	60	30	10	
6	Shri Lakh Ram & Sons, Jhajjar	15	42	25	2,400,000	60	20	10	5,700,000	60	30	10	..	..	..	..	
7	Shri Ram Lal, B.K.O., Bahadurgarh	10	9	7	2,600,000	60	30	10	3,000,000	60	30	10	4,100,000	60	30	10	
8	Shri Goverdhan Dass, B.K.O., Chara	3	9	8	..	..	..	..	..	..	..	..	1,200,000	60	30	10	
9	Shri Sunder Singh Asoda ..	5	9	8	..	..	..	..	..	..	..	..	700,000	60	30	10	
10	Shri Jagdish Chand, Bearhaud ..	5	9	11	..	..	..	..	500,000	60	30	10	..	60	30	10	
11	Shri Bharu Singh & Co., Badli ..	6	17	24	..	..	..	..	600,000	60	30	10	700,000	60	30	10	
12	Shri Morari Lal, Bahadurgarh ..	6	9	8	..	..	..	..	1,000,000	60	30	10	600,000	60	30	10	

13	Shri Gopal & Co., Beri ..	6	9	9	..	..	..	..	1,600,000	60	30	10	300,000	60	30	10
14	Shri Bhag Singh, Jasauri Kheri ..	3	9	8	1,600,000	60	30	10	700,000	60	30	10	800,000	60	30	10
15	Shri Dharam Singh Bhapred ..	16	23	11	..	..	..	..	400,000	60	30	10	500,000	60	30	10
16	Shri Rohtak M. P. Co-operative, Beri	10	9	12	..	..	..	..	3,200,000	60	30	10	800,000	60	30	10
17	Shri Mangi Ram, Daldla ..	3	9	8	3,400,000	60	30	10	900,000	60	30	10	2,600,000	60	30	10
18	Shri Haryana Society Store ..	..	..	..	..	..	..	..	400,000	60	30	10	500,000	60	30	10
19	Shri Jai Lal, Akherimandi ..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20	Shri Brick-kiln Co-operative Society, Kosli	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	TEHSIL TARN TARAN DISTRICT AMRITSAR															
1	Shri Kunj Lal, Tarn Taran ..	8	18	22	2,430,000	80	15	5	2,935,000	80	15	5	Bricks not yet started burning			
2	M/s Aggarwal & Co., Tarn Taran	11	17	30	1,193,800	80	15	5	2,389,000	80	15	5	Ditto			
3	M/s Ralia Ram-Puran Chand, Nurdi	11	11	17	868,430	75	15	10	685,000	75	15	10	Ditto			
4	Shri Brij Mohan, Tarn Taran ..	15	22	31	2,227,000	75	15	10	1,695,000	75	15	10	2,400,000	75	15	10
5	Shri Sardari Lal Khanna, Batehbad	10	25	31	805,000	75	15	10	812,000	75	15	10	1,495,000	75	15	10
6	Sant Dalip Singh, Khadur Sahib	4	18	..	Temporary licence granted for the construction of Gurdwara only. Accounts not kept.											
7	Shri Sat Pal Sharma, Pandri ..	10	16	25	1,794,000	75	15	10	1,729,000	75	15	10	Bricks not yet started burning			
8	Saktar Singh-Salamat Rai, Naushehra	12	19	35	905,000	75	15	10	1,100,000	75	15	10	Ditto			
9	Parkash Chand-Harbans Lal, Chola Sahib	10	23	31	550,000	65	25	10	1,224,350	65	25	10	925,000	65	25	10

[Minister for Industries]

TEHSIL TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

Serial No.	Name of Brick-kiln	Coal Allotted in Wagons Loads During			Bricks burnt during 1956-57	Percentage			Bricks burnt during 1957-58	Percentage			Bricks burnt during 1958-59	Percentage			Remarks
		1956-57	1957-58	1958-59		1st	2nd	3rd		1st	2nd	3rd		1st	2nd	3rd	
10	Dasandhiram-Faqir Chand, Vairowal	5	20	28	600,000	70	15	15	300,000	70	15	15	1,175,000	75	15	10	
11	Hans Raj Diwan Singh, Sarli ..	13	24	33	1,872,000	75	18	7	1,940,000	80	15	5	Bricks not yet started burning				
12	Chabal Kalan P. I. P. Co-operative, Chabal	8	24	21	1,231,443	84	16	..	Bricks not burnt during this period				200,000	50	50	..	
13	Chabal Kalan P.I.P. Co-operative, Dhotian	15	20	32	Bricks not burnt during this period				593,460	99	1	..	649,000	95	5	..	
14	Ditto ..	8	21	19	Ditto				850,000	47	53	..	Bricks not burnt				
15	Majha Brick Manufacturing Co., Kalha	9	26	29	1,700,000	70	22	8	2,168,000	70	22	8	1,529,600	70	22	8	
16	Majha Brick Manufacturing Co., Sarhali	6	13	26	1,090,000	70	20	10	1,090,000	75	15	10	Baicks not yet started burning				
17	Gurbachan Singh-Gurkirat Singh, Attari	12	16	27	725,000	75	15	10	634,000	75	15	10	775,000	75	15	10	
18	Gian Singh Manochal ..	9	5	6	..	..	..	..	1,396,000	65	25	10	Bricks not yet started burning				
19	Sant Dalip Singh, Dera Sahib ..	3	5	..	Temporary licence granted for the construction of Gurdwara only.												
20	Munshi Ram Aggarwal and Co., Tarn Taran	5	..	..	Information not received												

TEHSIL REWARI, DISTRICT GURGAON

1	M/s. Uggar Sain & Co., Rewari	18½	13½	17	1,337,050	70	15	15	1,835,540	70	15	15	173,000	70	15	15	
2	M/s. Rams Kanwar & Co., Rewari ..	1	15	12	1,121,750	65	20	15	1,806,035	65	20	15	750,500	65	20	15	
3	M/s. Bansi & Co., Rewari ..	..	14	6	..	..	..	..	1,243,577	66	18	16	480,000	66	18	16	
4	M/s. Bal Mukand, Rewari ..	17	6	12	1,431,500	71	15	14	455,000	71	15	14	..	..	..	..	
5	Shri Hira Lal, Rewari ..	7	13	16	..	..	..	..	1,575,000	73	14	13	367,000	73	14	13	
6	Shri Nemi Chand, Rewari ..	19	19	19	1,936,500	70	20	10	2,078,900	70	20	10	585,725	70	20	10	
7	M/s. Bhargua Brick-kiln & Co., Rewari	18	18	20	1,604,550	61	25	14	275,000	61	25	14	1,117,350	61	25	14	
8	The Bawal Brick Kiln Co-operative, Bawal	..	7	24	..	..	..	..	500,000	60	15	25	328,000	60	15	25	
9	M/s. H.N. & Co., Pataudi ..	..	7	39	800,000	67	18	15	357,000	67	18	15	1,107,000	67	18	15	Granted licence recently
10	Shri Sis Ram, Bhatera ..	..	..	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Ditto
11	M/s. Rao Bhoop Singh & Sons, Dharan Hara	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Ditto
12	Ram Lal Farming. Co-operative Society, Rampura	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Ditto
13	M/s. Shah Bhushan & Co., Rewari (N.S R. Lic.)	15	20	23	1,138,775	73	18	9	1,476,775	73	18	9	694,005	72	10	9	
14	The Rampura Multipurpose Co-operative Society, Rampura, Rewari	20	29	23	1,065,300	67	8	25	3,766,442	67	8	25	225,000	67	8	25	
15	The Tehna Dispalpur Brick-kiln Co-operative, Dipalpur	5	22	9	353,000	60	20	20	2,500,000	60	20	20	..	..	..		
16	The Gokalgarh Multi purpose Co-operative Society Ltd., Gokalgarh	..	..	15		..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	Society has recently been granted licence
17	Shri Rao Gai Singh Mirpur (NES Lic)	..	..	1	..	..	..		..	..	..		..	..	..		Di to

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि....

श्री अध्यक्ष : इस के मुतअल्लिक आप question हर हफ्ते पूछते हैं । छोड़िये इसे । (The hon. Member asks questions on this topic every week. He may now leave it.)

श्री प्रबोध चन्द्र : आप का जो हुक्म होगा....

Mr. Speaker: I would request you not to ask supplementaries on this.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं जनाब, यह अर्ज़ करना चाहता था कि इन्हीं सवालों के मुतअल्लिक इन्हों ने तीन चार statements दिये हैं और तीनों ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ।

Mr. Speaker : Please send those answers to me and I will send the same to the hon. Minister for elucidation.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I would like to get the elucidation from the hon. Minister now in the House.

Mr. Speaker : I am sorry. I cannot allow this because it has been sufficiently discussed in the House.

BRICK KILN IN TEHSIL TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

***3136. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some brick-kilns in Tehsil Tarn Taran, district Amritsar, remained closed during the years 1956-57 and 1957-58 ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether Government stopped the supply of coal to the brick-kilns mentioned in part (a) above, if not, the reasons for supplying the coal and the manner in which it has disposed of ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) No brick-kiln was closed during the year 1956-57.

(ii) Only one brick-kiln owned by Messrs Aggarwal & Co., at Buggaha could not function during the year 1957-58 due to heavy floods in the area.

(b) No. The slack coal allotment is given to all Kiln Contractors holding valid licenses and as the license of Messrs Aggarwal and Co., was valid for the period under refe ence they were allotted their due share of slack coal which was burnt by them in their kiln when it operated during the next season.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वज़ीर साहिब ने पहले एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि जौड़े का एक भट्ठा इस लिये बन्द रहा कि उन्हों ने sales tax नहीं दिया था । अब बताया है कि कोई भट्ठा बन्द नहीं रहा । इन दोनों में से कौनसा जवाब ठीक है ?

मंत्री : अगर आप किसी specific भट्टे के मुताल्लिक पूछते हैं तो यह मुझे याद नहीं , नोटिस दें ।

श्री प्रबोध चन्द्र : आप ने बताया है कि floods की वजह से भट्टे चालू न हो सके. . . .

May I know from the hon. Minister for Industries if the floods are confined to that particular area where the kiln of Messrs Aggarwal and Co., could not function ?

Minister : Sir, the question is about the brick-kilns in Tarn Taran Tehsil and the reply concerns that specific area.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह बात इन के इल्म में है कि Brick kilns due to floods नहीं चल सके ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

श्री प्रबोध चन्द्र : यह तरन तारन area के मुताल्लिक लिखा गया। There are number of kilns in the Tarn Taran Area जिन के बारे में यही जवाब दिया गया।

श्री अध्यक्ष : भट्ठे तो सारे पंजाब में चल रहे हैं मगर आप का सवाल इन्हीं के मुताल्लिक आता है। मुझे बड़ा अफसोस है। (I am very sorry to note that while the brick kilns are functioning all over the Punjab, the hon. Member's questions invariably relate to these brick kilns.) (*Interruptions.*)

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब मैं पूछना चाहता हूँ कि भट्ठा एक ही आदमी का बैठा है या औरों के भी बैठ गए हैं। (हँसी) This is what I want to know.

EXPORT OF RICE FROM PANIPAT IN APRIL, 1958

***3302. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Messrs Ram Narain-Suresh Chander or Messrs Ram Narain-Subash Chander of Delhi exported rice by rail f om Panipat in the month of April, 1958, under permit o Authority No. 186, dated 7th April, 1958 issued in their favour; if so, the quantity of the rice exported ;

(b) the designation o the Authority which issued the permit for the export o rice referred to above ;

(c) whether at the time when the said rice was exported Government had banned the export of rice from the State; if so, the reasons for allowing the said export of rice ?

Shri Mohan Lal : (a) Messrs Ram Nath-Subash Chander of Delhi, transported 1,200 maunds of rice from Panipat in the month of April, 1958. The communication referred to was not a permit, but i a corres-

[Minister for Industries]

pondence between the District Officer, Karnal and the local Inspector directing the Inspector that only such stocks of rice be allowed to be transported as had been genuinely purchased by the firm and had not been acquired by the Government.

(b) No. Permit as such was issued which has a form prescribed under the Punjab Rice Movement Control Order, 1957. The rice was, however, allowed to be transported under the orders of the Director of Food and Supplies.

(c) The movement of rice was banned from outside this State by Punjab Rice Movement Control) Order, 1957, dated the 30th September, 1957. This order was, however, amended and the ban of movement of rice to the Union Territory of Delhi removed by the Government of India on the 25th of January, 1958. There was, therefore, no statutory ban on the movement by rail of rice from Punjab to Delhi except from the districts of Amritsar, Gurdaspur and Sirsa Sub-Division of Hissar District. Taking advantage of the same, some of the traders who had earlier offered to deliver their stocks o Government under the rice procurement scheme tried to back ou of their contracts. Instructions were, therefore, issued by the District Magistrate, Karnal, to the Station Masters not to book rice unless the consignors had obtained a sort of clearance certificate from the District Officers to the effect hat they had fulfilled their contracts. The ailway authorities, as well as the Food Ministry, Government of India, took objection to the same and hese instructions had, therefore, to be withdrawn later on. The Director of Food and Supplies, on enquiries believing that the rice sough o be transported by Messrs Ram Nath-Subash Chander was not out of the acquired stocks and had been purchased before the District Magistrate had imposed restrictions on local sales by the dealers, allowed it to be transported to Delhi.

Shri Prabodh Chandra : I would request the Chair to grant half an hour's discussion on this question.

Mr. Speaker : This is not the procedure for allowing such a discussion. There is a regular procedure prescribed for such a discussion.

(*Shri Ram Piara rose to ask a supplementary question.*)

श्री अध्यक्ष : आप तीनों सवाल ही call कर लें। (The hon. Member may call all the three questions on the same subject.)

श्री राम प्यारा : तो अगर मैं ने supplementaries तीनों सवालों पर ही कीं तो शायद आप नाराज़ हो जायें।

श्री अध्यक्ष : मैं आप को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आप relevant रहें कोई बात नहीं लेकिन अगर आप irrelevant हो जाएं तो ठीक नहीं । (I assure the hon. Member that I will allow him to ask supplementaries so long as he is relevant but I cannot help if he becomes irrelevant.)

श्री राम प्यारा : आप तो पुराने पुराने parliamentarian को कहते हैं कि irrelevant हैं। मैं तो नया मैम्बर हूँ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो फिर इस पर ही पूछ लें। (Well, then he may please ask his supplementary on this question.)

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि चावल की export से ban उठा लिया गया था तो क्या मैं जान सकता हूँ कि करनाल ज़िला में Karnal और Tarori से जब चावल export किया गया तो क्या उस वक्त ban था ?

मंत्री : इस से ज़्यादा मुफसिल जवाब मैं और क्या दे सकता हूँ मैं ने dates भी बतला दी हैं कि 25 January, 1958 को Government of India ने notification के ज़रिये ban withdraw कर लिया था।

श्री राम प्यारा : Government of India ने जब ban remove किया तो क्या करनाल के किसी dealer को Punjab Government ने चावल export करने की इजाज़त दी ?

श्री अध्यक्ष : Restrictions तो withdraw कर ली गई थी (The restriction had already been withdrawn.)

श्री राम प्यारा : जनाब सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि जब Government of India ने export पर ban remove कर दिया था तो पंजाब सरकार ने किस तरह एक party को इजाज़त दी। This was against the Constitution but the State Government did so. तो मैं यह अर्ज़ करूँगा . . . .

श्री अध्यक्ष : आप तो तकरीर करने लग पड़े। आप supplementary पूछें। (The hon. member has started making a speech. Please ask a supplementaiy question.)

श्री राम प्यारा : जनाब मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : Please resume your seat. Let Pandit Shri Ram Sharma put a supplementary.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जब Government of India ने notification के ज़रिये order वापिस ले लिया था तो उस वक्त पंजाब सरकार की तरफ से कोई restrictions जारी थीं।

मन्त्री: पंजाब सरकार ने local restrictions कायम कर रखी थीं।

पंडित श्री राम शर्मा : जब Government of India ने order वापिस ले लिया था तो local restrictions जारी रखने की क्या वजह थी ?

मन्त्री: मैं ने पंडित जी इस बात को मुफस्सिल तौर पर अपने जवाब में बताया है और reasons दिए हैं।

श्री राम प्यारा : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह जो local restrictions थी यह सब पार्टियों पर थीं या किसी पार्टी पर यह restrictions लागू न थीं ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दिया जा चुका है। (This has already been replied to.)

पंडित श्री राम शर्मा : यह जो local restrictions थीं इनका कुछ idea दिया जा सकता है ?

मन्त्री: मैं ने अपने जवाब में इस बात का ज़िक्र किया है Government of India ने जब order वापिस लिया तो कुछ traders ने अपने obligations पूरे करने से इनकार कर दिया जिस पर District Magistrate Karnal ने station masters को instructions जारी कर दीं कि जब तक माल भेजने वाले के पास District officers की तरफ से जारी किया clearance certificate न हो by rail चावल book न किया जाए लेकिन इस पर Government of India और Railway authority ने एतराज़ किया और वह withdraw कर ली गईं।

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि चावल ले जाने के लिये District Authority ने इजाज़त नहीं दी। तो क्या वज़ीर साहिब बतला सकते हैं कि क्या इस बात में सदाकत नहीं कि Messrs Ram Narain Subash Chander को एक permit No. 186, 7 अप्रैल, 1958 को issue किया गया ?

मन्त्री : यह ग़लत है।

Mr. Speaker : The Minister has given an explicit answer.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब इन्हों ने कहा है कि District Magistrate ने Station masters को हदायत जारी की थीं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि local restriction के होने पर जिस पार्टी को चावल export करने की इजाज़त मिली उसने obligations पूरी कर दी थीं ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल आगे answer हो चुका है। (This question has already been replied.)

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूँ कि was this the only party जिसने obligations पूरी की थी क्या कोई और पार्टी न थी ?

Mr. Speaker : The answer given by the hon. Minister is very specific. If you had heard the answer, you would not have raised this supplementary question.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं ने वज़ीर साहिब के जवाब को ग़ौर से सुना है मैं expressly और specifically यह जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ रामनारायण सुरेश चन्द्र पर नज़रे मेहर हुई कि जिसने obligations पूरी कर दीं और क्या कोई और पार्टी करनाल ज़िला की ऐसी न थी ?

Mr. Speaker : This is not within the scope of this question.

श्री प्रबोध चन्द्र : इन्हों ने जवाब में कहा है कि एक पार्टी को इजाज़त दी गई तो क्या इसके इलावा और कोई पार्टी न थी जिसने conditions पूरी की हो ?

मन्त्री: बात यह है कि मेरे फ़ाज़िल दोस्त ने तवज्जो देने की कोशिश नहीं की और न ही ग़ौर किया है जो कुछ मैं ने जवाब में कहा है।

Shri Prabodh Chandra : On a poin of order, Sir.

Mr. Speaker : I know your point o: order.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I would submit that the hon. Minister should not perform the functions of the Chair. Once by supplementary question has been permitted, it is not for the Minister to say......

Mr. Speaker : It is not a point of order.

आप अगर जवाब को ग़ौर से सुनते तो उससे आपकी बात clear हो जाती। यह supplementary arise न होता। (It is not a point of order. The matter would have been clarified, had the hon. member listened to the reply carefully. This supplementary does not arise.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि District Magistrate की हिदायात जारी करने पर और Government of India के restrictions withdraw करने पर किसी और पार्टी को इजाज़त मिली चावल भेजने की ? और किसी ने apply किया ?

मन्त्री: पंडित जी Government of India ने अपना order जब वापिस लिया तो thereafter District Magistrate ने instructions जारी कर दी थीं। लेकिन Government of India ने 8th March को restrictions withdraw कर ली थीं।

पंडित श्री राम शर्मा : जनवरी से March तक जब तक कि Deputy Commissioner ने local restrictions लगाईं क्या Government ने और पार्टियों को चावल export करने की इजाज़त दी ?

मन्त्री: क्योंकि Government of India ने movement by rail पर से restriction हटा ली थी इस लिये कुछ पार्टियों ने Government of India के इस order की interpretation के basis पर माल बाहर भेज दिया था।

[उद्योग मन्त्री]

This party asked the Government for a permit, but there was another party which itself transported rice to Delhi by rail.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब वाला यह कहा गया है कि order withdraw कर लेने के बाद कुछ पार्टियों ने चावल export कर लिये तो पंजाब Government को permit No. 186 issue करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई ?

मन्त्री : मैं ने कब कहा है कि permit जारी किया है यह तो official correspondence का नम्बर है ।

श्री अध्यक्ष : जब Government of India ने restriction withdraw कर ली तो कुछ obligations पंजाब सरकार की पूरी की जानी थीं । कुछ ने वह obligations पूरी न करके माल बाहर भेजने की कोशिश की । इसके इलावा और कोई बात नहीं, यह सवाल पैदा नहीं होता । (When the Government of India withdrew the restrictions, some obligations of the Punjab Government had to be fulfilled. Some persons tried to export stocks of rice without caring to fulfil the necessary conditions. This is the position. This supplementary does not arise.)

श्री प्रबोध चन्द्र : अगर Government ने restriction हटा ली थी तो फिर जो D.O. जारी किया गया वह इस बात का proof है कि किसी पार्टी को favour किया गया और उसका नम्बर है 186 ।

Mr. Speaker : Is it a supplementary question ? Does it arise out of the main question ?

Shri Prabodh Chandra : It does arise, Sir. इन्हों ने फरमाया है कि restrictions relax की गई हैं । तो क्या Punjab Government ने Permit No. 186 Ram Narain Suresh Chander के नाम issue किया या नहीं ?

Minister : Sir, I have already given the answer. Should I repeat it ?

Mr. Speaker : The hon. Minister says that only such stocks were allowed to be transported as had been purchased by the firm genuinely and which had not been acquired by the Government.

मन्त्री: अब, जनाब, मैं क्या Repeat करूँ । The answer is very clear in this respect.

श्री प्रबोध चन्द्र : इस के मुताल्लिक मेरी जनाब यह submission है कि आया export के लिये पंजाब Government का कोई ताल्लुक था या Government of India की कोई instructions थीं ।

Mr. Speaker : This is not supplementary question.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I would like to know the occasion for issuing that permit.

Mr. Speaker : Because the stocks were genuinely purchased by the Firm and had not been acquired by the Government.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह permission मिल गई थी कि यह बाज़ार से खरीदें ।

Mr. Speaker : I am sorry, I cannot allow this question.

पंडित श्री राम शर्मा : ग्राम तौर से Government of India के order के बाद लोगों ने ठीक समझा और इस procurement scheme के नाम पर उन्होंने फायदा बड़ा उठाया। लेकिन आया उस दरम्यानी अर्सा में जब कि पंजाब Government और Deputy Commissioner यह समझते थे कि Registration रोकी जा सकती है क्या उस period के लिये Deputy Commissioner या पंजाब Government ने कोई अपना फैसला दिया ?

मन्त्री: इस में Mis-conception है। यह बात नहीं है। मैं ने इस के मुताल्लिक अपना साफ जवाब दिया है। बात दरअसल यह है कि इन में ज़्यादातर commitments dealers के withdraw करने के बारे थीं। यह क्या थीं? कि जितना वह माल मंडी से खरीदें वह Transportation purpose के लिये specified rates पर खरीदें, उसे हम लेंगे। असल में Government ने अपनी ज़िम्मेदारी यह समझा कि जो माल Hoarders ने खरीदा हुआ है उस को लेने की State Government की ज़िम्मेदारी है जिस के लिये Deputy Commissioner को powers दी हुई हैं। यानी बाकी सारा माल हम लेंगे उस की export होने नहीं देंगे। यह एक legal पाबन्दी है।

श्री अध्यक्ष : यह बात है जो कि उन्होंने Repeat कर दी है। (This is the position which has been repeated.)

मन्त्री: जिस वक्त Government of India ने order withdraw किया तो कुछ parties ने stock खरीद कर लिया।

There was a gap when that order was withdrawn by the Government of India and the restrictions imposed by the District Magistrate, Karnal.

मन्त्री: तो हम उतना stock ही acquire कर सके थे जितने पर कोई कानूनी पाबन्दी आयद न थी।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं, जनाब, यह पूछना चाहता हूँ कि यह gap कितना था ?

Mr. Speaker : No please. No further supplementary.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो माल खरीदा गया वह permit जारी करने से पहले खरीदा गया या बाद में।

Minister : Only such stocks were allowed to be transported that had been genuinely purchased by the Firm and had not been acquired by the Government.

श्री राम प्यारा : जैसा कि वज़ीर साहिब ने कहा है कि permit नहीं दिया गया। है बल्कि एक D.O. letter की मारफत माल issue किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आया जितना D.O. में लिखा हुआ था उतना export हुआ या उस से भी ज़्यादा।

Minister: I have given the answer clearly Sir.

Shri Ram Piara: I want to draw your kind attention to the fact that जो माल export किया गया उस का D.O. letter से फर्क था।

Chief Minister: The reply has already been given Sir.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order Sir, अभी House में Chief Minister साहिब Minister concerned से यह कह रहे थे कि हम ने जवाब दे दिया है कह दो। क्या यह parliamentary convention के मुताबिक है।

श्री अध्यक्ष : हम इधर बात कर रहे थे मैं ने नहीं देखा। मगर यह तरीका ठीक नहीं है। (I was busy this side hence I could not see, anyhow, this is a not the proper way)

श्री राम प्यारा : मैं जनाब वज़ीर साहिब से एक बात यह पूछना चाहता हूँ कि D.O. में करनाल के लिये 2,000 मन और पानीपत के लिये 1,200 मन की export की ही इजाज़त थी या इस से भी ज़्यादा।

मंत्री : मैं ने इस के मुताल्लिक clear जवाब दे दिया है अगर यह attend ना करें तो मैं क्या कर सकता हूँ।

Mr. Speaker: No supplementary please.

ENQUIRY INTO THE EXPORT OF RICE FROM KARNAL DISTRICT

*3303. **Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether Government is conducting any enquiry in connection with the export of rice from Karnal District to Delhi, etc., during the months of March, April and May, 1958, when the export of rice was banned by the State Government; if so, the date when this enquiry was started ;

(b) whether the enquiry referred to above has been completed; if so, when and with what result ?

Shri Mohan Lal : (a) & (b) The Government ordered on 23rd May, 1958, an enquiry to be held into the alleged export of rice from Karnal District to Delhi which was completed on 1st December, 1958. Officers concerned were orally asked to be careful in future.

चौधरी बलबीर सिंह : जैसा कि वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि कुछ parties ने अपनी commitment पूरी नहीं कीं। क्या Government उन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी।

Mr. Speaker : This is a separate question and not a supplementary.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि आया वहां पर कोई irregularity हुई जिस के लिये यह असूल बनाया गया है।

उद्योग मन्त्री : Irregularity का सवाल पैदा नहीं होता। They have done such unnecessary things which should not have been done.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ unnecessary ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ action ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ Allied ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ export ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ question ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ This information is being given in the next question. (There is another allied question and supplementaries regarding the quantity of rice that was exported can be made on that question. This information is being given in the next question.)

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस पार्टी ने against rule export की, उसके खिलाफ कोई action लिया गया ?

Minister : No such export has been made.

श्री राम प्यारा : अगर गवर्नमैंट के D.O. के मुताबिक rice की export हुई है तो फिर किसी अफसर को तम्बीह करने की क्यों ज़रूरत पड़ी ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not arise.

इसके बारे तो उन्होंने कहा है कि export नहीं हुई। (Regarding this he has said that no export has taken place.)

श्री राम प्यारा : फिर officers का क्या fault है जो तम्बीह की है ?

मंत्री : ऐसा ban export पर कोई नहीं था। गवर्नमैंट की तरफ से यह D.O. लिखा गया।

Only such stocks were allowed to be transported as had been genuinely purchased by the Firm and had not been acquired by the Government.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने यह बताया कि D. O. नम्बर के मुताबिक भेजी गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या Punjab की Merchants Association वज़ीर मुताल्लिका से मिली।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है।

(This is not a supplementary question.)

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या अफसर ने यह नहीं कहा कि वज़ीर साहिब के order से ऐसा हुआ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

Minister : Sir, this is most mischievous insinuation.

Shri Prabodh Chandra : Sir, the shouting of the hon. Minister will not help.

Mr. Speaker : Next question please.

EXPORT OF RICE FROM MANDI TARAORI, DISTRICT KARNAL

***3491. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some quantity of rice was exported from Mandi Taraori, District Karnal, under orders of Government during April, 1958; if so, the quantity of rice so exported, together with the date/dates when it was exported ;

(b) whether it is a fact that the export of rice from the State was banned during that period; if so, the reasons for the export of rice referred to in part (a) ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes Sir. 2,867 maunds of rice were exported from Mandi Taraori, district Karnal, under orders of Government, on Central Government account. The dates thereof are not available.

(b) The Punjab Rice (Movement Control) Order, 1957, having been enforced on the 30th September, 1957, banning the movement of rice from within the State, was amended on the 25th of January, 1958, by the Government of India and the ban on such movement to the Union Territory of Delhi was removed. The export referred to in (a) above was on the Central Government account. The question, therefore, of giving any reason for its export does not arise.

श्री राम प्यारा : 25 जनवरी को Central Government ने ban के मुताल्लिक order withdraw किया, और 8 मार्च को पंजाब गवर्नमैंट ने। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 28 March को भी D.O No. P.S.O. के जारी करने की ज़रूरत थी ?

Mr. Speaker : No please. I am not going to allow supplementaries on this question.

RECOMMENDATION OF ALL PARTIES FOOD COMMITTEE

***3684. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the details of the recommendations, made by the All-Parties Food Committee appointed by the Government ;

(b) the details of the recommendations of the said Committee, if any, implemented by Government so far and the reasons for not implementing the rest, together with the period within which these are expected to be implemented ?

Shri Mohan Lal : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

The Food Advisory Committee made the following recommendations to the State Government :—

A joint appeal be issued from the Committee requesting the :—

(i) various Political parties to consider this problem as a national one ; to withdraw the demonstrations, hunger strikes and marches, etc., as these do not help to solve the food problem ;

(ii) general public to miss a meal once a week ; to use non-ceeal eatables in order to effect savings in the cereals ; to consider hoarding as a social crime to create public opinion against the smugglers and expose them ; to apprise district authorities of any person within their knowledge hoarding any stocks ;

(iii) persons withholding stocks of foodgrains to bring them to the market for consumers ;

(iv) State Government to establish its special wing of the C.I.D., to bring out cases of food by unearthing hoarded stocks ; to take stringent measures for seizing hoarded stocks and taking legal action against the defaulters ; to liberalise the distribution scheme of wheat atta ; to set up Food Advisory Committees at the district level and to approach the Government of India to ban export of foodgrains from the Punjab.

2. Punjab State have implemented the above recommendations to the following extent :—

(i) A joint appeal to the various political parties and the general public, etc., as indicated above has since been issued, due publicity has been/is being given in this respect.

(ii) District Food Advisory Committees have been constituted almost in all the districts.

(iii) Deputy Commissioners have been authorised to extend distribution scheme or to liberalise it, wherever considered necessary.

(iv) District Food Officers have been instructed to unearth hoarded stocks, awards have been announced to persons giving information leading to hoarded stocks.

(v) The question of establishment of special wing of C.I.D. for bringing out food cases is receiving the attention of Government. Reference has been made to Inspector-General of Police in this regard. However, District and moffasil Police is already entrusted particularly to devote attention to this question.

(vi) The Government of India was approached to ban export of wheat from the Punjab.

COMPLAINTS AGAINST OFFICERS, MUNICIPAL COMMITTEE, PATIALA

*3839. **Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether Government received any complaints against the officers of the Patiala Municipal Committee, during the current year; if so, when and from whom ;

(b) the details of allegations levelled against the said officers and the action, if any, taken by Government in the matter ?

Shri Mohan Lal : (a) No such complaint is traceable in the Secretariat.

(b) Does not arise.

DRAINAGE WORK IN KARNAL DISTRICT

*3300. **Shri Ram Piara** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) The details of drainage works partly or completely done during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59 in Karnal District, along with the total cost of these works ;

(b) whether any proposal for the increase in capacity of the Indri Drain and other Link Drains is at present under consideration of Government; if so, the time by which it is expected to be finalised and implemented ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Reply is placed on the Table of the House.

(a) A statement showing names of drains and flood protection works partly or completely done during the year 1956 to 1959 in Karnal District, along with the total cost of these works is at Annexure I. The year-wise expenditure on these drainage works is as below:—

		Rs.
1956-57	..	6,42,370
1957-58	..	19,59,657
1958-59	..	5,25,000
Total (upto 31st January, 1959) Rs.	..	31,27,027

(b) No.

ANNEXURE I

List of Drains and Flood Protection Works partly or completely done together with the total cost

Name of the Scheme		Cost
		Rs. in lacs
1. Indri Drainage Scheme	..	10.00
2. G.H.K. Drainage System	..	2.00
3. Jundla Drain	..	0.33
4. 5 No. Link Drains to Indri Drain	..	0.85
5. Nilokheri Drains	..	0.22
6. Shamgarh Drain	..	0.20
7. Remodelling Barauta Drain	..	0.10
8. Constructing Kaunjpura Protective Works Plus	..	1.25 1.50
9. Constructing Nagla Protective Works	..	2.25
10. Babail and Dhansauli Bunds	..	4.00
11. Constructing Syphon 143,000 Main Branch	..	3.00
12. Constructing Syphon 157,000 Main Line Lower	..	2.00
13. Remodelling Nai Nallah	..	3.00
14. Constructing Bridges on Drains in Karnal Division	..	1.50
Total	..	32.20

Mr. Speaker : Questions are put to elicit information and if the Members are not satisfied with the information supplied to them, they can ask supplementaries in a straightforward manner for obtaining further information, and not the Members cross-examine the Ministers because, I think, the idea is to seek information and not to corner him.

In my opinion, the answers given to the previous three questions were clear and explicit but supplementaries were asked to corner the Minister. I think it is not a good practice.

DRAINING OUT WATER FROM TAHSILS GOHANA AND ROHTAK

***3851. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government for draining out water from the waterlogged areas in tahsils Gohana and Rohtak ; if so, the time by which it is expected to be finalised ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. Some of the schemes have already been sanctioned and their execution has been taken up. These will be completed in about one year. Other schemes are under investigation.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस scheme की कोई brief detail दी जा सकती है ?

Minister : Construction of the following new drains is being taken up :

(1) Kulasi Drain ;

(2) Dobetta Drain ;

(3) Kheri Dhamkan Drain ;

(4) Sink Drainage Scheme ;

(5) Remodelling Nai Nalla Drain in Delhi Division.

श्री राम प्यारा : दुबेटा drain कितने अर्से से गवर्नमैंट के ज़ेरे-ग़ौर चली आ रही है ?

मंत्री : काफी अर्से से।

Mr. Speaker : The tendency is to search for scandals like the Mundra Scandal in every case.

श्री राम प्यारा : जनाब स्पीकर साहिब, 1952 से यह ज़ेरे-ग़ौर चली आ रही है, इसी लिये हमारे इलाके की तबाही हुई है।

Mr. Speaker : The answer given by the hon. Minister is very clear.

ROHTAK DEVELOPMENT BLOCK

***3852. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total amount earmarked for the Rohtak Development Block, Rohtak, for the year 1958-59, together with the amount so far spent thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Rs. 2,79,070 inclusive of loans.

(b) Rs. 90,602 up to 31st December, 1958, inclusive of loans

UPGRADING OF MIDDLE AND LOWER MIDDLE SCHOOLS

***3873. Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number and names of Middle or Lower Middle Schools so far raised during the current financial year and of those, if any, proposed to be raised during the remaining part of the current financia year, separately, to High Standard, in the State ?

*For starred question No. 3886 and its reply please see annexure A at the end of this debate.

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : 36 provincialized Middle Schools for Boys and Girls have been upgraded to the High Standard.

A list of such schools is laid on the Table. No more schools are to upgraded.

List of Provincialised Middle Schools upgraded to the High Standard

BOYS SCHOOLS

AMBALA DISTRICT

1. Government Middle School, Kot Kalsia
2. Government Middle School, Kalawar
3. Government Middle School, Durana

KARNAL DISTRICT

4. Government Middle School. Karora
5. Government Middle School, Nissang.

GURGAON DISTRICT

6. Government Middle School, Sher Pur
7. Government Middle School, Nagina

HISSAR DISTRICT

8. Government Middle School, Dhanana

KANGRA DITRICT

9. Government Middle School, Manali

AMRITSAR DISTRICT

10. Government Middle School, Gagge Mahal
11. Government Middle School, Ballarwal
12. Government Middle School, Dhand

LUDHIANA DISTRICT

13. Government Middle School, Kom Kalan

GIRLS SCHOOLS

AMBALA DISTRICT

1. Government Girls Middle School, Shazad Pur.

KARNAL DISTRICT

2. Government Girls Middle School, Fatehpur

ROHTAK DISTRICT

3. Government Girls Middle School, Farmana
4. Government Girls Middle School, Gohana.
5. Government Girls Middle School, Bahadur Garh

[Deputy Minister]

GURGAON DISTRICT

6. Government Girls Middle School, Ballab Garh
7. Government Girls Middle School, Bawal
8. Government Girls Middle School, Haily Mandi

HISSAR DISTRICT

9. Government Girls Middle School, Fatehbad
10. Government Girls Middle School, Mandi Dabwali

KANGRA DISTRICT

11. Government Girls Middle School, Pragpur
12. Government Girls Middle School, Sujan Pur Tira
13. Government Girls Middle School, Nurpur
14. Government Girls Middle School, Dehra Gopi Pur
15. Government Girls Middle School, Jwala Mukhi
16. Government Girls Middle School, Chadhiar

GURDASPUR DISTRICT

17. Government Girls Middle School, Sujan Pur
18. Government Girls Middle School, Fatehgarh Churian

FEROZEPORE DISTRICT

19. Government Girls Middle School, Dhudike Dhudike
20. Government Girls Middle School, Maluat Mandi

AMRITSAR DISTRICT

21. Gov rnment Girls Middle School, Ajnala

HOSHIARPUR DISTRICT

22. Government Girls Middle School, Bodal
23. Government Girls Middle School, Garh Shankar

Boys Schools	..	13
Girls Schools	..	23
Total	..	36

Sardar Umrao Singh : May I know why no schools of Jullundur have been upgraded ?

Deputy Minister for Education : While upgrading the provincialized schools in districts, the educational progress of different schools was kept in view.

Sardar Umrao Singh : May I know whether excepting Jullundur all the districts of the erstwhile Punjab State are educationally backward ?

Mr. Speaker : The hon. Member may please repeat his question.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ upgrade ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲੇ backward ਹਨ ਔਰ ਜਾਲੰਧਰ District ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ upgrade ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਬਜਟ ਦੀ allocation ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ 36 ਸਕੂਲ upgrade ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ priority fix ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ upgrading ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ backward declare ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ priority fix ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਗੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਓਥੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ upgrade ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ backward declare ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ upgrade ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ provincialized ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ upgrade ਕਰਨਾ ਸੀ । ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਤ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ upgrade ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ।

UPGRADING OF MIDDLE SCHOOL IN VILLAGE LOHIAN IN DISTRICT JULLUNDUR TO HIGH STANDARD

***3874. Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have received any representation from the residents of village Lohian in district Jullundur, regarding the upgrading of Middle School in the said village to the high standard ; if so, action , if any, taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Miniser) : Yes. Preference has been given to girls schools in general in the matter of upgrading.

GOVERNMENT OFFICERS SENT ABROAD FOR TREATMENT AT STATE EXPENSE

***3885. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether any Government officers were sent to foreign countries for treatment at State expense during the years 1947 to 1958 ; if so, their names ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : Yes; their names are—

(i) Dr. D. Satya Nand, P.C.M.S.
(ii) Hon'ble Mr. Justice A.N. Bhandari ;
(iii) Kanwar Shamsher Singh ;
(iv) Shri Davinder Singh ;
(v) Late Shri I.R. Tandon.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ facility ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਥੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਏਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਏਥੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या डिप्टी वज़ीर साहिबा बताएंगी कि उन officers को क्या २ बीमारियां थीं जिन का बाहिर जा कर इलाज करवाना पड़ा ।

Mr. Speaker: This question does not arise. Question was whether some officeres were sent abroad for treatment on State expense This has been replied.

वित्त मंत्री : किसी बीमार को क्या बीमारी है इस बात को public में बतलाने का Doctor या कोई और जिम्मेवार आदमी risk नहीं ले सकता ।

HONORARY SUB-REGISTRARS IN THE STATE

*3231. **Shri Rup Singh 'Phul' :** Will the Minister for Revenue be pleased to state with reference to the reply to part (a) of starred question No. 2437, included in the list of Starred Questions for 19th September, 1958, whether the proposal to appoint a few more Honorary Sub-Registrars in the State has so far been finalised ; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Shri Mohan Lal : (a) No.

(b) Cannot be said.

EXPENSES AND PROFIT OF AMBALA, JULLUNDUR, AMRITSAR AND PEPSU ROADWAYS

*3887. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the average cost and profit per bus per mile in the Ambala, Jullundur and Amritsar Roadways in the year during the period from October to December, 1958 ;

(b) the average cost and profit per bus per mile of Pepsu Road Transport Corporation during the said period ;

(c) whether there was any difference in cost, per mile, in Ambala, Jullundur and Amritsar Roadways; if so, the reasons therefor for the difference ;

(d) whether it is a fact that lowest cost per mile in Punjab Roadways was higher than the cost, per mile, of Pepsu Road Transport Corporation; if so, the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that profit per mile, in Punjab Roadways was much less than that of Pepsu Road Transport Corporation; if so, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : A statement is laid on the Table of the House.

(a)—

		Average cost per mile from October to December, 1958	Average profit per bus per mile from October to December, 1958
		nP.	nP.
Punjab Roadways, Ambala	..	67.3	30
Punjab Roadways, Jullundur	..	72.3	37
Punjab Roadways, Amritsar	..	70.6	29
(b)—			
Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	..	62	28

[Minister for Industries]

(c) Yes. There was difference in cost per mile of each unit viz., Ambala, Jullundur and Amritsar. Reasons for the difference are as under—

(i) The varying months of Inspection of vehicles by M.V.I. Boards, unexpected heavy repairs and other replacements due in different month are responsible for the fluctuating figures of expenditure from months to month during the different periods of a year.

The actual figures of expenditure are however the "to-date average expenditure per mile " since the beginning of the year in March 1958, which are given below: —

Punjab Roadways, Amritsar	..	67 nP.
Punjab Roadways, Jullundur	..	71 nP.
Punjab Roadways, Ambala	..	63 nP.

(ii) Mileage over which fixed overheads like Interest, Depreciation, Recurring costs of Buildings, establishment charges etc., are spread over, also contributes to the difference in cost per mile. The average monthly mileage of each service during this period is given below to explain the implications of this reason—

Punjab Roadways, Ambala	..	5,72,000
Punjab Roadways, Jullundur	..	3,43,000
Punjab Roadways, Amritsar	..	4,75,000

(iii) Leyland vehicles are mainly based at Jullundur and this leads to heavier Capital costs and consequently to higher contribution towards interest and Depreciation Funds.

(iv) Punjab Roadways, Jullundur was first to start in 1948. Its staff has earned more annual increments than that of Punjab Roadways, Amritsar, who in turn has staff senior inpay as compared to Punjab Roadways, Ambala who was the last to start function. The Establishment charges therefore vary accordingly.

(v) Local taxes like Bridge and Toll Taxes, play their part in increasing the difference of cost among the three units, Amritsar, contributing maximum amount towards, Bridge toll taxes.

(d) Yes. 63 nP. was the lowest todate cost per mile (upto and for January, 1959)and it was in Punjab Roadways, Ambala. This cost was higher than the cost per mile of Pepsu Road Transport Corporation, which comes to 61 np. upto 31st January, 1959.

Reasons responsible therefor are as under :—

(i) Staff in Roadways having completed 8—10 years of service and earned increments, costs higher than that of Pepsu Road Transport Corporation. The expdnditure per mile staff alone in the four services compares as under:

Amritsar	..	19 nP.
Ambala	..	18 nP.
Jullundur	..	22 nP.
Patiala	..	15 nP.

(ii) The Punjab Roadways have mostly far flung routes, sub depots and bus stands scattered throughout the State, whereas the Pepsu Road Transport Corporation is a compact unit and has only one Administrative and workshop building. The Capital expenditure on land and building in the Punjab Roadways on account of bus stands and Depot workshop to provide amenities is about 50 per cent more than Patiala Road Transport Corporation. Similar is the difference in case of tools and plants. As a result of the above difference in the Capital investment the Punjab Roadways have to pay more depreciation and interest charges.

(e) No. during the period October, 1958 to December, 1958, the average profit per mile in Punjab Roadways has been higher than Pepsu Road Transport Corporation, Patiala as noted below: —

Patiala	.. 28 n.P.
Amritsar	.. 29 n.P.
Ambala	.. 30 n.P.
Jullundur	.. 37 n.P.

This is due to (i) difference in carrying capacity, Jullundur having the m aximum seating capacity, as is explained by the following figurees of average receipt per mile during the period—

Amritsar	.. 100 nP.
Jullundur	.. 110 nP.
Ambala	.. 98 nP.
Patiala	.. 92 nP.

(ii) The amount of traffic available in different regions and greater intensity of competition with private operators in the case of Pepsu Road Transport Corporation Patiala.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONSOLIDATION OF HOLDINGS IN KAPURTHALA DISTRICT

1604. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the dates on which work of consolidation of holdings was completed in the villages mentioned in the list given in reply to unstarred question No. 1143 (a) printed in the list of unstarred question for 10th September, 1958, and the dates on which the records were consigned in each case ;

(b) if the records have not been consigned in the case of certain villages referred to in part (a) above, the reasons therefor;

(c) names of those villages mentioned in part (a) above in respect of which objection petitions are still pending under section 21(2) and since when ?

Rao Birendar Singh : The requisite information is given in the enclosed statement.

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of village		Date of completion of work under section 21(1)	Date of consignment of record	Reasons for not consigning the record	No. of the petitions pending under section 21 (2)	Period since when these are pending	REMARKS
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Gora	..	12-1-56	25-11-56	..	..		
2	Ghug	..	7-9-56	28-10-58	..	..		
3	Budhuwal	..	2-8-56	24-12-58	..	..		
4	Boot	..	24-10-56	25-11-58	..	..		
5	Alladipur	..	29-3-58	24-12-58	..	..		
6	Hothian	..	29-9-56	24-12-58	..	..		
7	Dhum	..	24-10-56	26-11-58	..	..		
8	Bhilla	..	24-10-56	29-12-58	..	..		
9	Budha Theh	..	15-7-55	31-10-58	..	..		
10	Thikriwala	..	15-11-56	24-12-58	..	..		
11	Alipur	..	29-3-58	1-12-58	..	..		
12	Bhulaipur	..	27-9-56	31-10-58	..	—		
13	Talwandi Payan	..	11-1-56	30-12-58	..	—		
14	Daultpur	..	11-1-56	9-3-59	..	..		
5	Hussianpur	..	31-1-58	15-1-59	..			

16	Kesarpur	..	11-4-56	30-9-58	..	..
17	Payal	..	12-1-56	25-9-59	..	..
18	Rupan pur	..	3-5-56	30-11-58		..
19	Jhal Bajaj	..	1-11-57	29-4-58	..	..
20	Baghanpur	..	2-1-58	31-12-58	..	..
21	Rajpur	..	1-5-58	11-9-57	..	..
22	Shadipur	..	1-9-57	9-1-59	..	..
23	Jag	..	21-6-56	28-11-58	..	..
24	Behlolpur	..	21-6-56	28-11-58	..	..
25	Mand Gurdaspur	..	2-5-56	28-2-58	..	..
26	Mand Maini Bhagupurian	..	2-5-56	31-12-58	..	..
27	Mand Kamalpur	..	30-11-57	30-1-58	..	..
28	Raipur Raian	..	25-2-58	29-1-59	..	..
29	Awan	..	31-8-57	30-12-58	..	..
30	Naurangpur	..	27-3-58	10-3-59	..	..
31	Sarupwal	..	14-2-56	13-11-58	..	..
32	Akbarpur	..	14-2-56	24-12-58	..	..
33	Feroze Sangowal	..	31-8-57	27-11-58	..	..
34	Fatehgarh Sikri	..	27-6-58	9-3-59	..	..
35	Mand Kala	..	30-6-57	27-11-58	..	..
36	Mandi Mand Kula	..	3-4-56	16-6-58	..	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of village		Date of completion of work under section 21 (1)	Date of consignment of record	Reasons for not consigning the record	Number of the petitions pending under section 21(2)	Period since when these are pending	REMARKS
1	2		3	4	5	6	7	8
37	Baqarpur	..	8-8-57	22-12-58	..	..		
38	Jabowal	..	1-10-55	30-9-58	..	..		
39	Talwara	..	29-11-57	23-12-58	..	..		
40	Mand Hussainpur	..	15-2-56	25-9-58	..	..		
41	Mangewal	..	23-8-55	24-10-58	..	..		
42	Sangrian	..	July, 55	31-10-58	..	..		
43	Habibwal.	..	31-1-58	29-1-59	..	..		
44	Guddani	..	20-10-57	31-12-58	..	..		
45	Mand Ibrahimwal Patti Arshad Khan	..	28-8-58	28-11-58	..	..		
46	Talwandi Purdal	..	29-4-58	23-12-58	..	..		
47	Mandi Rai Pur Raian	..	12-7-58	30-9-58	..	..		
48	Dhak Jagpalpur	..	1-11-52	24-11-58	..	..		
49	Nangal Nariangarh	..	25-6-56	31-12-58	..	..		
50	Sinpur	..	15-5-56	12-2-59	..	..		
51	Bhaint	..	5-8-55	25-11-58	..	..		

52	Lakhan Khurd	..	2-6-56	12-2-59	..	..
53	Tanda Bhagana	..	30-8-57	30-10-58	..	..
54	Tanda Narur	..	30-7-57	30-10-58	..	..
55	Prempur	..	10-11-53	30-10-58	..	..
56	Wadhel Khudabaxwala	..	28-4-58	29-9-58	..	..
57	Laoo	..	12-4-58	30-9-58	..	..
58	Saliapur Dona	..	17-5-58	29-10-58	..	..
59	Hedrabad Bet	..	26-6-58	16-10-58	..	..
60	Saich	..	11-6-58	31-10-58	..	..
61	Gobindgarh	..	15-7-58	29-12-58	..	..
62	Alipur	..	29-3-58	1-12-58	..	..
63	Jatike	..	10-7-56	..	Record was mis-placed. Duplicate record is under preparation	..
64	Rajpur	..	12-1-56	..	Stayed by the order of the High Court	..
65	Khukrian	..	12-1-56	..	Partially due to shortage of staff and partly due to in-correct preparation of record. Target now fixed is 25th April, 1959	..
66	Mand Sangozla	..	10-4-56	..	Ditto	..
67	Fate Pur	..	4-4-56	..	Ditto	..
68	Narket	..	5-6-56	..	Ditto	..
69	Mander Bet	..	15-12-57	..	Ditto	

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of village	Date of completion of work under section 21 (1)	Date of consignment of record	Reasons for not consigning the record	Number of the petitions pending under section 21 (2)	Period since when these are pending	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Nurpur Jattan ..	30-6-58	..	Due to non Adjustment of compensation of wells	..		
71	Padday ..	23-11-56	..	Ditto	..		
72	Mustfabad ..	29-10-57	..	Ditto	..		
73	Nurpur Labana ..	4-2-58	..	Ditto	..		
74	Nurpur Januhan ..	28-5-58	..	Objection petition under section 21(2) have been decided recently	Target now fixed for 30-6-59		
75	Randhawa ..	27-9-56	..	As at S. No.70	..		
76	Bijola ..	3-5-56	..	As at Serial No. 65	30-4-59		
77	Bijli Nangal ..	15-11-56	..	Ditto	31-3-59		
78	Raza Pur ..	9-10-56	..	Ditto	30-6-59		
79	Bahooi ..	17-2-58	..	Due to shortage of staff	31-3-59		
80	Hamira ..	31-10-53	..	Record sealed in D.C. Office in some enquiry			
81	Lakhan Kalan ..	26-1-54	..	As at Serial No. 65	30-6-59		
82	Dhapai ..	20-9-53	..	Ditto	15-7-59		

83	Mand Surkhpur	..	26-7-58	..	As at Serial No. 79	30-6-59
84	Mand Akber Pur	..	30-8-58	..	Ditto	Target date 30-6-59
85	Tarkhanawala	..	18-4-58	..	As at Serial No. 70	..
86	Talwandi Rajputtan	..	23-4-58	..	As at Serial No. 70	..
87	Tayabpur	..	4-7-58	..	Ditto	..
88	Manga Roda	..	1-6-56		Ditto	..
89	Beharipur	..	28-11-56	..	As at Serial No. 65	25-4-59
90	Pakhowal	..	8-11-56	..	Ditto	31-3-59
91	Isherwal	..	26-10-56	..	As at Serial No. 70	..
92	Karahal Nau Abad	..	14-2-56	..	As at Serial No. 65	28-4-59
93	Millian	..	30-3-56	..	Ditto	15-6-59
94	Karahal Kalan	..	26-2-58	..	As at Serial No. 79	30-4-59
95	Kaulo Talwandi	..	13-9-56	..	As at Serial No. 65	30-9-59
96	Manan	..	28-8-56	..	Ditto	31-3-59
97	Akala	..	11-4-56	..	Ditto	30-4-59
98	Madhojhanda	..	31-5-58	..	As at Serial No. 79	30-4-59
99	Karnial Ganj	..	31-3-58	..	Ditto	25-6-59
100	Sidhwan	..	16-10-56	..	Case under section 42 has been submitted	..
101	Mitla Kherabad	..	27-11-56	..	As at serial No. 70	..
102	Salamtpur	..	3-3-56	..	Case under section 42 is pending	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of village	Date of completion of work under section 21 (1)	Date of consignment of record	Reasons for not consigning the record	Number of the petitions pending under section 21 (2)	Period since when these are pending	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Kumrai ..	31-5-56	..	As at serial No. 65	30-4-59		
104	Mudowal ..	6-5-58	..	Due to remanded appeal cases	..		
105	Talwandi Kuka ..	2-5-56	..	As at serial No. 65	31-7-59		
106	Habitpur ..	8-9-55	..	Record already prepared is wrong re-adjustment in hand	..		
107	Mand Nangal Lubana ..	26-3-58	..	As at serial No. 79	30-6-59		
108	Kamalpur ..	27-5-56	..	As at serial No. 65	31-3-59		
109	Nadali ..	28-7-58	..	As at serial No. 79	30-4-59		
110	Issa Bucha ..	10-7-56	..	As at serial No. 70	..		
111	Innowal ..	14-2-56	..	As at serial No. 65	30-4-59		
112	Ballo Chak ..	7-2-58	..	As at serial No. 79	30-5-59		
113	Chak Dome ..	3-4-56	..	Remained with the Anti-Corruption Department for a long time	..		
114	Saitpur ..	21-9-55	..	Case for redoing 21(1) has been prepared	..		

115	Dabulian	21-9-55	Ditto	..
116	Shahpur Peran	23-8-55	Ditto	..
117	Mansurwal	19-4-56	Ditto	..
118	Jairam Pur	14-7-55	Ditto	..
119	Mazferpur	8-9-55	Ditto	..
120	Bhatnura Kalan	29-7-57	As at Serial No. 79	25-5-59
121	Jaid	26-8-58	Objections, under section 21(2), decided only recently	20-6-59
122	Bholath Sharqi	30-6-58	As at Serial No. 79	10-5-59
123	Mirzapur	24-6-58	Ditto	30-4-59
124	Daudpur	24-6-58	Ditto	30-4-59
125	Chaugawan	19-4-58	Ditto	31-3-59
126	Bhatnura Khurd	30-6-58	Ditto	30-4-59
127	Sangowal	28-8-57	Ditto	30-3-59
128	Chakoki	26-6-58	As at Serial No. 70	..
129	Bhagwanpur	21-4-58	Due to re-adjustment under section 21(3)	Target date 30-6-59
130	Kishanpur	27-2-58	Due to remanded cases	..
131	Baran and Dhak	12-11-53	The record of this village was burnt in 1953 and the work was closed for long period. Duplicate record is being prepared	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of village		Date of completion of work under section 21 (1)	Date of consignment of record	Reasons for not consigning the record	No. of the petitions pending under section 21((2)	Period since when these are pending	REMARKS
1	2		3	4	5	6	7	8
132	Gulabgarh Jagir	..	13-9-56	..	As at Serial No. 65	15-4-59		
133	Rampur Khalian	..	30-4-58	..	Due to re-adjustment under section 21 (2)	..		
134	Khojewali	..	20-9-56	..	As at Serial No. 65	15-5-59		
135	Wadala Kalan	..	7-3-58	..	Due to remanded cases	..		
136	Dainwind	..	20-10-56	..	As at Serial No. 65	15-6-59		
137	Chuherwal	..	20-6-56	..	Ditto	31-3-59		
138	Mansurwal	..	31-5-58	..	As at Serial No. 79	30-4-59		
139	Wadala Khurd	..	26-8-58	..	Ditto	15-6-59		
140	Jairampur	..	1-11-56	..	Due to remanded cases Record badly prepared	..		
141	Bhagana	..	29-6-58	..	Big village	31-8-59		
142	Mayo Patti	..	3-11-56	..	As at Serial No. 65	16-8-59		
143	Khurampur and Dhak	..	10-11-53	..	Ditto	16-8-59		
144	Manak and Dhak	..	4-10 52	..	Work closed on the Inspection note of the Flying Squad. Case for revocation has been referred	..		
145	Ucha Pind	..	23-7-53	..	As at Serial No. 65	30-9-58		
146	Machhi Pal	..	2-6-56	..	Ditto	30-4-59		

147	Chak	..	9-11-56	..	Ditto	28-2-60
148	Jallowal	..	29-3-57	..	As at Serial No. 79	31-12 59
149	Kaulpur	..	27-12-57	..	Ditto	28-2-60
150	Ahia	..	11-7-57	..	Ditto	30-4 59
151	Badial	..	7-6-56	..	Due to remanded cases record badly prepared	..
152	Rampur	..	1-11 56	..	As at serial No. 65	15-5-59
153	Sukhani	..	11-5-58	..	Due to remanded cases. Record wrongly prepared	..
154	Muradpur	..	26-7-58	..	Ditto	..
155	Mohablipur	..	30-6-58	..	As at serial No. 79	30-5-59
156	Salihapur Bet	..	29-6-58	..	As at serial No. 70	..
157	Wadhial Kadim	..	31-7-58	..	As at serial No. 79	30-4-59
158	Khurd	..	25-7-58	..	As at serial No. 70	..
159	Jhal Lai Wala	..	31-8-58	..	Ditto	..
160	Pondori Jagir	..	31-8-58	..	Ditto	..
161	Arianwala	..	26-4-58		As at Serial No. 79	30-4-59
162	Amanipur	..	26-8-58	..	Ditto	30-3-59
163	Saidowal	..	29-7-58	..	Petitions under section 21(2) are still pending	(19) August, 1958
164	Tajpur	..	11-7-56	..	Case under section 42 is pending	2-7-56
165	Bulewal	..	18-10-56	..	Case for redoing 21(1) is being prepared	1-10-56
166	Banwalipur		26-8-58	..	Petitions under section 21(2) are still pending	21-9-58

CONSOLIDATION OF HOLDINGS IN KAPURTHALA DISTRICT

1605. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state with reference to the reply to part (b) of unstarred question No. 1143 included in the list of unstarred questions for 10th September, 1958, the number of appeals, if any, still lying pending with the Settlement Officer, Consolidation, Kapurthala, together with the reasons therefor in each case, village-wise and the steps being taken to dispose of them ?

Rao Birendar Singh : Out of 218 appeals mentioned in reply to item (b) of unstarred question No. 1143, only three appeals as per details given below are pending with the Settlement Officer, Kapurthala :—

(1) *Village Mansurwal.*—This appeal is connected with the other appeals of the same village which were lodged subsequent to this appeal and will be decided together so as to avoid any wrong adjustment.

(2) *Village Bhilla.*—It is pending as the parties want to make a compromise.

(3) *Village Bhagana.*—All the parties did not appear in this case except on 3rd March, 1959.

It is hoped that these appeals will be decided shortly.

CONSOLIDATION OF HOLDINGS IN KAPURTHALA DISTRICT

1606. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the target, if any, fixed for the work of consolidation of holdings in Kapurthala District for the current year ;

(b) whether the target referred to in part (a) above has been achieved, if not, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : The requisite information is as under :—

(a) Yes. A target of repartitioning 75,000 acres was fixed for Kapurthala District for the year 1958-59.

(b) No. The target could not be achieved due to deficiency in staff as a result of non-availability of trained and experienced hands and the engagement of the staff on duty in flood relief work for about two months.

HARIJAN INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETIES IN KARNAL DISTRICT

1607. Ch. Sunder Singh : Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) the number and names of the Industrial Co-operative Societies, if any, formed by Harijans in the State district-wise ;

(b) the date/dates when each of the Societies mentioned in part (a) above was stated and registered separately ;

(c) whether any subsidy/loan has been given to the said Societies, if so, when in each case ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) The number of the Flayers' Tanners' and Shoe-makers' Societies in the State, the members of which are mostly Harijans, is 842. The time and trouble involved in collection the names of such societies will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) The time and trouble involved in collection of the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained .

(c) (i) During the year 1955-56 the financial assistance to the extent of Rs 3,50,500 as loan and Rs 3,00,500 as subsidy was afforded by the Government of India on the recommendations of All-India Khadi and Village Industries Board.

(ii) The Co-operative Department had also recommended 84 applications of Industrial Co-operative Societies having membership of Harijans for 1,50,662 as loan and Rs 13,328 as subsidy during the year 1958-59 to the State Khadi and Village Industries Board.

(iii) The time and trouble involved in collection of information in respect of dates will not be commensurate with the possible benefit to be obtained.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to lay on the Table the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1955 and 1956-57.

NOMINATION OF THREE M.L.C.s FOR ASSOCIATION WITH PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FOR THE YEAR 1959-60.

Minister for Industries : (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1959-60 and to communicate to this House the names of the members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1959-60 and to communicate to this House the names of the members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Question is —

This House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1959-60 and to communicate to this House the names of the members so nominated by the Council.

The motion was carried.

QUESTION OF PRIVILEGE

Minister for Education and Labour (Shri Amar Nath Vidyalankar) : Sir, on March 17, 1959, the issue of supply of the reports of the proceedings of the Punjab Vidhan Sabha to the honourable Members was raised in this House through a privilege motion and I had promised to submit a statement after making detailed enquiries.

I very much appreciate, Sir, the necessity of making these reports available to the honourable Members as soon after the sittings as possible. I have, therefore, gone into this question thoroughly and I beg to enclose with this statement an annexure showing the present position.

You will recollect, Sir, the printing of these reports had been since long in arrears. The reason being that the Government Press, Chandigarh, was only recently established and its capacity being very much limited, we had to distribute the printing work among so many presses through out Punjab. On these private presses scattered all over the State, we could not exercise proper control and things used to get very much delayed.

Last year, when my attention was drawn, Sir, to this matter by the Vidhan Sabha Secretariat, it was decided to stop the practice of getting these reports printed in private presses. From the list of arrears in your office, Sir, you will notice that we have cleared in the current year a considerable lot of past arrears. During the current financial year we have printed 100 debates of Vidhan Sabha, Legislative Council and the Regional Committees and we have been making frantic efforts to make up the gap that was constantly continuing since many past years.

You will also notice from the statement in the annexure, Sir, that out of the list submitted to this House along with the privilege motion on the other day, we have already completed or almost completed a part of that work.

Out of 66 reports shown as pending, Sir, 16 have already been supplied, 14 are ready, awaiting the supply of errata from the Vidhan Sabha office, to be attached to them and in this way 30 out of 66 ought to be considered as complete. This will show how much arrear had been cleared and today the arrear is much less than it was at this part of the year last year.

Note.—The Question of Privilege raised by Shri Harbhagwan Maudgil appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate, Volume I, No. 19, dated 17th March, 1959.

I might also, for the information of the House, make a mention of the enormous task that has increased in the press. We do the whole of text-books, printing now in our own press and the printing work from various Departments has been enormously increasing. Recently in addition to the printing of the reports of the Vidhan Sabha and the Legislative Council we are required to print the reports of the two Regional Comittees also which are almost equally lengthy and voluminous. It will, therefore, be appreciated that even before the Government Printing Press has reached its full development and maturity we are charged with enormous printing responsibility. The officers and men of the Department have been over-straining themselves in order to satisfy the growing demands of each and every Department.

In order to fully co-ordinate the efforts of the Printing Department with those of the Vidhan Sabha Secretariat, Sir, I had arranged a meeting of the Controller of Printing and Stationery with the Secretary, Punjab Vidhan Sabha, in your presence and you were satisfied, Sir, with the future programme that we had chalked out in order to clear off the arrears and improve the position further. I hope, Sir, if nothing goes wrong we might be able to clear out the remaining arrears by the end of July or early August and we shall try to give part of this Session's reports by the time of the September Session. We are already considering to set apart a separate unit for doing the printing work of the Legislature if constant and continuous work for the whole year could be assured.

As I have said before, Sir, we claim that in spite of numerous practical difficulties beyond our control, the position as compared with past years has been much improved and we assure further improvement on the lines indicated by me next year.

ANNEXURE

The position in respect of the debates mentioned in the privilege motion is as under—

Year/ Session	No. of Dates shown pending	Up-to-date position
1956 ..	5	(1) 2 have since been supplied.
		(2) Three Debates were entrusted with the private presses for the printing. Two of these were later withdrawn due to their failure to do the work. Proofs of these are now lying ready for approval. The 3rd Debate is expected from the private press shortly'
1957 ..	10	(1) Eight Debates have since been supplied.
		(2) The supply of the remaining 2 is held up for want of errata.
1958 ..	51	(1) Six Debates have since been supplied.
		(2) Supply of 12 debates is held up for want of errata.
		(3) Proofs of 8 Debates are lying ready for approval.
		(4) 10 Debates are under set up.
		(5) The ramaining 15 Debates will be taken in hand after the type has been released.

श्री अध्यक्ष : इस के इलावा आज भी तकरीबन 14 debates की कापियां यहां पहुँच गई हैं। इस लिये मैं समझता हूँ कि काफी improvment हो रही है। जो आपने कल meeting में बताया है और जो आज assurance दी है उसका ख्याल रखते हुए मैं नहीं समझता कि इस motion की ज़रूरत बाकी रह जाती है। इस लिये मैं इसे drop करता हूँ।

Besides, what has been stated by the hon. Minister in his statement, printed copies of about 14 debates have been received in this Secretariat today also, which shows that sufficient improvement is being made by the Government in the matter. In view of what the hon. Minister said in the House yesterday and the assurance given by him today. I do not think there remains any necessity for this Privilege Motion.)

RESOLUTION REGARDING DISAPPROVAL OF THE PUNJAB BETTERMENT CHARGES AND ACREAGE RATES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1959 (PUNJAB ORDINANCE NO. 1 OF 1959)

Dr. Bhag Singh (Garhshankar 'G') : Sir, I beg to move —

This House disapproves the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Ordinance, 1959.

Mr. Speaker : Motion moved —

That this House disapproves the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Ordinance, 1959.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ resolution ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ betterment levy ਦੇ ordinance ਦੀ disapproval ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ....

चौधरी धंम सिह राठो : जनाब मेरा भा resolution है और मैं ने....

Mr. Speaker : This Resolution also stands in the names of Chaudhri Dharam Singh Rathi, Chaudhri Inder Singh, Shri Mangal Sein, Sardar Achhar Singh Chhina, Shri Ram Kishan Bharolian, Shri Bhala Ram and Comrade Jangir Singh. When it has already been moved, there is no need of its being moved again by these members. They need not worry. Their names also appear along with that of the hon. Member who has moved it on the List of Buniness.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ordinace ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ–ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ council ਦਾ ਅਜਲਾਸ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ordinance ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੇ council ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ legislature

ਅਜੇ prorogue ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ordinance ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਖਤੌਨੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 5 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ordinance 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤੌਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ordinance ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਖਤੌਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 15/20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ orders ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤੌਨੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ orders 15/18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22, 23 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ council ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਇਹ ordinance 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ Legislature prorogue ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ordinance ਕਿਉਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 17/18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ruling party ਦੇ ਕਿਸਾਨ section ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ resolution ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ betterment levy ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 12 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Parliament ਦੇ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ Organ Economic Review ਵਿਚ ਇਹ suggestion ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਟ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ section ਦੇ ਉਸ resolution ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ economic review ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨੀ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]
ਜਲਦੀ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ordinance ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਭਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ ਤੇ base ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ 1943-44 ਨੂੰ base ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ base ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਆਬਿਆਨਾ ਦੂਜਾ water advantage rate ਤੀਜਾ ਸਰਚਾਰਜ ਚੌਥਾ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ surcharge ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ local rate । ਸ਼ਾਇਦ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ local bodies ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਸ਼–ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ pattern ਤੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ pattern ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫੇਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਤਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਔਰ ਜੂੰ ਜੂੰ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਔਰ ਫੇਰ ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ productive ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ unproductive ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 4½ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ sugar industries ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ?

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਗਰ betterment levey ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਔਰ ਫੇਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ordinance ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਹਾਊਸ ਇਸ ਨੂੰ disapprove ਕਰੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ ਜਨਰਲ): ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ betterment charges ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ordinance promulgate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ partially ਉਸ ਬਿਲ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1952 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ case ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ, ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਨਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਾ ਬਨਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ । ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਿਵਾਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕੋਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ 1953 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਕਨੂੰਨੀ ਉਲਝਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਤੇ ਆਖਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ordinance ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 1953 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਜੇ ਤਫਸੀਲਾਤ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ advance ਲਿਆ ਜਾਏ । ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ rules ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ordinance ਨੂੰ disapprove ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਣੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਆਖਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹਨ । ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ speech ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਇਸ betterment levy ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਕਰੇਲਾ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਹ betterment levy ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ betterment levy ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਨਾ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰ ਅਸੀਂ 1953 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਦਾ unproductive debt ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ perennial ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਇਹ levy ਲਗੇਗੀ । ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ rough estimate ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਗਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ liability ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ credit ਭੈੜਾ ਨਾ ਪਾਇਏ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ credit ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ agitation ਚਲਾਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ betterment levy ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ pamphlet ਹੈ "peasant case against betterment levy" ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ–

"Therefore, the Punjab Kisan Sabha is of the firm opinion that there is no justification for imposing the betterment levy and once again urges upon the Punjab Government to withdraw the ordinance and give up its proposal to realise levy from the peasants."

This was their case. ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕਰ ਗਏ । ਇਹ ਅਸੂਲ

ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ levy ਦੇਣੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ Mr. Gopalan ਦੀ speech ਹੈ ਜਿਹੜੀ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ Tribune ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ । ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

"The questions on which the Kisan Sabha would seek modification" Mr. Gopalan told a Press Conference "are (1) exemptions of certain categories from the levy, (2) the period within which the collection should be made which will affect the quantum to be paid each year ; (3) the timings of the levy on matured lands."......

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ—

"Mr. Gopalan said 'It will be unfortunate if the State Government interprets my appeal as a sign of weakness."

ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ betterment levy ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ violence ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ agitation ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ । ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ betterment levy ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ betterment levy ਹੈ । ਓਥੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਏਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਏਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਕੋਈ reasonable ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾਏ । ਅਸੂਲਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Betterment Levy Act ਗਲਤ ਨਹੀਂ । ਕਿਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਏਸ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 19.64 ਕਰੋੜ interest ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਇਹ 19.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਸਾਢੇ ਚਾਰ per cent interest ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ compound interest ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ figure work ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ interest ਦੀ ਐਨੀ ਰਕਮ pay ਕਰੋ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ compound interest ਦਾ ਜੋ ਮੁਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਏਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ । Compound interest is a sort of penal clause ਕਿਸੇ debtor ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ......

All right you pay such and such simple interest and if you do not pay this simple interest, then interest will be added on the principal and you will be charged further interest.

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ compound interest ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ advance ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ? ਕਤਅਨ ਨਹੀਂ ।

This was not a part of the understanding that the amount will be paid after six months. Then the question of getting compound interest which is a penal clause does not arise and should not arise.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ per cent ਸੂਦ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ compound interest ਲੱਗ ਕੇ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ debt ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ reasons ਨੇ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਕੋਈ interest charge ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹਾਂ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਉਜੜੀ, ਕਾਲਿਜ ਉਜੜੇ, ਸਕੂਲ ਉਜੜੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਉਜੜੇ । ਕਾਲਿਜ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ grants ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ loans ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ without interest । ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ । ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ । ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉਜੜੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ rehabilitation ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ compensation ਘੱਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ । ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਪਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇ । ਅਗਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ interest ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦੂਜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ । Students ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ without interest loan ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ without interest ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ simple interest ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾ compound interest ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ simple interest ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ nominal ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।

I am on a firm footing when I say that—

(1) There should be rehabilitation grant for the Punjab.

(2) If no rehabilitation grant, there should be advance at least without any interest.

(3) If any interest is to be charged, it should be simple interest. Question of paying compound interest should not arise in this deal.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ strictly ਸਾਡਾ creditor ਯਾ debtor ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹਦ ਤੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ food front ਦੇ ਵੀ soldiers ਹਾਂ । ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, food front ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਏਥੋਂ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ 19 ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ standard ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ standard ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਅੱਜ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਹੀ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਖੜਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਖੁਸ਼ੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ is temple of prosperity.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ peasants ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਹੋ । ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਬੁਰੇ ਨੇ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵੋ । ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਦੇ । They are dishonest to there beliefs ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ worry ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਗਨੀਮਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ । It is a

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

temple of prosperity, temple of Lakshmi. It is goddess of Lakshmi ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੂਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ construction ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਮੀ offering ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ return expect ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੂਲਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਕਰੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ floods ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ control ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਤਕੜਾ amount ਉਥੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ । ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਲ ਮੁਜਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ land ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਥਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ land nominal price ਉਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਫੀ price ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਖੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਮਣ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ½ ਰੁਪਿਆ productive treat ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ½ unproductive । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ project ਬੜਾ paying project ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਅਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕਾਫੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

It is a sort of commercial department and if all things are taken into account, we may probably get more money from electricity side.

ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ । ਇਹ project ਇਕ composite project ਹੈ । ਇਸੇ ਇਕ project ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ irrigation ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ as a whole ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ return ਨੂੰ capital ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ unproductive ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੇ figures ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ amount unproductive ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ bridges ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9, 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ that should also go towards the interest and capitalising the amount, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਰ canal charges ਅਤੇ other charges ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਇਸੇ fund ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ betterment levy ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ peasants ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਬਲਕਿ State ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ credit suffer ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ Central Government ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭਾਖੜੇ ਦੀ completion ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । It is a way of bandits. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, intimidate ਕਰਨਾ ਅਤੇ violence ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ betterment levy ਛਡ ਦਿਉ—This way, I think, our people and our State should not adopt. Rule of Democracy ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ? ਜੇ ਕਰ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ opinion of the majority must be respected. ਜੇ ਕਰ law ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ opinion ਦਿਉ । ਪਰ law ਦੀ enforcement ਦੇ ਖਿਲਾਫ violence ਕਰਨੀ, ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ agitation ਚਲਾਉਣੇ democracy ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ democracy ਨੂੰ ਮਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ the opinion of the majority must be respected, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ change the opinion, change the Government and change the majority and turn it into majority party ਜੇ ਕਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ enforcement ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Democracy ਦੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਨ ? ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ offer ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗਏ ਹਨ। As a head of the State ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ economy ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ । (*Interruptions*)

Mr. Khruschev is the Head of a State. Let the Betterment Levy question be sent to Mr. Khruschev through my communist friends. Let them get the opinion from Mr. Khruschev who is the Head of the State. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ betterment levy ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ..

Mr. Speaker : Do not put Mr. Khruschev in an awkward position.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਛ ਲੈਣ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ.........

डाक्टर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Sir. मैं पूछना चाहता हूं कि श्री ख्रुश्चव जो राए देंगे क्या वह राए इस सदन के लिये मान्य होगी । (*interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ Betterment levy ਨੂੰ post pone ਕਰ ਦਿਉ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ Elections ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ as Election stunt ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ । We do not want to play their game. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ propaganda ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ State ਦੀ development ਵਿਚ ਠੀਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ whole economy of the Punjab will be shattered. State ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਉਸ Rule of Socialism ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । State ਦੀ development ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ America ਵਿਚ irrigation projects ਤੇ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ charge ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ argument ਨੂੰ support ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ water supply ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ selfish ਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ Integrated River Valley Development Projects ਵਿਚ ਵੀ introduce ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ rate ਹੋਵੇ ? ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਥਾਂ water ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ welfare State ਦੇ target ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ discrimination ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ apply ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ levy ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂ against.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ Betterment levy ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । (Addressing to Communists) ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ–ਕਦੇ ਮਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ paying capacity ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸ amount ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ least burden ਪਾਵੇ । ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ House ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ (Voices, yes, yes.) ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ per acre ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈਏ by way of advance—ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਵੇਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਾਹਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕਾਹਲੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ we have to get money from the Centre again for the next year. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ...... (*Interruptions*)

Mr. Speaker : No interruptions please. I would like the hon. Members to be conscious about the fact that they are sitting in the House.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ burden ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਦੁਲੱਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ reports ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਹੀ wastage ਹੋਈ ਹੈ । ਦੂਜੇ projects ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ wastage ਦੀ report ਹੈ । ਉਹ wastage ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੁਲੱਤ report ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ projects ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : 50 लाख का ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਭਾਵੇਂ ਇਹ wastage ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ wastage ਨੂੰ ਵੀ projects ਦੀ capital cost ਵਿਚ include ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਹਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ water ਦੇ consumers ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ burden ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ local bodies ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ realise ਕੀਤਾ ਜਾਏ (*Interruptions*) ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ? (*Interruptions*)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ permission ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਸ betterment levy ਦੀ movement ਨੂੰ actively support ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲਗੀ ਹੈ— ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ reforms ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲ ਹੋਵੇ agitations were foreign to that party at that time । ਮਗਰ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖ ਔਰ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਜਦ ਕਿ Communist Party ਨੇ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗੇ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋ ਸੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ approach ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ convinced ਹਾਂ ਕਿ this agitation was absolutely baseless and started on wrong lines । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ body ਯੋਗ ਦੇਵੇ—support ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ peasants ਦੇ ਵੀ interest ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ body ਨੂੰ ਇਸ movement ਦੀ ਪੌੜਤਾ ਜਾਂ support ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ because the sponsors of the movement have certain interior motives. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ masses ਵਿਚ dissatisfaction ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

It was out and out a political exploitation to get votes whenever occasion arose. Otherwise there was nothing in this movement and I think the whole Punjab will see to it. I would appeal to the Government, through you, Mr. Speaker, that they should try their utmost to tell the people what this Betterment Levy is. We should decide the matter once and for all and let the people know what they are required to pay in the form of Betterment Levy. As a matter of fact, the paying capacity of the people is not much and on that basis the communists are trying to create a situation for their political advantage which they should not be allowed to take. Thank you, Sir.

ਸਰਦਾਰ ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੌਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Betterment Levy ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ । Communist ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ resolution move ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹੀਂ, House ਦਾ

ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ Bist Doab Canal ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਮਾਲੂਮ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ general ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Bist Doab Canal ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਅਨੋਖਾ case ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਅਨੋਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ House ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ Anti-Betterment Levy ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ case ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Communist ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਸ ਦੀ history ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ ਸਤ ਅਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ notices issue ਕੀਤੇ। Betterment Levy ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ commanded area ਉਤੇ ਲਗੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ notices ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ commanded area ਹੈ ਜਾਂ un-commanded. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਉਹ notices ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ House ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ constituency ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਸੂਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ commanded area ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ notices ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀਂ ਵੇਖੇ। Notice ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ notice ਮਿਲੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹ notices ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਝਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ issue ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਕਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ irregularity ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕੋਈ 10,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਨ।

12.00 noon

ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Betterment Levy ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਤਕ pending ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

[ਸਰਦਾਰ ਉਧੱਮ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਝਗੜਾ District Development ਕਮੇਟੀ ਦੀ meeting ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕ meeting ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ Division ਦੇ Commissioner ਹਨ ਆਪ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ betterment levy ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ public relations ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ agency ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ levy ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਗਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਨਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ betterment charges ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਇਕ pamphlet ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ betterment levy ਲਗੇਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਇਕ ਕਿਰਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ betterment levy ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੜਕ ਉਠੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜਾ ਦੁਖ ਤੇ ਔਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਹਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 'ਨਾਰਾਏ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ'। ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : आप के सामने Disapproval of Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Ordinance का resolution है उस पर बोलें। (The hon. Member should speak on the resolution regarding Disapproval of the Punjab Betterment Charges & Acreage Rates Amendment Ordinance now before the House.)

ਸਰਦਾਰ ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ cash crops

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਖਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ betterment levy ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ information ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ Betterment Levy ਦਾ ਬਿਲ ਇਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ Select ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ Select Committee ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ Government of India ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ—ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਬਹੁਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Central ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗੇ ਆਪਣਾ case ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲਗਾ, ਮੋਘੇ ਵੀ ਪਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵਾਰਾ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਥਲੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ session ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ Irrigation ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਨਾ ਤਾਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਉਥੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਦੇ ਅਪਰਾ minor ਲਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਚਿਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਪਰਾ minor ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਂ estimate ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਆਦਮੀ political ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਊਧੱਮ ਸਿੰਘ]

ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਦੇ ਹਨ । ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ agitation ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ movement ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢਣ ਨਾਲ ਸਤਿਆ ਗਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਸਤਿਆਂ-ਗਰਹਿ ਕਰਨਾ ਸਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚਲੋ । ਇਹ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਤਿਆਗਰਹਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ । ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਿਆਗਰਹਿ ਸਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖੋ ਜਿਸ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਆਪ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਾਏ ਸੀ । ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ policy ਉਹ ਨਹੀਂ । ਤੁਸਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਆਪ ਅਗੇ ਲਗ ਕੇ ਸਤਿਆਗਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਪਿਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੂੜ, ਅਤੀਆਣਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੀਆਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ agitation ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ movement ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਯਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ movement ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ । Communists ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ । ਹਾਂ Communists ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Betterment Levy ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਤਨੇ ਤਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ betterment levy ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ Central Government ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਸਾਨੂੰ Central Government ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ border ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਬਾਹਰੋਂ

ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ Centre ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ । ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਨਾਜ ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਲਏ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ ।

ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਕੱਤ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ Central Government ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੂਦ ਲੈਣਾ ਬਣੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ । ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ session ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ time ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ propaganda ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ .... (*interruption*) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਦੀਦ ਕਰੋ । ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਉ । (ਘੰਟੀ)

ਇਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जो रैज़ोल्यूशन मैं ने दिया है वह जनाब ने मूव कर दिया है । मैं उस को पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या करते हैं । पेश क्या कर रहे हैं । (What is it that the hon. Member is moving?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह जो रैज़ोल्यूशन है इस के बारे में अपने ख्यालात अर्ज़ कर रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : मैं ने कहा कि शायद आप रैज़ोल्यूशन पेश कर रहे हैं । (I thought he was moving his resolution.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, इस रैज़ोल्यूशन पर जो २ मैम्बर साहिबान बोले हैं खास तौर पर सरदार अजमेर सिंह, उन्हों ने यही ख्यालात ज़ाहिर किए हैं कि इस बैटरमैंट लैवी के आर्डिनैंस को बिल्कुल ऐपरूव नहीं करना चाहिये। जो मुअज़िज़ मैम्बर अभी बैठे हैं इन्हों ने कहा कि वाकई बड़ा ज़ुल्म हुआ है। हमें यह देखना है कि लोगों के असल ख्यालात क्या हैं। स्पीकर साहिब आज सारे पंजाब में कोई भी खेती करने वाला नहीं मिलेगा जो इस लैवी के खिलाफ न हो। आज जो साथी उधर बैठे हैं वह चाहे किसी तरह से अपने ख्यालात रख दें मगर दिल से कोई भी बैटरमैंट लैवी के हक में नहीं है। मुझे उन हालात का पता है कि जिन में यह आर्डिनैंस पास किया गया। उस वक्त भी इस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस के लागू करने से चार पांच रोज़ पहले असैम्बली का सैशन किया गया था। उस वक्त इस को नहीं लाये क्योंकि वह नहीं जानते थे कि अगर इस को उस वक्त पेश करते तो पता नहीं क्या हो जाता। उस वक्त गुरद्वारों बारे यहां पर पार्टी बाज़ी चल रही थी। जब वह बिल पास हो गया तो एकदम यह आर्डिनैंस ले आए। उस वक्त कोई ऐसी हालत न थी जिस की बिना पर यह आर्डिनैंस लाया जाता। यह सिर्फ हंगामी हालात के अन्दर ही लाया जा सकता था। असल वजह इस को लागू करने की थी कि 1952-53 में जो बैटरमैंट एकरेज बिल पास किया था जिस को कि अब अमैंड करना मतलूब है उस पर खेती करने वालों ने कुछ एतराज़ किये थे। गवर्नमैंट के पास उन का कोई जवाब न था। लोगों ने यह साबत करने की कोशिश की थी कि भाखड़ा स्कीम प्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव नहीं है और इस लिये बैटरमैंट लैवी नहीं लग सकती। इस गवर्नमैंट के पास एतराज़ का कोई जवाब नहीं था, हिसाब इन के पास नहीं है, कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी होगी। इन्हों ने बिना किसी हिसाब किताब के आर्डिनैंस जारी कर दिया। उस के नीचे रूल्ज़ बना दिये और ऐडवांस पेमैंट कर लेने का इख्तियार दे दिया और उस में यह भी लिखा कि अगर किसी से ज़्यादा वसूली हो जाएगी तो वह उसे वापस कर दी जाएगी। अगर इस बिल को पास कराने वाला कोई और होता तो मुझे ताज्जुब न होता। इस को अगर डाक्टर गोपी चन्द पास कराते, पंडित मोहन लाल या श्री अमर नाथ विद्यालंकार पेश करते तो ताज्जुब न होता, दुख न होता मगर यह तो एक खेती करने वाले से पास करवाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर कनसर्नड ने पास करवाना है। (The Minister concerned has to pilot it.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह खेती करने वाले हैं। और कांग्रेस सरकार किसानों को उन के हाथों से ही बरबाद करवाना चाहती है। आज जो कुछ इस के बारे में हो रहा है उसे कौन नहीं जानता। किसानों पर वह ज़ुल्म और तशदद हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। मैं ने तीन चार ऐजीटेशन्ज़ देखी हैं। अकाली, पुलिस की ज़्यादतियां सच्चर साहिब के ज़माने में, हिन्दी agitation वग़ैरह सब देखी हैं मगर जितना ज़ुल्म और तशदद इस betterment levy के खिलाफ agitation में हुआ है उतना न कभी देखने में आया और न ही कभी सुनने में आया है। और

यह ज़ुल्म हुआ किसानों पर। (*Shame, shame from Opposition Benches.*) फिर Chief Minister साहिब हरियाणे में जा कर कहते हैं कि मैं तो चौधरी छोटू राम का काम उन के मरने के बाद पूरा कर रहा हूँ। मैं इन से पूछता हूँ कि क्या चौधरी छोटू राम किसानों की बहु बेटियों पर गोलियां चलाने का काम बाकी छोड़ गए थे? मैं कहता हूँ अगर वह आज ज़िन्दा होते तो वह अपनी जान दे देते मगर किसानों पर यह levy न लगने देते। ऐसी बातें करते हुए चौधरी छोटू राम का नाम लेना जायज़ नहीं है। आप कहते हैं कि betterment levy दो। हम कहते हैं ले लो, सारा खर्च ले लो मगर हमें इस के मालिक बना दो, बिजली की तरह इस बारे भी Board बना दो। मुनाफा हो तो हम ज़िम्मेदार नुक्सान हो तो हमारा हो। (*interruption*) यह समझे नहीं मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आप जो levy लगा रहे हैं वह नाजायज़ है। इस के मालिक हमें बना दो और जो कुछ बनता है हम से ले लो। मगर यह क्या कर रहे हैं? किसी आदमी ने किसी से एक भैंस खरीदी और सारे पैसे चुका दिए। उस के बाद बेचने वाले ने उसे कहा कि अब दूध के भी पैसे देते जाओ। यही हिसाब किसानों से हो रहा है। एक तो नहर की लागत किसान से वसूल करेंगे और फिर पानी के पैसे भी लेंगे। यह क्या दलील है। फिर compound interest ले रहे हैं हमारे Finance Minister साहिब ने किसान को शाईलौक कहा। मगर शाईलौक तो compound interest लेने वाला ही हो सकता है और वह है सरकार और खुद Finance Minister साहिब इस levy की वसूली के ज़िम्मेदार हैं। अगर कभी राड़ेवाला साहिब कोई बात चीत करने पर राज़ी भी हो जाते हैं तो Finance Minister साहिब दिल्ली पहुँच जाते हैं और किसी तरह का समझौता होने नहीं देते। (विघ्न) मैं स्पीकर साहिब यह कह रहा था कि सारे का सारा खर्च हम क्यों दें। भाखड़ा की जितनी स्कीमें हैं इनका खर्चा हमसे betterment levy की शक्ल में वसूल किया जा रहा है यह हम कैसे दें। इस Ordinance को disapprove करने के लिये, इसी लिये मैं ने notice दिया है। अकेले हम से यह क्यों वसूल किया जा रहा है इन स्कीमों का मुनाफा सारे देश को होगा। और जो इन स्कीमों की वजह से अनाज पैदा होगा वह सारे देश में भेजा जाएगा फिर स्पीकर साहिब हम इसका सारा खर्चा क्यों दें। हम क्यों इस सारे खर्चे को बर्दाश्त करें। क्यों न इस सारे खर्च को सारा देश बर्दाश्त करे। पंडित जवाहर लाल नेहरू जब भाखड़ा डैम पर आए तो उन्हों ने कहा था कि यह symbol of progress of India है। अगर यही बात है और यह ग़लत नहीं एक हकीकत है कि भाखड़ा से सारे देश को फायदा पहुँचने वाला है तो फिर सारा देश इस खर्च को बर्दाश्त क्यों न करे?

स्पीकर साहिब फिर Western Jumna Canal का सवाल है इससे भी levy लगाया गया है क्यों न भाखड़ा से सारा लिया जाए। Western Jumna Canal तो सिर्फ remodel की गई है कोई नई नहर नहीं फिर भी इस के इलाका पर खर्च

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

डाला जा रहा है। क्या यह किसी असूल की बात है। फिर productive और unproductive schemes का सवाल पैदा होता है। प्रोफैसर शेर सिंह ने इसके बारे में सारा हिसाब लगा कर समझा दिया है कि यह productive scheme है। मैं तो हिसाब कम जानता हूं और हमारे मन्त्री महोदय को भी इस से ज़्यादा नहीं आता। हम दोनों हिसाब के मामले में यकसां हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने किस तरह हिसाब लगा कर कहा है कि यह unproductive scheme है। प्रोफैसर साहिब ने इत्तलाह दी है और work out करके कि यह unproductive scheme नहीं। वह M.A. in Maths. हैं और 1st Class 1st हैं। इतना हिसाब जानने वाला मेरे ख्याल में सरकार के पास दूसरा कोई भी नहीं। इनके engineers और chief engineers में कोई भी 1st Class 1st Maths. में नहीं होगा। प्रोफैसर साहिब को हिसाब में authority माना गया है। इन्होंने साबित किया है कि यह स्कीम unproductive नहीं और यही नहीं उन्होंने figures देकर साबित कर दिया है कि पंजाब सरकार को इन schemes से 3 करोड़ 40 लाख का मुनाफा होगा। अगर स्पीकर साहिब इससे तीन करोड़ और 40 लाख मुनाफा होगा तो Western Jumna Canal से 24 लाख का मुनाफा होगा। इस तरह betterment levy सिर्फ इधर से ही वसूल हो जाएगी इस लिए यह Betterment Tax नहीं लगाना चाहिए।

स्पीकर साहिब, इसके इलावा मैं अर्ज़ करूं कि यह सरकार एक तरफ कहती है कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते थे। जिस से किसानों को नुक्सान हो लेकिन टैक्स लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि अनाज ज़्यादा पैदा करो। जो नहरें निकाली गई हैं इनसे 10 करोड़ मन अनाज हर साल हम पैदा करते हैं, दूसरे सूबे को देते हैं, 10 करोड़ मन हम दे सकते हैं

(क्या दस करोड़ मन)

जी हां दस करोड़ मन के लगभग पैदा होता है जो हम दूसरे सूबों को दे सकते हैं। कुल 17, 18 करोड़ मन पैदा होता है जिसमें से 10 करोड़ के करीब बाहर भेजा जाता है। सात आठ करोड़ यहां की ज़रूरत के लिए काफी है। (*Interruption*)

श्री अध्यक्ष : वह खुद कहते हैं कि वह हिसाब अच्छा नहीं जानते। (He himself admits that he is not proficient in accounts.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इसके इलावा 42 करोड़ हमने खर्च किया है जिस पर 9 करोड़ रुपया सूद का बनता है। सरकार यहां पर गांधी जी का नाम लेती है। उनकी फोटो हमारे सामने है लेकिन आप सब जानते हैं कि वह सूद के कितने खिलाफ़ थे और फिर compound interest के जो हम से लिया जा रहा है। ठीक होता अगर आप गांधी जी का नाम लेकर उनके बनाए असूलों पर चलते। क्या आप बता सकते हैं कि कहां पर compound interest को गांधी जी ने support किया है तो फिर आप जो उनके नाम लेवा है क्यों compound interest calculate कर रहे हैं अगर 9 करोड़ जो सूद का बनता है छोड़ दिया जाए तो बाकी 33 करोड़ रह जाता है। 33 करोड़ में से 8-9 करोड़ रुपया उस अनाज से वसूल किया जा सकता है जो बाहर दूसरे सूबों को भेजा जाता है। 2½ करोड़ का खर्च सड़कों का है वह भी इस में

से काट लिया जाए । अफसोस से कहना पड़ता है कि वह भी खर्च हमारे ज़िम्मे डाला जा रहा है । यह खर्च उन सड़कों का है जो भाखड़ा डेम पर बनाई गई है यह खर्च इस में शामिल नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सरदार अजमेर सिंह ने दरियाओं का ज़िक्र किया और आपने सड़कों का शुरू कर दिया । (Sardar Ajmer Singh had made a mention of rivers in his speech and the hon. Member has started talking of roads.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : $2\frac{1}{2}$ करोड़ का खर्च सड़कों का बनता है जो भाखड़ा डेम की हैं इस खर्चे को इसमें से निकाल दिया जाए ।

इसके इलावा स्पीकर साहिब सरदार अजमेर सिंह ने सही तौर पर कहा है कि भाखड़ा डेम पर waste बहुत हुआ है । बहुत सा material गड़बड़ में चला गया है । इसी सम्बन्ध में दुलत रिपोर्ट हमारे सामने है । यह जो इस तरह की wastage की गई है यह 15 करोड़ की है । यह उन अफसरान से वसूल करना चाहिए जो इस wastage के ज़िम्मेवार थे । यह खर्च भी सरकार हम पर क्यों डाल रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप का हिसाब तो साफ है अब आपने ही कुछ सरकार से वसूल करना होगा (हंसी) । (The hon. Member's account is clear. He might have now to recover something from the Government.) (*Laughter*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब यह इसी हिसाब पर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप कहें जट का हिसाब है (The hon. Member may say that it is a rough estimate.) (हंसी) (घन्टी)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब दो मिनट में सारा हिसाब दिखा दूंगा । (हंसी)

हमारा जो हिसाब है इससे सरकार की तरफ कुछ निकलता है वह हम उन्हें छोड़ देते हैं । (हंसी) हमसे यह लेवी वसूल न करें ।

फिर यह कहा जाता है कि ज़मीन की कीमत बढ़ गई है इस लिए betterment levy लगाया जा रहा है । स्पीकर साहिब, इस पंजाब के अन्दर नहरों के पानी से जिन नहरों को सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला ने बनवाया है और इनकी सरकार ने बनवाया है और जिन नहरों की हर जगह तारीफ की जाती है जितनी कीमत इनके ख्याल से बढ़ी है उसे आप देख सकते हैं । इसके बारे में मैं यह अर्ज़ करूं कि 34 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब में water logging से खराब हो चुकी है । अगर आप कहते हैं कि betterment levy लेंगे तो जो ज़मीन आपकी नहरों की बदौलत water logged हो गई है वह compensation के हकदार हैं । आप compensation उन्हें दे दें जिन की ज़मीन खराब हो गई है । अगर आप इजाज़त दें तो मैं हिसाब बता सकता हूं कि कितनी ज़मीन इस तरह तबाह हुई है । आप इस तरह से किसानों को मारना चाहते हैं वह तो पहले ही टैक्सों से दबे पड़े हैं । ज़मीन के बारे में जितने टैक्स लगाए गए हैं वह भी उन से अदा नहीं किए जाते और आप यह लैवी लगा रहे हैं ।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

इस लिए स्पीकर साहिब मैं वज़ीर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह खुद एक किसान घराने से हैं, उन्हें यह सब बातें पता हैं। वह खुद एक कड़े किसान हैं। अगर आप इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं तो किसान मर जाएगा और अगर किसान नहीं रहेगा तो देश का कोई आदमी ज़िन्दा नहीं रह सकेगा। पंजाब का किसान सारे देश को अनाज देता है। दुनिया को अनाज देता है। दूसरे देशों को भी अनाज देता रहा है। अब भी देता है। War के अन्दर भी अनाज दूसरे देशों को भेजा गया था तो मैं अर्ज़ करूंगा वज़ीर साहिब से कि वह इन सारी बातों पर ग़ौर करें और इस तरह की levy लगा कर पंजाब के किसान को न मारें जो पहले ही टैक्सों के बोझ से दबा पड़ा है। इस बात पर ध्यान दें कि scheme productive है या unproductive है। यह जो Ordinance आपने लागू किया है यह किसान को खत्म करने वाला है। किसान लैवी देने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा और इस से वह तबाह हो जाएगा। इन इलफाज़ के साथ मैं स्पीकर साहिब गुज़ारिश करता हूं कि मेरा resolution पास होना चाहिए और इस Ordinance को disapprove किया जाना चाहिए। अगर सारा खर्च ही इनसे वसूल करना है तो इन्हें मालिक क्यों न बनाया जाए, और एक Board बना दिया जाए जैसा कि Electricity Board है। नहीं तो मेरा resolution पास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको पता है कि Ordinance को disapprove करने के resolution पर 2 घंटे बहस हो सकती है। 1½ घंटा बहस हो चुकी और ½ घंटा के लिए मिनिस्टर साहिब बोलना चाहते है। (The hon. Members are aware that the resolution disapproving the Ordinance can be discussed for two hours only. It has already been discussed for one and a half hours and the hon. Minister now wants to speak on it for half an hour.)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब, स्पीकर साहिब, House के सामने जो resolution इस वक्त पेश है और जिस की रू से वह Ordinance जो betterment levy के मुताल्लिक जारी किया गया था, disapprove करना चाहते हैं। मुहर्रक साहिब की जो तकरीरें थीं मैं ने उन को बड़े ग़ौर से सुना है। उन्होंने फरमाया है कि यह Ordinance ग़ैरजमहूरी और ग़ैर ज़रूरी था। इस बात की दलील में उन्होंने कहा कि अभी Assembly को prorogue करने का ऐलान नहीं था कि निहायत तेज़ी से इस Ordinance को नाफज़ कर दिया गया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो हालात उस वक्त थे जिन के तहत इस Ordinance को जारी करना पड़ा, वह एक emergent nature के थे। यह जो हम ने भाखड़ा की तामीर और नहरों की तामीर के लिए कर्ज़े लिए इस की अदायगी का सवाल आज से नहीं बल्कि उस दिन से था जबकि इस का parent Act बन गया था। उस वक्त भी Government of India की तरफ से एक Directive आया था कि इन रकमों की अदायगी का इंतज़ाम फौरी किया

जाये । जनाबे वाला, मैं एक एक एतराज House के सामने पढ़ना चाहता हूं । यह मामला उस वक्त से चल रहा है जब कि States को Government of India की तरफ से यह कहा गया था कि—

"The Government of India loaned money from 1947 to 1950 but communcated after protracted correspondence on October, 28, 1950, their decision to all States in India that before any further sums of money could be advanced as loans for river valley projects the State Governments should arrange for first the levy of a betterment fee on land brought under irrigation through such projects, the proceeds of such levy being specially earmarked for the repayment of Central loans."

यह Ordinance और यह जो तजवीज़ थी वह हमारी इस रियासत पर ही लागू नहीं थी बल्कि सारी रियासतों पर लाज़मी करार दी गई थी । जनाबे आली, इस के बाद भी इस के मुताल्लिक दिक्कतें होती रही हैं । अब इस नवम्बर से पहले जबकि Planning Commission में यह मुआमला discuss हुआ था, तो फिर इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इस की अदायगी का इंतज़ाम होना चाहिए, जबकि इस के लिए कानून बना हुआ है और इस का इतलाक किये हुए या इस को नाफिज़ किये हुए 6-7 साल का अरसा गुज़र चुका है । 1954 में यह बना था और उसी वक्त पानी मिलना शुरू हो गया था आज 1959 है । इसके इलावा एक और दिक्कत यह थी कि हमें इस रुपए की development के लिए ज़रूरत थी । इस House में दो दिन से तकरीरें हो रही हैं और मैं बड़े शद्दोमद से कह सकता हूं कि अगर मैम्बरान ने इस बात पर और ज़ोर दिया तो मैं समझता हूं कि यह मसला बड़ी खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता था । अगर इस को war level पर भी सुलझाया जाये तो इसके लिए हमें कर्ज़े की ज़रूरत थी । आज हम यह चीज़ Centre से loan लेकर कर रहे हैं । हमें ज़रूरत थी पंजाब की development के लिए और हमें शक पड़ता था कि पंजाब की development के लिए यह रुपया emergently चाहिए था । इस के इलावा मैं, जनाबे आली, अर्ज़ करना चाहता हूं कि आखिर पंजाब की Ministry ने यह एक कानून भी बनाया था उस पर भी अमल करवाने का सवाल था । जितनी भी अमल करने में delay की जा रही है उतना ही उस का सूद भी बढ़ता जा रहा है ।

चौधरी बलबीर सिंह : 31 दिसम्बर और 3 जनवरी के दरमियान जो....

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : सब बतलाऊंगा । खुद किसान और इस पंजाब के किसान का इसमें भला था । आखिरकार कर्ज़ा के देने का तो इंतज़ाम करना ही है । बहुत सारे member साहिबान ने अपनी तकरीरों में कहा है और कर्ज़ा देने के मुताल्लिक तकाज़ा किया है । अगर हम crops को अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं तो इस के लिए भी खर्चा करना ज़रूरी है । 23 दिसम्बर को यह मुआमला Council of Ministers के सामने आया । मगर उस वक्त यह पता नहीं था कि House का इजलास कब होगा । इस के बाद Gurdwara Act की वजह से खासतौर से Special Session बुलाया गया था....

श्री शेर सिंह : 23 दिसम्बर को तो Assembly बैठी हुई थी ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : 23 तारीख को तो यह अभी Council of Ministers के सामने ही आया था। इस पर फैसला होने के बाद जो rules उस के मुताबिक 15 दिन का session बुलाने के लिए notice चाहिए। इस के इलावा हालात के मुताबिक इसे एक से ज्यादा दफा Regional Committee के भी सुपुर्द करना पड़ा था। इस की वजह से भी दो एक दिन बढ़ गये थे। फिर यह अभी Law Department से draft कराना था जिस के लिए अभी वक्त दरकार था। इस वासते यह नामुमकिन था कि हम इस से पहले किसी session में इस बिल को ला सकते थे। दूसरी तरफ, जनाबे आली, खरीफ की फसल से इस रकम की वसूली का सवाल था और खतौनियां जो बनाई जाती हैं वे महीना के आखीर तक बनाई जाती हैं लेकिन इस में यह भी ज़रूरी था कि अगर यह कानून 5 तारीख तक न बने तो यह वसूली नहीं हो सकती थी। इसलिए जब Assembly adjourn हो गई थी और यह 3 तारीख को Governor साहिब की खिदमत में भेजा गया था जोकि 4 तारीख को उन से वापस हुआ था। तो इन सारे हालात में मैं अर्ज़ करता हूं कि जो तारीखें मैं ने बतलाई हैं उन से यह ज़ाहिर हो गया है कि इस चीज का इंतज़ाम किया जाना ज़रूरी था। हम यह चाहते थे कि किसी ना किसी तरीका से इस की अदायगी का इंतज़ाम किया जाये। ताकि जो ज़मीदारों पर बोझ पड़ रहा है उस का बोझ उन पर cumulative ना पड़े और इस का कोई ना कोई हल निकाला जाये। इन हालात में यह ज़रूरी था कि इस के मुताल्लक जल्द अज़ जल्द फैसला किया जाये। अब सवाल यह है, जनाब, कि Ordinance है क्या? इस Ordinance की रू से जो तरमीम उस Parent Act में की गई है उसका नतीजा ज़मींदार के हक में है या उसके खिलाफ है? बहुत से मेरे मुअज़िज़ दोस्तों ने यह ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि वह किसानों के बड़े हमदर्द हैं और यही लोग उनके दु:ख को ज्यादा महसूस करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट को भी किसानों से उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि किसी और को। (*Cheers*)

और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए यह Ordinance वज़ह किया गया है। तो मैं कह रहा था कि जो पेरेंट ऐक्ट है उसके अन्दर यह कानून बनाया हुआ है कि स्कीम के अन्दर जितना एरिया होगा जिसको कि commanded area कहा जाता है, उस सारी ज़मीन पर यह बैटरमेंट लैवी लगेगी। अगर उस तरीके से जैसा कि इसमें पहले था, यह रकम वसूल की जाती तो ज़मीदारों पर ज्यादा भार होता और शायद मौजूदा सूरत में नाकाबले बरदाश्त होता। इसलिए यह तरमीम की जा रही है जो इस बिल की शक्ल में इस हाउस के सामने पेश है। यह levy सिर्फ matured area पर लगेगी। इस का मतलब यह हुआ कि जिस ज़मीन में पानी लगा है और उसमें जो फसल पैदा हुई है उस फसल का कुछ हिस्सा ज़मीदार betterment fee के तौर पर देगा। बहुत सारी तकरीरों में कहा गया कि खराबा हो रहा है और सेमज़दा इलाके की तरफ ख्याल नहीं किया गया है। मैं अर्ज़ करता हूं कि matured का जो लफ्ज़ है उसमें सारी बातें आ जाती हैं। जैसा कि मैं ने बताया गवर्नमेंट ने सिर्फ उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा लेना है जिसमें पानी लगा कर फसल पैदा हुई है।

यह ठीक है कि एजीटेशन manoeuvre किया गया लेकिन बावजूद इसके बड़ी भारी तादाद में वसूली हो रही है और irrigators बखुशी दे रहे हैं क्योंकि यह नाकाबले बर्दाश्त बोझ नहीं है। जैसा कि यहां पर कहा गया है। जनाबे आला, असूल के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया था और articles भी अखबारों में दिए गए थे कि सिरे से ही असूलन यह levy नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज की तकरीर मैं ने सुनी उसमें अमरीका का हवाला दिया गया और कहा कि वहां पर सूद कम होता है या वसूली का टाइम ज्यादा होता है। मैं कहता हूं कि बाहर के मुमालिक में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे इसी मुल्क की बाकी रियासतों में जैसे बाम्बे, मद्रास और कैरल में भी यह बिल बना और जहां पर लोगों को फायदा हुआ वहां पर betterment levy ली गई है। यह तसलीम शुदा असूल है। खुद इस हाउस में जब यह पेरेंट ऐक्ट बना, इस पर काफी गौरोखोज हुआ। मैं ने सारी प्रोसीडिंग्ज़ बड़े ग़ौर से पढ़ी हैं। यह मामला एक सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द हुआ था जिस में एक निहायत तजरबाकार और निहायत सयाने और पुराने लीडर थे और हर एक पार्टी का नुमाइंदा उसमें शरीक था। उस सिलैक्ट कमेटी में इसके असूलों पर विचार हुआ था। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदा श्री बचन सिंह शामिल थे, और अकाली पार्टी के सरदार गोपाल सिंह खालसा इसमें शामिल थे। जनाब वाला, सिलैक्ट कमेटी ने एक unanimous report दी थी। उसमें किसी का कोई इख्तलाफ नोट नहीं था।

चौधरी धर्म सिंह राठी : उसमें आपोज़ीशन का कौन था ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : बताया मैंने गोपाल सिंह खालसा आपोज़ीशन की भी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मैं कह रहा था कि उस सिलैक्ट कमेटी ने हर पहलू पर ग़ौर किया। और जो Parent Act था जोकि सन् 1953 से पहले यहां रायज था उसमें सिलैक्ट कमेटी ने दो proviso किए जिन में से एक प्रावाइज़ो जो बड़ा अहम था और जिससे बड़ा फायदा हुआ वह यह था कि—

> "Provided further that the amount of the betterment charges recoverable from any scheme will be limited to the difference between the investment on the scheme and such part of it as may make it productive."

तो जनाबआली, अब इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए pro-ductive और unproductive part को जुदा किया गया है। यहां पर यह भी कहा गया कि इल्क्ट्रीसिटी पर भार नहीं डाला गया। मुझे हैरानी है कि इस बात को क्यों बार बार दुहराया जाता है हालांकि यह बात अच्छी तरह से नशर हो गई है कि electricity पर 50 फी सदी इस का हिस्सा डाल दिया गया है। अब इस वक्त जो unproductive portion है वह सिर्फ 33 करोड़ रुपया है। यहां पर जो राठी साहिब ने figures रखे हैं वह पता नहीं कहां से ले आए, यह उनकी दिमाग़ की अपनी सूझ है। मैं ने पहिले भी कुछ figures हाउस में रखे थे और यह सारे figures जो work out किए गए हैं facts पर based हैं। तो

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि अगर उसी तरीके से हम calculate करते और यह चीज़ न होती तो शायद सौ करोड़ के करीब रुपया बनता था। मगर अब सिर्फ 33 करोड़ रुपया है जिस की हम ने अदायगी करनी है। मैं समझता हूं कि अगर यह जो unproductive part है इसकी अदायगी का भी हम इन्तज़ाम न करें तो अरसा गुज़रने पर पंजाब पर इतना ज़्यादा बोझ हो जाएगा कि शायद कभी भी यह देने की position में न हो सके।

जनाबेआली, कुछ सुझाव सरदार अजमेरसिंह, सरदार भाग सिंह और कुछ दूसरे फाज़िल दोस्तों की तरफ से दिए गए हैं। यह कहा गया है कि जो rate of interest है उस को कम करने की कोशिश नहीं की जाती। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मौजूदा Government ने इस बारे में पूरी कोशिश की है और इस case को पूरे ज़ोर से represent किया था। मुझे खुशी है कि जो सूद हमने 1 अप्रैल, 1958 तक $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत के हिसाब से देना था वह घटा कर Finance Commission ने 3 प्रतिशत कर दिया है। इस मामले को यहीं drop नहीं कर दिया गया, हो सकता है जो next Finance Commission, Government of India की तरफ से मुकर्रर हो इस पर मज़ीद गौर करे और मैं House को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस सिलसिले में Government कोशिश करेगी कि जो आयंदा रकूमात करज़े के तौर पर मिल रही हैं उन पर हमें तीन फी सदी भी सूद न देना पड़े। हम पूरे ज़ोर से Government of India और next Finance Commission के सामने अपना case पेश करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਇਹ compound interest ਹੈ ਜਾਂ simple interest ਹੈ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : यह compound interest है। मैं ने पहली Governments की figures देखी हैं। उन्होंने 1950 या 1951 तक जो सूद की रकम होती थी उस को State के revenues से अदा करने की कोशिश की और करते रहे लेकिन उस के बाद हमारी तरफ से सूद अदा नहीं हुआ। जो सूद है वह capitalize होकर रकम में मिल जाता है और फिर सूद पर सूद लगता है। इसलिए अगर इस चीज़ को हल कर लिया जाए तो निहायत ही अच्छा होगा। जब Finance Commission और Government of India के सामने इस मसले को रखा जाएगा तो उन की तवज्जो इस की तरफ भी लाज़मीतौर पर दिलाई जाएगी।

स्पीकर साहिब आज मैं ने किसी मैम्बर साहिब की तरफ से कोई खास तामारी सुझाव नहीं सुना। जनाबेआली, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो resolution आया है, जिस बिना पर यह resolution लाया गया है उस की कोई बुनियाद ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि जो Parent Act इस House ने खुद बनाया जोकि इस वक्त

पंजाब में नाफिज़ है उस में इस ordinance के ज़रिए तरमीम की गई है । यह तरमीम किसान के फायदे के लिए की गई है न कि उसके नुकसान के लिए । इस से उस के burden को कम करने की कोशिश की है । इस के इलावा वसूली को और ज़्यादा सहल करने की कोशिश की गई है और जो tax का असूल होता है कि tax within the paying capacity हो उस को मद्देनज़र रखा गया है । हम ने यह फैसला किया है यह matured areas पर यानी जिस वक्त ज़मीन से पैदावार किसान के घर आए उस वक्त यह रकम वसूल की जाए । जनाबेआली जो rates हैं उन पर अगर आप गौर करें तो लाज़मीतौर पर आप इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि वह paying capacity के असूल को मद्देनज़र रखते हुए मुकर्रर किए गए हैं । जिन की ज़मीनें बारानी थीं उन की पैदावार में बड़ा इज़ाफा हुआ है । बहुत से इलाके हमारे East Punjab में ऐसे थे जो महज़ irrigation की facilities न होने की वजह से अनाज पैदा नहीं कर सकते थे । मगर आज पानी मिलने के बाद वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया जा रहा है । मैंने देखा है कि जिस बारानी ज़मीन में पहले एक acre में 3 मन गंदम पैदा होती थी वहां लाजमीतौर पर अब ज्यादा पैदावार होती है । मैंने हिसार और सिरसे का इलाका देखा है । वहां पर किसानों की ज़मीनों की पैदावार में considerable इज़ाफा हुआ है । मैं अर्ज़ करता हूं कि Parent Act को पास करते वक्त जो proceedings हुई थी उस वक्त यह ज़ोर दिया गया था कि अनाज के rates नहीं बढ़ने और ज़मींदारों ने दब जाना है । लेकिन यह fact है और सब जानते हैं कि उस दिन से निर्ख बहुत बढ़े हैं कम नहीं हुए । इस के बावजूद भी लोग उस में से कुछ रकम Government को न देना चाहे तो वह मुनासिब बात न होगी । मैं अर्ज़ करता हूं कि जो ordinance इस वक्त लाया गया है वह निहायत जरूरी था और हालात के मुताबिक हमारे लिए और कोई चारा नहीं था । इसलिए यह कहना कि वह disapprove किया जाए मुनासिब नहीं । इन अलफाज के साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि हाउस मुतफिक्का राए से इस resolution को reject करे ।

1.00 p.m.

Mr. Speaker : Question is —

This House disapproves the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Ordinance, 1959 (Punjab Ordinance No. 1 of 1959).

The Assembly then divided :

Ayes .. 18

Noes .. 65

The motion was declared lost.

[Mr. Speaker]

AYES

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Baldev Parkash, Dr.
3. Balram Das Tandon, Shri.
4. Baru Ram, Chaudhri.
5. Bhag Singh, Dr.
6. Bhala Ram, Shri.
7. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
8. Gurwaryam Singh, Sardar.
9. Hukam Singh, Shri.
10. Jagdish Kaur, Kanwarani.
11. Jangir Singh, Comrade.
12. Karam Chand Sidhu, Shri.
13. Lal Chand, Shri.
14. Mangal Sein, Shri.
15. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
16. Sadhu Singh, Sant.
17. Sher Singh, Shri.
18. Shri Ram Sharma, Pandit.

NOES

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
3. Ajmer Singh, Sardar.
4. Amar Nath Sharma, Shri.
5. Amar Nath Vidyalankar, Shri.
6. Atma Singh, Sardar.
7. Baloo Ram, Shri.
8. Balwant Singh, Sardar.
9. Bhag Singh, Sardar (Ludhiana).
10. Bhagirth Lall Shastri, Pandit.
11. Bhupinder Singh, Sardar.
12. Chambel Singh, Chaudhri.
13. Chanda Singh, Sardar.
14. Charan Singh, Sardar.
15. Dasondha Singh, Chaudhri.
16. Dev Raj Anand, Shri.
17. Dhanna Singh Gulshan, Sardar.
18. Gajraj Singh, Rao.
19. Gian Singh Rarewala, Sardar.
20. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar.
21. Gurbanta Singh, Sardar.
22. Gurdit Singh, Sardar.
23. Harbans Lal, Shri.
24. Harbans Singh, Sardar.
25. Harchand Singh, Sardar.
26. Hari Ram, Shri.
27. Harnam Singh, Sardar.
28. Harparkash Kaur, Bibi.
29. Jagat Ram, Shri.
30. Jagdish Chand, Shri.
31. Jagraj Singh Gill, Sardar.
32. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
33. Kartar Singh Dewana, Sardar.
34. Kartar Singh, Gyani.
35. Kirpal Singh, Sardar.
36. Krishna Sethi, Shrimati.
37. Kundan Lal, Shri.
38. Lahri Singh, Chaudhri.
39. Mani Ram, Shri.
40. Mehar Singh, Thakur.
41. Mihan Singh, Sardar.
42. Multan Singh, Shri.
43. Nanhu Ram, Shri.
44. Om Prabha Jain, Shrimati.
45. Parkash Kaur, Shrimati.
46. Partap Singh, Bakshi.
47. Partap Singh, Master.
48. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
49. Rajinder Singh, Sardar.
50. Ram Piara, Shri.
51. Ram Parkash, Shri.
52. Ran Singh, Shri.
53. Roshan Lal, Shri.
54. Sadhu Ram, Chaudhri.
55. Sarla Devi Sharma, Shrimati.
56. Shri Krishan Shastri, Shri.
57. Sohan Singh, Sardar.
58. Sohan Singh, Jalal-Usman, Jathedar.
59. Sumer Singh, Shri.
60. Suraj Mal, Chaudhry.
61. Teja Singh, Subedar.
62. Umrao Singh, Shri.
63. Waryam Singh, Sardar.
64. Waryam Singh, Sardar (Bhagowal).
65. Raghuvir Singh, Raja.

RESOLUTION REGARDING DISAPPROVAL OF THE ELECTRICITY (SUPPLY) (PUNJAB AMENDMENT) ORDINANCE, 1959 (PUNJAB ORDINANCE No. 2 OF 1959)

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

That this House disapproves the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Ordinance, 1959 (Punjab Ordinance No. 2 of 1959).

स्पीकर साहिब, मैं इस के बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो Parent Act है जिसके तहत कि यह सारी कार्यवाही हो रही है यह Central Government ने 1939 में बनाया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब इतने दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और उस से पहिले दिसम्बर में हमारे असैम्बली का इजलास था तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ और स्पीकर साहिब, 11 फरवरी से बजट सैशन भी शुरू होना था। इसलिए 28 जनवरी को एक दम यह ordinance पास कर देना और गज़ट कर देना कोई मानी ज़ाहर नहीं करता कि कोई ऐसे हंगामी हालात थे या कोई ऐसी बात थी। स्पीकर साहिब, क्या चन्द रोज़ के लिए इन्तज़ार नहीं कर सकते थे ? स्पीकर साहिब, इस गवर्नमेंट को सारा काम ordinance के ज़रिए करने की आदत पड़ गई है। अंग्रेज़ के ज़माने में भी यही होता था कि हरेक काम आर्डिनेंस के ज़रिए होता था। खासतौर पर जब उन का जाने का वक्त आया तो उन्होंने और भी ज़्यादा आर्डिनेंस पास करने शुरू कर दिए। इसलिए अब इन का भी जाने का वक्त आया है क्योंकि जब आर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है तो वह आखरी सहारा होता है। यह जो आर्डिनेंस गज़ट किया है इस का मुद्दा यह है कि electricity का सारा का सारा management और कंट्रोल बोर्ड के transfer कर दिया जाए। स्पीकर साहिब, यह बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बिजली का महकमा ऐसा था जिस से पंजाब को बड़ी आमदन हो सकती थी और यह आमदन भलाई के कामों में लगाई जा सकती थी लेकिन स्पीकर साहिब, एक autonomous board बना कर गवर्नमेंट ने एक आमदन का जरिया छीन लिया है।

1—14 p.m.

(At this stage Sardar Ajmer Singh, a member of the Panel of Chairmen, occupied the chair.)

चेयरमैन साहिब, पहले हमें हक था कि हम असेम्बली में बिजली के महकमा पर बहस करें लेकिन अब वह सारा का सारा कंट्रोल बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया है। मुझे हैरानी होती है कि बोर्ड के तीन आदमियों में से हरियाना का कोई नहीं इसलिए हम किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पर हमारा कोई नुमायंदा न हो वहां हमारे इलाके के साथ इनसाफ होगा। नान-आफीशियल अभी बने नहीं। चेयरमैन साहिब, हमारे यहां से भी काबिल आदमी मिल सकते थे, retired आदमी मिल सकते थे लेकिन इधर का कोई आदमी नहीं लिया गया। हमारे इलाके की तो यह हालत है कि खम्बे हैं लेकिन बिजली नहीं, रजबाहे हैं लेकिन उन में पानी नहीं, चकोतरे हैं नम्बरदार नहीं। इस से बुरी बात यह है कि जब यह मामला बोर्ड के हाथ में आ जायगा तो हमारे लिए और भी बुरा हो जाएगा क्योंकि बोर्ड में हमारा कोई

[Chaudhri Dharam Singh Rathi]

आदमी नहीं । जब connection लेने का सवाल आयगा, line लगाने का सवाल आयगा तो उस में हमें बहुत दिक्कत पेश आयगी क्योंकि हरियाना का इस में कोई नुमायंदा नहीं । इस के अलावा, चेयरमैन साहिब, यही नहीं उस के बाद कौंसिल बनेगी और एडवाइज़री कौंसिल के अन्दर 11 मैम्बर होंगे । चेयरमैन साहिब, आप देखिए कि उसमें किसानों के कितने नुमायंदे होंगे आप भी किसानों के घराने से ताल्लुक रखते हैं ।

(1) One member to represent the Local Self-Government.

(2) One member to represent the Electricity Supply Industry.

(3) One member to represent the Commerce.

(4) One member to represent Agriculture.

(5) One member to represent Transport.

(6) One member to represent labour employed in the electricity supply industry.

(7) One member to represent the village industries.

(8) One member to represent the State-owned and aided industries.

(9) One member to represent other industries.

(10) One member to represent the general interest of consumers of electricity.

(11) One member to represent the departmental labour and staff.

इसमें खेती करने वालों की अच्छी नुमायंदगी होनी चाहिए जिस से उन में भरोसा हो कि उन को tube-wells के लिए connection मिल सकेंगे । चेयरमैन साहिब, अगर यही पोज़ीशन है और Electricity Board का यही मतलब है कि हरियाना को बिजली नहीं देनी, किसान को बिजली नहीं देनी तो इसका कोई फायदा नहीं । खास तौर पर मैं इस की इसलिए मुखालफ़त करता हूं कि बोर्ड बनने से सारा का सारा काम हमारे हाथ से जाता रहेगा । हमारे सारे अख्तियारात छीन लिए गए हैं । चेयरमैन साहिब, जो अख्तियारात गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए हैं इस का मतलब यह होगा कि board की nomination सारा पुलिटीकल मामला होगा । इस तरह जो इलेक्शन में अपने आदमी हारे होंगे उन को provide किया जायगा ।

सिंचाई मंत्री : लैजिस्लेचर का मैम्बर इस में नहीं लिया जायगा ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ने कहा है कि जो लेजिस्लेचर के मैम्बर इलैक्शन में हार जायेंगे उन को बोर्ड में nominate कर दिया जाया करेगा । आप बेशक मुलाहज़ा कर लें कि अपने आदमियों को इस में लिया जाता है और खासकर उन आदमियों को लिया जाता है जिन्हें इन महकमों का पता नहीं होता ।

चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस गवर्नमेंट का कोई भी nomination मुलाहज़ा कर लें तो आप को पता लगेगा कि उस में जानबदारी से काम लिया गया है । यह Ordinance भी anti-democratic है और उस में जमहूरियत का नामोनिशां नहीं है । इस से साफ तौर पर सारे इख्तियारात अफसरों और मुलाज़मों के हाथ में आ

जायेंगे। हमें पहले ही Co-operative movement का इस बारे में काफ़ी तजरुबा है और पता है कि इस Department में काम किस तरीके से चल रहा है। हमें पता है कि University autonomous body है उस में जनता को कोई नहीं पूछता। हरियाना बहुत backward है इसे पहले ही नज़रअंदाज़ किया जाता है। इस board में इस का कोई नुमाइंदा नहीं लिया जायेगा न ही जैतो के हलके में से कोई आदमी इस board में nominate किया जायेगा।

श्री चेयरमैन : वह तो Punjabi Region में है। [It is in the Punjabi Region]

चौधरी धर्म सिंह राठी : पंजाबी रीजन का कोई हक हो तो वह जैतो हलके को मिलना चाहिए।

सरदार करतार सिंह दीवाना : क्यों Pepsu को छोड़ दिया ?

Mr. Chairman : Order please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जहां तक Electricity Board का ताल्लुक है, मैं बार २ अफसरान के पास गया और उन से अर्ज़ की कि फलां हलके में बिजली नहीं गई। लेकिन हालत यह है कि जहां जहां अफ़सरान के रिशतेदार हैं वहां बिजली supply की जाती है और बीच में गांव के गांव छोड़ दिये जाते हैं। अगर इसी तरह से अफ़सरान के हाथ में control दिया गया तो इस board से भी इनसाफ की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह ordinance पास कर के लोगों के हकूक पर छापा मारा है। मैं इसे एक तरह से challenge समझता हूं, पब्लिक के लोग challenge समझते हैं कि इस तरीके से बिजली के सम्बन्ध में सारे इख्तियारात बोर्ड को नहीं सौंप देने चाहिएं। इस की constitution सें election के तरीके को अपनाना चाहिए यानी consumers की राये से Board बने न कि गवर्नमेंट जिसे चाहे बोर्ड का मैम्बर बना दे। यह जमहूरी राज है, प्रजातंत्र राज है, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वालों का राज है लेकिन जब हम इस राज के अमलीतौर पर कारनामे देखते हैं तो हमें हैरानी होती है। हमारी सरकार सारी चीजें अफ़सरान के हाथ में रखना चाहती है और जनता के हाथों में कुछ नहीं छोड़ना चाहती। यह पंजाब के अन्दर गैर-जमहूरी हकूमत और dictatorship कायम करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि डाक्टर साहिब हंस रहे हैं और वह इसलिए खुश हैं कि वह सारे का सारा capital सरमायादार को देना चाहते हैं। और किसानों से छीनना चाहते हैं। वह इस ordinance को पास कर के खुश हैं, रंज अगर है तो सरदार भूपिन्द्र सिंह मान को, बाजवा साहिब को या दूसरे खेती वालों को जो connections लेकर tube-well लगाना चाहते हैं। मैं किसी अफसर की नियत पर हमला नहीं करता लेकिन मैं यह हरगिज़ नहीं चाहता कि ऐसे इख्तियारात उन अफसरों के हाथों में दिये जायें जो गवर्नमेंट के nominated हों। मैं ज्यादा न

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

कहते हुए यह अर्ज़ करूंगा कि हमारी सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहती है। वह हमेशा यह कहा करते थे कि हर एक इख्तियार लोगों के नुमायंदों के हाथ में होना चाहिए। मैं हाउस से गुज़ारिश करूंगा कि वह इस resolution को पास करे और सरकार से अपील करूंगा कि वह नाफिज़शुदा ordinance को वापस ले ताकि पंजाब के अंदर अमन और सकून कायम हो। चेयरमैन साहिब, मैं एक मिनट लूंगा और उन वज़ीर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं जो अपने आप को सेवक वज़ीर कहते हैं। मैं सेवक वज़ीर साहिब से प्रार्थना करूंगा कि नाम नाम के सेवक न रहें बल्कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलें। मैं सेवक वज़ीर के मुताल्लिक जानता हूं कि इन्हें कितना सुनाई देता है, कितना दिखाई देता है, कितना समझ सकते हैं उन को अच्छी तरह जानता हूं।

Mr. Chairman: Please be relevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : इन इलफाज़ के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस resolution को पास करें और ordinance को disapprove करें।

Mr. Chairmn : Motion moved

That this House disapproves the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Ordinance, 1959, (Punjab Ordinance No. 2 of 1959)

पण्डित श्री राम शर्मा (सोनीपत): चेयरमैन साहिब, Electricity Board कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ordinance promulgate किया था जिसे अब बिल की शक्ल में पास किया जा रहा है। मैं असूलन इस बात के खिलाफ़ नहीं कि कारोबारी चीज़ों के लिए अगर autonomous Boards बना दिये जायें तो कोई बुरी बात है। हर हालत में यह कहना कि ऐसा बोर्ड हरगिज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह Democracy के खिलाफ़ है मैं इस चीज़ को तसलीम नहीं करता। कारोबारी चीज़ों में Board काम को ज़्यादा होशियारी और काबलियत से चला सकता है। Electricity के इलावा अगर Irrigation का बोर्ड भी separate कर दें तो रोज़ २ की interference खत्म हो जायेगी और काम अच्छा होने की उम्मीद हो सकती है। मेरे ख्याल में Public Service Commission और University जो autonomous bodies हैं उन की निस्बत गवर्नमेंट के महकमों में ज़्यादा खराबियां हैं। मैं यह बात नहीं मानता कि किसी हालत में board बना देना जमहूरियत के खिलाफ बात है लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को यह बात समझनी चाहिए......

[The hon. Member Pandit Shri Ram Sharma was still in possession of the House.)

The Sabha then adjourned till 3 p. m. the same day i.e. Friday, the 20th March, 1959.

6180—350—C.P. and S., Chandigarh.

ANNEXURE 'A'

(Please see foot-note at page (23)26 of this debate, dated the 20th March, 1959) (Morning Sitting)

DEATH BY ELECTRICITY SHOCKS

***3886. Sardar Rajindar Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of persons died in the State during the years 1957 and 1958 separately due to the electric shocks;

(b) whether any inquiry was conducted into the cause and responsibility in each case ; if so, with what result;

(c) whether any compensation was paid to any family after inquiries where death was due to defect in electric wiring or other such defect?

Sardar Gian Singh Rarewala : The position so far as accidents on the erstwhile Electricity Branch Works are concerned, is as below—

(a) 1957—31.

1958—26.

(b) Yes. 22 deaths were due to the defects in electric installation and 28 (13 of minor boys and 15 of adults) were due to their own fault as the enquiries made in the matter revealed that the deceased climbed the electric poles playfully and lost their lives. In seven cases the victims were Branch employees.

(c) Yes. For the period Government had direct charge of the Electricity Branch, compensation was sanctioned in 7 cases of employees who died while on duty. Sixteen cases of compensation are under consideration of the Board. No compensation is due in the remaining cases as in each case the deceased himself was at fault.

The information regarding similar accidents which may have occurred because of the defects in the internal installations etc. and on the works of other licensees in the State is being collected and will be supplied later.

6180 PVS—350—C.,P. & S,Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

20th March, 1959 (Afternoon Sitting)

VOL. I—NO. 24

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, 20th March, 1959

P.T.O.

CHANDIGARH:

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab, 1959

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 24,

DATED THE 20TH MARCH, 1959 (Afternoon Sitting)

Read	*for*	*on page*	*line*
ਢੰਗ	ਢੰਕ	(24)7	3rd from below
ਹੋਣੀ	ਹੋਟੀ	(24)17	13
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ	ਅਜਮਰ ਸਿੰਘ	(24)18	5th from below
ਮੁਕੱਰਰ	ਦੁਕੱਕਰ	(24)19	5
ਸੂਦ	ਸਦ	(24)21	1
ਹੋਵੇਗੇ	ਰੋਵੇਗੇ	(24)21	4th from below
ਨਹੀਂ	ਨੀ:	(24)23	11th from below
ਵਡੇ	ਕਡੇ	(24)23	8th from below
कानों	कानां	(24)28	18
और	अर	(24)29	3
यह	य	(24)38	10
यहां	हां	(24)38	11
और	औ	(24)38	14
restricted	restrictled	(24)42	10
ਜਾਣੀਏ	ਜਾਈਏ	(24)42	24
he	the	(24)46	52
खुले अलफाज	अलफाज	(24)51	23
Boards	Board	(24)63	34

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 20th March, 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 3.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I request that the Question Hour be dispensed with.

Mr. Speaker : The Question Hour is dispensed with.

RESOLUTION

under clause 2 (a) of Article 213 of the Constitution regarding the disapproval of the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Ordinance, 1959 (Punjab Ordinance No. 2 of 1959) (Resumption of discussion of—).

Mr. Speaker : Pandit Shri Ram Sharma was in possession of the House, when it adjourned earlier at 1.30 p.m. He may resume his speech on the Resolution.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, बिजली के मुताल्लिक Ordinance जारी हुआ था उस पर दो घंटे वाली बहस चल रही है। मैं ने यह अर्ज़ किया था कि इस में डिमौक्रेसी और बे-डिमौक्रेसी वाली बात नहीं है क्योंकि जिस तरीके से हमारी गवर्नमैंट के कागज़ात चलते हैं इस तरह से अगर कोई बोर्ड बना कर भी काम उस के सुपुर्द कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जहां तक इस Ordinance का ताल्लुक है सरकार ने इस के ज़रिये बिजली के महकमे का काम एक बोर्ड के ज़िम्मे कर दिया है जो कि पहले इस के ज़िम्मे था और इस Legislature पर इस का यह असर होगा कि न तो कोई आदमी इस हाउस में बिजली के बारे में बहस कर सकेगा और न ही सवाल पूछ सकेगा। बाकी जिस तरह यह महकमा चलता है वह तो वैसे ही चलता रहेगा मगर इस के मुताल्लिक हम कुछ पूछताछ नहीं कर सकेंगे। आप जानते हैं कि जब यहां पर demands पेश होती हैं तो हर महकमे की अन्धेरगर्दी और अच्छे कामों पर रोशनी पड़ती है मगर बिजली के महकमे के बारे में जो कि शायद पानी के बाद बल्कि शायद पानी से भी ज्यादा ज़रूरी है यह बात इस Ordinance और बिल का जो मस्वदा है उस के मुताबिक खत्म की जा रही है। मैं इस बात पर ज़िद नहीं करता कि गवर्नमैंट कोई काम किसी बोर्ड के सुपुर्द न करे बेशक कर दे क्योंकि मैं जानता हूँ कि गवर्नमैंट जो काम खुद भी चलाती है उस में भी कोई बेहतरी की सूरत नहीं है लेकिन यह बात ज़रूर है कि जो काम गवर्नमैंट के हाथ में है उस के मुताल्लिक

[पंडित श्री राम शर्मा]

Legislature को कुछ कहने और सुनने का हक है मगर मैं डरता हूँ कि अब बिजली के महकमे के मुताल्लिक हमें यहां पर कुछ कहने-सुनने का या कुछ मालूम करने का हक भी नहीं रह जायेगा। दरअसल यह बात नहीं होती कि अगर किसी काम को किसी बोर्ड या किसी body के सुपुर्द कर दिया जाए तो उस के साथ ही यह सारी चीज़ें चली जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। यह बिल बनाते वक्त ऐसी बातें कर सकते हैं कि जिस से इस काम का management और control बेशक बोर्ड के हाथ में चला जाए लेकिन फिर भी किसी हद तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर Legislature का management और कन्ट्रोल भी जारी रहे, वह इस की देख भाल कर सके। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जो हो ही नहीं सकती। Centre में ऐसी ही बात में जहां कोई बोर्ड वगैरह बना कर कोई काम उस को सौंपा गया है वहां पर उन्हों ने इस किस्म के लफ्ज़ उस Act में रख दिये कि जिस से Legislature को पूछताछ और देखभाल का हक बना रहे। मुझे जो बात यहां नज़र आ रही है उस की बिना पर मैं इस Ordinance को disapprove करने के हक में हूँ। अगर यह काम सरकार से नहीं चल सकता या ऐसी इन को हिदायत है तो बेशक बोर्ड को यह काम दे दिया जाए क्योंकि गवर्नमैंट के काम में भी खराबियां निकलती हैं और मुमकिन है कि बोर्ड के इस काम को ले लेने से इस में कोई बेहतरी भी हो जाए लेकिन इस में ऐसे अलफाज़ आने चाहियें कि जिन से Legislature को इस बारे में सवाल पूछने का हक हो। मैं यह नहीं कहता कि हर minor मामले में भी इसे यह हक हो लेकिन बाज़ ऐसी अहम बातें होती हैं जिन के मुताल्लिक पूछताछ का हक Legislature को होना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि जो बातें संजीदा किस्म की हों उन के मुताल्लिक हाऊस में पूछताछ हो सके और वज़ीर साहिब उस का जवाब दें। Legislature को यह बिल पास करने, इस पर गौर करने, इस को वापिस लेने या इस को amend करने का इख्तयार है। इसलिये अगर कुछ देर बाद हाउस देखे कि इस बोर्ड ने काम अच्छी तरह से नहीं किया तो वह इस को तोड़ भी सके। यह नहीं कि एक बिल पास होने के बाद यह हमेशा के लिये independent हो जाए। हम आज उन को यह इख्तयार देते हैं। अगर कल हम देखें कि वह बोर्ड अच्छा काम नहीं करता तो यह हमारा यानी गवर्नमैंट का inherent right है कि वह उस बिल को वापिस ले ले। अगर यह बात नहीं रखी जाती तो उस सूरत में हम इस पर न तो बहस कर सकते हैं और न ही कोई सवाल पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस के बाद जब बिजली के बारे में यहां कोई मामला आयेगा तो वज़ीर साहिब के पास बना बनाया जवाब होगा कि हाउस ने वह बिल पास कर दिया था और हम इस महकमे का management और control बोर्ड को दे चुके हैं। इस लिये मैं किसी बात के लिये ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप बहस क्या कर रहे हैं। मैं ने कोई अनोखी और अजीब बात नहीं कही है। आप Centre से यह बात मालूम कर सकते हैं। वहां पर आए दिन ऐसी बातें आती हैं, बोर्ड बनते हैं, महकमों का control, management और निगरानी उन के हवाले की जाती है लेकिन उस में वह ऐसे

अलफाज़ भी रख देते हैं कि Legislature को निगरानी करने का, अहम मामलों पर सवाल पूछने का हक बरकरार रहता है। मुझे पता है कि आप majority के सहारे इस resolution को पास नहीं होने देंगे। लेकिन मैं suggestion देता हूँ कि वह इस बिल में ऐसे अल्फाज़ ज़रूर रखें कि Legislature को इस मामले पर discussion करने का हक रहे। अगर आप चाहें तो इस सिलसिले में Centre से भी दरियाफ्त कर लें। इस बोर्ड के काम की मोटी २ बातें देखना और इस के काम का अन्दाज़ा लगाना हमारा काम है। जब तक पंजाब गवर्नमैंट है, लैजिसलेचर है उस वक्त तक यह हमारा right रहता ही है कि हम जब चाहें इस बोर्ड को तोड़ दें और इस के काम को अपने हाथ में ले लें। मैं चाहता हूँ कि हम इस में ऐसे अल्फाज़ रखें कि वज़ीर साहिब को यह गुंजायश न रहे कि वह खड़े हो कर कह दें कि यह भी University और Public Service Commission की तरह से autonomous body है। इस लिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और इस की बहस का कोई फायदा नहीं है। एक बात तो यह मैं गवर्नमैंट के ध्यान में लाना चाहता था।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह कि पंजाब में Regions बने हुए हैं और development का उन के साथ खास ताल्लुक जोड़ा हुआ है चाहे अमल होता हो या न, कम से कम लिखाई में ऐसा है। अब बिजली का development के साथ गहरा ताल्लुक है। आजकल के ज़माने में बिजली खेती के लिये भी ज़रूरी है जहां पर नहरों का पानी नहीं पहुँचता। दस्तकारियों और लोगों के आराम के लिये भी इस की बड़ी ज़रूरत है। बिजली आम ज़रूरियात ज़िन्दगी का एक बहुत बड़ा पहलू बन गया है। हमारा Region पिछड़ा हुआ है दस्तकारी के लिहाज़ से भी और खेती के लिहाज से भी। यह बोर्ड क्या बनेगा, एक तरह का bureaucratic नौकरशाही नज़ाम होगा। आज वज़ीर साहिब या गवर्नमैंट ठीक काम नहीं करती। यह बात सच है मगर हमें इन को कहने, असैम्बली में बताने का रास्ता तो खुला है। इस बोर्ड के बनने के बाद तो यह बिल्कुल लाल झंडी ही दिखा देंगे। जैसे राठी साहिब ने बताया था कि जो Board of Directors बना है या आयंदा और बनाया जाएगा उस में कोई भी ऐसा आदमी नज़र नहीं आता और न ही काफी अर्से तक ऐसा आदमी उस में आने की उम्मीद हो सकती है जिस का उस इलाके से ताल्लुक हो। मैं यह नहीं कहता कि इस इलाके के लोग सब अच्छे हैं और दूसरे के बुरे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर किसी इलाके का आदमी वहां पर होता है तो वह आस-पास के हालात से वाकिफ होता है और उसे interest भी होता है, दिलचस्पी भी होती है। इस लिए जो Board बनाया जा रहा है उसकी management और निगरानी के लिये क्या किया जा रहा है यह सोचने की बात है। क्योंकि इसमें कोई नई जगहें तो होंगी नहीं। और फिर जिस region से इसका ताल्लुक होगा उस के लिये इस Board में 5 फीसदी भी गुंजाइश नहीं है। हालांकि 95 फीसदी control इस इलाके पर बोर्ड का होगा। मैं इलज़ाम नहीं लगाता कि बोर्ड का इन्तज़ाम बेहतर न होगा। इन्तज़ाम ज़रूर बेहतर

[पंडित श्री राम शर्मा]

होगा। और हो सकता है बदइन्तज़ामी न हो। इस Board पर खर्च होगा और होना भी चाहिये लेकिन जिस का आधे पंजाब से नहीं 45 फीसदी पंजाब के इलाके से सम्बन्ध है, वहां का कोई भी नुमाइन्दा न हो यह अच्छा न होगा। जिस इलाके को आप तरक्की देना चाहते हैं उसका कुछ claim भी बनता है। आप इस इलाके को develop करना चाहते हैं इस लिये जरूरी है कि हरियाणा प्रांत को Board पर nomination मिलनी चाहिये। कहने की बात तो अब ही थी इसलिये अर्ज़ कर दिया चाहता हूं। आइन्दा कहने की बात नहीं रहेगी। निगरानी के काम के लिये ज़रूरी है हरियाणा को नुमाइन्दगी दी जाए।

इसके साथ ही मैं अर्ज़ करूं कि यह कोई नया बोर्ड नहीं बनाया जा रहा और Boards Centre में भी बने हुए हैं और जिन पर control Legislature का है। Minister का कुछ न कुछ control जरूर होना चाहिये। यह ठीक है कि day-to-day काम में हम interfere नहीं कर सकते लेकिन जहां तक काम की निगरानी का सम्बन्ध है ज़िम्मेदारी Government पर पड़ती है। इसलिये management और control इस तरह का होना चाहिये कि Legislature को हक हो। इसकी service में सरकार का इन्तज़ाम नहीं हो सकता और न होना चाहिये लेकिन कुछ न कुछ हो भी सकता है अगर सरकार चाहे तो। हमने देखा है कि सरकार जो काम करना चाहे उसके करने का ढंग निकल आता है। इतना शोर मचा लेकिन Betterment Levy Ordinance जारी कर दिया गया और अब बिल भी पास करवा लिया जाएगा लेकिन जिस बात पर ग़ौर न करना हो उस पर ग़ौर नहीं किया जाता। आपने देखा होगा Gurdwara Act पास करना था, तो उसे बगैर पूरा वक्त दिये सुबह से शाम तक पास कर लिया गया। यह सरकार सही या ग़ल्त तरीके से काम करने की आदी है। इस लिये इस बात पर पहले ही ग़ौर करके इसका इन्तज़ाम करना चाहिये, नहीं तो अगर Board का इन्तज़ाम चलेगा और Legislature को control का हक्क न दिया गया उस सूरत में अगर बोर्ड अच्छी तरह से function नहीं करेगा तो Legislature उस का काम किस तरह से check करेगा? हमारी management तो है नहीं। Management को इस तरह का बनाने का इन्तज़ाम किया जाए कि इस के management पर हमारे इलाका से जिस की आबादी सूबा की 45 फीसदी है कोई आदमी लिया जाए। Regional Committees का भी इस पर किसी हद तक कन्ट्रोल होना चाहिये।

इसके इलावा बिजली और development का गहरा ताल्लुक है। बिजली से दस्तकारी और दूसरे काम चलाए जाते हैं। फिर खेती को ठीक और बेहतर ढंग से करने की ज़रूरत है। इस किसम की गुन्जाइश इस Board के बन जाने से नज़र नहीं आती। यह देखने की ज़रूरत है कि industry के लिये कहां पर

रियाइत की ज़रूरत है। इन तमाम बातों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि Legislature का Control Board पर हो। इसी लिये मैं इस Ordinnce को disapprove करने के हक्क में हूँ। जो बातें इस में नहीं हैं और जिन्हें मैं चाहता था वह ज़रूर होनी चाहियें, approve तो यह करवा लेंगे लेकिन यह बात ध्यान में रखने की है कि जहां तक इस से ताल्लुक रखने वालों की बात है गवर्नमैंट खुद इस पर खर्च कर रही है। इस लिये इन्हें control में लाया जाए। जो powers सरकार इन्हें दे रही है इसमें Legislature और Regional Committees की निगरानी और देख भाल के बारे में provision ज़रूर किए जाने चाहियें। यह नहीं कि nomination का हक तो सरकार के पास हो लेकिन Legislature का इस की proper working के बारे में कोई control न हो। और पिछली तरफ का रास्ता खुला रहे। और भी Board होते हैं और उनमें control में सरकारों का हाथ होता है। इस बिल में ऐसे अल्फाज़ डाले जा सकते हैं कि Legislature का हक्क मुनासिब तौर पर और एक खास हद तक बना रहे।

मैं समझता हूँ कि autonomous Board का बनाना गल्त नहीं लेकिन उस पर किसी न किसी तरह से control रखना ज़रूरी है। बाकी जिस तरीके से यहां पर तकरीरें की जाती हैं और बातें कही जाती हैं ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें। हमारी discussion का और बातें करने का ढंग ऐसा होना चाहिये कि जो सरकार को बुरा न लगे। यह बात तो नहीं कि हम उन्हें खुश करने के लिये यहां पर इस तरफ बैठे हैं और उनकी किसी गल्ती पर कोई बात न कहें लेकिन एक हद तक यह बातें कहनी चाहियें। न सरकार को इस तरह कहना चाहिये न और साहिबान को। मैं समझता हूँ कि गवर्नमैंट को भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। वे मानेंगे तो नहीं लेकिन उन को माननी चाहियें ताकि हाऊस में decorum रखा जा सके और ज़ातियात में न आया जाए।

आखिर में मैं इतनी अर्ज़ कर दूं कि जो Electricty Board Bill बनाया गया है इसमें अगर ऐसे provisions कर दिए जाएं कि Legislature का control Electricity Board पर हो जाए तो मुझे इस बोर्ड के बनाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहिब, Ordinance के बारे में कुछ खदशात यहां पर ज़ाहिर किए गए हैं। जहां तक इस Ordinance का ताल्लुक है पंडित जवाहर लाल जी ने भी इसकी अहमियत को तसलीम किया है। यह कहा गया है कि यह technical किस्म की चीज़ है। वह पूरी हो सकती है और होनी चाहिये लेकिन इस तरीके से हो कि सरकार कोई पालेसी lay down करे और उस पर बोर्ड कारबन्द रहे। जहां तक Ordinance का ताल्लुक है वह तो ज़ाहिर ही है कि इसको लागू करने का सवाल कैसे पैदा हुआ। यह एक emergency की चीज़ थी। राजस्थान और दूसरी

[राओ गजराज सिंह]

States का भी इससे सम्बन्ध है। Centre का भी है। इस लिये इस Ordinance को जारी करना ज़रूरी था। लेकिन इस बात की तरफ मैं खास तौर पर सरकार की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और Minister साहिब से खास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वह इस की language को इस तरह से बना दें कि जो खदशात पैदा हो गए हैं वह दूर हो सकें। जो Parent Act में Control Board की definition है उसे clear करने की ज़रूरत है। Management और control की definition को clear करने की ज़रूरत है। फिर इस में technical control और administrative control की बात आती है। यह दोनों सिर्फ बोर्ड के हाथों में दे देने से यह खदशात पैदा हो जाते हैं कि यह बोर्ड autonomous है या autocratic body है। इनको दूर करने की ज़रूरत है। इस को तमाम अख्तियारात development करने के, control करने के और अफसरान को लगाने के होंगे, तो यह सारी बातें वाज़ेह होनी चाहियें। इस के बारे में जो legislation बनाई जा सकती है वह हम बना रहे हैं। इस पर finances खर्च करने की authority है, वह किस की होगी? यह बात clear होनी चाहिये। इस तरह की चीज़ें बाकी के Boards के अन्दर भी हैं जो Centre में बने हुए हैं। इस लिये जो parent Act है उसमें भी इस बात को वाज़ेह करने की ज़रूरत है ताकि interpretation सही तौर पर हो सके।

जहां तक इस सम्बन्ध में policy lay down करने का ताल्लुक है यह पंजाब सरकार की होनी चाहिये क्योंकि सरकार की आज यह नीति है कि top priority agriculture को दी जाये। Food production को बढ़ाने के लिये और agricultural development के लिये अगर Government को कहना पड़े कि इस जगह पर cheap rates पर बिजली दी जाए तो इस के लिये ज्यादा power की ज़रूरत है। Tube-wells या और इस तरह के कामों के लिये बिजली देनी है तो इन सारी बातों के लिये सरकार के लिये यह Board और इसको दिए जा रहे अख्तियार सद्धेराह न बनें। अफसरान कहें कि हमारी तो कुछ authority नहीं है। इस लिये मेरी यह गुज़ारिश है कि policy matter में Government की policy के मुताबिक Board को चलना चाहिये। दूसरा यह कि policy पर हाऊस में discussion की जा सकती है। सरकार की policy यह हो सकती है कि rural areas में electricity दी जाए या cottage industries की development के लिये या food production के लिये electricity दी जाए तो ऐसी हालत में अगर सरकार बोर्ड से कहे कि बिजली supply करो तो यह नहीं होना चाहिये कि Board वाले कहें कि बिजली है नहीं हमारे पास, या उनकी management सरकार की इस पालिसी को implement करने से इनकार कर दे। Management और control की जो बातें हैं यह मानी हुई चीज़ है कि होंगी लेकिन इन में यह ज़रूरी ख्याल रखा

जाए कि यह सरकार की पालिसी का एहतराम करें। मैं hon. Minister-in-charge से दरखास्त करूँगा कि वह हाऊस में assurance दें कि policy matters में control सरकार का होगा।

An Hon. Member : That would come in the Budget and it would be subject to the discussion of the House.

इसी तरीके पर Budgetary matters हैं और technical और administrative control की चीज़ें हैं। तो जिस तरह से बाकी के Boards में Legislature और सरकार को अख्तियार होता है। इसी तरह इस Board में भी दिया जाए ताकि यह काम अच्छी तरह से सरकार की पालिसी के मुताबिक कर सकें। जिस तरह Centre में हिसाब-किताब के लिये Auditor-General को पूरा पूरा अख्तियार है और उस के काम में हम कोई दखल नहीं दे सकते इसी तरह से हो सकता है कि किसी retired senior officer को हिसाब किताब के लिये Board का मैम्बर बना दिया जाये और हम वह कहें कि इस में Accountant-General, Punjab, का कोई दखल नहीं है, यह कोई अच्छी चीज़ ना होगी। इस Ordinance के अन्दर यह बात नहीं है जिस का कि ऊपर डर है।

इस तरह से यह भी समझा जा सकता है कि अफसरान जो appoint होंगे इन को appoint करने के मुताल्लिक किसी को कोई दखल नहीं होगा क्योंकि वह एक Autocratic Body है। मगर कई ऐसे Government के policy matters भी हो सकते हैं और इस के इलावा और कई बातें हो सकती हैं जिन की वजह से Government को दखल देना ज़रूरी हो जाता है। इस लिये मैं Minister साहिब से अर्ज़ करूँगा कि वह इस के मुताल्लिक अपने ख्यालात ज़ाहर करें। इस Ordinance में और इन parent Acts में इस चीज़ का मतलब निकलता है इस के मुताल्लिक Minister साहिब को clear करना चाहिये। Management पर control करने के मायने यह हैं कि technical side और administrative side पर strictly control हो। इस लिये मेरी अर्ज़ है कि वज़ीर साहिब इस चीज़ को हाऊस के सामने वाज़ेह तौर पर बयान करें।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जहां तक बोर्ड के बनाने का ताल्लुक है मैं यह समझता हूँ कि इस बात में सरकार ने बोर्ड बना कर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इस में किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। हम इसे welcome करते हैं। लेकिन चूंकि कुछ एक चीज़ें हाऊस के अन्दर बताई गई हैं इन के मुताल्लिक मैं चन्द एक बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ। जो वाकयात हमारी सरकार के सामने हैं, जिस तरीका से power distribute करने का सवाल है और बोर्ड का ढांचा जो नए ढंग से हमें बनाना होगा इसके बारे में कुछ शकूक हमारे दिमाग़ के अन्दर और कुछ साधारण लोगों के दिमाग़ के अन्दर पाये जाते हैं इन के मुताल्लिक वज़ाहत होनी बहुत ज़रूरी है। पहले बताया गया है, यह एक autonomous

[श्री बलराम दास टंडन]

बोर्ड होगा जैसा कि हमारा University Grants Commission है । आफिस का कायम होना और इस में staff की appointments करना और accounts वगैरह का रखना यह सब कार्रवाई direct तरीका से ही होगी । जिस तरह से University Grants Commission की अपनी पालिसी है इसी तरह से इस बोर्ड की भी अपनी ही पालिसी होगी । Board के members के काम में सरकार दखल नहीं दे सकेगी । इस के इलावा इस हाऊस में मैम्बर्स जो आज यह कानून बना रहे हैं इसके काम में कोई मदाखलत नहीं कर सकेंगे । पंजाब की industry की उन्नति का इनहसार ज्यादातर बिजली पर है । ऐसी हालत में जब कि बोर्ड पर सरकार का पूरा control नहीं होगा Legislature इसके काम में दखल देने से महरूम होगी और Legislature इसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकेगी । तो यह एक सही चीज़ नहीं होगी । आज हमारे दिल के अन्दर इस बात का खदशा है कि जिस तरह University उस Grants Commission के काम के अन्दर दखल नहीं दे सकती उसी तरह से इस बोर्ड के मुताल्लिक भी कहा जा सकता है कि यह बोर्ड एक autonomous body होगा । एक तरफ तो सरकार ने nomination करनी है और दूसरी तरफ Legislature के बारे में यह विचार है कि इस का बोर्ड के मामले में कोई दखल न हो । यह एक बड़ी असाधारण सी बात है । इसके मुताल्लिक वज़ाहत की जानी चाहिये कि जो यह बोर्ड हम बनाने वाले हैं यह किस ढंग का होगा और इस Legislature का इस पर कहां तक control होगा । इसकी पावर की हद कहां तक है, separate entity होगी तो कहां तक, कैसे कैसे nomination होगी वगैरह । यह सारी चीज़ें इस हाऊस के सामने रखी जाएं । एक बात और है वह यह कि बोर्ड के जो मैम्बर्ज़ हों वह सरकार के nominated होंगे । जो भी जायज़ और नाजायज़ तरीके सरकार इस्तेमाल करना चाहेगी वह करेगी । लेकिन Legislature को कोई हक न होगा । इसलिये, स्पीकर साहिब, मैं आपके ज़रिये से सरकार को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह University Grants Commission के अन्दर election की मियाद है इसी तरह से यहां भी provision करने की कोशिश की जाए । इसके इलावा Legislature को इस में पूछ ताछ करने का पूरा पूरा हक होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं इस के अकाउँट्स के मुताल्लिक अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि इसके Accounts की checking का अख्तियार पंजाब के Accountant-General को होना चाहिये । इसके इलावा यहां पर by-products की corruption की बात हुई है । अगर हम इस तरीका पर उनके काम पर कंट्रोल करेंगे तो हम इसमें बेहद encouragement करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ की वज़ाहत करने की कोशिश करेगी ताकि जो खदशात लोगों के और इस Legislature के दिल में हैं वह दूर हो सकें ।

श्री शेर सिंह (झज्जर) : स्पीकर साहिब, यह Ordinance बिजली के बारे में जो हमारे सामने है उस पर काफी विचार हो चुका है । मैं भी दो एक बातें कहना

चाहता हूँ जो बहुत जरूरी हैं। नम्बर एक तो यह कि सरकार को इस बोर्ड के बनाने से 35-36 लाख रुपए का नुकसान होगा और general revenue का जो रुपया था उससे हमारी सरकार महरूम रहेगी। और फिर क्या होगा कि उस रुपए की पूर्ति करने के लिये किसी न किसी पर फिर सरकार टैक्स का बोझ डालेगी। और मेरी समझ से तो यह बोझ फिर irrigation की तरफ ही पड़ेगा। बिजली का घाटा पानी से पूरा किया जाएगा। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि बिजली का बोर्ड बनने से किसान के ऊपर बोझ पड़ने का खदशा है।

यह ठीक है कि भारत सरकार ने पंजाब गवर्नमैंट को मजबूर किया क्योंकि पंजाब सरकार की यह खाहिश नहीं थी लेकिन मेरी दृष्टि से पंजाब सरकार को एक अधिकार था और जिसके लिये भारत सरकार ने माना भी था और मुझे आशा है कि वह इस वक्त भी मान जाएगी। और वह यह अधिकार है कि अगर बिजली के सिलसिले में पंजाब सरकार parent Act में कुछ तरमीम चाहे और कुछ अधिकार अपने हाथ में लेना चाहे तो भारत सरकार तैयार है और होगी।

दूसरा खदशा यह भी है कि आया हम अपनी कोई policy decide कर सकेंगे या नहीं। अगर हमने किसी को subsidy देनी है या किसी को priority देनी है तो जब कि बोर्ड को सारे अधिकार चले जाएंगे उस वक्त मुश्किल बनेगी। और फिर यह सारी चीज़ commercial बन जायेगी। Development का सीग़ा नहीं रह सकेगा बल्कि कमाई का सीग़ा बन जायेगा। इसलिये हम चाहेंगे कि पंजाब सरकार भारत सरकार को यह कहे कि इसमें तरमीम करवाई जाए ताकि पंजाब सरकार पालिसी के सम्बन्ध में कुछ बातें अपने हाथ में ले सके।

अध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम है कि जब देहात के अन्दर बिजली देने का सवाल आया तो यह फैसला किया गया कि अगर 120 वां हिस्सा भी देहात से इस खर्च का realize होता है तो भी हम देहात में बिजली देंगे चाहे यह स्कीम unproductive ही क्यों न हो। क्योंकि जब सारा load का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि खर्चा आमदनी से बहुत ज्यादा पड़ता है। अब अगर बोर्ड के हाथ में सारे अधिकार रहें तो पता नहीं कि उसके सामने यह consideration जो सरकार ने की थी वह रहेगी या नहीं। यह खदशे वाली बात है। क्योंकि अगर उन्हें मुनाफा नहीं होगा तो वह सोच सकते हैं कि देहात को बिजली न दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसके मायनी यह होंगे कि हमारी सरकार ने जो वायदे किए हैं और यह कहा है कि पहली पंच वर्षीय योजना में 5 हज़ार देहात को, दूसरी में 9 हज़ार देहात को और तीसरी में यानी 1967 तक सारे देहातों को electrify करेंगे, यह वायदे पूरे नहीं हो सकेंगे। यह खदशा पैदा हो गया है। इसलिये भारत सरकार से तरमीम करा के पंजाब सरकार को यह अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिये ताकि वह बोर्ड को गाइड कर सके, Rural electrification के अपने वायदे पूरे कर सके और सारे देहात को electrify कर सके। इसलिये मैं, अध्यक्ष

[श्री शेर सिंह]
महोदय, सरकार को यह दरखास्त करता हूँ कि जो बातें मैंने बतलाई हैं उनके लिये पंजाब सरकार भारत सरकार को move करे और कुछ अधिकार अपने हाथ में रखे।

श्री लाल चन्द : On a point of order, Sir. क्या General Administration के मुताल्लिक भी कोई Autonomous Board बनेगा ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : स्पीकर साहिब, जो मामला इस वक्त हाऊस के सामने है वह एक सादा-सा मामला है और उसके साथ बहुत से खदशात वाबस्ता किए गए हैं। जैसा कि प्रोफेसर साहिब ने कहा था कि जो Electricity Supply Act है वह 1948 में enact किया गया था और इसमें यह लाज़िमी करार दिया गया था कि इसके बनने के बाद दो साल के अन्दर सारी रियासतों में Electricity Board कायम किया जाएगा। जनाब, इसका मकसद यह था कि—

> "For the rationalization of production and supply of electricity and generally for taking measures conducive to electrical development...."

तो इस मकसद से यह कानून बनाया गया था। पंजाब गवर्नमैंट ने अपनी खसूसी हालत की वजह से इसको resist किया वह वजह यह थी कि electricity की development में Private Agency का बहुत थोड़ा हिस्सा है वह भी न होने के बराबर है, इसलिये resist करते रहे। और इसकी extension भारत सरकार ही देती रही लेकिन 1956 में यह फैसला हुआ कि बोर्ड ज़रूर बना दिया जाए। फिर भी कुछ हालात ऐसे रहे कि बोर्ड यकम फरवरी तक नहीं बन सका क्योंकि Multi-purpose स्कीमें जो हमारी हैं, Inter-State की भी हैं, इसलिये जब तक राजस्थान सरकार से पंजाब गवर्नमैंट का agreement तय नहीं पाया गया यह फैसला नहीं हो सका। और वह agreement भी यह था कि common works जो हैं वह बोर्ड के हवाले कर दिये जाएं या नहीं। इसलिये देरी हुई।

Government of India के 1948 के Act में इस किस्म के works के मुताल्लिक कोई वाज़ेह तौर पर Provision नहीं था। इस वास्ते यह लाज़िमी हो गया कि हम President of India की इजाज़त से इसमें यह तरमीम ला सकें। इस Amending Act के Statement of Objects and Reasons में जो दिया गया है वह मैं हाऊस के सामने पढ़ना चाहता हूँ—

> "The Punjab State Electricity Board constituted by the State Government under the provisions of sub-section (1) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948, came into existence on 1st February, 1959. The State Government has decided to transfer all the electrical works of the Bhakra Nangal Project including the common pool works to the Boards. According to the existing provisions of the aforesaid Act neither the multi-purpose electrical works nor the work held in partnership with other State Governments can be transferred to the State Electricity Board. To achieve the object in view an Ordinance was promulgated......"

तो यह वजह थी कि इस Act में हमें amendment लानी पड़ी और यह लाज़मी थी। जब हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया को approach किया तो वहां Central

Ministry से यह सुझाव भी मिला कि यह amendment अगर न की जाए तो दूसरी सूरत यह हो सकती है कि एक Electricity Department भी रखें और common pool works जो हैं वह उनके मातहत रहें। लेकिन साथ ही साथ बोर्ड ज़रूर set up करना पड़ेगा ताकि बाकी चीज़ें बोर्ड के ज़िम्मे कर दी जाएं। यह ऐसी सूरत थी कि जिस को पंजाब गवर्नमैंट accept नहीं कर सकती थी। इसलिये हमारे लिये यह लाज़िमी हो गया कि Central Government के इस lacuna को दूर करें और यह amendment पास करें।

बाकी जो बोर्ड की तश्कील के मुताल्लिक बातें कहीं गई हैं, इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस ऐक्ट के अन्दर ही प्रोवाइड किया गया है——

"The Board shall consist of not less than three and not more than seven Members appointed by the State Government. Of the Members, one shall be a person of proved administrative ability and commercial experience, one shall be an Electrical Engineer with wide experience and one shall be an accountant with experience of the electricity supply industry or other public utility."

यह qualifications इस Act के अन्दर हैं और मैं हाऊस को यकीन दिला सकता हूं कि मौजूदा Board जो कायम किया गया है वह इन qualifications को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन Board है। हमारी तरफ से Board में बेहतरीन आदमी लेने की कोशिश की गई है। मेरे फाज़िल दोस्त पण्डित श्री राम शर्मा की तरफ से कहा गया है कि की board की तश्कील में हरियाणे का ख्याल नहीं रखा गया। मैं अर्ज़ करूंगा कि इस Board को कायम करते वक्त वह सब चीज़ें मद्देनज़र रखी गई थीं जोकि कानून के अन्दर हैं। Efficiency, integrity और honesty मद्देनज़र रखी हुई थी और मैं फिर बिला खौफेतरदीद कह सकता हूं कि जो उस Board में आदमी लिए गए हैं वह उन सब qualifications को पूरा करते हैं और शायद उतनी qualities का और कोई आदमी न मिलता जितनी कि उन में हैं। जो best possible इंतखाब हो सकता था वह किया गया है। इस लिए यह कहना कि उस में फलां इलाके का आदमी लिया गया है और फलां इलाके का नहीं लिया गया, यह इनसाफ नहीं है। यह मैं समझता हूं ज्यादती है।

प्रोफैसर साहिब की तरफ से यह कहा गया है कि Government of India को approach किया जाए और वहां से policy का फैसला करवाया जाए। मैं उन की information के लिए अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि वह Board semi-autonomous body है मगर वह Department की working के मुताल्लिक autonomous है और जो policy होगी उस पर Government का control है। Government उन को directive दे सकती है और जब जरूरत होगी उसे direct करेगी। इस लिए इस बात के लिए Government of India को approach करने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक finances का ताल्लुक है इस के मुताल्लिक मैं अर्ज़ करता हूं कि उन का budget House में आएगा और उस पर discussion हो सकेगी लेकिन उस पर vote नहीं हो सकती। इस लिए मैं समझता हूं कि इस के मुताल्लिक भी कोई ऐसे खदशात नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष : क्या आप ने कहा है discussion हो सकेगी ? (Has the hon. Minister stated that discussion would take place ?)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : हां जी discussion हो सकती है मगर vote नहीं हो सकती। बाकी Government का उस पर पूरा पूरा control है। इसी Act के तहत Board के Members removable हैं और उन की जगह नए appoint हो सकते है। अगर कोई खराबी करता हुआ नज़र आए तो उस के खिलाफ action लिया जा सकता है। इस सूरत में मैं समझता हूं कि चूंकि हमारे लिए यह लाज़मी था कि जो यहां Multi-purpose works हैं उन को जारी रखना है इसलिए हम यह amendment लाए हैं। मगर यह नहीं हो सकता कि Board भी बन जाए और Department भी कायम रहे। जहां तक बिजली की distribution का ताल्लुक है वह Board के सुपुर्द की जा रही है और इस सूरत को पूरा करने के लिए amending Act हाऊस में आ रहा है। इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह जो resolution है इस को reject किया जाए।

Chaudhri Dharam Singh Rathi rose to reply to the debate).

Mr. Speaker : I allcw you two minutes only, but it will not be treated as a precedent.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जब राओ गजराज सिंह जी बोले थे तो उन्होंने बताया था कि Government के हाथ में Board का सिर्फ technical control होगा। मगर वज़ीर साहिब ने बताया है कि Board पर Government का मुकम्मल control होगा। इस बात से हमारे खदशात और भी बढ़ गए हैं। श्री शेर सिंह जी ने जिन खदशात का इज़हार किया है उन को दूर करने के बारे में वज़ीर साहिब ने अपनी speech में कोई ज़िक्र नही किया बल्कि वज़ीर साहिब ने यह कहा है कि जब वह Board बनाने लगे थे तो उन को हरियाणे से कोई आदमी honesty, integrity और experience वाला नहीं मिला। मैं अपने मुहतरिम वज़ीर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर वह कहें तो मैं हरियाणे से कई उन मेम्बरों से भी अच्छे आदमी ला सकता हूं जोकि उन्होंने Board में रखे हुए हैं। वह आदमी Board बनाने से पहले उन के notice में लाए गए थे लेकिन हरियाणे वालों को कौन पूछता है। जब हरियाणे के मुलाज़मों की तरक्की का सवाल आए तो कोई खयाल नहीं करता। स्पीकर साहिब हरियाणे के यह खदशात हैं कि जिस वक्त non-officials मुकर्रर किए जाएंगे उस वक्त भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। इस के बारे में वज़ीर साहिब ने हमें बिल्कुल यकीन नहीं दिलाया।

इस के इलावा वज़ीर साहिब ने कहा है कि उन का budget हाऊस में पेश होगा, उस पर discussion हो सकेगी मगर vote का किसी को हक नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उस expenditure को पास करने का या reject करने का अख्तियार न हो उस पर discussion करने का क्या फायदा है। यह तो वैसी बात हुई कि घर के मालिक तुम हो लेकिन घर के अन्दर जो माल है उसे हाथ न लगाना। मैं ज्यादा बातें न कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वज़ीर साहिब ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिस से हमारी तसल्ली हो सके और मैं इस

resolution के बारे में दूसरी राय बना लूं। उन की speech को सुन कर हमारे खदशात ज्यादा बढ़ गए हैं। इस लिए मैं अर्ज करता हूं कि House मेरे resolution को मंजूर करे।

Mr. Speaker : Question is :—

That this House disapproves the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Ordinance, 1959 (Punjab Ordinance No. 2 of 1959).

The motion was lost.

REFERENCE OF THE CATTLE TRESPASS (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1959, AS PASSED BY THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL TO THE REGIONAL COMMITTEES.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, 1959, as passed by the Punjab Legislative Council be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 4th April, 1959.

Mr. Speaker: Motion moved:—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, 1959, as passed by the Punjab Legislative Council be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 4th April, 1959.

Mr. Speaker : Question is :—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, 1959, as passed by the Punjab Legislative Council be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 4th April, 1959.

The motion was carried.

THE PUNJAB BETTERMENT CHARGES AND ACREAGE RATES (AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move :—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाबे आली इसके मुताल्लिक आज ही इस हाउस में काफी विचार हो चुका है और बहुत कुछ इसके मुताल्लिक आज भी और पिछले कई दिनों में भी कहा जा चुका है। यह amending बिल इस लिए इस हाउस के सामने लाया गया है कि जो कानून आज से 5 साल पहिले 1953 में बन चुका था और जिसके तहत betterment fee लगाने का फैसला हो चुका था उस में जो schedules थे वह बना कर objections लोगों से तलब किए गए जिन के बारे में अभी फैसला तो नहीं हुआ लेकिन यह जो loan पंजाब ने भाकड़ा और उस से वाबसता कामों को मुकम्मल करने के लिए लिया था उसकी अदायगी करनी जरूरी है। और उस गर्ज से यह बिल amend करना जरूरी है। जैसा कि मैं ने पहिले भी आज अर्ज किया था कि 1950 में ऐसे directives issue हुए थे और अब भी Planning Commission

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]

ऐसे directives के लिए बजिद था। इस कर्ज़ का अदा करना पंजाब के लिए और किसान के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि जूं जूं इस की अदायगी में अर्सा बढ़ता जा रहा है उतना ही सूद का बोझ जोकि compound interest है बढ़ता जा रहा है। इस लिए लाज़मी हो गया है कि उस Act को मुनासिब amend करके सहल तरीका से इस कर्ज़ को 30 इकसात में वसूल किया जाए ताकि पंजाब पर जो इस अदायगी का बोझ है उसको हलका किया जा सके। साथ ही साथ जो पंजाब गवर्नमेंट ने इकरार किया है उसे पूरा करने के लिए और पंजाब गवर्नमेंट का credit रखने के लिए निहायत ज़रूरी था कि इस कर्ज़ की अदायगी का इन्तज़ाम हो। जनाब जो amendment इस Act में आई है उस पर बहुत चर्चा हुआ है। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ ग़ैर मुताल्लिका बातें कही गई हैं और यहां तक कि मासूम लोगों को बहका कर agitation या खून खराबे तक नौबत पहुंचाई गई। लेकिन यह नहीं देखा गया कि यह जो amendment आ रही है वह क्या है और उसके नतायज क्या हैं। यह कानून जैसा कि मैंने अर्ज़ किया पहिले ही मौजूद था और उस पर अमल करने के लिए तगो दौ थी। मैं समझता हूं कि यह कानूनी और इखलाकी फर्ज़ भी हो जाता है कि इस को अमल में लाया जाए। अब देखने की बात यह थी कि यह जो बोझ पड़ रहा है वह कितना और कैसा है। सब से पहिले जो चीज़ देखी गई वह यह थी कि इसका बोझ इतना हो जो उन की paying capacity के मुताबिक हो और बरदाशत हो सकता हो। इस डैम पर जो सारा productive और unproductive खर्च हुआ है उसमें से जो unproductive portion electricity का बोझ दूसरी तरफ allocate करके और जो कुछ interest में कमी करवाई जा सकती थी वह करा कर 33 करोड़ के करीब रकम उस unproductive portion की निकलती है जिस को कि 15 साल में 30 इकसात में आहिस्ता २ वसूल करने का इन्तज़ाम इस amendment में किया गया है। जो शरह भी मुकर्रर की गई वह भी इस ख्याल को मद्देनज़र रख कर की गई कि उस का बोझ मालूम न हो और वह मुनासिब रखी गई है। अगर एक ऐसी ज़मीन जो बारानी थी मगर वह इस नहर का पानी लगने से perennial हो गई हैं यानी सालाना आबपाशी होने लग पड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़मीन की कीमत में और पैदावार में कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है। उस बढ़ी हुई आमदनी में से अगर एक small portion इस कर्ज़ की अदायगी के लिए दिया जाए तो यह कोई बोझ वाली और नामुनासिब बात नहीं है और यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर इतना फितना फसाद बरपा किया जाए। जो ज़मीन बारानी से नहरी बन गई है और पानी भी सारा साल या perennial तौर पर लगता है तो उस पर जो 10 रुपए फी एकड़ का बोझ है वह मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा बोझ नहीं है जिस पर कि इतनी चीखो पुकार की जाए। इसी तरीके से जो चाही से नहरी बनी या जो restricted perennial बनी जैसा कि western Jamuna Canal का सवाल है उस पर 2.5 के करीब ही शरह मुकर्रर की गई है। तो यह सारी शरह ऐसी है जिस को ज्यादा नहीं कहा जा सकता। इस के लिए मैं समझता हूं कि यह मौज़ूं वक्त था कि यह वसूली जारी हो क्योंकि 1954 से पानी मिलना शुरू हुआ है और 1954 से हम ने उन नहरों का फायदा उठाना शुरू किया हुआ है लेकिन हम ने इस कर्ज़ का एक भी पैसा वापस करने की कोशिश नहीं की। इस के उलट जो इस रकम पर सालाना सूद पड़ रहा है वह

सूद दर सूद की शकल में capitalise हो कर यह रकम बढ़ती जा रही है। इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह जो amending बिल इस हाउस के सामने आया है यह एक निहायत मौज़ूं, मुनासिब और ज़रूरी बिल है और मैं समझता हूं कि हाउस इसको इस शकल में, जैसा कि मैं ने अर्ज़ किया, देखते हुए और इस पर विचार करते हुए पास करेगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

4.00 p. m.

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ordinance ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਅਜ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ introduce ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਹੀ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਇਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ parent Act 1952 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ multipurpose project ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ amount ਦਸ ਦਿਤਾ। ਪਹਿਲੇ electricity ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ electricity ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਇਆ।

आवाज़ें : इस से पहले।

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ Russia ਅਤੇ China ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ heavy industry ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ projects ਸਨ ਉਹ ਸਭ nationalise ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ income ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ development ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ propaganda ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾਂ ਹੀ press ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ industrialists ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੂਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ majority ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ proviso ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ।

"Provided further that the amount of the Betterment Charges recoverable from any scheme will be limited to the difference between the investment on the scheme and such part of it as may make it productive".

ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ objection ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਛਜ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਈ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]
ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ produce ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਲ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਘਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 200 ਵਿਚੋਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ । ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ । ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ peasantry as a whole ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 90 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ । Electricity ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ Railway Board ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ Irrigation ਦਾ ਵੀ Board ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡਾ $1\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸੇ ਤੇ ਲਾਓ ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ calculation ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਆਪਣੀ calculation ਰਖਦਾ ਹਾਂ ।

		Rs (in crores)
Water-rate to be collected annually at the average rate of Rs 7 per acre		2.45
Water advantage rate to be collected at the rate of Rs 3 per acre	..	1.05
Local rate to be collected on the above mentioned water advantage rate	..	0.5
Enhanced amount of surcharge and special charge because of above	..	0.16
Toll tax to be collected from the bridges cost of which has been met from Bhakra Canal account	..	0.05
Total	..	4.21
Cost of maintenance	..	0.72

ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 6 per acre ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਅਗਰ 6 ਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 15 ਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ average 6 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਟ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਨ । 6 ਔਰ 15 ਜੋੜੋ ਤਾਂ 21 ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ average $10\frac{1}{2}$ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਲਾ ਲਓ 8 ਲਾ ਲਓ 7 ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 4.21 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 72 maintenance ਦੀ cost ਕਢੀ ਜਾਏ ਤਾਂ net income 3.49 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ capitalise ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ cover ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ advance ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਫੇਰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ Advance ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ capitalise ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ acreage ਆਏ ਮੁੜਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਛੱਡੋਗੇ ਕਿ interest ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ·3 per cent ਸੂਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ per cent ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਚੁਭੇਗਾ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ agitation ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ police man ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸੇ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਹ charge ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ coward ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਲਗੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਥੇ 11 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ 100 ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : I would ask the hon. Member to discuss the principles of the Bill.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ charges ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਓਥੇ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜੀ (*voice* : ਵਾਹ) ਵਾਹ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ 'get out'। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ pattern ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਵੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਕਪੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਚਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ 9 ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : On a point of information, Sir. ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : Sir, I do not give way, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ordinance promulgate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ postpone ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ matured area ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ । ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ figures ਮੈਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ figures ਨਾਲ correct ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ । 80 per cent matured area ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੇ water rate ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ project paying ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਲੋ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਹਨ । ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਬਿਆਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ clear ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਜੇ paying ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਮਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ introduce ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ।

***ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ** (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ resolution ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਸ ਨੀਮ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ । ਜਿੰਨੀਆਂ amendments ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ betterment levy ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ betterment levy ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ levy ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ । ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ betterment levy ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ

ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ । ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕ ਲਿਮਿਟ ਦੁੱਕਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਣ ਦਿਤੀ । ਏਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਏਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 3,600 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਸ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ 200 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਏਕੜ betterment levy ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ production ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਮਾੜੀ production ਸੀ । ਕੁਝ prodution ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ । 2, 4, 6, 8, ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ betterment levy ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਐਨੀ ਵੱਧ production ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ । ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ projects ਵਾਸਤੇ contribute ਕਰੀਏ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ । ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜੇਕਰ betterment levy ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੇਂਟ subsidise ਕਰਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ unproductive part beneficiaries ਤੋਂ recover ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਿਆ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਧਰੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਓਧਰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ । ਇਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । Betterment levy ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? Betterment levy ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ । ਨਵੀਆਂ drains ਤੇ ਵੀ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਗਣੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । 4, 5 ਜਾਂ 7, 8 ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਹੈਸੀਅਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਲ ਕਤਅਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ । ਨਹਿਰਾਂ ਬਨਣ ਕਰਕੇ ਯਾ ਸੜਕਾਂ ਬਨਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਲੱਗੇਗੀ । ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ..... (ਘੰਟੀ) I am not irrelevant .

Mr. Speaker: Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਓ । ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਇਹ ex-Minister ਨੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ex-Ministers ਹਨ । (There are so many other ex-Ministers.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ drains ਖੋਦਣ ਤੇ betterment levy ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ justification ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਨਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜੇ drains ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ production ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਕਿਉਂ ? ਜਿਥੇ ਬੰਧ ਲਗੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਦਿਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇਵੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਦੱਸੋ ਤਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਐਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Electricity ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਯਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਏਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਤਾ । ਏਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ electricity ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ । 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ

ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ । ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ show ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ electricity ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ apportion ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ tube-wells ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਹਿਰ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਉਲਾਂ ਯਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਕੀਮਤ 9 ਯਾ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਝੋਨੇ ਦੀ, paddy ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਗਾਧਰੀ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸੀ । ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਸੀਬਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਝੋਨਾ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਏ ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ production ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ । *(At this stage Khan Abdul Ghaffar Khan, a Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair.)* ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ feed ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈਏ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ feed ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ procurement ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਥੇ 15, 16 ਯਾ 18, ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਜਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ । 12 ਜਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਗਈ । ਲੇਕਿਨ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]
ਘਾਟਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈ ਗਈ । ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ State trading ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ । ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ।

ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ Central Government ਨੂੰ request ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਉਪਰ ਸੂਦ ਘਟ ਕਰਨ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Development ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ implement ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਸੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । Centre ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ Centre ਕੋਲੋਂ Development ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਸੂਦ charge ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਸੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ charge ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ charge ਕਰੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ limit ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਨੀ ਰਕਮ betterment levy ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ betterment levy ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ matured area ਉਪਰ ਲਗੇਗੀ । ਮੈਂ ਖਾਸੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ matured area ਦੀ definition ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ definition ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਆਬਿਆਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ matured area ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 20 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਹਾਂ ਏਕੜਾ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 40, 50 ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ charge ਕਰੇਗੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ matured ਅਤੇ non-matured area ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈਣ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏ । ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਰਕਮ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ । ਭਾਰ ਘਟ ਕਿਥੋਂ ਗਿਆ ? ਭਾਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ । ਬਲਕਿ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨ ਸ਼ਰਹ ਵੀ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ—An area which will ultimately receive perennial irrigation...........(ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) I am not irrelevant, Sir. Matured area ਉਤੇ ultimately perennial water ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ area mature ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਜ advance payment ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ area ਉਪਰ ਇਕੋ ਜੈਸਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਉ । ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ matured area ਉਪਰ ਹੀ levy ਲੈਣੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ Government of India ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ ਵਾਪਸ ਦਿਉ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇ ਦਿਉ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਥੱਬਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਬਿਆਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ Department ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਸੇ । ਫਿਰ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਂਨੇ ਹੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Betterment Levy ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿਉ । ਜਿੰਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਉ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੋਘਾ ਕਢ ਕੇ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਡਾ ਮੋਘਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 12–14 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ । Overseer ਉਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ । ਉਸ ਨੇ S. D. O. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ S. D. O. ਨੇ X. E. N. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ । X. E. N. ਨੇ S. E. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ S. E. ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ X. E. N. ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ department ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੇਗਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਚੂਨਾਂਚਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕ ਫਾਰ-ਮੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ betterment levy ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸੀ agitation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ agitation ਨੂੰ condemn ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ ਕਰਦੀ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਸ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ Government of India ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਦ ਘਟ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉ ।

श्री शेर सिंह (झज्जर, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, ordinance के बाद अब हमारे सामने यह चीज़ बिल की शक्ल में आई है । इस के बारे में हमारे मन्त्री महोदय ने पहले भी काफी कुछ बातें की हैं और आज भी कुछ बातें करने की कोशिश की है । लेकिन जितनी तकरीरें मैं ने अब तक सुनी हैं और मन्त्री महोदय का article भी पढ़ा है उस में अब तक Betterment Levy ordinance की justification नहीं की गई । यहां पर वित्त मन्त्री महोदय भी बोले हैं और दूसरे मन्त्री साहिबान ने भी वक्तव्य दिए हैं । किसी ने यह बात साफ नहीं की कि आखिर ordinance किस लिये बना । अब तो यह शरह भी मुकर्रर कर दी गई है । इस के बारे में भी कुछ समझ नहीं आई कि यह किस हिसाब से मुकर्रर की गई है । अध्यक्ष महोदय, अवस्था यह है कि मैंने असेम्बली में सवाल पूछा कि वजीर साहिब finally यह बताएं कि पंजाब का irrigation portion क्या है । तो इसका जवाब मिला कि अभी तक फैसला करना बाकी है । एक और सवाल पूछा कि यह बताया जाए कि बिजली का हिस्सा कितना है, आखिरी हिस्सा fix कर दिया है या कि नहीं । तो इसका भी यह जवाब मिला कि अभी तक नहीं किया गया । उधर 33 करोड़ का हिसाब लगा दिया, पहले 38 करोड़ का हिसाब लगाया गया था। जिस वक्त मन्त्री महोदय का यह बयान अखबार में निकला और यह चर्चा चला तो उन्होंने एक और बयान निकाला । उन्होंने कहा कि हम सारा 38 करोड़ रुपया ले रहे हैं 12 करोड़ रुपया उस पर सूद पड़ता है, इस तरह से 50 करोड़ रुपया सारा लेंगे । लेकिन आज कहते हैं कि 33 करोड़ वसूल करना है । पहले बिजली का 56 करोड़ कहते थे, उस के बाद 72 करोड़, फिर 84 करोड़ और अब जो ordinance था, अभी अभी जिस के मुताल्लिक बहस हुई उस के मुताल्लिक भी पंजाब सरकार ने अधिकार लिया है कि Electricity का portion यह मुकर्रर करें ।

यह अधिकार उस Ordinance में और लिया गया । लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि न केवल इस promulgate किए गए ordinance में ही वह portion fix न किया गया बल्कि आज तक हमारी यह सरकार इस की बाबत कोई निश्चय नहीं कर पाई है । इस सम्बन्ध में सवालात भी किए गए । उनके उत्तर में भी यही बताया गया कि हम अभी तक इस चीज़ का estimate तैयार नहीं कर सके हैं । आज तक सरकार इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि कितना हिस्सा बिजली का होगा और कितना पानी का । लेकिन बावजूद इस अनिश्चितता

के यहां पर figures दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यही सही हैं। बड़ा अजीब ढंग अपनाया जा रहा है। खुद वज़ीर साहिब किसी एक चीज़ पर नहीं टिकते। आज कुछ हिसाब देते हैं और कल कुछ हिसाब देते हैं। सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात पर विचार करें कि क्या किसी प्रदेश की सरकार को यह बात शोभा देती है कि इस प्रकार की अनिश्चितता और confusion में लोगों को डालती रहे? मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात का शीघ्राति-शीघ्र कोई निर्णय कर—निश्चय करे और अगर यह अब भी कोई आखिरी फैसला करने में असमर्थ है तो इसे कोई अधिकार नहीं कि इस Ordinance को Act के रूप में बनाए। आप इस को postpone कर दें। आखिर आप का अधिकार ही क्या है कि जब कोई proportion fix ही नहीं की, जब किसान को पानी से कोई वास्तविक लाभ पहुँचा ही नहीं और आप *ad-hoc* basis पर rate लगादें कि 10 रुपया फी एकड़ के हिसाब से हम यह levy आप से लेंगे? सभापति महोदय, इतना ही नहीं Ordinance में तो केवल दस रुपए तक ही सीमित था, अब इस बिल के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किए जाने की मांग की गई है कि दस रुपये की सीमा को बढ़ा कर 25 रुपए कर दिया जाए। मतलब यह कि अगर चाहें तो 25 रुपया तक भी ले सकते हैं। और यह भी उस वक्त इस विधान सभा की स्वीकृति के लिए लाया गया है जबकि इस चीज़ का हिसाब-किताब ही मौजूद नहीं कि वास्तव में कितना रुपया इस प्रकार से इकट्ठा किया जाना मतलूब है। पैसा raise करने की कोई सीमा मुकर्रर नहीं की, कोई target मुकर्रर नहीं किया, कोई अवधि मुकर्रर नहीं की कि इतने सालों के अन्दर यह वसूल करना है। इन बातों का इस बिल के अन्दर सर्वथा कोई संकेत मात्र नहीं। केवल इतना बताया गया है कि सन् 1958-59 की खरीफ की फसल के बाद हर फसल पर लिया करेंगे और 25 रुपए तक की वसूली की जा सकती है। सभापति महोदय, आप अन्दाज़ा लगाएं कि यह चीज़ कितनी नाजायज़ है जब कि सरकार के खुद के दिमाग में confusion है और अन्धाधुन्ध सदन के अन्दर इस बिल को पास करवाया जा रहा है। अब-अभी अभी यह फैसला किया है कि 25 नहीं 16 रुपए तक लगाएंगे और पता नहीं इसके बाद अभी क्या दूसरा फैसला किया जाएगा। कितने मजाक की बात है।

सभापति महोदय, सन् 1952 में पंजाब विधान सभा ने Betterment Charges and Acreage Rates Bill पास किया। उसकी clause 3 में एक proviso रखा गया था जिसका यहां पर भी काफी चर्चा किया गय है। उस proviso के अन्दर इस बात की व्यवस्था की गई थी—स्पष्ट तौर पर व्यवस्था की गई थी कि सरकार यह levy केवल उसी हद तक वसूल करने की हकदार होगी जिस हद तक कि वह project का unproductive portion बनता हो। इसलिए उस को दृष्टिगत रखते हुए गवर्नमेंट की यह duty बन जाती थी कि वह final estimates तैयार करके वास्तविक picture जनता के सामने रखती और उसी को आधार मान कर अगला कदम उठाती। Western Jamuna Canal के estimates आप के पास मौजूद हैं, भाखड़ा के Estimates आप के पास मौजूद हैं—1956 से लेकर यह कहा जा रहा है कि भाखड़ा पर 170 करोड़ का खर्च आना है। जब इस प्रकार के estimates आप के पास मौजूद हैं तो आप क्यों नहीं यह हिसाब लगाते कि कितना हिस्सा बिजली का होगा और

[श्री शेर सिंह]
कितना पानी का ? इसमें कौन से महीनों और सालों का सवाल है ? अगर आप बैठकर हिसाब लगाएं तो यह डेढ़ दो घण्टों का काम है । सिद्धान्त आप के पास मौजूद हैं--देश के अपने सिद्धान्त भी हैं और इस देश के बाहर भी कुछ सिद्धान्त लोगों ने बनाए हुए हैं । उन असूलो को सामने रखकर आप जितनी जल्दी चाहें फैसला कर सकते हैं । लेकिन गवर्नमेंट फैसला करना नहीं चाहती और चुपके से एक कानून लोगों के सिर पर ठौंस दिया है । कितनी अजीब conventions यहां पर बनाई जा रही है कि असेम्बली जब बैठी थी तो उस वक्त यह बिल न लाया गया । सभा के विसर्जन होने के चार दिन बाद ही यह Ordinance जारी कर दिया । क्यों ? इसलिए कि अगर सभा के सामने पेश किया जाता तो यहां पर शोर होगा, public के दिमाग में आवाज़ जाएगी, विरोध होंगे--agitation होगी इसलिए बिना सभा को विश्वास में लिए झट से Ordinance promulgate कर दिया । और साथ ही नीचे हुकम भेज दिए कि तुरन्त लिस्टें तैयार करो । उस के बाद पटवारियों और लम्बरदारों को हुकम दिया गया कि जल्दी जल्दी वसूली कर लो । तुम्हें भी कुछ मिलेगा--असेम्बली के बैठने से पहले पहले वसूली कर लो । क्या इन सब चीजों से सरकार की शोभा बढ़ती है ? क्या ऐसे तरीके प्रयोग में लाने से सरकार की ईमानदारी टपकती है ? क्या सरकार के लिए किसी तरीके से भी यह बात मान और इज्ज़त लाती है कि बिना जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए--बगैर जनता की नबज़ को पहचाने, उन को धोखे में डालकर ऐसे काम किए जाएं; ऐसे Ordinance और बिल लाए जाएं ? सभापति महोदय, इसलिए सब से पहली बात तो मेरी यह है कि सरकार स्पष्ट तौर पर सदन के सामने सारा हिसाब-किताब रखे और बताए कि कितना हिस्सा पानी का और कितना हिस्सा बिजली का है और वास्तव में वह कितना amount है जो आप इस levy के जरिए raise करना चाहते हैं ।

दूसरी बात यह है कि ठीक है कि सरकार यह अपना अधिकार समझती है कि किसान से betterment levy मांगी जाए । इस अधिकार के मूल सिद्धान्त को कोई contest नहीं करता क्योंकि जब किसान को बिजली मिलती है, पानी मिलता है जिससे उस की खुशहाली बढ़ती है तो असूली तौर पर सरकार का अधिकार है कि वह टैक्स आदि की शक्ल में उससे ऐसी योजनाओं की cost को meet करने के लिए धनराशि इकट्ठी करे--इस अधिकार से कोई इनकार नहीं करता । मगर सवाल यह है कि वह किस हद तक ऐसा कर लेने की अधिकारिणी है और साथ ही यह कि उस का हिसाब-किताब भी उसको देना चाहिए या नहीं । इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इसके साथ एक और भी प्रश्न बड़ा गहरा सम्बन्ध रखने वाला है । और वह यह कि यद्यपि अभी तक इन्होंने कोई आखिरी figures नहीं बताए लेकिन अगर हम --जैसा कि अब आम चर्चा की जा रही है--33 करोड़ वाली figures को ही final मान लें तो क्या यह इस बात के लिए विश्वास दिलाएंगे कि इस के बाद किसानों पर आगे चल कर आबियाने का बोझ नहीं बढ़ाएँगे । यह figures भी, सभापति महोदय, जैसा कि पहले बता चुका हूँ गलत

है और खुद गवर्नमेंट की publications इस को contradict करती हैं । मिसाल के तौर पर सन् 1957 में इन्होंने एक pamphlet निकाला था । उसमें साफ तौर पर लिखा था कि अकेले water rates से, पंजाब के अन्दर जो पानी भाखड़ा की नहरों से ज़मींदारों को मिलेगा, तीन करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी होगी । यह सरकार की तरफ से प्रकाशित किया गया pamphlet है और हर एक माननीय सदस्य के पास पहुँचा था । इस के अलावा Water Advantage Rate आदि का हिसाब किताब अलग है । सभापति महोदय, आप को आश्चर्य होगा कि सरकार ने अब जो हिसाब पेश किया है उस में सन् 1933-34 की figures को आधार माना गया । आज के आंकड़ों को आधार नहीं माना गया । इसमें भी यह basis--आधार इसलिए माना गया क्योंकि यह उन को यानी सरकार को suit करता था । यह भी सरकार के लिए कोई शोभा की बात नहीं है । इस के इलावा कितने अफसोस की बात है कि Western Jamuna Canal का हिसाब डेढ़ महीने से अभी तक सरकार नहीं कर पाई है कि कितना रुपया खर्च करना है और कितना खर्च हो चुका है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस के लिए आप किसी भी engineer को depute कर दें वह दो घण्टों के अन्दर हिसाब पूरा करके आप के सामने रख सकता है । लेकिन डेढ़ महीना हो गया है, गवर्नमेंट इस बात का फैसला नहीं कर सकी और एलान नहीं कर सकी । बड़ी मुश्किल से मन्त्री महोदय इस सवाल का जवाब देने लगे लेकिन उसके बाद फरमा दिया कि वह हिसाब किताब का कागज़ ही कहीं गायब हो गया है--बाकी सभी सरकारी कागज़ तो मौजूद थे लेकिन Western Jamuna Canal का कागज़ ही एक ऐसा कागज़ था जिस ने गायब हो जाना था । क्या यह भी कोई मानने वाली बात है, सभापति महोदय ? फिर भी मैंने मन्त्री महोदय से पूछा कि क्या इस सम्बन्ध में figures publish करने के लिए तैयार हैं ? उत्तर में मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हम अवश्य प्रकाशित करेंगे । लेकिन वह अभी तक प्रकाशित नहीं कर सके । मैं जानता हूँ कि अब भी शायद वह figures उन के पास नहीं होंगी क्योंकि अव्वल तो वह कागज़ उन के पास होगा ही नहीं और अगर होगा तो वह फिर उस वक्त तक गायब हो जाएगा । मान लीजिए कि जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि वैस्ट्रन जमना कैनाल पर तीन चार लाख का वार्षिक घाटा रहा और अगर यह भी मान लिया जाए कि भाखड़ा की नहरों के लिए अब 33 करोड़ की Betterment Levy वसूल करनी है--जो figures निश्चय ही गलत हैं और final नहीं--और अगर सरकार यह सारी रकम वसूल भी कर ले तो क्या आप के द्वारा, सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि वह इस बात के लिए कोई गारण्टी देने को तैयार है कि इस के बाद water rate की दर पच्चास सौ साल तक बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी ? सभापति महोदय, विभाजन के पश्चात् सन् 1948-49 में पंजाब में पहली Resources and Retrenchment Committee बनी । उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि आबयाना का rate बढ़ा कर डेढ़ गुणा कर दिया जाए । हमारे बीच चौधरी लहरी सिंह जी बैठे हैं--इन्हीं के हाथों से यह आबयाना 1949 में बढ़ा कर पहले की अपेक्षा डेढ़ गुणा कर दिया गया । (घण्टी) सभापति महोदय, अभी तो मैंने बहुत कुछ निवेदन करना है ।

श्री सभापति : मुझे तो कोई एतराज नहीं लेकिन आप ही जल्दी जाना चाहते हैं। (I have no objection but the hon. Member himself is in a hurry to go.)

श्री शेर सिंह : मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। आप हमारे अधिकारों के रक्षक बन कर बैठे हैं जब तक मैं irrelevant नहीं होता आप मुझे बोलने दें।

श्री सभापति : तो आप जल्दी जल्दी wind up करें। (Then he may please wind up soon.)

श्री शेर सिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि 19-8-49 में जो Resources and Retrenchment Committee बनी उसकी सिफारिश पर आबयाना 1½ गुना बढ़ गया इस बार फिर एक Resources and Retrenchment Committee हमारी सरकार ने बनाई। उसने यह विचार जाहिर किया है कि आबयाने का दर अभी भी बहुत थोड़ा है—यू० पी० में इससे भी ड्योढ़ा और दो गुणा है—इसलिए यहां पर इसे बढ़ाया जाए। कल को यह सरकार इसी argument को दृष्टि में रख कर यह कह देगी कि क्यों न इसे यहां पर भी बढ़ाया जाए? मेरा दिल नहीं मानता कि गवर्नमेंट यह बहाना नहीं बनाएगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जिस किसी माध्यम से भी हो, जिस किसी source से भी हो—चाहे आबयाना हो चाहे betterment levy हो गवर्नमेंट जरूरी कोई न कोई बहाना बना कर rate को बढ़ा २ कर किसानों से वसूल करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सभापति महोदय आज मैं आप के द्वारा सरकार के कान तक यह आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि एक हद से ज्यादा—एक सीमा से ज्यादा—चाहे वह betterment levy हो या water-rate गवर्नमेंट को लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आज गवर्नमेंट से यह assurance हासिल करना चाहता हूँ कि वह किसानों को इस बात का विश्वास दिलाए कि इस कर के वसूल किए जाने के बाद पच्चास साल तक न तो आबयाना का rate बढ़ेगा और न ही इसके अतिरिक्त कोई और कर उन से वसूल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त matured area के सम्बन्ध में भी काफी चर्चा हुई। जो जो बयान अब तक दिए गए हैं उन से यह बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि इस विषय में स्वयं मन्त्री महोदय के दिमाग में अभी तक confusion है। वह इस बात को साफ नहीं कर पाए।

एक बयान दिया और बयान में कहा कि अगर कोई आदमी किस्तों में देने की बजाये यह lump sum दे दे तो उसे रियायत दी जायेगी यानी जो इस पर सूद बनता है वह उससे नहीं लिया जाएगा। इस के साथ ही इस के लगाने का इन्होंने तरीका यह बना किया है कि यह matured area पर लगनी चाहिये। मैं पूछता हूं कि अब इन के पास कौनसी machinery आ गई है जिस से झट आने वाले 15, 20 साल तक का matured area का पता लगा कर बता देंगे कि वह कितनी levy lump sum दे जब कि मामूली सा हिसाब तो यह महीनों में लगा नहीं सके। लेकिन गरीब किसान का हिसाब पांच मिनटों में लगाने को तैयार हो गये हैं। मैं कहता हूं कि अभी matured area

बना हो कहां है जिस किसान का खेत 20 साल आगे चल कर matured area बनना है उस के बारे में आप अभी से कैसे कह सकते हैं जब आप को यह भी मालूम नहीं हो सकता कि इस साल यह कितना बनना है और अगले साल यह कितना बनेगा और उस से अगले साल कितना बनेगा और इस तरह 20 साल के बाद कितना बनेगा जब कि यह हो सकता है कि एक साल पानी कम हो जाये या बारिशें ज्यादा आ जाये जिस से उस का area matured होने की बजाये खराब भी हो सकता है। इन तमाम चीजों का आप कैसे अन्दाजा लगायेंगे कि कितने सालों में एक किसान का कितना कितना matured area हो जायेगा। जब आप के पास matured area का अन्दाजा लगाने के लिये कोई ठीक तरीका ही नहीं है तो आप lump sum amount इस levey का किस तरह से ले सकते हैं। जब आप किसी किसान को यह भी guarantee नहीं दे सकते कि फलां साल कितना पानी दे सकेंगे जोकि matured area के बनने के लिये एक मूल चीज है तो आप उस के matured area का कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं। सिरसे के इलाके में तो यह और भी कठिन है क्योंकि वहां रकबा C. C. A. में तो आ गया, परन्तु अभी तक कई जगह पानी बिल्कुल नहीं मिल सका। वहां जहां तीन चार साल से पानी मिलना शुरू हुआ है और खाल वगैरह न होने की वजह से, खेत हमवार न होने की वजह से और नालियों के न होने की वजह से रकबा C. C. A. में होते हुए भी वहां खेतों में पानी नहीं लगा है। वहां तो matured area का हिसाब और भी कठिन है सभापति महोदय, इसमें एक बात का खतरा भी है। आप को पता है कि water rate की booking कौन करता है और यह किस तरह से की जाती है। यह पटवारी करता है और जब किसी खाल में पानी चला गया था या यह किसी खेत में कट गया और पटवारी ने देख लिये तो वह फौरन उस के लिए water rate लगा देता है। इस काम में पटवारी को बहुत बड़े अधिकार प्राप्त हैं। यह उस के अधिकार में होता है कि अगर वह चाहे तो किसी की थोड़ी ज़मीन में पानी लगा दिखा सकता है और किसी की जमीन में ज़्यादा। यदि एक आदमी ने 20 बीघे में आबपाशी की है और यदि वह पटवारी को कुछ रुपये दे देता है तो पटवारी 20 बीघे की बजाये 15 बीघे ज़मीन में आबपाशी हुई दिखा देता है और यह आम तौर पर होता है जो किसान पटवारी को पैसा दे सकते हैं वह इस तरह करवा लेते हैं और जिस किसान के पास उसे पैसे देने के लिए नहीं होते या वह उसे approch नहीं करता और पटवारी के पास पहुंचने की कोशिश नहीं करता उसकी 20 बीघे की बजाए ज्यादा रकबे में आबपाशी हुई दिखा दी जाती है और अब भी यही होगा कि जो कोई उसे पैसे दे देगा, अगर वह आबपाशी तो करता है 20 बीघों में लेकिन पटवारी 15 बीघे में हुई दिखा देगा और इस के साथ यह betterment levy भी उस पर उन 15 बीघों पर ही लगेगी। इस तरह हर शख्स अब यही कोशिश करेगा कि बजाये वह अपने पूरे area पर betterment levy देने के वह पटवारी को कुछ दे कर 20 बीघे की बजाये आबपाशी की हुई जमीन का रकबा 15 बीघे लिखवा लेगा क्योंकि इस से एक तो उसे आबयाने में बचत होगी और फिर इस से उसे betterment levy में भी फायदा होगा जोकि कम से कम 50 रुपये तक होगा। इस बिल से यह सारे

[श्री शेर सिंह]

अधिकार पटवारी के हाथ में दिये जा रहे हैं हालांकि यह अधिकार C.C.A. पर betterment fee लगते समय पहले गवर्नमेंट के अपने हाथ में था जब कि यह C.C.A. area पर लगना था और उस के हिसाब से यह कहा जाना था कि आप ने इतना देना है। अब उस की बजाये इस बिल से assessment की power पटवारी के हाथ में चली गई है। अब पटवारी जितनी चाहे उतनी किसी की betterment levy मुकर्रर कर दे, चाहे वह किसी की बढ़ा दे चाहे किसी की माफ कर दे। इस लिए यह एक बड़ी खतरनाक चीज हो गई है और इस से पटवारी और जिलेदार के लिए corruption का एक नया रास्ता खुल गया है। क्योंकि अब लोगों को पता होगा कि पटवारी जहां चाहे कम कर सकता है और जहां चाहे वहां बढ़ा सकता है, इस लिए वह उस को कुछ दे कर अपना काम करा लेंगे। इस लिए matured area से यह एक बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो गई है। इस के साथ साथ original बिल में एक proviso थी जिस के साथ ज़मीदारों को बड़ा भारी फायदा हुआ था लेकिन इस बिल से जो पिछले ordinance को replace करने के लिए लाया गया है........

Mr Chairman : Is it not repetition ?

श्री शेर सिंह : नहीं repetition नहीं है। यह बातें पहले नहीं कही गईं।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ address ਦੀ discussion ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਤੇ discussion ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹੀ irrigation ਦੀ demand ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

Mr. Chairman : Order please.

श्री शेर सिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो आराम किसी किसान को पहले बिल से मिलना था, जो इस proviso के तहत गवर्नमेंट ने हिसाब किताब लगा कर बताना था कि कितना unproductive part किसी project का है वह अब नहीं बताया जायेगा। उस हिसाब किताब बनाने की जरूरत नहीं होगी और यह levy 25 रुपये तक फी एकड़ के हिसाब से वसूल कर ली जायेगी और इस की advance payment ले ली जायेगी, अब यह होगा कि जितना इन का दिल किया उतना लगा लिया और अब गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी हिसाब लगाने की खत्म हो जायेगी और इस से सरकारी अफसरान अब ढीले पड़ जायेंगे और वे अब दो, चार छः या दस साल तक बड़े आराम से यह हिसाब किताब बनाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सुविधा किसान को उस proviso से मिलनी थी वह अब इस बिल के द्वारा छीन ली गई है।

फिर आप एक और बहुत बड़ा अधिकार इस बिल के ज़रिये अपने हाथों में ले रहे हैं और वह यह है कि अब यह आप की मर्जी पर होगा कि यह levy किस area पर लगानी है। एक अधिकार तो इन्होंने यह ले लिया है कि यह वसूली बगैर किसी हिसाब किताब लगाये पांच रुपये, $7\frac{1}{2}$ रुपये या दस या पन्द्रह रुपये फी एकड़ के हिसाब से जितना

जी चाहे किसी किसान से कर ली जाये गी और इस के साथ साथ यह अधिकार भी सरकार अपने हाथ में ले रही है कि यह जिस area पर चाहेगी उस पर यह levy लगा लेगी। इस से अब इन को यह बतलाने की जरूरत भी नहीं रहेगी कि किसी project से किसी किसान को फायदा भी हुआ है या कि नहीं या वह जो project है आया वह productive है या unproductive है और यदि unproductive है तो कितनी unproductive पहले इन्होंने भाखड़ा की नहरों पर लगा दिया और अब यह Western Jamuna canal पर भी लगा दिया गया है। अब शायद किसी और नहर पर भी लगा देंगे क्योंकि सरकार ने तो केवल एक notification ही इस के लिए निकालनी होगी और यह इस किस्म की notifications निकालती ही रहती है। अब जिस नहर पर यह लगाना चाहेगी उस के लिए एक notification जारी कर देगी क्योंकि इस बिल में यह तो define ही नहीं किया गया कि किस किस नहर पर यह लगाई जानी है। यह इस बिल के ज़रिये बड़ी wide powers अपने हाथ में लेना चाहती है। यह बड़ी wide powers हैं कि जिस area पर भी चाहा यह levy उसी पर लगा दी। आप ज़रा देखें Western Jamuna Canal पर अब तक 6.73 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इस से एक साल का सारा खर्च निकाल कर जो बचत सरकार को होती है वह एक करोड़ रुपये की है। अगर आप 1947 के बाद का हिसाब भी देखें तो 1947 के बाद इस पर तीन करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है और इस नहर से 60 लाख रुपये वार्षिक सरकार को बचत होगी। इसी तरह से यदि tube wells आदि लगने के पश्चात् नए खर्च और बढ़ी हुई आमदनी का हिसाब लगाएं तो भी 20 से 24 लाख तक एक साल में इसे फायदा होगा। लेकिन आप tube wells को ले कर बैठ गये हैं और कह रहे हैं कि इतने tube wells लगा दिए हैं। Tube wells पर बिजली खर्च होती है इस लिये यह scheme तीन चार, लाख unproductive हो गई है। आप ने इस तरह से तीन या चार लाख का घाटा निकाल कर लोगों को तंग करने के लिये इसे unproductive ज़ाहिर किया है और इस लिये आप कहते हैं कि यह आप सब पर लगा सकते हैं। लेकिन यह रुपया तो वसूल कर लेंगे 10, 5, 7½ या जितना जी चाहा फी एकड़ के हिसाब से और यह सारा अंधाधुंध बेहिसाब तरीके से किया जायेगा। सभापति महोदय, फिर जिस area पर यह चाहेगी उसी area पर लगा देगी। यह इतनी wide powers इस बिल के ज़रिये लेना चाहती है। सरकार के अपने दिमाग में confusion है और यह लोगों के दिमाग को भी confuse करना चाहती है।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਿਲ ਅਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ statement ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ appeal ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ levy ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ postpone ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

5·00 p.m.

ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ agitation ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ withdraw ਕਰਨੀ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜ ਜੋ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ resolution ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ postpone ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ levy ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਲੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ—

ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਵੇਖੇ

ਅਜੇ ਮੰਗੀਆਂ ਖੋਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ।

ਹਾਲੇ ਖੋਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ betterment levy ਵਾਪਸ ਕਰਾਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ levy ਇਕ ਬੋਝ ਹੈ ਅਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ amendment ਅਜ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ levy ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, advance payment ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । 5, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹ Act ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ । ਇਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। Democracy ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ violate ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, T.A. ਅਤੇ D.A. ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਆਹ ਲਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ party ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਤਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Stalin ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭੁਲ ਗਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ) ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਤਕ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਕਢਦੇ । ਇਥੇ law and order ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ betterment levy ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ qualified support ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ amendments

ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ position ਲਉ ਮਗਰ clear ਲਵੋ (ਵਿਘਨ) ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਾ ਜੋ unproductive part ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਢੂੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟ ਪਵੇਗਾ । ਮਸਲਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ irrigation ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਿਸਾ 50, 50 ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ multipurpose dam ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ cost ਵਿਚੋਂ productive part ਕਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ unproductive ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਿਜਲੀ State ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ dam ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ depreciation ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਖੜੇ ਦੀ cost ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ Irrigation Schemes ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ civil works execute ਹੋਏ ਹਨ—ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚ ਵੀ unproductive part ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ rent unproductive part ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ plots ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ cost ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ unproductive part ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਕੈਨਾਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਪਾਣੀ perennial ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ 50 per cent ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ irrigated ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ value appreciate ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਨਹੀਂ (ਵਿਘਨ) ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ Irrigation ਦੀਆਂ facilities ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ Water Rates, Advantage Rate, Local Rate ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਲਗਣੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀ land ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ value appreciate ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : I rise on a point of Order, Sir. May I know under what rule the time of the speeches is being restricted in such an arbitrary manner ? There are precedents in the House of Commons as well as in our own House that speeches have continued on an important measure like this for as many as seven days. But, Sir, you are restricting the time of speeches in an arbitrary manner. You are asking the Members to close their speeches abruptly.

At least some sort of notice may be given to the Member who is speaking to wind up his speech so that he may not have to close his speech abruptly.

Mr. Chairman : I may tell the hon. Member that it is the desire of the Members to finish this work today.

Shri Baru Ram : Sir, are you playing the role of a representative of the Government ?

Mr. Chairman : I have not followed the hon. Member.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : On a point of order, Sir. ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ Chairman ਸਾਹਿਬ House ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ Bill ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

श्री सभापति : नहीं, Chair यह तो नहीं कह सकती लेकिन क्या यह भी नहीं कह सकती कि आप repetition न करें । (विघ्न) That is what I think. In my view that was a repetition. (No, the Chair cannot force the House to pass any Bill but can't it ask the hon. Member to avoid repetition ।

This is what I think. In my view, that was repetition.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, repetition is another matter.

Mr. Chairman : That was a repetition. That is why I stopped it. It is within my discretion to stop repetition.

Shri Baru Ram : Sir, are you playing the role of a representative of the Government ?

Mr, Chairman : No, I know it for a fact that the Members want to finish this work today. In fact, hon. Members were saying in the lobby that this work should be finished so that they might be able to leave for their constituencies etc.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਜੋ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ Betterment levy ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਉ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜ ਜੋ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਂ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਪਣੇ ਕਮੂਨਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਪਾਸ ਬਿਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ cause ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬਿਨੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਝਾਵ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹਨ ਅਤੇ constructive ਤਜਵੀਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।

ਇਹ ਜੋ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ Betterment levy ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਫੀਜ਼ ਜਾਲੰਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

"ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਦਮ ਜਰਮਨ ਕਾ ਬੜ੍ਹਤਾ ਹੈ"। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਕ ਵੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ constructive suggestions ਦਵਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਣ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ food grains ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ export ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਸੁਝਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ levy ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਮਣ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ food grain ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਰਮਾ ਕਪਾਸ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ export ਤੇ ਵੀ levy ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ assessment ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆਂ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ levy ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ assessment ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ water advantage rate ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ local rate ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair*)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸਿਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਥੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ Betterment Levy ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ (Is the hon. member speaking on the Betterment Levy or Master Tara Singh ?

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਨਾਬ, ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਖੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Mr. Speaker : No, not at all.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

Mr Speaker : I do not allow the discussion on the executive committee of Shiromani Akali Dal.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ refer ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Betterment Levy agitation ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : In this way it is relevant.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਅਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਰੀਕ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕਢਣ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦਿਆ ਕਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਭਾਤ' ਅਤੇ 'ਅਕਾਲੀ' ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਢ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ, ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਵੋ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮੂਨਿਸਟ ਭਰਾ ਇਕਠੇ ਹੀ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨੀਆਂ ਵਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER REG. CREATING A CORDIAL ATMOSPHERE FOR THE ENFORCEMENT OF BETTERMENT LEVY IN THE STATE

श्री अध्यक्ष : Hon. Members, आज Betterment Charges और Acreage Rates का बिल हाउस के सामने है। यह measure Press में और Public Platform पर भी controversy का विषय बना रहा है और बाद में इस ने agitation या सत्याग्रह की शकल अख्तियार कर ली जिस से कि Public में बहुत ज्यादा bitterness पैदा हो गई। इस सिलसिले में बहुत स वाके हुए और उन को सुन कर हमें बहुत दुःख होता है। सूबा पंजाब के लिये, जहां कि लायक और मेहनती आदमी रहते हैं, य चीज़ें शोभा देन वाली नहीं हैं। स्टेट में खराब फिज़ा का पैदा करना हां के लोगों के लिये creditable नहीं है। अब बिल अपनी आखरी stage पर है। मैं ने हाउस के दोनों तरफ के मम्बरान की तकरीरें सुनी हैं और मैं कह सकता हूं कि कुछ में इख्तलाफ के निकालने के लिये constructive suggestions दी गई हैं। मुझे सत्याग्रहियों औ Betterment levy के हामियों से बात चीत करने का मौका मिला है। मैं महसूस करता हूं कि आज वक्त की ज़रूरत यह है कि इस सारी चीज़ क लिये एक constructive और wholesome view पेश किया जाए। अगर हम far-reaching importance की development schemes को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इस मकसद को हासिल करने के लिये हमें ठीक, जायज़ और suitable इकदाम करने चाहियें। इस के लिये यह निहायत ज़रूरी है कि cordial atmosphere create किया जाए। जिन दोस्तों ने levy के खिलाफ agitation जारी किया है मैं उन से request करूंगा कि वे ऐसी फिज़ा पैदा करने में मदद करें क्योंकि यह बात ग़ैर जानबदाराना तौर पर तभी सोची जा सकती है अगर दोस्ताना फिज़ा पैदा की जाए। मैं सरदार अच्छर सिंह जी छीना से और दूसरों से appeal करूंगा कि वे तमाम ऐसी रुकावटें दूर करने में सहायता करें जो कि कशीदगी पैदा करती हैं और इस तरह से आपस में खुशगवार ताल्लुकात पैदा करें।

(Hon. Members, today the measure regarding the Levy of Betterment Charges and Acreage Rates is before the House. This measure has been the subject of controversy both in the Press and on the platform and then it took the shape of an agitation or a Satyagraha which has created much bitterness in the public. A number of incidents have taken place in this connection and we feel pained to hear about them. It is rather discreditable that such things should happen in the Punjab which is inhabited by intelligent and industrious people. The creating of unhealthy atmosphere in the State does not redound to the credit of its people. Now the bill is in its final stage. I have listened to the speeches made by Members on both sides of the House and I can say that in some of them constructive suggestions have been made to meet the conflicting view points. I have had an opportunity to talk to my friends of the Satyagraha (anti-levy) movement and also the protagonists of the betterment levy. I feel that today the supreme need of the hour is to put forward a constructive and a wholesome view of the whole matter. If we have to carry out development schemes of far-reaching importance, then with a view to achieve this object, we should endeavour to take

steps which are proper, suitable and correct. It is, therefore, essential that cordial atmosphere should be created for the purpose. I would request my friends who have sponsored this agitation against the levy to help creating such an atmosphere because the matter can be considered dispassionately only if this is done in a cordial atmosphere. I would appeal to S. Achhar Singh Chhina and others to help remove all such impediments which create bitterness and restore happy relations.)

Sardar Achhar Singh Chhina : In response to the appeal of the hon. Speaker, we should show a goodwill gesture to create cordial atmosphere for peaceful settlement of Betterment Levy question. I, on behalf of the Communist group in the Legislature, would appeal to the Punjab Kisan Sabha to call off the movement. We are making this appeal so that the whole issue can be settled dispassionately.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE PUNJAB BETTERMENT CHARGES AND ACREAGE RATES (AMENDMENT) BILL

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ agitation ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ, ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣ । ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ । ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੇਵੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਤਿਆਗਰਹਿ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਛੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਸੀ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੇਟਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ । ਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ betterment ਹੋਵੇਗੀ । Matured Area ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ ਪੁਖਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ । ਇਕ ਰਕਬਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਰਕਬਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਬਪਾਸ਼ ਪੁਖਤਾ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ 25 ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ । ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਚੀਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ । ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ sub conscious mind ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਮੋੜਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਛਡੇ ਹਨ । ਕੀ ਕਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ? ਅੱਜ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਵੈਸਟਰਨ ਜਮਨਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ordinary ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਉਸ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ backbone ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ? ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਲਗਿਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ । ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ those are for the administration to see.

ਜਿਹੜੀ constructive suggestion ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਝੋਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ । ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕੜੀ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਥੇ ਆ ਜਾਉ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਸਤਾ, violence ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ agitation ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ consider ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ agitation ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ।

ਇਹ ਤਾਂ international ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ agitation ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ decide ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ agitation ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ।

ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ । ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ । ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ordinance ਨੂੰ condemn ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਾਂ ਤੇ ਰਖਾਂਗਾ ।

ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ clear ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ levy ਲਗਨੀ ਹੈ ਉਹ matured area ਤੇ ਲਗੇਗੀ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ matured area ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਲਿਆ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਚਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ prove ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ *Professer* ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ।

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵਿਘੇ ਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਿਆ ਏਕੜ ਲੈਣ ਦਾ entitled ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ entitled ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਬਟਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ deserve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ restrictled ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੌਨੇ ਚਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ fodder ਦੇ under ਜਿਹੜਾ area ਹੈ ਉਸ ਤੇ 10% ਛਡਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ safe ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਏਗੀ ਜਿਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ agitation ਨੂੰ call off ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਲਿਆ ਸੋ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੋ ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE I

Sardar Achhar Singh Chhina : Sir, I beg to move—

In sub-clause (3), for "at once" substitute "Ist April, 1961".

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (3), for "at once" substitute "Ist April, 1961".

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (3), for "at once" substitute "Ist April, 1961".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

(*Sardar Umrao Singh rose to move his amendment*).

Mr. Speaker : Your amendment is too late.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : The following amendments given notice of by Prof. Sher Singh will be deemed to have been read and moved—

(1) In the proposed section 5A(1), lines 9—11, for "at such rate not exceeding twenty-five rupees per acre of such area as the Government may by notification direct" substitute "at a rate per acre sufficient to cover the unproductive part spread over a period of twenty years of an area receiving irrigation from a canal notified as unproductive by the Government on the basis of detailed accounts of estimated expenditure on and income from it."

(2) In the proposed section 5A(2), line 3, between the words "betterment charges" and "has" insert "prepared on the basis of actuals after the land begins to enjoy full benefit of irrigation".

(3) At the end of the proposed section 5A(4) add—"along with the accumulated interest thereon".

(4) In the proposed section 5A(1), line 7, for "1958-59" substitute "1960-61".

श्री शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस clause में 1958-59 की बजाए मैं ने amendment की है कि 1960-61 कर दिया जाए। यह amendment clause 3 के section 5A(1) की line 7 में है। यह मैं ने इस खयाल से किया है कि Government को इतना बड़ा हिसाब किताब करने के लिये दो साल और ज्यादा लग सकते हैं। इस लिए अगर मेरी amendment मान ली जाए तो ठीक रहेगा। बाकी अगर सरकार यह यकीन दिला दे कि वह जल्दी हिसाब कर लेगी तो ऐसा हो सकता है। फिर दो साल नहीं लग सकते।

[श्री शेर सिंह]·

इस के बाद इसी clause के section 5A(1) lines 9—11 में मेरी amendment है। इस में न तो rate define किया गया है और न ही area define किया गया है। मैं ने अपनी amendment के साथ इन दोनों चीज़ों को define करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मेरी इस argument को Government Benches ने भी माना है कि उन सब चीज़ों के खर्च को निकाल कर जिन का फायदा सब को पहुंचता है बाकी जो unproductive part रह जाए उस को 20 साल के अर्से में वसूल किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस असूल को Government Benches वाले मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस के साथ ही आमदनी और expenditure का detailed account भी लगा हुआ होना चाहिए। सरकार detailed expenditure और income का account लिख कर यह notify करे कि फलां फलां canal और उस के साथ फलां फलां project unproductive है। फिर जो unproductive हिस्सा हो उस पर जो रकम खर्च हुई हो उस को 20 सालों में वसूल किया जाए। यह भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो area उस से cover हुआ हो उन से ही वह रकम वसूल की जाए।

इस से आगे section 5A(2) line 3 में मेरी तरमीम यह है कि जो schedule तैयार हो वह actuals के basis पर होना चाहिए। वह estimated और rough figures के basis पर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का भाव यह है कि जब लोगों को पानी मिल जाए और फिर जो उन को आमदनी हो उस के आधार पर हिसाव लगाया जाए। लेकिन अगर आप वैसे ही फर्ज़ी schedule तैयार कर लेंगे तो बाद में वह कम ज्यादा हो जाएगा और उस से adjustments वगैरह का झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि जो schedule तैयार किया जाए वह actuals के basis पर किया जाए ताकि Government के सामने clear picture हो कि कितनी रकम वसूल करनी है।

इस के इलावा जो मैं ने section 5A (4) में amendment की है उस के असूल को भी उन्होंने मान लिया है। वह यह है कि अगर एक आदमी lump sum payment कर दे तो उस की सूद की बचत होनी चाहिए। इस के साथ साथ अगर कोई आदमी excess payment कर दे और बाद में पता लग जाए कि उस आदमी ने ज्यादा रुपया दिया है। तो फिर वह रकम उस आदमी को सूद के साथ वापिस मिलनी चाहिए। यह amendments जो मैं ने की हैं बड़ी ज़रूरी हैं। Parent Act के अंदर जो आप ने असूल माना है उस के मुताबिक अगर आप इन amendments को नहीं मानते तो उस Act में contradiction हो जाती है। जब हम एक clause में एक असूल को मान कर दूसरे section में उस को छोड़ दें तो उस से contradiction होती है। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस contradiction से बचने के लिये मेरी इन amendments को मान लिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed section 5A(1), lines 9—11, for " at such rate not exceeding twenty-five rupees per acre of such area as the Government may by notification direct " substitute " at a rate per acre sufficient to cover the unproductive part spread over a period of twenty years of an area receiving irrigation from a canal notified as unproductive by the Government on the basis of detailed accounts of estimated expenditure on and income from it ".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed section 5A(2), line 3, between the words " betterment charges" and " has " insert " prepared on the basis of actuals after the land begins to enjoy full benefit of irrigation ".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the proposed section 5A(4) *add*—

" along with the accumulated interest thereon ".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed section 5A(1), line 7, for 1958-59 " substitute " 1960-61 ".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

NEW CLAUSE 3-A

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I beg to ask for leave to move the following New Clause—

" After clause 3, the following new clause 3A be inserted :—

' 3A. After section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 9-A in Punjab Act II of 1953

9-A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, pending the publication of final schedules under section 4, any landowner may, if he so chooses, make an advance payment in lump sum of betterment charges leviable under the Act, at such rate as the Government may by notification direct, and where a land-owner exercises his choice to do so he shall not be liable to pay advance payment of betterment charges under section 5A, and if he has already paid any amount under section 5A, the advance payment payable under this section shall be reduced to that extent.

(2) The provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of section 5A, shall, as far as may be, apply to the payment made under sub-section (1). "

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to move the following new clause.—

"After clause 3, the following new clause 3A be inserted—

'3A. After section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 9-A in Punjab Act II of 1953

9-A. (1)Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, pending the publication of final schedules under section 4, any landowner may, if he so chooses, make an advance payment in lump sum of betterment charges leviable under the Act, at such rate as the Government may by notification direct, and where a landowner exercises his choice to do so shall not be liable to pay advance payment of betterment charges under section 5A, and if he has already paid any amount under Section 5A, the advance payment payable under this section shall be reduced to that extent.

(2) The provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of section 5A, shall, as far as may be, apply to the payment made under sub-section (1)."

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I beg to move—

"After clause 3, the following new clause 3A be inserted :—

'3A. After section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 9-A in Punjab Act II of 1953

9-A. (1) Not with standing anything to the contrary contained in this Act, pending the publication of final schedules under section 4, any landowner may, if he so chooses, make an advance payment in lump sum of betterment charges leviable under the Act, at such rate as the Government may by notification direct, and where a landowner exercises his choice to do so he shall not be liable to pay advance payment of betterment charges under section 5A, and if he has already paid any amount under Section 5A, the advance payment payable under this section shall rbe reduced to that extent.

(2) The provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of section 5A, shall, as far as may be, apply to the payment made under sub-section (1).'

Mr. Speaker, Sir, previously there was no provision by which an irrigator receiving the benefit could pay the Betterment Levy as an advance payment in one lump sum. By this new Clause, we just give a choice to the irrigator to pay off the Betterment Levy in one lump sum. Sir, this is the additional concession which will be given out to the persons who so choose. Such persons would not be burdened by the interest they have otherwise to pay. I hope, Sir, the House would unanimously agree to this New Clause.

Mr. Speaker : Motion moved—

"After clause 3, the following new clause 3A be inserted :—

'3A. After section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 9-A in Punjab Act II of 1953

9-A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, pending the publication of final schedules under section 4, any landowner may, if he so chooses, make an advance payment in lump sum of betterment charges leviable under the Act, at such rate as the Government may by notification direct, and where a landowner exercises his choice to do so he shall not be liable to pay advance payment of betterment charges under section 5A, and if the has already paid any amount under section 5A, the advance payment payable under this section shall be reduced to that extent.

(2) The provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of Section 5A, shall, as far as may be, apply to the payment made under sub-section (1).'

Mr. Speaker : The question is that the new Clause be considered.

(The question was affirmed)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहिब, जो amendment सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जी ने New clause No. 3A शामिल करने के लिये दी है मैं समझता हूं कि यह amendment इस कानून में जो इस वक्त हाऊस के सामने है जो एक lacuna रह गया था उस को पूरा करती है और ज़मींदारों को या irrigators को यह हक देती है कि अगर वह चाहें तो सूद से बच जाएं और जो रकम उन की levy की बनती है उस को lump sum में या यक-मुश्त अदा कर सकें। मैं समझता हूं कि यह निहायत ज़रूरी amendment है और मैं इस को accept करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

After clause 3, the following new clause 3A be inserted :—

'3A. After section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 9-A in Punjab Act II of 1953

9-A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, pending the publication of final schedules under section 4, any landowner may, if he so chooses, make an advance payment in lump sum of betterment charges leviable under the Act, at such rate as the Government may by notification direct, and where a landowner exercises his choise to do so he shall not be liable to pay advance payment of betterment charges under Section 5A and if he has already paid any amount under section 5A, the advance payment payable under this section shall be reduced to that extent.

(2) The provisions of sub-sections (3), (4) and (5) of section 5A, shall, as far as may be, apply to the payment made under sub-section (1).'

The motion was carried.

Mr. Speaker : This New Clause will be numbered as Clause 4 and the subsequent Clauses will be re-numbered accordingly.

EXISTING CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill,

The motion was carried.

EXISTING CLAUSE 5

Sardar Achhar Singh Chhina : Sir, I beg to move—

At the end of the proposed clause (cc) *add*—

"subject to the condition that any sum due under this Act may be paid in not less than 40 half-yearly instalments and the rate of interest which shall not exceed 3 per cent simple interest for the payment of such sum in instalments".

Mr. Speaker : Motion moved—

At the end of the proposed clause (cc) *add*—

"subject to the condition that any sum due under this Act may be paid in not less than 40 half-yearly instalments and the rate of interest which shall not exceed 3 per cent simple interest for the payment of such sum in instalments".

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the proposed clause (cc) *add*—

"subject to the condition that any sum due under this Act may be paid in not less than 40 half-yearly instalments and the rate of interest which shall not exceed 3 per cent simple interest for the payment of such sum in instalments".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

EXISTING CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (I) OF CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Sardar Ajmer Singh (Samrala, General): Sir, I entertain grave doubts about the practical use of this new clause which has been inserted at the instance of my hon. Friend Sardar Bhupinder Singh Mann. This is absolutely impracticable in the sense that we do not know what area will ultimately be determined to be liable for this Levy. Supposing a land-owner owns 50 acres of land—he irrigates 25 acres in the first year, 10 acres in the second year and 15 acres in the third year. I do not know how the Government will determine the Betterment Levy to be paid by this gentleman so that he may be able to avoid the interest later on. Mr. Speaker, Sir, I want to submit one thing more and it is this. The Schedule of Betterment Charges is proposed to be published. If it is not published, that would be very good. Previously it was said that Betterment Levy would be paid on the commanded area to the extent of Rs 200 or so and people were very much terrified that they are to be assessed at such a high rate. If things are to be settled ultimately and final schedule is to be prepared later on, this temporary schedule should not be published because it might be high and ultimately it would have to be reduced to another amount which would be minimum. Therefore, if the temporary schedule is high, the Government would be putting itself in an embarrassing position because people will entertain doubts. I would, therefore, Sir, pray that this interim schedule should not be published. The landowners are going to pay what they have to pay, but their future is uncertain in view of the fact that in the near future there is going to be co-operative farming. No landowner knows where he will get the land under the co-operative farming scheme. The provision for making this advance payment in lump sum made in the new Clause inserted at the instance of my hon. Friend Sardar Bhupinder Singh Mann might not be taken advantage of because of the doubts that a land-owner has about the future of his land. Therefore, I do not see any practical use of this provision. I fear that the publication of the interim schedule might put people in great trouble because that is something which they cannot pay. These are my doubts. Thank you, Sir.

चौधरी बारू राम (रजौन्द) : स्पीकर साहिब, गवर्नर साहिब के Address से ले कर आज तक इस Betterment Levy के बारे में बहुत से सज्जनों ने अपने अपने विचार रखे और कोई बात ऐसी इस में नहीं रही जो बग़ैर कहे रह गई हो। इस के सिलसिला में मेरे कम्युनिस्ट दोस्तों ने एक agitation चलवाई और काफी ग़रीब लोगों के साथ जुल्म करवाए । (*Voices of hear, hear from Treasury Benches*) मैं आप से hear, hear करवाने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ उन भाइयों के बारे में अर्ज़ करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिन्होंने पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के ग़रीब किसान के साथ धोखा कर के, वक्त पर उन का साथ छोड़ गए हैं। मैं यह कहता हूं कि यह party as a whole is condemnable इस के साथ ही मैं चीफ मिनिस्टर साहिब के American technique की दाद देता हूं और जिस तरह इन्हों ने आसमान पर चढ़ा कर नीचे गिराया है यह काबलेतारीफ बात है। मैं समझता हूं कि ये लोग जो हैं...... (*Interruption by Kanwrani Jagdish Kaur*)

6 p.m.

Mr. Speaker : Kanwrani Sahiba, what do you want to say ?

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤੀ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : ये दोस्ती तोड़ने वाले नहीं। (He is not the man to break friendship.)

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि :

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो इक कतराए खून निकला ।

मेरे काबल साथियों ने यहां पर बढ़ चढ़ कर तकरीरें कीं कि यह betterment levy किसानों पर जुल्म है। उस वक्त ये कहते थे कि ये levy देने के नाकाबल हैं और जितने दोस्त यहां बैठे हुए हैं उन्होंने constructive suggestions दी और इस बात पर बार बार जोर दिया कि किसान levy देने के काबल नहीं है । मेरे बजुर्ग साथी सरदार अजमेर सिंह ने बहुत सी suggestions रखीं और उन्होंने कहा था कि अगर ये suggestions मान ली जाएं तो इस प्रान्त का कल्याण हो सकता है। लेकिन आखिर हुआ क्या ? वे सब constructive suggestions बालाए ताक रख दी गईं और एक अच्छे dramatic scene के साथ उस को खत्म कर दिया गया ।

Chief Minister: No.

चौधरी बारू राम : ये जो assurances दी जा रही हैं और कहा जा रहा है मैं इस पर विश्वास नहीं रखता और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह पंजाब के किसान के साथ अच्छा खासा धोखा हुआ है। इस लिये मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इतना अर्ज़ करूंगा कि यह बिल अन्धकार में पास किया जा रहा है। और कितना वसूल करना है, कौन से area से वसूल करना है, क्या होगा, क्या न होगा। इस बात का कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया हालांकि कैरों साहब ने कहा है कि वह zero को goal बना कर पता नहीं क्या क्या हिसाब लगा लेते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस के लिये एक कमेटी बिठाई जाय जिस में सब parties के नुमायंदे हों, वे इस चीज़ की तहकीकात करें और figures find out करें। मैं ने राड़ेवाला साहिब को कई दफा सुना लेकिन एक नतीजा निकाल सका हूं कि आज तक उन्होंने इसे unproductive बनाने का कोई हिसाब नहीं दिया। इधर उधर की ज़रूर हांकी गई हैं लेकिन कभी कोई figures नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार मन मानी बातें न करे और एक कमेटी बिठाए जो doubts का हल निकाल सके।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि कैरों साहिब ने जो scene पैदा किया है, मैं तो कहूंगा कि guillotine apply की है, उस के लिये मैं उन की दाद देता हूं और आप ने जो मध्यस्थता की है उस की भी दाद देता हूं।

श्री शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने क्लाज़ तीन पर संशोधन दिए थे वे मन्त्री महोदय ने किसी prestige का ख्याल रखते हुए मंजूर नहीं किए। वे न करें, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये rules बनाने लगें, हिसाब करने लगें उस समय उन suggestions को सामने रखें। दूसरे मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अन्दाज़ा बनाते वक्त actual का हिसाब ज़रूर ध्यान में रखें। बारू राम जी ने ठीक कहा है कि निरे आश्वासनों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसान की आंखें फिर खुलें और उसे पता चले कि मेरे साथ धोखा हो गया है। इस लिए जब schedule बनाने लगें तो actual को ज़रूर ध्यान में रखें। यह न हो कि 1934 की figures को ही देखें। अगर उन figures को लेकर हिसाब लगाने लगेंगे तो इस से किसान के साथ बेइनसाफी होगी। इस लिये मैं चाहता हूं कि Rules बनाते वक्त सारी बातों का ख्याल रखें। ऐसा न हो कि अमल करते वक्त यह बातें भूल जायें और यह वायदे debates में लिखे रह जायें या अखबारों में छपे रह जाएं। इन बातों पर अमल न हुआ तो किसान के साथ बेइनसाफी होगी। इस लिये मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर के ध्यान रख कर जो बातें कहीं हैं उन्हें पूरा करें। मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिलाया है कि Western Jamuna Canal पर मुनाफे की सूरत में वे betterment levy नहीं लगायेंगे इस लिए मुझे आशा है कि वे इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाएंगे और तमाम चीज़ें लोगों को confidence में ले कर करेंगे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहिब, प्रोफैसर साहिब ने फरमाया है कि prestige का सवाल बना कर उन की amendments को नज़र-अंदाज़ कर दिया है यह हकीकत नहीं है। इस बिल में जो ऐक्ट की शकल लेने लगा है *ad hoc* basis पर यह चीज़ की गई है और आखिर में adjust करनी है। चीफ मिनिस्टर साहिब ने जब बाज़ेह और अल्फाज़ में इस बात का यकीन दिलाया है तो फिर उन के दिल में किसी किस्म का शको शुबा नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि कुछ सुझाव आये थे कि फलां बात को मद्दे नज़र रखा जाये। मैं उन की इत्तलाह के लिये अर्ज़ कर दूं कि जो कुछ हाउस में कहा गया है उस से ज्यादा गवर्नमैण्ट के ख्याल में बातें हैं और इसे final shape नहीं दी गई। बड़े शद्दोमद से कहा गया कि electricity की allocation finalise नहीं हुई जो statement दिया गया है उतना electricity पर डाला गया है। इस के इलावा work और भी हैं जो ज़ेरे तकमील हैं और उन की निस्बत खर्च का अंदाज़ा कर लेना ठीक नहीं। जमना या दूसरे tracts हैं उस के मुतअल्लिक हिसाबात वक्ती हैं। हम figures इकट्ठी कर रहे हैं उन के मुताबिक प्रोफैसर साहिब को इतमीनान दिलाता हूं कि चार लाख का खसारा है जिसे capitalise किया जाये। Jamuna Tract को मद्दे नज़र नहीं रखा। यह assurance चीफ मिनिस्टर साहिब से दी गई है कि जितना हाउस का हर मैम्बर anxious है उतनी गवर्नमैण्ट भी anxious है। कानून के

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]

मुताबिक जो rules बनेंगे ,मैं यकीन दिलाता हूं कि उस में सब से ज़्यादा गौर इस बात पर होगा कि किस तरीके से जमींदार का बोझ हलका किया जा सकता है। यह guiding principle है जो हमारे सामने है। इन अल्फाज़ के साथ मैं हाउस से अपील करूंगा कि इस बिल को amended form में पास किया जाये।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER ON THE PASSAGE OF THE PUNJAB BETTERMENT AND ACREAGE RATES (AMENDMENT) BILL.

श्री अध्यक्ष : यह बड़ी अच्छी बात है कि आप ने यह बिल unanimously पास किया है। अब जब कि betterment levy के खिलाफ सत्याग्रह वापस हो गया है, मैं अर्ज़ करूंगा कि यह मेरा ज़ाती ख्याल था कि अगर पंजाब में Democracy ने efficiently और ठीक तौर पर चलना है तो मामलात का हल आपस में तबादला ख्यालात कर के और नेक नियती से करना चाहिये बजाये इस के कि force और सख्त सरकारी इकदाम से किया जाये। इस ख्याल को मद्दे नज़र रखते हुए मैं ने अपने दोस्तों से अपील की थी जो खुद इस मामले को आराम से सुलझाने के लिये anxious थे। यह उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि मेरी अपील को मान लिया है। स्पीकर होने के नाते यह मेरा फर्ज़ हो जाता है कि अगर मैं इस हाउस में कोई undemocratic move देखूं तो मुझे माननीय मैम्बरों को उसे abandon करने के लिये आमादा करना चाहिये। मुझे डर था कि इस important Bill पर बहस के दौरान में common man का interest मुख्तलिफ पार्टियों के political pulls में ignore न हो जाये। इस वक्त हाउस में इतनी high tension थी कि उस के interest ignore हो जाने का ऐन इमकान था। इस लिये common man's interest के तहफ्फुज़ के लिये मैं ने appeal की थी और मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने inside और हाउस से बाहर भी यकीन दिलाया है कि इस मसले को हल करने के लिये उन का attitude helpful और responsive होगा। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि मैम्बर साहबान खाह वे किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हों किसान के interests का ख्याल रखेंगे (cheers)। मैं समझता हूं कि गवर्नमैण्ट इसे prestige का मसला नहीं बनाएगी क्योंकि ऐसी prestige हमेशा false हुआ करती है। मैं आप को ऐसा फैसला करने पर बधाई देता हूं।

(It is gratifying that the House has passed this Bill unanimously. Now that the agitation against the Betterment Levy has been called off I would like to submit that it has been my personal view that if Democracy in the Punjab

is to function efficiently and properly then things should be settled in a spirit of goodwill and mutual understanding instead of by force and stern official manner. Keeping this in view, I had appealed to my friends who were themselves anxious for a peaceful settlement of this question. It is very nice of them to have agreed to my request. It becomes my duty as Speaker that if I see any undemocratic move in the House I should try to pursuade the hon. Members to abandon that move. I was apprehensive that during the course of discussion on this important Bill the interests of the common man might be ignored in the political pulls of the various parties in the House. There was every possibility of these being ignored in view of the tension that prevailed in the House. I had, therefore, made an appeal in order to safeguard the interests of the common man and I am glad that the Chief Minister has held out an assurance inside and outside the House that his attitude would be helpful and responsive in solving this question. Similarly, I also hope that all the hon. Members irrespective of their party affiliations would do everything to promote the interests of the Kisans (*cheers*). I think that Government would not make it a question of prestige as on such occasions any notion of prestige serves no useful purpose. I congratulate the hon. Members for taking up this decision.)

THE ELECTRICITY (SUPPLY) (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) **:** Sir, I beg to move—

> That the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाब स्पीकर साहिब, इस से पहले मैं resolution पर बोलते हुए इस पर काफी रोशनी डाल चुका हूं। इस बिल की statement of objects and reasons में यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि यह amendment हमारे लिये निहायत लाज़मी है। वरना हम को एक और अलहदा department रखना पड़ता था और दूसरी तरफ Board बनाना पड़ता था। इन हालात में यह बिल निहायत ज़रूरी है। मैं हाउस से इलतजा करूंगा कि इसे consider किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ आधा मिनट ही लूंगा। मैं एक ही appeal करना चाहता हूं कि जब इस बोर्ड में non-officials लिये जायें तो हरियाणा जैसे backward इलाके को भी इस में नुमायंदगी दी जाये।

(At this stage, some hon. Members including Sardar Bhupinder Singh Mann rose to catch the eye of the hon. Speaker.)

ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ : ਛਡੋ ਜੀ, ਅਗੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

(The hon. Speaker called upon Sardar Bhupinder Singh Mann to speak).

ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ : ਛਡੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਉ।

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana, General) : Sir, I know that the Members are anxious to leave for their homes and I do not want to ignore their appeals but, to me, it is a matter of vital importance. It is so important that I kept silent for a greater part of the Session to devote some time to it.

Sir, the Bill is to be passed today . . .

Mr. Speaker : The hon. Member may take as much time as he likes for speaking on this Bill. There is ample time.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I am sorry I am inflicting a speech on the tired House but I assure the Members that I will be very brief and I hope that they will bear this infliction.

Certain questions of principle are involved and I want to raise them here. In fact, I have already raised one or two questions and you, Sir, have promised to look into the matter. Now I will explain all those points and request the hon. Minister to kindly state the position of the Government in respect of those points.

The State Electricity Board is being formed and certain rights and interests of the State Government are sought to be transferred to the Board through this Bill, though the Electricity (Supply) Act enjoined upon the State Government as far back as 1948 to form this Board. The hon. Minister has stated that the State Government were resisting such formation. I have not been able to appreciate this resistance. May I know what were the reasons for this resistance ?

Today, they say that the matter was so urgent and important that they could not wait for the meeting of the Legislature and therefore they issued an Ordinance. But the facts, as they are, do not support the argument that there was urgency. There is a contradiction which I want to be explained. The Act enjoined upon the State Government as early as 1948 to constitute this Board but all along the Government kept mum and in 1959, i.e., after 11 years, they have issued an ordinance. I fail to understand where was the urgency. When they could wait for 11 years, why could not they wait for one month more ? Sir, this is a good measure. But I strongly feel that resort to Ordinance should be made very very rarely. Only in cases of emergency, should the Ordinances be issued.

Sir, so far as this measure is concerned, I welcome it wholeheartedly, tho ugh the events of the last few days have created misgivings which make me reluctant in extending a wholehearted welcome to it. Sir, to me, it seems that the Government itself is not clear as to what they are going to create. It is a different matter if it is the choice of the Minister to reduce himself to the status of a Deputy Secretary but I cannot accept that plea and ask this House to divest itself of all its rights and thus sign the warrant liquidating its powers and right of asking questions or making a probe into the Affairs of the Board, when necessary.

I have gone very carefully, not once but many times, into the Electricity (Supply) Act of 1948, which is the parent law under which we are proceeding to form the Electricity Board. There is no clause in this Act which forbids this Legislature to ask questions or prevents it from exercising vigilance over the Board and having proper control over it. But from the behaviour of the

Secretariat of the past few days I find that there is a natural anxiety on its part to have less work as far as possible. It wants to follow the old principle of " Less work and more pay ".

Every Secretary wants that he should have less of responsibility. He is very reluctant to deal with many files and very often he does not deal with files on one excuse or another. He raises some sort of queries or says " We have no responsibility in this case. It is not ours. "

A few days ago, some sort of doubt was expressed by the Minister while answering questions in this House. Today, he has stated in a persuasive way and with a bewitching smile that it is a very ordinary matter. Today he wants our assent and tomorrow he will say " It is none of my business. I refuse to answer any question regarding Electricity Board because it is an autonomous body. " So, it is not an ordinary matter. It is a matter of vital importance.

I wish Sardar Rarewala could explain to me as to what he means by "autonomy". Here is the Bible—the Electricity (Supply) Act—under which this Board is being formed. We should be told from where the Government or he has taken this word " autonomy ". How are they introducing this word ? What do they mean by it ? They are asking for the permission of this House to create the Board which will be answerable to the Government.

Under the Act, the Board is required to submit in a particular month to Government its Budget—a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure—for the ensuing year and the Government, in turn, is required to place the Budget or financial statement of the Board before the Legislature and that will be open to discussion by the Legislature. One thing is there, it is our statutory right to discuss the Budget of the Board but like the charged items that are included in the Budget of the State Government, it will not be subject to our vote. Nevertheless, if we have a right to discuss the Budget of the Board, then we have also the right to ask in what way the amount provided in the Budget or under a particular item is being spent. The Government are creating a statutory Board and not an autocratic Body.

When I say that it is a matter of principle, I do so because we are evolving a Socialistic pattern of Society. Gradually, we will be taking more and more aspects of business in our own hands. Already we have got a Road Transport Corporation. I fear that if the argument that questions in regard to the Board cannot be asked—I am quite sure that it is a wrong argument—is accepted, tomorrow the Transport Minister will say " I refuse to answer questions because the Transport Corporation is an autonomous body " and, Sir, the case of the Corporation will be much more convincing because the Government is only a partner there. But this Board is an agency which is totally financed by the Government. If it is financed by the State Government, then how can we, who are the guardians and watchdogs of financial interests of the State and democracy be precluded from exercising control on the Board. We will not agree to this proposition and to this exposition of law that henceforward this House will have nothing to do with it and that the Minister can say again and again that it is an autonomous body and we have got nothing to do with it.

[Sardar Bhupinder Singh Mann]

Today it has been stated that the Government is completely responsible for the carrying out of its policies. In this Act, it is stated that the Government can give instructions and directions to the Board and can remove or suspend the Chairman or the Members of the Board. It has also been laid down that the State shall create State Electricity Council and may form Local Advisory Committees. If there is a deficit, the parent Act further lays down, then the Government can, with the approval of the Legislature, give subventions. In that case, the Government will be coming to and asking the House to grant money for the Board.

In that case, Sir, if the Board is responsible to the Minister, then I say the Minister is responsible to this Assembly. Sir, he has been telling us all these days that the Board is an autonomous body and he will not be answering questions concerning it. If he wants, I can quote precedent after precedent where questions concerning such bodies have been answered in the Legislature. In England, where certain Corporations have been set up, the Members enjoy the right of asking questions and short notice questions, asking for papers and making motions etc. in regard to those bodies in the House of Commons. If the reasons for this procedure in the House of Commons are not easily understandable, then I ask the Minister to look to the procedure being followed in the Lok Sabha. There also, questions in regard to such bodies are asked. I could cite certain precedents from a document which I have got with me but it so happens that it is confidential.

Sir, there are so many instances to convince the hon. Minister about the right of asking questions by the Members about the day-to-day working of the Electricity Board. There is the Damodar Valley Corporation Act, Transport Authority Act, Industrial Finance Corporation Act, etc. etc. Sir, in all these Corporations, the Government is only a share-holder but questions relating to these Corporations are asked. My right of asking questions does not take its origin from this piece of paper, i.e., the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill, 1959, upon which the hon. Minister takes his stand that no Member can ask questions about the Electricity Board because it is an autonomous body. My right of asking questions is based on conventions. I concede that the Members of the Electricity Board are men of integrity, they are good administrators, they are good Engineers and are men of outstanding merit. But when 68 Crores of Rupees of this State are going to be spent on this Board, how can we be denied the right to ask questions and how can they refuse to answer the questions relating to the working of the Electricity Board. Sir, it is just like a son becoming a father (*interruption*)—of course, a very rude father or it is just like the Governor defying the authority of the President. Sir, I, therefore, challenge this Bill. I am of the opinion that I can ask questions because public money is to be spent. My right to ask questions takes its origin from conventions.

Mr. Speaker : The ultimate power is still in the hands of the Legislature. Earlier decisions can be revoked.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Yes Sir, ultimate authority of the House is there. But I do not wish to go to that extent. Of course, I will not perform a distasteful duty of moving a no-confidence motion against the Minister and for the cancellation of the earlier decisions. But all the same my apprehension is that questions on important matters relating to the Electricity Board might not be allowed. But so far as broader policies are

concerned over which the Minister has cognizance, I will come to this later. So far as the right of discussion by the Legislature on the financial statement is concerned, the Minister concedes it.

Mr. Speaker : But I shall be happy if you are able to convince the Minister-in-Charge that questions about the working of the Electricity Board which is an autonomous body can be asked and you confine yourself to this.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Mr. Speaker, Sir, whenever there is any Demand for Grant before the House or whenever there is any Bill or Resolution, the Secretary of the Department concerned is always present in the Official Gallery.

But to-day, Sir, the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill is being discussed but no body on behalf of the Electricity Board is present. From this fact, the defiant attitude or the aristocracy of the Board can be judged. Sir, it can be imagined that they will be refusing to answer questions. Not a single person on behalf of the Board is present.

Minister for Irrigation and Power : Sir, the Secretary is there.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Yes, the Secretary is no doubt there but he will not play an important part in the Board. The important functionaries on the Board are the Members themselves and not the Secretary.

Mr. Speaker : There are two aspects of questions. So far as the questions about the internal working of the autonomous bodies are concerned, the position taken up by the Government is that such questions cannot be asked. The Government, however, concedes that questions on wider issues or policy matters in regard to which it has responsibility and power may be asked.

Questions about the day-to-day working of autonomous bodies such as appointment of officers, their pay, transfers and all other questions like that cannot be asked because the Minister has got no control over such matters.

As regards the discussion of the financial statement of the Board, the Minister has already conceded that discussion can be held on it when it is presented to the House.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, that is not his magnanimity. The parent Act itself has conferred this power on the Legislature.

Section 61 says—

"(1) In February of each year the Board shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure for the ensuing year.

(2) The said statement shall include a statement of the salaries of members, officers and servants of the Board and of such other particulars as may be prescribed.

[Sardar Bhupinder Singh Mann]

(3) The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the Table of the House or, as the case may be Houses of the State Legislature ; and the said statement shall be open to discussion therein but shall not be subject to vote...... "

So, the Minister has not given any concession. Actually, he has seen the law very recently.

Sir, in that statement which will be ultimately placed on the Table of the House all sorts of details will be given and it will be open for discussion by the House. In this matter, Sir, I ask the Minister that if I can discuss the Budget, if I can discuss even the salaries of ordinary servants of the Board, how and in what way does he take away my right to put questions in regard to the Board.

Mr. Speaker : The rules regarding questions are very clear. According to those rules, any matter which is not within the cognizance and responsibility of the Minister cannot form the subject-matter of a question and in this case the responsibility and cognizance are lacking because the Minister has got no power to interfere in the day to day and internal working of the Board. So how can he be held responsible for answering questions in regard to matters in respect of which he has got no power and responsibility?

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, the worry is here.

Mr. Speaker : I am very anxious that the hon. Member should clear the way for us.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it is a developing convention. In the Bombay Legislature, even now such questions are asked about Corporations. In our Lok Sabha, questions are asked about those Corporations. I concede, Sir, that a convention for a uniform procedure in the whole country is yet to be evolved. But everywhere, it is conceded that it is within the discretion of the Speaker to admit or disallow such questions. Sir, if you, in your discretion, feel that a particular question asks for details of a matter in regard to which the Minister has got no control or power then you may disallow that question. But, a flat refusal, as the Minister has made, to answer questions concerning the Board will not be acceptable to this House.

Sir, there are four points involved, i.e., admissibility of questions in regard to the Board, discussion of the Budget of the Board, scrutiny of the estimates of the Board and examination of the accounts of the Board. I have already dealt with the first two questions. Now I will take up the questions of scrutiny of the estimates and accounts of the Board.

There are two Financial Committees of this House, viz., the Public Accounts Committee and the Estimates Committee. Sir, when the hon. Minister says that this Board is autonomous, does he, by this, mean that the accounts and estimates of this Board will not be open to scrutiny by the Public Accounts Committee and the Estimates Committee respectively. If he thinks that way, then I am prepared to join issue with him. Has he got the opinion of experts in this matter ? In the Act, there is nothing to

prevent the scrutiny of the accounts and estimates by the financial Committees of this House. Of course, the accounts of the Board are not to be audited by the Accountant General's office because it is laid down in the Electricity Act that " the accounts of the Board shall be audited concurrently and annually by a person who shall be qualified under the provisions of section 144 of the Indian Companies Act, 1913 to act as an auditor of companies and who shall be appointed by the State Government. " But, as I have already stated, this Act does not prevent the Committees of the House to scrutinise the estimates and accounts of the Board. We are very much anxious not to lose our control on the Board.

Now, Sir, I come to another point. Electricity is to be supplied to different States. May I know if any agreement—Inter-State agreement, has been arrived at with the Rajasthan Government. Similarly, electricity has to be supplied to Delhi and for that purpose also an Inter-State agreement is necessary.

Minister for Irrigation and Power : Sir, the hon. Member has not seen the actual agreement.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I want to know what sort of agreement has been arrived at with the Rajasthan Government. I also want to know whether there is any commitment made with Delhi Administration. My fears are that the Electricity Board will become commercial-minded in their anxiety to earn more revenue and more money, they will supply more electricity to the adjoining States.

Minister for Irrigation and Power : Sir, he has not seen the agreement. I think he is irrelevant.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I can well understand the anxiety of the Irrigation and Power Minister but I want to express my views. It will be his choice to leave away the power.

Sir, my forebodings are that if this Board is not subject to the control of this august House, it may become autonomous and autocratic in the real sense and may supply more electricity to Delhi leaving little quantum of power for the agricultural and industrial purposes in the State of Punjab. There will be very little power left to fulfil the promise that has been made by the Government that every village in the Punjab will be electrified in addition to the power to be made available for industrial purposes.

Minister for Irrigation and Power : Sir, these matters are in the hands of the Government.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I am glad that my purpose is being served as the hon. Minister is conceding the points gradually. He is realising his responsibility. If he says that it is within the competence of the Government, then we can hold him responsible. After all, this is my point. If he shoulders the responsibility then it is an improvement upon his previous performance.

Sir, it has been stated that a Council will be constituted. May I know if any steps have been taken to form that Council. The Government has created the Board through the promulgation of an Ordinance but I regret to say that so far the non-officials who were to be nominated to this Board

[Sardar Bhupinder Singh Mann]
have not yet been taken. I am sorry to say that the performance of the Government from the beginning is discouraging. The Government has, from the very start, created a Board which is autonomous in the real sense of the word because there are no non-officials on it. Nor have any steps been taken to nominate non-official members on it. The Board, as it is, will be more autocratic. The State Electricity Council which is to supervise the affairs of the Board has not so far been constituted. I feel if the Board is to function properly, adequately and effectively and in a responsible way, then the Council to be constituted should give adequate representation to all the interests. In this regard, there are certain fears which I want to explain here. It was said by one of my hon. Friends that there should be one representative of agriculturists in the Council. I would like to point out that the main Law says that at least one representative of the specified interests should be taken in the Council but it does not forbid appointment of more than one representative of the same interest.

Minister for Irrigation and Power : Who says that ? There is nothing to forbid the Government to do that.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I am glad to know that the hon. Minister has conceded that there is nothing to prevent the Government from appointing more than one representative of a particular interest on the Council. In that case I hope he will not forget the interests of the agriculturists which I regret to say have so far been completely ignored. In other words, he should try to give adequate representation to the agriculturists. I will give an instance of how the interests of the agriculturists have been neglected. The rate at which electricity is being supplied to the agriculturists is higher than that at which it is being supplied for industrial use. I want to know whether he is prepared to give instructions for reduction of the rate per unit of electricity supplied to the agriculturists to bring it at par with that at which it is being supplied to the industrialists. The reduction of rates is a policy matter and the Government is certainly competent to give directions in this behalf. How can the Minister expect the agriculturist to produce more foodgrains if he is supplied costly electricity.

Mr. Speaker : The hon. Member need not go into these details.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I am glad that the Board has been formed as a commercial organization and the Government has got every right to issue instructions. Even at the cost of repetition, I would like to know whether the Minister is prepared to issue directions for the reduction of the rate of electricity supplied to the agriculturists.

Mr. Speaker : The hon. Member need not repeat this point again and again. He should take up another point.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I am giving concrete instances and suggestions. I am happy......

Mr. Speaker : I am sure the hon. Minister will always keep him happy. He need not worry much about it.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, when he refused to answer questions, I was very much worried. When I started my speech today, I was

very much worried. Now, as things are improving, my worry is correspondingly lessening. But now I ask the hon. Minister whether he will take steps to reduce the charges at which electricity is supplied to the Agriculturists with a view to bringing them at par with those at which it is being supplied to the industrialists. Sir, I am giving a concrete suggestion to him for being conveyed to the Board for implementation.

An Hon. Member : He should make an announcement in the House today.

Sardar Ajmer Singh : While speaking, he has conceived many things and he is delivering them (Laughter).

Sardar Bhupinder Singh Mann : I am quite sure the results will be much better than this.

Mr. Speaker : There are so many conceptions and misconceptions. Let them continue.

Sardar Bhupinder Singh Mann : I think, in view of the results which are flowing, he will not be jealous of this conception.

Sardar Ajmer Singh : I appreciate that.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I take pity upon the much-maligned Minister and do not want to proceed further. I hope that he will fulfil the promises and assurances that he has given.

Thank you, Sir.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ Electricity ਬਾਰੇ ਇਕ question ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ refuse ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ, ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ question ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ power house ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ sub-station ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ Board ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ actually ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ current year ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Board ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ Board ਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ public ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਤਾਂ public ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ Board ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Board ਉਤੇ ਕਿਸੇ public ਦੇ representative ਦਾ control ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ Board ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ discuss ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ Board ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ arbitrary ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ efficiently ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ discuss ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ discuss ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ efficiency ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ । ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਡੇ ੨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ check ਅਤੇ control ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ check ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ efficiently ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ Board ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ discuss ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ Board efficiently ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ Assembly ਵਿਚ discussion ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਆਨੇ ਫੀ unit ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ 5 ਆਨੇ ਫੀ unit ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ industry ਲਈ 5 ਪੈਸੇ ਫੀ unit ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ, ਅਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ 5 ਆਨੇ ਫੀ unit ਤੇ Industrial purposes ਲਈ 5 ਪੈਸੇ ਫੀ unit ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ tube-well ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ hue and cry ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ rate ਦੋ ਆਨੇ ਫੀ unit ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤ੍ਰੀ : Discussion ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ power ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹ discussion ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ । ਇਸ discussion ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ discussion ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ Board ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ interfere ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ interfere ਕਰਨ ਦੀ power ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ।

ਬਾਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ autonomous institution ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ great step ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ autonomous institution ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ University ਵੀ ਇਕ altogether autonomous body ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ

ਵੀ vested interests ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ examination ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਹ interests ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਥੇ in power ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ University ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕ autonomous body ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ unit ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਥੇ ਵੀ vested interests ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ Board ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ Board ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ public ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ public ਦੀ ਕੋਈ voice ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ Board ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ justify ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ day to day working ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ interference ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੀ interference ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ working ਵਿਚ interference ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ interference ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ efficiently ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ undemocratic ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ Central Government ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Centre ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ Board ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ Centre ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ corruption ਨੂੰ control ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ efficiency ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Board ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ undemocratic ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਵਾਂਗੇ ।

7.00 p. m.

ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ institutions ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ House ਦੇ control ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ।

राश्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : स्पीकर साहिब, मुझे चन्द एक लफ्ज़ ही कहने हैं। अगर यह ज़रा गौर से सुनें तो दूसरे भी, इन के इलावा, अक्ल की बात कह सकते हैं। इन का मनशा कुछ और है मगर असल में जो बात नज़र आती है वह कुछ और है। मैं मानता हूं कि Parent Act की दफात 17,18 के मुताबिक इन Board की functions powers और duties होंगी और यह Board Centre के कहने के मुताबिक बनाए गए। जो इख्तयारात Parent Act की दफात 17,18 में लिखे हैं वह

[राम्रो गजराज सिंह]
बेशक इन Boards को दे दी जिये । अब ज़रा देखिए sub-section 27 A में इन्होंने लिखा है :

'Not with standing anything contained in this Act....' यानी जो Parliament Act है, उस के बावजूद हम ने तमाम इख्तयारात इस Board को दे दिए हैं। आप ने यह बात मान ली कि बोर्ड बनाओ और जो main Act की 17,18 दफात में इख्तयारात इस को देने थे वह भी दे दो। अब जो चीजें रह गई हैं 'The Government may for the purpose of the Act transfer all or any of its rights....' अगर यह may का लफ्ज़ न होता तो किस्सा ही खत्म हो जाता, जितनी चीज़ों की transfer Central Electricity Act require करता है इस Board को दे दो। यह पहले ही हो चुकी हैं—services वगैरह का control वगैरह आप दे चुके हैं। इससे ज्यादा powers आप transfer नहीं कर सकते और न ही करनी चाहिएं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : स्पीकर साहिब, दो तीन बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह कही गई कि ordinance बनाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी जल्दी क्यों की। यह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं। 1948 के Act के तहत दो साल के अन्दर २ बोर्ड बनना चाहिए था इस लिये या तो इस period में Government of India extension देती या हम बोर्ड बनाते और कुछ नहीं किया जा सकता था यह period पहली February को खत्म हो रहा था further extension न मिली। यह 48 के Act के मुताबिक mandatory provision था—(*Interruption* by Sardar Bhupinder Singh Mann) आप अभी बाहर से आए हैं। Government of India ने, जो तारीख मुकर्रर की थी, उस में तौसीह न की। इस लिये इस Board को set up करना लाज़मी हो गया। उस वक्त तो सैशन था और न अनकरीब होने वाला था। इस लिये सिवाए Ordinance जारी करने के लिये और कोई चारा न था। बाकी इस की functions बारे यहां पर discussion बारे शुबहात ज़ाहर किए गए। इस के मुतअल्लिक भी जो facts हैं मैं वाज़ेह कर चुका हूं। इस बोर्ड के सुपुर्द जो matters होंगे उन को 3 categories में बांट सकते हैं, Matters of policy, Matters connected with the discharge of statutory duties और Day to day administration of the Board. जहां तक day to day administration का ताल्लुक है यह सारे इख्तयारात उन के पास हैं किसी को post करें, transfer करें या सज़ा दें, वगैरह। इन में ministry का दख्ल नहीं है और न होना चाहिए, वरना एक autonomous बोर्ड बनाने का कुछ मतलब ही नहीं रहता। जहां दूसरी दो categories का सवाल है, उन में हम दख्ल दे सकते हैं और यहां पर questions भी पूछे जा सकते हैं। (तालियां) जो बातें इस के मुतअल्लिक यहां पर कही गईं वह तो सिर्फ flights of imagination थीं, हकीकत पर मबनी नहीं थीं।

बाकी राओ साहिब ने फरमाया था कि हम ने इस में वह notwithstanding anything contained in this Act के लफ्ज़ रख दिए हैं, जिन का मतलब यह है कि Government of India ने जो Act बनाया था हम उस से भी ज़्यादा इख्तयारात उन को दे रहे हैं। यह ठीक है । मैं कहता हूं कि यही तो lacuna था। पंजाब की खास हालत थी। यहां inter-state और common pool की बात थी, दो states का मामला था जो partners थीं। इसी चीज़ को पूरा करने के लिये यह amendment लाई गई है। आप कहते हैं यह न करो। तब तो इस का मतलब ही फौत हो जायगा। पंजाब भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और 1948 के Act में जिस तरह provision है हर State ने Board बनाया है.....

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, will the hon. Minister henceforward be known as the Electricity Board Minister or the Power Minister ?

Minister for Irrigation and Power : Power Minister.

श्री अध्यक्ष : इस में एक बात जो सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने कही थी वह यह थी कि जब यह ordinance आप ने जारी किया था उस वक्त असैम्बली के सैशन का नोटिस मैम्बर साहिबान को जा चुका था। You could very well wait for that interval.

(One thing that Sardar Bhupinder Singh Mann said was that when this Ordinance was issued notices summoning the hon. Members for the Assembly Session had already been sent. You could very well wait for that interval.

Minister for Irrigation and Power : Sir, we had to set up this Board on the Ist of February, 1959. We had no option.

Mr. Speaker : Then there was no help.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे एहसास है इस बात का कि यह अभी process evolution में है, हमें conventions कायम करनी हैं। 1945 में यह बात सामने आई कि ऐसे बोर्ड बनाए जा सकते हैं। तब इस के मुतअल्लिक दो राए हो सकती थीं लेकिन जब 1948 का Act बन चुका और सारे हिन्दुस्तान पर नाफज़ हो चुका था तब तो लाज़मी तौर पर हर जगह बोर्ड बनने ही थे। पंजाब इस बात में सब से पीछे था। उस वक्त हमारे लिये यह ordinance करना लाज़मी हो गया था और यह बिल भी लाज़मी है। Board set up हो चुका है और यह कुछ चीज़ें उन के सुपुर्द करनी हैं। इस लिये House से request करूंगा कि इसे पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Electricity(Supply) (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala): Sir, I beg to move—

That the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Electricity (Supply) (Punjab Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

(*The Sabha then adjourned till* 2.00 *p.m. on Monday, the 30th March, 1959*).

6181/P.V.S.—347—C.P. & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

30th March, 1959.

VOL. I—NO. 25

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 30th March, 1959.

P.T.O.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab,
1959

Price Rs. 5.35 N.P.

ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debate, Vol. I, No. 25, dated the 30th March, 1959.

Read	*for*	*on page*	*line*
यहां	जहां	(25) 11	last but one
recovery	recovery of	(25) 14	34
Pistol	stols	(25) 15	line 2, column 6
said	aid	(25) 26	5 (d)
buildings	bui dings	(25) 26	7
Suraj	Su aj	(25) 26	7
estimated	estima ed	(25) 26	9
supplement	supplem nt	(25) 49	19th from below
Ferozepur concld	Ferozepur contd	(25) 55	6-7
placed	palced	(25) 63	7
the	he	(25) 63	8
Distillery	Distilleery	(25) 69	7th from below
the Electoral	he El ctrol	(25) 70	5
realisation	real ation	(25) 70	10th from below
referred	refered	(25) 70	9th from below
Note	ote	(25) 70	2nd from below
action	ac ion	(25) 71	8
approximate	app oximate	(25) 72	14
execution	ex cution	(25) 73	last
Commit	Committ	(25) 75	24
Sub-Tehsil	Sub-Teh il	(25) 76	14
person	peysons	(25) 76	22
were	was	(24) 77	7
furniture	furnitur	(25) 85	30
बजे	बज	(25) 89	5th from below
करे	कर	(25) 89	Ditto
agricultural	ag rcultural	(25) 89	9
State	Stat	(25) 91	19

intimation	intimition	(25) 93	13
A	a	(25) 93	26
the	th	(25) 97	3
Sir	Si	(25) 101	7
recommit	recomit	(25) 102	25
ਕਮੇਟੀ	ਕਮੇਟੀਆਂ	(25) 103	18
ਵਿਚ	ਵਿਹ	(25) 103	last
taken	tak n	(25) 105	36
consideration	considertion	(25) 106	8th from below
ਨੂੰ	ਨੇ	(25) 120	13
चलने	चलाने	(25) 123	11
से	के	(25) 128	3
Reading	Reding	(25) 131	14th from below
की provision	को provision	(25) 137	last
ਸਦ	ਮਦ	(25) 138	7
Lata	Latta	Annexure	4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, 30th March, 1959.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

(*At this stage Chaudhri Devi Lal entered the Chamber*). (*Cheers*).

OATH OF OFFICE

Swearing in of a Member

The following Member was sworn in:—

Chaudhri Devi Lal. (Cheers).

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : Now we will start with questions.

INDUSTRIAL AREA IN PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***3304. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether any area has been declared as an Industrial area in Panipat, district Karnal, if so, when, and the extent of the area which was declared as such ;

(b) whether it is a fact that the area referred to above has remained under cultivation even upto now ; if so, the number of Cultivators cultivating the said area ;

(c) whether he is aware of the fact that some officials of the Panipat Work Centre have been collecting the amount of the rent value from the tenants of the said land; if so, the amount so far realised and deposited in the Treasury, together with the dates when it was so deposited ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, an area of 225.6 acres bounded by the Jind Railway Line in the North and East, the Asand Road in the South and the garden of Rai Bahadur Janki Dass in the west, was declared as an Industrial Area at Panipat in the year 1949.

(b) A part of the area has remained under cultivation. At present eleven parties have been given some vacant plots on lease for grazing purposes.

(c) Yes. One Ex-Accountant of the Vocational Training Centre, Panipat realised some amounts from unauthorised cultivators without any competent orders. The amount realised by him is not known. He was suspended and action is being taken to prosecute him. Apart from this a sum of Rs 3,975 has been realised as grazing fee from the parties referred to in (b) above during 1957-58.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बतलाया है कि 1949 से पानीपत का यह इलाका Industrial Area करार दिया गया है और यह unauthorised cultivators के मातहत रहा। क्या उनसे कोई lease money वसूल की गई।

मंत्री : मैं ने specific question का जबाब दिया है कि कुछ unauthorised cultivators रहे। इस के अलावा अगर आप separate notice दें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री राम प्यारा : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि unauthorised cultivators किस दिन से वहां पर काबिज़ रहे।

मंत्री : मैं definite वक्त के बारे में इस वक्त नहीं बता सकता लेकिन मैं ने इतना ज़रूर कहा है कि unauthorised cultivators के पास ज़मीन रही।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमैंट ने enquiry करवाई है कि Accountant ने कितना रुपया देना है ?

मंत्री : इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री राम प्यारा : उस accountant के खिलाफ़ enquiry कब से हो रही है ?

मंत्री : case पुलिस ने register कर लिया है। वह गिरफ्तार हो चुका है और अब ज़मानत पर रिहा है।

श्री राम प्यारा : Case register कब किया गया ?

मंत्री : Dates मेरे पास नहीं हैं।

श्री राम प्यारा : इस accountant से कितना रुपया recover किया गया ?

मंत्री : अभी मामला अदालत में है और फैसला नहीं हुआ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि वह ज़मीन आज तक खाली पड़ी है या किसी lessee को दी गई है या अभी तक unauthorised cultivators के पास ही है ?

मंत्री : इस वक्त इस ज़मीन पर कुछ lessees हैं जिन से lease deed execute करवाए हुए हैं।

CERTIFICATE OF ESSENTIALITY ISSUED BY DIRECTOR OF INDUSTRIES

***3305. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether the Deputy Director of Industries at present Joint Director issued any certificates of Essentiality to the Panipat Electric Stores, Panipat, district Karnal, during his visit to Panipat, on 5th May, 1956 ; if so, the reasons for issuing the same at the spot ?

Shri Mohan Lal : Part I.—Yes.

Part II.—The case in question was put up to this Officer at Panipat while he was on tour there, by the District Industries Officer, and the latter disposed it of on the spot, for expeditious action, keeping in view the urgency normally attached to the cases of import licenses.

श्री राम प्यारा : यह जो essentiality certificate दिए गए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसी party को दस्ती भी दिए गए ?

मंत्री : मुझे इसके बारे में पता नहीं ।

श्री राम प्यारा : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूँ कि कोई इस किसम का और भी case है जिस की disposal इतनी जल्दी की गई हो और on the spot essentiality certificate दिया गया हो ?

Mr. Speaker The question does not arise.

PROCUREMENT OF FOODGRAINS IN THE STATE

***3137. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the quantity of foodgrains, if any, procured by the Government from various grain markets and landlords in the State during 1958-59, separately ;

(b) the number of persons who were given permission by the end of November, 1958 to possess more than fifty maunds of foodgrains in the State, together with the total quantity of foodgrains thus allowed by the Government ;

(c) the names of places at which the Government opened cheap grains depots in the area damaged by the last rains and floo.. in the State ?

Shri Benarsi Dass (Deputy Minister) : (a) The quantity of whea acquired by Government from the grain markets and landlords is 889,466 maunds and 7,788 maunds, respectively.

(b) Nil. No such permission was required.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the names of places of the Flood affected Areas where Fair Price Shops have been setup up to 27th February, 1959

Serial No.	District	Name of places
1	Ludhiana ..	Mangal Nurpur Bet Mullanpur Kohara Malaud Saraba Dehlon Jugiana, Badowal Bajra Rashin Khasi Kalan Alamgir

[Deputy Minister]

Serial No.	District	Name of Places
	Ludhiana—*concld*	Siarh Raipur Shahbana Swadi Basian Hans Halwara Sheikhupura Kaunke Kalan Sidhwan Bet Maunoke Sidhan Basian Galib Kalan Akhara Nathur Nurpur Machhiwara Khamano Isru Chari Mahanpur Sangatpura Kumkalan Beholpur Sanghol Gagar
2	Gurgaon ..	Palwal Ferozepur Jhirka Nuh and Garhi Harsaru
3	Amritsar ..	Bhikhiwind Khalra Sursingh Musakalan Kachapacca Algon Mari Megha Bainka Mahmudpura Assal Chajjalwadi Khalchian Sheron Majitha Nag Kalan Ram Das Ajnala Gharyal Bhindi Saidan Fattewal Lakhoowal Bahrwal Dhanoi Manochahal Ballarhwal Gago-Mahal Nurdo Kalanjhar Tarn Taran Varpal Sialka

Serial No.	District	Name of places
4	Ferozepur ..	Ajitwal Dharamkot Kishanpur Kalan Makhu Zira Mallanwala Khrs Guru Har Sahai Jalalabad Fazilka
5	Rohtak ..	Gohana
6	Karnal ..	Kurukshetra Shahabad Markanda Nilokheri Ladwa Gharaunda Samalkha Amin Balik Indru Taraori Pehowa Khari Sarafwali
7	Patiala ..	Shatrana Grangan Ganda Kheri Ghagga and Chhintawala
8	Kangra ..	Sujanpur Chabutra Hamirpur Nadaur Toni Devi Chanhari Devi Chwoki Maniar Rail Kot Kangu Dhameta Bhota Lamblu Dhundla Kanjian Barata Dera Kharvohi Bijhri Patlandar Kashmir Lathiani Kharwar Mandli Harsaur Bhareri Bari Pansai Raipur Bhoranj Mehra (Barsa) Uhal
9	Mohindergarh ..	Ni

[Deputy Minister]

Serial No.	District	Name of places
10	Hoshiarpur ..	Mukerian
		Dasuya
		Tanda
		Miani
		Talwandi Sultan
		Nandachaur
		Sham Churasi
		Dillowal
		Nasrala
		Jaura
		Penjwar
		Bharthala
		Attowal
		Tausa
		Bagpur
		Mellanwala
		Ballachaur
11	Gurdaspur ..	Daurangla
		Jalakara
		Sidhpur
		Bhoa
		Kot Khan Mohd.
		Khaddar
		Jagowal
		Jheloakmad
		Kiri Khurd
		Samrala
		Chounta
		Shalle
		Khalijpur
		Taragarh
		Rattangarh
		Choavirian bet Behnimankhan
		Shukarpura
		Narot Jaimal Singh
12	Jullundur ..	Baghpur
		Aur
		Banga
		Ghuman
		Mangoowal
		Jalalpur Kalan
		Kang Khurd
		Gidderpindi
		Jakkopur Kalan
		Khaira Fauja Singh
		Parjian Kalan
		Bajwal Kalan
		Lohin Khas
		Shahkot
		Mahantpur
		Bagga
		Alwanparbhat
		Gannapind
		Kotboddla Khan
		Bhorsingh pura
		Partap pura
		Lassora
		Nagar Jadid
		Adampur
		Alwalpur

Serial No.	District	Name of places
13	Kapurthala ..	Sultanpur Dhilwan Nurpur Jattan Sukhpur Sajjokla Ladowal Chiheru Ratipur Bhanoki Sangatpur Rehano Jattan
14	Sangrur ..	Nil
15	Ambala ..	Nil
16	Simla ..	Nil
17	Dharamsala ..	Nil
18	Hissar ..	Nil
19	Bhatinda ..	Joga Dhaipai Pacca Borewal Deep singh wala Seringh wala and Bhagta

PAYMENT OF COMMISSION ON THE PURCHASE/SALE OF FOODGRAINS IN THE STATE

***3138. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether any amount has been paid by Government as commission to any firm on the purchase or sale of food grains in the state during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59, if so, to whom and how much in each case ?

Shri Benarsi Dass (Deputy Minister) : Yes. Only in case of paddy during 1957-58.

Statement showing the amount of commission paid to the commission agents for the purchase of paddy during 1957-58 *is as under—*

Disrict Centre	Name of the Commission Agent	Amount of Commission paid
		Rs nP.
Jullundur ..	Phagwara, M/s Sohan Singh and Sons ..	58.82
Do	Kapurthala, Ram Parshad Madan-Gopal	35.17

SMUGGLING OF FOODGRAINS IN THE STATE

***3139. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state the number of cases of smuggling of foodgrains registered each year in the State during 1956-57, 1957-58 and 1958-59 and the number thereof in which the smugglers were awarded punishments, together with the nature of punishments awarded in each case ?

Shri Benarsi Dass (Deputy Minister) : No case of smuggling of foodgrains was registered during the year 1956-57.

The number of cases of smuggling of foodgrains registered in the State during 1957-58 and 1958-59 is 67 and 251, respectively. Out of these, smugglers were awarded punishments in 36 and 83 cases, respectively.

Statement showing the nature of punishment awarded in each case is laid on the Table of the House.

Statement showing the nature of punishments awarded in cases of smuggling of foodgrains

District	Year	Nature of punishment awarded
Gurgaon ..	1957-58 ..	(1) Fined Rs 40. (2) Fined Rs 40. (3) Fined Rs 150. (4) Three accused awarded R.I. for 4, 2 and 6 months respectively.
	1958-59 ..	In seven cases the accused were awarded punishment of fines ranging frcm Rs 25 to Rs 160
Karnal ..	1958-59 ..	(1) Six months rigorous imprisonment and stocks confiscated (2) Fined Rs 100 (3) Fined Rs 100 or two months' R.I. (4) Fined Rs 20 or R.I. for two months. (5) Fined Rs 40 or R.I. for one month. (6) Fined Rs 20 or R.I. for two weeks. (7) Fined Rs 20 or R.I. for two weeks. In the last four cases, the stocks were also confiscated.
Rohtak	1957-58 ..	(1) Fined Rs 250 or one month's R. I. (2) Fined Rs 25 or two month's R.I. (3) Fined Rs 100 or 4 months' R.I. (4) Fined Rs 40 or 4 months' R.I. (5) Fined Rs 40 (6) Fined Rs 100 (7) Fined Rs 100 (8) Sentenced till raising of the court.
	1958-59 ..	(1) Fined Rs 25 each person. (2) Fined Rs 30. (3) Fined Rs 30.

District	Year	Nature of punishment awarded
Ambala ..	1957-58 ..	(1) Fined Rs 1,000. (2) Fined Rs 25 Stocks forfeited. (3) Fined Rs 100, R.I. till raising of court. (4) Fined Rs 20. (5) Three accused fined Rs 35, Rs 35, and Rs 50 respectively and R.I. till raising of the Court. (6) Fined Rs 10 each. (7) Fined Rs 10 each. (8) Fined Rs 10 each. (9) Fined Rs 10 each. (10) Fined Rs 10 each. (11) Fined Rs 25. (12) Fined Rs 150 each. (13) Fined Rs 25 each.
	1958-59 ..	(1) Fined Rs 25. Stocks forfeited. (2) Fined Rs 25. Stocks forfeited. (3) Fined Rs 10. (4) Fined Rs 5. (5) Fined Rs 50. Stocks forfeited. (6) Fined Rs 50. Stocks forfeited. (7) Fined Rs 20, Imprisonment till raising of the court. (8) Fined Rs 20. Imprisonment till rising of the court. Stocks forfeited. (9) Fined Rs 5. Stocks forfeited. (10) Fined Rs 10. Stocks forfeited. (11) Fined Rs 75 each. Stocks forfeited. (12) Fined Rs 100, Imprisonment till rising of the court. (13) Fined Rs 100 or two months R.I. (14) Three months imprisonment. Stocks forfeited. (15) Fined Rs 40. Stocks forfeited. (16) Two months imprisonment. Stocks forfeited. (17) Six months imprisonment. Stocks forefeited. (18) S.ocks forfeited. (19) Imprisonment till rising of court. (20) Stocks confiscated. (20) One month's imprisonment. Stocks forfeited. (21) Fined Rs 40. Imprisonment till rising of the court. (22) Imprisonment for three months. Stocks forfeited (23) Stocks forfeited. (24) Stocks forfeited. (25) Stocks forfeited. (26) Stocks forfeited. (27) Imprisonment for three months. Stocks forfeited.
Hissar ..	1957-58 ..	(1) Fined Rs 200 each to Driver and Cleaner of the truck.
	1958-59 ..	(1) Fined Rs 51 (2) Three accused sentenced to 6 months rigorous imprisonment each and 15 mds. wheat for feited. (3) Fined Rs 25

[Deputy Minister]

District	Year	Nature of punishment awarded
Mohindergarh	1957-58	.. (1) Fined Rs 35.
		(2) Fined Rs 35.
		(3) Fined Rs 35.
		(4) Fined Rs 35.
		(5) Fined Rs 75.
		(6) Fined Rs 30.
		(7) Fined Rs 15.
		(8) Fined Rs 50.
		(9) Fined Rs 25.
		(10) Fined Rs 30.
	1958-59	(1) Fined Rs 20 and 30 srs. rice forfeited
		(2) Fined Rs 55 and one maunds wheat forfeited.
		(3) Fined Rs 75 or one month's)R.I.
		(4) Fined Rs 25 and 21—10—red whent forfeited.
		(5) Fined Rs 50 or one month's R.I. and one maund wheat forfeited.
		(6) Fined Rs 25 and 5 maunds wheat forfeited.
		(7) Ditto
		(8) Ditto
		(9) Fined Rs 25 and 3 maunds 25 srs. of wheat forfeited.
		(10) Fined Rs 100 or in default , two months' R.I. and 15 srs. wheat and 12 mds. 15 srs. rice forfeited.
		(11) Fined Rs 200 and 2 mds. 20 srs. rice and one md. 20 srs. wheat forfeited.
		(12) Fined Rs 100 and 6½ md . wheat forfeited.
		(13) Ditto
		(14) Ditto
		(15) Fined Rs 65 and 5 mds. wheat forfeited.
		(16) Fined Rs 120 and 5 mds. wheat forfeited
		(17) Ditto
		(18) Ditto
		(19) Fined Rs 30 and 10 mds. wheat forfeited.
		(20) Fined Rs 30 and 9 mds. wheat forfeited.
		(21) Fined Rs 130 and 4 mds. 28 srs. wheat forfeited.
		(22) Fined Rs 150 and 4—32—0 mds. wheat forfeited.
		(23) Ditto
		(24) Fined Rs 150 and 4—36—0 mds. wheat forfeited.
		(25) Fined Rs 150 and 4—32—0 mds. wheat for feited.
		(26) two months' R.I. and 5 mds wheat forfeited.
		(27) Ditto
		(28) to (34) Punishments of fines only awarded in each case.

IRRIGATION OF LAND UNDER THE BIST DOAB CANAL SYSTEM

*3877. **Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total commanded area and the total irrigated area under the Bist Doab Canal system ; along with the *Chahi* and *Barani* land separately ;

(b) the period when the water was actually supplied from the said canal ;

(c) the total amount of Betterment Levy to be recovered from the area of land referred to in part (a) above ;

(d) the time within which the full supply of water to the said area is expected to be started from the said Canal ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Total culturable commanded area— .. 571,070 acres

Total irrigated area (1958-59) .. 59,864 acres

Separate figures for *Chahi* and *Barani* class of land are being collected.

(b) During tall Kharif season after Kharif 1954 and for 35 days in Rabi 1958-59.

(c) The schedules of Betterment Charges have not been finalised as yet. The final amount is still being determined.

(d) From 1961.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਦੀ details work out ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ details work out ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ information ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Information ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ।

---

*3875.

Mr. Speaker : Starred Question No. 3875 is postponed.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । Government ਨੇ announce ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप जहां अखबार नहीं पढ़ सकते । (But you cannot refer to a newspaper here.)

GOVERNMENT BASIC TRAINING SCHOOLS

*3862. **Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names of places where Government Basic Training Schools are functioning in the State at present with the names of the Headmasters of these Schools and the dates of their posting in each case ;

(b) whether there is any proposal to transfer any of the Headmasters referred to in part (a) above ; if so, their names and the names of these who are proposed to be appointed in these schools in their places ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) The requisite information is laid on the Table :

(b) The information cannot be disclosed in the interest of Public Service.

Name of institution	Name of headmaster/ Headmistress	Date of posting
Government Basic Training School, Jagraon	Shri Dharam Dev	25th May, 1957
Government Basic Training School, Naraingarh	Shri H.D. Bhagat ..	6th December, 1956
G.B.T. School, Hamirpur ..	Shri H.L. Dhingra ..	25th October, 1956
G.B.T. Institution, Nabha ..	Shri Dara Singh ..	20th December, 1955
Government Normal School, Karnal	Shri Sohan Singh ..	10th December, 1957
Basic Training School, Sirhali ..	Shri Mohinder Singh ..	18th May, 1958
G.G.B.T. School, Chandigarh ..	Mrs. P.J.R.D. Ahuja	15th May, 1958
G.G.B.T. School, Rewari ..	Miss V. Prabha Dayal	20th May, 1958
G.G.B.T. School, Dharmsala ..	Mrs. S. Madhok. ..	24th May, 1958
G.G.B.T. School, Faridkot ..	Shrimati Kartar Kaur ..	
G.G.H. and Normal School, Karnal	Miss M. Mathai ..	8th February, 1958
G.G.H. and Normal School, Gurdaspur	Miss G. Sircar ..	1st April, 1951
G.G.H and Normal School, Hoshiarpur	Miss K. Nagaratnam ..	..
G.G.H. and Normal School, Jullundur	Miss K.V. Ghose	19th December, 1956
G.G.H. and Normal School, Fazilka	Mrs. R.K. Singh ..	2nd January, 1959

Name of institution	Name of headmaster/ Headmistress	Date of posting
G.G.H. School, Ludhiana (Basic Training Unit is attached)	Mrs. H.L. Deol ..	16th December, 1957
G.G.H.S. Ferozepore (Basic Training Unit is attched)	Mrs. S. Mast Ram ..	2nd January, 1959
G.G.H.S., Hissar (Basic Tranning Unit is attched)	Miss Shanti Dutta	October, 1958
Junior Basic Training School, Faridkot	Shri Arjan Singh ..	3rd September, 1956
Junior Basic Training School, Khunga Kothi	Shri Vidya Sagar	3rd November, 1955
Government basic Training School, Pabra	Shri Dalbagh Singh ..	..
Government Nai Talim Centre, Rajpura	Shri Gurnam Singh	28th March, 1958

श्री राम प्यारा : क्या किसी Head master के खिलाफ कोई enquiry चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : यही तो उन्हों ने कहा है कि information disclose नहीं की जा सकती । (This is what he has already stated that the information cannot be disclosed.)

श्री राम प्यारा : जनाब मैं ने तो यह पूछा है कि क्या किसी Headmaster के खिलाफ कोई enquiry चल रही है ?

उद्योग मंत्री : इस के मुतालिक , जनाब, मुझे notice चाहिये ।

SPORT COUNCIL IN THE STATE

*3880. **Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state with reference to part (c) of the reply to Starred Question No. 2729 included in the list of Starred Questions for 10th September, 1958:—

(a) whether any decision in the matter of finalizing the constitution of the Sports Council has so far been taken by Government ; if so, what ;

(b) the functions of the said Sports Council ?

Rao Birendar Singh : Both the Constitution and the functions of the proposed Sports Council are still under the consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ Sports Council ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਅਜ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ under consideration ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ?

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ । (ਹਾਸਾ)

TEMPORARY INCREASE IN PENSIONS OF RETIRED GOVERNMENT EMPLOYEES

*3365. **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the present scales of pensions of retired employees in the State on a temporary basis, if so, the details thereof ;

(b) the total estimated amount as a result of the increase referred to in part (a) above ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, there has been a proposal under consideration and the orders to enhance the temporary increase in pensions have been issued. As a result of this, the following rates of temporary increase have been allowed with effect from the 1st April, 1958 :—

Amount of Pension	*Amount of temporary increase*
(i) Pensions up to Rs 50 per mensem ..	Rs 10 per mensem
(ii) Pensions above Rs 50 but not above Rs 100 per mensem	Rs 12.50 per mensem
(iii) Pensions above Rs 100 per mensem	Such temporary increase as will bring the total to Rs 112.50 per mensem

(b) The total estimated expenditure as a result of this increase will be about Rs 6,00,000 per annum.

RECOVERY OF FOREIGN MADE ILLICIT ARMS UNDER BRAN PIE METHOD

*3888. **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government ever issued any instructions for the recovery of foreign made illicit arms under Bran Pie Method ; if so, when and the details of arms, if any, so recovered district-wise, , during 1957-58 and the current year ?

Sardar Partap Singh Kairon : The instructions for the recovery of of foreign made illicit arms under 'Bran Pie Method' were first issued in December, 1947, but were withdrawn in April, 1949. As it was again felt that there was much scope of recovery of illicit arms under this concession, these instructions were again revived in 1953 and were renewed subsequently every year. A statement containing the details of arms so recovered district-wise during 1957-58 is laid on the Table.

Details of Arms recovered under Bran Pie System during the years, 1957, 1958 and 1959 (up to January)

Serial N.	District	Rifles			Guns			Revolvers			Pistols			Cartridges			H. Grenades		
		1957	1958	1959	1957	1958	1959	1957	1958	1959	1957	1958	1959	1957	1958	1959	1957	1958	1959
1	Hissar ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
2	Rohtak ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	Gurgaon ..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	Karnal																		
5	Ambala																		
6	Simla	Nil																	
7	Kangra																		
8	Hoshiarpur ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47	24	..	14	2	..
9	Jullundur ..	..	..	..	1 (sten gun)	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	..
10	Ludhiana ..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	....	..	..	..	..	..	..	..
11	Ferozepur ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	Amritsar ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Gurdaspur ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	Patiala ..	..	1	..	..	2	..	..	1	..	..	1	..	..	21	..	..	..	..
15	Sangrur ..	1	1	..	1	2	..	1	1	..	..	..	..	45	14	..	..	..	..
16	Bhatinda ..	1	1	..	*3	..	..	7	3	..	..	1	..	532	36	..	8	..	..
17	Kapurthala ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18	Mohindergarh (Narnaul)	..	..	..	..	*3	..	1	2	..	..	..	..	..	418	18	..	6	..

Note—*One sten gun.

GRANT OF LOAN TO PANCHSHILLA CO-OPERATIVE INDUSTRIAL SOCIETY FARIDABAD, DISTRICT GURGAON

***3142. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount of loan, if any, granted to Panchshila Industrial Co-operative Society, Faridabad (Gurgaon) during the year 1958-59 ;

(b) whether the said loan was advanced against any security, if so the details thereof ?

Shri Mohan Lal : (a) Government has purchased Debentures worth Rs 2 lakhs.

(b) Under the Debenture Trust Deed, machinery of the estimated value of Rs 3,01,098 is assigned to Trustee as specifically mortgaged property. In addition all the assets of the society are charged in favour of the trustee as a floating charge.

ALLOTMENT OF POWER-LOOMS IN THE STATE

***3140. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the numbe of power-looms allotted by Government in the State district-wise, during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59, separately ;

(b) whether any case of bogus allotment came to the notice of Government during the said period , if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No specific case of bogus allotment has come to the notice of Government. However, certain allegations were made through press, which are being looked into.

STATEMENT

The follwing number of power-looms were allotted to individuals and co-operative societies under the Scheme "Conversion of hand-looms into Power-looms" :—

Year	Name of the District		Power-looms allotted to individuals	Power-looms allotted to Co-operative Societies
1956-57	Amritsar	..	114	40
	Karnal	..	36	28
	Ludhiana	..	46	12
	Gurgaon	..	..	4
	Hoshiarpur	..	..	28
	Ferozepur	..	..	4
	Jullundur	..	..	4
	Kapurthala	..	..	8
	Kangra	..	..	4
	Rohtak	..	..	8
	Sangrur	..	..	12
1957-58			..	..
1958-59	..	..	..	..

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : उन्हों ने जो मुझे list दी है, इसमें मुख्तलिफ ज़िलों में इनफरादी तौर पर बहुत सारी powerlooms दी गई हैं और कुछ ज़िलों में Co-operative Societies की मारफत दी गई हैं । जनाब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या power looms देने की मुख्तलिफ ज़िलों के लिये मुख्तलिफ policy है ।

उद्योग मंत्री : पहले यह policy थी कि यह individuals को दी जातीं थीं । मगर अब यह policy नहीं है ।

SUPPLY OF PIG IRON AND STEEL TO PANIPAT ENGINEERING AND FOUNDRY WORK CENTRE

***3141. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state the quantity of pig iron and steel supplied to the Panipat Engineering and Foundry Work Centre during the years 1957-58 ?

Shri Mohan Lal : Government only allot quotas for pig iron and steel, and do not actually effect supplies. The firms to which quotas are allotted make necessary arrangements for the actual supply of raw material directly, through the authorised channels of trade. The following quantities of pig iron and steel were allotted to the Panipat Engineering and Foundry Work-Centre during the year 1957-58 and 1958-59 :—

Year	Allotment	
	Pig Iron	Steel
	Tons	Tons
1957-58 ..	176	123
1958-59 ..	154	37

SUPPLY OF IRON AND STEEL TO QUOTA-HOLDERS OF KARNAL TOWN

***3308. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state with reference to the reply to starred Question No. 2988 printed in the list of Starred Questions for 24th September, 1958, the quantity of Iron and Steel supplied to each Iron and Steel Quota Holder of Karnal Town and the Association of Iron and S eel Quota-Holders of Karnal separately from 1st June, 1957 to 31st January, 1958 and from 6th September, 1958 to 24th January, 1959 ?

Shri Mohan Lal : A statement showing the detailed information is laid on the Table of the House.

[Minister for Industries and Local Government]

STATEMENT I

Statement showing the quantity of Iron and steel supplied to quota-holders Association/Fabricators, Karnal Town

Serial No.	Name of Quota holders/Association/Fabricators	Supplies actually received during		REMARKS
		1st June, 1957 to 31st January, 1958	6th September, 1958 to 24th January, 1959	
		Tons	Tons	
1	*Name of Association—*			
	M/s Karnal Fabricators (I. and S.) Association, Karnal (consists of 9 members)	58-12-1-6	46-16-3-25	The following two members of the Association disassociated themselves for the period noted against each :— (1) M/s Dev Dutt Vijh, 15th November, 1957 to 14th November, 1958. (2) M/s Chawla Trunk House, Karnal, 14th February, 1958 to 14th November, 1958

Details of Members

(1) M/s Dev Dutt Vijh

(2) M/s Gujranwala Metal Works

(3) M/s Girdhari Lal-Lal Chand

(4) M/s Chiniot Trunk House

(5) M/s Zamindra Trunk House			
(6) M/s Munshi Ram-Kewal Ram			
(7) M/s Bharat Steel Works			
(8) M/s Chawla Trunk House			
(9) M/s Lyallpur Steel Works			
2 *Name of individual quota holders*—			
(1) M/s Dev Dutt Vijh ..	6-11-2-15	7-9-0-7	These figures relate to the periods 15th November, 1957 to 31st January, 1958, and 6th September, 1958 to 14th November, 1958 when the party was not a member of the Association and drew the material in individual capacity.
(2) M/s Asiatic Industries, Karnal ..	..	8-8-0-17	
(3) M/s Chawla Trunk House ..	..	6-15-2-2	These figures relate to the period 14th August, 1958 to 14th November, 1958 when the party was not a member of the Association and drew the material in individual capacity.

[Minister for Industries and Local Government]

STATEMENT II

Statement showing the quantity of iron and steel allotted to the iron and steel quota-holders/Association/Fabricators in Karnal Town

Serial No.	Name of Quota holder/Association/Fabricators/	Quantity allotted		REMARKS
		From 1st June, 1957 to 31st January, 1958	From 6th September, 1958 to 24th January, 1959	
1	*Name of the Association*—			
		Tons	Tons	
	M/s Karnal Fabricators (I. and S.) Association, Karnal (consists of 9 members)	53	109-16-1-13	The following two members of the Association disassociated themselves for the period noted against each :— (1) M/s Dev Dutt Vijh, 15th November, 1957 to 14th November, 1958 (2) M/s Chawla Trunk House, Karnal, 14th August, 1958 to 14th November, 1958
	Details of the Members			
	(1) M/s Dev Dutt Vijh			
	(2) M/s Gujranwala Metal Works			
	(3) M/s Girdhari Lal-Lal Chand			
	(4) M/s Chiniot Trunk House			

(5) M/s Zamindara Trunk House			
(6) M/s Munshi Ram-Kewal Ram			
(7) M/s Bharat Steel Works			
(8) M/s Chawala Trunk House			
(9) Lyallpur Steel Works			
2 *Name of Individual Quota holders*—			
(1) M/s Dev Dutt Vijh ..	7-15-3-15	5-19-1-4	These figures related to the periods 15th November, 1957 to 31st January, 1958, and 6th September, 1958 to 14th November, 1958 when the party was not a member of the Association and drew the material in individual capacity
(2) M/s Chawla Trunk House ..	..	5-19-1-20	These figures relate to the period 14th August, 1958 to 14th November, 1958, when the party was not a member of the Association and drew the material in individual capacity
(3) M/s Asiatic Industries, Karnal ..	6-0-0-0	5-7-2-6	

[Minister for Industries and Local Government]

STATEMENT III

Statement showing the assessed quota of each quota-holder and the demands put in by them in rna *Town*

Serial No.	Name of Quota-holder/Association or Fabricator	During period 1st June, 1957 to 31st January, 1958		During period 6th September, 1958 to 24th January, 1959		REMARKS
		Assessed Quota	Demand Approximately	Assessed Quota	Demand	
	B	Tons	Tons	Tons	Tons	
1	*Name of Association*—					
	M/s Karnal Fabricators (I. and S.) Association, Karnal (consists of 9 members) ..	24	68	24	68	
	Details of the Members—					
	(1) M/s Dev Dutt Vijh ..	6	..	6	..	
	(2) M/s Gujranwala Metal Works ..	4	..	4	..	
	(3) M/s Girdhari Lal-Lal Chand ..	2	..	2	..	
	(4) M/s Chiniot Trunk House ..	2	..	2	..	
	(5) M/s Zamindara Trunk House ..	2	..	2	..	

(6) M/s Munshi Ram-Kewal Ram	..	2	..	2	..
(7) M/s Bharat Steel Works	..	2	..	2	..
(8) M/s Chawala Trunk House	..	2	..	2	..
(9) M/s Lyallpur Steel Works	..	2	..	2	..
2 *Name of individual Quota holders*—					
(1) M/s Dev Dutt Vijh	..	6	6	6	6
(2) M/s Chawla Trunk House	..	..	..	2	10
(3) M/s Asiatic Industries, Karnal	..	4	4	4	8

Note.—The figures of demand shown above are approximate because exact figures for these particular periods are not available in records.

श्री राम प्यारा : यह जो मेरे पास जवाब आया है इस की statement No. III में दर्ज है कि जिस quota-holder ने 6 टन की demand दी उस को पूरे 6 टन और जिस ने 10 टन की demand दी उस को 2 टन लोहा दिया गया है। क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस एक case में....

मंत्री : मैं individual case के मुताल्लिक इस वक्त नहीं बतला सकता।

श्री राम प्यारा : जनाब, पिछली दफा भी वज़ीर साहिब ने यही जवाब दिया था।

मंत्री : जिस तरह से इन का सवाल है मैं इस का आधी दर्जन दफा जवाब दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप इस को round-about ढंग से पूछते हैं जिस का answer यही हो सकता है। (The hon. Member asks this question in a round about way, and naturally the answer can be this only.)

श्री राम प्यारा : जनाब पिछली दफा मैं ने इन से No. 2988 पर एक सवाल किया था तो इन्हों ने जवाब दिया कि information in respect of the period from 1st June, 1957 to 31 January, 1958 is not available. मैं ने उसी question की reference देकर फिर पूछा है कि इस दौरान में क्या क्या supply दी गई। जब specifically एक चीज़ को पूछा जाता है, तो इस में कौनसी irregularity है?

Mr. Speaker : Don't make a speech please,. put a straight supplementary.

मंत्री : इन्हों ने supply के मुताल्लिक information मांगी थी, वह दे दी गई है। अब किसी individual case के मुताल्लिक मैं क्या कह सकता हूँ।

श्री राम प्यारा : यह जो statement मुझे दिया गया है इस में यह ज़ाहिर है कि जो इस Association से dis-associate हो जाते हैं उनको ज्यादा quota मिलता है, इस के कारण क्या हैं? Statement No 2 में यह लिखा हुआ है कि the following two Members of the Association dis-associated themselves for the period noted against them. तो जो association से dis-associate कर लेते हैं उनको quota ज्यादा मिलता है हालांकि Government की तरफ से इसके लिये साफ instructions हैं।

Mr. Speaker : No question of speech please.

श्री राम प्यारा : जनाब मैं वज़ीर साहिब से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि क्या Government की खास हिदायात हैं कि जो Association से dis-associate हो जाते हैं उन को ज्यादा quota दिया जाये?

Minister : Sir, it is a general question. The hon. Member want to know whether instructions were ever issued. I need notice.

श्री राम प्यारा : जब कोई पार्टी demand put करती है तो गवर्नमैंट का क्या ऐसा तरीका है कि उस demand को cope with करने के लिये माल कमोबेश कर सके और किसी को कम किसी को ज्यादा दे दे ?

Minister : I have replied this question more than half a dozen times.

RATES OF CANE CESS IN SUGAR MILLS IN THE STATE

***3866. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the rate of cane cess being charged per maund of sugarcane in the different sugar mills in the State at present and the date since when it is being charged, together with the reasons for the variation in the cess, if any ;

(b) the total amount of cane cess charged from each sugar mills during the last three years with the total quantity of sugarcane crushed by each mill, yearwise, during this period ;

(c) whether there is any proposal to bring the rates of cane cess at par in all the sugar mills in the State ; if so, the time by which it is proposed to be done ?

Giani Kartar Singh : (a) At present, cane cess at the uniform rate of nine naye Paise per maund is being charged since 31st March, 1958

(b) So far total amount of Rs 13,43,749.30 naye Paise has been charged during the last three years from the Yamuna Nagar Sugar Mills only, who crushed 60,65,728 maunds, 78,62,456 maunds and 9,157,525 maunds of cane during the years 1955-56, 1956-57 and 1957-58, respectively.

(c) There are no variations in the rates of cess being levied on various Sugar Mills, at present, and the question of bringing them at par hardly arises.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : Part (b) ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ mill ਕੋਲੋਂ cess ਕੀ charge ਹੋਇਆ ਅਤੇ sugarcane ਦੀ quantity ਦਾ total ਕੀ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ cess ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ rate ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ uniform ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BUILDING FOR MEDICAL VETERINARY COLLEGE AT HISSAR

***3306. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any building for the Medical or Veterinary College has recently been constructed by Government in Hissar, if so, the total cost of the said building ;

[Shri Ram Piara]

(b) whether any opening ceremony of the said building took place, if so, when and who performed the ceremony ;

(c) whether it is a fact that the building has been found defective, if so, the action taken in the matter ;

(d) whether the said building was constructed departmentally or through a contractor ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. Some buildings of the Punjab Veterinary College at Hissar are under construction. These have been sanctioned at an estimated cost of Rs 42.61 lacs.

(b) No.

(c) The quality of certain items of work like joinery, floor and tile terracing, was not up to the mark. Some of these defects have been set right by the contractor and the remaining by the department at the contractor's expense.

(d) Through a contractor.

श्री राम प्यारा : क्या बताया जा सकता है कि जो repair करवाई गई है उसमें contractors का कसूर था या जिन officers ने inspect किया था, उनका कसूर था ?

मंत्री : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री राम प्यारा : जो रकम खर्च की गई थी, वह कितनी थी ?

मंत्री : वह मैं ने बतला दी है । बाकी जो चीज़ पूछना चाहते हैं, उसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब difficulties की तफसील बतला सकते हैं ?

Mr. Speaker : He has already replied to this question.

CONNECTING VILLAGES WADALA AND MUDH WITH JULLUNDUR-NAKODAR ROAD

***3881. Sardar Umrao Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 2731 included in the list of Starred Questions for 11th September, 1958, whether the demands for the construction of link road from the Jullundur-Nakodar Road to the villages of Wadala and Mudh in district Jullundur has so far been considered ; if so, with what result ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes ; these link roads could not be selected for construction during the Second Five-Year Plan.

CASES REGISTERED IN POLICE STATION, KARNAL

***3344. Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases registered in Police Station Sadar Karnal, during the period from 25th August to 15th October, 1958, and the law under which each case was registered ;

(b) the action so far taken by the Police in each of the cases referred to above ;

(c) whether any of the said cases has been referred to the Panchayats for decision, if so, the details thereof and with what result ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 35. (Burglary and house theft/7, theft/4, receiving stolen property/6, Excise Act/8, Arms Act/1, Hurt/2, Rash and Negligent Act causing hurt/2, Criminal breach of trust/1, Robbery/1, Kidnapping with a view to murder/1, Habitual Offenders Act/1, Criminal Trespass/1.)

(b) Cases worked out/21, sent up untraced for want of clue/10, pending investigation/1, cancelled being false/3.

(c) Nil.

RESOLUTION PASSED BY THE TRAINED NURSES' ASSOCIATION OF INDIA AT HYDERABAD

***3345. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any resolution passed by the Trained Nurses' Association of India at a Conference held in October, 1958, at Hyderabad has been received by the State Government; if so, when and the contents of the said resolution ;

(b) whether any action is proposed to be taken on the said resolution ; if so, what ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) No.

(b) Does not arise.

CASES OF ILLICIT LIQUOR IN KARNAL DISTRICT

***3412. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any cases of distillation of illicit liquor were registered in Karnal District during the years 1957-58 and 1958-59; if so, their number, together with the result of each of these cases ;

(b) the amount of money realised by Government from auctioning out contracts for the sale of liquor in the said district during each of the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59 ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Two statements "A" and "B", containing the requisite information, are laid on Table.

(b)

		1956-57	*1957-58*	*1958-59*
		Rs	Rs	Rs
(1) Country Spirit	..	2,78,850	3,80,450	6,13,400
(2) Foreign Liquor	..	56,500	53,200	79,200
Total	..	3,35,350	4,33,650	6,92,600

[Minister for Finance]

'A'

Statement showing the cases of distillation of illicit liquor detected during the year 1957-58 in Karnal District

Serial No.	Date of Institution	Particulars of the accused	Result of Judicial Trial
1	2nd April, 1957	Roor Singh, son of Hazara Singh; Darshan Singh, son of Basant Singh of Gharaunda	Sentenced to undergo six months' R. I. and to pay a fine of Rs 200 each on 31st July, 1957
2	9th April, 1957	Banta Singh, son of Jangi, Sansi of village Monak	Acquitted on 27th June, 1957
3	10th April, 1957	Mulkhi, son of Nathu	Acquitted on 30th October, 1957
4	13th April, 1957	Tulsi, son of Hira of village Kailash	
		Swaran Singh, son of Mehtab Singh of village Kishangarh	Fined Rs 200 and to undergo 2 months' R. I. on 9th September, 1957
5	23rd April, 1957	Kartar Singh, son of Labh Singh of Uralana	Acquitted on 31st October, 1957
6	27th April, 1957	Chhajju Ram, son of Charanji Lal of Pundri	Fined Rs 200 and to undergo 3 months' R. I. on 29th October, 1957
7	30th April, 1957	Babu, son of Wasakhi of village Murtzapur	Sentenced to undergo 9 months' R. I. on 27th June, 1957
8	2nd May, 1957	Chanan Singh, son of Hukam Singh of Kalowa	Acquitted on 31st October, 1957
9	2nd May, 1957	Lilu, son of Rakhla of village Brass	Fined Rs 200 and to undergo 2 months' R. I. on 27th September, 1957
10	11th May, 1957	Puran, son of Faquiria of village Narar	Fined Rs 200 and to undergo $1\frac{1}{2}$ months' R. I. on 6th July, 1957

11	16th May, 1957	Hem Raj, son of Ram Chander of Pundri	Acquitted on 8th August, 1957
12	11th May, 1957	Bahadur Singh, son of Natha Singh of village Midwal	Fined Rs 200 or to undergo 3 months' R. I. on 30th August, 1957
13	15th May, 1957	Gurdial Singh, son of Dimar Singh of village Bhagana	Acquitted on 12th November, 1957
14	17th May, 1957	Dalip Singh, son of Amrik Singh of village Midhwal	Acquitted on 27th March, 1957
15	18th May, 1957	Bhagat Singh, son of Mota Singh of village Dachore	Acquitted on 30th August, 1957
16	28th May, 1957	Man Singh, son of Ranga Singh of village Saunkara	Acquitted on 28th August, 1957
17	29th May, 1957	Kapur Singh, son of Chanda of village Rehra	Acquitted on 26th August, 1957
18	16th June, 1957	Shisha Singh, son of Mangal Singh of village Majri	Fined Rs 200 and to undergo 2 months' R. I. on 13th December, 1957
19	23rd June, 1957	Lachhman Singh, son of Sardara Singh of village Rakhkheri	Fined Rs 200 or to undergo 2 months R. I. on 13th August, 1957
20	22nd June, 1957	Kashmira, son of Murti of village Rajound	Sentenced to undergo one year's R. I. and to pay a fine of Rs 200 on 24th August, 1957
21	10th July, 1957	Dharam Singh, son of Ralla Singh of village Gog	Acquitted on 4th September, 1957
22	18th July, 1957	Fateh Singh, son of Surjan Singh of Madlauda	Fined Rs 200 in default to undergo 2 months' R. I. on 29th July, 1957
23	29th July, 1957	Biru, son of Nait Ram of village Hartamalu	Sentenced to undergo 9 months' R. I. and to pay fine of Rs 200 on 6th December, 1957
24	29th July, 1957	Darshan, son of Mangal Dass, etc., of Datrath	Sentenced to 9 months' R. I. and a fine of Rs 200 on 28th October, 1957
25	31st July, 1957	Sunehra, son of Balkar of Seikhupura	Sentenced to one year's R. I. on 24th February, 1958

[Minister for Finance]

Serial No.	Date of Institution		Particulars of the accused		Result of Judicial Trial
26	31st July, 1957	..	Makhan Singh, son of Hira Singh of Malikpur	..	Sentenced to undergo 6 months R. I. and to pay fine of Rs 200 on 14th December, 1957
27	17th August, 1957	..	Diwan, son of Mokha of village Bassi	..	Acquitted on 27th February, 1958
28	10th August, 1957	..	Jethoo, son of Balak	..	Acquitted on 30th September, 1958
			Mehroo, son of Jethoo, of village Mathrauli	..	..
29	26th August, 1957	..	Birkha, son of Bhatwar etc. of village Standi	..	..
30	27th August, 1957		Ram Gopal, son of Lajja Ram of Thanesar	..	Discharged on 15th December, 1957
31	31st August, 1957	..	Inder Singh, son of Kala Singh of Saunkara	..	Acquitted on 26th December, 1957
32	29th September, 1957	..	Ram Sarup, son of Rikha Ram Pritu, son of Sansu of Bairon Abadi, Panipat		Sentenced to undergo 9 months R. I. and to pay fine of Rs 200 each on 31st December, 1957
33	16th October, 1957	..	Wazir Singh, son of Dhian Singh of village Saunkara		Acquitted on 19th July, 1958
34	20th October, 1957	..	Pritam alias Pritu, son of Kehar Singh of village Hammakpur		Sentenced to undergo 6 months' R.I. on 30th May, 1958
35	14th October, 1957	..	Mohalla, son of Sàmana, village Rajound	..	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined
36	16th October, 1957	..	Bhagwana, son of Jag Lal of Lagora	..	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined
37	23rd October, 1957	..	Shera, son of Kundan of Bhagal	..	Acquitted on 3rd April, 1958
38	17th November, 1957	..	Manga, son of Nathu of Urlana	..	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and to pay fine of Rs 200 on 30th January, 1958
39	11th January, 1958	..	Wazir Singh-Puran Singh, sons of Dian Singh of village Saunkara		Sentenced to 6 months' R. I. and fined Rs 200 each on 19th July, 1958

40	20th January, 1958	Sian, Lakh, son of Rohla Neki of Gurpur	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and to pay fine of Rs 200 each on 5th February, 1958
41	29th January, 1958	Gurbax Singh, Gurdip Singh, son of Gopal Singh, of Balirsal	Acquitted on 30th April, 1958
42	1st February, 1958	Hazara Singh, son of Mull Singh, of Sheikhupura	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200
43	20th February, 1958	Kharak Singh, Darshan Singh, sons of Shigara Singh, of village Dachore	Acquitted on 16th June, 1958
44	16th March, 1958	Sant Lal, son of Chunia, Makhan Lal, son of Lehna Singh of village Bansa	Sentenced to 6 months' R. I. and fined Rs 200 each on 31st March, 1958
45	26th March, 1958	Prema, son of Jiwna, and Gian, son of Mehnga Ram of village Kalampur	Acquitted on 22nd July, 1958
46	13th March, 1958	Didar Singh, son of Inder Singh of village Mandhwal	Pending
47	9th April, 1957	Har Narain and Kartar Singh of Assandh	Acquitted on 18th December, 1957
48	7th March, 1958	Dalip Singh, son of Ujagar Singh of village Butana	Acquitted on 18th December, 1958
49	8th April, 1957	Kartar Singh, son of Ujagar Singh of village Saunkra	Fined Rs 200 and 3 months' R. I. on 16th August, 1957
50	3rd April, 1957	Kundan Singh, son of Kartar Singh of village Saunkra	Acquitted on 27th August, 1957
51	9th April, 1957	Gurmukh Singh, son of Santokh Singh of village Jundla	Two months' R. I. and bound down under section 69-A of the Punjab Excise Act for six months on 31st July, 1957
52	10th April, 1957	Ujagar Singh, son of Basant Singh Ramgarya of village Kanpla	Acquitted on 10th October, 1957

(Sd)........
Excise and Taxation Commissioner,
Punjab.

[Minister for Finance]

'B'

Statement showing the cases of distillation of illicit liquor detected during the year 1958-59 from 1st April, 1958 to the 31st January, 1959 in Karnal District

Serial No.	Date of Institution	Particulars of the accused	Result of Judicial Trial
1	9th April, 1958	Kartar Singh, son of Autar Singh of village Ror	Acquitted on 21st August, 1958
2	17th April, 1958	Jagram, son of Bhana of village Rasina	Acquitted on 5th July, 1958
3	21st April, 1958	Hukam Singh, son of Shangara Singh of village Kanthali	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 9th June, 1958
4	26th April, 1958	1. Harbans Singh, son of Kartar Singh 2. Manga, son of Rela, village Saunkra	Sentenced to undergo one year's R. I. and fined Rs 200 each on 20th November, 1958, and also bound down under section 69-A of the Punjab Excise Act for one year each
5	3rd May, 1958	Kartar Singh, son of Banta Singh of village Mohri	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 22nd September, 1958
6	4th May, 1958	1. Tikka Singh, son of Gursaran Singh of village Ranjan Thali 2. Mela, son of Parsa of village Ranjan Thali	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 each and bound down under section 69-A of the Punjab Excise Act for one year each on 7th November, 1958
7	6th May, 1958	Bahadur Singh, son of Gehna Singh of village Balopur	Sentenced to pay a fine of Rs 125 and to undergo sentence till the rising of court and bound down under section 69-A of the Punjab Excise Act on 22nd July, 1958

8	8th May, 1958	Gurcharan Singh, son of Arjan Singh	Acquitted on 25th July, 1958
9	6th May, 1958	Bur Singh, son of Jagir Singh of village Sheikhupura Shankar, son of Ranga Singh, Butta Singh, son of Mahan of village Miyal	Ditto
10	16th May, 1958	Bishan Singh, son of Mola Singh of village Kamal Gadian	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 and bound down under section 69-A, of the Punjab Excise Act for one year
11	2nd June, 1958	Jethu, son of Kima of village Sarari	Sentenced to undergo one year's R. I. and bound down under section 69-A of the Punjab Excise Act on 7th October, 1958
12	31st May, 1958	Bhola, son of Mawa of village Kharar	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 19th July, 1958
13	8th June, 1958	Joga Singh, son of Kala Singh, and Kala Singh, son of Piara Singh of village Balloo	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 30th September, 1958
14	16th June, 1958	Mohinder Singh, son of Santokh Singh of village Sohni	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 30th September, 1958
15	15th May, 1958	Sher Singh, son of Fateh Singh of Kheri Talian	Sentenced to undergo 6 months' R. I
16	3rd June, 1958	1. Saru, son of Dhana 2. Bhartu, son of Nikha 3. Phool, son of Talri, of village Bibipur	Acquitted on 18th September, 1958
17	29th June, 1958	Udha Singh, son of Jhandu of Mandi Karan Majra	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 30th October, 1958
18	27th June, 1958	Ranjit, son of Faqir of Jakhoji	Sentenced to 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 18th October, 1958
19	26th June, 1958	Bakhtur Singh, son of Sardar Singh, and Santa Singh, son of Thakar Singh of village Udha	Sentenced to 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 31st October, 1958
20	28th July, 1958	Chatru, son of Nagina, Tika, son of Amin Lal, Ram Dhari, son of Chhaju, and Ram Johri, son of Nathu of village Lahari	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 each on 31st October, 1958

[Minister for Finance]

Serial No.	Date of Institution	Particulars of the accused	Result of Judicial Trial
21	27th July, 1958	Pritam Singh, son of Inder Singh of village Dhatrath	Acquitted on 29th October, 1958
22	31st July, 1958	Kartar Singh, son of Jawahar Singh, Sher Singh, son of Bhajan Singh, Nelokheri	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 31st December, 1958
23	28th August, 1958	Banta Singh son of Sohan Singh of Usman Pur,	Sentenced to undergo 6 months' R.I. and fined Rs 200 on 28th November, 1958
24	31st August, 1958	Thana, son of Kusmabhri, and Manna, son of Thana of village Rajond, Nanwa, son of Aishi of Rajond	Acquitted on 17th October, 1958
25	8th September, 1958	Narwa, son of Aishi of Rajond	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 on 18th December, 1958
26	19th September, 1958	Balbir Singh, son of Des Raj, and Sadhu, son of Dalpat of village Kailash	Sentenced to undergo 6 months' R. I. and fined Rs 200 each on 29th January, 1958
27	8th November, 1958	Desa Singh, son of Sohan Singh of Ganjo Garhi	Pending
28	30th December, 1958	Mana Jhiwar of Kanthala	Do
29	31st January, 1959	Karam Dass, son of Mangal Dass, and Gurmej Singh, son of Harnam Singh of village Landar Kimana	Do

(Sd)............
Excise and Taxation Commissioner,
Punjab.

PANIPAT ENGINEERING AND FOUNDRY WORK CENTRE

*3143. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether Government has realized the amount of sale price of Panipat Engineering and Foundry Work Centre which was sold to M/s Panchshilla Co-operative Industrial Society Ltd., together with the amount of interest, if any, thereon, if so, the amount of sale price and interest realized ?

Shri Mohan Lal : Against the sale price of Rs 5,09,578.41 naiye Paise a sum of Rs 4,50,824.68 naiye Paise has been recovered partly by cash and partly by adjustment by way of compensation due on verified claims. The balance amount, plus interest accrued thereon, as also on the verified claim till the actual date of adjustment, is still to be recovered.

DRAINAGE SCHEMES

*3144. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the details of the drainage schemes, if any, formulated for tehsil Nuh in district Gurgaon together with the time by which the drainage work is expected to be completed;

(b) the particulars of drainage schemes in the State sanctioned by Government for implementation during the years 1958-59 and 1959-60 together with the amount, if any, earmarked for each of such schemes ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Reply is placed on the Table of the House.

(a) The Nuh Tehsil of the Gurgaon District is proposed to be served by two drainage schemes as below :—

(1) The Nuh Drainage Scheme.

(2) The Gaunchi Drainage Scheme.

The major portion of the area in the Nuh Tehsil will be served by the Nuh Drainage Scheme while only a part of the area adjacent to the Palwal Tehsil will be served by the Gaunchi Drainage Scheme. The estimated cost of the Gaunchi Drainage Scheme is Rs. 43,55,326. The Nuh Drainage Scheme is still under preparation and is likely to cost Rs. 25 lacs. The probable time for completion of these schemes is two years from the time when execution is taken up.

(b) Statement is attached.

The loan assistance to be made available by the Centre for the Flood Control and Drainage Schemes for the year 1959-60 is not yet known to the Punjab State and as such the works shown in the enclosed statement to be carried out during the year 1959-60 are likely to under go a change as soon as the actual amount of assistance to be advanced by the Centre is known. Moreover, a Sub-Committee of the Technical Committee is preparing a priority list of Flood Control and Drainage Schemes to be executed in the State and as soon as the report is submitted by this Committee, the priorities of the works to be executed during 1959-60 are likely to undergo a change according to the said report,

[Deputy Minister]

Statement showing the particulars of Drainage Schemes in the State sanctioned by Government for implementation during the year 1958-59 and 1959-60 together with the amount, if any, earmarked for each of such schemes.

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year 1958-59	Amount provided in the Schedule of New Expenditure for the year 1959-60
		Rs.	Rs.
	Western Jamuna Canal (East Circle)		
1	Construction of Indri Drain, together with Sundhir and Shamgarh Tributary Drain	1,50,000	1,00,000
2	Remodelling Nai Nallah Drain R. D. 0—129,000 B/S Anta Syphon, under Hansi Branch	1,55,000	2,00,000
3	Constructing G. H. K. Drains in Upper Bazida Tract, Upper reach near Karnal	45,000	45,000
4	Constructing Jandila Drains R. D. 0 to 31500	4,500	..
5	Constructing bridges on Drains in Karnal/ Dadupur Divisions	1,08,000	70,000
6	Providing Drainage in Nilokheri Area ..	10,000	..
7	Providing Link Drains to Indri Drain ..	10,000	..
8	Constructing Kulasi Drain in Delhi ..	17,000	30,000
9	Remodelling Barauta Drain R. D. 0 to 15,620 Tail	2,000	..
10	Constructing Urlana Drainage System ..	10,000	..
11	Constructing Syphon at R. D. 143104 Main Branch	5,000	..
12	Constructing 3rd armoured spur on the right side of River Jumna opposite village Dhansalui near Panipat , District Karnal	3,000	..
13	Constructing Kharkauda Link Drain (outfall in Khanda Drain)	30,000	40,000
14	Excavating New Sardhana Drain	3,000	2,000
15	Constructing a Drainage syphon at R. D. 157000 Main Line Lower	85,000	..
16	Remodelling Drain No. 2 from R. D. 9,400 to R. D. 204,000 Tail	2,00,000	3,50,000

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year 1958-59	Amount provided in the schedule of New Expenditure for the the year 1959-60
	Western Jumna Canal (East Circle)—Concld		
17	(i) Remodelling Nari Nallah Drainage in Karnal Division (ii) Re-carrying our surveys of Nai Nallah Drain from 0—80000 in Karnal Division	Rs. 35,000	Rs. 80,000
18	Constructing protection works on right side of River Jumna at Nagla Babail-Dhanasauli Bund Tehsil Panipat, District Karnal	2,15,600	..
19	Constructing Protective Works on right side of River Jumna at Kunjpura Bund opposite village Jharauli	1,00,000	..
20	Constructing Gaunchi Main Drain with its Link Drains	2,00,000	2,50,000
21	Constructing Drainage Scheme for Panipat	50,000	1,20,000
22	Constructing 3 No. Tubewell Crossing on Ramba Distributary	10,000	..
23	Constructing retired embankment from R. D. 35800 to 44100 of Takola-Jhundpur-Khatkar Bund	28,000	..
24	Remodelling Hanauri Main Drain and its tributaries in Karnal District	88,000	..
25	Constructing leading and outfall Drain for syphons at R. D. 112050 and 157000 of Main Line Lower	45,000	..
26	Enlarging capacity of newly constructed drains in Karnal District	28,000	..
27	Constructing L to P Drains ..	..	88,000
28	Constructing Ratan Garh Drain ..	..	10,000
29	Constructing Jagi Drain ..	..	8,000
30	Constructing Wazidpur Tokna Scheme ..	..	7,000
	Western Jumna Canal (West Circle)		
31	Constructing Bahadurpur Drain ..	20,000	40,000
32	Constructing Sink Drain ..	40,000	1,15,000
33	Constructing Dobetta Drain ..	40,000	20,000
33	Constructing Nai Nallah Drain round about Safidon	63,400	8,000
34	Constructing Kheri Dhamkan Drain ..	24,000	..

[Deputy Minister]

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in the Schedule of New Expenditure for the year, 1959-60
	Western Jumna Canal (West Circle)—Concld	Rs.	Rs.
35	Constructing outfall and Irrigation Scheme of Drain No. 8—		
	(i) Replacing D.H. Bridge R. D. 181250 Drain No. 8	29,500	..
	(ii) Making banks to designed section on Drain No. 8	40,000	..
	(iii) Constructing V. R. Bridge R. D. 112450 Drain No. 8	14,000	..
	(iv) Constructing V. R. Bridge R. D. 218240 Drain No. 8	16,000	..
36	Constructing Narnaud Drain ..	..	17,000
37	Constructing Bridges at R. D. 25000, 78000, 170000, 204900 and 231000 Drain No. 2	..	60,000
38	Constructing New banks in depression reaches to check spilling of flood water on drain No. 8 in Bhalout Sub-Division	..	10,000
39	Garhwal Drain ..	..	70,000
40	Isapur Kheri Drain ..	..	70,000
41	Carrying out anti-water logging measures in Hansi Area	..	50,000
	Upper Bari Doab Canal Circle		
42	Constructing an advance Bund along River Ravi and providing spurs for protecting villages in Amritsar/Gurdaspur Districts i. e. (i) Constructing Flood Protection Embankment along the right bank of river Ravi and in Chak Andhar Tract (ii) Constructing an advance bund from Kamalpur to Malikpur (iii) Constructing small spurs along the Dhussi Bund along the left bank of River (iv) Raising and strengthening the Dhussi Bund along the left bank of River Ravi	23,00,000	10,60,000
43	Constructing spurs at Bhindi Aulak Raipur and Sahuwal	9,07,610	..
44	Closing the creek off taking from Ujh River towards Daulat Chack	7,390	..

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in the Schedule of New Expenditure for the year, 1959-60
	Upper Bari Doab Circle—Concld	Rs.	Rs.
45	Works required in Flood Embankment to shift the Ravi to Redcliff Boundary Line	..	40,000
	Ferozepore Circle		
46	Constructing armoured spurs near Cikandri Sub-Minor of Mauzzam Minor of Fazilka Distributary and raising and strengthening right bank of Mauzzam Minor to provide protection against floods of Fazilka Area.	1,35,000	..
47	River protection works Dhandpur and Indaura on right side of River Beas in Kangra District	..	75,000
	(i) Constructing spur at Indaura in between the two existing spurs	30,500	..
	(ii) Constructing three closure bunds in creek encirculating embankment of Indaura Works	3,500	..
	(iii) Constructing 4 closure bunds in creek skirting Dhaya of village Bhadpur	3,600	..
	(iv) Carrying out survey of river Beas 10 miles U/S of village Bhadpur to 2 miles D/S of village Indaura	2,000	..
	(v) Watching and maintaining spurs at Indaura during 1958-59	2,200	..
	(vi) Making ballie brush wood spur at Indaura	1,200	..
	(vii) Protecting nose of D/S spur at Indaura during floods	2,000	..
	(viii) Protecting balance length of D/S spur at Indaura with stone	15,000	..
	(ix) Grouting nose of central spur at Indaura	1,000	..
	(x) Cement grouting nose of U/S spur at Indaura	1,000	..
48	Raising, strengthening and Armouring noses of lod spurs above Sulemanke Head Works pitching stone to protect I.M.B. and adjoining lands against Floods on River Sutlej.	..	75,000
49	Canalizing Nasrala Choe ..	2,50,000	2,35,000
50	Training of Manauli Choe from near Manauli village in Tahsil Kharar, District Ambala	50,000	10,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Particular of Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in schedule of New Expenditure for the year; 1959-60
		Rs.	Rs.
51	Training Rao opposite village Pir Sohans, District Ambala	..	30,000
52	Training Ghaggar River, District Ambala	..	10,000
53	Canalising and training Dhallaha group of choes from foot of hills to West Drain, District Hoshiarpur	..	10,000
54	Canalising and training Mehangarwal group of choes from foot of hill to West Bein, District Hoshiarpur	..	10,000
55	Canalising of Mohalanwali group of choes from foot of Hills to East Bein, District Hoshiarpur	..	10,000
56	Diverting Tanauli Choe into Badhiana Choe and its canalization, District Hoshiarpur	..	45,000
57	Training Sutlej River at Jhughian Mahan Singh, above Phillaur Railway, Bridge, Tahsil Phillaur	..	2,00,000
58	Training Beas River from Dera Gopipur to Harike, Model Investigation River Survey of Gauge Silt Observations	.. ..	35,000
59	Closing creeks of Jumna River in District Gurgaon, Tahsil Ballabgarh	..	55,000
	Sirhind Canal Circle		
60	Uplighting the bank at Sutlej River Chamkaur Escape R. D. 32,000 to 46,500	30,000	..
	Nangal Circle		
61	Constructing additional cross drainage works on Bist Doab Canal System	47,000	—
62	Improving outfall of drainage syphons in Tail Reach to Jullundur Branch	48,000	—
63	Constructing Dam on Janauri-Di-Khud ..	..	8,00,000
64	Constructing additional cross drainage works and regarding outfall of existing drainage crossings in Nangal Circle	..	1,00,000
	Ist Bhakra Main Line Circle		
65	Constructing outfall channel below Tangri syphon at R. D. 192000 Narwana Branch	1,63,000	2,00,000
66	Constructing left Marginal Bund along Tangri Nadi at R. D. 0 to 17000 from Shahpur to Dhanaura	40,000	—

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in the schedule of New Expenditure for the year, 1959-60
	1st Bhakhra Main Line Circle—Concld	Rs.	Rs.
67	Constructing outfall channels below Sarusti syphon at R. D. 28,0000 Narwana Branch	50,000	80,000
68	Constructing Supplementary Bund R. D. 209800 to 218000 Tangri, Diversion Bund	10,000	..
69	Closing Breaches R. D. 209800 to 218,000 Trangri Diversion Bund	5,000	..
70	Straightening course of Ghaggar River at its crossing of Narwana Branch at R. D. 150000	10,000	..
71	Constructing right embankment along Tangri Nadi and Markanda River	1,00,000	2,20,000
72	Diverting Gadri Nallah into Omla Nallah	2,000	..
73	Constructing left marginal bund along Tangri Nadi R. D. 1700 to 31700, Dhanura to R. D. 31700 Left Tangri Bund	10,000	..
74	Excavating of Tangri Nadi from R. D. 31,700 Ganda Nallah and developing Ganda Nallah	10,000	..
75	Constructing left marginal bund along Tangri Nadi R. D. 17000 to 31000 and excavating and developing Ganda Nallah R. D. 317,00 Tangri Nadi onwards	..	80,000
76	Straightening course of River Ghaggar U/S and D/S of Narwana Branch R. D. 150000	..	20,000
	Patiala Circle		
77	Investigation and preparation of Flood and Drainage Schemes in the Punjab	5,000	..
78	Project Estimate of Constructing Bassian Drain	1,50,000	80,000
79	Constructing Sehna and Wadhni Drain —	..	30,000
	1958-59 Sehna Drain 30,000 } 1958-59 Wadhni Drain 10,000 }	40,000	..
80	Project estimate of constructing Mahorana Drainage System	40,000	30,000
81	Project Estimate of Constructing Dhuri Drainage	1,00,000	75,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in the Schedule of New Expenditure for the year 1959-60
	Patiala Circle—Concld	Rs.	Rs.
82	Project Estimate of Constructing Mohalgwara Drainage System	15,000	15,000
83	Constructing Jaghera Drainage System ..	18,000	20,000
84	Constructing Bahadur Singh Wala Drainage System	2,00,000	2,50,000
85	Constructing Phidda Drainage System ..	50,000	..
86	Constructing Tallewal Drainage System ..	30,000	75,000
87	Constructing Palasaur Drain ..	10,000	20,000
88	Constructing Gholia Drain ..	10,000	..
89	Constructing Dhanaula Drainage System	60,000	8,000
90	Constructing Rachian Drain ..	30,000	75,000
91	Canalising Sirhind Choe (Sunam Choe) R. D. 0 to 631500	1,20,000	3,50,000
92	Constructing Daudhar Drain ..	10,000	..
93	Flood Protection Works connected with Ghaggar River and its Tributaries such as Tangri River, Patiala Nadi, etc.	25,000	92,000
94	Constructing Chhachrari Drain ..	..	40,000
95	Constructing Jamalpur Drain ..	..	5,000
96	Constructing additional syphon and inlet in Sirhind Tract	..	20,000
97	Constructing Dyalpura Drain ..	..	30,000
98	Constructing Sahuke Drain ..	..	15,000
99	Constructing Lehra Gagga Drain ..	..	5,000
100	Canalising Jambowali Choe ..	..	15,000
101	Constructing Baretia Drainage System ..	..	30,000
102	Canalising Lisara Nallah ..	..	15,000
103	Remodelling Keithagarh Choe ..	..	5,000
	Drainage Circle		
104	Canalising Kasur Nallah ..	8,00,000	2,00,000

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in the Schedule of New Expenditure for the year, 1959-60
	Drainage Circle—Contd	Rs.	Rs.
105	Canalising Hudiara Nallah ..	1,30,000	2,30,000
106	Constructing Dhing-Nangal Drain ..	9,000	40,000
107	Constructing Attari Chogawan Drain ..	40,000	1,00,000
108	Extension of Vidala Virim Drain ..	80,000	40,000
109	Constructing Sohal Drain ..	1,80,000	40,000
110	Constructing Gandiwind Drain ..	17,000	40,000
111	Constructing Bega Laskkri Drain ..	40	..
112	Constructing Hudiara Majithia Drain and extension of Tarpai Drain	20,000	15,000
113	Constructing Tung Dhab-cum-Gumtala and Talwandi Bhart Drain	46,200	1,30,000
114	Constructing Majupur Drain ..	260	20,000
115	Constructing Channel Drain ..	80,000	70,000
116	Investigations and preparation of Flood Control and Drainage Schemes in the Punjab State	10,000	15,000
117	Aerial Survey and air photograph 500 square miles of Choes and Khads in Hoshiarpur and Ambala Districts	20,000	25,000
118	Working 9 No. high Kuring sets in drainage Division No. IV	2,500	..
119	Spot levelling about 1000 miles of area in Hoshiarpur and Ambala District by Survey of India	80,000	..
120	Aerial Survey and photography of 440 square miles of area flooded by River Beas	20,000	..
121	Constructing Flood Protection Bund along left Bank of River Beas from Tahli to Talwandi Chowdhurian	9,00,000	8,10,000
122	Canalising East or While Bein D/S of Bridge under Nawanshahr Garh Shankar railway line to D/S of Village Baloon	1,40,000	1,00,000
123	Constructing Sukkar Nallah Drainage, System	2,10,000	1,40,000
124	Constructing Tributary Drains in Eastern Canal Tract	1,00,000	2,40,000

[Deputy Minister]

Serial No.	Particular of the Scheme	Amount ear-marked for the year, 1958-59	Amount provided in the Schedule of New Expenditure for the year 1959-60
	Drainage Circle—Concld	Rs.	Rs.
125	Constructing Jassowal Drain ..	40,000	1,30,000
126	Permanent protection works to Bhunter Bazar in Kangra District	45,000	25,000
127	Drainage System in Sultanpur Area ..	20,000	15,000
128	Constructing Zira Drainage System ..	60,000	40,000
129	Constructing Fatehgarh Drain (Sukkur Nallah)	10,000	45,000
130	Constructing Patti Nallah ..	5,00,000	4,50,000
131	Constructing Muridke Drain ..	90,000	40,000
132	Constructing Bajjuman Drain ..	80,000	35,000
133	Constructing Khilchian Drain with its tributaries	1,00,000	40,000
134	Constructing Fatehgarh Drain (Kiran Nallah, Upper Bari Doab Canal Tract)	30,010	25,000
135	Obtaining Plant and Machinery in Drainage Division No. V	2,72,000	..
136	Constructing Sidhewan Bet Area Drainage System	50,000	2,30,000
137	Constructing Jagatpur Sub-Drain ..	10,000	..
138	Constructing Jaura Drain from R. D. 0 to 11800 to outfall into Kiran Nallah	10,000	..
139	Canalising Sukhhar Nallah ..	10,000	..
141	Constructing Talwandi Naiplan Drain (Makhu Drain)	1,00,000	80,000
142	Constructing Nagoke Drain ..	..	35,000
143	Constructing Mattewal Drain ..	..	15,000
144	Aerial Survey of Punjab Rivers ..	..	45,000
145	Constructing Nabipur Cut Drain ..	..	1,10,000
146	Constructing Jatanwali Drain ..	..	35,000
147	Constructing Verka Drain ..	..	15,000
148	Constructing Kesal Padhana and Jagatpura Drain	..	15,000
149	Obtaining 10 Nos. Cyd. Draglines ..	..	4,80,000

GURGAON CANAL PROJECT

*3145. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Government have formulated any Gurgaon Canal Project Scheme ; if so, the details thereof ;

(b) the steps being taken for its implementation and the date by which it is expected to be completed ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes ; A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

(b) The information is contained in the following statement.

STATEMENT

(a) Yes. The details are given below :—

		Rs
Total Cost	..	1,69,46,000
Punjab share	..	1,05,86,520
Rajasthan share	..	63,59,480
Area to be irrigated		*Culturable Commanded Area*
Punjab	..	160698 Acres
Bharatpur (Rajasthan)	..	165000 Acres

(b) The Gurgaon Canal Project has been technically approved by the Central Water and Power Commission. The Government of India have sought the U.P. Government's concurrence to the release of 500 cusecs for Rajasthan. It is expected that they would convey approval to this Project as soon as the concurrence of U.P. Government is received. The matter is being pursued actively.

PRESS LIAISON OFFICER AT DELHI

*3927. **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the name, qualifications and experience of the State Press Liaison Officer posted by Government at Delhi, together with the total amount paid to him as salary, and T.A. and D.A., office-rent, and other charges during the current year till 28th February, 1959 ;

(b) the number of Press Notes issued, together with the detail of other work done by the said Officer in each month during the period referred to above ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : The information is placed on the table of the House.

(a) (i) Name .. Shri Rajendra Sareen

(ii) Qualifications .. F.A. (Social Service)

[Chief Parliamentary Secretary]

(iii) Experience .. He served in the "Hindustan Times", Delhi, for one and a half year. Had been a free lance journalist from 1950 to 1952, before joining the "Hindustan Times". From April, 1954 to March, 1955, he remained a free lance journalist again. Appointed as Editor in 'Kashmir Post', Srinagar, a newspaper of the Kashmir State in April, 1955, and remained there upto the end of 1955, when the paper ceased its publication. After that he again remained a free lance journalist carrying out important assignments for the 'National Hearld', Lucknow, and the 'Hindu', Madras.

(iv) Salary	..	Rs. 10,920.00
(v) T.A. and D.A.	..	Rs. 701.68
(vi) Office Rent	..	Rs. 450.00
Other Charges	..	Rs. 220.31
Total	..	Rs. 12,291.99

(b) The main job of the State Press Liaison Officer is to maintain liaison with the Editors of the various newspapers and press correspondents at Delhi with a view to keeping them fully informed about Government policies and activities and furnishing them with necessary information in this connection. He also looks to the proper coverage of the tours of the Ministers and senior officers of the State Government at Delhi. He keeps in touch with Members of the Parliament and prominent public-men regarding day-to-day activities of the State Government.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Press Liaison Officer ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 701.62 ਰੁਪਏ T.A. D.A. ਦੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ headquarters ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀ.ਏ. ਔਰ ਡੀ.ਏ. ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ other charges ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 220.31 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ (b) ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ Liaison Officer ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਐਡੀਟਰ ਔਰ ਸਬ-ਐਡੀਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ activities ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਉਹ ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS DURING JANUARY AND FEBRUARY, 1959

*3929. **Sardar Rajinder Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount paid to each newspapers in and outside the state for Government advertisements during the period from January 1, 1959 to February 28, 1959 ;

(b) what percentage, if any fixed for giving the said advertisements to papers published in English, Punjabi, Hindi and Urdu languages ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A statement showing the total amount given to each newspaper on account of Government advertisements during the period from January 1, 1959 to February 28, 1959, is placed on the table of the House.

(b) The percentage fixed for the newspapers of the various languages is as follows :—

(i) English	..	16 per cent
(ii) Punjabi	..	28 per cent
(iii) Hindi	..	28 per cent
(iv) Urdu	..	28 per cent

Statement showing the amount given to each newspaper during January and February, 1959

	English Newspapers		*Amount* Rs. nP.
1.	Tribune	..	16,835.00
2.	Hindustan Times	..	4,976.95
3.	Times of India	..	2,496.50
4.	Statesman	..	2,777.00
5.	Hindustan Standard	..	618.50
6.	Indian Express		970.00
7.	Hindu, Madras	..	293.60
8.	Indian Times	..	533.00
9.	Punchsheel Herald	..	1,438.20
10.	Link	..	300.00
11.	Naresh	..	100.00
	Total	..	31,838.75

[Chief Parliamentary Secretary]

Urdu Newspapers

			Amonnt Rs. nP.
1.	Vir Bharat	..	4,421.50
2.	Milap	..	5,698.50
3.	Tej	..	1,212.00
4.	Sher-e-Punjab	..	1,060.00
5.	Jagat	..	720.00
6.	Sadaquat	..	475.00
7.	Mewat	..	420.00
8.	Tarjman	..	542.00
9.	Driver Weekly	..	371.25
10.	Motor Transport Gazette	..	112.50
11.	Insaf	..	332.06
12.	Motor Transport Worker	..	63.75
13.	Transport Gardian	..	30.00
14.	Lalkar	..	340.00
15.	Hind Samachar	..	143.00
16.	Savera	..	364.00
17.	Haryana Tilak	..	32.00
18.	Doaba	..	300.00
19.	Roshani, Patna	..	100.00
20.	Quami Sandesh	..	200.00
21.	Punjab Congress Patrika, Jullundur	..	300.00
22.	Roshni, Sonepat	..	22.44
23.	Jat Gazette	..	100.00
24.	Arya Gazette	..	300.00
25.	Kisan	..	300.00
26.	Hindu	..	300.00
27.	Mastana Jogi	..	200.00
28.	Indian Scouter	..	50.00
29.	Punjab Congress Patrika, Patiala	..	200.00
	Total	..	18,710.00

Hindi Newspapers

1.	Hindi Milap	..	2,882.94
2.	Vir Pratap	..	1,660.50
3.	Hindustan	..	758.00
4.	Navbharat Times	..	1,185.50
5.	Sunehri Bharat	..	168.00
6.	Jagat	..	300.00
7.	Mewat	..	300.00
8.	Vishav Jyoti	..	200.00
9.	Matri Bhoomi	..	200.00
10.	Haryana Sandesh	..	500.00
	Total	..	8,154.94

Punjabi Newspapers

1.	Akali Patrika	..	2,432.90
2.	Parkash	..	2,378.00
3.	Ajit	..	5,194.00
4.	Ranjit	..	3,676.40
5.	Sikh	..	686.37
6.	Nawan Zamana	..	373.00
7.	Akali	..	216.00
8.	Panth	..	1,024.00
9.	Mauji	..	135.00
10.	Punjabi Punch	..	40.00
11.	Fateh	..	230.60
12.	Khalsa	..	100.00
13.	Nirbhai Yodha	..	100.00
14.	Mel-Milap	..	100.00
	Total	..	15,662.27
	GRAND TOTAL	..	74,365.96

NEWSPAPERS PURCHASED BY PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT FOR FREE DISTRIBUTION

*3930. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of daily and weekly newspapers, separately, purchased by the Public Relations Department for free distribution in the State during the period from September, 1, 1958 to date, together with the amount paid in each case,

(b) The manner in which the said newspapers were distributed ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is laid on the table of the House.

Statement showing details of Daily and Weekly Newspapers purchased by the Public Relations Department, Punjab, from September 1, 1958 *to March* 13, 1959.

Weeklies/Dallies	No. of copies	Cost	Manner in which distributed
		Rs.	
1. The Lalkar Weekly, Dharamsala (Anti-untouchability number)	600	600.00	Distributed through the agencies of the Public Relations Department, functioning in each District to the Rural Publicity Workers, Local Institutions, Reading Rooms, and Information Centres, etc.
2. The Panchsheel Herald, Weekly, Delhi (International number)	500	500.00	
3. The Savera, Illustrated Weekly, Delhi (Anti-untouchability Supplement)	800	200.00	
4. The Fateh, Weekly, Delhi (Anti-untouchability Supplement)	2,000	519.00	
5. The Hindu Weekly, Jullundur (Anti-untouchability Supplement)	800	304.56	
6. The Fateh Weekly, Delhi (State Plan Supplement)	500	255.00	
7. The Panchsheel Herald, Delhi (Food Supplement)	400	200.00	
8. The Daily Akali Patrika, Jullundur (Anti-untouchability Supplement)	2,000	400.00	
9. The Daily Ranjit, Patiala (Anti-untouchability Supplement)	2,000	513.60	
10. The Daily Ajit, Jullundur City Anti untouch ability Supplem nt)	2,000	500.00	
11. The Daily Vir Bha at, Jullundur City (Anti-untouchability Supplement)	2,000	500.00	
12. The Daily Vir Bharat, Jullundur City—			These copies were sent regularly to all the District Public Relations Officers, Publicity Supervisor, Organisers, Rural Publicity Workers. Information Centres and Reading Rooms of the Public Relations Department in the State.
January, 1959 ..	10,340	1,416.20	
February, 1959 ..	10,800	1,404.00	
Up to March 13, 1959 ..	4,800	624.00	

ALLOTMENT OF IRON AND STEEL QUOTAS

***3444. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the number of Iron and Steel (Fabrication) Quota-holders who were entitled to and had availed themselves of 6 (six) tons of Iron and Steel quota during the year 1953-54 before the abolition of A, B and C Classes of quota-holders in the State, district-wise; and

(b) whether in some cases the quota of six tons of iron and steel referred to in part (a) above was reduced to four tons during the said period ; if so, their names in each district, together with the names of those quota-holders, if any, whose allotment has since been raised to six tons as in 1953-54 together with the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a)

(i) Kangra	..	1
(ii) Batala	..	2
(iii) Amritsar	..	8
(iv) Jullundur	..	2
(v) Karnal	..	2
(vi) Ambala	..	2
(vii) Ludhiana	..	1
Total	..	18

(b) Nil.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने मेरे सवाल के part (b) का जवाब nil में दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह जितनी parties हैं वह सब छः छः tons ले रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर half an hour's discussion कर लेना। अब इसे छोड़िये। (The House may discuss this matter for half an hour, separately. Therefore, the hon'ble Member should drop this matter now.)

FOOD ADVISORY COMMITTEE FOR SANGRUR DISTRICT

***3931. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the date on which the District Food Advisory Committee for Sangrur District, if any, was constituted, the names of its Members and the criteria kept in view while nominating them as such ;

(b) the number of meetings held by the said Committee during the month of February, 1959 ?

Shri Benarsi Dass (Deputy Minister) : (a) The Committee was constituted on the 6th February, 1959. A statement containing the names of the Members is laid on the Table of the House. In addition to

all M.Ps., M.L.As. and M.L.Cs. of the District, the Committee has on it representatives of all major political parties and representatives of beoparies and depot-holders.

(b) No meeting of the Committee was held in the month of February, 1959.

Statement showing the names of the Members of the District Food Advisory Committee, Sangrur.

1. Shri Ajit Singh, M.P.
2. Shri Hukam Singh, M.P.
3. Shri Bhalla Ram, M.L.A.
4. Shri Chanda Singh, M.L.A.
5. Shri Inder Singh, M.L.A.
6. Shri Jangir Singh, M.L.A.
7. Shri Rajinder Singh, M.L.A.
8. Shri Jasdev Singh, M.L.A.
9. Shri Kartar Singh Dewana, M.L.A.
10. Shri Mahesh Inder Singh, M.L.A.
11. Shri Pritam Singh Sahoke, M.L.A.
12. Shri Siri Kishan Vaid, M.L.A.
13. Shri Ranjit Singh, M.L.C.
14. Shri Sant Ram, M.L.C.
15. Shri Siri Chand, M.L.C.
16. Shri Raghubir Singh Pleader, President, Jan Sangh, Sangrur.
17. Shri Kartar Singh Darwesh, President, City Akali Jatha, Sangrur.
18. Shri Jagdish Chander, General Secretary, District Congress Committee, Sangrur.
19. Shri Ganda Singh of Communist Party, Sangrur.
20. Shri Kuldip Singh Hazuria, representative of depot-holders, Sangrur.
21. Shri Lal Chand, Grain-dealer, Sangrur.

SUPPLY OF FODDER IN FLOOD-AFFECTED AREAS

***3146. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any steps have been taken by Government to make up the deficiency in the supply of good fodder in the flood-affected areas of the State during the year 1958-59 ; if so, what ;

(b) the names of the places where such arrangements were made together with the total expenditure incurred thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) There was no shortage of fodder in the flood-affected areas of the State during the year 1958-59 except in the district of Gurgaon. Tenders from the dealers and suppliers of fodder in Delhi and other Districts of the Punjab were invited by the Deputy Commissioner, Gurgaon, and have been received by him.

(b) Question does not arise in view of (a) above.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो tenders वहां के D.C. साहिब ने मंगवाए थे उन में से कोई कबूल भी किया है कि नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

MARKETING COMMITTEE

***3147. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state with reference to reply to Starred Question No. 2852 included in the list of questions for 23rd September, 1958, the date by which the Marketing Committees in the rest of the mandies are expected to be set up ?

Giani Kartar Singh : According to section 10 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1939/Patiala Agricultural Produce Markets Act, 2004 B.K., every member of a Market Committee shall, subject to the provisions of section 13, hold office for a period of three years from the date of his appointment and if, when such period expires and no person is appointed to succeed him, such member shall, unless the Government/ State Marketing Board otherwise direct, continue to hold office until his successor is appointed. A statement showing the dates when the Market Committees in the State (District-wise) were last constituted or reconstituted and when the term of members appointed on each Committee will expire, is laid on the Table.

STATEMENT

District	Serial No.	Name of Market Committee	Date when the Market Committee was last constituted or reconstituted	Date of expiry of the term of members of each Committee
1	2	3	4	5
Hissar ..	1	Sirsa ..	23rd January, 1958	22nd January, 1961
	2	Hansi ..	26th December, 1953	25th December, 1956
	3	Bhiwani ..	28th May, 1958 ..	27th May, 1961
	4	Dabwali Mandi	30th July, 1956 ..	29th July, 1959
	5	Loharu ..	28th May, 1958 ..	27th May, 1961
	6	Uklana ..	29th May, 1958 ..	28th May, 1961
	7	Ding ..	31st October, 1958	30th October, 1961
	8	Kalanwali ..	28th May, 1958 ..	27th May, 1961

District	Serial No.	Name of Market Committee	Date when the Market Committee was last constituted or reconstituted	Date of expiry of the term of members of each Committee
1	2	3	4	5
Hissar—*concld*	9	Tohana ..	16th February, 1959	15th February, 1962
	10	Hissar ..	The Committee was superseded on 21st August, 1958	
Rohtak ..	11	Rohtak ..	6th December, 1958	5th December, 1961
	12	Sonepat ..	17th April, 1958 ..	16th April, 1961
	13	Bahadurgarh	4th November, 1958	3rd November, 1961
	14	Gohana ..	8th July, 1957 ..	7th July, 1960
	15	Sampla ..	16th September, 1958	15th September, 1961
Gurgaon ..	16	Rewari ..	9th March, 1954 ..	8th March, 1957
	17	Palwal ..	7th December, 1958	6th December, 1961
	18	Ballabgarh ..	27th October, 1953	26th October, 1956
	19	Hodal ..	9th June, 1954 ..	8th June, 1957
	20	Nuh ..	20th December, 1958	19th December, 1961
	21	Sohana ..	10th January, 1959	9th January, 1962
Karnal ..	22	Karnal ..	24th October, 1958	23rd October, 1961
	23	Panipat ..	29th May, 1958 ..	28th May, 1961
	24	Kaithal ..	17th February, 1959	16th February, 1962
	25	Gharaunda	4th October, 1958	3rd October, 1961
	26	Shahabad	11th March, 1958 ..	10th March, 1961
	27	Samalkha	25th September, 1958	24th September, 1961
	28	Madlauda ..	31st October, 1958	30th October, 1961
	29	Ladwa ..	16th February, 1959	15th February, 1962
	30	Taraori ..	11th December, 1958	10th December, 1961
	31	Pundri ..	17th September, 1958	16th September, 1961
	32	Thanesar ..	7th January, 1957	6th January, 1960
Ambala ..	33	Ambala City	14th September, 1954	13th September, 1957
	34	Kalka ..	14th September, 1954	13th September, 1957
	35	Jagadhri ..	25th November, 1958	24th November, 1961
	36	Ambala Cantt	31st October, 1958	30th October, 1961
	37	Morinda ..	1st September, 1954	31st August, 1957
	38	Mani Majra	1st September, 1954	31st August, 1957

[Minister for Agriculture and Forests]

District	Serial No.	Name of Market Committee	Date when the Market Committee was last constituted or reconstituted	Date of expiry of the term of members of each Committee
1	2	3	4	5
Ambala—*concld*	39	Rupar ..	11th December, 1958	10th December, 1961
	40	Kharar ..	11th December, 1958	10th December, 1961
	41	Kurali ..	16th February, 1954	15th February, 1957
Hoshiarpur ..	42	Hoshiarpur..	18th February, 1954	17th February, 1957
	43	Mukerian	18th February, 1954	17th February, 1957
	44	Garhshankar	23rd January, 1957	22nd January, 1960
Jullundur ..	45	Fentonganj, Jullundur City	22nd October, 1954	21st October, 1957
	46	Phillaur ..	22nd October, 1954	21st October, 1957
	47	Nakodar ..	22nd October, 1954	21st October, 1957
	48	Banga ..	26th December, 1958	25th December, 1961
	49	Jullundur Cantt	22nd October, 1954	21st October, 1957
	50	Nawanshahr	26th December, 1958	25th December, 1961
Ludhiana ..	51	Ludhiana ..	9th January, 1959	8th January, 1962
	52	Jagraon ..	12th October, 1957	11th October, 1960
	53	Khanna ..	25th September, 1958	24th September, 1961
	54	Mullanpur ..	28th February, 1957	27th February, 1960
	55	Samrala ..	13th June, 1958 ..	12th June, 1961
	56	Bahadurgarh	31st October, 1953	30th October, 1956
	57	Nasrali ..	13th October, 1958	12th October, 1961
Ferozepur ..	58	Ferozepur ..	24th January, 1957	23rd January, 1960
	59	Talwandi Bhai	20th July, 1957 ..	19th July, 1960
	60	Moga ..	20th July, 1957 ..	19th July, 1960
	61	Zira ..	20th July, 1957 ..	19th July, 1960
	62	Muktsar ..	7th January, 1957	6th January, 1960
	63	Fazilka ..	28th December, 1956	27th December, 1959
	64	Abohar ..	7th June, 1958 ..	6th June, 1961
	65	Gidderbaha	13th December, 1956	12th December, 1959
	66	Malout ..	24th December, 1956	23rd December, 1959

District	Serial No.	Name of Market Committee	Date when the Market Committee was last constituted or reconstituted	Date of expiry of the term of members of each Committee
1	2	4	4	5
Ferozepur—*contd*	67	Bhuchu Mandi	20th July, 1957 ..	19th July, 1960
	68	Guru Har Sahai	3rd August, 1957 ..	2nd August, 1960
	69	Jalalabad ..	4th June, 1958 ..	3rd June, 1961
	70	Makhu ..	18th January, 1956	17th January, 1959
Amritsar ..	71	Amritsar ..	The Committee was superseded on 18th October, 1957.	
	72	Patti ..	26th November, 1956	25th November, 1959
	73	Tarn Taran	26th November, 1956	25th November, 1959
	74	Rayya ..	10th November, 1956	9th November, 1959
	75	Gehri ..	18th October, 1958	17th October, 1961
	76	Bhikhiwind..	1st October, 1958 ..	30th September, 1961
Gurdaspur ..	77	Gurdaspur ..	4th December, 1950	3rd December, 1953
	78	Dinanagar	4th December, 1950	3rd December, 1953
	79	Batala ..	4th December, 1950	3rd December, 1953
	80	Pathankot ..	22nd January, 1958	21st January, 1961
Bhatinda ..	81	Baretta ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	82	Bhatinda ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	83	Budhlada ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	84	Faridkot ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	85	Goniana ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	86	Jaitu ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	87	Kot Kapura	24th September, 1956	23rd September, 1959
	88	Mansa ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	89	Maur ..	27th December, 1957	26th December, 1960
	90	Raman ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	91	Rampura Phul	24th September, 1956	23rd September, 1959
Kapurthala ..	92	Kapurthala..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	93	Phagwara ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	94	Sultanpur	24th September, 1956	23rd September, 1959
Mahendragarh	95	Ateli ..	24th September, 1956	23rd September, 1959

[Minister for Agriculture and Forests]

District	Serial No.	Name of Market Committee	Date when the Market Committee was last constituted or reconstituted	Date of expiry of the term of members of each Committee
1	2	3	4	5
Mahendragarh—*concld*	96	Dadri ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	97	Mahendragarh	24th September, 1956	23rd September, 1959
	98	Narnaul ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
Patiala ..	99	Patiala ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	100	Nabha ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	101	Samana ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	102	Bassi ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	103	Doraha ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	104	Gobindgarh	24th September, 1956	23rd September, 1959
	105	Sirhind ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	106	Rajpura ..	24th December, 1955	23rd December, 1958
Sangrur ..	107	Jind ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	108	Julana ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	109	Lahragagga	24th September, 1956	23rd September, 1959
	110	Narwana ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	111	Sangrur ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	112	Sunam ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	113	Uchana ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	114	Ahmedgarh	24th September, 1956	23rd September, 1959
	115	Barnala ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	116	Dhuri ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	117	Malerkotla	24th September, 1956	23rd September, 1959
	118	Safidon ..	24th September, 1956	23rd September, 1959
	119	Tapa ..	24th September, 1956	23rd September, 1959

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जिन market committees की मयाद ख़त्म हो चुकी है उन की elections क्यों नहीं करवाई गई ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ penal ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ reference ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

SCHEDULE OF BORING CHARGES FIXED BY AGRICULTURE DEPARTMENT

*3944. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the schedule of boring charges of Tube-wells fixed by the Agriculture Department ;

(b) whether it is a fact that the entire boring labour in kind and transportation charges of the boring equipment and stores are borne by the Farmers concerned ; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (a) The schedule of boring charges is laid on the Table.

(b) The farmers who provide labour for boring, lowering and extraction of pipes and make transportation arrangements for carrying the plant and other boring equipment to the site of work and back, are charged as per part 'A' of the Schedule (laid on the Table). Those who do not provide the above facilities are charged as per part 'B' of the Schedule (laid on the Table).

Schedule of Boring rates enforced from 1st *July,* 1958 *for various sizes and depths of bores sunk by the Agriculture Department, Punjab.*

'A' When labour for boring, lowering and extraction of pipes and transportation of boring plant and material to the site of work and back are arranged and **paid for by the Well Owner**, i.e. Non-Contract.—

Size of bore	*Depth*	*Rate per foot*
6″ dia casing, or 7″ dia casing	From 0′ to 100′	Rs 0.75 n.P.
	From 100′ to 200′	Rs 1.50 n.P.
	From 200′ to 250′	Rs 2.50 n.P.
	From 250′ to 300′	Rs, X X X
8″ dia casing	From 0′ to 100′	Rs 2.00 n.P.
	From 100′ to 200′	Rs 3.00 n.P.
	From 200′ to 250′	Rs 4.00 n.P.
	From 250′ to 300′	Rs 5.00 n.P.
	From 300′ to 350′	Rs 6.00 n.P.
10″ dia casing	From 0′ to 100′	Rs 4.00 n.P.
	From 100′ to 200′	Rs 5.00 n.P.
	From 200′ to 300′	Rs 6.00 n.P.
	From 300′ to 400′	Rs 7.00 n.P.
12″ dia casing	From 0′ to 100′	Rs 4.00 n.P.
	From 100′ to 200′	Rs 6.00 n.P.
	From 200′ to 300′	Rs 7.00 n.P.
	From 300′ to 400′	Rs 8.00 n.P.
	From 400′ to 500′	Rs 9.00 n.P.
15″ or 16″ dia casing	From 0′ to 100′	Rs 6.00 n.P.
	From 100′ to 200′	Rs 7.00 n.P.
	From 200′ to 300′	Rs 8.00 n.P.
	From 300′ to 400′	Rs 9.00 n.P.
	From 400′ to 500′	Rs 10.00 n.P.
18″ dia casing	From 0″ to 100′	Rs 8.00 n.P.
	From 100′ to 200′	Rs 9.00 n.P.
	From 200′ to 300′	Rs 10.00 n.P.
	From 300′ to 400′	Rs 11.00 n.P.
	From 400′ to 500′	Rs 12.00 n.P.

[Minister for Agriculture and Forests]

(B) When labour for boring, transportation of plant and material, etc. is done by the Department.—

Size of bore	*Depth*	*Rate per foot*
6″ dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 6.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 7.00 n.P.
	From 200′ to 250′	.. Rs 8.00 n.P.
7″ dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 7.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 8.00 n.P.
	From 200′ to 250′	.. Rs 9.00 n.P.
8″ dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 8.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 10.00 n.P.
	From 200′ to 300′	.. Rs 11.00 n.P.
	From 300′ to 350′	.. Rs 12.00 n.P.
10″ dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 10.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 12.00 n.P.
	From 200′ to 300′	.. Rs 13.00 n.P.
	From 300′ to 400′	.. Rs 14.00 n.P.
12″ dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 12.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 14.00 n.P.
	From 200′ to 300′	.. Rs 15.00 n.P.
	From 300′ to 400′	.. Rs 16.00 n.P.
	From 400′ to 500′	.. Rs 17.00 n.P.
15″ or 16 dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 16.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 17.00 n.P.
	From 200′ to 300′	.. Rs 18.00 n.P.
	From 300′ to 400′	.. Rs 19.00 n.P.
	From 400′ to 500′	.. Rs 20.00 n.P.
18″ dia casing	.. From 0′ to 100′	.. Rs 18.00 n.P.
	From 100′ to 200′	.. Rs 19.00 n.P.
	From 200′ to 300′	.. Rs 20.00 n.P.
	From 300′ to 400′	.. Rs 21.00 n.P.
	From 400′ to 500′	.. Rs 22.00 n.P.

ANTI-WATER-LOGGING MEASURES IN SAHOKE-ROTOKE AND MANDER KHURD, ETC. VILLAGES

*3975. **Sardar Pritam Singh Sahoke :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any scheme has been prepared by Government to save villages Sahoke, Dhadrian, Rotoke, Mander Khurd, Dialgarh, etc., in tahsil and district Sangrur from water-logging ; if so, the amount likely to be spent thereon ;

(b) the time by which the work under the said scheme is expected to be taken in hand ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. Rs. 3.92 lacs.

(b) The work on the Sahoke Drain is proposed to be taken up during the Second Five-Year Plan.

TRANSFER OF LANDS IN VILLAGES BADSHAHPUR, DISTRICT KARNAL

***3490. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any lands were transferred from one person to another through sale or otherwise in village Badshahpur, district Karnal, during the year 1944; if so, the area of land transferred together with the names of the transferers and the transferees as in the revenue records of the said village ;

(b) whether any of the lands referred to in part (a) above have at any time upto now been transferred again to any other persons, either through sales or pre-emptions or otherwise ; if so, the details of all such transfers together with the names of the respective contracting parties ;

(c) whether any of the area referred to in part (b) above have been declared as evacuee lands ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. 572 bighas and 4 biswas of land of village Badshahpur, was sold to Shri Randhir Singh, son of Shri Jahangir Singh of village Ghogharipur, by Nawabzada Mohd. Aijazali Khan of Karnal.

(b) The statement is laid on the Table.

(c) Whole of the said land has been declared evacuee property.

STATEMENT

It was further alienated to Shri Mohd Ali Khan *alias* Sar Feroz Khan for Rs. 20,000 under un-registered deed, dated the 28th December, 1943. The mutation to this effect was entered at Serial No. 61 of the mutation Register. Shri Mohd Ali mortgaged it, orally, for Rs 20,000 with Shri Hari Chand, son of Balwant Singh of village Karnal,—*vide* mutation No. 62.

In compliance with the decree, dated the 1st August, 1945, by the Sub-Judge, Karnal, mutation No. 64 of sale of this land, with Shri Hari Chand as its mortgagee, was entered in the name of Nawab. Mohd Sajad Ali Khan, who paid the sale amount of Rs. 20,000. Under order, dated the 20th August,1951 of the Commissioner, Ambala, it was released for Rs 20,000 and accordingly mutation No. 65 in the name of Nawab Sajad Ali Khan was decided on 22nd June, 1955.

श्री राम प्यारा : यह land कब evacuee declare की गई थी ?

मंत्री : Date तो मैं off hand नहीं बता सकता ।

श्री राम प्यारा : जो statement मुझे दी गई है उसमें बताया गया है कि पहिले 1951 में नवाब सजाद अली खान के हक में फैसला हुआ था। उसके बाद 1955 में दुबारा उस के हक में फैसला हुआ था। तो क्या वजीर साहिब बताएंगे कि इस चार साल के अर्सा में वह जमीन किस के कब्जा में रही ?

मंत्री : मैं off hand नहीं बता सकता। नोटिस दें तो पता करेंगे।

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, यह सवाल दो दफा आया है। मेरी अर्ज़ यह है कि गवर्नमैंट का 8 हज़ार रुपया बकाया है और इसी लिये मैं इन से पूछ कर यह बात इन के notice में ला रहा हूँ। पिछली दफा जब मैं ने सवाल किया था तो पूछा था कि क्या कोई file है तो जवाब मिला था कि नहीं। अब मैं इन्तकालों के नम्बर ढूंढ कर लाया हूँ और.....

श्री अध्यक्ष : आपके इस research work के लिये वह आपका शुक्रिया कर देंगे। (हँसी) (The hon. Minister will thank him for doing all this research work.) (*Laughter*)

श्री राम प्यारा : गवर्नमैंट का जो 8 हज़ार रुपया बकाया है वह recover हो जाएगा। इसी लिये मैं ने यह पूछा है कि......

मंत्री : मैं इसके लिये आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। (हँसी)

LIFTS IN THE NEW SECRETARIAT BUILDING AT CHANDIGARH

***3928. Sardar Atam Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of lifts provided in the New Secretariat building at Chandigarh, with the total cost thereof ;

(b) the monthly salary and D.A., etc., of the staff employed for operating the said lifts ;

(c) the total amount spent, month-wise, during the current year on electric charges for the said lifts ;

(d) whether any rules have been framed for the use of the lifts referred to above ; if so, the details thereof ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Nine lifts at a total cost of Rs. 9,44,011.00. At present 4 are in operation.

(b) Rs. 271.48.

(c)		Rs.
May, 1958	..	11.79
June, 1958	..	218.47
July, 1958	..	213.70
August, 1958	..	107.59
September, 1958 to December, 1958	..	850.73
January, 1959	..	185.23
February, 1959	..	210.00

(d) Yes ; the use of lifts is not permitted to persons below the age of 45 years from 9.30 a.m. to 10.30 a.m., 1.15 p.m. to 2.15 p.m. and 5.00 p.m. to 5.30 p.m. daily, except on health grounds. Out of the existing four lifts working in the Secretariat Building, lifts numbers 1, 2 and 3 run from floor 2 to floors 9, 8 and 7, respectively. Lift number 4 is run from floor 2 to floors 5 and 6. The use of lifts for persons going upto 4th floor is not allowed.

NON-PAYMENT OF OCTROI CHARGES BY DALMIA CEMENT FACTORY, DADRI

*3933. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the Dalmia Cement Factory, Dadri (district Mahendergarh) has not paid any Octroi Charges to the Municipal Committee, since April, 1958;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government have received any complaints in this connection; and the action, if any, taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) No. It has been paying octroi at concessional rates.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ concessional rates ਉਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ establish ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ concessions ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ condition ਤੇ ਉਹ ਲਗਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ agreement ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ concessional rates ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ hypothetical question ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ industry ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਵੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

APPOINTMENT OF EXECUTIVE OFFICER IN MUNICIPAL COMMITTEE, SANGRUR

*3934. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether it is a fact that the Municipal Committee, Sangrur (District Sangrur), is without any Executive Officer; if so, the date by which an Executive Officer is likely to be appointed ?

Shri Mohan Lal : *First Part.*—Yes.
Second Part.—By the end of April, 1959.

IMPROVING THE BREED OF COW

***3150. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the steps taken by Government for improving the breed of the cow and the supply of pure milk in the State during the year 1958-59, together with the details of the results obtained therefrom ?

Giani Kartar Singh : A note is placed on the Table.

For improving the breed of cow, 342,878 castrations of inferior bulls have been performed and 217 superior bulls of known pedigree and good performance let loose in the villages for breeding purposes during this year (1958-59) up to 31st December 1958. A Key Village Scheme for systematic improvement of cattle is in progress in the State under which 33 artificial Insemination Centres are working at different places in the State. 138 cow bulls of improved breed are located in the areas covered by them. 16,428 Artificial Inseminations were carried out upto 31st December, 1958. During this year a new Section of 100 Sahiwal Cows which are very good milkers has been added to the Hissar Farm.

In order to further augment cow breeding activities , there is a scheme for the development of Gaushalas in the State. The salient features of this scheme are the supply of a pure breed herd consisting of 20 cows and a bull to each selected Gaushala. Financial assistance for improving the existing facilities such as buildings, land and equipment, and to meet the increased expenditure on the maintenance of productive herd and subsidies for rearing selected calves is rendered. A sum of Rs. 8,000 has already been disbursed to the eight selected Gaushalas for this purpose and a further grant of Rs. 20,000 will be paid before the close of the year.

Further for improving the breed of cow a grant-in-aid of Rs. 21,000 is annually given to the District Boards of Hissar, Rohtak, Karnal, Gurgaon and Ambala for giving subsidies to the best selected Hariana cows. Bulls of Montgomery and Sahiwal breeds are distributed in the district of Kangra at a cost of Rs. 2,000 annually. Subsidies are also given to the best selected calves for rearing them into breeding bulls in the Key Village Blocks and other areas.

In addition, apart from large number of cattle shows and fairs held by the District Boards and Municipalities in their areas, a State Show is also held annually by the Department of Animal Husbandry in which best animals of all breeds are awarded cash prizes, medals and Prashansa Patras. Holding of these shows arouses great interest among the breeders to rear true type of animals.

(ii) *Supply of pure milk in the State.*—One milk supply union is being established at Chandigarh which will collect milk from rural areas within a radius of 20 miles and will supply wholesome milk to the residents of the town at reasonable rates. The buildings of the milk scheme will be completed by the end of this year. A part of the machinery has already been purchased and the rest is being procured. Thus, it is hoped that the scheme will be put into operation from the beginning of the next year.

One Composite Milk Plant is being established at Amritsar which will supply fluid milk to the town and also manufacture ghee, butter, cream, and skimmed milk and milk-powder from the surplus milk. The construction of the buildings is being started. Machinery worth Rs 200 lacs has already arrived under T. C. M. Programme. The rest of the macinery, partly to come under T. C. M. and partly to be purchased directly by the State Government, will be arranged for during this and the next year. After the completion of the buildings and procurement of the machinery, the project is expected to start functioning by the end of the Plan period.

A pasteurization plant will also be set up at the Government Livestock Farm, Hissar, for the processing of milk produced at the Farm and also for training the students of the Punjab Veterinary College, Hissar, in the subject Dairying and Milk Supply. The building of the Plant is in progress and will be completed by the next year. Plant and machinery will be purchased during 1960-61 and thus the Dairy at the Farm will come into operation by the end of the Plan.

RECLAMATION OF LAND DAMAGED BY WATERLOGGING, ETC.

***3151. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the teps being taken by the Government to reclaim the land being rendered unculturable due to waterlogging, floods and heavy rains in the State, together with the success so far, achieved therefrom ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Reply is palced on the Table of he House.

The Punjab State has launched a programme of constructing surface drains in various tracts. Number of drainage schemes under implementation is 46 and the number of flood protection schemes is 18. The total estimated cost of the schemes under implementation is as under :—

		Rs.
Flood Embankments	..	154 lacs
Drains	..	390 lacs
Total	..	544 lacs

Government have decided that five pilot schemes for Hansi, Amritsar, Sangrur, Fazilka and Zira areas be first prepared as anti-waterlogging measures. The pilot scheme for Hansi area has already been taken in hand. The staff for the Ground Water Resources Section is being sanctioned by the Government for detailed underground investigations in the Research Institute.

GRANT OF LOANS FOR PURCHASE OF TRACTORS

***3493. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total amount sanctioned by Government for advancing loans for the purchase of tractors, district-wise, in the State during the year 1958-59 to date ;

(b) whether any instructions containing the criteria to be kept in view while giving such loans have been issued by Government ; if so, what ;

(c) the number of applications for the grant of such loans received in Karnal District in 1958-59, together with the names of the villages or towns of the applicants ;

(d) the names of persons in the said district who have been given loans during the said period together with the amount given in each case ?

Giani Kartar Singh : (a) A total amount of Rs. 16 lacs has been sanctioned for advancing loans for purchase of tractors during the year 1958-59. Its district-wise break-up is given in statement "A", laid on the Table ;

(b) Yes. The terms and conditions for advance of loans for purchase of tractors is given in statement "B", laid on the Table ;

[Minister for Agriculture and Forests]

(c) & (d). Total number of applications received in Karnal District is 53. The remaining information is given in statements 'C' and 'D', laid on the Table.

STATEMENT 'A'

Showing the district-wise break-up of loans to be advanced for purchase of tractors during the year 1958-59

Serial No.	Name of District	Amount
		Rs.
1	Kangra	.. ..
2	Hoshiarpur	.. 50,000
3	Jullundur	.. 70,000
4	Ludhiana	.. 90,000
5	Ferozepur	.. 1,30,000
6	Amritsar	.. 1,30,000
7	Gurdaspur	.. 60,000
8	Patiala	.. 1,50,000
9	Kapurthala	.. 70,000
10	Bhatinda	.. 1,30,000
11	Sangrur	.. 1,40,000
12	Mahendragarh	.. 70,000
13	Hissar	.. 1,80,000
14	Rohtak	.. 70,000
15	Gurgaon	.. 1,30,000
16	Karnal	.. 1,30,000
17	Ambala	.. ..
18	Simla	.. ..
	Total	.. 16,00,000

STATEMENT 'B'

Conditions for advance of Loans for the purchase of tractors.

1. The area owned by the applicant of a tractor loan or in the case of more than one applicant the combined area of all the applicants within a radius of two miles is not less than 30 acres.

2. The area to be reclaimed may be bet or banjar if the tractor loan is sanctioned for reclamation purposes.

3. The applicant/s will be at liberty to take loans for the purchase of either heavy tractors or light tractors according to their requirements. The applicants for heavy tractors will be given an advance not exceeding Rs 20,000 and those for light tractors, not more th an Rs. 10,000.

4. The loanee/loanees will not transfer their rights in the tractor till the entire loan is repaid.

5. The loanee shall not draw the amount of the loan from the treasury until he has produced a certificate from a recognised Agent of the Manufacturing Firm that an order for the purchase of tractor has been placed and the same would be supplied within a period of one month from the date of the order.

6. The loan will carry interest at the rate to be fixed by the State Government from time to time. It will be recovered as taccavi loan after a period of grace of one year from the date of payment of the loan, in eight equated half-yearly instalments.

7. Persons selected for advance of loans for the purchase of tractors will not be eligible for loans for the purchase of bullocks.

8. The tractors purchased with these loans shall be used for reclamation or other agricultural purposes.

9. The borrowers shall be required to execute agreement in form T-2 or T-3.

10. The members of the selected group shall agree in writing to the advance of loan from Government and to nominate their group leader to receive payment of the taccavi amounts and to execute an agreement in form T-2 or T-3. Responsibility for the repayment of the entire loan with interest shall be joint and several.

11. The loanees shall be required to purchase the tractor within one month from the date of the advance of the loan. The tractor shall be produced before the District Agricultural Officer of the district for inspection who will give a certificate to the effect that the tractor has been duly purchased. The certificate should show the particulars of the tractor, i.e.,Make, Registration Number, Engine Number and Chassis Number. The loanees will present this certificate alongwith the dealers receipt to the Deputy Commissioner of the district for record within two weeks of the purchase.

12. The loanees shall immediately refund any amount saved after the purchase of tractor and necessary implements.

13. In case of breach of condition (4) that is if the rights in tractor have been transferred without permission previously obtained in writing of the Deputy Commisioner the entire loan will become recoverable in lump sum.

14. The Deputy Commissioner will supply a list of loans sanctioned to District Agricultural Officer for facility of check prescribed in clause 11 above.

STATEMENT C

Statement showing the names of Villages/towns of applicants who have applied for the grant of loan for the purchase of tractors.

Name of the village or town

I. KARNAL TEHSIL

1. Kotail.
2. Sandhir.
3. Budha Khera.
4. Sangoha.
5. Gharounda.
6. Garhpur Khalsa.
7. Darir.
8. Jalala.
9. Pistan.
10. Samani.
11. Garhi Pirmal.
12. Jhundla.
13. Qadirabad.
14. Manik Majra.
15. Karnal.
16. Churni.
17. Jalmana.
18. Bahlolpur.
19. Shamgarh.
20. Motia.
21. Khera Kheri.
22. Sanghir.

[Minister for Agriculture and Forests]

23. Gorgarh.
24. Garhi Multan.
25. Uchana.
26. Nagdhu.
27. Begumpur.
28. Munak.

II. TEHSIL PANIPAT

1. Maharana.
2. Kebri.
3. Alupur.
4. Nizampur.
5. Shera.
6. Siwan.
7. Azizulapur.
8. Babail.
9. Urlana Kalan.
10. Ahsan Khurd.

III. TEHSIL KAITHAL

1. Jaswanty.
2. Chhot.
3. Murtzapur.

IV. TEHSIL THANESAR.

1. Ramnanagar.
2. Nawarsi.
3. Kalyanpur.
4. Lokhi.
5. Bakhthala.
6. Masana.

STATEMENT 'D'

Showing the names of persons in Karnal District who have so far been given loan together with the amount of loan.

Serial No.	Name of applicant (s)		Amount of loan
			Rs
1	Shri Karnail Singh, Mana Singh, Puran Singh, etc.	..	8,000
2	Shri Sujan Singh	..	8,000
3	Shri Piara Singh, Amolakh Singh.	..	8,000
4	The Lyalpur Co-operative Farmers Society, Ltd., Murtzapur through Shri Surat Singh	..	8,000
5	Shri Sultan Singh, Malkan Singh, etc.	..	8,000
6	Shri Shishi Bhushan	..	8,000
7	Shri Tulsi Dass etc.	..	8,000
8	Shri Jotha Singh	..	9,000
9	Shri Arjan Singh	..	8,000
10	Shri Harnam Singh and Harbans Singh	..	8,000
11	Shri Waryam Singh, Mangal Singh, Krishan Singh	..	8,000
12	Shri Fateh Singh, Pali, etc.	..	8,000
13	Shri Mansa Ram and Jaipal Singh, etc.	..	8,000
14	Shri Kartar Singh, Banta Singh	..	8,000
15	Shri Mohan Singh and Chandgi Ram	..	9,000
16	Shri Puran Singh, etc.	..	8,000
	Total	..	1,30,000

श्री राम प्यारा : ट्रैक्टरों के लिये loan sanction करने के लिये final authority कौन है ?

मंत्री : सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी कमिश्नर की सिफारिशात Secretary तबदील कर सकता है ?

मंत्री : वह तबदील कर सकते हैं ।

श्री राम प्यारा : Loan देने के लिये कौन सा नुक्तानिगाह रखा गया है ?

मंत्री : जो terms और conditions बनी हुई है उन को देखते हैं । दूसरे यह ख्याल होता है कि काश्त बढ़े ।

श्री राम प्यारा : लेकिन ऐसे केस हैं कि 30 एकड़ वालों को दिया गया है लेकिन 40 एकड़ वालों को नहीं दिया गया । तो फिर कौन सा नुक्ता निगाह सामने रखा जाता है ?

मंत्री : जब बाकी की conditions एक जैसी हों तो जो अफसर loan देता है उसकी discretion भी होती है ।

श्री राम प्यारा : Discretion की कौन सी वजूहात हैं ?

Chief Minister : I think notice of a separate question should be given. In that question, it can be enquired why this has been done or why that has not been done. Then we will find out the exact position and let the hon. Member know about it.

CONSTRUCTION OF BUILDINGS OF VETERINARY DISPENSARIES IN RURAL AREAS OF ERSTWHILE PEPSU

***3946. Shri Nihal Singh** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether it is a fact that the Animal Husbandry Department have suspended the construction of buildings for Veterinary Dispensaries in the rural areas of erstwhile Pepsu ; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : No, Sir .

The question does not arise .

DAMAGE TO PARTITION WALL OF BHAKRA DAM

***3932. Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether any portion of the partition wall between the spill-ways of the Bhakra Dam was damaged during the month of August, 1958, if so, the causes thereof ;

(b) whether the damage referred to in part (a) above has had any effect on the Dam itself ; if so, what ;

(c) whether any enquiry into the causes of the said damage has been held, if so, its report ?

Chaudhri Balbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. There was a damage to the Central Training Wall between the spillways of the Bhakra Dam, which occurred on 8th August, 1958.

The possible cause of damage is still under examination.

(b) No. The damage referred to in para 1 had no effect on the Dam itself.

(c) Enquiries into the cause of the said damage are proceeding.

DEATH OF BUS OPERATOR BY LIVE ELECTRIC WIRES OF KALIANA LINE NEAR DADRI IN DISTRICT MOHINDERGARH

***3945. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether he is aware of the fact that a Bus Operator was electrocuted by live electric wires of the Kaliana line near Dadri in district Mohindergarh some time ago ; if so, whether any departmental enquiry was held in this regard and responsibility fixed for the incident ;

(b) if the answer to the latter part of (a) above be in the affirmative the findings of the enquiry and the amount of compensation, if any, paid to the dependents of the deceased ?

Chaudhri Balbir Singh (Deputy Minister) : Yes ; a Bus Operator was electrocuted at about 8-30 p. m. on 8th June, 1957. The departmental enquiry was held and questionfor fixing the responsibility for the accident is under the consideration of the State Electricity Board.

(b) The findings of enquiry into the case revealed that due to heavy storm a pole fell down. The night being cloudy visibility was poor. The road had become marshy due to rain. The Bus Operator while following the other kacha route came in contact with the live wire. The case regarding the grant of compensation is under examination with the State Electricity Board.

LOAN UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME IN KARNAL DISTRICT

***3520. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) the number of applications entertained by the District Authorities for loans under the Low-Income-Group Housing Scheme tehsil-wise in Karnal District during the year 1958-59 ;

(b) the last date, if any, fixed for the receipt of those applications, and the number of applications received before that date ;

(c) whether the date referred to in part (b) above was extended if so, how many times, together with the last date fixed in each case ;

(d) the basis on which the loans are given ;

(e) the amount placed at the disposal of District Authorities or Loan Committees for the purpose ;

(f) the minimum and maximum amount of loan which may be sanctioned for the purpose ?

Chaudhri Suraj Mal :

		Rs
(a) Kaithal	..	297
Panipat	..	358
Karnal Thanesar	}	1,330
Tota'	..	1,985

(b) The last date fixed for the receipt of app'ication was the 7th of January, 1959. 1,985 applications were received.

(c) The date fixed was 6th December, 1958 which was extended to 6th January, 1959, and the date was extended only once.

(d) The first priority in the matter of loan is given to those persons who are in possession of plots for the construction of houses and are able to furnish the required necessary security and do not own residential houses.

(e) Rs 2,70,000.

(f) There is no restriction on the minimum. The maximum amount of loan is however, Rs 8,000 per house on 80 per cent of the value of house and site, whichever is less.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि date बढ़ाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई ?

मंत्री : इस के लिये आप नोटिस दें तो पूछ लूंगा।

श्री राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि loan में priority उनको दी जाती है जिन के पास plots हों और अपने residential मकान न हों। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी ऐसे शख्स को भी loan दिया गया है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते ?

मंत्री : आप notice दें तो ज़रूर action लेंगे।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONCESSION IN THE LEVY OF EXCISE DUTY GRANTED TO HAMIRA DISTILLEERY

1609. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that ome concession in regard to excise duty was granted to the Hamira Distillery during the first three years after the partition ; if so, the reasons therefor ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No Sir. The latter part of the question does not arise.

REPRESENTATION AGAINST DEFECTIVE PREPARATION OF ELECTORAL ROLLS OF HISSAR TOWN

1610. Shrimati Sneh Lata : Will the Chief Minister be pleased to state whether he has received any representation regarding the defective preparation of he Electoral Rolls of Hissar Town ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : I regret as no papers have been traced, my answer is no.

RELIEF GIVEN TO PERSONS AFFECTED BY FLOODS IN DISTRICT GURGAON

1613. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state the details of relief granted in Tehsil Gurgaon, due to the damage caused by floods and rains during the year, 1958-59 ; together with the amount of loan advanced in each case ?

Rao Birender Singh :

(i) Grant for construction or repairs of Houses	Rs	2,10,000
(ii) Gratuitous Relief ..	Rs	13,000
(iii) Taccavi for seed and fodder ..	Rs	3,98,040
(iv) Taccavi for construction of Houses ..		Nil
(v) *Clothing—*		
(a) Blankets ..		1,210 pieces
(b) Dhotis ..		960 pieces
(c) Cloth ..		7,022 yards

REALISATION OF EXCESS LAND REVENUE CHARGES FROM LANDOWNERS OF PATTI, PANIPAT, DISTRICT KARNAL

1614. Pandit Shri Ram Sharma : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that arrears of land revenue outstanding against the landowners of Patti Panipat, District Karnal, were realised in excess relating to evacuee land, after three years of partition, if so, the amount of the excess thus realized, the names of the persons from whom it was realized and the name of Lambardar who was responsible for this excess realization ;

(b) whether the excess referred to in part (a) above has been refunded ; if not, the reasons therefor ?

Rao Birender Singh : The information is as under :—

(a) No land revenue was realized in excess from any landowner of Patti Panipat, relating to evacuee land after three years of partition.

(b) It does not arise

Note :—For unstarred question No. 1611 and 1612 and replies thereto please see annexure 'A' printed at the end of this debate.

BUSES CHECKED BY TRAFFIC POLICE ON KAPURTHALA-SULTANPUR ROAD

1615. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(a) whether any buses were checked by the Traffic Police on Kapurthala-Sultanpur route on 9th March, 1959, if so, their number ;

(b) the number of passengers, if any found in excess in each bus, together with the action taken in the matter ?

Rao Birender Singh : (a) Three buses with the following registration marks were checked by the District Traffic Police, Kapurthala, on Kapurthala-Sultanpur route on 9th March, 1959 :—

PND-67

PND-94

PND-101

(b) Question does not arise as none of the vehicles was over-loaded. For some other offences, however, prosecutions were launched in respect of vehicles No. PND-67 and PND-101.

COMPLAINTS AGAINST THE HEADMASTER AND TEACHER OF GOVERNMENT HIGH SCHOOL, KUSHAK, DISTRICT GURGAON

1616. Pandit Shri Ram Sharma : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether any complaints of corruption and misappropriation of money have been received by Government and the authorities concerned from the villages panchayats and the residents of the area against the Head Master and a teacher of Government High School, Kushak, Tehsil Palwal, District Gurgaon, if so, the action taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Yes. The matter is under enquiry.

REPAIRS TO BUILDING OF VETERINARY HOSPITAL, KALA SANGHA, DISTRICT KAPURTHALA

1617. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total amount recently sanctioned by Government for the repairs of the building of the Veterinary Hospital, Kala Sangha, District Kapurthala ;

(b) whether the repairs to the building referred to above have been done, if so, the amount spent so far, if not, the reasons therefor ;

(c) whether any contribution in the form of land has been made by the village Panchayat for the purpose ; if so, the area thereof ?

Giani Kartar Singh : (a) Rs 1,921.

(b) No, Sir. The building collapsed during the rains of 1958, before the repairs could be undertaken.

(c) Yes, Sir. The villagers have donated a piece of land of about 16 Kanals.

COAL DEPOTS AT CHANDIGARH

1618. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state :

(a) the number of Coal Depots at present at Chandigarh, and the names of the persons holding them ;

(b) the total quantity of coal supplied to each coal depot referred to in para (a) above and the terms of supply, i.e., both yearly or half yearly ;

(c) the app oximate quantity of coal being consumed in the Capital daily, monthly and quarterly ;

(d) whether there is any proposal under the consideration of Government to raise the quota of the coal depots in the Capital, if so, the time by which it is expected to be done ?

Shri Mohan Lal : (a) Six. The names of the depot-holders are given as below :—

1. National Coal Depot, Sector No. 16, Chandigarh.
2. Capital Coal Depot, Sector No. 23, Chandigarh.
3. Delhi Coal Depot, Sector No. 22, Chandigarh.
4. Surinder Singh and Company, Sector No. 19, Chandigarh.
5. Chandigarh Coal Depot, Sector No. 9, Chandigarh.
6. Punjab University Employees Co-operative Store, Sector No. 14, Chandigarh.

(b) Sixteen wagons of slack coal each were allotted to the Depot-holders at Serial Nos. 1 to 5 and ten wagons to the coal depot-holder at serial No. 6, during the period, September, 1958 to March, 1959. Another fifty-two wagons allocated in the name of the District Food and Supplies Controller, Ambala, for allocation to New Coal Depot-holders depots are being distributed to the existing coal depot-holders in addition to this.

(c) Approximately one wagon, thirty wagons and ninty wagons, respectively.

(d) No, Sir.

TUBE-WELLS IN KAPURTHALA AND SULTANPUR CONSTITUENCIES

1620. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of Tube-wells, so far installed in areas comprising the Kapurthala and Sultanpur Assembly constituencies separately ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to install more Tube-wells in the said areas, if so, when ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) (i) Kapurthala Assembly Constituency—Nil.

(ii) Sultanpur Assembly Constituency—16.

(b) No.

KAPURTHALA BEIN CANAL PROJECT

1621. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount so far spent on the Kapurthala Bein Canal Project ;

(b) whether the scheme connected with the said Project has been or is proposed to be abandoned, if so, the reasons therefor and the alternative steps proposed to be taken for providing irrigation facilities in the area which were to be irrigated by the Project mentioned in Part (a) above ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Rs 9,00,708.00.

(b) The present lift irrigation scheme is proposed to be replaced by a flow irrigation scheme to reduce working expenses. Project estimate for the same is under examination.

AMOUNT SURRENDERED BY P.W.D. (B and R)

1622. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) whether any amount was surrendered by the P.W.D. (Buildings and Roads) in 1958-59 ; if so, the details of such surrenders scheme-wise ;

(b) the reasons if any, for the surrender of the amount mentioned in part (a) above, together with the steps if any proposed to be taken for avoiding such surrenders in future ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. A statement is laid on the Table.

(b) As per remarks against each item in the statement. As regards the proposed steps to avoid surrenders in future, the Government have already introduced the new procedure whereby the new works are administratively approved prior to their inclusion in the Budget and the question of planning building schemes at least a year or so in advance of their ex cution is also under consideration.

[Minister for Public Works]

Statement showing main surrenders during 1958-59 and reasons therefor

Buildings	*Amount of surrender*
	Rs (Lakhs)
REVENUE ACCOUNT.	
1. *Provincialisation of Local Body Schools.*—Out of the grant of Rs 20 lacs a sum of Rupees 10 lacs was decided to be utilised by the Panchayats on Primary schools in Rural Areas consequently the surplus grant with the P. W. D. has been surrendered for being replaced by the Education Department at the disposal of the Panchayats of the remaining amount of Rs 10 lakhs. This Department anticipates to utilise Rs 7½ lacs ..	12.50
2. Full equipment in connection with Technical Education Schemes is not likely to be received ..	7.75
POLICE	
3. *Police Buildings in Lahaul and Spiti.*—Due to shortage of labour coupled with short duration of working station in the valley ..	1.60
4. *Veterinary.*—Late sanction of the work of Bioligical Products Laboratory etc., and non-sanction of permanent hostel for accommodation of 50 students at Hissar ..	1.21
CAPITAL ACCOUNT	
5. *Land Revenue.*—Development of a certain Mandies has been slowed down under the instruction of Government as the recent auctions in regard to the sale of plots have revealed that the chances of development of Mandies at these places are not bright at the moment ..	38.30
6. *General Administration.*—(a) Due to the postponement of the work of creating a sub-Tehsil at Barsa in Hamirpur Tehsil ..	1.14
(b) Due to late sanction of the District Reorganisation Scheme and non-acquisition of land for buildings at Sirsa, Jagadhri and Batala ..	4.69
7. *Administration of Justice.*—(a) Postponement of the work of constructing residences for District and Session Judge, Amritsar and Karnal ..	0.94
(b) Postponement of the work of constructing building for the Court of Session Judge, Rohtak ..	1.27
8. *Police.*—Late sanction of second phase of police Housing Scheme (administrative approval received in December, 1958) ..	3.25
9. *Technical Education.* (a) Non-finalisation of the scheme of Hariana Polytechnic ..	2.40
(b) Late sanction of the following schemes :—	
Government Polytechnic at Ambala ..	1.10
Central Polytechnic at Chandigarh ..	5.00
Hostel for Central Polytechnic at Chandigarh ..	2.50
Hostel for Punjab Engineering College, Chandigarh ..	7.50
Development of Punjab Engineering College, Chandigarh ..	2.21

Buildings	*Amount of surrender*
	Rs (Lakhs)
10. *Public Health.* (a) Late sanction of the scheme of Rural Health Centres ..	1.70
(b) The location of State Health Laboratories has not yet been decided	2.00
11. *Veterinary.*—Due to non-finalisation of the scheme of Milk powder Factory at Amritsar ..	3.07
12. (a) The scheme of construction of buildings at State Orphanage Madhuban (Karnal) has been dropped by Government ..	0.48
(b) Non-finalisation of the scheme of Industrial Estates to be located at Batala, Malerkotla and Sonepat ..	1.44
13. *Civil Works.* (a) The scheme of development of Rukh area at Ludhiana has not yet been approved ..	0.90
(b) Late receipt of approval in regard to certain works under the Subsidized Industrial Housing Scheme ..	11.87
14. *Miscellaneous Departments.* (a) Late receipt of sanction in regard to the schemes of Industrial Training Institute, Yamunanagar and Rohtak (sanction received during 3rd week of November, 1958) ..	8.80
(b) Non-finalisation of the scheme of Industrial Training Institute, Ferozepur. ..	2.00
COMMUNICATIONS	
Inter-State Roads.—2nd phase of various works under the scheme has not yet been sanctioned by the Central Government who have made committment to the extent of Rs 22.00 lacs against the budget grant of Rs 38.03 lacs ..	15.98
(b) *C. R. Schemes.*—Work regarding Dera Gopipur Bridge having not yet been allotted, in view of the proposed Dam at Pangi ..	6.59
(c) *Scheduled Area Works.*—Slow progress due to shortage of labour and short working season. ..	4.60
Total ..	152.79

This saving has been off set to some extent on account of excess on the following items :—

(1) Accelerated progress on plan communications ..	5.40
(2) Purchase of Moti Bagh Palace ..	9.00
(3) Recent Flood Damages ..	8.00
(4) Purchase of land for expansion of Punjab AgricultureCollege, Ludhiana. ..	6.46
Total ..	28.86

REDUCTION IN OCTROI DUTY ON SUGARCANE

1623. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries and ocal Government be pleased to state whether any reduction in the rates octroi on Sugar cane has been made in any municipal areas in the ıte ; if so, where ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) Hoshiarpur, Dasuya, Urmar Tanda, Mukerian, Yamunanagar, Buria Dhuri and Gurdaspur Municipal Committees.

REPRESENTATION FROM LANDOWNERS OF DONA AND BET AREAS OF KAPURTHALA DISTRICT FOR REVISION OF LAND REVENUE RATES

1625. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government have received any representation from the landowners of Dona and Bet areas of Kapurthala District, for the revision of land revenue rates on the basis of quality of lands of the adjoining areas of Jullundur District, during the current year ; if so, when and the action, if any, taken thereon ?

Rao Birender Singh : A representation from the landowners of Dona Circle only of Sub-Tehsil Sultanpur, District Kapurthala, has been received in the Branch concerned of the Revenue Department on 27th February, 1959, and is under examination.

AMOUNT SURRENDERED BY IRRIGATION BRANCH DURING 1958-59

1626. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 3714, included in the list of question for 28th February, 1959, the details essential formalities which could not be completed in time and the peysons, if any, responsible for delay ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) The essential formalities which could not be completed are :—

(i) Acquisition of land ;

(ii) Revision of original Project Estimates on account of Government decision regarding lining of channels ;

(b) No official could be held responsible for the surrenders in question.

DISTRIBUTION OF FLOOD RELIEF FUND

1627. Chaudhri Bhag Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any amount out of Flood Relief Fund was distributed by the Block Development Officer N. E. S., Block, Pundri in district Karnal, during the period from 1st August, 1958 to 31st December, 1958, if so, how much ;

(b) the names of the persons and their addresses to whom the said relief was given together with the amounts given in each case ?

Shri Gian Singh Rarewala : (a) (i) Yes.

(ii) Grants .. Rs 11,635.00 nP.

(iii) Taccavi Loans .. Rs 15,000.00 nP.

(b) A list of persons showing their names, addresses and the amounts given to them is laid on the table of the House.

The names of persons and their addresses to whom grants for the repairs of the flood effected houses was distributed in the N.E.S. Block, Pundri

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
			Rs
1	Shri Sadhu Ram, Village Pharal	..	100.00
2	Shri Ram Lal, Village Dusain	..	40.00
3	Shri Deotia, Village Dusain	..	50.00
4	Shri Antoo, Village Dusain	..	50.00
5	Shri Datu, Village Dusain	..	40.00
6	Shri Guni Ram, Village Dusain	..	40.00
7	Shri Ram Nath, Village Dusain	..	60.00
8	Shri Chambela, Village Sanch	..	50.00
9	Shri Abha, Village Sanch	..	40.00
10	Shri Chhaju Ram, Village Sanch	..	40.00
11	Shri Phula Ram, Village Sanch	..	40.00
12	Shri Mangal, Village Sanch	..	40.00
13	Shri Lalji, Village Sanch	..	40.00
14	Shri Bhagwant Singh, Village Sanch	..	40.00
15	Shri Natu Ram, Village Sanch	..	40.00
16	Shri Ram Sarup, Village Sanch	..	40.00
17	Shri Mukta, Village Sanch	..	140.00
18	Shri Sudagar Singh, Village Sanch	..	140.00
19	Shri Antu, Village Sanch	..	50.00
20	Shri Khajan Singh, Village Sanch	..	140.00
21	Shri Chhalu, Village Sanch	..	50.00

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
22	Shri Lahri Ram, Village Sanch	..	50.00
23	Shri Kapoor Singh, Village Sanch	..	40.00
24	Shri Puna, Village Sanch	..	50.00
25	Shri Kundan, Village Sanch	..	50.00
26	Shri Neku, Village Habri	..	50.00
27	Shri Dattu, Village Habri	..	30.00
28	Shri Piara, Village Habri		30.00
29	Shri Jandu, Village Habri	..	30.00
30	Shri Tulri, Village Habri	..	30.00
31	Shri Phatu, Village Habri	..	50.00
32	Shri Sardara Singh, Village Habri	..	50.00
33	Shri Ambar Singh, Village Habri	..	30.00
34	Shri Bahadur Singh, Village Habri	..	40.00
35	Shri Palla Singh, Village Habri	..	40.00
36	Shri Gurian Devi, Village Habri	..	50.00
37	Shri Lachmani, Village Habri	..	50.00
38	Shri Jago Singh, Village Habri	..	40.00
39	Shri Radha Kishan, Village Habri	..	40.00
40	Shri Kurrah, Village Habri	..	50.00
41	Shri Dhatu Ram, Village Pundri	..	50.00
42	Shri Guraya, Village Pundri	..	150.00
43	Shri Mamu, Village Pundri	..	50.00
44	Shri Maman Ram, Village Pundri	..	80.00
45	Shri Molu Ram, Village Pundri	..	50.00
46	Shri Hardai, Village Pundri	..	70.00
47	Shri Laku, Village Pundri	..	150.00
48	Shri Karta, Village Pundri	..	80.00
49	Shri Ram Sarup, Village Pundri	..	150.00
50	Shri Ved, Village Pundri	..	70.00
51	Shri Balitya, Village Pundri	..	50.00

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
			Rs
52	Shri Dhari, Village Pundri	..	150.00
53	Shri Silly, Village Pundri	..	50.00
54	Shri Kishna, Village Pundri	..	50.00
55	Shri Mangat, Village Pundri	..	50.00
56	Shri Sunda, Village Pundri	..	50.00
57	Shri Surjan, Village Pundri	..	50.00
58	Shri Munshi, Village Pundri	..	50.00
59	Shri Surjan Dass, Village Pundri	..	50.00
60	Shri Gurditta, Village Pundri	..	50.00
61	Shri Atam Ram, Village Pundri	..	125.00
62	Shri Faqira, Village Pundri	..	70.00
63	Shri Balitya, Village Pundri	..	50.00
64	Shri Mohan, Village Pundri	..	40.00
65	Shri Bilu, Village Pundri	..	50.00
66	Shri Mangoo, Village Pundri	..	50.00
67	Shri Harphul, Village Pundri	..	40.00
68	Shri Shanti, Village Pundri	..	100.00
69	Shri Sadhu, Village Pundri	..	75.00
70	Shri Rannia, Village Pundri	..	50.00
71	Shri Kundan, Village Pundri	..	50.00
72	Shri Sardar Singh, Village Pundri	..	50.00
73	Shri Biru, Village Pundri	..	50.00
74	Shri Antoo Village Pundri	..	20.00
75	Shri Sibba, Village Pundri	..	50.00
76	Shri Lali, Village Pundri	..	75.00
77	Shri Kartara, Village Pundri	..	30.00
78	Shri Sadhu, Village Pundri	..	20.00
79	Shri Radha Kishan, Village Pundri	..	50.00
80	Shri Ram Singh, Village Pundri	..	40.00
81	Shri Juma, Village Pundri	..	50.00
82	Shri Kharaya, Village Pundri	..	75.00

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
83	Shri Baji, Village Pundri	..	50.00
84	Shri Ram Singh, Village Pundri	..	60.00
85	Shrimati Chhuranjia Devi, Village Pundri	..	50.00
86	Shri Swaru, Village Pundri	..	75.00
87	Shri Risala, Village Pundri	..	40.00
88	Shri Ram Rikh, Village Pundri	..	60.00
89	Shri Gulam, Village Pundri	..	60.00
90	Shri Chandau, Village Pundri	..	75.00
91	Shri Dhulia, Village Pundri	..	40.00
92	Shri Mam Chand, Village Pundri	..	40.00
93	Shri Piara, Village Pundri	..	75.00
94	Shri Phula, Village Pundri	..	60.00
95	Shri Kashm, Village Pundri	..	75.00
96	Shri Ram Kishan, Village Pundri	..	50.00
97	Shri Mohan Singh, Village Pundri	..	60.00
98	Shri Narata, Village Pundri	..	50.00
99	Shri Kulwant, Village Pundri	..	50.00
100	Shri Jagtoo, Village Pundri	..	40.00
101	Shri Muni, Village Pundri	..	50.00
102	Shri Shanku, Village Pundri	..	50.00
103	Shri Hira, Village Pundri	..	50.00
104	Shri Lachhman, Village Pundri	..	40.00
105	Shri Dalip, Village Pundri	..	50.00
106	Shri Mattroo, Village Pundri	..	50.00
107	Shri Roshan, Village Pundri	..	40.00
108	Shri Chhottu, Village Pundri	..	40.00
109	Shri Mitan, Village Pundri	..	50.00
110	Shri Surta, Village Pundri	..	40.00
111	Shri Bir Singh, Village Kaul	..	30.00
112	Shri Baru, Village Kaul	..	40.00

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
			Rs
113	Shri Hari Nath, Village Kaul	..	40.00
114	Shri Ami Lal, Village Kaul	..	40.00
115	Shri Vadhawa Ram, Village Kaul	..	70.00
116	Shri Mam Chand, Village Kaul	..	30.00
117	Shri Roshan, Village Kaul	..	50.00
118	Shri Matoo, Village Kaul	..	50.00
119	Shri Jaggu Singh, Village Kaul	..	75.00
120	Shri Jeoti, Village Kaul	..	50.00
121	Shri Ram Chander, Village Kaul	..	50.00
122	Shri Singhoo, Village Kaul	..	40.00
123	Shri Harphul, Village Kaul	..	40.00
124	Shri Mangat, Village Kaul	..	40.00
125	Shri Ram Kishan, Village Kaul	..	50.00
126	Shri Bhartu, Village Kaul	..	30.00
127	Shri Attru, Village Kaul	..	50.00
128	Shri Mamudin, Village Kaul	..	50.00
129	Shri Tara, Village Kaul	..	30.00
130	Shri Ram Chander, Village Kaul	..	50.00
131	Shri Jamna Ram, Village Kaul	..	20.00
132	Shri Surga, Village Kaul	..	30.00
133	Shri Mangat, Village Kaul	..	50.00
134	Shri Sadhi Ram, Village Kaul	..	30.00
135	Shrimati Shakuntala Devi, Village Kaul	..	100.00
136	Shri Bichha, Village Kaul	..	30.00
137	Shri Sona Ram, Village Kaul	..	20.00
138	Shri Gian Chand, Village Kaul	..	20.00
139	Shri Chuliar Ram, Village Kaul	..	20.00
140	Shri Sujna, Village Fatehpur	..	60.00
141	Shri Ram Jas, Village Fatehpur	..	60.00
142	Shri Tulsi Ram, Village Fatehpur	..	60.00
143	Shri Mangoo, Village Fatehpur	..	60.00

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
			Rs
144	Shri Gurbase, Village Fatehpur	..	100.00
145	Shri Mara, Village Fatehpur	..	40.00
146	Shri Gopi, Village Fatehpur	..	40.00
147	Shri Lachhman, Village Fatehpur	..	40.00
148	Shri Dhiana, Village Fatehpur	..	40.00
149	Shri Sita, Village Fatehpur	..	40.00
150	Shri Ami Lal, Village Fatehpur	..	40.00
151	Shri Baohau, Village Fatehpur	..	40.00
152	Shri Bhagwana, Village Fatehpur	..	60.00
153	Shri Mam Chand, Village Fatehpur	..	20.00
154	Shri Kapoor Singh, Village Ahun	..	20.00
155	Shri Sohan Lal, Village Ahun	..	20.00
156	Shri Tota, Village Ahun	..	20.00
157	Shri Mansa, Village Ahun	..	20.00
158	Shri Kathu, Village Ahun	..	20.00
159	Shri Ram Asra, Village Ahun	..	20.00
160	Shri Baldev Singh, Village Ahun	..	20.00
161	Shri Moti Ram, Village Ahun	..	20.00
162	Shri Aroora, Village Ahun	..	20.00
163	Shri Waryam Singh, Village Ahun	..	20.00
164	Shri Mansa, Village Ahun	..	20.00
165	Shri Tarlok Nath, Village Ahun	..	25.00
166	Shri Jati Ram, Village Meauli	..	50.00
167	Shri Joti Ram, Village Munerheri	..	50.00
168	Shri Shue Ram, Village Munerheri	..	40.00
169	Shri Ram Chand, Village Munerheri	..	30.00
170	Shri Bhara, Village Munerheri	..	30.00
171	Shri Shri Chand, Village Munerheri	..	30.00
172	Shri Jagu, Village Munerheri	..	40.00
173	Shri Bearo, Village Hajwana	..	30.00

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
			Rs.
174	Shri Faquira, Village Karora	..	70.00
175	Shri Puran, Village Karora	..	70.00
176	Shri Atru, Village Karora	..	50.00
177	Shri Zala, Village Karora	..	80.00
178	Shri Mauja, Village Karora	..	50.00
179	Shri Antu, Village Karora	..	90.00
180	Shri Malan, Village Karora	..	90.00
181	Shri Hirda, Village Ahmedpur	..	30.00
182	Shri Khimla, Village Barsana	..	40.00
183	Shri Nanwa, Village Barsana	..	30.00
184	Shri Talo Ram, Village Barsana	..	50.00
185	Shri Manbhari, Village Bakal	..	70.00
186	Shri Arjan, Village Rasina	..	50.00
187	Shri Ram Daya, Village Buchi	..	30.00
188	Shri Nehala, Village Buchi	..	40.00
189	Shri Ganga Ram, Village Jamba	..	50.00
190	Shri Siria, Village Kheri Sikandar	..	40.00
191	Shri Dhano, Village Kheri Sikandar	..	50.00
192	Shri Mukhtiara, Village Ramana Ramani	..	50.00
193	Shri Hatu, Village Ramana Ramani	..	50.00
194	Shri Ramji Lal, Village Ramana Ramani	..	75.00
195	Shri Puran, Village Ramana Ramani	..	75.00
196	Shrimati Ram Piari, Village Ramana Ramani	..	75.00
197	Shri Swaran, Village Ramana Ramani	..	50.00
198	Shri Shiv Nath, Village Ramana Ramani	..	75.00
199	Shri Parmani, Village Ramana Ramani	..	75.00
200	Shri Harphul, Village Ramana Ramani	..	50.00
201	Shri Shawan, Village Ramana Ramani	..	75 (
202	Shri Puran Singh, Village Ramana Ramani	..	50.00
203	Shri Liloo, Village Ramana Ramani	..	75.00
204	Shri Sajawani, Village Ramana Ramani	..	60.00

Serial No.	Name of grantee and address		Amount given
			Rs
205	Shri Nanlwa, Village Ramana Ramani	..	50.00
206	Shri Jagdish Lal, Village Mohna	..	50.00
207	Shri Hari Parkash, Village Mohna	..	50.00
208	Shri Teloo, Village Mohna	..	40.00
209	Shri Keroo, Village Mohna	..	40.00
210	Shri Bishna, Village Mohna	..	40.00
211	Shri Nand Lal, Village Mohna	..	40.00
212	Shri Swarn, Village Mohna	..	40.00
213	Shri Bhagwan Dass, Village Mohna	..	40.00
214	Shri Mangal, Village Mohna	..	40.00
215	Shri Kora, Village Mohna	..	40.00
216	Shri Raghubant Singh, Village Mohna	..	40.00
217	Shri Mohinder Lal, Village Mohna	..	50.00
218	Shri Banwari, Village Teontha	..	40.00
219	Shri Tani, Village Teontha	..	40.00
220	Shri Tunli, Village Teontha	..	40.00
221	Shri Bhartoo, Village Teontha	..	40.00
222	Shri Sadhu, Village Teontha	..	40.00
223	Shri Dhanda, Village Teontha	..	40.00
224	Shri Buru, Village Teontha	..	40.00
225	Shri Sham, Village Teontha	..	40.00
226	Shri Sant Singh, Village Teontha	..	40.00
227	Shri Kapoor Singh, Village Teontha	..	40.00
228	Shri Amar Singh, Village Teontha	..	40.00
229	Shri Karm Singh, Village Teontha	..	40.00
230	Shri Kartaro, Village Teontha	..	50.00
	Total	..	11,635.00

The following is the list of loanees and their addresses together with the amounts given in each case for the repair and reconstruction of flood affected houses.

Serial No.	Name of the loanee and address		Amount
			Rs
1	Shri Sadhu Singh, Village Sangrauli	..	700.00
2	Shri Bhagat Ram, Village Chuhr Majra,	..	1,000 00
3	Shri Ajit Singh, Village Sangrauli	..	1,000.00
4	Shri Surjit Singh, Village Mohna	..	1,000.00
5	Shri Ujagar Singh, Village Habri	..	800.00
6	Shri Babu Ram, Village Fatehpur	..	500.00
7	Shri Gurbakhash Singh, Village Tharota	..	1,000.00
8	Shri Tek Chand, Village Fatehpur	..	1,000.00
9	Shri Nasir Singh, Village Pharal	..	1,000.00
10	Shri Mam Raj, Village Pundri	..	1,000.00
11	Shri Siri Chand, Village Bhana	..	1,000.00
12	Shri Kishan Lal; Village Bhana		1,000.00
13	Shri Sisu, Village Bhana	..	1,000.00
14	Shri Shiv Ram, Village Bhana	..	1,000.00
15	Shri Biru, Village Bhana	..	1,000.00
16	Shri Nishan Singh, Village Habri	..	500.00
17	Shri Amar Singh, Village Habri	..	500.00
	Total	..	15,000.00

N. E. S. BLOCK AT PUNDRI, DISTRICT KARNAL

1628. Chaudhri Bhag Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date when the N. E. S. Block at Pundri in district Karnal was started ;

(b) the total amount spent on the purchase of furniture fo the office of the B. D. O. of the aid block up to the 31st December, 1958, together with the list of articles of furnitur purchased ;

(c) the place from where the articles of fu niture referred to above were purchased and the procedure adopted for effecting these purchases ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) 1st April, 1958.

(b) Rs. 500. The following articles were purchased :—

(1) Tables	..	3
(2) Chairs	..	10
(3) Benches	..	2
(4) Stools	..	2
(5) Trays	..	3
(6) Almirah	..	1
(7) Rack	..	1

(c) The above articles were purchased from M/s. Guru Nanak Furniture, Karnal, after obtaining quotations from three different firms of Karnal in accordance with Government instructions.

WATER LOGGING IN JAGRAON AND MOGA TEHSIL OF FEROZEPORE DISTRICT

1629. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the area of water-logged land in Jagraon and Moga Tehsil of Ferozepore District together with the names of villages where it is situated ;

(b) the anti-water logging measures, if any, taken or proposed to be taken in the said villages ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) The area of water-logged land in Jagraon Tehsil and Moga Tehsil is as under :—

	Names of Villages		*Area water-logged* (acres)
Jagraon ..	Swaddi	..	200
	Sangatpura	..	40
	Jhandi	..	30
	Total	..	270
Moga	Kishanpura Khurd	..	570
	Kishanpura Kalan	..	500
	Indargarh	..	250
	Mangewala	..	400
	Thamanwala	..	260
	Mehl Khurd	..	15
	Mehalan Kalan	..	187
	Bhogalewala	..	135
	Sosam	..	230
	Salina	..	462
	Nidhanwala	..	113
	Chand Nawan	..	86
	Chotian Thobe	..	91
	Jaisinghwala	..	75
	Jaimalwah	..	110
	Total	..	3,284

(b) Bassian and Swaddi link drains of Sidhwan Bet Drainage system and Kishanpura, Dagru, Talwandi and Moga Link drains of Phidda Drainage System, covering the above villages have been proposed to be taken in hand. The allignment of these drains is now finalized and excavation will be taken up very soon. On Moga and Phidda drains work of excavation has already been started.

MIS-USE OF REBATE MONEY ON HANDLOOM CLOTH AT AMRITSAR

1630. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether Government held any enquiry in connection with alleged misuse of rebate on Handloom cloth during the celebration of Handloom Week in February, 1955-56 in the state, if so, th details thereof ;

(b) whether the Government have decided to take any action on the said enquiry, if so, the nature thereof ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes ; The report of enquiry is under consideration. It is not in public interest to disclose details at the present stage.

(b) No.

ISSUE OF BRICK KILN LICENCE

1631. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether any Co-operative Society at Khemkaran, district Amritsar, applied for the grant of Brick Kiln Licence during the year 1958-59 ; if so, the action; thereon;

(b) the total number of brick kilns at Khemkaran immediately before and after the partition of the country ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. An application was received at Head Office on 5th September, 1958. In view of inadequate supply of slack coal in the State, the request was not acceded to and the Society was informed accordingly.

Another application received from this Society later is under consideration.

(b) There is no brick kiln at present at Khem Karan. There was one before and after the partition which was subsequently cancelled on 10th September, 1955, on account of failure of the licensee to run his kiln during the prescribed 1½ years preceding the validity date.

RELIEF GIVEN TO VILLAGES ERODED BY RIVER SUTLEJ

1632. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number and names of villages in the Bet Area of Ludhiana, District, if any, eroded by the River Sutlej during the year 1958-59 and the extent of area affected in each ;

[Shri Harbhagwan Maudgil]

(b) the total area of land that was under crops in the said villages and the approximate damage caused thereto by the erosion referred to in part (a) above ;

(c) whether any relief has been given by Government to the villages affected by the said erosion, if so, what ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) (b) and (c) Statement attached.

	PART A		PART B		PART C		
S. No.	Name of villages	Area affected	Area under crops	Area under crops damaged	Gratuitous Grant	Seed and Fodder Taccavi	Total
		Acres	Acres	Acres	Rs.	Rs.	Rs.
1	Gorsian, tehsil Ludhiana	200	7	1	380	50	430
2	Kharak, tehsil Ludhiana	1,463	..	..	1,080	1,250	2,330
3	Char, tehsil Ludhiana	40	47	7	..	1,550	1,550
4	Nurpur Bet ..	872	461	26	225	530	755
	Total 1 to 4 ..	2,575	515	34	1,685	3,380	5,065

WATER EROSIONS IN THE STATE

1633. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the causes of water erosion in the State have been examined by Government ; if so, the steps if any, being taken or proposed to be taken to check it ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. Some of the measures undertaken to check water erosion in the State are as under :—

(1) Re-afforestation of hills and slopes.

(2) Closing of creeks to check spilling of the flood waters.

(3) Construction of bunds and other flood protection embankments.

(4) Canalizing choes in Hoshiarpur District.

(5) Diversion of rivers, nadies and choes to their old courses.

(6) Canalizing of Nallahs and streams on the merits of each case.

(7) Armoured spurs are constructed.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

3. P.M.

Sardar Bhupinder Singh Mann (Chairman, Subordinate Legislation Committee) : Sir, I beg to present the First Report of the Committee on Subordinate Legislation.

Sir, as the House is aware, this Committee has very recently been.....

Mr. Speaker : I am sorry no speech can be made.

ANNOUNCEMENT REG. RELEASE OF SHRI PHUL SINGH, M.L.A.

Mr. Speaker : I have to inform the House that I have received information that Shri Phul Singh, M.L.A., who was arrested and convicted has been released.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, what about Shri Inder Singh ?

Mr. Speaker : I have received no such information about him.

SITTING OF THE SABHA

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰੂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ programme ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਲ Punjabi Regional Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 10-30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8-30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 10-30 ਵਜੇ adjourn ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ break ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।

श्री अध्यक्ष : यह बेहतर रहेगा कि हम कल 8 बजे meet कर के 10-15 बज adjourn कर दें और उस के बाद फिर 11 बजे meet कर और $2\frac{1}{4}$ घंटे मीटिंग जारी रखें। (It would be better if we meet tomorrow at 8 a.m. and adjourn at 10-15 a.m. and then re-assemble at 11.15 a.m. and continue the sitting for two and a quarter hours.)

राम्रो गजराज सिंह : मेरी राये है कि दो तारीख को off-day कर दिया जाए और उस के बाद 3 और 4 तारीख को meet किया जाये ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਦੋ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੇ non-official day ਹੈ ।

Mr. Speaker. : There is no question of official or non-official day. Let there be no meeting on the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th April and we may again meet on Monday, the 6th April, at 2 p.m.

(*The House agreed.*)

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE

Shri Harbhagwan Maudgil (Chairman, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Estimates Committee on the Budget Estimates for the year 1958-59.

OFFICIAL RESOLUTION REG. THE ESTATE DUTY ACT, 1953

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

WHEREAS by resolutions passed in pursuance of Article 252 of the Constitution the levy of estate duty in respect of agricultural land in the State of the Punjab is governed by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), passed by Parliament ;

AND WHEREAS the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), has been amended by Act, 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of Agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law ;

NOW THEREFORE this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution that the matters aforesaid in so far as they are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State may be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), may be amended accordingly.

Mr. Speaker : Motion moved—

WHEREAS by resolutions passed in pursuance of Article 252 of the Constitution the levy of estate duty in respect of agricultural land in the State of the Punjab is governed by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), passed by Parliament ;

AND WHEREAS the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), has been amended by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of Agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law ;

NOW THEREFORE this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution that the matters aforesaid in so far as they are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State may be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the Estate Duty Act, 1953, (34 of 1953) may be amended accordingly.

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana 'General') : Sir, I would not take much time of the House. I would only request the Minister to kindly explain to us as to what powers are being given to the Centre, how far the ag icultural lands would be taxed and what would be the rate of the Estate Duty on these lands. I think some powers are already with the Centre in this respect.

Sir, the Government is asking us to sign a deed without telling us its contents. We would like to know as to what is the necessity of this Resolution, and what powers are sought to be given to the Centre. In other words, we would like the Minister to explain the implications of the Resolution that he has moved.

Mr. Speaker : The Resolution, I think, is clear.

Minister for Industries : Sir, the item of legislation in regard to land is on the State List and concurrence of the Stat Legislature is necessary for giving powers to the Centr to legislate in respect of that item.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Yes.

Minister for Industries : For that eason, this Resolution is before you for your concurrence.

Mr. Speaker : Most of the hon. Members seem to be lost in the language of this Resolution.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, we want to know as to what this duty on the agricultural lands is. This is a new imposition.

Mr. Speaker : Any way, if the Minister has not explained the position, the hon. Member may raise points requiring clarification in his speech and the hon. Minister will elucidate them when he replies to the debate on his Resolution.

Minister for Finance : Sir, in 1952-53, the Parliament asked us whe her this State would like the Estate Duty to be levied on the agricultural lands as well, and we agreed to its being levied. That is why that law, i.e., Act 34 of 1953, was passed. But then they amended it and we were not consulted. Now to regularise that, we are empowering he Parliament to amend the Act accordingly.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, the discussion on this Resolution may be postponed till tomorrow or some other day. Frankly speaking, we are absolutely in the dark. We do not know what this duty on the agricultural lands is, how far it will affect the lands and what powers are going to be given to the Centre through this Resolution.

Mr. Speaker : It was the duty of the hon. Member to study the matter and come fully prepar d.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it is a request of the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ agricultural land ਤੇ Estate Duty ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Agricultural land ਉਤੇ Estate Duty ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Agricultural land ਤੇ Estate Duty ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ Duty ਦੀ in cash payment ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ agricultural land ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ Estate Duty fix ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ in cash ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ agricultural land ਤੇ ceiling ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ tenants ਨੂੰ eject ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਹ land ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ agricultural land ਉਤੇ Estate Duty ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ agricultural land ਤੇ Estate Duty cash ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ property ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਏਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ-ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪਰਗਟ ਕਰੋ। Agricultural land ਦੇ ਉਪਰ ਜੋ Estate Duty ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਏਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਥੋਂ payment ਕਰੇਗਾ ? ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ ? ਉਸ ਦੀ land ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ। (ਹਾਸਾ) (The hon. Member has done well to make all of them understand.) (*Laughter*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ Estate Duty ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। (The hon. Member is saying so even though he is in favour of the Estate Duty.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ Estate Duty ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ । (On the one hand the hon. Member is saying that he is in favour of the levy of estate duty but on the other at the same time he is advising them not to sign their warrants.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਯਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ land ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ । ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ estate duty cash ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ । ਯਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਨਾ portion ਲੈ ਲਏਗੀ । ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ agricultural land ਤੇ estate duty cash ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਕ practical formula practical ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Estate Duty ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ Estate Duty agricultural land ਤੇ ਏਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ।

राजा रघुबीर सिंह : On a point of order, sir. मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे मान साहब ने कहा है इस Resolution के लिए कोई वक्त देना चाहिए यह जरूरी है कि या तो यह पहले Gazette में छपा हो या House में ही circulate हुआ हो ।

श्री अध्यक्ष : 13 February को जो letter आपको issue हुआ उसमें इस Resolution की इत्तलाह दी गई थी कि यह इस session में move होगा । उसके Item No. 2 में लिखा है : ["a copy of the Estate Duty (Amendment) Act 1958 (Act, No. 33 of 1958) is enclosed." (An intimition that this resolution would be moved during the current session was sent to the hon. Members on the 13th February, 1959. At item No. 2 of the letter it is stated that A copy of the Estate Duty (Amendment) Act 1958 (Act No. 33 of 1958) is enclosed.]

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, we confess that most of us have not read it. It is a matter of vital importance. We, therefore, request you to postpone its consideration to some other day so that we may, in the meantime, study it.

Mr. Speaker I think that if the hon. Minister had just explained the position, none of the Members would have got an opportunity to say that.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ Estate Duty ਹੈ....(ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। (Let the hon. Member explain to the whole House what he has studied about it.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ explain ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹਰ ਗੱਲ ਦਸ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਏਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ estate duty ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। Estate Duty ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ agricultural land ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈ। ਕਈ Acts ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਉਹ land ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ceiling ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। Tenants ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ Acts ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ agricultural land ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਤੇ estate duty ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ। 30 standard ਏਕੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ Estate Duty ਕਿਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ?

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ in cash ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ scale fix ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ disruption of society ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ payment ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੋ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, 10,000 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ clause by clause discuss ਕਰੀਏ।

Mr. Speaker : Order please. The Bill has been passed by the Parliament. You are now discussing only the Resolution.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ Parliament ਨੇ ਇਸ Bill ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਕ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Mr. Speaker : Please listen to me. ਤੁਹਾਡਾ point ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ clause by clause consider ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । (The hon. Member may please listen to me. His point is that the Bill be considered clause by clause. But there is no such Bill before the House.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ Parliament ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ information ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Estate Duty agriculture land ਉਪਰ ਲਗਣੀ ਹੈ ਉਹ in cash ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ land ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । Otherwise ਇਹ resolution ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਕਰ State Legislature ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌ ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, इस resolution को consider करने के लिये ज्यादा time मिलना चाहिये ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ suggestion ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ਨਦਾਰ suggestion ਹੈ । ਉਸ ਲਈ reasons ਵੀ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Estate Duty Act Centre ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ Assembly ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ resolution as contemplated by the Article 252 of the Constitution ਆਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ Centre ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ Amending Bills ਹੋਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ hon. Members ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ details ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ resolution ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

"AND WHEREAS the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), has been amended by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law......

NOW THERFORE this Assembly......"

This last paragraph is the operative part of the Resolution.

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ resolution ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ resolution ਦੇ ਨਾਲ supply ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

"The following Act (i.e., Act No. 33 of 1958) of Parliament received the assent of the President on the19th September, 1958.. "

ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ amending Bills ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ supply ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਿਵੇਂ Parliament ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ resolution ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ amending Bills ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਰਮੀਮ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ limit ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । Rates of assessment ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਕਤ resolution ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ Estate Duty ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ limits ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜ agricultural land ਨੂੰ ਇਸ limit ਤੇ Estate Duty ਵਿਚ include ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ agriculturists ਲਈ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ assessment ਕਰਨ ਵਾਲੇ Registration ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਕੇ details ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ notice issue ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨੀ Estate Duty ਤੁਸੀਂ ਦਿਉ । ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ nervous ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ land revenue ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ surcharges, ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ special charges ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ betterment levy ਲਾਈ ਗਈ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ Estate Duty ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਗੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ Estate Duty ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ amending Acts ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ supply ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

The data supplied to us is most incomplete and the consequences of this Resolution will be far-reaching. Therefore, I pray that some time may be given for studying the implications of this Resolution. We have other business on the Agenda and now we can transact that.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ amending Bill ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ amending Bills ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ copy ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ postpone ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ Constitution ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ subjects ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ States ਲਈ ਰਖ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ State List ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ Centre ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ measures ਪਾਸ ਕਰਕੇ State ਦੇ rights ਉਤੇ encroachment ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Centre ਦੇ Act ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ Electricity Board ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ Board ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ State Government ਦੀ income ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Centre ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ State ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ State Government ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ। Constitution ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ States ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ States ਨੂੰ ਛਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ resolution ਦੀ discussion ਲਈ ਹੋਰ time ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ consequences ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ study ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ resources ਹਨ ਉਹ Central Government ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ agricultural lands ਤੇ ਇਹ tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) : साहिबे सदर, मैं कोई ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह resolution कोई मामूली resolution नहीं है कि जिस पर discussion ही न की जाये । क्योंकि यह resolution एक एक्ट की शक्ल ले कर लागू हो जाना है इस लिये यह ज़रूरी था कि यह इस शक्ल में हाउस के सामने नहीं आना चाहिये था बल्कि इस के साथ इस के objects and reasons की statement और explanatory नोटस भी आने चाहियें थे। जिस शक्ल में यह हमारे सामने आया है इस में इस के objects and reasons का कोई हवाला नहीं और न ही explanatory note वग़ैरह दिया गया है । सिर्फ यह resolution रख दिया गया है। अगर इस के साथ कोई note वग़ैरह नहीं दिया जाना था तो यह ज़रूरी था कि मिनिस्टर साहिब अपनी स्पीच में यह सब कुछ समझा देते कि किस तरह पहला Act पास हुआ था और उस के बाद वह किस तरह amend हुआ। मैं इस बात में कोई झिझक नहीं समझता कि मैम्बर साहिबान को इस बारे में समझाया जाना ज़रूरी था। आखिरकार हमारे पास कोई complete library तो है नहीं जिस में जा कर हम सब कुछ देख सकें। क्योंकि यहां कोई complete library नहीं इस लिये यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस के साथ कोई explanatory note आये और इस के objects and reasons दिये जायें। इस लिये इस हाउस के तमाम मैम्बर साहिबान गवर्नमैंट से request करते हैं कि कम से कम इस को आज discussion के लिये postpone कर दिया जाये। इस में कोई ज़िद की बात नहीं है। यहां अगर इसे इसी तरह से पास कर दिया जाये तो जब इस बारे में अखबार वालों से आम लोगों को पता लगेगा तो वे हम से पूछेंगे कि यह कैसा resolution था और हम इस बारे में कुछ न बता सकेंगे। इस लिये साहिबे सदर, मैं आप के द्वारा अपनी गवर्नमैंट से दरखास्त करूंगा कि कम से कम इस पर discussion आज की बजाए किसी और दिन पर postpone कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहिब, आप को इस discussion के किसी और दिन पर postpone करने में कोई एतराज़ तो नहीं है ? (Has the hon. Minister for Finance any objection in postponing the discussion on it to some other day ?)

वित्त मन्त्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : मुझे इस के post pone करने में वैसे तो कोई एतराज नहीं था लेकिन जो एतराज़ात इस बारे में किए गये हैं उन के कोई basis नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : इन का एक एतराज़ तो यह है कि इस resolution के पेश करने के जो कारण हैं वह मैम्बर साहिब के सामने नहीं आये हैं और जिस Act को amend किया जाना है वह भी इन्हें नहीं मिला जिन के पढ़े बगैर यह किस तरह इस के हक में हां कर दें। [One of the objections is that the reasons for moving the resolution have not been placed before them.

Then the Act, proposed to be amended, is also not before them. How can they give their assent to it without studying them. ?]

वित्त मन्त्री : जो last amending act था उस की gazette copy इस में मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष : यह gazette copy Govt. of India के gazette की है । (This is a copy of the Government of India's gazette.)

वित्त मंत्री : इस बारे में मैं यह अर्ज कर दूं कि जो parent act 1953 में Parliament ने पास किया था उस के लिये हमारी इस सभा ने एक resolution पास कर दिया हुआ है और वह Act पहले 1954 में और बाद में 1957 में amend हुआ था । उस के बाद यह 1958 में amend हुआ । Urban lands को agricultural lands के साथ synchronise करने के लिये यह ऐसा किया गया था । वह Act पास हो गया लेकिन इस के पास हो जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि agricultural lands की item state list पर है इस लिये Parliament यह Act ला ही नहीं सकती । लिहाज़ा उन्होंने यह resolution हमें पास करने के लिये भेजा है । बाकी की कई states ने यह पहले मंज़ूर किया हुआ है और अब Govt. of India के concerned मिनिस्टर साहिब ने हमें लिखा है कि अपनी असेम्बली में इस चीज़ को पास करो । बिल्कुल मुनासिब चीज़ है । अगर आप इस पर एतराज़ करते हैं तो यह ठीक नहीं । यह amending Act तो 1958 का है और जो 1953 का parent Act है वह तो पहले ही लागू है, वह तो चलता है और इस amending Act को regularise करने के लिये यह resolution हम ने पास करना है । इस के लिये मेरे कई दोस्तों ने कहा है कि यह state duty के लिये है जो agricultural lands पर लगनी है और यह हर किसान पर लगने वाली है, मैं इन की इन बातों को समझ नहीं पाया । अगर यह समझे नहीं और आप की इच्छा है postpone करने की तो इस में मुझे कोई एतराज़ नहीं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह postpone होनी ही चाहिये ।

Mr. Speaker :Order please.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह postpone होना ही चाहिये क्योंकि जिस ऐक्ट को replace किया गया है वह हमारे सामने नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस ऐक्ट के बारे में इस हाउस ने resolution पास किया हुआ है । (This House had already passed a resolution in respect of this Act)

श्री बलराम दास टंडन : पर स्पीकर साहिब वह Act तो इस हाउस ने पास नहीं किया हुआ । हम ने उसे consult नहीं किया है ।

Mr. Speaker : No, please. This is not a valid argument.

खान अब्दुल गफार खां (अम्बाला शहर) : जनाब स्पीकर साहिब, मेरा ख्याल नहीं है कि आज तक इस हाउस में कभी किसी बात पर इतनी unanimity हुई हो जितनी आज हुई है कि यह तमाम का तमाम हाउस चाहता है कि इस बात के लिये वक्त दिया जाये और इस resolution को postpone किया जाये। आखिर हम ने इस पर सोचना है और इस बारे में कई चीज़ें दरियाफत करनी हैं और पिछले Act को और amended Act को पढ़ना है । ज़रा हमें इन चीज़ों को समझने दीजिए और सोचने दीजिए। मुझे तो मिनिस्टर साहिब की यह बात समझ में नहीं आती कि हमें इस के समझने के लिये और इस पर सोच करने के लिये वक्त ही न दिया जाये। क्या यह चाहते हैं कि हम इसे बगैर पढ़े और समझे पास कर दें ? हम तो इलतमास करते हैं कि इस को हमें study करने दें और इस को आगे किसी दिन के लिये postpone कर दें। मिनिस्टर साहिब जितने काबिल हैं उतना सारा हाउस काबिल नहीं है इस लिये हमें इसे समझने देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तो यह अगले हफते आ जायेगा। [Well, it is postponed till next week.]

BILL(S)—LEAVE TO INTRODUCE

THE PUNJAB LOCAL AUTHORITIES (AIDED SCHOOLS) BILL, 1959

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That leave be granted to introduce the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

> That leave be granted to introduce the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill.

The leave was granted.

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to introduce the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill.

THE SIKH GURDWARAS (SECOND AMENDMENT) BILL, 1959

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That leave be granted to introduce the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill.

The leave was granted.

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to introduce the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill.

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Si , I beg to move that the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

The motion was carried.

THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Electricity (Duty) (amendment) Bill.

Mr. Speaker Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill.

BILL(S)

THE PUNJAB MANDI TOWNS (DEVELOPMENT AND REGULATION) BILL, 1958 (RECOMMITTED TO THE REGIONAL COMMITTEES)

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

Sardar Jasdev Singh Sandhu (Dhuri 'General') : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, 1958, as reported by the two Regional Committees be recommitted to the said Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਟਾਊਨ ਬਿਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਵਖ ਵਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ? [Is it necessary that the recommendations of both the Regional Committees should always be similar ?]

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲਾਜ਼ 13 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ । ਇਕ ਕਲਾਜ਼ 26 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਿਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ recomit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਟਕਰਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, 1958, as reported by the two Regional Committees be recommitted to the said Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ recommit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ absolutely wrong ਹਨ । ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਰੀਜਨਾਂ ਲਈ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਖ ਵਖ ਹੋ ਜਾਊ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਜਾਂ fundamentals ਵਿਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ । ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੋਹਾਂ ਰਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ consider ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ refer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ recommit ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੇਮਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ; ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ points ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸੇ ਚੰਗੇ points ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ recommit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਿਫਤਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ points ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੋਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ recommit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂਜੋ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ points ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ points ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ amenities ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬ ਰੂਮ ਬਣਾਏ

[ਫਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ]

ਜਾਣ ਪਰ ਦੂਜੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ recommit ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਬਿਲਡੰਗ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Administrator ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਵੇ । ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਫੀਦ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर पूर्व) : यह जो सवाल आज House के सामने है जिस तरह से यह put किया जा रहा है मैं समझता हूँ कि इस का किसी को कोई भी लाभ नहीं होगा । पहले यह Regional Committee को जाये, उसके बाद वापस यहां आये और फिर यहां से दोबारा Regional Committee को जाये—मैं समझता हूँ कि इस का कोई लाभ नहीं है । अगर यह समझते हैं कि दोनों Committees की एक ही report आये, तो इस बिल का विधान सभा के अन्दर लाने का कोई मतलब ही नहीं है । जब दोनों Regional Committees ने इसको discuss कर लिया है तो अब यह विधान सभा का मामला हो गया है । अगर मान भी लिया जाये कि इस में कोई नुक्ता रह गया है तो इस के लिये फिर उन कमेटियों को वापस जाये, मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है । इस लिये जो विचार मंत्री जी ने रखे हैं मैं इन का विरोध करता हूँ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ motion ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ re-commit ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ procedure ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ differ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ mainly ਇਹ ਵਜਾਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ differ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ re-commit ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । Cabinet Ministers ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ change ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਏਥੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ procedure mainly ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਇਹ differ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ procedure adopt ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ।

(Giani Ji, ha expressed certain views on the motion put forward by Sardar Jasdev Singh Sandhu. After hearing them I have come to this conclusion that the procedure of recommitting the bill to the Regional Committees is wrong. I fail to understand why the fact that the recommendations of one Committee which if when placed before the House, happen to differ with the recommendations of the other Committee should form the main reason for recommittal of the Bill to the Regional Committees. When the Cabinet Ministers are the members of these Committees, they know the whole affair. Any change which they want to have effected therein, can be got done by them through the Committees. The procedure of recommittal of the Bill, simply because the recommendations of the Committees are not similar, does not appear to be proper. In this way a bill will hang on between the Committees and the House. It will first go from the Assembly to the Regional Committees and then come back to the House and again to the Committees and then returned to the House and so on. This time I agree to their proposal, but I think that adoption of this procedure, in furure, will not be correct).

I am going to put the motion to the vote of the House. But I hope that in future the recommittal of Bills to the Regional Committees will be avoided.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, as reported by the two Regional Committees be recommitted to the said Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

The motion was carried.

THE PUNJAB WILD LIFE PRESERVATION BILL, 1958 AS AMENDED BY THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL AND REPORTED BY THE TWO REGIONAL COMMITTEES

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move that the Punjab Wild Life Preservation Bill, as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the Two Regional Committees be tak n into consideration.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ amendment ਅੱਜ ਏਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ Regional Bill ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ Regional Committees ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਫਜ਼ 'Close Season' ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Season ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ Season ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਇਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Wild Life Preservation Bill, as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Wild Life Preservation Bill, as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the clauses as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the two Regional Committees.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 as amended by the Punjab Legislative Council and agreed to by the Regional Committees stand part of the bill.

The motion was carried.

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move that the Punjab Wild Life Preservation Bill, as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the Regional Committees be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Wild Life Preservation Bill, as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the Regional Committees be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Wild Life Preservation Bill, as amended by the Punjab Legislative Council and reported by the Regional Committees be passed.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB UTILISATION OF LANDS (AMENDMENT) BILL, 1958 AS REPORTED BY THE TWO REGIONAL COMMITTEES

Minister for Industries and Local Government (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Utilisation of Lands (Amendment) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into considertion.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Utilization of Lands (Amendment) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Utilisation of Lands (Amendment) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : The Minister should explain the Clause.

कामरेड मुनी लाल : आप किस कमेटी की बात मान रहे हैं ?

जरायत तथा जंगलात मंत्री : पंजाबी Regional Committee की ।

कामरेड मुनी लाल : यह कैसे हो सकता है कि आप एक की बात मान लें और दूसरी की छोड़ दें ।

जरायत तथा जंगलात मंत्री : यह फैसला तो Assembly ही करेगी । मगर आप ने जो सवाल किया उस का मैं जवाब दे रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : यह तो अपनी पार्टी का view दे रहे हैं कि कौन सी बात रखनी है otherwise I am putting this question before the House. (The hon. Minister is giving the view of his party otherwise I am putting this question before the House.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਇਸ clause 3 ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ decision ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਿਨਲ Committee ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ better ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਇਸ clause

4.00 p.m.

ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ land utilization ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Deputy Commissioner ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ available ਹਨ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ compulsory ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਔਰ ਜਿਹੜਾ preference ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ।

It must be given to the tenants of the same village and if the tenants are not available, then the land should be given to tenants residing in the same Zail.

कामरेड मुनी लाल (शिमला) : इस क्लाज़ में एक amendment जो हिन्दी रिजनल कमेटी ने की है उस की दलील में मैं यह कहना चाहता हूँ कि Collector की wide powers ले कर हिन्दी रिजनल कमेटी ने यह बहस की थी कि वह ज़मीन acquire करके landlords को न दें, लेकिन ऐसा किया गया । इसके मानी यह है कि हिन्दी रीजनल कमेटी के लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी की गई है । मैं समझता हूँ कि पंजाबी रिजन से उठाकर हिन्दी रिजन में बैठाने की कोशिश एक political चाल है ।

[कामरेड मुनी लाल]

हिन्दी रिजनल कमेटी ने जो यह चीज़ रखी थी कि जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनको ही मिलनी चाहिये, यह चीज़ ठीक थी मैं समझता था कि जो ज़मीन बड़े-बड़े landlords के नाम मुंतकिल की थी उसकी मियाद खत्म होने वाली है लेकिन सरकार चाहती है कि उसका टाइम बढ़ाया जाए ताकि landlords के हाथ मज़बूत हों। जैसे करनाल के ज़िले में बड़े बड़े आदमियों को ज़मीनें दे कर बड़े बड़े farms बनाए उस तरह से Socialist pattern of society वाली बात पूरी नहीं होती। हिन्दी रिजनल कमेटी की बात बिलकुल मुनासिब है।

श्री अध्यक्ष : मुझे समझ नहीं आई कि हिन्दी रिजनल कमेटी में किस तरह से drafting की गई है। इसमें तो इस तरह से है जैसे कि चिट्ठी draft की गई हो। [I can not understand as to how this clause has been drafted in the Hindi Regional Committee. It has been drafted just like a letter].

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ lion's share ਦੂਜੇ ਰਿਜਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 4, 5 ਜਾਂ 6 ਆਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ lease ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Co-operative Societies ਨੂੰ allot ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ 30 ਏਕੜ ਦੀ ceiling ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ socialist pattern ਦੀ society ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ societies ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ society ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਆਦਮੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ enquiry ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਕੇ farm ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਵਖੋ ਵਖ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ business ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਥੇ 18000 ਮੁਜ਼ਾਰੇ eject ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ Central Co-operative Bank ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ allot ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਜਨ Co-operative Societies ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 33 Co-operative Societies ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ protection ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ loan ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 32 Societies ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ grievances ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਤੇ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨ ਲਉਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਥੇ Land Utilization Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ lease ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री बारू राम (राजौंद) : स्पीकर साहिब, हमारे ज्ञानी जी अगर Cabinet के Member होते हुए भी Punjabi Suba की मांग कर सकते हैं तो उस के माने यह हैं कि वह यह महसूस करते हैं कि उन के साथ बेइन्साफी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप सीधी बात करें, political aspersions न करें। (The hon. Member should speak to the point instead of casting political aspersions.)

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, सच्चाई तो कहनी ही पड़ेगी । मैं reasoning की बात करता हूँ ।

Mr. Speaker : Please don't be personal and irrelevant. Try to give some sound reason in a relevant way.

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, मैं relevant ही बोल रहा हूँ । जब यहां के Minister पंजाबी सूबे की मांग कर सकते हैं तो इस का मतलब यह है कि वह महसूस करते हैं कि हमारे साथ बेइन्साफी होती है । इसी तरीके से हिन्दी Regional Committee ने जो Bill पास किया है और सिफारिश की है कि उसे मान लिया जाए अगर उस के बारे में House में कह दिया जाए कि वह consider नहीं किया जाएगा तो फिर हमें बहुत दुःख होता है । वह ज़मीन हमारी Hindi Region की है मगर उस पर काबिज़ पंजाबी रिजन वाले हैं । क्या यह हमारे साथ धक्का नहीं है । जब हम कहते हैं कि हमें यह grievance है तो उस वक्त यह कहा जाता है कि political बातें यहां नहीं करनी चाहियें । स्पीकर साहिब, करनाल के अन्दर जितनी ज़मीन Land Utilization Act के तहत दी गई है वह एक political stunt था । उस को exploit कर के वह सारी ज़मीनें पंजाबी रिजन वाले लोगों को दी गई हैं । यहां पर कामरेड राम चन्द्र जी ने कहा था कि हम इस बात को बुरा नहीं मानते । वह न बुरा मानते होंगे मगर हम ज़रूर बुरा मानते हैं क्योंकि हमारे हकूक छीने जा रहे हैं । इसलिये हम कहते हैं कि जो Hindi Region की ज़मीन है वह वहां के मुज़ारों को, या बेज़मीने लोगों को या जिन लोगों के पास कम ज़मीन है उन को दी जानी चाहिये । अगर हमारे इस मुतालबे को वह बुरा मानते हैं तो मानें हमें उस की परवाह नहीं है । स्पीकर साहिब, अब उन्होंने इस में 'any crop' का लफ्ज़ लिख दिया है मगर Parent Act के मुताबिक वह ज़मीन सिर्फ food और fodder की cultivation के लिये दी गई थी । जो ज़मीनें वहां lease पर दी गई हैं उन्हों ने अनाज पैदा करने की बजाए commercial crops पैदा की हैं । यही वजह है कि अनाज की कमी हुई है । नारा तो हम Grow-More-Food and fodder का लगाते हैं मगर वहां पर commercial crops की काश्त करवाई जाती है । अब उस चीज़ को छुपाने के लिये कि कहीं वह lease cancel न हो जाए यह 'any crop' के लफ्ज़ इस में ले आए हैं । यह बिल्कुल नामुनासब बात है । इसलिये मैं गुज़ारिश करूँगा कि जो Hindi Regional Committee ने सिफारिश की है उसे मान लिया जाए ताकि हमारे अन्दर confidence पैदा हो कि इस House में Hindi Region के लोगों के साथ इन्साफ हो रहा है । इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस clause की पुरज़ोर ताईद करता हूँ और गुज़ारिश करता हूँ कि इसे पास कर दिया जाए ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ lease ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ

ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ bona fide residents ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ cancel ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਦੇ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ lease ਤੇ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਦੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ lease forthwith cancel ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਥੇ ਦੂਜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ refugees ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ refugees ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ ਤਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ lease ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਵਾਇਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ out of order ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ discrimination ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ੈਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ discrimination ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ discrimination ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ

[ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ]

ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਥੇ 5,7 ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਹੜੇ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੋਗੇ (ਹਾਸਾ)।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਹਾਸਾ) ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਧਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਜ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ invest ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸੱਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰ ਮਰਲਾ, ਹਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਰੱਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਵਸਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦ ਦੇ ਆਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਆਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਕਸਰ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੈਲ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ preference ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਕਿਊਂ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤੀ

ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ Socialism ਦੀ ਨਵੀਂ definition ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਖਤਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੋ Constitution ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਕ ਸਜਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਰ, ਬੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਝਗੜਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਕੇ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(*At this stage Pandit Shri Ram Sharma rose to speak*)

Mr. Speaker: No please. The hon. Minister has replied to the debate. Now the question will be put.

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. जिस वक्त मिनिस्टर साहिब उठे थे तो और भी बहुत सारे मैम्बर साहिबान बोलने के लिये खड़े हुए थे लेकिन उन्होंने तकरीर करते हुए फरमाया था कि मैं बीच में ही बोल रहा हूँ, और debate में intervene कर रहा हूँ । इसलिये हमें मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, मैं House की practice तोड़ने के लिये तैयार नहीं हूँ । Third reading पर बोल लेना । (*Addressing Pandit Shri Ram Sharma*). (I am not going to break this established practice of the House. He may speak at the third reading stage.)

श्री शेर सिंह : On a point of order, Sir. मेरा point of order यह है और इस पर मैं आपकी ruling चाहता हूँ कि जब किसी बिल की क्लाज़ पर बहस हो रही हो और अभी question put न किया गया हो और कोई hon. Member बोलना चाहता हो तो क्या उसका बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है ?

Mr. Speaker : After the hon. Minister has replied to the debate, no Member can speak. However, the hon. Members will have an opportunity to speak at the time of the third reading of he Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, as reported by the Hindi Regional Committee, stand part of the Bill.

(*After ascertaining the votes of the Members present by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged, and the bells were rung. Mr. Speaker called upon those Members who challenged his opinion to rise in their places.*)

Chaudhri Baru Ram : Sir, we want the division to be recorded.

Mr. Speaker : No.

Chaudhri Baru Ram : We want the division in the lobbies.

Mr. Speaker : He can demand it but it is within my discretion to accept or reject it.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, as reported by the Hindi Regional Committee, stand part of the Bill.

(*Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged his opinion and supported the claim for a division to rise int heir places declared that the division was unnecessarily claimed.*)

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, as reported by the Punjabi Regional Committee, stand part of the Bill.

(*After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.*)

The motion was declared carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Utilisation of Lands (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Utilisation of Lands (Amendment) Bill be passed.

श्री शेर सिंह (झज्जर 'जनरल') : अध्यक्ष महोदय, यह जो Land Utilization का बिल हमारे सामने है इस पर दलील देते हुए ज्ञानी जी ने बहुत दूर की बातें कहीं जिन का स्पष्टीकरण करना मैं आवश्यक समझता हूँ। एक दलील उन्हों ने यह दी कि जो पंजाबी सूबा का सिलसिला उन्हों ने उठाया वह अब छोड़ चुके हैं। जब कोई चीज़ इन को हरियाना से मुफ्त मिल जाती है तो उस वक्त यह पंजाबी सूबा भूल जाते हैं और जब हरियाना से कोई मुफ्त की चीज़ नहीं मिलती उस वक्त पंजाबी सूबा प्यारा लगने लगता है। मुझे तो यह लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये फिर कहेंगे कि पंजाबी सूबा प्यारा है। मैं इस चीज़ की बहस में ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन जो दलील उन्हों ने दी है उस के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि discrimination हो जायेगी, यह बात आईन की spirit के खिलाफ़ है। अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि ज़मीन के बारे में कुछ फैसले हमारी सरकार ने किए। ग़रीब और पसमान्दा लोगों की मदद के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया कि खेती के लायक पड़ी हुई भूमि जो सरकारी है और जो lease पर लोगों को दी हुई है वह केवल हरिजनों को दी जाये। आप को मालूम है कि बहुत सी सरकारी ज़मीनें ऐसी थीं जो कि पांच से लेकर दस साल तक के लिये lease पर दी गईं। लोगों ने इस ज़मीन को तोड़ा, उस पर पैसा खर्च किया और इसे आबाद किया लेकिन जब पांच साल गुज़र गए तो उन को नये सिरे से सरकार के निश्चय अनुसार हरिजनों को दे दिया गया। ऐसा करने में संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। उन को मुआवज़ा देने की बात भी नहीं उठी। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह आईन की स्पिरिट के खिलाफ है; लेकिन उस वक्त यह बात किसी के दिमाग़ में नहीं आई कि मुआवज़ा दिया जाए, न ही यह बात आई कि संविधान के मातहत discrimination पैदा हो जायेगी। इस तरह से बार बार यह चीज़ कहते रहे हैं, विधान सभा में पेश करते रहे हैं कि फलां ज़मीन के ऊपर landless tenants का हक है। अब कैथल तहसील और गूहला सब-तहसील में सरकार ने Land Utilization Act के नीचे एक खास इलाके और खास सम्प्रदाय के लोगों को ज़मीनें दीं और अब जब भाखड़ा की नहरों का पानी उस ज़मीन को मिल गया, तब संविधान की आड़ लेकर, जिन लोगों को अफसरों ने रियायत दे कर वैसे ही सात साल के लिये हिन्दी क्षेत्र के इलाकों में ज़मीनें दे दी थीं अब उन्हें उन पर पक्के तौर पर बिठाना चाहते हैं। यह सब एक प्लैन के अधीन हो रहा है। आज अपनी उस बात को चलाने के लिये संविधान का ग़लत सहारा लेने का यत्न हमारे ज्ञानी जी कर रहे हैं और देशभक्ति, बराबरी और पंजाब की एकता का उपदेश दे रहे हैं। कहा जाता है कि इस के बीच में पंजाबी सूबे का सवाल क्यों लाते हो। इस मामले में हमेशा ज्ञानी जी की नीति काम करती रही। ज्ञानी जी की मांग रही कि पंजाबी सूबे में गूहला सब-तहसील और करनाल ज़िला के दूसरे इलाके शामिल किए जाएं। कैथल के इलाके पर भी इन की आंख थी। जब Rehabilitation होने लगी तो पश्चिमी पंजाब से आये हुए लोगों को बसाने का सवाल था।

[श्री शेर सिंह]

उस वक्त Rehabilitation का महकमा इन जैसे समविचार सज्जन के पास था। उस समय कोशिश की गई कि करनाल जिला के ऐसे इलाके में जो पंजाबी बोली वाले इलाके के साथ मिलता हो वहां एक खास मजहब के लोगों को बसा कर उन की तादाद में इजाफा किया जाये। ज्ञानी जी की खाहिश थी कि पंजाबी सूबे की हद वहां तक बननी चाहिये और यह चीजें एक प्लान के तहत हुई।

Minister for Agriculture and Forests: I question it.

श्री अध्यक्ष: आप जैसे अकलमंद आदमी को ऐसी far-fetched बातें नहीं करनी चाहियें जिन का इस बिल के साथ कोई वास्ता नहीं। (It is not proper for a sensible man like the hon. Member to talk of far-fetched things which have got no relevancy at all with the present Bill.)

श्री शेर सिंह: मैं ने वास्तविकता की बात कही है।

Minister for Agriculture and Forests: On a point of personal explanation, Sir....

श्री शेर सिंह: Sir, I do not give way. इन्हों ने अगर कुछ कहना है तो बाद में कह सकते हैं। ज्ञानी जी को खदशा इस बात का हुआ है कि वह Rehabilitation Minister नहीं रहे। मैं उन्हें बता दूं कि ज्ञानी जी अकेले सिर्फ इस ख्याल के नहीं बल्कि इस ख्याल के लोग और भी यहां बसते हैं।

जरायत तथा जंगलात मन्त्री: वे कौन कौन से हैं?

श्री शेर सिंह: वे लोग भी इन्हीं lines पर सोच सकते हैं। उन की सोच भी आप जैसी थी। आप जैसी सोच वाले लोगों ने सोच कर पंजाबी सूबे की हद और लम्बी खैंच कर कैथल तक करनी चाही। और उन की कोशिश रही कि वहां पर खास बोली बोलने वाले और खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बसाया जाए। क्योंकि Land Utilization Act के तहत भी बहुत सी waste land को आबाद किया जाना था आप ने उन लोगों को जा जा कर कहा कि तुम यहां आबाद हो जाओ और यह सब कुछ बाकायदा एक प्लान के तहत हुआ। लेकिन आज यहां पर ज्ञानी जी ने "वसुधैव कुटुंबकम्" का उपदेश दिया और कहा कि इस इलाके के लोगों को बड़ी उदारता का सबूत देना चाहिये। फिर फरमाया कि हमारे सामने मजहब का सवाल नहीं, रिजन का सवाल नहीं, बल्कि देश के हित का वास्ता दिया गया। उन्होंने यह सोचने की तकलीफ गवारा न की कि क्या उस इलाके के लोगों को जो उस क्षेत्र में बसते हैं, उस जमीन से कोई फायदा पहुँचा है या नहीं। अगर उन को कोई फायदा नहीं पहुँचता तो यह साफ जाहिर है कि यह उस इलाके के लोगों को कितना उभारना चाहते हैं, कितना उन के साथ न्याय करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि इस के अन्दर कोई discrimination का सवाल नहीं। इस विधान सभा को यह अधिकार है कि वह देखे कि उस इलाके के जो खास category के लोग हैं, landless tenants और small landholders हैं उन्हें भी वह जमीन मिलती है या नहीं। मैं समझता हूँ कि

पहले उस जैल, उस गांव के लोगों का उस ज़मीन पर अधिकार होना चाहिये और दूसरों का बाद में क्योंकि उस ज़मीन पर जितना परिश्रम वहां का रहने वाला जिसे ज़मीन की भूख हो, कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह करने से कोई विधान की खिलाफ वर्ज़ी नहीं होती और न ही किसी से बेइनसाफी या अन्याय का सवाल पैदा होता है।

दूसरी बात जो उन्हों ने कही उस से बहुत दूर की सूझ दी। उन्हों ने फरमाया कि जो पाकिस्तान से चल कर आये और यहां आ कर आबाद हो गये उन्हें भी शायद कल निकालने की बात की जाए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ज्ञानी जी किस प्रकार West Punjab से आए हुए लोगों को भड़काना चाहते हैं और एक फर्ज़ी डर का हव्वा दिखा कर जो यहां आकर बस गए हैं और जो पहले से बसते थे उन्हें लड़ाना चाहते हैं। जो बस गए वह तो यहां के हो गए। सवाल तो यह है कि अब Land Utilization Act का सहारा ले कर इसी इलाके के मुस्तहिक़ लोगों को उससे वंचित कर के बाहर से लोग लाकर बसाने में कौन सा न्याय है? मैं नहीं कहता कि किसी को उजाड़ दिया जाए या 7 साल की अवधि समाप्त होने से पहले उनसे ज़मीन छीन ली जाए। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि इस इलाके के लोगों को दबा कर दूर के लोगों को हमेशा के लिये सौंपा जाए और उस इलाके पर कब्ज़ा कर के उसे अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की जाए। इस चीज़ को resent करना या इस की मुखालिफत करना हमारा फर्ज़ है। हिन्दी रिजनल कमेटी को इस बात का खतरा था और उस ने इस खतरे को देखा और महसूस किया क्योंकि अब भी उस इलाके में ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन के पास पांच एकड़ से कम ज़मीन है। कई ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन की अपनी कोई ज़मीन नहीं और वे दूसरों की ज़मीन ले कर अपना गुज़ारा करते हैं। ऐसे आदमियों को ज़मीन मिलनी बन्द हो गई है क्योंकि अब कोई आदमी किसी को बतौर मुज़ारे के ज़मीन देने को तैयार नहीं। ऐसे आदमियों की बहुत तादाद है जो वहां या उसके साथ बसते हैं। इसलिये यह मुनासिब बात है कि ऐसे लोगों को पहले अधिकार होने चाहियें कि वे उन ज़मीनों पर आबाद किये जाएं। इस में भला कौन सी ज़्यादती की बात हो जाती है। हिन्दी रिजनल कमेटी इसलिये बनी है कि वह अपने इलाके के लोगों के मुफाद की हिफाज़त कर सके। उसे 14 महकमाजात के मुतअल्लिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह इन के बारे में सिफारिशात कर सके। Agriculture का महकमा भी इन 14 महकमों के अन्दर है। हिन्दी रिजन के मैम्बर आखिर किस लिये यहां बैठे हैं। वे दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहते। हम यह नहीं चाहते कि इस lease के दौरान में ही ज़मीन उन से छीन ली जाए; क्योंकि यह तो कहा जा सकता है कि उन के साथ इस तरह करना बेइनसाफी है। यह Regional Committee किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही। सात साल की lease पर यह ज़मीन उन को दी गई है। जब यह मयाद खत्म हो जाए तो हिन्दी रिजन के लोगों का भी अधिकार है, उस गांव के लोगों का भी अधिकार है, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले बेज़मीन लोगों का भी अधिकार है कि वे ज़मीन हासिल कर के अपने गुज़ारे का प्रबन्ध कर सकें। अगर

[श्री शेर सिंह]
रिजनल कमेटी ऐसे लोगों के लिये ज़मीन का प्रबन्ध करती है तो वह किसी से ज़्यादती नहीं करती; वह अपने रिजन के लोगों के अधिकारों की हिफाज़त करती है। लेकिन ज्ञानी जी अब इन अधिकारों को छीनना चाहते हैं। उन्होंने Regional Formula की तारीफ की और कहा कि वह इस के लिये पंजाबी सूबे की demand भी छोड़ चुके हैं। इसी formula के आधार पर हमें कुछ अधिकार मिले हैं वह भी ज्ञानी जी खुद हम से छीनना चाहते हैं, शायद इसलिये कि उन के हाथ में बहुमत का बल है। शायद इसलिये कि पंजाबी रिजन के 87 मैम्बर हैं और हिन्दी रिजन के 65 मैम्बर हैं। वह अपनी majority के बल बोते पर हिन्दी रिजन के इस मुतफिका फैसला को गिराना चाहते हैं। वह समझते हैं कि मिनिस्टरी उन की है और उन के हाथ में ताकत है—जो चाहें वह कर सकते हैं। वह अपनी ताकत के ज़ोर से हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। इस का मतलब यह हुआ कि वह Regional Formula कामयाबी से चलाना नहीं चाहते बल्कि इसे खत्म करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि एक अलग पंजाबी सूबा बने और इस मामले में हरियाना के लोगों को दुखी करना चाहते हैं और वह यह चाहते हैं कि हम दुखी होने के बाद यह कहें कि हमें यह Regional Formula नहीं चाहिये अलग प्रान्त चाहिये। दुखी करके हरियाणा प्रान्त की मांग उठे यह इन की इच्छा है जिस से पंजाबी सूबा बनने में मदद मिले।

Mr. Speaker: Please be relevant. You are going outside the scope of this Bill.

श्री शेर सिंह: मैं तो उसी पर कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: जो बातें Bill में हैं आप उन्हीं पर कहिये। जो आप कह रहे हैं इस में तो कोई relevancy नहीं। (The hon. Member may speak on what is contained in the Bill. There is no relevancy in what the hon. Member is saying.)

श्री शेर सिंह: हिन्दी Regional Committee का फैसला रद्द करा कर यहां लोगों को मजबूर करना चाहते हैं कि वह अलग प्रान्त की मांग करें। Regional फार्मूला को वास्तव में यह फेल करना चाहते हैं। ज्ञानी जी का मक़सद है कि पंजाबी सूबा बन जाए। इसके इलावा उनका और कोई मक़सद नहीं।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਰਿਜ਼ਰਵ'): ਜਨਾਬਿ ਆਲੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ (ਉਹ) ਬੜੇ progressive ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ landless tenants ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। Land Reforms ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ progressive view ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ

ਪੁਛ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ unstarred question ਨੰਬਰ 1429 ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ calturable land ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ non-culturable, ਨਾਕਾਬਲ ਕਾਸ਼ਤ land ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ 14,51,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ culturable ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਦਰਕਨਾਰ, ਏਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ । Land Reforms ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬਿਲ ਆਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ implementation ਏਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ । ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਸਾਢੇ ਚੋਦਾਂ ਲੱਖ ਏਕੜ culturable land ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ implementation ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । Land Utilisation Act ਦੀ implementation ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ । ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ land reforms ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾ ਗਲਤ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ land reforms ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੋਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । (The hon. Member has fully understood the mission of Shri Vinoba Bhave !)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ deserving ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ignore ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਸਾਡੀ spirit ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਤਾਂ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ local problems ਨੂੰ closely examine ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਈਏ । ਕਈ ਏਥੇ ਬੋਲਦੇ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਨੇ—ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ—ਤਾਂ ਦੇਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਬਿਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ implementation ਕਰੀਏ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ landless tenant ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ । Land reforms ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ landless tenant ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ । ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ—ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ । ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ cheap popularity ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, इस House में जब Regional कमेटियों का प्रस्ताव आया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि यह formula गलत है । लेकिन मैं अकेला यहां पंजाब का हामी था । मैं कामयाब न हुआ । आज का दिन शायद तारीखी दिन है, जिस पे फिर मोड़ आ गया । पंजाब में जो एक सब से बड़ा मसला है वह आज House के सामने है, और जिस पर काफी ज़ोरदार तकरीरें हुईं । मैंने ज्ञानी जी को बड़े ध्यान से सुना और चौधरी सुन्दर सिंह जी की नसीहत को भी बड़े ठंडे दिल से सुना । मैं आप से अर्ज़ करता हूं कि आज वह दिन है जिस दिन इस spirit के साथ House में मुज़ाहरा हुआ । यकीनन हमारा फ़र्ज़ हमें मजबूर करता है कि हम सोचें कि पंजाब के हालात और वाकयात कैसे खूबसूरत हों । दो Regional कमेटियां बनीं और दोनों ने अपनी अपनी राएं दीं । हिन्दी Regional Committee ने जो राए दी थी, मैंने House में देखा है कि पंजाबी Regional Committee के तक़रीबन तमाम मैम्बर इसकी मुख़ालफत कर रहे थे । Hindi Zone के सिर्फ एक वज़ीर और एक डिप्टी वज़ीर इसकी मुख़ालफत कर रहे थे जो मजबूर थे । मुझे यकीन है कि पंजाबी Zone वालों ने अपनी अकसरीयत के बल पर Hindi Regional Committee की मांग को reject करके गलत कदम उठाया है । स्पीकर साहिब, मसला बड़ा साफ़ है । ज्ञानी जी ने तीन दलीलें दी हैं । उन्होंने कहा है कि Landlords ने बहुत रुपया खर्च किया, ज़मीन को आबाद करने के लिए इसलिए उन से ज़मीन कैसे वापिस लें । मैं ज्ञानी जी से पूछता हूं कि Ministry में आ कर अगर ज्ञानी जी भी बहुत खर्चा कर डालें और जब Ministry से वह अलग होने लगें तो वह हम से मुआवज़ा कैसे मांगेंगे ? हम ने कब कहा था कि ज्ञानी जी या वह Landlords जरूरत से ज़्यादा रुपया खर्च करें । अगर एक साल के लिए कोई मकान किराए पर ले ले और मकान में बिजली लगा ले और वह कहे कि मैंने

इस लिए मकान नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने बिजली लगवाई है; यह वाजब नहीं। हिंदी Regional Committee के सामने यह मसला साफ है। यह मसला पंजाबी Region का नहीं था कि उसमें पंजाबी Region वाले आएंगे। मसला यह था और यह बात ठीक भी थी कि छोटे किसान, मुज़ारे और हरिजन इन ज़मीनों पर आबाद हों; न कि बड़े बड़े जमींदार। अगर गरीब पंजाबी ही होते तो हम ठीक कह देते या ठीक समझ लेते, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पंजाब के हरिजन हैं या मुज़ारे हैं छोटे किसान भी हैं जो बाहर से लाकर बिठाए गए हैं। मैं दावे से कहता हूं कि यह 420 हो रही है। पिछले दिनों गरीबों के नाम पर रुपया बांटा गया। इस में भी 420 की गई और गरीबों को ignore किया गया। 'हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा' हम पंजाब सरकार को क्यों न कहें कि वह ज़मीन ऐसे आदमियों को दें जिनको हम जानते हों कि वह गरीब हैं, बे-ज़मीन हैं, मुज़ारे हैं? इस में पंजाबी और हिन्दी Region वालों का कोई सवाल नहीं और न ही यह सवाल था कि आया वे हरयाणा प्रांत के रहने वाले थे। सवाल तो यह था कि वे हमारी जान पहचान के हों ताकि 420 न हो पाए।

स्पीकर साहिब, लोग ताना देते हैं कि अब्दुल ग़नी कहने वाली बात कह ही जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन को गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। आज जो मज़ाहिरा

5.00 p.m.

यहां पर किया गया है; यह बिलकुल गलत था। आखिर रिजनल कमेटियों के बनाने का मकसद क्या था? इन को बनाने का मकसद यही था कि इलाका के लोगों को जो दुख हो इन कमेटियों के ज़रिये वह ज़ाहिर करें और उस दुख को दूर करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। इन कमेटियों के बनाने का मतलब यह नहीं था कि उन को जो राए हो उस को majority के बल-बूते पर इस तरह से गिरा दिया जाए। मैं जानता हूं कि हम काबिल नहीं हैं। हमारे पंजाबी रिजन वाले भाई ज़्यादा काबिल हैं। उन की तादाद ज़्यादा है और हाउस में बैठ कर वे हमारी हर एक बात को हर वक्त ठुकरा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रवैया इन्होंने हमारे साथ रखना है तो हमारी मिनिस्टरी को, हमारे नेताओं और हमारे लीडरों को लाज़मन यह बात सोचनी पड़ेगी कि पहले रिजिनल कमेटियां क्यों मांगी गई थीं। ये कमेटियां किस ने बनाई थीं? क्या मैंने बनाई थीं? क्या मेरे जैसे और लोगों ने बनाई थीं? नहीं। बल्कि ये कमेटियां उन लोगों ने बनाई थीं जिन के दिमाग़ में पंजाबी सूबा था और जिन के दिमाग़ में हरियाणा सूबा था। अब अगर उन्होंने रिजिनल कमेटियां बना ली हैं तो उन को चाहिए कि उन कमेटियों की राए को पास करें। हिन्दी रिजनल कमेटी वालों ने ऐक्ट में amendment की थी कि यह ज़मीन उन लोगों को दी जाए जिन के पास ज़मीन नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है और जो उसी गांव या उसी ज़ैल के रहने वाले हों। उन्होंने यह सिफारिश नहीं की थी कि यह ज़मीन उन को दी जाए जिन के पास पहले ही सैंकड़ों एकड़ ज़मीन हो। और स्पीकर साहिब, यह कह कर ज़मीन ली गई है कि हम ग़रीबों को आबाद करना चाहते हैं। उन ज़मीनों को आबाद करने वाले कौन लोग हैं? उन ज़मीनों को न तो ज्ञानी जी ने आबाद किया है और न ही अब्दुल ग़नी ने आबाद किया है। उन ज़मीनों को आबाद करने वाले व लोग हैं जिन को आप कम्मीं कहते हैं, जिन को आप मुज़ारे कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं, उन्हीं लोगों ने अपना खून और पसीना एक कर के उन ज़मीनों को बनाया था।

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

ज्ञानी जी ने तीन बातें की हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कही कि उन लोगों ने इस ज़मीन में रुपया खर्च किया है। मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने रुपया खर्च किया है तो फायदा भी तो उठाया है। हमें तो फिर भी ज़िद्द नहीं है, हम तो कहते हैं कि उन को मुआवज़ा दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि पंजाब दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इस तरह से हम पंजाब वाले दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि जिस वक्त रिजनल कमेटियां मांगी थीं यह बात उस वक्त सोची होती कि पंजाब के दो हिस्से हो रहे हैं। एक दूसरे से जुदा तो नहीं हो रहे लेकिन दो हिस्से हो रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि इस में तकसीम करने का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि सरकार ने यह जो ज़मीन दी वह इसलिए दी थी कि उस में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना ज़्यादा अनाज उन्होंने पैदा किया है? क्या उन्होंने ज़मीन को उस तरह से ढालने की कोशिश की जिस तरह से सरकार चाहती थी? सरकार ने उन पर मेहरबानी की और उन से कह दिया कि वह जो चाहें ज़मीन में बो दें। चारा बोएं या मिर्च बोएं, सब कुछ कबूल कर लिया जाएगा। हिन्दी रिजन वालों ने कहा कि यह बात गलत की जा रही है। हम ने यही amendment की थी कि वहां पर जो ज़मीन है वह गरीबों को ही दी जाए। उसी गांव के landless, हरिजन और छोटे किसानों को दी जानी चाहिए। न कि बड़े बड़े ज़मींदारों को जो कि पंजाबी रिजन के हैं उन को दी जाए। लेकिन हरिजनों और गरीबों के नाम पर ज़मीन बड़े बड़े आदमियों को दी जा रही है। स्पीकर साहिब, co-operative का नाम बड़ा मुबारिक है। लेकिन उस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अपने खानदानों को ही co-operative का नाम दे रहे हैं। सरकार गरीबों के नाम पर उन को ज़मीन दिये जा रही है। उन लोगों का ताल्लुक बड़े बड़े आदमियों से है। मिनिस्टरों से है। मैं पूछता हूं कि यह जो लाखों एकड़ ज़मीन सरकार ने उन को दी है उस में क्या improvement की गई है। हिन्दी रिजनल कमेटी वालों ने जो amendment की थी वह आंख मीच कर नहीं की थी, सोच समझ कर की थी। वैसे पंजाबी रिजन वालों से हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन जहां हम यह चाहते हैं कि पंजाबी रिजन के मुज़ारे, छोटे किसान और गरीब हरिजन फूलें फलें वहां हम यह भी चाहते हैं कि हिन्दी रिजन के मुज़ारे, छोटे किसान और हरिजन भी फूलें फलें। ज्ञानी जी ने तीसरी बात यह कही थी कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे उन को पनाह देने के लिए इस ज़मीन की allotment उन को की गई है। मैं अर्ज़ करता हूं कि पाकिस्तान से आने वालों में हिन्दू भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। उन में हम जैसे भगौड़े भी थे कि जिन को जहां पनाह मिली, जगह मिली वहीं चले गए। लेकिन हरियाणा वालों ने कभी इस बात का एतराज़ नहीं किया कि उन refugees को क्यों पनाह दी गई है। वे जानते थे कि जो लाखों मुसलमान इधर से उजड़ कर गए थे उन की जगह तो किसी को देनी ही थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि जो ज़मीन दी गई है वह किन लोगों को दी गई है। आया वह छोटे किसानों को दी गई है, हरिजनों को दी गई है, landless persons को दी गई है। अगर उन लोगों को ज़मीन दी गई है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ज्ञानी जी उन का मसला रिफ्यूजियों के मसले से मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं पंजाबी रिजन वालों का दुश्मन नहीं हूं। मैं खुद गुरु की नगरी का रहने वाला हूं।

मुझे इस से इनकार नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रांत में मेरी constituency है। मेरा फर्ज है कि म वहां के लोगों की तकलीफ को सरकार के सामने रखूं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं आज मैम्बर हूं। मैं यह नहीं समझता कि सिर्फ मैम्बर रहने से ही सब काम होते हैं। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जिस तरह से आज यहां कार्यवाही चल रही है इस तरह से रिजनल कमेटियों का जनाज़ा निकल जाएगा। अगर कोई दूसरी बात है तो मैम्बरों को समझाएं कि वे इस तरह से न करें। उन्होंने उन को खुली छुट्टी दे रखी है। अगर सात बरसों से उनकी तसल्ली नहीं हुई तो दो सौ बरस तक कर लें या सात सौ बरस तक करते रहें। फिर यह भी उन को कह दिया है कि यह ज़रूरी नहीं कि अनाज ही पैदा करें बल्कि जो मन में आए वही चीज़ पैदा करें। यह बात गलत है। इस के बारे में हिन्दी रिजन वालों ने जो amendment की थी उस को reject कर दिया गया है। इस तरह से ये कमेटियां चलाने वाली नहीं हैं। इन्होंने इस तरह से उस proposal को गिरा कर मेरे ख्याल में पंजाब की service नहीं की। स्पीकर साहिब, आप ने फरमाया कि प्रोफैसर साहिब आप किस तरफ़ चले गए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि land allotment के सिलसिले में बड़ी ज़्यादती हुई है। बहुत बद-दयानती हुई है। नाम तो हरिजनों का लिया गया है गरीब किसानों का लिया गया है लेकिन उस का फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जिन के पास पहले ही सौ सौ और दो दो सौ एकड़ ज़मीन है। या जिस के बड़े बड़े Business concerns हैं। जिन लोगों को lease पर ज़मीन दी गई है वह वज़ीरों के आदमी हैं। उन का ताल्लुक बड़े बड़े आदमियों से है। यह बात जायज़ नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि इस तरह से कमेटियां चलने वाली नहीं है। इस ढोंग से कुछ फायदा निकलन वाला नहीं है। अगर हिन्दी रिजन वालों ने यह कहा कि कोई खास case Anti-Corruption-Department वालों को दिया जाना चाहिए तो उस के बारे में कहा गया कि यह बात सब झूठ है, वे लोग बहुत नेकनियत हैं। उल्टा बिल ले आए कि वह बिल्कुल पाकदामन हैं, integrity वाले लोग हैं इसलिये उनका tenure बढ़ा देना चाहिये। मैं अर्ज़ करता हूं कि इस तरह से रिजनल कमेटियों का काम नहीं चलेगा। इसलिये मैं निहायत ही अदब से गुज़ारिश करता हूं कि जो चीज हिन्दी रिजन वालों ने पास की है वही मंजूर होनी चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ views ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ powers ਦਾ ਤਅਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜੋ Presidential Order ਵਿਚ powers ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਘਟ ਘਟ interfere ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ defend ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ clause ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ illegal ਹਨ ਔਰ ਇਹ clause ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ Regional

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਹ clause ਸਾਡੀ Constitution ਦੇ Article 19 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ Article 15 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । Article 15 ਇਉਂ ਹੈ :—

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them".

ਪਰ ਇਸ clause ਵਿਚ place of business ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਜ਼ੈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ *Ultra vires* of the Constitution ਹੈ ਅਤੇ Article 15 of the Constitution ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹਕ ਹਰ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Article 19 of the Constitution ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ—

"All citizens shall have the right—

"To reside and settle in any part of the territory of India ;"
"To acquire, hold and dispose of property ;"

ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ Regional ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ Constitution ਦੇ against ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ power ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । Regional ਕਮੇਟੀ ਦੀ power ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ formula ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ agitation ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਹਿੰਦੀ Regional ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ controversial ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ act ਬਣ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ court ਵਿਚ challenge ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, आज मेरा तो गला बड़ा खराब है लेकिन क्योंकि यह बिल बड़ा अहम है और मैं चाहता हूं कि यह पास नहीं होना चाहिए, इस लिए मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं । अगर यह बिल पास हो गया तो........

श्री अध्यक्ष : आप का ऐसा गला हाउस को suit करता है । (The bad throat of the hon. Member suits this House). (हँसी)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, आज रोहतक के अन्दर, करनाल के अन्दर, हिसार के अन्दर बल्कि सारे हरियाणे के अन्दर लोगों को पंजाबी region के भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन एक चीज़ जरूर है और वे एक चीज़ जरूर चाहते हैं कि उन के साथ इनसाफ होना चाहिये और किसी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है यानी इस बिल को जिस शक्ल में पास करने की कोशिश की जा रही है अगर यह इसी शक्ल में पास हो गया तो स्पीकर साहिब, इस से दो-तीन बातें पैदा हो जाएंगी। इस से हिन्दी region के अन्दर लोगों में अब एक ऐसा ख्याल पैदा हो जाएगा जो अब तक पैदा नहीं हुआ था। हालांकि पंजाबी region के लोगों को वहां बसाया गया है और उन को ज़मीनें पटे पर वहां दी गई हैं लेकिन अब अगर यह बिल उस तरीके से पास न किया गया जिस तरीका से हिन्दी Regional Committee के मैम्बरान चाहते हैं और यह उस तरीक से पास किया गया जिस तरीका से पंजाबी रिज़न वाले चाहते हैं तो इस से लोगों में आपस में बड़ी भारी तलखी पैदा हो जाएगी। जिन लोगों को हरियाणे में वहां के लोगों की ज़मीनें ले कर दी हुई हैं उन से अब वे नफरत करने लग जाएंगे और उन के आपस के ताल्लुकात खराब हो जायेंगे। इस लिए मैं इस हाउस को बतला देना चाहता हूं कि इस बिल के इस शक्ल में पास हो जाने से जिस में कि इसे पंजाबी region वाले पास करना चाहते हैं लोगों में Regions का सवाल पैदा हो जाएगा। अगर आप Presidential order को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उस के अन्दर यहां तक दिया हुआ है कि अगर एक चीज़ के लिए दोनों regions के लिए अलग २ बिल बना दिये जायें तो उन पर अलग २ अमल हो सकता है। उस के अन्दर इस बारे में कोई रुकावट नहीं है कि यह दोनों regions के लिए अलग न हों। अगर हिन्दी region के लिए यह हमारे वाला बिल पास कर दिया जाता तो इस से कोई पहाड़ न टूट जाता। वैसे भी अगर इस बिल की दोनों शक्लों को देखा जाए यानी हिन्दी और पंजाबी regions ने जिन शक्लों में इसे पास कर के भेजा है, तो मैं समझता हूं कि इसे जिस शक्ल में हिन्दी regional कमेटी ने पास कर के भेजा है वह बेहतर है और अगर यह पास कर दिया जाये तो इस से हरिजनों को और दूसरे गरीब मुज़ारों को ज़मीनें मिल जाएंगी जिन के लिए कांग्रेसी भाई बाहर बार बार कहते रहते हैं कि हरिजनों और बेज़मीने मुज़ारों को ज़मीनें मिलनी चाहिएं। लेकिन जब उन्हें ज़मीनें देने का वक्त आता है तो इन में से उन्हें कोई नहीं पूछता। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या करनाल के अन्दर, हिसार के अन्दर, रोहतक के अन्दर, यानी जितने भी जिले हरियाणे के अन्दर हैं उन सब के अन्दर कोई भी ऐसे आदमी नहीं हैं जिन को यह ज़मीनें दी जा सकें। यह सिर्फ जिला लुधियाना, ज़िला फिरोज़पुर और ज़िला अमृतसर के आदमियों को ही दी जा सकती हैं और उन्हें वहां ला कर बसाया जा सकता है,। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं अपने मुअज़िज़ वज़ीर ज्ञानी करतार सिंह, जिन के साथ मैंने Regional Formula के कायम करने में काम किया है, बताना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों ने यह formula इस लिए मंज़ूर किया था क्योंकि हम ने यह सोचा था कि इस के लागू हो जाने से हरियाणा हड़प होने से बच जायेगा। लेकिन स्पीकर साहिब, आज हम ने इस हाउस में जो कुछ होता देखा है उस से जो हमारी उम्मीद थी और जो उम्मीद हमारे यह मुअज़िज़ वज़ीर साहिब दिलाया करते थे उस पर पानी फेर दिया गया है और अब

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

हमें यह सोचना पड़ रहा है कि इस से हरियाणा का कोई भला नहीं हो सकता। जो पंजाबी region के 87 मैम्बरों की बहुगिनती से हिन्दी region पर अपना हुकम जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं और हिन्दी region वालों को यह कह रहे हैं कि अगर इन्होंने उन की बात मानी तो मानी, नहीं तो यह इन्हें दूसरे तरीके से मनायेंगे, यह किस असूल पर काम कर रहे हैं ? यह किसी जायज़ बात पर मबनी नहीं है। एक तरफ़ तो यह हमें कहते हैं कि ज्यादा अनाज उगाओ और दूसरी तरफ़ इस एक्ट में यह तरमीम ला रहे हैं कि इन ज़मीनों में Food grains की जगह any crop , कोई भी फसल उगा लो। जहां तक अनाज की पैदावार बढ़ाने का सवाल है इस के लिए यह निहायत ज़रूरी बात है कि इन ज़मीनों में अनाज के सिवा दूसरी फ़सलें पैदा करने की इजाज़त ही नहीं दी जानी चाहिए वरना यह काम पूरा नहीं हो सकेगा।

स्पीकर साहिब, जहां तक इन चीज़ों का ताल्लुक है मैं तो कहूंगा कि अगर हमारे साथ इसी किस्म का सलूक किया गया तो हमें यह ऐलान करना पड़ेगा कि पंजाब के अन्दर हरियाणा के लिए कोई जगह ही नहीं है, पंजाब के अन्दर हरियाणा के लोगों को कोई पूछता नहीं है और इस पर हमें मजबूर होकर यह आवाज़ उठानी पड़ेगी कि पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाए। हमें किसी सूरत में इस के साथ रहने में फायदा नहीं। जब ज्ञानी जी हमारे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करते रहें कि जब भी हिन्दी regional कमेटी एक चीज़ पास करे और पंजाबी region वाले अपनी majority के ज़ोर से, अपनी अकसरियत के बल बोते पर उसे कामयाब न होने दें, तो इस चीज़ को कोई भी पसन्द नहीं करता। हरियाणे का कोई भी मैम्बर इस चीज़ को पसन्द नहीं करता। अगर यही हालत रही तो, स्पीकर साहिब, हम किसी भी सूरत में पंजाब के अन्दर रहने को तैयार नहीं हैं। अगर ज्ञानी जी हमें इस तरह से दबा कर रखना चाहते हैं और अपने आदमियों को वहां बसाना चाहते हैं तो हम इस चीज़ को किसी सूरत में बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं। हरियाणे के आदमी खुददार हैं। इसलिए वह किसी सूरत में इस किस्म की बात को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। खसूसन वह यह बात कभी भी बरदाश्त नहीं कर सकेंगे जो इस बिल के अन्दर की जा रही है। स्पीकर साहिब, करोड़ों रुपये की ज़मीन जिला करनाल के अन्दर इस तरीके से छीनी जा रही है लेकिन उस पर वहां के लोगों को नहीं बसाया जा रहा बल्कि अमृतसर के लोगों को बसाया जा रहा है। पहले भी वहां पहाड़ के लोगों को बसाया गया है हम यह नहीं कहते कि उन को वहां ज़मीन क्यों दी गई हैं लेकिन वहां उस जिले के लोग भी तो रहने वाले हैं उन्हें यह क्यों नहीं दी जातीं ? उन का हक है। यह तो स्पीकर साहिब एक आम बात है कि जो चाहे कितना मेहनती हो, दूर से आएगा तो वह उतनी फ़सल पैदा नहीं कर सकेगा जो करीब का किसान कर सकता है। वह पास से ही बैल लाएगा, हल लाएगा और जल्दी काश्त कर सकेगा। जहां तक अनाज जल्दी पैदा करने का मसला है इस नज़रिए से भी यह ज़मीनें पास वाले किसानों को ही देनी चाहिएं। इसलिए जो तरमीम हिन्दी Region वालों ने की है वह पास होनी चाहिए। और यह जो बिल पंजाबी region वालों के हित का है बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। आखिर में.............

श्री अध्यक्ष : आप तो पुराने जाट महा सभाई हैं । (हंसी) । (The hon. Member is an old Jat Maha Sabhite) (*Laughter*).

चौधरी धर्म सिंह राठी : हम तो हर समय हरिजनों को ज़मीनें देते रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: आप कहां पहुंच गए । (The hon. Member is going wide of the mark).

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब जाट का दिल बड़ा होता है इसके दिल में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन अगर बड़ा भाई छोटे भाई से सब कुछ छीन ले तो जाट कैसे चुप बैठ सकता है ?

जब एक एक कुएं के लिए और पानी के एक एक ढोल पर और एक एक बीघे ज़मीन पर खून होता हो तो क्या हम इस तरह के ज़ुल्म पर खामोश बैठ सकते हैं ? हरियाना के लोगों पर यह बिल पास करके डाका डाला जा रहा है। हरियाना की ज़मीन छीन कर अगर पंजाबी रिजन वाले अपनी अक्सरियत के बल बोते पर काबिज़ होना चाहते हैं तो इसे किसी सूरत में भी हरियाना के लोग कबूल करने को तैयार नहीं। मैं इसके बारे में हकूमत को साफ़ अलफ़ाज़ में बता देना चाहता हूं कि अगर इस बिल को इसी तरह पास कर दिया गया तो हरियाना में वह आन्दोलन चलेगा जिसे पंजाब की कोई भी हकूमत नहीं रोक सकेगी और जिसका मुकाबिला कोई भी नहीं कर सकेगा। शायद हकूमत को इस बात का ख्याल हो कि फलां आन्दोलन दबा लिया, उस movement को खत्म कर दिया, लेकिन इस आन्दोलन को कोई दबा नहीं सकेगा । इन अल्फाज़ के साथ मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि वह इस बिल को बिल्कुल पास न करें। अगर यह बिल पास हो गया तो Punjabi Region और Hindi Region के अन्दर एक तफ़रीक पैदा हो जाएगी जो पंजाब के interest **में न** होगा ।

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) : साहिबे सदर, इस बिल के अन्दर एक बात का ख्याल नहीं रखा गया। मैं हिन्दी और पंजाबी रिजन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से पालिसी यह laydown की जा रही है कि किसी के पास 30 Standard Acres से ज़्यादा ज़मीन न हो लेकिन इस में भी हमारे पास कई ऐसी मिसालें हैं कि जहां किसी के छः लड़के हैं और उसके पास 600 बीघे ज़मीन है। गरीब किसान की 30 standard Acres से ज़्यादा को surplus declare कर दिया गया है। फिर दूसरी तरफ़ Tenancy Act है कि मुज़ारे के पास पांच एकड़ से ज़्यादा न हो। एक तरफ़ तो कल हम आचार्य विनोबा जी के पास जा रहे हैं और वहां हम कहेंगे कि हम भूदान के लिए मरने को तैयार हैं लेकिन दूसरी तरफ़ हम इस तरह के legislation को पास करना चाहते हैं। हिन्दी पंजाबी रिजन का सवाल छोड़ो। देखना तो यह है कि जो Utilization of land Act है इस से किस को लाभ होने जा रहा है। या तो यह कहा जाए कि यह ज़मीन छोटे जमीदारों को दी जाएगी या landless tenant को दी जाएगी तब तो ठीक

[चौधरी लहरी सिंह]
है। जो कुछ इसके बारे में चौधरी साहिब ने फरमाया है मैं उसके साथ बिल्कुल मुतफिक हूं। एक तरफ तो Central Government और कांग्रेस की हकूमत पंजाब में इस बात पर जोर दे रही है कि 30 standard Acres के ज्यादा न हो, 5 एकड़ से ज्यादा मुज़ारे के पास न हो और दूसरी तरफ यह कानून पास किया जा रहा है। इसमें जो inconsistency है उसे किस तरह दूर किया जाएगा ? यह दो मुखालिफ चीज़ें हैं। इस लिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि वह हाउस की तसल्ली करवा दे और facts and figures रखें कि जिनको ज़मीन दी जाएगी वह छोटे जमीदार होंगे या landless tenants ? इसके साथ यह साबत किया जाए कि वह ज़मीन लेने के मुस्तहिक हैं। अगर वह साबत न कर सकें तो इस बिल को पास नहीं करना चाहिए। लोगों को सरकार की तरफ से बताया जाना चाहिए कि सरकार की यह पालिसी है और हाउस में assurance दी जानी चाहिए कि ज़मीन उन आदमियों को देंगे जो छोटे ज़मीदार हैं। यहां Hindi Region का सवाल नहीं।

स्पीकर साहिब, एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो छोटे ज़मीदार हैं और landless मुज़ारे हैं उन को सरकार की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि वह फिक्र न करें उन्हें ज़मीन ज़रूर दी जाएगी। जनाब ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि काफी तादाद में मुज़ारे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अगर इन्हें ज़मीन न दी गई तो यह बड़े दुःख की बात होगी। फिर यह कहा गया है कि जहां Deputy Commissioner ने दफ़ा 3 के मातहत ज़मीन कब्ज़े में ले ली है वह किसी को भी allot कर दी जाए। यह एक आड़ है, बहाना है कुछ आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस बहाने से और जिस आड़ में utilization of land Act को ले रहे उस से इनके अपने किए हुए वायदे कि ज़मीन को landless tenants और छोटे छोटे ज़मीदारों को दिया जाएगा, ठुकराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन allot की जाए तो छोटे ज़मींदारों और Landless tenants को allot करनी ज़रूरी है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम किस मुंह से कल लोहारू जा कर यह कहेंगे कि पंजाब में हम landless tenants को क्या दे रहे हैं। बड़े अफ़सोस की बात है कि आपकी सरकार, Central Government और High Command की पालिसी को बालाएताक रख कर उन आदमियों को ज़मीन देने जा रही है जो न तो छोटे ज़मीदार हैं और न ही landless tenants हैं।

मैं इस सवाल को नहीं लेता कि पंजाबी रिजन के लोग हैं या हिन्दी रीजन के। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी फ़र्में हैं और Co-operative Societies हैं जिनके पास काफी जमीनें हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका गुज़ारा सिर्फ ज़मीन पर नहीं लेकिन उन्हें ज़मीन allot की जा रही है। उनका गुज़ारा दिल्ली में है, traders हैं या और कोई काम करते हैं। इन हालात के अन्दर मैं वज़ीर इन्चार्ज से अर्ज़ करूंगा कि इस बिल को इस शक्ल में पास कर देने से पब्लिक में बेचैनी पैदा हो जाएगी, unnecessary criticism शुरू हो जाएगा। इस तरह की criticism से बचने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ज़मीन

अलाट न की जाए जो trade में हो या मुलाज़मत में हो और जिनका गुज़ारा ज़मीन पर नहीं और ज़मीन landless tenants को allot की जाए। (एक आवाज़ : आप वोट किस तरफ़ देंगे?) मैं ने पहले भी वोट Hindi Region के लिए दी थी। आखिर हमें बोलने का अख्तियार तो है। यह बिल जो पास किया जा रहा है, यह Government की policy के खिलाफ़ है। हमने लोगों से कुछ वायदे किए हैं लेकिन उन्हें हम पूरा नहीं कर रहे। इस तरह की legislation पास करने के बाद हम श्री आचार्य जी के सामने किस तरह से जा रहे हैं ? मैं महसूस करता हूँ कि हमें इस तरह की legislation को at the cost of poor tenants पास नहीं करना चाहिए।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, इस हाउस में Punjab Utilization of Lands (Amendment) Bill ज़ेरे बहस है। इस बिल पर जो Hindi Regional Committee ने सिफ़ारिश की है वह भी विचाराधीन है। इसकी दो readings हो चुकी हैं और 3rd reading पर अब विचार हो रहा है। स्पीकर साहिब, जो recommendations Hindi Regional Committee ने इस बिल पर की है और जो संशोधन उन्होंने तजवीज़ किए हैं मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सब से पहली बात जिसकी सिफारिश की गई है वह यह है कि Parent Act में छ: फसलों का ज़िक्र था कि यदि कोई व्यक्ति छ: फसल न बोए तो उनकी ज़मीन काश्त के लिए acquire करके किसी और को पट्टे पर दी जा सकती है। इस में अब यह संशोधन लाया गया है कि छ: के स्थान चार फसलें कर दी जाएं। इस में एक तो यह तबदीली करने की सिफारिश है। (*Interruption*)

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर इस Amending Bill पर जो बातें कही गई हैं वह उचित न थी। ऐसी बातें आपस में फर्क डालने वाली हैं। यहां पर तो पंजाब की एकता का प्रश्न है। इसलिए जो acquired land हो वह ग़रीब ज़मींदारों को अपने हक से वंचित करके दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो वहां पर वर्षों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं जिन्होंने वहां पैसे लगाए हैं और जो अनाज अधिक पैदा करने के ज्यादा काबिल हैं उन्हें ही ज़मीन दी जानी चाहिए लेकिन इस संशोधन से, जो Amending Bill के रूप में हमारे सामने है, उन लोगों को इससे वंचित कर दिया जाएगा। यह उन पर इस प्रकार से जुलम होगा, अत्याचार होगा, इस बिल को आज support करने वाले कौन हैं ? यह वह लोग हैं जो भारत के संविधान को प्रस्तुत करने वाले हैं और यह वही हैं जिन्होंने कि 1947 के communal riots को encourage किया ? यह मित्र हैं जो पंजाब के अंदर आग लगाते फिरते रहे और आज इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं। यह जो पंजाब के अन्दर आज जिस तरह की बातें कर रहे हैं, यह जो पंजाब के अंदर फूट डालने वाले हैं, यहां पर भेदभाव पैदा करने वाले हैं। यह पंजाब के ही दुश्मन नहीं देश के दुश्मन हैं। यह लोग मंत्री पद पर विराजमान होकर अपने मंत्रीपद को बचाने के लिए बहुत सी बातें कह जाते

हैं ताकि इन की party की power बरकरार रहे। जब तक इस तरह की बातें खत्म नहीं होंगी उस वक्त तक इस बिल का असल मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस Bill को amend करने का भय था वह बदस्तूर जारी है। हमारी सरकार को यह देखना चाहिए था और अगर थोड़ा बहुत भी, इन के दिल में यह ख्याल होता तो यह ज़मीनें इलाके के बेज़मीने किसानों को देते। जो लोग पिछड़ी हुई जातियों से सम्बन्ध रखने वाले हैं, जिन को कि पंजाब के अलाभकर कहा जा सकता है यह बिल उन के लिए कदाचित भी लाभकारी नहीं है। मुझे यह कहने में ज़रा भर भी संकोच नहीं है कि इस के द्वारा सरकार एक खास किसम के लोगों को आगे लाना चाहती है। इस में और कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार यह फ़ायदा जागीरदारों और रजवाड़ों को ही पहुंचाये। आज जिस तरह सादगी से मंत्री महोदय बातें कर रहे हैं लेकिन ध्यान उन का किस तरफ़ है; इस बात को पंजाब में रहने वाले बखूबी जानते हैं। पंजाब में रहने वाला हर समझदार आदमी उन के कारनामों से बखूबी वाकिफ़ है। वह जानते हैं कि जब पंजाब का बटवारा हुआ था तो आप ने कहां कहां पर क्या क्या किया था। आज भी उनकी एक राजनैतिक मांग है जोकि बढ़ती जा रही है। इस तरह के ख्यालात के परिणाम और भी भयंकर रूप धारण करने वाले हैं। इसलिए स्पीकर साहिब इस किसम के जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं यह किसी भेद से खाली नहीं हैं। हमारा यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा कि जो बेज़मीन किसान रहते हैं या जिन के पास इतनी थोड़ी ज़मीन है कि मेहनत करने के बावजूद भी अपना पेट नहीं भर सकते और जो हमारे देश की अलाभकर जाति है या जिन की un-economic holdings हैं उन की मांग पूरी नहीं होगी। इस के इलावा आज फायदा वही उठा सकता है जिस के पीछे सरकारी अफ़सर हैं। उन की बात ही मानी जाती है जिन के कोई resources हैं। सचाई को कोई नहीं पूछता। जो लोग party in power से सम्बन्धित हैं उन को ही कोई लाभ हो सकता है। यहां तो यह देखा जाता है कि कौन कांग्रेसी है और कौन नहीं है। किस ज़िला का M.L.A. उन के साथ है और किस का नहीं। करनाल के ज़िला को कितना कम और लुधियाना के ज़िला को कितना बढ़ा करके हम ने दिया है। इसका अन्दाज़ा आप लगा सकते हैं। जो अलाभकर हैं उन को लूटा जाता है जो लाभकर हैं उन की जेबों को भरा जाता है। आज उन लोगों को ही ऊपर उठाया जाता है जो पहले से ही powerful हैं। हम चाहते हैं कि गांव के रहने वालों को पूरी पूरी facilities मिलनी चाहिए न कि उन पर और प्रतिबन्ध लगाये जायें। आज इस विधेयक के ज़रिए से इस किसम की provision की जा रही है कि हम ने किसी खास गांव के किसी खास आदमी को ही अधिकार देने हैं। स्पीकर साहिब, अगर उस इलाके तक ही यह अख्तियारात महदूद रखे जाते तो हमें कोई संकोच न था मगर आज इसे खास हद तक ही महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त Regional Committees बनी थीं हम ने उस वक्त कहा था कि यह एक अनधिकृत चेष्टा है। इस से हमारी इच्छायें पूरी नहीं होंगी। हम नैतिक तौर पर Regional Committees पर विश्वास नहीं रखते। हमें तो जनता ने इसलिए भेजा है कि हम इस House के अन्दर बैठ कर इस भेदभाव पूर्ण नीति की जड़ों को खोखला करें और ऐसी बातों को कामयाब

मत होने दें जिन के ज़रिये पंजाब के लोगों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के हाथों में शासन है इन के हाथों से ही पक्षपात की नीति चलती है। आज शासन उन लोगों के हाथों में है जो परले-दरजे के फ़िरका-परस्त हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें उसी संशोधन को मानना चाहिए जोकि हिन्दी Regional Committee ने प्रस्तुत किया है। दो reading में तो माना नहीं गया। मुझे आशा है कि ज्ञानी जी इस reading में इसे ज़रूर मान लेंगे। यह एक भलाई का काम है और यह लोक-हित की बात है, इसे छपाया नहीं जा सकता। इन्हें स्वीकार करना चाहिये। यह पंजाब की एक Regional Committee की मांग है।

श्री अध्यक्ष : इस लिए कि आप Regional Committees के बुनियादी तौर पर खिलाफ़ हैं। (हंसी)। (It is because he is fundamentally against the Regional Committees) (*Laughter*)

(*At this stage, some hon. Members including Giani Kartar Singh, Minister for Agriculture and Forests, rose to catch the eye of the hon. Speaker.*)

Mr. Speaker : Giani Ji, let some hon. Members speak on the Bill.

Minister for Agriculture and Forests Giani Kartar Singh) : Sir, I would like to intervene in the Debate. Of course, the Minister for Revenue will reply to the Debate.

Mr. Speaker : Yes.

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 3rd Reading ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3rd Reding ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕ ਕਲਮ ਉੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ

[ਫਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ]

practical ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ lecture ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ scope ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ food ਔਰ fodder ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ crops ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ Hindi Regional Committee ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ Bill ਦੇ scope ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।

Regional Formula ਵਿਚ 14 subjects ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ Regional subjects ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Agriculture ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ land lords ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ tenants ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ Assembly ਦੇ ਪਾਸ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Regional Committees ਦੇ subjects ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Agriculture ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, fertilizers ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਥੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ Regional ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ inter region ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ Region ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ Region ਵਿਚ ਵਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ clause bill ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ scope ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। Regional Committee ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ lease ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ Region ਤੇ ਵਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਖੋ ਵੱਖ provision ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ safeguard ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ merit demerit ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ law ਅਤੇ constitution ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ constitution ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ India ਦੀ constitution ਨੂੰ ਬਦਲਣ।

श्री अध्यक्ष : बहुत से मैम्बर साहिबान मुझे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हाउस एक घंटा पहिले adjourn कर दिया जाए क्योंकि बहुत लोगों ने किसी function पर जाना है। (A number of members have seen me and requested that today the House may be adjourned one hour earlier as they have to attend a certain function) (*Interruptions*).

एक आवाज : वह तो private function है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जिन्होंने जाना है चले जाएं। हाउस adjourn नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से यह एक precedent बन जाएगा। (All right, those who want to go, may go but the House will not be adjourned because in this way it will become a precedent).

माल मंत्री : Precedent तो पहले भी है।

श्री अध्यक्ष : House चलेगा मैं ने तो राय मांगी थी, otherwise I have no objection. (The proceedings of the House will continue. I just wanted the sense of the House for this otherwise I have no objection.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं समझता हूं कि अगर कोई खास आदमी पार्टी देता है या function करता है तो उस के लिए House adjourn करना ठीक नहीं। अगर इसकी इजाज़त दी जाती है तो फिर किसी खास पार्टी के लिए ही क्यों यह सब के लिए होनी चाहिए।

Chief Minister : Sir, may I say one thing ? If the House is adjourned earlier for that purpose, it would not look nice. I think the function can be held half an hour later than the scheduled time. This would not make much difference. So the House should proceed with its business and adjourn at the scheduled time. The dignity of the House must be maintained.

Mr. Speaker : I agree.

पण्डित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, आज हाउस में यह जो Bill आया है यह एक तरमीमी Bill है। देश आज़ाद होने के बाद हम ने पंजाब में यह महसूस किया कि बहुत सारी ज़मीन जो बेकार पड़ी है उस को काम में लाने का रास्ता निकाला जाए। चुनांचे Government ने एक कानून बनाया जिस के ज़रिए सरकार ने यह अख्तियार लिया कि जो uncultivated ज़मीन पड़ी हुई हैं उन्हें ले कर काबले काश्त बनाए। फिर उसके बाद Government ने यह महसूस किया कि इसमें कुछ तरमीम की जाए। चुनांचे इस Assembly में एक तरमीमी Bill आया और उस Bill को Regional Committees की राए लेने के लिए भेज दिया गया क्योंकि उस का खेती-बाड़ी से ताल्लुक था। स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब ने यहां कहा है कि उस Bill को Regional Committees के पास भेजने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उन की यह बात सुन कर बड़ी हैरानी हुई। सवाल यह है कि यह Regional Committees किस लिए बनाई गई थीं ? यह इस लिए बनाई गई थीं कि जो 14 Development के Departments हैं उनके काम को यह देखें। यह चीज़ उनके अख्तियार की है कि वह लोगों के अपने region के interest को safeguard करें। इसलिए

[पंडित श्री राम शर्मा]

इस बात को मद्देनज़र रखते हुए Hindi Regional Committee ने यह clause पास की थी। उन्होंने Assembly को परेशान करने के लिए या किसी और motive से यह बात नहीं की। स्पीकर साहिब, वह जो ज़मीन lease पर दी गई थी उन में Parent Act के मुताबिक Food और Fodder के सिवाए और कुछ काश्त नहीं किया जा सकता था मगर अब Government इस Act के section 3 में यह तरमीम करना चाहती थी कि वहां कोई भी फ़सल बोई जा सकती है। यह Bill जब Hindi Regional Committee को refer हुआ तो उन्होंने अपने इलाके के लोगों के मुफ़ाद को मद्देनज़र रखते हुए अपनी राए दी। अब अगर Government यह कहती है कि हम उस Committee की इस बात को नहीं मानते तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि वह Committee बनाई किस लिए गई थी ? अगर वह उन 14 Departments में अपने अपने ज़िलों के मुफ़ाद को देख नहीं सकती तो फिर उन को बनाने की क्या ज़रूरत थी? दोनों Regional Committees का यह फ़र्ज़ है कि जब उन के पास कोई Bill जाए तो उस को इस तरीके से पास करें जिस से उन के regions के लोगों को maximum फ़ायदा हो। इस लिए Hindi Regional Committee ने जो clause पास की है वह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर Government यह चाहती है कि ऐसा न हो और इसे अपनी majority के बल से रद कर दे तो फिर इस Bill को Regional Committee में भेजने का क्या फ़ायदा था। मैं समझता हूं कि Regional Formula आज खत्म हो चुका है। जिस मकसद के लिए वह बनाया गया था वह मकसद फ़ौत हो चुका है। हमारे जन संघी भाई कहते हैं कि Regional Formula को खत्म किया जाए। स्पीकर साहिब, पहले तो उन की यह कोशिश थी, मगर अब मैं समझता हूं कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोशिश करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे वज़ीर साहिब ज्ञानी जी और Government भी ऐसा ही चाहती है। स्पीकर साहिब, जब Regional Committees नहीं बनी थीं तो उस वक्त इस Act के ज़रिए Deputy Commissioners को यह अख्तियार दिए गए थे कि वह उन जमीनों को 20 साल के लिए किसी भी ऐसे आदमी को lease पर दे सकता है जो कि उन्हें काबले काश्त बनाए। जब Regional Formula बना और यह मौजूदा Ministry बनी तो उस के बाद Hindi Region वाले लोगों ने जो नई चीज़ देखी वह यह थी कि करनाल ज़िले की जो हज़ारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई थी उस को काबले काश्त बनाने के लिए वहां के Deputy Commissioner को उस Region में, उस ज़िले में और उस तहसील में कोई भी आदमी या agency इस काबिल नज़र नहीं आई। स्पीकर साहिब, मैं ज्यादा facts and figures तो नहीं जानता लेकिन अन्दाज़े से ही कह सकता हूं कि वह हज़ारों एकड़ ज़मीन जिन लोगों को दी गई है वह 97 प्रतिशत ज़िला Amritsar के या पंजाबी Region के रहने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस ज़मीन को काबले काश्त बनाने के लिए सिवाए Amritsar District के लोगों के या कुछ और आस पास के पंजाबी रिजन के आदमियों के और कोई वहां का आदमी नहीं मिल सकता था ? यह तो वैसी ही बात है जैसे राड़ेवाला साहिब ने कहा था कि बिजली का Board हम

ने ऐसा बनाया है कि उतने काबिल आदमी कहीं भी नहीं मिल सकते । इनकी बातें वही हैं जो अंग्रेज़ की हुआ करती थीं कि मुल्क आपका है लेकिन आप काबिल नहीं हो कि हकूमत चला सको और हम बहुत काबिल आदमी हैं इसलिए हम यह काम चला सकते हैं । जितनी भी अंग्रेजों की दलीलें थीं वह सारी आज ज्ञानी जी ने दी और आईन के protector भी बन गए कि यह खिलाफ़े आईन बात होगी और साथ ही रिजनल फ़ार्मूला के हामी भी हैं कि......

6.00 p.m.

जराअत तथा जंगलात मंत्री : On a point of order, Sir. मेरा point of order यह है कि क्या यह जायज़ है कि जब कोई बात इस हाउस में न कही गई हो तो कोई मैम्बर साहिब वैसे ही उसके मुताल्लिक कहता चला जाए । मैं ने यह नहीं कहा कि इधर के अच्छे हैं या उधर के ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने भी यह बात नहीं कही । मैं इस की background पर रौशनी डाल रहा था कि हिंदी रिजन के तमाम मैम्बर साहिबान ने बिला तमीज़ के कि वह कांग्रेस पार्टी का है या आपोज़ीशन का है, किस ज़िला का या किस तहसील का है, इस बात को महसूस किया कि यह जो अख्तियारात दिए गए हैं जिन के नतीजा के तौर पर regions बन चुके हैं, तब यह अमल और तरीका क्यों चले और यह क्यों कहा जाए कि बाहर के लोगों को लम्बे २ पटे दो ? क्या सारे रिजन के अन्दर और सारे ज़िलों के अन्दर कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जिस को यह पटा दिया जा सके ? ज्ञानी जी का सारा ज़ोर इसी बात पर रहा कि रिजन के अन्दर कोई आदमी नहीं मिलता जो इन जमीनों को काश्त करे । मैं यह नहीं कहता और न ही यह सवाल है कि यह ज़मीन हरिजनों को मिलनी चाहिए या ग़रीबों को मिलनी चाहिए बल्कि सवाल तो यह है कि इस ज़मीन को किस तरह काबिले काश्त बनाया जाए । मैं नहीं मानता कि हरिजनों के पास इन्फ़रादी तौर पर इतनी ताकत और सरमाया मौजूद है कि वह बग़ैर गवर्नमैण्ट की मदद के इन ज़मीनों को जो सालहा साल से बंजर पड़ी हैं, ज़ेरे काशत ला सकते हैं । इस में कोई शको शुबाह की गुन्जायश नहीं । इस लिये सवाल अमीर ग़रीब और छोटे बड़े का नहीं है । सवाल तो यह है कि हिन्दी रिजन के अन्दर जो ज़मीन बेकार पड़ी है उस को ज़ेरे काश्त लाने के लिये क्या तरीका अख्तियार करेंगे ? तरीका यह वही करेंगे जो इन्होंने पहिले किया हुआ है । इस में हमें कोई शक नहीं । हमें यकीन है कि D.C. को जो under section 3 अख्तियार मिला हुआ है कि.......

"..he may, for the purposes of growing any crop thereon, lease to any person.."

इस में 'any person' का मतलब हिन्दी रिजन के किसी आदमी से नहीं है क्योंकि जब तक यह Ministry कायम है, जब तक यह चीफ़ मिनिस्टर मौजूद हैं और ज्ञानी जी यहां कायम हैं इस 'any person' के मायने हिन्दी रिजन का कोई आदमी नहीं हो सकता । 'Any person' के मायने इस Ministry के मुताबक यही हैं कि जो पंजाबी रिजन का हो और उस में भी ज़िला अमृतसर का हो और उस की किसी खास constituency का हो । Deputy Commissioner करनाल को इस मामले में अगर खुला छोड़ दिया जाता तो मैं

[पंडित श्री राम शर्मा]

ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वह कभी भी इस तरह अमल न करता जैसे कि उस ने किया है। ज़िला करनाल में शुरू २ में इन लोगों को जो दूर दराज़ से ज़मीन बनाने आए हैं और इस में शक की गुन्जायश नहीं कि वे खासे बड़े ज़मींदार हैं, काफ़ी रुपया वाले हैं काफ़ी चलती वाले बारसूख हैं और हमारे रिजन के न हो कर किसी खास जगह के हैं, D.C. ने सात सात साल के लिए ज़मीन दे दी। कायदा जो बना है उस के मुताबिक D.C. 20 साल के लिए भी दे सकता है। राठी साहिब कहते हैं कि कुछ इन words की तबदीली हुई है कि 'not less than seven years and more than twenty years, मैं इस बात में नहीं जाता। मगर उस में ख्याल यह था कि 20 साल के लिए दे दी जाए। लेकिन वहां के D.C. ने उस के तहत सात सात साल के लिए ज़मीन दे दी और अपना discretion बरता। जब सात साल खत्म होने को आए तो फिर 20 साल के लिये यहां से pressure पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर D.C. का अपना discretion होता तो वहां का D.C. जो कम से कम उस region से ताल्लुक रखने वाला है और चाहे अफ़सरान में कोई खामियां हैं या नहीं लेकिन कम से कम उसे वहां के लोगों का दर्द होता और अगर चंडीगढ़ से pressure न पड़ता और इशारा न होता तो जो ज़मीन सात साल के लिये दी गई उस को फिर 20 साल के लिये न देता। मैं कहता हूं कि यह अफ़सरान का नाजायज़ इस्तेमाल है। D.C. को 20 साल तक देने का discretion है कि चाहे सात साल के लिये दे चाहे 20 साल के लिये। लेकिन अगर उसने discretion सात साल वाला इस्तेमाल किया तो कहते हैं कि नहीं अब बीस साल पूरे करो। तो फिर यह discretion कहां गया जो उसे है अगर वह उसे अपनी निगाह से इस्तेमाल नहीं कर सकता? वहां उस रिजन के लोग नहीं चाहते, ज़िलों के लोग नहीं चाहते और मैं यहां तक कहूंगा कि सरकारी लोगों ने भी यह नहीं कहा होगा कि वहां के लोगों की कीमत पर दूसरों को बुलाओ कि आकर explanation कर दें और वहां से कमा कर मज़े करने के लिये अपने घर वापस जाएं। लेकिन उन से यह सब कुछ under pressure करवाया जा रहा है। आखिर जब हिन्दी रिजन वालों को इस कारकरदगी का पता लग गया कि इस तरीके से गवर्नमैण्ट चल रही है और ज़मीनों को खेती के नीचे लाने के बहाने किस तरह और दूसरे काम कर रही तो Hindi Regional Committee ने इस बात को इत्तफ़ाक राए से पास किया। फिर हिन्दी के आईन का बड़ा ढोल पीटते हैं। लेकिन आईन में यह तो नहीं लिखा कि पंजाबी रिजन के लोगों को ही दो। आईन में तो सारे लोगों को हक दिया है। तो फिर मद्रासियों को दे दो। आसाम वालों को लाकर ज़मीन दे दो और आप तो अच्छे खासे internationalist भी बने हुए हैं इस लिए काफ़ी दुनिया भरी पड़ी है उन को ले आओ और कहो कि ज़मीन लो। आखिर कोई सोच समझ की बात कीजिए। फिर यह बड़ा शोर मचाया गया और इसी बात पर ज़ोर दिया गया कि ज़ैल रखा और गांव रखा है। तो इस में कौन सी बुरी बात है। ज़ैल गांव का मतलब है कि अगर नज़दीक कोई आदमी हों और ज़मीन चाहते हों तो उन को मौका दो। यह तो हर जगह होता है। जब आप इलैकशन के लिये टिकट देते हैं तो क्या आप इन सब बातों में नहीं

जाते कि कहां का रहने वाला है बग़ैरा २ ? लेकिन जब यह बात आई है तो बड़े आईन के आलम्बरदार बन गए । आईन में तो exploitation के खिलाफ़ भी provision दिया गया है कि कोई किसी को किसी जगह industry और खेती में भी exploit नहीं कर सकता। आईन में यह अख्तियार तो नहीं दे दिया है कि कमज़ोरों को रगड़ा जाए और जो ताक़तवर और मज़बूत आदमी हैं वह कमज़ोरों को exploit करें। यह भी हिन्दी रिजन की exploitation है जिसे हम बन्द करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि न सिर्फ़ constitution के हरफ़ों को देखा जाता है बल्कि उस की spirit को भी देखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि अगर एक जगह ज़मीन reclaim कर रहे हैं तो उस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो जो पास रहते हैं। इस लिये यह बात नहीं है कि Hindi Regional Committee को कोई इस बात में ज़िद्द आई है और किसी किसम का गुस्सा आया है। अगर ऐसी साबिका history होते हुए Hindi Rigional Committee ने इस तरमीमी बिल में अपनी तरमीम कर दी ताकि exploitation से अब तो निजात मिले तो इस ने अपने हक का सही इस्तेमाल किया है और justification की बात की है। मैं हाउस से कहता हूं कि अगर इस को मन्ज़ूर नहीं करते तो इस में तो हैरानी वाली बात नहीं और यह बात बिला शक ज़ाहर थी कि majority आप की है जो चाहे करें । लेकिन एक जवाब ज़रूर दें कि आखिर यह कमेटियां बनाईं क्यों अगर इन का काम यही था और इन का यही हशर होना था ? मुझे खुशी है कि जो आदमी पहिले अलग सूबे की बात करता था आखिर रिजनल फ़ारमूला की बात पर आ गया और अब तरक्की करते हुए उसे खत्म करने पर आ गया है। अच्छा ही हुआ कि उसी के हाथों इस का खात्मा होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ज्ञानी जी को रिजनल फ़ार्मूला suit करें तो ठीक है अगर हिन्दी रिजन वालों के फ़ायदे की कोई बात होती हो तो ठीक नहीं और तब constitution भी बीच में आ जाता है और दूसरी बातें भी आ जाती हैं । तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह मामूली बात नहीं है। बेशक आप अपनी बात को पास कर दें और बेशक हिन्दी रिजनल कमेटी की तरमीम को खत्म कर दें लेकिन रिजनल फ़ारमूला की spirit यह है कि अगर ऐसी किसी बात में इख्तलाफ़ हो तो उस का फ़ैसला गवर्नर साहिब करेंगे। अगर आप यह बदनामी लेने पर तुले हुए हैं कि हिन्दी रिजनल कमेटी की तजवीज़ और सिफ़ारिश को न माना जाए तो बेशक ऐसा कर लो। लेकिन जहां तक मैं इस फ़ारमूले को समझ सका हूं और अगर रिजनल फ़ार्मूला जैसी कोई चीज़ exist करती है तो उस में यह है कि अगर असैम्बली और कमेटी में कोई इख्तलाफ़ है तो उस के आखरी फ़ैसले का अख्तियार इस गवर्नमैण्ट को नहीं, गवर्नर को है। और यह हाउस इत्तफ़ाक राय से पास कर दे और अगर रिजनल कमेटी ने आकर अक्सरियत से कोई चीज़ पास की है तब भी यह मामला गवर्नर साहब के पास जायगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस तरह इस पर ग़ौर नहीं करेंगे कि वुज़रा साहिबान ने क्या कहा था और असैम्बली ने इसे किस तरह पास किया। जब वह यह रिजनल कमेटी बनी थी तो यह कोई शौकिया बात नहीं थी और clearly इस बात को proovision की गई थी कि कम-ज़-कम 14 महकमों में उन का पूरा

[पंडित श्री राम शर्मा]

दखल होगा और इन मामलों पर अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक होगा लेकिन आज हमें पता चला कि इन रिजनल कमेटियों की क्या पोजीशन है और हमें खुशी है कि ज्ञानी जी के सामने यह बात हो रही है जो कि पहले पंजाबी सूबा के हक में थे बाद में रिजनल फ़ार्मूला के हक में हुए लेकिन अब यह भी खत्म है। इस के मानी यह हैं कि आप अपनी मर्ज़ी और majority के सामने किसी तरमीम पर ग़ौर करने को तैयार नहीं और अगर गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो ज़ाहर है कि रिजनल कमेटियों का भविष्य क्या होगा। मेरी राय में तो रिजनल फ़ार्मूला कभी का मर चुका है और मैं समझता हूं कि जन संघी भाइयों को भी इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। इस लिए, स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि करनाल ज़िला में लाखों बीघे ज़मीन पहले सात सालों के लिये और फिर 20 सालों के लिए दी और इस का फ़ायदा उन लोगों को पहुंचाया जो उस इलाका में मुस्तकिल तौर पर बसना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं कि अगर उन को मुस्तकिल तौर पर वहां पर बसाने का मकसद हो तो हम इस पर एतराज़ न करें लेकिन इन का मकसद अंग्रेज़ की तरह है। अंग्रेज़ का मकसद हुकूमत करना और लोगों को exploit करना था। इसी तरह ये अमृतसर के लोग वहां पर हमेशा के लिये रहने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए और लोगों को exploit करने के लिए आए हैं और इन के लिए constitution और majority का सहारा ले कर यह बिल पास किया जा रहा है। इस लिये मैं यह कहता हूं कि यह बिल फ़ेल होना चाहिए। मैं इस बिल की बड़ी शिद्दत के साथ इस लिए भी मुखालफ़त करता हूं कि हिन्दी रिजनल कमेटी की तरमीम के बावजूद majority के ज़ोर पर इसे पास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहब, यहां भी जो इस बिल पर तकरीरें हुई हैं उन को मैं ने सुना है और इस से पहले जब हिन्दी रिजनल कमेटी में बिल पेश हुआ था वहां भी मैं ने सुनी थीं। मैं इस बिल पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि Land Utilization Bill का ताल्लुक एक ज़माना से जब यह बिल पास हुआ था हमारे साथ रहा है और इसे पास करने में मेरा कुछ हिस्सा है इस लिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब बटवारा हुआ तो मुसलमान भाई यहां से गए और हिन्दू और सिख भाई इधर आए तो उस वक्त उन को बसाने का सवाल पैदा हुआ और वह एक planned चीज़ थी। इस में असूल यह रखा गया था कि जहां पर ज्यादा ज़मीन वाले थे वहां ज्यादा ज़मीन वालों को बिठाया जाय और जहां छोटी ज़मीन वाले मुसलमान भाई थे वहां पर छोटी ज़मीन वालों को बसाया गया। लेकिन कुछ बड़ी ज़मीनों पर जैसे कि फिरोज़पुर के ज़िले में मिंटगुमरी से आने वाले छोटे ज़मींदारों को बिठाया गया क्योंकि थोड़ी ज़मीन वालों को ज़मीन देने का सवाल था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस में किसी किस्म का मज़हब का सवाल नहीं था। उस वक्त तो सवाल यह था कि लोगों को बसाया जाय और आज तमाम देश में यह कहा जाता है कि वह पंजाब ही था जो इस बरबादी को बरदाश्त कर गया, शान्त रहा और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया। इस की वजह यह थी कि पंजाबियों ने मेहनत और मुशक्कत की। उस वक्त हमारे सामने grow-more-food का सवाल आया। यह सवाल आया कि

ज़मीनों की खेती-बाड़ी ज्यादा की जाय। क्योंकि जो ज़मीन लोगों को मिली वह उसे पूरी तरह काश्त नहीं कर पाये थे इस लिये Land Utilization Act पास किया गया। अगर इस का मुद्दा किसी को निकाल कर किसी को बसाने का होता तो छः फ़सलों का नोटिस क्यों दिया जाता? जनाबे आली अगर निकालने की बात होती तो यह क्यों किया जाता कि दो रुपये एकड़ सिक्योरिटी दी जाय? मैं समझता हूं कि इस में यह कहना कि किसी खास इलाका के लोगों को बसाने की बात थी, ग़लत चीज़ है। यह बात उस वक्त किसी के दिमाग़ में नहीं आ सकती थी। मैं समझता हूं कि जिन भाइयों को ज़मीन दी गई वे उधर से आए थे और उन्होंने बहुत ज़ोर से grow-more-food का काम किया। यहां तक कि पंजाब, जो 1947 में एक deficit प्रान्त था 1949 में बराबर का हो गया और 1950 में surplus हो गया। इस की वजह यह थी कि इन भाइयों ने मेहनत की और हर आदमी जानता है कि हमारे ज़मींदार खासकर वे ज़मीदार जिन्होंने वैस्ट पंजाब में काम किया, मेहनती हैं। इस लिये उन की मेहनत का नतीजा था कि पंजाब एक surplus province हो गया। लेकिन जब यह देखा कि कई जगहों पर बहुत मुद्दत तक ज़मीन की काश्त नहीं होती (*Voices* : Sir, he is not relevant).

Mr. Speaker : It is for me to judge the relevancy.

वित्त मंत्री : उस ज़मीन को कुछ आदमियों के नाम allot भी किया लेकिन उन्होंने उस ज़मीन की काश्त न की। मैं समझता हूं कि ज़मीन उसे allot की जानी चाहिये जो खेती का काम आसानी से कर सकता हो। राठी साहिब की तकरीर को मैं ने सुना। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून पास हो गया तो हम बाज़ू पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि हम बरदाश्त नहीं करेंगे और हम अलग प्रान्त बनायेंगे। मैं हैरान हूं कि यह क्या अलग प्रान्त बनाने की बातें करते हैं। वह पंजाबी जो बरबाद हो कर यहां आया और जिस ने लड़ाई का नतीजा देखा और तकलीफ़ें बरदाश्त कीं क्या वह फिर ऐसी बात कह सकता है कि हम अलहदा हो जायेंगे? मैं यह नहीं समझ सका कि वह अपने बाज़ू के ज़ोर से करना क्या चाहते हैं? (Interruption by Chaudhri Dharam Singh Rathi) स्पीकर साहिब, मुझे बोलना पड़ता है और जिस वक्त राठी साहिब बैठे हों तो उन के लिये मैं red rag हो जाता हूं। वह फिर काबू में नहीं रहते और उन्हें control में रखने के लिये आप को तकलीफ़ होती है। आज हमें यह बात सुनाई जाती है। पंजाबी जिस ने बटवारे की सब तकलीफ़ों को बरदाश्त किया आज फिर separation की बातें करता है। क्या यह फ़ायदे की बात है? यह कहा जाता है कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे। अगर कोई आदमी लड़ना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? लेकिन उसे कौन अकलमंद कहेगा जो लड़ाई का नतीजा पहले देख चुका हो और आज तक इसी वजह से अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल न हो सका हो? हमारे Leader of the Opposition ने फ़रमाया कि Regional Committees को तोड़ दें। इस में रिजनल कमेटियों का क्या ताल्लुक है? अगर कायदा है कि गवर्नर साहिब फ़ैसला करेंगे तो ऐसा फ़ैसला गवर्नर साहिब ही कर सकते हैं। अगर ऐसा कायदा नहीं है तो फिर हर एक को हक हासिल है कि वह अपने २ रिजन के मुतअल्लिक सिफ़ारिशात करे।

[वित्त मंत्री]

दूसरे रिजन के मैम्बर इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। जो एतराज़ हो वह कानून के मुताबिक होना चाहिये। जो भाई इस हाउस में मैम्बर बन कर आये हैं वे किसी खास Constituency के मैम्बर नहीं बल्कि सारे हाउस के मैम्बर हैं। उन पर तमाम स्टेट की ज़िम्मेदारी है न कि सिर्फ़ उस Constituency की जहां से वह मुंतखिब हो कर आये हैं। हर एक Legislator को जो चीज़ें हाउस में आती हैं उन्हें सारी स्टेट के point of view से देखना होता है और फिर फ़ैसला करना होता है। सिर्फ़ अपनी २ Constituency की बात नहीं आनी चाहिये। फिर Constituency की बात भी हुई और threats भी दिये गये कि ऐसा हो जायेगा। ऐसे remarks नहीं कसने चाहियें कि majority अपनी ताकत के ज़ोर से यह करना चाहती है। क्या majority के rule में majority का फ़ैसला नहीं मानना चाहिये? Minority को बात करने का हक हासिल है लेकिन बाद में जो फ़ैसला होता है वह हाउस का फ़ैसला होता है और उसे हर एक मैम्बर को खाह वह किसी Constituency से ताल्लुक रखता हो, खाह वह किसी रीजन से ताल्लुक रखता हो—मानना पड़ता है। यह जो रिजन बने हैं यह administration के point of view से बने हैं। अगर administration को बरबाद करने के लिये कोई Regional Committee सोचती है तो उस से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर administration के बारे में किसी Regional Committee ने राये देनी है तो फिर उस तजवीज़ पर इस हाउस ने विचार करना होगा। इसी तरह से अगर कोई बिल Regional Committee को refer करने के बाद हाउस ने पास कर दिया तो फिर अगर उसी चीज़ की मुखालिफ़त की जाये और धमकियां दी जाएं तो इस से देश का फ़ायेदा नहीं होगा। अगर मैम्बर साहिबान इस तरह की तकरीरें कर के लोगों में सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें तो इस की ज़िम्मेदारी खास तौर पर पब्लिक के नुमाइंदों पर आयद होती है और कुछ साहिबान का ग़लत रवैया हमारे सब के लिये बदनामी का बाइस होगा।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, यह बिल Regional Committee से हो कर आया है। मैं आप को इस सिलसिले में States Reorganisation Commission की रिपोर्ट के सफ़ा 146 पर जो remarks किये गये हैं वह पढ़ कर सुनाता हूं। लिखा है—

> "There are no complaints from those sponsoring the movement for a Punjabi-Speaking State about economic or political exploitation of the Punjabi-speaking areas by the representatives of the so-called Hindi speaking region. If anything, the complaint is from the hilly areas and the Hariana tract."

मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि regions जो बने हैं उन की कई वजूहात हैं। राष्ट्र पुनर्गठन का मामला जब States Reorganisation Commission के सामने आया तो कहा गया कि पहाड़ी और हरियाना के इलाके के बारे में लोग समझते हैं कि उन्हें politically और economically exploit किया जाता है। यह जो East Punjab Utilisation of Land (Amendment) Bill हमारे

सामने आया है इस को अगर हम अच्छी तरह से देखें और इस सिलसिले में जो तकरीरें हुई हैं उन पर गौर करें तो मालूम होगा कि आज वही सवाल हमारे सामने दरपेश है कि आया exploitation हो रही है या नहीं हो रही। यह समझ लिया जाय कि ज़मीन मुस्तहिक लोगों को देनी हैं तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन शिकायत इस बात की है कि ज़मीन जिसे मर्ज़ी हो दी जाती है मुस्तहिक लोगों को नहीं दी जाती। जब यह बिल Hindi Regional Committee के सामने पेश हुआ तो उन्होंने इस पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बिल में तरमीम कर दी। उन का कहना है कि आखिर हम भी तो इस स्टेट का एक हिस्सा हैं, यह स्टेट एक है लेकिन इस के बावजूद जब ज़मीन तकसीम करने का सवाल आता है तो हमारे हकूक को नज़रंदाज़ किया जाता है। District Collector को ज़मीनें इस तरीके से allot करनी चाहियें जिस से हिंदी रीजन के लोगों के हकूक को धक्का न लगे। सिर्फ़ इस लिये उन्हें ज़मीन न दी जाए क्योंकि उन की आवाज़ नहीं यह इनसान से बईद बात है। जिस इलाके में वह ज़मीन है वहां के रहने वाले लोगों को preference दी जानी चाहिये। हिन्दी रीजन वालों ने यह नहीं कहा कि पंजाबी रीजन वालों को यह ज़मीन कदापि नहीं मिल सकती। जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक २ कर पीता है उन्होंने पहले जिस तरीका से ज़मीन तकसीम की है उसे देखते हुए यह कहा है कि preference हिंदी रीजन वालों को दी जाये। अगर पंजाबी रीजन का कोई deserving case है तो मैं समझता हूं कि उसे भूमि देने में कोई एतराज़ वाली बात नहीं। अगर इस बिल की उस clause की language को देखें जो गवर्नमैण्ट की तरफ़ से Regional Committee को भेजा गया था तो उस clause में लिखा है:

> "Where the Collector has taken possession of any land under section 3, he may for the purpose of growing any crop thereon, lease it to any person on such terms and conditions as he may think fit."

लेकिन हमारी रिजनल कमेटी ने इस तरह से तरमीम की है:

> "....he may lease it to landless tenants and small landowners possessing less than five acres, resident of the same zail in which the land is situated on the day when the land is taken into possession under section 3 of the Act and preference be given to the resident of the same village on such terms and conditions as he may think fit........"

मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे सामने दो मसले हैं। एक मसला यह है.....

(Shri Ram Chandra Comrade was still in possession of the House when it adjourned.)

The Sabha then adjourned till 8 a.m. on Tuesday, the 31st March, 1959.

ANNEXURE

(Please see foot-note at page (25)70 of this debate dated 30th March 1959)

REPRESENTATION REGARDING REDISTRIBUTION OF WARDS IN HISSAR TOWN.

1611. Shrimati Sneh Latta. Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether he has received any representation regarding the redistribution of wards for elections to Municipal Committee in Hissar Town ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Mohan Lal. Yes, a representation, dated 14th January, 1959, was received from Shri Mahesh Chander of Bazar Sarafan, Hissar. In view, however, of the fact that the last date for such representation was the 1st November, 1958, and fresh elections to Hissar Municipal Committee were to be held on 26.2.59 no action on the representation was deemed necessary.

STEEL QUOTAS FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL IMPLEMENTS

1612. Maulvi Abdul Ghani Dar. Will the Minister for Agriculture and Forest be pleased to state the quantities of steel quotas given for manufacturing agricultural implements to each of the districts in the State and to each of the tehsils in the Jullundur District during the year 1955-56 to 1958-59 annually.

Giani Kartar Singh. A statement is attached.

Statement showing the quantity of Iron and Steel given to the fabricators for manufacturing agricultural implements in the State

Name of District		Iron and Steel issued during the years			
		1955-56 (Tons)	1956-57 (Tons)	1957-58 (Tons)	1958-59 (Tons)
1. Hissar	..	6	37	23	28
2. Gurgaon	..	59	135	126	68
3. Karnal	..	138	300	573	483
4. Rohtak	..	180	130	603	465
5. Simla	..	..	..	..	..
6. Ambala	..	47	91	184	126
7. Kangra	..	4	60	30	4.16 Cwt.
8. Hoshiarpur	..	136	331	486	283
9. Jullundur	..	1,540	910	311	1,480
10. Ludhiana	..	50	121	254	261
11. Ferozepur	..	21	37	94	142
12. Amritsar	..	25	142	217	271
13. Gurdaspur	..	237	228	430	345
14. Patiala	..	Not available	13	397	241
15. Kapurthala	..	Ditto	47	177	179
16. Sangrur	..	Ditto	30	190	248
17. Bhatinda	..	Nil	2	10	..
18. Mohindergarh	..	Do	..	..	..

Details of the Iron and Steel given for manufacturing implements tehsil-wise in Jullundur District

Name of Tehsil		Years (Figures in tons)			
		1955-56	1956-57	1957-58	1958-59
1. Jullundur Tehsil	..	930	575	193	943
2. Nakodar Tehsil	..	308	180	62	257
3. Phillaur Tehsil	..	190	95	26	112
4. Nawanshahr Tehsil	..	112	60	30	168

6183 PVS—347 C. P., & S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

31st March, 1959

Volume I—No. 26

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 31st March, 1959.

P.T.O.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959

Price Rs. 6.25 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 26, DATED THE 31ST MARCH, 1959.

Read	*for*	*on page*	*line*
Makhan Singh	M khan Singh	(26)5	12th from below
Dera Baba	Dorababa	(26)10	3
Jullundur	Jul under	(26)16	21
Inspectors	Inspectors o	(26)25	23
arise	arse	(26)30	2
the	th	(26)30	3rd from below
no	not	(26)31	14
6. Karnal	Karnal	(26)41	6th from below
Food	Foad	(26)44	first
delete the word 'On'		(26)50	6th from below, col.4
Vidhan	Vidh n	(26)52	Heading
Kuldip Chand	Kudip Chand	(26)61	24
essential	es ential	(26)72	20
ਪਜਾਬ ਵਿਚ ਆ	ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਿਚ	(26)82	15
the	th	(26)90	17
ਮੰਤ੍ਰੀ	ਮੰਤ੍ਰਾ	(26)96	1
speak	speake	(26)101	21
ਵਿਰੋਧੀ	ਵਿਰਧੀ	(26)117	15
ਗਾਜਰਾਂ	ਗਜਰਾਂ	(26)123	11

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 31*st March*, 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10. *Chandigarh Capital at* 8.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Sardar Gurdial Singh Dhillon*) *in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PLANTATION OF TREES IN THE STATE

***3124. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total number of new trees planted by Government annually during the years from 1952-53 to 1958-59 in the State district-wise together with the expenditure incurred thereon;

(b) the total number of such trees in the State as on 31st March, 1952 and 31st December, 1958, separately.

Sardar Partap Singh Kairon :

(a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) 18,96,296 on 31st March, 1952.
2,06,68,119 on 31st December, 1958

[Chief Minister]

Name of the District		1952-53		1953-54		1954-55	
		No. of trees planted	Expenditure incurred	No. of trees planted	Expenditure incurred	No. of trees planted	Expenditure incurred
			Rs		Rs		Rs
1. Hoshiarpur	..	424,759	14,893	386,242	9,627	256,789	7,299
2. Ambala	..	283,395	9,076	141,360	6,500	1,600,40	8,372
3. Sangrur	..	37,856	8,908	185,216	31,873	186,553	37,559
4. Bhatinda	..	40,521	Nil	39,254	Nil	58,417	Nil
5. Mahendragarh	..	Not available	Nil	7,000	13,994	47,680	24,560
6. Ludhiana	..	125,813	1,059	172,707	1,563	183,251	3,447
7. Jullundur	..	103,996	1,192	169,119	1,601	165,654	2,700
8. Ferozepur	..	18,877	Nil	32,625	1,888	55,663	9,804
9. Kapurthala	..	21,968	749	39,217	3,142	56,628	12,683
10. Amritsar	..	476,126	1,922	601,172	9,791	456,024	2,528
11. Gurdaspur	..	68,866	2,133	794,764	4,169	51,120	1,680
12. Kangra	..	486,777	15,794	10,21,007	24,954	721,682	21,830
13. Gurgaon	..	90,702	1,987	34,341	1,241	32,945	308
14. Patiala	..	311,832	15,566	1,179,777	84,902	896,756	2,34,110
15. Karnal	..	268,076	13,374	167,192	1,218	160,629	7,700
16. Rohtak	..	18,285	20,031	2,756	17,624	3,840	17,827
17. Hissar	..	4,771	85	3,425	102	5,248	188
18. Simla	..	41,038	1,400	30,450	1,100	28,650	946

Name of the District	1955-56		1956-57		1957-58		1958-59	
	No. of trees planted	Expenditure incurred	No. of trees planted	Expenditure incurred	No. of trees planted	Expenditure incurred	No. of trees planted	Expenditure incurred
		Rs		Rs		Rs		Rs
1. Hoshiarpur ..	148,686	6,497	187,906	10,559	180,670	10,978	127,739	13,634
2. Ambala ..	187,384	10,682	202,799	10,381	247,073	10,233	26,765	1,121
3. Sangrur ..	166,267	21,269	288,966	2,44,510	200,483	87,296	341,945	34,743
4. Bhatinda ..	50,934	Nil	28,109	1,950	30,805	12,340	48,366	18,230
5. Mahendragarh ..	146,928	61,822	98,435	46,321	3,680	Nil	73,106	4,944
6. Ludhiana ..	156,400	1,645	163,780	1,733	79,207	6,940	89,804	2,433
7. Jullundur ..	85,331	410	13,829	494	187,408	333	70,674	1,301
8. Ferozepur ..	70,091	32,060	52,598	20,625	96,309	45,625	230,860	80,521
9. Kapurthala ..	44,086	1,420	49,700	7,974	32,250	2,718	16,772	1,256
10. Amritsar ..	490,430	82,608	865,185	9,369	188,195	14,586	29,541	..
11. Gurdaspur ..	125,784	32,032	232,233	49,937	123,556	26,530	30,882	..
12. Kangra ..	319,333	24,931	734,239	31,485	681,083	44,463	178,272	9,880
13. Gurgaon ..	57,450	1,377	90,333	2,327	97,412	1,573	78,793	1,904
14. Patiala ..	1,363,546	1,05,305	873,301	1,87,631	1,783,906	3,97,167	1,078,522	49,427
15. Karnal ..	271,003	4,830	283,358	1,01,992	489,964	1,07,590	598,660	133,776
16. Rohtak ..	7,878	16,286	7,375	17,613	9,475	28,874	11,866	22,667
17. Hissar ..	6,280	174	3,674	108	6,226	2,685	86,455	22,950
18. Simla ..	13,227	496	27,970	1,038	36,905	1,210	25,030	850

PURCHASE OF SEED FARMS BY GOVERNMENT IN AMRITSAR DISTRICT

***3651. Shri Balram Dass Tandon:** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether all the seed farms purchased by Government are situated within the area of the development blocks for which they were purchased; if not, the details of such farms, together with the reasons for purchasing them away from the block areas;

(b) whether any enquiry was held by the Deputy Commissioner, Amritsar, into the desirability of purchasing seed farms in Ajnala Tehsil, if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No. As suitable land within the price of Rs 1,000 per acre, fixed by Government during the year 1957-58 was not available in the Blocks, the land for the following seed farms had to be purchased outside the Block areas—

Name of the farm	No. of farms in term of 25 acres each	Name of Block to be served by the farm
1. Seed Farm, Mananwala	2	(i) Rayya (ii) Tarsikka
2. Seed Farm, Dial Bharang	1	Majitha
3. Seed Farm, Kullah ..	2	(i) Bhikhiwind (ii) Valtoha

(b) Information will be supplied later on.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, section B का जवाब आज भी नहीं बताया जा रहा । वैसे तो यह Question तीन चार बार postpone हो चुका है। मगर अब भी मुझे विश्वास है कि अगर यह सवाल फिर पूछा गया तो भी इस का जवाब नहीं आयेगा ।

मुख्य मंत्री : इस का जवाब एक हफता के अंदर दे दिया जायेगा ।

श्री बलराम दास टंडन : जनाब स्पीकर साहिब, पिछली दफा भी मैं ने political sufferers के मुतअल्लिक एक सवाल किया था Chief Minister साहिब ने इस का जवाब देने का वादा किया था मगर अभी तक जवाब नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : कौन से political sufferers के बारे में आप ने पूछा था (About which political sufferers did the hon. Member enquired.)

श्री बलराम दास टंडन : जनाब, मैं ने सवाल किया है कि अमृतसर District के अंदर किन किन political sufferers को pensions दी गई हैं और क्या उन की political services थीं ? जनाब यह हमें बताया नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि यह एक लंबी चौड़ी list थी जो Table पर रखी गई थी । (I think it was a long list which was placed on the Table.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब इसी तरह की मुझे शिकायत है। मेरे एक सवाल का जवाब मुझे अभी दो मिंट पहले मिला है। आप बतायें कि मैं इस पर इतनी जल्दी क्या supplementary कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आप को मिल ही गया है। (Anyhow, the hon. Member has got the reply.)

CIRCLE PANCHAYAT SECRETARIES

***3760. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) the number and names of the Circle Panchayat Secretaries, if any, removed from service in the year 1958;

(b) whether all the dues on account of pay of the said officials have since been paid to them; if not, the reasons for non-payment together with the time by which these are expected to be paid ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Ten. Their names are as follows —

Sarvshri Kishori Lal , Sohan Lal, Daryao Singh, Kartar Nath, Sadhu Singh, Amar Nath, Harbans Singh, Puran Singh, Mkhan Singh and Kanwal Singh.

(b) Only two officials, namely, Shri Kishori Lal and Shri Kanwal Singh had yet to be paid their dues . Shri Kishori Lal's two months' pay has been with held which will be paid as soon as he produces the requisite no demand certificate from the Panchayat concerned.

Shri Kanwal Singh's claim of pay is under investigation and will be settled shortly.

Sardar Umrao Singh : May I know whether the Panchayat Secretaries are Government servants and they are paid from the Government treasury?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

Note:—For starred question No. 3756 and its reply see annexure 'A' at the end of this debate.

ALLOTMENT OF FAIR PRICE GRAIN DEPOT TO MULTI-PURPOSE CO-OPERATIVE SOCIETIES IN TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

*3737. **Comrade Muni Lal :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) with reference to the reply to starred question No. 677 printed in the list of starred questions for 17th June, 1957 whether the special audit report referred to therein has been received by Government, if so when , and a copy of the report be laid on the Table;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the action if any, taken on the irregularities pointed out in the said audit report ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes, the special audit report was received on 20th January, 1958. *A copy of the same is placed on the Table of the House.

(b) On receipt of audit report, it was felt necessary to bring the Society under winding up orders. The liquidator took charge of the affairs of the society on 25th June, 1958. Since his appointment Rs 1,643.21 nP. have been recovered from the members against whom dues were outstanding. Some of the members have started civil litigation with the result that liquidation proceedings have been much retarded. However, the liquidator is taking action against all the persons who are at fault.

CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIES AND SERVICE CO-OPERATIVE IN THE STATE

*872. **Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state the total number of Co-operative Farming Societies and Service/ Co-operatives in the State, at present together with the total area under cultivation of each of them ?

Sardar Gurbanta Singh : The total number of Co-operative Farming Societies in the State on 31st December, 1958 was 548, and the area under their cultivation 1,23,284 acres. The number of Service co-operatives, including Co-operative Credit Societies on 31st December, 1958 was 16,645. As these Co-operatives provide services to their members, they had no area under their direct cultivation.

SUB-REGISTRARS

*3685. **Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of posts of Sub-Registrars in the State before Honorary Sub-Registrars were appointed, and the total income monthly of each, district-wise ?

Rao Birendar Singh (a) **ninty-three** (including one Hony: Sub-Registrar at Malaud and one whole time paid sub-Registrar at Amritsar).

(b) It is not possible to collect the requisite information for want of the particulars of the month for which the information is needed.

*Kept in the the library

श्री बलराम दास टंडन : जनाब, मेरा यह जो सवाल है यह substantially change हो कर आ गया है। मैं ने इस के बारे में बहुत कुछ लिखा था मगर यह substantially change हो कर आया है। This is what I wanted to bring to your kind notice.

श्री अध्यक्ष : इस के change करने की खास reasons हैं। (There are special reasons for effecting changes in the question. It is the discretion of the Speaker, to delete a part of the question, which has already been answered.)

Shri Balram Dass Tandon : What are these reasons for which this part of the question has been deleted.

श्री अध्यक्ष : यह आप office से पूछें (The hon. Member may enquire from the office about this.)

TOURS BY MINISTERS

***3156. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state the names of places visited by the Ministers, Deputy Ministers and Chief Parliamentary Secretary separately during the period from July, 1958 to date?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information, is laid on the Table.

Statement showing the places visited by Ministers/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary.

Serial No.	Name	Designation	Name of month	Places visited
1	S. Partap Singh Kairon	Chief Minister	July, 1958	Khokhsar, Sissu, Gendhla, Kyelang, Khokhsar, Manali (Kangra) Madhopur, Delhi, Gobindgarh, Jullundur, Amritsar, Chabal, Jullundur, Pathankot, Srinagar.
			August-1958	Sringar, Pathankot, Amritsar, Tarn Taran, Amritsar, Jullundur, Yamunanagar, Nangal, Simla, Tatoghal (Sangrur dt) Ambala, Patiala, Ambala, Amritsar (Private visit) Delhi, Baba Bakala, Ludhiana, Nanaksar (Private visit).
			September, 1958	Patiala, (Private visit) Patiala, Delhi (Private visit), Rohtak, Delhi, Batala, Doraha, Delhi, Hodal, Neemka, Delhi, Ambala Cantt. Panjour.
			October, 1958	Jullundur, Amritsar, Tur (distt. Amritsar), Mubarikpur, Patiala, Jullundur, Patiala, Ambala, Delhi, Jullundur and Amritsar (Private visit) Delhi-Hyderabad Dn. (Private visit) Jugiana, Amritsar.
			November, 1958	Delhi, Rohtak, Chhuchakwas (distt. Rohtak), Delhi, Dulehar (distt. Hoshiarpur) Hoshia pur, Mona Kalan (District Hoshiarpur) Mubarikpur, Delhi, Patiala (Private visit) Jullundur, Delhi, Amritsar, Jandiala Guru, Kairon, Amritsar, Delhi, Simbhauli (U.P.), Delhi.
			December, 1958	Pataudi, Karnal, Jullundur, Shankar, Sidhwan Khurd, Ludhiana, Hathur, Moga, Delhi, Jhajjar, Delhi, Khanna (Private visit) Hoshiarpur, Gagret Moga (Private visit) Ambala Cantt, Amritsar, Tarn Taran, Amritsar, Ambala, Smalkha, Delhi, Gohana.
			January, 1959 (upto14th January, 59	Patiala (Private visit) Gilana(Karnal distt), Dauhla (Karnal Distt) Delhi-Nagpur (Private visit), Bagser (distt. Bhatinda).
2	Dr. Gopi Chand Bhargava	Finance Minister ..	July, 1958	Ferozepore, Patiala, Jullundur, Harsamansa, Narot-Mehra, Adampur Doaba, New Delhi, Chander Nagar, Pinjore, Simla Anand Bhawan on Chail Road, New Delhi, Poona

			August, 1958	Barnala, Jullundur, Amritsar, Jandiala Guru, Ambala. Karnal, Kailash, Patti, Kalyana, Jullunuur, Ludhiana, Moga, Mehna, Ajitwal, Dhudike, Malaud, Manuka, Ambala, Patti Kalyana, Jind, Patiala, Ambala Cantt, New Delhi, Patiala, Jagadhri, Panipat, Loharu
			September, 1958	Ambala Cantt. Patiala, Ferozepore, Patiala, Nilokheri, New Delhi, Sohana, Ghansiare, Nuh, Gurgaon.
			October, 1958	Durgapur, Patiala, Ambala Cantt, New Delhi, Rewari, Kund, Ambala Cantt., Samalkha, Varanasi
			November, 1958	New Delhi, Patti, Kalyana, Ambala Cantt, Sonepat, Adampur Doaba, Jullundur City, Patiala, Rohtak, Loharu, Jullundur City, Hissar, Sirsa, Fazilka, Ferozepore .
			December, 1958	Pinjore-Adampur, Doaba, Gagret, Hoshiarpur, Moga, Faridkot, Ludhiana, Patiala. Ambala, Patiala, Jind, New Delhi, Rewari, Bawal, Panipat, Nilokheri, Jullundur, Amritar, Patiala
			January, 1959	Ambala Cantt, Hissar, Jullundur, Nurpur, Raja Talab, Kotla, Kuthera, Ludhiana, Malerkotla, Adampur Doaba, Mahalpur, Nangal.
3	Shri Mohan Lal ..	Industries and Local Government Minister	July, 1958	Amritsar to Chandigarh, Chandigarh-Delhi-Hodal-Delhi. Delhi-Gurgaon-Delhi. Delhi-Pipli, Jagadhri-Pipli. Pipli-Chandigarh, Chandigarh-Jullunuur-Aliwal. Aliwal-Fatehgarh-Churian-Aliwal-Qadian-Aliwal, Aliwal-Amritsar-Chandigarh, Chandigarh Malerkotla, Malerkotla-Sangrur-Chandigarh, Chandigarh Kurali-Chandigarh, Chandigarh, Ludhiana-Chandigarh, Chandigarh-Nangal, Nangal-Chandigarh.
			August, 1958 ..	Chandigarh-Batala, Batala-Madhopur-Batala, Batala-Chandigarh, Chandigarh, Jullundur-Batala, Batala-Pathankot-Narot Jaimal Singh-Batala, Batala-Pathankot, Pathankot-Dalhousie, Dalhousie, Dalhousie-Chandigarh, Chandigarh-Delhi, Halt at Delhi, Delhi-Chandigarh.
			September, 1958	Chandigarh-Sonepat, Sonepat-Delhi, Delhi-Chandigarh, Chandigarh-Rajpura-Chandigarh, Chandigarh-Chhapar-Bahadargarh-Ahmedgarh Nabha Halt at Nabha, Nabha-Chandigarh , Chandigarh-Simla. Halt at Simla, Simla-Chandigarh, Chandigarh-Dhariwal-Pathankot,

[Chief Minister]

Serial No.	Name	Designation	Name of month	Places visited
3	Shri Mohan Lal—*concld*	Industries and Local Government Minister	October, 1958	Pathankot-Batala, Batala-Fatehgarh, Churian-Batala, Batala-Dera Baba Nanak-Batala-Chandigarh, Chandigarh-Ambala Cantt-Chandigarh, Chandigarh-Zira-Jullundur, Jullundur-Kapurthala, Jullundur, Jullundur-Kapurthala-Jullundur, Jullundur-Kapurthala-Jullundur, Jullundur-Moga Kotkapura-Muktsar-Abohar, Abohar-Mateli Mandi-Gobirndgarh-Abonar-khui Kheri-Fazilka, Fazilka-Jalalabad-Ferozepore, Feozepore-Khai-Ferozepore-Mudki-Ferozepore, Chandigarh. Chandigarh-Delhi-Halt at Delhi, Delhi-Chandigarh.
			November, 1958	Chandigarh-Delhi-Bhiwani, Bhiwani-Dadri, Dadri-Delhi, Halt at Delhi, Delhi-Chandigarh, Chandigarh-Delhi, Delhi-Chandigarh, Chandigarh-Ambala Cantt-Chandigarh, Chandigarh-Amritsar, Amritsar-V. Mahia, Amritsar.
			December, 1958	Amritsar-Tarn Taran-Amritsar, Amritsar-Jandiala-Phagwara-Chandigarh Chandigarh-Batala, Batala-Kangra-Jawalamukhi- Jawalamukhi-V. Khundian-Jawalamukhi-Kangra, Kangra-Tanda-Nagrota-Bagnon-Dharamsala-Dharamsala-Batala, Batala-Gurdsapur-Batala, Batala-V., Thatta-Batala-Chandigarh, Chandigarh-Delhi, Delhi-Chandigarh, Chandigarh-Delhi, Delhi-Rohtak-Delhi, Halt at Delhi, Delhi-Faridabad-Delhi, Chandigarh.
			Jan. 1959	Chandigarh-Patiala, Patiala-Delhi-Faridabad-Delhi, Delhi-V. Kablana-Delhi. Delhi-Panipat-Karnal-Ambala-Chandigarh, Chandigarh-Ludhiana-Jullundur, Ju'lundur-Amritsar, Amritsar-Batala-Gurdaspur-Pathankot-Amritsar, Amritsar-Ferozepore-Moga-Chandigarh, Chandigarh-Ambala-Jullundur. Jullundur-Amritsar, Amritsar-Chandigarh, Chandigarh-Hoshiarpur Jullundur-Chandigarh, Chandigarh-Ganguwal, Ganguwal-Chandigarh-Ferozepore, Ferozepore-Muktsar, Malout, Malout-Dabwali-Sirsa-Hissar, Halt at Hissar, Hissar-Hansi-Safidon-Chandigarh, Chandigarh-Delhi, Halt at Delhi, Delhi at Ambala Cantt-Chandigarh.
4	Giani Kartar Singh	Agriculture and Forest Minister	July, 1958	Moga, Ferozepore, Patiala, Patiala, Chandigarh, Jagadhri, Jagadhri to Malikpur and back, Jagadhri to Hathani Kund and back, Jagadhri to Ambala. Patiala, Nabha and Chandigarh, Ludhiana and Patiala, Patiala to Chandigarh, Jullundur, Hoshiarpur, Pathankot, Gurdaspur, Dabwali, Moga, Moga to Chandigarh, Panjore, Patiala to Nabha, Sangrur, Sangrur, Bhatinda, Raman Mandi, Ludhiana, Amritsar, Amritsar Chandigarh, Amritsar-Pathankot, Patiala, Jullundur, Ludhiana, Patiala, Rajpura, Nabha, Patiala, Patiala to Chandigarh, Amritsar.

			Aug., 1958	Amritsar, Barnala, Ludhiana, Amritsar, Jandiala, Chandigarh, Delhi, Karnal, Patiala, Dhugowal, Ferozepore, Ferozepore, Patti, Amritsar, Moga to Chandigarh, Patiala, Phagwara, Hoshiarpur, Jullundur, Jullundur, Chandigarh, Delhi, Delhi, Dabwali, Abohar, Hanumangarh, Abohar, Delhi, Chandigarh, Patiala, Yamunanagar, Tajewala, Ludhiana, Bhogpur, Jullundur.
			Sept., 1958	Jullundur, Chandigarh, Patiala, Patiala, Patiala, Faridkot, Ferozepore, Hoshiarpur, Kandhal Jattan, Chandigarh, Patiala and back, Patiala Chandigarh, Jullundur, Chandigarh, Bhatinda, Jassi, Bagh, Dabwali, Chandigarh, Mussoorie, Halt, Chandigarh, Patiala, Jagraon, Chandigarh.
			Oct., 1958	Jullundur, Tanda, Tanda, Jullundur, Tanda Dasuya, Pathankot, Shri Harbogind pur, Amritsar, Najibad, Jagadhri, Chandigarh, Patiala, Chandigarh, Tanda, Tanda, Chandigarh, Amritsar , Delhi, Delhi, Karnal, Hoshiarpur, Pathankot, Nurpur, Baijnath, Kulu, Manali, Palampur, Dharamsala, Hoshiarpur, Chandigarh, Patiala.
			Nov., 1958	Chandigarh, Balachaur, Ludhiana, Chandigarh, Karnal, Jagadhri, Jullundur, Moga, Ferozepore, Dharamkot, Sangrur, Amritsar, Amritsar, Chandigarh, Surajpur, Patiala, Bhadran, Karnal, Gurgaon Delhi, Delhi, Jagadhri,Kapal Mochan, Chandigarh, Patiala, Parola.
			Dec., 1958	Chandigarh, Jagadhri, and back, Patiala, Rupar, Chandigarh, Moga, Dabwali, Ferozepore, Faridkot, Abohar, Malout, Muktsar, Faridkot, Moga Chandigarh, Panjore, Tarn Taran, Gurdaspur, Ghalu Ghara and back. Pathankot, Hoshairpur, Hoshiarpur, Tanda Dasuya, Dasuya, Ambala, Patiala, Patiala, Balachaur, Ludhiana and back, Jullundur, Patiala, Chamkaur Sahib, Patiala, Ludhiana, Abohar, Patiala, Hoshiarpur, Dasuya, Rajpura, Jandbari, Jullundur, Dasuya, Chandigarh.
5	Shri Gian Singh Rarewala	Irrigation and Power Minister	July, 1958	Ferozepore, Dhilwan, Kapurthala, Gojra, Patiala Delhi, Pinjore, Chakwal, Nangal, Jyotisar.
			Aug. 1958	Amritsar, Morinda, Nangal , Dalhousie, Madhopur, Amritsar, Moga, Khuranj, Ganda Kheri, Patiala, Dadri, Delhi, Nangal.
			Sept., 1958	Nangal, Patiala, Patiala, Patti Kalayan, Ramgarh, Chapara, Delhi.
			Oct., 1958	Patiala, Faridkot, Ludhiana, Goh, Ambala Cantt., Patiala, Delhi, Jogindernagar, Kulu, Manali, Baijnath.

[Chief Minister]

Serial No.	Name	Designation	Name of month	Places visited
5	Shri Gian Singh Rarawala—*concld*	Irrigation and Power Minister	Nov., 1958	Nabha, Delhi, Sangrur, Amritsar, Patiala, Nangal.
			Dec., 1958	Delhi, Nangal, Anandpur, Sahib, Phara, Batala, Jullundur, Shankar, Ludhiana, Phagwara, Sangrur, Thui Ghabadi, Nangal.
			Jan., 1959	Sangrur, Bakhatgarh, Delhi, Hissar, Pátiala, Nagpur, Bombay, Nangal, Jaipur, Ludhiana, Dhangerian, Phagwara, Dosehj, Doraha, Sirhind.
6	Shri Amar Nath Vidyalankar	Education and Labour Minister	July, 1958	Patiala, Madhopur, Gurdaspur, Dhariwal, Jullundur, Hoshiarpur, Khad, Panjwar, Una, Nangal, Kharar, Ludhiana, Simla, Sabatu, Kurali, Ambala, Delhi, V. Chatala, near Sonepat, Chail, Sakeri and Kalhog, (Teh. Kandaghat).
			Aug., 1958	Thanesar, Yamunanagar, Ambala Cantt., Amritsar, Delhi, Rohtak, Sonepat, Ambala City, Moga, Simla, Tara Devi, Tutu, Patti Kalyana, Gurgaon, Patli, Bawal, Pataudi, Piranpura, Faridbad.
			Sept., 1958	Patiala, Simla, Ambala Cantt., Dhri, Patti, Kalyana, Ranipat, Yamunangar, Delhi, Sohna, Ghasera, Nuh.
			Octo., 1958	Patiala, Ludhiana, Amritsar, Bhatinda, Mubarikpur, Ambala, Delhi, Hissar, Jullundur, Mukerian, V. Dhin, Bombay.
			Nov., 1958	Hoshiarpur, Ambala Cantt., Patiala, Bhiwani, Mullana, Sonepat, Loharu, Gopal, Mochan.
			Dec., 1958	Simla, Gurdaspur, Batala, Jullundur, V. Kahlman (near Kapurthala), Khewa, Sidhwan, Kapurthala, Delhi, Patiala, Faridkot.
			Jan., 1959	Madras, Jagadhri, Manikpur and Ambala.
7	Shri Gurbanta Singh	Health and Panchayats Minister	July, 1958	Samana (Distt. Patiala) Bilga, Madhopur, Jullundur, Delhi, Karnal, Amritsar, Kapurthala, Chail, and Simla.
			Aug., 1958	Sangrur, to Ambala Cantt., Barnala, Jullundur, Ferozepore, and Nangal.

			Sept., 1958	Amritsar, Jullundur, Karnal, Delhi, Pundri, Ahmednagar, Ajnala and Patiala.
			Oct., 1958	Amritsar, Kalka, Nagar, Jullundur and Delhi.
			Nov., 1958	Dharampur, Jullundur, Amritsar, Dehlon, Ferozepore, Birj-Hanumangarh, Bhatinda and Ludhiana.
			Feb., 1959 (upto 9th)	Jullundur
8	Shri Birendar Singh	Revenue Minister	July, 1958 to 2nd. Feb. 1958	Amritsar, Rewari, V. Koll (Distt., Karnal), Bhatinda, V. Sangat (Bhatinda), Sonepat, Rohtak, Narnaul, Mohindergarh, Dadri, Hissar, Ambala, Ludhiana, Jagraon, Ferozepore, Fazilka, Malout, Kandaghat, Gurgaon, Delhi, Sirsa, Palwal, Nabha, Jabli (near Kalka), Ballabgarh, Hodal, Nuh, Bahu Jholri, (Gurgaon), Jhajjar, Pataudi, V. Rai (Sonepat), V. Cheeka (Karnal), Goraya, Tarn Taran, Sirhali (Amritsar), Karnal, Kund (Gurgaon), Jahazgarh (Rohtak), Kansala (Rohtak).
9	Shri Suraj Mal ..	Public Works Minister	July, 1958 to Jan., 1959	Manali, Jogindernagar, Amritsar, Pinjore Gardens, Kasauli, Dharampur, Patiala, Hissar via Tohana, Hansi, , Jind, Rupar, Simla, Delhi, Sonepat, Nangal, Rohtak, Karnal, Darjeeling, Calcutta, Bareilly, Ambala Canatt. Jullundur, Ludhiana, Samrala, Paniyat, Narwana, Anta Via Jind Safidon, Hansi via Khandakheri, Rajthal, Narnaund, Ranakheri via. Dob Babu Jamalpur Sanghi, Issapur, Kheri, Rewari, Dhob, Machhgarh. Gurgaon, via Badanpur, Nuh, Panipat, via Mairas Aulana Bali, Qutabpur, Ugrakheri, Ferozepore City, Fazilka, Abohar, Malout Mandi, Gopal, Mochan, Ambala City, Thol, Jhansa, Pehowa, Guhla, Kaithal, Khewar, Ram Rai, Puthi, Suman, Dhanana, Bhiwani, Loharu, Jhojju, Dadri, Bhiwani Via/Toshan Bhawani, Kheri Hansi, Fatehabad, Bahuna, Bahrota, Jhajjar, Nahar, Bagwatipur, Farmana, Dhuri via Nabha Malerkotla, Banghauri, Budhlada, via Mansa, Bhikhi, Sunam, Bhattu, Ludesar, Sirsa Sangria, Chautala, Mirchpur, Nilokheri, Kheri, Moonak, Chank, Bachhuana, Jaipur, Bharatpur, Hodal, Dhudike, Via Moga, Ferozepore, Bhalwan, Ranike, Bhatinda, Teona, Pujarian , Lalian Wali.
10	Shri Yashwant Rai	Deputy Minister Local Govt.	July, 1958	Patiala, Patiala, Nabha, Hamira, Panipat, Karnal, Ludhiana, Jullundur, Ludhiana, Jullundur, Hoshiarpur, Jullundur.
			Aug., 1958	Rajpura, Ludhiana, Jagraon, Moga, Doraha, Ludhiana and Jagraon, Jagraon Ludhiana.

[Chief Minister]

Serial No.	Name	Designation	Name of month	Places visited
10—1 CONCLD	Shri Yeshwant Rai—concld	Deputy Minister Local Government concld	Sept., 1958	Patiala, Jagraon, Ludhiana, Jagraon, Karnal, Delhi, Palwal and back Delhi, Jullundur.
			Oct., 1958	Jullundur, Jagraon, Ludhiana, Ludhiana, Delhi, Rewari, and Dadri, Delhi, Mukerian.
			Nov., 1958	Ludhiana, Samrala, Phagwara, Delhi, Ludhiana, Dharamkot, Jagraon, Kapurthala, Patiala, Ludhiana, Kotkapura, Jagraon, Kartarpur, Amritsar.
			Dec., 1958	Palampur, Pathankot, Jullundur, Jagraon, Ludhiana, Lichiara, Pathankot Jullundur.
11	Dr. Parkash Kaur	Deputy Minister, Social Welfare and Health	July, 1958	Jullundur, Amrisar, Ludhiana.
			Aug., 1958	Dalhousie, Amritsar, Ludhiana, Nurmahal, Moga, Bhakra.
			Sept., 1958	Amritsar, Delhi, Madhopur, Dalhousie, Ferozepore, Jagraon, Ludhiana.
			Oct., 1958	Amritsar, Fatehgarh, Churian, Gursar Sadhar, Delhi, Narnaul, Mohindergarh, Jullundur, Pathankot, Dharamsala, Churkari.
			Nov., 1958	Amritsar, Ludhiana, Karnal, Phillaur, Patiala, Samrala.
			Dec., 1958	Ludhiana, Patiala, Amritsar.
			Jan., 1959	Amritsar, Shillong, Darjeeling and Calcutta.
12	Shri Dalbir Singh	Deputy Minister Irrigation and Power	July, 1958	Hissar, Hansi, Rohtak, Kandaghat, Chail, Simla and Kurali.
			Aug., 1958	Patiala, Kaithal (Private) Rajaund (Private) Delhi, Hissar, Hansi, Delhi, Gurgaon, Karnal.
			Sept., 1958	Sonepat, Delhi, Jagadrhi, Delhi and Ballabgarh.

			Oct., 1958	Hansi, Kasauli, Sirsa, Delhi, Faridabad.
			Nov., 1958	Rohtak, Madina, Hissar, Delhi, Patiala, Hissar.
			Dec., 1958	Ludhiana, Amritsar, Narwana, Khamano, Samalkha, Hissar, Khandakheri Mundhal.
			Jan., 1959	Dohala, Hissar, Hansi, Delhi, Nagpur (Private) Delhi, Hissar, Mokhara, Rohtak, Ferozepore, Hissar, Hansi.
13	Shri Banarsi Dass	Dy. Minister Jails	July, 1958	Khokhsar, Sissu, Gondhla, Keylong, Manali, Pathankot, Simla, Ambala Shahabad Markanda, Karnal, Delhi.
			Aug. ,1958	Delhi, Thanesar, Ambala Cantt., Jullundur, Isru. Ludhiana, Phagwara, Rohtak, Sonepat, Karnal, Rasina, Bahadurgarh, Bastara, Panipat, Asan, Sonepat, Akbarpur, Berota.
			Sept., 1958	Karnal, Thanesar, Radaur, Ladwa, Dabkolikalan, Kalka, Pinjore, Barnala Sangrur, Ambala, Pandori, Kaithal, Rajund, Ludhiana, Chaprar. Phagwara, Kapurthala, Dhilwan.
			Oct., 1958	Gurgaon, Bhatinda, Rampuraphul, Tapa, Bhuchho, Sangat, Rama, Sangrur, Simla, Ambala, Thanesar, Jondpur, Beri, Rohtak, Delhi.
			Nov.,1958	Jullundur, Nakodar, Nawanshahr, Gobindgarh, Banur, Amritsar, Rayya, Jandala, Patti, Tarn Taran, verka, Khemkaran, Bir Baba Budha Sahib, Ramdas, Ajnala Bhaga, Asurpura, Attari, Ramtirath, Sarbha, Ludhiana, Ambala, Thanesar, Karnal, Ladwa, Radaur, Jumnnaagar, Fatehagarh Sahib.
			Dec., 1958	Ludhiana, Sunam, Thanesar, Alahar, Jathlana, Bhereri, Sandhali, Ladwa, Karnal, Pundri, Sanch, Narwana, Faridkot, Bhagapurana, Gholia Ghurd, Ambala Cantt, Jullundur, Smalkha, Panipat.
			Jan., 1959	Ambala City, Ambala Cantt., Ismailabad, Nangal, Baknaur, Karnal, Panipat, Jagadhri, Yamunanagar, Raduar, Ladwa, Thanesar, Rohtak, Majra, Dubaldhan, Pipli, Sonepat, Jatheri, Akbarpur Barot, Bhera, Sambhali, Ludhiana, Dadri, Mahendragarh, Narnaul, Ratgal, Devidaspur, Umri, Sarsma, Mathana Untheri, Khairi, Khera, Bhagrat, Taktam Babain.

[Chief Minister]

Serial No.	Name	Designation	Name of month	Place visited
14 .	Shri Partap Singh	Deputy Minister Forests	July, 1958	Palampur, Dharamsala, Barog.
			Aug., 1958	Jullundur, Barot, Dharamsala, Jawalamukhi, Hoshiarpur, Salera, Makhan-garh.
			Sept., 1958	Talwara, Mussoorie, Dehra Dun, Yamuna Nagar, Pinjore,
			Oct., 1958	Kangra, Palampur, Chadhiar, Jawala, Ambala, Madhopur, Sakri, Malikpur Khadra, Kapurthala, Phillaur.
			Nov. ,1958	Hoshairpur, Hajipur, Sarina, Makerin, Anni, Brau, Rampur Bushahr, Palam-pur, Kangra, Deol, Amloh, Nabha, Hoshiarpur, Paddi Sura Singh, Sujanpur Tira, Bharauli, Delhi, Gurgaon.
			Dec., 1958	Patiala, Panipat.
			Jan., 1959	Dera Gopipur, Rani Tal, Dharamsala, Palampur, Ludhiana, Patiala, Una, Chalola, Chowki Maniar, Swari, Amritsar, Delhi, Sohna, Nurpur.
15	Shri Harbans Lal	Dy. Minister Edu-cation	July, 1958	Ferozepore, Patiala, Rupar, Delhi, Khanna, Kalianwali, Rampura Phul, Kot Kapura, Bhatinda, Jind, Nabha, Narnaul, Ambala, Sangrur,
			Aug. ,1958 in connection with Pad Yatra	Patiala , Barnala, Cheema (Sangrur) Bhatinda, Villages Nathana Phoola, —Poohli, Ganga, Giddar, Nathpura, Bhucho Kalan, Bhucho Khurd, Kahan-—Singhwala, Mehna Bibiwala Gobindpura, Joganand, Alampur (Mansa) —Gonian Har Raipur, Bhokra, Sangauna, Kalyan Sukha, Bajuana, Patti Gil, Rohtak, Dujana, Delhi, Kapurthala, Jullundur.
			Sep., 1958	Kamalpur (Jagraon) Delhi, Patiala, Ludhiana, Phagwara,
			Oct., 1958	Bhatinda, Sangrur, Patiala, Ambala, Mubarkpur, Delhi, Kharar.
		6	Nov., 1958	Rajpura, Jarot, Ambala Ludhiana, Village Sihi, Sujanpur, Gurdaspur, Patiala, Ambala, Naraingarh, Jallera, Panipat, Vill, Ahar, Jagraon.

			Dec., 1958	Rupar, Patiala, Simla, Ludhiana, Bhatinda, Tungwali, Lehra, Mohabbat, Faridkot, Pakka, Dhulkot, Ferozepore, Jallabad, Fazilka, Khoi Khera, Amboher, Moga, Malerkotla, Behma Diwana.
			Jan., 1959	Bhatinda, Karnal, Gharauna, Madras, Hoshripur, Dasuya, Jullundur Patiala, Bikhi in (Ludhiana Distt) Baddi, Manipur, Gujjarhatti, Nalagarh, Jagon.
16	Shri Hans Raj Sharma	Chief Parliamentary Secretary	July, 1958	Simla.
			Aug., 1958	Phagwara, Villages in Phagwara Tehsil, Patiala, Ferozepore, Delhi, Bharo Mazara Zail, Jullundur District.
			Sept., 1958	Bhatinda, Patiala, Sultanpur, Nangal, Delhi, Nalagarh.
			Oct., 1958	Phagwara, Patiala, Jullundur, Phagwara, Jullundur, Sabathu, Uchana Mandi Patiala, Ambala, Karnala, Karnal, Rohtak, Delhi, Gurgaon.
			Nov., 1958	Amritsar, Naushehra Pannuan (Distt., Amritsar). Fetehgarh Churian (Distt., Gurdaspur), Phagwara, Rehana Jattan Panchhat, Nasirabad Manak, Atholi, Nangal, Majja, Ranipur, Pandori, Bhalath, Mauli, Bhanoki Gandam Hardaspur villages in Phagwara Tehsil. Palahi, Rawalpindi, Lakhpur, Delhi, Patiala, Jullundur, Jawalamukhi, Dharamsala, Palampur, Kulu, Manali, Kulu, Pathankot.
			Dec., 1958	Jhajjar, Delhi Jullundur, Phagwara, Jagadhri, Phagwara, Delhi, Ambala, Ludhiana, , Ambala, Phagwara.
			Jan., 1959	Malerkotla, Delhi, Nagpur, Delhi, Sonepat, Ambala, Khanna, Phagwara, Jullundur, Nangal, Dullewala (Distt. Bhatinda) Phagwara, Kapurthala, Phagwara.
			Feb., 1959	Sohna (Distt. Gurgaon) Hodal and Faridabad (Disrict Gurgaon), Delhi.

MAINTENANCE OF RAJ BHAWAN AND BUNGALOWS OF MINISTERS

*3157. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state the expenditure incurred on the maintenance of the Raj Bhawan, Bungalows of the Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretary respectively during the years 1955-56, 1956-57, 1957-58 and 1958-59 together with the number of servants kept in each of the said bungalows during the said period ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Statement showing expenditure incurred on the maintenance of Raj Bhawan Bungalows of Ministers, Deputy Ministers and Chief Parliamentary Secretary during the years 1955-56, 1956-57, 1957-58 and 1958-59

Serial No.	Particulars of residence	Expenditure during			
		1955-56	1956-57	1957-58	1958-59 (uptodate)
1	Raj Bhawan ..	3,100.00	15,269.00	28,958.81	22,471.87
2	Ministers' Residences ..	14,355.00	16,222.00	21,486.76	18,272.09
3	Deputy Ministers' residences ..	..	11,25.00	27,24.12	23,91.15
4	Chief Parliamentary Secretary residence ..	460.00	458.00	485.00	445.00

Notes—(1) The expenditure also includes maintenance of Lawn and Hedges.

—(2) Except for the residence of the Chief Parliamentary Secretary, one chaukidar and one Mali provided for each Minister's and Deputy Minister's residence.

—(3) The Chief Parliamentary Secretary has been provided with a residential bungalow on payment of rent.

SHIFTING OF TAILORING CENTRE FROM DORAHA MANDI TO SANGRUR

*3974. **Sardar Pritam Singh Sahoke :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Tailoring Centre was first shifted from Sangrur to Doraha Mandi sometimes back and then shifted back to Sangrur;

(b) the period for which the said Centre was run at Doraha;

(c) the expenditure incurred on the shifting referred to in part (a) above ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

CASES OF DACOITIES ETC. REGISTERED IN THE STATE

*3155. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the total number of cases of misappropriation, theft, bribery, fraud, black marketing, abduction and rape registered in the State district-wise, during the year 1955-56 and 1958-59 together with the percentage of cases in which convictions took place;

(b) the percentage of cases out of those referred to in part (a) above in which conviction was upheld by the High Court ?

Sardar Partap Singh Kairon :(a) A statement showing the total number of cases of misappropriation, theft , bribery , fraud , black marketing, abduction and rape registered in the State districtwise, during the years 1955-56 and 1958-59 together with the percentage of cases in which convictions took place, is laid on the table.

(b) A statement showing the percentage of cases out of those referred to in part (a) above in which conviction was upheld by the High Court, is also laid on the table.

STATEMENT

DISTRICT	MIS-APPROPRIATION				THEFT				BRIBERY				FRAUD	
	1955-56		1958-59		1955-56		1958-59		1955-56		1958-59		1955-56	
	(A)	(B)	(B)	(A)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
Hissar ..	19	15.8	26	11.5	319	28.5	285	21.7	6	50.0	9	11	29	58.6
Rohtak ..	..	..	..	..	219	39.2	229	25.7	6	33.3	9	..	12	41.6
Gurgaon ..	11	27.3	18	11.1	311	29.9	269	21.1	1	..	3	..	13	30.7
Karnal	34	44.0	22	13.6	432	30.7	342	22.0	6	16.6	10	10.0	42	28.5
Ambala ..	60	35.0	36	13.8	608	23.6	514	22.1	13	..	11	..	57	21.0
Simla ..	6	50.0	3	..	65	33.8	50	42.0	..	..	..	..	4	100.0
Kangra ..	7	28.6	17	29.4	114	35.9	89	16.8	3	33.3	3	..	14	57.1
Hoshiarpur	23	39.1	37	..	175	33.1	181	19.3	5	40.0	11	..	17	29.4
Jullundur ..	37	24.3	50	27.6	499	25.2	639	26.7	8	100.0	3	33.3	49	36.7
Ludhiana ..	17	41.2	23	24.4	302	38.4	362	29.1	7	28.6	12	18.3	23	26.1
Amritsar ..	34	23.5	43	23.3	703	27.9	398	24.9	13	30.7	16	..	41	29.3
Ferozepore ..	26	61.5	16	..	389	29.6	306	13.1	14	14.3	15	..	46	23.9
Gurdaspur ..	29	44.8	26	3.8	294	28.2	191	13.09	15	26.7	5	20.0	28	25.0
Patiala ..	37	13.5	33	6.0	393	23.9	279	21.0	7	43.0	85	..	21	52.0
Sangrur ..	26	38.4	22	9.0	234	17.2	357	14.0	16	37.5	24	41.0	20	20.0
Bhatinda ..	28	10.7	15	..	252	35.7	131	22.0	..	30.0	10	10.0	42	23.8
Kapurthala ..	4	66.6	8	..	57	82.8	47	91.6	..	..	..	..	..	..
Narnaul ..	18	27.7	2	..	35	20.0	42	14.3	1	100.0	5	..	3	..

[Chief Minister]

District	1958-59		BLACK-MARKETING 1955-56		1958-59		ABDUCTION 1955-56		1958-59		RAPE 1955-56		1958-59	
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
Hissar	12	8.3	..	..	..	..	20	35.0	17	11.7	19	26.3	8	..
Rohtak	11	36.3	..	..	1	..	12	50.0	8	12.5	16	56.2	3	..
Gurgaon	13	7.7	..	..	..	..	8	37.5	16	6.2	2	100.0	5	..
Karnal	24	8.3	..	..	..	..	24	20.8	14	7.1	13	69.2	8	..
Ambala	27	..	..	..	..	..	62	16.1	32	6.0	22	40.9	10	20.0
Simla	2	..	..	..	..	..	4	50.0	1	..	1	..	..	..
Kangra	6	16.7	..	..	3	..	14	28.6	15	..	6	16.7	6	16.7
Hoshiarpur	13	..	..	..	..	..	17	35.3	11	..	6	66.6	7	..
Jullundur	77	19.7	..	..	..	..	37	24.3	42	34.1	24	34.1	18	27.7
Ludhiana	30	16.6	..	..	..	..	24	37.5	21	9.5	8	12.5	12	16.6
Amritsar	32	25.0	..	..	..	..	47	31.9	26	3.9	19	42.1	15	6.7
Ferozepore	20	10.0	..	..	..	..	38	21.1	17	..	44	48.6	17	..
Gurdaspur	28	25.0	..	..	6	60.0	30	16.7	26	..	15	60.0	6.3	
Patiala	35	8.5	..	..	..	..	14	21.4	29	3	..	40.0	8	..
Sangrur	22	9.0	1	100.0	1	..	15	6.6	18	5.5	6	50.0	12	..
Bhatinda	7	57.1	..	..	3	33.3	24	29.2	19	10.5	19	42.1	6	16.7
Kapurthala	..	..	..	..	..	..	10	33.3	7		2	..	7	..
Narnaul	..	..	..	..	67	62.7	1	100.0	2	..	5	40.0	1	100.0

"(A)"——No. of cases registered. "(B)"——Percentage to registered cases in which conviction took place.

Police Department **Appendix 'B'**

(c) District	MIS-APPROPRIATION 1955-56 (A)	(B)	(C)	1958-59 (A)	(B)	(C)	THEFT 1955-56 (A)	(B)	(C)	1958-59 (A)	(B)	(C)	BRIBERY 1955-56 (A)	(B)	(C)	1958-59 (A)	(B)	(C)
Hissar	..	..	..	..	..	..	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rohtak	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Karnal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	50.0	..	..	..	..	..	..
Ambala	3	2	66.6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Simla	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kangra	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Jullundur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	50.0
Ludhiana	3	3	100.0	1*	..	..	7	7	100.0	4*	..	..	2	1	50.0	1*	..	..
Ferozepore	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Amritsar	6	4	66.7	8	6	75.0	71	51	71.8	28	21	75.0	2	..	..	..	..	..
Gurdaspur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	25.0	..	..	..
Patiala	..	..	..	..	..	..	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sangrur	2	2	100.0	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..
Bhatinda	1	1	100.0	1		..	9	6	66.6	16	12	75.0	..	..	..	..	..	..
Kapurthala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Narnaul	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(A) ——No. of cases referred to High Court. (B) ——No. of cases in which conviction was upheld by the High Court.
(c) ——Percentage of cases in which conviction was upheld by the High Court.

[Chief Minister]

C.I.D. Punjab.

District	FRAUD						BLACK-MARKETING						ACDUCTION						RAPE					
	1955-56			1958-59			1955-56			1958-59			1955-56			1958-59			1955-56			1958-59		
	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Hissar	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rohtak	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	5	5	100.0	..	..	..
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Karnal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	50.0	..	..	..
Ambala	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	40.0	2	..	..	2	..	..	..	..	..
Simla	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kangra	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Jullundur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	1	33.3
Ludhiana	2	2	100.0	2*	..	..	..	..	..	..	..	..	6	6	100.0	..	..		1	1	100.0	*1	..	..
Ferozepore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..
Amritsar	11	9	81.8	5	2	40.0	..	..	..	..	..	..	13	3	61.5	..	..	..	6	4	66.7	1	..	
Gurdaspur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	100.0	..	..	..	4	2	50.0	..	..	..
Patiala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sangrur	1	1	100.0	2	1	50.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1*	..	..
Bhatinda	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	100.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kapurthala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Narnaul	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

*The cases referred to High Court, but still pending trial.

INSTRUCTION REGARDING ENLISTING POLICE OFFICIALS ON PROMOTION LISTS

***3586. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to State:—

(a) whether the Inspector-General of Police issued any circular letters to the Deputy Inspectors General and Superintendents of Police in the State in 1956, that all officiating A.S.I.s S.I.s and Inspectors of Police should not be put on the promotion list, if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : PART I.—No such Instructions were issued in 1956. In December, 1955 instructions were, however, issued to all Deputy Inspectors-General of Police and Superintendents of Police of the erstwhile Punjab State that the pre-partition rules and restrictions in the matter of selection of officers in the Intermediate and Upper School courses should be reverted to and enforced forthwith. These instructions inter-alia required that only confirmed Assistant Sub-Inspectors be considered for and admitted to Upper School and similarly that only confirmed Assistant Sub- Inspectors be admitted to list 'E'.

A copy of these instructions was sent in November, 1956 to the Deputy Inspector General of Police, Patiala Range and the Superintendents of Police in that Range after the merger of of Pepsu with the Punjab. No instructions regarding the promotion of Sub-Inspectors to list 'F' and that of Inspectors o to list 'G' for which normally confirmed hands are considered were issued.

Part II.—After partition a large number of vacancies occurred in the ranks of Assistant Sub-Inspector and Sub-Inspector and in order to keep these ranks filled it was found necessary to give rapid officiating promotion to officers of the substantive rank of Head Constable with the result that officiating Assistant Sub-Inspectors were admitted to List 'E' and also to the Upper Course. In 1955 it was found that the gaps in various ranks had been largely filled up, the flow of promotion had returned to the normal pre-war rate and a sufficient number of trained officers had become available for promotion. It was, therefore, decided to revert to the pre-partition rules and restrictions and the instructions referred to in part I were issued.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि इस की क्या वजह थी, कि जो prepartition conditions थीं उन को wave किया गया और abnormal conditions को लगाया गया ?

Chief Minister : I would gladly give this information provided a separate notice is given.

SETTING UP OF PLANT FOR GRINDING SOAP-NUT IN DISTRICT KANGRA

***3968. Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether Government are aware of the fact that the soap-nut grows in abundance in Kangra District ; if so, whether there is any proposal under their consideration to set up a plant for grinding the said soap-nut and when ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (i) Yes.

(ii) No.

SUPERSESSION OF MUNICIPAL COMMITTEE, NAGROTA, DISTRICT KANGRA

***3967. Shri Amar Nath Sharma** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether Government have received any application for superseding the Municipal Committee, Nagrota in district Kangra ; if so, the action o, if any, taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : *Part I*.—The Municipal Committee, Nagrota Bagwan was superseded in September, 1957.

Part II.—Does not arise.

ACQUISITION OF LAND FOR BORSTAL JAIL, KARNAL

***3587. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state :—

(a) whether any land was acquired by Government for the construction of the Borstal Jail, Karnal, if so, when and the area so acquired ;

(b) whether any compensation has been paid to all those whose land was acquired ; if so, when , if not, the reasons therefor and the names of those who have not so far been paid any compensation ;

(c) whether Government have received any applications from the persons whose land was acquired for releasing the acquired area ; if so, their names and the action, if any, taken thereon ?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : (a) Yes. 123.44 acres on 27th April, 1956 and 111.21 acres on 30th March, 1957.

(b) Yes, on 27th April, 1956 and 30th March, 1957. Payment of only those persons is pending who did not appear to receive payment inspite of notice and whose whereabouts could not be known. Payment for shamlat Tholas and Patties is also pending because the Jamabandi being under preparation, the individuals share could not be worked out. Two statements showing pending payments are laid on the table of the House.

(c) Eight applications were received by the Deputy Commissioner, Karnal and three by the Chief Engineer, P.W.D., Buildings and Roads Branch (Lists being laid on the table of the House).

The Government have decided to sell the land to the tenants, who are in occupation of the land, on the rates, on the basis of which the compensation was given to the landowners.

Acquisition of land for Borstal Jail at Karnal (Shamlat area acquired)

No. and date of award	Serial No. in award statement	Name of payee	Amount		
1	2	3	4		
			Rs	A.	P.
Award No. 1K, dated 27th April, 1956	58	Shamlat Thola Aloo ..	2,475	6	0
	114	Shamlat Thola Kadian ..	1,645	1	3
	121	Shamlat Kasba ..	817	10	6
Award No. 3K, dated 30th March, 1957	2/1	Shamlat Pana Balwa ..	1,046	9	3
	15/2	Shamlat Pana Jatan Haq Malkiati Malkana	294	4	6
	36/1	Shamlat Thola Kadian ..	1,191	6	6
	44/1	Shamlat Pana Jatan Haq Malkana ..	1,139	4	3
	46	Shamlat Kasba ..	794	7	0
	54	Shamlat Pana Jatan ..	9,175	13	6
	64	Shamlat Pana Jatan ..	14	9	3
		Total ..	18,594	8	0

Aquisitition of land for Borastal jail at Karnal (area acquired other than Shamlat)

No. and date of award	Serial No.	Name of payee
Award No. IK, dated 27th April, 1956	25	Mam Raj, son of Puran Singh.
	27	Mam Raj-Daya Ram, Mortgagor Bhagwt Parshad, son of Bakshi Nath, Mortgagee.
	28	Mam Raj-Dya Ram, Mortgagors, Shyam Kumar, son of Naranjan Lal, Mortgagee.
	29	Mam Raj, etc., Mortgagors, Krishan Kumar, son of Niranjan Lal, Mortgagee.
	30	Mam Raj, etc., Mortgagors, Shanti Parshad, son of Jawala Nath, Mortgagee.
	31	Mam Raj, etc., Mortgagors, Jagdish Parshad, son of Jawala Nath, Mortgagee.
	32	Mam Raj, etc., Mortgagors, Raghubir Parshad, son of Jawala Nath, Mortgagee.
	33	Mam Raj, etc., Mortgagors, Shrimati Sohan , widow of Jani Parshad, Mortgagee.
	44	Gian Singh, son of Makhan Singh, Mortgagor, Sajjada Ram, son of Niadar Mal, Mortgagee.
	49	Umesh Chander, son of Parkash Chander.
	50	Jagdish Chander, son of Parkash Chander.
	51	Harish Chander, son of Parkash Chander.

[Deputy Minister]

Acquisition of land for Borstal Jail at Karnal (area acquired other than Shamlat)

No. and date of award	Serial No. in award statement	Name of payee
1	2	3
Award No. IK, dated 27th April, 1956—*concld*	57/1	Gaushala Mandir, Mandir Shivjee, Kasba Karnal. Ram Dia Pattidar from Kharif, 1952 to Rabi 1956.
	58/1	Ram Dia, Pattidar from Kharif, 1952 to Rabi, 1956.
	92	Shatish Chander, son of Krishan Kumar.
	93	Abnash Chander, son of Krishan Kumar.
	94	Suresh Chander, son of Krishan Kumar.
	113	Shrimati Shanti Devi, daughter of Sangram.
	114/1	Shamlat Thola Kadian Chhaju, son of Chandu Ghair Maurushi. Malkhana.
	114/2	Shamlat Thola Kadian, Ranji Lal, son of Sita.
	114/3	Shamlat Thola Kadian, Mehar Chand, son of Ram Chandar.
	120	Parkash Chandar, son of Chuni Lal.
Award No. 3K, dated 30th March, 1957	3	Ladli Parshad, son of Krishan Lal, Caste Kalal.
	5	Kali Ram, son of Tulsi, Caste Rur.
	35	Shrimati Atma Devi, widow of Narsingh Datt, Brahman.
	36	Shamlat Thola Kadian, Raghbir Singh, Hissadar.
	37	Shamlat Thola Kadian, Chhaju, son of Jhandu Ghair Maurasi. Basharah Malkana.
	38	Shamlat Thola Kadian, Ramji Lal, son of Shiba Ghair Maurasi.
	39	Shamlat Thola Kadian, Hari Chand, son of Ram Chand, Maurasi.
	43	Mangal, son of Mehtab, Maurasi Mortgagor, Om Parkash, son of Kalu Mal, Mortgagee.
	44	Baru, son of Mehtab Maurasi, Mortgagor, Om Parkash, son of Kalu Ram, Mortgagee.
	45	Banu Mal, son of Mutsaddi Lal.
	51	Shrimati Vir Kaur, widow of Charan Singh, son of Dal Singh.
	62	Shrimati Vir Kaur, widow of Charan Singh, son of Dal Singh.
	65	Nawab Azmat Ali Khan, etc., through Custodian.

List of persons whose applications were received by the Deputy Commissioner, Karnal :—

(1) Shri Bahadur Singh.

(2) Shri Labh Singh.

(3) Shri Darshan Singh.

(4) Shri Kishori Lal.

(5) Shri Ram Kumar.

(6) Shri Lal Singh.

(7) Shri Shangara Singh.

(8) Shrimati Vir Kaur.

List of persons whose applications were received by the Chief Engineer, P. W.D., Buildings and Roads Branch, Patiala.

(1) Shri Gogan, son of Gangu, Brahmin.

2) Shri Ram Diya, son of Rattan Lal.

(3) Shri Ram Mahesh, son of Lahori.

श्री राम प्यारा : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि उन मुज़ारों को उन्हीं शर्तों पर वापिस लेने का फैसला किया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह फैसला कब तक finalize हो जाएगा ?

उप मंत्री : जल्दी हो जाएगा ।

श्री राम प्यारा : जिन अर्जियों के बारे में उन्होंने बतलाया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कब आई हैं ?

उप मंत्री : इस के लिये notice चाहिये ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या मैं वज़ीर मुताल्लिका से पूछ सकता हूं कि जमाबन्दी तैयार न होने के लिये कौन ज़िम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो पटवारी होगा । (That might be a patwari)

चौधरी धर्म सिंह राठी : अब यह इरादा मुल्तवी हो गया है इस की क्या वजह है ?

वित्त मंत्री : इस की वजह यह है कि यह land marshy थी ।

श्री राम प्यारा : क्या किसी अफसर ने वहां जाकर यह देखा कि वह land marshy थी या नहीं ?

मंत्री : इस के लिये notice चाहिये ।

SUPPLY OF BREEDING BULLS TO ERSTWHILE PEPSU AREAS

***3948. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether it is a fact that the Animal Husbandry Department have stopped supplying free Breeding Bulls to erstwhile Pepsu areas since integration; if so, the reasons therefor and the name of the agency, if any, which has taken over this work ?

Giani Kartar Singh : No, Sir ;

Question does not arse.

REMOVAL OF BREEDING CAMELS FROM DADRI AND NARNAUL

***3949.Shri Nihal Singh** : Will the Minister for Agriculture and forests be pleased to st ıte whether it is a fact that the breeding camels stationed at Dadri and Narnaul have been removed from these places and taken to some other stations since integration; if so, the reasons therefor?

Giani Kartar Singh : Yes, Sir.

The utility was not commensurate with the expenditure.

Shri Nihal Singh : What alternative arrangements have been made for breeding the camels in that area ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

SCHEME PREPARED BY MR. C. MONKHOUSE, COLOMBO PLAN EXPERT

***3971. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Government have received any communication from the Union Government regarding a scheme prepared by Mr. C. Monkhouse, a Colombo Plan Expert, about a Turbine run by waterpower installed on hill streams and at waterfalls, which brings electricity within the reach of large number of villages at extremely low cost; if so, the details thereof;

(b) whether Government in consultation with the Union Government, proposes to purchase such turbines and instal them at various places in the State; if so, the total number of such turbines proposed to be purchased and the names of villages, district-wise, where these are proposed to be installed ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise in view of (a) above.

HIGH SCHOOLS IN KARNAL DISTRICT

***3907. Chaudhri Dharam Singh Rathi** :Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of the High Schools opened by the District Board, Karnal, in the years 1954, 1955, 1956 and 1957 separately in the district ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Th number of High Schools raised from Middle Schools by the District Board, Karnal, in the years 1954, 1955, 1956 and 1957 is 4, 4 3 and *Nil* ıespectively.

GOVERNMENT COLLEGE DHARAMSALA, DISTRICT KANGRA

*3969. **Shri Amar Nath Sharma** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of girl students on roll in the Government College, Dharamsala, District Kangra, together with the number of Teachresses and lady Professors therein at present ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) 75

(b) 3

DISSOLUTION OF STATE HEALTH COUNCIL

***3972. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether Government have dissolved the State Health Council; if so, the reasons that led to its dissolution?

Sardar Gurbanta Singh : The State Health Council has not been dissolved. The question of its re-organization is before the Government but not final decision has yet been taken.

श्री मंगल सेन : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह ग्राखरी निर्णय कितनी देर तक ले लेंगे ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ।

श्री मंगल सेन : हम जानना चाहते हैं कि इस के लिये एक महीना लगेगा या दो महीने लगेंगे ।

मंत्री : जल्दी ही हो जाएगा ।

COMPLAINTS OF CORRUPTION AGAINST SARPANCHES IN TEHSIL PANIPAT DISTRICT KARNAL

***3905. Chaudhri Dharam Singh Rathi** : will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether any complaints of corruption were received by Government from villagers against the Sarpanches of Gram Panchayats of villages Nara, Shahpur, Israna, Bhena Lakhu, Karhans, Pattikalyana, Chandoli and Nariana, tehsil Panipat, district Karnal, during the year 1957 and 1958; if so, the action if any, taken on each complaints separately ?

Sardar Gurbanta Singh : A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Statement pertaining to Vidhan Sabha Starred Question No. 3905 and showing complaints received against sarpanches Panchayat-wise:—

1. *Gram Panchayat Nara.*—One complaint was received in December, 1958, which is being looked into.

2. *Gram Panchayat, Shahpur.*—A complaint against the Sarpanch of the Gram Panchayat has been received. Final action will be taken on completion of its enquiry by the Panchayat Department.

3. *Gram Panchayat Israna.*—There are certain complaints against the Sarpanch, Gram Panchayat, regarding misappropriation of the Panchayat Fund. Enquiry has been entrusted to the District Panchayat Officer, Karnal.

4. *Gram Panchayat Bawana Lakhu.*—Nil.

[Minister for Health and Panchayats]

5. *Gram Panchayat Naraina.* —Nil.

6. *Gram Panchayat Karhans.*—A complaint was received in December, 1958 on which directions have been issued to District Panchayat Officer, Karnal, to conduct an enquiry in the matter.

7. *Gram Panchayat, Patti Kalyana.*—Nil.

8. *Gram Panchayat Chandauli.*—Various complaints were received and an enquiry was entrusted to the District Panchayat Officer, Karnal

WEIGHING MACHINES IN PANIPAT SUGAR MILLS AREA, PANIPAT

***3588. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) the number of Weighing Machines on the premises of the Panipat Sugar Mills, Panipat, together with the number of those working at present;

(b) whether any of the said weighing machine was out of order for some days, if so, for what period;

(c) whether any complaint against the defective working of the said machines has been received by the management of the said Mill; if so, the action, if any; taken in the matter ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Total 46. Working 30.

(b) No.

(c) No.

LAND-OWNERS AND TENANTS IN THE STATE

***3906. Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of land-owners and tenants separately in the State as on 31st January, 1959 ?

Rao Birendar Singh :

Land-owners	..	Rs 22,91,539
Tenants	..	Rs 12,09,601

These figures do not include information pertaining to districts, Amritsar, Ferozepure, Gurgaon, Patiala, Sangrur, Bhatinda and Mahendergarh. The information from these districts is still being collected and will be furnished as soon as received .

REVISED REPLY TO STARRED QUESTION NO. 3906

Land-owners	Rs 2,301,793
Tenants	Rs 5,14,595

The above figures represent information in respect of the remaining seven districts viz., Amritsar, Ferozepur, Gurgaon, Sangrur, Bhatinda and Mahendergarh, which could not be furnished in the first instance, while replying to the question.

BUS FARES IN KANGRA AND SIMLA DISTRICTS

***3973. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to equate the passenger bus fares in Kangra and Simla districts with those in other districts of the State; if so, the details thereof and the time by which it is expected to be implemented;

(b) whether Government have received any representations from the people of Kangra and Simla Districts, in this respect; if so, from whom in each case ?

Rao Birendar Singh :(a) No.

(b) Yes. From the inhabitants of Kangra District only.

श्री मंगल सेन : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कांगड़ा ज़िला के लोगों ने उन को क्या शिकायत की थी ?

माल मंत्री : उन्होंने किराया घटाने की मांग की है शिकायत नहीं की ।

श्री मंगल सेन : कब तक किराया घटा दिया जाएगा ?

मंत्री : हम ने इनकार कर दिया है ।

LONG TERM LOANS GRANTED UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME

***3950. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the details of the long term housing loans granted by Government since the inception of the Low Income Group Housing Scheme in each district in the State ?

Chaudhri Suraj Mal : A statement showing the requisite information is laid on the table.

Disbursement of loan under Low Income Group Housing Scheme by the districts since the inception of the Scheme up to 28th February, 1959

(In Lacs of Rupees)

District	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59
Ambala— (including Chandigarh Capital Charges)	8.94	52.61	4.29	4.74	3.81
Amritsar ..	..	19.59	10.44	6.45	4.78
Ferozepore ..	..	23.16	5.14	3.70	2.80
Gurdaspur ..	..	35.80	10.76	9.64	3.16
Gurgaon ..	.14	9.85	3.86	2.11	.49
Hissar ..	..	6.00	.92	.17	1.55
Hoshiarpur ..	..	6.19	2.63	1.51	0.05
Jullundur ..	..	22.63	6.55	2.91	1.42

[Minister for Public Works]

District		1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59
Kangra	..	..	7.53	4.01	3.60	2.63
Karnal	..	0.60	11.09	8.14	2.56	0.16
Ludhiana	..	..	32.07	2.90	2.65	3.73
Rohtak	..	.83	36.98	3.62	2.27	.36
Simla	..	..	.08	..	..	..
Patiala	..	..	5.32	8.78	4.37	.50
Bhatinda	..	..	10.75	4.88	3.50	1.56
Sangrur	..	..	8.22	2.50	3.85	3.23
Kapurthala	..	..	7.24	2.54	2.64	.05
Mohindergarh	..	..	.10	..	.29	.19
Total	..	10.51	295.21	81.96	56.96	30.48

Shri Nihal Singh : May I know the reasons for allotting the smallest amount for the Mohindergarh District ?

मंत्री : एक वजह तो यह है कि वह district सब से छोटा है और दूसरी वजह यह है कि जितनी वहां से demand आई थी उतना रुपया हम ने दे दिया था। अगर वह और demand करेंगे तो मैं assure करता हूं कि और रुपया दिया जाएगा ।

GRANTS OF LOANS UNDER THE PUNJAB BACKWARD CLASSES (GRANTS OF LOANS) ACT, 1957

***3979. Shri Sis Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the total number of applicants of Mohindergarh District who applied for loans under the Punjab Backward Classes (Grant of Loans) Act, 1957, during the current financial year;

(b) the number of cases in which the loans referred to above have been seanctioned along with the amount granted in each cases?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : (a) 4

(b) The case is under consideration of Government.

TAILORING CENTRE FOR HARIJAN CHILDREN AT DORAHA MANDI DISTRICT PATIALA

***3991. Sardar Pritam Singh Sahoke :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any tailoring centre was opened by Government in Doraha Mandi, district Patiala, for giving training to Harijan Children during the year 1957-58; if so, the number of boys, who were given training therein ?

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : The reply to first part is 'No' and the second part does not arise.

AMOUNT DUE TO CENTRAL GOVERNMENT

***3159. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Finance be pleased to state the principal amount and the interest thereon due to the Central Government from the State Government up to 31st December, 1958?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The information asked for by the Hon'ble member up to 31st December, 1958 cannot be given on account of the revised procedure adopted by the Government of India from the current financial year for the release of Central Assistance for plan schemes. However, the outstanding balance of loan due to the Central Government as on 31st March, 1958 amounts to Rs 2,17,95,74,477.23.

Interest charges on the above principal sum amount to Rs 8,34,79,9C0 during the current year, i.e., up to 31st March, 1959.

SALES-TAX REALISED FROM BRICK KILN OWNERS IN TEHSILS TARN TARAN, ETC.

***3158. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of sales tax realised foim the owners of brick-kilns in tehsils Tarn Taran, Sirsa, Jhajjar and Rewari, during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59 respectively ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : A statement is laid on the table.

	1956-57	1957-58	1958-59
	Rs A. P.		
Taran Taran ..	6,924-13-9	8,691.19 nP.	3,171.74. nP.
Sirsa ..	1,820.87 nP.	2,363.18 nP.	139.56 nP.
Jhajjar ..	3,070.25 nP.	5,516-12 nP.	5,616.72 nP. (up to 30th Sept., 1958)
Rewari ..	4,571.69 nP.	4,039.88 nP.	3,833.18 nP.

FACTORIES OF VANASPATI GHEE IN THE STATE

***3977 Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the total number of factories manufacturing vanaspati ghee in the State ; their names and the places where they are situated;

(b) whether Government have received any compalints from the Public about the injurious effects of the said ghee on the health of the public;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether Government have sought the advice of any scientists or doctors in this connection; if so, their names together with their recommendations, if any, and the action taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava (a) Two i.e. (i) S.G. Vegetable Products Yamnanagar and (ii) Amritsar Sugar Mills Co., Ltd., Amritsar.

(B) No.

(c) Question does not arise.

CHEAP GRAIN DEPOTS

***3216. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state the names of the places in the State districtswise, where cheap foodgrain depots were opened by Government during the year 1958-59 together with the dates of their opening, the quantity of atta, wheat or other foodgrains sold to by them and at what rates ?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : A statement showing the names of places district-wise where Fair Price Shops have been opened is laid on the table of the House. The dates vary from place to place and district to district. In all, 61,594 tons of wheat/wheat atta and 6,210 tons of maize/maize atta have been issued through these shops, uptill 12th March, 1959 . At places where wholesale supplies are given to depot-holders through Chakki Assoications/ the Roller Flour Mills, the basic retail issue rates of wheat atta and maize atta are Rs 15.92 nP. and Rs 14.12 nP. per maund respectively. The retail issue rate of atta milled by the Roller Flour Mills from the imported wheat allotted to them by the Government of India direct is, however, Rs 15.25 nP. per maund at places where the Roller Flour Mills are located. In hilly areas of Kangra and Hoshiarpur Districts where maize and wheat are being issued in the form of grain, the basic retail issue rates are Rs 12.75 and Rs 15.15 nP. per maund respectively. For places which are situated far off from the wholesale distribution agency, the acual cartage charges are added to the basic retail issue rate.

In Simla the retail issue rate of atta is Rs 16.56 nP. per maund.

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
Gurdaspur ..	Gurdaspur	.. 5th January, 1959
	Batala	.. Ditto
	Dhariwal	.. 6th January, 1959
	Dinanagar	.. 8th January, 1959
	Fategarh Churian	.. 17th January, 1959
	Kalanaur	.. 19th January, 1959
	D.B. Nanak	.. 21st January, 1959
	Qadian	.. 21st January, 1959
	Siri Hargobindpur	.. 21st January, 1959
	Dharamkot	.. 24th January, 1959
	Pathankot	.. 6th January, 1959
	Narot Jaimal Singh	.. 15th January, 1959
	Dalhousie	.. 11th January, 1959
	Sujanpur	.. 15th January, 1959
	Bakloh	.. 25th January, 1959

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
	R.A.I.	
1. Gurdas-pur—*concld*	Dorangla	
	Kalakalan ..	
	Barnala ..	
	Chandian ..	
	Ghot Pokar ..	
	Jaura Chhitran ..	
	Wadala Banga ..	
	Jabkara ..	
	Gurdas Nangal ..	
	Sidhpur ..	
	Bhoa ..	
	Kot Khan Mohd ..	
	Sahowal ..	
	Khaddar ..	
	Thanewal ..	
	Rania ..	
	Mustafabad Saidan ..	
	Aryanagar ..	
	Ghuman Kalan ..	
	Khaddar ..	
	Raya Nagar ..	
	Hella Chia ..	
	Mirzapur ..	
	Jagowal ..	
	Mirpur ..	
	Kot Todar Mal ..	
	Ranjit Bagh ..	
	Tung ..	February, 1959
	Kothi Smat Malhi ..	
	Shohan ..	
	Dhianpur ..	
	Shahpur Arya ..	
	Rai Chak ..	
	Panjgaran ..	
	Fazalabad ..	
	Dehar ..	
	Dhudialamit ..	
	Longowal ..	
	Nangal ..	
	Shikarpura ..	
	Shahpur Jejan ..	
	Vila Teja ..	
	Ghuman Kherad ..	
	Kala Agran ..	
	Kaluwal ..	
	Qila Lal Singh ..	
	Mirjan ..	
	Taragarh ..	
	Masanian ..	
	Sara ..	
Kothi ..	Mughlan	
	Bani Lodhi	
	Barth	
	Jandowal	
	Shahpur Kandi	
	Ferozepore Kalan	
	Jugial	
	Dhobra	
	North Mebra	

[Deputy Minister for the Food and Jails]

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
Kolhi—*concld*	Malikpur	February, 1959
	Durangpur Khurd	
	Jhela Ahmda	
	Bhuntar	
	Habit Pindi	
	Tangoshah	
	Ghaniake Bangar	
	Khera	
	Kiri Khurd	
	Gazi Kot	
	Bhullan	
	Ranga Nangal	
	Samrala	
	T. Lall Singh	
	Udhanwal	
	Chounta	
	Barian	
	Manwal	
	Tabir	
	Pahro	February-March, 1959
	Awankhe	
	Gandha Lehri	
	Bhogowal	
	Talibpur Pandori	
	Sumrai	
	Lale Nangal	
	Nowshehra Maja Singh	
	Gohorata Hinduan	
	Mirthal	
	Sidhwan	
	Khunda	
	Dharkalan	
	Akharpura	
	Chahal	
	Bharat Kazi Chak	
	Sekhwan	
	Khojepur	
	Dhariwal	
	Cheema Khudi	
	Dostpur	
	Ghialla	
	Behni Mian Khan	
	Rattangarh	
	Derhpur	
	Murar	
	Paloha	
	Sohal	
	Paniar	
	Behrampur	
	Khlijpur	
2. Amritsar	.. Amritsar	.. 2nd January, 1959
	Chheharta	.. 3rd January, 1959
	Jandiala	.. 14th January, 1959
	Ajanala	.. 20th January, 1959
	Khem Karan	.. 14th January, 1959
	Majitha	.. 19th January, 1959
	Rayya	.. 4th January, 1959
	Tarn Taran	.. 20th January, 1959

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
2. Amrit-sar—*concld* ..	Verka	.. 27th January, 1959
	Ramdas	.. 21st January, 1959
	Patti	.. 12th January, 1959
	Attari	February, 1959
	Bhikhi Wind	
	Kathunangal	
	Mehta	
	Valtoha	
	Sathiala	
	Garhri Mandi	
	Fatehbad	
	Kirla	
	Fatehpur	
	Sursing	
	Kairon	
	Kacha Pacca	
	Nawan Shahr Panwan	
	Ashwani Autar	
	Chhabhal	
	Ghriala	
	Nagoke	
	Chogewan	
	Sabraon	
	Tarsikka	
	Ballarwal	
	Sirhali	
	Harike	
	Khasa	
	Nawanpind	
	Algaon	February,-March, 1959
	Bras	
	Khalchian	
	Bundala	
	Sultanwind	
	Sohian Kalan	
	Bhakgna Kalan	
	Ganda Singhwala	
	Nag Kalan	
	Gharinda	
	Atalgarh	
	Kasal	
	Daburji	
	Tharoo	
	Lalpura	
	Khadoo Sahib	
	Jema Rai	
	Chola Sahib	
	Dhotian	
	Sheron	
	Kot Dharmchand	
	Mand Chahl	
	Variowal	
	Rejoke	
	Chuslewar	
	Dal	
	Shahid	
	Kot Budha	
	Kirtowal	
	Caggomahl	

[Deputy Minister for the Food and Jails]

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
Amritsar—*concld*	Vachhoa	February-March, 1959
	Karyal	
	Bhindi Saidan	
	Mohleke	
	Lapoke	
	Bhuregil	
	Sialka	
	Malewal	
	Raja Sansi	
3. Jullundur ..	Jullundur City	3rd January, 1959
	Jullundur Cantt	
	Nawanshahr	.. 20th January, 1959
	Nakodar	.. 21st January, 1959
	Phillaur	.. Ditto
	Kartarpur	.. 30th January, 1959
	Banga	.. Ditto
	Nurmahal	.. 3rd February, 1959
	Kapurthala	.. 3rd January, 1959
	Sultanpur	.. 5th January, 1959
	Phagwara	.. 6th January, 1959
	Kartarpur	.. 2nd February, 1959
	Bhogpur	.. 3rd February, 1959
	Adampur	.. 4th February, 1959
	Alawalpur	.. 9th February, 1959
	Chihon	.. February, 1959
	Ranpur	
	Bhanoki	
	Sangatpur	
	Rehana	
	Noorpur Jalla	
	Surkhpur	
	Dhilwan	
	Ladwal	
	Sujjokalia	
4. Ludhiana ..	Ludhiana	.. 5th January, 1959
	Jagraon	.. 5th February, 1959
	Raikot	.. 5th February, 1959
	Samrala	.. 5th February, 1959
	Khanna	.. 12th January, 1959
	Mangat	19th February, 1959
	Nurpur Bet	
	Mullanpur	
	Kohara	
	Malaud	
	Sarabha	
	Delhon	
	Jugiana	
	Swaddi	
	Bassian	
	Hans	
	Halwara	
	Shekhupura	
	Khanke Kalan	
	Sidhwan Bet	
	Manoke	
	Machhiwara	
	Khunanona	
	Isru	
	Kalla Badlla	
	Mohanpur	
	Mal Majra	
	Kum Kalan	
	Belolpur	

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
Ludhiana—*concld*	Chari	21st February, 1959
	Sangatpur ..	25th February, 1959
	Bagra ..	26th February, 1959
	Sidar ..	Ditto
	Sanghal ..	Ditto
	Raipur ..	3rd March, 1959
	Alamgir ..	Ditto
	Akhara ..	Ditto
	Mohanpur ..	4th March, 1959
	Shebana ..	4th March, 1959
	Mansuhra ..	6th March, 1959
	Bassian ..	6th March, 1959
	Malloh ..	6th March, 1959
	Sodwa Kallan ..	6th March, 1959
	Nagra ..	
	Habowal ..	
	Rashin ..	
	Khasi Kalan ..	
	Badhowal ..	
	Sodwa Kalan ..	6th March , 1959
	Nagra	6th March, 1959
	Habowal	
	Rashin	
	Khasi Kalan	
	Badhowal	
	Siarh	
	Ghalib Khan	6th March, 1959
	Hathai	
	Noopur	
	Gaggar	
	Rai Majri	
5. Ambala	Ambala City	
	Ambala Cantt	6th January, 1959
	Kharar	27th January, 1959
	Kalka	29th January, 1959
	Rupar	27th January, 1959
	Morinda ..	27th January, 1959
	Chandigarh ..	3rd January, 1959
	Jagadhri ..	5th January, 1959
	Yamuna Nagar ..	Ditto
	Naraingarh ..	9th January, 1959
	Shahzadpur ..	9th January, 1959
	Raipur Rani ..	9th January, 1959
	Talokpur ..	2nd Febraury, 1959
	Sadhaura ..	9th January, 1959
	Kurali ..	29th January, 1959
	Panchkula ..	29th January, 1959
	Mani Majra ..	16th February, 1959
	Mubarakpur ..	15th January, 1959
	Chamkaur Sahib ..	2nd February, 1959
	Chhachrauli	27th January, 1959
	Buria	
Karnal ..	Karnal ..	18th January, 1959
	Panipat ..	1st January, 1959
	Kurukshetra ..	23rd January, 1959
	Shahabad ..	3rd February, 1959
	Nilokheri ..	8th Febraury, 1959
	Ladwa ..	14th February, 1959

[Deputy Minister for Food and Jails]

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Dates of opening
6. Karnal— *concld*	Taraori	.. 16th Februaiy, 1959
	Kheri Sarafwala	.. 16th Febraury, 1959
	Mandwal Indri	.. 16th Febraury, 1959
	Amin	.. 16th February, 1959
	Balagaon	.. 16th February, 1959
7. Rohtak	Rohtak	.. 28th January, 1959
	Sonepat	.. 5th January, 1959
8. Gurgaon	Gurgaon	.. 27th January, 1959
	Ferozepore-Jhirka	.. 12th Februaiy, 1959
	Nuh	.. 14th February, 1959
	Palwal	.. 20th January, 1959
	Faridabad	.. 20th January, 1959
	Rewari	.. 23rd January, 1959
	Soha na	.. 21st February, 1959
	Garhi Harsu	.. 22nd February, 1959
	Hodal	.. 20th February, 1959
	Harty Mandi	.. 25th February, 1959
	Aurangabad	.. 26th February, 1959
	Dhatu	.. 26th February, 1959
	Sikri	.. 27th February, 1959
	Pirthla	.. 27th February, 1959
	Hassanpur	.. 1st March, 1959
	Punhana	.. 2nd March, 1959
	Kasan	.. 3rd March, 1959
	Gurgaon Village	.. 6th March ,1959
	Daultabad	.. 6th March, 1959
	Chandu	.. 6th March, 1959
	Dhigot	.. 6th March , 1959
	Hathin	.. 4th March, 1959
	Mitkaula	.. 5th March, 1959
	Bamni Khera	.. 4th March, 1959
9. Mohindargarh	Narnaul	.. 26th January, 1959
	Dadri	.. 26th January, 1959
	Mohindergarh	.. 16 February, 1959
	Ateli	.. 26th February, 1959
	Nawajnagar	.. 20th February, 1959
	Serohi Behali	2nd March, 1959
	Nasibpur	.. 2nd March, 1959
10. Hissar	Hissar	.. 16th January, 1959
	Bhiwani	.. 22nd January, 1959
	Sirsa	.. 29th January,1959
	Hansi	.. 4th February, 1959
	Fatehbad	.. 23rd January, 1959
	Jakhal	.. 14th February, 1959
	Loharu	.. 20th February, 1959
	Uklana	.. 19th February, 1959
	Kallanwali	.. 10th February, 1959
	Tohana	.. 19th February, 1959
	Dabwali	.. 14th February, 1959
	Abubshar	February, 1959
	Barwale	
	Rania	
	Rori	
	Bragudya	
	Tosham	

Name of District	Name of Place where cheap grain depots opened	Date of opening
11. Ferozepore	Ferozepur City and Cantt	.. 12th January, 1959
	Fazilka	.. 2nd February, 1959
	Abohar	.. 26th January, 1959
	Moga	.. 12th February, 1959
	Muktsar	.. 22nd February, 1959
	Malout	.. 17th February, 1959
	Jalalabad	.. 19th February, 1959
	Guruhar Sahai	.. 6th February, 1959
	Zira	.. 25th February, 1959
	Giddarbaha	.. 24th February, 1959
	Ajitwal	.. 20th February, 1959
	Kishanpur	.. 25th February, 1959
	Makhu	.. 2nd March, 1959
	Mallanwala	.. 28th February, 1959
	Dharamkote	.. 7th February, 1959
	Nathana	.. 3rd March, 1959
12. Hoshiarpur	Hoshiarpur	. 19th January, 1959
	Tanda Urmar	.. 21 st January, 1959
	Mukerian	.. 22nd January, 1959
	Dasuya	.. 24th January,1959
	Hariana	.. 29th January, 1959
	Gurhdiwala	4th February, 1959
	Shamchurasi	February, 1959
	Bassi Kalan	
	Hardo Khanpur	
	Miani Afgana	
	Dhut Kalan	
	Nangal Township	12th January, 1959
	Una	.. 5th February, 1959
	Santokhgarh	.. 9th February, 1959
	Anandpur Sahib	.. 13th February, 1959
	Garhshankar	.. 24th January, 1959
	Saroa	.. 10th February, 1959
	Pojewal	February, 1959
	Rattewal	
	Kunail	
	Rormajra	
	Bharthala	
	Taunsa	
	Balachaur	
	Possi	
	Nari	
	Panjaur	
	Daulatpur	.. 25th November, 1958
	Amb	.. 8th December, 1959
	Jaijon	.. 7th December, 1959
	Dulehar	.. 2nd January, 1959
	Januri	.. 24th January,1959
	Binnewal	.. 18th December, 1959
	Nehri	.. 28th January, 1959
	Datarpur	.. 3rd February, 1959
	Gagret	.. 7th February, 1959
	Marwari	.. 7th February, 1959
	Warwain	.. 7th February, 1959
	Chalat	: 9th February, 1959
	Panjhal	9th February, 1959
	Pol Palahar	.. 1th February, 1959

[Deputy Minister for Foad and Jails]

Name of District	Name of Place where cheap grain depots opened	Date of opening
Hoshiarpur—*concld*	Dhuggakelan	.. 11th February, 1959
	Penjawar	.. 14th February 1959
	Bhadsali	.. 14th February, 1959
	Talwara	
	Dharampur	February, 1959
	Hajipur	February, 1959
	Kamahi Devi	February, 1959
	Dharamsal Chambi	February, 1959
	Nara Dada	February, 1959
	Nurpur Bedi	February, 1959
	Kiratpur	February, 1959
	Thakatgarh	February, 1959
	Bhalan	February, 1959
	Chalola	February, 1959
	Jaura	February and March, 1959
	Attowal	February and March, 1959
	Nanda Chaur	February and March, 1959
	Jalowal	February and March, 1959
	Ballowal	February and March, 1959
	Malanwali	February and March, 1959
	Palkwa	February and March, 1959
	Badla	February and March, 1959
	Pandar	February and March, 1959
	Nangal Salamgeri	February and March, 1959
13. Patiala	Patiala	.. 15th January, 1959
	Rajpura	.. 15th January 1959
	Kasauli	.. 15th January, 1959
	Surajpur	.. 15th January, 1959
	Chail	.. 15th January, 1959
	Dagshai	.. 23rd January, 1959
	Kandaghat	.. 15th January, 1959
	Sabathu	.. 15th January, 1959
	Bassi Pathana	.. 27th January, 1959
	Dharampur	.. 15th January, 1959
	Banur	.. 26th January, 1959
	Nabha	.. 26th January, 1959
	Samana	.. 28th January, 1959
	Doruha	.. 29th January, 1959
	Gobindgarh	.. 10th February, 1959
	Nalagarh	.. 9th February, 1959
	Toto	.. 15th January, 1959
	Sirhind	.. 26th January, 1959
	Payal	.. 26th January, 1959
	Amloh	.. 3rd February, 1959
	Derabassi	.. 3rd February, 1959
	Lalru	.. 10th February, 1959
	Ghaggar	.. 19th February, 1959
	Sannawer	.. February, 1959
	Panjore	.. 9th February, 1959
	Madanpur Kheri	.. 17th February, 1959
	Kauli	February, 1959
	Chintanwala	.. 19th February, 1959
	Shaktipur	.. 19th February, 1959
	Jarot	.. 20th February, 1959
	Bhat Majra	.. 20th February, 1959
	Ganda Kheri	.. 20th February, 1959
	Gujja Khera	.. 20th February, 1959
	Gargiangaon	.. 21st January, 1959

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Date of opening
Patiala—*concld*	Shatrana	February, 1959
	Asmanpur	
	Samgoli	
	Ghaman	
	Brass	.. 27th February, 1959
	Sehora	27th February, 1959
	Kulara	.. 27th February, 1959
	Bahnun	.. 27th February, 1959
	Hariod	.. 27th February, 1959
	Rawsher	.. March, 1959
	Gandhi Khari	
	Anjodi Kalan	
	Ranbir Pura	
	Birsah	
14. Bhatinda	Bhatinda	.. 19th January, 1959
	Raman	.. 21st January, 1959
	Hansa	26th January, 1959
	Faridkot	.. 30th January, 1959
	Goniana	.. 29th January, 1959
	Jaitu	.. 30th January, 1959
	Talwandi	.. 30th January, 1959
	Sabo	.. ..
	Rampur Phul	.. 31st January, 1959
	Phul Town	.. 2nd February, 1959
	Bhudlada	.. 22nd February, 1959
	Kot Kapura	.. 31st January, 1959
	Kot Fateh	26th February, 1959
	Berata	.. 26th February, 1959
	Sangoh	.. 2nd March, 1959
	Joga	.. 3rd March, 1959
	Dip Singhwala	.. 3rd March, 1959
	Pacca	.. 3rd March, 1959
	Dhaipur	.. 4th March, 1959
	Barowal	.. 2nd March, 1959
	Shersinghwala	.. 2nd March, 1959
15. Sangrur	Sangrur	.. 23rd January, 1959
	Dhuri	.. 23rd January, 1959
	Malerkotla	.. 23rd January, 1959
	Jind	.. 27th January, 1959
	Safidon	.. 18th February, 1959
	Sunam	.. 25th February, 1959
	Lehragaga	.. 25th February, 1959
	Bhawani Khera	.. 27th February, 1959
	Uchana	.. 3rd March, 1959
	Narwana	28th February, 1959
	Tapa	.. 27th February 1959
	Barnala	.. 26th February, 1959
16. Kangra	Jawala Mukhi Road	.. 15th January, 1959
	Rait	.. During January and February, 1959
	Khunjan	
	Busal	
	Rajinana	
	Yol	
	Damoa	
	Tiara	

[Deputy Minister for Food and Jails]

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Date of opening
Kangra—*concld*	Lang	During January, and February 1959
	Dhadawli	
	Purana Kangra	
	Maranda	
	Bhawrana	
	Thural	
	Jalag	
	Alampur	
	Lambagaon	
	Khera	
	Khaira	
	Salyana	
	Kandhan	
	Baij Nath	
	Ghebu	
	Sanstn	
	Bir	
	Multhan	
	Dhamnoh	
	Dhammoh	
	Kharot	
	Kotlu	
	Naura	
	Dagruhi	
	Jaisingpur	
	Sulleh	
	Kotla	
	Nurpur Rd.	
	Rey	
	Rohan	
	Indora	
	Ladori	
	Khajian	
	Dhiala	
	Badokhar	
	Jawali	
	Fatehpur	
	Thil Bari	
	Bankhandi	.. 15th January, 1959
	Bari Dhamota	.. 15th January, 1959
	Sahal	.. 15th January, 1959
	Mangwal	
	Lugru	
	Kaloa	
	Chalali	During January and February 1959
	Rakkar	
	Dada	
	Haripur	
	Tibri	
	Uppa Tipri	
	Nagrota Surian	
	Ghalore	
	Gumbir	
	Khundran	
	Dhaliara	
	Bilaspur	
	Kataur	

Name of District	Name of place where cheap grain depots opened	Date of opening
Kangra—concld	J.M. Mandri	8th January, 1959
	Chabutra	
	Toni Devi	
	Chanhavi Devi	
	Chowki Maniara	
	Jalari	
	Kot	
	Kangra	
	Dhamota	17th January, 1959
	Bhota	
	Lamblu	.. 20th January, 1959
	Dhundla	
	Kanjuan	..
	Barara	During January, and February, 1959
	Dera Kharuln Bijhri	
	Patlander	
	Kashmir	
	Lathiani	
	Kharwar	
	Mandli	
	Harsaue	
	Bhareri	
	Bari	
	Raipur	
	Bhoranj	
	Mehra	
	Uhl	
	Chaknro	
	Sohari Takoli	
Simla	Simla	

मौलवी अब्दुल गनी डार : जो Deputy Minister साहिब ने list दी है उस से ज़ाहिर है कि Amritsar, Ludhiana और Jullundur में सैंकड़े depots हैं लेकिन दूसरे districts में उन के मुकाबले में बहुत कम हैं। क्या वहां पर गल्ले की ज़रूरत नहीं थी ? उन को क्यों कम अनाज दिया गया है ?

उप मंत्री : जहां जहां जितनी ज़रूरत थी उस के मुताबिक अनाज दिया गया है। इस में किसी खास ज़िले का या इलाके का कोई सवाल नहीं है।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बतायेंगे कि हरियाणा के जिन इलाकों की तबाही हुई है वहां पर अनाज की ज़रूरत नहीं है ?

उप मंत्री : वहां पर जितनी ज़रूरत थी उतना अनाज दिया गया है और depot खोले गए हैं। वहां पर और depots के लिये आवाज़ नहीं उठाई गई थी। अगर demand की जाती तो हम और खोल देते।

मौलवी अब्दुल गनी डार : डिप्टी वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि आवाज़ उठाने पर depot खोले जाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि agitation से depot खोले जाते हैं ?

उप मंत्री : नहीं जी agitation से तो delay होती है। मांग करने पर depot खोले जाते हैं।

CONSTRUCTION OF REST HOUSES AND CATTLE SHEDS

*3910. **Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether there are any Markets in Karnal District where rest houses and cattle sheds have been built for persons bringing in their foodgrains; if so, their total number ?

Giani Kartar Singh (a) Yes.

(b) 2.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या वज़ीर साहिब तमाम market committees को हिदायत जारी करने के लिये तैयार होंगे कि दूसरी जगहों में भी rest houses और cattle sheds बनाएं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

CANALISING OF CHOS IN HOSHIARPUR DISTRICT

*3976. **Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of places in Hoshiarpur District where the work of canalising the 'Chos' and construction of dams is in progress;

(b) whether there is any scheme under the consideration of Government for canalizing the Magowal and Dhada Chos and for construction of a dam near Dhada ?

Chaudhri Dalbir Singh: Reply is placed on the Table of the House.

(a) The work of canalizing Nasarala Cho in Villages Thathal, Shepur Hardokhanpur, Sajan, Khisropur, Dagana Khurd, Dagana Kalan, Fetegarh Niara, Hargarh, Badial, Khalwana, Chandpur and Deowal of Hoshiarpur District has been nearly completed from U/S Hoshiarpur to D/S of Nasrala Railway Bridge. The work of canalizing Nasarala Cho along Rau Nallah from Nasarala Railway Bridge to its junctions with East Bein in Hoshiarpur District is in progress in villages Pawala, Meghwal and Ajram. No work of construction of Dams is in progress in Hoshiarpur District,

(b) Reconnaissance and Survey work to determine the feasibility of constructing check dams on Megowal and Dhada choes is on programme and will be taken up shortly.

N.E.S. BLOCK LONGOWAL

*3938. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the date when the National Extension Service Block, Longowal, district Sangrur, was opened together with the details of grants so far given by the Block Development Officer, Longowal for the said block for different purposes and the amount of grant given for each purpose to date;

(b) the name of the village for which and the name of person or Panchayat to whom the amount/amounts of the said grant were handed over and when;

(c) whether the works for which the said grants were given have been completed; if so, the details of works, which have been completed and of those which have not been completed so far separately and the reasons for non-completion thereof in each case ?

Chaudhri Dalbir Singh : The requisite information is given in the statement attached herewith.

Statement regarding National Extension Service Block Longowal at village Cheema, district Sangrur.

(a)(i) The date of starting the National Extension Service Block, Longowal, district Sangrur — 1st April, 1957

(ii) The details of grants so far given by the Block Development Officer, Longowal, for the said block and amount given for each purpose to date

Amount of Grant	Purpose
Rs	
(1) 5920	For pavement of streetsand construction of drains
(2) 250	New Wells of Harijans
(3) 10 630	Construction of Primary Schools
(4) 75',0	Setting up of Children Park
(5) 500	Community Recreation Centres
(6) 5,389	Construction of Culverts.

(b) and (c)

Serial No.	Name of Panchayat or person to whom the grant has been handed over	Date of advancement	Amount advanced	Remarks regarding the completion of works, etc.	
			Rs		
1	Daula Singhwala	28-3-58	250	New well for Harijans	Completed
2	Birman	27-3-58	490	Construction of drains 50 per cent	Do
3	Togiwal	27-3-58	980	Ditto	Do
4	Jakhepal	27-3-58	490	Ditto	Do
5	Nimol	27-3-58	395	Ditto	Do
6	Sheron	27-3-58	75	Ditto	Do

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of Panchayat or person to whom the grant has been handed over	Date of advancement	Amount advanced	Remarks regarding the construction of works, etc.	
			Rs		
7	Manderkalan	27-3-58	2,000	Construction of drains 50 per cent	Completed
8	Jakhepal Chowbas	27-3-58	490	Ditto	Do
9	Shahpur	27-3-58	2,000	For Primary School Building	Finishing Touches are being given
10	Satauj	27-3-58	2,000	Ditto	Under construction
11	Jharon	27-3-58	2,000	Ditto	Ditto
12	Ramgarh Jowandi	27-3-58	2,000	Ditto	Ditto
13	Toliwal	14-10-58	2,000	Ditto	Completed
14	Toqi pur	27-3-58	630	Ditto	Under construction
15	Cheema	7-2-58	250	For Children Park	Fitted
16	Sheron	7-2-58	250	Ditto	Do
17	Jakhepal	27-2-58	250	Ditto	Do
18	Jakhepal	27-3-58	250	For Community Recreation Centre	Started
19	Mander Kalan	27-3-58	250	Ditto	Do
20	Jakhepal	27-3-58	1,500	Construction of Culverts	Not completed due to floods
21	Cheema	27-3-58	400	Ditto	Completed
22	Sahoke	27-3-58	400	Ditto	Not completed due to floods
23	Ratoke	27-3-58	300	Ditto	Ditto
24	Jakhepal Hubmle Bas	27-3-58	1,300	Ditto	Under construction
25	Jakhepal Chowbas	27-3-58	800	Ditto	Ditto
26	Bakshiwala	27-3-58	289	Ditto	Ditto
27	Road Committee Longowal	31-3-58	400	Ditto	Could not be taken into hand as the consolidation work started after the advancement of Grants
			ON		
28	Daula Singh	29-10-58	1,000	For construction of drains	Under construction

GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOLS KARNAL

*3604. **Shri Ram Piara :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by Government on Government Higher Secondary School, Karnal, during the year 1958-59 and the total amount of fees collected from the students in the said school during this period;

(b) the number of students, class-wise, in the said school during 1958-59 upto 31st January, 1959 ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) (i) Total expenditure incurred by Government on Government Higher Secondary School, Karnal during 1958-59 (upto 31st January, 1959) Rs 62,883.13.

(ii) Total amount of fees collected from students in the said school during 1958-59 (upto 31st January, 1959) Rs 25,245.11.

(b) Class-wise number of students in Government Higher Secondary School, Karnal on the 31st January, 1959, was as under :—

Class	*No. of students*
V	217
VI	183
VII	164
VIII	162
IX	125
X	115
Post-Matric Class	22
Total	988

DEMANDS PUT FORWARD BY PANCHAYATS AT SEMINAR AND TOURNAMENTS HELD AT SAMALKHA

*3909. **Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) whether the demands put forward by the Panchayats at the State Seminar and Tournaments held at Samalkha in December, 1958, have come to the notice of Government;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the details of the said demands and the action taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) A statement containing details of the demands is laid on the Table. The demands are being examined for necessary action being taken.

List of the resolutions passed in the State Panches Seminar held at Samalkha' District Karnal, from 23rd to 28th December, 1958 and embodying their demands

1. The Government be requested to sanction such amounts of grants to the Panchayats as are equal to one-half of the total collections made by the Government from the Panchayat area through taxes.

2. The Government may be approached to allow the remaining Panchayats of the Punjab to levy Ahrat and Dharat Tax in the Panchayat areas.

3. Resolved that Panchayats in a position to levy Octroi duty on the import of various commodities be allowed to levy the same within their Panchayat areas.

4. Government be urged to allow the Panchayats to auction the dead cattle on contract basis. It has been noticed that the Harijans do not regard this business dignified.

5. Compulsory registration of the sale of cattle should be introduced in all Panchayats. Fee to be levied should be uniform in whole of the State i.e. 1 naya Paisa per One Rupee.

6. Resolved that as in Pepsu Panchayat Raj Act, 2008 sums received through fine, fees, etc. should be credited straight to the Gram Panchayat Fund, and the Panchayats as well Panchayat staff should be saved of the worry of depositing them in the Government Treasury and then sanctioning grant on the basis of the amounts of fines etc., deposited in the Treasury.

7. In the Panchayat areas where cattle fairs are held, the Panchayat concerned should be entitled to half of the income from such fairs to the District Board.

8. That in fairs other than cattle fairs, Panchayats be empowered to charge "Teh Bazari" from the shopkeepers.

9. That route permits be granted to Panchayats to run Bus Service. This can bring good income to them. Panchayats in Nalagarh Tehsil are running such service efficiently.

10. That as in Panchayat Raj Act, 2008 all Panchayats in the State be empowered to impose any tax without the permission of the Government.

11. That the Co-operative Act may be amended to facilitate enrolment of Panchayats as member of a Co-operative Society.

12. That the Panchayats of District Kangra are not being given Trini Tax as provided in Section 81(a) of the Gram Panchayat Act, 1952. Government should be requested to take early steps to give funds to concerned Panchayats for expenditure on development works.

13. That it should be made compulsory for the District Boards to pay 50 per cent of the taxes collected by them from the Panchayat areas to the Panchayats. In case of erstwhile Pepsu State area Government should pay to the Panchayats 50 per cent of the Local rate and such other taxes.

14. That 33 per cent of the Octroi duty collected by various Municipal Committees in the State should be deposited in a consolidated fund to be operated by the District Panchayat Officer for disbursement to the concerned Panchayats. It is a fact that Municipal Committee funds are mostly fed by Octroi duty charged on the goods produced by the villagers but the villagers are not given any share from that fund. Besides, a reasonable portion of the Marketing fee collected by various Market Committees should also be deposited in the same fund.

15. That Panchayats may be empowered to manage Bus and Tonga stands and charge necessary fees in this connection. In many places Bus Service and Tonga Service terminate in the Panchayat areas. Penalty for default in the payment of this fee should be provided in the Act or Rules.

16. That section 111 of Pepsu Panchayat Raj Act, 2008 as mentioned in resolution No. 10 and Section 112 of the same Act should be incorporated in the new Act, so that Panchayats may be able to derive more financial benefits .

17. That Panchayats may be given 50 per cent share of the royalty charged by Government on the quarries and shora extraction in Panchayat areas.

18. That 50 per cent of the total collections in the shape of voluntary collection by the Panchayat should be given to the Panchayats as a grant irrespective of Block Area or Non-Block Area.

19. That to discourage dowry system, Panchayats may be empowered to levy Dowry Tax to the extent of 10 per cent over dowries valuing more than Rs 500.

20. The office of the Naib Sarpanch be revived as was provided in the Punjab Village Panchayat Act, 1930, in order to facilitate the working of the Panchayats and to eradicate party faction amongst the Panches on the election of Sarpanch.

21. The quorum of the Panchayat should be by the majority of the Panches.

22. Sections 172, 173, 174, 175 and 291 of the I.P.C. may be included in the sub-section (3) of section 43 of Punjab Gram Panchayat Act, 1952, so as to enable the Panchayat to try these offences suo moto.

23. The District Panchayat Officer be empowered to accord sanction to the Panchayats for taking interest free loans for the completion of development work.

24. The Panchayats face cumbersome difficulties in getting sanction to the imposition of special tax for some special community project of the Panchayat from the Director of Panchayats. It takes them a lot of time and in order to avoid this difficulty, the Assistant Directors of Panchayats may be delegated powers to accord sanction for the imposition of special community tax.

25. The completion certificate of any work undertaken by a Panchayat should be from the Panchayat Officer and not from the Overseer or the District Engineer whose services are not available to Panchayats in all cases.

26. Instead of District Panchayat Officers the Panchayat Officer should be authorised to attest the T.A. Bills of the Panches to ensure speedy payments to the Panches/ Sarpanches.

27. The Panches and Sarpanches while going out from the Panchayat area on some Panchayat work should be allowed to charge daily allowance at the rate of Rs 2 from the Panchayat fund and this should be a valid charge on the gram fund.

28. As provided in the Pepsu Panchayat Raj Act, 2008, the Panchayat should be authorised to take security measures within the Panchayat area against mis-creants. Panchayat should be authorised to take security bond and personal bonds upto Rs 500 from any person to keep peace and tranquility in the village.

29. The Panchayats face good deal of difficulty in securing presence of the accused before them. It is, therefore, demanded that a provision should be made to empower the Panchayats to issue warrants against the accused and the police should execute such warrants.

30. With great pain it is generally felt that the Panches and Sarpanches are unnecessrily harassed and put to trouble by the Police taking proceedings against them under section 107/151, Cr. P.C. The Sub-Committee with all the emphasis at its command urges the Punjab Government that no proceedings under section 107/151, Cr. P.C. be taken against any panch or Sarpanch by the Police unless and until the three neighbouring Sarpanches or the Panchayat Officer is not joined in the investigation of the case against any panch or sarpanch. It is further suggested that immediate and strict instructions be issued to the police department in this respect.

31. Sections 504, 509 of the I.P.C. be included in Schedule I (A)of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952.

[Minister for Health and Panchayats]

32. It is generally seen that the bailiffs and the tehsil peons who execute the recovery warrants of panchayat dues generally make false reports regarding the presence and availability of the defaulters. It is therefore urged that necessary instructions be issued to the officers concerned that no such report should be regarded valid and true unless it is attested by the Sarpanch or a Panch of the Panchayat area.

33. A great difficulty is experienced by the Panchayats in defending their interests when the revision against their orders and notices under sections 21, 22 and 23 of the Gram Panchayat Act are heard by the Deputy Commissioner or the Officer to whom the powers have been delegated under section 97 of the Act. Panchayats are also feeling that their cases regarding the Village Common Lands Act are not being properly defended in the Courts of Law. It, is therefore, resolved that the Government should provide legal assistance through the Government Pleader or some other Pleader to Panchayats at all sub-divisions and district headquarters so that the interests of the public and the Panchayats may be safeguarded.

34. In section 24 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, the words "Gram Sewak" and "Block Overseer" should also be included.

35. The Cattle Pounds Act should be amended so that every Panchayat should be able to start its own cattle pounds and the income therefrom should form a part of the Gram Fund.

36. Under the Gram Panchayat Act, 1952, as provided in Schedule I appended to this Act, Panchayats are empowered to take cognizance of the offences under section 379/411, I.P.C. where the value of the property stolen does not exceed Rs 50. The amount of the value of the stolen property be raised from Rs 50 to Rs 250. It is further resolved that section 427 I.P.C. be also included in schedule I with the limitation that the Panchayats should try this offence where the loss does not exceed Rs 250.

37. In order to save the masses from unnecessary and cumbersome litigation any Civil and Revenue suits where the parties are willing to have a compromise, be sent to the Panchayat concerned for conciliation and compromise and in case of criminal cases, all such cases in which the offence committed is compoundable be sent to the Panchayat concerned to get the compromise effected within 15 days. It is suggested that the Magistrate should send the papers to the Panchayat to get the compromise effected between the parties within 15 days from the receipt of the papers. If the Panchayat fails to get effected compromise the court may proceed on with the case according to law. The Panchayat should in no case express its opinion in the case.

38. Shamlat Patti, Pana, Thola, Tika, etc., should be included in the definition of shamlat deh and such lands should vest in Panchayats.

39. Gatwars situated in Shamlat Deh of which Nagar Panchayat has become owner, should be included in the definition of Shamlat Deh.

40. Shamlat Bill, 1958 still does not define, "Goradeh," "Goradeh" be defined in the proposed Bill.

41. Certain Sub-sections of section 2, 3 and 4 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 1958, are such that by virtue of the same most of the Shamlat will go out of hands of the Panchayats and only capitalistic Companies or big landlords would be benefited by them,which is against the directive principle of Constitution regarding attainment of socialistic pattern of Society. Therefore such sub-sections should be suitably amended and for that purpose a select committee duly represented by the Panches should be formed before this Bill may find place in statute book.

42. The Security of Land Tenure Act, 1953 should not apply on the Shamlat Lands so that these lands may be utilized or disposed of for the benefit of entire Village Community, and might not become the property of the few selected persons. If tenants are in possession of certain shamlat deh for a very long time but entry in the Revenue record against their names show such words as "Kasht Muzara Bila Lagan Bawase "Lailmi" or Bila Lagan bawaza Zabardasti" then tenants be dispossessed from such lands and Panchayats be given possession of the same.

43. In second proviso of section 5(1) of Punjab Village Common Lands (Regulation) Bill the word "Cultivable" be added before the word "land" so that there may not be any dispute about lands uncultivable or those utilized for some other purposes.

44. Such shamlat deh which are in possession of a mortgagee for 20 years or more should be deemed as redeemed just like evacuee property.

45. The Revenue of such shamlat deh whose owners are dholidar, mafidar and bhondedar should be paid by them, respectively and the liablility for land revenue of such lands should not be on Panchayats. Immediate necessary direction should be issued to the revenue department in this respect.

46. Rule 7 of the shamlat Rules is impracticable. It needs amendment so that only owners of 5 acres or lesser than that may take Shamlat Deh on lease and the maximum limit of cultivable shamlat land to be leased out by a Panchayat to any particular individual should not exceed 10 acres.

47. Now-a-days under Punjab Minor Mineral Rules Government of Punjab is taking Royalties from Panchayats for extraction of Kankar, Bajri, Lime Stone etc., from shamlat lands. Since the income from such Shamlat lands is spent by Panchayats on works of public utility, such lands should be exempted from the operation of the said Mineral Rules, and the Panchayats be given full powers on such shamlat Deh.

48. At the time of consolidation of holdings some times Panchayats are allotted such wells which have been out of work for a very long time therefore Panchayats should not be burdened for payment of compensation of such un-workable wells.

49. At the time of consolidation of holdings, sufficient land be reserved for extension of population and manure pits and such land should be divided there and then in consultation with the Panchayats so that there may not be a dispute on such lands in the village afterwards. An entry be made in revenue records in respect of such lands that nobody would be competent to sell, lease or alienate such lands in any other manner.

50. Government of Punjab should take immediate and effective steps for demarcation and delivery of physical possession of Shamlat Deh to Panchayats.

51. The various notifications issued by Forest Department should not apply on shamlat deh so that Panchayat may utilize such lands under Shamlat Act for the betterment of entire village community.

52. The Pay of Panchayat Secretaries should be given to Panchayats in the shape of Government grant. As the resources of Panchayats are very meagre and they can not pay due attention to other development work after paying salary of the Secretary.

53. It has been experienced that some time grants/loans are not given to right persons the committee is of the opinion that such loans should invariably be given through the local Panchayat and the Panchayat Officer concerned.

54. The sub-committee is of the opinion that Panchayats should be given representation in the Upper House just like local bodies and District Board.

55. District Panchayat Union should be established instead of District Board whose members should be selected from the Panches of Panchayats in the district.

56. The house is of the opinion that each Panchayat should have abadi map which should be got prepared on Government expenses in the first instance.

57. On account of any mistake committed by Panches in the course of their duties under the Act, the cases should not be handed over to Police before a departmental enquiry is carried out in the case.

58. The house is of the opinion that the unified Act should be put to Legislature at the earliest possible and elections should be held forthwith.

59. The appointment and dismissal of village Chaukidar should be made on the recommendations of the Panchayat concerned.

60. In order to raise the social status of Panches they should be given due regard in public and official meetings and other matters.

61. Panchayat Officers should be provided with a clerk as he is supposed to be on tour for about 22 days in a month and Panches face disappointment when they go to his office and return unattended.

[Minister for Health and Panchayats]

62. For the construction of Panchayatghar in the village 50 per cent Government grant may be given.

63. The Panches should have free access in the Zailghars, just like old Zaildars.

64. Government may be requested to award a grant on 50 per cent basis for the construction of buildings (Panchayatghar) at Tehsil, District and State Headquarter.

65. Panchayats be empowered to prohibit the sale of harmful eatables etc. within the Panchayat area.

66. The Panchayats may be empowered to ban the un-social and un-economic customs and conventions with the previous approval of the 'Director of Panchayats' Punjab.

67. The Panchayats Works Rules may be simplified and the limit of Rs 2,500 be extended to Rs 5,000 for sanction.

68. The District Panchayat Officer may be authorised to assess the loss under section 105 of the Gram Panchayat Act and its revision may lie with the Assistant Director of Panchayats.

69. Government may be approached to start Gosadhans for old and infirm cattle..

70. Panchayat Day should be celebrated throughout the state by the Department.

71. Panchayat Unions may be notified immediately.

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस examination को कितने दिन लगेंगे और कब तक यह demands पूरी हो जाएंगी ?

मंत्री : कई बहुत जल्दी हो जाएंगी और कई को देर लगेगी ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह कौन सी demands हैं जिन को देर लगेगी और वह कौनसी हैं जो जल्दी हो जाएंगी ?

मंत्री : यह 71 के करीब demands हैं। इन को देख लेंगे। जो जल्दी करने वाली होंगी वह जल्दी हो जाएंगी ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : अभी वज़ीर साहिब ने फरमाया था कि इस में कुछ demands ऐसी हैं जो जल्दी होने वाली हैं और कुछ ऐसी हैं जो देर से होने वाली हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जल्दी से होने वाली कौनसी हैं और देर वाली कौनसी हैं ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि यह 71 demands हैं और अगर आप तफसील से पूछना चाहते हैं तो मेरे दफतर में आ जाएं ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं पूछना चाहता हूं कि देर से करने की क्या वजूहात हैं ?

मुख्य मंत्री : What to talk of delay in their disposal it is likely that some of them might be rejected.

CONTRACTORS APPOINTED BY PANIPAT CO-OPERATIVE SUGAR MILLS AUTHORITIES, PANIPAT

***3589. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) the names of contractors appointed by the Panipat Co-operative Sugar Mills, Panipat in the year, 1958, for getting sugarcane,

the name of centres of the Contractors and the quantity of sugarcane supplied by each upto 31st January, 1959;

(b) whether the contracts of some of the contractors have been cancelled; if so, when and the reasons therefor;

(c) whether any of the contractors referred to above served the authorities of the said Mills with a registered notice; if so, the contents of the notice and the action taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh (a) the requisite information is placed on the Table of the House.

(b) No.

(c) Yes. Shri Inder Singh of Alola Centre served a notice that his truck should be weighed and purched at the Automatic weigh bridge and that his Agent should be recognised. The authorised authorities of he Mills discussed the matter with him and he was fully satisfied.

Information regarding part (a) of the Starred Question No. 3589.

	Name of the Centre	Name of the Contractor	Quantity received upto 31st January 1959 Mds.	Sr.
1.	Bhalgarh	Shri Bhagwan Dass	15,708	30
2.	20th Mile towards Delhi	Hathwala Large sized Thrift and Credit Co-operative Society	24,247	10
3.	Hathwala	Hathwala Large sized Thrift and credit Co-operative Society	48,738	5
4.	Samalkha	M/s Nathu Ram Jai Prakash	40,968	15
5.	Safidon	M/s Nathu Ram Jai Prakash	8,586	30
6.	Shahpur	The Panipat Goods Transport Union	42,417	5
7.	Israna	The Panipat Goods Transport Union	60,250	25
8.	Goli	The Panipat Goods Transport Union	15,732	25
9.	Sanoli	The Panipat Goods Transport Union	39,237	15
10.	Bhalsi	The Panipat Goods Transport Union	52,006	5
11.	Gharaunda	M/s Tulsi Dass-Jagtar Singh	70,110	25
12.	Chaura	M/s Tulsi Dass-Jagtar Singh	37,189	15

[Minister for Health and Panchayats]

Name of the Centre	Name of the Contractor	Quantity received upto 31 January 1959	
		Mds.	Sr.
13. Kutail ..	Samalkha Goods Transport Union, Samalkha	35,180	25
14. Nagla Crossing ..	Sardar Bhagwan Singh ..	46,911	10
15. Barota ..	Sardar Bhagwan Singh ..	37,130	00
16. Mughal Majra ..	Dewan Iqbal Nath	59,485	15
17. Rambha ..	Sardar Lakha Singh ..	27,916	25
18. Gagseena ..	Sardar Lakha Singh ..	37,908	20
19. Jundla ..	Shri Joginder Singh ..	41,662	20
20. 9th Mile on Karnal-Kaithal Road	Shri Joginder Singh ..	22,541	25
21. Alola ..	Shri Inder Singh ..	32,721	10
22. Nilokheri ..	Guru Nanak Transport Co. ..	34,117	30
23. Kurukshetra ..	Shri Darbari Lal ..	5,361	35

श्री राम प्यारा : क्या यह हकीकत है कि जिस बिना पर यह contract cancel हुआ वह बिना यह थी कि कांटा कम वज़न तोलता था ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary.

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट को कोई ऐसी representation मिली कि कांटा जो लगा हुआ है वह वज़न कम तोलता है ?

Mr. Speaker : The hon. Member is giving information. This is not a supplementary.

श्री राम प्यारा : मैं ने जनाब सवाल में पूछा है कि क्या किसी contractor ने notice दिया है कि कांटा वज़न कम तोलता है और इस बिना पर contract cancel हुआ ?

मंत्री : मैं ने जवाब दे दिया है कि 'No'.

श्री राम प्यारा : मेरे पास उस Registered Acknowledgment due notice की नकल है जो गवर्नमैंट को दिया हुआ है कि कांटा कम तोलता है इस वजह से ठेका नहीं रहना चाहिए ।

Mr. Speaker : Then what are you driving at ?

श्री राम प्यारा : इन्होंने कहा है कि वह satisfy हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि उस notice के contents क्या थे ।

श्री अध्यक्ष : यही होंगे कि कम तोलता है। (The contents might be that the measure weighs less.)

श्री राम प्यारा : यह कहते हैं कि वह satisfy हो गया। अगर वह satisfy हो गया तो भाग क्यों गया ?

LAND RESERVED FOR CLUB AND CHILDREN'S PARK IN MODEL TOWN KARNAL

***3590. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the area of land reserved for the club and children's park in the Model Town, Karnal ;

(b) whether the possession of lands referred to in part (a) above has been delivered to the Model Town Society (Regd), Karnal; if so, when, if not, the reasons therefor and the time by which it is expected to be delivered ?

Rao Birendar Singh (a) Area of the sites reserved for the club and Children's Park in Model Town, Karnal, is 3 acres and 3.5 acres, respectively

(b) No. The site reserved for the club has been used for water tower by the Public Health Branch of the Public Works Department and that reserved for the Children's Park has been utilized for constructing a Government Middle Co-education School.

श्री राम प्यारा : यह कबज़ा कब तक दे दिया जाएगा ?

मंत्री : इस का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह जगह इस्तेमाल में आ चुकी है।

श्री राम प्यारा : इन्होंने कहा है कि club के लिए area reserve किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस का कबज़ा club को दे दिया गया है या नहीं और अगर नहीं तो कब दिया जाएगा ?

मंत्री : उस का इस्तेमाल पहिले ही हो रहा है तो अब कबज़ा किस चीज़ का ? मैं ने अर्ज़ कर दिया है कि एक जगह में स्कूल बन गया है और एक में water tower.

श्री राम प्यारा : पिछले session में यहां पर जवाब दिया गया था कि दो जगहें इस काम के लिये reserve की गई हैं लेकिन किसी registered society ने apply नहीं किया इस लिए कबज़ा नहीं दिया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं..........

Mr. Speaker : He has stated that it is already being utilised.

श्री राम प्यारा : वहां park बन गया है और बच्चे खेलते हैं.......

श्री अध्यक्ष : तो फिर झगड़ा अब किस चीज़ का है ? (Then what is the point at issue now ?]

श्री राम प्यारा : मैं पूछना चाहता हूं कि उस का कब्ज़ा करनाल club को दे दिया गया है या नहीं ?

Minister : I have already stated 'No'.

श्री राम प्यारा : एक तरफ तो कहते हैं कि area Karnal Club के लिए reserve किया गया है दूसरी तरफ कहते हैं कि कब्ज़ा नहीं दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कब्ज़ा नहीं दिया है तो areas reserve करने का क्या मतलब है ?

मंत्री : स्पीकर साहब, मैं समझ नहीं सकता कि अब किस जगह का कब्ज़ा देंगे जब कि दोनों जगह पहले ही इस्तेमाल हो रही हैं और जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी वह बना दी गई है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि किस किस मकसद के लिये ज़मीन reserve की गई थी और किस किस मकसद के लिये इस्तेमाल हो रही है ?

Mr. Speaker : This has already been replied to .

CONSOLIDATION OPERATIONS IN TEHSIL PANIPAT DISTRICT KARNAL

***3908. Chaudhri Dharam Singh Rathi** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the time by which the consolidation work in tehsil Panipat, district Karnal, is likely to be undertaken ?

Rao Birendar Singh : Consolidation work will be taken up in Panipat tahsil as soon as the work in Kaithal Tahsil (which is in hand at present) is completed.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि कब तक इस्तेमाल खत्म हो जाएगा ?

Chief Minister : Within two years.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि ज़िला करनाल की पानीपत तहसील को पीछे रखने का क्या कारण है ?

ROUTE PERMITS FOR STAGE CARRIAGE, ETC., ON PATHANKOT-MANALI HILL ROAD

***3988. Raja Raghuvir Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of route permits for stage carriage, contract carriage, public carriers and private carriers (excluding those in the names of the Kulu Valley Transport Company and Himachal Pradesh Government Transport) so far issued by Government on the Pathankot-Manali Hill road together with the names and addresses of the persons to whom these permits have been issued;

(b) whether the Pathankot-Manali Transport Corporation has taken over any of the routes referred to in part (a) above; if so, the details thereof; if not, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh (a) The required statement is laid on the Table of the House;

(b) No. The Corporation has not yet commenced functioning.

Statement showing the number of route permits for stage carriage, contract carriage, public carriers and private carriers (excluding those in the names of the Kulu Valley Transport Company and Himachal Pradesh Government Transport) so far issued on the Pathankot-Manali Hill road with the names and addresses of the persons to whom these permits have been issued

Serial No.	Name and Address of the Company	Route	No. permits
	Stage Carriage		
1	Kulu Transport Co-operative Society	Bajaura-Kulu Katrain-Manali	2
2	Chiniot Transport Co. ..	Nagrota-Manali	2
		Pathankot-Joginder-Nagar	2
	Public Carriers		
1	M/s Sud and Co., Kulu ..		5
2	M/s Manali Goods Transport Co, Manali		2
3	Kulu Cooperative Transport Society, Kulu		2
4	Shri Om Dutt Sharma, s/o Pt. Hans Raj, Kulu		1
5	Kangra Goods Transport Co., Pathankot		2
6	Shri Onkar Nath, s/o Gujjar Mal, Pathankot		1
7	Shri Kudip Chand and Sons, Pathankot		1
8	Jullundur Ex-service men Transport Co-operative Society		1
9	Amritsar Transport Co. (P) Ltd., Amritsar		1
10	Shri Onkar Nath, S/o Ch. Gujjar Mal, Dalhousie Road, Pathankot		1
11	Shri Bishan Dass, S/o Ch. Gujjar Mal, Dalhousie Road, Pathankot		1
12	Shri Ved Bharat, s/o Girdhari Lal, Dhangu Road, Pathankot		2
13	Saraj Hill Co-operative Society, Banjar (District Kangra)		1
14	Kulu Transport and General Development Society		1
15	Lahaul Spiti Transport Co-operative Society		1
	Contract carriage		
1	M/s Krishan Dev-Milkhi Ram, V. and P.O. Barsar, District Hoshiarpur		1
2	Shri Mehar Chand, s/o Ralla Ram, Akhara Bazar, Kulu		1
	Private Carriers		
1	M/s Sud and Co., Kulu		3
2	M/s Hem Raj-Rup Lal, Kanak Mandi, Hoshiarpur		1
3	Major H.M. Benon, Manali		1
4	Shri Puran Chand and Co., Kulu		1
5	Seth Panchi Ram, Manali ..		1

राजा रघुवीर सिंह : जिन routes के permits public carriers को दे रहे हैं क्या ये nationalise होंगे ?

मंत्री : इस की detail के लिये आप अलहदा सवाल करें ।

INTRODUCTION OF REGULAR STAGE CARRIAGE SERVICE ETC., ON AUT-BANJAR ROAD IN KULU AREA

*3989. **Raja Raghuvir Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce a regular service of stage carriage, contract carriage and public carrier on the Aut-Banjar road in Kulu area; if so, the time by which it is expected to be introduced;

(b) the name of the company/society which is proposed to be authorised to ply such services on the said road and the maximum weight of the vehicle which would be allowed to ply on the road referred to above ?

Rao Birendar Singh: (a) Yes. There is a proposal to introduce one Passenger-cum-Goods return service on Aut-Banjar Road. The service will commence in the near future. There is no proposal to introduce any contract carriage on the road.

(b) Services will be operated by the Himachal Pradesh Administration. Maximum Registered Laden weight of the vehicle would be 14,500 lbs.

CONSTRUCTION OF SANIK REST HOUSE CHARKHI DADRI IN MOHINDERGARH DISTRICT

*3951. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date on which the foundation stone of the Sanik Rest-house, Charkhi Dadri in Mohindergarh District was laid;

(b) the date when tenders were invited in the first instance for the construction of the said building and the amount paid to the contractor concerned ?

(c) the date when fresh tenders, if any, were invited and the construction work on the said building started ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 25th October, 1956.

(b) 23rd October, 1956. No amount paid as the work was not taken in hand.

(c) Fresh tenders invited on 22nd April, 1958. Construction work started on 27th September, 1958.

CONSTRUCTION OF BRIDGE OVER DRAIN ON CHHUCHAKWAS-JAHAJGARH ROAD IN DISTRICT ROHTAK

*3953. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date on which sanction was accorded for the construction of a bridge over drain No. 8 of Chhuchhakwas-Jahajgarh road in district Rohtak and the year in which funds were first allotted for the execution of the work:

(b) whether the construction work on the said bridge has started ; if not, the time by which it is proposed to be started and completed ?

Chaudhri Suraj Mal (a) Sanction for the construction of the bridge was accorded on 13th October, 1958 and funds were first allotted in 1958-59.

(b) The work is in progress and is likely to be completed during 1959-60.

ROAD MILEAGE

*3952. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the percent age of road mileage based on hundred square mile of area, in each district of the state;

(b) whether Government have worked out any plans to remove the disparity in road mileage among the various districts in the State; if so, the detials thereof and the time limit, if any, fixed for the purpose ?

Chaudhri Suraj Mal :

(a) *Name of District*		*Metalled road mileage per 100 sq. miles as on 31st December,* 1958
1. Gurgaon	..	15.0
2. Rohtak	..	16.7
3. Hissar	..	10.3
4. Karnal	..	11.3
5. Ambala	..	17.2
6. Ludhiana	..	15.9

[Minister for Public Works]

(*a*) *Name of District*		*Metalled road mileage per 100 sq, miles as on 31st December,*
7. Ferozepore	..	10.7
8. Jullundur	..	19.6
9. Hoshiarpur	..	11.4
10. Amritsar	..	18.6
11. Gurdaspur	..	20.00
12. Kangra		2.5
13. Simla	..	3.8
14. Patiala	..	17.8
15. Sangrur		8.7
16. Bhatinda	..	10.8
17. Kapurthala	..	20.5
18. Mohindergarh	.	6.7

(b) Disparity in road mileage to some extent will be removed on implementation of the road development programme envisaged in the Second Five-Year Plan. Efforts will also be made in getting a levelling up of the road mileage per hundred square mile while drawing up proposals for Road Schemes in Third Plan.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि महेंद्रगढ़ जैसे ज़िले में सड़कों की percentage इतनी कम क्यों है और किस बिना पर गवर्नमेंट सड़कें बनाती है ?

मुख्य मंत्री : सड़कें किसी percentage से नहीं बनाई जातीं। हमारे पास महेंद्र गढ़ ज़िला में कमी है उसे हम दूर करना चाहते हैं।

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, may I know why there is so low a percentage of road mileage in Kangra District ?

Chief Minister : Statistics are not the good judgement.

इस में देखा यह जाता है कि population कितनी है। Hundred square miles से judge नहीं होता, population से judge होता है। We are trying to undo what we have inherited from our former rulers.

पंडित श्री राम शर्मा : जब गवर्नमेंट इज़लाह में सड़कें निकालती है तो किन किन बातों को निगाह में रखा जाता है ?

मुख्य मंत्री : अंग्रेज़ों के वक्त तो military का purpose होगा लेकिन अब हम जो सड़कें निकालते हैं तो लोगों की सिफारिशात और relative importance को ख्याल में रखते हैं। जैसे पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि District and Tehsil headquarters must be joined first.

श्री निहाल सिंह : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि हम ने जो अंग्रेज़ों के वक्त से disparity inherit की है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जो पैप्सू का इलाका अब पंजाब के साथ मिला है उस में महेंद्रगढ़ के इलाके में कितनी सड़कें और बनाई जाएंगी ?

मुख्य मंत्री : हम प्लान से बाहर नहीं जा सकते और प्लान के मुताबिक काम को execute कर रहे हैं। महेंद्र गढ़ को 20 लाख रुपये की इमदाद दी गई है।

श्री मुनि लाल : सड़कें जो population की basis पर बनती हैं, क्या hilly areas में भी population की basis पर सड़कें बनाई जाती हैं ?

श्री राम प्यारा : माननीय मन्त्री ने जो percentage of road mileage हर ज़िला के मुतअल्लिक बताई है उस के बारे में मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि erstwhile Punjab में इतनी disparity क्यों है ?

मुख्य मंत्री : अब पोज़ीशन यह है कि किसी ज़िले को Grand Trunk Road ज़्यादा मिल गई है और किसी को कम। हम इस के मुतअल्लिक criteria Third Five-Year Plan में fix करेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि महेन्द्रगढ़ का ज़िला पंजाब के साथ बाद में शामिल हुआ है लेकिन पोज़ीशन यह है कि पहले ही percentage of road mileage किसी ज़िले की कम है और किसी की ज़्यादा है तो इस में महेंद्र गढ़ के पंजाब के साथ बाद में शामिल होने का सवाल कैसे पैदा होता है ?

मुख्य मंत्री : जो हम ने plan बनाई हुई थी उसी को implement कर रहे हैं। फिर भी हम ने कांगड़ा और महेन्द्रगढ़ के लिये दूसरे ज़िलों से कुछ लाख रुपये निकाले हैं ताकि इन की advancement की जाए।

श्री रूप सिंह 'फूल' : ज़िला कांगड़ा जो पसमांदा इलाका है और जो पहले ही पंजाब में शामिल है उस की percentage of road mileage बहुत कम है। क्या गवर्नमैण्ट कोई special programme इस की development के लिये बनाने का इरादा रखती है ?

मुख्य मंत्री : कोई Special programme नहीं बनाया जा सकता।

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या यह सड़कें Second Five Year Plan में मुकम्मल कर दी जाएंगी ?

मुख्य मंत्री : कोशिश तो यही होगी लेकिन अगर यह काम इस अरसे में मुकम्मल न हुआ तो Head of the Department से पूछेंगे कि क्या वजह है।

RESOLUTION PASSED BY THE HINDI REGIONAL COMMITTEE

***3644. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government have taken any action on the Resolution passed by the Hindi Regional Committee recommending an enquiry through the Anti-Corruption Department into the administration of the Panipat Sugar Co-operative Mills, Panipat ; if so, what; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : The matter is under consideration of Government.

श्री राम प्यारा : इस resolution को पास हुए छः महीने हो गये हैं, यह मामला कब तक under consideration रहेगा ?

मुख्य मंत्री : इसी तरह देखते चलें।

पंडित श्री राम शर्मा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि मामला ज़ेर-ग़ौर है। क्या वह बतायेंगे कि यह किस stage पर है ?

मुख्य मंत्री : कुछ enquiries वज़ीर साहिब कर रहे हैं और कुछ साथ साथ होती रही हैं जब तक finalise नहीं होतीं यह मामला under consideration ही रहेगा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस मामले की इत्तलाह Hindi Regional Committee को भी दी जाएगी जिस ने यह resolution पास किया था ?

मुख्य मंत्री : अगर rules में provided है तो दे देंगे।

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि Sugar Co-operative Mills, Panipat की administration की enquiry कौन साहिब कर रहे हैं ?

मुख्य मंत्री : क्या आप उन को approach करना चाहते हैं ?

पंडित श्री राम शर्मा : Resolution में यह पास हुआ था कि यह enquiry Anti-Corruption Department के ज़रिए कराई जाए, तो क्या यह department enquiry कर रहा है ?

मुख्य मंत्री : महकमाना तरीके से पूछ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो Anti- orruption Department से भी करवा लेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उस resolution के मुताबिक गवर्नमेंण्ट यह enquiry Anti-Corruption Department से करवाने का इरादा रखती है ?

मुख्य मंत्री : महज़ यह कह देने से कि enquiry कराई जाए enquiry शुरू नहीं हो सकती। इस सिलसिले में पहले सारा material इकट्ठा करना पड़ता है। कई allegations ज़बानी लगाए जाते हैं और कुछ rumours होती हैं। यह सारा मसाला इकट्ठा कर के Anti-corruption Department से enquiry करा देंगे।

चौधरी धर्म सिंह राठी : अगर यह सारा मसाला चीफ मिनिस्टर साहिब को इकट्ठा करके दे दिया जाए तो क्या वह सीधे Anti-Corruption Department से enquiry कराने को तैयार होंगे ?

मुख्य मंत्री : इस मसाले को क्यों घर में रखा हुआ है ?

S.D.M. (CIVIL), NAWAN SHAHAR, DISTRICT JULLUNDUR

***3993. Sardar Harguranad Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the present S.D.M. (Civil) Nawan Shahar, district Jullundur was sent at Government expense to the United Kingdom for Local Bodies' training ; if so, the total expenditure incurred by Government in this respect ?

Sardar Partap Singh Kairon : It is correct that the present S.D.M. (Civil), Nawan Shahar, district Jullundur was deputed for training in Local Self Government Administration under the Colombo Plan in the United Kingdom, but the entire expenditure on training, including travelling charges from the port of embarkation and back after receiving training, was to be met by the Government of the United Kingdom. The Punjab Government was required to pay only local costs, which included the salary of the officer during his training abroad, expenditure on travelling upto the port of embarkation and back and other minor items, e.g. passport, medical certificate of fitness, etc. Figures regarding the total expenditure incurred by the Punjab Government on the Local costs are not available as the officer has not so far drawn his travelling charges.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਤਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ training ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਐਸੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਦੁਆ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

LATHI-CHARGE AND FIRING BY POLICE IN CONNECTION WITH BETTERMENT LEVY AGITATION

*4023. **Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) the names of persons, if any, who have been injured or killed separately due to Police Lathi-Charges or firing at various places in the State in connection with the recent agitation against Betterment Levy;

(b) whether any compensation is proposed to be paid to those who were injured and disabled on account of the said firing/lathi charges and to the heirs of those, who were killed;

(c) the total number of bullets fired by the Police at places referred to in part (a) above and the number of teargas bombs used, if any ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement containing reply to para (a) above is laid on the Table.

(b) There is no such proposal in hand as yet.

(c) (i) Thanesar (District Karnal) .. Nil

(ii) Attiana, P.S. Raikot, (District Ludhiana) .. 17 rounds of musket.
3 rounds of revolver.
26 tear smoke shells and grenades

[Chief Minister]

(iii) Dhaliwal, P.S. Nakodar (District Jullundur)		14 rounds of .03 bore bullets
(iv) Bundala, District Jullundur	..	Nil
(v) Kohala, District Jullundur	..	24 tear smoke shells and 28 tear smoke grenades
(vi) Sangrur	..	4 tear smoke shells
(vii) Naroor, P.S. Phagwara, District Kapurthala		18 bullets
(viii) Chathi, P.S. Sangrur, District Sangrur		11 tear smoke grenades

Statement

Serial No.	Place	Names of persons, who were injured	Names of persons who were killed
1	Lathi-Charge at Thanesar, District Karnal, on 27 th February, 1959	1. Kala Singh 2. Tarlok Singh 3. Tehl Singh 4. Shisha Singh 5. Waryam Singh	..
2	Firing at village Aitiana, District Ludhiana, on 5th March, 1959	1. Sadhoo Singh 2. Kher Singh 3. Surjan Singh 4. Didar Singh 5. Jas Ram 6. Nachittar Singh 7. Gurdial Singh 8. Chand Kaur, W/o Kishna Pannu 9. Ajaib Kaur 10. Bachan Kaur 11. Gurdial Kaur	1. Chand Kaur 2. Bachani
3	Firing at Dhaliwal, District Jullundur on 2nd March 1959	1. Udham Singh, s/o Gujjar Singh, of village Dhaliwal 2. Jagat Singh, s/o Hardit Singh Jat	..
4	Lathi-Charge at Bundala, District Jullundur on 9th Mach, 1959	1. Mohan Singh, r/o Bundala 2. Udham Singh of Bundala 3. Sohan Singh 4. Harbhajan Singh 5. Gurmit Singh 6. Mohan Singh, s/o Bishan Singh 7. Chanan Singh Jat 8. Rattan Singh Jat 9. Jaili Jat 10. Nazar Ram Adharmi of Rurka Kalan	..

Serial No.	Place	Name of persons, who were injured	Name of persons who were killed
		11. Darshan Ram Brahman of Rurka Kalan 12. Gian Singh Jhiwar of Barsin	
5	Lathi-Charge at Kohala (Jullundur) on 7th March, 1959	1. Hazara Singh of Kohala 2. Hari Singh of Kohala 3. Nirmal Singh of Kohala 4. Darshan Singh of Kohala 5. Saudagar Singh alias Sagar Singh of Kohala 6. Ranjit Singh Barber of Kohala 7. Pritam Singh Jat Chu—mara	..
6	Lathi-Charge at Sangrur, on 26th February, 1959	1. Sondha Singh, s/o Kinda Singh of Duggan 2. Nidhan Singh, s/o Mal Singh of Duggan 3. Moti Singh, s/o Fateh Singh of Duggan 4. Bhag Singh, s/o Prem Singh of Duggan 5. Gurdial Singh, s/o Arjan Singh of Duggan 6. Sarjit Singh, s/o Chhattar Singh of Duggan 7. Gurdial Singh, s/o Phuman Singh of Duggan 8. Harbhajan Singh, s/o Sampuran Singh of Duggan 9. Niranjan Singh, s/o Sunder Singh of Duggan 10. Sadhu Singh, so Nikka Singh of Duggan 11 Mal Singh, s/o Chanan Singh of Duggan 12. Ram Singh, s/o Bhag Singh of Duggan 13. Dalip Singh, s/o Gurbachan Singh of Bahadurpur 14. Baldev Singh, s/o Pritam Singh of Bahadurpur 15. Nikka Singh, s/o Phuman Singh of Bahadurpur 16. Gurnam Singh, s/o Chanan Singh of Bahadurpur 17. Thakar Singh, s/o Sampuran Singh of Kunran 18. Atma Singh, s/o Santokh Singh of Kunran	..

[Chief Minister]

Serial No.	Place	Names of persons who were injured	Names of persons who were killed
7	Lathi-Charge and firing at village Naroor, police station Phagwara, District Kapurthala on 12th March, 1959.	1. Rakha Singh 2. Surjan Singh 3. Samund Singh 4. Mohan Singh 5. Didar Singh 6. Bakhtawar Singh 7. Nand Singh 8. Kundan Singh	1. Basant Singh, s/o Jaimal Singh 2. Basant Singh, s/o Isher Singh 3. Ram Singh, s/o Naiya Singh 4. Smt. Santi 5. Lachman Singh
8	Lathi-Charge at village Chathi, police station Sangrur, District Sangrur, on 15th March, 1959	1. Sohna Singh, s/o Bhola Singh of Uppli 2. Sahib Ditta, s/o Rur Singh of Sangtiwala 3. Hardev Singh, s/o Chhota Singh, Retgarh 4. Jagir Singh, s/o Bhajan Singh Jat, Balad Kalan	..

9.00 a. m.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਲਿਸਟ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 67 ਆਦਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਮਰੇ ਨੇ ਅਤੇ 8 ਦਫਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ firing ਹੋਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਯਾ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਅਧ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ case deal ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਐਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ investigating authority ਕੋਲ ਨੇ । ਰੂਲਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Sardar Umrao Singh : Sir, may I know whether any assurance was given to the leaders of the communist-sponsored anti-Betterment Levy Agitation ?

Mr. Speaker : This question is not relevant.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ assurance ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੋ propaganda ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ mislead ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ।

Sardar Umrao Singh : Sir, may I know whether any representation was received by the Government from the Kisan Block of the Pradesh Congress?

Mr. Speaker : This is not a Supplementary Question.

The Question Hour is over now.

OBSERVATION BY THE SPEAKER EXPRESSING APPRECIATION OF THE WORK DONE BY THE SUBORDINATE LEGISLATION AND ASSURANCES COMMITTEES

श्री अध्यक्ष : आज हाऊस की कई committees की मयाद का आखिरी दिन है । इस मौके पर खास कर जो काम Subordinate Legislation Committee और Assurances Committee ने किया है मैं उस की बहुत सराहना करना चाहता हूं । उन्होंने बहुत मेहनत कर के अपने अपने काम में बहुत useful facts और figures इकट्ठे किये हैं । असल में उन्होंने वह important काम किया है जिस की बहुत देर से जरूरत थी । मुझे विश्वास है कि वज़ीर साहिबान ने हाउस में जो assurances दी हैं और जिन का जिक्र Assurances Committee ने अपनी रिपोर्ट में किया है गवर्नमेंट उन को top priority दे कर consider करेगी।

इसी तरह से मेरा विचार है कि Subordinate Legislation Committee की रिपोर्ट पर भी गवर्नमेंट विचार करेगी और कमेटी की suggestions के मुताबिक rules को amend करेगी । यह बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यह delegated legislation से ताल्लुक रखती है । मैं अर्ज़ कर दूं कि यह point Presiding Officers की conference में भी consider किया गया था और यह फैसला हुआ था कि इस प्रकार की legislation पर vigilance रखनी चाहिए । यह vigilance Subordinate Legislation Committee के through ही रखी जा सकती है । चूंकि यह कमेटी rules को scrutinise करती है और जो rules Acts की intention के खिलाफ जाते हों उन को point out करती है इस लिए यह बहुत useful committee है । कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त बहुत मददगार साबत होती है जिस वक्त कि वह Subordinate Legislation हाउस में consider किया जाता है । इस कमेटी की और भी ज्यादा ज़रूरत है क्योंकि rules बनाने की power Executive के पास है और कई बार वह ऐसे rules बना देती है जोकि उस Law या Act के scope से बाहर चले जाते हैं । मेरा ख्याल है कि इस कमेटी ने निहायत मेहनत से अपना काम किया है । अब मैं अगले साल के लिए various committees के members के नाम announce करता हूं ।

(Today the life of certain Committees of the House is going to expire. I avail myself of this opportunity to express my appreciation of the work

[Mr. Speaker]
done particularly by the Subordinate Legislation Committee and the Committee on Government Assurances. They have put in a good deal of labour and collected very useful data in their respective spheres. Indeed, they have done very important work which was needed since long. I am sure the Government will give due consideration to all those assurances given by the Ministers in the House, and mentioned by the Committee on Government Assurances in its report, on a top priority basis.

Similarly, I think, the report submitted by the Committee on Subordinate Legislation will be considered by the Government and the rules would be amended as suggested by the Committee. This is a very important thing because it relates to delegated Legislation. I may tell the House that this point was considered in the Presiding Officers' Conference and it was decided that vigilance should be exercised over such legislation. This vigilance can be kept only through the Committee on Sub ordinate Legislation. This Committee is very useful as it scrutinises the rules and points out those which go counter to the intention of the Acts. The report of the Committee proves helpful to the House when that Subordinate Legislation is to be considered in the House. The existence of this Committee is all the more essential when the rule making power vests in the Executive which may frame such rules as go beyond the scope of the law or Act under which they are made. I think the work accomplished by this Committee has been done with great diligence.

Now I announce the names of the Members of the Various Committees for the next financial year.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Mr. Speaker : Under rule 261(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following members of the Assembly to serve on the Committee on Government Assurances for the year 1959-60.

(1) Pandit Shri Ram Sharma.

(2) Shri Amar Nath Sharma.

(3) Sardar Atma Singh.

(4) Shri Ran Singh.

(5) Sardar Mehar Singh (Faridkot).

(6) Comrade Muni Lal.

7. Shri Prabodh Chandra.

8. Shri Roshan Lal.

9. Shrimati Sarla Devi Sharma.

Pandit Shri Ram Sharma will act as Chairman of the Committee.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

Mr. Speaker : Under Rule 265-B(1) of the Assembly Rules, I nominate the following members of the Assembly to serve on the Committee on Subordinate Legislation :—

(1) Sardar Bhupinder Singh Mann.

(2) Rao Abhai Singh.

(3) Chaudhri Dharam Singh Rathi.

(4) Shri Nihal Singh.

(5) Shri Lal Chand.

(6) Shri Mohan Lal (Gurgaon).

(7) Sardar Umrao Singh.

(8) Advocate-General.

Sardar Bhupinder Singh Mann will act as the Chairman of this Committee.

LIBRARY COMMITTEE

Mr. Speaker : Under rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the following members of the Assembly to serve on the Library Committee for the year 1959-60.

(1) Shri Rala Ram.

(2) Maulvi Abdul Ghani Dar.

(3) Sardar Gurmit Singh 'Mit'.

(4) Sardar Jasdev Singh Sandhu.

(5) Chaudhri Karam Chand Sidhu.

(6) Shrimati Sneh Lata.

Shri Rala Ram will be the Chairman of this Committee.

HOUSE COMMITTEE

Mr. Speaker : Under rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the following members of the Assembly to serve on the House Committee for the financial year 1959-60:—

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker (Ex-officio Chairman).

(2) Sardar Dhanna Singh Gulshan.

(3) Giani Kirpal Singh 'Shant'.

(4) Shri Mangal Sein.

(5) Sardar Sohan Singh (Baghapurana).

COMMITTEE OF PRIVILEGES

Mr. Speaker : Under Rule 274 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the following members of the Punjab Legislative Assembly to serve on the Committee of Privileges for the year 1959-60 .

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker (Ex-officio Chairman).

(2) Sardar Achhar Singh Chhina.

(3) Sardar Ajmer Singh,

(4) Dr. Baldev Parkash.

(5) Rao Gajraj Singh.

(6) Shri Harbhagwan Maudgil.

(7) Sardar Harcharan Singh (Mansa).

(8) Sardar Ram Dayal Singh.

(9) Shri Rup Singh 'Phul'.

(10). Sardar Sarup Singh.

NOMINATION OF CHAIRMEN OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE AND ESTIMATES COMMITTEE

Mr. Speaker : I nominate Rao Gajraj Singh to be the Chairman of the Public Accounts Committee for the financial year, 1959-60.

Mr. Speaker : I nominate Shri Harbhagwan Maudgil to be the Chairman of the Estimates Committee for the financial year, 1959-60.

PRESENTATION OF THE FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Pandit Shri Ram Shrma (Chairman, Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the fourth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1958-59.

EXTENSION OF DATE FOR SUBMISSION OF THE REPORTS ON THE CATTLE TRESPASS (PUNJAB AMENDMENT) BILL BY THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That the date for the submission of the reports on the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill by the Regional Committees be extended upto 8th April, 1959.

Mr. Speaker : Motion moved—

that the date for the submission of the reports on the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, by the Regional Committees be extended upto 8th April, 1959.

Mr. Speaker : Question is—

That the date for the submission of the reports on the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, by the Regional Committees be extended upto 8th April, 1959.

The motion was carried

BILLS

THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS (SECOND AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) :, I beg to move for leave to introduce the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill.

The leave was granted

Minister for Revenue : Sir, I beg to introduce the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill.

Minister For Revenue : Sir, I-beg to move—

That the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill be refered to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

The motion was carried.

THE PUNJAB UTILIZATION OF LANDS (AMENDMENT) BILL, 1958 (RESUMPTION OF DISCUSSION)

Mr. Speaker : When the Sabha Adjourned yesterday, Shri Ram Chandra Comrade was in possession of the House. He may resume his speech.

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर): स्पीकर साहिब, यह जो East Punjab Utilization of Lands (Amendment) Bill आज हमारे सामने पेश है, इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पहले यह देखने की ज़रूरत है कि Regional Committees की तशकील क्यों की गई। दूसरे यह कि अगर Regional Committees की तशकील हुई तो हम उन के फैसलों के साथ क्या सलूक करते हैं। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जब सूबाबन्दी की Commission बनी थी तो उस वक्त हरियाणा और पहाड़ के लोगों ने शिकायत की थी कि हमारी political और economical exploitation होती है। इस कारण से Regional Committees की तशकील हुई और उन को कुछ प्रबन्ध में राय देने का हक मिला। उसी हक के कारण यह बिल, जोकि आज हमारे सामने पेश है, Hindi Regional Committee के सामने भी पेश हुआ था। स्पीकर साहिब, हरियाणा और पहाड़ के लोगों को एक तो यह शिकायत है कि उन के साथ समान व्यवहार नहीं होता। उन पर पंजाबी Region वालों की तरफ से ग़लबा पाने की कोशिश की जा रही है। इस संबन्ध में एक और बात सूबा बंदी कमिशन की रिपोर्ट के सफा 145 पर दर्ज है—वहां लिखा है

> "The territorial claims for the proposed Punjabi-speaking State, however, ignore the line of division. They go so far as to include the whole of Ambala, the district of Karnal minus one Tahsil and portion of Hissar."

और आज उस का नकशा हमारे सामने है। करनाल के सारे ज़िले में फालतू ज़मीन पंजाबी रिजन वालों को allot कर दी गई है। जब इस तरह से दूसरे रिजन के लोगों को ले जा कर वहां पर आबाद किया जा रहा है तो लाज़मी तौर पर लोगों के दिलों में शकूक पैदा होते हैं। पंजाबी और हिन्दी Regional Committees बनाई तो इस लिये गई थी कि हिन्दी रिजन वालों की जो तकलीफ या शिकायत हैं उस को दूर किया जा सकें। लेकिन हकीकत यह है कि उन की तकलीफों को दूर करने की बजाए उन में इज़ाफा किया जा रहा है। पंजाबी रिजन वाले हिन्दी रिजन वालों पर गलबा पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के शकूक लोगों के दिलों में पैदा होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूं कि ऐसी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिये और उन की allot--ment करने के सिलसिले में हिन्दी रिजनल कमेटी ने जो तजवीज़ की थी उस पर ग़ौर होना चाहिये। मैं फिर अर्ज़ करता हूं कि जो proposal Hindi Regional Committee की तरफ से की गई थी और जो proposal हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पेश की गई उन में ज़मीन आसमान का फर्क है। जहां मैं ने यह अर्ज़ किया कि Backward और undeveloped इलाकों को facilities देने के लिए Regional Committees बनाई गई थीं वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो कानून पास किया गया था यह इसलिये किया गया था ताकि हरिजन, मुज़ारों और landless persons को rehabilitate किया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी तजवीज की जा रही है जिसमें हरिजनों तथा मुज़ारों का ज़िक्र तक नहीं तो हमें मायूसी होती है। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हम co-operative farming की तरफ बढ़

रहे हैं और ज़मीन की यकसां तकसीम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ज़मीन के उस तरीकाए तकसीम को देखते हैं जोकि सरकार की तरफ से बरता जा रहा है और जब हमें मालूम होता है कि तकसीम ठीक नहीं हुई तो हमें यह शेर याद आता है—

तेरा खलूस बजा पर ऐ नासेह मुशफिक,
तेरे सलूक से बेगाने याद आते हैं।

वैसे तो कहते हैं कि ज़मीन 30 Standard Acres से ज्यादा किसी के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी तकसीम के समय ज़मीनें उन को दी जा रही हैं जोकि पहले ही सौ सौ एकड़ और उस से भी ज्यादा ज़मीन के मालिक हैं। स्पीकर साहिब, एक और खूबी मैं बयान करना चाहता हूं। कल ज्ञानी जी ने कहा कि इस तरह से तो यहां तक कह दिया जाएगा कि जो लोग मग़रबी पाकिस्तान से आए हैं उन को बसाने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि जो लोग पाकिस्तान से आकर हिन्दी रिजन में आबाद हुए हैं वे तो हिन्दी रिजन के नागरिक हो गए हैं। उन के बारे में किसी के दिल में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग पंजाबी रिजन में रहते हैं, जिन के बाल बच्चे अमृतसर में रहते हैं, जो बड़े बडे Landlords हैं उनको क्यों इधर ज़मीनें दी गई हैं। यह कहा गया है कि उन लोगों ने उस जमीन में गंदम पैदा की है, चावल पैदा किए हैं और इस तरह से सूबे की पैदावार में इज़ाफा किया है। मैं मानता हूं कि यह दलील बजा है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या सरकार ने यह चीज़ देखने की कोशिश की है कि हिन्दी रिजन के उन backward और undeveloped इलाकों में भी ऐसे लोग हैं जोकि ज़मीन को काश्त करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। सरकार ने यह चीज़ देखने की कोशिश नहीं की। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को enquiry करवानी चाहिए यह देखने के लिए कि पिछले पांच सालों में जिन को ज़मीन allot की गई है वे कौन लोग हैं। क्या उन लोगों में ग़रीब हरिजन भी शामिल हैं? क्या उन लोगों में वे ग़रीब लोग भी शामिल हैं जोकि backward हैं, जो landless या जोकि मुज़ारे हैं और जिन को सरकार आगे ले जाना चाहती है? सरकार को देखना चाहिए कि क्या उन लोगों को भी जमीन मिलती है मगर "अजब तरतीब है मैखानाए आलम की ऐ साक़ी, कि ज़ाहिद पी रहे हैं तिश्ना लब मैं खार बैठे हैं"। Fate की irony है कि जिन लोगों के पास पहले ही बड़ी बड़ी ज़मीन हैं उन को और दी जा रही हैं और जो लोग हरियाणा और पहाड़ के रहने वाले हैं, ग़रीब हैं, backward हैं और landless हैं—जिन को ज़मीनें देने का दावा किया जा रहा है—वे बेचारे वहां से उठ कर अमृतसर और जालंधर में रिकशा चला रहे हैं।

स्पीकर साहिब, इस में कोई शक नहीं है कि जहां तक ज़मीन या जायदाद खरीदने के हक का सवाल है वहां सब लोग एक से दूसरी जगह पर जा कर ज़मीन खरीद सकते हैं और जायदाद बना सकते हैं। लेकिन जहां पर आबाद करने का सवाल है वहां यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों का हक होगा जोकि उसी गांव के या नज़दीक के रहने वाले हैं। जो

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

खाली ज़मीन किसी गांव में होती है वह उसी गांव के गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। अगर उस गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है तो फिर उसी इलाके के किसी दूसरे आदमी को वह जमीन मिलनी चाहिए। Original Bill में यह लिखा है कि He can lease it out to any person. District Magistrate की मर्ज़ी है कि वह land किसी को भी दे सकता है। यह बड़ी भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हिन्दी रिजनल कमेटी वालों ने सिफारिश की थी कि जिस गांव में ज़मीन वाके है उसी गांव के आदमी को ज़मीन allot करते समय prefer किया जाना चाहिए। अगर उस गांव का कोई ऐसा आदमी नहीं है तो उस जैल के आदमी को preference मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी राए में अगर कोई भाई पंजाबी रिजन का भी ऐसा है जिस का deserving case है तो हम उस को भी सीने से लगाने के लिये तैयार हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। जिस अफसर को ज़मीन allot करने का अधिकार है वह चाहे तो undeserving आदमी को ज़मीन allot कर सकता है। यह बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर अफसर लोग भी अपने आप को आज़ाद नहीं समझते। वे अपनी मर्ज़ी से भी काम नहीं कर सकते। उस का कारण यह है कि उन को ऊपर से वज़ीरों के इशारे पर चलना पड़ता है। तो जब किसी District Magistrate को आज़ादी नहीं है कि जिस तरह वह मुनासिब समझे कर ले और जिस को भूमि देना चाहे दे दे और जिस को न चाहे न दे यह ठीक नहीं है। यह कोई ठीक criteria नहीं है। इस लिये मैं अपने लीडर साहिब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि उन को यह बिल वापस ले लेना चाहिए और इस में जो तरामीम suggest की गई हैं, और जो गवर्नमेंट के programme के मुताबिक हैं यानी ज़मीन उन को दी जाये जो बेरोज़गार हैं या जो हाथ से काश्त करते हैं या जो बेज़मीन मुज़ारे हैं या यह हरिजनों को दी जायें, तो ऐसी amendment को लाकर बिल को पास किया जाये बजाये इस के कि इस को इसी शक्ल में पास करने के लिए insist किया जाये जिस शक्ल में इस को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है। यह जो तजवीज़ की गई है कि It should be leased out to landless tenants and small landowners और possessing less than five acres. तो क्या यह गवर्नमेंट की पालिसी और programme के खिलाफ है? अगर यह इस तजवीज़ के असूल को मानते हैं तो इस तजवीज़ के साथ दोबारा इस बिल को लायें तो हम इस की ताईद कर सकेंगे।

श्री मुलतान सिंह (बरौंडा) : स्पीकर साहिब, यह amendment कितनी ज़रूरी है इस का अन्दाज़ा इस बात से लग जाता है कि यह बिल जिस रोज़ पहले हिन्दी रिजनल कमेटी में आया था तो यह amendment जो कि बड़ी मामूली सी थी और पांच मिनटों में dispose of हो सकती थी, इस पर वह सारा दिन खर्च हो गया और उस के बाद जब दूसरी meeting इस कमेटी की हुई उस दिन भी सारा वक्त इसी amendment पर लग गया था। यह इस लिये भी ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज्यादातर यह एक ही ज़िले से ताल्लुक

रखती है। इस बिल का जो तमाम असर पड़ना है उस का 50 फी सदी असर मेरे ज़िला करनाल पर पड़ना है और 50 प्रतिशत बाकी सारे पंजाब पर पड़ना है और इस के साथ ही साथ अगर जमीन की कीमत लगाई जाये तो यह कोई थोड़ी कीमत नहीं है बल्कि यह करोड़ों रुपये बनती है जो by one stroke of pen उस ज़िला के लोगों से ले ली जायेगी। छः सात करोड़ की ज़मीन कोई मामूली बात नहीं हालांकि मामूली सी ज़मीन अगर किसी की चली जाती है तो कई खून खराबे हो जाते हैं। कल इस amendment के बारे में हमारे मोहतरिम वज़ीर ज्ञानी जी ने कहा था कि यह Constitution के खिलाफ जाती है। मैं इन की इस बात को concede कर लेता हूं पर इन से अर्ज़ करता हूं कि अगर यह amendment ठीक नहीं तो यह और कोई amendment ले आयें।

इस के बाद भार्गव साहिब ने कहा है कि हरियाणे वाले बार बार उस इलाके के ही सवाल उठाते रहते हैं। इस के लिये मैं यह इन्हें कहता हूं कि हरियाणे वाले ठीक कहते हैं अगर यह इन को ठीक नहीं लगता तो यह श्री विनोबा भावे जी को, जो कि पंजाब में पधार रहे हैं arbitrator मुकर्रर कर लें और इस बात पर उन से फैसला करा लें। जिस तरीका से वह चाहें उसी तरीका से इस ज़मीन की तकसीम की जाये। इस के लिये मैं अपने ज़िला के लोगों की तरफ से कहता हूं कि वह उन के फैसले को मानने के लिये तैयार हैं क्योंकि इस वक्त बड़ी उल्टी बातें की जा रही हैं। एक तरफ तो खुद काश्त करने वालों को पहले 50 standard एकड़ तक ज़मीन रखने की इजाज़त थी, उस के बाद यह 30 standard acres कर दी गई और अब उन को बकाया 20 standard एकड़ ज़मीन भी surrunder करनी पड़ रही है और दूसरी तरफ Land Utilization Act के तहत ली गई ज़मीन में से सैकड़ों एकड़ ज़मीन हमीरा Sugar factory के मैनेजर को दी गई है और इसी तरह से दिल्ली के एक सेठ को मदूद गांव में हज़ारों एकड़ जमीन दे दी गई है। पिछले साल इसी तरह से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो ली गई थी और किसी और आदमी को दे दी गई थी उस को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। उस बारे में मुकदमा चला और फैसला हुआ। इस तरह से साकरा गांव में फसाद हुआ है और 70,80 आदमी पीटने की बिना पर गिरफ्तार हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी ज़मीन ले ली जाये तो कम से कम यह किसी ढंग से ली जाये। भार्गव साहिब ने कहा है कि 1949 में जब वह चीफ मिनिस्टर थे यह Act पहले पास हुआ था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1952 में वह करनाल ज़िला में इस सभा की elections के लिये दो हल्कों में खड़े हुए थे, एक double हल्के से और एक single हल्के से......

(At this stage some hon. Members passed between the hon. Speaker and the hon. Member speaking).

श्री अध्यक्ष : Order, please. Hon. मैम्बर साहिबान इतना तो ख्याल रखा करें कि स्पीकर और जो hon. मैम्बर बोल रहा हो उस के दरमियान से pass

[श्री अध्यक्ष]

न किया करें। आप को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिये क्योंकि आप को दो दो साल तो यहां elect हो कर आए हुए हो गये हैं। (Order please, the hon. Members should at least see that they do not pass between the Chair and the hon. Member in possession of the House. Now they should be careful in observing this etiquette as thay have been here for two years after their election).

श्री मुलतान सिंह : तो मैं बता रहा था कि भार्गव साहिब 1952 में दो हल्कों से खड़े हुए थे और दोनों हल्कों से इन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी और इन की इस शिकस्त का कारण यह Land Utilization Act था जो इन के वक्त पास हुआ था वरना यह शिकस्त न खाते। इस लिये मैं अपनी गवर्नमेंट से अर्ज़ करता हूं कि किसी न किसी शक्ल में इस amendment को इस ऐक्ट में ला कर अज़ सरे नौ इस पर गौर किया जाये। अगर गवर्नमेंट यह नहीं मानती तो श्री विनोबा भावे जी जो यहां आ रहे हैं उन से इस जमीन की तकसीम के बारे में सलाह ली जाये और जिस तरह वह कहें उसी के मुताबिक ऐक्ट बनाया जाये। यह बड़ा अहम मसला है और इस को ठीक तरीका से हल किया जाये। हिंदी Region की कमेटी की amendment के न माने जाने पर हमारे ज़िला का बच्चा २ यह महसूस कर रहा है।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ 1949 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ region ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ region ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ amendment ਹਿੰਦੀ regional ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪਟੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਹੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ land reforms ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੌਰ ਖੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ land reforms ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ region ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ region ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ region ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ region ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਮੁਚ implement ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Land reforms ਜਿਹੜੀਆ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ suggest ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Land Utilisation Act, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ceiling ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ । ਅਜ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਭ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਜੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ suggest ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੇਚਾਰੇ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ sense ਹੈ ? ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ? ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ bogus societies ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ agrarian reforms ਦੇ ਜੋ Acts ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ sense ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ Act ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ authority ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 1949 ਵਿਚ ਜੋ Land Utilisation Act ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੇਠ ਜੋ powers ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਦਾ misuse ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੇ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ misuse ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ legislation ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ discretion ਅਤੇ authority ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ land reforms ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ । ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ land ਬਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾਂ ਹਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ State ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਜੋ basic ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ economy ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ amendment ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਕੂਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ State ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ । ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ amendments ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੀਆਂ parties ਦੀ ਇਕ committee ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । Parties ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ propaganda ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਢਣ ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज न केवल पंजाब के अन्दर बल्कि भारत के अन्दर हरेक हिस्से में पैदावार की महंगाई का शोर सुनाई देता है। आज इस बिल द्वारा जिस पर कि यहां कल से बहस हो रही है, हम इस मसले के हल करने

की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो ज़मीन 6 कटाई की बजाए 4 कटाई तक खाली पड़ी रहेगी उस को सरकार ले कर lease पर दे देगी, यह एक अच्छा कदम है जिस की कि यह House इजाज़त दे रहा है। लेकिन जो बात कल से बहस का मज़मून बनी हुई है वह वही है जो कि हिंदी रिजनल कमेटी में कही गई है कि ज़मीन उसी गांव या ज़ैल के व्यक्ति को दी जाए जिस में यह हो। स्पीकर साहिब, मैं यह बात समझने से कासिर हूं कि इस बात की मुखालिफत किस बिना पर हो रही है। कल वज़ीर साहिब ने इस बात पर बोलने का मौका दो तीन बार लिया और इस बारे में जो भी बातें और वजूहात रखी गईं वह किसी भी व्यक्ति की समझ से बाहर की बातें हैं।

इन्होंने यह कहा है कि Constitution इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी व्यक्ति पर bar लगाई जाए कि जहां भी वह चाहे, जिस जगह चाहें जिस गांव या ज़ैल में चाहे न रह सके। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी तहसील का रहने वाला हो और फिर यही नहीं इस हद को पार करके इस Region या उस Region के रहने वाला हो वह जहां पर चाहे आबाद हो सकता है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस तरह की बातें यहां पर कही गई हैं। यहां तक कि इस को एक controversy की बात बना दिया गया है। इस हाउस में claims और counter-claims होते रहे हैं। इस सारी बात को लेकर Punjabi Region और Hindi Region, Punjabi Suba और Hariana Prant को इस के अन्दर लाने की कोशिश की गई है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई सवाल था। यहां पर इस बात पर गर्मा गर्मी भी हुई और इस हद तक बात चली गई कि यह कहा गया कि इस से Regional Formula खत्म हो जाएगा। स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि जहां तक बिल की provisions का ताल्लुक है उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिस के मुताबिक वह ज़मीन उसी गांव या उसी ज़ैल के लोगों को दी जाए। या वहां के स्थानीय लोगों को इस मामले में preference दी जाए। मैं यह समझता हूं कि इस बिल में कोई constitutional बात न थी जो यहां पर लानी ज़रूरी थी। ऐसी कोई बात न थी जिस का ज़िक्र बहस के दौरान किया गया। यह ठीक है कि देश का संविधान यह कहता है कि अगर किसी ने ज़मीन खरीद करनी हो, कोई मकान या इमारत खरीद करनी हो या possession of property लेना हो वह किसी भी प्रान्त का हो किसी भी ज़िले या तहसील का हो, वह सिवाए जम्मू और काश्मीर के किसी भी प्रान्त में ज़मीन ले सकता है। लेकिन यह बात यहां पर कैसे लागू होती है। इस Act के मुताबिक ज़मीन सरकार ने लेनी है और हकूमत इस बात की power अपने हाथ में ले रही है कि जिस वक्त कोई व्यक्ति चार फसल तक खेत को utilize नहीं करता तो उस को सरकार किसी दूसरे व्यक्ति को allot कर दे ताकि पैदावार हो सके। देश में कम पैदावार का मसला है। इस को दूर करने के लिये सरकार इक्दाम कर सके इस लिये यह बिल पेश किया गया है और यह अच्छी बात है। इसी लिये छः फसलों की

[श्री बलराम दास टंडन]

बजाए चार फसलें कर दी गई हैं। सिवाए इस बात के कि ज़मीन किस को दी जाए और कोई बात Hindi Regional Committee की नहीं थी ।

(सरदार उमराओ सिंह की ओर से विघ्न)

आप आराम से सुनें, मैं सब बातों का जवाब देता हूं । इस लिये, स्पीकर साहिब, इस में जो कुछ कहा गया वह यह है कि ज़मीन उसी गांव के रहने वाले को या उसी ज़ैल और तहसील के रहने वालों को दी जाए जहां पर कि ज़मीन वाक्या है । मैं समझता हूं इस में Constitution की कोई बात नहीं । जिस की तरफ इशारा कर के कहा गया कि जहां कोई चाहे ज़मीन को खरीदने और property बनाने की उसे इजाज़त है ; वह बात यहां पर लागू नहीं होती । Constitutional पहलू को इस तरीके से और इस ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है कि जिस का इस से सम्बन्ध न था । इस की यहां पर ज़िक्र करने की कोई वजह नहीं बनती थी ।

हम रोज़ क्या देखते हैं कि executive machinery और Ministry कैसे काम करती है । सरकार की तरफ से धांधली मची हुई है । हाऊस के अन्दर हर बात पर ज़्यादा से ज़्यादा powers ली जाती हैं । फिर जो कुछ यहां पर होता है वह आप सब जानते हैं । Question Hour हो या किसी बिल पर debate हो या General Budget पर बहस हो तो सरकार को जो अफ़रा तफरी पड़ती है वह आप जानते ही हैं । मैं ने एक सवाल का जवाब मांगा था कि landless हरिजन कितने हैं जिन के लिये ज़मीन सरकार acquire करती है और किस basis पर उन्हें ज़मीन दी जाती है तो चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस बात का मजाक बनाया और हंसी हंसी में बात टाल दी । यह कह दिया कि हरिजन होना चाहिए ज़मीन का काम करता हो लेकिन जब जवाब मेज़ पर रखा गया तो पता चला कि Amritsar का हरिजन है उसे अमृतसर से 70 मील दूर ज़मीन दी गई है । सवाल इस बात का पैदा होता है कि किस तरह Government machinery corrupt ढंग से सारे का सारा काम करती है । इन सारी चीज़ों का हल सोचना ज़रूरी है । सोचना यह है कि जो कानून बनते हैं और जिन में सरकार की ओर से कोशिश इस बात की की जाती है कि वह एक खास ढंग से बनाए जाएं और corrupt practice इस्तेमाल करें लेकिन Legislature किस लिए है ? हम यहां पर इस लिए बैठे हैं कि जो बात censure करने की हो उसे censure करें । इन के action को देखें कानून को पास करने में बन्दिश लगाएं और executive machinery को खुले हाथ न दें corrupt practice करने की । और देखें कि सरकार किस ढंग से किसी legislation को लागू करने की कोशिश कर रही है । मैं समझता हूं कि Opposition के नाते हम सरकार के सामने वह नज़रिया रखें जो लोग चाहते हैं और फिर इस बिल पर न सिर्फ Opposition की तरफ से ही एतराज़ किये गये हैं बल्कि Treasury Benches पर बैठने वालों ने भी कोशिश की है अपना view point ज़ाहिर करने की । यह बेवजा नहीं थी । इस बिल में कुछ खदशात को जन्म दिया है । Hindi Regional Committee ने इसी लिए यह फैसला

किया है और सिफारिश की है कि सरकार limit मुकर्रर कर दें हद लगा दें, कि जमीन उसी इलाके के लोगों को दी जाए। यह नहीं कि अमृतसर ज़िले के अन्दर ज़मीन हो और benefit हिन्दी रिजन को हो या यह कि हरियाणा का कोई व्यक्ति हो और चीफ मिनिस्टर का वाकिफ हो या और किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त हो जिस का ज़मीन के साथ दूर का भी वास्ता न हो और जो इस काम को जानता भी न हो उसे फायदा पहुंचाने के लिये ज़मीन कहीं पर भी allot कर दी जाए। इस तरह की कोशिश करनी ठीक नहीं। सरकार के सामने देश के भले का प्रश्न है लेकिन इस तरह corrupt means के ज़रिए अपने आदमियों को नाजाइज़ फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह का नज़रिया पेश किया गया है ।

स्पीकर साहिब, दूसरी बात यह है जो यहां पर आई है कि Regional Formula खत्म हो जाता है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है इस के बारे में स्पीकर साहिब, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस हाऊस के अन्दर Regional Committees की अपनी सिफारशात आएंगी और जो दूसरी Committees होती हैं उन की सिफारशें भी आती हैं और हाऊस के सामने रखी जाती हैं और इस हाऊस के पास powers हैं कि उन सिफारशात को reject कर दें या मान लें। रद्द कर दें या दोनों कमेटियों की सिफारशों को एक कर दें या फिर भेज दें reconsider करने के लिये। Legislature के पास power है कि वह इसे जिस तरह चाहे ठीक कर सकती है। ठीक है अगर कोई असूली फर्क रह जाए तो गवर्नर साहिब ने फैसला देना है वरना मैं समझता हूं कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह करना अच्छा नहीं। यह सब एतराज़ किस बात पर हो रहे हैं इस सारी खराबी की जड़ Regional Formula है। देश के किसी भी और हिस्से में इस तरह की बात नहीं हो सकती और न हुई है। अगर इस बात को हाऊस नहीं मानता कि यह Opposition की तरफ से तजवीज़ की गई है तो Treasury Benches की तरफ से भी तो कही गई है। मैं नहीं समझता कि एक माकूल तजवीज़ को सरकार क्यों मानने को तैयार नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर यह कहना कि Regional Formula खत्म हो जाता है, या कि Hindi Region और Punjabi Region कायम नहीं रह सकेंगे ठीक नहीं है। अनेक बातें होती हैं पर बिल पर होती हैं लेकिन इस तरह की बातें न तो इस बिल के scope में आती हैं और न refer करनी चाहिए थीं। यह तो इन बातों को debate में खींचने वाली बात है। न तो पंजाबी सूबे वाले हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे न ही हरियाणा ज़िला के भाई खत्म हो सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि जो इस तरह की अड़चन है वह हमेशा रहेगी जब तक Regional Formula रहेगा। कोई सिफारिशात कमेटियों से आएंगी फिर यहां पर कुछ होगा फिर Council की तरफ से सिफारिशात होंगी फिर उस की तरफ से भेजी जाएंगी। वह सारी की सारी हाऊस के सामने आएंगी। तो इस तरह की अड़चनें तो रहेंगी। देखना तो इस बात को है कि जो सिफारिशात की गई हैं वह कैसी हैं, अच्छी हैं? यह नहीं कि वह Hindi Regional Committee ने की हैं या Punjabi Regional Committee ने की हैं। हमें तो बात के merits को देखना है। यह नहीं देखना कि किस को फायदा पहुंचता है

[श्री बलराम दास टंडन]

किस को नुकसान होता है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हालात को सामने रख कर हर बात को देखना ज़रूरी है। यह नहीं होना चाहिये कि किसी वज़ीर साहिब या चीफ मिनिस्टर साहिब के आस पास रहने वालों को फायदा पहुंचाया जाए और उन्हें हरियाणा प्रान्त में ज़मीन allot की जाए जिस ज़मीन पर उन का कोई हक न हो। इस तरह की बातों में किसी से रियायत नहीं की जानी चाहिये। Departments में जो कुछ होता है वह सब जानते हैं। Publicity Department में जो appointments होती हैं वह कैसे और किस आधार पर की जाती हैं ....

Mr. Speaker : Please try to be relevant.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं यह बातें इस लिये कर रहा हूं ताकि हाऊस को बता सकूं कि किस तरह से अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो किसी भी Department के अंदर कोई भी मद ऐसी नहीं जहां पर इस तरह की बातें नहीं होतीं। इस Department में एक clerk से लेकर Sub-Registrar तक इसी तरीका से हकूमत चलती है। और ज्यादा तरक्की उन लोगों की ही होती है जो undeserving होते हैं और जी हजूरिये होते हैं। Deserving लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। आज यह एक power और इस Amending Bill के जरिए से ली जा रही है कि एक खास शख्स को ही, एक खास ज़िला से लाकर खास मुकाम पर बिठलाने की कोशिश की जा रही है। और जब Consolidation Department इस पर अमल दरामद करेगा तो तरह तरह की नुकता चीनी की जायेगी कि यहां पर यह बात नहीं इस लिये आप को ज़मीन नहीं मिल सकती। इस तरह के बहाने बनाये जाएंगे। इस लिये स्पीकर साहिब, मैं आप से गुज़ारिश करूंगा कि पहले ही से इस किस्म का इन्तज़ाम किया जाये ताकि जो unchecked hands हैं उन को रोका जा सके।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ amendment ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਦੋ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਫ਼ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ amendment ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਤਾਂਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ assurance ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ landlord ਦੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ corruption ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ corruption ਅਤੇ ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਕ ਗਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ criticism ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ utilize ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ । ਹਲ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ ਦੋਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਬਿਟਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਅਤੇ corruption ਜਿਸ

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Consolidation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਏਥੇ land reform ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਚਾਰਿਯਾ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ land reform ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। Corruption ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to move:—

That the question be now put.

श्री अध्यक्ष : तकरीबन सब Members ने इस पर बोल लिया है। खैर जरा ठहरिये कुछ मैम्बर साहिबान और बोल लें। (Almost all the Members have spoken, still let a few more speak on it). (*Interruptions.*)

(*At this stage many hon. Members rose to catch the eye of the hon. Speaker, The hon. Speaker called upon Shrimati Om Prabha Jain.*)

10.00 a.m.

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय स्पीकर साहब,.......

चौधरी बालू राम : वक्त लेने के लिये खुशामद तो की नहीं जा सकती.....

श्री अध्यक्ष : इस में खुशामद का क्या सवाल है। मुझे अफसोस है कि एक आनरेबल मैम्बर को ऐसा ख्याल हुआ। (There is no question of ("खुशामद") I am sorry that the hon. Member thought like this.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦਾ ਲਫਜ਼ withdraw ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : I don't mind that.

Shri Harbhagwan Maudgil Sir, that is an aspersion on the Chair. He should be asked to withdraw his remarks.

Mr. Speaker : I do not mind that.

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, जब से land reforms का सिलसिला यहां चला और surplus land की बात हुई कि surplus land ले कर उन लोगों में बांटी जाए जो कि landless tenants हैं तब से ऐसे लोगों में जो ज़मीन की काश्त कर सकते थे लेकिन ज़रिया नहीं था, एक आशा की लहर दौड़ गई और वह हकूमत की तरफ भी आशा भरी आंखों से देखने लगे कि उन के भी कभी न कभी दिन पलटेंगे। आज जिस गांव में जाते हैं वहां का tenant, वहां का हरिजन किसान यही सवाल पूछता है कि उन को ज़मीन कब मिलेगी ? और इस में भी कोई शक नहीं कि जब से land reforms की बात चल रही है तभी से ज़मींदार और गैर-ज़मींदार के सम्बन्धों में बड़ा भारी फर्क आ गया है और उन के आपस के सम्बन्ध दिन-प्रति-दिन बिगड़ते जा रहे हैं और नतीजे के तौर पर हम आए दिन सुनते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं कोई murder हो गया तो कहीं कोई और फसाद हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बी-चौड़ी तकरीर में न पड़ें। (The hon. Lady Member need not try to make a long speech.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : इसलिए मैं समझती हूं कि जो मज़दूर हैं, जिन के पास ज़मीन नहीं है उन को बसाने की कोशिश की जाए तो अच्छा होगा। और हिंदी रीजनल कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है मैं उस की पुरजोर ताईद करती हूं। उन्होंने कहा है...... to lease to any person. यह गलत बात है जो यह कहा जाता है कि जिस ज़मीन पर 4 फसलों से काश्त नहीं उस के लिए एक कानून बनना चाहिए जिस के ज़रिए यह ज़मीन ऐसे आदमियों को बांटी जाए जिन के पास ज़मीन नहीं है। इस सिलसिले में मैं नागपुर में पास हुए joint co-operative farming के resolution का हवाला देना चाहती हूं जिस का मन्शा यही है कि जो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी गई है उस को co-operative farming के under लाया जाए और इस तरीके से yield per acre and per individual बढ़ाई जाए। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि वह ऐसे rules बनाए कि जिस के ज़रिए जिन लोगों के पास 5 ऐकड़ से कम ज़मीन है या बिलकुल नहीं उन को ज़मीन दी जाए मगर डिप्टी कमिश्नर को इस तरह की wide powers न दी जाएं कि वह जिस को जहां चाहे वहां ज़मीन दे सके। और साथ ही जो लोग cash crops पैदा करते हैं उन को इस की इजाज़त न दी जाए क्योंकि अनाज की समस्या बड़ी भीषण होती जा रही है। इस लिये food crops पैदा करने पर ज़ोर दिया जाए, ताकि विकट रूप धारण करती जा रही इस समस्या को हल किया जा सके।

[श्रीमती श्रोम प्रभा जैन]

एक चीज़ यह कही गई है और हिंदी रिजनल कमेटी की रिपोर्ट है कि उन leases को cancel कर दिया जाए जो दिये जा चुके हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि उन को बरकरार रखा जाए लेकिन आगे के लिये ज़रूर यह बात की जाए कि पहले ज़मीन स्थानीय लोगों को या उस तहसील के लोगों को देने में preference दी जाए। और यह जो cancel करने वाली बात है यह ठीक नहीं है क्योंकि न तो यह बात constitutionally ठीक है और न इस का कोई moral या humanitarian justification ही है।

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, again, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is:—

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said 'I think the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claim-d. Mr. speaker after calling upon those members, who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that th division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

माल मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : मुहतरिम स्पीकर साहब, इस बिल पर हाऊस में कल से जो एतराज़ हुए हैं वह एतराज़ रिजनल कमेटी की मीटिंग में भी पेश किए गए थे। उस वक्त यह कोशिश की गई थी कि उन का पूरा जवाब दिया जाए और समझाने की कोशिश की गई लेकिन जिन्हें समझना मंजूर नहीं उन के लिए फिर बड़ा मुश्किल है। कौन सी ऐसी नई बात कही जाए कि जिस से मेरे दोस्त चौधरी धर्म सिंह राठी को मनाया जाए। मैं ने पंडित श्री राम शर्मा और चौधरी धर्म सिंह राठी जी की speeches को सुना। मैं ज़रा सी इस के बारे में पोज़ीशन वाज़े कर दूं कि एक छोटा सा बिल है जिस का Principal Act सन् 1949 में इस हाऊस ने पास किया था, उस के बाद कुछ ज़िलों में ज़मीनें दी गई थी उन ज़मीनों के लिये जिन को आज 8 साल के करीब का अर्सा हो गया, एतराज़ करना और यह कहना कि claims cancel कर के उन लोगों को ज़मीनें दी जाएं जिन की वह ज़मीनें हैं, साथ ही हरिजनों का और गरीब आदमियों का नाम लिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। इस Amending Bill के लाने का मतलब यह था कि इस ऐक्ट के तहत जो ज़मीन ली जाती थी वह इस तरह से ली जाती थी कि अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन में 6 साल तक काश्त नहीं करता तो उस को acquire कर लिया जाता था लेकिन अब यह मकसद है कि अगर चार फसलों तक फसल उस ज़मीन में न हो तो उस को ले लिया जाए। इस के साथ ही यह शर्त है कि जो ज़मीन इस तरह से ले कर lease पर दी जाएगी उस में सिर्फ अनाज की फसल पैदा की जाएगी। अब चूंकि अगर ऐसी ज़मीन किन्हीं ऐसे हरिजनों के पास,

जिन के पास अपने मवेशियों के लिये चारा पैदा करने के लिये और ज़मीन न हो, दी गई है तो उन को हक दिया गया कि वह चारा भी पैदा कर सकें......इतनी सख्ती नहीं की जा सकती कि वह सिर्फ अनाज की फसल ही उगाएं और दूसरी चीज़ों के लिये तरसते फिरें। इस लिए यह रियायत देने के लिये यह तजवीज़ रखी गई है कि वहां सिर्फ food crops उगानी ज़रूरी नहीं होंगी बल्कि उस बंजर ज़मीन को तोड़ने वाला और फसलें भी बो सकता है। इस बात के लिये हमें यह amendment लानी पड़ी है। इस पर जो एतराज़ात हुए हैं वह, स्पीकर साहिब, आप ने सुने हैं। यह एक बहुत मामूली बात थी लेकिन Opposition के दोस्तों ने Bill के scope से बाहिर जा कर बातें की हैं और करनाल के भाइयों ने भी जज़्बात में आकर speeches की हैं। उन्होंने Hindi Region के लोगों का मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर Hindi Regional Committee की Report को मान लिया जाए तो फिर इस Act का मकसद ही खत्म हो जाता है। मैं आदादो शुमार दे कर वाज़े करूंगा कि अगर उन्हीं ज़ैल के लोगों के लिये यह कड़ी शर्त रख दी जाए जिस में यह ज़मीनें हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो उन को काश्त करने के लिये आगे आएंगे। अगर उन गांव के और आस पास के लोग मिल कर उस ज़मीन को आबाद कर के काश्त करते हैं तो उस से उस इलाके की भलाई है। अगर वहां की ज़मीन बंजर पड़ी रहती तो उस से क्या फायदा हो सकता था। इस लिये मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के अपने interest में है कि वहां की ज़मीनें काबले काश्त बनाई जाएं।

दूसरी तजवीज़ जो Hindi Regional Committee ने की है वह यह है कि ऐसी ज़मीनें जो lease पर दी जा चुकी हैं उन leases को cancel कर दिया जाए और जिन लोगों ने 8, 9 साल मेहनत करके और खर्च करके, उस ज़मीन को आबाद किया है उन को बगैर compensation दिए निकाल दिया जाए। यह कैसी अजीब बात है। हम उन लोगों को वहां से उजाड़ कर कहां भेज सकते हैं। इस सिलसिले में हम ने Legal Remembrancer की राय ली है। उन की कानूनी राय यह है कि हम उन के rights को खत्म नहीं कर सकते। हमारा Constitution इस बात की इजाज़त नहीं देता। Hindi Regional Committee की Report को देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है। प्रोफैसर शेर सिंह जो Hindi Regional Committee के active member हैं और इस Bill पर खास तौर से active थे उन्होंने यह याद नहीं रखा कि उन्होंने अपनी Report में क्या recommendations की हैं। Professor साहिब ने कहा है कि ज्ञानी जी ने यह बात ठीक नहीं कही कि हम चाहते हैं कि वह lease जो दिए हुए हैं cancel कर दिए जाएं। उन की अपनी लिखी हुई Report की जो आखरी lines हैं वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं। इस में लिखा है—

> "It further provides that all such leases given under this Act to such persons, who were not bonafide residents of the same zail in which the land was situated on the day when the land was taken into possession under section 3 of the Act shall be cancelled forthwith."

[माल मंत्री]

स्पीकर साहिब, यह उन की अपनी Report है और इस को लिखने वाले कहते हैं कि हम ने तो ऐसा चाहा ही नहीं है। इस से ज़ाहिर होता है कि वह असलियत की तरफ कितना ध्यान देते हैं और किस तरीके से अपने मकसद को पूरा करने के लिये उन Land-Lords की मदद करना चाहते हैं जो कि ज़मीन को काश्त नहीं करते। वह उन हरिजन और गरीब लोगों को जिन्होंने वह ज़मीनें आबाद की हैं वहां से उजाड़ना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि Hindi Regional Committee के मेम्बर साहिबान ने बगैर सोचे समझे इस तरह का step लेने की तजवीज़ की है। हमारे दोस्त पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी राठी साहिब की तरह जज़बात की रौ में बहना शुरू कर दिया है।

(The hon. Minister was still on his legs when the House adjourned. The House reassembled after interval at 11.15 a.m.)

माल मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस House में जो इस Bill के मुताल्लिक चंद साथियों की तरफ से बातें कही गई हैं उन का जवाब देना मैं इस लिये ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि वह दीदा दानिस्ता की गई हैं। उन के मुताल्लिक वह खुद दिल में जानते थे कि यह ठीक नहीं है। पंडित श्री राम जी ने और राठी साहिब ने कहा था कि food के मसले को हल करने के लिये यह ज़मीनें सिर्फ food crops बोने के लिये ही इस्तेमाल होनी चाहिएं। लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि उन्होंने जो Hindi Regional Committee में Report की है उस में उन्होंने कहा है कि lessee can use that land for any crops. अपनी speech में उन्होंने कहा कि अगर इस में यह provision रखी गई कि Deputy Commissioner जिस को चाहे वह ज़मीन दे सकता है तो वहां की ज़मीनें Government के अहकाम से बाहिर के लोगों को दी जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने recommendation की तो उस में फिर उन्होंने यह चीज़ मानी कि जो provision Act में है वह stand करती हैं।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਫੇਰ ਤੁਸੀ Hindi Regional Committee ਦੀ Report ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ?

माल मंत्री : इस के इलावा जो उन्होंने Report में चाहा है वह माना नहीं जा सकता क्योंकि Constitution ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो बातें यहां पर कहीं गई उन का लुब्बेलुबाब यह था कि करनाल में और हरियाणा में बड़े २ ज़मीदारों की ज़मीनें दे दी गई हैं। वह कहते हैं कि एक २ ज़मीदार को सैंकड़े एकड़ ज़मीन दी गई है और वह काश्त नहीं करते। शर्मा जी ने कहा है कि 97 प्रतिशत ज़मीनें अमृतसर के जिले को दी गई हैं। मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि कामरेड रामचन्द्र जी ने भी एतबार कर लिया कि पंजाबी Region के लोगों के गलबे की वजह से ऐसा किया जा रहा है। मैं उन की information के लिये वह आदादो-शुमार बताना चाहता हूं और उस के बाद मेंरे दोस्तों को पता लग जाएगा कि जो अंदेशा

उन के दिमाग में है वह बेबुनियाद है। अब तक कुल ज़मीन जो इस Act के तहत acquire की गई है वह एक लाख 24 हज़ार एकड़ है। इस में से 44,460 एकड़ ज़मीन हरिजनों को allot हुई है, पांच हज़ार acres, ex-service-men को allot हुई है और 75 हज़ार acres दूसरे सब लोगों को दी गई हैं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : गलत है, बिल्कुल गलत। मैं challenge करता हूं।

माल मंत्री : अगर राठी साहिब के पास कोई agency हो तो वह खुद facts and figures इकट्ठें करवा लें फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस चीज़ की बिना पर हमें यह amendment लानी पड़ी थी। हमारी जो Resources and Retrenchment Committee थी उस ने सिफारिश की थी कि यह जो ज़मीनें बेकार पड़ी हैं उन को utilize किया जाए। इस लिये पहले जो छ: फसलों की शर्त थी उसे अब हम चार फसलों की कर रहे हैं। उस में अगर लगातार चार फसलें नहीं बोई जाएंगी तो वह ज़मीन acquire की जाएगी। जब उस ज़मीन में सिर्फ food and fodder उगाने की condition थी तो लोग उन ज़मीनों को लेने के लिये आगे नहीं आते थे। इस लिए हम ने amendment की है कि सरकार उन को food crop पैदा करने के लिये ही मजबूर नहीं करेगी बल्कि उन को और crops भी उगाने की इजाज़त होगी।

सारे ज़िला करनाल में कुल 97176 एकड़ ज़मीन इस Act के तहत acquire की गई है और जिन को यह दी गई है उन में 2132 lessees तो स्पीकर साहिब ज़िला करनाल के हैं और सिर्फ 521 lessees बाहर के हैं.....

चौधरी धर्म सिंह राठी : रकबा कितना है उन के पास ?

माल मंत्री : रकबा मैं ने अर्ज़ किया है कि 97176 एकड़ है। यहां पर बड़ा शोर मचाया गया और कहा गया कि 95 नहीं 97 फीसदी लोग ज़िला अमृतसर के उस ज़मीन पर बैठे हुए हैं लेकिन जनाब आप इन facts and figures से मुलाहज़ा फरमाएं कि यह 95, 97 फीसदी तो कहां 20 फीसदी भी नहीं बनते हैं और 80 फीसदी से ऊपर ज़िला करनाल के लोगों को ज़मीन मिली हुई है......

चौधरी धर्म सिंह राठी : रकबा कितना है इन 521 के पास ?

माल मंत्री : 521 के पास जितना रकबा है वह भी बतला दूंगा। आप ज़रा तसल्ली रखें। मैं इस बारे में average figures बतलाता हूं। यहां पर कहा गया कि सैंकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन बाहर के बड़े २ ज़मींदारों को दी गई है। इस बारे में भी आप मुलाहज़ा फरमाएं कि यह सारी ज़मीन जो lease पर दी गई है उस की average एक lessee के नाम 20 एकड़ के करीब पड़ती है और 10 एकड़ से कम ज़मीन किसी को नहीं दी गई है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जहां average 20 एकड़ फी lessee की हो और 10 एकड़ से कम किसी को न दी गई हो तो शायद चंद

[माल मंत्री]

एक आदमी ऐसे होंगे जिन को 20 से 25 एकड़ तक ज़मीन मिली होगी। वह भी उस वक्त दी गई जब कि rules पूरे नहीं बने थे। इस के इलावा जनाब बाज़ जगह तो D.C. साहिबान ने auction के ज़रिए ज़मीन दी क्योंकि local आदमी ज़मीन लेने आगे नहीं आते थे......

Chaudhri Balbir Singh : On a point of information, Sir........

Mr. Speaker : The hon. Minister is not giving way.

माल मंत्री : स्पीकर साहिब, यह तो मैं करनाल ज़िला की बात कर रहा था। बाकी ज़िलों की हालत भी बतलाता हूं। ज़िला गुड़गांव में इस Act के तहत अब तक 2893 एकड़ ज़मीन acquire की गई है और 346 lessees को दी गई है। यह सारे के सारे 346 lessees ज़िला गुड़गांव के ही हैं और बाहर का कोई नहीं है। ज़िला हिसार के बारे में अर्ज़ है कि वहां 991 lessees हैं और उन में सिर्फ 192 बाहर के हैं। इस चीज़ के पेशे नज़र मैं अर्ज़ करता हूं कि आप गौर फरमाएं कि यह जो इतना शोर हुआ है कहां तक जायज़ था और कहां तक ज़िम्मेदारी के साथ इन दोस्तों ने यह बातें की हैं। स्पीकर साहिब, यहां पर कहा गया कि लोगों को और उसी ज़ैल के लोगों को ही ज़मीन दी जानी चाहिए और यही इस रीजनल कमेटी की रिफारिश है कि—

श्री बलराम दास टंडन : Preference देने को कहा है।

माल मंत्री : इस में preference नहीं है बल्कि यह लिखा है कि सिर्फ उन को ही दी जाए और यहां तक कि जो बाहर के लोगों को मिली है उन की cancel की जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़िला गुड़गांव में 2893 एकड़ ज़मीन acquire की गई लेकिन उस में से सिर्फ 1865 एकड़ ज़मीन अभी तक lease पर दी जा सकी है। इस से साबित होता है कि अभी तक एक हज़ार एकड़ ज़मीन......

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. बिल में जो सिफारिश कमेटी ने की है उसे मिनिस्टर साहिब गलत तौर पर बता रहे हैं। वहां पर preference लिखा हुआ है.......

Mr. Speaker : No please. The hon. Minister is referring to the cancellation of leases as mentioned at the end of the clause, as recommended by the Hindi Regional Committee.

माल मंत्री : नीचे पढ़ें क्या लिखा है।

श्री बलराम दास टंडन : मैं नीचे की बात नहीं ऊपर की बात कर रहा हूं।

माल मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहां 2893 एकड़ ज़मीन में से एक हज़ार एकड़ ज़मीन जो एक साल से पेशतर अर्से से acquire की गई है उस को लेने वाला गुड़गांव ज़िला के अन्दर कोई आदमी नहीं है और इसी वजह से अभी तक lease पर नहीं दी जा सकी है। हम ने तो instructions दी हुई

हैं कि ऐसी ज़मीन सिर्फ हरिजनों को दी जाए और उसी ज़िला वालों को दी जाए। अब उस ज़िला के हरिजन नहीं मिले इस लिए वह अभी खाली पड़ी है। अब आप फरमाएं कि क्या वह ज़मीन खाली रखने के लिये acquire की गई थी ? इस के पेशेनज़र अब सरकार इन instructions को बदलने का इरादा रखती है ताकि आयंदा ज़मीन इस तरह बेकार न पड़ी रहे। सरकार यह instructions issue करने की सोच रही है कि पहिले preference दी जाए उस ज़िला के हरिजनों को उस के बाद फिर ज़मीन न उठे तो preference दी जाए दूसरे ज़िलों के लोगों को और अगर दूसरे ज़िलों के लोग भी आगे न आएं तो उस ज़िला के landless और छोटे किसानों को ज़मीन दी जाए...... (*Interruptions by Shri Balram Dass Tandon*)

श्री अध्यक्ष : इस तरह बैठे २ interrupt करना ठीक नहीं है। आप भी जब बोलते हैं तो चाहते हैं कि आप को कोई interrupt न करे लेकिन आप खुद interrupt कर रहे हैं। It is not in good taste. (It does not look proper to make interruption like this while sitting. When the hon. Member himself speaks he does not like to be interrupted by anybody but he himself is doing the same thing. It is not in good taste.)

श्री बलराम दास टंडन : हमारा यह मनशा नहीं है लेकिन अगर कोई बात distorted हो तो..........

श्री अध्यक्ष : आप यहां क्या कुछ नहीं कह जाते लेकिन वह patiently सुनते हैं कि जब मौका आएगा तो clear कर देंगे। (What does the hon. Member not say when making a speech ? But the hon. Minister hears everything patiently thinking that on an opportunity arising, he will clarify his position).

माल मंत्री : यहां कहा गया कि जब पहिले लोगों को सात सात साल के लिये ज़मीनें दी गईं तो अब गवर्नमैंट ने instructions क्यों दी हैं कि lease बढ़ा कर 20 साल तक कर दिया जाए ? मैं अर्ज़ करूंगा कि इस Act में भी D.C.s को अख्तियारात हैं कि वह 7 साल से 20 साल के period तक जहां चाहें ज़मीन दें। अगर 7 साल के अन्दर वे समझते हैं कि इस शख्स ने पूरा फायदा नहीं उठाया, उस का खर्च ज्यादा हुआ है और वह काश्त अच्छी तरह कर रहा है तो D.C. को अख्तियार है कि वह उस term of lease को 20 साल तक बढ़ा दे तो इस में गवर्नमेंट का ऐसी instructions देने का सवाल कहां पैदा होता है ? सारे D.C.s ने आम तौर पर यह ज़मीन पहिले सात साल के लिये lease पर दी ताकि जो lessees हैं उन पर दबाव रहे और उन को डर रहे कि अगर हम ने बजा तौर पर काश्त न किया तो सात साल के बाद हमारा lease खत्म हो सकता है और इस लिये वह lease लम्बा करने के लिये वह मेहनत करें। इसी लिये पहिले सात के लिये देते हैं और फिर

[माल मंत्री]

आगे जब इतमिनान होता है कि काम अच्छा हो रहा है तो उस की मयाद बढ़ा दी जाती है। मैं समझ नहीं सका कि हरिजन भाई क्यों राठी साहिब के कहने में आ गए कि यह हो गया वह हो गया। उन को मालूम होना चाहिए था कि यह सारी बातें तो हरिजनों को इस से महरूम करने के लिये यहां कही जा रही हैं। मेरे दोस्त चौधरी कर्म चन्द जी ने भी कहा कि राठी साहिब तो बड़ी अच्छी और अकल की बात कर रहे हैं.......

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : मैं ने यह नहीं कहा। मैं ने कहा कि वह ज़मीन पानी में डूबी हुई है इस लिए कोई क्यों ले।

माल मंत्री : बहुत कुछ और बातें सामने आईं जो सरदार हरचरन सिंह ने शुरू कीं और वे पता नहीं land reforms और विनोबा जी को कैसे बीच में ले आए। मैं समझता हूं कि Utilization of Land Act के साथ land reforms का कोई ताल्लुक नहीं। वह पेप्सू के लैंड रिफार्म ऐक्ट को बीच में ले आए हालांकि उस का इस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। Lands Utilization Act का ताल्लुक तो इस बात के साथ है कि जो बेकार ज़मीन पड़ी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जा सके और वह ज़मीन ग़रीब हरिजनों को दी जा सके। स्पीकर साहब, इन अमूर के मद्देनज़र जो कि मैं ने आप के सामने रखे मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे हिन्दी रिजन के भाई और खास तौर पर करनाल के नुमायंदों की तसल्ली हो गई होगी। मैं उन्हें एक बार फिर बताना चाहता हूं कि इन ज़िलों के अन्दर अभी तक काफी ज़मीन और बेकार पड़ी हुई है जिस को हम काश्त में लाना चाहते हैं। इस लिये यह तरमीम करने की ज़रूरत पड़ी। यहां कहा गया कि assurance दी जाय। मैं कहता हूं कि assurance देने का सवाल पैदा नहीं होता गवर्नमेंट ने पहले ही ये हिदायत दे रखी है कि उस ज़िला के हरिजनों के अलावा और किसी को ज़मीन न दी जाय और अगर उस ज़िला में हरिजन न मिलें तो दूसरे नज़दीक के ज़िले के हरिजनों को दी जाय। गवर्नमेंट ने यह पाबन्दी लगाई हुई है कि हरिजनों के इलावा और किसी को नहीं दी जायगी और हरिजन भी सिर्फ उस ज़िला का हकदार समझा जायगा। मेरे दोस्त बात को जानते नहीं और खामखाह वावेला करना शुरु कर देते हैं। बल्कि गवर्नमेंट को दिक्कत महसूस हो रही है कि इस चीज़ को कैसे आगे चलाया जाय और इस लिये उसे दूसरी categories भी इस में रखनी पड़ेंगी कि नज़दीक के landlords को भी consider कर सकें। मैं समझ नहीं सकता कि और कौन सी बातें ऐसी हैं जिन का जवाब देना ज़रूरी हो। मैं ने अर्ज़ किया की गवर्नमेंट के लिये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रिजनल कमेटी की रिपोर्ट दूसरी से मुख्तलिफ आजाय तो ज़रूरी तौर पर उसे माना जाय। स्पीकर साहब, आप तो मुझ से बेहतर जानते हैं कि यह सोचना सरासर गलती है। रिजनल कमेटी अगर अपने scope से बाहर जा कर कोई ऊट पटांग रिपोर्ट कर दे........

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, क्या यह पार्लियामेंट्री लफ्ज़ है ?

एक माननीय सदस्य : क्या आप खुद उस कमेटी के मेम्बर नहीं हैं ?

माल मंत्री : मैं मेम्बर होता तो ऐसी रिपोर्ट न आती।

श्री अध्यक्ष : यह होता क्या है ऊट पटांग ? इस के डिक्शनरी मायने देखने पड़ेंगे। (What is this 'ootptang' ? We shall have to look up its dictionary meaning).

एक माननीय सदस्य : इस के मायनी होते हैं ऊंट पर टांग। (हंसी)

माल मंत्री : स्पीकर साहब, इस का मतलब यह होता है जैसे बातें चौधरी धर्म सिंह राठी किया करते हैं जिन का कोई सिर हो न पैर हो।

चौधरी बलबीर सिंह : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, एक रिजनल कमेटी के बारे में यह लफ्ज़ कहना कि जिस का सिर हो न पैर हो, क्या parliamentary चीज़ है ?

श्री अध्यक्ष : मुझे पता नहीं कि ऊटपटांग क्या होता है ? (I do not know what 'ootptang' is).

माल मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिये हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये अन्दाज़े फर्ज़ी हैं कि ज़मीनें देने में रियायत होती है और पंजाबी रिजन वाले भाई ग़लबा पाना चाहते हैं और favouritism, nepotism चलती है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि तैशुदा conditions के ख़िलाफ कोई चीज़ नहीं की जाती और landless हरिजनों को तरजीह दी जाती है। मैं समझता हूं कि मेरे भाई समझ गए होंगे कि यह कोई खतरे की बात नहीं थी जिस के लिये हाउस का वक्त लिया गया।

मैं समझता हूं कि यह निहायत फायदे की चीज़ है और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये यह निहायत ज़रूरी कदम है।

Mr. Speaker : Question is :—

That the East Punjab Utilisation of Lands (Amendment) Bill be passed.

The Assembly then divided

(*When the Division on the East Punjab Utilization of Lands (Amendment) Bill, 1958, was in progress in the Lobbies, some members of the Opposition entered the Hall.*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, Lobby में एक stranger बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : छोड़िए नहीं, उसे confine कर लो। (He should be apprehended and confined). He should express regret. Arrest him please. He should be detained till he gives his explanation as to why he is in the lobby.

(The hon. Members again went to the lobby and returned after some time).

चौधरी धर्म सिंह राठी: वह खुद मान गया है लेकिन आप के हुक्म की तामील नहीं हुई ।

श्री मंगल सेन : वह खुद कह रहे हैं कि मुझ से गलती हुई ।

Mr. Speaker : Was he sitting in the Deputy Speaker's room?

श्री मंगल सेन : नहीं जनाब, वह lobby में थे ।

Mr. Speaker : I have enquired from him whether he was intentionally there.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जब Lobbies में Division हो रही हो तो किसी stranger को वहां बैठने की इजाजत नहीं ।

Mr. Speaker : Congress Party's Office is also in the Deputy Speaker's room.

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह तो lobby में था ।

Mr. Speaker : Please resume your seat. I will enquire into the matter.

श्री बलराम दास टंडन : आप ने कहा है कि वह Deputy Speaker के कमरे में बैठे होंगे। लेकिन वह तो lobby में बैठे हुए थे।

Mr. Speaker : I will enquire as to what were the circumstances under which he was sitting there.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ arrest ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ।

Mr. Speaker : I withdrew that order.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : He must be arrested. Orders withdraw ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਜੇ Congress Party ਦਾ Secretary ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ order ਏ ਕੇ review ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇਕ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ precedent ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : I withdrew my order. I will enquire into the circumstances in which he was sitting.

चौधरी बारू राम : जब हम ने अपनी आंखों से देखा हो और उन्होंने खुद भी माना हो तो फिर action क्यों नहीं लिया जाता ?

Mr. Speaker : I am told that the gentleman has expressed his regret. He did not know that he should not have been in the lobby when the division was in progress.

(*Uproar from the Opposition Benches*).

श्री अध्यक्ष : मुझे बड़ा अफसोस है कि आप का रवैया बहुत गलत है। (I am sorry to say that hon. Members' attitude is wrong.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਡਾ ਰਵਈਆ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।

श्री बलराम दास टंडन : आप के order को withdraw करने की बात तो मानी जा सकती है लेकिन जो बात उन्होंने कही कि he was sitting in the office of....

Mr. Speaker : He says that he was sitting in the Deputy Speaker's Office. He wanted to go out but as the division was in progress and on that account the door of the lobby was closed, he could not go out. He has conveyed his regret to me.

चौधरी बारू राम : Hon. Members ने खुद देखा है कि Watch and Ward Staff को कहा गया कि उन्हें मत जाने दो।

श्री बलराम दास टंडन : जिस वक्त votes record किये जा रहे थे तो वह lobby में बैठे हुए थे।

Mr. Speaker : Every person has got access to the Deputy Speaker's Office.

(*Interruption by Chaudhri Balbir Singh*).

Mr. Speaker : Order please. You are obstructing the proceedings of the House. I do not like this. I have already explained the whole position. In future, I will ensure that no body is sitting in the office of the Deputy Speaker during the course of the division .

Mr. Speaker : I have received the result of the division. It is—

Ayes	... 52
Noes	.. 7

The motion was declared carried.

Ayes

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Amar Nath Sharma, Shri.
3. Atma Singh, Sardar.
4. Baloo Ram, Shri.
5. Balwant Singh, Sardar.
6. Benarsi Das Gupta, Shri.
7. Chambel Singh, Chaudhri.
8. Chanda Singh, Sardar.
9. Charan Singh, Sardar.
10. Dalbir Singh, Shri.
11. Darbara Singh, Sardar.
12. Dasondha Singh, Chaudhri.
13. Gajraj Singh, Rao.
14. Gorakh Nath, Shri.
15. Hans Raj Sharma, Shri.
16. Harbans Singh, Sardar.
17. Harbhagwan Maudgil, Shri.
18. Harchand Singh, Sardar.
19. Harcharan Singh, Sardar.
20. Harguranad Singh, Sardar.
21. Harnam Singh, Sardar.
22. Harparkash Kaur, Bibi.
23. Jagir Singh 'Dard', Sardar.
24. Jagraj Singh Gill, Sardar.
25. Karam Singh "Kirti", Sardar.
26. Kartar Singh Dewana, Sardar.
27. Kartar Singh, Gyani.
28. Kundan Lal, Shri.
29. Mehar Singh, Sardar.
30. Mehar Singh, Thakur.
31. Mihan Singh, Sardar.
32. Narain Singh, Sardar.
33. Niranjan Singh Talib, Sardar.
34. Om Prabha Jain, Shrimati.
35. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
36. Rajinder Singh, Sardar.
37. Rala Ram, Shri.
38. Ram Nath, Shri.
39. Ram Parkash, Shri.
40. Ran Singh, Shri.
41. Roshan Lal, Shri.
42. Sadhu Ram, Chaudhri.
43. Sant Ram, Shri.
44. Sohan Singh, Sardar.
45. Sumitra Devi, Shrimati.
46. Suraj Mal, Chaudhri.
47. Teja Singh, Subedar.
48. Udham Singh, Sardar.
49. Umrao Singh, Shri.
50. Waryam Singh, Sardar.
51. Waryam Singh, Sardar (Bhagowal).
52. Paul Singh, Sardar.

Noes

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Balram Das Tandon, Shri.
3. Baru Ram, Chaudhri.
4. Bhala Ram, Shri.
5. Dharam Singh Rathi, Chaudhri
6. Mangal Sein, Shri.
7. Muni Lal, Shri.

THE PUNJAB RECLAMATION OF LAND BILL, 1958

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move —

That the Punjab Reclamation of Land Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Reclamation of Land Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਏਸ ਤੇ ਮੇਰੀ amendment ਹੈ ।

(*Interruption by Chaudhri Dharam Singh Rathi.*)

श्री अध्यक्ष : जो amendment move होनी है, शायद उस के बाद कोई controversy न रहे । [If the amendment for reference of the Bill to Regional Committees is to be moved, then perhaps there may be no controversy on it. (*Interruptions*)] When the Land Reclamation Bill is referred to the Regional Committees, then the question of making speeches does not arise.

(*Chaudhri Dharam Singh Rathi rose to speake*).

श्री अध्यक्ष : क्या आपने इस बिल के Regional Committees को सौंपे जाने के खिलाफ बोलना है ? (Does the hon. Member want to speak against the Bill being referred to Regional Committees?)

(*Some hon. Members rose to speak.*)

Mr. Speaker : No question of speeches.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह consideration motion है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order, Sir, क्या जनाब फरमाएंगे कि जिस वक्त यह move किया जाता है कि किसी Bill को consider किया जाए तो उस वक्त क्या hon. Members को हक नहीं है कि वे कहे कि इस को consider किया जाए या न किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : उन की amendment है । (Sardar Umrao Singh has given notice of moving an amendment.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : Amendment तो उस के बाद आएगी ।

श्री अध्यक्ष : Rules में यह provision है कि अगर हाउस में ऐसा मामला आता है कि कोई Bill Regional Committees को refer किया जाए तो hon. Members उस motion के हक में या उस के खिलाफ बोल सकते हैं। (It is provided in the rules that if a motion comes before the House that the Bill be referred to the Regional Committees, then the hon. Member can speak in favour or against that motion.)

Sardar Umrao Singh (Nakodar) : Sir, I beg to move —

> That the Punjab Reclamation of Land Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th June, 1959.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ Punjab Reclamation of Land Bill ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ deal ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ Agriculture ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ improvement ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ scheduled matters ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ Presidential Order ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Second Schedule ਦੇ item No. 4 ਵਿਚ agriculture ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ item No. 14 ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ

> "Development and economic planning, within the frame work of the general development plans and policies formulated by the State Legislature." ਆਉਂਦੇ

ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਬੜੀ misunderstanding ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 subjects ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ੨ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਬਿਲ ਏਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ੨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਏਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਜਨਲ ਬਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ put ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ 14 subjects ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ constitution ਦੀ State list ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ constitution ਦੀ State list ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦਾ reference ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ regional subjects ਹੋਣਗੇ। ਏਥੇ

> "Scheduled matters' means the matters specified in the second schedule to the Punjab Regional Committees Order, 1957."

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 subjects ਦੀ ਬੜੀ wide implication ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ agriculture ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਯਾ improvement ਯਾ development ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾ Planning Head ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 subjects State list ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫੇਰ—

> "Development and economic planning, within the frame work of the general development plans and policies formulated by the State Legislature."

ਦੇ subjects State list ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 7th Schedule ਵਿਚ ਹਨ । ਇਹ State List ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ । Development ਔਰ Planning ਵਗੈਰਾ, ਹਰ ਇਕ matter, ਹਰ ਇਕ subject ਜੁਦਾ ੨ deal ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ development ਦਾ subject State ਲਿਸਟ ਵਿਚ specifically ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਏਸ ਨੂੰ Regional subject ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਾਕੀ 13 subjects, ਜਿਹੜੇ list ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਏਸ subject ਦੀ nature ਸੂਬੇ ਦੀ development ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਏਸ ਦੀ nature economic planning ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ powers ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ negotiations ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ subjects ਐਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ subjects Regional Committees ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । Home Ministry ਯਾ Government of India ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਵੀਂ item ਇਸ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ development ਦੇ projects ਨੇ, ਉਹ subjects cover ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ । ਏਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ vague ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਸਾਰੀ power Director ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । Director of Agriculture ਨੇ administer ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ Agriculture ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ sponsor ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਏਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ deal ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਕਿਵੇਂ declare ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਏਸ ਨੂੰ Agriculture ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ deal ਕਰਨਾ ਹੈ । Agriculture ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ scheduled subject ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ development ਨਾਲ deal ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

12-00 noon

ਤਾਕਿ Regional Committees ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ powers ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ safeguard ਹੋਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ court ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ Regional Bill ਸੀ ਅਤੇ Regional Committees ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, Assembly ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री अध्यक्ष : क्या आप ने legal opinion ली है ? (Has the Government obtained legal opinion on it ?)

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : Legal Remembrancer ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ case ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ clear ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤੇ Advocate-General ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂ Governor ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਆਇੰਦਾ guidance ਰਹੇ । Border ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ deal ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : Legal Remembrancer की राए में यह Regional Bill नहीं है। अब Advocate-General से पूछ लेंगे। For the time being it may be postponed. (According to the opinion of the Legal Remembrancer this is not a Regional Bill. We will now consult the Advocate-General in the matter. For the time being its consideration may be postponed.)

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : Next meeting ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। For the time being let it be postponed.

Mr. Speaker : I may inform the House that I have received the following intimation from Shri Mehar Chand Ahuja—

"Today at about 11-45 A.M. I was sitting in the office of the State Congress Legislature Party which happened to be adjacent to the Lobbies. As I was leaving the party office, the doors were closed and I was trapped. I never, at any stage, meant to be in the lobbies of the Vidhan Sabha. I must, however, express my regret if this minor incident has caused any offence to any member of the Hon'ble House."

(*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए। हर एक मेम्बर की यह duty है कि वह politely और शांति से बात करे। आप मुझे इतना परेशान करते हैं कि मेरा दिमाग भटक जाता है। आप यह बात appreciate करेंगे कि जब आदमी का दिमाग भटक जाता है तो उस के लिये अच्छी तरह से सोचना मुश्किल हो जाता है। मैं इतना परेशान हो गया था कि next item के बारे में नहीं सोच सकता था। अगर आप फिर ऐसा behave करेंगे तो मुझे अपना attitude बदलना पड़ेगा। (*Interruptions*) Person concerned ने उसी वक्त मेरे Sergeant-at-Arms के ज़रिए लिख कर भेज दिया कि उस का मतलब lobby में रहने का नहीं था। मैं ने उस का explanation मंजूर कर लिया है। (*Interruptions by Shri Baru Ram*) मैं ने आप के साथ बहुत ताव्वन किया है। लेकिन मुझे पता लग गया है कि आप ने मेरी कमज़ोरी का फायदा उठाया है। मैं आप के इस behaviour के बहुत खिलाफ हूं। (*Interruptions*) [The hon, Members may please listen to me. It is the duty of every hon. Member that he should speak politely and calmly. Sometimes they annoy me so much that I cannot concentrate. It will be appreciated that when the brain of a person does not concentrate, then it becomes difficult for him to think properly. I was so much upset that I could not think about the next item. If they behave in this manner again then I will have to change my attitude towards them. (*Interruptions*) The person concerned immediately conveyed to me, through my Sergeant-at-Arms, that he did not mean to be in the lobbies. I have accepted his explanation. (*Interruptions by Shri Baru Ram*) I have co-operated with the hon. Member

very much but I find that he has taken undue advantage of my leniency. I view his behaviour with disfavour. (*Interruptions*)]

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अर्ज करता हूं कि जो उन्होंने आप को कहा है वह बिल्कुल गलत है। आप इस बात की enquiry करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस तरह से छोटी छोटी बेमौका बातें खड़ी कर दें तो यह ठीक नहीं है। अगर आप ने कोई ऐसी बात मेरे नोटिस में लानी होती है तो आप लिख कर दे सकते हैं। लेकिन हाउस का टाईम इस तरह से waste न करें। (It is not proper for them to raise such minor matters for which there is no occasion. If they have to bring any such matters to notice they may do so in writing but in no case waste the time of the House, in this manner.)

(*At this stage Shri Balram Dass Tandon wanted to speak*)

Mr. Speaker : No please. I do not allow.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, अगर कोई शोर मचाता है तो आप उस की बात सुन लेते हैं। लेकिन मैं तो आराम से बात कर रहा हूं आप फिर भी सुनते नहीं हैं। (*Interruptions*) (*Repeated interruptions*).

Mr. Speaker : Order please.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, हम ने यह कसूर किया है कि हम यह बात आप के नोटिस में लाए हैं.......

श्री अध्यक्ष : आप जो बात करते हैं उस को शान्ति से और अच्छी तरह भी किया जा सकता है। इस तरह से उठ कर चिल्लाने और शोर मचाने से तो दिमाग भटक जाता है। यह ठीक नहीं है। (Whatever the hon. Member says can be said calmly and in a dignified manner. To shout and interrupt persistently like this causes confusion. It is not proper.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ stranger lobby ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : आप में इतनी patience नहीं है कि मेरी बात सुनें। यही मेरा गिला है। और मैं आयंदा इसे बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूं। (*Interruptions*) (They have not the patience to listen to me and this is my grouse. I will not tolerate it in future.)

श्री बलराम दास टंडन : जो बात उस letter में लिखी गई है......

Mr. Speaker : I have accepted it. This is my discretion. He has given a very reasonable explanation.

श्री बलराम दास टंडन : यह ठीक है, आप की discretion है। आप किसी भी बात को किसी तरह से ले सकते हैं। लेकिन जो fact उस में बयान किया गया है.........

Mr. Speaker : Order please.

श्री बलराम दास टंडन: आप मेरी बात तो सुनें। जो यहां पर बैठे हुए हैं......

Mr. Speaker : Please do not waste the time of the House.

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, consolidation के मुताल्लिक जो मौजूदा ऐक्ट है उस पर जब अमल किया गया तो कुछ कमियां निगाह में आई। बाज़ हालात में जो दिक्कतें पड़ती हैं उन को दूर करने के लिये यह Amending Bill हाउस के सामने पेश किया जा रहा है। मौजूदा ऐक्ट में कोई ऐसी provision नहीं है जिस की रू से ऐसे लोगों की ज़मीनें इक्कठी कर दी जाएं जिन की ज़मीनें एक खेवट से ज्यादा खेवट में वाक्या हैं। जिन लोगों की ज़मीन एक खेवट से ज्यादा खेवट में वाकया है उन की ज़मीन को एक से ज्यादा टुकड़ों में रखना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उन की ज़मीनों का एक consolidated plot नहीं बन सकता और इस तरह से consolidation का मुदा पूरा नहीं होता। इस बिल के ज़रिए से तजवीज़ की जा रही है कि अगर किसी आदमी की ज़मीन एक खेवट से ज्यादा खेवट में वाक्या है तो उस को इकट्ठा कर के एक ही plot बना दिया जाए। दूसरी तरमीम जो इस में तजवीज़ की गई है, स्पीकर साहिब, वह इस लिये है कि अब आम तौर पर देखा जाता है कि लोग छोटी २ बातों के लिये जिन के लिये दफा 42 में applications lie नहीं करतीं, और जो कई २ बार नीचे अदालतों में आ चुकी होती हैं फिर भी वे miscellaneous applications देते रहते हैं। उन की वजह से consolidation का काम ढीला पड़ जाता है। उन से हुकाम के काम में रुकावट पड़ती है और इस के नतीजे के तौर पर consolidation का खर्च बढ़ जाता है। इस लिये कि कोई शखस ऐसी applications न दे सके जो दफा 42 में lie न करती हो, इस में यह तजवीज़ किया गया है कि अब जो कोई application देना चाहेगा उसे कुछ court fee उस पर लगानी पड़ेगी और इस के साथ जैसा कि revenue courts में और Financial Commissioner की court में होता है उस तरह उन्हें अब नीचे के हुक्काम के फैसलों की नकल वगैरह अपनी applications के साथ लगानी पड़ेगी। ऐसी तमाम नकलें उन्हें अब अपनी application के साथ शामल करनी पड़ेंगी।

इस के साथ यह भी देखा गया है कि consolidation के काम में कई दफा clerical mistakes हो जाती है और उन गलतियों को ठीक करने का

अख्तियार इस वक्त सिर्फ Director को हासल है उस के बगैर कोई और यह ठीक कर ही नहीं सकता। इस वक्त यह काम गवर्नमेंट level पर किया जाता है जिस की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। इस लिये यह अख्तियारात नीचे के अफसरों को दिये जाने तजवीज़ किये गये हैं ताकि जो clerical errors हो उन को नीचे ही ठीक कर दिया जाये।

इस के साथ एक और बड़ी दिक्कत इस consolidation Act की मौजूदा शक्ल होने की वजह से पेश आई है और वह यह है कि बाज़ ज़मीनों के झगड़े दीवानी अदालतों में चलते रहते हैं और इस दौरान उन ज़मीनों की consolidation हो जाती है और उन के मालिकों की ज़मीन के नम्बर बदल जाते हैं लेकिन उन के झगड़ों का फैसला दीवानी अदालतों में होता है तो वह decree पुराने नम्बरों पर दी जाती है जो ज़मीन पहले मालिकों की बजाये किसी और को मिल गई होती हैं और इस तरह से वह उस आदमी की ज़मीन पर execute नहीं होती जिस के खिलाफ वह decree दी गई होती है बल्कि यह किसी तीसरे आदमी के खिलाफ execute हो जाती है। इस लिये यह ज़रूरी समझा गया है कि वह decree असली शख्स की ज़मीन के नम्बरों पर ही execute की जाये। इस लिये इस Amending Bill में इस बारे में भी तजवीज़ किया गया है। इन वजूहात की बिना पर यह Amending Bill हाउस के सामने पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि इस में कोई controversial चीज़ नहीं है इस लिये इसे जल्दी ही पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Sardar Umrao Singh (Nakodar 'G') : Sir, I beg to move —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 8th April, 1959.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ development ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ regional ਕਮੇਟੀਆਂ..............

श्री अध्यक्ष: (Addressing the minister for Revenue) क्या इस बारे आप ने legal राये ले ली थी ? (Did the hon. Minister for Revenue obtain legal advice in this regard?)

माल मंत्री : जी हां ले ली थी और इसी लिये इसे Regional Committees में भेजने की ज़रूरत नहीं समझी गई और इसे हाउस के सामने पेश कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आप को बता दूं कि जो बिल यहां आते हैं पहले वह हमारे office में examine होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो legal opinion ली जाती है और इस case में दोनों opinions ले ली हुई हैं। And both the opinions are to the effect that it is not a Regional

[Mr. Speaker]
Bill and therefore the amendment of the hon. Member is out of order. The Bill will be considered straight away in the House. (I may inform the hon. Members that all the bills before they are introduced in this House, are examined in my office and legal opinions are also obtained where necessary. In this case both the opinions have been obtained and both the opinions are to the effect that it is not a Regional Bill, and therefore, the amendment of the hon. Member is out of order. The Bill will be considered straight-away in the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस बारे में Presidential Order में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई difference of opinion as to the nature of the bill हो जाये तो इस में गवर्नर ही final authority होगी।

Mr. Speaker : It is to be sent to the Governor, if I am doubtful as to its exact nature. The Bill has been examined in my office and the Legal Remembrancer has also been consulted. Both have given the same opinion. I have satisfied myself that it is not a Regional Bill.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, यह doubtful इस लिये है क्योंकि जनाब ने यह amendment allow कर दी है और उन को move करने की इजाज़त भी दे दी है। फिर आप ने वज़ीर साहिब को भी पूछा है......

Mr. Speaker : I just asked the hon. Minister to explain the position. The hon. Member can consult the proceedings. The Bill will be considered straightaway in the House. The amendment is out of order.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ Amending Bill ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ original bill ਵਿਚ certainly improvements ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ improvements ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ technical ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ practical ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ controversial ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 2 ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ section 16-A ਦਾ sub-section (1) provide ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Consolidation Officers ਨੂੰ power ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ joint owners ਦੇ ਅਤੇ occupancy tenants ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰ ਕੇ consolidation ਸਕੀਮ ਵਿਚ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ land owners ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ land owners ਨਹੀਂ ਸੀ

ਮੰਨਦੇ । ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ mandatory ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ provision ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ sub-section ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'consolidation officer may provide' ਇਸ "may provide" ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ consolidation officer ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ । ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ mandatory ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ discretionary powers ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ land owners ਦੀ ਹਕਤਲਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । Consolidation officer ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਥੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ land owners ਦੇ rights effect ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਛੇ । ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ consolidation officer ਕੋਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਉਥੇ ਉਹ consolidation officer ਤੇ ਜਾਂ A. C. O. ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ consolidation ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਗੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ consolidation officer ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ consolidation officers ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ power ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਖਾਸ ਖਾਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਆਉਣ ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ consolidation ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ accidental slips ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ clerical omissions ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ settlement officer ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ clause ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ....

> "Clerical or arithmetical mistakes in a scheme made, or an order passed by any officer, under this Act arising from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the authority concerned.........."

ਇਹ A. C. O., C. O., S. O., Assistant Director ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ mistake clerical mistake ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ । High Court ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ rulings ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ power

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]
ਬਹੁਤ ਘਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ review ਦੀ power ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ restriction ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਕਿ affected party ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ । ਇਹ ਗਲ unjustified ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ interests ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦਾ misuse ਕਰਨਗੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Anti-corruption Department ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ corruption ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ A. C. O., ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ party ਨੂੰ 3, 4 ਮਹੀਨੇ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ facilities ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ S. O. ਤਕ ਦੀ supervision ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ power ਤੇ limit ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ Acts ਹਨ ਜਿਵੇਂ Tenancy Act ਵਗੈਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਇਹ power subject to certain qualifications ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤਸੀਲਦਾਰ report ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ power Collector ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ Collector report ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ power Commissioner ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ provision ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ power ਦਾ misuse ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ clause 7 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ fees ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਲਿਆ ਹੈ । Fees ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ application ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, documents ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ । ਮੈਂ Act ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ applications ਤੇ fees ਲੈ ਸਕੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ clause Act ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ amount ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ । Bill ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤ parent Act ਵਿਚ mandatory provision ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਨਵੀਂ insertion ਹੈ । Rules ਬਣਾਉਣ power ਲਈ ਗਈ ਹੈ । This is not an amendment of the orig provision. This is a new insertion. [This is a new inser Power to make rules has been taken. This is not an am ment of the original provision. This is a new inserti

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ insertion ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਚੂੰਕਿ original Act ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ rules ਬਨਾਉਣ ਦੀ p ਰਖ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Rules ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ definitely clear ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । Rules ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ vague ਰਹਿੰਦੀ । The whole thing is very clear. [This has been made definitely clear instead of being provided for in the Rules, where perhaps it could still remain vague. The whole thing is very clear.]

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : Original Act ਵਿਚ rules ਦੀ ਜੋ clause ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ incorporate ਹੋਣਾ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ rules ਵਿਚ vague ਰਹੇ ਇਸ provision ਵਿਚ ਇਹ clear ਹੋ ਗਈ ਹੈ । [Instead of keeping it vague in the Rules, it has been made clear in this provision.]

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਹੁਣ ਮੈਂ clause 4 ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । Repartition ਵੇਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿੰਣੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ mortgage ਦੀ possession ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । Repartition ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ original deed ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ possession ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ repartitions ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ cover ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ cover ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, retrospective effect ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । Repartition ਦਫਾ 21 ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਦਫਾ 42 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 21 ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ allotment ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਦਫਾ 42 ਹੇਠ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

Mr. Speaker : In section 46 of the Principal Act, it is stated that the State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Government may make rules in respect of various points specified in that section. Now one more point or proviso, viz., "the fees to be paid in respect of appeals and applications made under this Act, the documents which shall accompany such appeals and applications and the period within which applications shall be filed" is being inserted at an appropriate place in that section. Could this provision be placed anywhere else in the Act ? If not under section 46, then under what section should it come ?

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ partition ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ force ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ Act ਵਿਚ Government ਨੂੰ empower ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ..

Mr. Speaker : But the rule making power is being given to the State Government in this respect.

Sardar Umrao Singh : For the purposes of this Act.

Mr. Speaker Yes, that is also for the purpose of this Act,

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ purpose define ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਖੈਰ ਜੇਕਰ ਆਪ agree ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ repartition ਦਫਾ 21 ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਫਾ 42 ਹੇਠ cover ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ safeguard ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਦਫਾ 42 ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ power ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ document ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਅਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ consolidation ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ introduce ਕਰਨ ਨਾਲ complications ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, procedure ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ upset ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਮਿਆਦ ਜੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ affected parties ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cases ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਫਾ 42 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਆਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ appeal ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ reject ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ cases ਵਿਚ sufficient time ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ । ਫਿਰ ਫੀਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ power ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇ ਬਲਕਿ reasonable ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ documents ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ reasonable ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦਫਾ 42 ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ mass scale ਤੇ applications ਦੇਣਗੇ । Mass scale ਤੇ ਹੀ ਇਹ reject ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਨਣ ਦਾ provison ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ strict ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, liberal ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਇਹ Bill, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ consolidation ਬਾਰੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਕ beneficial bill ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल के असूलों का ताल्लुक है मैं इन की हिमायत करता हूं। मैं हैरान हूं कि Government के

notice में यह शिकायत इतनी देर के बाद क्यों लाई गई कि मुश्किलात पैदा होती हैं और कई खेवटदार इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उन्हें Partition नहीं किया जा सकता। इस तरह दिक्कत पेश आती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दो तिहाई इश्तेमाल खत्म हो चुका है और एक तिहाई बकाया है। तो इस में मैं समझता हूं कि दिक्कत पहले भी थी लेकिन किसी ने इत्तलाह नहीं दी। या तो इस में गवर्नमेंट की भारी गलती है या अफसरान की गलती है। इश्तेमाल तो 1948-49 से चल रहा है तो इस तरीके की कोई चीज़ जो खेती के फायदे की हो उस में इस तरह की negligence नहीं होनी चाहिए थी और इस बिल को पहले लाना चाहिए था। इस लिये मैं वज़ीर मोहतरिम से कहूंगा कि वह पूछें कि क्यों इस तरह की negligence की गई है। अगर किसी अफसर की गलती है तो उस के खिलाफ action लिया जाए और अगर गवर्नमेंट की है तो वह मानी जाए। मैं इस बिल के दो असूलों की ताईद करता हूं कि खेवट दारों से blocks के रास्तों के लिये जगह ली जाए इस के बारे में जो Rules बनाए जाएंगे वे भी अच्छे ही होंगे। इस के बारे में मैं एक सुझाव दे दूं कि Rules के अन्दर अपील की मियाद ज़रूर रखी जाए यह स्पीकर साहिब ज़रूरी चीज़ है और देखा गया है कि तीन चार साल के बाद कोई दफा 42 के आधीन दरखास्त दे दे तो गांव के गांव का इश्तेमाल दोबारा हो जाता है। पहले मियाद न थी कोई limit न थी। इस का नतीजा बुरा था। वह यह कि जिस को ज़मीन रद्दी मिली हो वह मेहनत करके इसे काबले काश्त नहीं बनाता था उसे डर था कि अगर इसे काबले काश्त कर लूंगा तो कोई दफा 42 के मातहत दरखास्त दे देगा और ज़मीन फिर तबदील हो जाएगी। इस provision को ला कर सरकार ने एक अच्छा काम किया है। और कम से कम मियाद होनी चाहिए। यह असूली बात है और अच्छी बात है।

लेकिन स्पीकर साहिब जहां decree मिल जाए और उस की execution न हो सके इस provision के बारे में मैं समझ नहीं सका। एक civil court का फैसला है और उस की तामील न हो उस पर अमल दरामद न हो सके ठीक नहीं। दुनिया में जहां जहां भी democracy है civil court की जो Jurisdiction है और जो अदालती फैसले हैं इन को ज़रूर माना जाता है लेकिन यहां पर यह किया जाए कि decree court की तरफ से दी जाए और जहां ज़रूरी हो इस की execution न हो यह चीज़ स्पीकर साहिब अच्छी नहीं। यह तो civil courts के फैसला के अन्दर मुदाखलित के बराबर है।

इस के इलावा स्पीकर साहिब दूसरी चीज़ जो इस के अन्दर दी गई है वह यह है कि clerical या arithmetical गलती हो तो इस तरह के provision को रखना ठीक नहीं। कहीं पर भी accidental slip of pen या clerical गलती है तो यह ठीक नहीं। इस को define करना चाहिए अगर इसे define न किया गया तो इस का नतीजा क्या होगा। जो अफसरान मौके पर होंगे यह तो उन की

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

मर्ज़ी की बात होगी। इस slip of pen की interpretation किस के हाथ में होगी। अफसरान के हाथ में यह power अगर दी गई तो इस का नतीजा क्या होगा कि अफसरान इस का misuse करेंगे। और corruption और बढ़ेगी omission और clerical mistake की interpretation भी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इस तरीके का काम corruption को बढ़ाने वाला है। इन लोगों के हाथ में arbitrary powers देना मुनासिब नहीं। यह गलत बात है कि कोई appeals की provision भी न रखी जाए। Consolidation officer और Assistant Consolidation officer को खुदाई अख्तियार दे देना ठीक नहीं। Rules की सही interpretation के लिये यह जरूरी है कि इतने खुदाई अख्तियार अफसरान को न दिये जाएं।

इस के इलावा स्पीकर साहिब जो Rules बनाए जायेंगे और जो फीस आपने रखी है कि यह दी जाए इस के बारे में जो कुछ सरदार उमराओ सिंह ने कहा है मैं उस की ताईद करता हूं। जो मालिकान ज़मीन हैं वह पहले ही फीस देते हैं कई प्रकार के टैक्स अदा करते हैं। जो बजट पास हुआ था Consolidation fees बढ़ा दी गई थी अब और टिक्ट लगाने को कहा जाता है। Government कहती है कि कोई भी दरखास्त दे सकता है दुःखी और मज़लूम दरखास्त दे सकता है। आप इनसाफ देना चाहते हैं और जुल्म को दूर करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ फीस बढ़ाई जा रही है। इस लिए इस बात को साफ़ करना चाहिए कि कितनी फीस ली जाएगी। यह बात clear नहीं है। फीस और बढ़ाना जुल्म है। एक तो ज़मीन के बारे में उन से बेइन्साफी की जाएगी और दूसरे बेइन्साफी दूर करने के लिये उस से फीस और ज़्यादा ली जाए। फिर न सिर्फ फीस पर ही सरकार ने इक्तफा किया है बल्कि यह भी हुक्म दिया है कि सारे documents पेश करो। फिर आप जानते हैं कि copies की fee दुगनी हो गई है। फिर सारे documents, objections की नकलें grounds of appeal की नकलें, C.O. के फैसले और Director के फैसले की नकलें और बजूहात वगैरह की नकलें अगर साथ लगानी हों तो कितनी फीस अदा करनी पड़ती है। मैं खुद वकील हूं और समझता हूं कि यह एक भारी खर्च है जो सायल को करना पड़ता है इसी पर ही 40-50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस तरह का खर्च आप मालकान ज़मीन पर डालना चाहते हैं यह ठीक नहीं। इस लिये मैं गुज़ारिश करूंगा कि जहां तक सवाल है documents को दाखल करने का यह तो ठीक है और इसे मन्ज़ूर करने के लिये हम तैयार हैं। लेकिन जो फीस बढ़ाई जा रही है वह ठीक नहीं और फिर जो खुदाई अख्तियारात अफसरान को दिए जा रहे हैं उस की मैं पूरे ज़ोर से मुखालफित करता हूं। इसे हाउस को भी नहीं मानना चाहिए हम बेशक opposition में हैं लेकिन सरकार के कदम की, जो अच्छा हो, हम सराहना भी करते हैं, आप यह नहीं कह सकते कि opposition हमेशा ही मुखालफित करती है जो बातें इस बिल में थी उस की मैंने तारीफ की है लेकिन जो किसान को और मालक जमीन को मारने की बातें हैं उन की मैं मुखालफित करता हूं। जो किसानों

को परेशान करने वाली बातें हैं और corruption को बढ़ाने वाली बातें हैं मैं उन की मुखालफित करता हूं। मैं इन अल्फाज़ के साथ जो motion हाउस के सामने है उस की मुखालफित करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਧਾਰੀਵਾਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ consolidation ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰਕਬਾ under consolidation ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ co-operative ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੰਡ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਫਾ 42 ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ documentary proofs ਵੀ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ clerical mistake ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ application ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ consolidation ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ Draft Scheme ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ C. O., A. C.O. ਅਤੇ S. O. ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ A. C. O. ਨੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰੂਨ ਫਿਰਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ S. O. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਇਕ ਲਾਲ ਲੀਕ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ C. O. ਅਤੇ A. C. O. ਨੇ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Draft Scheme ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ 6 ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ]

ਦੇਵੇ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ officer ਦੇ notice ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ Subordinate ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ relative ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋ [The hon. Member should try to be relevant]

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ slip of pen ਹੋਣ, ਕਲਮ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾ slip of pen ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ C. O. ਜਾਂ A. C. O. ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਏਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਦਫਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲਾਂ ਲਾਵੇ । ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ flying C. Os. ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਫਾ 42 ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 85, 85 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8-9 ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਤੀਜੀ so on ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ documentary proofs ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ consolidation ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਮਨਿਸਟਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵਿਚਵਾਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਕੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ । C. O., A. C. O. ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ C. O., A. C. O. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਕਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, इश्तेमाल एक बहुत बड़ी बरकत है। इस से लोगों का और सूबे का बहुत भला होता है। यह खानदानों को बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। इस से नंबरान बगैरह हासिल करने में इतनी आसानी हो जायेगी कि सरकार को हमारी आयंदा नसलें दुआ देंगी। नागपुर resolution के पास होने के बाद, यह एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब मिल कर इश्तेमाल को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि खेती बाड़ी मुश्तरका होनी है, यह सब लोगों ने मिल कर ही करनी है इस लिये जो रुपया खर्च आये इस का भार सब पर यकसां होना चाहिये ।

स्पीकर साहिब, consolidation का मकसद तो यही था कि जिन लोगों के पास टुकड़ों में बंटी हुई ज़मीन है, जिस की वजह से पैदावार कम होती जा रही है उस को एक जगह कर दिया जाए ताकि production बढ़ सके और ज़मीन वाले अपनी ज़मीन को संभाल सके। इस के लिये सारे देश में काम और काया कल्प हुआ। मुल्क का सब से बड़ा लीडर आज इस बात के लिये तुल गया है कि खेती सांझी हो और इस principle की कामयाबी के लिये हर स्टेट कोशिश करे। इस लिये मैं स्पीकर साहब, आप के ज़रिए अपनी सरकार को अर्ज़ करूंगा कि वह अपने क़ायदों को ढीला करे और इस बात की कोशिश करे कि मुल्क में joint co-operative farming हो सके ।

अगर अफरा तफरी में स्पीकर साहब, कोई कदम बढ़ाया जाता है तो बहुत सी गलतियां भी होती हैं और ऐसे ही हुआ जैसा कि सरदार हरबंस सिंह जी ने और राठी साहब

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

ने फरमाया कि clerical mistakes हुई। मैं भी सहमत हूं उन से कि इन गलतियों से तबाही भी हो सकती है। और consolidation के काम में यह बात मानी हुई है कि पटवारियों से और दूसरे लोगों से ग़लतियां होती हैं। इन गलतियों से लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं। एक तरफ तो वारिशें खिलाफे मामूल हुईं जिस की वजह से किसान की बरबादी हुई और अब कुछ ऐसे हिस्से में जहां पर consolidation से बरबादी हो रही है। और जब 4 रुपए से 5 रुपए फीस की गई तो मुझे ख्याल आया कि यह ज्यादती हो रही है। यह मैं मानता हूं कि कोई स्टेट बग़ैर revenue के बन जाए यह नामुमकिन है, इस लिये अगर कोई थोड़ी बहुत तकलीफ़ revenue दे कर हो भी जाए तो उसे बरदाश्त करना चाहिए।

सरदार हरबंस सिंह जी ने इस फ़ीस को चीनी में लिपटी कड़वी गोलियां कहा है। मैं समझता हूं कि जो काम स्टेट की भलाई के लिये होता हो उस की criticism यह कह कर नहीं करनी चाहिए कि वह किसानों के लिए ज़हर है। यह तो ठीक है कि मुखालफित करनी चाहिए मगर उन चीजों की जो public के interest की नहीं है लेकिन जो public की भलाई के लिये चीज़ें हैं उन की तो ताईद ही करनी चाहिए।

स्पीकर साहब, चीनी के परमिटों में रुपया बड़ा कमाया गया। जब मैं ने श्री पंजी से शिकायत की कि यह बग़ैर टिकट परमिट नहीं मिलने चाहिए क्योंकि परमिटों वाले हलवाइयों से भी फ़ीस ले लेते हैं तो श्री पंजी ने हमारे साथ इत्तिफाक किया। मैं जनाब यह बतलाना चाहता हूं कि इन वकीलों ने एक एक इलाके में लाख लाख रुपया कमाया है। राठी जी ख़फ़ा न हो जाएं मैं तो अपने जिले की बात कह रहा हूं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : हमारे यहां तो ऐसा नहीं हुआ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं तो अपने यहां की बात कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार फ़ीस लगाने की कार्रवाई करे तो बेशक करे लेकिन इस में वुकला को पेश होने की इजाजत न दे। अगर सरकार ऐसी कोई amendment लाए तो अच्छा है।

अफ़सरों के बारे में जो यह कहा जाता है कि यह corrupt हैं यह बिलकुल ठीक नहीं है। अगर एक मछली गंदी है तो इस के मानी यह नहीं होता कि सारे तालाब की मछलियां गंदी हैं। और फिर officers को किसी के बिगाड़ने बनाने में दिलचस्पी नहीं होती। इस लिये अफ़सरों को blame करना ग़लत बात है। और जो फ़ीस लगाई गई है उसे ज़हर की गोलियां कहना ग़लत चीज़ है।

कई लोग यह कहते हैं कि मिनिस्टर जगह जगह जा जा कर enquiry करें तो यह ना मुमकिन बात है। हां अगर कहीं किसी खास केस में ज्यादा injustice हुई हो वहां जा कर देखें तो ठीक है।

मैं मुसलिम औकाफ़ का ज़िक्र करना चाहता हूं कि इस की कोई representation नहीं है इस लिये वह ऐसी ही पड़ी रह जाती है। अच्छा होता कि कोई ऐसी amendment लाई जाती कि सरकार खुद ही मुसलिम औकाफ represent करती लेकिन खैर यह अच्छा ही हुआ कि अब तो custodian का सिलसिला ही खत्म हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे relevant है ? (How is it relevant ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : कुछ amendments आ रही हैं स्पीकर साहब, और जो बात मैं कह रहा हूं वह इन से ताल्लुक रखती है।

श्री अध्यक्ष : इस से relevancy नहीं बनती। (This does not help make it relevant.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जहां तक टिकट का ताल्लुक है, ठीक है कि सरकार ने यह सोचा कि दफ़ा 42 के तहत बहुत सी दरखास्तें आ जाती हैं इस लिये यह टिकट की पाबन्दी लगानी चाहिए ताकि check हो सके लेकिन जब टिकट का सवाल लोगों के सामने आएगा तो फिर उन्हें सोच विचार करना पड़ेगा और फिर पूरी तरह representation नहीं हो सकेगी क्योंकि लोग हिचकिचाहट महसूस करेंगे।

स्पीकर साहिब, मैं गुज़ारिश करता हूं अपनी सरकार से कि जहां लोगों पर इस तरह का बोझ डालने का सवाल हो उस बात पर अच्छी तरह से विचार किया जाए

1.00 p.m

जनाब मैं इस काम को सयाह वर्क इस लिये कहता हूं कि consolidation में evacuee land का क्या हो रहा है । मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरी जो ज़मीन है मैं उस का मालिक हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं गया, मगर custodian कह देता है कि नहीं आप इस के मालिक नहीं हैं। इस तरह परेशानी होती थी। इस लिये अच्छा है कि custodian का महकमा खत्म किया जा रहा है ।

Mr. Speaker : The hon. Member is not relevant please.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब मैं कहना चाहता हूं कि यह जो ticket लगाने का तरीका लाया गया है यह ठीक नहीं है। राओ साहिब को इस के बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि उन के हलके में consolidation होने वाली है। वह इस पर विचार कर के अपने साथ और वहां के लोगों के साथ इन्साफ करें। बाकी पंजाब में जो consolidation हुई है उस की मैं तारीफ करता हूं और जो हम amendments लाए हैं उन की भी मैं ताईद करता हूं।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ consolidation ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20% ਕਟ ਲਗੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ consolidation ਦੇ ਵਿਚ ਉਡ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਿਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ Act ਦੀ ਦਫਾ 42 ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ political ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਪਰਚਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਫਾ 42 ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸਤ ਸਤ ਦਿਨ pending ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏਸ ਦਫ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ clerical mistake ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ clerical mistake ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ summon ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫੇਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ accidental slip ਔਰ omission ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ vague ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੜ ਬੜ ਨਾ ਕਰ ਜਾਉ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਦੇ ਨਾਲ food problem ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਕਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ

ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ ਆਹਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਆਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । (*Interruptions*) ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ consolidation ਦੇ ਵਿਚ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਹੈ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸਤਿਆਂ ਔਰ common purpose ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

(*Interruption by Chaudhri Suraj Mal.*)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਸਾਹਿਬ interrupt ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ perturbed ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ relevancy ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਅਗੇ ਕਿਹੜੇ ਘਟ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ court fee ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫੀਸ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਫੇਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਭੀ ਝਲਣਾ ਪਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ । ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ consolidation officer ਖੁਦ ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ parties ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਫੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਤੇ cut ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੇ cut ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਇਕ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰ ਵੀ cut ਲਗਾਉਗੇ ਅਤੇ 5 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਪਰ cut ਲਗਾਉਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉਗੇ .... (*Interruptions*) ...... ਉਹ ਗਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ oppose ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ support ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ clerical mistake ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ notice ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ parties ਨੂੰ ਆਪ call ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ parties ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹ ਬਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ. innocent

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ innocent ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ oppose ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚੋ ।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाब सदरे मुहतरिम, यह जो यहां बिल आया है बज़ाहर बहुत सादा और निहायत मासूम है। लेकिन जनाब इस का असर हम ग़रीब ज़मीदारों पर बहुत बड़ा होगा। यहां यह कहा गया है कि जो किसानों की दफ़ा 42 के मुताबिक दरखास्तें आती हैं वे बहुत ज़्यादा आती हैं और इस लिये कि उस दफ़ा का नाजायज़ फायदा न उठाया जाए । यहां यह पाबन्दी लगाई गई है कि उस पर कोर्ट फ़ी लगी हो और दूसरी तमाम documents की नकल हो, तब जा कर वह दरखास्त पेश हो सकती है। हमारे मिनिस्टर साहिब का हमारी गवर्नमेंट इस misuse को रोकना चाहती है। लेकिन किस तरह रोकना चाहती है ? इस तरह कि उस जमींदार को जिस बेचारे को किसी हाकिम के हुक्म से नुकसान पहुंचा है और वह दफ़ा 42 के लिये दुहाई देता है उस पर आप यह बोझ डाल कर हमेशा के लिये खत्म कर देना चाहते हैं। उस से अगर नाइनसाफी हुई हो तो वह इस दफ़ा 42 के माहतहत आप के पास या Director साहिब के पास या और किसी के पास जा सकता था लेकिन आज उस ग़रीब के पास पैसा नहीं है, जालिम ने उस पर ज़ुल्म किया है उस की ज़मीन को ग़सब किया है और वह उस हुक्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है मगर उठा नहीं सकता है क्योंकि उस के पास पैसा नहीं है। जिस के मायनी यह हैं कि आप नाइनसाफ़ी को जो उस पर हुई है उसे हमेशा के लिये कायम रखना चाहते हैं और इस तजवीज़ का मक्सद यही मालूम देता है। दूसरी चीज़ यह है कि उन ग़रीब लोगों की तरफ़ देखो आप अपने ऊपर अन्दाज़ा न लगाओ। आप को न तो दफा 42 की दोहाई देनी पड़ेगी और न आप की ऐसी हालत होगी कि आप पैसा न खर्च कर सकें। इस लिये मेरी अर्ज़ है कि आप अपने ऊपर अन्दाज़ा न लगा कर ग़रीबों की तरफ़ देखो और उन को देख कर बताओ कि उन का क्या हशर होता है। एक तरफ़ आप ने फ़ीस बढ़ा दी है और फिर आप ने यह किया है कि हर document की नकल लेकर लगाओ। इस में एक बात और आएगी और वह यह होगी कि जो बीच के ज़िमनी orders होते हैं उन की नकल देने से अफ़सरान आम तौर पर इनकार कर देते हैं यानी जो बीच की शरारत होती है और जिस हुक्म की रू से उस को नुक्सान होता है उस की नकल देने से वह अगर इनकार कर देंगे तो दफ़ा 42 के मातहत वह दरखास्त पेश नहीं हो सकेगी। पहले ही फीस चार रुपए पांच रुपए कर दी है। एक मेम्बर साहिब ने फरमाया कि साहिब बग़ैर taxation के किसी गवर्नमैंट का काम नहीं चलता। यह बात मैं भी मानता हूं कि नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता लेकिन सवाल यह है कि tax कहां लगाएं ? वहां लगाए जहां लगाने से कुछ हासिल हो, लेकिन आप तो उन ग़रीबों को और मारना चाहते हैं जिन की कमर पहले ही इन से टूटी हुई है। इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं कि उन पर टैक्स लगा दें कि जो इस काबिल नहीं, अहल नहीं और जो अदा नहीं कर सकते हैं। उन पर लगाओ जो अदा कर सकें

श्रौर बहुत सी जगहें जहां टैक्स लगा सकते हैं श्रौर बहुत सी जगहें जहां से टैक्स avoid किया जा सकता है; तो इन ग़रीबों पर टैक्स लगाना avoid किया जा सकता है। मैं श्रर्ज़ करता हूं जनाब, कि consolidation रहमत भी है बरकत भी है लेकिन यह जनाब रहमत से ज़हमत भी बना दी जाती है। यह जितना भी कर रहे हैं अफ़सरान कर रहे हैं श्रौर दूसरे बारसूख आदमी कर रहे हैं श्रौर शायद यह बात यहां अच्छी तरह ब्यान नहीं की जा सकती वरना जनाबे आली यह हालत है कि अच्छी से अच्छी ज़मीन काट कर एक को दे दी जाती है श्रौर बुरी से बुरी दूसरे को दे दी जाती है। पहले वह बिचारा दफ़ा 42 का सहारा ले लेता था लेकिन अब आप कहते हैं कि वह रुपयां सरफ़ करे। तो मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि ये पैसे हम से नहीं दिए जा सकते। ये हमारी तरफ़ एक मिसल मशहूर है कि:

"मुड़ घिड़ रस्ता गजरां विच्च"

इसी तरह जब भी टैक्स लगाने की बात आती है तो यही होता है कि लगाश्रो ज़मींदार पर, लगाश्रो ज़मींदार पर श्रौर इस तरह आप उस का दीवाला पीट रहे हैं। वैसे तो ज़मींदार को back bone कहते हैं लेकिन इसी back bone को तोड़ना चाहते हैं। मगर आप याद रखो कि अगर इस को तोड़ देंगे तो आप भी खुद कुबड़े हो कर चलेंगे (हंसी) तो मैं अर्ज़ करता हूं कि बज़ाहर यह अच्छी बातें हैं कि clerical ग़लती की इसलाह होगी लेकिन आप एक ऐसा हथियार उन अफ़सरान के हाथ में दे देते हैं कि जब चाहें ग़लत को सही मान लें या सही को ग़लत बना दें। इस का मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे अफ़सरान बुरे हैं श्रौर बेईमान हैं। यह मैं मानता हूं कि अफ़सरान ईमानदार भी हैं श्रौर बहुत ईमानदार भी हैं लेकिन जनाब मैं अर्ज़ कर दूं कि बेईमान भी हैं श्रौर बहुत बेईमान भी हैं, दोनों तरह के हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन के हाथों में एक ऐसा हथियार दे देना कि जिस से वे दूसरों का कतलेआम कर दें दुरुस्त नहीं। अब आप देखें कि देहात में क्या हाल है।

अब मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ज़मींदार का पूरा फ़ायदा हो श्रौर मुकदमा बाज़ी न हो तो मेहरबानी कर के यह न करो।

Sardar Harchand Singh : Sir, I beg to move —

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is —

That question be now put.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause.

CLAUSE 2

Sardar Umrao Singh : Sir, I beg to move —

In the proposed section 16-A(1), line 7, for "may" substitute" "shall".

Mr. Speaker : Motion moved —

In the proposed section 16-A(1), line 7, for "may" substitute "shall".

Mr. Speaker : Question is —

In the proposed section 16-A(1), line 7, for "may" substitute "shall".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is —

That clause 2 stand part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is —

That clause 3 stand part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Sardar Umrao Singh : Sir, I beg to move —

In the proposed section 27-A, line 11, for "section 21" substitute "this Act".

Mr. Speaker : Motion moved —

In the proposed section 27-A, line 11, for "section 21" substitute" "this Act".

Mr. Speaker : Question is —

In the proposed section 27-A, line 11, for "section 21" substitute" "this Act".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That clause 4 stand part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSES 5, 6 AND 7

Mr. Speaker : There are no amendments to clauses 5, 6 and 7. I shall, therefore, put them to gether to the vote of the House. Question is —

That Clauses 5 to 7 stand part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is —

That clause 1 stand part of the bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is –

That Title be the Title of the bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB STATE AID TO INDUSTRIES (AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move –

That the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं इस की मुखालफ़त करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि मैं इस वक्त यह जो बिल पेश हुआ है इस की हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। रोज़ाना हम देखते हैं कि जब कर्ज़ा देने का सवाल आता है तो छोटे कर्ज़े तो District Industries Officer दे देते हैं लेकिन बड़े कर्ज़ों के लिये उन्हें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इस बिल की रू से यह authority उन को मिल जायगी। यह एक अच्छा कदम है। कई बार यह शिकायत की जाती है कि अपोज़ीशन की तरफ़ से अच्छी बात की भी मुखालफत की जाती है लेकिन ऐसी बात अपोज़ीशन की तरफ़ से नहीं होती। कोई खराबी होगी तो उस की हम पुरज़ोर मुखालफ़त करेंगे। इस बिल पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं वज़ीर incharge को मुबारकबाद देता हूं कि वह एक अच्छी चीज़ ला रहे हैं। इस से difficulty दूर होगी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be considered clause by clause.

CLAUSES 2 TO 4, CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : There being no amendments to the clauses of the Bill, I shall put them together along with the Title of the Bill to the vote of the House.

Question is —

That clauses 2 to 4, clause 1 and the Title stand part of the bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move —

That the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move :—

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause.

CLAUSE 2, CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : There are no amendments to the clauses. These will be put together along with the Title of the Bill, to the vote of the House. Question is —

That clause 2, clause 1 and the Title stand part of the bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move —

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

(*The Sabha then adjourned till* 2 *p. m. on Monday, the* 6*th April*, 1959).

6187/PVS—347—C. P., & S. P.b., Chandigarh.

ANNEXURE

(Please see foot-note at page (26) 5 of this debate dated 31st March, 1959

EXTENSION OF KIRPAL CHAND KUHL IN DISTRICT KANGRA

*3756. **Shri Amar Nath Sharma** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the scheme for the extension of Kirpal Chand Kuhl in district Kangra has been finalised, if so the date by which Government purpose to start work thereon, if not, the manner in which areas of villages Thural and Moondi in District Kangra are proposed to be irrigated.

Sardar Gian Singh Rarewala : Not yet.

The matter is under consideration of the Government.

6187 PVS—350—C.P. and S, Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

6th April, 1959

(Vol. I—No. 27)

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

MONDAY, 6TH APRIL, 1959

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959

ERRATA

PUNJB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I—NO. 27

DATED THE 6TH APRIL, 1959.

Read	*For*	*Line*	*On Page*
(Amendment)	(Amendmet)	5	(27)21
Shrimati	Shrimat	4	(27)22
Purchase	Purchage	13th from below	(27)23
ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਚੌਧਰੀ ਬਰਬੀਰ ਸਿੰਘ	Heading	(27)26
ਹੋਣੀ	ਹਣੀ	16	(27)30
उद्योग मन्त्री	द्योगग मन्त्री	Heading	(27)40
ਸਰਦਾਰ ਓਮਰਾਓ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ	16	(27)40
ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉਸਿੰਘ	8th from below	(27)42

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, 6th April 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Sardar Gurdial Singh Dhillon*) *in the Chair.*

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Mr. Speaker . The Question Hour is dispensed with today.

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker . Sarvshri Baldev Parkash and Balram Das Tandon have given notice of a motion to raise a question of *privilege. I do not give my consent to that question being raised and the reasons therefor can be enquired from me in my Chamber.

ANNOUNCEMENT BY SPEAKER

श्री अध्यक्ष : Privileges Committee पर Shri D.D. Puri को नामज़द किया गया था । लेकिन वह India से बाहिर चले गए हैं । इस वजह से वह meetings में आ नहीं सकते । इसलिये उन की जगह राओ गजराज सिंह को रख लिया गया है । (Shri D.D. Puri was nominated as a member of the Privileges Committee. But since he has gone abroad he cannot attend the meetings of this Committee. Therefore, Rao Gajraj Singh has been nominated in his place.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : राओ गजराज सिंह बहुत Committees के मैम्बर हैं । वह कहीं थक न जाएं ।

श्री अध्यक्ष : जो lawyers हैं उन को ऐसी Committees में रखा जाता है। अगर आप किसी और lawyer का नाम suggest करें तो मैं उन को रख सकता हूँ । लेकिन मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि जो कुछ मैं करूँ उस पर आप comment करें । (The lawyers are appointed as members of such Committees. If the hon. Member suggests the name of some other lawyer member I am prepared to take him. But I cannot tolerate any comments by the hon. Member on whatever I do.)

---

*Sarvshri Baldev Parkash and Balramdas Tandon, M.L.A.s to ask for leave to make the following Motion of Privilege on 6th April 1959 :—

> "That the room of Deputy Speaker in the lobbies is being used as Congress Legislature Party Office. This is an abuse of the lobbies and is a breach of privilege of the House,"

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, अगर आप ने इस बात को इस light में लिया है तो मैं मुआफी मांगता हूँ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION REGARDING THE ESTATE DUTY ACT

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Resolution regarding the regulation of Estate Duty Act, in the State by Parliament.

(No Member rose to speak).

Mr. Speaker : Question is—

WHEREAS by resolutions passed in pursuance of Article 252 of the Constitution the levy of estate duty in respect of agricultural land in the State of the Punjab is governed by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) passed by Parliament;

AND WHEREAS the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), has been amended by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of Agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law;

NOW THEREFORE this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution that the matters aforesaid in so far as they are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State may be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), may be amended accordingly.

The motion was carried.

THE PUNJAB MOTOR SPIRIT (TAXATION OF SALES) (AMENDMENT) BILL. 1959

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाबेआला, मैं ने budget पेश करते वक्त अर्ज की थी कि हमारा जो deficit है उस को पूरा करने के लिये हम ने motor spirit पर चार आने की फी गेलन की बजाए 31 नए पैसे tax लगाया था लेकिन हिसाब को ठीक रखने के लिये हम ने इस Bill में तजवीज किया है कि 25 नए पैसे की बजाए 30 नए पैसे taxation हो जाए । हमें पैसे की जरूरत है और Taxation Enquiry Commission की सिफारिशात के मुताबिक हम छः आने per gallon तक tax लगा सकते हैं । लेकिन हम इस वक्त सिर्फ पांच आने per gallon tax लगाना चाहते हैं क्योंकि इस से ज़्यादा हमें tax लगाने की ज़रूरत नहीं है । इस लिये मैं उम्मीद करता हूँ कि House इस Bill को पास करेगा ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री भला राम (जींद 'रिज़र्वड') : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री साहिब ने यह जो Bill पेश किया है इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। असूलन तो हम tax के खिलाफ नहीं हैं लेकिन देखना यह चाहिये कि जो लोग tax देने के काबिल हैं और जिन के पास काफी रुपया आता है उस में से कुछ हिस्सा उन्हें ज़रूर Government को देना चाहिये मगर जिस tax का असर गरीबों पर पड़े जिन के income के sources बहुत कम हैं तो यह नावाजब बात है। यह जो motor spirit tax है यह गरीब लोगों पर बोझ डालता है जिन को कि गुड़गांव या और दूसरे ज़िलों से चल कर अपने उन कामों के लिये यहां आना पड़ता है जिन के लिये वहां पर शुनवाई नहीं होती। आप कह सकते हैं कि Diesel की Buses चल पड़ी हैं लेकिन फिर भी इस tax का ज़्यादा असर गरीबों पर ही पड़ेगा। यह जो tax है अगर इसे आप कारों वालों पर लगाते तो ठीक था क्योंकि वह अमीर आदमी होते हैं लेकिन यह तो ट्रकों पर भी लगेगा। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि यह ट्रकों पर नहीं लगना चाहिये क्योंकि उस से गरीबों पर असर पड़ता है। इस का नतीजा यह होगा कि गरीब लोगों को trucks पर चीज़ें ले जाने के लिये किराया ज़्यादा देना पड़ेगा और फिर जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वह भी महंगी हो जाएंगी। इस लिये मैं दरखास्त करता हूँ कि ट्रकों को इस tax से मुसतसना किया जाए। इस के इलावा मैं यह भी अर्ज़ करता हूँ कि यह tax एक दम से 25 नए पैसों से 30 नए पैसे नहीं करना चाहिये। यह अगर बढ़ाना था तो आहिस्ता २ बढ़ाना चाहिये था। इतना कह कर मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ।

पण्डित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, मुझे यह उम्मीद थी कि budget पर बहस होने के बाद वज़ीर साहिब और Government पर इस बात का असर हो जाएगा कि यह tax ग़ैर ज़रूरी है। यह जो खसारा है यह इतना नहीं कि खुद बखुद पूरा न हो सके। यह ज़रूर पूरा हो जाएगा। अगर पिछले दो तीन सालों के budget को देखा जाए तो मालूम हो जाएगा कि जितना यह घाटा दिखाते हैं वह पूरा होने के इलावा और बचत भी हो जाती है। यह जो मामूली सा घाटा इस budget में दिखाया गया है यह पूरा होने की पूरी पूरी उम्मीद थी। लेकिन ऐसी हालत में यह गवर्नमैंट फिर भी यही ज़िद किए हुए है कि यह टैक्स लगाना ज़रूरी है और ज़रूर लगाया जाए और टैक्स भी वह जिसका बोझ आम लोगों पर पड़ेगा क्योंकि ट्रकों में ही सारा सामान आना जाना है। इसमें कोई ज़्यादा लम्बी चौड़ी दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है और बात साफ है कि यह सारा बोझ आम गरीब लोगों पर पड़ना है। इस लिये इन्हें कभी कुछ तो imagination से काम लेना चाहिये। Centre में भी अकसर देखते हैं कि अगर कुछ taxes लगते हैं तो जो हाउस में बहस हो और लोगों के नुमाइंदों की तरफ से ख्यालात ज़ाहर किए जाएं उनका गवर्नमैंट पर असर

[पंडित श्री राम शर्मा]

पड़ता है और बाज़ औकात ऐसे मामलों में तो अकसर यह होता है कि टैक्स छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारी यह पंजाब गवर्नमैंट इतनी सख्त जान है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह तो पहिले ही फट से इरादा करके आते हैं कि फलां टैक्स ज़रूर लगाना है खाह मैम्बरान की कोई राए हो और यह इस ताक में रहते हैं कि कोई बहाना मिले तो या कोई नया टैक्स लगाया जाए या कोई पुराना ही बढ़ा दिया जाए। तो मैं इस टैक्स की पुर ज़ोर मुखालिफत करता हूँ कि इस की ज़रूरत नहीं थी और इसके बगैर भी काम चल सकता है। यह ज़ाहिर करने के लिये कि यह टैक्स निहायत ग़ैर ज़रूरी है इस की मुखालिफत करता हूँ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, यह जो 5 Naye Paise का इज़ाफा करने की बात है वैसे मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं और मैं समझता हूँ कि अगर इस बात का करना ज़रूरी है तो करना ही चाहिये....

पण्डित श्री राम शर्मा : मगर ? (हँसी)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मगर यह कि बात यह है कि हमारे पंजाब का बाबा आदम ही निराला है। आप एहसास फरमाएंगे कि हमारा एक छोटा सा सूबा है और इस की एक विधान सभा है, दो Regional Committees हैं और फिर इन के ऊपर एक Council भी बना दी है। आखिर खर्च न बढ़े तो और क्या बढ़े। खर्च तभी बढ़ता है जब सारा नज़ाम बेहंगम हो जावे और उस निज़ाम का खर्च इस ढंग से बढ़ जाए। आखिर हमारे Finance Minister क्या करेंगे और जो इस तरह के इतने इखराजात होंगे....

श्री अध्यक्ष : ये बातें भी motor spirit में ही आ गई? (हंसी) (Do all these things come under the motor spirit ?) (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, आज हमारे सूबा की हालत यह है कि यह तो 5 Naye Paise है अगर लोगों पर एक पैसा भी बढ़ता है तो भी हाहाकार मचती है क्योंकि ग़ल्ला नहीं हुआ, पिछली फसल नहीं हुई और लोगों की हालत खराब होती जा रही है और उन की कुव्वत tax देने की नहीं। ऐसे हालात में अगर एक पाई का भी इज़ाफा हो जाए और हाहाकार मचे और लोग एतराज़ करें तो उस की कदर करनी पड़ती है और कदर करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप भी खफा होंगे। यह बात ठीक नहीं उतरती और Upper House यहां discuss नहीं हो सकता लेकिन, जनाब, इस में यह बात ज़रूर आती है कि लाखों रुपया सालाना खर्च का एक सफेद हाथी यहां खड़ा कर रखा है। मगर इस के इलावा, स्पीकर साहिब, एक सवाल आपके ज़रिये पूछता हूं और आप खफ़ा भी हो जाते हैं......

श्री अध्यक्ष : ठीक है मैं ही खफ़ा होता हूं मगर आप बड़ी शराफत से रहते हैं। (True. I get annoyed but the hon. Member remains very gentle.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : शराफत तो, स्पीकर साहिब, आप और हम में common है मगर दर्जा आप का ज़्यादा है और आप के अख्तियारात वसीह हैं । इस लिए आप से मुआफी भी मांग लेते हैं.....

श्री अध्यक्ष : आप सीधे तरीका से बात किया करें । (The hon. Member may please speak in a straightforward manner.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: जो गल्त बात हो उस की हम मुआफी मांग लेते हैं लेकिन, जनाब, यह बात भी सही है कि बाज़ मैम्बरान को दसों कमेटियों में शामिल किया है और ऐसे ही पैसा ज़ाया किया जाता है । जहां तक Finance Minister साहिब का ताल्लुक है मैं उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे ढंग से पैसा लेने की कोशिश की है क्योंकि आजकल लोग spirit से, जहां शराब की बन्दश है, अजीबोगरीब काम लेते हैं । लोग इस को शराब में मिला कर भी पीते हैं । उस पर अगर tax बढ़ा है तो उस पर यह बहाना बनाना कि ट्रकों का नुक्सान होगा या मोटरों का नुक्सान होगा तो यह तो साफ ज़ाहिर है कि नुक्सान होगा ही क्योंकि चाहे खरबुज़ा पर छुरी रखो या छुरी पर खरबूज़ा रखो नुक्सान खरबूज़ा का ही होगा । तो जहां तक इस taxation का ताल्लुक है मैं गवर्नमेंट के साथ हूं लेकिन एक सवाल पूछता हूं कि क्या यह रुपया इस लिए लेते हैं कि एक वज़ीर एक जगह एक एक महीने में दस दस बार जाए। इस में कहां की sense है कि यह रुपया इस तरह से खर्च किया जावे.....

श्री अध्यक्ष : आप को इन बातों के करने के इस हाउस में काफी मौके मिले मगर क्या आप की अभी तसल्ली नहीं हुई ? (हंसी) (The hon. Member got ample opportunities to say these things in the House, but is he not yet satisfied with all this?) (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, अर्ज़ यह है कि इस गवर्नमेंट के कान इतने बहरे हैं कि मेरी आवाज़ अभी तक इनके कानों में नहीं पहुंची । मैं उनके बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ही यह कहना चाहता हूं और आप ही एक ऐसी हसती हैं कि जिस के ज़रिये हम अपनी आवाज़ उन के बहरे कानों तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाना चाहता हूं । तो मैं अर्ज़ करता हूं कि आखिर यह टैक्स इस लिए बढ़ाया जा रहा है कि आप के अखराजात बढ़ रहे हैं। स्पीकर साहिब, अगर टैक्स इस लिए ही लगाया जाना है कि पोलीस के सिपाहियों को बावा आदम के वक्त का मुकर्रर कर्दा दो रुपया माहवार किराया मिलता है जो जुल्म है ।

Mr. Speaker : You are not relevant. Please be relevant.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार; मैं, जनाब, बिल्कुल बाहर नहीं जाता और मैं यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि खूबसूरती इस बात में है कि जो टैक्स बढ़ाया जाए या लगाया जाए....

श्री अध्यक्ष: जिस ढंग से आप इन सब बातों को इकट्ठा कर के इस बिल में ला रहे हैं यह भी खूबसूरती की बात है । (हंसी) (The way in which the hon. Member is connecting all these things with the Bill is also splendid.) (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: मैं यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि आखिर tax इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि बढ़े हुए अखराजात को पूरा किया जाए । लेकिन आप देख रहे हैं कि उन अखराजात की नौईअत क्या है और आया वे अखराजात ऐसे हैं जिन के लिए ज़रूरी है कि tax लगाया जाए ?

Mr. Speaker : Please see the note below. This enhancement is being made for financing the development work. Please try to be relevant.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करने वाला था कि हमारे साथ जो दूसरी States लगती हैं उन में भी अगर यही rate है जितना कि हम पांच नए पैसे बढ़ा कर कर रहे हैं तब तो ठीक है और इसमें कोई leakage होने वाली नहीं है । अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं अर्ज़ करूंगा कि लोग spirit देहली से ले आएंगे, राजस्थान से ले आएंगे और हमें इस का तजरुबा है कि बड़े बड़े लोग जो देश में काफी इज्ज़त पाते हैं उन की तरफ से smuggling होती है और उन्होंने की है । इस लिए कि यह जो नेक काम आप करने लगे हैं इस से leakage और smuggling शुरु न हो जाए । मैं अपने बुज़ुर्ग Finance Minister साहिब से कहना चाहता हूं कि इस नैया में जिस के आप खवैया हैं यह नई किस्म की leakage शुरु न हो जावे । स्पीकर साहिब, आप बुज़ुर्ग हैं और आप हमारी नुमायंदगी करते हैं और जहां तक हम सब का ताल्लुक है आप खफा होते रहेंगे और हम मुआफी मांगते रहेंगे लेकिन, जनाब, हम भी लोगों की, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल हैं नुमायंदगी करते हैं और उन लोगों ने हम को यहां इस लिए नहीं भेजा कि हम यहां गूंगे बन कर बैठें और जो हुक्म सादर हो उसकी बिला चूं-चरां तामील करें । इसके इलावा मैं अर्ज़ करूंगा कि हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी कोई टैक्स लगाया जाए और अगर उस की leakage का डर हो तो उस बारे यह होना चाहिये कि वह टैक्स हर एक जगह एक जैसा हो उस बारे में आप Central Government से दरखास्त करें और High Command से दरखास्त करें कि हिन्दुस्तान में एक ही तरह का टैक्स लगे ताकि smuggling और leakage न हो ।

श्री अध्यक्ष : अब आप छोड़ें । (The hon. Member may please leave it now.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: मैं अर्ज़ करता हूं कि कोशिश करें कि सारे हिन्दुस्तान में एक जैसा टैक्स लगे ताकि ख़राबी न हो, leakage न हो । इतना कह कर मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं और आप ख़फा न हुआ करें ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ Motor Spirit ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪਹਲੂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ development ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤਾਂ develop-

ment ਹੋਈ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ socialist pattern declare ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਲਖ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ grants ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, fertilizers ਦੀ development ਲਈ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਾਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ traceable ਨਹੀਂ, loanees traceable ਨਹੀਂ, sureties traceable ਨਹੀਂ . . . . . .

Mr. Speaker : The hon. Member should try to be relevant. The Bill, under discussion, is about the enhancement of the rate of tax on the sale of motor spirit.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਕ development ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ leakage ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Minister for Finance : Sir, I rise on a point of order. The Budget has already been adopted and the Appropriation Bill allowing the expenses has been passed. Therefore, no criticism should be allowed on that. We cannot criticise our own actions like this.

The other thing is whether this enhancement should be made or not. The discussion should be confined only to this taxation proposal and nothing else.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਟਰੌਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ statistics ਇਕਠੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਨਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ figures ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ 150 vehicles ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਨ ਹੁਣ 1,700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ 250 ਸਨ ਹੁਣ 2,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਾਦਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਟਰੌਲ ਦੀ consumption ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਾਬ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਸਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੋਝ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ lease ਤੇ ਦੇ ਦਿਉ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ tender ਮੰਗਵਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਣ ਦਾ ਹਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ co-operative ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ . . . . . .

Mr. Speaker: You are not relevant. Please wind up.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਗਣਾ ਬੋਝ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਾਂਗਾ।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, आज सदन के सामने पंजाब मोटर स्पिरिट्स टैक्सेशन आफ सेल्ज़ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है और इस पर विचार विमर्श हो रहा है। स्पीकर साहिब, सब से पहली बात तो यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों ने इस के अर्थ को नहीं समझा कि मामला क्या है। मैं जहां तक इसे समझ पाया हूँ यह पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगने वाला है diesel oil के ऊपर नहीं लगेगा। मैं विरोधी दल का सदस्य होते हुए भी इस का स्वागत करूँगा कि सरकार ने एक ठीक कदम उठाया है।

Mr. Speaker : Please get this point cleared first.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, टैक्सेशन की जो नीति किसी देश की हुआ करती है वह इस ढंग से होती है कि जो दे सकते हों उन के ऊपर टैक्स लगाना चाहिये और जो निर्धन हों अथवा जिन की आय थोड़ी हो उन पर सीधा टैक्स लगाना अच्छी सरकार को शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय उठ कर कह देंगे कि बजट में यह चीज़ पास हो चुकी है इसलिये इस पर अधिक आलोचना करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। लेकिन यह बिल्कुल अनुचित बात है। स्पीकर साहिब, उन के राजनैतिक दल में अधिक सदस्य हैं इसलिये वे चाहे जो बात कहें मानी जाएगी लेकिन हम विरोधी दल वाले बेशक कितना शोर मचाते रहें हमारा केवल कहना मात्र ही रह जायेगा। स्पीकर साहिब, इस बिल के statement of objects and reasons में यह बात कही है।

> "successful implementation of various development schemes and for the planned enforcement of prohibition."

इस सम्बन्ध में पांच नये पैसे फी गैलन motor spirit पर duty बढ़ाई जा रही है। जहां तक Various Development Schemes का सम्बन्ध है, स्टेट में कई development schemes जारी हुई लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन development schemes के अंतर्गत कई नहरें खोदी गईं, बांध बनाये गये, करोड़ों रुपये खर्च हुए और बड़ा गोलमाल हुआ। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात की निंदा नहीं करता कि सरकार ने निहायत लापरवाही और बेदर्दी से रुपया ज़ाया किया। और जिन लोगों ने जनता के गाढ़े पसीने की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाए उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। यहां पर lame excuses पेश कर देते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, Legal Advisor के साथ परामर्श कर रहे हैं। इस तरह के बहाने कर के हमें टाल दिया जाता है। स्पीकर साहिब, फिर कहा गया कि नशाबन्दी की पालिसी enforce कर रहे हैं इस के लिये पैसा चाहिये। अगर, स्पीकर साहिब, आप इजाज़त दें तो मैं आप को बताऊँ कि रोहतक में जो नशाबन्दी कर रखी है, वहां के

पुलिस अफसर, खुद शराब कशीद करने वालों के साथ मिले हुए होते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अगर मैं उन पुलिस अफसरों के नाम बताऊँ तो आप का हुक्म होगा कि मैं relevant बात नहीं कर रहा। यह planned prohibition की बात महज़ आंसू पूंछने वाली बात है। गांधी जी के नेतृत्व में शराब पर picketing लगती रही, वह तो स्वर्ग सिधार गये लेकिन अब कांग्रेस के राज्य में शराब नोशी ज़ोरों पर है। हमारे कांग्रेस के नेता, डाक्टर साहिब, ने Upper House में फरमाया था कि हम नशाबन्दी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से गवर्नमैंट की आमदनी कम हो जायेगी। महज़ जनता को अन्धेरे में रखने वाली बात है। जनता का खून चूसने के लिये कह दिया कि टैक्स लगा रहे हैं और योजना के अनुसार नशाबन्दी करनी है। किसी वक्त तो मंत्री महोदय सदन में आ कर कह देते हैं कि हम नशाबन्दी नहीं कर सकते क्योंकि यह फजूल खर्च है और कोश में पैसा नहीं है। स्पीकर साहिब, बजट पास हो जाता है और बाद में दो दो करोड़ रुपया सरकार खर्च कर देती है। यह मामूली सी बात है अगर वित्त मंत्री इस बिल को अब भी वापस ले लें क्योंकि यह आम जनता पर लगने वाला टैक्स है जो ग़ैर मुनासिब है (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, मैं relevant बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप खुद ही कह देते हैं कि मैं relevant बोल रहा हूँ, यह मैं ने देखना है कि आप relevant हैं या नहीं। (The hon. Member is himself saying that he is relevant. It is for me to judge whether he is relevant or not.)

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा गवर्नमैंट से यह कहना चाहता हूँ कि Development के नाम पर गवर्नमैंट ने अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरु कर रखा है, ड्रामे होते हैं. . . .

Mr. Speaker : Please discuss the merits of the Bill only.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, अगर यह duty सरमायादार लोगों पर लगनी है तो मैं इस का स्वागत करता हूँ और अगर यह आम जनता पर लगनी है तो मैं प्रबल शब्दों में इस बात की निन्दा करता हूँ। यह बिल गवर्नमैंट को वापस लेना चाहिये।

श्री गोरख नाथ (बटाला) : स्पीकर साहिब, कुछ सज्जनों ने इस बिल पर टीका-टिप्पणी की है लेकिन मैं आप के द्वारा डाक्टर साहिब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने निहायत सोच समझ के बाद एक ऐसा टैक्स लगाया है जिसे किसी हालत में भी जनता पर टैक्स नहीं कहा जा सकता। इस में कोई शक नहीं कि कम्पनियों की आमदनी आम आदमी की आमदनी से ज्यादा होती है। कई जगह पर इतना competition है कि वह लोग सवारियों का किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर बढ़ा सकते होते तो सरकार की तरफ से जहां permission है पहले बढ़ा लिया होता। यह मामूली सा टैक्स है उन की आमदनी और taxable रहती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि अवाम

[श्री गोरख नाथ]

पर टैक्स लगा हो। पहले Electricity Duty ज्यादा की गई थी और सम्भावना हुई थी कि यह food production के साथ सम्बन्धित चीज़ होगी इसलिये यह टैक्स ऐसे हालात में नहीं लगेगा । बदकिस्मती से जब enforcement हुई तो नहर के पानी की पहले ही बहुत मांग थी फिर pumping sets के ज़रिये पानी की मांग बढ़ गई और यह टैक्स uneconomical सा हो गया। इस के मुतअल्लिक scrutiny हो रही है और उम्मीद है कि scrutiny करने के बाद सरकार किसी न किसी नतीजे पर पहुँच गई होगी कि इसे छोड़ दिया जाए। इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि इस बारे में डाक्टर साहिब विचार कर लें और अगर इस पर scrutiny नहीं हुई तो करा लें कि यह टैक्स सिर्फ motor spirit पर रहे और किसी तरह घरों में जलने वाला तेल यानी kerosene oil पर न लग जाए । Kerosene oil भी spirit में आ जाता है, tractors में इस्तेमाल होता है। इसलिये यह टैक्स लगाते वक्त define कर दें कि यह टैक्स सिर्फ motor spirit पर ही लगेगा। इस का सम्बन्ध कम्पनियों से होगा और जनता पर इस का कोई असर नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस टैक्स को वह मुनासिब ढंग से लगाएंगे।

श्री रूप सिंह फूल (हमीरपुर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, इस amending Bill द्वारा टैक्स में थोड़ा सा इज़ाफा किया जा रहा है, मैं इस का विरोध करता हूँ। स्पीकर साहिब, मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारी स्टेट गवर्नमैंट को एक आदत सी पड़ गई है, उस ने प्रण कर लिया है या गवर्नमैंट ऐसा समझने लग गई है कि अगर लोगों पर आये साल ज्यादा से ज्यादा टैक्स न लगाए तो यह उस के लिये हत्तक का बाइस होगा। हम देखते हैं कि जिन जिन चीज़ों पर अंग्रेज़ी सरकार के ज़माने में भी टैक्स नहीं लगा उन पर अब लगाया जा रहा है। Sales Tax भी लगाया है। दाल रोटी पर भी tax है। ऐसा मालूम होता है कि दाल रोटी पर तो क्या धोती और लंगोटी पर भी tax लगेगा। Motor Spirit पर यह tax लग रहा है। दरअसल premier political party ने जब आज़ादी की जंग शुरू की तो अवाम से यह वादा किया कि जब वह बरसरे इकतदार आएगी तो tax का बोझ केवल उन्हीं कन्धों पर डाला जाएगा जो कन्धे इसको बरदाश्त करने की कुव्वत रखते हों। लेकिन आज निर्धन भिखारी पर भी tax लगाया जा रहा है। यह अलहदा बात है कि जो tax देने के काबल हों उन पर tax लगाया जाए तो मैं इसके हक में हूँ कि उन पर लगे । लेकिन आज इस गवर्नमैंट के पंजे से कोई भी बशर, खाह उसकी कुव्वत कितनी ही हो, खाह वह अपने बच्चों का पेट पाल सकता हो या न, नहीं बचा। पहले जब भी किसी State का budget session होता था तो आम जनता अपने नुमायंदगान से पूछती थी, जब भी वे एक आध meeting attend करके अपने घर जाते थे, कि गवर्नमैंट ने क्या क्या फायदा किया । लेकिन अब लोग यह पूछना भूल गए हैं। अब वे यह पूछते हैं कि इस साल गवर्नमैंट कितने taxes लगा

रही है। इस tax में थोड़ा सा इज़ाफा इस amendment के ज़रिये किया जा रहा है। इस से State की आमदनी में कोई ज़्यादा इज़ाफा नहीं हो सकेगा। लेकिन public में गवर्नमैंट को बदनाम करने के लिये काफी मसाला हाथ में आ जाएगा। हम देखते हैं कि जो गवर्नमैंट हमेशा खसारे का budget पेश करती है, लोगों पर tax पर tax लगाए जाती है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वह लोगों से इस कदर दूर चली जाती है कि वह उस State में समाजवाद ढंग का निज़ाम कायम करने के काबिल नहीं रह सकती। ज़बानी या कोरे कागज़ों पर कई कार्रवाइयां हो सकती हैं लेकिन अमली शक्ल में लोगों की भूख और उनके दुख दर्द दूर करने के लिये भी कुछ हो। जो taxation की policy हो, हमेशा के लिये नहीं तो उस अर्सा के लिये जब तक अन्न संकट है बन्द कर देनी चाहिये। पंजाब State एक development की stage से गुज़र रही है तो वह tax लगाना दूर नहीं तो स्थगित कर सकती है। ताकि लोगों के अन्दर हुकूमत के लिये ऐसा जज़बा हो कि गवर्नमैंट की तरफ से एक नई प्रकार का tax लगाना बर्दाश्त कर सकें। वरना ऐसा वक्त आ जाएगा कि कोई शख्स यह नहीं कह सकेगा कि अब क्या करें, कौन २ से taxes लगाए जाएं। और भी ऐसे items हैं जिन पर taxes से लोगों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। अगर वे taxes लगा दिए जाते तो इतना आन्दोलन न होता। मगर जब गवर्नमैंट यह वजह पेश करती है कि चूंकि उनकी economic condition weak है इसलिये tax लगाना है तो बात तो सच है। मगर गवर्नमैंट को यह सोचना चाहिये कि जो लोग यह tax अदा करेंगे, जिन पर बोझ पड़ेगा क्या उनकी economic condition इतनी अच्छी है कि वे दे सकेंगे। जवाब मिलता है कि हरगिज़ नहीं। गवर्नमैंट को अपने ज़राये आमदन के लिये और ढंग सोचने चाहियें। यह नहीं कि जब चाहे गवर्नमैंट आज और tax लगा दे कल कोई दूसरा tax लगा दे। इस तरह गवर्नमैंट समाजवादी ढंग का निज़ाम कायम करने के लिये, जो कि गवर्नमैंट कहती है कि लोगों की भलाई के लिये कायम कर रही है, वह नहीं कर सकेगी।

श्री अध्यक्ष : अपनी अपनी interpretation लिये जा रहे हैं। इस में diesel oil आता है या नहीं, मैम्बरों को यह पढ़ कर आना चाहिये था इसमें दूसरी clause के नीचे sub-clause (c) में motor spirits के मुताल्लिक दिया हुआ है और एक बड़ी wide definition है। इसके होते हुए इस बहस में उन बातों के कहने की क्या ज़रूरत थी जो कि Principal Act में बिल्कुल clear दी हुई हैं।

(The hon. Members are putting their own interpretations in the matter. The hon. Members should have come after studying this point whether, diesel oil is included in it or not. A wide definition of Motor Spirits is given in sub-clause (c) of Clause 2 of the Principal Act. In view of it what was the necessity of saying those very things which have been given very clearly in the Principal Act?)

Shri Nihal Singh : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाबे वाला, सब से बड़ी argument जो पहले दी गई वह यह थी कि यह tax ग्राम जनता पर होगा। जो मज़दूर, गरीब मज़दूर suffer करते हैं उनको tax देना पड़ेगा। अगर इस कानून को, जो Bill मैं ने पेश किया है इसको पढ़ते तो पता चलता कि इसमें passengers पर tax बढ़ाने की बात ही नहीं। Passengers tax मुकर्रर है जो buses वाले pay करते हैं। ट्रक वालों से goods tax लिया जाता है कितना ही खर्चा बढ़ गया हो उस से ज्यादा नहीं ले सकते अगर वह ज़्यादा charge करता है तो कानून के ज़रिये action लिया जाएगा। इस Bill का Passengers tax पर कोई असर नहीं ; इस वक्त नहीं। (एक माननीय सदस्य : इस वक्त नहीं फिर पड़ जाएगा।) जो एतराज़ इस पर किया जाता है वह इसका कोई एतराज़ नहीं।

दूसरी चीज़ यह कही गई है कि हम ने रोहतक में phased programme prohibition का नहीं बनाया। रोहतक का ज़िक्र किया गया। लेकिन यह बात भी कहनी चाहिये कि वे लोग illicit distillation करते हैं या नहीं। वह illicit distillation करते हैं। साथ ही वे यह भूल जाते हैं कि पहली अप्रैल, 1959 से opium की sale बन्द कर दी है। Opium की sale बन्द होने से गवर्नमैंट को 60 लाख रुपए का नुकसान है। पहली अप्रैल से भंग की sale बन्द करने का भी phased programme था। लेकिन वह administratively नहीं कर सकते थे। वह phased programme भी आने वाला है और liquor की sale बन्द करने का phased programme भी आने वाला है। फिर कहते हैं कि development के लिये रुपया क्यों मांगते हैं। फूल साहिब की तरफ से कहा गया कि गवर्नमैंट को tax लगाने की आदत हो गई। साथ ही वह यह कहते हैं कि कांगड़ा वालों को, hilly area के लिये plan में ज़्यादा पैसे मिलने चाहियें, development के लिये पैसा मिलना चाहिये। उसके लिये मांग करनी हो, development पर खर्च करेंगे तो loan भी लेंगे। अगर अपनी income न बढ़ाई जाए तो उसके लिये रुपया कहां से लाएंगे। कांगड़ा के लिये जो नई स्कीमें तैयार की गई हैं और Government of India को भेजी गई हैं उनमें दो साल में 3 करोड़ रुपया Plan के लिये ज़्यादा मिलता है। उस से ज़्यादा मांग कहां से करें। जब development की बात आती है तो कहते हैं कि हमारे इलाका में roads नहीं, यह नहीं, वह नहीं,। जब यह बात आती है कि development की जाए तो उस पर कहते हैं कि ग्राम जनता पर tax लगाया गया। यह tax ग्राम जनता पर नहीं। यह

tax उन पर है जो मोटर के लिये, जिन के पास अपनी हो, bus हो या truck हो, उसके लिये petrol वगैरह खरीदेंगे, यह tax spirits पर है। मैं इनकार नहीं करता ; मैं ने इस Bill में लिखा है कि इस पर जो उनका अपना खर्च है उस पर sales tax बढ़ाया जाए। यह tax आम जनता पर कैसे हो गया ? Passengers tax नहीं बढ़ा। वे कहते हैं कि गवर्नमैंट को tax लगाने की आदत हो गई है । इसलिये Opposition वालों ने गवर्नमैंट के खिलाफ जरूर बोलना है। Opposition party तो यहां कोई है नहीं । जो Opposition में बैठे हैं वे गवर्नमैंट की criticism करते हैं ; उनकी भी यह आदत हो गई है। भला हो डाक्टर मंगल सैन का । एक चीज़ तो वह मान गए और गवर्नमैंट का धन्यवाद कर दिया। शुक्र है उनके मुंह से गवर्नमैंट के लिये धन्यवाद के लफज़ निकले। फिर एक बात मान गए और बहुत ज़ोर दिया कि ट्रक वाले लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से अमृतसर तक का petrol भर कर ले आएंगे। वे ट्रक diesel oil से चलते हैं। वे ज़्यादा petrol नहीं ले सकते। अगर दिल्ली में petrol सस्ता हो जाए तो हमारी income पर असर पड़ना है ।

जनाबे वाला, मैं आपके ज़रिये बताता हूँ कि लोक सभा में बिल आ गया है कि जैसे हमारे हां taxation की policy चलती है उसी तरीका से दिल्ली में भी चले ।

मैं समझता हूँ कि और कोई चीज़ ऐसी नहीं कही गई जिस का जवाब देने की ज़रूरत हो। हमारे खर्चे को criticize किया गया है लेकिन मैं ने अर्ज़ की थी कि उस को तो हाउस पास कर चुका है। और वह भी इस तरह से कि मुखालिफत तो जरूर हुई लेकिन division किसी डिमांड पर नहीं हुई। बजट की सारी डिमांड्ज़ without division पास हुई। Appropriation Bill भी without division पास हुआ । इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बिल को consider किया जाएगा ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause. Clause 2 is before the House.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I AND TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 and Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill be passed.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, डाक्टर साहिब ने बिल की consideration stage पर बिल का जो मुद्दा बयान किया था, उस पर जो criticism हुई उस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। जो बातें बहस के दौरान में डाक्टर साहिब के सामने रखी गईं, मैं समझता हूँ कि उन को ठीक तरीके से explain करने की कोशिश नहीं की गई। मैं तो आशा करता था कि जो खदशात हाउस के सामने रखे गए थे डाक्टर साहिब उन सब को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हों ने ऐसा नहीं किया। स्पीकर साहिब, जो चीज़ बिल के Statement of Objects and Reasons में दर्ज की गई है और जिस को कांग्रेस सरकार हर वक्त कहती रहती है कि देश में planned enforcement of prohibition करना चाहते हैं, और कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। सिवाए यह बात कहने के सरकार अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर रही। यदि सरकार हर साल कदम कदम कर के चलती और यह announce करती कि इस साल हम फलां फलां ज़िले में prohibition लागू करना चाहते हैं तो बात समझ आ सकती थी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। ऐसी नीति announce करने की बजाए केवल यही कहा गया कि चूंकि अफसरान इस तरह की बातें करते हैं और उन को खत्म करने के लिये हम यह चीज़ करना चाहते हैं। वित्त मंत्री महोदय ने तो यहां तक भी कहा कि जनता ने अपने अपने घरों में भट्ठियां लगा रखी हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहां तक prohibition से सरकार की आमदनी पर असर पड़ने का सवाल है वह तो ऐसे है कि शराब या तो बड़ी बड़ी factories में बनती है और या विदेशों से आती है। उस पर टैक्स लगने से या ड्यूटी लगने से जो आमदनी सरकार को होती थी, prohibition हो जाने से उस पर असर पड़ने वाला है। अगर यह बात कही जाती तो बात समझ में आ सकती थी क्योंकि घरों में भट्ठियां लगने से या खेतों में भट्ठियां लगने से तो सरकार को कुछ आमदनी नहीं होती है। सरकार के खज़ाने में उस शराब के बनने से तो कोई पैसा नहीं आता है। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब वित्त मंत्री साहिब ने अफसरों के बारे में कहा और दूसरी तरफ भट्ठियों की बात की तो उन्हें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये था। यह बात कह कर उन्हों ने इस बात को टालने की कोशिश की है। अगर वाकई सरकार

ने अपनी आमदनी में हो रही उस कमी को पूरा करना है जो कि उसे बड़ी बड़ी factories में शराब बनने से होती थी या कि बाहर के देशों से शराब आने से होती थी तो उस को दूसरे ज़राए की तरफ देखना चाहिये। जैसे बिल के Statement of Objects and Reasons में लिखा गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि छोटी छोटी भट्ठियों से तो सरकार को कुछ आमदनी होने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि बावजूद इस बात के कि केंद्रीय सरकार की यह declared policy है कि देश में prohibition लागू करनी है, सरकार इस के बारे में स्पष्ट बात नहीं करती। वित्त मंत्री साहिब हाउस के अन्दर इस तरह की बातें करते हैं कि अभी मौका नहीं है, सोच रहे हैं, ढंग निकालेंगे। इस के साथ ही दूसरी बात कही गई है कि Development Schemes को पूरा करने के लिये यह टैक्स लगाया गया है। इस बारे में हाउस में कई तरह की बातें कही जाती हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में जितनी भी Development Schemes हैं वे सब without proper checking चल रही हैं। इस के कारण funds में बड़ी leakage होती है, धांधली मची हुई है जिसके फलस्वरूप जनता का बहुत सा रुपया ज़ाया जा रहा है। अगर इन स्कीमों की working को check किया जाए तो बहुत सा रुपया सरकार का बच सकता है और इस तरह से इस टैक्स को लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि Anti-Corruption Department का खर्च जो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है यह ज़ाहिर करता है कि corruption में कमी नहीं हो रही। इस बात से यह साबित होता है कि कुरप्शन में कमी होने वाली नहीं है। अगर हम सख़्ती से कुरप्शन को कम करें और नतीजे के तौर पर Anti-Corruption Department पर खर्चे को कम करें और development schemes में leakage को बन्द करें तो इस तरह से बचे हुए रुपए को इस तरफ adjust कर सकते हैं। परन्तु इस तरफ तो सरकार ध्यान नहीं देती। इस के इलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिन से यह 12 लाख रुपए की मामूली सी आमदनी पूरी की जा सकती है। इस छोटी सी आमदनी को पूरा करने के लिये दूसरे साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि development की स्कीमों के नाम पर यहां पर नित्य नए टैक्स लगाए जाते हैं। पिछले बजट सैशन में भी इसी तरह से education cess के नाम से एक टैक्स लगाया गया था। अब इस session में भी नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। Resources and Retrenchment Committee ने बहुत से तरीके बताए हैं जिन से इस काम को पूरा किया जा सकता है और यह आमदनी सरकार को हो सकती है। इसी सम्बन्ध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि 10 महीने में Ministers की cars में 11 हज़ार रुपए का petrol खर्च आया। अगर 10 महीने के अन्दर 11 हज़ार रुपए का petrol खर्च आया हो तो इस का मतलब यह हुआ कि एक महीने में 1,100 रुपया petrol का खर्च होता है।

[श्री बलराम दास टंडन]
मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मिनिस्टर साहिबान दूसरी बातों को छोड़ कर अपनी ही बातों पर नजर रखने की कोशिश करें तो काफी बचत हो सकती है। ऐसी अनेकों बातें हैं जिन में से रुपया बचाया जा सकता है और यह बिल लाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक तरफ तो हाउस के अन्दर दावा किया जाता है कि....

श्री अध्यक्ष : आप को factual बातें तो ठीक बतानी चाहियें। (The hon. Member should state correctly the factual things.)

श्री बलराम दास टंडन : अगर मैं ने कोई figures ग़लत बताई हैं तो आप correct कर दें।

श्री अध्यक्ष : जिस hon. Member के सवाल में यह जवाब दिया गया था वह हाउस में बैठे हैं। आप उन से पूछ सकते हैं। (The hon. Member to whose question the reply was given is sitting in the House. He can enquire from him.)

(आवाज़ें : कामरेड राम चन्द्र का सवाल था)

श्री बलराम दास टंडन : अगर मैं ने कोई ग़ल्त बात की है तो आप correct कर दें।

तो, स्पीकर साहिब, सवाल तो इस बात का है कि यह आमदनी जो इस बिल के ज़रिये होने वाली है इस की justification क्या है? और दूसरी बात जो कही गई है वह यह है कि इस tax से मोटर और बसों वालों का कोई खास खर्च बढ़ने वाला नहीं है। डाक्टर साहिब ने यह बात कही है कि बसों के किराये के rates regulated हैं वह इस से बढ़ाये नहीं जा सकेंगे। तो मैं उन से पूछता हूँ कि क्या सामान ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं उन के किराये भी नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। वह ज़रूर इस से बढ़ेंगे। इस तरह tax लगाने से होता क्या है? होता यह है कि एक vicious circle चलने लग जाता है। डाक्टर साहिब यह जानते हैं कि किस तरह यह vicious circle चलने लग जाता है। पहले एक चीज़ कर दी जाती है तो उस के बाद दूसरी और उस के बाद तीसरी और इसी तरह एक circle सा जारी हो जाता है। पहले इस तरह से motor spirit पर टैक्स लगा दिया जायेगा, फिर यह और बढ़ा दिया जायेगा तो मोटर वाले कहेंगे कि उन का खर्चा पूरा नहीं होता इस लिये उन्हें किराया बढ़ाने की आज्ञा दी जाये और जब वह किराया बढ़ा देंगे तो यह tax passengers पर लग जायेगा और बाद में यह tax और बढ़ जायेगा। इसी तरह का दूसरा बिल जो अभी हाउस के सामने आया नहीं, हो सकता है कि वह भी लाया जाये जिस से एक tax और directly passengers पर लगाया जायेगा। शायद वह न भी लाया जाये और यदि वह मिनिस्टर साहिब न लाये तो वह इस के न लाने के लिये पंजाब की जनता के धन्यवाद के पात्र बन जायें।

3. 0 p. m.

इस लिये मैं Finance Minister साहिब के गोश गुज़ार यह बात करना चाहता हूँ कि कल को private बसों के चलाने वाले और जो ट्रक चलाने वाले हैं वे भी इन के पास आयेंगे और कहेंगे कि इस tax के बढ़ जाने से हमारे अखराजात बढ़ गये हैं और जो rates किराये के वह चारज करते हैं उन से उन की पूरी नहीं पड़ती इसलिये हमारे किराये के जो rates हैं उन को तबदील किया जाये। तब यह सरकार उन के rates बढ़ा देगी और जब वह rates बढ़ जायेंगे तो यह tax और भी बढ़ जायेगा। इस लिये जिस तरीका से Finance Minister साहिब ने जवाब दिया है वह इस हाउस की तसल्ली के लिये नाकाफी है। मैं समझता हूँ कि जो दलील इन्हों ने हाउस के सामने रखी है कि इस टैक्स से आम लोगों पर असर पड़ने वाला नहीं यह ठीक नहीं है। फिर इस बिल के Statement of Objects and Reasons में जो development के लिये और prohibition के बारे में कहा गया है मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में काफी defects हैं। इस लिये मैं समझता हूँ कि इस बिल के पास होने की इजाज़त हाउस को नहीं देनी चाहिये।

डाक्टर परमा नन्द (पानीपत) : स्पीकर साहिब, motor spirit के बिल को जिस पर इस वक्त बहस हो रही है लाने के लिये मैं अपनी सरकार को और खास कर अपने Finance मिनिस्टर साहिब को इस बात के लिये मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्हों ने बड़ी अकलमन्दी से और बड़ी होशियारी से यह tax लगाने के लिये यह बिल पेश किया है क्योंकि इस tax का असर जो है वह सिर्फ उन लोगों पर पड़ता है जो कि motor कम्पनियों के मालिकान है और जो मोटर बसों का काम करते हैं और जिन को अपनी बसों के लिये मोटर spirit की ज़रूरत पड़ती है। इस tax का अवाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं क्योंकि डाक्टर साहिब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि यह tax passengers पर नहीं पड़ेगा क्योंकि passengers के किरायों की हद मुकर्रर है और इस tax के लगने से वह किराये नहीं बढ़ सकते और इस लिये इस tax का बोझ passengers पर नहीं पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि यह tax अवाम पर नहीं लगेगा लेकिन मुझे इस बात का अभी तक शक है जो Finance मिनिस्टर साहिब ने यह कहा है कि इस का असर अवाम पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उन्हों ने नहीं कहा कि आइंदा भी इस का असर अवाम पर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी सरकार ने दूसरी पांच साला योजना और 3rd Five-Year Plan बनाये हैं इसी तरह काश यह टैक्सों के मुताल्लिक भी सोच लेती और इस ने जो tax लगाने होते वह एक बार ही लगा देती क्योंकि अगर आये दिन हम इस तरह से आहिस्ता २ टैक्स बढ़ायें तो लोग इस बात की नुक्ताचीनी करेंगे। और मैं यह समझता हूँ कि हमारी सरकार ने आज जो यह tax बढ़ाया है यह कल को दुगना, तीन गुना या चौगना न हो जाये। इसी तरह से sales tax के मुताल्लिक तमाम सूबा के अन्दर लोग सोचते हैं। यह motor spirit पर जो tax है इस के बारे में भी यही हालत है क्योंकि हमारी Central गवर्नमैंट ने भी 40 नये पैसे फी गैलन के हिसाब

[डा० परमा नन्द]

से इस पर एक tax लगा दिया है । मैं तो समझता हूँ कि यह सिर्फ सरमायेदारों पर tax लगना है और यह उन लोगों को देना पड़ेगा जिन की अगर सालाना आमदनी देखी जाये यानी जो motor transport कम्पनियों के मालिक हैं तो उन की सालाना आमदनी हज़ारों नहीं लाखों में होती है और उन पर और कोई tax नहीं लगा हुआ सिवाये इस tax के । यहां तक कि Govt. of India की तरफ से उन पर income tax भी नहीं लगाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि यह tax उन पर ठीक लगाया गया है लेकिन सरकार को इस बात की guarantee देनी चाहिये कि यह tax इस के बाद जल्दी और नहीं बढ़ाया जायेगा वरना हमें डर है कि आज जब हमारी सरकार इस tax को पांच नये पैसे फी gallon के हिसाब से बढ़ा रही है तो कल यह 10 नये पैसे फी gallon के हिसाब से न बढ़ा दे और इस तरह ultimately जो मोटर कम्पनियों वाले हैं यह वह यकीनी तौर पर किसी न किसी तरह इस बात में सरकार को मनाने में कामयाब हो जायेंगे कि क्योंकि उन का खर्च बढ़ गया है इस लिये उन्हें किराये बढ़ाने की इजाजत दे दी जाये तो इस तरीका से इस tax का असर अवाम पर पड़ जायेगा। तो मैं यह चाहता हूँ कि जितना सरकार की मर्ज़ी आये यह एक ही बार tax बढ़ा दे। इसे यह बार बार नहीं बढ़ाना चाहिये। ऐसे taxes का लगना ठीक होता है क्योंकि अगर हम ने सूबे की development करनी है, यहां roads बनानी हैं, स्कूल और हस्पताल खोलने हैं और आप देखते हैं कि हरेक मैम्बर जिस २ constituency से elect हो कर यहां आता है वह चाहता है कि उस की constituency के लोगों की तमाम ज़रूरतों के मुतअल्लिक यहां आ कर अपनी सरकार से मांग करे ताकि उस की constituency की development हो। इस तरह से तमाम मैम्बर साहिबान चाहते हैं कि उन की constituencies की, तहसीलों की, ज़िलों की और आखिर में तमाम सूबे की development हो, तो यह कैसे हो सकती है अगर हमारी सरकार tax न लगाये । आज यह आम चर्चा है कि लोगों क कन्धे taxes के बोझ से नीचे दब गये हैं। जो लोग यह कहते हैं मैं उन से पूछता हूँ कि क्या taxes क लगाने के बिना यह सड़कें और बाकी के development के काम हो सकते थे ? आज आप कहीं चले जायें, चाहे शहरों में जायें चाहे बाहर गांव में जायें आप को अच्छे २ restaurants खुले हुए मिलेंगे। जहां पहले जाने के लिये रास्ता भी नहीं होता था वहां अब सड़कें बन गई हैं और जहां टांगा या मोटर खड़ी होती है वहां आप को restaurant मिलता है। जगह २ पर कपड़े की दुकानें खुल गयी हैं और आगे से यह चार पांच गुना बढ़ गई हैं । भट्ठों के licenses दिये जा रहे हैं और industry बढ़ रही है। इन चीज़ों के होते हुए भी कई लोग इन taxes की चर्चा करते हैं। लेकिन यह वह लोग ही करते हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार की नुक्ताचीनी की जाये। वे यह कहते हैं कि सरकार टैक्स न बढ़ाये। मैं उन से कहना चाहता हूँ कि जिन टैक्सों का अवाम पर असर नहीं होता उन के लिये इन्हें सरकार

की मुखालिफत नहीं करनी चाहिये बल्कि उन के लिये उन्हें सरकार को मुबारिक बाद देनी चाहिये। मैं इतनी बात कह कर अब अपनी सीट पर बैठता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ agricultural produce ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ tax ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ agricultural produce ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ Parliament ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Finance ਮਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਡਿਸਾਈ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ 40 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਫੀ ਗੈਲਨ ਤੇ tax ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਸ tax ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ tax ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Parliament ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ Government of India ਇਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ Government ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ tube-wells ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, pumping-sets ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, tractors ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ tax ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Parliament ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਕ deputation ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Finance Minister ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ tax ਨੂੰ tractors ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਉ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ tube-wells ਲਾਉਣ ਲਈ, pumping-sets ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉ। ਇਹ ਪਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਨਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ, tax ਲਾਕੇ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ deisel oil ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ tax ਤੋਂ ਮੁਤਸਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਉ।

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

वित्त मंत्री (डा० गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहिब, एक बात तो यह कही गई कि passengers का जो किराया है उस को न बढ़ने दिया जाये या कम से कम motor spirits का खर्च बढ़ जाने की वजह से किराये पर जो असर हो सकता

[वित्त मंत्री]

है, वह न होने दें । जो passengers के किराये का mileage rate मुकर्रर है उस को बढ़ाने का गवर्नमैंट का कोई इरादा नहीं है और इस बिल के पास होने से न ही उस पर कोई असर पड़ने वाला है । यह फरमाया गया कि deisel oil की कीमत बढ़ जाने से आम किसान पर tax बढ़ जाता है । यह भी वही argument है कि motor spirits पर tax बढ़ने की वजह से आम जनता पर, जिन के पास taxi नहीं, कार या truck नहीं, असर पड़ जाता है । यह बात नहीं है । असर तो उन्हीं पर पड़ेगा जिन के पास यह चीजें हैं । आम किसान tractors इस्तेमाल करने की हैसियत नहीं रखते । आम किसान और उस किसान में फर्क है जो tractor रखता है । यह मैं मानता हूँ कि इस Bill के पास होने से उन किसानों पर जो tractors इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल nominal सा खर्च पड़ेगा । Parliament की बात कही गई । Parliament ने तो बहुत ज़्यादा tax बढ़ाया है और उस की खास वजुहात होंगी जो उन्होंने इन को बताई होंगी । वह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूँ कि deisel oil petrol की निसबत काम ज़्यादा देता है और कीमत पैट्रोल के मुकाबले में बहुत कम है । इस लिये थोड़े से नए पैसे का खर्च बढ़ जाने से बहुत असर पड़ने वाला नहीं है ।

एक बात कही गई । मेरी मुसीबत यह है कि एतराज़ तो करते हैं मगर एतराज़ का जवाब सुनने के लिये तैयार नहीं होते । मैं लफ्ज़ तो कुछ और कहने लगा था लेकिन मैं उसे कहना मुनासिब नहीं समझता । श्री बलराम दास जी ने फरमाया कि मैं ने जो जवाब दिया, उस से उन की तसल्ली नहीं । मुझ एक कहानी याद आई है । एक बूढ़ा था । उस ने किसी आदमी से कहा कि अगर तू मेरी इस काम में तसल्ली करा दे तो मैं तुझे 5,000 रुपया दूंगा । उस के लड़कों ने कहा कि यह क्या करते हो । उस ने कहा कि रुपया तो तब दूंगा जब मेरी तसल्ली होगी, पहले तसल्ली तो करा ले । जो तसल्ली कराना नहीं चाहता उस की तसल्ली हो कैसे सकती है, दलील हो या न हो । वह तो खड़े ही यह कहने के लिये होते हैं कि मेरी तसल्ली नहीं है । इस लिये उन की तसल्ली क्या करा सकता हूँ । उन्होंने कह दिया कि Minister साहिब की car का एक महीने के petrol का खर्च 11,000 रुपया है । बड़े हिसाबदान हैं । अगर कार एक गैलन petrol से 15 मील जाए तो एक महीने में एक कार इन के हिसाब से 165,000 मील चली जायेगी । अगर 11,000 रुपया का petrol हो तो 3,000 गैलन petrol खर्च होगा और 17 मील के हिसाब से 51,000 मील एक गाड़ी एक महीने में चलेगी । एक गाड़ी अपनी जिन्दगी में एक लाख मील चलती है, तो इन के हिसाब से गाड़ी दो ही महीने में खत्म हो जाए । यह तो अन्दाज़े हैं । किसी से सुन लिया और बगैर verify किए हुए कह दिया । वैसे हम कुछ कह लें इन की तसल्ली तो होने वाली नहीं है । इस बिल से कोई बुरा असर होने वाला नहीं है । बाकी रुपए की तो ज़रूरत है ही । मैं जो यह Bill लाया हूँ तो इस के यही मायने हैं । बिना इस ज़रूरत के तो tax लगाए नहीं जाते । अगला जो

Bill आयगा उस में आप देखेंगे कि कितना रुपया छोड़ रहा हूँ । उस छूट देने से जो नुक्सान होगा उस को make-up तो करना ही होगा। इस लिये उम्मीद करता हूँ कि House इस Bill को पास करेगा।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Motor Spirt (Taxation of Sales) (Amendmet) Bill be passed.

The Assembly then divided:

Ayes .. 57

Noes .. 16

The motion was declared carried. (Cheers).

Ayes

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
3. Amar Nath Sharma, Shri.
4. Balwant Rai Tayal, Shri.
5. Balwant Singh, Sardar.
6. Bhagirth Lall Shastri, Pandit.
7. Bhupinder Singh, Sardar.
8. Chambel Singh, Chaudhri.
9. Dasondha Singh, Chaudhri.
10. Dev Raj Anand, Shri.
11. Dhanna Singh Gulshan, Sardar.
12. Gajraj Singh, Rao.
13. Gian Singh Rarewala, Sardar.
14. Gorakh Nath, Shri.
15. Gurbanta Singh, Sardar.
16. Hans Raj Sharma, Shri.
17. Harbans Lal, Shri.
18. Harbans Singh, Sardar.
19. Harbhagwan Maudgil, Shri.
20. Harchand Singh, Sardar.
21. Harguranad Singh, Sardar.
22. Hari Ram, Shri.
23. Harnam Singh, Sardar.
24. Harparkash Kaur, Bibi.
25. Inder Singh, Sardar.
26. Karam Singh "Kirti", Sardar.
27. Kartar Singh Diwana, Sardar.
28. Kesara Ram, Shri.
29. Kirpal Singh 'Shant', Giani
30. Lahri Singh, Chaudhri.
31. Mani Ram, Shri.
32. Mehar Singh, Thakur.
33. Mihan Singh Gill, Sardar .
34. Mohal Lal, Shri.
35. Multan Singh, Shri .
36. Nanhu Ram, Shri.

[Mr. Speaker]

37. Niranjan Singh Talib, Sardar
38. Nihal Singh, Shri.
39. Om Prabha Jain, Shrimati.
40. Parkash Kaur, Dr. Shrimat
41. Parma Nand, Dr.
42. Partap Singh, Bakshi.
43. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
44. Rajinder Singh, Sardar.
45. Ram Chandra, Comrade.
46. Raja Bhalindra Singh .
47. Ram Kumar Bidhat, Shri.
48. Roshan Lal, Shri.
49. Saneh Lata, Shrimati.
50. Sarla Devi Sharma, Shrimati.
51. Sarup Singh, Chaudhri.
52. Sohan Singh, Jalal-Usman, Jathedar.
53. Sri Chand, Chaudhri.
54. Sunder Singh, Chaudhri.
55. Udham Singh, Sardar.
56. Umrao Singh, Shri.
57. Raghuvir Singh Raja.

NOES

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Baldev Prakash, Dr.
3. Balram Das Tandon, Shri.
4. Baru Ram, Chaudhri.
5. Bhala Ram, Shri.
6. Chander Bhan, Chaudhri.
7. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
8. Gurwaryam Singh, Sardar.
9. Hukam Singh, Shri.
10. Mahesh Indra Singh, Col. Rajadhiraj.
11. Mangal Sein, Shri.
12. Muni Lal, Shri.
13. Phul Singh Kataria, Shri.
14. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
15. Rup Singh 'Phul' Shri.
16. Sahi Ram Bishnoi, Chaudhri.

THE EAST PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1959.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to introduce the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाब वाला, इस बिल की काफी मांग थी । जिस वक्त पिछले Session में इस बिल को पास किया गया था तो उस वक्त यह खाहिश ज़ाहिर की गई थी कि इसकी working को देखा जाए और यह जो तब्दीली ज़रूरी है इसको किया जाए। चुनांचि काफी बहस मुबाहिसे के बाद सब हालात को देख कर इस बिल में तरमीम की गई है और हाउस के सामने पेश है । Government of India ने Inter-State Sales Tax Act लागू किया है जिस पर हम ने भी चलना है और उसके मुताबिक जो तरमीमें करनी ज़रूरी थीं उनको इस बिल में किया गया है।

एक और मांग भी सब की तरफ से थी और Government of India ने Central Sales Tax Act में भी कहा है कि declared goods पर एक stage पर tax लिया जाए और वह 2 % से ज़्यादा न Sales tax हो और न ही purchase tax हो। इस लिये State Acts को in conformity लाने के लिये यह बिल पेश किया गया है। 2 % वाली बात को तो पहली October से ही कर दिया था और जो दूसरी मांग थी कि एक stage पर ही tax वसूल किया जाए उसे अब किया जा रहा है।

इसके इलावा कुछ amendments और भी हैं जिन्हें कि उन rulings को सामने रख कर किया गया है जो Supreme Court ने दी हैं।

इस बिल को पास करने से, जनाबे वाला जो objections थे कि Purchage Tax multiple stage पर लगता है अब एक stage पर लगेगा, multiple stage पर लगाने से industrialists को एतराज़ था अब उनकी तसल्ली हो जाएगी और उनका एतराज़ दूर हो जाएगा। यह ठीक है तसल्ली तो कभी हो नहीं सकती। तसल्ली तब हो जब कोई tax वसूल न किया जाए लेकिन काम चलाने के लिये पैसा provide करना पड़ता है । Tax सब खत्म कर देना हमारी ताकत से बाहिर है। लोग जो पैसा देते हैं उनसे खर्च चलता है। Tax को reasonable बनाना चाहिये इस बात की कोशिश की गई है। और यह महसूस किया गया है कि multiple tax से industry को नुक्सान होता है । इस ख्याल से इस बिल में एक ही stage पर tax के लगाए जाने की तजवीज़ की गई है ।

Section 16 Central Sales Tax के तहत जिस तरह से दूसरी States में किया गया है उसी तरह से यहां पर भी यह कर दिया गया है। यह Sales Tax और Purchase Tax दोनों के मुआफिक है । State की Industry

[वित्त मंत्री]
वालों का बेशक यह एतराज था कि इस तरह से उन लोगों ने competition में नहीं आना, मगर आज इस के आने से यह एतराज़ दूर हो गया है। इस से State की तरक्की होगी। मैं जानता हूं कि यह एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें हमेशा अच्छी चीज़ ला कर ही example set करनी चाहिये मगर Opposition वाले हमेशा हर चीज़ को oppose करना ही अपना फर्ज़ समझते हैं। उन्हों ने तो ज़रूर एतराज ही करना है। वह कहेंगे कि Industrialists से ही क्यों ना लिया जाए जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है। मगर हमारा मतलब State में Industry की development से है, इस को बढ़ाने से है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस को discuss करके पास किया जायेगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल House के सामने है मैं इस के लिये सरकार को वधाई देता हूँ। जब Budget के ऊपर General Discussion हो रही थी इस सिलसिले में कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाई गईं थीं। पंजाब के अन्दर Sales Tax इतनी जगह पर लगता है जिस से कि cost of production बहुत बढ़ जाती है। इस के इलावा यह Tax लग जाने से माल की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, सही कीमतों पर माल नहीं मिलता। इस टैक्स के लगने से Industry को बहुत नुकसान होता है। इस ऐक्ट में यह जो Amendment लाई गई है इस के मुताल्लिक मैं कह सकता हूँ कि इस से हमारी Industry को बहुत फायदा होगा। एक दो बातें ऐसी भी हैं जो मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना ज़रूरी समझता हूँ। वह यह हैं। एक दिक्कत तो इस बात की होगी कि जिस purpose के लिये रियायत दी गई है उस से Dealer का वह purpose serve नहीं होगा। इस के ऊपर उसे फिर Sales Tax देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सामान तैयार करने वाला जो Manufacturer है उस के तैयार करदा जो goods हैं उन पर दो बार Tax देता है। पहले एक Manufacturer जब दूसरे Manufacturer से सामान खरीदेगा तो वह माल पर Tax देगा, फिर manufactured goods पर देगा। जैसा कि साबन बनाने का material है, Hair greasing materials हैं। अगर वह खरीदी जायें तो जो पहला soap manufacturer है अगर दूसरे को माल देगा तो फिर Tax लेना होगा। क्योंकि यहां पर वह Soap Manufacture करके sale करता है तो वह वहां पर Hair greasing goods भी खरीदता है। इस तरह से यह एक Multipurpose Tax बन जाता है। क्योंकि जहां पर वह खरीद करता है इस के साथ साथ वह sale भी करता है। मगर इस में ऐसा भी हो सकता है कि वह जो माल Manufacture करता है वह

बेच देता है और Manufactured goods के sale करने वाला Dealer ले लेता है तब तो ठीक है मगर अगर वह माल तो खरीद लेता है और Manufacturer के पास बेच देता है और इस के बाद माल ही नहीं खरीद सकता तो इस का Tax उसे देना पड़ेगा। एक तो उस के काम में उसे नुकसान होगा दूसरे इस के ऊपर उसे Tax भी देना पड़ेगा क्योंकि उस का माल इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस लिये उसे व्यापार के अन्दर नुकसान होगा। इस किसम के व्योपारी की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस के इलावा इस Bill की 16 section के अधीन Appeal के लिये यह प्रबन्ध है कि जो Appeal करेगा वह अपनी Application के साथ 100 रुपये बतौर फीस के भी भेजेगा। पंजाब के अन्दर इस किसम के छोटे छोटे धन्दे करने वाले हैं जिन का कारोबार बहुत ही कम है। वह 100 रुपये की फीस दे ही नहीं सकते। इस तरह उन लोगों को इनसाफ बहुत ही महंगा पड़ता है। आज जहां हम बार बार मांग कर रहे हैं कि नागरिकों को इन्साफ सस्ते से सस्ता मिलना चाहिये मगर शर्त वहां पर इस किसम की रख रहे हैं कि वह Application के साथ 100 रुपया भेजे, इस किसम की जो चीज़ें हैं इन से दुकानदारों को बहुत नुकसान होगा। इस किसम की बातें अगर इस बिल में से निकाल दी जायें तो यह एक बहुत ही अच्छा बिल बन सकता है। इन बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ multi-tax ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੀ tax ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ tax ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਜਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਸ ਤੇ sales-tax ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੇ tax ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ stage ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੀ complicated ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ stage ਤੇ ਹੁਣ ਪਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਬੜਾ unnecessary ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ stage ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਲਗਣ ਕਰਕੇ corruption, ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਲੁਟ ਏਥੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 4, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

[ਚੌਧਰੀ ਬਰਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 4, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ accounts ਨੂੰ check ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ collect ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ evade ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਉ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹਨ ਉਥੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਪਾਰੀ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ Central Government ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਕਸਾਰ sales-tax ਕਰਨਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੀ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ purchase-tax ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ sales-tax ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕ ਅਸੂਲ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ purchase-tax ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ purchases ਨੂੰ sales-tax ਬਣਾ ਕੇ tax ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ tax ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਬਾਹਿਰ ਤੋਂ sales-tax free goods ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ adjoining States ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ rates ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ0 ਪੀ0 ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਰੇਟਸ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ trade ਸੋਲਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ rates ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਢ੍ਹ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ Commissioner ਨੇ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ relief ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ All India basis ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Central Government ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ tax enforce ਕਰੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ cases ਸਨ, ਉਹ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ industrialists ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ Opposition criticise ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। Opposition ਤਾਂ constructive ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ Bill ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ Opposition ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ piecemeal ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜ਼ਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਕ comprehensive ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

चौधरी श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहबे सदर, जैसा कि आपोज़ीशन वालों ने मुबारिकबाद पेश किया है, उसी तरह से मैं भी मुबारिकबाद पेश करता हूँ और वह भी इंडस्ट्रियलिस्टस की तरफ से। लेकिन जहां तक इन गरीबों का ताल्लुक है जिनके लिये यह कहा जा रहा था कि यह महंगाई से दबे जा रहे हैं क्योंकि अनाज बड़ा महंगा होता जा रहा है उन पर बजाए relief देने के foodgrains, शूगरकेन और pulses वगैरह पर tax declare कर दिया । साहबेसदर, एक तरफ तो relief की बात की जाती है और दूसरी तरफ उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। साहबे सदर, मैं किसी एक community या किसी आदमी की तरफ से नहीं कहता । पिछले दिनों एक बिल पास किया गया और sales tax का नाम ले कर गरीबों पर एक करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स लगा दिया गया। आज death duty agricultural land पर लगाई है जिसके हिसाब से और भी ज़्यादा भार लोगों पर पड़ गया। हमारे एक दोस्त ने सेल्ज़ टैक्स की कुछ बातें बतलाई हैं। ठीक है कि चोर को चोर ही पकड़ता है। अगर डाक्टर साहिब भी चोर को पकड़ लें तो और किसी पर sales tax लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी । मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई खास चीज़ एक खास section के खिलाफ और दूसरे section के हक में की जाए तो हमारे लिये बाहिर जा कर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। यह चीज़ नहीं होनी चाहिये । Urban property का जो Bill था वह Select Committee के पास भी आ गया था लेकिन कल मुझे अचानक खबर आई है कि वह तो delete कर दिया गया है और वह अब नहीं आएगा। वह दो ढाई साल से लटक रहा था लेकिन अब कह दिया है कि वह नहीं आवेगा। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब किसी खास section के खिलाफ बात हो तो बाहिर लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं कि मुज़ारों को हकूक देने हैं और देहातों में दिए हैं लेकिन जो शहरों में मुज़ारे हैं उन के interests को बचाने के लिये, उन्हें हकूक देने के लिये भी आप कानून बनाएं। लोग हमें कहते हैं कि शहरों के tenants के लिये आप ने क्या किया है। इस का हमारे पास जवाब नहीं । इन अलफाज़ के

[चौधरी श्री चंद]

साथ में गुज़ारिश करूँगा कि यह जो foodgrains, pulses और sugar-cane की addition की जा रही है मैं इस के खिलाफ हूँ। यह tax नहीं होना चाहिये।

वित्त मंत्री : जनाब स्पीकर साहिब, मैं उन भाइयों का मशकूर हूँ जिन्हों ने इस Bill के पेश करने पर मुबारिकबाद दी है। चौधरी बलबीर सिंह ने कहा था कि जब यह Bill पास हुआ था तो उन्हों ने यही चीज़ suggest की थी जो कि आज की जा रही है। साथ ही उन्हों ने कहा कि व्योपारियों और industrialists ने उस वक्त उन्हें अपनी तकलीफें बताई थीं और उन के कहने पर यह Bill पेश हुआ है ऐसा कह कर वह इस बात का credit लेना चाहते हैं। मैं हाउस में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वह व्योपारी जो industrialists है जब हमें मिले तो उस meeting में चौधरी साहिब ने कहा था कि हम से मुकर्रर शुदा tax की चाहे जितनी मर्ज़ी रक्म ले लो। उन्हों ने उस वक्त यह बिल्कुल नहीं कहा था कि tax क्यों बढ़ाया घटाया जा रहा है। चौधरी बलबीर सिंह जी ने कहा है कि tax एक stage पर और uniform rate पर लगना चाहिये जैसा कि खांड, तम्बाकू और कपड़े पर लगा हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जैसा कि मैं ने पिछले Budget Session में भी अर्ज़ किया था कि Government of India की यह plea थी और जब Constitution तैयार हो रहा था उस वक्त भी यह सवाल आया था कि sales tax को uniform बनाने के लिये इसे central subject बना दिया जाए। लेकिन Constitution को बनाने वाले members ने इस बात को मंज़ूर नहीं किया था। अब इन्हों ने एक दो बातें और कही हैं। एक तो यह कि जो luxury goods हैं उन को subsistence articles मान लिया जाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो taxation होती है वह state की हालत पर depend करती है। पंजाब में जब 1949 में tax लगाया था तो उस वक्त Pepsu कायम था। वहां पर और Delhi State में sales tax नहीं था। लेकिन हम ने sales tax लगाया और साथ ही Government of India को request की कि वह Pepsu और Delhi State को भी sales tax लगाने के लिये कहे। उन्हों ने हमारी उस request को कबूल किया और वह tax Pepsu में लगा। पैप्सू अब पंजाब में मिल गया है और यह यकसां हो गया है लेकिन Delhi State में अभी फर्क है। उस के लिये वहां लोक सभा में Bill आया है कि Delhi का taxation भी पंजाब के बराबर हो जाए। अब रहा सवाल U. P. का। उसे Government of India ने लिखा है लेकिन अगर उन के कहने पर भी tax नहीं लगाते तो हम उस में कुछ नहीं कर सकते।

एक बात उन्हों ने और कही कि manufacturing stage पर tax लगना चाहिये। इस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि manufacturing stage

पर excise duty लगती है। उस के बाद जब व्योपारी उस माल को ला कर मुनाफा ले कर बेचता है तो उस पर tax नहीं लगाया जा सकता। इस लिये व्योपारी चाहते हैं कि manufacturing stage पर tax लगे और बाद में वह जितना profit चाहें लगा कर बेच लें। इस तरीके से manufacturing stage पर हमें tax तो मिल जाएगा लेकिन वह कम मिलेगा क्योंकि sales tax हमें नहीं मिलेगा। इस लिये ज़रूरी है कि यह sales tax चले। यह tax सिर्फ पंजाब और India में ही नहीं है बल्कि तमाम दुनियां में sales tax लगा हुआ है और यह माना गया है कि जब तक income का और source नहीं बनता यह sales tax जारी रहेगा।

इस के इलावा चौधरी श्री चन्द साहिब ने फरमाया है कि Foodgrains, sugarcane और pulses पर tax बढ़ा दिया गया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ने sales tax के अन्दर किसी भी commodity पर tax नहीं बढ़ाया बल्कि tax कम किया गया है। यह जो उन्हों ने गिला किया है कि rural areas पर tax बढ़ाया है और urban areas पर नहीं बढ़ाया यह बात हमारे दिल में नहीं है (*Interruption by Ch. Dharam Singh Rathi*) मैं सोच रहा था कि आज वह चुप कैसे बैठे हैं। लेकिन वह चुप नहीं रह सके।

स्पीकर साहिब, इस के इलावा ये बातें कही गईं कि यह taxation आया, वह taxation आया उस का Sales tax Bill के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात और जिस का मुझे पहले ज़िक्र करना चाहिये था वह यह है कि इस Act के तहत पहले जो तीन चीज़ें purchase tax से free थीं—foodgrains, sugarcane and pulses—उस से ज्यादा अब exemption की list बढ़ा दी गई है। जिन चीज़ों पर sales tax नहीं था उन पर नहीं लगेगा। वह सब चीज़ें schedule (B) में दर्ज हैं। हमने बैंत और mulberry wood को भी exempt किया है। वह इस ख्याल से कि हमारे जो भाई sports goods बनाते हैं वह इन चीज़ों को use करते हैं और अपना माल बाहिर भेज कर foreign exchange earn करते हैं। अगर हम इन को exempt न करते तो फिर भी जो माल वह foreign countries को भेजते उस पर tax मुआफ हो जाना था। कपड़े की Mill से हम purchase tax लेते हैं लेकिन जितना कपड़ा वह export करें उस पर यह tax मुआफ हो जाता है क्योंकि हम foreign exchange earn करना चाहते हैं। इस लिये उन से वह चीज़ नहीं ली जायेगी। तो इस तरीके से exemption की list बढ़ी ही, है घटी नहीं है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर purchase tax कम हो गया है, बढ़ाना तो दरकनार है। इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि इस बिल की consideration की जाये।

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 TO 15

Mr. Speaker : Since there are no amendments to clauses 2 to 15, I put them to the vote of the House together.

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 16

Mr. Speaker : Now Clause 16 is before the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਕੇ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ negation of justice ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ delete ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ . . . .

Mr. Speaker : But you have given no amendment.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Since no hon. Member is anxious to speak on the remaining clauses, etc. of the Bill, I will put them together to the vote of the House.

CLAUSES 17, 18, 19, AND I AND THE TITLE.

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 17—19 and 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इसके मनशा के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन इस सिलसिले में मैं कुछ एक बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान ज़रूर दिलाना चाहता हूँ। आज खुशी की बात है—चाहे देर के बाद ही हुई कि मंत्री जी ने उन बातों की तरफ तवज्जुह दी है जिन की तरफ जब पहिला बिल इस हाऊस के अन्दर आया था हम ने उनका ध्यान दिलाया था। उस वक्त सभी सदस्यों ने इन सब बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाने की कोशिश की थी लेकिन दुख की बात है कि उन सब को सुनी अनसुनी कर दिया था। हम समझते हैं कि इस सरकार का यह कायदा बन गया है कि कोई भी कानून बनाया जाता है तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखती कि आखिर कानून किस चीज़ पर लागू होगा, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, industry, trade पर इसका क्या असर होगा और इस सदन के सदस्यगण इसके बारे में क्या राए रखते हैं बल्कि अपनी majority के बलबूते पर और इस बात का ख्याल रख कर कुछ revenue बढ़ेगा और सरकारी खज़ाने में कुछ रुपया आ जाएगा कानून बना दिया जाता है। इसी चीज़ का नमूना इन्हों ने पिछली दफा जब यह बिल पास किया, पेश किया। जिस वक्त पिछले साल यह बिल पेश हुआ था तो न सिर्फ अपोज़ीशन के लोगों ने बल्कि सरकारी बैंचों की तरफ से भी यह सब बातें यहां रखी गई थीं कि ऐसा करो लेकिन इस सरकार ने उन सब well reasoned arguments को सामने न रख कर अपनी majority के नशे में उसे पास कर लिया और वह सारी कमियां जो हम ने बताई थीं वह वैसे ही रह गईं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो मुश्किलात industry के सामने पेश आई उनको देखते हुए और जो रोड़े उसने industry की तरक्की के रास्ते में अटकाए उनका नतीजा देखते हुए आज एक साल के बाद कुछ हद तक और महदूद तरीके से कुछ न कुछ relief देने की कोशिश की है। स्पीकर साहिब, यह उस वक्त बड़ा भारी मसला था और यह सवाल उस वक्त भी था और यह सब points उस वक्त भी इन के ध्यान में लाए गए थे लेकिन यह सब बातें और खामियां इनके ध्यान में लाने के बावजूद वह legislation बना दी गई और यह सारे lacuna रखे गए। दरअसल, स्पीकर साहिब, हमें यह हमेशा गिला रहता है कि यह सरकार इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि अपोज़ीशन क्या कहती है और उसकी तरफ चाहे कितनी अच्छी बातें क्यों न कही जाएं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हीं बातों को करने के लिये यह फिर दुबारा बिल ले आती है लेकिन उसी वक्त जब हम बताते हैं उन खामियों को दूर नहीं करती। इनकी इसी policy का यह नतीजा है कि आज उसी बात को करने के लिये जो हम ने उस वक्त एक साल पहिले बतलाई थी यह बिल लाया गया है और इस हाऊस का खाह मखाह समय ज़ाया किया गया है।

4.00 p. m.

Mr. Speaker: The hon. Member is speaking on the third reading stage. He can only make suggestions.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं suggestions ही देने लगा हूँ। जहां तक एक जगह पर लगने का ताल्लुक है वह दरअसल एक अच्छी बात है लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं एक बात अवश्य मिनिस्टर साहिब के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान देने की कोशिश करे कि आज पंजाब industry में पिछड़ा हुआ है और जहां और कदम उठाये गए हैं एक कदम और उठाया जाये और इस industry पर बोझ कम किया जाए । जहां तक Sales Tax का ताल्लुक है, उस के बारे में भी मैं ने suggestions रखी हैं और मिनिस्टर साहिब जवाब देते हुए बताएंगे कि उन के रास्ते में कौन सी मुश्किलात हैं जिन की वजह से वे उन पर पूरी तरह अमल नहीं कर सकते। उन्हों ने बताया कि व्यापारी किस तरीके से अपना मुनाफा बढ़ाता है। स्पीकर साहिब, मैं समझता हूँ कि मुनाफा की एक limit होती है जहां तक कि मुनाफा लिया जा सकता है । ठीक है कि कारखाना से एक चीज़ निकलती है तो उस की कीमत फर्ज़ किया एक रुपया है दुकानदार का मुनाफा डाल कर वह एक रुपया एक आना या एक रुपया दो आना हो जाती है। आम तौर पर इस मुनाफे की percentage एक आना फी रुपया पड़ती है । लेकिन स्पीकर साहिब, यह छिपी हुई बात नहीं ; जनरल बात है कि सेल्ज़ टेक्स एक मुनाफा का साधन बना हुआ है। इस में आज इतनी leakage हो रही है कि कई लोग व्यापार ही यही चलाते हैं जो केवल सेल्ज़ टेक्स पर ही चीज़ों को बेच देते हैं। ऐसे अनेक सज्जन हैं जिन का कोई और काम नहीं। इस लिये मैं यह अर्ज़ करूँगा कि बहुत से दुकानदार सरकारी अफसरों के साथ मिलकर इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला करते हैं उस का पता लगा कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये। इस का नतीजा यह होगा कि leakage बन्द होने से एक तरफ जहां सरकारी खज़ाना में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा वहां दूसरी तरफ सब से बड़ी बात यह होगी कि सरकार आए दिन जो टैक्स लगाने की सोचती है वह उसे नहीं लगाने पड़ेंगे और गवर्नमैंट को सेल्ज़ टेक्स का पूरा फायदा पहुँचेगा। इस लिये मैं आप के ज़रिये मिनिस्टर साहिब को दरखास्त करूँगा कि जहां उन्हों ने purchase tax पर रियायत दी है वहां एक कदम और उठाया जाये और पंजाब की infant industry को तरक्की करने का मौका दिया जाये। इस के लिये नए रूप में बिल ला कर इन लोगों को रियायत दी जाये। इस से जहां पंजाब के खज़ाना में ज्यादा से ज्यादा रुपया आयेगा वहां corruption भी दूर होगी।

Mr. Speaker : There is a clerical mistake in it. In the second proviso instead of 8 there should be 2. Therefore, I correct it.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਜੋ ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ implementation ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਪੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜਲਦੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Purchase Tax 1958-59 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੋਟਿਸ ਤਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ issue ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ Purchase Tax ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ delay ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ April ਵਿਚ Punjab Land Revenue (Special Charges) Bill ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਥੇ ਤਕ special charges ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ notice ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Financial Secretary ਦੇ memorandum ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ lacunae ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ; ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ implementation ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ section ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ policy ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ wide powers ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ clause 7(2) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

> "The State Government after giving by notification not less than three months' notice of its intention so to do may by like notification add to or delete from Schedule B or Schedule C and thereupon Schedule B or Schedule C, as the case may be, shall be deemed to be amended accordingly;

ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਵਡੀ power ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ third reading stage ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ power ਬੜੇ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਨੀ ਵਡੀ power ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ Industries ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਿਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ amendment ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ procedure clause 18 ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ—

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ cancellation ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ technical mistake ਦੇ ਕਾਰਨ registration ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਣ ਲਈ registration

(ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ)
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (*Interruption by* S. *Kartar Singh Diwana*) ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਡ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਛਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ cancellation of certificate ਸੰਬੰਧੀ procedure ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ instances ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ penalty ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ registration ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ 10, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਆਨੇ ਜਾਂ 12 ਆਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ registration ਕਰਾਨੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਝਗੜੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ appeals ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ limit ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ certificate cancel ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Purchase Tax ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ penalty ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ certificate cancel ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। 5 ਸਫੇ ਤੇ procedure for cancellation ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ procedure ਨੂੰ simplify ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ registration ਕਰਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ registration ਨੂੰ cancel ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ taxation ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ inconvenience ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ final ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ Advisory Committee ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹਲ ਢੂੰਡ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Shops and Commercial Establishments Act ਸਬੰਧੀ ਇਕ Advisory Committee ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ representative Committee ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ Trade ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, Labour ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, Communist Party ਦੀ Union ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁੱਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, Praja Socialist Party ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ Shops and

Commercial Establishments Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਸ Advisory Committee ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ agitation ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ Act ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ Representative Committee ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Sales Tax ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ complications ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, rules ਦੀ interpretation ਦੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ Representative Advisory Committee ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹਟ ਜਾਏਗੀ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह पहला बिल है जिस पर Opposition के हर एक मैम्बर ने फरदन फरदन इत्तफाक राए से हमारी सरकार को मुबारिकबाद दी है और मुबारिकबाद इस लिये दी है कि सरकार ने industries को बचाने के लिये और उन्हें तरक्की देने के लिये एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया है कि जिस से चार २ बहियां रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरीके से कम बेईमानी हो वही तरीका अख्तियार किया है। इस पर भी हमारे बज़ुर्ग चौधरी श्री चन्द साहिब को एतराज़ हुआ लेकिन मेरे दोस्त सरदार उमराओ सिंह जी ने गुस्से में आ कर industry के मसले को शहर वालों के साथ confuse करने की कोशिश की। लेकिन मैं उन से अर्ज़ करूँगा कि industry ऐसी चीज़ नहीं जिस का अलफ या बे से ताल्लुक हो। देहाती भाइयों में जहां काफी अनपढ़ लोग हैं सीधे सादे हैं, और वह हमारे बज़ुर्ग चौधरी श्री चन्द जैसे या आं जहानी चौधरी सर छोटू राम के हाथ में पैदा हुए हैं। शूगर की सब से बड़ी फैक्ट्री सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया ने बनाई थी और उन के बेटे फौज के अफसरे आला यानी Deputy Defence Minister हैं.........

Mr. Deputy Speaker: Order please.

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह हाऊस जो है सारी स्टेट के चुने हुए भाइयों की एक सदा है इसमें देहाती और शहरी का बार २ सवाल पैदा कर के एक आग लगाई जाए, ज़हन बदला जाए, यह बड़ा पाप है। और पाप इस लिये भी है कि हमारी गवर्नमैंट ने कभी से ceiling लगाने का यह इरादा किया कि उस पे लोगों को हकूक देगी। (*Interruptions*) हमारे दीवाना साहिब ......

Mr. Deputy Speaker: Order please. Come to the third reading stage.

मौलवी अब्दुल गनी डार : सरदार उमराओ सिंह जी ने कई बातें कहीं जिन का third reading पर मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अगर advancement के ख्याल को सामने रखते हुए तरक्की की बात करते हुए विधान सभा ने Industry के लिये कुछ किया तो जब सारी Opposition मुबारकबाद देती है तो इस पे खुश होना चाहिये।

(मौलवी अब्दुल ग़नी डार)

मैं third reading पर एक बात कहना चाहता हूँ। डाक्टर साहिब ने कहा है कि जहां तक इस tax का ताल्लुक है करीबन Parliament में यह बात आ गई है। वह हो जाएगा। लेकिन डाक्टर साहिब को याद होगा कि बड़े २ अफसरों ने, बड़े २ धनाडयों ने, बड़ी २ कम्पनियों ने अपने तमाम ट्रक, तमाम बसें हिमाचल प्रदेश में जा कर register कराईं क्योंकि वहां sales tax नहीं देते। पंजाब सरकार को या किसी और सरकार को जो लाखों रुपया का sales tax जाना था वह हज़म हो गया। यह बात खुलम खुला हुई थी। कहीं तो वे छुपा कर रखते हैं, तीन चार बहियां बना कर रखते हैं। अब शायद न बनाएं। वे देहाती नहीं थे। मेरी डाक्टर साहिब से अदब से अर्ज़ है कि जहां तक इस tax का ताल्लुक है तमाम States में universal करवाने की कोशिश करें ताकि अन्याय न हो जाए।

भाई बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने अपने लिये अख्तियारात लिये हैं। अपने अफसरों से इस तरह से इस्तेमाल कराए जिस से काम में विघ्न न पड़े। पंजाब सरकार की जो नेक नियती है उसके लिये Opposition मुबारकबाद देती है। उस मुबारकबाद के हम ज्यादा मुस्तहिक हैं। हम तरक्की करेंगे और तरक्की करते हैं। यहां House में देहाती और शहरी का मसला बार २ छेड़ कर देहातियों और शहरियों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहिये; मेरी यह गुज़ारिश है।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। 1953 ਵਿਚ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ। 1958 ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ। ਫੇਰ purchase ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਬਾਂਗੇ ਦਹਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਆਵੇ ਯਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ:—

"ਹਮ ਤੋ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈਂ, ਚਾਕ ਗਰੇਬਾਂ ਅਪਨਾ ਕਰ ਲੀਆ।
ਤੂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੀਆ।" (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ੨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 80 ਜਾਂ 82 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ protection ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compensation ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ....... (ਵਿਘਨ)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a Point of Order Sir. ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ relevant ਹੈ ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

Mr. Deputy Speaker : Order please. Be relevant.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ relevant ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਲਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਬਲ੍ਹਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੈ। Special ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 84 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ protection ਦੇਣੀ ਹੈ। (*Interruption*) ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੌਂਫ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ purchase ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵੋ।

वित्त मन्त्री: (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाबे वाला, Bill की third reading के दौरान काफी एतराज़ आए हैं। एक एतराज़ तो फीस की बाबत आया था। अगर पहले जो section था उसको पढ़ें और अब जो section है इसको पढ़ें तो कोई फर्क नहीं। पहले applicant ही Commissioner की appeal कर सकता था। उसका कोई रुपया पैसा खर्च नहीं आता था। दूसरी बात यह कि एक आदमी purchase tax दे कर एक चीज को खरीदता है। जिन चीज़ों पर purchase tax लगता है वह purchaser को नहीं बल्कि dealers को देना पड़ता है। जो registered dealers हैं उनको purchase tax देना पड़ता है। अगर वह माल उसके लिये इस्तेमाल नहीं होता तो वह आदमी registered dealer के तौर पर treat हो जाता है। लेकिन यह नहीं कि एक चीज़ को लें और फिर कह दें कि मैं ने तो बेच दी। इस तरीका से कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहें तो वह नहीं हो सकता।

एक बात यह कही गई कि गवर्नमैंट ने बड़ी powers ले ली हैं। जनाब, powers तो अब भी हैं। क्योंकि सारे tax को कम करना या बढ़ाना यह notification के ज़रिये हो सकता है। अब भी तो जो एक stage पर tax लगाएं वह इस section के मातहत लगा सकते हैं कि इस चीज़ पर tax लगे और इस पर न लगे। जिस चीज़ पर tax न लगे वह Schedule में पहले आएगी। यह notification के ज़रिये हो जाएगी। अगर यह provision bill में करें तो बार २ amendment लाने में मुश्किल होती है और कार्रवाई करनी मुश्किल हो जाती है।

[वित्त मंत्री]

जनाबे वाला, आखिर में मैं एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस Bill पर बहस करते समय बेमौका बातें कहने का कोई वक्त नहीं था। आप शायद मुझे मुआफ करेंगे, कई भाई हर वक्त separatist policy पर चलना चाहते हैं। लेकिन उनको इस सवाल को सामने रखना चाहिये कि क्या पंजाब सरकार और पंजाब Assembly ने हर एक पंजाबी की मदद करने के लिये Constitution के मुताबिक काम करने से इनकार किया? हम agriculturist को ऊँचा करना चाहते हैं, शहरी को भी मदद देना चाहते हैं तो देहाती और शहरी का सवाल क्यों पैदा किया जाए? हम हर पंजाबी की मदद करना चाहते हैं (*Hear, hear*) इस लिये जो साहिबान इस तरह का सवाल उठाना चाहते हैं, मैं उनसे दरखास्त करूँगा कि बजाए इसके कि वे यह सवाल उठाएं और कुर्रा हवाई को खराब करें उनको समझना चाहिये कि हमारी duty है कि हम शाना बशाना चल कर हर एक पंजाबी की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम हर बात इसी चीज़ को सामने रख के करते हैं। जिन hon. Members का ध्यान दूसरी तरफ है उन का ध्यान पंजाब की betterment की तरफ नहीं है। वे लोग पंजाब की तरक्की मजमूई तौर पर नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि पंजाब का एक section ही तरक्की करे। अगर उन का ऐसा ही ध्यान है तो हम नहीं कह सकते कि वे पंजाब की तरक्की चाहते हैं। उन को ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें। इस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप के द्वारा उन से यह दरखास्त करूँगा कि अगर वे शांति से और dispassionately सोचेंगे तो वे महसूस करेंगे कि उन को ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहिये। (*Interruption by Shri Rathi*) मैं उन से अर्ज़ करूँगा कि ज्यादा बहस में न पड़ कर इस बिल को पास करें।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB LOCAL AUTHORITIES (AIDED SCHOOLS) BILL, 1959.

Minister for Industries and Local Government (Shri Mohan Lal) : Sir I beg to move—

That the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill be taken into consideration at once.

डिप्टी स्पीकर साहिब, सब जानते हैं कि लोकल बाडीज़ के स्कूलों को एक अक्तूबर, 1957 को provincialize किया गया था और तब से वे स्कूल सरकारी तहवील में हैं। अब provincialization को मुकम्मल करने के लिये कुछ ऐसी बातें थीं जिन का होना ज़रूरी था। उन में से एक यह कि जब से लोकल बाडीज़ के स्कूल provincialized हुए उनकी जितनी भी ग़ैर मनकूला जायदाद (immovable

property) थी वह भी सरकारी कंट्रोल में आये, और दूसरे यह कि लोकल बाडीज़ की तरफ से अपने funds में से जो खर्च Education पर होता था वह, या उस का कोई हिस्सा गवर्नमैंट को मिले। मैं अर्ज़ करूँ कि यह बात ज़रूरी क्यों थी। यह इस लिये ज़रूरी था कि Municipal Act में एक provision है जिस के अनुसार उन स्कूलों पर जो खर्च होता था उस में से कुछ तो लोकल बाडीज़ अपने funds में से अदा करती थीं और उस खर्च का कुछ हिस्सा उन को गवर्नमैंट की तरफ से aid के तौर पर मिलता था। अब जब कि लोकल बाडीज़ के स्कूलों को गवर्नमैंट ने अपनी तहवील में ले लिया है तो aid का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अब गवर्नमैंट के सामने यह सवाल आया कि जो खर्च लोकल बाडीज़ अपने funds में से उन स्कूलों पर पहले करती थीं क्या यह मुनासिब और ज़रूरी होगा कि वह भी सरकार उन की तरफ से contribution के तौर पर ले। अब यह कोई आसान सवाल नहीं था, मुश्किल था। आप जानते हैं कि आज आप की स्टेट दूसरी पांच साला प्लान को मुकम्मल करने के लिये और development के कामों को पायाए तकमील तक पहुँचाने के लिये resources को हासिल करने के लिये बड़ी भारी मुश्किल से गुज़र रही है। आप को यह भी मालूम है कि resources को raise करने के लिये जब भी कोई छोटा मोटा टैक्स लगाया जाए उस की यहां हाऊस में भी और बाहर भी कितनी मुखालिफत होती है। यह बात Finance Minister साहिब पहले कह भी चुके हैं। और यह एक हकीकत भी है कि हर टैक्स लगाने के लिये गवर्नमैंट को बहुत सोचना पड़ता है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन हालात में गवर्नमैंट के लिये बहुत मुश्किल हो जाता है कि development के कामों को मुकम्मल करते हुए कोई और additional financial ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले। यही कारण था कि सरकार को यह बात मुनासिब और ज़रूरी मालूम हुई कि जो अखराजात लोकल बाडीज़ स्कूलों की provincialization से पहले तालीम के मातहत करती थीं उन के मुताबिक गवर्नमैंट उन से contribution के तौर पर रुपया ले। मैं ने immovable property के मुताल्लिक अर्ज़ किया। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी ज़रूरी बात है। अगर स्कूलों पर कंट्रोल तो गवर्नमैंट का हो, स्कूल provincialized हों, management गवर्नमैंट की हो और property गवर्नमैंट की न हो तो यह कितनी अजीब बात मालूम होती है। न सिर्फ immovable property, न सिर्फ स्कूल की building बल्कि सारी मनकूला जायदाद भी जिस में कि आप बैंच समझ लें, black-boards समझ लें, Library समझ ले, गर्ज़ेकि छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी स्कूल में होती हैं.... (श्री जगत नारायण चोपड़ा की तरफ से विघ्न) मैं कह रहा था कि जितनी भी चीज़ें education के सिलसिले में स्कूल में इस्तेमाल होती थीं यह ज़रूरी था कि उन की मलकियत गवर्नमैंट को transfer हो। जहां तक Municipal Act का ताल्लुक है उस में कोई ऐसी provision नहीं है जिस के मातहत लोकल बाडीज़, म्युंनिसिपल कमेटीज़ या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ उन तमाम चीज़ों की मलकियत गवर्नमैंट

[श्रोगग मन्त्री]

के नाम transfer कर सकें। इसी लिये इस Amending Bill के लाने की ज़रूरत पड़ी। यह बहुत ज़रूरी है और मैं आशा करता हूँ कि इस को जल्दी ही पास किया जाएगा। लोकल बाडीज़ के स्कूलों की provincialization की justification की बात पुरानी हो चुकी है। आज उस चीज़ की justification में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह एक established fact बन चुका है। इस लिये उस चीज़ के बारे में कुछ न कहता हुआ मैं यह अर्ज़ करूँगा कि चूंकि यह बड़ा ज़रूरी बिल है इस लिये यह august हाऊस इस को जल्दी ही पास कर दे।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill be taken into consideration at once.

Sardar Umrao Singh : Sir, I have given notice of an amendment.

Mr. Deputy Speaker : Your amendment has been disallowed.

Sardar Umrao Singh, Sir, I want to raise an objection .

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes, any hon. Member can raise an objection.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir.

ਮੈਂ objection raise ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ objection ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਬਿਲ Money Bill ਨਹੀਂ ਹੈ, Regional Bill ਹੈ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ discuss ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ Bill ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ discuss ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀ definition Constitution ਦੇ Article 199 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

> "For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely,"

"Contains only" ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ define ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਵਿਚ only finance ਦੀ provision ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ Money Bill ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ 207 ਨੰਬਰ ਦੀ Article ਹੈ। money Bills ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ Finance Bill ਹਨ ਉਹ 207 Article ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 207 Article ਹੇਠਾਂ ਜਿਨੇ ਵੀ Bill ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ Finance Bills ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ revenue ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 207 Article ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ——

> 'A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council."

ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। Financial ਬਿਲ ਅਤੇ money ਬਿਲ Legislative Council ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ money ਬਿਲ ਦੀ definition Article 110 of the Constitution ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ Constitution ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ commentary ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਚੈਟਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ :—

"With regard to both kinds of Bills, the Article provided that they shall not be introduced in the Council of States, and also that they shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President:"

Along with this, Sir, it has been stated:—

"A Money Bill has been defined in Article 110 *as containing and containing only matters specified therein*. If a Bill relates to any of the matters specified in Article 110 and also other matters, it will not be a Money Bill,.........."

ਇਹ commentary **ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ** ਹੀ article 117 of the Constitution ਦੀ commentary ਵਿਚ ਇਹ clearly ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ——

"Under Article 117 special provision is made as regards Bills which provide for any of the matters mentioned in sub-clauses (a) to (f) of clause(1) of this Article. But the word "only" does not occur in Article 117. Where, therefore, a Bill deals with any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of this Article and also with any other matter, the Bill would not be a Money Bill coming under this Article, but would nevertheless be a Financial Bill within Article 117. If the Bill comes within Article 117, a special procedure is prescribed for such Bills also....."

ਇਹ clearly ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ financial matters ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਦੂਜੇ matters ਵੀ ਹੋਣ ਤਾ ਉਹ money ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ local bodies ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਬਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ assets ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੌਰਮਟ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ money ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ primary ਅਤੇ Secondary ਸਕੂਲ regional matters ਵਿਚ ਹਨ ਔਰ education ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕ regional matter ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ regional ਬਿਲ ਹੈ।

श्री शेर सिंह (झज्जर 'जनरल') : उपाध्यक्ष महोदय, जो point of order सरदार उमराओ सिंह ने उठाया है यह काफी वज़न रखता है और यह इस लिये क्योंकि इस का ताल्लुक उन 14 महकमों से है जो regional महकमें हैं। Local bodies का महकमा और Primary, Secondary Education का महकमा, यह दोनों महकमे Regional Committees को दिये हुए हैं। और इस बिल में सिर्फ यही नहीं कि contribution का ही मामला हो, इस में स्कूलों का सामान भी है, उन की इमारतें भी हैं और contribution भी है जो local bodies ने देनी है। इसी तरह सरकार अगर पंचायतों के बारे में कोई बिल ले आये और उस

[श्री शेर सिंह]

में भी कोई पैसे का मामला हो और उस में भी यदि यह कहे कि इस में regional कमेटियां दखल नहीं दे सकतीं तो क्या वह ठीक बात होगी ? इस से मैं तो यह समझता हूँ कि सरकार money बिल की बड़ी wide definition ले रही है। इस में तालीम का मामला है और सरकार ने Local Bodies के स्कूलों से उन का सारा सामान वगैरह लेना है। यह Local Bodies के हाथों से इस ने ये अख्तियारात लेने हैं तो लाज़मी तौर पर इसमें से सैकड़ों सवाल उठते हैं। इस लिये मैं समझता हूँ कि यह एकदम असेम्बली में पेश न करें। पहले यह बिल Regional Committees को जाना चाहिये और उस के बाद यह असेम्बली में आना चाहिये।

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो argument सरदार उमराओ सिंह ने दिये हैं उन से दरअसल यह मालूम होता है कि वह ग़लतफहमी पर मबनी हैं। पहले तो मैं आप के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि money बिल क्या है। यह जो money बिल की बात इन्हों ने की है कि यह money बिल नहीं है तो इस के लिये यह देखना होगा कि इस की determining authority कौन सी है। क्या यह बात ऐसी है जो इस हाऊस में बहस का मौजू बन जाये ? इस बारे में कई मैम्बर साहिबान की राय मुख्तलिफ हो सकती है। यदि मैं कहता हूँ कि यह money बिल है और बाकी के साहिबान कहें कि यह money बिल नहीं है इस लिये यह regional कमेटियों में जाना चाहिये तो इस तरह से जितनी भी इस की interpretations की जायेंगी वह एक दूसरे से different हो सकती हैं। हम ने देखना है कि इस बात का फैसला इस हाऊस में votes से होगा या इस का फैसला करने का कोई और ढंग भी है ? इस के बारे में मैं अर्ज़ करूँगा कि इस का procedure हमारी Constitution में ही दिया हुआ है। इस में यह दिया हुआ है कि जिस बिल को गवर्नर certify करेगा कि वह money बिल है तो वह money बिल तसव्वर किया जायेगा। इस लिये Article 207 of the Constitution के मुताबिक गवर्नर से certification होती है और वह बिल को बतौर money बिल के Legislature की consideration के लिये recommend करता है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जब किसी बिल की certification गवर्नर की तरफ से होती है कि वह money बिल है तो यह opinion challenge नहीं की जा सकती। (**ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: Article 207 ਵਿਚ Financial ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ money ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ......**) आप चुप रहें। आप ने अपनी बात कर ली है अब मुझे कहने दें।

मेरी पहली अर्ज़ तो यह है कि यहां पर इस बात को इस तरीका से challenge ही नहीं किया जा सकता कि यह money बिल नहीं है क्योंकि इस में गवर्नर की तरफ से certification हुई हुई है। और दूसरा argument जो इस के लिये दिया गया है मैं इस के लिये कहता हूँ कि यह बिल जिस के द्वारा इतनी direct ज़िम्मेवारी impose की जा रही है कि वह अपने funds में से इतनी contribution

गवर्नमैंट को करें, अगर इस को भी money बिल नहीं कहा जा सकता जिस के ज़रिये local bodies से money transfer होनी है तो और किस को कहा जा सकता है? इस law के ज़रिये यह इतनी भारी ज़िम्मेवारी उन पर impose होनी है। इस के ज़रिये उन्हें हम force कर रहे हैं कि वह इतनी contribution गवर्नमैंट को दें। अगर यह money बिल नहीं कहा जा सकता जिस के ज़रिये हम local bodies पर एक बड़ी भारी financial ज़िम्मेवारी impose कर रहे हैं कि वह by law गवर्नमैंट को contribution करेंगे तो और कौन सा बिल Money Bill होगा। The Local bodies will contribute money to the Consolidated Funds of the State. अगर यह money बिल नहीं हो सकता तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि और क्या money बिल होगा। आप इस बिल की statement of objects and reasons का मुलाहज़ा कर लें। आप इस में देखें कि किस मतलब के लिये यह बिल लाया जा रहा है। इस में यह दिया गया है--

> ".........However, there is no provision in the existing Punjab Municipal Law and the Punjab District Board Act requiring these bodies to part with their movable and immovable property or to make contribution to Government."

इन की contribution से गवर्नमैंट movable and immovable property ले रही है--इस का मतलब यह है कि इस point of view से इस law के ज़रिये हम divest कर रहे हैं local bodies को, Municipal Committees और District Boards को उन के funds से। इस लिये मैं ने आप से अर्ज़ किया है कि अगर यह money बिल नहीं हो सकता जिस में directly ज़िम्मेवारी डाली जा रही है तो, और क्या हो सकता है। (*The Minister for Industries and Local Government was still in possession of the House when it adjourned.*)

(*The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on Tuesday, the 7th April, 1959*)

6189 PVS-347-C.,P.&S. Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

7th April, 1959

Vol. I—No. 28

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 7th April, 1959

P.T.O.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I No. 28,

DATED 7TH APRIL, 1959

Read	*for*	*on page*	*line*
Districts	Distriets	(28)28	19
Mohindergarh	Mohind rgarh	(28)31	last but one
concerned	conc rned	(28)37	15
Name of the	Name the	(28)45	First, col. 3
of the	fthe	(28)47	8th from below
V. Teja	T. Teja	(28)72	6
Gurmukh Singh	Gurmush Singh	(28)119	27, S. No. 82
per cent	per cen	(28)124	17
ਹੈ	ਹੇ	(28)126	26
और	गोर	(28)127	23
Ministers	Minister	(28)128	3
Shri	Dr.	(28)132	5
इतना	2	(28)134	2nd from below
matters	matte s	(28)137	39
cannot	canno	(28)137	40
development	developmcnt	(28)138	11
ਦਿਮਾਗੀ	ਦਿਮਵਗੀ	(28)139	First
seeks	eeks	(28)139	27
state	s ate	(28)140	5
already	alredy	(28)140	9
imparted	impart d	(28)140	10
the	he	(28)140	11
Government	Governmen	(28)140	13
agencies	agen ies	(28)140	14
resorting	resorring	(28)140	18
we	w	(28)140	20

Read	*for*	*on page*	*line*
grouse	grou e	(28)140	26
this	thi	(28)140	30
be	b	(28)140	31
Free	Fr e	(28)140	31
means	m ans	(28)140	33
village	villag	(28)140	35
Member	Membe	(28)140	38
the	he	(28)140	43
the	th	(28)141	8
the	h	(28)141	10
according	ccording	(28)141	11
the	he	(28)141	17
them	th m	(28)141	18
have	h ve	(28)141	18
which	whcih	(28)141	21
this	thi	(21)141	26
poverty	proverty	(28)142	19
जमीन खरीदी	जमान खरीदा	(28)143	22
पिछले दस सालों	पिछले दासालों	(28)144	12
ਬੰਦ	ਬਦ	(28)148	6
Singh	Sin h	(28)148	20
authority	authorify	(28)148	20
Speaker	Spe ker	(28)148	21
something	somthing	(28)148	25
ਹੋਲੀ	ਹੋਲ	(28)148	29
ਦਿਆਂਗਾ	ਦੇ ਆਂਗਾ	(28)148	33-34
के	क	(28)150	11
में	म	(28)150	4th from be low
schools	shools	(28)153	2
relevant	elevant	(28)153	5th from below
देना	दिया	(28)154	5, 7

Read	*for*	*on page*	*line*
के	क	(28)154	21
हाथों में	हाथों	(28)154	26
ਹੋ	ਹ	(28)154	last
की	क	(28)156	7
Speaker	Spkear	(28)157	22
गौर	गार	(28)165	6
की	को	(28)165	8
पास	इस	(28)168	3rd from bel ow
करती	करत	(28)169	4th from below
ਅਜਿਹੀ	ਅਜਿਹੀ	(28)170	21
ਰਾਹੀਂ	ਰਾਹੀ	(28)171	15th from below
सारे	सारा	(28)172	3rd from below
भाला राम	भला राम	(28)173	12
ਚੰਗੀ	ਚਗੀ	(28)182	12
पानीपत	पानात	(28)184	11th from below
routine	routiue	(28)185	3
Boards	Boad	(28)186	8
involved	invololved	(28) Annexure	3rd from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 7th April, 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital at* 2.00 *p.m., of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

FARMS FOR SUPPLYING IMPROVED VARIETIES OF SEEDS IN THE STATE

***3148. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state :—

(a) The names of places in the State, District-wise, where Government or private farms for supplying improved varieties of seeds were established during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59, respectively, together with the amount spent on each of them ;

(b) the quantity of seeds produced in each of the said farms and the amounts for which Government purchased the seeds ;

(c) the amount of commission paid by the Government thereon, together with the names of the persons who were paid commission ?

Giani Kartar Singh : (a) A statement showing the required information in respect of the Government farms is laid on the Table of the House. No private farm for supplying improved varieties of seed was established through the Government.

(b) Quantity of seeds produced on Government farms is shown in the statement laid on the Table of the House. No seed was purchased from private farms.

(c) Question does not arise.

List of Government farms for Supplying improved varieties of seed in the state.

Year	District	Location of the farms	Area in acres	Amount spent on the farms in rupees	Quantity of improved seed produced in maunds
1	2	3	4	5	6
				Rs	
1956-57	Patiala	Village Naraingarh, Tehsil Sirhind	400	3,66,843.75	1957-58 1,168 1958-59 395
	Rohtak	Village Mayabas, Tehsil Rohtak	33.27	25,000	1957-58 326 1958-59 92
1957-58	Amritsar	Village Ajnala, Tehsil Ajnala	25	25,000	About 942 maunds of paddy was produced at the seed farms of Amritsar District during 1958-59

[Minister for Agriculture and Forests]

Year	District	Location of the farms	Area in acres	Amount spent on the farms in rupees	Quantity of improved seed produced in maunds
1	2	3	4	5	6
				Rs	
	Amritsar—*concld*	Village Manawala, Tehsil Amritsar	75	66,268.36	
		Village Meharbanpura, Tehsil Amritsar	25	25,000	
		Village Khabbe Dogran, Tehsil Tarn Taran	21	21,000	
		Village Fatehabad, Tehsil Tarn Taran	25	25,000	
		Village Bahmniwala, Tehsil Patti	25	25,000	
		Village Kullon, Tehsil Patti	50	50,000	
		Village Dial Bharans, Tehsil Ajnala	50	45,900	
	Hoshiarpur	Village Chamn, Tehsil Hoshiarpur	25	25,000	Nil
		Village Khanaura, Tehsil Hoshiarpur	47	47,000	Nil
		Village Khanaura, Tehsil Hoshiarpur	14	14,000	Nil
		Village Gangian, Tehsil Dasuya	50	50,000	Nil
	Ambala	Village Chhachhrauli, Tehsil Jagadhri	25	Nil (Government land)	1957-58 54
		Village Fatehpur, Tehsil Kharar	39.5	31,633.31	1958-59 99
		Village Nabipur, Tehsil Naraingarh	25	20,000	1958-59 36
	Karnal	Village Shamgarh, Tehsil Karnal	100	1,00,000	Nil

Year	District	Location of the farms	Area in acres	Amount spent on the farms in rupees	Quantity of improved seed produced in maunds
1	2	3	4	5	6
				Rs	
1957-58—*contd*	Hissar	Village Hansi, Tehsil Hansi	87.59	51,311.25	1958-59 118
	Gurgaon	Village Rampura, Tehsil Rewari	25	25,000	Nil
		Village Kulehra Kalan, Sub-Tehsil Bawal	25	25,000	Nil
	Patiala	Village Tarain, Tehsil Patiala	50	50,000	Nil
		Village Manjoli, Tehsil Nalagarh	26.5	21,140.19	Nil
		Village Dhingi, Tehsil Nabha	19.25	19,239.58	Nil
		Village Shambu, Tehsil Rajpura	49	Nil (Government land)	Nil
	Sangrur	Village Kishanpura, Tehsil Jind	25	23,750	Nil
		Village Bugra, Tehsil Malerkotla	24	23,789.31	Nil
		Village Rampur Bhindran, Tehsil Malerkotla	25	24,000	Nil
		Village Amritsar, Tehsil Narwana	25	22,005	Nil
		Village Sohian, Tehsil Sangrur	26	25,000	Nil
		Village Karamgarh, Tehsil Barnala	25	25,000	Nil
		Village Kheri, Tehsil Sangrur	50	50,000	Nil
	Ludhiana	Village Sohian, Tehsil Ludhiana	25	25,000	Nil
	Gurdaspur	Village Datela, Tehsil Batala	34.24	34,142.50	102
		Village Bahadurpur, Tehsil Batala	14.01	14,070.50	17

[Minister for Agriculture and Forests]

Year	District	Location of the farms	Area in acres	Amount spent on the farms in rupees	Quantity of improved seed produced in maunds
1	2	3	4	5	6
				Rs	
1957-58—*concld*	Gurdaspur—*concld*	Village Talwandi Lal Singh, Tehsil Batala	25	25,000	138
		Village Kishankot, Tehsil Ba tala	23.56	23,568.00	95
		Village Bhanianke Bangar, Tehsil Batala	24.66	24,662.00	67
	Jullundur	Village Lesriwala, Tehsil Jullundur	24.14	23,995	1957-58 Nil
		Village Kartarpur, Tehsil Jullundur	49.31	48,340	1957-58 Nil
		Village Mehatpur, Tehsil Jullundur	60.06	60,060	1957-58 Nil
	Bhatinda	Village Deviwala, Tehsil Faridkot	50.01	50,106.25	1957-58 Nil
	Rohtak	Village Kharkhauda, Tehsil Rohtak	26.37	25,000	1958-59 Nil
		Village Bir Sunarwala, Tehsil Jhajjar	26.01	Government land	1958-59 17
1958-59	Ludhiana	Village Mutton, Tehsil Samrala	26.64	39,965.62	93
	Ambala	Village Nasirpur, Tehsil Ambala	26.44	19,748.44	Nil
	Hissar	Hissar ..	100	Government land	Nil
	Karnal	Village Chika (Guhla Mandi)	25	Price yet to be paid to Colonization Department, Punjab	Nil
	Ferozepur	Village Mandiranwala, Tehsil Moga	25	25,006.25	Nil
		Village Baghapurana, Tehsil Moga	24.41	24,412.50	Nil
		Village Badal, Tehsil Muktsar	25	25,000	Nil

Year	District	Location of the farms	Area in acres	Amount spent on the farms in rupees	Quantity of improved seed produced in maunds
1	2	3	4	5	6
				Rs	
1958-59—*concld*	Ferozepore —*concld*	Village Daroli Bhai, Tehsil Moga	25.00	24,312.50	Nil
		Village Badal, Tehsil Muktsar	25	25,000.00	Nil
	Bhatinda	Village Ruldu-singhwala, Tehsil Bhatinda	25.45	25,453.00	
		Village Harnam-singhwala, Tehsil Bhatinda	25	24,375.00	
		Village Talwandi Sabo, Tehsil Bhatinda	25.67	25,675	
	Gurgaon	Village Sarurpur, Tehsil Ballab-garh	25	Government land	Nil
		Village Tehna, Tehsil Rewari	25.07	24,875	Nil
		Village Dhugni, Tehsil Ballabgarh	22.55	22,550	Nil
		Village Nuh, Tehsil Nuh	25.44	20,350	Nil
	Kapur-thala	Village Kapurthala Mansurwala, Tehsil Kapur-thala	23.55	35,325	Nil
		Village Noorpur Dona, Tehsil Kapurthala	25	22,500	Nil
	Gurdas-pur	Village Hayat-nagar, Tehsil Gurdaspur	25.57	25,000	Nil

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, जो मेरे postponed questions थे उनका क्या हुआ ? मेरे दो questions ऐसे थे कि उनके एक एक part का जवाब दिया था, एक एक postpone कर दिया था । वे तो आए नहीं । उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप बता देना; कल रख देंगे । (The hon. Member may please inform me about them. These will be taken up to-morrow.)

FERTILIZERS

*3943. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state :—

(a) the ex-factory prices of various kinds of fertilizers and the prices at which they are sold individual growers ;

(b) the number and names of all the agencies in the State set up for the sale of fertilizers and the respective Commissions charged by them ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to associate Village Panchayats or Co-operatives with the sale of fertilizers, if so, the details thereof and the time by which it is likely to be implemented ?

Giani Kartar Singh : (a) The information is given below :—

Sl. No.	Kind of fertilizers	Pool Price (per ton) fixed by Government of India		Incidental charges per ton	Price at which sold to cultivators (per ton)
		Rs		Rs	Rs
1	Ammonium Sulphate	350	F. O. R. any destination rail head	30	380
2	Calcium Ammonium Nitrate	330		30	360
3	Ammonium Sulphate Nitrate	420		30	450
4	Urea ..	710		30	740
5	Superphosphate ..	240 (F. O. R., Delhi and Rs 27 average railway freight)		43	310

(b) There are about 1385 Co-operative depots and sub-depots in all the towns and important villages in the State. There are also private agencies employed for the distribution of fertilizers and the entire sale is carried

through the agency of the Punjab Regional Co-operative Supply and Marketing Federation. The following charges are paid to the distributing agents.

	Nitrogenous fertilisers per ton	Superphosphatic fertilisers per ton
	Rs nP.	Rs nP.
1. Commission charges ..	12.00	12.00
2. Handling charges ..	3.12	3.12
3. Actual shortage (subject to maximum of)	1.50	5.00
4. Actual transport charges from rail heads to interior as verified by Deputy Commissioners on an average of ..	10.00	10.00
5. Re-Bagging charges ..	*Nil*	12.88 (Where necessary)

(c) The fertilizers are being distributed through the Co-operative Societies only. At present there is no proposal to associate village panchayat for the sale of fertilizers.

CATTLE SHOWS IN DISTRICT MOHINDERGARH

***3947. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the number and breed of cattle, tehsil-wise in Mohindergarh District, which won prizes in all India or Regional Cattle Shows during the last five years?

Giani Kartar Singh : A statement is laid on the Table.

[Minister for Agriculture and Forests]

Statement showing the number and breed of cattle, tehsil-wise in Mohindergarh District, which won prizes in all India or Regional Cattle shows during the last five years, i. e from 1954 to 1958

Name of the Show	Breed	Species	Tehsil	Prize
All-India Cattle Show Bahadurgarh, March, 1954	1. Hariana	Young Bull	Dadri	II (2nd prize)
	2. Nagori	Young Bull	Do	3rd prize
All-India Cattle Show, Patiala, March, 1955	1. Murrah	Buffalo Bull	Do	1. 1st prize 2. Breed Champion 3. Best Buff. Bull of the Show 4. Best animal of the opposite sex
	2. Murrah	Buffalo	Dadri	1st prize
	3. Murrah	Buffalo Heifer	Dadri	1st prize
	Nagori	Nagori Bull	Narnaul	1st prize
		Young Bull	Dadri	1st prize
All-India Cattle Show, March, 1956	1. Murrah	Buffalo Bull	Dadri	1. 1st prize 2. Best Buffalo Bull of the show
		Buffalo Heifer	Dadri	1st prize
	2. Hariana	Cow Heifer	Dadri	5th prize
	3. Hissar	Pair of Bullocks	Mohindergarh	1st prize
	4. Nagori	Cow Bull	Dadri	1st prize
	5. Mewati	Cow	Dadri	Breed Champion
				2nd prize
Regional Cattle Show, Charkhi Dadri, October, 1956	1. Hissar	Cow Bull	Mohindergarh	1st prize
		Young Bull	Dadri	1st prize
		Pair of Bullocks	Mohindergarh	1st prize
	2. Nagori	Cow Bull	Dadri	1st prize
		Cow Bull	Narnaul	2nd prize
		Cow Bull	Narnaul	3rd prize
		Heifer	Dadri	1st prize
		Heifer	Mohindergarh	2nd prize

	3. Murrah	Buffalo Bull	Dadri	1. 1st prize 2. Breed Champion 3. Best animal of the show 1st prize
		Young Buffalo Bull	Dadri	
		Young Buffalo Bull	Dadri	2nd prize
		Buffalo	Mohindergarh	1st prize in milk yield
		Bu. Heifer	Dadri	3rd prize
All India Cattle Show, Indore, 1957	Murrah	Buff ,. Bull	Dadri	1. 1st prize 2. Breed Champion 3. Best Buff. Bull of the Show 4. Best animal of the Western Regional Show 5. Best animal of the Show (Private)
		Young Bull	Dadri	1st prize
		Buff. Heifer	Dadri	2nd prize
	Nagori	Cow Bull	Dadri	1. 1st prize 2. Best Breed Champion
	Hissar	Cow Bull	Mohindergarh	1st prize
	Hariana	Heifer	Dadri	3rd prize
All-India Cattle Show, Delhi, 1958	Murrah	Buff. Bull	Dadri	1st prize
		Young Bull	Dadri	2nd prize
	Hissar	Hissar Bull	Mohindergarh	1st prize

EXPENDITURE ON ANTI-WATERLOGGING DRAINS

***3770. Sardar Gurmit Singh Mit :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :—

(a) the total amount so far spent on drains in connection with waterlogging in the State from the beginning up to date, year-wise ;

(b) the amount proposed to be spent for the said purpose during the next financial year ;

(c) the details of other measures devised to combat waterlogging in the State?

Sardar Gian Singh Rarewala : Reply is placed on the Table of the House.

(a) EXPENDITURE INCURRED ON FLOOD CONTROL WORKS.

		Rs
1954-55	..	98,000
1955-56	..	3,95,079
1956-57	..	7,15,824
1957-58	..	86,63,310
1958-59	..	1,30,00,000 approximately

(b) For the year 1959-60 it is proposed to incur an expenditure of Rs 130 lacs on flood control Schemes and Drainage Schemes and no amount has yet been demanded for anti-waterlogging measure.

(c) (1) Setting up of Action Committee by the Punjab Cabinet presided over by Financial Commissioner.

(2) Services of Dr. Janert, East German Expert on waterlogging were requisitioned. He has since visited the waterlogged area in the Punjab viz, Hansi, Amritsar, Sangrur, Fazilka and Zira areas and has submitted his report, which is under consideration of the Government.

(3) Sinking of Tubewells in areas served by Western Jumna Canal.

(4) Lining of Main Canals.

(5) Encouragement to farmers to sink artisan wells by granting beral loans.

(6) Government have decided that five pilot scheme for Hansi, Amritsar, Sangrur, Fazilka and Zira areas have first to be prepared. Work on Hansi has already been taken in hand.

(7) Construction of surface drains and Flood protection embankments.

AREA IRRIGATED BY JANSUA DISTRIBUTARY, NARWANA BRANCH

***3990. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total area irrigated by the Jansua Distributary (Narwana Branch) Pehwa Division, Kaithal, District Karnal during the period from January 1, 1959, to January 17, 1959, together with the area under the cultivation of foodgrains ;

(b) the discharge capacity of the said Distributary in cusecs and the actual discharge thereof in cusecs, during the period referred to in part (a) ?

Sardar Gian Singh Rarewala: (a) (I) 1145 Acres.

(II) 868 Acres under foodgrains.

(b) (I) Discharge Capacity : 37 Cusecs.

(II) Average actual discharge : 33 Cusecs.

REHABILITATION LOANS TO LEGISLATORS IN THE STATE

***3864. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the number of those Legislators in the State against whom rehabilitation loans are outstanding with the amount of loan in each case ;

(b) the dates since when the loans referred to above are outstanding and the steps taken or proposed to be taken for the recovery of these loans ?

Rao Birendar Singh : (a) Six. The amounts outstanding in each case are as under :—

		Rs
1.	..	3,000
2.	..	2,585
		3,000
		2,000
3.	..	731.75
4.	..	2,500
5.	..	2,475
6.	..	4,031.25

(b) These loans are outstanding from the dates indicated below against each :—

		Rs	
1.	..	3,000	27th September, 1949
2.	..	2,585	29th September, 1948
		3,000	14th February, 1950
		2,000	8th February, 1952

[Minister for Revenue]

3.	..	731.75	31st July, 1955
4.	..	2,500	From the date of advancement ; exact date not available
5.	..	2,475	17th May, 1950
6.	..	4,031.25	15th July, 1955 15th January, 1956 15th July, 1956

In the case of Nos. (1) to (4) the amounts have been reported to the Settlement Authorities for adjustment against their verified claims of these loanees. About the remaining two, no effective steps are reported to have been taken to recover the amounts so far. Instructions, however, have been issued to the District authorities concerned to effect recoveries immediately even by taking resort to coercive measures, if necessary .

ISSUE OF ARMS LICENCES IN KARNAL DISTRICT

***3801. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of licences for revolvers and pistols issued by the District Authorities in Karnal District, during the period from June, 1957 to 31st January, 1959, date-wise, alongwith the names of persons to whom such licences were issued ?

Sardar Partap Singh Kairon : It is not in public interest to disclose the information asked for. However any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

SPINNING AND WEAVING CENTRE IN NAGROTA, DISTRICT KANGRA

***4005. Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state, whether Government have received any application or proposal for giving training in hosiery work in the spinning and weaving centre established in Nagrota, district Kangra, if so, the action, if any, so far taken thereon ?

Shri Mohan Lal : A proposal for starting classes for imparting training in hosiery work at Nagrota Bagwan, District Kangra, was received and is under examination.

EXPORT OF GRAM, RICE, BARLEY AND BAJRA FROM THE STATE

***3217. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state the total quantity of gram, rice, barley and bajra together with their value respectively, if any exported from the State during the years, 1957-58 and 1958-59, separately ?

Shri Mohan Lal : Reliable data is not available.

IRRIGATION BY MALOOPOTA MINOR OF BIST DOAB CANAL IN TEHSIL NAWANSHAHR, DISTRICT JULLUNDUR

***3994. Sardar Harguranad Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total expenditure incurred on the Maloopota Minor of Bist Doab Canal in Tehsil Nawanshahar, District Jullundur ;

(b) the total income derived by Government as abiana from the land irrigated by the said minor during the years 1957-58, and 1958-59 ?

Chaudhri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Rs 1,55,911.

(b) 1957-58 .. Rs 2,976

1958-59 .. Rs 2,918

TUBERCULOSIS COLONY AT NARNAUL, DISTRICT MOHINDERGARH

***3984. Shri Devki Nandan Vaidya :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government for establishing a Tuberculosis Colony in Narnaul, District Mohindergarh, if so, the time by which work in this connection is proposed to be started ;

(b) the number of beds proposed to be provided for the patients in the said Colony ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) No.

(b) Question does not arise.

CONSTRUCTION OF HOSPITAL BUILDING AT NAWANSHAHAR, DISTRICT JULLUNDUR

***3995. Sardar Harguranad Singh :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the foundation stone of a hospital at Nawanshahar, District Jullundur, was laid by the Deputy Health Minister ; if so, whether the construction work on the building of the said hospital has started ; if not the time by which it is likely to start ;

(b) whether any public subscription has been raised for the said hospital, if so, how much ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. The work will be started as soon as funds are available for the purpose.

(b) Yes. Rs 19,492.

PATWARIS RETRENCHED IN DISTRICT GURGAON

***3219. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the number and the names of the patwaris retrenched in district Gurgaon during the year 1958-59, together with the reasons of their retrenchment in each case ;

(b) the total number of Meos amongst the retrenched patwaris referred to in part (a) above ?

Rao Birendar Singh : (a) *First Part*—Eighty-five. List of names is laid on the Table.

Second Part—Retrenchment was made owing to re-employment of dismissed striking patwaris.

(b) Twelve.

LIST OF OFFICIATING PATWARIS RETRENCHED DURING THE YEAR, 1958 IN GURGAON DISTRICT

Serial No.	Name	Serial No.	Name
	Sarvshri.—	43	Khushi Ram
1	Kurshid Ahmad (Meo)	44	Naur Mohd. (Muslim Rajput)
2	Ganesh Dass	45	Jagan Nath
3	Daud Khan (Meo)	46	Jagdesh Chander
4	Mohinder Singh	47	Raj Kumar
5	Dharam Paul	48	Abdul Rahman (Meo)
6	Moti Ram	49	Virinder Singh
7	Kishan Chand	50	Basant Lal
8	Shri Ram Dhan	51	Banwari Lal
9	Bhola Ram	52	Bhim Singh
10	Kawar Paul	53	Ram Kishan
11	Jai Parkash	54	Hari Shanker
12	Hari Chand	55	Dharam Paul
13	Jaman Dass	56	Bhim Singh
14	Mohd. Indris (Meo)	57	Bhim Sen
15	Suraj Bhan	58	Kesar Singh
16	Jit Singh	59	Zahirud-din (Meo)
17	Des Raj	60	Surinder Kumar
18	Sarup Chand	61	Sukhi Ram
19	Hri Chand	62	Islam Khan (Meo)
20	Chhida Ram	63	Vasu Ram
21	Abdul Subhan (Meo)	64	Raghbir Parshad
22	Gian Sagar	65	Ram Paul Singh
23	Kishan Chand	66	Om Parkash
24	Rguh Nath	67	Yousuf Khan (Meo)
25	Bhop Lal	68	Rahmat Khan (Meo)
26	Om Parkash	69	Sukh Paul Singh
27	Jaswant Singh	70	Ishwar Dayal
28	Manmohan	71	Ram Kishan
29	Dalip Kumar	72	Rup Ram
30	Saif Mohd. (Meo)	73	Prem Parkash
31	Jumma Khan (Meo)	74	Yudeshtra Lal
32	Yad Ram	75	Tara Chand
33	Murari Lal	76	Birmaha Nand
34	Surat Ram	77	Ram Kishan
35	Ami Chand	78	Sunder Dass
36	Sihi Ram	79	Loku Ram
37	Bhajan Lal	80	Ram Niwas
38	Sultan Singh	81	Bishan Lal
39	Tej Paul Singh	82	Surjin Singh
40	Munshi Khan (Meo)	83	Mohan Lal
41	Morari Lal	84	Daya Ram
42	Mukat Singh	85	Kanshi Ram

SUSPENSION OF HONORARY REGISTRARS

***3726. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether any of the Registrars in Karnal and Rohtak Districts were suspended during November-December, 1958 and January, 1959, if so, their names, the headquarters of each and the reasons for suspension in each case ;

(b) whether any enquiry is being held against any one of those referred to in part (a) above ; if so, against whom and the name of the authority conducting the enquiry ?

Rao Birendar Singh : (a) There are no Honorary Registrars in the State. However, Shri Gurbax Singh, Honorary Sub-Registrar, Karnal, has been suspended on account of a fraud. He is being charge-sheeted.

(b) An Enquiry Officer, will be appointed after his explanation has been considered.

श्री राम प्यारा : यह charge-sheet कब तक पहुंच जाएगी ? (*No reply*)

श्री राम प्यारा : क्या honorary Sub-Registrar को charge-sheet दिया जा चुका है ? जब उसको नवम्बर-दिसम्बर में suspend किया था, तो मैं पूछता हूं कि उसे charge-sheet कब तक दिया जाएगा ?

मन्त्री : मेरे पास यह information है कि उसको charge-sheet दी जा रही है; तैयार हो रही है ।

श्री राम प्यारा : मैंने यही पूछा है कि कब तक दी जाएगी ।

मन्त्री : जब तैयार हो जाएगी ।

PAYMENT OF SALARIES TO CHOWKIDARS

***3911. Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total amount of Chowkidara Tax, so far realised during the year 1958-59 in Karnal District, tehsil-wise ;

(b) whether the Chowkidars are being paid their monthly salaries regularly out of the amount of tax referred to in part (a) above ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Statement is laid on the Table.

(b) The chowkidars are not paid on a monthly-basis but lump sum payment for six month's salary is made twice a year at the time of collection of land revenue by Lambardars. In the Karnal District, in most of the cases Chowkidars have been paid their salaries uptil 'kharif' 1958.

[Chief Minister]

STATEMENT

Total amount of Chowkidara Tax so far realised during the year 1958-59 in the Karnal District, tehsil-wise :—

Name of Tehsil		Amount of Chowkidara tax realised
		Rs nP.
Karnal	..	80,710.00
Panipat	..	62,028.00
Thanesar	..	19,183.75
Kaithal	..	71,760.00
Total	..	2,33,681.75

HOSHIARPUR JAWALAMUKHI ROUTE

***4006. Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any application has been received by him from the Shivalak Private Transport, Company, for extending the Hoshiarpur-Jawala Mukhi route upto Khundian, district Kangra, if so the action taken thereon ?

Rao Birendar Singh : Yes. It could not be considered favourably for the following reasons :—

(a) Shivalak Transport Co., held no permit for Hoshiarpur-Jawala Mukhi route,

(b) the distance between Jawala Mukhi and Khundian was unfit for operation of stage carriages.

CONSTRUCTION OF ROADS IN MOHINDERGARH DISTRICT DURING SECOND FIVE-YEAR PLAN

***3954. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the total road mileage proposed to be constructed in Mohindergarh District during the Second Five-Year Plan period ;

(b) the details of roads so constructed in the said District during the past three years ending 31st March, 1959 ;

(c) the steps proposed to be taken to expedite works and to complete them within the scheduled time ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 101 Miles.

(b) (i) Dadri Bond Road,—13.60 miles.

(ii) Rewari Narnaul Nizampur Road,—15.60 miles.

(c) The works will be completed according to availability of funds.

Every attempt is being made to speed up the works.

श्री निहाल सिंह : जनाब, 101 मील सड़क बननी है। Plan का ज़्यादा तर period खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक 29 मील सड़क ही बनी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस की क्या वजह है कि सिर्फ $\frac{1}{4}$ के करीब सड़क बनी है। जबकि $\frac{3}{4}$ period pass हो चुका है ?

मन्त्री : उसकी वजह यह है कि बहुत सी सड़कों पर काम जारी है। जो बिल्कुल complete हो चुका हैं उनकी बाबत बतलाया है। बाकी आधी के करीब सड़कें और बन चुकी हैं। इस वक्त किसी पर material डाला जा चुका है। Alignment का झगड़ा तै हो चुका है। इस वक्त वहां निहायत तेज़ी से काम जारी है।

श्री निहाल सिंह : अभी बताया गया है कि funds के मिलने पर तैयार करेंगे। यानी इसका complete होना funds पर मुनहसर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो इसका target 101 मील है यह plan period के अन्दर २ बनेगा या funds मिलने पर ही बनेगा ?

मन्त्री : Available funds तो यहां मिलता है। अगर आगे के लिए कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो कौन जान सकता है। लेकिन जहां तक आपके ज़िले का सवाल है 101 मील सड़क के वास्ते funds provided हैं और यह Second Five-Year Plan में ज़रूर खत्म होगी।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जब सड़कों की Plan वगैरह तैयार होती है तो गवर्नमेंट वक्त का अंदाज़ा लगा लेती है कि इस की completion में इतना वक्त लगेगा ?

मन्त्री : आम तौर पर यह अन्दाज़ा लगा लिया जाता है।

पण्डित श्री राम शर्मा : जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है क्या अंदाज़ा था कि 101 मील सड़क कब तक तैयार होगी ?

मन्त्री : पांच साल में।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या बतलाया जा सकता है कि पांच साल पूरे होने में कितना वक्त रह गया है और कितना काम हो गया है ?

मन्त्री : यह तो आप को भी पता है कि दो साल बाकी हैं। आधे से ज़्यादा काम हो गया है।

पंण्डित श्री राम शर्मा : क्या पांच साल के अर्से में, जिसके लिए यह Plan हुआ था, यह काम खत्म हो जाएगा ?

मन्त्री : हां, ज़रूर हो जाएगा ।

Shri Prabodh Chandra : The hon. Minister has, in reply to the main question, stated that if funds are available, the roads will be completed. I want to know whether the Government keeps in view its financial resources before planning the construction of roads ?

मन्त्री : जनाब, मैं hon. Member की information के लिए कहना चाहता हूं कि आम तौर पर budget में सारी चीजें provided होती हैं फिर भी यह चीज़ कि अगले साल में क्या हो जाए, अगले साल और हालात पैदा हो जाएं, तो कहा नहीं जा सकता । इस लिए यह बात निकलती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं ।

Shri Prabodh Chandra : While planning for the construction of roads, does the Government keep in view the emergencies that occur so often ?

Mr. Speaker : It is too, far-fetched a question.

PROVINCIALISATION OF JAHAJGARH-JHAJJAR ROAD

***3955. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to provincialise Jahajgarh-Jhajjar section of Dadri-Delhi Road ?

Chaudhri Suraj Mal : No.

श्री निहाल सिंह : क्या यह fact है कि यह सड़क पहले plan में शामिल थी लेकिन, अब delete कर दी गई है ?

Mr. Speaker: This supplementary does not arise.

B. AND R. DIVISIONAL HEADQUARTERS

***3956. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the name of districts in the State which have no B. and R. Divisional Headquarters ;

(b) the name of districts which have more than one B. and R. Divisional Headquarters ?,

Chaudhri Suraj Mal : (a) (i) Mohindergarh.

(ii) Kapurthala,

(iii) Gurdaspur.

(b) (i) Ambala.

(ii) Kangra.

श्री निहाल सिंह : क्या कोई ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट के ज़ेरे ग़ौर है कि जिन स्थानों पर काम ज्यादा है और B.& R. के Divisional Headquarters नहीं हैं वहां पर नए Headquarters बनाए जाएं ?

मन्त्री : इस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट के ज़ेरे ग़ौर नहीं है ।

TOURS OF CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY, PUNJAB

***3996. Sardar Harguranad Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of places toured by the Chief Parliamentary Secretary since his appointment as such, the purpose of each such visit, and the number of days he stayed at each station ;

(b) the total amount of Travelling Allowance and Dearness Allowance drawn by him together with the total cost of the petrol consumed in Government car used by him in respect of each tour separately ;

(c) whether any officials accompanied the Chief Parliamentary Secretary during these tours, if so, their names and the total amount of Travelling Allowance and Dearness Allowance drawn by each officer ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Statement showing the names of places toured by the Chief Parliamentary Secretary, Punjab, the purpose of each visit the number of days he stayed and the cost of petrol consumed.

(a) and (b) Places visited	Purpose of visit	Duration of visit (Days)	Cost of petrol consumed
			Rs
Simla ..	Inspection of the office of Director, Public Relations	2	13.20
Phagwara ..	Meeting with Local Officers regarding matters concerning the welfare of the people, and to know the special problems of the area and inspection of D. P. R. O's Office, Jullundur	1	42.90
Bhakra Nangal ..	Public relations work ..	..	46.20
Villages in Phagwara tehsil	Independence day celebrations and opening of Bharat Sewak Samaj Camps	2	59.40
Patiala ..	Inspection of D. P. R. O's Office and meeting with District staff of Public Relations Department	..	16.50

[Chief Minister]

Places visited	Purpose of visit	Duration of visit (Days)	Cost of petrol consumed
			Rs
Ferozepore ..	Inspection of the Office of the D. P. R. O. and address a Public Meeting	..	26.40
Delhi ..	Discussion in connection with Seminar on Parliamentary affairs	2	92.40
Bharo Mazara Zail in Jullundur District	Public meeting ..	..	9.90
Bhatinda ..	Public Meetings, Foundation Stone-laying ceremony of Harijan Dharamsala at Bhatinda	2	105.60
Patiala ..	Public Relations work ..	..	
Sultanpur ..	Visit to flood affected area ..	..	66.00
Nangal ..	Inspection of the office of the Public Relations Officer	1	46.20
Delhi ..	Parliamentary work ..	3	112.20
Nalagarh ..	Public Meeting at Nalagarh ..	..	
Ambala ..	Public Relations work ..	1	39.60
Phagwara ..	To discuss flood relief measures with local Officer	..	23.10
Patiala ..	To attend the annaul function of the Thapar Institute of Engineering and Technology	..	9.90
Jullundur,	To visit flood affected areas ..	1	66.00
Sabathu	To visit flood affected areas ..	1	
Phagwara	Closing ceremony of Red Cross function and Prize Distribution of	1	
Jullundur	Zonal High School, Tournament		
Uklana Mandi ..	Urban conference ..	..	26.40
Patiala ..	Rural conference and U.N.O. Day	1	128.70
Ambala ..	Rural Urban Conferences ..	1	
Karnal ..	Rural Urban Conferences ..	1	
Rohtak ..	Rural and Urban Conferences ..	1	
Delhi ..	Discussion with Chief Minister and to meet the State Liaison Officer	1	
Gurgaon ..	Rural and Urban Conferences ..	1	

Places visited	Purpose of visit	Duration of visit (Days)	Cost of petrol consumed
			Rs
Amritsar Naushehra Pannuan (District Amritsar)	Co-operative Conference in connection with the celebration of International Co-operative Day	1	56.10
Fatehgarh Churian (District Gurdaspur)	Ditto ..	1	
Kalka ..	Public Relations work ..	..	13.20
Phagwara, Rehana Jattan, Panchhat, Nasirabad, Manak, Atholi, Nangal, Majja, Ranipur, Palahi, Rawalpindi, Lakhpur, Pandori, Bhalath, Mauli, Bhanoki, Gandam, Hardaspur—Villages in Phagwara Tehsil	7th November, 1958 public meeting at Hadiabad, 8th November, 1958 to 12th November, 1958 Rural Conferences at the said places	5	56.10
Delhi ..	Parliamentary work ..	1	69.30
Patiala ..	Public Relations work ..	..	33.60
Jullundur ..	Overnight stay *en route* to Jawalamukhi	..	
Jawalamukhi, Dharamsala	Public meetings, youth rally and visit to D. P. R. O's. Office, Dharamsala	3	
Palampur ..	Public meetings ..	1	188.10
Kulu ..	Public meetings ..	1	
Manali ..	Public meetings ..	1	
Kulu. ..	Discussion with Local Officers and visit to D. P. R. O's Office and back to Headquarters	1	
Pathankot ..	Ditto ..	1	
Jhajjar ..	Prime Minister's visit to Jhajjar	1	
Delhi ..	Ditto ..	..	42.90
Jullundur ..	Public Relations work ..	..	
Phagwara ..	Public Relations work ..	1	89.10
Jagadhri ..	Public Meeting ..	1	
Phagwara ..	Public Relations work ..	1	26.40

[Chief Minister]

Places visited		Purpose of visit		Duration of visit (Days)	Cost of petrol consumed
					Rs
Delhi	..	Public Relations work	..	2	85.80
Ambala	..	Public Relations work	..	1	
Ludhiana, Ambala	..	To address Bharat Sewak Samaj Camp.		1	52.80
Phagwara	..	Public Relations work	..	..	26.40
Malerkotla, Delhi	..	To attend N. C. C. Camp and address N. C. C. cadets		1	72.60
Delhi	..	Public Relations work	..	1	
Nagpur	..	Inauguration of the Exhibition set up by Public Relations Department and to attend Congress Session		5	
Delhi	..	Rural Conference	..	..	95.70
Sonepat	..	Public Relations Department	..	..	
Ambala	..	Prime Minister's visit	..	1	33.00
Khanna	..	Urban Conference by Public Relations Department		1	112.20
Phagwara	..	Prize Distribution and Annual Function of Adersh Bal Vidyala, Phagwara		1	
Jullundur	..	Kisan Conference at Village Bara Pind		1	
Nangal	..	Public Relations work and inspecttion of the Public Relations Office			
Dullewala (Distirct Bhatinda)		Harijan Conference at Dullewala		..	42.90
Phagwara	..	Republic Day Celebration	..	1	
Kapurthala, Phagwara		Republic Day Celebration and Public Relations Work and to attend Panches Seminar at Chiheru and annual function of Janta Middle School Bhanoki		2	82.50
Sohna (District Gurgaon)		Public Meeting	..	1	128.70
Hodal and Faridabad (District Gurgaon)		Public Meeting at Hodel and visit to Faridabad		1	
Delhi	..	Public Relations work	..	2	

The Total amount or Daily Allowance drawn by the Chief Parliamentary Secretary is Rs 810.00.

(c) The following officials accompanied the Chief Parliamentary Secretary during some of these tours :—

	Name and Designation of official		*Amount of T. A. and D. A. drawn*
			Rs np.
1.	Shri Kashmir Singh, Personal Assistant	..	340.60
2.	Shri Sher Singh, Clerk	..	15.05
3.	Shri Ram Surat , Jamadar	..	85.52
4.	Shri Kanhaya Lal, Peon	..	114.94
5.	Shri Lal Singh, Peon	..	6.12
6.	Shri Babu Ram, Driver	..	263.75

Note.—The information given against items (a) (b) and (c) is up to 5th February 1959.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ list Table ਉਪਰ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ Chief Parliamentary Secretary ਪਿਛਲਿਆਂ ਛਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ State ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਦੌਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ 13 ਵਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਵਾਰ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ via Patiala ਜਾਂ via ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ? (Does the hon. Member mean to say that if the Chief Parliamentary Secretary wishes to visit Kapurthala he should go there via Patiala or Amritsar?)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ T. A. charge ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ petrol ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਵਾਰ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ main road ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (Because Phagwara is situated on the main line and one has to pass through it.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ Statement ਦੇ ਸਫਾ ਦੋ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 17 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Chief Parliamentary Secretary 5 ਦਿਨ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਤੇ tour ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ constituency ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ tour ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ constituency ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ?

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?

Chief Minister : Yes, if he is a Minister or a Deputy Minister or Chief Parliamentary Secretary.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ Session attend ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਰੁਪਏ charge ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ Exhibition ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ Chief Parliamentary Secretary ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

श्री प्रबोध चन्द्र : चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि वह Exhibition की देख भाल करने के लिये और उस सिलसिले में तैयारी करने के लिए नागपुर गये थे। क्या उन को इल्म है—that the Chief Parliamentary Secretary reached Nagpur long after the exhibition was completed?

Mr. Speaker: It is not a supplementary question.

Shri Prabodh Chandra: My supplementary question does arise, Sir.

Mr. Speaker: The hon. Member should put a supplementary question and not give information.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं पूछना चाहता हूं कि आया Chief Parliamentary Secretary साहिब Exhibition के शुरू होने से पहले नागपुर पहुंचे थे या कि शुरू होने के बाद ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹ 2, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

श्री प्रबोध चन्द्र : लेकिन वह exhibition तो Session के शुरू होने से 15 दिन पहले Start हो चुकी थी।

TOUR BY CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY TO DELHI

***3997. Sardar Harguranad Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the dates on which the Chief Parliamentary Secretary, Punjab, visited Delhi and Dehra Dun during the current year and the number of days he stayed there with the purpose of these visits in each case ;

(b) the total amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by him for the said visits to Delhi and Dehra Dun and the cost of petrol which was consumed in his official car during these visits ; the names of officials who accompanied him during the said tours ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

(a) The Chief Parliamentary Secretary, Punjab, did not pay any visit to Dehra Dun during the current year. The requisite information in regard to his visits to Delhi is as follows :—

Date of visit		Duration of stay	Purpose of visit
3rd January, 1959	..	16 Hours	Public Relations work
11th January, 1959	..	20 Hours	Ditto
4th February, 1959 and 5th February, 1959	..	2 days	Ditto
14th February, 1959 and 15th February, 1959	..	36 Hours	Ditto
6th March, 1959 to 8th March, 1959	..	43 Hours	Ditto

(b) No Travelling Allowance is admissible to Chief Parliamentary Secretary under the rules and none was drawn. The total amount of Daily allowance drawn by him for his visits to Delhi is Rs 110.

The cost of petrol consumed during these visits amounts to Rs 462.00.

Shri Kashmir Singh, Personal Assistant, Shri Kanhya Lal, Peon and Shri Babu Lal Driver, accompanied him during these tours.,

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि देहरादून में Chief Parliamentary Secretary का कौन सा काम था जिस के लिए वह वहां गए ?

Chief Minister : My information is that the Chief Parliamentary Secretary did not pay any visit to Dehra Dun.

TOUR BY DEPUTY SECRETARY, REHABILITATION DEPARTMENT, PUNJAB, JULLUNDUR

***3998. Sardar Harguranand Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Deputy Secretary, Rehabilitation Department, Punjab, at Jullundur, is allowed to use her private car for official tours ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that she is also allowed journey by road between stations connected by rail; if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that such facility was not made available to her predecessors ;

(d) the names of stations linked with rail which she visited since her appointment as such and the total amount of Travelling Allowance and Daily Allowance drawn by her during this period in each case ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes ; in the interest of Government work.

(b) Yes ; in the interest of Government work.

(c) No. This facility was made available to her predecessors also ;

(d) A statement is placed on the Table.

[Minister for Revenue]

PART (D)

Statement showing the journeys performed by Miss S. Khanna I. A. S. Deputy Secretary (Rehabilitation) by her own car between the stations connected by rail

Serial No.	Dates	Stations connected by rail	Mode of journey	Amount drawn as T. A. Rs	A.	P.	Amount drawn as D. A. Rs	A.	P.
1	24th-25th May, 1958	Jullundur to Ludhiana and back	Own Car	36	0	0	6	4	0
2	25th—29th June, 1958	Jullundur to Karnal, Kurukshetra, Ambala Chandigarh, Patiala and back	Ditto	215	8	0	18	12	0
3	15th—16th July, 1958	Jullundur to Rajpura, Chandigarh and back	Ditto	118	8	0	6	4	0
4	1st—7th September, 1958	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	31	4	0
5	29th—September 5th October, 1958	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	36	8	0
6	8th—9th October, 1958	Jullundur to Payal,* Banur, Patiala Sanaur and back	Ditto	73	0	0	6	4	0
7	18th—20th October, 1958	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	12	8	0
8	27th—29th October, 1958	Jullundur to Pathankot and back	Ditto	72	0	0	12	8	0
9	3rd—5th November, 1958	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	12	8	0
10	15th November, 1958	Jullundur to Ludhiana and back	Ditto	36	0	0	3	2	0
11	27th November, 1958	Jullundur to Phagwara and back	Ditto	13	0	0	3	2	0
12	3rd—8th December, 1958	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	31	4	0
13	14th—24th January, 1959	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	62	8	0
14	10th—12th February, 1959	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	12	8	0
15	27th February, to 2nd March, 1959	Jullundur to Chandigarh and back	Ditto	98	0	0	18	12	0
		Total ..		1,348	0	0	274	0	0
				1,622	0	0			

*Partly connected by rail and partly connected by road.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ Deputy Secretary (Rehablitation), Jullundur, ਨੇ 15 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ linked ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ rules ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ by rail linked ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰ by road T. A. ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ linked by rail ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

Minister : In the interest of Government work, an officer is allowed to travel in his own car or a station wagon provided by Government. There can be circumstances under which a travel has to be undertaken by car. Then, Sir, I would also like to say that in this case the Officer is a lady and due consideration should be shown to that also...Her predecessors also have been availing of this facility. There is nothing strange in it.

ARRESTS IN CONNECTION WITH AGITATION AGAINST THE BETTERMENT LEVY

***4003. Sardar Rajinder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of persons arrested in the state district-wise during the period from February, I, 1959 to date in connection with the agitation against the Betterment levy ?

Sardar Partap Singh Kairon : The Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The total number of persons arrested in the State during the period from February 1, 1959 to March 11, 1959, in connection with the Agitation against the Betterment levy, is 6629. The District-wise figures are given below :—

Serial No.	Name of District		Up-to-date number of arrests as on 11th March, 1959
1	Hissar	..	88
2	Rohtak	..	52
3	Gurgaon	..	..
4	Karnal	..	161
5	Ambala	..	..
6	Simla	..	..
7	Kangra	..	..
8	Hoshiarpur	..	..
9	Jullundur	..	2575
10	Ludhiana	..	663
11	Ferozepore	..	540
12	Amritsar	..	..
13	Gurdaspur	..	..
14	Patiala	..	363
15	Sangrur	..	692
16	Bhatinda	..	1495
17	Kapurthala	..	..
18	Mohindergarh	..	..
	Total	..	6629

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Betterment Levy ਦੀ agitation ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

STATUS AND POWERS OF DISTRICT INDUSTRIES OFFICERS IN THE STATE

***3959. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether it is a fact that district Industries Officers have varying status and powers in various districts of the State; if so, the reasons therefor and the steps, if any, proposed to be taken by Government to equate their status and powers ?

Shri Mohan Lal : There is no difference in the status of and powers exercised by District Industries Officers as such. However, in some districts, Assistant District Industries Officers are holding charge of the work, and they have lower status and powers than District Industries Officers. It has not been possible to provide District Industries Officers for all districts of the State for financial and other administrative reasons.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, इस सवाल के जवाब में वज़ीर साहिब ने फर्माया है कि..

It has not been possible to provide District Industries Officers for all the Districts for financial and administrative reasons. तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन से administrative reasons हैं जिन की वजह से सरकार ने हरेक ज़िले में District Industries Officer नहीं भेजे ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो बताया है कि financial reasons की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके । (The hon. Minister has stated that it has not been possible due to financial reasons.)

श्री प्रबोध चन्द्र : नहीं, जनाब, financial reasons के अलावा एक कारण administrative reason भी उन्होंने बताया है ।

मन्त्री : Administrative reasons में से एक reason यह भी है कि हरेक ज़िला के काम को देखना पड़ता है, उस ज़िले में plan के size को देखना पड़ता है कि कितना हो चुका है और कितने की execution अभी करनी बाकी रहती है । इन तमाम बातों को देख कर इन की appointment की जाती है ।

RABI CROPS

***3221. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the present condition of the Rabi crops in the State together with the expected yield therefrom ?

Giani Kartar Singh : The present condition of Rabi crops in the State is normal. The expected yield of wheat, gram and barley is 2,011, 1,686 and 189 thousand tons respectively.

SUPPLY OF FERTILIZERS IN THE STATE

***3222. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the total quantity of fertilizers so far supplied by Government in the State, district-wise, during the year 1958-59 ?

Giani Kartar Singh : The required information is laid on the Table.

Statement showing the total quantity of fertilizers supplied during the year 1958-59 (up to 30th November, 1958)

Serial No.	Name of District		Quantity distributed in tons
1	Hissar	..	653.75
2	Rohtak	..	1,097.95
3	Gurgaon	..	660.35
4	Karnal	..	1,386.65
5	Ambala	..	1,780.40
6	Simla	..	..
7	Kangra	..	659.80
8	Hoshiarpur	..	1,952.60
9	Jullundur	..	1,856.50
10	Ludhiana	..	2,162.45
11	Ferozepur	..	3,500.00
12	Amritsar	..	1,423.00
13	Gurdaspur	..	325.95
14	Patiala	..	1,124.75
15	Bhatinda	..	1,627.60
16	Sangrur	..	1,046.85
17	Kapurthala	..	886.25
18	Mohindergarh	..	81.65
	Total	..	22,226.50

REPORT OF NALAGARH COMMITTEE

***4002. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether Government have received a copy of the report of the Nalagarh Committee appointed, by the Union Government; if so, the steps being taken to implement it ?

Giani Kartar Singh : Yes, a copy of the Report has been received.

2. The Report is being examined in respect of its financial implications. Some of the recommendations of the Report, which are of general nature, are already being implemented by the State Government.

SHIFTING OF DRAINAGE DIVISION FROM KARNAL

***3802. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Drainage Division, Karnal, has been shifted to some other place ; if so, where and the reasons therefor ;

(b) the length of drains completed in the said district before the shifting of the Drainage Division referred to above ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. Headquarters of Drainage Division No. III has been shifted to Delhi as this is more central with respect to the location of works under the control of this Division.

(b) About 81 miles.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बताया है दिल्ली Central place है इस लिये यह दिल्ली में ले जाया गया है । तो मैं पूछता हूँ कि दिल्ली किस नुक्ता निगाह से Central place बनती है ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question.

DEPTH OF BEIN IN TEHSIL NAWANSHEHR, DISTRICT JULLUNDUR

***4013. Chaudhri Dasondha Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the depth of Bein in tehsil Nawanshehr, district Jullundur ; if so, the time by which it is expected to be done ;

(b) whether any scheme for increasing the depth of the Chos coming from tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur and falling in the Bein has been formulated ; if so, the time by which the said scheme is expected to be implemented ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. Work is likely to be completed in 1960-61.

(b) There is no such scheme.

PROVINCIALIZED MIDDLE SCHOOLS UPGRADED TO HIGH SCHOOLS

***3803. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether any provincialized middle schools taken over from local bodies in the State have so far been upgraded to high schools ; if so, their number and the names of such schools in Karnal district ;

(b) the criteria kept in view while upgrading schools ; referred to above ;

(c) whether any rules have been framed for upgrading schools ; if so, what ;

(d) the authority competent to recommend the upgrading of middle schools in each district ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes. Three provincialised middle schools, viz. Government Middle School, Karora, Government Middle School, Nissang and Government Girls Middle School, Fatehpur, are being upgraded to high standard in Karnal District.

(b) (i) The need of a high school in the locality has been established according to the Survey Report ;

(ii) The local community should be in a position to provide the additional accommodation for the school ;

(iii) Preference to be given to girls schools.

(c) No.

(d) Boys Schools—District/Divisional Inspector of Schools. Girls Schools—District/Divisional Inspectress of Schools.

SCHOOLS IN MOHINDERGARH DISTRICT

***3957. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of High and Middle Schools for boys and girls separately in Mohindergarh District at present ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to encourage female education in the said district and open more High and Middle Schools for girls there, if so, the details thereof ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) (i) High Schools for Boys in Mohindergarh District .. 26

(ii) High Schools for Girls in Mohindergarh District .. 3

(iii) Middle Schools for Boys in Mohindergarh District .. 54

(iv) Middle Schools for Girls in Mohindergarh District .. 2

(b) Special consideration is being given to educationally backward areas including Mohindergarh District in the scheme of upgrading schools and bringing in more girls to schools in the Second Five-Year Plan.

PLAN FOR UPGRADING AND OPENING OF SCHOOLS IN ERSTWHILE PEPSU AREAS

***3958. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether it is a fact that the Education Department have suspended the erstwhile Pepsu Second Five-Year Plan programme for upgrading and opening of schools in the said areas ; if so, the reasons therefor ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : No. The Pepsu scheme for upgrading and opening of schools was integrated into the new State plan.

श्री निहाल सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पैप्सू स्कीम के मुताबिक पिछले साल में कितने स्कूल upgrade किये गये हैं ?

Mr. Speaker : It does not arise.

AYURVEDIC DISPENSARIES

***4004. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state, the number of Ayurvedic Dispensaries opened during the years 1956, 1957 and 1958 in the Sangrur District, Tehsil-wise ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) :Five Ayurvedic Dispensaries have been opened in District Sangrur during 1956, 1957 and 1958 under the 2nd Five-Year Plan. The details are as under :—

1956-57	
Barnala Tahsil ..	One
Jind Tahsil ..	One
1957-58	
Jind Tahsil ..	Two
1958-59	
Jind Tahsil ..	One

HARIJAN CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETIES IN TEHSIL DADRI, DISTIRCT MOHINDERGARH

***4012. Shri Sis Ram :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether any Harijan Credit Co-operative Societies were registered by Government in tehsil Dadri, district Mohindergarh, during 1958; if so, their number together with the amount of loan if any, given to each ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes, Five Harijan Credit Co-operative Societies have been registered in tehsil Dadri, district Mohindergarh, during the year 1958. The amount of loan advanced to each of them is :—

	Rs
(1) The Harijan Co-operative Non-Agricultural Thrift and Credit Society, Ltd., Bhandwa ..	1,800
(2) The Harijan Co-operative Non-Agricultural Thrift and Credit Society, Ltd., Kanehti	2,500

(3) The Harijan Co-operative Non-Agricultural Thrift and Credit Society, Ltd., Samaspur	Rs 2,500
(4) The Harijan Co-operative Non-Agricultural Thrift and Credit Society, Ltd., Narsangwas	No loan could be advanced during the year 1958 as the Society was registered on 15th November, 1958
(5) The Achina Harijan Co-operative Agricultural Thrift and Credit Society, Achina	No loan could be advanced during the year 1958 as the Society was registered on 31st December, 1958

ALLOTMENT OF LAND IN VILLAGE KHOKNI, DISTRICT KARNAL UNDER THE EAST PUNJAB UTILISATION OF LANDS ACT, 1949

*3805. **Shri Ram Piara :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any land has been leased out in village Khokni tehsil and district Karnal under the East Punjab Utilisation of Lands Act, 1949 ; if so, the names of the lessees, th area allotted to each and the period for which the land has been leased out ;

(b) whether the possession of the land referred to above has been delivered to the lessees ; if so, when and by whom ;

(c) whether the lease money has b en realised from the lessees; if so, how much, for what period and the dates when realized ?

Rao Birendar Singh : (a) *Part First.*—Yes.

Part Second.—The requisite information is given in columns (2) (3) and (4) of the statement (Annexure A), a copy of which is laid on the Table of the House.

(b) *Part First.*—Yes.

Part Second.—In 1951 by the Field Staff.

(c) *Part First.*—Yes.

Part Second.—The requisite information is also given in columns Nos. (4), (5), (6), (7) and (8) of the statement (Annexure A), a copy of which is laid on the Table of the House.

[Minister for Revenue]

ANNEXURE 'A'

Serial No.	Name of lessee		Area leased (acres)	Period of lease	Rate of rent per acre	Amount of rent till 1958	Rent recovered so far	Dates of recovery
1	2		3	4	5	6	7	8
					Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	
1	Prem, son of Sham	..	11	1951—71	1 9 0	120 5 0	34 6 0 34 6 0 34 6 0 103 2 0	16-6-54 20-6-56 1-8-58
2	Deep Chand, son of Asa Ram	..	11	1951—71	1 12 0	134 12 0	38 8 0 38 8 0 38 8 0 115 8 0	16-6-54 20-6-56 1-8-58
3	Gopi Ram, son of Sardha Ram	..	10	1951—58	1 8 0	105 0 0	200 0 0	28-11-51
4	Sadhu Ram, son of Sardha Ram	..	18	1951—58	1 6 0	171 8 0	205 8 0	15-7-55
5	Harbans, son of Sardha Ram	..	12	1951—58	5 4 0	441 0 0	211 0 0	26-8-58
						717 8 0	616 8 0	
6	Surja, son of Mangal	..	10	1951—58	2 0 0	140 0 0	..	..
7	Jandu, son of Nathu	..	10	1951—71	2 0 0	140 0 0	40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 0 0	16-6-54 3-7-56 13-8-58

8	Chanan, son of Sagar	..	12	1951—71	2 0 0	168 0 0	96 0 0	18-8-58
9	Mam Raj, son of Udha Ram	..	11	1951—58	2 0 0	154 0 0	44 0 0	22-7-58
10	Shankar, son of Akha Ram	..	10	1951—58	2 0 0	140 0 0	40 0 0 40 0 0	16-6-54 13-8-58
							80 0 0	
11	Deep Singh, son of Maru	..	10	1951—58	2 0 0	140 0 0	40 0 0	22-7-58
12	Anthu, son of Jatha	..	9	1951—71	2 0 0	126 0 0	..	..
13	Amar Singh, son of Shiv Lal	..	12	1951—58	2 0 0	168 0 0	48 0 0	22-6-56
14	Chatru, son of Anthu	..	11	1951—58	2 0 0	154 0 0	44 0 0 44 0 0	22-6-56 13-8-58
							88 0 0	
15	Anant Ram, son of Hira	..	10	1951—58	5 8 0	385 0 0	..	..
16	Gorsal, son of Jhanka	..	10	1951—71	4 8 0	315 0 0	90 0 0 90 0 0	16-6-54 13-8-58
							180 0 0	
17	Kishana, son of Dhana	..	10	1951—58	4 8 0	315 0 0	..	..
18	Mam Chand, son of Parsa	..	10	1951—71	3 10 0	243 12 0	72 8 0 72 8 0 72 8 0	16-6-54 13-7-56 16-8-58
							217 8 0	
19	Hari Ram, son of Gorsal	..	12	1951—71	4 4 0	357 0 0	..	

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बतलाया है कि 1951 में कब्ज़ा दे दिया गया था । तो क्या वह बतलायेंगे कि क्या इस ज़मीन का कब्ज़ा फिर उन से ले लिया गया था ?

Mr. Speaker : This question does not arise. इस के लिए आप नोटिस दे दें क्योंकि यह एक specific question है । (This question does not arise. Please give a separate notice for it as it is a specific question.)

श्री राम प्यारा : क्या वहां पर इस्तमाल हो जाने के बाद वह ज़मीन फिर उन से वापिस ले ली गई थी ?

श्री अध्यक्ष : यह इस में से पैदा नहीं होता । (This does not arise out of this question.)

DEMARCATION OF AREAS IN GURGAON DISTRICT FOR CONSOLIDATION PURPOSES

***3220. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of places in Gurgaon District where demarcation of areas under the Consolidation scheme has so far taken place and the time when consolidation operations are proposed to be started there ?

Rao Birendar Singh : *First Part.*—Demarcation of areas has taken place (i.e. stone-pillars have been fixed) in all the tahsils of Gurgaon District.

Second Part.—Consolidation work has alread been completed in Gurgaon and Ballabgarh tahsils, is nearing completion in Palwal Tahsil and is in progress in Ferozepore Jhirka Tahsil. As regards the remaining two tahsils of this district, consolidation work in Nuh Tahsil will be started as soon as the work is completed in Ferozepore-Jhirka Tahsil whereas Rewari Tahsil is being taken up shortly by appointing additional staff, under the revised scheme for the intensification of consolidation work in the State.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या इस वक्त ज़ैल मानपुर और हथीन में कोई इस्तमाल के स्टाफ वाले पटवारी काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह इस में से नहीं पैदा होता । (This supplementary question does not arise out of this question.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब इन्होंने बताया है कि नूह तहसील में काम इस के बाद शुरू होगा । मैं ने यह पूछा है कि इस तहसील की ज़ैल.....

श्री अध्यक्ष : आप ने एक खास ज़ैल के बारे में पूछा है । यह इस में नहीं है । (The hon. Member has asked about a particular zail which is beyond the scope of this question.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : ज़ैल मानपुर और हथीन में consolidation staff इस वक्त काम कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष: इन के जवाब न देने से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर काम नहीं हो रहा होगा ? (The Member can deduce from the Minister's reluctance to give a reply that no such work is in progress there.)

मौलवी अब्दुल गनी डार: मैं अर्ज़ करूंगा कि इन को अफसरों की तरफ से ठीक जवाब नहीं भेजा जाता । वहां पर काम हो रहा है ।

CONSOLIDATION OPERATION IN VILLAGE KANEHTI, TEHSIL DADRI, DISTRICT MOHINDERGARH

***4011. Shri Sis Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

a) whether the consolidation operations in village Kanehti, tehsil Dadri, district Mohindergarh have been completed, if so, when ;

(b) whether the possession of he land that has been brought under consolidation in the said village has been transferred to the persons conc rned; if not, the reasons for not doing to ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. The record of village Kanehti has been compl ted and consigned in February, 1959.

(b) Possessions were transferred o all the land-holders last year except some twenty persons who had submitted an application to reserve sufficient *bani* as catchment area around the village pond. Their request has been rejected by the Government,— *vide* their endorsement No. 5867-DIV-CH-58 10318 of October, 1958. All the appeals of this village have since been disposed of and possessions to these remaining persons too will be delivered in June, 1959.

CONSTRUCTION OF PUCCA ROAD FROM MAHILPUR TO PHAGWARA

***4014. Chaudhri Dasondha Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to tstate—

a) whether there is any proposal to construct a road from Mahilpur in Hoshiarpur District to Phagwara if so, the estimated cost thereof ; and the amount sanctioned for the purpose ;

(b) whether any voluntary earth work was done on the road referred to in part (a) above ; if so, the present stage of the construction of this road ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) No. The question of taking up only Sandhwan Paldi Section of Phagwara Mahilpur road during Second Five-Year Plan is however under consideration of Government. The work is estimated to cost Rs 5.80 lacs.

(b) The road is not under the charge of the P.W.D. Hence no information is available with P.W.D. Enquiries are, however, being made from the D. C., Hoshiarpur in this regard.

BUILDINGS REQUISITIONED IN AMRITSAR

*4058 **Shri Balram Dass Tandon** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any buildings have been requisitioned by Government in Amritsar City for its own employees and for those of the Central Government ; if so, their number, together with the designations of the Officers/Officials fo whom these have been requisitioned and the amount of rent fixed for them in each case ;

(b) the number of buildings, if any, requisitioned by Government for housing their and Central Government's offices in Amritsar, together with the names of the Departments housed in each of them and the amount of rent fixed for them in each case ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct any buildings at Amritsar for the residence of its employees and for accommodating its offices ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) Two statements are laid on the table.

(c) Except for a proposal to construct an official residence for the District and Sessions Judge, Amritsar, the reply is in the negative.

Details of buildings Requisitioned by Government in Amritsar city for its own employees and those of the Central Government

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
			Rs
1	18-Albert Road, Amritsar..	Dr. R. P. Malhotra, P.C.M.S., Amritsar	70.00
2	20-Albert Road, Amritsar..	Shri Parshotam Sarup, P.C.S., District Sessions Judge, Amritsar	70.25
3	31-Circular Road, Amritsar, occupied by two officers	1. Shri Shankar Dass, Labour Inspector, Amritsar	26.00
		2. Shri S. L. Nanda, Labour Inspector, Amritsar	34.00
4	3,-Court Road, Amritsar ..	Shri T. S. Sachdeva, I.P.S.	50.00
5	51-Court Road, Amritsar ..	Hostel Building for Government College for Women, Amritsar	75.00
6	52, Court Road, Amritsar ..	Residence of the Principal, Government College for Women, Amritsar	125.00
7	2-Ferozedin Road, Amritsar	Nurses Home ..	90.00

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
			Rs
8	31-Race Course Road, Amritsar, occupied by two officers	1. Shri R. L. Kang, P.C.S., Assistant Sessions Judge	20.00
		2. Shri K. C. Jirath, S. D. O., Electricity	21.27
9	Mst. Hamidans Bungalow on Verka Road, Amritsar	Dr. D. R. Vermani, D.M.O.H., Amritsar	50.00
10	36-Yaseen Road, Amritsar	Shri H. G. Dewan, S.E., P.W.D., Electricity Branch, Amritsar	45.00
11	Half portion of 38, Yaseen Road, Amritsar	Shri R. S. Sarkaria, General Manager, Punjab Roadways, Amritsar	35.00
12	425-E, Ferozedin Road, Amritsar	Nurses Home ..	30.00
13	6-Albert Road, Amritsar ..	Shri Arjan Singh, District Food and Supplies Controller, Amritsar, Residence	Rs 96 per mensem for office and residence
14	8-Ferozedin Road, Amritsar	Shri Hardyal Singh, D.S.P., C.I.D., Amritsar	35.00
15	52/13-Hide Market, Amritsar	Superintendent, District Jail, Amritsar, for officials	15.00
16	Portion of 6-A, Hukam Singh Road, Amritsar	Shri Daulat Ram, District Rent and Managing Officer, Amritsar	28.31
17	Half portion of L9 G.T. Road, Amritsar	Lt. Col. Ram Singh, D.S. P. H. Quarters	46.12
18	8-R.B. Rattan Chand Road, Amritsar	Dr. Yudvir Sachdeva, P.C.M.S.	84.37
19	34-The Mall, Amritsar ..	Dr. Sant Ram Dhall, P.C.M.S.	175.00
20	Upper portion of 19-Cooper Road, Amritsar	Dr. Kartar Singh, P.C.M.S.	60.75
21	10-Court Road, Amritsar	Shri Sampuran Singh, Superintendent, D.C. Office, Amritsar	25.00
22	Mohindra House, Albert Road, Amritsar	Deputy Director, Subsidiary, I. B., Government of India, Amritsar	312.50
23	3-G.T. Road, Amritsar ..	Shri Tandon, Manager Employment Exchange, Amritsar	35.00
24	87-Lawrence Road, Amritsar	Shri Kishan Singh, Assistant Registrar, Co-operative Society, Amritsar	45.00

[Chief Minister]

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
			Rs
25	4-Brahm Nagar, Amritsar, occupied by three officers	1. Shri Kundan Lal, P.D.S.P., Amritsar	24.00
		2. Shri I.K. Suri, P.C.S.	20.00
		3. Shri Radhunath Lal, DCO, I. B., Government of India, Amritsar	36.00
26	Half portion of 9-R.B. Rattan Chand Road, Amritsar	Shri Dalip Singh, P.C.S., Municipal Magistrate, Amritsar	55.00
27	13-Maqbool Road, Amritsar	Dr. Manmohan Singh, P.C.M.S., Civil Surgeon, Amritsar	115.00
28	Portion of house No. 10, Daya Nand Nagar, Amritsar	Shri Charan Singh Tiwana, P.C.S., Judge, Small Cause Court, Amritsar	36.00
29	Building on Queens Road, Amritsar	Nurses Home ..	280.00
30	26-Court Road, Amritsar	Office cum-Residential of the Assistant Engineer, Civil Aviation, Amritsar	45.00
31	39-Majitha Road, Amritsar	Major Tirath Singh, Officer on Special Duty, S.I.B., Amritsar	100.00
32	1-Court Road, Amritsar, occupied by two officers	1. Shri Jasmer Singh, P.C.S., Senior Sub-Judge, Amritsar	55.00
		2. Shri Sham Lal Verma, P.C.S., A.D.M., Amritsar	45.00
33	Portion of Seven-Raghunath Pura, Amritsar	Dr. Ved Parkash Lakhpal, P.C.M.S.	20.00
34	92-A, The Mall, Amritsar, back portion	Shri H.L. Sharma, XEN, Amritsar Construction Division, P.W.D., Electricity	70.50
35	38-Majitha Road, Amritsar..	Dr. Shiv Kumar, P.C.M.S.	100.00
36	92-C, The Mall, Amritsar ..	Shri Sardul Singh, S.I.,C.I.D., Police, Amritsar	30.00
37	40, Thakar Mahan Chand, Road Amritsar	Shri R. P. Ojha, P.C.S., G.A.I. to D.C., Amritsar	30.00
38	17-R.B. Rattan Chand Road, Amritsar	Dr. Kartar Singh, D.P.H., Dean of Hydean Vaccine Institute, Amritsar	80.00
39	Annexe of 57/XIII, 1-Court Road, Amritsar	Shri B.D. Thappar, P.C.S., Magistrate 1st Class, Amritsar	40.00
40	10-Hukam Singh Road, Amritsar	Hostel for Health School Girls	80.00

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
			Rs
41	Half part of house No. 1, R.B. Rattan Chand Road, Amritsar	Shri T. N. Kapur, XEN, Maintenance, P.W.D., Electricity, Amritsar	73.00
42	Lower half portion of S. 1 Brahm Nagar, Amritsar	Shri B. P. Sehgal, P.C.S., M. I.C., Amritsar	37.25
43	Annexe of 43, the Mall, Amritsar	Ch. Ram Ditta Mal, D.S.P., P.A.P., Amritsar	44.00
44	25-S.B. Hukam Singh Road, Amritsar	Dr. Karm Singh, P.C.M.S., Amritsar	72.00
45	Half portion of 33-Hukam Singh Road, Amritsar	Shri Aftab Singh, P.C.S., Sub-Judge, Amritsar	28.12
46	2-Lal Divi Building, Amritsar	Shri Jiwan Singh, Dispenser	15.00
47	Portion of 106, Daya Nand Nagar, Amritsar	Shri R. N. Sawhney, Traffic Manager, Punjab Roadways, Amritsar	40.00
48	Portion of 139/XIII-2, Cooper Road, Amritsar	Shri Gurbux Singh, Steno to S. S. P., Amritsar	26.25
49	40, Gopal Nagar, Amritsar	Shri U. R. Chawdhery, Assistant Reclamation Officer, Amritsar	40.00
50	20, Lawrence Road, Amritsar	Shrimati Sharda Bhardwaj, Lecturer in Music, Government College for Women, Amritsar	50.00
51	3-Race Course Road, Amritsar	1. Dr. Mohan Singh, P.C.M.S. 2. Dr. Lall Singh, District Malaria Officer, Amritsar	72.00 30.00
52	Portion of 113-Cooper Road, Amritsar	Shri Sardul Singh, P.P. II, Amritsar	40.00
53	Lower half portion of Mukat House, Amritsar	Dr. S. S. Manchanda, P.C.M.S., Amritsar	125.00
54	22-Hukam Singh Road, Amritsar	Shri Fateh Chand, Inspector Police, Amritsar	52.00
55	23, Hukam Singh Road, Amritsar	Shri G. L. Nagpal, P.C.S., M.I.C., Amritsar	55.00
56	51, the Mall, Amritsar (Half portion)	Shri H. S. Puri, XEN, Public Health Division, Amritsar	40.00
57	Upper portion of 22039/1, Kucha Bhatrian, Amritsar	Shri Krishan Gopal, Clerk, D.C's Office, Amritsar	10.75
58	Lower portion of 6-Race Course Road, Amritsar excluding one room	Shri H. L. Mehra, P.C.S., Amritsar	57.00

[Chief Minister]

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/officer to whom allotted	Rent per mensem
59	106, Lawrence Road, Amritsar	Dr. Balwant Singh, P.C.M.S., Amritsar	40.00
60	22-Daya Nand Nagar, Amritsar	Shri Sardar Singh, P.C.S., M.I.C., Amritsar	38.00
61	Half portion of 28-Hukam Singh Road, Amritsar	Dr. Balwant Singh, P.C.M.S.	50.00
62	Lower half portion of 44-Daya Nand Nagar, Amritsar	Shri Harbans Singh, I.T.O., Amritsar	30.00
63	9-Dasondha Singh Road, Amritsar excluding two rooms	Shri Parkash Dev, D.P.R.O.,	31.00
64	Portion of 36-Albert Road, Amritsar	Shri Janak Raj, Taxation Sub-Inspector, Amritsar	18.00
65	60-Majitha Road, Amritsar	Women Rescue Home, Amritsar	125.00
66	Annexe of 15-Majitha Road, Amritsar	Shri Naranjan Singh, Assistant District Industries Officer, Amritsar	60.00
67	Lower half portion of 44-Daya Nand Nagar, Amritsar	Shri H. S. Dhillon, Inspector Home Defence, Amritsar	35.00
68	Portion of 1-Majitha Road, Amritsar	Dr. S. K. Marya, P.C.M.S.	50.00
69	1st floor of 44-Daya Nand Nagar, Amritsar	Miss R. Hasija, District Inspectress of Schools, Amritsar	35.00
70	Half portion of 8-Dasondha Singh Road, Amritsar	Shri Harish Chander, Settlement Officer, Government of India, Amritsar	37.25
71	House No. 2236/1, Katra Baggian, Amritsar	Shri Arjan Singh, Assistant Superintendent, Treasury, Amritsar	16.00
72	Open plot near 60-Majitha Road, Amritsar	Women Rescue Home, Amritsar	41.75
73	Portion No. 7, Swami Buildings, Amritsar	Shri Charan Dass, Clerk, D.C. Office, Amritsar	19.62
74	Upper portion of Kashmir Bhawan, Model Town, Amritsar	Shri Hans Raj Swami, I.P.S.	55.00
75	17-A, Majitha Road, Amrtitsar	S.D.O., Drainage Division, Amritsar	Possession not yet taken
76	Ground of 1st floor of A-911/1, Akal Building, Amritsar	Drainage Division No. IV, Amritsar	133.00
77	Half portion of 12-Ranika Bagh, Amritsar	Assistant Communication Officer, Raja Sansi, Aerodrome	50.00

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
			Rs
78	Portion of 43-Lawrence Road, Amritsar	Shri M. L. Sachdeva, Regional Electric Inspector to Government, Punjab	62.00
79	Portion of 22-Brahm Nagar, Amritsar	Shri K.L. Sachdeva, A.S.O., Government of India, Ministry of Reg., Amritsar	Rs 30 provisionally (Referred to arbitrator)
80	559/13, Sharifpura, Amritsar	Shri Rameshwar Lal, Deputy Commissioner's Office, Amritsar	7.94 provisionally
81	8-Brahm Nagar, Amritsar ..	Shri R. N. Mehra, Income-Tax Officer, Amritsar	35.00
82	House No. 9-Lal Devi Buildings, Amritsar	Shri P. N. Handa, Security Inspector, Amritsar	35.00
83	House No. 3807, Kucha Nazar Singh, Amritsar	Shri Malhotra, Shops Inspector, Amritsar	30.00
84	Front portion of Sant Villa No. 2, G. T. Road, Amritsar	Shri Shanti Sarup, Cloth Employment Exchange, Amritsar	Not yet assessed
85	Three rooms of House No. 2637, near Municipal Water Works, Amritsar	Shri Ram Rachhpal, S.H.O., Kotwali, Amritsar	27.00
86	Upper portion of Inder Niwas, G. T. Road, Amritsar		Possession not taken
87	4-Duni Chand Road, Amritsar	Allotted to Dr. S. S. Manchanda, P.C.M.S. but the case is in appeal	Not yet assessed
88	Upper portion of Darbara Singh Buildings, Bagh Rama Nand, Amritsar	Possession not yet taken ..	Ditto
89	House No. 1791/III-Z5, Lakkar Mandi	Ditto ..	Ditto
90	Portion of Fair Field, Amritsar	Shri J.P. Mehan, Marketing Officer, Textiles, Amritsar	Rs 42 as reported by the allottee
91	Portion of House No. 124, Ranika Bagh, Amritsar	Shri Surjit Singh, Tehsildar, Recovery, Income-Tax	Assessed
92	Portion of 39-Model Town, Amritsar	Case in appeal	Do
93	Portion of 21-Gopal Nagar, Amritsar	Possession no yet taken ..	Do

[Chief Minister]

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
			Rs
94	Upper portion of House No. BI-9-S-769(571-572/1-7), Amritsar	Possession not yet taken..	Assessed
95	Portion of house No. 2-Lawrence Road, Amritsar	Ditto ..	Not yet assessed
96	Portion of house No. 2259/ III-28	Shri Sohinder Singh, Clerk, Excise and Taxation Office, Amritsar	Matter referred to P.W.D. authorities
97	Portion of 6-Taylor Road, Amritsar	Possession not yet taken ..	Not yet assessed
98	House No. 8-G T. Road, Amritsar	Allotted to Col. Naranjan Singh Gill, Ambassador to Ethopia, but possession not yet taken	Ditto
99	Lal Devi Buildings, Amritsar	Possession not yet taken	..

(b) BUILDINGS REQUISITIONED BY GOVERNMENT FOR HOUSING THEIR AND CENTRAL GOVERNMENT OFFICES IN AMRITSAR TOGETHER WITH THE NAMES OF THE DEPARTMENTS AND AMOUNT OF RENT FIXED

Serial No.	Description of requisitioned property	Name of the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
1	Serai Agha Khan, Amritsar	D.S.P., C.I.D., Amritsar ..	154.00
2	Government College for Women Building, Amritsar	Education Department for use as College	513.75
3	Portion of 6- Albert Road, Amritsar	1. Office of the District Food and Supplies Controller, Amritsar	896 for office and residence
		2. Presiding Officer Labour, Court, Amritsar	44.00
4	24-Majitha Road, Amritsar..	Superintendent, Punjab Vaccine Institute, Amritsar	75.00
5	22-Majitha Road, Amritsar..	Ditto	..
6	27-Yaseen Road, Amritsar ..	District Industries Officer, Amritsar	30.00
7	Mohendra House, Albert Road, Amritsar	Deputy Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Government of India, Amritsar	Rs 312 for office and residence
8	20-Majitha Road, Amritsar..	Offices of the Gurdwara Judicial Commission and Assistant Director of Panchayats, Amritsar	60.00
9	Front portion of 92-A, The Mall, Amritsar	S.E., Buildings and Roads, Amritsar	74.00

Serial No.	Description of requisitioned property	Name the officer/official to whom allotted	Rent per mensem
10	Bhandari House, Amritsar	Assistant Collector, C.E., Amritsar	400.00
11	123, Gopal Nagar, Amritsar	District Electoral Officer, Amritsar	35 00
12	Lower portion of Inder Niwas, G.T. Road, Amritsar	Assistant Collector, C. E., Amritsar	Not yet assessed, as possession has not yet been taken
13	Half portion of Kashmir Lodge, Amritsar	Deputy High Commissioner for India in Pakistan	27.8
14	Lal Kothi G.T. Road, Amritsar	Office of the XEN, Public Health Division, Amritsar	209.00
15	51/1-2, Court Road, Amritsar	S.D.O., Restoration Sub-Division, Amritsar	60.00
16	47-Hukam Singh Road, Amritsar	District Malaria Officer, Amritsar	125.00
17	39, Court Road, Amritsar ..	Inspecting Assistant Commissioner, Income-Tax, Amritsar	70.00
18	Punjab University Buildings, Hall Bazar, Amritsar	Assistant Director, Handloom Board, Government of India, Amritsar.	150.00

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इतने जो मकान अमृतसर में officers की रिहायश के लिए लिए गए हैं क्या इन के लिए वहां पर सरकारी मकान बनाने की कोई स्कीम जल्दी लागू की जायगी ?

मुख्य मन्त्री : नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है ।

DIRECTION FROM HOME MINISTRY, GOVERNMENT OF INDIA, IN RESPECT OF INTEGRATION OF SERVICES IN EDUCATION DEPARTMENT

***4049. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government have received any directive from the Home Ministry of the Government of India, for integrating services in the Education Department on a cadre to cadre basis ;

(b) if so, when and the action, if any, so far taken in the matter ; and;

(c) the names of teachers and other officers of the Education Department, if any, who have benefited as a result of the Home Ministry's directions referred to in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

CASES REGISTERED WITH POLICE STATION, SADAR KARNAL

***3807. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of cases registered at police station Sadar Karnal, relating to the villages of Rasulpur Khurd and Kalan, Sheikhupura-Sohana, during the months of October, November and December, 1958 ;

(b) the particulars of the cases referred to in part (a) above and the result thereof in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) One case relating to village Shiekhupura only was registered in police station Sadar Karnal, during the months of October, November and December, 1958.

(b) F.I.R. No. 231, dated 27th October, 1958, under section 379/411, I.P.C. The case is yet under investigation.

CASES REGISTERED WITH SIRHIND POLICE STATION

***3992. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of cases registered with the Sirhind Police Station, date-wise, during the period between the 28th December, 1958, and the 6th January, 1959 ; and the names of persons against whom these cases were registered ;

(b) the names of persons who registered the said cases and the provisions of the Penal Code, etc., under which these were registered ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Only two cases were registered in police station Sirhind, on 29th December, 1958 and 31st December, 1958, respectively during the period between the 28th December, 1958 and the 6th January, 1959. The persons involved in the former case were Mulkh Raj, Mohan Lal, Bhan Singh, Uttam Singh, Mota Singh, Pali Ram, Bachan Singh, Jit Singh, Chanan Ram and Lal Chand, while in the latter was Roshan Lal, son of Mehtab Rai of village Kawatran, police station, Kaithal, district Karnal.

(b) The former case was registered on the report of Sub-Inspector, Kartar Singh, Station House Officer, Sirhind, while the latter on the report of Head Constable Hari Singh, No. 733 of C.I.A. Staff, Sirhind. The first case was registered under section 13 of the Public Gambling Act and the second under section 19 of the Arms Act.

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जिस रोशन लाल के खिलाफ case register हुआ यह वही आदमी है जिस को पुलिस करनाल से उठा कर सरहन्द ले गई थी ?

Mr. Speaker : This does not arise out of this.

श्री राम प्यारा : इन्होंने पहले बताया है कि पुलिस उस को ले गई थी......

श्री अध्यक्ष : इस का उस से क्या ताल्लुक है या तो कोई reference दें। (This supplementary has no connection with this question. He should quote any reference.)

ATTACHMENT OF PROPERTY OF ABSCONDERS IN DHANAULA AREA OF TEHSIL BARNALA, DISTRICT SANGRUR

*4036. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of those persons who have been declared absconders in connection with the Anti-Betterment Levy Agitation in the Dhanaula area of tehsil Barnala, district Sangrur, and the number and names of those whose property has been attached ?

Sardar Partap Singh Kairon : Thirteen.

Hardit Singh of Bhathal.

Janak Singh of Bhathalan.

Bhagwan Singh of Dangarh.

Partap Singh of Dhanaula.

Jagat Singh of Dhanaula.

Amar Singh.

Ishar Singh.

Joginder Singh.

Sarup Singh.

Mangal Singh.

Uttam of Bhathlan.

Siri Ram.

Gurdev of Harigarh.

Property of the first five persons was attached, while the property fthe remaining eight persons has not yet been attached.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਫਰੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : Give notice of a separate question for this information.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग सवाल है और इस स पैदा नहीं होता (This is a separate question and does not arise out of this question.)

SHARES PURCHASED BY GOVERNMENT IN CO-OPERATIVE SUGAR MILLS SOCIETY, NAWANSHAHAR, DISTRICT JULLUNDUR

*4029. **Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government have purchased any shares of the Co-operative Sugar Mill Society, Nawanshahar, district Jullundur; if so, the value thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : No.

INDUSTRIAL SCHOOLS FOR BOYS IN THE STATE

*3960. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state —

(a) the names of the districts in the State, where there are no Government Industrial Schools for Boys ;

(b) the names of the districts in which there are Government Industrial Schools and Government Polytechnic for the training of boys, together with the names of places where these are situated ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to open Industrial Schools, etc., in districts where no industrial schools exist at present : if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Shri Mohan Lal : (a) Simla, Gurdaspur, Patiala, Sangrur, Bhatinda, Kapurthala and Mohindergarh.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) Yes. There is a proposal to open a Junior Technical School at Kapurthala and to shift Government Industrial School, Ferozepur to Bhatinda. It is expected to be implemented in 1959-60.

STATEMENT

Serial No.	Name of the district		Place where the school or institute is situated
1	Ambala	..	Mool Chand Government Industrial School, Ambala Cantt.
2	Amritsar	..	Government Industrial School, Amritsar
3	Ferozepore	..	Government Industrial School, Ferozepore
4	Hissar	..	Government Industrial School, Hissar
5	Hoshiarpur	..	Government Industrial School, Hoshiarpur
6	Kangra	..	Government Industrial School, Kulu
7	Ludhiana	..	Government Industrial School, Ludhiana
8	Karnal	..	Government Industrial School, Panipat
9	Gurgaon	..	Government Industrial School, Rewari
10	Rohtak	..	Government Industrial School, Rohtak
11	Jullundur	..	Government Wood-Working Institute, Jullundur

LICENCES FOR THE MANUFACTURE OF CYCLES AND SEWING MACHINES

*4021. **Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state —

(a) the names of the parties, firms or individuals to whom licences for the manufacture of cycle and sewing machines were issued in the State during the period from September, 1956 to December, 1957.

(b) the names of parties, firms or individuals whose applications for the purpose mentioned in part (a) above were rejected and the reasons for rejection in each case ;

(c) the names of the authorities which made recommendations for the grant of the said licences and the name of the authority which finally sanctioned them ?

Shri Mohan Lal : (a) No licences were issued. However, names of parties whose production programme for assembling /manufacturing of cycles and sewing machines were approved by the Government of India is given in the statement which is laid on the Table of the House.

(b) Information is given in the said statement.

(c) Director of Industries recommended and Development Commissioner, Small-Scale Industries, sanctioned their programmes.

Statement

Serial No.	(a) Name of party whose programmes for the manufacturing of cycles/sewing machines were approved		(b) Cases rejected	Reasons for rejection
	Cycles			
1	M/s Gurgaon Cycle Industrial Co-operative Society Ltd., Gurgaon	1.	M/s Haryana Cycle Works, Bahadurgarh Mandi, Rohtak	Not known
2	M/s Champion Industries (India), Palwal	2.	M/s Ajeet Cycle Industries, Industrial Area, Rajpura	Ditto
3	M/s Guru Nanak Cycle Co-operative Society Ltd., Gurgaon	3.	M/s Narnaul Cycle Industries, Shivkunj, Patiala	Ditto
4	M/s Bahadurgarh Swatantra Bharat General Manufacturing Assemblying Co-operative Society, Bahadurgarh	4.	M/s P. R. Budhraja and Sons, Jullundur	Ditto
5	M/s Household and General Mills, Ltd., Sonepat	5.	M/s Allied Engineering Works, Jullundur	Ditto
6	M/s Bharat Cycle Industries, Sonepat	6.	M/s Airbicke Industries and Finance Private Ltd., Jullundur	Dittto

[Minister for Industries]

Serial No.	(a) Name of party whose programmes for the manufacturing of cycles/sewing machines were approved	(b) Cases rejected	Reasons for rejection
7	M/s Anand Cycle Industries, Kapurthala	7. M/s India Bike Yamuna Nagar, district Ambala	Not known
8	M/s Advance Industries, Bahadurgarh	8. M/s Vishwakarma M. E. Foundry, Phagwara	Ditto
9	M/s Continental Bicycle Industries, Sonepat	9. M/s Jupitor Industries, Industrial Area, 'B' Ludhiana	Ditto
10	M/s Janta Cycle Industries, Panipat	10. M/s Raj Industries, G T. Road, Ludhiana	Ditto
11	M/s Bahl Industrial Co-operative, Ltd., Ludhiana	11. M/s Asian Cycle Industries, Ludhiana	Ditto
12	M/s Punjab Cycle Works, Nilokheri	12. M/s Jain Industrial Co-operative, Rohtak	Ditto
	Sewing Machines		
13	M/s Chitra, Multipurpose Co-operative Society, Ludhiana	13. M/s Sultanpur Co-operative Industrial Society, Sultanpur	Ditto
14	M/s Shankar Sewing Machine Co., Ludhiana	14. M/s Moonlight Cycle Industries, Inside Birla Hosiery Building Dr. Gujjarmal Road, Ludhiana	Ditto
		15. M/s Bharat Cycle Industries Ltd., Railway Road, Gurgaon	Ditto
		16. M/s Vartman Engg. (P) Ltd., Yamuna Nagar	Ditto
		17. M/s Malwa Industries G.T. Road Near Moga Co-operative Cold Store, Moga	Ditto
		18. M/s National Industries, Faridkot	Ditto
		19. M/s Seep Cycle Corporation, Malerkotla	Ditto
		20. Shri Kuldip Singh, Sant Villa, Amritsar	Ditto

डाक्टर परमा नन्द : यह पूछा गया था कि applications reject होने के reason क्या हैं । इस का जवाब नहीं दिया गया । क्या किसी अफसर को इस तरफ ख्याल करने का वक्त नहीं मिला कि वह इस के reasons बताए ?

मन्त्री : ऐसी बात नहीं है । बात यह है कि फैसला Government of India की तरफ़ से होता है । उन्होंने बिना reason बताए ही यह reject की हैं । हमारे पास कोई इस के बारे में data नहीं है कि Government of India ने यह क्यों reject की है ।

श्री राम प्यारा : क्या यह बताया जा सकता है कि जो applications reject की गई हैं, Punjab Government ने इन्हें recommend किया था ?

मन्त्री : मैं ने पहले ही यह बात जवाब में कह दी है ।

TOUR BY DIRECTOR AND JOINT DIRECTOR OF INDUSTRIES, PUNJAB

***4022. Dr. Parmanand:** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state the names of the places visited by the Director and the Joint Director of Industries, Punjab, during the period from 1st September, 1957 to June, 1958, together with the amount of T. A. and D.A. drawn by each ?

Shri Mohan Lal : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

During the period from 1st September, 1957 to June, 1958 the officers who held charge of the office of the Director of Industries, Punjab, visited Rohtak, Delhi, Sonepat, Ambala, Ludhiana, Jullundur, Amritsar, Panipat, Patiala, Malerkotla, Rupar, Nilokheri, Gobindgarh, Bombay, Calcutta, Mussoorie, Simla and Batala and drew a sum of Rs. 3,227.63 nP. on account of T. A. and D. A.

During the period from 1st September, 1957 to June, 1958 the officer who held charge of the post of Joint Director of Industries visited Sonepat, Delhi, Amritsar, Bombay, Jullundur, Ambala, Karnal, Panipat, Rohtak, Patiala, Ludhiana, Faridabad Calcutta, Mussoorie, Jagadhri, and Malerkotla and drew a sum of Rs. 1,829.18 nP. on account of T. A. and D. A.

ISSUING OF LICENCES TO CO-OPERATIVE SUGAR MILL SOCIETY, NAWANSHAHR, DISTRICT JULLUNDUR

***4028. Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether he is aware of the fact that the Co-operative Sugar Mill Society at Nawanshahr, district Jullundur, has been registered and its shares worth Rs 28 lacs sold ; if so, the reasons why licence to the said Mill has not been issued so far and the details of the terms on which such licence is proposed to be given ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes. A co-operative Sugar Mill Society has been registered at Nawanshahr. The Mills have raised Rs 26 lacs as subscribed capital out of which Rs 13 lacs have actually been paid up. The Government of India have not granted a manufacturing licence to this Mill due to foreign exchange difficulties.

IMPORT/EXPORT OF FOODGRAINS FROM THE STATE

***3624. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether Government issued any permits for the export or import of foodgrains during the years 1957-58 and 1958-59; if so, to whom together with the quantity for which permits were issued ?

Shri Mohan Lal : Yes. Statements containing the required information are laid on the Table of the House.

[Minister for Industries]

Serial No.	Name of the party	Commodity	Quantity permitted	
	Statement showing export permits issued during 1957-58			
			Mds.	Srs
1	All Roller Flour Mills in the State ..	Rawa, maida and suji	1,39,105	0
2	Rice dealers/millers of Amritsar and Gurdaspur Districts	Old basmati rice	38,080	0
3	Nominees of U. P. and Bihar Governments ..	Wheat seed	118,340	0
4	Assistant Agronomist incharge Agricultural Research Sub-station, Karnal	Ditto	983	0
5	S. Kapur Singh, Chairman, Punjab Legislative Council	Ditto	100	0
6	Shri Ajit Parshad Jain, Minister for Food and Agriculture, Government of India	Ditto	5	0
7	The Krishan Ashram, Hardwar ..	Wheat	150	0
8	Shrimati Sushila Tayyar, Phagwara ..	Rice	50	0
9	Shri Ghansham Das Chaudhri, Advocate, Jacobpura	Wheat	3	0
10	Shrimati Gurdial Kaur, Ambala ..	Do	8	0
11	Diwan Anand Kumar, Karnal ..	Rice	5	0
12	Shri Mehar Chand Mahajan, Pathankot ..	Do	2	0
13	Raja Vir Bahadur Singh, Simla ..	Do	2	0
	Statement showing import permits issued during 1957-58			
1	M/s S. P. Virmani and Sons, Amritsar ..	Maida	1,452 bags	
	Statement showing export permits issued during 1958-59			
1	Rice dealers/millers of Amritsar and Gurdaspur Districts	Old Basmati Rice	1,642	0
2	Ditto ..	Rice	6,890	0
3	Swami Vishuda Nand of Phulchatti Sewa Ashram, Rishikesh	Wheat	250	0
4	Shri Jai Ram, Anakshetra, Rishikesh ..	Do	500	0
5	Jathedar Gurdip Singh, Akal Bunga Shawa, Rajasthan	Do	5	0
6	Shri Kapur Singh, Chairman, Punjab Legislative Council	Wheat seed	150	0

Serial No.	Name of the party	Commodity	Quantity permitted	
			Mds.	Srs.
7	Assistant Agronomist, Karnal ..	Wheat seed	1	0
8	S. Umrao Singh, Chief of Manauli ..	Do	10	0
9	Shri Raj Guru Rishi Bhardwaj, Morinda ..	Do	20	0
10	Shri Babu Ram, M.L.A., Malout ..	Do	25	0
11	Shri Abas Ali Khan, Imam Masjid, Kot ..	Do	6	20
12	Shri Iqbal Singh Rais, Jagadhri ..	Do	20	0
13	Shri Udhistar Singh Zamindar, Barnala ..	Do	15	0
14	Shri Gurdip Singh Dhillon, Amritsar ..	Do	10	0
15	Shri Gurdit Singh, Ex-D. C. A. (Defence), Patiala	Do	10	0
16	Capt. Mela Ram Sodhi, village Saharanpur ..	Do	25	0
17	Shri Pyara Lal, Landlord, Ferozepur ..	Do	20	0
18	Shri Dasondha Singh, Nakodar ..	Do	35	0
19	Bibi Attal Kaur, Ludhiana ..	Do	35	0
20	S. Hardyal Singh, care of Shri Hardit Singh, E. O. M. C.	Do	15	0
21	Shri Maharaj Kishan Dutt, Sahuwal (Gurdaspur)	Do	4	0
22	Hem Kund Pilgrims Party, Yamunanagar ..	Do	30	0
23	Shri D. D. Puri ..	Do	8	0
24	Shri Gurbachan Singh Atwal, Phagwara ..	Do	20	0
25	Shri Shankar Lal, Lecturer, Rewari ..	Do	5	0
26	Shri Jagdip Singh, Khem Karan ..	Do	10	0
27	Shri Banwari Lal Mathur, village Gokalpur	Do	20	0
28	Shri Joginder Singh, Khem Karan ..	Do	15	0
29	Shri R. R. Majitha, Moga ..	Do	10	0
30	Shri Man Singh, Electrical Engineer, Barara ..	Do	15	0
31	Shri Kanwar Krishan Sarin, Jagadhri ..	Do	8	0
32	Shri Abhimanu Rai Gupta ..	Do	5	0
33	Shrimati Gurdial Kaur, Ambala ..	Do	5	0
34	Imam Abbas Ali, Jagadhri ..	Rice	3	0

[Minister for Industries]

Serial No.	Name of the party	Commodity	Quantity permitted	
			Mds.	Srs.
35	Dr. M. C. Mahajan, Pathankot ..	Rice	2	0
36	The Assistant Agronomist, Karnal ..	Paddy seed	1	0
37	S. Lachman Singh, Batala ..	Rice	2	0
38	Shri Babu Ram, Amritsar ..	Do	5	20
39	Swami Vishva Nand, Patiala ..	Do	15	0
40	Shri Munshi Ram, Gurdaspur ..	Do	15	0
41	Shri Gurdip Singh Dhillon, Amritsar ..	Do	10	0
42	Th. Raghbir Singh, Pathankot ..	Do	2	0
43	Hem Kund Party, Jagadhri ..	Do	5	0
44	Seth Jagat Bandhoo, Amritsar ..	Do	1	20
	Statement showing import permits issued during 1958-59			
1	Headmaster, Lawrence School, Sanawar ..	Rice	200	0
2	Bursar, Bishop Cotton School, Simla ..	Do	150	0

REPORT OF ENQUIRY AGAINST MUNICIPAL COMMISSIONERS OF SAMANA, DISTRICT PATIALA

***4019. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the report of the enquiry by a Magistrate against a few Municipal Commissioners of Municipal Committee, Samana, district Patiala, is at present under the consideration of Government ; if so, the details of the report and the time by which a final decision is expected thereon ;

(b) whether Government have also received any complaint dated 1st March, 1959, from the President of the said Committee against certain members of the said Committee, if so, the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) *Part* (*i*).—No Sir ; an enquiry, however, is in progress at the district level which is likely to be completed in about a fortnight.

Parts (*ii*) *and* (*iii*).—Do not arise.

(b) No Sir. An application, dated 20th February, 1959, was however, received by the Deputy Commissioner through the Commissioner which is being enquired into.

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या यह बतलाया जा सकता है कि जिस शिकायत पर district level पर गौर हो रहा है उस शिकायत का सिलसिला कब से शुरू हुआ ?

मन्त्री: : मैं ने यह अर्ज़ किया है कि शिकायत district level पर हुई थी। Date मेरे पास नहीं है कि कब वह शिकायत हुई।

RENT OF MUNICIPAL STALLS IN PATIALA

***4053. Raja Bhalindra Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state —

(a) whether it is a fact that on the basis of the report by S. Mangal Singh, the Administrator of Patiala Municipality, it was decided that the rent of those stalls of the said Municipality, which were given to the refugee vegetable sellers near the Patiala Sabzi Mandi, be reduced by 20 per cent and the same be allotted for periods of five years to each of the occupants thereof ; if so, the reasons why the said decision has not so far been conveyed to the Municipal Committee, Patiala ;

(b) whether the Government propose to take any action against the person responsible for not conveying the said order to the Municipal Committee, Patiala ?

Shri Mohan Lal : (a) No Sir. Only orders to let out the shops to the present occupants for five years without any increase in rent have been issued to the Patiala Municipality.

(b) Question does not arise.

INCLUSION OF BAHADURGARH WITHIN MUNICIPAL LIMITS OF AHMEDGARH

***4054. Shri Balram Das Tandon**: Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether it is a fact that Bahadurgarh adjoining Ahmedgarh in Sangrur District has been brought within the limits of the Municipal Committee, Ahmedgarh: if so, when ?

Shri Mohan Lal : *First Part.*—Yes, Sir.

Second Part.—27th March, 1959.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इतनी देर में action क्यों लिया गया है ?

मन्त्री : इसमें बहुत सी बातों को देखना पड़ता है। दोनों जगहों से कुछ अपने view-points represent किए गए थे जिन पर ध्यान करना ज़रूरी था। इस लिए इतना वक्त लग गया है।

CATTLE FAIR AT BATALA, DISTRICT GURDASPUR

***4059. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether the place where the cattle fair is held near Batala in district Gurdaspur is within the limits of the Municipal Committee, Batala ;

(b) the name of the authority which charges the fee at the said fair ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) District Board Gurdaspur.

श्री बलराम दास टण्डन: : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि मेला तो बटाला की हुदूद के अन्दर होता है, और fees Gurdaspur की Municipality charge करती है —यह क्या सिलसिला है ?

मन्त्री : यह बहुत देर की बात है; pre-partition के वक्त से भी पहले के वक्त से यह इसी तरह चला आ रहा है ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या सरकार इस system को तबदील करने के सवाल पर सोच-विचार कर रही है ?

मन्त्री : यह मामला ज़ेरे गौर है लेकिन असूली तौर पर specific case इस Municipality का नहीं ।

VETERINARY HOSPITALS IN THE STATE

***3585. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the total number of Veterinary Hospitals in the State districtwise and the expenditure incurred thereon district-wise during the year 1956-57, 1957-58 and 1958-59 ?

Giani Kartar Singh : A statement is laid on the Table.

The total number of Veterinary [Hospitals including permanent Outlying Dispensaries in the State district-wise is given below :—

	District		
1.	Ambala	..	26
2.	Hissar	..	28
3.	Rohtak	..	28
4.	Karnal	..	24
5.	Simla		1
6.	Gurgaon	..	28
7.	Kangra	..	32
8.	Hoshiarpur	..	28
9.	Jullundur	..	21
10.	Gurdaspur	..	22
11.	Amritsar	..	47
12.	Ferozepur	..	37
13.	Ludhiana	..	20
14.	Patiala	..	42
15.	Sangrur	..	47
16.	Bhatinda	..	42
17.	Mohindergarh	..	25
18.	Kapurthala	..	18

The information about the district-wise expenditure on these hospitals is being collected and will be supplied later to the hon. Member.

ARREARS OF CONTRACTORS AND HEADMEN WHO WORKED ON DADRI IRRIGATION PROJECT

***3961. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any arrears are still due to the contractors and Headmen who executed works on the Dadri Irrigation Projects; if so, the total amount of all such claims due ;

(b) whether any claims of contractors, etc. referred to in part (a) above are in dispute ; if so, the amount thereof ;

(c) the reasons why claims referred to in part (a) above have not so far been paid and the time by which these are expected to be paid ?

Sardar Gian Singh Rarewala (a) Arrears due to contractors, etc. who executed works on Dadri Irrigation Scheme are Rs 57,000.

b) Yes, to the extent of Rs 57,000.

(c) The claims have not been paid for want of sanction to the Revised Project Estimate of Dadri Irrigation Scheme.

CONSTRUCTION OF BRIDGES AND CULVERTS ACROSS THE CHANNELS OF DADRI IRRIGATION PROJECT

***3962. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of Bandobasti rastas from one village to another across the channels of the Dadri Irrigation Project where bridges and cultverts are still to be constructed ;

(b) the time by which the "rastas" referred to in part (a) above are proposed to be provided ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) 5.

(b) Work will be taken up depending upon the availability of funds.

BRIDGES ON EAST BEIN IN TAHSIL NAWANSHAHAR, DISTRICT JULLUNDUR

***4031. Sardar Harguranand Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any provision has been made for constructing bridges on the East Bein when the same is canalised in tahsil Nawanshhar, district Jullundur if so, their number and the places where they are proposed to be constructed ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. Provision for constructing bridges on East Bein to be canalized exists. Five bridges are proposed to be constructed on East Bein.

[Minister for Irrigation]

The tentative R. D.'s of East Bein where bridges are proposed to be constructed are given below :—

(1) Bridge at R. D. 23500 of Eastern Bein.
(2) Bridge at R. D. 34700 of Eastern Bein.
(3) Bridge at R. D. 57500 of Eastern Bein.
(4) Bridge at R. D. 46800 of Eastern Bein.
(5) Bridge at R. D. 79000 of Eastern Bein.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ R. D. ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

DAMAGE BY FLOODS AND RAINS IN VILLAGES IN THE JURISDICTION OF POLICE STATION HATHIN, DISTRICT GURGAON

1634. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages in the jurisdiction of Police Station Hathin, District Gurgaon, in which damages were caused by rains and floods during 1958-59 ;

(b) the names of the residents of each of the villages referred to in part (a) who were given relief and loans by the Government together with the details of relief and the amount of loan given in each case ;

(c) the date/dates on which t e relief and the loans referred to in part (b) above were given ;

(b) the names of villages within the jurisdiction of the said Police station, where wheat was supplied for seed purposes as a relief measure, the names of persons to whom it was supplied, the date when it was supplied and the quantity thereof in each case?

Rao Birendar Singh : (a),(b) (c), (d) More than eleven hundred persons were supplied wheat seed and over three thousand and four hundred persons were given Taccavi loans for fodder.

More than Rs five thousand and six hundred were advanced as Taccavi loans for seed. About twelve hundred persons were given House Grants and more than two thousand and eight hundred persons were supplied with free ration and cloth in 69 villages in the jurisdiction of Police Station Hathin, District Gurgaon. The time and trouble involved in collecting further details along with the names and the amount of grant given in each case will not commensurate with any possible benefit to be obtained.

DAMAGE BY FLOODS IN GURGAON DISTRICT

1635. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the details of loss caused to crops, houses and lands, tahsil-wise in Gurgaon District, due to rains and floods during 1958-59 ;

(b) the amount of relief and loans, if any, granted, tahsil-wise, during the said period ?

Rao Birendar Singh : (a) and (b) A statement is enclosed.

Statement showing the details of loss caused to crops, houses and lands, tehsil-wise in Gurgaon District due to rains and floods during 1958-59 together with the details of relief and loans granted to the affected persons.

Serial No.	Name of Tahsil	Loss caused to crops		Loss caused to houses		Land rendered unfit for cultivation, if any	Gratuitous relief sanctioned (in Rs)	Grant for house repairs (in Rs)	Loans for house repair (in Rs)	Laons for seed and fodder	Seed supplied in mds.	Land Revenue remitted
		Cropped area damaged (in acres)	Value of loss (in Rs)	No. of houses damaged	Value of damage (in Rs)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Mds. Srs. Ch.	
1	Gurgaon ..	67,929	1,65,56,165	20,000	1,00,00,000	..	13,000	2,10,000	..	3,98,040	2,584 38 12	70,962
2	Rewari ..	28,004	73,56,065	3,032	15,16,000	..	..	39,680	..	1,31,250	200 0 0	1,395
3	Palwal ..	59,420	1,56,58,555	5,000	25,00,000	..	53,000	4,42,540	1,00,000	12,19,500	7,625 0 0	1,09,233
4	Ballabgarh ..	30,182	73,87,270	825	4,12,500	..	22,000	66,135	25,000	5,55,000	3,500 0 0	42,620
5	Nuh ..	54,850	1,41,33,755	3,386	16,93,000	..	41,000	2,96,000	..	11,01,960	4,000 7 8	63,810
6	Ferozepur-Jhirka	75,219	1,86,77,745	9,979	49,89,500	..	21,000	2,89,016	44,160	7,75,090	1,200 0 0	61,604
	Total for the District	3,15,604	7,97,69,555	42,222	2,11,11,000	..	1,50,000 plus blankets, etc. and Clothing for 2,00,000	13,43,371 An amount of Rs 4,66,679 surrendered	1,69,160	4,18,040	19,110 6 4	3,49,624

REMISSION IN LAND REVENUE IN GURGAON DISTRICT

1636. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state the amount of land revenue remitted Tahsilwise in Gurgaon district during the years 1956-57, 1957-58, and 1958-59, separately ?

Rao Birendar Singh : A statement showing requisite information is enclosed.

Statement showing remission of Land Revenue in Gurgaon District during the years 1956-57, 1957-58 and 1958-59, separately.

Name of tahsil		1956-57	1957-58	1958-59
		Rs	Rs	Rs
Gurgaon	..	65,483	89	75,886
Rewari	..	37,982	..	736
Nuh	..	12,797	..	64,618
Ferozepur Jhirka	..	20,503	..	61,955
Palwal	..	52,938	..	1,09,992
Ballabgarh	..	32,141	86	43,024
Total	..	2,21,844	175	3,56,211

DAMAGE BY FLOODS IN AMRISTAR DISTRICT

1637. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Revenue be pleased to state the details of loss caused to crops, houses and lands tahsil-wise, in Amritsar District due to rains and floods during 1958-59, together with the details of relief, including loans and seeds, granted to the affected persons ?

Rao Birendar Singh : A statement is enclosed.

Statement showing the details of loss caused to crops, houses and lands tahsil-wise, in Amritsar District due to rains and floods during 1958-59 together with the details of relief including loans and seeds granted to the affected persons

Name of the Tahsil	LOSS CAUSED TO CROPS		LOSS CAUSED TO HOUSES		Land rendered unfit for cultivation if any, in acres	Grant for house repairs (in Rs)	Loan for house repairs (in Rs)	Loan for seed and fodder (in Rs)	Seed suplied (in mds.)
	Cropped area damaged (in acres)	Value of loss in Rs	No. of Houses damaged	Value of damage (in Rs)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Amritsar	85,076	1,56,13,248	2,750	6,90,000	2,000	75,000	1,50,000	7,00,000	12,647—00
2. Patti ..	71,070	1,28,59,033	6,735	22,30,200	1,000	2,08,000	1,62,500	6,10,000	14,801—00
3. Tarn Taran ..	69,301	1,30,65,862	3,312	11,03,200	2,000	97,000	1,70,000	6,00,000	18,692—10
4. Ajnala ..	49,700	1,00,69,109	2,546	8,70,800	..	82,000 7,000	2,18,500	4,40,000	9,898—30
Total ..	275,147	5,16,07,252 (up-to-date figures)	15,343	48,94,200	5,000	4,69,000	7,01,000	23,50,000	56,038—40

Five thousand acres of land remained under water and as such rendered unfit for Rabi sowing. No land was, however, rendered unfit for cultivation for ever due to floods of 1958.

Note.—(1) In addition to the loans and grants mentioned above, Government also decided to grant remission of land revenue, abiana and electricity charges and also to postpone recovery of taccavi loans in deserving cases.

(2) Immediate Medical and Veterinary aid was rushed to help the flood-affected people. Villages were sprayed with D.D.T., wells were disinfected ; small-pox and cholera vaccinations were carried out ; Veterinary and Medical Relief Parties were organised and medicines were distributed.

ILLICIT DISTILLATION OF LIQUOR

1638. Giani Bakhtawar Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of cases of illicit distillation of liquor registered during the years *1956*,1957 and 1958 separately in the State district-wise together with the number of persons convicted in connection therewith ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Statements containing the requisite informationare appended.

Statement showing the cases of illicit distillation of liquor in the State during the year 1956

Serial No.	Name of District	Number of cases in which working stills were captured	Number of cases in which illicit and licit liquor were recovered	Number of cases in which lahan was recovered	Total	No. of persons convicted in connection therewith
1	2	3	4	5	6	7
1	Hissar ..	17	183	96	296	169
2	Rohtak ..	4	128	4	136	109
3	Gurgaon ..	4	123	4	131	102
4	Karnal ..	47	383	200	630	316
5	Ambala ..	6	70	29	105	92
6	Simla ..	..	16	..	16	14
7	Kangra ..	12	212	52	276	231
8	Hoshiarpur ..	43	168	111	340	308
9	Jullundur ..	61	628	426	1,115	311
10	Ludhiana ..	28	358	142	528	288
11	Ferozepur ..	125	871	1,206	2,202	1,622
12	Amritsar ..	120	590	421	1,131	1,197
13	Gurdaspur ..	33	444	287	764	465
14	Patiala ..	7	40	68	115	48
15	Bhatinda ..	Details not available			388	286
16	Sangrur ..	6	70	97	173	77
17	Mohindergarh ..	..	34	11	45	23
18	Kapurthala 24	24	138	52	214	101
	Total ..	537	4,474	3,206	8,605	5,759

Statement showing the cases of illicit distillation of liquor in the State during the year 1957

Serial No.	Name of District	Number of cases in which working stills were captured	Number of cases in which illicit and licit liquor were recovered	Number of cases in which lahan was recovered	Total	Number of persons convicted in connection. therewith
1	2	3	4	5	6	7
1	Hissar ..	15	290	99	404	232
2	Rohtak ..	12	124	16	152	130
3	Gurgaon ..	3	87	7	97	62
4	Karnal ..	56	364	244	664	282
5	Ambala ..	13	102	70	185	137
6	Simla ..	..	9	..	9	3
7	Kangra ..	14	96	59	169	130
8	Hoshiarpur ..	40	202	127	369	332
9	Jullundur ..	43	542	331	916	262
10	Ludhiana ..	21	354	192	567	321
11	Ferozepur ..	132	826	1,335	2,293	1,778
12	Amritsar ..	100	551	441	1,092	1,100
13	Gurdaspur ..	38	334	276	648	493
14	Patiala ..	11	193	200	404	212
15	Bhatinda	21	200	62	283	318
16	Sangrur ..	21	104	162	287	129
17	Mohindergarh ..	3	41	14	58	27
18	Kapurthala ..	7	167	72	246	107
	Total ..	515	4,386	3,486	8,387	5,796

[Minister for Finance]

Statement showing the cases of illicit distillation of liquor in the State during the year 1958

Serial No.	Name of District	Number of cases in which working stills were captured	Number of cases in which illicit and licit liquor were recovered	Number of cases in which lahan was recovered	Total	Number of persons convicted in connection therewith
1	2	3	4	5	6	7
1	Hissar ..	36	401	108	545	412
2	Rohtak ..	20	144	6	170	153
3	Gurgaon ..	3	97	21	121	26
4	Karnal ..	37	391	211	639	300
5	Ambala ..	11	154	35	200	145
6	Simla ..	..	1	..	1	1
7	Kangra ..	7	115	65	187	180
8	Hoshiarpur ..	27	250	132	409	382
9	Jullundur ..	76	658	329	1,063	244
10	Ludhiana ..	29	371	122	522	351
11	Ferozepur ..	140	1,037	1,203	2,380	1,505
12	Amritsar ..	95	544	592	1,231	1,170
13	Gurdaspur ..	42	258	254	254	426
14	Patiala ..	9	180	195	384	217
15	Bhatinda ..	47	273	40	360	329
16	Sangrur ..	17	91	318	426	305
17	Mohindergarh ..	4	46	21	71	52
18	Kapurthala	14	108	54	176	133
	Total ..	590	4,913	3,323	8,826	5,846

CONFIRMATION OF STAFF IN THE REHABILITATION DEPARTMENT

1639. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of Gazetted Officers in each category in the Rehabilitation Department in the State as on 1st September, 1956 ;

(b) whether it is a fact that Government have decided to make substantive permanent 10 per cent of the Officers referred to above; if so, the names in each category of those so far made substantive permanent ?

Rao Birendar Singh : (a) A statement is placed on the Table of the House ;

(b) Yes. According to the Government orders, gazetted officers of the Custodian's and Competent Officers organizations, are not eligible for confirmation. The following officers have been made substantive permanent against the posts, noted against each, with effect from 1st September, 1956 :—

1.	Shri Vishva Pal Khullar, Establishment and Accounts Officer	As Superintendent in the time-scale of Rs 350—25—500/30—650
2.	Shri Sohindra Singh, Superintendent	As Assistant Registrar, Land Claims, in the time-scale of Rs 270—10—340/10—420 with a special pay of Rs 50 per mensem

Statement showing the names of gazetted officers and the Appointments held by them in the Relief and Rehabilitation Department (including the Custodian's and Competent Officers Organizations) on the 1st September, 1956

Serial No.		Name of the Gazetted Officer	Appointment held on 1st September, 1956
		1. REHABILITATION SECRETARIAT	
1	1.	Shri A. P. Bagai, I. A. S.	Under Secretary
2	2.	Shri T. L. Khanna, S. A. S.	Audit and Accounts Officer
3	3.	Shri Vishva Pal Khullar	Establishment and Accounts Officer
4	4.	Shri Man Mohan Lal	Superintendent
5	5.	Shri Sohindra Singh	Superintendent
6	6.	Shri D. R. Sohal	Superintendent
		2. WOMEN DIRECTORATE	
7	1.	Miss Premvati Thapar	Director, Women Section
		LAND CLAIMS AND PERMANENT RIGHTS	
8	1.	Shri H. S. Mumtaz, P. C. S.	Assistant Settlement Commissioner
9	2.	Shri Pritam Singh	Deputy Registrar
10	3.	Shri Shanti Lal Malhotra	Officer-in-charge (Complaints)
11	4.	Shri Gulab Singh	Assistant Registarar
12	5.	Shri Gurcharan Singh Bajwa	Assistant Registrar
		4. NILOKHERI TOWNSHIP	
13	1.	Shri Damodar Dass Vyas	Works Manager
14	2.	Shri Balwant Singh Keith	Administrative Officer
		5. EMPLOYED IN OTHER DEPARTMENTS	
15	1.	Shri S. L. Kapur	Deputy Director (Industries)
16	2.	Shri Dharam Singh	Accounts Officer
17	3.	Shri Yag Dutt Dantyagi	Assistant-Registrar (Co-operative)

[Minister for Revenue]

Officers of the Custodians and Competent Officers Organisations who are not eligible for confirmation

Serial No.	Name of the Gazetted Officer	Appointment held on 1st September, 1956
	1. COMPETENT OFFICERS ORGANIZATION	
1	Shri Chetan Dass Jain, P. C. S. ..	State Competent Officer, Punjab
2	Shri Shadi Lal Bawa ..	District Competent Officer
3	Shri Arjan Singh Kalsi ..	Ditto
4	Shri Kishan Chand Sirpal ..	Ditto
5	Shri Atma Ram ..	Ditto
6	Shri Arjan Singh ..	Ditto
7	Shri Amir Chand ..	Ditto
8	Shri Des Raj Misra ..	Ditto
9	Shri Bansi Dhar Dora ..	Ditto
10	Shri Kehr Singh Mann ..	Ditto
11	Shri Mohan Lal Handa ..	Ditto
12	Shri Din Dyal Chadha ..	Ditto
13	Shri Ved Raj Tuteja ..	Tahsildar (Sales)
14	Shri Kartar Singh Narang ..	Ditto
15	Shri Nihal Chand Wadhwa ..	Ditto
16	Shri Narinder Sen ..	Ditto
17	Shri Raghunath Sehgal ..	Ditto
18	Shri Ram Chand ..	Ditto
19	Shri Inder Dutt Vijh	Ditto
20	Shri Ram Labhaya ..	Ditto
21	Shri Ajit Singh ..	Ditto
22	Shri K. D. Bali ..	Ditto
23	Shri Vishan Dass Vohra ..	Ditto
	CUSTODIAN'S ORGANIZATION	
1	Shri Harnam Singh Wassu ..	Additional Custodian of Evacuee Property, Punjab
2	Shri Harnam Singh ..	Assistant Custodian (Judicial)
3	Shri K. R. Sial ..	Assistant Custodian (Legal)
4	Shri Dev Raj Bhatia ..	Ditto

Serial No.	Name of the GazettedOfficer		appointment held on 1st September 1958
5	Shri Narinjan Dass	.	Assistant Custodian Legal
6	Shri Kundan Lal Vohra	..	Ditto
7	Shri Pyare Lal Duggal	..	Ditto
8	Shri Mohan Lal Ahluwalia		Ditto
9	Shri Maya Dass Sethi	..	Ditto
10	Shri Kishan Singh	.	Ditto
11	Shri D. D. Seth	..	Ditto
12	Shri K. K. Mittal	..	Ditto
13	Shri Rattan Chand	..	Ditto
14	Shri Gurdial Singh Suri	..	Assistant Custodian (General)
15	Shri Charanjiva Lal Sardhana	..	Assistant Custodian (Legal)
1	Shri Kesho Dass Soni	..	Additional Revenue Assistant (Restoration)

INSPECTORS, DRIVERS AND CONDUCTORS IN PUNJAB ROADWAYS

1640. Comrade Ram Chandar: Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of Conductors, Drivers and Inspectors employed in the Amritsar, Jullundur and Ambala Depots of the Punjab Roadways the dates of their appointment and their home addresses in each case together with the salary being paid to each ?

Rao Birendar Singh : Statement is placed on the Table of the House.

INSPECTORATE STAFF PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

Name of Inspector with address	Date of appointment	Pay	D.A.	T.A.
		Rs	Rs	Rs
1. Shri Jagdish Lal, son of Daulat Ram, Village and Post Office Chunian Kalan District Jullundur	18-5-48	105	40	10
2. Shri Gopi Ram, son of Kalu Ram, Nikka Mahal, House No. 107, Jullundur	18-5-48	110	40	10
3. Shri Avtar Singh, son of Ujaggar Singh, Village and Post Office Chabal, District Amritsar	1-9-50	110	40	10
4. Shri Gurdial Singh, son of Roshan Singh, Verka Road, Amritsar	25-5-50	120	40	10

[Minister for Revenue]

	Name of Inspector with address	Date of appointment	Pay	D.A.	T.A.
	INSPECTORATE STAFF, PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR		Rs	Rs	Rs
5.	Shri Mohinder Singh, son of Magur Singh, House No. 15, EQ. Pucca Bagh, Jullundur	1-4-49	115	40	10
6.	Shri Kundan Lal, son of Milawa Ram, House No. 268, B-7, Diary Mohalla, Rohtak	16-10-50	110	40	10
7.	Shri Kuldip Rai, son of Balwant Rai, Church Road, Civil Lines, Ludhiana	29-8-50	120	40	10
8.	Shri Ram Gopal, son of Puran Chand, Jullundur	26-5-48	120	40	10
9.	Shri Santokh Singh, son of Waryam Singh, Chowk Tahliwala, Outside Sultanwind Gate, Amritsar	14-10-48	115	40	10
10.	Shri Dharam Singh, son of Ganda Singh, Village Chaudriwala, Post Office Noshehra Punnan, District Amritsar	12-4-49	120	40	10
11.	Shri Shiv Bhola, son of Kirpa Ram, House No. WC. 9/7, Mohalla Lachhman Chain, District Kapurthala	11-12-48	120	40	10
12.	Shri Channan Singh, son of Bhagat Singh, House No. 1317/9, Chowk Hakiaman, Amritsar	4-12-57	80	40	10
13.	Shri Raj Kumar, son of Kishori Lal, Kucha Ghanian, Lohgarh, Amritsar	18-5-48	125	40	10
14.	Shri Om Parkash, son of Khushi Ram, Jullundur City	26-8-52	110	40	10
15.	Shri Sewa Singh, son of Harnam Singh, Village Shakipura, Tahsil Tarn Taran, Amritsar	18-2-49	130	40	10
16.	Shri Mohinder Singh, son of Sham Singh, 9, Dayanand Nagar, Lawrence Road, Amritsar	28-1-49	130	40	10
17.	Shri Kewal Krishan, son of Niranjan Dass, House No. 10307, Taki Road, Ambala City	30-4-49	120	40	10
18.	Shri Mohinder Singh, son of Talok Singh, Village Hanelian, Fatehgarh, Churian, Tahsil Batala, District Gurdaspur	24-3-54	115	40	10
19.	Shri Daljit Singh, Village Santanwali, Post Office Jandwala, District Ferozepur	9-6-49	120	40	10
20.	Shri Natha Ram, son of Joti Ram, House No. 4013/9, Khajana Gate, Amritsar	12-7-49	105	40	10
21.	Shri Satnam Singh, son of Gurbaksh Singh, House No. 2654, Chowk Jai Singh, Inside Gulwali Gate, Amritsar	11-12-48	110	40	10

Name of driver with address	Date of appointment	Pay
DRIVERS, PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR		Rs
1. Shri Kundan Singh, son of Sohan Singh, Village and Post Office Bopa Rai, Tehsil Patti, Amritsar	1-12-48	158
2. Shri Beli Ram, son of Chohar Singh, Village Thatian, Post Office Jangal Veri, Police Station Teera Sujanpur, Tehsil Meharpur, District Kangra	18-5-48	168
3. Shri Mohinder Singh, son of Basant Singh, Village Bhola Wala, Post Office Dula Hira, Tehsil Una, (Hoshiarpur)	25-1-49	164
4. Shri Gurcharan Singh, son of Wadhwa Singh, Village Dugri, Post Office Dhotian, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	12-2-52	156
5. Shri Mehar Singh, son of Tara, Village Post Office and Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-7-50	168
6. Shri Dharam Singh, son of Iqbal Chand, Village and Post Office Chalet, Tehsil Una, Hoshiarpur	14-5-49	164
7. Shri Sulakhan Singh, son of Natha Singh, Roadways Colony, Amritsar	11-11-48	168
8. Shri Dalip Singh, son of Utam Singh, Village Kot Kesra Singh, Post Office Kotla Kujran, Amritsar	26-2-52	152
9. Shri Kirpal Singh, son of Balwant Singh, Village Mahanta Thantian, Post Office Sarhali, Amritsar	23-5-49	164
10. Shri Asa Singh, son of Kishan Singh Jat, Amritsar ..	11-12-48	164
11. Shri Ram Rakha Mal, son of Jai Singh, House No. 2404/12 Inside Hathi Gate, Amritsar	11-12-48	168
12. Shri Avtar Singh, son of Jot Singh, House No. 2786, Cheel Mandi Mahan Singh, Amritsar	11-12-48	..
13. Shri Balwant Singh, son of Ujagar Singh, Village Bhular, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar	1-8-52	152
14. Shri Mohinder Singh, son of Labh Singh, Village Zohaba, Post Office and Tehsil Ajnala, Amritsar	11-12-48	168
15. Shri Kartar Singh, son of Mehar Singh, Village and Post Office Thoba, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	12-2-52	156
16. Shri Sadhu Singh, son of Indar Singh, Village Kuru-Ki-Vadali, Post Office Chheharta, Amritsar	25-2-49	160
17. Shri Mohan Singh, son of Sadhu Singh, Village Saroan, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	12-2-52	156
18. Shri Mehar Chand, son of Anant Ram, Village and Post Office Margindpura, Tehsil Patti, Amritsar	1-5-50	168
19. Shri Babu Ram, son of Haku Ram, Village Mahalat, Post Office and Tehsil Una, Hoshiar pur	1-8-51	156

[Minister for Revenue]

	Name of driver with address	Date of appointment	Pay
			Rs
	DRIVERS, PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR—CONTD		
20.	Shri Bashembar Das, son of Jai Chand, Village Warpal, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	7-2-50	160
21.	Shri Bawa Singh, son of Sohan Singh, Village Bhuro, Post Office Alawalpuri, Jullundur	12-1-50	160
22.	Shri Baldev Raj, son of Budha Mal, House No. 500, Sherefpura, Amritsar	3-6-52	152
23.	Shri Vir Singh, son of Suta Singh, Village Khatran Khurd, Post Office Kalar, Tehsil Ajnala, Amritsar	1-7-50	152
24.	Shri Udham Singh, son of Ganda Singh, Amritsar	1-11-50	160
25.	Shri Takhat Singh, son of Amrik Singh, Village and Post Office Sethala, Amritsar	11-12-48	164
26.	Shri Labh Singh, son of Mangal Singh, Village Amer Kot, Post Office Meharpura, Amritsar	11-12-48	164
27.	Shri Gopal Singh, son of Jhanda Singh, Village Gillpun, Post Office Khalra, Tehsil Patti, Amritsar	11-12-48	164
28.	Shri Sansar Singh, son of Udham Singh, Gulair Police Station, Hoshiarpur Tehsil Dera Gopipur, Kangra	11-12-48	168
29.	Shri Naranjan Singh, son of Ladha Singh, House No. 409/13, Sherafpura, Amritsar	11-12-48	164
30.	Shri Pran Nath, son of Mulkh Chand, House No. 163, Amritsar	11-12-48	168
31.	Shri Raghbir Singh, son of Jai Ram, Village Tandaheri, Post Office Bahadurgarh, Tehsil Jhajjar, District Rohtak	10-9-49	168
32.	Shri Chanan Singh, son of Buta Singh, Village Vakilwali, Jullundur	11-12-48	168
33.	Shri Hazara Singh, son of Bhagat Singh, Mohalla, Khila, Bazar , House No. 26, Jullundur City	22-9-50	160
34.	Shri Shiv Singh (not readily available) ..	1-11-51	136
35.	Shri Karnail Singh, son of Basant Singh, Village and Post Office Gujarwala, District Ludhiana	18-5-51	156
36	Shri Sarup Singh, son of Niranjan Singh, Tathainia, Post Office Beas, Amritsar	17-12-51	156
37.	Shri Chanan Singh, son of Bahadur Singh, Village Bopari, Talwandi near Khasa, Amritsar	28-9-54	140
38.	Shri Harbans Singh, son of Kunn Singh, House No. 278, N. D. Old Kadhari, Jullundur City	9-6-48	168
39.	Shri Daljit Singh, son of Ganda Singh, Quarter No. 117 Prem Nagar, Ambala City	7-1-53	136

	Name of Driver with address	Date of appointment	Pay
			Rs
	DRIVERS, PUNJAB ROADWAYS AMRITSAR—CONTD		
40.	Shri Surat Singh, son of Ujagar Singh, Hide Market, Amritsar	24-1-49	164
41.	Shri Bakhshish Singh, son of Budha Singh, Village Kathania, Post Office Chheharta, Amritsar	25-1-49	164
42.	Shri Karam Chand, son of Jasa Ram, Gali Setha Wali, Purana Bazar, Ferozepur	21-5-54	132
43.	Shri Kasturi Lal, son of Sunder Dass, House No. 738, Nawan Kot, Amritsar	25-1-49	168
44.	Shri Wazir Singh (not available) Jullundur ..	..	..
45.	Shri Jagir Singh, son of Pritam Singh, Jullundur ..	2-12-55	128
46.	Shri Darshan Singh, son of Harsa Singh, House No. 603, Islamabad, Durga Gali, Amritsar	1-7-53	128
47.	Shri Hakam Singh, son of Jawala Singh, House No. 2104, Katra Sher Singh, Amritsar	25-2-49	168
48.	Shri Jog Raj, son of Jagan Ram, Mohalla Jatpura, House No. 758/4, Rajpurkala Siali, Kapurthala	13-2-55	132
49.	Shri Samund Singh, son of Ganda Singh, Muradpura, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	25-2-49	156
50.	Shri Geja Singh, son of Sham Singh, Village and Post Office Baghiari, Amritsar	22-10-49	164
51.	Shri Ram Nath, son of Mulk Raj, Haripura, Gali 5, Amritsar	1-12-49	160
52.	Shri Amar Singh, son of Santa Singh, 117, Gali 3, Tehsilpura, Amritsar	20-9-52	140
53.	Shri Ved Parkash, son of Vishan Dass, House No. 24, Hide Market, Sherefpura, Amritsar	1-2-52	156
54.	Shri Lal Singh, son of Hardit Singh, House No. 1891/14, Sharifpura, Amritsar	11-12-48	164
55.	Shri Jai Ram, son of Basant Ram, Village Bulawal, Post Office Dhelar, Tehsil Una, Hoshiarpur	11-3-49	164
56.	Shri Pira Singh, son of Kapur Singh Gill, Village and Post Office Dhotian, Amritsar, Tarn Taran	14-8-53	124
57.	Shri Khajan Singh, son of Mehar Singh, House No. 112, Nhatwa Wala Gate, Amritsar	1-4-49	164
58.	Shri Tirlok Singh, son of Santa Singh, Village and Post Office Sultanwind, Amritsar	18-3-49	164
59.	Shri Ganga Singh, son of Asa Singh, Tehsilpura, Amritsar	18-3-49	156

[Minister for Revenue]

	Name of Driver with address	Date of appointment	Pay
			Rs
	DRIVERS PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR—CONTD		
60.	Shri Khushi Ram, son of Sur Singh, T. Teja Tehsil Batala, Gurdaspur	11-12-48	168
61.	Shri Dial Singh, son of Beli Singh, Village Naushehra, Village and Post Office Harina, Tehsil and District ..	17-4-50	152
62.	Shri Kartar Singh, son of Sunder Singh, Takhtu Chack, Post Office and Tehsil Tarn Taran, Amritsar	7-4-52	152
63.	Shri Daulat Ram, son of Bhongu Ram, Village and Post Office Dutpur, District Kangra	18-5-49	164
64.	Shri Kuldip Singh, son of Balwant Singh, Village Talwana, Tehsil Kaithal, Karnal	19-5-49	164
65.	Shri Satpal Singh, son of Rachhpal Singh, House No. 156, Mohalla Leau Bagh, Jullundur City	18-5-48	168
66.	Shri Buta Singh, son of Sapuran Singh, Burj-Ra-ke Tehsil Tarn Taran, Amritsar	24-5-49	164
67.	Shri Sham Lal son of Polo Ram, Chauntra Village, and Post Office Ukhali, Tehsil Hoshier, Kangra	26-5-49	164
68.	Shri Nant Ram, son of Raghu Nath Malkot Ram Saradass, Inside Sultanwind Gate, Amritsar	27-5-49	164
69.	Shri Kirpal Singh, son of Kishan Singh, Village Ratwal Rohi, Post Office Talwandi Bhai, Tehsil Zira, Ferozepur	1-11-52	136
70.	Shri Des Raj, son of Jagan Nath, House No. 260, Mohalla Harnam Dasspura, Jullundur	5-6-49	181
71.	Shri Harcharan Singh, son of Kehar Singh, Village Vingwan, Post Office Phular, Gurdaspur	27-5-49	164
72.	Shri Harbans Singh, son of Natha Singh, Village Bham, Hoshiarpur	27-5-49	164
73.	Shri Gurmej Singh, son of Sohan Singh, Mohalla Guruke Khuh, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	20-4-50	168
74.	Shri Bur Singh, son of Natha Singh, Village and Post Office Kotla, Gujran, Amritsar	27-5-49	168
75.	Shri Nirmal Singh, son of Surain Singh, village Juhal Raju, Singh Wala, Post Office and Tehsil Tarn Taran, Amritsar	14-5-49	164
76.	Shri Dina Nath, son of Pohlu Ram, Village Mehlor, Post Office Droh, Police Station Palampur, Kangra	19-5-48	168
77.	Shri Kishore Chand, son of Sant Ram, House No. 560/312, Haripura, Amritsar	1-4-50	160
78.	Shri Kartar Singh, son of Karam Singh, Village Jahngir, Amritsar	1-4-50	160

	Name of Driver with address	Date of appointment	Pay
			Rs
	DRIVERS PUNJAB ROADWAYS AMRITSAR—CONTD		
79.	Shri Darshan Singh, son of Kishen Singh, Salempur, Gurdaspur	1-4-50	160
80.	Shri Kashmira Singh, son of Tara Singh, Village and Post Office Bhagwan, Tehsil and District Amritsar	1-4-50	160
81.	Shri Dalip Singh, son of Sohan Singh, Mori Gate, Jandiala Guru, Amritsar	1-4-50	160
82.	Shri Amer Singh, son of Chanda Singh, Mushin Gang, Amritsar	1-4-50	160
83.	Shri Piara Singh, son of Bishan , Village Chola Misri, Post Office Pret Nagar, Thana Ajnala, Amritsar	1-4-50	168
84.	Shri Balbir Singh, son of Makhan Singh, House No. 3072/1, Kucha Dubarian, Amritsar	20-4-50	160
85.	Shri Darshan Singh, son of Sunder Singh, House No. 252/13, Sharifpura, Amritsar	14-4-50	160
86.	Shri Sardari Lal, son of Hans Raj, Thati Khara, Amritsar	1-4-50	160
87.	Shri Sewa Singh, son of Khan Singh, Sharifpura, Amritsar	..	152
88.	Shri Gulab Singh, son of Wasakha Singh, House No. 2954/7, Bazar Kumarian, Inside Gurwali Gate, Amritsar	1-4-50	160
89.	Shri Kehar Singh, son of Budh Singh, Village and Post Office Jandiala, Amritsar	1-4-50	160
90.	Shri Gian Singh, son of Chumba Singh, Village and Post Office Baba Bakala, Amritsar	10-10-52	152
91.	Shri Inderjit Singh, son of Diwan Singh, House No. 180/1, Ali Mohalla, Jullundur City	1-7-51	156
92.	Shri Ujagar Singh, son of Pal Singh, Village Jangni Khas, Post Office Fatehgarh Churian, Gurdaspur	25-2-49	164
93.	Shri Natha Singh, son of Gurdit Singh, Village and Post Office Tarn Taran, Amritsar	24-7-50	160
94.	Shri Charan Singh, son of Harnem Singh, Aldinapur, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	24-7-50	160
95.	Shri Sewa Singh, son of Sumand Singh, House No. 159/13, Gali No. 6, Nawa Kot, Amritsar	24-7-50	160
96.	Shri Raghubir Singh, son of Gopal Singh, House No. 543, Rani Bazar, Shrifpura, Amritsar	24-7-50	156
97.	Shri Ajaib Singh, son of Bodha Singh, Village and Post Office Jandiala Guru, Amritsar	24-7-50	160

[Minister for Revenue]

Name of Driver with address	Date of appointment	Pay
		Rs
DRIVERS PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR—CONTD		
98. Shri Dalip Singh, Jagjit Singh, Galwali Gate, Gujarpura, Amritsar	24-7-50	160
99. Shri Para Lal, son of Pola Ram, Gulwali Gate, Sanatan Dharam High School, Amritsar	1-5-51	156
100. Shri Tara Chand, son of Moda , Village Gsobala, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-10-51	156
101. Shri Jagat Singh, son of Sunder Singh, Village Gulwali, Amritsar	24-7-50	152
102. Shri Mejar Singh, son of Narain Singh, Village Karahiwala, Post Office Jallabad, Ferozepur	30-12-53	140
103. Shri Narinder Singh, son of Kartar Singh, Village and Post Office Chalan, District Amritsar	27-8-53	110
104. Shri Nazer Singh, son of Kishan Singh, Village Manan, Post Office Amma Kalan, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	15-8-50	132
105. Shri Inder Singh, son of Lachhman Singh, Village Kathania, Post Office Chherata, Amritsar	15-8-50	168
106. Shri Cheman Lal, son of Sadhu Ram, House No. 2448/9, Gali Munchianwali , Katra Karam, Amritsar	15-8-50	160
107. Shri Basant Singh, son of Hardas Singh, Village and Post Office and Police Station Hoshiarpur, Kangra	26-8-50	160
108. Shri Harbans Lal, son of Amar Chand, Village Kadhiana, District Hoshiarpur	20-8-50	160
109. Shri Surjan Singh, son of Mehar Singh, Village and Post Office Marana, Tehsil Patti, Amritsar	20-8-50	160
110. Shri Darshan Singh, son of Madan Singh Beri, Sodhian, Post Office Tanda Tehsil, Purian, District Hoshiarpur	20-8-50	168
111. Shri Jaga Masih, son of Ala Ditta Village Reban wala Amritsar	4-6-51	156
112. Shri Naranjan Singh, son of Mola Singh, Tarn Taran, Amritsar	20-8-50	160
113. Shri Chanan Singh, son of Bhagat Singh, Sallan Mohal, Tehsil Ajnala, Amritsar	20-8-50	160
114. Shri Sham Lal, son of Chuni Lal, House No. Mohalla, Sher Ganj, Kapurthala		
115. Shri Naranjan Singh, son of Khem Singh, Village Joha Raju Singh Wala, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	10-9-50	160
116. Shri Puran Singh, son of Kartar Singh, Chowk Baba Singh,	10-9-50	160

Name of driver with address	Date of appointment	Pay
		Rs
DRIVERS PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR—CONTD		
117. Shri Amer Singh, son of Dial Singh, Village Jandoke Sarhali, Post Office Jandoke, Tarn Taran, Amritsar	14-10-54	136
118. Shri Dharam Singh, son of Lal Singh, Ardinpur Post Office Tarn Taran, Amritsar	10-3-50	160
119. Shri Naranjan Singh, son of Rura Singh, Village Rampura, Post Office Cheda Kalan , Amritsar		
120. Shri Maya Dhari, son of Sant Ram, House No. 3823/9, Gurwali Kucha Alim Gir, Lohari Gate, Amritsar	19-9-52	152
121. Shri Krishan Lal, son of Ram Chand, C/o Shri Ram Village Antal, Post Office Lexer, District Seharanpur	10-9-50	160
122. Shri Gurbux Singh, son of Surjan Singh, Post Office Saran, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	10-9-50	160
123. Shri Naranjan Singh, son of Mangal Singh, House No. 101/5, Nurdi Road, Tarn Taran, Amritsar	10-9-50	160
124. Shri Udham Singh (service-book is not available Post present	1-7-54	132
125. Shri Gurbux Singh son of Mehal Singh village Sohian Kalan Post Office Sanne, Dist. Amritsar	10-9-50	160
126. Shri Gurdit Singh, son of Budh Singh, Village Taragarh Post Office Jandiala Guru, Amritsar	10-9-50	160
127. Shri Kishori Lal, son of Ramji Dass, House No. 2765, Sirpnel Nendem Bazar, Amrits r	1-6-51	152
128. Shri Mohan Singh, son of Ch. Tara Singh, Village and Post Office Jethowal, Tehsil and District Amritsar	10-9-50	160
129. Shri Gian Singh, son of Barham Singh, House No. 249, Bhagwali Gali, Jullundur	22-1-51	156
130. Shri Gurdit Singh, son of Surain Singh Jarsh, Post Office Bhagia, Tehsil Ajnala, Amritsar	10-9-50	168
131. Shri Makhan Singh, son of Bishan Singh, Village Ardinpur, Post Office Tarn Taran, Amritsar	18-6-53	140
132. Shri Devi Dass, son of Ram Chand, House No. 250/3, E. J. Chahar Bagh, Jullundur City	10-9-50	156
133. Shri Niranjan Singh, son of Surjan Singh, Village Thatian, Post Office Sirhali, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	3-10-50	160
134. Shri Bhagat Singh, son of Sardar Singh, House No. 1150/10, Lahori Gate, Amritsar	11-2-51	156
135. Shri Teja Singh, son of Santa Singh, Village and Post Office Sahli Ara , Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-11-50	160

[Minister for Revenue]

Name of driver with address	Date of appointment	Pay
		Rs
DRIVERS, PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR—CONTD		
136. Shri Amrik Singh, son of Ram Singh, House No. 40 13, Hasainpura, Amritsar	20-10-50	160
137. Shri Harnam Singh, son of Bhup Singh, Village Naushehra, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-11-50	160
138. Shri Kartar Singh, son of Uttam Singh, Village and Post Office Chaba, Amritsar	1-11-50	168
139. Shri Kundan Singh, son of Harnam Singh, House No. 225, Street 7, Nawankot, Amritsar	1-11-50	160
140. Shri Puran Singh, son of Bhagat Singh, Tehsilpura, House No. 231, Gali No. 1, Amritsar	1-11-51	168
141. Shri Shangara Singh, son of Bur Singh, Village and Post Office Saron, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-11-50	160
142. Shri Hazara Singh, son of Rur Singh, Village and Post Office Gagomahal, Tehsil Ajnala, Amritsar	1-11-50	160
143. Shri Inderjit Singh, son of Hazara Singh, House No. 3038 7, Gulwali Gate, Amritsar	1-11-50	156
144. Shri Chanan Singh, son of Lachhman Singh, Village Kandowali, Post Office Chtanpura, Amritsar	1-11-50	160
145. Shri Makhan Singh, son of Ganga Singh, Village Boharwala, Post Office Mohan Bhandari, Tehsil Ajnala, Amritsar	1-11-50	156
146. Shri Diwan Chand, son of Maghi Ram, House No. 2852/9, Katra Hakimanwala, Amritsar	1-11-50	160
147. Shri Rattan Singh, son of Gopal Singh, Village Aban, Kalan, Post Office and Tehsil Amritsar	1-11-50	160
148. Shri Partap Singh, son of Nathu Ram, Nawan Kot, Main Bazar, Amritsar	1-11-50	160
149. Shri Shamsher Singh, son of Mohesha Singh, House No. 190/8, Katra Karam Singh, Amritsar	1-11-50	160
150. Shri Fauja Singh, son of Bhagat Singh, Village and Post Office Chaba, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-11-50	160
151. Shri Balwant Singh, son of Waryam Singh, Village and Post Office Panjwar, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-11-50	168
152. Shri Kirpa Singh, son of Asa Singh, Village and Post Office Dhand, Tehsil Tarn Taran, Amritsar ..	16-5-51	156
153 Shri Dalip Singh, son of Ala Singh, Chhapianwali, Post Office Batala, District Gurdaspur	1-11-50	156
154. Shri Ujagar Singh, son of Ganda Singh, Village and Post Office Mohalla Simble, House No. 299, Chimbain Wali, Gurdaspur	1-11-50	168
155. Shri Surjan Singh, son of Tara Singh, Village Bhagwan, Post Office Jandiala, District Amritsar	1-11-50	160

Name of Driver with address	Date of appointment	Pay
		Rs
DRIVERS, PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR—CONTD		
156. Shri Sohan Singh, son of Natha Singh, Village and Post Office Udho Nangal, Tehsil and District Amritsar	11-12-50	156
157. Shri Charan Singh, son of Narain Dass, House No. 13, Lahori, Gate Amritsar	13-8-51	156
158. Shri Sardar Singh, son of Amar Singh, House No. 3791, Gali No. 1, Kot Baba Dip Singh, Amritsar	11-12-50	168
159. Shri Sohan Singh, son of Labh Singh, Village Jalar Teja, Singhwala, Amritsar	11-12-50	160
160. Shri Gurdip Singh, son of Balwant Singh, Village Malikpure Post Office Vidala Johal, Amritsar	20-9-52	168
161. Shri Lal Singh, son of Rup Singh, House No. 1188/5, Gali Zolian, Lohgarh Gate, Amritsar	11-12-50	160
162. Shri Pritam Singh, son of Vir Singh, Village and Post Office Majitha, District Amritsar	11-12-50	160
163. Shri Bakhshish Singh, son of Madho Ram, Village Januali, Post Office Jandoli, Hoshiarpur	11-12-50	160
164. Shri Sher Singh son of Munshi Ram, Village Kot Mohd Khan, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar	11-12-50	160
165. Shri Chanan Singh, son of Santa Singh, Village and Post Office Gagomahal, Tehsil Ajnala, Amritsar	14-7-55	132
166. Shri Surat Singh, son of Jiwan Singh, Village Loke, Post Office Kairon, Tehsil Patti, Amritsar	25-6-52	152
167. Shri Bishamber Dass, son of Amin Chand, Village and Post Office Malnawala, Tehsil and District Amritsar	11-12-50	160
168. Shri Surjit Singh, son of Harnam Singh, Village Harsha Chhina, Tehsil Ajnal, District Amritsar	11-12-50	168
169. Shri Gurdit Singh, son of Santa Singh, Village and Post Office Mananwali, Amritsar	1-12-49	156
170. Shri Lal Chand, son of Daulat Ram Sali, Silianwali, Tehsil Ajnala, Amritsar	15-5-51	168
171. Shri Ajaib Singh, son of Jiwan Singh, Bahian Post Office Werige Sube Singhwala, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	15-5-51	156
172. Shri Kartar Singh, son of Waryam Singh, Prant Sultanwind, District Amritsar	15-5-51	156
173. Shri Mohinder Singh, son of Lachhman Singh, House No. 1950, Habibpura, Sultanwind, Amritsar	15-5-51	156
174. Shri Pritam Singh, son of Kehar Singh, Village Barkigillan, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-10-51	156
175. Shri Paul Singh, son of Teja Singh, Village Gagomahal, Tehsil Ajnala, Amritsar	28-8-52	152
176. Shri Karam Singh, son of Labh Singh, Village Munda Pind, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	1-2-52	156
177. Shri Kirpal Singh, son of Jagat Singh, Village Rahal Chahal, District Amritsar	1-2-56	124

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Conductor (Amritsar) with address	Date of appointment Government Transport Service	Salary		
			Pay	D. A.	T. A.
			Rs	Rs	Rs
1	Shri Ram Murti, Sultanpur Lodhi, Kapurthala ..	12-2-50	74	40	40
2	Shri Vash Dev, House No. 381, Model Town, Panipat ..	1-7-54	59	40	..
3	Shri Manohar Lal, House No. 2516/A, Katra Karam Singh, Amritsar ..	15-4-59	77	40	..
4	Shri Sawaran Singh, Village Chabhal, District Amritsar ..	12-2-52	71	40	..
5	Shri Kewal Dass, Village and Post Office Attari, District Amritsar ..	1-6-55	53	40	..
6	Shri Kewal Krishan, Village and Post Office Lallu Phuman, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar	22-11-51	71	40	..
7	Shri Mohinder Singh, Village and Post Office Sabajpur, Tehsil Patti ..	1-12-50	74	40	..
8	Shri Pritam Singh, Village Dera Baba Maharaj Singh, Katra Ram Garhia, Amritsar ..	13-8-51	71	40	..
9	Shri Pritam Singh, House No. 910, Shareefpura, District Amritsar ..	18-1-49	77	40	..
10	Shri Prem Parkash, Tarn Taran, District Amritsar ..	27-7-56	56	40	..
11	Shri Om Parkash Bhatia, son of Gian Chand Bhatia, opposite Partap Talkies, Tarn Taran	23-8-50	74	40	..
12	Shri Sawaran Singh, Village Tasrur, Tehsil Ajnala, District Amritsar ..	1-11-50	68	40	..
13	Shri Kharati Lal, House No. 1414/7, Galwali Gate, Amritsar ..	1-10-49	74	40	..
14	Shri Dev Raj, Chowk Baba Sahib, House No. 2452/5, Kucha Karam Chand, Amritsar ..	15-2-51	74	40	..

15	Shri Kuldip Singh, House No. 2615/56/9, Nali Chowk Jai Singh, Amritsar ..	25-1-49	77	40	..
16	Shri Inderjit Singh, Thudian Wala, Amritsar ..	11-12 48	77	40	..
17	Shri Khushi Ram, Village Karmo Wala, Tehsil Tarn Taran , District Amritsar ..	22-2-50	77	40	..
18	Shri Tilak Raj, House No. 3900/1, Kher Dina Ram, Amritsar ..	24-1-49	77	40	..
19	Shri Krishan Chand, Village Majitha, District Amritsar ..	9-4-49	77	40	..
20	Shri Surjan Singh, House No. 3773, Kot Baba Deep Singh, Amritsar ..	26-5-49	77	40	..
21	Shri Anup Singh, House No. 4162/Gali No. 5, Kot Baba Deep Singh, Amritsar ..	19-7-56	62	40	..
22	Shri Krishan Singh, House No. 5052,Model Town, Jullundur ..	24-12-48	77	40	..
23	Shri Kharati Lal, House No. 278/13, Shareefpura, Amritsar ..	7-4-49	77	40	..
24	Shri Gurjit Singh, son of Harnam Singh, House No. 2654/7, Chowk Jai Singh, Inside Gul-wali Gate, Amritsar	1-6-52	62	40	..
25	Shri Om Parkash, Village Darikotah, Tehsil Hamirpur, District Kangra ..	23-1-50	77	40	..
26	Shri Naranjan Singh, Post Office Khera, District Amritsar ..	17-7-52	68	40	..
27	Shri Hamir Chand, House No. 2302/1, Havaili Makhan Chand, Katra Jaimal Singh, Amrit-sar	16-12-57	53	40	..
28	Shri Jagjit Singh, Village Mahal , District Amritsar ..	12-8-56	56	40	..
29	Shri Karnail Singh, Village Bundala, District Amritsar ..	27-12-48	77	40	..
30	Shri Jagan Nath, Prem Niwas, Gurdaspur ..	1-4-50	74	40	..
31	Shri Kehar Singh, Village and Post Office Chatti, District Jullundur ..	11-12-48	77	40	..
32	Shri Bharat Bushan, House No. 82, Hasainpura, Amritsar ..	15-8-52	68	40	..
33	Shri Satya Pal, Village and Post Office Chamara, District Hoshiarpur ..	11-2-51	74	40	..
34	Shri Mata Parshad, Village and Post Office Horipura, Kangra ..	11-12-48	77	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Conductor (Amritsar) with address	Date of appointment, to Government Transport Service	SALARY Pay	D.A.	T. A.
			Rs	Rs	Rs
35	Shri Pana Lal, House No. 2672/3-29, Bhushanpura, Amritsar ..	5-10-55	59	40	..
36	Shri Bakhshish Ram, Village Daburji, Post Office Dina Nagar, District Gurdaspur ..	1-11-50	74	40	..
37	Shri Kunan Lal, Village and Post Office Auawarpura, District Jullundur ..	25-1-49	77	40	..
38	Shri Joginder Singh, Roadways Colony, Islamabad, Amritsar ..	1-8-50	71	40	..
39	Shri Gian Singh Majitha, House No. 223/4, Amritsar ..	1-2-52	71	40	..
40	Shri Guran Dewaya, House No. 1103/14-19, Gali No. 2, Putligarh, Amritsar ..	8-6-49	77	40	..
41	Shri Madan Lal, House No. 2298/X-12, Katra Sher Singh, Amritsar ..	18-5-49	77	50	..
42	Shri Harcharan Singh, Kot Baba Deep Singh, Amritsar ..	1-5-50	74	40	..
43	Shri Tirath Ram, House No. 1723/7, Gaulwali Gate, Amritsar ..	5-2-49	77	40	..
44	Shri Kundan Singh, Village and Post Office Sarhali, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar	1-10-50	71	40	..
45	Shri Pawitter Singh, House No. 35, Tehsilpura, Amritsar ..	5-6-51	71	40	..
46	Shri Harpal Singh, Village and Post Office Kasel, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar ..	1-2-52	71	40	..
47	Shri Jagir Singh, Village and Post Office Kairon, Amritsar ..	1-4-52	77	40	..
48	Shri Muni Lal, Shareepura, Amritsar ..	23-2-49	80	40	..
49	Shri Ved Parkash, House No. 1960/0-A, Gali Roaranwali, Katra Karam Singh, Amritsar ..	1-6-51	53	40	..

50	Shri Gulzar Singh, 2388/9, Katra Karam Singh, Amritsar	..	1-9-51	71	40	..
51	Shri Baldev Singh, Village Thev Tei Dera, Gopi Pira, Kangra	..	1-11-58	71	40	..
52	Shri Darshan Singh, Village Thati, Post Office Valtoha, District Amritsar	..	14-2-52	71	40	..
53	Shri Surjit Singh, c/o Mohan Lal, Sraph Sona Manda, Patiala	..	1-8-52	68	40	..
54	Shri Jagdish Chander, 70/13, Hasainpur, Amritsar	..	26-8-49	77	40	..
55	Shri Jagdish Chander, Quarter No. 14, Agra Cantt.	..	25-10-49	74	40	..
56	Shri Sital Singh, Village Malikpura, Jandiala, Amritsar	..	1-8-51	71	40	..
57	Shri Prithipai Singh, 910/Shareefpura, Amritsar	..	25-8-48	80	40	..
58	Shri Didar Singh, Village and Post Office Tarn Taran, District Amritsar	..	19-7-56	56	40	..
59	Shri Anup Chand, 333, Dhobia Khana, District Ludhiana	..	11-12-50	74	40	..
60	Shri Jagdish Parkash, 454, Gali Gopal Das, Katra Khatikan, Amritsar	..	2-3-49	77	40	..
61	Shri Salig Ram, Village Ramdas, District Amritsar	..	1-8-52	65	40	..
62	Shri Radha Mohan, House No. 147/12, Katra Parja, Hathi Gate, Amritsar	..	19-4-49	77	40	..
63	Shri Mohinder Paul, Village and Post Office Habri, District Karnal	..	1-1-49	71	40	..
64	Shri Jugal Kishore, House No. 46/11, Chorasti Attari, Amritsar	..	1-7-49	77	40	..
65	Shri Modan Lal, 134, Chobar Bagh, Jullundur	..	1-12-48	80	40	..
66	Shri Gurdip Singh, Village Malia, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	..	19-7-55	59	40	..
67	Shri Didar Singh, Village and Post Office Panjwarh, Tehsil Tarn Taran, Amritsar	..	1-5-52	68	40	..
68	Shri Darshan Singh, 331/7, Katra Gubha Singh, Amritsar	..	27-8-49	74	40	..
69	Shri Brij Lal , Bazar Kucha Lala Tulsi Ram, Ferozepur	..	1-9-53	62	40	..
70	Shri Tilak Raj, Gali Darjian Wali, Majitha, Amritsar	..	1-8-58	71	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Conductor (Amritsar) with address	Date of appointment to Government Transport Service	SALARY Pay	D. A.	T. A.
			Rs	Rs	Rs
71	Shri Krishan Kumar, House No. 2421/6, Dalali Mandi, Amritsar ..	26-8-49	77	40	..
72	Shri Ganesh Dass, 5070, Isher Singh Building, Amritsar ..	27-5-49	65	40	..
73	Shri Surjit Singh, Village and Post Office Jandiala, Amritsar ..	30-8-50	74	40	..
74	Shri Mohan Lal, 72, Pacca Bag, Jullundur ..	1-2-50	74	40	..
75	Shri Taswir Singh, Village and Post Office Majitha, Amritsar ..	1-6-49	77	40	..
76	Shri Beant Singh, Village Bhom, Amritsar ..	6-6-50	74	40	..
77	Shri Harbans Lal, Katra Sher Singh, Amritsar ..	16-3-56	56	40	..
78	Shri Gulzari Lal, Kishan Wali, Post Office Dhilwan, District Kapurthala ..	1-5-52	59	40	..
79	Shri Inderjit Singh, 2146/2, Katra Mahan Singh, Amritsar ..	7-4-52	68	40	..
80	*Vacant* ..	..	..	..	..
81	Shri Harbans Lal, 430, Sultanwind Gate, Amritsar ..	1-4-50	74	40	..
82	Shri Ram Lal-A, Village and Post Office Vairka, District Amritsar ..	1-6-55	59	40	..
83	Shri Kartar Singh, 1127/9, Gali Hakima Wali, Amritsar ..	1-4-50	74	40	..
84	Shri Harbhajan Singh, House No. 60-61/5, Jandiala Guru, Amritsar ..	13-8-52	68	40	..
85	*Vacant* ..	..	..	..	..
86	Shri Bachan Singh, Village Johal Raja Singh Wala, District Amritsar ..	1-6-56	56	40	..

87	Shri Gurnam Singh, Village Tharu, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar	..	1-7-54	62	40	..
88	Shri Balbir Singh, House No. 510/4, Chowk Baba Deep Singh, Amritsar	..	25-11-55	56	40	..
89	Shri Mukhtar Singh, Village Bandala, Amritsar	..	1-9-50	74	40	..
90	Shri Baldev Raj , Mahala Dharam Pura, Near Hera Mandi, Ferozepur	..	14-3-57	59	40	..
91	Shri Rashbir Singh, Village Panjwar, District Amritsar	..	1-4-50	74	40	..
92	Shri Sushil Kumar, House No. 114/Hasainpura, Amritsar	..	24-7-50	74	40	..
93	Shri Harbhajan Singh, Village Man, Post Office Kathunangal, Amritsar	..	14-7-50	74	40	..
94	Shri Sagli Ram, Kangra, Post Office Haroli, District Hoshiarpur	..	24-7-50	74	40	..
95	Shri Hariparkash, Village and Post Office Basi, District Hoshiarpur	..	24-7-50	74	40	..
96	Shri Kartar Singh, Mohi Park, Opposite Khalsa College, Amritsar	..	24-7-50	71	40	..
97	*Vacant*	..	..	..	..	..
98	Shri Hardial Singh, Nurdi Basar, Tarn Taran, Amritsar	..	13-8-52	68	40	..
99	Shri Mukhtar Singh, Village Sohian, Post Office Majitha, Amritsar	..	15-1-55	59	40	..
100	Shri Chaman Lal, 1500/10, Lahori Gate, Amritsar	..	9-7-52	65	40	
101	Shri Inderjit Singh, 910/10-13, Shareefpura, Amritsar	..	24-7-51	74	40	..
102	Shri Manmohan Singh, 419/13, Kot Atma Singh, Amritsar	..	1-6-51	71	40	..
103	Shri Ram Paul , Tarn Taran, District Amritsar	..	18-8-51	71	40	..
104	Shri Sardara Singh, Street Lahorian, Tarn Taran, Amritsar	..	15-8-50	71	40	..
105	Shri Narain Das, House No. 61, Shareefpura, Amritsar	..	14-7-56	56	40	..
106	Shri Gurcharan Singh, Kot Baba Deep Singh, Amritsar	..	15-8-50	74	40	..
107	Shri Sardara Singh, 3023/7, Chowk Gulwali Gate, Amritsar	..	27-11-55	56	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Conductor (Amritsar) with address	Date of appointment to Government Transport Service	SALARY		
			Pay	D. A.	T. A.
			Rs	Rs	Rs
108	Shri Jagdish Mittar, c/o Dev Dutt-Hari Datt, Cloth Merchant, Putligarh, Amritsar ..	20-8-50	74	40	..
109	Shri Harbans Singh, 742, New Kot, Amritsar ..	5-11-51	65	40	..
110	Shri Mohan Lal Mehta, Village Chukar Wala, Post Office Basi Kalan, District Hoshiarpur	20-8-50	74	40	..
111	Shri Darshan Singh, House No. 2, Sultanwind Gate, Kot Baba Deep Singh, Amritsar ..	20-8-50	74	40	..
112	Shri Mohan Singh, 668/1, Haripura, Amritsar ..	20-8-50	74	40	..
113	*Vacant* ..	..	..	..	..
114	Shri Balbir Singh, Village Burj Raike, Post Office Sarhali, District Amritsar ..	6-6-51	71	40	..
115	Shri Mehal Singh, 821/13/23, New Kot, Gali No. 22, Amritsar ..	7-9-50	74	40	..
116	Shri Harbhajan Singh, Chowk Hakimawala, 4871/9, Amritsar ..	10-9-50	74	40	..
117	Shri Yesh Pal, House No. 226, Street No. 8, Hasainpura, Amritsar ..	1-11-57	53	40	..
118	Shri Jagjit Singh, Rajasansi, District Amritsar ..	10-9-50	74	40	..
119	Shri Nirmal Singh, Village Sarhali, District Amritsar ..	13-8-51	68	40	..
120	Shri Tarlok Chand, Village Gopal Pur, Post Office Majitha, Amritsar ..	10-9-50	74	40	..
121	Shri Sardara Singh, Village Massassian, District Jullundur ..	10-9-50	68	40	..
122	Shri Pritam Singh, Village and Post Office Mohatpura, District Jullundur ..	10-9-50	74	40	..
123	Shri Ram Krishan, 3, Rama Nand Bagh, Amritsar ..	10-9-50	74	40	..

124	Shri Inder Sain, c/o L. Gian Chand, House No. 2731/12, Katra Sher Singh, Amritsar	..	10-9-50	74	40	..
125	Shri Oma Datt, Village and Post Office Bhadd, District Kapurthala	..	10-9-50	74	40	..
126	Shri Iqbal Singh, Village Tungh, District Amritsar	..	19-10-51	71	40	..
127	Shri Parduman Singh, Village Panjwarh, District Amritsar	..	1-11-57	59	40	..
128	Shri Janak Raj, Bazat Pasian, House No. 45, Amritsar	..	24-5-49	74	40	..
129	Shri Ghasita Mal, Village Patti, District Amritsar	..	10-8-56	59	40	
130	Shri Gaghubir Singh, Roran Wala, Post Office Attari, Amritsar	..	11-7-56	56	40	..
131	Shri Jagdish Chander, 14, A. B., Mall, Amritsar	..	18-9-50	68	40	..
132	Shri Harbans Singh Sandhu, Village and Post Office Bhandian, Tehsil Seroa, District Hissar		11-9-47	84	40	..
133	Shri Kishan Lal, c/o Mohan Lal, Dera Baba Nanak	..	4-10-50	74	40	..
134	Shri Amar Nath, Hasainpura, Gali No. 3-H/112, Amritsar	..	4-10-50	74	40	..
135	Shri Narinder Singh, Kot Baba Deep Singh, Bazar 7, Amritsar	..	1-11-50	71	40	..
136	*Vacant*	..	..	..	..	..
137	Shri Dev Raj, c/o Mohan Hazari, Bazar Sarafan, Ludhiana	..	1-11-50	74	40	..
138	Shri Chatranjan Lal, Mahalla Bawa, Kapurthala	..	15-1-52	65	40	..
139	Shri Raj Kishan , 1225/10, Kucha Shekhan, Katra Sant Singh, Amritsar	..	1-11-50	68	40	..
140	Shri Jagdish Chander, 556, Kucha Shekh, Ludhiana	..	8-4-52	71	40	..
141	Shri Kulbir Singh, Village and Post Office Brera, Police Station Mulana, District Amritsar		1-11-50	71	40	..
142	Shri Jiwan Singh, Ludhiana	..	1-11-50	71	40	..
143	Shri Madan Lal, House No. 3212/28, Street No. 3, Bagh Rama Nand, Amritsar	..	1-3-52	68	40	..
144	Shri Gurdas Mal, Village Chanjoti, Post Office Rajasansi, Amritsar	..	1-11-50	74	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Conductor (Amritsar) with address	Date of appointment to Government Transport Service	SALARY Pay	D. A.	T. A.
			Rs	Rs	Rs
145	Shri Harbans Singh, House No. 40/13, Hasainpura Amritsar ..	1-11-50	74	40	..
146	Shri Tarlok Chand, Village and Post Office Sujaha, Tehsil Pathankot, Gurdaspur ..	1-7-51	71	40	..
147	Shri Dharam Murti, c/o Prem Singh, Katra Jemal Singh, Amritsar ..	19-7-56	56	40	..
148	Shri Jagjit Singh, Village Zira, District Ferozepur ..	1-6-55	59	40	..
149	Shri Mulakh Raj, Guru Har Shai, Ferozepur ..	18-1-55	59	40	..
150	*Vacant* ..	..	..	..	..
151	Shri Mohar Singh, Village Lakhoke Padda, District Kapurthala ..	12-6-52	68	40	..
152	Shri Madan Lal , House No. 78, Ward No. 5, Tarn Taran, Amritsar ..	1-11-50	74	40	..
153	Shri Gurcharan Dass, House No. 2738/3, Rama Nand Bagh, Amritsar ..	1-11-50	74	40	..
154	Shri Balwant Singh, House No. 277/11, Chorasti Attari , Amritsar ..	1-11-50	74	40	..
155	Shri Parshotam Dass, House No. 798, Vairka, Amritsar ..	1-11-50	71	40	..
156	Shri Surinder Singh, Village and Post Office Chabha, Amritsar ..	11-12-50	74	40	..
157	Shri Gurdip Singh, 134-EN Colony, Chowk Sher, Jullundur City ..	26-12-54	59	40	..
158	Shri Sham Sunder, Hathi Gate, Amritsar ..	11-12-50	71	40	..
159	Shri Sarup Singh, Village Buhkha, Tehsil Ajnala, District Amritsar ..	11-12-50	74	40	..

160	Shri Rattan Lal, 200/8, Katra Karam Singh, Amritsar ..	11-12-50	74	40	..
161	Shri Nirmal Singh, 2713/7, Chowk Chururian Gate, Gulwali, Amritsar ..	26-5-50	68	40	..
162	Shri Goverdan Das, 817/7, Chowk Chabutra Katra Gurbax Singh, Amritsar ..	11-12-50	74	40	..
163	Shri Rajinder Paul , Katra Khajana, Abadi Natha Khan, House No. D. B. 865, Amritsar	1-7-54	62	40	..
164	Shri Kishan Chand, Kucha Ganesh Das, Tarn Taran, District Amritsar ..	11-12-50	74	40	..
165	Shri Sudershan Lal, c/o Om Parkash, Basti Shokhan, Mohalla Kot, House No. 61-WZ, Jullundur	11-12-50	71	40	..
166	Shri Prabh Singh, 2372.74/7, Kucha Sodhian, Chowk Moni, Amritsar ..	11-12-50	74	40	..
167	Shri Satpal Singh, 485/490, Haripura, Amritsar ..	11-12-50	74	40	..
168	Shri Gulshan Raj Singh, 5026, Sultanwind Gate, Amritsar ..	3-9-52	65	40	..
169	Shri Gurdip Singh, Village Vairka, District Amritsar ..	1-11-50	74	40	..
170	Shri Gurbachan Singh, Village and Post Office Marana, District Amritsar ..	15-5-50	74	40	..
171	Shri Balwant Singh, Post Office and Village Majitha, District Amritsar ..	1-5-51	71	40	..
172	Shri Om Parkash, Railways Quarter LTC 92, Amritsar ..	15-5-51	71	40	..
173	Shri Piara Lal, House No. 1224/9, Chowk Hakim Wala, Amritsar ..	15-5-51	71	40	..
174	Shri Inderjit Singh, 9, Azad Nagar, near Khalsa College, Amritsar ..	1-10-51	71	40	..
175	Shri Dalbagh Singh, Village Bjupa Rai, Tehsil Patti, District Amritsar ..	7-2-55	62	40	..
176	Shri Santokh Singh, 267/5, Street Punjab Singh, Amritsar ..	8-1-56	59	40	..
177	Shri Rabinder Kumar, House No. 2185/10, Chowk Phulan Wala, Amritsar ..	1-6-54	62	40	..
178	Shri Him Kumar, Bagh Rama Nand, Amritsar ..	26-3-54	62	40	..
179	Shri Baldev Singh, 2559/16, Gali Phat Wali, Amritsar ..	1-11-57	53	40	..
180	Shri Shakitter Singh, Village Panjwar, Amritsar ..	1-11-57	56	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Conductor (Amritsar) with address	Date of appointment to Government Transport Service	Pay	D. A.	T. A.
181	Shri Balwant Rai, 2018/8, Bazar Tokrain, Amritsar ..	1-11-57	53	40	..
182	Shri Mohinder Singh, Village Buraj, Post Office Sarhali, Amritsar ..	1-11-57	56	40	..
183	Shri Santokh Singh, Mohalla Ram Nurdi Bazar, Jandiala Guru, Amritsar ..	16-3-55	59	40	..
184	Shri Kasturi Lal, Village and Post Office Mushal, Amritsar ..	1-11-57	53	40	..
185	Shri Buta Ram, House No. 2848, Street No. 2, Kot Baba Deep Singh, Amritsar ..	3-7-57	53	40	..
186	Shri Jatinder Kumar Lohgarh, 3817/11, Amritsar ..	1-11-57	56	40	..
187	Shri Roshan Lal, Village Dial, Tehsil Patti, Amritsar ..	1-1-57	53	40	..
	INSPECTORATE STAFF		Rs	Rs	Rs
1	Shri Dalip Singh, C. I. .. Phagwara Gate, Jullundur ..	1-8-52	142	40	12
2	Shri O. P. Trikha, C .I. .. EE/97, Panjpir, Jullundur ..	7-1-59	136	40	10
3	Shri Iqbal Singh, Inspector .. Gobindgrah, Jullundur ..	11-9-50	120	40	10
4	Shri Om Parkash, Inspector .. Bazar Shiekhan, House No. WA-102, Jullundur ..	4-12-56	95	40	..
5	Shri Satya Paul, Inspector .. EE/94, Bhag Karm Bakash, Panjpir, Jullundur ..	1-6-49	110	40	10
6	Shri Krishan Kumar, Inspector .. 261/EM, Rasta Mohalla, Jullundur ..	13-8-57	85	40	..
7	Shri Kartar Singh, Inspector .. Gobindgarh, Jullundur ..	30-5-49	115	40	10
8	Shri Lekh Raj, Inspector .. WD/111, Ali Mohalla, Jullundur ..	21-8-50	120	40	10
9	Shri Gurdial Singh, Inspector .. Village Khullianwal, District Ludhiana ..	9-4-49	125	40	10

10	Shri Barjinder Singh, Inspector ..	Basti Guzan, Jullundur ..	30-5-49	120	40	10
11	Shri Tarlochan Singh, Inspector ..	EE/289, Panjpir, Jullundur ..	1-5-48	130	40	10
12	Shri Mohan Lal, Inspector ..	192, Bazar Charat Singh, Jullundur ..	12-4-54	100	40	..
13	Shri Sarn Gurdev Singh ..	703, Model Town, Jullundur ..	26-8-52	110	40	10
14	Shri Baljit Singh, Inspector ..	12/JB, 182-A, Sector No. 23-B, Chandigarh ..	22-8-50	120	40	10
15	Shri Kulbushan, Inspector ..	Mai Hiran Gate, Jullundur ..	1-9-50	120	40	10
16	Shri Gian Chand, Inspector ..	HD/381, Adda Tanda, Jullundur ..	5-5-58	85	40	..
17	Shri Raj Mohan, Inspector ..	Gurnanak Nagar, Adda Patel, Jullundur ..	..	100	40	..
18	Shri Padam Kumar, Inspector ..	Bazar Sarafan, Phagwara ..	25-8-52	110	40	10
19	Shri Som Nath, Inspector ..	House No. WG/586, Suraj Ganj, Jullundur ..	12-6-58	80	40	..
		DRIVERS IN THE GRADE OF 80—4—120				
1	Shri Sohan Singh ..	Village and Post Office Mucchal, District Amritsar	25-2-49	116	40	8
2	Shri Sant Ram ..	Pucca Bagh, House No. ER. 173, Jullundur ..	1-10-48	120	40	8
3	Shri Amar Nath ..	390 WG. Mohalla, Suraj.Gang, Jullundur ..	18-5-48	120	40	8
4	Shri Sadhu Singh ..	Village Urmur Tanda, Post Office Sawain, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur	10-10-52	88	40	..
5	Shri Naranjan Singh ..	Village Lidda, Post Office Nasi, District Jullundur ..	1-12-48	120	40	8
6	Shri Hussan Lal ..	Village Chalan, Post Office Uppra, District Jullundur	1-11-50	120	40	8
7	Shri Munshi Ram ..	Village Ghati Rilrass Nau, Tehsil Dera Gopipur ..	18-5-48	120	40	8
8	Shri Harnam Singh ..	279, W. G. Islam Bad, Jullundur ..	24-7-48	120	40	8
9	Shri Naranjan Singh ..	Village Dulla, Post Office Larora, District Jullundur	18-5-48	120	40	8
10	Shri Gurnam Singh ..	171, Basti Baba Khel, Jullundur ..	18-5-49	108	40	8

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Address	Date of appointment	Pay	D. A.	T. A.
		DRIVER IN THE GRADE OF Rs 80—4—120		Rs	Rs	Rs
11	Shri Babu Ram ..	16/22-A, 23-A, Chandigarh ..	4-11-48	120	40	8
12	Shri Hazara Singh ..	Village Tanda, Post Office Mukerian, District Hoshiarpur	18-5-48	120	40	8
13	Shri Gian Chand ..	No. 40, Bhan Building, Kapurthala Road, Jullundur	18-5-48	120	40	8
14	Shri Mangal Singh ..	199, Mohalla Harnam Dass Pura, Jullundur ..	3-6-48	120	40	8
15	Shri Gurcharan Singh ..	Village and Post Office Kilanpur, District Jullundur	18-6-49	116	40	8
16	Shri Waryam Singh ..	Tehsil Pura, House No. 7, Amritsar ..	11-12-48	120	40	8
17	Shri Kirpal Singh ..	Village Tila, Post Office Manini Afgana, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur	16-5-48	120	40	8
18	Shri Amar Nath ..	131, W. G. Islam Ganj, Jullundur ..	18-5-48	120	40	8
19	Shri Manohar Lal ..	NW. 18, Mohalla Karar Khan, Jullundur ..	18-5-48	120	40	8
20	Shri Karam Singh ..	Village and Post Office Patara, Jullundur ..	19-5-48	116	40	8
21	Shri Gurchain Singh ..	Village and Post Office Rusalpur, Tehsil Nawan Sher, District Jullundur	1-2-51	112	40	8
22	Shri Partap Singh ..	Village Palbu, Post Office Kakar, District Kangra	1-3-50	112	40	8
23	Shri Sohan Singh ..	..	21-5-48	116	40	8
24	Shri Amar Nath ..	176 EJ, Char Bagh, Jullundur City ..	1-12-48	116	40	8

25	Shri Banta Singh	.. ..	20-5-48	116	40	8
26	Shri Dharambir Singh	E. Q. 342, Ranik Bazar, Jullundur	18-5-48	120	40	8
27	Shri Hukam Singh	Son of Tara Singh, Sura Nasi, Jullundur	23-7-48	120	40	8
28	Shri Narinder Singh	.. ..	4-4-53	100	40	8
29	Shri Tara Singh	House No. 209, Mkhudampura, Jullundur	3-10-48	120	40	8
30	Shri Darbara Singh	Village and Post Office Haripur, District Jullundur	1-9-48	120	40	8
31	Shri Darshan Singh	Village Balandpur, Post Office Nurpur, District Jullundur	5-3-53	100	40	..
32	Shri Jagmohan Singh	Village and Post Office Purhiran, District Hoshiarpur	17-6-49	112	40	8
33	Shri Ram Parkash	House No. 7/7, Mohalla No. 23, Jullundur Cantt.	24-9-48	120	40	8
34	Shri Munshi Ram	WB. 237, Ali Mohalla, Jullundur	10-12-48	116	40	8
35	Shri Shadi Lal	Village Dkuya, Post Office Jullundur Cantt.	4-11-48	116	40	8
36	Shri Raghbir Singh	Village Amb Pathyar, Post Office Jawala Mukhi, District Kangra	4-11-48	116	40	8
37	Shri Ram Parkash	114, E. D., Dhan Mohalla, Jullundur	1-11-50	112	40	8
38	Shri Gurdip Singh	House No. 242, Mohalla Purani Kachari, Jullundur	5-11-48	116	40	8
39	Shri Gurdial Singh	.. ..	1-12-48	116	40	8
40	Shri Atma Singh	215 W. Q., Basti Shekh, Jullundur	4-11-48	120	40	8
41	Shri Dharam Parkash	35/269, Harnam Dass Pura, Jullundur	5-11-48	120	40	8
42	Shri Mehar Singh	E. B. 70, Kila Mohalla, Jullundur	20-1-49	116	..	..
43	Shri Sansar Singh	Village and Post Office Dorali Khurd, District Jullundur	16-10-53	100	40	8
44	Shri Ram Parshad	House No. W. L., Basti Guazan, Jullundur	11-12-48	120	40	8

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Address	Date of appointment	Pay	D. A.	T. A.
				Rs	Rs	Rs
45	Shri Mohinder Singh ..	W. L. 171, Basti Baba Khel, Jullundur ..	16-4-49	116	40	8
46	Shri Kehar Singh ..	E. S. 650, Village Kohar Kalan, Post Office Shah-kot, District Jullundur	5-4-49	116	40	8
47	Shri Ajaib Singh ..	Village and Post Office Gujjar Wal, Patti, ..	10-5-49	116	40	8
48	Shri Udham Singh ..	Village Bandhu, Post Office Uggi, Tehsil Nakodar, District Jullundur	30-11-49	120	40	8
49	Shri Rabbal Singh ..	Village Chulait, via Ahmolla, District Hoshiarpur..	1-3-50	112	40	8
50	Shri Puran Singh ..	Village and Post Office Maehli, District Jullundur	11-3-49	110	40	8
51	Shri Amar Singh ..	Village and Post Office Khera Majja, District Jul-lundur	1-9-50	120	40	8
52	Shri Kishan Singh ..	Village Mathuwall, District Jullundur ..	10-9-50	104	40	8
53	Shri Santokh Singh ..	Village Bassi Sodian, Post Office Tanda, District Hoshiarpur	12-12-51	104	40	8
54	Shri Jai Ram Dass ..	Post Office Phillour, Chowk Nain, District Jullundur	15-10-50	112	40	8
55	Shri Bhagwan Singh ..	House No. 219-EO, Purana Railway Road, Jullun-dur	2-6-49	116	40	8
56	Shri Devi Chand ..	N. A. 112-A, Nila Mahal, Jullundur City ..	8-5-48	120	40	8

57	Shri Lachhman Singh ..	Village and Post Office Sodana, Via Alawalpur, District Jullundur	1-2-51	120	40	8
58	Shri Karam Singh ..	Village Mangeke, Post Office Kartarpur, District Jullundur	11-12-48	92	40	8
59	Shri Gurdial Singh ..	W. M. 196, Basti Gozan, Jullundur ..	17-6-49	116	40	8
60	Shri Sawarn Dass ..	Village Bangali, Tehsil and District Amritsar ..	7-9-52	104	40	8
61	Shri Durga Dyal ..	275, Lakhshmipura, Jullundur ..	17-6-49	120	40	8
62	Shri Bashi Ram ..	269-N. Harnam Dass Pura, Jullundur ..	1-8-49	120	40	8
63	Shri Sampuran Singh ..	Village and Post Office Dayalgarh, Tehsil Batala, District Gurdaspur	1-8-49	116	40	8
64	Shri Mela Singh ..	Village Butala, Post Office Butala, District Amritsar	15-10-53	100	40	8
65	Shri Rattan Singh ..	513, Bhag Ahluwalia, Basti Guzan, Jullundur ..	12-8-49	120	40	8
66	Shri Jagan Nath ..	97/2, Basti Nau, Jullundur ..	11-12-48	120	40	8
67	Shri Surjit Singh ..	..	24-10-51	112	40	8
68	Shri Hoshiar Singh ..	Village Kotla, Thana Sadar, Jullundur ..	19-12-50	108	40	8
69	Shri Karnail Singh ..	Village and Post Office Dugri, District Ludhiana ..	12-1-50	120	40	8
70	Shri Parkasha Singh ..	Village and Post Office Shankar, District Jullundur	12-1-50	116	40	8
71	Shri Babu Ram ..	NN/304, Mohalla Karar Khan, Jullundur ..	25-1-50	112	40	8
72	Shri Thaman Singh ..	Village Subhana, Post Office Jamsher, District Jullundur	20-2-50	120	40	8
73	Shri Sain Dass ..	EN/58 , Rasta Mohalla, Jullundur City ..	25-1-50	112	40	8
74	Shri Chanan Singh ..	131/R, Model Town, Jullundur ..	25-1-50	116	40	8
75	Shri Bachittar Singh ..	Village and Post Office Bodal, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur	28-1-50	116	40	8

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Address	Date of appointment	SALARY Pay	D. A.	T. A.
				Rs	Rs	Rs
	DRIVERS IN THE GRADE OF Rs 80—4—120—CONTD					
76	Shri Naginder Singh ..	Village Manak Dhari, Post Office Some, District Hoshiarpur	28-1-50	116	40	8
77	Shri Amar Nath ..	House No. 293/EE, Panjpir, Bhag Karam Bakhash, Jullundur	28-1-50	112	40	8
78	Shri Dalip Singh ..	Village and Post Office Harsi Pind, Dasuya (Hoshiarpur)	22-2-50	116	40	8
79	Shri Pritam Singh ..	Village and Post Office Khan Khana, Tehsil Nawanshaher, District Jullundur	22-2-50	112	40	8
80	Shri Darshan Lal ..	House No. 92, Harnamdasspura, Jullundur ..	22-2-50	112	40	8
81	Shri Jagat Singh ..	Village Chappera, Post Office Garhdewala, District Hoshiarpur	11-12-48	120	40	8
82	Shri Fquir Chand ..	129/EB, Mohalla Qazian, Jullundur ..	4-3-50	112	40	8
83	Shri Banarsi Dass ..	351-52-53-NN, Mohalla Karar Khan, Jullundur ..	4-3-50	112	40	8
84	Shri Shambu Nath ..	353-NN, Mohalla Karar Khan, Jullundur ..	4-3-50	112	40	8
85	Shri Khiali Ram ..	Village Palulay Phakora, District Kangra ..	4-3-50	112	40	8
86	Shri Isher Dass ..	Village Laroi, Post Office Laroi, Police Station and District Jullundur ..	4-6-49	112	40	8
87	Shri Lal Singh ..	Village and Post Office Jhanwan, District Hoshiarpur	8-6-50	92	40	..

88	Shri Thakar Dass ..	W. G. 106, Gali Shah Roshan, Islam Ganj, Jullundur	1-11-50	112	40	8
89	Shri Piara Singh ..	Village Manga, Post Office Gardhiwala, District Hoshiarpur	1-11-50	120	40	8
90	Shri Mehar Singh ..	Village Jhanjhan, Post Office Pandori Bawa Dass, District Hoshiarpur	1-11-50	112	40	8
91	Shri Fateh Singh ..	Village Khambra, Post Office Jullundur, Jullundur	1-9-50	108	40	8
92	Shri Madan Lal ..	N. H. 107, Nila Mahal, near Circular Road, Jullundur	18-5-48	120	40	8
93	Shri Bhan Singh ..	Village Trikhanwala, Post Office Dhilwan, District Kapurthala	1-11-50	112	40	8
94	Shri Gurditt Singh ..	327-EE, Panjpir, Bagh Karam Bakhash, Jullundur	1-11-50	112	40	8
95	Shri Rajinder Paul ..	Village and Post Office Alawalpur, District Jullundur	1-11-50	120	40	8
96	Shri Jagir Singh ..	Village Nangal Shama, Post Office Ladlawali, District Jullundur	10-9-50	112	40	8
97	Shri Ram Chand ..	Village Panjawan, Post Office Dasuya, District Hoshiarpur	1-11-50	120	40	8
98	Shri Balwant Singh ..	Village Lamira, Post Office Bo Majra, Tehsil Samrala, District Ludhiana	21-8-50	112	40	8
99	Shri Kasturi Lal ..	EQ/140, Pucca Bagh, Jullundur City ..	1-11-50	112	40	8
100	Shri Bachint Singh ..	Post Office Bilga, Police Station Nurmahal, District Jullundur	1-8-50	112	40	8
101	Shri Narinder Singh ..	House No. W. G. 607, Ali Mohalla, Jullundur ..	15-12-48	116	40	8
102	Shri Shiv Raj Singh ..	Village Khambra Kalan, Tehsil Samrala, District Ludhiana	1-12-50	112	40	8
103	Shri Ram Singh ..	ES/647, Mohalla Abadpura, Jullundur City ..	19-12-50	112	40	8

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Address	Date of appointment	Salary Pay	Salary D. A.	Salary T. A.
				Rs	Rs	Rs
		DRIVERS IN THE GRADE OF Rs 80—4—120—CONCLD				
104	Shri Bir Singh ..	Village and Post Office Lalian Kalan, District Jullundur	11-8-51	108	40	8
105	Shri Bhagwan Singh ..	Village and Post Office Dhaipai, District Kapurthala	14-1-51	120	40	8
106	Shri Dalip Singh ..	Village and Post Office Vadala Johai, District Hoshiarpur	18-5-51	108	40	8
107	Shri Ved Parkash ..	EB/58, Qilla Mohalla, Jullundur City ..	1-8-52	104	40	8
108	Shri Rawail Singh ..	Village and Post Office Garha Camp, Post Office Jullundur Cantt.	14-11-51	104	40	8
109	Shri Darshan Singh ..	Village and Post Office Kukar, District Jullundur ..	4-9-51	108	40	8
110	Shri Pritam Singh ..	ND/278, Old Courts Adda, Hoshiarpur, Jullundur	24-9-48	96	40	8
111	Shri Mohinder Singh ..	EG/207, Phagwara Gate, Jullundur City ..	1-8-52	104	40	8
112	Shri Sham Singh ..	Village Nurpur, Post Office Dhilwan, District Kapurthala	1-8-52	104	40	8
113	Shri Kasturi Lal ..	Mohalla Mijtian, Saidan Gate, Jullundur ..	1-3-53	100	40	..
114	Shri Joginder Singh ..	Basti Baba Khel, Jullundur City ..	1-8-52	104	40	8
115	Shri Brahm Dutt ..	Adda Nakodar, Jullundur City ..	20-8-50	80	40	..

116	Shri Kartar Singh	Village Bandori Nijjran, District Jullundur	22-1-48	104	40	8
117	Shri Chanan Singh	Village Kohar Kalan, Post Office Shahkot, Tehsil Nakodar, District Jullundur	1-11-50	112	40	8
118	Shri Dayal Singh	Village and Post Office Dalip SinghWala, Nangal, Police Station Bhulath, District Kapurthala	1-8-52	108	40	8
119	Shri Chaman Lal	295, Basti Danishmandan, Jullundur	9-8-52	100	40	..
120	Shri Bhagat Singh	Harnamdaspura, Jullundur City	17-12-53	100	40	..
121	Shri Puran Singh	Village Badala Kalan, District Kapurthala	27-6-54	96	40	..
122	Shri Piara Singh	..	1-6-55	92	40	..
123	Shri Jagat Singh	House No. EP/196, Mohalla Khodian, Jullundur	23-4-58	88	40	..
124	Shri Gurcharan Singh	Village and Post Office Widhawa Masandan, District Jullundur	15-5-56	88	40	..
125	Shri Nasib Singh	Village and Post Office Kotlithan Singh, District Jullundur	22-8-52	120	40	8
126	Shri Daulat Singh	..	24-4-58	88	40	..
127	Shri Balbir Singh	..	1-6-58	80	40	..
128	Shri Karam Singh	..	1-6-58	88	40	..
129	Shri Lachman Singh	137/WH, Village and Post Office Gurha, District Jullundur	1-6-58	84	40	..
130	Shri Sant Ram	WX/252, Basti Nau, Police Station Basti Shiekh, Jullundur	1-8-55	96	40	..
131	Shri Man Singh	43/NN, Gopal Nagar, Jullundur City	1-6-55	92	40	..
132	Shri Ram Parkash	Village and Post Office Chagalwadi, District Amritsar	13-8-55	59	40	..
133	Shri Bhag Singh	Village Sherpur, Post Office Rehana, District Hoshiarpur	9-1-56	59	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Place of Residence	Date of appointment	Salary Pay	D. A.	T. A.
				Rs	Rs	Rs
		CONDUCTORS IN THE GRADE OF RS 50—3—80/4—100				
1	Shri T. R. Gulati	House No. 349/E, Khud Mohalla, Division No. 3, Ludhiana	18-5-48	77	40	..
2	Shri Tarlok Singh	Son of Ch. Ram Chand, Village Sherpur Pulhata, Post Office Hirana, District Hoshiarpur	27-5-49	77	40	..
3	Shri O. P. Luther	123, W. S. Basti Shiekh, Jullundur	28-8-53	65	40	..
4	Shri K. P. Sharbati	FJ/859, Gobindgarh, Jullundur City	1-10-50	74	40	..
5	Shri Gian Singh	Hariana, District Hoshiarpur, Mohalla Ram Guraya	14-3-51	71	40	..
6	Shri Gurcharan Singh	House No. EE/289, Mohalla Panjpir, Bagh Karam Kakhash, Jullundur	15-10-50	68	40	..
7	Shri Krishan Gopal	House No. 298, W. L. Basti Guzan, Jullundur	4-8-52	62	40	..
8	Shri Prem Paul	House No. NN/87, Mohalla Karar Khan, Jullundur	18-12-48	80	40	..
9	Shri Jagmohan Singh	2259/2, Hussan Building, Katra Mohan Singh, Amritsar	1-8-52	68	40	..
10	Shri Chaman Lal	Son of Shri Bansi Lal, C/o Shri Sant Lal, Daily Milap, Jullundur	24-8-54	59	40	..
11	Shri Krishan Kumar	EJ/343/1, Ghar Bhag, Jullundur City	11-12-48	77	40	..
12	Shri Ganga Ram	Lawan Mohalla, Barao Bazar, Jullundur	14-7-50	74	40	..

13	Shri Chanan Singh	Village Kangroor, Post Office Khurala, District Jullundur	1-4-50	74	40	..
14	Shri Sohan Lal	Village and Post Office Johanpur, District Sangroor	1-9-55	56	40	..
15	Shri Avtar Singh	Son of Shri Rajinder Singh Bedi, Moga, Ferozepur	1-7-57	50	30	..
16	Shri Malkiat Singh	Village Billowal, Post Office Guggar Wal, Ludhiana	being called	50	30	..
17	Shri Kishan Singh	House No. EN/148, Rasta Mohalla, Jullundur	20-7-56	56	40	..
18	Shri Jaswant Singh	Village Suprai, Post Office Jamsher Khas (Jullundur)	19-2-56	59	40	..
19	Shri Avtar Singh	134/EN, Chowk Kodia Shah, Jullundur	1-1-54	62	40	..
20	Shri Krishan Kumar	EK/80, Panjpir, Jullundur	1-11-50	80	40	..
21	Shri Ram Murti	Son of Shri Munsha Ram, Rasta Mohalla, Jullundur	17-10-49	74	40	..
22	Shri P. N. Sodhi	NC/133, Kot Kishan Chand, Jullundur City	11-5-49	77	40	..
23	Shri Mohant Singh	EN/11, Tali Mohalla, Near Rasta Mohalla, Jullundur	26-4-51	71	40	..
24	Shri Daya Ram	NN/491, Mohalla Karar Khan, Jullundur	1-11-50	74	40	..
25	Shri Narinder Nath	160/iWD, Ali Mohalla, Jullundur	13-11-48	77	40	..
26	Shri Juggal Kishore	House No. WF/141, Ali Mohalla, Jullundur	1-6-58	50	30	..
27	Shri Balwant Singh	Son of Shri Jagir Singh, Railway Road, Nukodar, District Jullundur	29-5-54	62	40	..
28	Shri Ram Singh	Son of Shri Hukam Chand, Village and Post Office Khambra, Jullundur	24-9-49	77	40	..
29	Shri Gian Singh	Village and Post Office Khera Maja, District Jullundur	1-11-50	74	40	..
30	Shri Pritam Singh	Son of Lal Singh, Village Sukhani, Post Office Kala Singhya, District Kapurthala	5-10-50	74	40	..
31	Shri Om Parkash	NH/149, Nila Mahal, Jullundur	1-11-50	74	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Place of Residence	Date of appointment	Pay	D. A.	T. A.
				SALARY		
				Rs	Rs	Rs
		CONDUCTORS IN THE GRADE OF Rs 50—3—80/—4—100— CONTD				
32	Shri Hari Mittar	House No. 439, Pipalwaligali, Mai Hiran Gate, Jullundur	20-5-49	77	40	..
33	Shri Parkash Chand	EE/114, Panjpir, Jullundur	24-9-48	77	40	..
34	Shri Karnail Singh	No. 229, Harnamdasspura, Jullundur	24-9-48	84	40	..
35	Shri Hardip Singh	Son of Shri Hira Singh, Mohalla Harnam Dass Pura, Jullundur	1-11-50	74	40	..
36	Shri Nachatter Singh	Being collected	1-6-58	50	30	..
37	Shri Madan Lal	Village Tekka, Post Office Rain Sary, District Hoshiarpur	12-8-54	56	40	..
38	Shri Sukhdev Raj	House No. 107, Chowk Qade Shah, Jullundur	15-11-48	77	40	..
39	Shri Niranjan Dass	EG/123, Lodwah, District Jullundur	7-8-51	71	40	..
40	Shri Rajinder Pal Singh	WJ/69, Roshan ShahWali, G. T. Road, Jullundur	15-8-51	71	40	..
41	Shri Mohan Lal	NN/137/1, Mohalla Nila Mahal, Jullundur	16-4-51	74	40	..
42	Shri Jagdish Chand	Son of L. Nand Kishore, Jullundur	5-3-51	71	40	..
43	Shri Raj Kumar	NK/ 268, Charanjit Pura, Jullundur	11-12-48	77	40	..
44	Shri Karamjit Singh	C/o Northern Indian Goods Transport Co., Jullundur	25-1-49	77	40	..
45	Shri Wazir Chand	EU-160, Chowk Qade Shah, Jullundur	16-2-49	65	40	..

46	Shri Sawarn Singh	Village and Post Office Mohalpur, District Hoshiarpur	16-2-49	77	40	..
47	Shri Inderjit Singh	C/o Layalpur Tailoring House, Nakodar Road, Jullundur City	13-10-53	65	40	..
48	Shri Shankar Singh	Village and Post Office Dolo Nangal, District Amritsar	26-9-51	71	40	..
49	Shri Prithvi Raj	C/o Dr. G. S. Nayyarm, G. T. Road, Jullundur	10-8-49	77	40	..
50	Shri Chanan Singh	Being collected	1-6-58	50	30	..
51	Shri O. P. Dutta	341/EQ, Ranak Bazar, Jullundur City	21-12-51	71	40	..
52	Shri O. P. Bakhshi	W. G. 288, Islam Ganj, Jullundur City	1-4-49	77	40	..
53	Shri Nathu Ram	NB/304-B, Kot Kishan Chand, Jullundur City	1-4-49	88	40	..
54	Shri Harbans Lal	W. A. 28, Ali Mohalla, Jullundur	1-2-52	71	40	..
55	Shri Satya Paul	W. J. 36, Basti Guzan, Jullundur	1-2-52	71	40	..
56	Shri Gopal Singh	59/7, Son of Shri Sunder Singh, Katra Karam Singh, Boharwala, Amritsar	1-9-50	74	40	..
57	Shri Tilak Raj	C/o Pt. Yog Raj, A. S. I., House No. WF/240, Ali Mohalla, Jullundur City	1-6-58	50	30	..
58	Shri Narinder Nath	House No. 315/WA, Mohalla Nacha Bandian, Jullundur	1-9-50	77	40	..
59	Shri Jagdish Rai	ND/381, Adda Tanda, Jullundur	8-8-51	68	40	..
60	Shri Kartar Singh	Son of Shri Sham Singh, Village and Post Office Bhana, District Hoshiarpur	18-1-54	65	40	..
61	Shri Sudesh Kumar	House No. E. J. 176, Mokhdumpura, Jullundur City	13-10-53	65	40	..
62	Shri Gurdial Singh	WA/64, Mohalla Halka Banda, Jullundur	1-8-49	74	40	..
63	Shri Hira Lal	ES/185, Kakhdumpura, Jullundur	1-8-49	77	40	..
64	Shri Chand Krishan	EQ/85/1, Pucca Bagh, Jullundur	1-8-49	77	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Place of Residence	Date of appointment	Salary Pay	Salary D. A.	Salary T. A.
				Rs	Rs	Rs
		CONDUCTORS IN THE GRADE OF RS 50—3—80/4—100—CONTD				
65	Shri Narinder Nath ..	Son of Dr. Kidar Nath, Khalu Imliwala, Kartarpur, District Jullundur	1-8-49	80	40	..
66	Shri Daulat Ram ..	S. Patel Chowk, G. T. Road, Jullundur ..	1-6-51	65	40	..
67	Shri Krishan Lal ..	ED/53, Dhan Mohalla, Khingra Gate, Jullundur ..	25-1-50	74	40	..
68	Shri Roshan Lal ..	176, Kot Kishan Chand, Jullundur ..	11-3-49	77	40	..
69	Shri Jagtar Singh ..	EQ/361, Rainak Bazar, Jullundur City ..	25-1-50	74	40	..
70	Shri Hari Dev ..	C/o Shri Daulat Ram Mahta, EN-248, Phagwara Gate, Jullundur City	10-9-54	62	40	..
71	Shri Brij Mohan ..	C/o Shri Jaswant Ram, Kapurthala ..	25-1-50	74	40	..
72	Shri Surjit Singh ..	W. M. 146, Basti Danashmandan, Jullundur ..	25-1-50	59	40	..
73	Shri Puran Singh ..	238, Islam Bagh, Jullundur ..	25-1-50	77	40	..
74	Shri Ganda Ram ..	32, Karar Khan Mohalla, Gopal Nagar, Jullundur ..	16-11-50	71	40	..
75	Shri Inder Sain ..	E. Q. 45, Rainal Bazar, Jullundur ..	18-2-52	74	40	..
76	Shri Baldev Raj ..	327, E.P. Saidan Gate, Jullundur -8 ..	4-3-56	56	40	..
77	Shri R. K. Puri ..	309, E. P., Mohalla Saidhan , Jullundur ..	25-1-50	62	40	..
78	Shri Tarlok Singh ..	House No. N. H. 477, Mohalla Karar Khan, Jullundur	15-9-50	71	40	..

79	Shri Chander Parkash	E. P. 339, Saidan Gate, Jullundur	25-1-50	77	40	..
80	Shri Charanjit Singh	Village and Post Office Chinna Jassarwar, District Amritsar	1-2-52	56	40	..
81	Shri Ram Parkash	222, W. J. Gali Khojian, Basti Guzan, Jullundur	1-7-50	74	40	..
82	Shri Des Raj	Sarai Gokal Chand, Railway Road, Amritsar	1-8-56	56	40	..
83	Shri Kapoor Chand	Bharon Bazar, Bharon Gali, Jullundur	1-8-56	56	40	..
84	Shri Charanjit Lal	222, Mohalla Krishan Pura, Jullundur	1-9-50	74	40	..
85	Shri Hardev Singh	Village and Post Office Jandiala Pati Sahan, District Jullundur	7-7-57	53	40	..
86	Shri Karnail Singh	240, Basti Islama Bad, Post Office Basti Guzan, Jullundur	1-9-56	56	40	..
87	Shri Kewal Singh	Village and Post Office Gardhi Wala, District Hoshiarpur	6-7-57	53	40	..
88	Shri Ram Lal	Village and Post Office Snora, District Jullundur	18-2-49	77	40	..
89	Shri Amrik Singh	Village Pir-Di-Sain, Post Office Bahari Nangal, District	2-9-55	50	30	..
90	Shri Chaman Lal	Village Nangal Choran, Post Office Mahalpur, District Hoshiarpur	3-10-50	74	40	..
91	Shri Kasturi Lal	28, Krishna Gate, Panjpir, Jullundur	1-11-50	74	40	..
92	Shri Om Parkash Pandit	PN/959, Gobindgarh, Jullundur City	23-9-51	68	40	..
93	Shri Gurbachan Dass	160, W. G. Islam Ganj, Jullundur City	26-12-54	62	40	..
94	Shri Keshwa Nand	Village and Post Office Moran *via* Phillaur, Jullundur	1-11-50	74	40	..
95	Shri Sohan Singh	122, Ali Mohalla, Jullundur City	1-9-51	71	40	..
96	Shri Om Parkash	Ali Mohalla, Jullundur City	26-1-51	71	40	..
97	Shri Madan Lal	430, Suraj Ganj, Jullundur City	1-8-52	68	40	..
98	Shri Sohan Lal	Village Sofipind, New Abadi, Jullundur Cantt.	1-11-50	74	40	..

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Place of Residence	Date of appointment	SALARY Pay	D. A.	T. A.
				Rs	Rs	Rs
	DRIVER IN THE GRADE OF RS 80—4—120—CONTD					
99	Shri Ved Parkash	111, W. D., Ali Mohalla, Jullundur City	19-10-52	68	40	..
100	Shri Hashmat Rai	109-ER, Pacca Bhag, Jullundur City	1-7-52	71	40	..
101	Shri Kewal Krishan	EP/339, Mohalla Sadian Gate, Jullundur	22-3-51	71	40	..
102	Shri Kewal Krishan	ES/177, Mukhdumpura, Jullundur City	5-2-55	59	40	..
103	Shri Kewal Krishan	WG/547, Suraj Ganj, Jullundur City	5-3-55	56	40	..
104	Shri Rajinder Singh	67/Basi Baba Khel, Jullundur	19-12-50	74	40	..
105	Shri Om Parkash	Village and Post Office Swain, *via* Ajnala, Amritsar	8-6-54	62	40	..
106	Shri Manjit Singh	W. S. 245, Basti Shiekh, Jullundur City	1-11-51	77	40	..
107	Shri Davinder Singh	..	1-6-58	50	30	..
108	Shri Mangal Sain	Village Dhaliwal, Post Office Basti Sheikh, Jullundur	1-8-52	68	40	..
109	Shri Tilk Raj	302, W. A., Basti Pir Bhodhla, Jullundur	20-7-56	56	40	..
110	Shri Ajit Singh	Village Trar, Post Office Samraipur, Jullundur	1-8-52	65	40	..
111	Shri Tarloki Nath	Village Kang Subhan, Tehsil Nakodar, Jullundur	1-8-52	65	40	..
112	Shri Prithvi Pal Singh	NN/307, Gopal Nagar, Jullundur	17-3-54	65	40	..
113	Shri Krishan Dutt	EA/250, Mohalla Quasian, Jullundur	1-10-54	62	40	..
114	Shri Lakhbir Singh	Patel Chowk, Jullundur City	10-1-53	65	40	..

115	Shri Krishan Kumar	*	1-6-58	50	30	..
116	Shri Perma Nand	Kucha Kamal Dhan, Moti Bazar, Amritsar	1-6-55	59	40	..
117	Shri Prem Chand	Basti Shiekh, Jullundur	1-9-55	62	40	..
118	Shri Manohar Lal	NN/14, Mohalla Krar Khan, Jullundur	14-10-52	74	40	..
119	Shri Krishan Baldev	WS/86, Basti Guzan, Jullundur	11-2-54	65	40	..
120	Shri Raj Kanwar	328, Katra Bhai Sant Singh, Amritsar	1-4-50	74	40	..
121	Shri Sansar Chand	Village Amb Tikka Pathyar, Post Office Jawala Mukhi, District Kangra	2-9-54	50	30	..
122	Shri Shamsher Singh	House No. EM/8, Phagwara Gate, Jullundur	25-8-54	62	40	..
123	Shri Yash Paul	W. G. 285, Mohalla Islam Ganj	1-1-54	59	40	..
124	Shri Raj Kumar	WA/324, Kucha Necha Band, Jullundur	1-1-55	62	40	..
125	Shri Satya Paul	Village and Post Office Jandu Singha, District Jullundur	1-10-55	59	40	..
126	Shri Des Raj	Ward No. 6, Barek No. 19/B, Banglow No. 14, Gandhi Nagar, Rohtak	16-10-55	59	40	..
127	Shri Tarsem Singh	Village and Post Office Bhogpur, District Jullundur	23-4-58	50	30	..
128	Shri Balkrishan	Village and Post Office Chahlan, Tehsil Samrala, District Ludhiana	23-4-58	50	30	..
129	Shri Surjit Singh	..	23-4-58	50	30	..
130	Shri Tarlok Chand	..	1-5-58	50	30	..
131	Shri Jagan Nath	Son of L. Mool Raj, Village and Post Office Raohhin, District Ludhiana	18-9-52	65	40	..
132	Shri Darshan Lal	..	16-5-58	50	30	..
133	Shri Lekh Singh	Village and Post Office Chukhaira, Jullundur	26-5-58	50	30	..

**Note* : Residential address not indicated in Government reply

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and designation	Place of Residence	Date of appointment	Salary		
				Pay	D. A.	T. A.
				Rs	Rs	Rs
	CONDUCTORS IN THE GRADE OF Rs 50—3—80/4—100—CONCLD					
134	Shri Pritam Singh ..	Village and Post Office Sabowal, Tehsil Nakodar, Jullundur	25-5-58	50	30	..
135	Shri Yog Raj ..	C/o Shri Krishan Raj Khosla, Bharat Industries Co., Jullundur	21-5-58	50	30	..
136	Shri Gian Chand ..	Village Chachrari, Post Office Gohwar, District Jullundur	5-5-58	56	40	..
137	Shri Ramji Dass ..	B 4/671, Wat Ganj, Ludhiana ..	1-9-52	68	40	..
138	Shri Surinder Kumar, A C/1	BE-56, Mohalla Sehgolan, Kingran Gate, Jullundur ..	27-11-54	59	40	..
139	Shri Ravinder Singh, A C /2	Basti Baba Khel, Jullundur City ..	20-7-56	56	40	..
140	Shri Sukh Ram Dass, A C /3	205/WF, Ali Mohalla, Jullundur City ..	7-2-55	62	40	..
141	Shri Krishan Kumar, A C /4	NN/23, Gopal Nagar, Jullundur City ..	14-10-56	59	40	..
142	Shri Ishwar Lal, A C/5 ..	155. W. D., Mohalla Ali, Balmiki Mandar, Jullundur	1-2-57	53	40	..
143	Shri Mohinder Paul, A C/6 ..	EF/425, Krishan Nagar, Jullundur ..	2-10-56	50	30	..

Serial No.	Name and Designation	Date of appointment	Pay	Address
	INSPECTORATE STAFF			
			Rs	
1	Shri Lohari Lal, Station Superintendent	1-5-48	216	House No. 3533/2, Ambala City
2	Shri Jagdish Chander, Station Superintendent	1-9-50	216	105, Prem Nagar, Ambala City
3	Shri Ram Lobaya, Station Superintendent Grade Second	1-10-48	120	Basti Jazhan, Jullundur
4	Shri G. S. Maya, Chief Inspector ..	5-5-48	130	House No. W. M. 155, Basti Gujhun, Jullundur
5	Shri O. P. Dewan, Chief Inspector	16-8-47	136	181-EL, Rasta Mohalla, Jullundur
6	Shri O. K. Ahluwalia, Depot Incharge	18-5-51	80	Kalal Majra, Ambala City
7	Shri Raj Kumar, Inspector	1-9-50	120	C/o Mr. G. K. Nayar, Advocate, Narain Nagar, Gol Bagh, Amritsar
8	Shri I. K. Guliani, Inspector	1-5-49	100	C/o L. D. Gulianaix, Assistant Superintendent, Central Jail, Ambala City
9	Shri Vydia Sagar, Inspector ..	16-10-48	110	E. P. 42, Mohalla Khodian, Kapabad, Jullundur City
10	Shri M. P. Singh, Inspector ..	15-9-50	115	Village and Post Office Bpuran, District Hissar
11	Shri Chaman Lal, Inspector ..	11-12-48	120	85, Ali Mohalla, Jullundur City
12	Shri Suraj Parkash, Inspector ..	1-9-50	110	7845, Nadi Mohalla, Ambala City
13	Shri Shankar Dass, Inspector ..	1-12-48	115	4478/3, Ambala City
14	Shri Harsaran Singh, Inspector ..	23-8-50	130	Bombay Brass Work, Jullundur
15	Shri Pritam Singh, Inspector ..	8-9-49	85	Village and Post Office Bandala, District Jullundur

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name and Designation		Date of	Pay	Address
			INSPECTORATE STAFF CONCLD		
16	Shri Karnail Singh, Inspector	..	24-9-48	88	229, Harnamdasspura, Kapurthala, Jullundur
17	Shri Sohan Singh, Inspector	..	18-8-48	110	7, Model Town, Gurgaon
18	Shri O. P. Bhagi, Inspector	..	7-6-48	80	13-D, 58/22-D, Chandigarh
19	Shri Sardul Singh, Inspector	..	4-4-49	80	Village Manawala, Ajnala, Amritsar
20	Shri Amrik Singh, Inspector	..	18-5-48	115	Village Guruka Gondle, Post Office Rajhon, Jullundur
21	Shri D. D. Khana,Inspector	..	19-5-48	125	Industrial Colony, Prem Nagar, Ambala City
22	Shri Hans Raj, Inspector	..	..	85	Hospital Road, Ambala City
23	Shri Mohan Singh, Inspector ..	..	..	80	House No. 2395/7, Basti Street, Amritsar
24	Shri Hari Krishan , Inspector	..	..	80	Shri R. N. Seth, III-Canal Road, Ambala Cantt
25	Shri Avtar Singh, Inspector	..	..	80	12-JB-2-59-Street D, 23-B, Chandigarh
26	Shri Madan Lal, Inspector	..	..	80	House No. 24, Ghas Mandi, Ambala Cantt
27	Shri Ajit Singh, Inspector	..	11-12-48	110	Village Kukar Pind, Jullundur
28	Shri S. L. Vohra, Inspector	..	20-3-51	80	68, Railway Road, Ambala Cantt.
29	Shri Sampuran Singh, Inspector	..	18-5-48	90	Shri Jagjit Singh, E. T. O's Office, Jullundur
30	Shri S. R. Anand, Inspector	..	1-4-50	85	L. Devi Chand, Pandori , District Amritsar

Serial No.	Name		Date of appointment	Pay	Address

CONDUCTORS

Serial No.	Name		Date of appointment	Pay	Address
				Rs	
1	Shri Dina Nath	..	1-7-56	62	House No. B3/506, Shahbad
2	Shri Vishva Miter	..	1-7-56	59	House No. 7859, Ambala City
3	Shri Jugal Kishor	..	15-9-50	68	C/o Parshotam Dass, D. E. T. Office
4	Shri Harbhagwan Dass	..	1-7-56	62	Radhaur, Karnal, Ambala Cantt
5	Shri Gurdial Singh	..	5-12-58	50	Village Chowdri Mazra, Post Office Nabha, District Patiala
6	Shri Rajinder Kumar	..	9-8-51	71	House No. 104, 14-J, Sector 22-D, Chandigarh
7	Shri Phul Chand	..	22-7-56	50	Chachroli, Tehsil Jagadhri
8	Shri Sat Paul	..	1-2-59	50	Village and Post Office Ganga, District Patiala
9	Shri Bhagwan Singh	..	6-9-57	53	Post Office Dhariwal, Bat, Jullundur
10	Shri Kartar Singh	..	1-8-56	56	Panjokhara, District Ambala
11	Shri Vishva Nath	..	31-12-54	59	Chuha Mal and Banarsi Dass, Grain Market, Ambala City
12	Shri K. K. Awasthi	..	1-7-57	56	Village and Post Office Bharatgarh, Tehsil Rupar
13	Shri P. N. Bhagi	..	1-4-49	56	House No. 80, Kilan Mohalla, Jullundur
14	Shri K. K. Narang	..	10-9-50	74	495/1, Panipat, Karnal
15	Shri Baldev Krishan	..	1-9-54	56	4447/3, Ambala City
16	Shri Joginder Singh	..	1-2-59	50	C/o S. S., Delhi
17	Shri Amar Singh	..	14-9-56	56	Postal Clerk, Ambala City
18	Shri Kuldip Sethi	..	1-7-56	56	Krishan Lal Sethi L. Insurance Corporation, Ajnala
19	Shri Kelash Nath	..	7-2-51	71	10, Rehasi Jammu and Kashmir
20	Shri Brij Mohan	..	20-9-50	68	6937, Ward No. 4, Ambala City
21	Shri Surinder Singh	..	23-1-51	74	C/o Shri Jaidev Singh, 363, R.A. Bazar, Ambala Cantt
22	Shri Tarlochan Singh	..	3-8-56	56	Village Saidpur Tanda, District Hoshiarpur
23	Shri Charan Dass	..	1-7-56	59	Village Mankatra, District Ambala
24	Shri Naranjan Singh	..	6-2-52	68	2588, Ward No. 2, Ambala City

[Minister for Revenue]

	Name		Date of appointment	Pay	Address
			CONDUCTORS—CONTD		
				Rs	
25	Shri Mool Chand	..	10-9-50	74	Paniwala Piao, Kalka
26	Shri Parmatma Ram	..	1-7-56	56	Pehowa , District Karnal
27	Shri Balwant Singh	..	25-9-50	74	Village Janetpur, Derahbasi
28	Shri Raj Kumar	..	1-7-55	59	Village and Post Office Kharkhoda, Rohtak
29	Shri S. K. Rattan	..	28-5-48	74	6190/3, Ambala City
30	Shri Inderjit Singh	..	8-7-57	53	Village and Post Office Bodal, Hoshiarpur
31	*Vacant*				
32	Shri H. Jacob	..	8-3-51	71	C/o J. B. Liddle P. Mission, Saharanpur
33	Shri Jai Narain	..	3-8-57	53	Village Tanda, Post Office Kaul, Karnal
34	Shri Prithvi Paul Singh	..	1-7-56	56	House No. D-91, Krishana Gate, Karnal
35	Shri Puran Lal Dua	..	1-7-57	50	Ward 3, Barak No. 40, House No. 6, Gandhi Nagar
36	Shri Avtar Singh	..	1-8-56	56	Village and Post Office Phallewal, District Patiala
37	Shri Shankar Dass	..	1-7-57	57	C/o M/s Chua Mal and Banarsi Dass, Grain Market, Ambala
38	Shri Bhajan Singh	..	1-7-57	56	Dadyan, Ambala
39	Shri Ram Singh	..	1-7-58	50	Village and Post Office Kaul, District Karnal
40	Shri Kidar Nath	..	1-7-56	56	5833, Mochi Mohalla Ambala Cantt.
41	Shri Mahbub Singh	..	1-7-58	50	8841, Ward No. 5, Ambala City
42	Shri Darshan Kumar	..	1-7-58	50	262, Nya Bazar, Karnal
43	Shri Shiv Nath	..	27-8-52	68	80, Shahbad
44	Shri Chandgi Ram	..	1-7-58	50	Village and Post Office Zenahbad, Gurgaon
45	Shri Permanand	..	1-7-58	53	6163/3, Ambala City
46	Shri Des Raj	..	1-7-57	53	Bakshi Shri Ram and Kali Ram, Shahabad
47	Shri S. S. Batra	..	22-9-50	74	553, Lal Kurti, Ambala Cantt

Serial No.	Name	Date of appointment	Pay	Address
		CONDUCTORS—CONTD	Rs	
48	Shri Om Parkash ..	2-4-51	71	4114, Ward No. 2, Ambala City
49	Shri Mohinder Singh ..	1-8-56	57	Village Kalan, Jandiala, Amritsar
50	Shri Raj Kumar ..	4-11-57	53	187, B.C. Bazar, Amb ala Cantt
51	Shri Manohar Lal ..	4-7-55	59	7551/4, Ambala Cantt.
52	Shri O. P. Datta ..	21-11-51	71	8604/4, Ambala City
53	Shri Ravel Chand ..	1-7-58	50	6867/4, Ambala City
54	Shri Shanti Saroop ..	1-7-55	65	Village and Post Office Derabasi, Fatehgarh
55	Shri Vydya Sagar ..	24-6-52	65	House No. 77, Regiment Bazar, Ambala Cantt
56	Shri B. R. Sharma ..	3-7-51	65	House No. 10720, Mohalla Kharasia, Ambala City
57	Shri Satpaul Raj ..	1-7-55	65	Government Quarters 22-Sector, Chandigarh
58	Shri Sunder Dass ..	1-7-58	50	C/o Sewa Ram, Shopkeeper No. 9710/6
59	Shri Murari Lal ..	1-8-52	65	4252/2, Ambala
60	Shri Sunder Lal ..	1-8-52	68	10744/6, Ambala Cantt
61	Shri Sewa Singh ..	1-8-56	56	Village and Post Office Mainpur, Tehsil Rupar
62	Shri Raj Paul ..	1-7-58	50	C/o Om Parkash, Halwai, Kurali
63	Shri Sant Lal ..	1-7-56	59	Village and Post Office Babarpur, Karnal
64	Shri Kesho Ram ..	1-7-58	56	C/o Krishan Chand Shamshad
65	Shri K. L. Batra ..	17-10-52	65	C/o Ram Chandbagh, Karnal
66	Shri Mohan Singh ..	24-7-50	74	520, Gazia Bad, Loha Mandi, Amritsar
67	Shri Krishan Lal ..	21-8-58	50	Village and Post Office Malia, Tehsil Kharar
68	Shri Mehar Singh ..	14-7-57	53	C/o Shop 20, Raj Guru Market, Hissar
69	Shri G. Chand ..	1-8-52	65	Village and Post Office Kakra, District Sangrur
70	Shri Chander Parkash ..	14-7-56	53	205/1, Karnal
71	Shri Hari Kishan ..	1-7-57	56	331, Prem Nagar, Ambala City

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name	Date of appointment	Pay	Address
		CONDUCTORS—CONTD		
			Rs	
72	Shri Om Parkash ..	4-10-56	56	Village Baharai Kalan, Post Office Naraingarh, Ambala
73	Shri Brahm Saroop ..	1-7-55	62	House No. 2661/2, Ambala City
74	Shri Balwant Singh ..	18-9-49	80	Lamba Pind, Jullundur
75	Shri Gulabh Singh ..	28-7-57	53	8841/5, Ambala City
76	Shri Ram Niwas ..	1-7-58	50	Village and Post Office Mandi, Karnal
77	Shri Om Parkash ..	8-8-53	62	506/3, Shahbad
78	Shri Laikh Raj ..	1-7-58	53	C/o Pyara Lal Khumbra Gate, Saharanpur
79	Shri Bhagwan Dass ..	1-9-52	65	317, Mohalla Sainipur, Rohtak
80	Shri Chaman Lal	1-7-56	59	28/108, Ambala Cantt
81	Shri Karnail Singh ..	1-7-55	65	Village and Post Office Banur, District Patiala
82	Shri Bhajan Lal ..	1-8-55	56	Katra Chatar Singh, Amritsar
83	Shri Pritam Singh ..	1-7-58	50	House No. 38, Ghass Mandi, Ambala Cantt
84	Shri Budh Singh ..	1-9-52	68	Mohalla Bholawala, Ludhiana
85	Shri G. C. Bhalla ..	3-9-52	65	House No. 4845/4, Ambala City
86	Shri Ram Nath ..	18-8-54	59	House No. 7563/4, Ambala
87	Shri P. C. Sofat ..	1-7-58	50	Village and Post Office Jagraon, Ludhiana
88	Shri Rajinderpaul ..	28-9-52	68	Mohalla Chotra Noorpur, Kangra
89	Shri Puran Chand ..	26-5-49	68	New Bombay Shoe Co., Kanpur
90	Shri Dharam Paul ..	21-7-56	56	554/1, Ambala City
91	Shri Ram Parkash ..	10-10-56	63	7948/4, Ambala City
92	Shri Amar Nath ..	1-8-52	56	Village and Post Office Burwal, Ambala
93	Shri Dilbagh Rai ..	17-9-54	59	House No. ER 001, Kaka Bagh, Jullundur
94	Shri Ved Parkash ..	1-4-50	50	Katra Daloo, 3145, Amritsar
95	Shri Sukhdev Raj ..	1-7-55	62	25 Ahluwalia Building, Ambala Cantt

CONDUCTORS—CONTD

Serial No.	Name	Date of appointment	Pay	Address
			Rs	
96	Shri Darshan Singh ..	1-7-57	50	Mohalla Koraliwali Anandpur, District Hoshiarpur
97	Shri Ved Parkash ..	1-7-55	59	Village Khara District Patiala
98	Shri Kundan Lal ..	24-2-53	68	382/2, Shahbad
99	Shri Ranjit Singh ..	1-7-50	71	House No. E.S. 141, Makhdumpura, Jullundur
100	Shri Vishva Nath ..	17-3-56	56	9761/6, Ambala City
101	Shri Harbhajan Singh ..	2-10-52	62	74, Block No. 90, Malvia Nagar, Delhi
102	Shri Parladh Sehgal ..	1-7-57	56	58 Ahluwalia Building, Ambala Cantt
103	Shri Nand Lal ..	13-8-54	65	4105, Ward No. 2, Ambala City
104	Shri Sukh Dyal ..	16-7-55	59	1487, Mirsaidan, Karnal
105	Shri Raghubir Singh ..	12-9-52	65	Shri Avtar Singh, Seyai Hotel, Ambala Cantt.
106	Shri Krishan Lal ..	13-6-55	69	House No. 2897/2, Ambala City
107	Shri Bhim Singh ..	1-7-56	50	Village Kheri Manjit, Rohtak
108	Shri Hawali Ram ..	1-8-56	56	476/1, Ambala City
109	Shri Mathra Dass ..	1-11-50	62	2109/12, Katra Sher Singh, Amritsar
110	Shri Sehdev Kumar ..	19-7-56	56	Shri R. A. Mohana, Custom Office Attari
111	Shri Balkishan ..	19-7-56	56	EE-91, Railway Road, Jullundur
112	Shri Krishan Singh ..	1-7-57	53	Village Jhandur, Post Office, Jawalamukhi, Kangra
113	Shri Kheraiti Lal ..	1-7-56	53	7619/4, Ambala City
114	Shri Surjit Singh ..	19-7-56	56	Village and Post Office Kairon, District Amritsar
115	Shri Harbhajan Singh ..	1-9-56	56	Village and Post Office Pandori-Gala, District Amritsar
116	Shri Inderjit Singh ..	1-9-58	60	Village and Post Office Pangur via Panshata, Phagwara
117	Shri Dharm Paul ..	19-7-56	53	Pinargawan, District Ferozepur
118	Shri Chaman Lal ..	1-8-56	59	Fatehgarh Churian, Gurdaspur
119	Shri Manchanda ..	1-7-57	53	4477/3, Ambala City

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name		Date of appoint-ment	Pay	Address
			CONDUCTORS—CONTD		
				Rs	
120	Shri Dalip Singh	..	1-7-56	56	Village and Post Office Mehatpur, Tehsil Nakodar, Jullundur
121	Shri Sarvan Kumar	..	13-6-51	71	1820, Gali No. Sharifpura, Amritsar
122	Shri Ram Saroop	..	1-7-57	56	Village and Post Office Dubli, Ambala
123	Shri Jagat Ram	..	1-7-57	53	Room 88 Barak No. 6, B. Nagar, Ambala City
124	Shri Gursharn Lal	..	1-7-57	59	Ahata Maszid Ghalumana Bari, Ambala Cantt
125	Shri Kirpal Singh	..	1-7-57	53	Village Chilm Khurd, Post Office Noormehal, Jullundur
126	Shri Kashmiri Lal	..	1-7-57	53	Mathra Dass, Patwari, Tanda, District Hoshiarpur
127	Shri Shiv Narain	..	1-7-57	53	75, Kharar, Ambala
128	Shri Ajit Singh	..	17-8-58	50	342, W. K. Basti Guzan, Jullundur
129	Shri Ratti Ram	..	8-9-57	53	Village and Post Office Traori, District Karnal
130	Shri Inder Sain	..	6-7-57	53	Banarsi Dass, Abdul Gufur Building, Yamuna Nagar, District Ambala
131	Shri Nanak Chand	..	1-8-57	53	Shri Sadhu Ram, Constable, Ferozepur
132	Shri Gagdish Kumar	..	22-7-57	53	451/6, Ambala City
133	Shri Ved Parkash	..	1-1-57	56	Pull Kumaran, National Unani Pharmacy, Saharanpur
134	Shri Kiwal Krishan	..	6-8-57	53	Madan Gopal Sharma, Employment Officer, Ferozepur
135	Shri Surinder Nath	..	1-7-57	56	Co-operative Stores, 22, Chandigarh
136	Shri Joginder Singh	..	8-8-57	53	Shahedibagh, Post Office Anand pur, District Hoshiarpur
137	Shri Dalip Singh	..	26-8-57	50	Village Mondiana Khurd, Post Office Ludhiana
138	Shri Sohan Singh	..	5-10-57	53	Village Verowal Ralana, Post Office Sawadi
139	Shri Udhay Chand	..	1-7-57	53	Village Maya Kalan, District Hoshiarpur

Serial No.	Name	Date of appointment	Pay	Address
		CONDUCTORS—CONCLD		
			Rs	
140	Shri Banarsi Lal ..	1-7-57	53	5873/3, Ambala City
141	Shri Nathu Ram ..	7-7-57	50	Village Chamlu, Kangra
142	Shri Baldev Raj ..	15-9-50	71	10426/6, Ambala City
143	Shri Biddi Chand ..	13-7-57	50	Post Office Ambala City
144	Shri Balkishan ..	1-7-58	50	Ram Nagar, 840/A, Hoshiarpur
145	Shri Rattan Singh ..	10-10-54	50	Mohalla Sainipura, Rohtak
146	Shri Gurdev Singh ..	2-7-57	53	Village and Post Office Khera Magga, Jullundur
147	Shri Mangat Ram ..	1-7-58	50	3299, Kacha Bazar, Ambala Cantt
148	Shri Virbhan	1-7-58	50	Village Mandi Khera, Ferozepur-Jhirka
		DRIVERS		
1	Shri Harbans Singh	9-5-56	84	Village and Post Office Garha, House No. 303, Jullundur
2	Shri Nanak Chand	18-5-48	120	Chowri, Bazar Loha, Loya Mandar, Delhi
3	Shri Gurmukh Singh ..	15-9-50	112	House No. 8004, Ward No. 4, Ambala City
4	Shri Harbans Lal ..	19-3-51	108	House No. 10451, Ward No. 6, Ambala City
5	Shri Iqbal Singh ..	19-9-50	112	House No. 7042, Ward No. 4, Ambala City
6	Shri Madan Gopal ..	15-9-5 0	112	House No. 1215, Ward No. 1, Ambala City
7	Shri Gurmukh Singh ..	19-9-50	120	House No. 139, Ward No. 3, Shahabad
8	Shri Jit Singh ..	19-8-50	108	House No. 1492, Ward No. 1, Ambala City
9	Shri Kanshi Ram ..	14-9-56	88	C/o Punjab Roadways, Jullundur
10	Shri Bihari Lal ..	6-9-50	112	C/o Mandi Fantan Ganj, Jullundur
11	Shri Pritam Singh ..	15-9-50	112	Village and Post Office Gujjarwal, Ludhiana
12	Shri Parkash Nath ..	15-9-50	112	Kothi No. 4, Church Road, Ambala Cantt

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name		Date of appointment	Pay	Address
	DRIVERS—CONTD				
				Rs	
13	Shri Tara Singh	..	2-10-54	96	Village Gartan, Post Office Bhogpur, Jullundur
14	Shri Mohan Singh	..	19-9-50	112	Village and Post Office Rampur, Kapurthala
15	Shri Pyara Singh	..	15-9-50	112	House No. 2862, Ward No. 2, Ambala
16	Shri Hans Raj	..	21-10-50	112	Village and Post Office Kala Bakra, District Jullundur
17	Shri Jagat Singh	..	21-9-50	112	Village Shahzadpur, District Ambala
18	Shri Phul Singh	..	1-11-51	108	Village Burowal, Tehsil Kharar, Ambala
19	Shri Anant Ram	..	22-9-50	112	Barak No. 106, B. Nagar, Ambala Cantt.
20	Shri Joginder Singh	..	22-9-50	112	Village Chanarthal, Tehsil Sirhind, Patiala
21	Shri Kapur Chand	..	22-9-50	108	Village Jallanabad, Ferozpur
22	Shri Amar Singh	..	22-2-57	84	Village and Post Office Ghanori, Rupar
23	Shri Dhani Ram	..	22-9-50	112	Village Jaswani, Post Office Dudhoul, Bilaspur
24	Shri Ganga Ram		7-11-50	120	House No. 292, Ward No. 1, Ambala City
25	Shri Partap Singh	..	17-9-52	104	Village Atalgarh, Post Office Hoshiarpur
26	*Vacant*				
27	Shri Dhana Singh	..	23-9-50	112	House No. 35, Ward No. 8, Angatpura, Patiala
28	Shri Krishan Dass	..	9-9-50	112	Village Salon, Tehsil Una, Hoshiarpur
29	Shri Didar Singh	..	23-5-53	96	Village and Post Office Willah Teja, Gurdaspur
30	Shri Faqir Chand	..	24-9-50	112	House No. 143, Kishanpura, Jullundur

Serial No.	Name		Date of appoint-ment	Pay	Address
			DRIVERS—CONTD		
				Rs	
31	Shri Amar Nath	..	2-6-49	116	House No. 4688, Ward No. 3, Ambala City
32	Shri Maghi Singh	..	25-9-50	112	Village and Post Office Banur, Patiala
33	Shri Mianajit Singh	..	25-9-50	112	Village Gular, Tehsil Dehra Gopi-pur, District Kangra
34	Shri Ujjar Singh	..	25-9-50	112	House No. 194, Ward No. 4, Jagadhri
35	Shri Ram Nath	..	17-7-52	104	Village Barwala, Kharar, District Ambala
36	Shri Amar Singh	..	14-10-50	112	Village Thalian, Post Office Khal-chian, Amritsar
37	Shri Sadhu Ram	..	1-11-50	108	House No. 450, Ward No. 3, Ambala City
38	Shri Kartar Singh	..	4-12-50	108	House No. 52, Ward No. 1, Ambala City
39	Shri Sadhu Singh	..	10-10-52	104	Village Urmar Tanda, District Hoshiarpur
40	Shri Hans Raj	..	15-12-50	120	House No. 857, Mochi Mohalla, Karnal
41	Shri Hira Lal	..	22-1-51	108	Hargobindpura, Gurdaspur
42	Shri S. P. Ditta	..	24-1-49	120	Bakhshi Medical Hall, Nimwala Chowk, Ludhiana
43	Shri Karam Singh	..	3-6-55		*
44	Shri Kali Dass	..	7-2-51	120	Village Gurpala, Post Office, Hoshiarpur
45	Shri Harnam Singh	..	11-12-48	120	House No. 2285, Ward No. 2, Ambala City
46	Shri Ram Ditta Mal	..	22-2-56	92	Basti Guzan, House No. 147, Jullundur
47	Shri Tara Singh	..	17-6-51	120	Village Choligail, Ambala
48	Shri Satpaul Singh	..	11-12-48	120	House No. 32, Akali Market, Amritsar
49	Shri Sant Ram	..	1-1-54	92	House No. 215-NA, Jullundur
50	Shri Mehar Chand	..	13-8-51	108	Village Bilt, Post Office Sarari, Kandaghat
51	Shri Jagat Singh	..	10-7-51	120	House No. 743, Ward No. 1, Ambala City

**Note:*—Residential address not indicated in Government reply.

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name	Date of appointment	Pay	Address
		DRIVERS—CONTD		
			Rs	
52	Shri Ganga Sagar ..	14-11-51	116	House No. 3929, Ward No. 2, Ambala City
53	Shri Masat Ram ..	19-11-51	108	Village and Post Office Dopata, Tehsil Palampur
54	Shri Joginder Pal ..	2-7-53	100	C/o Shri Sukh Ram Dass, Mohalla Gurmanikpur, Jullundur
55	Shri Harbans Singh ..	14-5-52	104	Village Chaknarial, Post Office Rampur, Hoshiarpur
56	Shri Ajmair Singh ..	1-8-52	104	Village and Post Office Baroli, District Mubarpur
57	Shri Sewa Singh	1-2-56	92	House No. 201, Rakabad, Jullundur
58	Shri Sarbans Lal ..	17-7-52	104	House No. 58/923, B. Nagar, Ambala City
59	Shri Mehar Singh ..	1-8-52	104	Village Chandaili, Post Office Rampur, Hoshiarpur
60	Shri Ram Nath	1-4-56	78	Village Chhahtan, Post Office Lundra, Ludhiana
61	Shri Ram Singh ..	1-8-52	104	Village Nerdu, Post Office Khula, Patiala
62	Shri Kapur Singh ..	17-6-51	104	Village Sheklupuran, Post Office Nessang, Karnal
63	Shri Kirpal Singh ..	17-7-52	104	12 J. B. 49, Sector 23-B, Chandigarh
64	Shri Daryao Singh ..	9-8-52	104	Village Garhi Bohar, Rohtak
65	Shri Gya Parshad ..	11-3-49	116	77 Model Town, Hissar
66	Shri Ram Parkash ..	9-8-52	100	Village Kharwali, Post Office Panyar, Kandaghat
67	Shri Bhola Nath ..	9-8-52	104	House No. 703, Plot No. 2, Rohtak
68	Shri Tassu Ram ..	9-8-52	96	Village Kundar, Tehsil Sonipat Rohtak
69	Shri Bhupal Singh ..	9-8-52	104	Village Kattalpur, Post Office Hallalpur, Rohtak
70	Shri Harnam Singh ..	1-10-53	100	Village Bhadarkali, Una, District Hoshiarpur

Serial No.	Name		Date of appoint-ment	Pay	Address

DRIVERS—CONTD

Serial No.	Name		Date of appoint-ment	Pay Rs	Address
71	Shri Manohar Lal	..	9-8-52	104	C/o S. S. Chandigarh
72	Shri Himat Singh		9-11-52	104	Village Jangapura Banur, Distric Patiala
73	Shri Lal Singh	..	15-5-51	108	Village Mlu, Post Office Kanoor, Patiala
74	Shri Sujan Singh	..	4-9-52	104	Village and Post Office Manauli, Kharar, District Ambala
75	Shri Sham Lal	..	1-6-58	80	Village and Post Office Machi-wara, Ludhiana
76	Shri Ram Sarup	..	26-1-49	120	House No. 175, Basti Guzan, Jullundur
77	Shri Munshi Ram	..	25-12-51	104	Village and Post Office Shahbad, Karnal
78	Shri Ram Lobaya	..	15-8-50	120	Village Manol, Post Office Hamir-pur, Kangra
79	Shri Labh Singh	..	17-7-54	96	House No. 3916, Ward No. 2, Ambala City
80	Shri Sat Parkash	..	24-9-52	104	Majid Road, Yamuna Nagar, Jagadhri
81	Shri Shamshir Gang	..	5-9-52	104	Village Duni Bhansi, Post Office Tistun, Nipal
82	Shri Gurmush Singh	..	12-9-52	104	House No. 100, Basti Mithun, Jul-lundur
83	Shri Daulat Ram	..	18-8-52	104	House No. 79, Saidan Gate, Jul-lundur
84	Shri Nirmal Singh		1-3-57	84	Village and Post Office Shelwala, Ludhiana
85	Shri Jagan Dass Singh	..	20-9-52	100	Village and Post Office Powant, Tehsil Samrala, Ludhiana
86	Shri Take Chand	..	24-7-50	112	House No. 371, Kandanwali Gali, Amritsar
87	Shri Mulakh Raj	..	10-9-50	120	Kunjpur, District Karnal
88	Shri Gurdev Singh	..	20-9-52	120	House No. 8010, Shukakund Road, Ambala City
89	Shri Sohan Lal	..	18-9-52	100	Ladakhi Mohalla, House No. 126/ 4, Simla
90	Shri Ramphal	..	11-7-54	96	House No. 10/5, Mochi Mandi, Ambala Cantt

[Minister for Revenue]

Serial No.		Date of appointment	Pay	Address
	DRIVERS—CONTD			
			Rs	
91	Shri Om Parkash ..	29-9-52	116	House No. 6940, Kalal Majari, Ambala City
92	Shri Shri Paul ..	28-9-52	100	Glass Factory, Ambala City
93	Shri Jhangi Ram ..	19-4-50	92	House No. 173, Kandri Gate, Karnal
94	Shri Ranjit Singh ..	9-4-58	84	C/o S. S. Chandigarh
95	Shri Hari Singh ..	6-11-52	104	Village Sirsonj, Post Office Lalru, Patiala
96	Shri Amar Nath ..	1-8-54	92	House No. 10159, Ward No. 6, Ambala City
97	Shri Prithvi Chand ..	17-10-52	104	House No. 7438, Ward No. 4, Ambala City
98	Shri Shiv Kumar ..	14-5-51	108	Narain Bhavan, Simla
99	Shri Shiv Ram ..	8-12-41	108	Village Khedanwali, Post Office Panjor, Kandaghat
100	Shri Kabal Singh ..	8-11-51	108	Village and Post Office Dehlan, Tehsil Una, District Hoshiarpur
101	Shri Sewa Singh ..	16-8-54	100	180, Harnampur, Jullundur City
102	Shri Sadhu Ram ..	22-5-51	108	257, J. B., Sector 23- Chandigarh
103	Shri Karm Singh ..	10-6-55	88	Village Kheri Salmatpura, Rupar, District Ambala
104	Shri Suraj Parkash ..	10-7-51	104	M. C. Government School, Ambala Cantt
105	Shri Mit Singh ..	13-9-51	108	Village Janitpura, Dehra Bassi, Patiala
106	Shri Harnam Singh ..	9-7-54	96	House No. 101, Basti Sheikhan, Jullundur
107	Shri Jawala Singh ..	22-9-50	120	Village Bhankarpur, Post Office M. Pur, Ambala
108	Shri Guran Ditta Mal ..	21-4-57	84	Village Chiman Kurd, Post Office Nurmahal, Jullundur
109	Shri Dyal Singh ..	22-1-55	88	Village Raipur Kheri, Nandh Singh, Ludhiana
110	Shri Garib Dass ..	20-10-52	84	House No. 2942, Ward No. 2, Ambala City

Serial No.	Name		Date of appoint-ment	Pay	Address
			DRIVERS—CONTD		
				Rs	
111	Shri Harjit Singh	..	10-10-53	100	Village and Post Office Udho Nangal, Amritsar
112	Shri Mahan Singh	..	9-8-52	100	Dr. Sadha Nand, Dhariwal, Gurdaspur
113	Shri Amar Nath	..	14-6-56	92	Mohalla Mahan Dev, Thanesar
114	Shri Thakar Dass	..	1-7-55	92	Gali Mahanbir Mohinda, District Ambala
115	Shri Ram Lal	..	14-6-56	92	House No. 31-B, New Delhi
116	Shri Bhag Singh	..	1-6-56	96	Village Rahili, Post Office Majra Digran, Hoshiarpur
117	Shri Sai Dass	..	11-12-50	112	House No. 3458, Lahori Gate, Amritsar
118	Shri Piara Singh	..	14-4-56	96	Village and Post Office Kherbad, Kharar, Ambala
119	Shri Balwant Singh	..	11-8-56	92	Village and Post Office Kherwala, Jullundur
120	Shri Banwari Lal	..	1-8-56	88	House No. 7566 , Ward No. 4, Ambala
121	Shri Chanana Lal	..	11-8-56	84	House No. 52-E, Mohalla, Mulan, Jagadhri
122	Shri Rajinder Singh	..	1-1-56	92	House No. 187, Karar Khan, Jullundur
123	Shri Teja Singh	..	20-5-48	120	Village and Post Office Manak Dairy, Hoshiarpur
124	Shri Jit Singh	..	1-2-57	84	Village Rattangarh, Loha Gate, Almorah
125	Shri Peshaori Lal	..	1-2-57	92	House No. 1184, B. Nagar, Ambala City
126	Shri Hari Singh	..	1-2-57	92	Village and Post Office Jandiala-Guru Ka, Amritsar
127	Shri Dalip Singh	..	1-3-57	92	Azad Furniture House, Ambala City
128	Shri Harnam Singh	..	9-2-57	84	Village Halminpura, Post Office Preet Nagar, Amritsar
129	Shri Pritam Singh	..	1-2-57	92	Village and Post Office Raipur-Rayya , Kapurthala
130	Shri Balwant Singh	..	1-2-57	92	Village and Post Office Garga Baya, Amritsar

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name	Date of appointment	Pay	Address
	DRIVERS—CONCLD		Rs	
131	Shri Karm Dial ..	1-2-57	88	House No. 172, Punjabi Chatar, Reshikesh, Dehra Dun
132	Shri Waryam Singh ..	18-3-57	88	Bandiwali Kothi, Near Sessions Court, Ambala City
133	Shri Pars Ram ..	1-2-57	88	Village and Post Office Samlouti, Kangra
134	Shri Teja Singh ..	13-3-57	84	Village Ghel Kalan, Ambala
135	Shri Jai Parkash ..	1-2-57	88	Village Kheri Sahd, Rohtak
136	Shri Lal Chand ..	1-2-57	92	House No. 301-G, Gundla Gali, Karnal
137	Shri Veshno Dass ..	1-2-57	88	House No. 916, Roadways, Colony Ambala
138	Shri Sat Parkash ..	17-2-58	84	Village and Post Office Alahur, Thanesar
139	Shri Sondha Singh ..	24-1-57	88	Village Char Mandi, Post Office Ambala
140	Shri Sadhu Singh ..	25-1-57	88	House No. 1097, Ward No. 1, Ambala City
141	Shri Nahar Singh ..	19-2-58	88	Village Badli, District Patiala
142	Shri Ram Ratan ..	19-2-58	84	House No. 403, Jagi Mandi, Ambala Cantt
143	Shri Ascharg Lal ..	19-2-58	84	House No. 2667, Ward No. 2, Ambala City
144	Shri Rattan Singh ..	19-2-58	80	Village Mandiala Kalan, Samrala District Ludhiana
145	Shri Amar Singh ..	19-2-58	80	C/o Punjab Roadways, Ambala
146	Shri Some Datt ..	1-3-58	80	House No. 3345, Kacha Bazar, Ambala Cantt
147	Shri Hardev Singh ..	1-3-58	84	Village Sanet, Post Office Budowal Ludhiana
148	Shri Madan Lal ..	19-2-58	80	Village Phalath, District Kapurthala

ALLOTMENT OF SLACK COAL

1641. Shri Balwant Rai Tayal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total number of slack coal wagons, received by the Block Development Officer, Hissar No. 2, since his appointment and allotted by him for brick kilns together with the names of the brick kiln owners and the names of places where these brick kilns are located.

(b) whether all the slack coal wagons referred to above were allotted within the Block area or outside, if outside, the reasons therefor ;

(c) whether any demurrage was paid to the Railway authorities in respect of the coal wagons referred to in part (a) above; if so, how much and the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) *First Part.*—52 wagons.

Second Part.—The names of brick kiln owners and names of places where the brick kilns are located are given as under :—

Names of Brick Kiln Owners	*Location of Brick Kiln*
1. Shri Lal Chand, Brick Kiln Owner, Kurri ..	Village Kurri
2. Shri Prem Pal Singh and Prithipal Singh, Brick Kiln Owner, Hissar	Bir Hissar
3. Shri Bhag Singh and Mangal Datt, Brothers, Brick Kiln Owners, Rawalwas Khurd	Village Rawalwas Khurd
4. Shri Budh Ram-Pir Chand, Brick Kiln Owner, Hissar	Bir Hissar
5. Shri Hari Chand, Brick Kiln Owner, Mandi Adampur	Mandi Adampur
6. Shri Onkawar Nath Mittal, Brick Kiln Owner, Mandi Adampur	Ditto
7. Shri Kunj Lal, Brick Kiln Owner, Balsamand ..	Balsamand.

(b) These wagons were allotted within the Block area.

(c) No demurrage was paid except in one case which the R R was sent late by the Coal Agent who has to pay for his fault.

STAFF APPOINTED IN THE OFFICE OF DIRECTOR OF ELECTIONS (LOCAL BODIES), PUNJAB

1643. Chaudhri Jagat Ram : Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state —

(a) the total number of gazetted and non-gazetted posts sanctioned for preliminary work relating to District Boards Elections in the year 1957-58 in the office of the Director of Elections (Local Bodies), Punjab, Chandigarh, separately together with the number amongst them of those filled by persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, separately ;

Note.—For unstarred question No. 1642 and reply thereto please *see* annexure 'A' printed at the end of this debate.

[Chaudhri Jagat Ram]

(b) whether the number of persons belonging to Castes referred to in part (a) above is in accordance with the percentage fixed for them in Government Services, if not, the reasons therefor, together with the steps if any, proposed to be taken to make up the deficiency ;

(c) the agencies, if any, through which the posts referred to in part (a) above were filled ?

Shri Mohan Lal : (a) Gazetted—9 and non-gazetted—66.

The gazetted posts were filled on the basis of experience in election work from the staff of the Chief Electoral Officer, Punjab, which had no member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes with the requisite experience. Of the 66 non-gazetted posts only 49 were filled, 9 being filled by members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes.

(b) *Gazetted*.—No, as explained at (a).

Non-Gazetted.—18.36 per cent the reason for short-fall of 2.64 per cent is the same as explained at (a).

(c) *Gazetted*.—Through promotion from the Chief Electoral Officer, Punjab's staff.

Non-Gazetted.—Through promotion from the Chief Electoral Officer Punjab's staff, Integration Department; Subordinate Services Selection Board and Employment Exchanges.

SOCIAL WELFARE ORGANISERS AND ATTENDANTS

1644. Chaudhri Jagat Ram : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of posts of Social Welfare Organisers and Attendants, sanctioned for the office of the Director, Harijan Welfare Department, Punjab, and the number of men and women, separately appointed against these posts.

(b) whether any rules or instructions for filling up the posts, referred to in part (a) above, have been issued, if so, what ;

(c) the number of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, separately among those, referred to in the latter part of (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is laid on the Table of the House.

	Posts sanctioned		*Appointed*
(a)	Male Social Workers ..	45	43
	Lady Social Workers ..	45	43
	Lady Attendants ..	45	43

(b) Yes. The posts of Male Social Workers and Lady Social Workers are filled through the Subordinate Services Selection Board, Punjab, whereas that of the Lady Attendants locally. In case of temporary appointments, the Director is competent to recruit staff on three months basis till recommendees of Board, with requisite qualifications are made available.

(c)		*Scheduled Castes*	*Backward Classes*	*Scheduled Tribes*
Male Social Workers	..	23	2	..
Lady Social Workers	..	18	1	..
Lady Attendants	..	34	..	..

DIVERSION OF NASRALA CHO

1645. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether Government have finalised any scheme for the construction of a Project for the diversion of Nasrala Cho near Meghowal, tehsil and district Hoshiarpur ;

(b) whether Government have received any representation from the inhabitants of villages Meghowal, and Ajrain in tehsil and district Jullundur, in connection with the construction of the said project ; if so, the action, if any, so far taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes.

(b) Yes. After examining all the pros and cons and considering every aspect, Government have finally approved to protect the Adampur Airfield and the schemes as originally approved is to be adhered to.

CONVERSION OF RAJIN CHO IN DISTRICT HOSHIARPUR INTO RAIN WATER CANALS

1646. Chaudhri Dasondha Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal to convert Rajain Cho in Hoshiarpur Tehsil into Rain Water Canals; if so, the time by which it is expected to be implemented ?

Sardar Gian Singh Rarewala : No. There is no such proposal.

DIRECTOR OF AYURVEDA, PUNJAB

1647. Raja Raghubir Singh : Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state —

(a) the date on which the post of the Director of Ayurveda, Punjab, was created and qualifications, if any, prescribed therefor ;

(b) whether the said post was filled through the Punjab Public Service Commission ; if so, the names of persons, if any, recommended by it ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) The Director of Ayurveda of erstwhile Pepsu was integrated as Director of Ayurveda, Punjab, at the time of the merger of the two States.

(b) Question does not arise.

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There is a question of privilege* sought to be raised by Chaudhri Dharam Singh Rathi. I disallow it because it is identical with the one which was ruled out of order yesterday.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. हमारी अर्ज़ जनाब इतनी ही है कि अगर तो यह कमरा Deputy Speaker के दफतर के लिए है फिर तो ठीक है । वरना जैसे और लोग इसमें आते हैं हमें भी वहां जाने की इजाज़त होनी चाहिए नहीं तो किसी भी political party के आदमी को उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिये ।

Mr. Speaker : There is no room with the Congress Legislature Party. The Opposition has got a room which I got partitioned into two because there is lack of accommodation.

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं एक ज़रूरी अमर की तरफ आप की तवज्जो दिलाना चाहता हूं । मैं ने पहले भी अर्ज़ किया था कि वहां पर किस तरह से हेराफेरी होती है । जो उन के आदमी हैं वही इस कमरा में जा सकते हैं और कोई नहीं । या तो यह होना चाहिये कि यह जो Deputy Speaker का कमरा है इस में सब को आने जाने की इजाज़त हो; यह सब का सांझा है । यह न हो कि खास खास आदमी ही वहां जा सकें। वहां strangers काफी तादाद में आते जाते रहते हैं । इस की वजह यह भी है कि एक party को यह दफतर मिला हुआ है । इस में आने जाने की किसी को भी रुकावट नहीं होनी चाहिए ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । Is he allowed ?

श्री अध्यक्ष : जब से आजादी मिली है, हम अपना Secretariat किसी भी जगह पर permanently establish नहीं कर पाए । जब partition हुआ, हम शिमले पहुंचे जहां से कि हम चंडीगढ़ के Engineering College में आये ।

---

*__Shri Dharam Singh Rathi, M.L.A.__ to ask for leave to make the following Privilege Motion :—

"I beg to move a question of privilege for the leave of the House to discuss a specific matter of recent occurrence which requires intervention of this House, namely that I wanted to meet the Deputy Speaker in his office room yesterday and was not allowed to go in his said room and was told that the said Room was not in his possession but was in the possession of the office Secretary of the Congress Legislature Party and this has resulted in the breach of the privilege of the members of this houseas some members are not allowed to enter the said room as well as the Deputy Speaker, to whom the said room is allotted, does not use the said room but is used by political party in power and as a result of the same some strangers enter into the lobbies through this room as the room is quite adjacent to the lobby."

जब कालेज का काम शुरू हुआ तो हमें फिर अपने लिये कोई जगह ढूंढनी पड़ी और हम सैक्टर 23 में चले गए। यहां पर हम कुछ मुशकिलात के कारण ज्यादा देर न ठहर सके क्योंकि session के लिए इन्तजाम Engineering College के हाल में ही करना पड़ा जोकि दफतर से बड़ा दूर था। इस समस्या को हल करने के लिये Secretariat को Higher Secondary School सैक्टर 10 की एक building में shift किया गया जहां पर कि Hall को Session की जरूरतों के मुताबिक बनवाया गया। आज जब कि अलग अलग कमरों की मांग की जाती है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम इस building में सिर्फ आर्जी तौर पर रह रहे हैं। हमारा permanent Assembly Chamber अभी बन रहा है। वहां पर इन मकासद के लिए अलग अलग कमरे होंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास जो accommodation है उसी के मुताबिक adjust करना है (*Interruption*)। क्योंकि कमरों के बारे में सवाल उठाया गया इसलिए मुझे position वाजेह करनी पड़ी। बहर हाल पिछली बार भी मैं ने पंडित जी को कहा था कि अगर आप यह कमरा लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज न होगा।

एक और भी बात है जिस की बाबत मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस दिन जब आहूजा साहिब Deputy Speaker के कमरे में बैठ गए थे तो एतराज उठाया गया कि एक stranger lobbies में बैठा हुआ है। ठीक है कि ऐसे मुआमलों में हमें strictly deal करना चाहिए और उन्होंने मुआफी भी मांगी थी। दरअसल बात यह है कि किसी को वहां Deputy Speaker साहिब से सलाह लेने के सिलसिले में भी आना होता है। लेकिन यह तकलीफ कमरों की कमी की वजह से ही है। आप अन्दाजा लगा लें कि अगर कमरों की कमी न होती तो मिनिस्टर साहिबान के लिए tents क्यों लगाए जाते। Legislature parties के दफतर में जाने के लिए किसी को रोकने के लिए कोई hard and fast rules भी नहीं हैं। अगर कोई stranger lobbies में से Deputy Speaker के कमरा में जाता है तो उसे रोका जा सकता है और इस के लिए strict orders दिये जा सकते हैं कि कोई strangers यहां नहीं जा सकते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यह accommodation की कमी अगले साल असैम्बली चैम्बर बन जाने से दूर हो जाएगी। दरअसल मैंने खासतौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि हाल जल्दी से जल्दी बन जाने चाहिएँ। उस नई इमारत में अलग अलग पार्टीज़ के लिए अलग अलग कमरे होंगे और साथ ही strangers के लिए भी कमरा बना होगा।

यह इमारत तो आर्जी तौर पर लैजिस्लेचर के लिए इस्तेमाल हो रही है जिसमें जगह काफी नहीं है। इसी लिए इस किस्म की दिक्कतों का हमने सामना करना है। कई दफा ऐसा होता है कि कमेटीज़ की sittings और काउंसिल की sitting व रीजनल कमेटीज़ की बैठकें सभी कुछ साथ ही साथ चलता है जैसा कि कल हो रहा था और आज भी रीजनल कमेटीज़ की sittings चल रही थीं। ऐसी हालत में accommodation की दिक्कतें होती ही हैं। और अगर आप फिर भी strangers के लिए ऐसी सख्ती चाहते हैं तो मैं असैम्बली आफिस से दो आदमी देने के लिए तैयार हूं जो यह watch करेंगे कि कोई stranger तो लाबीज़ में नहीं आता। और अगर कोई stranger फिर भी आता है तो उसके खिलाफ जैसा आप

[श्री अध्यक्ष]
बताएंगे वैसा action लिया जाएगा । अगर वह आदमी जो duty पर होगा कोई negligence जाहिर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

(Eversince the attainment of independence we have not been able to set up our Secretariat permanently at one place. On the eve of partition, we migrated to Simla from where we shifted to the Engineering College building at Chandigarh. We were again confronted with the problem of housing the Secretariat when the College itself started functioning. Then we shifted to Sector 23. There again we could not stay on for long due to certain difficulties because for purposes of holding sessions we had to make use of the Hall of the Engineering College which was at a far off distance from the office premises. In order to solve this problem, the Secretariat was shifted to this building of the Higher Secondary School in Sector 10 and the Hall of this building was renovated to suit the requirements of the Sessions of the Sabha. Today when a demand for separate rooms is made we should not forget the fact that we are here only temporarily. Our permanent Assembly Chamber is still under construction and there we will have separate rooms for every purpose. But whatever limited accommodation now we have at our disposal we have to adjust ourselves. (*Interruptions*). I had to clear my position because a question regarding the allotment of rooms has been raised. Moreover, last time too I had told the leader of the Opposition that if he so desired, I would have no objection to allot him this room.

There is another matter on which I would like to say a few words. The other day when Shri Ahuja was sitting in the Room of the Deputy Speaker an objection was raised why a stranger had been sitting in the lobbies. It is true that such matters should be strictly dealt with and the gentleman had tendered an apology. As a matter of fact certain persons have to go there for consultations with the Deputy Speaker but the present difficulty has arisen due to shortage of rooms. Just imagine, that if there had been no shortage of accommodation, would the Minister have been provided with tents for office accommodation ? Moreover there are no hard and fast rules to check people from going into the rooms of the offices of the Legislature parties. Any way, any stranger going to the room of the Deputy Speaker can be stopped and strict orders prohibiting strangers to enter these rooms can be issued. But as they are aware, this difficulty of shortage of accommodation will end with the completion of the Assembly Chamber next year. In fact I have laid special stress on the construction of the Halls at the earliest. In the new building provision for separate rooms for all parties have been made and there will be a separate room for the strangers also.

The present building which lacks sufficient accommodation is under temporary occupation by the Legislature and we have to put up with difficluties. Sometimes it so happens that the meetings of the Committees, the Council and the Regional Committees are held simultaneously. Just as it happened yesterday, and today also the meetings of the Regional Committees were being held side by side with the sitting of the Council. Under these circumstances, the difficulties of accommodation are always there. But in view of this if the hon. Members still feel that stringent measure, to check the entry of strangers, be adopted then I am prepared to appoint two persons to keep vigilance that no stranger enters the lobbies. If still a stranger dares to come, then action will be taken against him in accordance with their wishes. Again if the official on duty shows negligence, he will be severely dealt with.)

पण्डित श्री राम शर्मा : Accommodation की कमी है, यह मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि वह कमरा Deputy Speaker का है या नहीं, यदि है तो वह आपने allot किया है या कि Chief Minister ने। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहां पर अगर कोई पार्टी बैठती है, तो क्या वह आपकी इजाज़त से बैठती है या वैसे ही घुस आती है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने position clear कर दी कि accommodation की कमी है। (I have clarified the position. There is a scarcity of accommodation.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ban लग जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : फिर opposition वालों को चाहिए कि वह अपना कमरा छोड़ दें। (Then the opposition should give up the use of their room.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों को अलग टैंट लगा देंगे। (Thenseparate tents will be arranged for both the parties)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ lobbies ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ smoke ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(*interruptions*)

श्री अध्यक्ष : इसके लिए एक नोटिस circulate करवा देने वाला हूं कि अगर किसी को objection हो तो smoke न किया जाए और इसके लिए एक बाहर टैंट लगवा दूंगा कि जो लोग smoke करना चाहते हैं वह वहां जा कर smoke कर सकें। जैसे आप के एतराज़ बढ़ते जाएंगे, हम बाहर निकालते जाएंगे। (I am going to have a notice circulated to the effect that if any member objects to smoking in the lobbies it should be stopped and for those who want to smoke, a separate tent would be got pitched outside. So the more the objections, the more the accommodation provided out side the Chamber.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।

Mr. Speaker : No question of Gurdwara.

MESSAGE FROM THE GOVERNOR

Mr. Speaker : Now I will read out the letter which has been addressed to me by the Governor as well as the message which is for the House. The letter reads thus :—

Dear Speaker,

Reference your D. O. letter No. 34-PLA-58/9208, dated the 31st March, 1959. I am enclosing herewith my decision with respect to the matter raised in the said letter in the form of a message.

Yours sincerely,
N. V. GADGIL.

[Mr. Speaker]

The message reads as under :—

The East Punjab Utilisation of Lands (Amendment) Bill, 1956, has been sent to me under rule 171-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. The Bill has been passed by the Assembly in a form which is substantially different from the one in which it has been reported by the Hindi Regional Committee. The subject matter of the Bill is relateable to one of the Scheduled Matters within the competence of the Regional Committee.

The variation in the two legislative proposals relates to clause 3 of the Bill. A portion of the amendments in this clause proposed by the Hindi Regional Committee appears to me to be un-constitutional and I cannot, therefore, recommend its acceptance in its present form. At the same time it seems to me that if I ask for the acceptance of the Bill as passed by the Assembly, it would be contrary to the letter and spirit of the Punjab Regional Committees Order, 1957. Clause (2) of Rule 171-A of the said Rules enjoins on me either to send a message to the Assembly that it may be withdrawn or that it may be passed in one of the two forms as reported by the Assembly and the Regional Committee. I cannot persuade myself to send a message to the Assembly to pass the Bill in either of the two forms. The Rule does not leave me any option to make any suggestions of my own should I so desire. I am, therefore, left with the alternative of asking the Assembly through you to withdraw the Bill. I have no doubt that the collective wisdom of the House would be able to devise a *via media* which would at once satisfy the wishes of the Regional Committee and also meet the Constitutional requirements.

(At this stage some hon. Members rose to catch the eye of the Speaker.)

श्री अध्यक्ष : इस पर बोलने से पहले ज़रा Member साहिबान सोच लें । (The hon. Members may please carefully think before rising to speak.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, to-day we have received a message from the Governor. A message of this type has been given to the Assembly for the first time. I have been thinking over it and I just want to know whether the House would be given an opportunity to consider or revise this message which has raised a question of constitutional importance.

Mr. Speaker : I think before you ask any question, you should carefully read Rule 171. When a message as contemplated in Rule 171 is delivered to the House the Bill would be deemed to have been withdrawn.

Sardar Bhupinder Singh Mann : I precisely wanted to know its significance.

Mr. Speaker : The Bill as introduced and as it has been passed is quite a different matter.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Governor Sahib का यह जो आर्डर है उसे मैम्बरों को distribute करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगर आप चाहें तो मैं इस message की कापियां distribute करा दूंगा। (If the hon. Member so desires, I will get the copies of this message distributed to all.)

श्री बलराम दास टण्डन : बहुत अच्छा जी ।

Mr. Speaker : The procedure is that the Governor shall as soon as possible after the submission to him of the Bill, return the Bill to the Assembly with a message recommending either that the Bill be withdrawn or that it be passed in the form in which it has been reported by the Regional Committee or in the form in which it has been passed by the Asssembly and the message received from the Governor shall be reported by the Speaker to the Assembly and accordingly the Bill shall be deemed to have been withdrawn or, as the case may be, deemed to have been passed.

एक माननीय **मेम्बर** : अब क्या position है ?

श्री अध्यक्ष : इस दफा तो उन्होंने withdraw करने को ही कहा है । So the Bill shall be deemed to have been withdrawn अभी तो Regional Committees ने function करना शुरू ही किया है, घबराते क्यों हो ? (हंसी) । (This time the Governor has recommended for its withdrawal. So the Bill shall be deemed to have been withdrawn. The Regional Committees have just started functioning, why worry ? (*Laughter.*)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ; ਇਹ withdraw **ਹੋ ਜਾਇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ** agree **ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ** । (*Interruptions.*) ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ reject ਕਰੇ . . . . .

Mr. Speaker : Please read this rule carefully the bill shall be deemed to have been withdrawn.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : On a point of order, Sir. ਜਨਾਬ 31 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸਵਾਲ 3598 ਸੀ ਉਸਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ information is laid on the Table of the House ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਉਸਨੂੰ verify ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

Mr. Speaker : You see me in my Chamber. I will verify it there. This is not the proper occassion for that.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Mr. Speaker : Now the Secretary will make an announcement.

Secretary : Sir, under rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Municipal (Amendment) Bill, 1959 and the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, 1959, passed by the Punjab Legislative Council on the 6th April, 1959, have been received. I also lay a copy each of the said Bills on the Table of the House.

Further, the Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1959 and the East Punjab War Awards (Amendment) Bill, 1959, passed by the Vidhan Sabha on the 31st March, 1959 and transmitted to the Punjab Legislative Council the same, day, have been agreed to by the said Council without any recommendation on the 6th April, 1959.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to lay on the Table the amendments made to the Industrial Disputes (Punjab) Rules, 1958, as required under section 38(4) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Minister for Industries : (Dr. Mohan Lal) : Sir, I beg to lay on the Table the Punjab Weights and Measures (Enforcement) Rules 1958, as required under section 44(5) of the Punjab Weights and Measures (Enforcement) Act, 1958.

Minister for Finance : (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to lay on the Table the Appropriation Accounts of the Government of Punjab for the year 1957-58 and the Audit Report, 1959.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to lay on the Table the Finance Accounts of the Government of Punjab for the year 1957-58 and the Audit Report, 1958.

THE PUNJAB MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 1959

(REFERRED TO THE REGIONAL COMMITTEES)

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Municipal (Amendment) Bill, 1959, as passed by the Legislative Council be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th August, 1959.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Municipal (Amendment) Bill, 1959, as passed by the Legislative Council be referred to the Regional Ccmmittees with a direction to make a report by the 15th August, 1959.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Municipal (Amendment) Bill, 1959, as passed by the Legislative Council be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th August, 1959.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (SECOND AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Industries and Local Government (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> ..That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, as passed by the Legislative Council be taken into consideration.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. जनाब स्पीकर साहिब गुज़ारिश यह है कि यह Bill हमें आज ही Council से आया है और हम ने इसे देखा भी नहीं है । इस लिए यह आज कैसे take up हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : Yes, I agree with the hon. Member. The consideration of the Bill is postponed and it will be taken up tomorrow.

THE PUNJAB LOCAL AUTHORITIES (AIDED SCHOOLS) BILL, 1959 (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Speaker: Yesterday when the House adjourned, the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill was under consideration and the Minister for Industries was still on his legs. He may please resume his speech.

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, कल जो सरदार उमराओ सिंह ने point of order इस Bill के मुताल्लिक उठाया था कि यह Regional Bill है मैं उस पर बोल रहा था । मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह Bill चूंकि Money Bill है इस लिए यह Regional Bill नहीं है । इस के इलावा आज मैं आप की तवज्जो खास तौर पर Constitution के Article 199 की तरफ दिलाना चाहता हूँ । इस में Money Bill की तारीफ़ की गई है । इस Article के sub-Atricle (f) की तरफ मैं पहले आप की तवज्जो दिलाना चाहता हूं । इस में जहां Money Bill की definition दी गई है वहां पहले para में दर्ज है कि कौन २ से Money Bills होंगे । Article 199 इस तरह हैं—

199. (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money B ll if it contains only provisions dealing w th all or any of the following matters, namely—

* * * * * * *
* * * * * * *

(f) Receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the Public account of the State or the custody or issue of such money.

तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह जो Bill है यह इस clause के तहत भी आता है । इसके इलावा मैं एक और sub-clause अर्ज़ करूंगा जिस के ज़ेर यह Bill आता है । जो भी funds हम इस B ll के ज़रिए Municipal Committees से इकट्ठे कर रहे हैं वह हमारी State के Consolidated Funds में जमा होने हैं । इस लिए यह Bill जो है यह Money Bill बनता है । फिर स्पीकर साहिब, इसी Article की sub-clause (a) जो है वह भी इस Bill पर लागू होती है । वह sub-section इस तरह से है :

"the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax".

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करूंगा कि यह Bill सिर्फ इस किस्म का ही नहीं है कि हमारे State के Consolidated Funds में वह रुपया जमा होना है बल्कि Municipal Committees के funds पर tax है जोकि इस legislation के ज़रिए हम ने realize करना है । Municipal Committees को अपने उस Fund में से भी State Government को हिस्सा देना पड़ेगा जोकि उन्होंने अपने 1957-58 के budget में provide किया होगा । इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह Municipal Committees पर सीधा ही tax है ।

Shri Sher Singh: What about management and control ?

उद्योग मंत्री : Management and control का सवाल इस Bill में नहीं आता। इस वक्त सिर्फ यह देखना है कि आया यह Regional Bill है या नहीं। मैं ने दलीलें दी हैं कि यह Money Bill क्यों है। मैं अब अर्ज़ करूंगा कि Money Bill को determine करने का procedure क्या है। इस के मुताल्लिक House में बहस नहीं हो सकती—अलबत्ता मैम्बर साहिबान की राए मुख्तलिफ हो सकती है कि यह Money Bill नहीं है। हमारी Legislature जो है यह इस को agree करने का और determine करने का common forum नहीं है। हमारे Constitution के इसी Article के sub-section (३) में यह बात कही गई है।

"If any question arises whether a Bill introduced in the Legislature of a State which has a Legislative Council is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of such State thereon shall be final."

इसके मुताल्लिक मैं और अर्ज़ यह करना चाहता हूं कि जनाब ने इस को already Money Bill treat किया है और मैं समझता हूं कि आप का फैसला final है। उस पर further बहस की गुंजायश नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मुनासिब समझते हैं कि इस पर re-consideration की गुंजायश है तो आप इजाज़त दे सकते हैं। मगर इस Bill का जो principle है वह यह है कि हम ने Municipal funds में से इस Bill के ज़रिए एक substantial amount ले कर Punjab State के Consolidated Funds में transfer करनी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा effective और कोई Money Bill नहीं हो सकता।

पण्डित श्री राम शर्मा: (सोनीपत): स्पीकर साहिब, इस बारे में भी थोड़ा सा मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि वज़ीर साहिब ने जो गल्ती की थी उसको आज कुछ हद तक सही करने की कोशिश की है। कल तो इनका ख्याल था कि गवर्नर साहिब ने जब इसकी Money Bill के तौर पर इजाज़त दे दी तो इस चीज़ पर अब इस हाउस में कोई बहस नहीं हो सकती इस लिए अब यह मामला खत्म है। मगर आज इन्होंने यह पैंतरा बदला है कि नहीं अब यह मामला ऐसा है कि आखरी फैसला स्पीकर का होगा। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि जहां तक गवर्नर साहिब का ताल्लुक है रिजनल फारमूला के बारे में तो उनके सब फैसले बिला चूंचिरां लागू होते हैं लेकिन इस बात में उनका आखरी फैसला नहीं है। अगर ऐसा हो तब तो यह मिनिस्टरी जब चाहे किसी बिल को भी money बिल करार दिला दे कि बस अब आखरी फैसला है और कोई बहस की गुंजायश नहीं। इन्होंने एक खींचातानी की है कि यह money बिल यूं है कि हमने कमेटियों से रुपया लेना है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि money बिल का मतलब यह है कि कोई बिल ऐसा पेश किया जाए जिससे गवर्नमेंट पर रुपया खर्च करने की लाज़मी तौर पर पाबन्दी आती हो। ऐसे बिल को money बिल कहा जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा है कि चूंकि हम ने रुपया लेना है इसलिए money बिल बन गया है गल्त बात है। इन 14 महकमों के बारे में जो रिजनल फारमूले में हमें दिए गए हैं कोई बात आए वह बगैर रिजनल कमेटियों के नहीं हो सकती है। अगर इन 14 महकमों के अन्दर भी इस गवर्नमेंट ने दखलअंदाज़ी करनी है कि हम ने उन से इतना 2 रुपया और जायदाद ले लेनी है और फिर उसको money बिल बना देना है तो मैं पूछता हूं कि यह 14 महकमे और रिजनल कमेटियां कहां गईं ? इन 14 महकमों

के देने का और सारा रिजनल के कमेटियों का सिलसिला खड़ा करने का क्या फायदा और मनशा है? तो स्पीकर साहिब मैं अर्ज़ करूंगा कि इन १४ महकमों और मज़मूनों को जो चीजें effect करतीहों उसका फैसला रिजनल कमेटियों को करना है और यह money बिल वाली बात नहीं चल सकती । इन की जो बातें होती हैं वह आपने देख ली हैं । बावजूद इसके कि असैम्बली ने एक बिल पास कर दिया था गवर्नर साहिब ने कह दिया है कि यह बात ठीक नहीं औ यह पास नहीं समझा जाएगा । तो मैं कहूंगा कि यह money बिल नहीं है और यह खाह मखाह Constitution को खींच रहे हैं । जो महकमा रिजनल कमेटियों की हद में आया हुआ है उससे यह रुपया और जायदाद लेना चाहते हैं और अब उसको कहते हैं कि यह money बिल हो गया है। इस तरह तो यह १४ मज़मून खत्म हुए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह money बिल नहीं है और यह बात रिजनल कमेटियों की हद में आती है । इस का ruling आपने देना है न कि गवर्नमेंट ने इस का फैसला करना है ।

श्री अध्यक्ष: : मैम्बर साहिबान, जो point of order उठाया गया है उस सम्बन्ध में एक बात आपको ज़रूरी तौर पर समझ लेनी चाहिए कि खाह कुछ हो Regional Committees Order का मुद्दा या कोई provision Constitution से clash नहीं कर सकता । अगर आप Regional Formulas को इस तरह stretch करें कि वह किसी specific Constitutional Provision से clash करें तो यह बात गलत है और नहीं हो सकती है । Money Bill की definition Constitution के Article 199 में दी गई है । जब Money Bill Council में जाता है तो अगर उसकी deifnition के बारे में दोनों Houses में dispute हो जाए तो इसी Article की sub-clauses (२) और (३) इस dispute को settle करती हैं और सारी procedure इन में दर्ज है । जहां तक मेरा ख्याल है जब से यह Constitution वजूद में आया है, बहुत rare मौके आए जब कि difference of opinion पैदा हुआ है कि यह Money Bill है या नहीं है । गवर्नर साहिब यह recommend कर देते हैं कि यह Money Bill है और इस को consider किया जाए । जब यहां पास हो जाता है then the Speaker gives a certificate on it that it is a Money Bill. This is the procedure so far as both the Houses of Legislature are concerned. जब यह गवर्नर साहिब के पास उनकी assent के लिए भेजा जाता है तो उस वक्त भी स्पीकर certify करता है कि यह Money Bill है । जहां तक Money Bill की definition का ताल्लुक है कहा जा सकता है कि Money Bill और finance बिल में फर्क है । Constitution के इसी Article 199 में एक ऐसा भी provision है जो यह बताता है कि महज़ imposition of fine and fee etc., के provision होने की वजह से ही कोई बिल Money Bill नहीं बन जाता बल्कि वह Finance Bill बनता है । तो इस में सारी चीज़ें साफ तौर पर provided हैं । Money Bill में basic बात यह है कि अगर वह कोई नया टैक्स लगाए या

[श्री अध्यक्ष]

खत्म करे और अगर consolidated fund में रुपया दाखल करें या बाहर निकाले तो वह Money Bill बनता है। यह जो मौजूदा बिल आपके सामने पेश है इसको इस चीज की रौशनी में examine करना है इस बिल के मुताबिक जहां schools गवर्नमेंट की management में दिए जा रहे हैं जिन में कि उन की buildings, furniture; playgrounds वगैरा शामिल हैं वहां यह incidental matter भी उसमें आता है कि उनके funds भी गवर्नमेंट को जाएँगे और वह रुपया State Consolidated fund में दाखल होगा। अब जबकि यह बिल यह बात provide करता है कि स्कूलों के इन funds को consolidated fund में ले जाना है तो यह बिल Money Bill नहीं है तो और क्या है ?

सरदार उमराओ सिंह ने यह point उठाया था कि कोई बिल Money Bill तभी हो सकता है if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in subclauses (a) to (f) of Article 199 of the Constitution. उनका ज्यादा ज़ोर only के लफज़ पर था कि चूंकि इस बिल में उनमें से कोई matter provided नहीं है इसलिए यह Money Bill नहीं है। लेकिन मैं उन से कहूंगा कि वह sub-clause (g) को भी देखें जिस में दर्ज है :—

> "any matter incidental to any of the matters specified in sub-clause (a) to (f)"

तो आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट ने स्कूलों को लेना है तो उनके साथ उन का furniture buildings, management और उनके incidental matters को भी लेना है यानी उनके funds को भी लेना है जोकि State के Consolidated Funds में जमा हो जाएंगे। यह बात Article 199 की sub-clause (g) में cover हो जाती है। मैंने सरदार उमराओ सिंह से पूछा था कि आप बताएं कि.........

If one part is not incidental to the other, can you separate them from each other ? That is not possible.

और इस में वह schools और incidental matters लाने के लिए अलग legislation पास नहीं कर सकते। आप यही करेंगे कि लिए जाएं या न लिए जाएं। यह नही हो सकता कि गवर्नमेंट स्कूल, उनकी management और इसके ज़रिए funds भी ले लें और आप कहें कि यह Money Bill नहीं है। I, therefore, declare it to be a Money Bill.

(One thing that the hon. Members should bear in mind in connection with the point of order that has been raised is that, come what may, the intention of the Regional Committees Order or any of its provisions cannot come into clash with the Constitution. It is wrong to stretch the Regional Formula in such a way as to bring it into conflict with some specific provision of the Constitution. The definition of the Money Bill is contained in Article 199 of the Constitution. If the definition of a Money Bill when it is transmitted to the Council, becomes the subject of a dispute between the

two Houses, it is settled under sub-clauses (2) and (3) of this Article and the whole procedure in this respect is laid down therein. So far as I know there have been very few occasions since the coming into being of the Constitution, when a difference of opinion about a Bill being a Money Bill or not arose. The Governor recommends that a particular Bill is a Money Bill and that it be considered. When it is passed here then the Speaker certifies it to be a Money Bill. This is the procedure so far as both the Houses of Legislature are concerned. When it is sent to the Governor for his assent the Speaker again certifies it to be a Money Bill. As regards the definition of the Money Bill, it may be stated that there is some difference between a Money Bill and a Finance Bill. In the same Article 199 of the Constitution there is a provision that lays down that a Bill shall not be deemed to be a Money Bill simply because it provides for the imposition of fines and fees , etc., and so it is deemed to be a Finance Bill. Hence everything is clearly privided in this Article. The basic thing in a money Bill is this. If it seeks to impose or abolish a tax and privides for the payment of money into or withdrawal of moneys from the Consolidated Fund, it is a Money Bill. Now in the light of this let us examine the Bill before the House. According to this Bill, whereas the schools including their buildings, furniture, playgrounds, etc., are to be brought under the management of the Government, their funds which is an incidental matter thereto have also to go to the Government and that money will be paid into the Consolidated Fund of the State. Now when this Bill provides for the transfer of these funds of the schools to the Consolidated Fund then if it is not a Money Bill what else could it be ?

Sardar Umrao Singh had raised the point that a Bill could be deemed to be a Money Bill if it contained only provisions dealing with all or any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of article 199 of the Constitution. He laid great stress on the word 'only' and his contention was that since none of those matters was provided in this Bill it was not a Money Bill. But I would ask him to refer to sub-caluse (g) also which provides —

> "any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f)".

He will see that when the Government has to take over the schools, it has also to take their furniture, buildings, managements, etc., and the incidental matter hereto, namely, the funds as well which would go into the Consolidated Fund of the State. This fact is covered by sub-clause (g) of Article 199. I had asked Sardar Umrao Singh to tell me if one part was not incidental to the other, could separate them from each other? That is not possible. Besides they cannot pass a separate legislation for taking over of schools and the incidental matte s thereto. The only thing they can do is to say that either these be taken or be not taken. It canno happen that the Government should take over the schools, their managements and their funds through this Bill and still the hon. Members should persist in saying that it is not a Money Bill. I, therefore, declare it to be a Money Bill.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਤਕ free education ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ public ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ credit ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਨਾਲ ਬਿਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।

उद्योग मंत्री : इस बिल का free education से क्या ताल्लुक है ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਕੂਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਮਨਕੂਲਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1957 ਔਰ 1958 ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲੀ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। (*Laughter*) ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। Local Bodies ਹਮੇਸ਼ਾ education ਦਾ ਬਜਟ ਬਨਾਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ funds ਰਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ funds ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ Municipal Committees ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ development ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ development ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫ਼ੇਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੜੇ ਫਖਰੀਆ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਕੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ? ਤੀਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ funds ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਔਰ ਅਲਾਊਂਸਾਂ ਤਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ aid ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪੰਡਤ of Sanatan Dharam College ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ economics ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ lecturer ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ Managing Committee ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢੋ ਵਰਨਾ aid ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Local bodies ਦੇ 30,000 teachers ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ salaries ਔਰ allowances ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ 30,000 ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮੇਮਾਰ ਹਨ, **ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ** ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਲੂਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1957 ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ basic pay ਮਿਲੇਗੀ **ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਦਾਰੀ** ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ basic pay ਪੁਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ seniority ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

Minister for Industries : On a point of Order, Sir. The hon. Member is going too much beyond the scope of the Bill.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ as a whole ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਮਾਮ ਮਨਕੂਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨਕੂਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ teachers ਨਹੀਂ, furniture ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਦ ਹੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ political fraud ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana 'General') : Mr. Speaker, Sir, I thought that the Government must have gained some experience and a little wisdom after taking the unilateral and drastic decision last year, of provincialization of the local bodies schools. But I am sorry to say that it seems that the Government have not realised their mistake or if such realization has come, it has come a little late and probably this has been made a matter of prestige and therefore this persistence is being shown.

I wish that they should not have persisted in their earlier decision which, undoubtedly, to my mind, has disturbed the economy of the State. Sir, I do not want to be sentimental on a matter like this. Let us consider this measure in an objective way and in a realistic manner.

Mr. Speaker, before I proceed to show how that decision has caused widespread resentment and disturbance in the economy. I would like to say that I, with the little experience that I have gained as a Member of different legislatures, feel that this Bill has been badly drafted. A novel method has been adopted for amending two different principal Acts.

The Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill eeks to amend absolutely two different Acts, viz. The Punjab Municipal Act, 1911 and The Punjab District Boards Act, 1883. A schedule has been put in the Bill making confusion worse confounded. I have noticed a tendency on the part of the officers responsible for drafting legislation to make it, as far as possible a camouflage so that no body could probe into he matter or it might not be understood by the people and it might have an easy passage in the House. How novel this measure can be seen from the fact that it has been made an indirect affair. In case, a Municipality passes a particular Resolution, then the Municipal Act will stand amended in relation to that Municipality and similarly if a District Board passes a Resolution, then the District Boards Act will stand amended, otherwise not. Sir, what will be the final position of the Municipal Act and the District Boards Act after this Bill has been passed. These three measures have been so confusingly welded together that the final picture is not clear, at least to my mind.

Sir, the step taken last year to provincialize the local bodies schools was hastily conceived. The decision was taken without examining its financial consequences. The Government declared, in hot haste, its policy to provincialize the schools and as a result of that, the State had to bear extra financial burden.

[Sardar Bhupinder Singh Mann]

Sir, if we were o read the aims and objects of the taxation measures that the Government got passed from this Assembly last year, we would find that the primary object of those measures was o provide finances to meet the cost of the provincialization of the local bodies schools. Last year, the S ate was burdened because extra finances were required for this purpose.

If you create a new item or programme of development and bring forward a taxation measure to raise money for financing it, that can be understood and appreciated. That may be justifiable to some extent but in this case the school were alre dy being run and education was already being impart d by different agencies, the private bodies, the local bodies and the Government. You did not increase the number of schools in the State. Nevertheless, you have subjected the State to new taxation measures. For the implementation of any development programme, particularly educational programme, it should be the policy and endeavour of the Governmen to mobilise the resources of all agencies viz. private bodies, local bodies , etc., etc. In this case, the consciousness of the people should have been so roused that they should have come forward and voluntarily opened new schools. In this way, the numb r of chools could have been increas d without resorring to additional measures of taxation.

But I regret to say that the educational pol cy of the Government has cried a halt to private efforts for which w are never tired of making appeals. This policy has halted and blocked all private efforts for opening new schools. The direct result of this is that no new schools will be or are being opened and the Government itself is not in a posi ion to provide universal education. Thus the Government has, by adopting a short-sighted policy,almost defeated the very purpose with which it had prov ncialized the local bodies schools. Not only that, Sir, I have got a personal grou e.

Last year no new school was opened and the reason given by the Education Minister for this is that the Government are already overburdened financially because of the provincialization of the local bodies schools...Let me explain what thi policy is. Let me say once for all that, to me, it appears to b an absolutely lop-sided policy. You say "We are making it a fr e education". Well, Sir, free education is a mockery if it is not universal education. Free education imparted in a restricted manner or in a halting way, m ans a discrimination between a village and a village. One village is having free education while the next villag has no school and new schools are not being opened by the State Government because it is already overburdened.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : On a point of order, Sir. The hon. Membe is addressing the Speaker. What does he mean when the says "You did this or you did not do that." ? Does he mean to say all these things to you ?

Mr. Speaker : He means "all of us".

Minister for Industries I thought, Sir, that the point of order would be that free education is not within he purview of this Bill. It is only about the provincialization of the local bodies schools.

Mr. Speaker : He has got the opportunity to explain that.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I am just referring to the two-fold burden that you are imposing upon the State by this policy of yours.

You have refused to open new schools because you are financially over-burdened on account of the provincialization of the schools and for my purpose this single point is sufficient to develop my arguments.

Sir, coming, as I do, from the erstwhile Pepsu State, I want to explain how this policy has adversely affected that area. We have no district boards in that area. Now, the Government is very kind towards th backward areas.

Sir, it is really good that h Government have got a Survey Report and ccording to that Report, schools are to be opened in those areas where there are no schools. But this Survey Report is in the eir so far. I am sorry to say that no provision of funds was made for the running of the local bodies schools before their provincialization. The Finance Minister, in league with the Education Minister, did not provide funds for the purpose. The local bodies schools were provincialized becuase it was felt by the Government that they were not being properly managed and he Government would be able to run th m efficiently. But I h ve my own doubts about the capacity of the Government to run them efficiently. Even as it is, whatever little advantage would result from the provincialization of schools, would go to the areas in whcih there were schools run by the District Boards and Municipal Committees. You are not by this scheme extending any benefit of education to erstwhile Pepsu districts, namely Bhatinda, Patiala Sangrur, etc., because there were no local bodies schools. The Government have provincialized schools in Amritsar, Gurdaspur, that is to say, in the districts of erstwhile Punjab State. In thi way, Sir, the Government are discriminating between a district and a district and a citizen and a citizen. It is, therefore, not a well-conceived policy or a policy in the interest of the districts of the State.

Then Sir, it is stated that the Government would provide schools to the backward areas according to the Survey Report, but here in erstwhile Pepsu State which has got backward areas, no new schools are being opened. Now it seems that the Government has realized that the idea originally conceived was bad and now it is trying to improve upon it. In other words, the Government is turning its back upon that scheme by bringing forward this penalising measure which requires the local bodies to part with their finances. The ideas originally conceived have been falsified by this measure. The Government, Sir, should have been clear in its mind, before provincializing the schools, that it would require finances to run them. The Government has not done any good by not opening schools in the erstwhile Pepsu areas and thereby denying educational facilities to that part of the State. Now after full one year, the Government has come forward with begging bowl requesting the local bodies to part with their finances which they expended on their schools so that it could run those schools.

Mr. Speaker : You are discussing the educational policy of the State Government but the Education Minister and the Deputy Education Minister are not present in the House.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, this proves my argument and shows the importance that is being attached to this question by the Education Minister. The Minister does not seem to be anxious to know the defects of the policy from the House. Any way, Sir, for my purposes.....

Mr. Speaker : You can find the scape-goat from among the Ministers present in the House.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, for my purposes, Shri Mohan Lal Minister for Industries and Local Government, is sufficient.

Mr. Speaker : He always accepts that position.

Minister for Industries and Local Government : And, Sir, he is equal enough to deal with such situations (*laughter*).

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I have already stated that I will not be sentimental in this matter. But we are passing through a transitional period. We are daily bringing forward new measures of taxation and this taxation, as you know Sir, is widely resented. In that way, I make bold to say that this policy is being pursued at the cost of other developmental programmes. Under the existing conditions, education should not have been given the priority that it has been given. Sir, if you ask me, "Will you like to have a High School or a Road". Well, I will say, "Give me a Road". Again, Sir, if you ask me, "Will you like to have Bhakra Dam or a School." I will say, "First give me the Dam, give me the water channel and other irrigational facilities so that I may be able to improve my economic position". Sir, it is the proverty that breeds ignorance.

By provincializing the schools and giving priority to the educational policy, the Government in my opinion, have thwarted the development programme. The only gain, which, in my opinion is illusory, is that a School which was previously managed by a District Board has now come under the control of the Government. I am quite sure that if the Government persists in pursuing its present educational policy, it will adversely affect and seriously injure the development programme of the State.

Otherwise, the Government will have to resort to more and more taxation measures. I want to telll the Government that the saturation point has already been reached and if it proceeds further with new taxation measures, it will be absolutely revolting to the people of the State to accept those measures. I do not say that they will rise to revolt or refuse to pay those taxes but it will be absolutely revolting because the saturation point has already been reached. Such novel and absolutely undersirable methods of taxation, as are now being proposed, will be resented by the people.

So, I ask the Finance Minister and the Education Minister to go very slow and seriously consider the consequences of this educational policy.

Thank you, Sir.

राजा रघुबीर सिंह (कुल्लू–जेनरल) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हमारे प्रदेश में

4 00 p.m.

education की बहुत ज़रूरत है लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यहां पर education की नीति को बिना सोचे विचारे चलाया जा रहा है। अब हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि जो ज़िम्मेदारी हम District Boards पर डालने जा रहे हैं क्या उन के पास उस जिम्मेदारी को उठाने की गुंजायश है ? जहां तक District Boards के द्वारा education को चलाने का सवाल था, वह तरीका देहात के लिए खास तौर पर ज्यादा फायदामंद था। Backward इलाकों में वह

शिक्षाप्रणाली ज्यादा फायदामंद थी। District Boards देहात से टैक्स ज़रूर लेते थे लेकिन थोड़ा काम भी ज़रूर कर देते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं महसूस करता हूं कि खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जो administration of inspections है वह तसल्ली बख्श नहीं है। Divisional Inspectors उन far-flunged इलाकों में पहुंच नहीं सकते। उन को T. A. नहीं मिलता। उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता। पहले ही District Boards के purview से स्कूलों को निकाल कर सरकार ने लोगों के साथ अन्याय किया है और अब फिर सरकार कह रही है कि चूंकि हम ने उन स्कूलों को चलाना है इसलिए District Boards से रुपया लेंगे। मेरा विचार यह है कि अगर सरकार यह समझती है कि वह उन स्कूलों को जारी रखने में असमर्थ है तो उस को वे स्कूल District Boards को वापस कर देने चाहिएं। District Boards आज तक स्कूलों को चलाते रहे हैं। मैं Municipal Committees के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मुझे पता है कि District Boards के पास पैसा नहीं है। उन से यह खर्चा नहीं लिया जाना चाहिए। एक और Power भी लेने की कोशिश की गई है। वह यह है कि District Boards को जो रुपया by contribution भी मिला है वह भी सरकार को मिल जाएगा। इस सम्बन्ध में मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने जो contribution बाज़ स्कूलों के लिए District Boards को पहले दी थीं.... (*Interruptions*)

मैं अर्ज़ कर रहा था कि District Boards के जो स्कूल पिछले साल से भी सात आठ साल पहले provincialize हुए थे उन के लिए लोगों ने District Boards को contributions दिये थे ताकि Boarding House बनाए जाएं, स्कूलों की buildings expand की जाएं और इस मतलब के लिये ज़मीन खरीदी जाए। इस किस्म की बहुत सी मिसालें हैं। उन तमाम को बयान करने के लिए बहुत सा वक्त चाहिए। लेकिन मैं एक मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं वह Tehsil Headquarter, Seraj, के हाई स्कूल की है। वहां की पंचायत ने एक बार 10 हज़ार रुपया इकट्ठा कर के दिया था और दूसरी बार अढ़ाई हज़ार रुपया इकट्ठा कर के दिया था। जिस वक्त स्कूल provincialize हुए तो वह रुपया भी सरकार के पास चला गया। लेकिन आज तक न तो वहां Boarding House बना है और न ही building की expansion हुई है। हां पुरानी building की कुछ मुरम्मत ज़रूर हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यही ढंग रहा तो सरकार अब भी जो रुपया District Boards से लेने जा रही है वह भी बड़े खज़ाने में जमा हो जाएगा और जिस मतलब के लिए रुपया लिया जाना है वह हल नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि District Boards का इंतज़ाम सोलह आने सही था। लोग तबदीली चाहते थे। लेकिन वे सिर्फ ins-pection के तरीके में तबदीली चाहते थे। Inspection की administration उस वक्त भी ढीली थी और backward और पहाड़ी इलाकों में अब भी ढीली रहेगी। मैं ने देखा है कि Education Department ने अब जो survey किया है वह बड़े

[राजा रघुबीर सिंह]
अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने काफी रकम backward areas के लिये रखी है। लेकिन जैसे मान साहिब ने भी कहा है कई जगह पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लोगों ने बड़ी मेहनत से रुपया इकट्ठा किया और हिम्मत कर के buildings बनाईं। लेकिन उन के हां अभी तक स्कूल नहीं खोले गए। Districts में local officers यानी D.Cs. और S.D.Os. ने सब से कहा कि इकट्ठे हो कर buildings वगैरा बनाओ और उन्होंने इकट्ठा हो कर खूबसूरत buildings बनाईं और उन जगहों पर जा कर बनाईं जहां यह बनानी बड़ी मुश्किल थीं। लोगों ने सामूहिक विकास के ढंग से वहां स्कूल बनाये लेकिन तीन साल हो चुके हैं कि वहां पर अभी तक स्कूल नहीं खोले गये। पिछले से पिछले साल वहां कोई स्कूल नहीं खोला गया था, पिछले साल भी कोई नहीं खोला गया था और इस साल भी नये स्कूल जो खोले जाने हैं उन की लिस्टों में वहां के स्कूलों का नाम नहीं मिलता। बजट में इन स्कूलों के लिए जो रुपये पिछले दो सालों में रखा जाता रहा है वह इस साल भी दोहराया जायेगा लेकिन स्कूल वह खोले नहीं जायेंगे हालांकि वहां के लोग तीन सालों से लगातार इन के खुलने की आशा लगाये बैठे हैं। जहां आठ आठ और दस दस मील के area में इस वक्त कोई स्कूल नहीं वहां इस ऐक्ट के पास हो जाने से और भी बुरा असर पड़ेगा। कम अज़ कम पहाड़ी इलाकों को.......

श्री अध्यक्ष : यह तो आप को मालूम ही है कि ऐसे मामलों में कांगड़ा का सब से पहले और खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। (The hon. Member knows it full well that in such matters the foremost and special consideration is being shown to the District of Kangra.)

राजा रघुबीर सिंह : स्पीकर साहिब, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट के ज़रिये सरकार जो स्कूलों की buildings वगैरह ले लेगी, इन टूटी फूटी buildings की maintenance के लिए इसे इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। Girls High स्कूल, कुल्लु की building की ऐसी खस्ता हालत है जिस की तरफ मैं सरकार का ध्यान.......

श्री अध्यक्ष : अब आप wind up करिये। (The hon. Member may now wind up his speech.)

राजा रघुबीर सिंह : बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जब District Boards और Municipal Committees के स्कूलों को provincialize कर रही है तो क्या बाकी के जो private स्कूल हैं, वह भी provincialize होंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : बस जी। यह सवाल इस से पैदा नहीं होता। It is not relevant to the motion now before the House. (The hon. Member may now please stop speaking. This question does not arise. It is not relevant to the motion now before the House.)

कामरेड मुनी लाल (शिमला) : स्पीकर साहिब, सरकार को इस बिल के लाने की ज़रूरत इस लिए महसूस हुई क्योंकि इस ने Local Bodies के स्कूलों को provincialize किया। 1957 में जब इन की provincialisation का बिल यहां आया था तो उस वक्त भी यहां इस की मुखालफत की गई थी। मैं इस बात को मानता हूं कि Local Bodies के स्कूलों और privately-managed स्कूलों का इंतज़ाम अच्छा नहीं था, teachers की हालत नागुफ़्ताबे थी और सरकार ने Local Bodies के स्कूलों को अपने control में ले कर उन्हें काफी relief पहुंचाया है। लेकिन एक तरफ फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी तरफ जो education का सिलसिला था उसे इसने दरहम बरहम कर दिया है। आज मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, जब मैं ने देखा कि मेरे आनरेबल दोस्त सरदार भुपेन्द्र सिंह मान, जिन्होंने गवर्नर के Address पर बोलते हुए free education की policy पर बड़ी तारीफ की थी, इस के critic बने रहे हैं। मुझे दुःख है कि मुझे भी इस गवर्नमेंट की इस policy को criticise करना पड़ेगा। हमारे education के महकमे का बजट 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इतने बड़े खर्च से जितना बड़ा फायदा लोगों को होना चाहिए था वह हो नहीं रहा। इस से मैं समझता हूं कि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो provincialisation से decentralisation की spirit के खिलाफ बात हुई है और दूसरी बात इस से यह हुई है कि गवर्नमेंट स्कूलों और private स्कूलों में discrimination हुई है। Equalisation का हमारा जो नारा था, यह चीज़ उस के खिलाफ हुई है। Local Bodies के स्कूलों को सरकार ने अपने अधिकार में ले कर वहां सातवीं जमात तक free education कर दी है लकिन जो privately-managed स्कूल हैं वहां free education न होने की वजह से वह बन्द हो रहे हैं और वहां के बच्चे तालीम के बगैर रह जायेंगे। जहां उन्हें equal basis पर treat किया जाना चाहिये था वहां यह हो रहा है कि कुछ को तो फीस देनी पड़ रही है और कुछ free पढ़ रहे हैं। फिर Local Bodies के स्कूलों के provincialise हो जाने से education का सारा सिलसिला दरहम बरहम हो गया है। उस की वजह यह है कि इस से Education Department में काम एक तो integration की वजह से पहले ही बढ़ गया था दूसरा इस से नए staff की fixation of scales of pay और seniority वगैरह fix करने के काम से इस महकमे पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया है। इस का ज़िम्मेदार मैं केवल education के महकमे को नहीं ठहराता क्योंकि उस पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है लेकिन यह मैं ज़रूर कहता हूं कि जितने स्कूल provincialize किये गये हैं उस का नतीजा हमारे सामने यह निकला है कि एक जगह नहीं हम कई जगह पर महसूस करते हैं कि जब एक teacher छुट्टी चला जाये तो उस की जगह पर दूसरा teacher बच्चों को पढ़ाने के लिये नहीं भेजा जाता। March के महीने में भी देखा गया है कि teachers न होने की वजह से बच्चों को suffer करना पड़ा है। मैं यह किसी एक स्कूल की बात नहीं करता। यदि मैं अपनी constituency के कई स्कूलों को गिनाऊं तो यह कोई गलत बात न होगी। अगर एक teacher छुट्टी चला जाये तो उस की जगह पर काम करने के लिए कोई relieving teacher नहीं होता। फिर primary education एक बड़ा

[कामरेड मुनि लाल]

ticklish मामला है। लेकिन इसके लिए जो teachers महकमे की तरफ से recruit किये जाते हैं वह raw hands होते हैं। इस का नतीजा यह होता है कि बुनियादी तौर पर बच्चों का तालीम की तरफ झुकाव नहीं होता। बाज़ दोस्तों ने कहा है कि primary education compulsory नहीं की गई। मैं कहता हूं कि तमाम State में primary education compulsory करने के लिए 9 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी लेकिन हमारी सरकार ने दस करोड़ रुपये इस महकमे पर खर्च कर के इस का सारा काम दरहम बरहम कर दिया है। इस की वजह यह है कि इस से इस महकमे पर इतना ज्यादा काम पड़ गया है जो यह सम्भाल नहीं सका।

मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी 2 constituency के बारे में यहां कुछ बातें करें या कुछ suggestions सरकार को दें तो उन पर अमल होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरी constituency में छाछा गांव के अन्दर एक स्कूल की building थी जोकि बड़ी खस्ता हालत में थी उस के बारे में मैं ने पिछले से पिछले साल भी कहा था, पिछले साल भी कहा था लेकिन महकमे के पास ज्यादा काम हो जाने की वजह से उस बिल्डिंग की तरफ तवज्जुह नहीं दी गई और इस का नतीजा यह हुआ कि वह गिर गई। क्या यह public का रुपया न था ? क्या यह national money नहीं थी जो इस तरह से ज़ाया हो गई है ?

फिर मैं ने देखा है कि कई स्कूल buildings के किराये की रक्म बहुत outstanding है। वह दी नहीं जाती। यह कोई एक दो साल की बात नहीं। कई जगहों पर दस दस साल का किराया नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: यह कोई general debate नहीं चल रही। बिल पर बोलिये जो अब ज़ेरे बहस है। (It is not a general debate. The hon. Member should speak on the Bill now before the House.)

कामरेड मुनी लाल : फिर मैं समझता हूं कि Local Bodies के स्कूलों की provincialisation से State के बहुत से इलाके स्कूलों से महरूम रह गये हैं। मैं केवल अपनी constituency की बात नहीं करता बल्कि यह शिकायत बहुत से इलाकों से आई है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास जितने funds थे उन से वह local bodies के स्कूलों को provincialise करने में मुश्किल से कामयाब हुई है। वह अब नये स्कूलों के खोलने पर और रुपया नहीं खर्च कर सकती। वह इस में मजबूर है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस हालत में इसे बहुत सोच विचार से चलना चाहिए।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि education का मसला एक बड़ा अहम मसला है जिस पर इसे गम्भीरता से सोचना चाहिए। महज़ यह बात कह कर कि स्कूलों की provincialisation करने का हमारा निशाना था और हम हर सूरत में इसे पूरा करेंगे, तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिये। कई दोस्तों ने कहा कि सरकार ने education के महकमे का बजट आगे से तीन गुना कर दिया है और अब यह इस महकमे पर दस करोड़ रुपये खर्च करती है इस

लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी है तो मैं उन्हें कहूंगा कि जो लोग tax-payers हैं इन्हें उन का भी ख्याल कर के एक अच्छे तरीके से चलने की कोशिश करनी चाहिये ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ badly-worded ਬਿਲ ਅਗੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ knowledge up-to-date ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ contracts ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੇ badly-worded ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Municipal Act ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ amended ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ Municipal ਕਮੇਟੀਆਂ resolution ਪਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ resolution ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ amended ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ Municipal ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ District Board ਨੇ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ amended ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। Local Bodies ਦੇ school ਜੋ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ wriggle out ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਰਖ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ bodies ਇਕ resolution ਪਾਸ ਕਰਨ। 'May pass' a resolution ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲਭਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ resolution pass ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ......

श्री अध्यक्ष : आप negative तकरीर कर रहे हैं कोई positive बात भी करें (The hon. Member is making a negative approach, let him say something positive too.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ teachers ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿਉ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਇਸ ਵਿਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਖੇ ਹਨ 'may pass a resolution' ਤਾਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਾਂ District Board ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੜਕੇ services ਦੀ adjustment ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ policy lay down ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਇਹ ਇਹ conditions ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ grant-in-aid ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ amendment ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ grant-in-aid ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ local body ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ policy ਜੋ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ backward ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਖੁਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ position ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ Acts ਨੂੰ amend ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਜੁਦੇ 2 ਲਿਆਉਣ ਦੇ।

Mr. Speaker : How would you resolve this difficulty ? What is your suggestion ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : A local authorify may pass a resolution......

Mr. Speaker : This is for the first time that I have noticed this during the last so many years.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Tnis is a first Bill of its kind. It is doubtful that it would be considered as legally sound.

Mr. Speaker : Somthing has been devised to save further botheration. A couple of days ago, when I saw this Bill, I thought what type of schedule has been attached with it. Three amending Bill have been brought into once.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Legislation ਉਹ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ interpretation ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ Bill ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ lawyer ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ implications ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Local Bodies ਦੇ ਗਰੀਬ teachers ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਅਤੇ Municipal Act ਅਤੇ District Board Act ਵਿਚ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ amendment ਲਿਆਉ।

ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ District Boards, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ agency ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ, ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ House ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री अमर नाथ शर्मा (कांगड़ा) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल इस वक्त हाउस के सामने है इस में सरकार ने दो चीज़ों की मांग की है। एक तो यह कि लोकल बाडीज़ वह सारा सामान और बिल्डिंग्ज़ सरकार को दे दें जो इन स्कूलों से सम्बन्धित हैं। इस में desks, science laboratories वग़ैरह सब कुछ शामिल है। सरकार ने एक अक्तूबर, 1957, को लोकल बाडीज़ के 825 स्कूल provincialise किए और यह इस बिना पर किए कि टीचर्ज़ hue and cry करते हैं, agitation करते हैं। यह मेरे शब्द नहीं हैं। जब इन provincialised स्कूलों का बजट पेश किया गया तो उस में यह remarks थे कि teachers hue and cry करते हैं, agitation करते हैं, भूख-हड़ताल करते हैं कि इन स्कूलों को provincialise किया जाए। जहां तक मैं समझता हूँ इस के नीचे एक और बात भी थी जो कि उस वक्त लिखी नहीं गई और जिस का हाउस में ज़िक्र नहीं किया गया। वह यह थी कि Local Bodies और खास तौर पर District Boards पर कुछ खास चुने हुए लोगों का कब्ज़ा था। मैं नाम नहीं लेता, मगर ऐसा हुआ कि कहीं 2 इन लोगों की शिक्षा विभाग से और खासतौर पर इंस्पैक्ट्रों से ठन गई थी और वे इस स्टाफ को अच्छी तरह से काम नहीं करने देते थे। कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि इन स्कूलों के provincialise करने का एक यह भी कारण हो सकता है। अब इस बिल में हम यह कह रहे हैं कि Local Bodies एक रैज़ोल्यूशन पास करें और उस को गवर्नमैंट के पास भेजें और जितने assets हैं इन स्कूलों के वह इस को दें। Liabilities गवर्नमैंट नहीं लेगी। इन स्कूलों के assets गवर्नमैंट की मलकियत होंगे। उस के बाद समझा जाएगा कि यह स्कूल provincialised हो गए हैं। अब यह तो सब जानते हैं कि यह स्कूल इस लिये take over किए गए थे कि इन को पहले से बेहतर educational centres बनाया जाए। उनकी अच्छी buildings हों, अच्छी ज़मीन हों, laboratories अच्छी हों और अच्छा staff हो ताकि इस सूबे के बच्चों को अच्छी तरह से educate किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? जो स्कूल सरकार ने संभाले हैं और जो District Board के स्कूल थे उनके बारे में शुरू में कहा गया था कि सरकार उन्हें चलाएगी। लेकिन अब तक न तो इन स्कूलों की ज़िम्मेवारी सरकार ने ली है न District Boards ने। स्कूलों के कमरे गिर गए हैं। सरकार का जवाब है कि हमारी मलकियत इन पर नहीं। Gram Panchayat को कहा तो जवाब मिला कि हमारे पास funds नहीं। Develop-

[श्री अमर नाथ शर्मा]

ment Department को कहा गया तो उन्होंने यह जवाब दिया कि हमें यह हुक्म है कि जो स्कूल पंचायतों के अदारे में हैं इनकी maintenance पंचायत वाले करें। Development Blocks वाले रुपया नहीं देते और बाकी किसी का भी इसमें सहयोग नहीं। सरकार ने इन स्कूलों को अच्छा बनाने के लिये जल्द अज़ जल्द इन पर कब्ज़ा कर लिया लेकिन इन स्कूलों के इन्तज़ाम को बेहतर बनाने के लिये ज़रूरी इक्दाम करने ज़रूरी हैं। यह बिल सदन के सामने है। अगर इसमें कोई नुक्स हैं तो उन्हें दूर कर दिया जाए और इसकी जगह और कानून बना लिया जाए। लेकिन यह ठीक है कि कानून ज़रूर चाहिये ताकि कोई ज़िम्मेवारी तो लें। स्पीकर साहिब, मेरा यह ख्याल था कि इस बिल को लाने से पहले शिक्षा विभाग के योग्य शास्त्रियों से, जो शासन कर रहे हैं और जो पंजाब की education की पालिसी को चलाते हैं, मशविरा कर लिया जाता। सरकार की पालिसी के तहत 425 स्कूल provincialize कर लिये गए थे अब उन स्कूलों की इमारतों की ज़िम्मेदारी सरकार ले रही है। लेकिन इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिये यह ज़रूरी है कि कानून को पूरा और मुकम्मल किया जाए। यह देखने की बात है कि सभी स्कूलों के पास इमारतें हैं या नहीं। क्या उनके लिये यह लज्जा का कारण नहीं होगा कि कुछ स्कूल तो दिहातों में तो झोंपड़ी में खुले हों और District Headquarters में schools buildings पर दो दो लाख रुपया लगा कर बना दिया जाए? अगर ऐसी बात की गई तो इसका नतीजा यह होगा कि आज जो हम elect हो कर आए हैं और जिन लोगों को हम represent करते हैं वह हमें यह पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह मांग जायज़ भी है कि school buildings तहसील Headquarter और बाकी जगहों पर भी एक जैसी होनी चाहियें। इस लिये मैं, स्पीकर साहिब, आपके द्वारा सरकार की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप उस्तादों की रक्षा करना चाहते हैं या तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो Cabinet को—जहां काबिल आदमी मौजूद हैं—इस सारे मामले पर ग़ौर करें (एक माननीय सदस्य: वह काबिल आदमी हैं?) मैं उन्हें काबिल मानता हूँ। (*interruption*)

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री अमर नाथ शर्मा: यह तो अपना अपना नज़रिया है। मैं उन्हें आला दिमाग का मानता हूँ। मेरे Opposition के भाइयों को वही रंग नज़र आता है जो उनकी अपनी आँखों में होता है। हमारे वुज़रा को इस प्रांत से और प्रांत के लोगों से स्नेह और प्यार है इसलिये इस सारे measure के देखने की ज़रूरत है। जितनी भी complications थीं या अब पेश आ रही हैं उन पर पूरे तौर से सोचने की ज़रूरत है। 425 स्कूलों को अभी provincialize किया गया है लेकिन इन के राह में जो तकलीफात आ रही हैं उन्हें भी दूर करने की ज़रूरत है।

Cantonment Board Schools के बारे में भी सरकार की तरफ से एलान किया गया था कि वह भी 1958 में provincialize कर लेंगे लेकिन इस एलान को पूरा नहीं किया गया। सिर्फ यही नहीं, Private Schools का

भी मसला है। आज हम अपने बच्चों को अच्छे scholars बनाना चाहते हैं लेकिन कई complications जो रास्ते में हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। इनकी भी financial position को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बारे में मैं एक दरखास्त करूँगा कि 1961 में इन सारे स्कूलों को Multipurpose Higher Secondary Schools में तबदील करना है–यह मेरा नहीं शिक्षा विभाग और University का मुश्तर्का फैसला है। इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। अगर बोझ District Boards पर नहीं डालना और Municipal Committees पर नहीं डालना तो यह बोझ किस तरीके से सरकार उठाएगी ? आगे ही सरकार ने इस पर खर्च 5 करोड़ से बढ़ा कर 11 करोड़ कर दिया है और वह सिर्फ उस्तादों की तनखाहों पर जाता है तो $1\frac{1}{2}$ साल के बाद जब Higher Secondary होगा फिर ज़िम्मेदारी कौन लेगा ? Local Bodies के स्कूलों में आज यह हालत है कि एक उस्ताद trained है तो दूसरा untrained । जहां ज्ञानी है वहां शास्त्री नहीं। जिस तरह सरकार ने स्कूलों को अपने हाथ में लिया है उसी तरह इसको adjust करने की ज़रूरत है। यह न हो कि हम responsibility ले लें और Education Department को बाद में और मुश्किलात का सामना करना पड़े। जिस तरह Local Bodies वाले अपने स्कूलों को चलाने के लिये रकमें इधर-उधर से लेकर adjust करते हैं इसी तरह Education Department के अफसरान को भी न करना पड़े।

श्री अध्यक्ष : आप official gallery को मुखातिब कर रहे हैं। आप Chair को address करें। They are not a part of the House. (The hon. Member is addressing the official gallery. He should address the Chair. They are not a part of the House.)

श्री अमर नाथ शर्मा : I am sorry, Sir. मैं इस बिल के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि बजाए इसके कि हम और किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लें, आप की मारफत मैं निहायत अदब से अपनी सरकार से कहूँगा कि वह गहरे दिल से इस पर सोच-विचार करे और शिक्षा विभाग के अफसरान को साथ ले कर विचार करे। फिर इसकी complications को सामने रख कर इस बिल को पेश करें ताकि बाद में इस ज़िम्मेदारी को निभाया जा सके। $1\frac{1}{2}$ साल के बाद Higher Secondary में जो ज़िम्मेदारी आएगी उस पर विचार करना ज़रूरी है। आज जल्दी में इसे पास न किया गया तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। हर पहलू और हर रुख से सोच कर इस बिल को पास करना चाहिये।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, आज जिस बिल पर बहस चल रही है यह स्वायत्त शासन के मंत्री की तरफ से पेश किया गया है। इस पर इस सदन में माननीय सदस्यों और महानुभावों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। बहुत से उन मित्रों ने भी जो सदैव सरकार का साथ दिया करते हैं अपना अभिप्राय तथा अपने हृदय की आवाज़ इस सदन के समक्ष रख दी। इस सरकार ने इस विधेयक में तीन बिल इकट्ठे कर

[श्री मंगल सेन]

दिए हैं। इससे आम जनता को बात स्पष्ट नहीं होती। तीनों बिल इकट्ठे करके उनमें तरमीम करने का प्रयत्न किया है। इस बात के मुताल्लिक सभी ने अपने अपने ढंग से कुछ उलझनों को पेश किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब election का fever चल रहा था तो मुख्य मंत्री महोदय हमारे गांव में आए थे। उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था कि वह भले काम के लिये उठे थे; और दसवीं तक तालीम मुफ्त कर दी जाएगी यानी पढ़ाई के लिये फीस नहीं ली जाएगी। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। मुझे वह दिन याद है जब इस सदन के समक्ष यह बिल लाया गया जिसमें लिखा था कि District Boards और Municipal Committees के जितने स्कूल हैं वह अच्छे नहीं। न अच्छे teachers हैं न funds और बच्चों के बैठने को कोई जगह नहीं। इसलिये हम सब स्कूलों को provincialise कर रहे हैं। यह सब से बड़ी achievement है इस मंगलकारी और कल्याणकारी राज्य में हम मुफ्त तालीम करने वाले हैं। Municipal Committees और District Boards के स्कूलों को हाथ में ले लिया परन्तु खेद है कि इनकी नीति सफल नहीं हुई। इन्हें ऐसी स्थिति में हिम्मत से इस बात को मान लेना चाहिये कि इनकी नीति असफल हुई है। आपने जो कुछ उस समय कहा था जनता को झांसा देने के लिये कहा था। आप दलेरी से काम लें और इस बात को स्वीकार करें कि इस विभाग में आप को सब से बड़ी असफलता प्राप्त हुई है। जिन दिनों हमारे schools provincialise हुए, उस वक्त यह कहा जाता था कि यह एक surplus बजट है। इन्होंने इस surplus में से अगर हमें कुछ दिया तो यही एक चीज़ थी कि एक तरफ तो schools provincialise कर दिये और दूसरी तरफ taxes में बढ़ौतरी कर दी। हम जानते हैं कि इस provincialisation में किस तरह से जनता की गाढ़े पसीने की कमाई को लुटाया गया है और किस तरह कुनबा परवरी से काम लिया गया है। इसी तरह से 1957-58 में Local Bodies का पैसा भी ज़ाया किया गया। यह बहु सम्मति के ज़ोर से अपनी बातें मनवाते हैं और ऊट-पटांग कार्रवाइयां करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह ऊट-पटांग के मायने क्या हैं। यह शब्द पहले भी इस्तेमाल किया था और इस का मतलब आप की तरफ से ही पूछा गया था और आज आप ही बोलने लगे हैं (It is objectionable). What is the meaning of the word 'ऊटपटांग'? On a previous occasion, too, this word was used by someone here and was objected to by the hon. Member. Now he is using the same word himself. It is objectionable).

श्री मंगल सेन : मैं तो जनाब इतना निवेदन करना चाहता था कि हम ने सब से बड़ी बात तो यह करनी है कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली का विकास करना है। हम ने शक्ति को decentralise करना है। अगर शासन चलाने वाले तानाशाही से, अपनी ताकत से काम लेंगे, और चाहेंगे कि इस तरह से वह schools को provincialise

कर देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि यह हमारी बड़ी भारी भूल होगी। मैं यह बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि हमें Shools के provincialisation में सफलता हुई है दरअसल यह बात नहीं है। क्या ही अच्छा होता अगर वह अपनी ग़लती को मानते। मुझे यह शक है कि यह इतनी दलेरी नहीं कर सकेंगे कि वह अपनी failure को मानें। इन तमाम schools में पूरी तरह सामान नहीं है और न ही किसी तरह से कोई facility ही दी गई है। आज District Boards और Municipal Committees के schools को लेकर उन पर अत्याचार ही किया गया है। ठीक है कि सरकार ने यह श्रेय तो ले लिया है कि इसने schools provincialise किये हैं, मगर taxes उगराने का भार तो उन कमेटीज़ और Boards पर ही है। यह तो वह बात हुई कि चारा तो कोई खिलाये मगर दूध कोई और पिये। अगर धन्यवाद ही लेना था तो इन का काम भी दुरुस्त करना चाहिये था। हम जानते हैं, स्पीकर साहिब, कि इस महकमे में बड़ा ही गड़बड़ घुटाला है। Teachers को बड़ी थोड़ी तनखाहें मिलती हैं और 7-8 महीने यह अध्यापक बड़ी थोड़ी सी तनखाह में बच्चों के साथ मग़ज़ पच्ची करते हैं। इन से पढ़े हुए बच्चे कालजों में जाकर बड़े संपन्न होते हैं मगर इन के पढ़ाने वाले अध्यापकों को तनखाहें बड़ी कम मिलती हैं। उन को अपना पेट भरने को पैसा भी नहीं मिलता।

Mr. Speaker : Be relevant please.

श्री मंगल सेन : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इन लोगों को भी सुविधायें मिलनी चाहियें, इन की तरक्की का कोई प्रबन्ध होना चाहिये। इन की महंगाई की मांग थी। यह मांग भी पूरी होनी चाहिये। मगर यहां तो इन लोगों के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह तो इस किस्म की बातें करके अपनी ग़लती को छिपा रहे हैं। यह ग़लती भी नहीं मानते और इस किस्म की बातें करके जनता के ज़खमों पर नमक छिड़क रहे हैं। इस लिये यह बिल कदापि पास नहीं होना चाहिये। (*Interruptions*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please resume your seat.

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, दरहकीकत Local Bodies के स्कूल्ज़ provincialise करने का 1957 में जो फैसला हुआ था उसके मुताल्लिक बहस छड़ने की अब कोई खास ज़रूरत तो न थी। मगर चूंकि आज इस मुआमला पर सवाल उठाया गया और बहुत सी बातों को दुहराया गया इसलिये मुझे उनका थोड़ा बहुत जवाब देना है। मैं यह नहीं कहता कि जो बातें यहां पर कही गई हैं वह relevant नहीं हैं, relevant हैं। मगर उस वक्त कहना जब कि हम funds की demands Local Bodies से कर रहे हैं relevant नहीं है। यह नुक्ता चीनी अगर उस वक्त की जाती जब कि provincialisation का सवाल चल रहा था तो एक जायज़ बात थी। मगर वह बातें अब कहना कोई जायज बात नहीं है। इस बात को कहने का मेरा मकसद यह है कि अगर कोई ऐसी बात कही जाती जिस से कि

[उद्योग मंत्री]

provincialisation को लाभ होता तो भी कोई हर्ज न था मगर उन्ही बातों को repeat करना, उन्हीं arguments को repeat करते जाना कोई लाभकारी बात नहीं है। मैं इस पर बोलते हुए आप का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था मगर चन्द एक Member साहिबान ने याददाश्त की बिना पर कुछ कहा है मैं उन को जवाब दिया चाहता हूँ। इस बात में उस वक्त वज़न था जब decentralisation की policy adopt की गई थी। हम तो Local Bodies को ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात दिया चाहते हैं और भी कई subjects हैं जो हम उन के सुपुर्द करने वाले हैं। लेकिन अब वह बात जो उन के दायरे से निकल गई है Government के लिये करना आसान नहीं है। एक तरफ तो decentralisation की policy है और दूसरी तरफ उन schools की condition अच्छी करने का सवाल है। जो नुक्ताचीनी आज की जाती है इस के लिये agitations किये गये और demands की गईं। जिस को दबाने के लिये Ministers तक को दखल देना पड़ा। जो फैसला जात हुए हैं यह उन के दखल देने की वजह से हुए हैं। एक बार नहीं दो बार ऐसा हुआ था। तो मैं सारी बातें कहना ज़रूरी नहीं समझता। जहां तक बिल का ताल्लुक है इस का scope मुख्तसर है और वह यह कि एक फैसला जो 1957 से हुआ उस पर अमल हो रहा है। यह तो अमर वाक्या बन गया है कि लोकल बाडीज़ के स्कूलों को गवर्नमैंट ने provincia-lise किया और अब चला रही है। लेकिन ताज्जुब तो जब होता है कि मैम्बर साहिबान बग़ैर बिल को समझे ही तानाशाही जैसे लफ्ज़ जो उनकी डिक्शनरी में भरे पड़े हैं, अकसर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बिल के scope को ध्यान से नहीं देखा। Provincialisation करने क बाद एक बात रह जाती है कि उन स्कूलों की buildings को भी गवर्नमैंट अपने हाथ में ले। लेकिन जब तक यह कानूनी तौर पर transfer नहीं होती तब तक यह एक उल्टी सी बात रहती है और एक contradiction होती है। अभी तक local authorities को यह अख्तियार नहीं है कि वह movable और immovable properties गवर्नमैंट के हाथों दे दें। इसलिये यह बिल लाना पड़ा ताकि वह इन properties को सरकार को transfer कर सकें।

यहां पर बड़े ज़ोर से कहा गया है कि development के लिये जो पैसा इकट्ठा हो उसे development के कामों पर ही खर्च होना चाहिये। यह ठीक है लेकिन अगर development पर ही सारी तवज्जुह दें और education को नज़रअन्दाज़ कर दें तो यह एक ग़लत पालिसी होगी। हमें न केवल जनता की आर्थिक उन्नति करनी है बल्कि उसके साथ ही दिमाग़ी तरक्की भी करनी है ताकि अनपढ़ता और गुलामी के बोझ को दूर किया जा सके खास तौर पर उस समय जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। इस लिये हमें यह भी देखना है कि ऐजुकेशन की तरफ भी हमारा ध्यान हो। इसी लिये गवर्नमैंट को लोकल बाडीज़ के स्कूलों को अपने हाथ में लेने का कतई अफसोस नहीं है कि यह एक भारी बोझ उठा लिया है क्योंकि इससे तो देश का दिमाग दुरुस्त होना है, देश को आगे बढ़ना है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि लोकल बाडीज़ की जो ज़िम्मेदारियां थीं वे लोकल बाडीज़ के funds से ही पूरी की जाएं या कि स्टेट के consolidated funds से पूरी की जाएं। मैं समझता हूँ कि जब सरकार ने उनकी ज़िम्मेदारी संभाली है और स्टेट अपनी तरफ से इन पर खर्च करने के लिये तैयार है तो यह भी लाज़मी हो जाता है कि लोकल बाडीज़ के जो funds हैं उनमें हम हिस्सा बंटाएं ताकि उनकी ही ज़िम्मेदारियों को, जो उन्होंने ही पूरा करना था, हम पूरा कर सकें। इस चीज़ के लिये कहा गया कि यह बिल निकम्मा है। मैं समझता हूँ कि मेरे लायक दोस्तों ने इसकी implications को नहीं समझा कि अगर इस बिल को पास न किया गया तो स्टेट को consolidated funds मे खर्च करना पड़ेगा और फिर इस फंड को पूरा करने के लिये टैक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से लोगों पर बोझ पड़ेगा। लोकल बाडीज़ के टैक्सों के ज़रिये जो रुपया इकट्ठा होता था उसका अधिक हिस्सा education पर खर्च होता था। और इकट्ठा होने का भी यही कारण था कि वह ऐजुकेशन पर खर्च होता था इसलिये अगर हम Local Bodies से यह मांग करें कि जो रकम वे स्कूलों पर खर्च करतीं थीं वह हमें दें तो इसमें नामुनासिब बात कौनसी है? सरकार इस बिल के ज़रिये यह भी चाहती है कि वे इन स्कूलों की buildings को भी सरकार को tranfer कर दें और जो खर्च 1957-58 के बजट के मुताबिक करते थे वह भी हमें दें। इसमें नामुनासिब बात कौनसी है?

कामरेड मुनि लाल : बदइंतज़ामी की बात नामुनासिब है।

उद्योग मन्त्री : जब लोकल बाडीज़ के स्कूलों को provincialise किया गया तो उसकी भी यही वजह थी कि यह कहा जाता था कि बड़ी बदइंतज़ामी है। और उसको दूर करने की इस तरह कोशिश की गई। अगर अब भी आप समझते हैं कि बद-इंतज़ामी है और अभी भी प्रबन्ध ठीक नहीं है तो यह कोशिश करिये कि इस इंतज़ाम को और अच्छा बनाया जाए। लेकिन जब हम रुपया मांगते हैं तो उस वक्त इस बात की क्या relevancy है? मैं तो यही समझता हूँ कि जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है उसमें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये था। एक बात मान साहिब ने बड़े ज़ोर से कही थी और बाजवा साहिब ने उस की ताईद की थी। उन्हों ने यह एतराज़ उठाया था कि यह एक अजीब किस्म का बिल है और ऐसा Bill आज से पहले कभी Legislature में नहीं आया।

5.00 p.m.

श्री मुनि लाल : स्पीकर साहिब का भी ऐसा ही ख्याल है।

उद्योग मन्त्री : आप अपनी बात करें। इस में, स्पीकर साहिब, कोई अनहोनी बात नहीं। इस Bill की खूबी तो यह है कि तीन मुख्तलिफ Bills आप के सामने नहीं लाए गए। *(Interruptions)*

चौधरी बलबीर सिंह : ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ Bill ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਏਥੇ ਆਏ ਹ।

उद्योग मन्त्री : स्पीकर साहिब, चौधरी साहिब को interupt करने से रोक दें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर इस Municipal Act को amend करने के लिये तीन मुख्तलिफ Bill लाए जाते तो फिर House का भी ज्यादा वक्त लगता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अगर कभी इस Legislature की History में ऐसा procedure adopt किया गया हो तो आप कहिये कि फलां वक्त ऐसा हुआ था और उस की बिना पर यह Bill लाए हैं। (If ever such a procedure has been adopted in the History of this Legislature, the hon. Minister should point this out and say that on the basis of that, this Bill has been put forward.)

उद्योग मन्त्री : जनाब स्पीकर साहिब मैं आप के ऊपर किसी तरह से नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता मगर इतना अर्ज़ करता हूं कि मुझे यह बात ज़बानी याद थी कि ऐसे बहुत से बिल पास हुए हैं लेकिन उस वक्त मुझे उन के नाम मालूम नहीं थे। अब मैं ने उन के नाम मंगवा लिए हैं जिन में schedule के ज़रिए दूसरे बहुत से Act amend हुए बल्कि मुझे यह भी याद है कि एक दफा इस पर Council में एतराज़ भी हुआ था।

श्री अध्यक्ष: : आप आगे के लिए कह देंगे कि Assembly में भी एतराज़ हुआ था। (Similarly the hon. Minister may say in future that such an objection was raised in the assembly as well.)

उद्योग मंत्री : स्पीकर साहिब मुझे Council का याद है कि वहां एक एतराज़ उठा था जबकि schedule के ज़रिए एक amending Act को पास करने की तजवीज़ रखी गई थी (शोर)।

Mr. Speaker : Order please.

उद्योग मन्त्री: मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि earlier Act को schedule के ज़रिए amend करने की मांग इस लिए की गई है कि हमें एक ही purpose के लिए तीन मुख्तलिफ Bill न लाने पड़ें।

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप पहले स्पीकर साहिब को convince करें।

उद्योग मन्त्री : उन को तो मैं अलहदा बता दूंगा क्योंकि मैं उन के साथ argue नहीं कर सकता। आप अपनी बात करें।

श्री बलराम दास टण्डन : On a point of order, Sir स्पीकर साहिब, जो चीज़ House में पेश हो जाए वह House की property बन जाती है, इसलिए वज़ीर साहिब को आप को House में ही convince करवाना चाहिए। मगर वह कह रहे हैं कि मैं बाहिर अलहदा तौर पर बता दूंगा। उन्हें House को convince करवाना चाहिए।

उद्योग मन्त्री : मैं House को जरूर convince करवाऊंगा लेकिन जो एतराज स्पीकर साहिब उठाएं उन पर मैं नुक्ताचीनी नहीं कर सकता ।

बहुत सी आवाजें : अगर आप Speaker साहिब को convince नहीं कर सकते तो House कैसे convince हो सकता है ?

Mr. Speaker : No interruption please. I am watchful myself.

उद्योग मन्त्री : जो पहले precedents हैं । वह मैं आप को बताता हूं ।

Through the Schedule attached to the Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act—Parliament Act No. 36 of 1956, amendments were made in the Industrial Disputes Act, 1947 and the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

Mr. Speaker : Is it desirable to amend a principal Act through an amending Bill not having or bearing the name or title of that Act ?

Minister for Industries and Local Government : Sir, amendments have been made in this manner in several enactments.

Through the Schedule appended to the Finance Act, 1958 (Parliament Act No. 11 of 1958) amendments were made in the Income Tax Act, 1922, the Wealth Tax Act, 1957, the Indian Tariff Act, 1934 and so many other enactments.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Most unconvincing.

Minister for Industries and Local Government : The hon. Member has not heard me in full.

Mr. Spkear : He is quoting some precedents.

Minister for Industries : Sir, I have got a long list with me.

स्पीकर साहिब, यही precedent नहीं मेरे पास इस वक्त और भी precedents मौजूद हैं जो मैं बताना चाहता हूं :

The Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Parliament Act No. 2 of 1958) has, through a Schedule attached to it, amended—

(1) The Indian Penal Code.

(2) The Prevention of Corruption Act.

(3) The Criminal Law (Amendment) Act, 1952.

Similarly, the Punjab Laws (Application) Act, 1957 (Punjab Act No. 33 of 1957) has, through a schedule appended to it, amended—

(1) The Punjab Legislative Assembly (Offices) Act, 1939 ;

(2) The East Punjab Ministers' Salaries Act, 1947;

[Minister for Industries]

(3) The Punjab Legislative Council (Allowances of Members) Act, 1952; and

(4) The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1952.

सो स्पीकर साहिब, इस थोड़े से अर्से में मैंने इतने instances पेश किए हैं। मान साहिब अगर उन amend किए गए Acts का मुतालिया करें तो उन की तसल्ली हो जाएगी। किसी भी Member ने हमें यह नहीं बताया कि ऐसा करने में कौन सी bar है । अगर वह कोई constitutional bar हमारे notice में लाएं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : इस में propriety की बात है। आपने एक ही Bill ला कर दो तीन Acts amend कर डाले हैं। यह बात मुझे जचती नहीं। (There is the question of propriety involved in it. The hon. Minister has got amended two or three Acts in a single Bill. This thing does not appeal to my mind.)

उद्योग मन्त्री : अब भी मैं अर्ज करता हूं कि यह ज्यादा गैर-मुनासिब होता अगर एक ही मकसद के लिए और एक ही purpose के लिए तीन different amending Bills लाते। यह मेरी अपनी राए है और साफ राए है। इस में कोई शक नहीं है कि एक ही purpose के लिए तीन separate Bills लाना निहायत गैर-मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष : कम से कम इसको इस की Statement of Objects and Reasons में ही थोड़ा बहुत clarify कर देते। (The hon. Minister should have at least made it clear in the statement of Objects and Reasons of this Bill.)

उद्योग मन्त्री : मैं समझता हूं कि इस में कोई ना-मुनासिब बात नहीं है; क्योंकि purpose एक ही है। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह consideration motion पास की जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill be taken into consideration at once.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I, think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Spaeker, after calling upon those Members, who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill caluse by clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Now Clause 2 is before the House.

Sardar Umrao Singh (Nakodar, 'General') : Sir, I beg to move—

In sub-clause (a), line 2, between the words "District Board" and "receiving" insert "or a Gram Panchayat".

At the end of sub-clause (b) add "or a Gram Panchayat under the Punjab Gram Panchayat Act, 1952."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ Local Bodies ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹ provincialise ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ local bodies ਦੀ definition ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਜ਼ ਹੀ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ provincialise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਰਾਈਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾਂਦਿਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। Provincialise ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ provincialise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Motions moved—

In sub-clause (a), line 2, between the words "District Board" and "receiving" insert "or a Gram Panchayat".

At the end of sub-caluse (b) add "or a Gram Panchayat under the Punjab Gram Panchayat Act, 1952".

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, सरदार उमराओ सिंह साहिब को यह गलतफहमी हुई है कि शायद हम इस बिल के ज़रिए स्कूलों को अपने कब्ज़ा में ले रहे हैं। यह बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम ने Local Bodies के जो स्कूल provincialise करके अपने क़ब्ज़ा में लिए हैं उनसे अब यह मांग की जा रही है कि वह उस रकम को भी दें। जहां तक मेरे इल्म में है पंचायतों का कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो बतौर Local Bodies कब्ज़ा में लिया हो। इसलिए इनको शामिल करने का कोई सवाल नहीं है। इस तरह तो वह पंचायतों पर भी बोझ डाल देंगे कि वे भी अपनी income में से हिस्सा दें।

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (a), line 2, between the words "District Board" and "receiving" insert "or a Gram Panchayat".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

At the end of sub-clause (b) add "or a Gram Panchayat under the Punjab Gram Panchayat Act, 1952".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Now Clause 3 is before the House.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस कलाज़ का ताल्लुक है इस के ज़रिए गवर्नमेंट यह चाहती है कि local authority एक resolution पास करे और फिर वह resolution पास हो कर गवर्नमेंट के पास आए ताकि इस के बाद यह उन की तमाम buildings, furniture और management वगैरह की मालिक बन जाए। मैं जनाब इसकी मुखालिफत करने के लिए इस लिए खड़ा हुआ हूं कि इस गवर्नमेंट ने बिला किसी कायदा कानून के District Boards के स्कूल कब्ज़ा में ले लिए और अब पैसे भी ले रही है। इन्होंने तो यह बिल भी नहीं लाना था और बगैर किसी कायदा कानून के उनका सब कुछ ले लेना था लेकिन अब position यह हुई है कि बहुत सी Local Bodies ने buildings देने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह साफ है कि उन लोगों ने लाखों रुपए लगा कर buildings तैयार कीं ताकि बच्चों के लिए उनमें स्कूल जारी कर दें और वहां अच्छी तालीम मिले। जब इन्होंने स्कूल लिए तो इनका भी यही शोर था कि हम तालीम अच्छी बनाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहिब जब से ये स्कूल गवर्नमेंट ने लिए हैं तालीम बेहतर होने की बजाए आगे से और भी बुरी हो रही है और इतनी बुरी हो रही है कि जब कोई लड़का दाखिल होने के लिए जाता है तो कहते हैं कि हम दाखिल नहीं करते। जवाब यह मिलता है कि हम ने 10 फीसदी की हद मुकर्रर कर दी है कि जो register में पहिले तादाद दर्ज है उसके 10 फीसदी से ज़्यादा हम और दाखिल नहीं करेंगे यानी अगर पहिले 400 लड़के थे तो अब 440 से ज़्यादा नहीं लेंगे। यह है इन की तालीम में बेहतरी का हाल। इसके इलावा जिस वक्त स्कूल District Boards के पास थे उस वक्त प्राइमरी और हाई स्कूलों की तादाद दिन बदिन बढ़ रही थी। लेकिन जब से इस गवर्नमेंट ने कब्ज़ा जमाया है हाई स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ी है। मैंने करनाल ज़िला के बारे में एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में मुझे यह बताया गया कि अभी कोई स्कूल बनाने का इरादा

नहीं है। हालांकि आप देखेंगे District Board Karnal ने 1955, 1956 और 1957 में पांच पांच छः छः हाई स्कूल वहां बनाए। इसके इलावा, स्पीकर साहिब, एक और चीज़ है जिस की वजह से मैं इस की मुखालफत करता हूं। यह कलाज एक warrant है जिस पर यह कहते हैं कि Local Bodies खुद अपने हाथ से दस्तखत करे। इस कलाज़ के जरिए यह कहते हैं कि इस warrant पर दस्तखत करो जिस की रू से आप हमारी buildings, सब सामान, management और रुपया पैसा सब कुछ ले लो।

सरकार उन से contribution के तौर पर रुपया भी लेगी स्कूलों का management भी अपने हाथ में ले लेगी और District Boards का किसी तरह से भी स्कूलों की management में कोई हाथ नहीं रहेगा। यह क्लाज़ तो District Boards के लिए death warrant है। Contribution ले रहे हैं, management भी खुद करेंगे और सारा control भी अपने हाथ में ले रहे हैं लेकिन उन को कोई right नहीं दे रहे। District Boards का management में कोई हिस्सा नहीं होगा, control में कोई हिस्सा नहीं होगा। यह एक ऐसी मिसाल है जोकि यही गवर्नमेंट कायम कर सकती है। आप को ऐसी गवर्नमेंट और कोई नहीं मिलेगी। Grant-in-aid भी ले लें, contribution भी ले लें, लोगों ने जो हज़ारों रुपया जमा किया है वह भी ले लें और management में उन की कोई पूछ नहीं, control में कोई हाथ नहीं—न मास्टरों के मुताल्लिक, न स्कूल की buildings के मुताल्लिक—यह चीज़ यही सरकार कर सकती है, और कोई नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पहले जब स्कूल District Boards के पास थे तो teachers हमारे अपने ही इलाके के होते थे। लेकिन अब हरियाने में Jullundur Division से और पटियाला डिविज़न से teachers primary स्कूलों में भेजे जा रहे हैं। यह clause तो उन की मौत है जो कि सरकार जबरदस्ती लाना चाहती है। District Board यह बात करने को तैयार नहीं हैं। स्पीकर साहिब, अगर आप अगली क्लाज़ पढ़ें तो साफ मालूम होगा कि "may" से काम नहीं चलेगा। अगर तीन महीने के अंदर कोई District Board नहीं देगा तो सरकार ज़बरदस्ती ले लेगी। इन अलफाज़ के साथ मैं इस क्लाज़ की मुखालफत करता हूं। कोई भी मौत के सामने आप surrender नहीं करता। सरकार उन को मजबूर कर रही है कि खुद तो मुफलिस बन जाओ, कंगाल बन जाओ और सारा पैसा और management सरकार के हवाले कर दो। मन्त्री महोदय ने कहा है कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे। मैं पूछता हूं कि जब उन्होंने स्कूलों को provincialise किया था तो क्या उन को उस वक्त नहीं मालूम था कि इस सरकार के पास तो धेला नहीं है, रुपया फिर भी District Boards से ही लेना है तो हम स्कूल क्यों provincialise कर रहे हैं? आज सरकार local authorities से ज़बरदस्ती resolution पास करवा कर यह रुपया लेना चाहती है। यह जायज़ नहीं है। इन अल्फाज़ के साथ मैं इस क्लाज़ की मुखालफत करता हूं।

चौधरी श्री चन्द (बहादुरगढ़): साहिबे सदर, इस बिल की Clause No. 3 को भी और बाकी की clauses को भी पढ़ कर ऐसा मालूम होता है कि इस बिल को लाने का मकसद

[चौधरी श्री चन्द]

सिर्फ एक ceremony को ही पूरा करना है। मैं तो इस को पढ़ कर ताज्जुब करता हूं कि हमारे जो legal brains हैं वे बिल को draft करते समय क्या सोचते हैं। सिवाए एक रस्म पूरी करने के उन का और कुछ मतलब नहीं होता। Local Bodies के पास तो पहले ही कुछ नहीं रहा। लेकिन इसमें लिखा है कि 'May pass'। मैं पूछता हूं कि क्या आज कोई Local Bodies का ऐसा स्कूल भी पंजाब में मौजूद है जो कि गवर्नमेंट में vest न हो गया हो? कौनसी चीज़ Local Bodies के पास मौजूद है जिस के लिए उन्होंने 'May' का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? किस चीज़ के बारे में उन को इजाज़त दी है कि उन की मर्ज़ी है अगर वे चाहें तो management Government को दे दें और अगर न चाहें तो न दें। एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि गवर्नमेंट ने सारे स्कूल, उन की buildings और उन की सारी Property ले ली हुई है। लिखा इन्होंने ऐसे है जैसे कि District Boards कोई खुदमुख्तार institutions हैं कि अगर वे चाहें तो अपनी चीज़ें सरकार को दे दें और अगर न चाहें तो न दें। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वाकई यह पोज़ीशन ठीक है। एक साल हो गया कि District Boards मर चुके हैं अब तो उन की लाश को पीटा जा रहा है। कल मेरे दोस्त मौलवी साहिब ने फरमाया था कि इन की तो आदत ही हो गई है कि चाहे मौका हो चाहे न हो ये शहर और गांव का सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि मारते हैं लेकिन अगर बोलते हैं तो कहते हैं कि मत बोलो। ये ज़ख्म लगाते जाएं लेकिन अगर बोलें तो कहते हैं कि क्या कर रहे हो पड़ौस वाले सुन लेंगे कि तुम चीख रहे हो। इन्होंने District Boards के साथ बड़ी बेरहमी का सलूक किया है। आज वे ज़िन्दा नहीं हैं, मर चुके हैं। ये कहते थे कि हम ने Municipal Committees के elections नहीं करवाने लेकिन शहर वालों ने शोर मचाया और इन को elections करवाने के लिए मजबूर किया। इन्होंने कहा कि हां करेंगे। कहते हैं कि Council में लोग गांव वालों की राए से आते हैं। मैं कहता हूं कि वे तो officers की राए से आते हैं। अब District Boards तो रहे नहीं हैं उन की राए से मैम्बर कैसे आ सकते हैं? वे लोग गांव वालों के representatives कैसे हो सकते हैं? आप अगर ग़ौर करें तो यहां पर एक एक बात में discrimination होती है। लेकिन अगर आवाज़ निकालते हैं तो लोग इलज़ाम लगाते हैं कि देखिए साहिब कांग्रेस में आ जाने के बाद भी इन की mentality वही है। लेकिन क्या करें? दर्द होता है तो कराहते हैं, लेकिन इजाज़त नहीं है। कहते हैं कि बोल कर तफरका पैदा करते हो। जब हमने इस बिल को देखा तो बाजवा साहिब कहने लगे कि दूसरे Acts भी साथ लगा दिये हैं। मैं ने देखा तो मैं समझा कि यह गलती से लगा दिये होंगे। हमें पता नहीं है कि यहां पर legal brain ही ऐसे बैठे हैं कि कोई Act amend हो रहा है और एक सफा दूसरे Act का भी लगा दिया है। वज़ीर साहिब खड़े होकर कहते हैं कि कई मिसालें हैं। अगर एक भी मिसाल बताएं तो हम समझें कि वाकई इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बात दर असल यह है कि इन्होंने सोचा कि आखरी दिन है, मेम्बर जाने वाले हैं, ले आओ जो कुछ लाना है, किस ने देखना है? जो कुछ हो पास कर लो। मैं पूछता हूं कि क्या Local Bodies को इतना अख्तियार है कि वे कह दें कि हम स्कूलों का charge नहीं देते? क्या गवर्नमेंट यह चीज़ बरदाश्त करेगी?

जब उन्होंने यह निर्णय कर दिया है कि स्कूलों को provincialize करना है तो वह ऐक्ट कहां जाएगा ? वे तो Local Bodies के सब स्कूलों को आहिस्ता आहिस्ता लेना चाहते हैं और इस में छाप दिया है कि "May" मैं पूछता हूं कि 'May' का सवाल कहां पैदा होता है ? उन को तो पास करना पड़ेगा । मेरे अपने district में ऐसे स्कूल हैं जिन के लिये लोगों ने रुपये दिये हैं, buildings के लिये ज़मीन दी है और बड़ी मेहनत से स्कूल चालू किये हैं । लेकिन अब सरकार उन से वे स्कूल छीनना चाहती है । जो थोड़ा बहुत लोगों का भला हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा । कई स्कूलों की Buildings गिर गई हैं उन के मुताल्लिक reports होंगी, नक्शे बनेंगे, S.D.O.जाएगा और फिर कहीं X.E.N. estimate पास करेगा । जो buildingगिर गई है वह पांच साल से पहले नहीं बनेगी। मैं पूछता हूं किstudents कहां जाएंगे ? Education Department भी एक अजीब Department है । न कुछ सोचा, न कुछ विचारा और कहते हैं कि हम तो free education करना चाहते हैं । न यह देखा कि रुपया कितना खर्च होगा और वह कहां से आयगा या नहीं । अब हालत यह है कि मेरे अपने जिले में ही सौ से ज्यादा स्कूलों की इमारतें गिर गई हैं और उन को बनाने का कोई इंतज़ाम नहीं है । और जहां गांव वाले बिल्डिंग बना के बैठे हैं वहां पर टीचर नहीं हैं और जहां टीचर हैं वहां बिल्डिंग नहीं हैं । फिर अगर किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर को कहीं से बदलना हो तो वह इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंस्पेकटर को नहीं है बल्कि वह भी वज़ीर साहिब ने अपने पास रखा हुआ है । उन को तो दौरों से ही फुरसत नहीं होती,उन को क्या पता है कि किस टीचर को कहां लगाना है । इन्होंने तो एक दिन कोई किताब पढ़ ली और अगले ही दिन यह बिल आ गया और कहा कि पास कर दें । मुझे पता नहीं कि म्युनिसिपल कमेटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का आपस में क्या ताल्लुक है और यह तीन ऐक्ट इस तरह से इकट्ठे ही क्यों लाए गए हैं । कहते हैं कि एक मुसलमान की लड़की ऊपर से गिर पड़ी । वह दर्द से जब रोई तो उस के बाप ने कहा कि इस के कान भी बिंधवा दो । (हंसी) इन्होंने सोचा कि यह तो बिल ला ही रहे हैं इस के साथ यह दूसरे भी लगा दो । मगर यह तरीका ठीक नहीं । आप के पास तो इतने समझदार लोग हैं । Legal Remembrancer बैठे हैं । इन को आप ने बिल बनाने को कहा । इन्होंने अपने एक क्लर्क को कह दिया कि इसे draft कर दो । यह भी इसी तरह से किया हुआ एक draft है । मगर कहते हैं कि यह तो बिल्कुल हदीस है, बदला नहीं जा सकता । जब कोई amendment लाते हैं तो कहते हैं कि फलानी चीज़ रह गई इस लिए यह amendment ला रहे हैं । इस बार जो रह जाएंगी उन को कहेंगे कि अगली बार आ जायेंगी। मगर इस तरह से गलतियां रहने क्यों देते हैं ? इस को अच्छी तरह से बैठ कर और समझ कर लाओ । अब यह ले आए हैं । न इस में wording ठीक है, न ही मायने हैं और कहते हैं कि पास कर दो । क्या पास कर दें ? तो मैं अर्ज़ करूंगा कि इस को वापिस ले कर और सोच समझ कर नया बिल बना कर लाओ। फिर जो करना है करो । कहीं कहते हैं जुर्माने करेंगे, कहीं aid बन्द कर देंगे । पहले ही कौनसी aid दे रहे हैं उन को ? किस की aid आप बन्द कर देंगे ? रेज़ोल्यूशन पास करो नहीं तो पैसा नहीं देंगे । आप दे किस को रहे हैं ? जाओ बन्द कर दो, मत aid दो । यह सब रसमन कर रहे हैं । इसे अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि म्यूनिसिपल कमेटियों को भी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भी इस में फांस रखा है । यह क्या तमाशा है ? यह आप गलत रिवाज डाल रहे हैं । अगर ऐसे करने लगे तो यह ठीक न होगा ।

श्री बलराम दास टण्डन(अमृतसर शहर, पश्चिम): स्पीकर साहिब, जो क्लाज़ 3 है, इस के ज़रिए से सरकार म्यूनिसिपल कमेटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से यह चाहती है कि वह अपनी ही तौर पर एक रैज़ोल्यूशन पास करके अपने स्कूलों सम्बन्धी सारी जायदाद उन को दे दें।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)

मैं समझता हूं कि यह जो क्लाज़ इस जगह रखी गई है वह बिल्कुल तानाशाही का प्रमाण है। (विघ्न)। आवश्यकता इस बात की थी कि जिस वक्त सरकार यह स्कूल लेने का विचार कर रही थी तो उसे इस चीज़ के हर पहलू को देखना चाहिए था कि इस को करने के लिए कौन कौन सी बातें करनी ज़रूरी हैं और कौन सा तरीका ठीक है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने इस पर भली भांति विचार नहीं किया बल्कि जब भी कोई बात इस के सामने रखी गई तो इस ने बजाए उस पर निष्पक्ष विचार करने के यह देखने की कोशिश की कि इस के वोट कितने हैं और इस की ताकत कितनी है। Treasury Banches पर बैठे बेचारे यह मैम्बर कितना ही यह चाहें कि..... (विघ्न)। बेचारे मैं इस लिए कहता हूं कि हृदय में यह चाहे कुछ ही सोचें, दिल से इन के कुछ ही आवाज़ निकले (विघ्न) पर इन को वह कहने का अधिकार नहीं है। इन के ऊपर तो डंडा होता है और उन को कहा जाता है कि आप ने यूं करना है।

Mr. Deputy Speaker: Order please. You should confine to clause 3 only.

श्री बल राम दास टंडन: मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हम जितने कानून जल्दी में पास करते हैं उन में बहुत से defects रह जाते हैं।

Mr. Deputy Speaker: Please point out the defects in this clause.

श्री बलराम दास टंडन: मैं तो यह बता रहा था कि..........

Mr. Deputy Speaker: No general discussion on the Bill please.

श्री बलराम दास टण्डन: मैं अर्ज़ करूंगा कि जब भी आपोज़ीशन की तरफ से सरकार को बताने की कोशिश की जाती है कि इस के किसी कदम में क्या नुक्स हैं, क्या अड़चनें हैं तो सरकार का रुझान ऐसा होता है कि उन तमाम तजवीज़ों को रद्दी की टोकरी में डाल कर अपनी बात को majority के बल बोते पर लाने की कोशिश की जाती है। नतीजा यह होता है कि जो बात एक ही दफा में ठीक तरह से हो सकती है उसको चार-चार दफा यहाँ पर पेश करना पड़ता है बल्कि एक ही साल में कई-कई दफा यहाँ लाई जाती हैं। हाउस का वक्त ज़ाया होता है, लोगों का रुपया ज़ाया होता है, और हम लोगों के मज़ाक का मज़मून बनते हैं। इस हिस्से में कहा गया है कि लोकल बाडीज़ एक रैज़ोल्यूशन पास करें कि वह रज़ामंदी से इस बात को कबूल करती हैं कि हमारी सरकार इन स्कूलों को बेहतर तरीके से चला सकती है इस लिए यह उस को अपना सब कुछ देती हैं। मगर हालत क्या है? मैं ने अमृतसर में ही इन स्कूलों की हालत को देखा है; वहाँ पर आज यह हालत हो गई है कि जो buildings सरकार ने ली हैं उन का बिजली का किराया सरकार ने नहीं दिया। तीन चार स्कूल मैं ऐसे

जानता हूँ जिन के बिजली के connections काटने पड़े । कहीं पर वाटर के connections खत्म करने पड़े। और भी स्कूलों की इमारतें खराब हो गई हैं । जब भी हुकूमत से कहा जाता है कि इन इमारतों को ठीक करो तो इन का जवाब होता है कि सरकार के पास funds नहीं हैं इसलिए यह काम नहीं कर सकती । अगर ऐसे ही जवाब बाद में सरकार को देने हैं तो उस को इस किस्म के फैसले करने से पहले यह सारी चीज़ें सोचनी चाहिएं, details पर ग़ौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन-कौन सी जिम्मेदारियाँ इस के कंधों पर आने वाली हैं । मगर यह सब चीज़ें नहीं सोची जातीं । दूसरों को राए पर ध्यान नहीं देते । फिर इन के पास तो highly paid staff होता है जो सारी details इन के सामने रखता है । मगर जो ऊपर बैठी हुई हुकूमत है या वज़ीर साहिब हैं इन के दिमाग़ में जो बात बैठी हुई होती है, यह तो उसी तरह करते हैं । इस का नतीजा यह होता है कि complications पैदा होती हैं जो फिर बाद में हाऊस के सामने और लोगों के सामने आती हैं । तब सवाल होता है कि उस मुश्किल का हल क्या हो । आज दो साल में इन स्कूलों की इमारतों की हालत इस तरह से खराब हो गई है कि उस का पहले की हालत से कोई मुकाबिला ही नहीं है । जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में लोगों के नुमायँदे तो बैठे हुए नहीं हैं बल्कि इन्होंने सात आठ अफ़सर वहां पर बैठाए हुए हैं । अब इन लोगों से रैज़ोल्यूशन पास करवा लेना उस ज़िले के दस बारह लाख लोगों को उनके अधिकार से डंडे के ज़ोर से महरूम करने के बराबर है । उन लोगों की आवाज़ इस वक्त वहाँ पर नहीं है और उन की जगह पर आप के अफ़सर बैठे हुए हैं । अगर आप ऐसा रैज़ोल्यूशन उन से पास करा लेंगे तो यह लोगों के साथ बेइनसाफी होगी ।

मैं यह समझता हूँ कि यह एक बे-इनसाफी है और high handedness है कि grant-in-aid को तीन महीने के अन्दर withdraw कर लिया जाए। जब तक नए District Boards institute नहीं हो जाते तीन महीने की बन्दश लगाना कि इसके अन्दर resolution पास किया जाए, ठीक नहीं ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि Municipal Committees में elections पिछले 6 साल से नहीं हुए। कई कई ऐसी committees हैं कि बीस बीस इक्कीस इक्कीस साल हो चुके हैं लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए । दो दो चार-चार members रह गए हैं । तो यह चार पाँच members किस तरह presume कर सकते हैं कि बाकी के members भी इन्हीं को राए के आएंगे और इन्हें अख्तियार दे देना कि यह प्रस्ताव पास करें और इन स्कूलों की जायदाद पर सरकार का कब्ज़ा करवाने की कोशिश करें मैं समझता हूं बे-इनसाफी है । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि इस तरह के resolutions पास किए जाएं तो इसको Municipal चुनाव के बाद तक इसे मुलतवी कर दिया जाए। केवल तीन महीने की बात है । और जो लोग debar हो चुके हैं वह लोग बैठ कर local authorities की जायदाद के बारे में फैसला न करें । इस से एक तो यह होगा कि सरकार को मौका मिलेगा यह सब समझने का कि इसकी ज़िम्मेदारी कहाँ

[श्री बलराम दास टंडन]

तक बढ़ जाएगी। वज़ीर साहिब भी इस बात को मानेंगे कि अगर सरकार यह समझती है कि वह इस burden को कंधों पर ले तो सरकार नहीं चल सकती इस काम के अन्दर बहुत सी अड़चनें पैदा होने वाली हैं। इस बात की ओर ध्यान देने की ज़रूरत ज्यादा है। सरकारी resources इतने नहीं कि वह इतनी ज़िम्मेदारी ले सके। First round में जब provincialisation की गई है तो इसका असर क्या हुआ है? नए स्कूल खुलने बंद हो गए हैं। School buildings की repair बन्द हो गई है। Education Department में education को बढ़ाने का काम जो आला चलता था वह अब खत्म हो चुका है। आगे District Boards और Municipal Committees के सामने नए schools का सवाल रहता था और वह नए schools खोलती थीं। अब गवर्नमेंट पर 11 करोड़ रुपए का बोझ है। सरकार के पास और resources नहीं कि वह ज़िमेदारी ले सके। यह पिछली ज़िम्मेदारी भी नहीं निभा सकती। लेकिन prestige का सवाल लिए हुए है। मैं तो यह कहूंगा कि false prestige को छोड़ दो। Municipal Committees स्कूलों को वापिस लेना चाहती है। सरकार को prestige point बना कर इससे wriggle out करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए। Democratic सरकार को इस बात पर अड़े नहीं रहना चाहिए कि हमने school provincialise किए हैं इस लिए इन्हें अब चलाना ही है चाहे ऐसा करना सरकार के लिए अच्छा साबित न हो। सरकार को चाहिए कि एलान कर दे कि हम schools Municipal committees को वापिस देते हैं।

सरकार इस बात पर ज़ोर देती रही है कि decentralisation हो। इसमें इनका विश्वास है और कांग्रेस के नेता हमेशा यह कहते आए हैं कि हम छोटी से छोटी unit को develop करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि self-sufficient हों, ऊपर से दखल न हो, सही रूप से decentralisation हो लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब इस कानून और इस बिल के पास करने से मैं यह समझता हूं कि सरकार ने जो मनशा सामने रखा है उस से जनता के हाथ में कोई power नहीं देना चाहते। इस से मनशा फोत हो जाता है। यह सरकार की declared policy के उलट है। सरकार जिस ढंग से इन संस्थाओं की जायदाद लेना चाहती है और शिक्षा देना चाहती है यह उस declared policy के against जाता है। सरकार की हर काम में एक declared policy होनी चाहिए। सरकार को bold होना चाहिए। जनता के सामने इस बात को रखने में सरकार को embarrassed feel नहीं करना चाहिए कि इन्हें कहाँ कहाँ असफलता हुई है।

Mr. Deputy Speaker : You are going too far. You must confine yourself to the clause under discussion.

श्री बलराम दास टंडन : मैं तो जनाब अपनी बात को justify कर रहा हूं मैं तो यह कहना चाहता था कि सरकार ने schools को provincialise करके

एक गलती की है और आज दूसरी गलती करने जा रही है बगैर इस बात के देखे कि इसकी complications क्या होगी और क्या असर पड़ेगा । One wrong done cannot justify the other । आज आप जो कार्रवाई कर रहे हैं और जो गलती करना चाहते हैं इस से वह गलती justify नहीं की जा सकती जो predecessors ने की है । यह एक ऐसा मसला है जिस पर शान्ति से गौर करने की ज़रूरत है । चाहिए तो यह कि उनके कामों में जो-जो कमियाँ रह गईं थीं सरकार उन्हें दूर करने की कोशिश करे । सरकार को bold होकर कहना चाहिए कि वह यह management फिर से कमेटियों को वापिस करना चाहती है । इन्हों ने जो तरीका अपनाया है यह ठीक नहीं । ज़रूरत इस बात की है कि सब schools को उन्हें वापिस कर दिया जाए और ऊपर के control को कम किया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा में इज़ाफा हो । हरेक का सहयोग लेकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए । District Boards और Local Bodies के पास जब स्कूल थे तो लोगों में सहयोग अधिक था, Co-operation की भावना थी और वह चाहते थे कि क्योंकि उनके अपने बच्चे पढ़ते हैं इस लिए स्कूल अच्छा हो । वे buildings बनवाते थे, play grounds बनाते थे । जनता अब भी ऐसे कामों के लिए पैसा इकट्ठा करके दे सकती है अगर उनमें विश्वास पैदा किया जाए । हकूमत का काम है कि जो विश्वास यह खो चुकी है उसे पैदा करे। अब क्यों कि schools Government की देख रेख में हैं तो जनता पर psychological असर पड़ता है । वह सोचती है कि सरकारी schools हैं इसलिए सरकार ही हर बात का प्रबन्ध करेगी । उनके सोचने का ढंग अब और है । वह समझते हैं कि सरकार के पास रुपया है वह cess लेती है अनेक प्रकार के टैक्स हैं इस लिए इसकी ज़रूरत नहीं। Confidence पैदा करने की ज़रूरत है । चार करोड़ रुपया सरकार के पास इस काम के लिए है । अगर मेरी बात पर ध्यान दिया गया तो लोगों में इस तरह से initiative खत्म हो जाएगा । इस को सोचना सरकार का काम है । District Boards ने बच्चों को शिक्षा देनी है । इसलिए अगर उन्हें self-help के ढंग पर सोचने और काम करने दिया जाए तो बेहतर रहेगा । Local Bodies के पास अगर schools हों तो वह अपने ढंग से सोचेंगी और काम करेंगी नहीं तो इस तरीके की Legislation लाने से self help की spirit समाप्त हो जाती है । इस लिए मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं । (*Interruptions*) मैं सरकार से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि तहम्मल के साथ इस पर विचार करने की कोशिश करें और false prestige को छोड़ दें जिस पर कि सरकार कायम रहना चाहती है । यह सोचना कि एक बार schools ले लिए हैं अब छोड़ना अच्छा नहीं ; यह prestige ठीक नहीं । जो सेवा Local Bodies ने education को बढ़ाने के बारे में की है उससे सब परिचित हैं । इस लिए इन schools की management को वापिस दे दें ताकि वह इन्हें ठीक ढंग से चलाने की कोशिश करें। Control कमेटी करे और सहयोग आप भी दें । और अगर इस बिल को पास करना ही हो और सरकार ने इसकी implications को जान लिया हो तो Local Bodies को यह बात नए

[श्री बलराम दास टंडन]

elections हो जाने के बाद कहनी चाहिए ताकि नए members इस तरह के resolutions पर विचार कर सकें ।

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल): डिप्टी स्पीकर साहिब, इस clause पर जो discussion की गई है ऐसा मालूम होता है कि वह general discussion है । यह clause के scope और limit से बाहर था जो कुछ Members ने कहा है । और काफी बातें जो Opposition की तरफ से हुआ करती हैं वह हुई हैं। कोई नई बात नहीं कही गई जिस का मैं जवाब दे सकूं । लेकिन एक बात मैं ज़रूरी समझता हूं और वह यह है कि Opposition की तरफ से जो माननीय मेम्बर बोले हैं उनसे गुज़ारिश करूंगा कि अगर वह इस connection में अपनी पिछली की हुई speeches को देखें और मुकाबिला करें तो हर बात पहली की ही copy होगी। वही बातें दोहराई जाती हैं। वही बातें क्लाज़ दर क्लाज़ दुहराई जाती हैं क्योंकि इनका मन्शा तो Government को criticise करने का ही होता है । कोई नई बात नहीं की जाती । अगर पुरानी speeches को निकाल कर देखें तो यह उसी की सही कापी होगी जो आज कहा गया है । इस से सरकार को तो कोई लाभ नहीं हो सकता । केवल हाऊस का वक्त ज़ाया करने के बराबर हो सकता है । फायदा तभी हो सकता है अगर कोई ठोस सुझाव पेश किए जाएं । गवर्नमेंट की तरफ से कोई वक्त ज़ाया नहीं होता । अब एक बात और हुई । वह यह कि इस क्लाज़ को देहात और शहरी controversy का एक ज़रिया बनाया । मैं यह कहना चाहता हूं कि फर्क होने वाली बात कोई नहीं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल कमेटी दोनों से ताल्लुक रखने वाली क्लाज़िज़ हैं । इसलिए distinction नहीं होगी । लेकिन फिर भी कुछ लायक दोस्तों ने शहरी और देहाती का प्रश्न उठाया है । मतलब यह कि binomial theorem ज़रूर साबित करनी है ।

इसके ज़रिए तो एक ऐसा अख्तियार लोकल बाडीज़ को दिया जा रहा है कि जिसके ज़रिए वह एक resolution पास करें ताकि गवर्नमेंट लीगल तौर पर बिल्डिंग्ज़ को अपने कब्ज़े में ले सके । इसलिए मैं आशा करता हूं कि हाऊस इस क्लाज़ को मंज़ूर करेगा ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

श्री रूप सिंह फूल (हमीरपुर, रिज़र्वड): डिप्टी स्पीकर साहिब, जो खामी क्लाज़ 3 में रह गई थी वह लोकल authorities का गला घोंटने के लिए क्लाज़ चौथी में पूरी हो गई है । अगर कोई management 3 महीने के अन्दर resolution पास कर गवर्नमेंट के पास नहीं भेजती तो फिर जो aid उसको मिलनी थी, वह नहीं मिलेगी । इसका असर यह होगा कि वह स्कूल बन्द हो जाएगा । गवर्नमेंट की पालिसी तो यह है कि तमाम जनता को शिक्षित बनाना है । लेकिन ढंग यह निकाला है कि सैंकड़ों साल से जो

स्कूल लोकल बाडीज़ चला रही थीं, उनको सरकार ने छीन लिया जैसा कि क्लाज़ तीन में दर्ज है—

'With all its rights and interests.'

वहाँ liabilities का शब्द भी आ जाता तो शायद यह और भी उपयोगी थी। क्योंकि इन लोकल बाडीज़ की अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे तीन-तीन चार-चार साल से बहुत से टीचरों को तनखाहें नहीं मिली हैं। तो सरकार liabilities को तो लेना नहीं चाहती लेकिन बाकी चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहती है। गवर्नमेंट का तो अजीब ढंग है। जो काम करना चाहती है उसे फौरन कर देती है लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ? मतलब यह कि समय निकल जाता है फिर पछताने से बनता क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी क्लाज़ से रेलेवैंसी नहीं है। (It has no relevancy with the clause)

श्री रूप सिंह फूल : मैं जनाब क्लाज़ पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः : आप यह तो ज़ाहिर करें कि हक में बोल रहे हैं या खिलाफ। (The hon. Member should indicate whether he is speaking in favour or against the clause.)

श्री रूप सिंह फूल :सरकार 3 महीने का टाइम रख के जल्दी कर रही है। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरा जो पस्माँदा इलाका है याने जिला काँगड़ा है वहाँ के स्कूलों की ऐसी हालत है कि अगर आप एक दिन भी वहां काटना चाहें तो नहीं काट सकते। वहाँ के लोगों ने 3 महीने के अन्दर सरकार को इमारतें सौंप दीं। लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों को तो बैठने का भी ठिकाना नहीं है। वहां की जनता ने जिन स्कूलों को upgrade करने के लिए रुपया दिया है वह upgrade नहीं हुए। (विघ्न) मैं इसका विरोध करता हूं। तीन महीने की बजाए एक साल कर देना चाहिए, यह मतालबा करता हूं। तीन महीने बहुत ही थोड़ी मोहलत है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

श्री राम प्यारा (करनाल): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जब मैं इस क्लाज़ को देखता हूं तो यह सोचना पड़ जाता है कि गवर्नमेंट को यह बिल क्यों लाना पड़ा। एक तरफ तो हमारे लोकल बाडीज़ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि उनको अख्तियार दिए जा रहे हैं कोई मजबूरी नहीं की जा रही है। लेकिन साथ ही यह भी है कि अगर लोकल बाडीज़ अपनी duty से कोताही करते हैं तो गवर्नमेंट को हक होगा कि उनसे ज़बरन ले लें। जहाँ तक अख्तियार का ताल्लुक है ऐजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक circular भेजा है कि लोकल बाडीज़ बिल्डिंग्ज़ और रुपया voluntary तौर पर गवर्नमेंट के हवाले कर दें। लेकिन किसी भी लोकल बाडी ने इसको respond नहीं किया। चाहे

[श्री राम प्यारा]
लोकल बाडीज़ हो चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों वह गवर्नमेंट के हवाले इन चीज़ों को नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कहना है कि लोग ऐजुकेशन के लिए जो हज़ारों की तादाद में रुपया देते हैं natural flow of money बन्द हो जाएगा । अगर लोकल बाडीज़ resolution पास नहीं करतीं तो गवर्नमेंट वैसे भी ज़बरदस्ती take over करेगी । शुरू में यह ख्याल था कि सिर्फ 3 करोड़ के करीब रुपया खर्च होगा लेकिन वह 8 या 9 करोड़ बन गया । अब नतीजा क्या होगा ? जिन इमारतों को गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी उनकी मरम्मत तक के लिए भी पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के resources इजाज़त नहीं देंगे । और दूसरी तरफ से जो लोग ऐजुकेशन के लिए voluntarily रुपया देते थे वह नहीं आएगा तो फिर स्कूलों की हालत बहुत खराब होगी अगर हालत ठीक करेंगे तो फिर और टैक्स लगाने पड़ेंगे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी पालिसी को review करना चाहिए और यह जो natural flow of money है उसे बन्द नहीं करना चाहिए ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸਿਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ intention ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ (4) ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ authority resolution ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ satisfied ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ authority ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ aided schools ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਬਲਿਕ interest ਵਿਚ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹਨ ਓਥੇ ਤਾਂ official body ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ Bodies ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਿਸ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ treat ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੀ employees ਰਹਿਣਗੇ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ

6 p. m.

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਈਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ grant ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ ਓਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ official members ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ Provident Fund ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ funds ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ commitment ਤੋਂ ਚਾਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹਥ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ liabilities ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤੱਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵੇਗੀ ?

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, इस Bill में confusion की बात नहीं है जितनी कि बाजवा साहिब ने समझी । यह चीज़ Local Bodies के स्कूलों को Government की तहवील में लेने के लिए इन clauses में रखी गई है । Clause 3 में local authorities को अख्तियार दिया गया है कि अगर वह चाहें कि Government उनके schools को take over करे तो वह resolution पास करें । अगर वह resolution पास कर दें तो Government clause 3 की sub-clause (2) के तहत उन के स्कूलों को बमै साजो सामान take over कर लेगी लेकिन clause 5 में उन पर यह चीज़ लागू होती है कि जब local authority अपनी duties perform करने में negligence show करेगी और public interest में उनके schools को लेना ज़रूरी समझा जाएगा तो उस सूरत में Government उन

[उद्योग मंत्री]

स्कूलों को 10 सालों के लिए take over करेगी । इसलिए clause 3 और 5 में फर्क है । Clause 3 में सारा सिलसिला local Bodies से Government को shift हो जाएगा लेकिन जो clause 5 है उस में period specify कर दिया है । इस लिए इस में कुछ नुक्स वाली बात नहीं है । इसे इसलिए इसे पास किया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहिब, clause 7 के ज़रिए Government यह करना चाहती है कि District Boards के पास जितनी contribution है वह ले ले और जितना repair के लिए 1957 से ले कर आज तक रुपया पड़ा हुआ है वह सारे का सारा ले ले । यही नहीं बल्कि अगर किसी District Board के पास grant-in-aid पड़ी हुई है या 1957 से आज तक जितना Education की aid का रुपया पड़ा हुआ है वह सारा ही सरकार इस clause के ज़रिए लेना चाहती है । डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे खदशा है कि यह District Boards का रुपया लेकर जो कि छः लाख के करीब बैठता है तमाम का तमाम शहरों में इस्तेमाल करेंगे । अभी श्री मोहन लाल जी ने बड़े तमतराक से कहा है कि पण्डित श्री राम शर्मा और राठी दिहाती और शहरी का सवाल उठाते हैं । मैं बड़े ज़ोर से यह कहना चाहता हूं कि हमें डर है इस बात का कि हमारे उस रुपए से जो buildings बनेंगी वह शहरों में बनेंगी । इस लिए यह सही खदशा है । हम दिहाती और शहरी का सवाल नहीं पैदा करते लेकिन जब हमारे साथ धक्का होता है तो फिर हमें उस के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है । डिप्टी स्पीकर साहिब,

"न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की है,
घुट के मर जाऊं यह मर्ज़ी मेरे सैयाद की है ।

जनाब यह तो चाहते हैं कि देहात वाले कुछ न बोलें और सारे का सारा रुपया जो 6 करोड़ की रकम है वह सब शहर में लग जाए । तमाशा यह किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हैं उनमें शहरी टीचर लगा दिए । वह रोज़ दो घंटे लेट जाते हैं और दो घंटे पहिले आ जाते हैं इस से उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में नुकसान होता है । हम पहले देहाती टीचर रखते थे जो देहात के लोगों के साथ बर्तना जानते थे और वह ठीक तरह से सलूक करते थे । अब मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, यह दरखास्त करना चाहता हूं कि जितना रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लें वह सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ही खर्च किया जाए । इसी तरह से जो रुपया म्युनिसिपल कमेटियों से लें वह वहीं खर्च करें जो areas म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: वह क्लाज़ तो पास हो गयी है । (The clause to which it concerns has been passed).

चौधरी धर्म सिंह राठी : इसमें जो schedule लगा दिया है, उसमें यह सारी बातें हैं । जनाब असली क्लाज़ तो यह है । जिसमें मलाई ही मलाई है जिसको यह शहरों में ले जाना चाहते हैं । इस लिए मैं बड़े ज़ोर से इसकी मुखालफत करता हूं कि यह क्लाज़ अव्वल तो पास न हो और अगर majority के बल से यह पास भी कर दें तो मैं यह कहूंगा कि रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एरिया में ही खर्च होना चाहिए

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

श्री भला राम (जींद, रिज़र्वड): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि इस क्लाज़ को डिलीट कर दिया जाए । क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने हाथ में लोकल authorities का रुपया और सामान वगैरह सब ले रही है तो फिर टीचरों की salary और इसी तरह की दूसरी कुछ liabilities को उन्हीं पर छोड़ना कहां तक जायज़ है ? इसलिए मैं वज़ीर साहब से प्रार्थना करता हूं कि यह डिलीट कर दिया जाए ।

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल): यह बिल्कुल मुनासिब बात है कि जो liabilities local bodies की हैं वह उनकी अपनी ही होनी चाहिएं । इसमें इतनी सी ही बात है ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULES 'A' AND 'B'

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Schedules A and B stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE 1 OF CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause 1 of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries and Local Government (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill be passed.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') : ਕਿਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ–

"ਨਾਖੁਦਾ ਤੁਮਕੋ ਆਗਹੀ ਦੇਤਾ ਰਹਾ,
ਔਰ ਤੂਫਾਨੇ ਹਵਾਦਸ ਮੇਂ ਸਫੀਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ"

ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕੰਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ Address ਉਤੇ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ colour ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ provincialise ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਇਸੇ ਗਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ recognised schools ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ aid ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ liabilities ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ step ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ view ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ management ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ management ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grant ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦ teachers ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ teachers ਨੂੰ ਕੋਈ step ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ liabilities ਅੱਜ ਵੀ stand ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Government ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ resolution ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ interest ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ period ਵਿਚ ਉਸਦੇ teachers ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ? Local Bodies ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the chair.)

श्री अध्यक्ष : मैं आप साहिबान को बताना चाहता हूं कि कल हम ने House *sine die* adjourn करना है इस लिए आप बहस को ज़रा brief करें। कल हम ने सुबह का Session रखना है। Schedule के मुताबिक हम ने सारा काम कल हाऊस adjourn होने से पहले खत्म करना है। (I would request the hon. Members to be brief in discussion as the House is to adjourn *sine die* tomorrow. We are holding the Session tomorrow in the morning and according to the schedule we have to finish the business on the agenda before the House adjourns tomorrow.)

उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल): स्पीकर साहिब मैं ने जवाब तो देना नहीं। इस लिए आप question put कर दें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Bill be passed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

PRESENTATION OF REPORTS REGARDING THE BILLS REFERRED TO THE REGIONAL COMMITTEES

Sardar Ajmer Singh : Sir, Regional Committees have been directed to submit their reports on certain Bills before the 8th April . We may, therefore, be allowed to present these reports just now.

Mr. Speaker : Yes, please.

Chairman Punjabi Regional Committee (Sardar Ajmer Singh) : Sir, I beg to present the following reports :—

(i) Report of the Punjabi Regional Committee on the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, 1959.

(ii) Report of the Punjabi Regional Committee on Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, 1959.

[Chairman Punjabi Regional Committee]

(iii) Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, 1958.

(iv) Report of the Punjabi Regional Committee on the East Punjab Utilisation of Lands (Second Amendment) Bill, 1959.

Chairman Hindi Regional Committee (Shri Balwant Rai Tayal) : Sir, I beg to present the following reports :—

(i) Report of the Hindi Regional Committee on the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, 1959.

(ii) Report of the Hindi Regional Committee on the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, 1959.

(iii) Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Mandi Towns (Development and Regulation) Bill, 1958.

(iv) Report of the Hindi Regional Committee on the East Punjab Utilization of Lands (Second Amendment) Bill, 1959.

SITTING OF THE ASSEMBLY (EXTENDED)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ House ਦਾ time ਅਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Yes, the sitting of the House is extended for half an hour more.

Sardar Bhupinder Singh Mann : But, Sir, we have a party meeting.

Mr. Speaker : No please. I have already announced.

THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move.—

> That the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह जो Bill हम ने पिछले साल इस House में पास किया था इस पर एक साल अमल किया गया है । इस अर्से में इस में एक दो खामियां नज़र आई हैं, जिनको दूर करने के लिए यह amending Bill House में लाया गया है ।(*Interruptions*) मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह जो amendments की जा रही हैं यह बिल्कुल मामूली हैं और इस में कोई इख्तलाफ राए भी नहीं होगी । जनाबेआली इस Act का जो definition का section 2 है, उस के sub-section b(2) में licensee की तारीफ की गई है ।

जनाबेआली उस में दो नुक्स वाक्या हुए हैं । एक तो यह कि Delhi में Municipal Corporation कायम हुई है और जो Board था वह खत्म हो गया । इसके इलावा इस तारीफ के तहत कोई consumer नहीं रहता, सब के सब licensee बन जाते हैं । इस लिए इस amendment को लाने की जरूरत पड़ी ।

जनाबेआली, दूसरी तरमीम जो इसमें पेश की गई है वह है section 3 में जो इस तरह था–"Nothing in sections 1 and 2 shall apply to the consumption or sale of electricity which is supplied or sold to the Government of India" जनाब आइन के मुताबिक इस का मनशा यह था कि जो बिजली Government of India को दी जाए उस पर duty नहीं लगाई जाएगी । लेकिन इस में नुक्स यह रह गया था कि इस में consumption by Government के लफज़ नहीं लिखे गए थे और उस से नुक्सान यह होता था कि Government of India अपने officers को जो बिजली देती थी उस पर भी duty नहीं लग सकती थी । इस लिए उस कमी को पूरा करने के लिए यह Bill पेश किया गया है । मुझे उम्मीद है कि इसे पास किया जाएगा ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Electricity (Duty) Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 AND 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

NEW CLAUSE

Sardar Umrao Singh (Nakodar 'General') : Sir, I beg to ask for leave to move

After clause 3 of the Bill, the following new clause shall be added, namely:

'4. In section 5 of the principal Act, for the words "in respect of the energy so sold or any part thereof", the words "under this Act" shall be and shall always be deemed to have been substituted'.

Mr. Speaker : Motion moved—

That after clause 3 the hon. Member be granted leave to move the following new clause—

'4. In section 5 of the principal Act, for the words "in respect of the energy so sold or any part thereof", the words "under this Act" shall be and shall always be deemed to have been substituted."

Mr. Speaker : Question is—

That after clause 3 the hon. Member be granted leave to move the following new clause:—

'4. In section 5 of the principal Act, for the words "in respect of the energy so sold or any part thereof", the words "under this Act" shall be and shall always be deemed to have been substituted.

The leave was granted.

Sardar Umrao Singh : Sir, I beg to move—

After clause 3 of the Bill, add the following new clause :—

'4. In section 5 of the principal Act, for the words "in respect of the energy so sold or any part thereof, the words "under this Act" shall be and shall always be deemed to have been substituted.'

Mr. Speaker : Motion moved—

After clause 3 of the Bill, add the following new clause—

'4. In section 5 of the principal Act, for the words "in respect of the energy so sold or any part thereof, the words " under this Act" shall be and shall always be deemed to have been substituted."'

Mr. Speaker : Question is—

That the clause be considered.

(The question was affirmed).

Mr. Speaker : Question is—

After clause 3 of the Bill, add the following new clause:—

'4. In section 5 of the principal Act, for the words "in respect of the energy so sold or any part thereof, the words "under this Act" shall be and shall always be deemed to have been substituted.'

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Electricity (Duty) (Amendment) Bill, as amended be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB SUGARCANE (REGULATION) OF PURCHASE AND SUPPLY (AMENDMENT) BILL 1959

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill.

Minister for Agriculture and Forests : Sir, I beg to move —

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ sugar factories ਤੇ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਦਾ cess ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ notification ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ technical ਨੁਕਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ doubt ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ notification ਸਾਰੇ crushing season ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ date ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਲਨ ਉਹ ਸਾਰੇ season ਲਈ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ retrospective effect ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਇਸ technical ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ notification ਸਾਰੇ crushing season ਲਈ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ season ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ cess ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ technical ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਇਸ ਨੂੰ consider ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ principal Act, The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ amendment ਤਾਂ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ dates ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ Act ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ sugar cane ਦੀ supply ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ principal Act ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ.........

Mr. Speaker : This is not relevant. This is outside the scope of this Bill.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ principal Act ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.........

Mr. Speaker : No please. This is not relevant.

श्री मंगल सेन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, यह जो amending बिल पेश हुआ है इस में यह अधिकार दिया जा रहा है कि जो पैसे पिछले दिनों इकट्ठे नहीं हो सके उनको अब वसूल किया जाए । लेकिन इसमें पैसों की बात इतनी नहीं है जितनी कि वहाँ दूसरी बातें हैं । इन्होंने सिर्फ पैसों वाली बात ही की है लेकिन जनाब असली बात यह है जिसकी तरफ यह कतई ध्यान नहीं देते हैं कि वहां sugar factories के अन्दर बड़ी भारी गड़बड़ हो रही है । उनके प्रबन्ध के अन्दर इतनी भारी गड़बड़ हो रही है और corruption और भ्रष्टाचार हो रहा है......

Mr. Speaker : This is quite outside the scope of this Bill. This is not relevant.

श्री मंगल सेन : मैं जनाब relevant हो कर ही यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो तीन आने फी मन के हिसाब से सारे season के लिए cess लिया जाएगा इस के साथ यह बात भी आती है कि आज तक sugar factories का प्रबन्ध गलत लोगों के हाथों में रहा है और उन लोगों ने इतनी गड़बड़ मचा रखी है कि वहाँ पर.....

Mr. Speaker : No please, this is not relevant here. This cess has already been imposed but a technical flaw about the date of its commencement is sought to be removed through this Bill. This is outside the scope of this Bill.

श्री मंगल सेन : अच्छा जी, अगर आप नहीं बोलने देना चाहते तो मैं नहीं बोलता लेकिन इन sugar factories का प्रबंध हमारे कहने के बावजूद ठीक नहीं किया जा रहा है....... (*interruption and noise*)

Mr. Speaker : Order, Order.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ technical ਗੱਲ ਹੈ

ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ sugar factories ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause. Clause 2 is before the House.

(*No Member rose to speak*).

Mr. Speaker : I think no hon. Member is anxious to speak on the Clauses or the Title of the Bill and if there is no objection, I will put them together to the vote of the House.

(*Voices: No objection*)

CLAUSES 2 AND 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB CO-OPERATIVE SUGAR MILLS (FURTHER EXTENSION OF TENURE OF BOARDS) BILL, 1959, AS REPORTED BY THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Health and Panchayats (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

[ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੋਗਪੁਰ, ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਭੋਗਪੁਰ ਮਿਲ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਚ 21 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਮਿਲ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ contribution ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਨੂੰ 67 ਲਖ ਰੁਪਏ, ਪਾਨੀਪਤ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ, ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ, ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਭੋਗਪੁਰ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Board of Directors ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਚਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅਗਰ elect ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ board ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ Sugar cane growers ਤੋਂ ਦੋ ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ directors ਦਾ tenure ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ election ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहब, यह बिल ऐसा है जिस से यह पता लग जायगा कि यह सरकार Co-operative Movement को किस तरीका पर चलाना चाहती है । इस चीज़ से अन्दाज़ा हो जायेगा कि यह सरकार आया Co-operative Movement को लोगों के हाथ में देना चाहती है या अफसरान के हाथ में देना चाहती है । यह एक ऐसा बिल है जो कि पंजाबी रिजन ने पास किया है लेकिन जहाँ तक हिन्दी रिजन का ताल्लुक है उसने इसे रद्दी का कागज़ समझा है । हिन्दी रिजन ने एक resolution पास किया कि शूगर मिलों के अन्दर बहुत भारी corruption है और उस corruption को एंटी-कुरपशन डीपार्टमेंट से enquiry करवाई जाये । बजाये इस के कि उस चीज़ पर अमल करते, किया यह जा रहा है कि management को certificate देने के लिए कि हम तुम्हारे काम को अच्छा समझते हैं, उनकी मियाद बढ़ा रहे हैं । मैं, स्पीकर साहिब, बड़े जोर से कहूंगा कि इस बिल के बारे में सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए । इनको पहले यह सोचना पड़ेगा कि आया ये Co-operative Movement के हक में हैं या इसे खत्म करने वाले हैं । यह बात मैं नहीं कहता, पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं । कम अज़ कम और किसी की बात नहीं मानते तो जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है उसे तो मानें । पंडित

जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि जहाँ तक को-आप्रेशन का ताल्लुक है, हम ने कोआप्रेशन को लाना है और इसे ज्यादा कामयाब करना है । उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम Co-operative Movement को उन्हीं के हाथों में छोड़ना चाहते हैं ।

मुख्य मन्त्री : सरकार को पैसा दे दो तो सब को ले लो ।

चौधरी धर्म सिंह राठी: मैं समझता हूं कि इस हाउस के अन्दर पंडित जवाहर लाल नेहरू के ख्यालात की खिलाफवर्ज़ी की जा रही है (घंटी) ।

चाहिए तो यह कि अगर कुछ खराबी हो जाये तो कम से कम इन्हें share-holders के हाथ में तो होना चाहिए । आज तक किसी भी शूगर मिल की जेनरल मीटिंग नहीं बुलाई गई । इसके अलावा Provincial Co-operation Conference ज़िला करनाल के अन्दर हुई और उन्होंने resolution पास किया कि शुगर मिलों के डायरेक्टरों का चुनाव फौरी तौर पर कराया जाये । चौधरी सूरजमल वहाँ उस कान्फ्रेंस के अन्दर मौजूद थे । इस लिए मैं कहता हूं कि अगर पंडित जवाहर लाल नेहरू की बात नहीं मानते तो कम से कम उन co-operators की तो मानते । लेकिन, स्पीकर साहब, बहाना यह किया जाता है कि गवर्नमेंट का इस में रुपया है । मैं पूछता हूं कि गवर्नमेंट किस की है ? लोगों की ! तो रूपया कैसे गवर्नमेंट का हो गया ? इस लिए यह दलील देना कि हमारा रुपया पूरा कर दो और शेयर-होल्डरों का इन्तज़ाम कर दो यह दलील लचर है जिस की कोई बुनियाद नहीं और किसी जगह यह खड़ी नहीं हो सकती । जहां तक रुपये का ताल्लुक है, यह समझा जाता है कि इस पंजाब के अन्दर, तमाम रोहतक के अन्दर, तमाम करनाल के अन्दर कोई भी shareholder ऐसा नहीं है जो कि एक करोड़ के Budget को चला सके । तकरीबन एक करोड़ का Budget है । क्या करनाल और रोहतक में डाक्टर गोपी चन्द भार्गव से भी कोई गया गुज़रा आदमी है—(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : Order please. आप ये लफ़्ज withdraw करें । This is a personal aspersion (Order please. He should withdraw these words. This is a personal aspersion.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब मेरी अर्ज़ यह है......

Mr. Speaker : This is an aspersion on the Finance Minister.

(**Voices from the Treasury Benches** : Withdraw, withdraw).

चौधरी धर्म सिंह राठी : मेरा बिल्कुल यह मतलब नहीं था । मैं withdraw करता हूं । मेरा मतलब यह नहीं । एक करोड़ रुपये का सारा इंतज़ाम कर सकने वाला इतना बोलने वाला और इस काम को अच्छी तरह चला सकने वाला क्या करनाल और रोहतक में कोई आदमी नहीं । स्पीकर साहब, इस Bill की Statement of Objects and Reasons में लिखा है:-

> "In order to safeguard the interests of the shareholders, the investing co-operative institutions and above all of the State Government which has a very large financial stake in the three Co-operative Sugar Mills of the State...."

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

जनाब, इसमें लिखा है In order to safeguard the interests of the shareholders. स्पीकर साहब, रोहतक की मिल बंद हो चुकी है । वहां तकरीबन 20 लाख रुपये का घाटा है । और पानीपत की sugar mill में 9 लाख रुपये का घाटा है । यह कहते हैं कि बड़े काबल आदमी हैं वहां और in the interest of the shareholders काम कर रहे हैं । जहाँ तक shareholders के interest का ताल्लुक है मैं बतलाना चाहता हूं कि shareholders का interest कहाँ तक सामने रखा जाता है । दोनों sugar mills में इतनी corruption है जो कि सुनने में नहीं आई । मुगल माजरा में कम maundage की गई और growers को कम payment की गई ।

Mr. Speaker: Try to be strictly relevant. (*Interruption*)

चौधरी धर्म सिंह राठी: स्पीकर साहिब मैं बता रहा हूं कि.... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जब मैं किसी hon. Member से बात पूछता हूं तो वही जवाब दे । जो दूसरे पास बैठे हैं वे जवाब न दें । (When I ask anything from an hon. Member he alone should reply and not the others sitting by his side.)

चौधरी धर्म सिंह राठी: मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसकी relevancy यह है कि कहा जाता है कि वहां के Directors और management वहां का जो सिलसिला है control वगैरह का वह बिल्कुल ठीक है । मैं House को यह बताना चाहता हूं कि यह जो management है जिसकी बाबत यह Bill हम से पास करवाना चाहते हैं, वह खराब है उसके अन्दर corruption है । उसका Manager खराब है, उसके Directors खराब हैं उन्हीं की term की आज यह extension करवाना चाहते हैं । इस लिए मैं relevant हूं । स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि वे आदमी उस मिल के Directors मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो कभी shareholders नहीं थे । उनकी मियाद बढ़ाना चाहते हैं जिनके बारे में पहले ही बड़ी शिकायतें हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं और मैं बता रहा हूं कि मुग़ल माजरा में बहुत ज्यादा corruption हुई । पानीत और रोहतक की sugar मिलों में कंडों पर गलत maundage की जाती है । पानीपत में एक कंडे पर नहीं, सभी कंडों पर फर्ज़ी maundage की और फिर भी इसको shareholders के interest की बात बताते हैं । Growers का कितना safeguard हो रहा है ! जो 20 मन गन्ने का रेढ़ा होता है उसको 15 मन लिख देते हैं ; 100 मन के ठेले को 95 मन लिख देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : जो Administration और Executive की details हैं आप उनको discuss नहीं कर सकते । आप general तौर पर principles पर बहस कर सकते हैं । इस extension of tenure को अगर इन मिसालों के साथ जोड़ा जाय, जो routine nature की हैं, तो these are not relevant (The hon. Member is not entitled to discuss the details

of administration and executive matters. He may discuss the principles in general. If matters like the extension of tenure are connected with those of routiue nature then these become irrelevant.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : कंडों के ऊपर रेढ़े कम तोले गए . . . . . (विघ्न)

Mr. Speaker : This "Kanda business" is not the business of the Directors ?

Chaudhri Dharam Singh Rathi : The Directors could cancel the contract at once. इस के अन्दर वे सारे acts जो किए हैं,हम से justify करवाना चाहते हैं, regularise करवाना चाहते हैं । उन सारे acts को, उस सारी corruption और बेईमानी को regularise करवाना चाहते हैं । अगर उनके बारे में भी नहीं कह सकते तो और क्या कह ? मैं तो उनके acts को criticise कर रहा हूं ; उन Directors को, management को । इस के अन्दर लिखा है "all acts" इस बिना पर इस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं । इस लिए मैं relevant हूं ।

Mr. Speaker : The hon. Member should speak on the question of extension of tenure of the Boards of Directors. Many things can be said for or against it.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं यह बता रहा हूं कि . . . . . .

श्री अध्यक्ष : आप ने शिकायत की है कि कंडों पर कम गन्ना तुला है आप कह सकते हैं कि वे उस तोल को दुरुस्त करें लेकिन यह बातें आप इस से कैसे connect करेंगे ? General तौर पर principle के ऊपर ही discussion करें । (The hon. Member has complained that sugar cane was under weighed on the weighing machine. He can say that they should take steps to have the weighment corrected. But how would he connect all these matters with the Bill ? He may discuss the principles of the Bill in general.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं principles पै ही कह रहा हू । मिलों की corruption के बारे में उन Directors के acts के बारे में, जो mis-acts किए हैं, खराबियाँ की हैं उनके बारे में कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : जो Directors के functions हैं, आप उनको discuss कर सकते हैं but not matters of routine nature relating to day-to-day administration. (The hon. Member can discuss the functions of the Directors but not matters of routine nature relating to day-to-day administration.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इसके Statement of Objects and Reasons में लिखा है:—

"by inclusion of men of administrative and business experience and integrity are expected to give the Sugar Mills a degree of financial stability....."

साथ ही इस Bill की Clause 2 (2) में यह लिखा है :—

"All acts done by the first Board of Directors of any Co-operative Sugar Mills whose tenure of office would have expired by the lapse of Punjab Co-operative Sugar Mills (Tenure of Board) Ordinance, 1958 (Punjab Ordinance No. 2 of 1958) shall be deemed to be valid."

जनाब, मैं ने यह पढ़ा है । वे management वाले आदमी ऐसे नहीं हैं। सरकार उनको encourage करती है । जो कुछ Statement of Objects and Reasons में दिया है वह बिल्कुल ग़लत है और misleading है । यह इस House को ग़लत रास्ते पर डालने की बात है । इस लिए, स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल relevant हूं । मैं यह कहना चाहता हूं . . (घंटी) मैं अभी खत्म करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो corruption mills के अन्दर चल रही है वह इस किस्म की corruption है जिस से बहुत नुक्सान हो रहा है ।

Mr. Speaker : The hon. Member has already stated that. This is all repetition.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं बताना चाहता हूं कि वहां की administration कैसी है....

Mr. Speaker : No, I will not allow a detailed discussion on the actions of the administration.

चौधरी धर्म सिंह राठी : इसके इलावा यह Bill anti-democratic है, यह democracy के खिलाफ है । हम रोज़ाना दुहाई देते हैं कि हम लोगों के हाथ में सब कुछ देना चाहते हैं । (घंटी) स्पीकर साहब......

(The Sabha then adjouned till 8 a. m. on Wednesday, the 8th April, 1959.)

ANNEXURE

(Please see foot-note at page (28)123 of this debate dated the 7th April, 1959.)

COMPENSATION FOR LANDS ACQUIRED FOR HARIKE BARRAGE POND AREA

1642. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) whether Compensation for the lands acquired for the Harike Barrage Pond area in Kapurthala District has been paid to the owners thereof, if not, the time by which it is expected to be paid ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to give lands in Rajasthan to those whose lands have been acquired in Kapurthala District, referred to in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a) Yes, except for one village Gamewala, where the area is evacuee property and price thereof is to be paid to the Regional Settlement Commissioner, Jullundur, after settling it by negotiation. No original holders are invlolved in this case. Interim payment is, however, expected to be made within a month.

(b) The matter s receiving the attention of the Government.

6191 PVS—347—C.P., & S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

8th April, 1959

VOL. I—NO. 29

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, 8th April, 1959

CHANDIGARH

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959

Price: : Rs. 4.80 N.P.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I NO. 29 DATED THE 8TH APRIL, 1959

Read	*for*	*on page*	*line*
में	म	(29) 5	6th from below
consideration	con ideration	(29) 16	5
कमेटीज़	कमेटीज	(29) 41	20
ਜੋ	ਜੇ	(29) 47	2
claimed	claim d	(29) 49	10th from below
and	a d	(29) 49	9th from below
extension	extention	(29) 50	2
agency	agenry	(29) 59	15th from below
ਹੋਇਆ	ਹੋਿਅਆ	(29) 69	19
ਬਾਪੜ	ਬਪੜ	(29) 69	29
ਦਿੱਤੀ	ਦੱਤੀ	(39) 69	3rd from below
ਹੁੰਦਾ	ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ	(29) 75	20-21
ਦੇ	ਦੋ	(29) 75	10th from below
ਹੁੰਦੇ	ਹੁੰਦਾ	(29) 75	6th from below
ਮੇਰੇ ਵੀਰ	ਸਿਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਵੀਰ	(29) 76	21
8th April, 1959	8th Aprilk, 1959	(29) 76	Heading
ਰਹਿੰਦੇ	ਕਹਿੰਦੇ	(29) 77	18
ਜਿਨ੍ਹਾਂ	ਜਿੰਨਾਂ	(29) 83	6
ਸਿੰਘ	ਸੰਘ	(29) 84	18
ਬੜੀ	ਥੜੀ	(29) 85	10th from below
ਤਰ੍ਹਾਂ	ਤਹ੍ਹਾਂ	(29) 86	3rd from below
ਕਿੱਥੇ	ਕਿ `	(29) 88	2
ਨਿਸ਼ਚੇ	ਨਿਸਂਚੇ	(29) 89	14
ਸਲਾਹ	ਸਲਾਰ	(29) 89	25
ਲਭੀਏ	ਲਵੋਂ	(29) 89	27

ਉਨ੍ਹਾਂ	ਉਨਾਂ	(29) 91	12
Mr. Speaker	Mr. Speakr	(29) 96	1
ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ	ਔਰ ਗੋਰਮੈਂਟੋਂ	(29) 98	14
ਅਤੇ	ਅਤੋਂ	(29) 100	16
ਕਿ	ਕਿਹ	(29) 102	12
ਮੰਨੇਗਾ	ਮਨੇਗਾ	(29) 102	4th from below
ਹੋਵੇ	ਹੋਵੇਂ	(29) 106	8th from below
ਖਿਲਾਫ਼	ਖਿਲਬ	(29) 111	12
fragmentation	fragementation	(29) 113	2nd [illegible] of heading
that this	thatt his	(29) 115	[illegible] 4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, 8th April, 1959

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 8.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

EXEMPTION FROM DUTY ON ELECTRICITY CONSUMED FOR AGRICULTURAL PURPOSES

***4069. Sardar Umrao Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government have received any representation to the effect that electricity consumed for agricultural purposes be not subjected to electricity duty under the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958 ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes ; the question was referred to the Special Committee appointed by the Government to examine the impact of duty on Agricultural production and on Industries. The Committee recommended *inter alia* that the rate of duty in respect of Agricultural consumers be brought down from 25 per cent to 15 per cent. The Punjab Government have accepted the recommendations of the Committee in toto and these are being implemented with effect from 1st April, 1959.

USE OF HINDI AND PUNJABI AT DISTRICT LEVEL

***4026. Shrimati Sneh Lata :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether it is a fact that all administrative work at district and tehsil level is being done in Urdu in the State, at present; if so, the steps ; if any, that are being taken to replace Urdu by Hindi and Punjabi ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Urdu is being used to transact administrative work at district and tehsil level in Jullundur and Ambala Divisions only. Punjabi and Hindi are in vogue in their respective regions in Patiala Division.

Following steps are being taken to put Punjabi and Hindi to use in the areas where people desire to use Punjabi and Hindi in place of Urdu :—

(i) Translation of various Acts, Codes, Manuals, Rules, Bye-laws and Regulations etc.

(ii) Coining of terminology ;

(iii) Preparation of different lexicons ;

(iv) Teaching of Hindi and Punjabi to Government employees ;

(v) Holding departmental examinations in Hindi and Punjabi ;

[Minister for Education and Labour]

(vi) training of stenographers, steno-typists and typists in Hindi/ Punjabi short hand and typewriting ; and

(vii) Preparation and publication of Glossaries of administrative terms and a Guide Book on noting and drafting for the guidance of Government Servants at the time of switching over to Hindi and Punjabi.

श्रीमती स्नेह लता : यह points लिख कर दे दें ।

श्री अध्यक्ष : ऐसे सवाल जिन में number वगैरह हों, लम्बे सवाल हों, मेरा ख्याल है कि Table पर रख देने चाहिएं । (I think the answers to questions which contain figures and are lengthy may be placed on the Table.)

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या मन्त्री जी बतलाएंगे कि Government change-over के लिए जो steps ले रही है इसके मुताबक उर्दू की बजाए हिन्दी और पंजाबी में काम चालू होने में कितनी देर लगेगी ?

मन्त्री : वक्त का कहना मुश्किल है । Government की जो policy है और जो हम ने फैसला किया है उसके मुताबिक 1961 में हिन्दी और पंजाबी introduce होगी । अगर ये तमाम बात पूरी हों और हालात मुआफिक रहें तो मेरा ख्याल है कि जल्दी से जल्दी introduce कर सकेंगे ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या Government इस बात की कोशिश करेगी कि जो target मुकर्र किया था वह पूरा हो जाए ? उसे जल्दी पूरा करने के लिये क्या कोई ऐसे steps लिए जा रहे हैं ?

मन्त्री: Targets पूरे करने के लिए Government कोशिश कर रही है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Government इसके इलावा और भी कोशिश करना चाहेगी ?

श्री अध्यक्ष: पण्डित जी, काफी हो गया है ? (Pandit Ji that will do.)

REPRESENTATION FOR RAISING THE STANDARD OF PRIMARY GIRLS SCHOOL, MOONG, DISTRICT KANGRA

***4034. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have received any representation from the residents of village Moong, district Kangra, for raising the standard of the Primary Girls Schools at that place to the High standard; if so, the action taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : No.

CREATION OF A POST OF ADDITIONAL DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, PUNJAB

***4051. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government for the creation of the post of Additional Director of Public Instruction in the Education Department in the State ;

(b) the total number of Deputy Directors and Additional Deputy Directors of Public Instruction at present with the nature and distribution of work among them ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) No.

(b) There are three Deputy Directors of Public Instruction, Punjab, but there is no post of Additional Deputy Director of Public Instruction. The lists showing the distribution of work amongst the Deputy Directors are attached.

List of duties performed by Deputy Director (Colleges)

A. Z-II and ' C ' Branches

1. All cases regarding transfers, appointments, promotion and confirmation, etc. of college lecturers in P.E.S. Class III and grant of leave involving appointment of substitutes to them and cases of complaints against them.
2. Cases involving interpretation of rules or changes in rules pertaining to colleges.
3. Affiliation and introduction of new subjects in colleges.
4. Grants to the Punjab University and Colleges (Both disrupted and non-disrupted).
5. Changes in University regulations.
6. References regarding museum and historical records.
7. Conferences, Committees and Associations.
8. Annual reports of members of P.E.S., Class III, Non-gazetted College Cadre (Men's Branch).
9. Broadcasting.
10. Acquisition of land for colleges.
11. Buildings, Major Works of colleges.
12. Building, Miscellaneous work of Government Colleges.
13. Building grants.
14. Improvement of existing colleges.
15. Opening and Closing of colleges.
16. Fees, Fines, Funds and Endowments of Colleges.
17. Admission to colleges.
18. Technical, Industrial and Vocational Education.
19. Minor works of Government Educational Institutions.
20. Agriculture Education.
21. Renting of Buildings of Colleges.
22. University Education other than Kurukshetra University.
23. Inspection of Colleges.
24. Clerical and Commercial Education.

[Minister for Education and Labour]

25. Vacation and Holidays in Colleges.
26. Community Projects.
27. Mannual Training.
28. Rural University.

B. S-I-.Branch

1. Development of functional and economical school buildings.
2. Construction of buildings, major works.
3. Educational facilities for children of political sufferers.
4. Building, miscellaneous.

C.-Provincialisation Branch

1. Establishment cases of Masters and Headmasters of Provincialised schools.
2. Matriculation results of all provincialised schools.

List of duties performed by Deputy Director. (P.)

1. Budget-allocation of funds.
2. Assembly questions regarding Planning.
3. Grant of sanctions to write off stores lost or unserviceable articles.
4. Travelling Allowance cases involving interpretation of rules relating to Government Officers.
5. Schedule of new expenditure.
6. Budget estimates.
7. Appropriation reports on accounts.
8. All important U.O. references pertaining to finance and received from the Finance Department.
9. List of excesses and surrenders.
10. List of late sanctions.
11. Applications to Finance Department for additional funds.
12. Opening of Training Institutions.
13. Planning Schemes (Plan).
14. References regarding account matter.
15. Cases regarding implementation of basic education schemes (excluding those pertaining to training of teachers included in the Second Five-Year Plan).
16. Cases regarding implementation of the scheme 'Conversion of existing High Schools into Multi-purpose and Higher Secondary-type of Schools, etc., dealt with by the College Branch.
17. Free Education.
18. Seminars and Refresher Courses.

List of duties performed by Deputy Director (Schools)

1. E-I Branch work [i.e. work pertaining to Headmasters and Masters of Government (except provincialised) schools.
2. Work coming through A.D.S. and pertaining to teachers of Primary Schools with the exception of establishment cases of Masters and Headmasters.
3. Policy of the scheme of nationalisation of text-books and the invitation of fresh text-books.
4. Syllabi and curricula
5. Punjab Advisory Board of Education.
6. P.A.B.E. Library
7. Kurukshetra University Act.
8. Pathashalas, i.e. institutions imparting instruction in Sanskrit, Hindi and Punjabi—Inspection of and Grant-in-aid to.
9. Grants-in-aid to cultural and research bodies.
10. Promotion of Hindi and Punjabi and encouragement of Urdu.
11. Language issue and Sachar and the Pepsu Language Formulae.
12. Devnagri and Gurmukhi Scripts.
13. Sanskrit Education.
14. Approval of Library and Prize books and books for Social Education Centres, and the payment of remuneration to the reviewers.
15. Headquarters Officers meetings.
16. Book competitions organised by the Government of India.
17. Cases of clerks of sub-offices.

CASE REGARDING BENEFIT OF WAR SERVICE TO CERTAIN CLERKS IN THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT, AMBALA DIVISION

***4018. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether it is a fact that the case of some clerks of the Co-operative Department, Ambala Division, for counting their War Service towards their seniority is pending with the Government since 29th November, 1957 ; if so, the stage at which the matter stands at present ?

Sardar Gurbanta Singh : No.

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या Ambala Division म कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन के War Service के cases चल रह हों ?

मन्त्री : Cases चले थे, उनके फैसले हो गए । कोई pending case नहीं ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या मुआमले थे उनके ?

मन्त्री: इसके लिए नोटिस दें ।

LAND LEASED OUT IN DISTRICT KARNAL UNDER THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ACT, 1949

***3806. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the rates at which the land has been leased out in Karnal District under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949 ; the period for which it has been leased out and the amount of lease so far realised from the lessees ;

(b) whether the land referred to in part (a) is under cultivation or whether any area thereof is lying uncultivated and the area in the latter case ?

Rao Birendar Singh : (*a*) *Part First and second* :—

Manner in which land has been leased out	Rate of rent	Period for which leased out	Amount of lease money so far realized
			Rs
(i) By auction ..	Varying from 0.44 nP. to Rs 48.00 per acre per annum	Seven years. (From Kharif, 1951 to Rabi, 1958)	3,13,530
(ii) On fixed rate (in year, 1955-56)	Varying from Re 1 to Rs 3 per acre per annum	Twenty years	21,895

(b) Major portion of the land referred to in part (a) above is under cultivation. The exact figures of the area still lying uncultivated are not readily available.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जो area उन्हों ने अभी तक cultivate नहीं किया वह गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ले लिया ?

मन्त्री : Government की instructions हैं कि जिस की ज़मीन ले लें, उसे मौका दें कि वह cultivate करे ।

श्री राम प्यारा : क्या Government ने कोई instructions कीं कि revenue authorities का नुमायंदा देखे कि जो रकबा lease पर दिया है वह cultivate क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष: ऐसे cases आप उनके notice में ले आएं । [The hon. Member may bring such cases to the notice of the Government.]

श्री राम प्यारा : उन ज़मीनों का चार चार साल तक कोई notice नहीं लिया ; हालांकि 6 फसलों का मतलब 3 साल है ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या वज़ीर साहब बतलाएंगे कि Government ने जो ज़मीन lease पर दी थी और वह cultivate नहीं हुई, जैसा कि जवाब में बताया है, उसके मुतअल्लिक क्या किया गया है ?

(*No reply*)

श्री राम प्यारा: वज़ीर साहब ने बताया है कि 1951 से 1958 तक वे ज़मीनें lease पर हैं । क्या वज़ीर साहब बताएंगे कि उन leases को further extend किया गया ?

Mr. Speaker : The question does not arise.

श्री राम प्यारा: जो ज़मीनें 1951 से 1958 तक leases पर रहीं उनके मुतअल्लिक मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे ज़मीनें Government के कबज़े में हैं या lessees को वापस दे दी गई हैं ?

श्री राम प्यारा: क्या गवर्नमेंट के notice में ऐसे रकबाजात आए हैं जो अभी तक cultivate नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष: जो आपके मन में है उसके मुताबिक तो सवाल का जवाब आ नहीं सकता । (It is not possible that the reply should be in accordance with what is in hon. Member's mind.)

BUSES PLYING BETWEEN CHANDIGARH AND JULLUNDUR VIA NAWAN-SHEHAR AND RUPAR

***4030. Chaudhri Dasondha Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government has received any representation for running more buses on the Chandigarh-Jullundur route *via* Nawan-shehar-Rupar ; if so, the action taken thereon ?

Rao Birendar Singh : Yes. A preliminary notification for operation of two additional trips has been issued. A decision in this respect will be taken after hearing the objections.

REPRESENTATION FOR PLYING BUSES ON BHAWARANA-KHAIRA-GANDAR-ALAMPUR ROAD IN DISTRICT KANGRA

***4035. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether he has received any requests from the residents of the areas concerned for plying of Buses on Bhawarana-Khaira-Gandar-Alampur Road in Palampur area of district Kangra ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Rao Birendar Singh : Yes. The matter is under consideration.

TRANSFER OF SERVICES OF EMPLOYEES RECRUITED IN ENGINEERING ORGANISATION OF THE CAPITAL PROJECT, CHANDIGARH

*4000. **Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the total number of regular employees in the Engineering Organisation of the Capital Project, Chandigarh, who were directly recruited ;

(b) the number of those referred to in part (a) above who have been transferred to the P.W.D., Public Health Branch, and the reasons therefor ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to transfer the rest of those referred to in part (a) above to the P.W.D., Public Health Branch ; if so, when ;

(d) the number of employees referred to in part (a) above who cannot be absorbed in the P.W.D., Public Health Branch, when the Project is completed in 1961 ;

(e) the name of the Department where the employees referred to in part (d) above are proposed to be absorbed ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 408.

(b) One employee (Peon). He submitted an application for his transfer to the Punjab, P.W.D., Public Health Branch, based on his family circumstances, which was forwarded to the Chief Engineer, Public Health, who transferred the applicant to his Department.

(c) Yes. A proposal is under consideration to merge the directly recruited engineering staff of the Capital Organisation with that of the Punjab P.W.D., Buildings and Roads and Public Health Branches (and not with the staff of Public Health Branch alone). No time-limit can be given for finalisation of the proposal.

(d) It is not possible to foresee this aspect at the present stage.

(e) This question will arise in case all the employees are not absorbed in the P.W.D., Buildings and Roads and Public Health Branches, on completion of the Capital Project, and will be considered at that time.

ENGINEERING STAFF IN THE CAPITAL ADMINISTRATION, CHANDIGARH

*4001. **Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that the Government took a decision in October, 1956, to merge the engineering staff of the Capital Project Organisation, Chandigarh, with the staff of the P.W.D. (Buildings and Roads and Public Health) ; if so, whether the said decision has been implemented ; if not, the reasons therefor and the time by which it is expected to be implemented ?

Chaudhri Suraj Mal : A communication regarding merger issued, but this happened under a misapprehension and no orders were passed by competent authority. The question whether merger should be effected is again being examined now.

REALISATION OF FINE IMPOSED ON SATYAGRAHIS IN ANTI-BETTERMENT LEVY AGITATION

***4027. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any property was attached by the Police under the directions of the Deputy Superintendent, Police, Barnala, district Sangrur in connection with the realisation of fine imposed on the Satyagrahis in the Anti-Betterment Levy Agitation ;

(b) whether the said attachment was made during the hours of the day or night ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Question does not arise.

APPEALS PENDING IN THE COURT OF SUB-DIVISIONAL OFFICER, NAWANSHAHR, DISTRICT JULLUNDUR

***4063. Sardar Harguranad Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of Revenue appeals, cases under sections 107/151 of Criminal Procedure Code and Panchayat appeals pending in the Court of Sub-Divisional Officer, Nawanshahr, district Jullundur, during the months of September, October, November, December, 1958, and January, 1959 ;

(b) the cases disposed of by the Court month-wise ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b). A statement is laid on the Table.

STATEMENT

	September, 1958	October, 1958	November, 1958	December, 1958	January, 1959
(a) (i) Number of Revenue appeals..	9	7	7	6	6
(ii) Number of Revenue cases under sections 107/151 of Criminal Precedur Code ..	52	50	..	37	35
(iii) Panchayat appeals ..	5	9	9	10	10
(Pending in the Court of Sub-Divisional Officer, Nawanshahr, during the months of)					
(b) Number of cases disposed of by the Court, month-wise—					
(i) Revenue appeals ..	7	2	..	4	4
(ii) Cases under sections 107/151, Criminal Penal Code ..	19	6	..	27	19
(iii) Panchayat appeals ..	1	2	..	1	3

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ disposal of cases poor ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ action ਲੈਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ warning ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

SUPPLY OF WHEAT BY THE UNION GOVERNMENT

***3625. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the rate at which wheat was supplied to the State by the Union Government during the years 1957-58 and 1958-59, together with the rate at which it was sold by the Government ;

(b) the rate of wheat exported from the State during the said period referred to above ?

Shri Mohan Lal : (a) During 1957-58 and 1958-59, wheat was supplied by the Union Government to the State Government at the rate of Rs 14.00 n.P. per maund F.O.R. destination (including the cost of gunny bags). During 1957-58, it was sold by the State Government at the rate of Rs 14.00 n.P. per maund ex-Government godowns plus Rs 125 per 100 gunny bags. During 1958-59, it is being issued to the Roller Flour Mills at the rate of Rs 14.30 n.P. per maund ex-railway platform plus Rs 125.00 per 100 bags, while in case of Chakkiwalas, the issue rate of Rs 14.30 n.P. per maund is suitably enhanced so as to ensure that, after allowing them milling and retailers, margin, atta is issued to consumers at the basic rate of Rs 15.92 n.P. per maund.

(b) No wheat was exported during 1957-58 on State Government account. The rate of wheat exported during 1958-59 on State Government account has not been finalised so far. The provisional rate charged from recipients as advance, is, however Rs 17.00 n.P. per maund.

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस wheat में से सरकार कुछ profit अपने लिये भी निकालती है या नहीं ?

मन्त्री: सरकार कोई profit नहीं लेती ।

WASHING AWAY OF BUND NEAR NAROT JAIMAL SINGH IN DISTRICT GURDASPUR

***4060. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the bund along Ravi constructed for the protection of Narot Jaimal Singh in District Gurdaspur, was washed away ;

(b) whether any enquiry into the causes leading to the washing away of the said Bund was instituted by Government: if so, the findings thereof and the action taken thereon ;

(c) whether any persons were held responsible for the washing away of the said Bund , if so, their names and addresses ;

(d) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a new Bund to save Narot Jaimal Singh from floods; if so, the action, if any, taken in this direction ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Reply is placed on the Table of the House.

(a) In the monsoon season of 1958, one breach occurred in the bund across Shingarwan creek on the right side of River Ravi which windened to 1,800′. Another breach (also believed to be a cut) occurred opposite village Ghonewala on the left bank of River Ravi which widened to 100′.

(b) Yes, a Committee was appointed to enquire into the failure of certain flood protection works on the Right Bank of the Ravi that had been constructed to protect the Chak Andhar Tract. The Committee has submitted a detailed report, which it is difficult to summarise. However, it may be stated that, broadly speaking, the Committee found no fault with the design and alignment of the works at the Shingarwan Creek. The failure here has been ascribed to the works not having been done according to designs and specifications and also to faulty planning in respect of the construction programme. At the Chak Hari Rai Creek, the Committee has ascribed the failure of works to the faulty alignment. The report of the Committee is being considered by Government with a view to apportion responsibility on individual officers for these defects.

(c) The Working Committee has held Shri B.S. Dina, the then Superintending Engineer, Upper Bari Doab Circle, now Superintending Engineer, Nangal Circle and Shri B.S. Kalsi, Executive Engineer (since retired) responsible for the defects and ultimate washing away of the bund at Shingarwan Creek. Shri A.S. Kalha, Chief Engineer has been found guilty of lapse in as much as he failed to visit the site for a long time and also responsible for faulty alignment in Chak Hari Rai Creek. The extent to which these officers are at fault is still under consideration of Government.

(d) The State Flood Control Board has approved the following work to be carried out before monsoons of this year on Flood Protection Embankment on right side of River Ravi in Chak Andhar Tract: —

(i) Strengthening of bunds and spurs across Doaba Shingarwan Creek.

(ii) Strengthening Narot Spur.

(iii) Providing local protection to villages Narot and Gogran to save them from damage by water flowing through the Shingarwan and Chak Hari Rai Creeks.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंग कि रिपोर्ट submit हुई को कितनी देर हो गई है ?

मन्त्री: इस के लिये मुझे notice चाहिये । मैं off hand जवाब नहीं दे सकता ।

श्री बलराम दास टण्डन : यह जो लिखा है कि रिपोर्ट की summary भेज रह हैं, बाकी details इस वक्त नहीं दी जा सकतीं, क्या बाद में detailed report दी जा सकेगी ?

मन्त्री: Enquiry report के जो salient points थे वे तो summary में दे दिये गए हैं । बाकी तो unnecessary details हैं ।

श्री बलराम दास टण्डन : इस summary में पहले लिखा है कि "..the committee found no fault with the design and alignment of the works" दूसरे part में लिखा है कि".......and specification and also to faulty planning in respect of construction programme" इसके साथ ही साथ यह भी लिखा है कि "........failure of works to the faulty alignment......" मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों बातों में से कौनसी बात ठीक है ?

मन्त्री : Enquiry Committee ने अपनी रिपोर्ट दी है, और जो उसके Expert Member श्री कंवर सेन थे उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट दी है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या गवर्नमेंट इस रिपोर्ट पर कोई action लेगी ।

श्री अध्यक्ष: जो statement Table पर रखी गई है वह उस में दे रखा है । (It is given in the statement that has been placed on the Table.)

श्री बलराम दास टण्डन : क्या सरकार Expert की रिपोर्ट पर action लेगी या दूसरी रिपोर्ट पर action लेगी ? इस बात की clarification नहीं की गई ।

Mr. Speaker: It has been stated that the matter is under consideration and naturally this will be followed by action.

श्री बलराम दास टण्डन : वह तो अफसरान का नाम ले कर बताया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या Expert की report को basic मान कर action लिया जाएगा या जो कमेटी की दूसरी रिपोर्ट है उसको basic मान कर action लिया जाएगा ?

मन्त्री: जहां तक Administrative side का ताल्लुक है, उसके बारे में तो कमेटी की रिपोर्ट को basic माना जाएगा और उसके मुताबिक अमल होगा । जहां तक technical side का ताल्लुक है उसके लिये जो expert कमेटी के साथ था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या इस summary के अलावा भी कमेटी ने गवर्नमेंट को कहा है कि " lack of co-ordination between the Chief Engineers " भी बांध टूटने का कारण है ?

Mr. Speaker : This is not a supplementry.

पंडित श्री राम शर्मा: जब यह बांध बनाया गया था तो इस की construction किन अफसरान की direction के अन्दर हुई थी ?

मन्त्री: जो अफसरान Division और Circle के थे वह, इस काम के incharge मुकर्रर किये गए थे ।

श्री बलराम दास टण्डन : मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि यह देखने के लिए समय चाहिए कि किस किस व्यक्ति का कितना कितना fault है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस काम को complete करने के लिये कितनी देर लगेगी ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ administrative action ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਅਫਸਰ under suspension ਹਨ । ਔਰ ਜੋ technical side ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ experts ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया । मैं ने पूछा था कि किस किस व्यक्ति का किस किस extent तक fault है और यह देख कर उन के खिलाफ action लेने में कितनी देर लगेगी ?

श्री अध्यक्ष : No, please.

SPECIAL CERTIFICATES REQUIRED FOR THOSE TEACHING HINDI

***4020. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government have issued any circular to the effect that the privately-managed schools in the State would not be entitled to get any grant for the teaching of Hindi, if Hindi is taught by Sanskrit teachers who have got no special certificate to teach Hindi ;

(b) whether Government is aware of the fact that Sanskrit teachers have since long been teaching Hindi without any special certificate for teaching Hindi ; if so, the reasons for which the said instructions have been issued ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Yes, in the earlier stages when the output of Hindi teachers was meagre. Fresh instructions issued are in conformity with the provisions of the Punjab Education Code.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या महकमें की तरफ से इस बारे में कोई report गवर्नमेंट के पास आ गई है ?

उप-शिक्षा मन्त्री : आप का सवाल मेरी समझ में नहीं आया ?

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह दरियाफत करना चाहता हूँ कि इस मामले में गवर्नमेंट ने जो circular जारी किया था कि संस्कृत teachers जो हिन्दी की qualifications नहीं रखते उनके ज़रिये अब हिन्दी पढ़ाने के लिये private institutions grant लेने के entitled नहीं हैं; इस बारे में क्या Education के महकमें ने कोई report भेजी है ?

उप-मन्त्री : महकमें ने कोई अलग report नहीं दी । हां Education Code में necessary instructions जारी की गई हैं कि हिन्दी teachers qualified हों । उन तमाम teachers की हिन्दी की qualification होनी चाहिये जो हिन्दी पढ़ाते हों ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बतायेंगे कि संस्कृत teachers के खिलाफ गवर्नमेंट के पास कोई शिकायत वसूल हुई थी कि वह हिन्दी ठीक तरह से पढ़ा नहीं सकते ?

शिक्षा मन्त्री : Position यह है कि पहले हिन्दी के qualified teachers बहुत नहीं मिलते थे । इस लिये संस्कृत के teachers से ही हिन्दी पढ़ाने का काम लिया जाता था । अब क्योंकि हिन्दी को काफी importance दी जा रही है इस लिये यह ज़रूरी हो गया है कि हिन्दी के पढ़ाने वाले teachers की qualifications हिन्दी में हो और जिन teachers की qualifications सिर्फ संस्कृत की हो वे केवल संस्कृत ही पढ़ायें । गवर्नमेंट ने पहले इस पर ज़ोर नहीं दिया था । अब इसे enforce किया जा रहा है ।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को जो ये enforce करने की ज़रूरत पड़ी है तो क्या संस्कृत teachers के खिलाफ इसे कोई शिकायत वसूल हुई है जो इसे इस तरह करना पड़ रहा है ?

शिक्षा मन्त्री : नहीं शिकायत की बात नहीं, गवर्नमेंट इस बात को लगातार देखती है कि हिन्दी की पढ़ाई का जो standard है वह बढ़े । इस लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि जिन लोगों ने हिन्दी पढ़ाने का काम करना हो वे हिन्दी की qualifications रखते हों । चुनांचि हमारी जो discussion होती है वहां यही कहा जाता है कि जब हिन्दी को importance देनी है तो यह नहीं होना चाहिये कि महज़ by the way संस्कृत के teachers को ही हिन्दी के पढ़ाने का काम दिया जाये ।

पंडित श्री राम शर्मा : जिन ख्यालात का इज़ाहर वज़ीर साहिब ने किया है इन पर गौर करने के बाद क्या गवर्नमेंट को इसके Education Department ने कुछ लिखा है ?

Mr. Speaker: The answer has already been given. The instructions have been issued according to the Education Code.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं इन instructions की बात नहीं करता । मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या Education Department ने इसे कुछ लिख कर भेजा है ?

मन्त्री: गवर्नमेंट और इसके Education Department में काफी बातचीत होती रहती है । यह गवर्नमेंट का internal administrative matter है ।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि Education Department ने इस मामला पर कुछ लिख कर गवर्नमेंट को भेजा है या नहीं ?

MEMORANDUM SUBMITTED BY MOTOR TRANSPORT WORKERS UNION (REGISTERED), RUPAR, DISTRICT AMBALA

*4037. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether he and the Chief Minister received any Memorandum from the Motor Transport Workers Union (Registered), Rupar ; if so, when ;

(b) the main demands of the workers Union referred to above and the action, if any, taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) Yes, on 4th March, 1959.

(b) The demands are being examined. The main demands of the Union are :—

(1) Regular annual increment to workmen.

(2) Leave benefits to workmen.

(3) Supply of uniforms.

(4) Bonus on uniform basis.

(5) Reinstatement of dismissed workers.

(6) Enforcement of Factory Act.

(7) Grant of night allowance to workers staying outside headquarters on duty.

USE OF ANTI-BIOTICS, ETC. BY REGISTERED VAIDYAS IN THE STATE

*4037. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to prohibit the registered Vaidyas in the State from using anti-biotics, Sulpha drugs and morphine, etc. for the treatment of their patients ; if so, the details of steps proposed to be taken in this respect ;

(b) whether Government have received any representation in this connection; if so, with what results ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. The proposal is under the consideration of the Government of India as the objective can be achieved by amending the Drugs Act, 1940, and the rules made thereunder, which is a Central Legislation.

(b) No.

SETTING UP OF CO-OPERATIVE SUGAR MILLS AT SHAHABAD, MORINDA AND BATALA

*4038. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under the con ideration of Government to set up Co-operative Sugar Mills at Shahabad, Morinda and Batala ; if so, the time by which these are expected to be set up ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes. The installation of the mills is expected to begin about January, 1961. The Co-operative Sugar Mill, Shahabad, has not yet been granted a manufacting licence by the Government of India, due to the foreign exchange difficulties.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि शाहबाद में sugar mill set up करने के लिये पंजाब गवर्नमेंट ने Central गवर्नमेंट को अपनी सिफारशात भेज दी हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਹਾਂ ਜੀ, ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ।

PUNJAB CO-OPERATIVE UNION, JULLUNDUR

*4939. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) the date when the meeting of the General Body of the Punjab Co-operative Union, Jullundur, was held last ;

(b) the name of the Chairman of the Co-operative Union referred to in Part (a) and whether he is elected by the members or is *ex officio* ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) 27the July, 1957.

(b) Shri S.S. Puri, I.A.S., Registrar, Co-operative Societies, Punjab, is functioning as Chairman of the Union. He is an *ex officio* member of the Board of Directors. All the members of the Board of Directors requested him to work as the Chairman of the Union and since then he is acting as such. He is not *ex officio* Chairman of the Union.

ANNUAL INCREMENT OF PATWARIS IN AMRITSAR DISTRICT

*3663. **Maulvi Abdul Ghani Da· :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there are any revenue or consolidation patwaris in tahsil Patti, district Amritsar, who have not received any annual increments since partition ; if so, their list and the reasons for not granting these increments ?

Rao Birendar Singh : (i) No.

(ii) Question does not arise.

REQUISITE QUALIFICATIONS FOR THE POST OF PATWARI

***4061. Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether any qualifications have been prescribed for the post of a Patwari in the State ; if so, what ;

(b) the scale of pay of the said post ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. The existing qualifications are :—

(1) Minimum educational qualification is Vernacular Final Examination for all classes of patwari candidates from all localities except Lahaul and Spiti, Districts of Simla, Gurgaon and Hissar, where 6th Class examination is the minimum qualification .

(2) Ability to write Urdu character with facility and with legible formed hand.

(3) Ability to work out correctly and quickly simple sums in arithmetic such as occur in a Patwari's daily work.

(4) Good physique and health, good eye sight, age not less than fifteen or more than twenty-three years.

(5) Respectable character, antecedents and family. Dismissal from any other employment for serious misconduct will disqualify.

(b) Rs 50—1—60/2—80 *plus* usual allowances.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या मिनिस्टर साहिब यह बतलायेंगे कि शिमला, हिसार, और गुड़गांव के case में यह qualifications कम रखने की क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष : कौन सी qualifications ? (Which qualifications ?)

श्री बलराम दास टण्डन : इन ज़िलों के लिये पटवारियों की recruitment के लिये छटी जमात की qualification रखी हुई है ।

मन्त्री : इस की वजह यह है कि कुछ इलाके backward हैं, इस लिए वहां qualified आदमीं मिलते नहीं हैं ।

श्री बलराम दास टण्डन: क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि अब जब कि उर्दू खत्म हो गया है तो क्या यह काम दूसरी भाषाओं के अन्दर शुरु करने का विचार गवर्नमेंट नहीं रखती ?

मन्त्री: जी हां, रखती है ।

श्री बलराम दास टण्डन: क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि पटवारियों की तन्खाह का जो grade सरकार ने रखा हुआ है, इसके बढ़ाने की कोई तजवीज़ गवर्नमेंट के सामने है ?

मुख्य मंत्री: इतनी जल्दी इस का जवाब नहीं दे सकेंगे ।

श्री बलराम दास टण्डन: इतनी जल्दी का सवाल नहीं । इस का जवाब हां या न में दिया जाये ।

मुख्य मंत्री: अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ।

श्री राम प्यारा: मिनिस्टर साहिब ने इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया है कि 23 साल से ज्यादा उम्र वाले पटवारी भरती नहीं किये जा सकते । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि जब emergency तौर पर पटवारियों की recruitment हुई थी तो उस वक्त 23 साल से ज्यादा उम्र वाले भी ले लिये गये थे ।

माल मन्त्री: इसके लिये notice चाहिये ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या सरकार educational qualifications तबदील करने के बारे सोच रही है ?

मन्त्री: यह जो conditions हैं यह काफी पुरानी हो चुकी हैं । सरकार इन को revise करने के लिए सोच रही है । अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : टण्डन जी ने सवाल किया कि उर्दू खत्म हो चुकी है और उन्होंने जवाब दिया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उर्दू कब से खत्म हो गई है ? (हंसी)

पंडित श्री राम शर्मा : जिन तीन ज़िलों में Vernacular Final की बजाए छठी जमात का standard रखा हुआ है क्या वहां पर यह दिक्कत महसूस हो रही है कि वहां Vernacular Final नहीं मिलते, मसलन हिसार में ?

मन्त्री: अभी तो यही instructions जारी हैं । जब revise हो जायेंगी तो देखेंगे ।

पंडित श्री राम शर्मा : इन को uniform करने के लिए क्या सरकार खुद ग़ौर करती है कि वह conditions अब खत्म हो गई हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब दे चुके हैं । (This has been replied to.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस बात को सरकार देखती है कि जिन वजुहात की बिना पर वह concessions दी गई थीं, वह हालात अब भी मौजूद हैं ?

मन्त्री: मैं ने अर्ज़ किया कि इन के revise करने की तजवीज़ पर ग़ौर चल रहा है ।

CONSTRUCTION OF DRAIN AND ROAD IN VILLAGE KAMALPUR, DISTRICT AMRITSAR, DURING CONSOLIDATION

***3662. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Revenue be pleased to state with reference to Starred Question No. 2697, printed

in the list of Questions for 15th September, 1958, whether any compensation has been paid or is proposed to be paid by the District Board Authorities, Amritsar, to the landowners concerned, whose land was reserved and utilised in constructing the drain and the road ; if so, the amount paid or proposed to be paid to them ?

Rao Birendar Singh : The requisite information is as under :—

Area for drain and road in *village Kamalpur, tehsil Patti, district Amritsar,* was taken out of the common pool and, therefore, no compensation has been paid to the land-holders nor is there any proposal to pay any compensation for this area.

GOVERNMENT CARS USED BY MINISTERS FOR PRIVATE PURPOSE

***2739. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any Government cars were hired by Ministers during the years 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58 and 1958-59, for private use ; if so, the amount paid by each of them ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Statement showing the private journeys performed by Ministers on State Cars

Name of the Minister		Year	Amount paid
			Rs
S. Partap Singh Kairon	..	1952-53	220.46
Ch. Sunder Singh	..	1952-53	374.22
Shri Siri Ram Sharma	..	1952-53	..
Shri Gurbachan Singh Bajwa	..	1952-53	43.88
Ch. Lehri Singh	..	1952-53	571.66
Shri Ujjal Singh	..	1952-53	165.25
S. Partap Singh Kairon	..	1953-54	287.99
Ch. Sunder Singh	..	1953-54	179.69
Shri Gurbachan Singh Bajwa	..	1953-54	91.88
Ch. Lehri Singh	..	1953-54	196.11
S. Ujjal Singh	..	1953-54	342.65
Shri Siri Ram Sharma	..	1953-54	..
S. Partap Singh Kairon	..	1954-55	671.77
Ch. Sunder Singh	..	1954-55	7.41
Shri Jagat Narain	..	1954-55	..
Shri Lehri Singh	..	1954-55	563.00
Shri Gurbachan Singh Bajwa	..	1954-55	168.71

[Chief Minister]

Name of the Minister		Year	Amount paid
			Rs
S. Partap Singh Kairon	..	1955-56	326.71
Ch. Sunder Singh	..	1955-56	27.31
Shri Jagat Narain	..	1955-56	70.37
Shri Lahri Singh	..	1955-56	17.93
Shri Ujjal Singh	..	1955-56	84.91
Shri Sher Singh	..	1955-56	28.84
Shri Gurbachan Singh Bajwa	..	1955-56	30.28
S. Partap Singh Kairon	..	1956-57	..
Shri Mohan Lal	..	1956-57	21.84
Shri Amar Nath Vidyalankar	..	1956-57	65.40
Shri Gurbanta Singh	..	1956-57	194.61
Rao Birendar Singh	..	1956-57	28.98
Shri Parbodh Chandra	..	1956-57	..
Shri Gurbachan Singh Bajwa	..	1956-57	176.34
Shri Brish Bhan	..	1956-57	212.50
Shri Mool Chand Jain	..	1956-57	20.81
Professor Sher Singh	..	1956-57	121.45
Shri Prem Singh Prem	..	1956-57	..
S. Partap Singh Kairon	..	1957-58	220.04
Shri Mohan Lal	..	1957-58	189.10
Shri Gian Singh Rarewala	..	1957-58	36.03
Giani Kartar Singh	..	1957-58	431.60
Shri Amar Nath Vidyalankar	..	1957-58	400.80
Shri Gurbanta Singh	..	1957-58	15.25
Rao Birendar Singh	..	1957-58	292.54
Ch. Suraj Mal	..	1957-58	69.42
Shri Prabodh Chandra	..	1957-58	..
S. Partap Singh Kairon	..	1958-59	165.63
Shri Mohan Lal	..	1958-59	28.95
Giani Kartar Singh	..	1958-59	364.34
S. Gian Singh Rarewala	..	1958-59	..

Name of the Minister		Year	Amount Period
Shri Amar Nath Vidyalankar	..	1958-59	..
Shri Gurbanta Singh	..	1958-59	53.56
Rao Birendar Singh	..	1958-59	292.94
Ch. Suraj Mal	..	1958-59	..

IGNORING OF SENIORITY AT THE TIME OF PROMOTION

***3711. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of persons recommended by the State Government for nomination to the I.A.S., during 1958-59 ;

(b) the number of persons referred to above nominated to the I.A.S. ;

(c) whether nomination of persons referred to in part (b) above involves any supersessions ; if so, how many ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Nine.

(b) Nine.

(c) No.

ARRESTS AT VILLAGE MANDHALI, DISTRICT JULLUNDUR

***4042. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of the persons arrested in connection with Anti-Betterment Levy Agitation from village Mandhali, tahsil Nakodar, district Jullundur ;

(b) the number and names of the persons out of those referred to in part (a) above convicted and released, separately ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Twenty-four.

(ii) A statement of their names is laid on the Table.

(b) Seven persons were convicted. Their names are mentioned in the statement from Serial Nos. 18 to 24. None has so far been released.

Statement showing names of persons arrested in connection with Anti-Betterment Levy Agitation from village Mandhali, District Jullundur

1. Natha Singh.
2. Joginder Singh.
3. Gurbachan Singh.
4. Gurdas.
5. Tarsem Singh.
6. Hakim Singh.

[Chief Minister]

7. Dalip Singh.
8. Jagiri.
9. Chanchal Singh.
10. Gajinder Singh.
11. Rattana.
12. Darshan Singh.
13. Tarsem Singh.
14. Gurdas.
15. Dhanna Singh.
16. Rattan Singh.
17. Shadhi.
18. Suchet Singh.
19. Jit.
20. Pakhar Singh.
21. Gurdev Singh.
22. Gurmit Singh.
23. Dharam Singh.
24. Wattana.

GRANT OF LOANS FOR THE PURCHASE OF TRACTORS

***3987. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the amount of loans sanctioned for the purchase of tractors in the State during the year 1957-58 ;

(b) the criteria kept in view while granting the loans referred to in part (a) above ?

Giani Kartar Singh : (a) No amount for the purchase of tractors in the State was sanctioned during the year 1957-58.

(b) Does not arise.

LOANS FOR TUBE-WELLS AND PUMPING SETS

***3986. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the amount of loans sanctioned during the years 1957-58 and 1958-59, separately, for :—

(i) sinking tube-wells ; and
(ii) the installation of pumping sets in the State ;

(b) the criteria on which the loan was granted for the purpose ?

Giani Kartar Singh : (a)—

	1957-58	1958-59
	Rs	Rs
(i) ..	2,00,000	6,00,000
(ii)	2,70,000	3,88,000

(b) The terms and conditions under which loans have been advanced are laid on the Table as Annexures 'A' and 'B'.

ANNEXURE "A"

LOANS FOR THE PURCHASE OF PUMPING SETS (GROW-MORE-FOOD)

(TERMS AND CONDITIONS)

1. The loan will be advanced up to Rs 2,500 per pumping set to be installed for irrigation purposes only.

2. (i) *Interest.*—Loan shall carry the usual rate of interest fixed by the State Government from time to time.

(ii) *Penal Interest.*—will not be charged on instalments which will be suspended by the order of competent authority, but in other cases, will ordinarily be charged at 6¼ per cent per annum simple interest on the total of over due instalment, when the delay exceeds fifteen days.

3. The existing rights of landowners in land shall be hypothecated to Government as security in lieu of the loan till the entire loan is repaid. Before accepting the security of land the Collector shall make an enquiry regarding the existence of encumbrances, which may lessen its value.

4. After the sanction of the loan, the applicant will be required to sign an agreement in the prescribed form and be bound by the conditions laid therein.

5. The loan shall be recoverable in ten half-yearly equated instalments, after a period of grace of one year each falling due with the coinciding land revenue instalments.

6. The local Agricultural/Revenue Officers shall have right to inspect the pumping set so installed in order to satisfy that these are working alright or to collect any other information.

7. The loanee/s shall have to bring into working order the pumping set within twelve months of the receipt of the loan. The extension in time limit shall, however, be granted in deserving cases only with the approval of the Government.

8. The loan shall be given to those landowners, who possess a minimum area of ten acres of land or more either individually or collectively, but the value of this land must be equal to the loan amount.

9. The loan shall not be given in any such area, which is already irrigated by perennial canals or tube-wells owned by the Government. Exceptions shall, however, be made in case of water logged areas, where it is desired to lower the water table.

10. The loan shall be given according to the area of the land required to be irrigated, with preference to co-operative societies and cultivators, whose wells have already been bored and have adequate water-supply.

11. The Collectors shall call the applications for the grant of loan for the purchase of pumping sets in the prescribed form and after verifying the particulars of the applicants, will sanction the necessary loan as per clause I.

12. The loan shall be given under the Land Improvement Loans Act, XIX of 1883, and shall be guided by the Land Improvement and Agriculturists Loan Manual.

13. The loanee/s shall not transfer his/their rights in the pumping sets till the entire loan is repaid. In case the rights in pumping sets are transferred without the previous permission of the Collector and the Agriculture Department in writing, the entire loan will become recoverable in lump sum.

14. The loan shall be advanced for areas, which have been consolidated whose ownership is not likely to be changed after consolidation.

15. The loan shall be confined to those areas, which are not covered by community projects. The areas included in the National Extension Service Blocks shall, however, be exempted from the imposition of such restriction. In such areas the applications shall be collected through the Block Development Officers, who will forward them to the Deputy Commissioners for sanction of loan.

[Minister for Agriculture and Forests]

16. In case a loanee fails to abide by the above terms and conditions, the Government will have the option to recover the whole of the loan together with 12½ per cent amount more in lump sum.

17. The loanees shall submit a certificate to the Collector concerned within six months of the grant of loan, unless the period is extended by the Government, to the effect that he has actually purchased a pumping set. This certificate should be given by the District Agricultural Officer after verifying the information to be given by the loanee in the annexed form.

ANNEXURE "B"

LOANS FOR THE SINKING OF TUBE-WELLS (GROW-MORE-FOOD)

(TERMS AND CONDITIONS)

The loans shall be given upto a maximum of Rs. 6,000 in each individual case according to the local conditions and the size of the bore of the tube-well.

2. The loanee will be required to deposit 1/3rd of the estimated cost of the tube-well with any firm from whom he wants to purchase the machinery and necessary payment shall be made to him on producing a certificate from the firm to this effect. In case the loanee wants to get the boring done through the Boring Section of the Agriculture Department, Punjab, then he will have to deposit the necessary security with the Agricultural Engineer (Boring), Punjab, Ludhiana, and in such cases, the certificate of the Agricultural Engineer (Boring) will be sufficient.

3. The loan shall carry the usual rate of interest fixed by the State Government from time to time.

Penal interest will not be charged on instalments, which are suspended by order of competent authority, but in other cases, will ordinarily be charged at 6¼ per cent per annum simple interest on the total of the over due instalment, when the delay exceeds fifteen days.

4. The existing rights of landowners in land shall be hypothecated to Government as security in lieu of the loan till the entire loan is repaid. Before accepting the security of land, the Collector shall make an enquiry regarding existence of encumbrances, which may lessen its value.

5. After the sanction of loan, the applicant/s shall be required to sign an agreement in the prescribed form and be bound by the conditions laid therein.

6. The loan shall be recoverable in twenty half-yearly equated instalments, after a period of grace of one year each falling due with the coinciding land revenue instalment.

7. The local Agricultural/Revenue Officers shall have the right to inspect the tube-well so installed in order to satisfy that these are working satisfactorily or to collect any other information.

8. The loanee/s shall have to bring into working order the tube-well within twelve months of the receipt of the loan. The extension in time limit, will, however, be granted in deserving cases only with the approval of the Government.

9. The loan shall be given to these landowners, who possess a minimum area of twenty-five acres of land or more either individually or collectively, but the value of this land must be equal to the loan amount.

10. The loan shall not be given in any such area, which is already irrigated by perennial canals or tube-wells owned by the Government. Exceptions shall, however, be made in the case of water-logged areas, where it is desired to lower the water table.

11. The Collectors shall call for the applications for the grant of loan for the sinking of tube-wells in the prescribed form and after verifying the particulars of the applicants, will sanction the necessary loan as per clause 1 above.

12. The loan shall be given according to the area of the land required to be irrigated with preference to those cultivators, who have got larger areas to command.

13. The loan shall be given under the Land Improvement Loans Act, XIX of 1883, and shall be guided by the Land Improvement and Agriculturists Loan Manual.

14. The Loanee/s shall not transfer his/their rights in the tube-wells till the entire loan is repaid. In case the rights in tube-wells are transferred without the previous permission of the Collector and the Agriculture Department in writing, the loan will become recoverable in lump sum.

15. The loans shall be advanced for areas, which have been consolidated or whose ownership is not likely to be changed after consolidation.

16. Preference will be given to Co-operative Societies in sanctioning the loan.

17. The loan shall be advanced in areas which are not included in the Community Projects. The areas included in the National Extension Blocks, shall, however, be exempted from the imposition of such restrictions. In such areas the applications shall be collected through the Block Development Officers, who shall forward the same to the Deputy Commissioners for the sanction of loan.

18. In case a loanee fails to abide by the above terms and conditions the Government shall have the option to recover the whole of the loan amounts together with 12½ per cent amount more, in lump sum.

FORM OF CERTIFICATE

1. Name of Loanee————————. Father's name————————.

2. Village————————, Post Office————————, Thana————————.

3. Tehsil————————, District————————.

4. Acreage for which the Pumping Set has been purchased————————.

5. Amount of loan actually received————————.

6. Date of receiving the loan————————.

7. Make and Type of Pumping Set purchased————————.

8. ————————D.W.H.P. with No. of engine/motor————————.

9. Cost of Pumping Set————————.

10. Name of the dealer from whom purchased with full address————————
————————————————.

11. Cash Memo No.————————, Date————————.

I certify that the above particulars are correct and the pumping set is to be used entirely for Agricultural purposes on my own land.

Date of submission to the
District Agriculture Officer.———————— (Signature/Left/Right Thumb-impression of the Loanee)

Village————————.

Tehsil————————.

District————————.

(Certificate to be given by the District Agricultural Officer)

It is hereby certified that the above particulars have been verified and the Pumping Set has been purchased by the loanee, who is using it on his land for Agricultural purposes.

Date———————— District Agricultural Officer————————,
District————————.

To
The Deputy Commissioner,————————.

Note.—This certificate should be submitted to the District Agricultural Officer, within six months of receiving the loan.

श्री निहाल सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि एक ही तरह के loans की रक्म ही क्यों दी जाती है ? क्या यह स्कीम सरकार के ज़ेरे ग़ौर है कि हालात के मुताबिक यह loans दिए जाएं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮਹਿੰਦਰ ਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਖੂਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟ।

श्री निहाल सिंह : Pumping-sets के लिए भी दी जाती हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Pumping sets ਵਿਚ pipe ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ point ਨੂੰ examine ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ pumping-sets ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

PROVIDING FREE DIET TO INDOOR PATIENTS IN GOVERNMENT HEALTH CENTRES IN RURAL AREAS

***3936. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state —

(a) whether it is a fact that free diet similar to that given to the indoor patients in the Government Hospitals in urban areas is not provided to identical cases admitted in the Health institutions in rural areas ; if so, the reasons , therefor and the steps, if any, proposed to be taken for free supply of diet to indoor patients in rural areas ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) (i) In urban areas the hospitals are modernised and every facility for specialist treatment is available and the number of patients is more than in the hospitals in rural areas where only simple medical aid is provided and compli cated cases are sent to hospitals in urban areas ;

(ii) In the hospitals and dispensaries in rural areas the posts of cooks do not exist, as the number of indoor patients is too small.

(iii) None at present.

JULLUNDUR CO-OPERATIVE PRINTING AND PUBLISHING SOCIETY LTD, JULLUNDUR

***4040. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state whether the Managing Director of Jullundur Co-operative Printing and Publishing Society Ltd., Jullundur is being paid any remuneration; if so, in what form i.e. regular pay per month or honorarium and the quantum of such remuneration and his qualifications ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) The Managing Director of Jullundur Co-operative Printing and Publishing Society Ltd., Jullundur is paid Rs. 230 as honorarium per month.

(b) He has sufficient experience in the Printing and Publishing line.

LAND ACQUIRED AT CHANDIGARH CAPITAL

***4041. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the total area of land so far acquired for the Chandigarh Capital, together with the total amount of compensation paid therefor ;

(b) the total amount so far received by Government through the sale of plots in the Capital ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 8414.38 acres.

The compensation paid amounts to Rs. 78,79,570.00

(b) Rupees 4,13,07,447.00 upto February, 1959.

HOLIDAYS TO GOVERNMENT WORKERS IN TEXTILE FINISHING CENTRE, PANIPAT

***4056. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) the total number of workers at present on roll at the Government Textile Finishing Centre, Panipat ;

(b) the number of holidays actually allowed to such workers out of the holidays prescribed under the Factories Act, 1934, and other labour laws ?

Shri Mohan Lal : (a) 28.

(b) Under rule 79 of the Factories Act, 1934, the workers are allowed annual leave with wages at the rate of one holiday for every 20 days' work performed by them. All the workers who applied have been granted such leave.

ENQUIRY AGAINST EXECUTIVE OFFICER AND ADMINISTRATOR, PATIALA MUNICIPAL COMMITTEE

***4055. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state—

(a) whether any enquiry against the Executive Officer and the Administrator, Municipal Committee, Patiala, was held by Shri T. R. Chopra, Under-Secretary, Central Government who was attached with the Deputy Commissioner, Patiala for training ;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the main charges against the said officers and the recommendations made by the officer who held the enquiry ;

(c) the date when the enquiry referred to above was held and the date when its final report was submitted to the Government ;

(d) the action, if any, so far taken on the recommendations of the Enquiry Officer ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) Part of the matter is subjudice. Even otherwise it is regretted that answer to this part cannot be given.

(c) The enquiry was started on the 3rd June, 1958 and completed on the 17th June, 1958. The report was submitted to Government on the 8th August, 1958.

(d) No action was taken.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जब report इतनी देर से आई हुई थी तो Government ने जल्दी action क्यों न लिया ?

मन्त्री: ज़रूरत नहीं समझी गई ।

LEVY OF BETTERMENT CHARGES ON BET AREA OF DISTRICT FEROZEPUR

*4074. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to impose Betterment Levy on the "Bet" areas irrigated by the Grey Canal System in tehsil Zira, district Ferozepore. If so, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. Previously this area was irrigated by inundation Old Grey Canal with intensity of irrigation 17 per cent non-perennial . With the introduction of Bhakra Canals the intensity of irrigation has increased to 35 per cent non-perennial and regular supply ensured.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary.

VILLAGES OF HITHAR AREA OF TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

*4073. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of the Government to compensate the residents of villages in "Hithar" area of Patti Tehsil, district Amritsar, which have been damaged by floods in River Sutlej; if so, the time by which it is expected to be implemented ?

Rao Birendar Singh : There is no scheme under the consideration of Government to compensate the residents of villages in "Hithar" area of Patti tehsil, which have been damaged by floods in the river Sutlej. However, the following amounts were distributed amongst the flood effected people of this area during the year 1958-59.

Loans—

		Rs.
Loan for repairs of houses	..	8,500
Loan for seed	..	33,282
Loan for fodder	..	700
Total Loans	..	42,482
Grant	..	825

CONSOLIDATION OPERATION IN VILLAGE FATUWAL, DISTRICT HOSHIARPUR

***4052. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether the Consolidation Operations in village Fatuwal, district Hoshiarpur have been completed, if so, when ;

(b) whether any wells in the said village were taken over before starting the consolidation operations ; if so, their number ;

(c) whether any compensation for the said wells has been paid to the owners; if not, the reasons for non-payment, together with the time by which it is expected to be paid ?

Rao Birendar Singh : The requisite information is as under :—

(a) Yes. Consolidation operations in the village Fatuwal, tehsil Hoshiarpur were completed on 9th August, 1956.

(b) There were twenty two wells in this village at the time of start of Consolidation Operations (The question is, however, not clear).

(c) No. Due to failure of their crops as a result of heavy rains, the new allottees were not in a position to pay compensation of these wells to the previous owners and for this very reason, the staff did not take any coercive steps for its recovery. Now the Punjab High Court have issued stay-orders in a writ petition case of this village and recovery of compensation will be made as soon as stay orders are vacated by the High Court.

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE AT PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***4081. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to start an Industrial Training Institute at Panipat (District Karnal); if so, when ?

Shri Mohan Lal : No.

UPGRADING OF MIDDLE SCHOOLS IN FEROZEPORE DISTRICT

***4078. Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the names of Middle Schools for boys and girls separately in Ferozepur District, which have so far been upgraded to the high standard during the year 1959 ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

Girls Middle Schools—

(i) Government Girls Middle School, Dhudike.

(ii) Government Girls Middle School, Malout Mandi.

Boys Middle Schools—

Nil.

FIXATION OF WAGES UNDER THE MINIMUM WAGES ACT, 1948.

***4076. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the professions and avocations in respect of which minimum rates of wages have been fixed in the State unde the Minimum Wages Act, 1948, together with the dates of fixation of such Wages ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The information is laid on the table.

In addition to the list already given we have recently added :—

Employment in Industries

Employment in Cinema industries

Employment in tractors

Employment in Ayurvedic and Unani Pharmacies.

Serial No.	Nature of employment	Date of fixation of Minimum Wages	Date of revision, if any
1.	Employment in any woollen Carpet or Shawl Weaving	12-3-51	..
2	Employment in Rice Mill, Flour Mill or Dal Mill	12-3 51	..
3	Employment in Plantations ..	28-12-50	14-6-58
4	Employment in Oil Mills ..	3-1-51	..
5	Employment in Local Authority ..	15-2-51	..

Serial No.	Nature of employment	Date of fixation of Minimum Wages	Date of revision, if any
6	Employment, Road Construction or in building operation	12-3-51	..
7	Employment, Stone crushing or stone breaking	12-3-51	..
8	Employment, Public Motor Transport ..	14-3-51	..
9	Employment, Tanneries and Leather Manufacturing	12-3-51	..
10	Employment, Agriculture ..	12-3-51	..
11	Employment, Foundry with or without attached machine shop	22-2-57	..
12	Employment, Private Presses ..	28-2 57	..
13	Employment, Agricultural Implements, Machine Tools, General Engineering including cycle parts	20-2-58	..

श्री राम चन्द्र कामरेड: क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि minimum wages fix हुए पांच साल हो गए हैं तो उनके पेशेनज़र wages की revision के लिए क्या कारवाई की गई है ?

मन्त्री : इसके बारे में नए rates notify किए गए हैं । Opinions मांगी गई हैं । जब आ जाएगी तो इसके बाद जैसा कि कानून के तहत prescribed है कमेटी के सामने पेश किया जाएगा ।

FEES CHARGED BY LADY DOCTOR, CIVIL HOSPITAL, PANIPAT

***4086. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Health and Panchayats be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the Lady Doctor, Civil Hospital, Panipat Charged Rs 115/8 from Shri Krishan, Sarpanch of village Manana for the treatment of his wife in the month of December, 1958 but did not issue any receipt for it inspite of repeated demands ;

(b) whether it is a fact that that on a complaint of the said Sarpanch to the higher authorities the said Lady Doctor deposited a sum of Rs 30 out of the said amount of Rs. 115/8 in the Government Treasury, Panipat in the month of February, 1959 ;

(c) whether the said Lady Doctor was required under the rules to deposit only rupees thirty ;

(d) the reasons why the said amount was deposited in the Treasury after a delay of about two months ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Shree Krishan, Sarpanch of village Manana paid Rs 11 only as part of delivery fee against Rs 195 (detailed in annexure A) due from him in connection with the treatment of his wife, Kalwati. Question of issue of receipt for Rs 195 or Rs 115/8 does not arise.

(b) Yes, the lady doctor de)osited a sum of Rs 40 and not Rs 30 into Government Treasury from her own pocket on 2nd February, 1959, as the Government share to avoid audit objections.

(c) No, the lady doctor was required to deposit Rs 40 .

(d) Having exhausted all channels of recovering the amount from the Sarpanch concerned, she deposited the amount to obviate audit objections.

ANNEXURE 'A'

			Rs.
1.	Sterilization fee for labour case	..	15
2.	Sterlization fee for operation	..	15
3.	Room rent	..	10
4.	Fee due to the lady doctor for delivery case		75
5.	Fee due to the lady doctor for operation		75
6.	Blood testing fee	..	5
	Total	..	195

(Neither the report was taken by Shri Krishan nor did he pay the laboratory fee.)

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जब कोई हस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हो तो पहले फीस लेने का कायदा है या इलाज के बाद फीस ली जाती है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या यह अमरे वाक्या है कि मेरी शह पर उसने फीस न देने की कोशिश की और सरकार ने कोई action नहीं लिया ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या यह बताया जा सकता है कि इस सरपंच की wife के इलाज पर फीस due थी तो इस का notice उस वक्त लिया गया था या नहीं । अगर फीस उसने दाखिल नहीं की तो क्या उसे reminder वगैरह दिए गए या नहीं कि रुपैया अदा करे ।

ਮੰਤਰੀ : ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ wife ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ । ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ delivery ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ । ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ । ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਤੇ । ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਫੀਸ ਦਾ ਜੋ Government ਦਾ share ਸੀ ਉਸ ਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ।

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि इस बेचारी ने अपनी जेब से फीस के रुपये तब दाखिल करवाए जब इसके खिलाफ शिकायत आई थी ?

ਮੰਤਰੀ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਏ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ । (*interruption*)

पण्डित श्री राम शर्मा: मैं यह कहना चाहता हूं कि वज़ीर साहिब जवाब देते समय personal हो जाते हैं या मज़ाक में ऐसी बातें कह देते हैं जिनकी यहां पर ज़रूरत नहीं होती । स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूँ कि यह एक scandal है इस lady doctor ने लूट मचा रखी थी और वज़ीर साहिब उसे protection देते हैं । मैं challenge करता हूँ कि सरकार इस बात को छुपाना चाहती है । यह बात हद तक पहुंच चुकी है क्या। इन हालात में सरकार इस पर दुबारा ग़ौर करने और enquiry करवाने के लिए तैयार है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ।

पण्डित श्री राम शर्मा: मैं जाने को तैयार हूं ?

श्री बल राम दास टंडन: स्पीकर साहिब, मेरे कुछ सवालों के मुताल्लिक कल भी जवाब दिया गया था कि उन के जवाब दिये जायेंगे मगर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी पता करके बताता हूं । (*After consultation with the Secretary*) वह जो आपने chit दी थी उसमें questions का कोई Number नहीं था । अभी वह information के लिए भेजी हुई है । इसे वक्त लगेगा । (I will let you know just now. (*After consultation with the Secretary*) The chit given to me by the hon. Member did not indicate the numbers of questions. However, it has been sent for eliciting information and it will take some time before it is made available.)

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Government उन की information supply करेगी अगर करेगी तो कब ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब मैं आप को भिजवा दूंगा । (I will arrange to despatch those replies to the hon. Member.)

PENDING CASES UNDER SECTION 42 OF THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) ACT, 1948

*4087. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of cases under section 42 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, lying pending at present with the Director of Consolidation, Punjab, Jullundur;

(b) the number of cases under section 42, of the said act pertaining to district Amritsar, decided during the years 1957-58, and 1958-59, respectively ?

Rao Birendar Singh : (a) 3,088.

(b) 1957-58 .. 49
1958-59 .. 143

RUNNING OF PUNJAB ROADWAYS BUSES FROM HOSHIARPUR TO CHANDIGARH

*4077. **Chaudhri Dasonda Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government propose to run buses of the Punjab Roadways from Hoshiarpur to Chandigarh via Garshankar, Balachaur and Rupar ; if so, when ?

Rao Birendar Singh : Yes. As soon as the Scheme is finanlised. The starting point of the service will, however, be Tanda.

GRANTS GIVEN TO PERSONS BELONGING TO SCHEDULED CASTES ETC. IN FEROZEPORE DISTRICT FOR PURCHASE OF VACANT SITES

*4083. **Sardar Sohan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to lay on the Table a list of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes with their full particulars in Ferozepore District, who were given grants for the purchase of vacant sites for the Construction of houses during 1958-59 ?

Sardar Partap Singh Kairon : No person belonging to Scheduled Castes and Backward Classes was given any grant for the purchase of House site in Ferzepore District during the year 1958-59. The amount allotted to the district for the purpose is Rs. 2800 and 14 persons selected by the Committee constituted for the purpose will be given a subsidy of Rs. 200 each. Necessary action in this behalf is being taken.

PROVIDING DRINKING WATER FACILITIES TO HARIJANS IN TAHSIL MOGA, DISTRICT FEROZEPORE

*4084. **Sardar Sohan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to lay on the table a list of Villages in tehsil Moga, district Ferozepore in which wells and taps for drinking water for Harijans have been provided under the Welfare Scheme during 1958-59 ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is laid on the Table of the House.

The following villages in tahsil Moga, district Ferozepore, were approved for the grant of subsidy for sinking of new wells, repairs to old ones and installation of hand-pumps for providing drinking-water facilities for Harijans during 1958-59.

The amount sanctioned for each village has since been remitted to the District Welfare Officer for Scheduled Castes and Backward Classes, Ferozepore, for disbursement. Completion certificates are still awaited from the District Welfare Officers for Scheduled Castes and Backward Classes concerned.

Serial No.	Name of Village		Whether new or repairable	Net amount for grant required
				Rs.
1	Talwandi Dosanj	..	Repair	150
2	Landheka	..	Do	150
3	Kotla Raika	..	Do	150
4	Mange wala	..	Hand-pump	125
5	Lohara	..	Repair	125
6	Raoke	..	Do	125
7	Chup Keeti alias Sandhian wala	..	Do	150
8	Dhur Kot Tali wala	..	Do	125
9	Dagru	..	Do	100
	Total	..	Old 8 /H.P. 1	1,200

GRANT OF INDUSTRIAL LOANS TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN FEROZEPORE DISTRICT

*4085. **Sardar Sohan Singh :** Will the Minister for Industries and Local Government be pleased to lay on the Table a list of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes with their full particulars, in Ferozepur District, who were given industrial loans by Government during 1958-59 ?

Shri Mohan Lal : Two statements containing the requisite information are laid on the Table of the house.

STATEMENT I

Details of the Industrial Loans given/granted in the year 1958-59 to persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in Ferozepore District

Serial No.	Name and address of the Person	Amount of loan granted	Industry for which loan has been granted
		Rs.	
1	Shri Ujjagar Singh, son of Shri Nadhan Singh, village Dagru, tahsil Moga	300	Ban-making
2	Shri Chaman Singh, son of Shri Bishan Singh, village Dagru, tahsil Moga	400	Ditto
3	Shri Sarwan Singh, son of Shri Phuman Singh, Harijan, village Charik, tahsil Moga	500	Ditto
4	Shri Pakhar Singh, son of Shri Bishan Singh, Harijan, village Mandhir	500	Ditto
5	Shri Mukhtiar Singh, son of Amar Singh, village Sarai Naga, tahsil Muktsar	200	Ditto

[Minister for Industries]

Serial No.	Name and address of the Person	Amount of loan granted	Industry for which loan has been granted
		Rs	
6	Shri Karnail Singh, son of Phuman Singh, village Dagru, tahsil Moga	300	Ban-making
7	Shri Jit Singh, son of Ganda Singh, village Dagru, tahsil Moga	300	Ditto
8	Shri Bahal Singh, son of Amar Singh, Ferozepur	500	Plastic
9	Shri Kabal Ram, son of Hari Ram of Moga	4,000	Shoe-making
10	Shri Jiwan Singh, son of Phuman Singh, Dalla	350	Ban-making
11	Shri Bakhtwar Singh, son of Shri Sham Singh, Moga	300	Ditto
12	Shri Mathra Das, son of Man Singh, Muktsar	200	Leather tanning
13	Shri Dev Raj, son of Man Singh, Muktsar	200	Ditto
14	Shri Bhajan Lal, son of Man Singh, Muktsar	200	Ditto
15	Shri Rattan Lal, son of Man Singh, Muktsar	300	Ditto
16	Shri Ganda Singh, son of Sajjan Singh, Baghapurana	500	Ditto
17	Shri Bhagirath Lal, son of Ganda Ram, Ferozepur	500	Shoe-making
18	Shri Subash Chander, Abohar ..	1,000	Ditto
19	Shri Des Raj, son of Kaba Ram, Malout ..	1,000	Ditto
20	Shri Brij Lal, Malout ..	500	Ditto
21	Shri Dev Raj, Malout ..	500	Ditto
22	Shri Sohan Singh, son of Chet Singh, Basti Mochian, Zira	500	Ban-making
23	Shri Mohan Singh, Basti Mochian, Zira ..	500	Ditto
24	Shri Chet Singh, son of Maran Singh, Katbhai	200	Shoe-makin
25	Shri Prithi Singh, son of Shri Chet Singh, Malik Ahatian, tahsil Zira	500	Ban-making
26	Shri Hazura Singh, son of Mech Singh, village Bal	500	Ditto
27	Shri Ram Chand, son of Mukh Ram, Ferozepur	300	Shoe-making
28	Shri Ketha Singh, son of Lal Singh, village Chupkiti	250	Ban-making
	Total ..	11,300	

STATEMENT II

Details of the Industrial loans given in the year 1958-59 to Industrial Co-operative Societies with members belonging to Scheduled Castes and Backward Classes

Serial No.	Name and address of the Society	Amount granted	Purpose for which it has been granted
1	2	3	4
		Rs.	
1	Moga Regar Leather Workers Co-operative Society, Moga	1,500	Leather tanning
2	Gholia Khurd Leather Workers Co-operative Society, Gholiakhurd	1,000	Ditto
3	Rajehana Tanners Co-operative Industrial Society, village Rajihana, tahsil Moga	2,000	Ditto
4	Ramdasia Shoe-makers Co-operative Industrial Society, Fazilka	1,000	Shoe-making
5	Fazilka Harijan Shoe-makers Co-operative Industry Society, Fazilka	1,000	Ditto
6	Ajitwal Model Tanners and Leather Workers Co-operative Industrial Society, Ajitwal	2,000	Tanning
	Total ..	8,500	

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, यह जो सवाल रह गये ह इस के मुतात्लिक आप का क्या फैसला है । क्या इन्हें unstarred treat किया जायेगा ? इन का जवान कब दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: Unstarred treat करने के मुतात्लिक मैं House में कई बार बता चुका हूं । Anyhow इस का जवाब आपको मिल जायेगा । (I have often given my views to the House regarding treatment of such questions as unstarred ones. Anyhow, the replies to these questions will be sent to the hon. Member.)

POINT OF ORDER

ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੌਰ) : On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Under-Secretary, Punjab, ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ office ਵਿਚ ਇਕ enquiry ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਅਗਰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਉ । ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ session days ਵਿਚ ਬਤੌਰ M.L.A. ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ? (The hon. Member may give this letter to me alongwith his objections in writing. Does he object to his having been summoned to the court as an M.L.A. during the Session days ?)

Sardar Udham Singh : Sir, I read the letter—

"If you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to consequences laid down in Rule 12 of Order XVI of the Code of Civil Procedure, 1908."

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ sitting ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । D.O. letter ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

श्री अध्यक्ष : Court के जो लफ़ज़ होते हैं वह defined होते हैं। इन में कोई change नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी बात है आप letter भेज दें तो मैं देख लूंगा । सवाल तो यह है कि एक Member को House की sitting में इस तरह से लिखना ठीक नहीं है । (The court language has a defined vocabulary, and no change can be made in it. If there is any objection the hon. Member may send this letter to me. I will look into the matter. The main point is that it is not desirable to summon an hon. Member of this House when the Sabha is in session.)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : He is objecting to the language. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ।

Mr. Speaker : Yes, there is no question of time. The hon. Member is only objecting to the language of the letter. I will forward it to the hon'ble Chief Minister.

ADJOURNMENT OF THE SABHA (*Sine die*)

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

जनाब स्पीकर साहिब, 2-3 बिल इस Session में रह गए हैं जो अभी हम पास नहीं कर पाये हैं। एक तो शामलात देह के सम्बन्ध में है, दूसरा जागीरों के सम्बन्ध में और तीसरा urban property के सम्बन्ध में है । इन सभी के लिए जल्दी ही मैं 2-3 दिन का Session बुलाऊंगा । उस में हम यह सब कुछ ले आयेंगे ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

The motion was carried.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to lay on the Table the notification issued under section 30(1) of the East Punjab General Sales Tax Act, 1948, as required under section 30(3) *ibid.*

BILL (S)

THE PUNJAB CO-OPERATIVE SUGAR MILLS (FURTHER EXTENSION OF TENURE OF BOARDS) BILL, 1959

(*Resumption of consideration*)

(*Chaudhri Dharam Singh Rathi rose to catch the eye of the hon. Speaker*).

Mr. Speaker : You finished your speech yesterday.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): Sir, I was on my legs when the House adjourned. जनाब इस के मुतअल्लिक आप record मुलाहज़ा कर लें । अभी तो इसके मुतअल्लिक मैं ने बहुत कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष : No please, 2-3 दफ़ा आप को इस पर बोलने का मौका मिल चुका है । (No please, the hon. Member has already had two or three opportunities to speak on this subject.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब आप देख लें उस दिन मैं अपनी legs पर था जब House adjourn हुआ । बहुत सी arguments रह गई हैं जो अभी मैं ने देनी हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप next stage पर कह लें । लेकिन अब बंद करें । There is no need to argue. (The hon. Member may speak on it at some other stage. There is no need to argue.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, यह मसला बड़ा ही गंभीर है । गंभीर इसलिए है कि इस में बड़ा मतभेद है । लिहाज़ा Regional Committee में बड़ा गौर खोज हुआ । और उन्होंने इसको इस काबल नहीं समझा कि इस को consider किया जाये । स्पीकर साहिब, हम co-operative की spirit को असल मानों में पंजाब में पैदा करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इतनी कोशिशों के हम 3 वर्ष में भी इस तरफ कोई ख़ास तरक्की नहीं कर पाये । इसके अलावा जो हक share-holders को मिलों के अन्दर मिलना चाहिए था, वह देने की बजाय उन को मुसीबत में डाल दिया गया है ।

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

दूसरी अर्ज़ यह है स्पीकर साहिब, कि हिन्दी रिजनल कमेटी के सामने यह बातें आईं कि किस तरह से वहाँ के डाइरेक्टरों ने administration से मिल कर को-

9 a.m.

आपरेटिव मिल को नुक़सान पहुंचाया। आपने कल फरमाया था कि कांटे का व तोल का क्या सिलसिला था। दरअसल यह सिलसिला बड़ा गंभीर है और वह इस तरह से कि तोलने वाले बट्टों के नीचे मैगनेट रख रख के तोलते रहे जिसके सबब से 30 मन गन्ना 20 मन के हिसाब से ही तुलता रहा। और कहाँ तक बताऊं? वहाँ यह भी हुआ कि एक आदमी जिसके पास एक इंच भी ज़मीन नहीं है उसके नाम हज़ारों रुपए का गन्ना दर्ज किया गया। इसके लिए तो मैं पंजाब सरकार की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस बात का तजुरबा करना चाहा कि किसानों की मिल उनके co-operation से खड़ी की जाए लेकिन डाइरेक्टरों की करतूतों से नतीजा यह निकला कि जब दूसरे मिल लाखों लाखों का फायदा उठाते हैं वहाँ co-operative मिलों को घाटा हुआ।

हिन्दी रीजनल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और वह यह था कि वहाँ पर जो corruption हुई उसकी enquiry Anti-Corruption Department करे। उस resolution पर सरकार ने क्या किया, यह तो सरकार ही जानती है लेकिन इसके बरअक्स उन डाइरेक्टरों की सराहना करते हुए यह कहा गया कि चूंकि सरकार का रुपया लगा हुआ है इसलिए सरकार यों ही किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं सरकार को यह बात बतलाना चाहता हूं कि जब अवाम सरकार पर करोड़ों रुपए के लिए विश्वास कर सकते हैं तो सरकार को भी अवाम के चुने हुए नुमाइंदों पर यकीन करना चाहिए और इसलिए उनको इस बात का मौका देना चाहिए कि वह अपने नुमाइंदे चुन सकें। जहां तक गल्तियों का सवाल है मैं मानता हूं कि गल्तियां होती हैं। जैसे इस मन्त्रिमंडल से भी होती रहती हैं। मैं ने कहा था कि इन्होंने कई seed farms खरीदे। यह दूसरी बात है कि ज्ञानी करतार सिंह जवाब दे पाएं या न दे पाएं यानि लाखों रुपए सीड फार्मों पर लगाए लेकिन सब बेकार....

श्री अध्यक्ष : यह relevant नहीं है। आप इस बिल के प्रिंसिपल पर बहस करें। (This is not relevant. The hon. Member should confine himself to the principles underlying this Bill.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं प्रिंसिपल पर ही बात करता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह 8 directors जिन्होंने बदकारियाँ कीं वह तो इनकी नज़रों में men of integrity हो गए और जिस हिन्दी रिजनल कमेटी के मैम्बरों ने वहाँ हो रही corruption के लिए एक फैसला किया, उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। तो मैं कह रहा था कि आप लोगों पर भी एतमाद करें और इस बात का मौका दें कि को-आपरेटिव मिलें अच्छी तरह से चल सकें। स्पीकर साहब, आपने रिजनल कमेटी के बारे इशारा किया था मैं भांप गया था कि—

"इब्तदाए इश्क है रोता है क्या,
आगे आगे देखिए होता है क्या।"

यह कमेटियाँ बना कर पंजाब की सेवा नहीं की गई । हो भी कैसे ? जो फैसला रिजनल कमेटी ने दिया उसको सरकार मंजूर नहीं करना चाहती और यह बिल यहां ला कर पास करते हैं । मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो फिर गवर्नर के पास ही यह मामला जाएगा । जो हकीकत होगी वह तो सामने आ ही जाएगी । स्पीकर साहब, आपने रेवाड़ी की बात देखी होगी वह एक हकीकत थी..........

श्री अध्यक्ष: मेरा नाम ले ले कर क्यों ऐसी बातें करते हैं ? (Why does he say things by bringing in my name ?)

मौलवी अब्दुल गनी डार : हकीकत को छिपाने की लाख कोशिश की जाए मगर वह छिपती नहीं है । Home Minister पण्डित पंत ने हज़ारों की हाज़री में रीवाड़ी हादसा की मज़म्मत की और साफ़ कहा कि एक वज़ीर ने दूसरे बज़ुर्ग वज़ीर की तोहीन करवाई--बुरा किया ।

श्री अध्यक्ष: मैं irrelevant नहीं होने दूंगा । (I will not allow the hon. Member to speak irrelevantly.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं आपके सुझाव को welcome करता हूं । लेकिन सरकार को क्या हक है कि वह shareholders को अपने हक से महरूम करे ? अगर यह सरकार यह समझती है कि रुपया अवाम के हाथ में महफूज़ नहीं है, तो क्या फिर उन डाइरेक्टरों के हाथ में महफूज़ होगा जिन्होंने कुरप्शन की ? मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दी रिजनल कमेटी के resolution पर विचार नहीं किया जाता और बिल को majority के बल पर पास किया जाता है तो टकराव होगा । और मजबूर हो कर इस बात को सोचना पड़ेगा कि रिजनल कमेटीज़ कायम रखी जाएं या नहीं । इसलिए, जनाब, मैं आपके ज़रिए सरकार से मौदबान अर्ज़ करता हूं कि वह इस बिल को वापस ले और जिस तरह से दूसरी जगह को-आपरेटिव सोसाइटियां अपने हक लेकर काम कर रही हैं, वैसे ही इन को-आपरेटिव मिलों को हक हो । स्पीकर साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया । आप बहुत अच्छे रहे सिवाय कुछ दिनों के (हंसी) । मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

डाक्टर परमा नन्द (पानीपत): स्पीकर साहिब, हमारी सरकार आज इस Bill को House में पास करवा के co-operative sugar mills के Directors को extension देना चाहती है । इस से पहले यह Bill Regional Committees में पेश हुआ था और Hindi Regional Committee ने इसको नामन्जूर किया था । वह Board of Directors इस लिए बनाया गया था कि पंजाब सरकार ने जो उन co-operative mills पर करोड़ों रुपया लगाया है उस की हिफ़ाज़ित करे, उन को अच्छी तरह चलाए और लोगों के मुफाद को देखे ताकि हमारे पंजाब की तरक्की हो और लोगों को फायदा हो । लेकिन स्पीकर साहिब, इस की बजाए वहाँ पर हम कुछ और ही देख रहे हैं । उन co-operative sugar mills में जो कि पानीपत, रोहतक और भोगपुर में हैं किसानों को बहुत तकलीफें दी

[डाक्टर परमा नन्द]
जा रही हैं। किसानों का गन्ना तोलने के लिए ऐसे कांटे बनाए हुए हैं जिनमें मिकनातीस लगे हुए हैं। जिस किसान का तीस मन गन्ना होता है उसे 20 या 18 मन तोला जाता है। मैं सफीदों की मिसाल देता हूं। वहां पर जो गन्ना तोलने का कांटा था उस का मिकनातीस पकड़ कर लाया गया और यह बात directors के notice में लाई गई मगर उन directors ने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं मानता हूं कि वह Director बड़े बड़े वकील भी हैं और political आदमी भी हैं लेकिन न मालूम कि वहां का Mill Manager उन की बातें चलने क्यों नहीं देता। यह जो कांटा पकड़ा गया था जब उस पर बहुत ज़्यादा शोर और टीकाटिपनी हुई तो उस के बाद इस बात का ख्याल किया गया। वहाँ पर एक त्यागी जी हैं (*Interruption*)...........

श्री अध्यक्ष : आप ने तो general discussion शुरू कर दी है। आप relevant बोलें। (The hon. Member has started general discussion on this Bill. He should speak relevant.)

डाक्टर परमा नन्द : बहुत अच्छा जी। Directors का काम है कि इस बात की तरफ ध्यान रखें कि वहाँ पर maundage सही हुई है या नहीं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहाँ पर maundage सही नहीं हुई। अगर किसी landlord का पांच हज़ार मन गन्ना आया है तो उस का 25 हज़ार मन गन्ना दिखाया गया है। जो छोटे किसान होते हैं उनका maundage नहीं किया जाता और जो बड़े आदमी होते हैं उन का पांच हज़ार अगर actually गन्ना आया है तो 20 हज़ार का maundage कर दिया जाता है। 15 हज़ार मन गन्ना जो उस का नहीं था वह छोटे किसानों का ले लिया और जो फायदा उनको पहुंचना था वह आप उठा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं Minister-in-charge से पूछना चाहता हूं कि जो directors हैं उनका day-to-day बातों से भी ताल्लुक है। (I would like to inquire from the Minister-in-charge whether the directors are also concerned with the day-to-day affairs of the co-operative sugar mills.)

स्वास्थ्य मन्त्री : नहीं जी वह policy matters के साथ concerned हैं।

श्री अध्यक्ष : इस लिए मैं कहूंगा कि आप administrative matters को इस बहस में न लाएं। (Then I would request the hon. Member not to bring the administrative matters in this discussion.)

डाक्टर परमा नन्द : स्पीकर साहिब, U.P. से एक आदमी को मंगवा कर जिस पर कि उनका confidence था उससे bogus bondage करवाई गई। आखिर इस बात की enquiry हुई, उस आदमी को Police ने पकड़ा और वह ज़मानत पर रहा हुआ। इस के बाद, स्पीकर साहिब, उस त्यागी को Cane Inspector से तरक्की दे कर Accounts Office में रख लिया गया। फिर उस के बाद

उसे Cane Superintendent बना दिया गया । पहले वह सौ रुपया तनखाह लेता था फिर $1\frac{1}{2}$ सौ कर दी गई । उस शख़्स को तरक्की इस लिए दी गई कि कहीं ऐसा न हो कि वह उन का सारे का सारा राज़ Police को बता दे । उन्होंने उसको office में रख लिया ताकि वह उनके असर के नीचे रहे और जैसा वह चाहें वैसा ही कहे । अब स्पीकर साहिब, जो सैंटरों के tenders हुए उन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस के लिए by-laws में यह दर्ज है कि यह tender Board of Directors आप खोले । इस Board of Directors की meeting हुई और सम्भालके का एक centre $21\frac{3}{4}$ पैसे में मंजूर हुआ । लेकिन agreement में $27\frac{3}{4}$ पैसे लिखे गए और इस हिसाब से उस party को हजारों मन गन्ने के पैसे दिए गए । फिर जब हमें इस बात का पता लगा तो हम ने manager और दूसरे concerned आदमियों को इतलाह दी कि यह क्या गोल माल हुआ है । जब उन का कोई जवाब न आया तो वह कहने लगे कि ऐसा गलती से हो गया है ।

श्री अध्यक्ष: इस चीज़ की इस बिल के principle के साथ क्या relevancy है ? (How is this thing relevant to the principles of this Bill ?)

डाक्टर परमा नन्द : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस Board को extension कैसे दी जा रही है जब कि उनके सामने ऐसे हालात होते रहे हैं और वह उन को ठीक करने के लिए बेबस हैं । यह जो Board है इस के directors खुद कहते हैं कि हम बेबस हैं क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं । मिल को तो Chairman, Vice-Chairman और Manager चलाते हैं ।

स्पीकर साहिब, September, 1958 में जब Regional Committee की meeting हुई तो उस में यह फैसला किया और resolution पास किया गया कि यह case Anti-Corruption Department में दिया जाए और इस की enquiry करवाई जाए । लेकिन अब enquiry तो एक तरफ रही उन को extension दी जा रही है । यह तो वैसी बात है जैसे एक आदमी ने घोड़ी चढ़ने के लिए मांगी थी मगर मिल गई उस को उठाने के लिए । हमने कहा था कि इस case को Anti-Corruption Department को दिया जाए लेकिन उन directors ने उस manager को रोहतक और पानीपत Mills भी दे दीं । रोहतक की जो mill है वह वक्त से पहले बंद हो गई है जिस से बहुत सा नुकसान हुआ है । स्पीकर साहिब, अगर हमारी Government co-operative movement को कामयाब बनाना चाहती है तो ऐसी बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा । जो by-laws हैं वह इस बात की इजाज़त नहीं देते कि किसी को एक mill से दूसरी mill में transfer किया जाए । यह Chairman ने किया हो या किसी और ने किया हो मगर जिम्मेवारी इस में Board की है । उसे यह बहाना बना कर तब्दील किया गया कि वह experienced hand है । फिर उस का headquarter

[डाक्टर परमा नन्द]

पानीपत में रखा गया और रोहतक में आने जाने का T.A. और D.A. देते रहे । इस तरह से वहाँ Mill के रुपए की लूट की जाती रही है । हालांकि उस से पहिले उन जगहों पर दूसरे मुलाज़िम काम कर रहे थे लेकिन रोहतक मिल से उनको बुला कर फिर पानीपत में रखा गया और वह T.A., D.A. सब कुछ लेते रहे ।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्तसर होने की कोशिश करें और concrete points ही रखें । (The hon. Member should try to be brief and put forward concrete points.)

डाक्टर परमा नन्द: मैं जनाब ज़्यादा तफसील में नहीं जाता और यही अर्ज़ कर रहा था कि आखिर इन सब बातों की इन directors पर ही ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने ही इन mills को चलाना था लेकिन वहाँ पर यह हालत हो रही है जो मैं ने बताई है । मैं ज़्यादा न कहता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन mills के अन्दर चाहे इन Directors की वजह से हो, चाहे Managers की वजह से हो, बड़ी भारी गड़बड़ और धांधली मची हुई है । उन लोगों को वहाँ रोहतक से बुला कर फिर पानीपत में रखा गया ताकि वह retrench न हों हालांकि दूसरे retrench हो गए । मैं पूछना चाहता हूं कि किस रूल के मातहत ऐसा किया गया ? यह ठीक है कि सरकार का रुपया लगा है, उस mill में भी है और दूसरी में भी है लेकिन यह ग़ैर-कानूनी बात कैसे हो सकती है कि एक mill के वही आदमी पहिले वहाँ से हटा कर वहां भेजे जाएं और फिर वहाँ उसी जगह तबदील किए जाएं ? इस लिए कि उनको बचाना था ? स्पीकर साहिब, मैं चाहता हूं कि जिस तरह हिन्दी रिजनल कमेटी ने पास किया है आप भी इनको मश्वरा दें कि यह extension नहीं होनी चाहिए । मैं मानता हूं कि सरकार का रुपया उनमें लगा हुआ है लेकिन वह रुपया इस Cabinet का नहीं है और न ही इस हाऊस का है बल्कि यह तो पंजाब भर का है और हमें भी उस से इतना ही प्यार है जितना कि किसी और को है । वैसे मैं इस सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि इस ने बहुत देर के बाद ही सही मगर हमारे हरियाणा की तरफ ध्यान तो दिया है । मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इस सरकार नें रोहतक, पानीपत में industries खोलने की तरफ तवज्जुह की है लेकिन खुदारा इस बात की तरफ ख्याल करें कि जिस रुपया को बचाने के लिए आप extension कर रहे हैं वह रुपया पहिले ही बरबाद हो रहा है । पिछली दफा हमारे मिनिस्टर इन्चार्ज ने यहां यह बताया कि रोहतक Mill को दो-ढाई लाख का घाटा है और पानीपत Mill को 98 हज़ार का फायदा है । जब मैं ने पूछा कि क्या वहां 98 हज़ार के फायदे में से bonus भी दिया गया है तो कहा कि नहीं. . . .

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बताएं कि यह bonus देने की बात यहां कैसे relevant है ? (The hon. Member please may tell me as to how this matter of giving of bonus is relevant here ?)

डाक्टर परमा नन्द : जनाब मैं यह बताना चाहता हूं कि जब यहां पीछे Central Wage Board की meeting हुई तो उस में यह managers भी आए थे और मैं भी बतौर मजदूरों के representative के वहां गया था । तो जनाब यह सरकार तो यह कहती कि 98 हज़ार का फायदा है....

श्री अध्यक्ष : आप इस बिल के scope से बाहर जा रहे हैं । I will not allow such irrelevant things. (The hon. Member is going beyond the scope of this Bill. I will not allow such irrelevant things.)

डाक्टर परमा नन्द : मैं जनाब यही अर्ज़ कर रहा हूं कि यह तो कहते हैं कि रोहतक Mill को दो-ढाई लाख का घाटा है और पानीपत Mill को 98 हज़ार का फायदा है लेकिन वहां Managers ने यह बताया कि 9 लाख रुपए का घाटा पानीपत Mill को है, 20 लाख रुपए का रोहतक Mill को और 13 लाख का घाटा भोगपुर Mill को है । तो आप अंदाज़ा लगाएं.....

Mr. Speaker : No please. Kindly resume your seat now.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ Board of Directors ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ co-operative movement ਦੀ spirit ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । Co-operative movement ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ initiative ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਖ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ kill ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ, ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਪੂਰੇ share-holders ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ vote ਦਾ ਹਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੁਪਿਆ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ duty ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ bogus ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਪੂਰੇ share-holders

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ vote ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ share-holders ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਕਟਦੇ ਹੋਏ share-holders ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੋ plea ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ 2 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਕਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ share-holders ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ vote ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ share-holders ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ share-holders ਬਣਨੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ co-operative socities ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ? ਹਰ society ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ grant ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ loan ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰ society ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ co-operative society ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ labour construction society ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ plea ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ elections ਵੀ ਰੋਕੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ co-operative movement ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਢ ਦਿਉਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ argument ਵਿਚ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ bogus ਦਲੀਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ board of directors ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲ੍ਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ corruption ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਕਿ corruption ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ,

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ seasonal ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਨਬਾ-ਪਰਵਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਖਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ share-holders ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਵੇਗਾ । ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ share-holder ਬਣਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ । ਏਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

Mr. Speaker : I congratulate you for making most relevant speech on this issue.

कामरेड मुनी लाल (शिमला): स्पीकर साहिब, यह जो बिल हाऊस में पेश हुआ है मैं इस की मुखालफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सोशलिस्ट होने के नाते मुझे को-आपरेटिव मूवमेंट के साथ गहरी दिलचस्पी और हमदर्दी है । लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने यह दलील दे कर जो मियाद बढ़ाने की कोशिश की है, उस में कोई वज़न नहीं । इन्हों ने यह दलील दी है कि सरकार का काफ़ी रुपया उस में लगा है इसलिए उस की हिफाज़त के लिए management को अच्छे हाथों में होना ज़रूरी है । मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे मुल्क में अच्छा material नहीं और लोग co-operative movement को अच्छे ढंग से नहीं चला सके और यह movement अभी infancy में है । यह डर है कि लोगों का incentive खत्म हो जाय; इसलिए यह ज़रूरी है कि इस movement को सुरक्षित हाथों में रखा जाये । लेकिन इसके साथ मैं कहता हूं कि जब हिन्दी रिजन में और इस हाऊस में यह बहस हुई कि मिलों का management अच्छा नहीं और treasury benches ने यह बात कही और बड़े ज़ोर से कही कि corruption ज़ोरों पर है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस चीज़ की inquiry नहीं करवाई जाती । मैं कहता हूं कि जब वह रुपया लोगों का है और मिलें लोगों की हैं तो इन्तज़ाम भी लोगों का होना चाहिए । लोगों को हक हासल है कि लोग directors चुनें । लेकिन सरकार यह दलील दे कर कि हमारा रुपया लगा हुआ है मैनेजमेंट में दखल देती है, यह दलील वैसी ही है जैसे अंग्रेज़ कहते थे कि हिन्दुस्तानियों को हुकूमत करनी नहीं आती इसलिए हम इन को हुकुमत करना सिखला रहे हैं । इसी तरह सरकार इन directors की मियाद में इज़ाफा करने के लिए यह बिल लाई है । मैं समझता हूं कि यह दलील वज़नदार नहीं । मैं समझता हूं कि तीन मिलों में से दो मिलें तकरीबन फेल हो चुकी हैं और यह बद-इन्तज़ामी का नतीजा है । मुझे इस बात का दुख है कि पहले जब Board of Directors

[कामरेड मुनी लाल]

की nomination की बात हुई तो सरकार ने यह दलील दी कि हमें ज़रूरत पड़ी तो तीन साल के अन्दर इलेक्शन करवा देंगे । लेकिन नहीं की । जब तीन साल की मियाद खत्म हो गई तो यह कहा गया कि दो साल की मियाद और बढ़ा दी जाए लेकिन जब हिन्दी रिजनल कमेटी में मुखालफत हुई तो एक साल कर दिया । मैं समझता हूं कि management पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वह यह नहीं कह सकते कि उनके साथ उनका ताल्लुक नहीं था । मैं समझता हूं कि वह बराहे रास्त ज़िम्मेदार थे और उन की मियाद में इज़ाफा करना और ऐसी argument देना खिलवाड़ खेलना है और इस co-operative movement को खत्म करना है । । एक तरफ तो यह कहते हैं कि co-operative farming करनी चाहिए और कहा जाता है कि co-operative societies का जाल बिछाया जाय ताकि लोगों में incentive पैदा हो, उन में खुद एतमादी पैदा हो लेकिन दूसरी तरफ उन तमाम जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाने की कोशिश की जाती है । इसलिए मैं इस की कड़ी ज़बान में मुखालफत करता हूं ।

कुछ दिन से यहां पर एक बड़ी गम्भीर बात चल रही है कि हिन्दी रिजनल कमेटी में जो बात पास हो उसकी मुखालफत की जाती है । पिछले दिनों एक रेज़ोल्यूशन हिन्दी रिजनल कमेटी में पास हुआ कि Anti-Corruption Department के ज़रिए इन तमाम मसलों की जांच-पड़ताल करवाई जाये लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह दलील दी कि Anti-Corruption Department के ज़रिए तहकीकात नहीं करवा सकते । मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जब textile मिलों की inquiry करवा सकते हैं तो शूगर मिलों की क्यों नहीं करवा सकते ? इसलिए कि इन के चहेते लोग इन में बतौर डायरैक्टर बैठे हैं । मैं कहता हूं कि जिन डायरैक्टरों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन का इन्तज़ाम अच्छा नहीं उन की मियाद में एक साल का इज़ाफा करना खवेश परवरी है । लोगों को incentive देने के लिए और खुद एतमादी पैदा करने के लिए यह election ज़रूरी रखी गई है ताकि ऐसे आदमियों को चुना जा सके जो management को अच्छा कर सकें । ज़रूरत इस बात की थी कि तीन साल के अन्दर शेयर-होल्डरों को मौका दिया जाता और उन में खुद-एतमादी पैदा की जाती लेकिन इन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की बल्कि यह बात की कि उनको मौका दिया जाये कि वे और corruption करें । स्पीकर साहब, अगर इस बात पर हाउस की sense ली जाये तो आप को मालूम होगा कि majority ने यह बात कही है कि corruption है, रिश्वत है, कुनबापरवरी और खवेश परवरी है । इन हालात में मैं यह समझता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इन मिलों के हालात को ठीक करना चाहते हैं तो इलेक्शन कराएं और लोगों को मौका दें ताकि corrupt लोग दोबारा न आ सकें और शूगर मिलों में धान्धली न मचा सकें ।

इन अल्फाज़ के साथ मैं इस बिल की पुरज़ोर मुखालफ़त करता हूं और आप की विसातत से मिनिस्टर साहब को अर्ज़ करता हूं कि वह false prestige में न

आ कर और लोगों की जायज़ मांग को ध्यान में रखते हुए इस बिल को वापस लें और इस बात का एलान करें कि वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन करवाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप देखिए, यह single clause Bill है । इसकी first reading भी एक जैसी है second भी और third reading भी एक जैसी है । बाकी मेम्बर साहबान second stage पर बोल लें । जो फिर भी रह जाएं वे third reading पर बोल लें । इस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा । Minister साहब भी third stage पर ही जवाब दे दें । (The hon. Members may please listen to me. This is a single clause Bill. All the stages of this Bill, i.e., the first, second and third readings are identical. The remaining Members may speak at the time of the second reading of the Bill and those who are still left, may express themselves at the third reading. It will make no difference. The hon. Minister may also reply at the third reading stage.)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, why do you presume that this Bill is going to be passed.

श्री अध्यक्ष : अगर पास नहीं करना तो आप इसे reject कर दें । (The hon. Members may reject it, if they are not inclined to pass it.)

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

After ascertaining the votes of the House by voices Mr. Speaker said "I think Ayes have it". This opinion was challenged and a division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those members who challenged the decision a d supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claim d.

The motion was declared carried.

SUB-CLAUSES 2 AND 3 OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Now Clause 2, as reported by the Punjabi as well as the Hindi Regional Committee is before the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "to extend further" ਅਗੇ ਵੀ extention ਲੈ ਚੁਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ extension ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ extension ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ constitutionally ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ Ordinance ਬਣਿਆ । Last time ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਬੋਰਡ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ function ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ retrospective effect ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । Last time ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ । ਇਕ Ordinance ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਹ Ordinance lapse ਕਰ ਗਿਆ । Ordinance ਬਾਰੇ Constitution ਦੇ Article 213 (2) (A) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

> It shall be laid before the Legislative Assembly of the State and where there is Legislative Council in the State before both the Houses and shall cease to operate at the expiry of six weeks.

ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਏਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ date ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ Ordinance ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ Ordinance ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ illegal ਹੋ ਗਈ । Ordinance cease ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੈਰ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ । ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ hold ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ । ਇਕ worst ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ expect ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ assets ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ policy making ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ worst ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ worst ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ—ਸੂਦ ਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ । ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੀਆ ਜਮਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ policy making ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਦੇ Director ਬਿਲਕੁਲ liquidators ਸਮਝੇ ਗਏ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀਆ

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

ਫਰਮ ਹੈ । ਦੀਵਾਲੀਆ ਫਰਮ ਦੇ liquidators ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਇਹ liquidators ਦੀਵਾਲੀਆ ਫਰਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਲੀ ੨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ੨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Directors nominate ਕਰ ਦਿਤੇ। ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੇਰੀ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਗਈ। ਓਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਗੈਰ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ extension ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ Ordinance ਬਣਿਆ। ਉਹ lapse ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਏਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ regional subject ਹੈ। ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਹਰਿਆਨਾ ਪਰਾਂਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਬਿਲ ਫੇਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਏਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਕਿ ਬਹੁ—ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Anti-Corruption Department ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ enquiry ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ Board of Directors ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਧਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇ। "ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਤੇ ਬਕਰਾ ਰਾਖਾ" ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ corrupt ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Directors ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ corruption ਦੇ charges ਕਿਸੇ ਇਕ political party ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ Regional Committee ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ subject ਉਸ ਦੇ charge ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ committee ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ corrupt officers ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ Anti-Corruption Department ਕੋਲੋਂ enquiry ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ status ਹੈ, ਉਸ ਨੇ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ further extension ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ extension ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਮਦਾਦ ਬਾਹਮੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ shares ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ share ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। Board of Directors ਦਾ ਨਾਂ ਰਖ ਕੇ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

Liquidators ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ co-operative movement ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ ।....

Mr. Deputy Speaker : This you can say at the third reading stage. At this time you should confine your discussion to the clause under discussion.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

"All acts done by the first Board of Directors of Co-operative Sugar Mills whose tenure of office would have expired by the lapse of Punjab Co-operative Sugar Mills (Tenure of Board) Ordinance, 1958 (Punjab Ordinance No. 2 of 1958), shall be deemed to be valid.

ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ all acts ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ first, second ਅਤੇ third readings ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ final stage ਉਪਰ ruling party ਨੂੰ warning ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ co-operative mind ਬਣਾ ਸਕਣ, Praja Socialist Party, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ development ਕਰਨ ਲਈ co-operative movement ਪਹਿਲੀ ਸੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ co-operative movement ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਏ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ step ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ co-operative mills ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ mills ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ੨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker: Please confine yourself to the clause.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਗੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker: Order please, order.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ protection ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ bill ਨੂੰ fail ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ co-operative movement ਦਾ ਭਵਿਖ ਉਜੱਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ co-operative movement ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । (*interruptions*)

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, देश की development के लिये Service Co-operative का असूल बड़ा important असूल है। Socialistic Pattern of Society को कायम करने के लिए इस की बड़ी ज़रूरत है। इसी लिये हमारे देश में Central Government ने और High Command ने भी यह फैसला किया है कि देश की धन दौलत और तमाम तवज्जोह Service Co-operative को कामयाब बनाने के लिये लगा दी जाए। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है, मैं खुद credit तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि जिस वक्त यह चीज़ चली तो मैं खुद किदवाई साहिब के पास गया, गांव गांव में जा कर लोगों से अपील की कि इन मिल्ज़ के लिये share खरीदो, इन को समझाया कि सरकार मदद करेगी। नतीजा यह हुआ कि 20 हज़ार लोगों ने share खरीदे। 20 लाख रुपया भोगपुर मिल के लिए इकट्ठा हुआ। चार पांच अर्ज़ियां और भी आईं थी और मैं ने वायदा किया था कि जल्दी ही co-operative basis पर mill खड़ी कर देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जहां जहां Sugar Mills हैं वहां लोगों के दिलों में बेचैनी है। लोग चाहते हैं कि सरकार अपना हिस्सा तो ले लेकिन management में अपनी ज्यादा voice न रखे। management को लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जब by-laws बने थे तो members ने बड़ा agitation किया था। मैं ने उन को यकीन दिलाया था कि आप चिन्ता न करें, elections होंगी और management में आप का free hand होगा। अब तो देश में और भी बहुत Co-operative societies बनने वाली हैं। अगर उन में भी इसी तरह से nominated Members बिठला दिये गए तो लोग बहुत तंग होंगे। co-operative movement बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक पौदा होता है जिस का नाम "touch-me-not" है। उस को हाथ लगाएं तो वह फौरन मुरझा जाता है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि यह co-operative movement भी उसी पौदे की तरह है। अगर इस में interference की जाएगी, इस में हाथ डाला जाएगा तो यह भी मुरझा जाएगी। अगर ऐसे आदमियों को management में बैठा दिया जाएगा जिन को लोग नहीं चाहते तो "Touch-me-not" की तरह यह movement भी खत्म हो जाएगी। तमाम co-operative societies जो आज चल रही हैं खत्म हो जाएंगी। वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि सरकार का रुपया लगा है। मैं उन से पूछता हूं कि वह रुपया किस का लगा है? वह public का रुपया लगा है। Public ने 88 लाख रुपया कर्ज़ा लिया है। जिस में 20 लाख के ordinary shares

10 a. m.

हैं और कुछ की sureties गवर्नमेंट ने दी और बाकी directors ने दिया है। इस लिये वे अपनी election करवा सकते हैं। अगर वह election भी नहीं करवा सकते और वज़ीर साहिब की मेहरबानी से वे जब मिल के काम में interest भी न लें और इस तरह के हालात हों कि public की co-operation भी न हो और यह इस लिये न हो

[चौधरी लहरी सिंह]

क्योंकि public को Confidence में न लिया जाये तो यह मिल कैसे कामयाब हो सकती है ? Public ने कहा कि हमारे पास centres खोलो । Deputy Commissioner वहां का Vice-Chairman है और Finance Secretary वहां का Chairman है । बावजूद इतनी बातों के होते हुए एक Magistrate वहां का Deputy General Manager बना हुआ है और फिर भी public के कहने के बावजूद वहां centres नहीं खोले गए हैं । Directors जो वहां हों अगर उन से इतनी भी co-operation न मिले और public के कहने पर वहां centres भी न खोले जायें तो यह मिलें कैसे कामयाब हो सकती हैं । वहां पर जो अफसरान हैं वे तो मैं समझता हूं कि इतनी दिलचस्पी के साथ काम करते हैं कि वे किसी बात में दखल भी नहीं देना चाहते । हमने बार बार कहा है कि आप ने एक Magistrate को Deputy General Manager बना दिया है और जो directors बनाये गये हैं उन में से बहुत सारे lawyers हैं जिन्हें कोई दिलचस्पी sugarcane-growers के साथ नहीं है । चौधरी सिरी चन्द को director बना दिया और कह दिया कि फलाना director हो जाये फलाना हो जाये और इस तरह से ऐसे आदमी वहां director बना कर बैठा दिये जिन का public से कोई interest नहीं है । अगर गवर्नमेंट public को अपने director चुनने का अख्तियार दे देती तो वहां कोई panic न होती और इस से कोई जुल्म न हो जाता । मैं गवर्नमेंट से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप Service Co-operative Movement को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप को इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कि यह मेरा है, यह उस का है, यह बड़ा काबल है, यह बड़ी integrity का है, और फलाने को बड़ा तजुरबा हासल है । इस की बजाए यह तमाम चीज़ें पब्लिक पर छोड़ देनी चाहियें । हालांकि मैं मिनिस्टर भी रहा था लेकिन मुझ एक ordinary ज़मीदार से ज्यादा क्या तजुरबा है ? कहा गया है कि वहां lawyers बैठा दिये हैं और कुछ M. P.s बैठा दिये हैं और फलाने फलाने आदमीं director बना दिये गये हैं तो साहिबे सदर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से यह co-operative movement चल सकती है ?

श्री अध्यक्ष: इस में भी touch-me-not का असूल रखा गया है (हंसी) The principle of "touch-me-not" has also been kept in it. (*laughter*)

चौधरी लहरी सिंह : इस लिए मैं कहूंगा कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ज़िद्द के बड़े पक्के हैं । चाहे वह काम बहुत करते हों लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ता है कि वह ज़िद्द के बड़े पक्के हैं । इन्होंने हिन्दी Regional कमेटी की meeting में इस बिल को पास करवाने के लिए एक मिनिस्टर को भेज दिया ताकि वह मैम्बर साहिबान को इस के पास करने के लिये मजबूर करे पर आखिरकार जो M. L. A.s हैं वे ऐसे थोड़े ही हैं जो मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ दें । इस का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने इस के पास करने में हां न की और मिनिस्टर को इस में कामयाबी न हुई ।

मेरे time में, पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू पंजाब में दूर दूर तक गये और वहां हालात देखकर उन्होंने कहा था कि पंजाब ने co-operative societies के कामों में बड़ी तरक्की कर ली है । लेकिन उस के बाद एक मिनिस्टर साहिब आये उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इन में लगाना शुरु कर दिया क्योंकि इन की managements में public की voice नहीं है । मैं इस बारे ज़्यादा न कहता हुआ सिर्फ यही अर्ज़ करूंगा कि इस aim को सामने रखते हुए कि co-operative societies चलें मैं यह महसूस करता हूं कि यह तब ही तरक्की कर सकती हैं अगर गवर्नमेंट इन के कामों में दखल न दे । जिन इलफाज़ के साथ हिन्दी रिज़नल कमेटी ने इस बिल को वापस भेजा मैं समझता हूं कि उसने यह ठीक किया । पार्टी के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को डरा धमका कर इसे पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन वह बात भी न चली क्योंकि, साहिबे सदर, आज डरा धमका कर काम लेने का ज़माना नहीं रहा । पंजाबी रिजनल कमेटी में भी कई दोस्तों ने इस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी लेकिन क्योंकि वहां बहुत से आदमी ऐसे हैं जो मिनिस्टरों के काफी नज़दीक हैं इस लिए उन्होंने इस के हक में अपनी राये दे दी । लेकिन हिन्दी रिजनल कमेटी के मैम्बर अब भी इसे oppose करते हैं और कहते हैं कि वे ज़मीदार जिन के खेत न रहे, जिन की ज़मीनें भी गईं, जिनको सख्तियां भी बहुत सहनी पड़ रही हैं उन्हें कम से कम co-operative societies के लिहाज़ से तो आप ठीक तरह से चलने दें और उन्हें अपने directors चुनने का हक दें । इस लिए मैं कहता हूं कि अगर यह बात न मानी गई तो अंग्रेज़ों वाली बात हो जायेगी और जब अगली elections हो जायेंगी तो यह नाम वाम नहीं रहेगा । दिल्ली में कई हाकम आये और कितने चले गये । तारीख बताती है कि सौ सालों में कई तब्दीलियां हुईं । मैं कहता हूं कि सौ साल तो दूर रहे अगर पंजाब गवर्नमेंट का रवैया Sugar Mills के मुताल्लिक यही रहा तो दस साल के अन्दर यह हुकूमत बदल जायेगी ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ): ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ directors ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ firm ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਨੀਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਫਾ ਕਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਘਾਟਾ ਕਢਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ mills ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ directors ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਢਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ Chairmen ਅਤੇ Vice-Chairmen ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ directors ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । Vice-Chairmen D. Cs. ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ directors ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ

[ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ sugar mill ਨੂੰ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿਨ ਲਖ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਰ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ 9 ਲਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ 19 ਲਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਰ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਫਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੂਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਤੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲਕੋ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜਨ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛਕੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਦੀ depreciation ਨੂੰ ਗਿਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ? ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੰਨਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਮਿਲ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ list ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ directors ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ growers ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ 30 ਮਣ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਮਣ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿਲ ਦੇ director ਹੀ management ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਗਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੰਡੇ ਵਿਚ ਆ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਲ ਬਿਦਦਾ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ magnet ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥਲੇ ਗਿਰ ਪਿਆ। ਉਹ magnet ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ cane growers ਦਾ ਗੰਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਘਟ ਤੁਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ directors ਵੀ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ directors ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'Directors of efficiency and integrity'

ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ Mill ਦਾ ਇਕ Director ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ payment ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ Mill ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੀ bogus ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ enquiry ਕਰਾਉ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Directors ਨੂੰ extension ਦੇ ਦਿਉ। ਇਕ Director, Mill ਦੀ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਦੇ ਹਿਸੇ ਵੇਚਣ, ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ। ਉਥੇ accident ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੱਮਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ record ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Chairman ਅਤੇ Vice-Chairman, Officials ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ Co-operative Movement ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਬਰਕਤ ਰਾਮ-ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿਲ ਤੋਂ 5,000 ਬੋਰੀ ਖੰਡ controlled rate ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ Director ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ, ਕੋਈ individual ਕਮਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਿਲ tenders ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ $1\frac{1}{2}$ ਜਾਂ $1\frac{3}{4}$ ਰੁਪਏ ਮਣ ਸ਼ੀਰਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 10,000 ਮਣ ਸ਼ੀਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ—ਮੁਗਾਲਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ M. L. A. ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ— (ਹਾਸਾ) ਸਿਰਫ -/4/- ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਘਾਟਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ Directors ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ record ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ Directors ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਇਹ suit ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ record ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ suit ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ unanimously pass ਕੀਤੇ resolution ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਮਿਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੰਡ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਯਕਲਖਤ ਉਠਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ U. P. ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ dealers ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ tenders ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਉਹ 37 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ U. P. ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 36-8-0 ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ rate per chance ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

[ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

supply ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ rate ਘਟਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਨ Directors ਦੇ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਢਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਮਣ ਗੰਨਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਘਟ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਸਬੂਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ enquiry ਹੋਈ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਲਗਭਗ 41 cases ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਲਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ bogus bondage ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਥੇ 10,000 ਮਨ ਗੰਨਾ ਜਮਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਨ ਪਰ ਗੰਨਾ ਉਥੇ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਪਾਸ ਚੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੰਨਾ ਦਸ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ Directors ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ Deputy Commissioner ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ Gerneral Manager ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (*interruption*)। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Government Officers Chairman ਅਤੇ Vice Chairman ਹਨ, 8 ਜਾਂ 9 public ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹੋਏ Directors ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ Control ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ nominated Directors ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦਸੇ ਹਨ। ਕੁਝ Directors ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ proceedings ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਤਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਰਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜੋ House ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ elected ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ depend ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 10, 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ depend ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ machinery ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ Sugar Mill ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ Officers ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (*Interruption*) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ verify ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ U. P. ਤੋਂ dismiss ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ mill management ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ convince ਹੋ

ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ general manager ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜੁਰੱਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ Chief Minister ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ direct link ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ miss ਕਰ ਗਏ ... ...

श्री उपाध्यक्ष : इस में general manager का कहां जिक्र है । (A mention of general manager here is irrelevant.I won't allow this.)

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ । ਜਦੋਂ directors ਨੂੰ extension ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ Hindi Regional Committee ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ extension ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਦੇ working ਦੀ enquiry Anti Corruption Deptt. ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ Management ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ challenge ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Anti Corruption ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ Anti Corruption Department ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੇ ਇਸ Departments ਨੂੰ enquiry ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ agenry ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ case ਵਿਚ enquiry ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "the equiry may be stayed till further order"

श्री उपाध्यक्ष : इस वक्त Anti Corruption Department वाले reso-lution पर बहस नहीं हो रही । (At present the resolution regarding the Anti Corruption Department is not under consideration). Come to the clause (*Interruption*) you should connect with the clause please.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਹਿੰਦੀ Regional ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ resolution ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Directors ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ Anti Corruption ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Directors ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ meetings ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ appointments ਅਤੇ retrenchments discuss ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Directors ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ ਅਠਵੀਂ ਪਾਸ, ਪਰ 150 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਤੇ ਲਗੇ

[ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਪਿਆਰਾ]
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ matric ਜਾਂ F. A., ਪਾਸ ਹਨ ਉਹ 65 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਹਨ ਆਇਲ ਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚਾ ਸਕਣ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਥਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਤੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿਚ ਇਕ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਲਕ ਹੈ ਜਾਂ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ० ਆਈ० ਡੀ० ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ verify ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ—ਆਫੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਬ growers ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ management ਦੇ ਹਥੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿਘ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। (ਹਾਸਾ)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਅਨੁਵਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਲ ਦੀ Insurance 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ indirect ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Commission ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Commission ਲੈਣੀ ਨਾ ਤਾਂ directors ਨੂੰ eligible ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਕਿਆਤ ਜੋ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ suspense ਵਿਚ ਉਸ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਢੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ......

श्री उपाध्यक्ष : गृफतारी का इस बिल से क्या सम्बन्ध [How is his arrest relevant to the Bill under discussion.]

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ point out ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਚੰਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ resist ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤਲੁਅੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੇਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਪਰ ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੋਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ senior ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਰੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ junior ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨੀ ਜੁਰੱਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ oppose ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਲਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਵਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਉ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਦਿਉ । (*Interruptions*) ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ extension ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦੀ ਦੇਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ common interest ਵਧੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤਕ ਵੀ ਕਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸਭਾਵ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

[ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਪਿਆਰਾ]

ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ 50 ਲਖ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਾਸ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ provide ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ Co-operative movement ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ incentive ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭੇਣਾ ਲੋਕੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ । ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ extension ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ withdraw ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ enquiry ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ extension ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Hans Raj Sharma) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

(*Some hon. Members rose to speak.*)

Mr. Deputy Speaker : Let some more hon. Members speak.

श्री मंगल सेन (रोहतक): यह जो directors को extension देने के बारे में बिल पेश हुआ है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । वैसे तो चौधरी लहरी सिंह जी ने सही बातें इस के सम्बन्ध में कही हैं और इस बात को स्वीकार किया है कि directors सरकार की मर्ज़ी से न लिए जाएं । (विघ्न) मोदगिल साहिब यूं बैठे बैठे ही तंग हो रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में सरकार हमसे यह चाहती है कि directors को, जो उनकी तरफ से पदासीन हैं और जिनकी देख रेख में गड़बड़ गोटाला हुआ है, दो साल और लूट मचाने दी जाए । जितना गोल माल, हेरा फेरी और corruption इन्होंने की है उस को जारी रखने के लिए extension दी जाए । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है इस के Statement of Objects and Reasons में लिखा गया है कि in order to safeguard the interests of shareholders

कि जो हिस्सेदार हैं उनके हित के लिए और हितों की सुरक्षा के लिए directors को दो साल की अवधि और दी जाए । मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या Board of directors की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में इन shareholders से पूछा गया ? क्या उन लोगों को इस अवधि पर अपने विचार रखने का मौका दिया गया ? लोगों को प्रलोभन देकर सरकार ने उन्हें झांसा दिया था कि आप इन Sugar Mills के share खरीद लो हम तुम्हें मोघे देंगे खेती बढ़ेगी । मीठे चावल बांटे गए थे मन्त्री महोदय को थैली पेश की गई और फोटो खिचवा लिए गए । इस तरह की बातें ही नहीं, उन्हें यह झांसा भी दिया गया कि तुम्हारे लड़के को फैक्टरी में लगा देंगे इस तरह की बातें करके उन बिचारों को झांसा देकर shares बेचे परन्तु आज वायदा खिलाफी-की जा रही हैं । सरकार अपने एक भी वचन पर पूरा नहीं उतरी । इन लोगों की राए के लिए इस तरह के विधेयक लाने से पहले उन लोगों को मौका ही नहीं दिया गया––अपनी राए प्रकट करने का । आप जानते हैं कि ईख कैसे पैदा किया जाता है और जब यह किसान ईख लाकर factories में जाता है तो क्या कुछ नहीं होता । हमारे हल्का रोहतक में एक Sugar Mill है जिसके बारे में प्रोफैसर शेर सिंह और चौधरी लहरी सिंह ने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, कि क्या क्या कठिनाईयां आती हैं । और जो वचन रोहतक वालों से किए गए वह किसी तरह पूरे नहीं किए गए हालांकि २० लाख के shares उन्होंने लिए हैं । जल्दबाज़ी से सरकार ने काम लेकर Second-hand Machinery खरीद कर ली है । जिस तरीका से उन्होंने पिछले 3 साल से प्रबन्ध किया है, Deputy स्पीकर साहिब, यह सारा ही ग़लत किया है । यही कारण है कि यह सारा घाटा है । आज आप देखें कि जब कि कोई factory सरकार की देख रेख में चलती है तो आरम्भ में बड़ा भारी मुनाफा होता है लेकिन co-operative के basis पर चलने वाली factory, जिस पर कि बड़े बड़े अफसर चक्कर मारते हैं वह घाटे में चल रही हैं । मैं जनाब अर्ज़ करूं कि वहाँ पर बड़ा गड़बड़ घुटाला है । एक तरफ तो यह अधिकार दिया जा रहा है कि काम co-operation से किया जाये । मगर दूसरी तरफ यह undemocratic प्रजा-तंत्र के हितों के against कार्रवाइयां की जाती हैं । पिछले 3 सालों से महकमा के अफसरों ने मिलकर यह सारा मुआमला चौपट करके रख दिया है । यहां पर लाखों रुपया सरकार ने बेकार ही सरफ किया है क्योंकि यहां पर तो अफसरों ने ही गड़बड़ कर रखी है । जो experiment पहले हुये जिसके आधार पर यह स्कीम बनी, यह सारी ही गलत थी । इसमें 20 लाख रुपये के जो जनता ने share खरीदने थे उनको तो मौका नहीं दिया मगर सरकार का पैसा जो कि ग़रीब मुलाज़मों के खून से नचोड़ा हुआ, sales-tax के ज़रिया से आया हुआ पैसा है, Betterment Levy के ज़रिया से आया हुआ पैसा है, वह लगाया गया है । और ज़ाया किया गया है । यह पैसा वसूल करके इस लिये सरकारी खज़ाने में रखा जाता है ताकि यह भले कामों में और जनता के लाभ के लिये लगाया जाये । सरकार का यह कहना कि क्योंकि इस पर सरकार का पैसा लगता है इस लिए जनता के लाभ की बात है, यह वाजब नहीं । इस तरह से खर्च का हक बिलकुल नहीं देना

[श्री मंगल सैन]

चाहिये । स्पीकर साहिब, मैं आप से निवेदन करता हूं कि अगर कोई अच्छी बात हो तो हम उस को हर हालत में मानने के लिये तैयार हैं, मगर जब कोई यह कहे कि हमारे Members की तादाद ज़्यादा है हम ने हर हालत में यह बात करनी है क्योंकि यह सरकार के वकार का सवाल है, या अगर किसी चालाकी या और तरीका से आप हमें मनवाना चाहते हैं तो यह कभी भी नहीं किया जा सकता । हम इसकी सारी position को बखूबी जानते हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि Regional Committees में सारी position clear करने के बावजूद भी हमारे विचार माने नहीं गये । अगर हम सरकार की ग़लतियां point out करते हैं तो वहां पर वह लोग बुरा मनाते हैं जो हमारे साथ बैठते हैं और जिन के लाभों के against यह सारी चीज़ होती है । यह कहा गया था कि 2 साल की अवधि बढ़ाने का हक नहीं देना चाहिये । यही नहीं, Regional Committees ने भी इस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी । आज इन factories में इतना गड़बड़ गुटाला है । आज हम विधान सभा में बापू जी यानी महात्मा गांधी की तसवीर के नीचे बैठ कर इस किसम की बातें कर रहे हैं जो सरासर झूठी हैं । वहां पर इतना गड़बड़ घुटाला होता है, जैसा कि मेरे मित्र श्री राम प्यारा जी ने बताया । वहां पर यह देखा जाता है कि कौन सरकार की पार्टी का आदमी है और कौन अकाली दल का है और कौन किसी और पार्टी का आदमी है। हम ग़रीबों का तो पैसा लगाते हैं और काम अपने करते हैं । क्या यह सभी बातें झूठी नहीं हैं ? आज झूटी बातों के हक में वोट दिये जाते हैं इस बात को सोच कर कि हमने भी M.L.A. रहना है । उन का यह भाव होता है कि अगर उन की बात नहीं मानते तो कहीं हमें भी ना निकाल फैंकें । यही हाल हमारे कांग्रसी leaders का है । तभी तो इस किसम की बातें होती हैं ।

Shri Harbhagwan Moudgil : On a point of order, Sir. The hon. Member is irrelevant. He is not speaking on the merits or demerits of the Bill. He is referring to the Congress Legislature party affairs.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member should try to be relevant.

श्री मंगल सेन : मेरा कहने का भाव यह है कि जो बातें Regional Committee के सामने की थीं, वही repeat की जा रही हैं । वहां पर बड़ा गड़बड़ घुटाला है । पिछले दिनों जब Directors ने प्रबन्ध किया तो मुलाज़मों ने मांग की थी...........

Shri Harbhagwan Moudgil : Sir, I again rise on a point of order. There is a provision that the proceedings of the meetings of the Regional Committees will be kept secret. Sir, the hon. Member is not within his right to disclose those proceedings.

Mr. Deputy Speaker : The Reports of the Regional Committees have been presented to the House.

Chaudhri Balbir Singh : Sir, those Reports are to be discussed here.

यह उनकी आदत है कि जब कोई ठोस नुकताचीनी की जाये तो घबरा जाते हैं । मैं यह अर्ज़ कर रह था कि जब से वहां पर Directors काम कर रहे हैं जो मुलाज़िम recruit करते हैं उनमें कोई योग्यता नहीं देखी जाती कि यह इस काबल हैं या नहीं । वहां तो यह देखा जाता है कि यह फलां का रिश्तेदार है, नज़दीकी है इस लिए उसे recruit किया जाता है । छोटे मुलाज़मों Boilers के काम करने वाले और मज़दूरी करने वालों में भी उनको ही रखा जाता है जिनका रसूख है । यहां तक कि U.P. तक से लाकर लोगों को जो एक महान नेता की सिफारिश से रखा जाता है । जो बात हम कहना चाहते हैं वह तो यही है कि इस दिशा में जितना हम काम करना चाहते थे, वह हम पूरा नहीं कर पाये हैं । Deputy Speaker साहिब वहां पर कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि लोगों को अपनी मांग मंगवाने के लिए भूख हड़ताल तक करनी पड़ती है । यहां तक कि इस House में भी adjournment motions लाई गई हैं मगर उनका इनसाफ नहीं मिला । उन लोगों के साथ बड़ी शत्रुता की जाती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 करोड़ रुपये के करीब सरकार का पैसा या यूं कहें कि जनता का पैसा यहां लगा हुआ है, मगर इन Directors के हाथों यह सुरक्षित नहीं है । चौधरी लहरी सिंह जी ने भी कहा था कि मैं एक वकील हूं मुझे मालूम है, मुझे यह बातें सुनकर हैरानी होती है कि इन Directors की इस के साथ भी जानकारी है। इस लिए हमें खेद है कि यह तरीका बड़ा ही undemocratic है । इस लिये मैं मन्त्री महोदय concerned से request करूंगा कि वह इस बात का विश्वास दिलायें कि यहां की खराबियों को जल्द अज़ जल्द खत्म किया जायेगा । एक अमृतसर के रहने वाले को अगर रोहतक लगा दिया जाये तो वहां के मुताल्लिक उसे क्या जानकारी हो सकती है ? रोहतक के Representatives ने Regional Committee में यह बातें बार बार कहीं । जिन को कि pen down किया गया, मगर आज हमारी सरकार फिर उसी बात पर बज़िद है । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि सरकार को चाहिये कि इस बिल को वापस ले ले ।

Shri Harbhagwan Moudgil : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now........

Shri Baru Ram : On a point of order, Sir. जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल under discussion है उसे हिन्दी रिजनल कमेटी ने turn down कर दिया है और उसके बाद कोई amendments नहीं आई । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यह बिल हिन्दी रिजनल कमेटी का बिल है या पंजाबी रिजनल कमेटी का ?

Mr. Deputy Speaker : The consideration motion has been carried. The Bill, as reported, by the Punjabi Regional Committee is before the House.

Now I will put the closure motion to the vote of the House.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 as reported by the Punjabi Regional Committee stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Deputy Speaker said "I think Ayes have it". This opinion was challenged. The division bells were then rung. Mr. Deputy Speaker, after ascertaining the votes of the Members present by voices again, declared that the motion was carried.

The motion was declared carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE I

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause I stand part of the bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Health and Panchayats (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee, be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee, be passed.

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की मुखालफत करने के लिए इस stage पर इसलिए मजबूर हूं कि इस बिल के पास करने से गरीब और गरीबों के हमदर्द मिनिस्टरों पर धब्बा आएगा । क्योंकि गवर्नमेंट तो यह चाहती है कि ग़रीबों को उठाया जाए और co-operative movement को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब किया जाए ।

यहां पर अल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब सरकार हकीकत में यह नहीं चाहती कि co-operative movement सही लाइनों पर कामयाब हो और यही वजह है कि बोगस कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाई गईं, और असली कोआपरेटिव सोसाइटियों को नहीं चलने दिया । यह भी एक धब्बे वाली बात है ।

इसके बाद एक और बात है कि यह भी अल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं उसको पंजाब सरकार sabotage करती है ।

डिप्टी स्पीकर: आप बिल के scope तक ही रहें । (The hon. Member should confine his speech to the scope of the Bill.)

मौलवी अब्दुल गनी डार: बहुत अच्छा, जनाब हां, तो बात असली यह है कि आया गवर्नमेंट ही डाइरेक्टरों को नामज़द करती रहे या शेयरहोल्डरों को यह मौका दिया जाए कि वह जिसको चाहें डाइरेक्टर चुन लें । जो बात यह करते हैं वह यह है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम यह साहिबान ज़बान से लेते हैं; मगर उनके बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करते चलते नहीं । जब co-operative movement की खिलाफवर्ज़ी होती है तो हमें इस बात का हक है कि उनसे पूछें कि आप क्यों इस बात का अल्ज़ाम लेते हैं जो कि लोग आपके ऊपर लगाते हैं ? आपको क्या दिलचस्पी है ? क्या रुपया की दिल्चस्पी है ? अगर रुपए की दिलचस्पी है तो रुपया तो आप हर जगह देते हैं । ऐसी जगहों पर भी देते हैं जहां आपके चुने हुए डाइरेक्टर नहीं हैं । फिर क्या ज़रूरी है कि इन कोआपरेटिव मिलों में आप अपने रुपए को महफूज़ रखने के लिए अपने ही डाइरेक्टर रखें और अवाम को यह मौका न दें कि वह अपने आदमीं चुन सकें । अगर आप ऐसा ही करेंगे तो फिर आप पर यह भी अल्ज़ाम आएगा कि जब आप कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो कहेंगे कि वहां भी हम ही डाइरेक्टरों को नामज़द करेंगे ।

अगली बात एक और है कि आपने रिजनल फार्मूला को कबूल किया और एक हलफ़ उठाया है कि उसकी कामयाबी हो तो फिर क्यों ऐसा किया गया कि यहां पर पंजाबी रिजनल कमेटी के मैम्बरों की तादाद के बल पर यह बिल पास करा रहे हैं ? इस बिल से उन लोगों को क्या है, यह मुसीबत तो हिन्दी रिजनल कमेटी वालों को आएगी क्योंकि उन्हें जब आइंदा इलैक्शन लड़ना होगा तो लोग कैसे उनको वोट देंगे । हमे अपने हक का अहसास है । क्या आप हिन्दी रिजनल कमेटी वाले कांग्रेसी उम्मीदवार को हराना चाहते हैं ? जब मास्टर गुरबंता सिंह जी जैसे आदमी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे हिन्दी रिजनल कमेटी वालों में और पंजाबी रिजनल कमेटी वालों में टक्कर हो जाए तो मुझे बड़ी हैरानी होती है । मेरा कहना यह है कि कोई ऐसा फारमूला निकाला जाता जिससे हिन्दी रिजनल कमेटी वालों को यह अहसास न होता कि पंजाबी रिजनल वालों को तरजीह दी जा रही है । यही नहीं, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि जब हिन्दी रिजनल कमेटी वालों ने यह कहा कि फलां आदमीं corrupt है तो ऐक्शन लेना तो दूर, कहा यह गया कि वह आदमी तो man

[मौलवी अब्दुल गनी डार]
of integrity है । मैं जनाब बड़े अदब से कहता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने सिर्फ पंजाबी रिजनल कमेटी वालों को इलैक्शन में जिताना है और हिन्दी रिजनल कमेटी वालों को हराना है ।

यह कहा जाता है कि लोगों के हाथों में रुपया महफ़ूज़ नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है । यह तो ऐसा ही सवाल है कि कल को कोई यह कहने लगे कि हमारी Cabinet के हाथों में लोगों का रुपया महफ़ूज़ नहीं है क्योंकि जहां तक गलती का सवाल है वह तो सभी से हो सकती है । मैं यह कहता हूं कि जब देहाती लोगों ने आप पर एतमाद किया है तो आप भी उन पर—shareholders पर यकीन करें । यहां पर जो पालिसी अपनाई जा रही है, वह गलत पालिसी है और उससे डिप्टी स्पीकर साहिब, आप जैसे नौजवानों को जो पंडित जवाहर लाल नेहरू की तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धक्का लगेगा ।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, आप भी हरियाने से ताल्लुक रखने वाले हैं इसलिए मैं आप से ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आप सरकार को इस के बारे में कहें ।

Mr. Deputy Speaker: Order please. No beating about the bush. I will not permit anything irrelevant.

मौलवी अब्दुल गनी डार: मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि यह चाहते हैं कि अभी वहां पर elections न हों । मैं कहता हूं कि यह उस spirit के खिलाफ है जो कि पण्डित नेहरू यहां co-operatives में लाना चाहते हैं । वहां पर तमाम parties ने पण्डित नेहरू को अपना तुआवन पेश किया है कि अगर आप मुलक में एक अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं तो हम आप के साथ हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि उस का सत्कार किया जाए । हम जानते हैं कि कहां पर Punjabi Region वालों की तादाद ज्यादा है और वह हमें हरा सकते हैं लेकिन उस से फायदा नहीं होगा । इसलिए मैं बड़े अदब से सरकार को और Punjabi Region वाले भाइयों से दरखास्त करूंगा कि उन तमाम वाक्यात की रोशनी में जिन पर Hindi Region वाली Committee ने फैसला किया है इस Bill को वापिस ले लिया जाए और अगर वापिस नहीं लिया जाता तो इसे पास न होने दिया जाए ।

Sardar Bhupinder Singh Mann: On a point of clarification, Sir. There is some doubt in my mind about the Bill which is before the House. The Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill, 1949, was referred to the Regional Committees with a direction to make a Report thereon to the Assembly. Sir, according to the procedure, those Reports of the Punjabi Regional Committee and the Hindi Regional Committee are to be discussed by the Assembly.

Mr. Deputy Speaker: Order please. This point has already been decided.

Sardar Bhupinder Singh Mann: This will apply to..........

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member was not present in the House when this point was decided.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ extension ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ office bearers ਚੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ office-bearers ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ । ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਨੇ ਕਾਟ ਕਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Co-operative movement fail ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਏਥੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੜੇ ਅੰਧੇਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਅਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉ । ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਧੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੋਗਸ ਫਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਪੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖੰਡ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਨਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਭੋਗਪੁਰ ਨੇ 8.73% recovery ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੇ 8.70% ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੇ 9% ਰੀਕਵਰੀ ਦੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ recovery ਕਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]
ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ recovery ਸਿਰਫ 7.8% ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਜੀਤ ਸੂਗਰ ਮਿਲ, ਜਗਾਧਰੀ ਸੂਗਰ ਮਿਲ — (ਵਿਘਨ)—

Mr. Deputy Speaker : This is not relevent please.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ :—ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖੰਡ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ । ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਅਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਚੁਣਨ । ਬਾਕੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਕੋ ਜੇਹੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਰਿਆਣੇ ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਕ ਗਲ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਤਰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਘਟ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਕਢਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਚੀ ਗਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ

11.00 a.m.

ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਲੂਟ ਖਸੂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਕ mill ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲ-ਵਰਤਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ

ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ elections ਕਰਾ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਗੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अब इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस बिल को पास न किया जाए । जहां तक हिन्दी रिजनल कमेटी का ताल्लुक है उसने तो यह बिल फेल कर दिया है और उस पर यह लागू भी नहीं होगा । इस का एक सबूत यह भी है कि Treasury Benches की तरफ से कोई भी amendment इसके अन्दर नहीं आई है और जो बिल यहां consider हुआ है वह पंजाबी रिजनल कमेटी का ही हुआ है । इस से साफ ज़ाहर है कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है यह हिन्दी रिजन पर लागू नहीं होगा । हम ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि जिसे इन दूसरे भाइयों को भी follow करना चाहिए । मैं इन पंजाबी रिजन के भाइयों से जो इन Treasury Benches पर बैठे हैं कहूंगा कि वह भी हमारी उस मिसाल पर जो कि हम ने co-operative movement के interest में और democracy के interest में कायम की है, अमल करेंगे । जनाब पीछे जो co-operative union की करनाल में conference हुई थी उसमें भी यह पास किया था कि फौरन elections कराए जाएं । इसके इलावा मैं ने कल भी कहा था और बताया था कि पण्डित नेहरू जी भी यही चाहते हैं कि यह co-operative movement चले और लोगों के हाथों में रहे । congress manifesto और कांग्रेस की co-operatives के बारे में जो हिदायात हैं वह भी यही कहती हैं कि सारे के सारे मामलात shareholders के हाथों में दे दिए जाएं और किसी दूसरे का उसमें दखल न हो । आज जो यह बिल आया है इन सब directives की spirit के खिलाफ है और cooperative spirit के मनाफी है । इस बिल के ज़रिए यह जो sugar factories के bye-laws हैं उनके अन्दर तरमीम करना चाहते हैं । Bye-laws में यह लिखा है कि तीन साल तक तो nomination चलेगी लेकिन उसके बाद elections होंगे । लेकिन यह अब एक साल की मयाद और बढ़ाना चाहते हैं और तीन साल की जगह चार साल करना चाहते हैं । यह बड़ी भारी धक्केशाही इस पंजाब के अन्दर हो रही है और यह इस तरीक से भी की जा रही है कि Co-operative Act के अन्दर लिखा है कि bye-laws को किस तरीके से amend किया जाएगा लेकिन उस Co-operative Act को बिल्कुल बालाए ताक रखा जा रहा है, by-laws को भी बालाए ताक रखा जा रहा है और इस बिल के ज़रिए उन सारी चीज़ों के खिलाफ काम किया जा रहा है जैसे कि कोई कायदा कानून यहां हावी ही नहीं है और तीन साल की बजाए हम से चार साल कराना चाहते हैं । यह बड़ी भारी ज्यादती है । इस के इलावा जो reasons देते हैं वह बड़े हैरानकुन हैं । दलील यह देते हैं कि हम तो shareholders के interests में ऐसा कर रहे हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप उन के interests को क्या देखेंगे वह अपने interests

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

खुद बहतर देख सकते हैं । अपने interests के पेशे नज़र जनाब पानीपत के 9 हज़ार shareholders ने अपने दस्तखत और अंगूठे लगा कर दरखास्त दी कि इनका election कराया जाए । वह दरखास्त चीफ़ मिनिस्टर के पास पहुंची कि हम इन Directors के खिलाफ हैं लकिन आज तक कोई शुनवाई नहीं हुई । Shareholders resolutions पास करते हैं, जलसों में कहते हैं और दरखास्तें देते हैं कि हमें इन Directors पर कोई भरोसा नहीं । इसलिए जल्दी इनका election कराया जाए, लेकिन जनाब इस हकूमत ने अपने कान बंद किए हुए हैं और इसी बात का ढोल पीट रहे हैं कि साहिब हम उनके interest की बात कर रहे हैं । इसका कारण यह है कि इन sugar mills के अन्दर vested interests हैं । कुछ रुपया इनको वहां से अब चंदों की सूरत में दिया जाता है । अब इन को डर है कि अगर elected Directors आ गए तो वह चंदे नहीं मिल सकेंगे और यही वजह है कि nomination की मयाद बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक इन Directors का corruptions से ताल्लुक है जिनके बारे में यह ढोल पीटा जाता है कि साहिब वह बड़े integrity के हैं, बड़े experienced हैं और बड़े efficient हैं। मैं बताना चाहता हूं कि shareholders ने इन Directors के पास शिकायत की कि purchases में बेइमानी है, तोल कांटे में बेइमानी है, buildings बनाने में बेइमानी है और कोई ऐसा शोहबा नहीं जिसमें बेइमानी न हो मगर उन से यह जवाब मिलता है कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते । जहां पर इतने inefficient, नाअहिल और dummy Directors हों जो कहें कि हम इतनी भारी बेइमानी में कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी मयाद यह सरदार साहिब बढ़ाना चाहते हैं । यह बात मैं ही नहीं कहता । यहां अभी आपके सामने एक mill के Director चौधरी लहरी सिंह जी भी बोले हैं कि वहां Directors को कोई नहीं पूछता । Directors resolution पास कर देते हैं लेकिन कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके लिए कहते हैं कि मयाद बढ़ा दो । मैं ने इस हाउस में और हिन्दी रिजनल कमेटी के अन्दर specific instances दीं और ceses बताए कि यह चीज़ें हैं इनकी enquiry कराई जाए, लेकिन कोई enquiry नहीं करता । मुझे यहां चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि अगर कोई specific instances हैं तो मुझे दो, मैं ने उनको सारी specific instances भी दे दी लेकिन हुआ कुछ नहीं । अब अगर सरदार गुरबंता सिंह जी भी चाहते हैं तो मैं उनको भी भेज दूंगा लेकिन वह एलान भी करें कि तहकीकात कराएंगे ।

आखिर में, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ज़्यादा न कहता हुआ एक दो चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस बिल की clause 2 (2) के ज़रिए यह चाहते हैं कि ordinanance की रूह से जितने काम किए गए वह सारे के सारे legalise कर दिए जाएं । मैं कहना चाहता हूं कि इस पंजाब के अन्दर यह बड़ी illegal चीज़ करवाई जा रही है । Ordinance जो पास हुआ था वह September, 1958 के अन्दर हुआ था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, कायदे कानून के मुताबिक जो पहिले असैम्बली

का सैशन हुआ था यह उसमें लाया जाना चाहिए था लेकिन नहीं लाया गया और अब 1959 में लाए हैं । Ordinance की मयाद पहिला सैशन जो उसके बाद चले उसके बाद सिर्फ 6 हफ्ते की होती है और उसके बाद वह रद्दी की टोकरी में फैंकने के काबिल भी नहीं रहता है । लेकिन अब यह इतने अर्से के बाद कहते हैं कि वह सारी कार्यवाई legalise कर दो । आप देखें कि कितनी illegal चीज़ यहां करवाई जा रही है। जब गवर्नर साहिब के पास यह बिल जाएगा तो वह खुद देखेंगे कि कितनी खिलाफे कानून बात है और वह लिखेंगे कि यह illegal है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि और नहीं तो कम से कम गरीब किसान पर तो रहम करो जिस किसान को कि आप कहते हैं कि ज्यादा अनाज पैदा करके मुल्क को दे । किसान चाहता है कि उसकी भी बात सुनी जाए । हम सब चाहते हैं कि यह जो Sugar mills हैं कामयाब हों और तरक्की करें लेकिन यह हकूमत उनको फेल करना चाहती है । हम जानते हैं कि इसका कारण क्या है । इस का कारण यह है कि एक आदमी है जिसमें यह interested हैं और उसको यह, इन mills को फेल करके, देना चाहते हैं । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वज़ीर साहब को कहना चाहता हूं कि वे चाहे कितना ज़ोर लगा लें हम शूगर मिलों को फेल नहीं होने देंगे, हम डायरेक्टरों के नामोनिशान तक को नहीं रहने देंगे, शेयर होल्डर इन मिलों को लेंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे और जो कुरप्शन और बेइमानी इस हुकूमत ने और वज़ीरों ने की हुई है उन सब को देखेंगे और इस के नतीजा के तौर पर कई वजीर जेल में होंगे । इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिब, ये बातें हैं जो मैं आप के ज़रिए हुकूमत से कहना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को वापस ले लो और किसी की बिना पर नहीं लेना चाहते तो पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर ले लो, co-operators के नाम पर ले लो और किसी के नाम पर नहीं लेना चाहते तो कांग्रेस के असूल पर ले लो, सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसायटी के नाम पर ले लो । अगर वापस नहीं लेंगे तो रोहतक की मिल तो फेल कर दी, भोगपुर की मिल भी फेल कर दी, इस हुकूमत के दौरान पानीपत की भी फेल हो जायगी । मैं उम्मीद करता हूं कि सरदार गुरबन्ता सिंह जी इन मिलों की inquiry करवाएंगे और जैसे कि उन्होंने कहा था कि बेइमान अफसरों को हटा देंगे । मुझे उन पर थोड़ा सा यकीन भी है कि यह कर देंगे । मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कम से कम यह ज़रूर कर दें कि इस की election करवा दें । इलेक्शन से कुछ नहीं बिगड़ता । इस से मिलें भी अच्छी तरह से चलेंगी, लोगों के हाथों से चलेंगी और लोग दुआएं देंगे कि सरदार गुरबन्ता सिंह ने अच्छा काम किया ।

(*Voices : Sir, the question may now be put*).

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਾਮਖਾਹ ਲੰਬਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

"ਨਾ ਲੇ ਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ"

ਜੋ'ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Co-operative movement ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅੌਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਣ ਹੋਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰੇ ਅੌਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ 28 ਲਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ 30 ਲਖ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿਸੇ ਹਨ ਅੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80—80 ਅੌਰ 88—88 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਠੋਂਸੀਏ। ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੱਣ ਕਿ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅੌਰ ਜੋ co-operative movement ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ bye-laws ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜਣ ਵੀ bye-laws ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। ਇਕ ਦੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ period ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜ ਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਮਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ election ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੌਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ election ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੋ ਆਨੇ ਫੀ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 7 ਲਖ ਹਿੱਸਾ ਇਕਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ ਦਾ 4 ਲਖ ਅੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ election ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਨੇ ਫੀ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਿਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਬੰਬਈ ਜਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਵੀ bye-laws ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ administer ਕਰੇ ਅੌਰ ਫੇਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ tenure ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੌਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ corrupt ਹਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ corruption ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਸੁਚਜੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ । ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮਿਲ ਵਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਪੀ. ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ । ਕਿੰਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ control ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਨੀਪਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਨ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਚੌਧਰੀ ਸਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ ਬੋਲੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ । ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'Touch me not' ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਸੀ । 'Touch me not' ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ co-operative movement ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ touch ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ co-operative laws ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਬਹੁਤ ਘਟ co-operative ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ co-operative ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਛੇ ਨੇ । ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਨੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਏਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅਲਕ ਨਹੀਂ । ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ । ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ । ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ

[ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ]

ਹੈ । ਇਹ ਮਿਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ shares ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ shares ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ share ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਖਰੀਦੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह गलत है । यह मुझ पर हमला कर रहे हैं यह बात गलत है । सरदार गुरबंता सिंह कै आदमी कहते थे कि shares न खरीदो । वह इस के खिलाफ हैं ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ corruption ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ co-operation ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ corruption ਦੇ charges ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ । ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਜ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਏ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਲੋਕ corruption ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਅਜਿਹੇ cases ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ corruption ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਘਟ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਉ ਮੈਂ enquiry ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਸਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।...(*Interruptions*)

ਸਿਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਏਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਨਾ ਹੀ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ challange ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ enquiry ਕਰੇਗੀ । ਦਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ।

श्री मुनी लाल : मैं request करूंगा कि Members के खिलाफ personal aspersion नहीं होनी चाहिएं ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास खास तौर पर यह representation की गई कि Directors के खिलाफ जो corruption वगैरह के charges हैं वे इस House में discuss न हों । लेकिन एक general way में कहा जाए । आप ने एक गलत बात की । अगर उन्होंने कर दी तो आप न करें । (Representation has especially been made to me that the corruption charges, etc., against the Directors may not be discussed in the House. That may be

discussed in a general way. The hon. Member adopted a wrong approach. If others had acted wrongly the hon. Minister should not do the same thing.)

ਸਿਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ personal attack ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀਆ ਗਈਆਂ ਨੇ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ practical ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਮਿਲ ਦੀ anti-corruption ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆਂ ਅਸੀਂ anti-corruption department ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ anti-corruption department ਕੋਲੋਂ enquiry ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਇਕ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ personally ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ personally ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ । ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਏਥੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ । ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ । ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂ । ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ । ਐਵੇਂ ਚਿਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟੇਰੀ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਭੇਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਭੇਜੀ । ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ corruption ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਗੰਨਾ ਘੱਟ ਤੁਲਦਾ ਹੈ । ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਮਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ । ਲਾਲਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਘੱਟ ਤੁਲਦਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਕੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੋ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਿਠਾ ਦਿਉ । ਲਾਲਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਚੋਢਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ । ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਦਸੋ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ check ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਥੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਐਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੋ । ਕੁਛ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, corruption ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, propaganda ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ suggestion ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

[ਸਿਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ season ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੋ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ season ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ corruption ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ corruption ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਖੰਡ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ individual ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ agent ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । Rohtak Sugar Mill ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਖੰਡ ਸੀ—ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸੀ—ਉਹ ਕਿਸੇ individual ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ tenders call ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਸੀ । Co-operative societies ਨੇ ਉਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਖੰਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ mills ਵਿਚੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖੰਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਇਹ case ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ । ਫਿਰ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ—ਉਹ district wholesale co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਮੰਸਥਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ co-operative societies ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ individual ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਵਿਚ corruption ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੇਕਰ ੨ ਜਾਂ ਢਾਈ ਰੁਪੈ ਮਣ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ co-operative societies ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ co-operative societies ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ mills ਦੀ ਬਨੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਵੀ co-operative societies ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੀ supply ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ supply ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਫਾ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਦੇ directors ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਸਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਭੋਗਪੁਰ sugar mill ਦਾ । ਜੇਕਰ 10–15

ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ tenure extend ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਪੈਣ ਲੱਗਾ । ਦੋ ਆਨੇ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ vote ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Rohtak mill ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਹੋ ਹਾਲ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿਲ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ mills ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਨਗੇ । ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਚਲਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹੀ elections ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ president ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ senior ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੁਪੈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ Mills ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ Mills ਕਿਧਰੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨ ਹੋ ਜਾਣ । ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ co-operative movement ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਛਡੀਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ Mills ਵਿਚ share ਲੈਣਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਹੁਣ Mills ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਵੀਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ Mills ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । Registrar ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Board of Directors ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ directors ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸਿਰਫ਼ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ co-operative movement ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ੬ ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ directors ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਆਂਗਾ । ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ appeal ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ movement ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ,

[ਸਿਹਤ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ voters ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Directors ਦੀ election ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ mills ਨੂੰ ਕੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50, 50 ਅਤੇ 80,80 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ Mills ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਇਕਤਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ management ਨੂੰ ਕੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਕੁਝ technical ਗਲਾਂ ਹਨ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ corruption ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁਤਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Co-operative Sugar Mills (Further Extension of Tenure of Boards) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee, be passed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it" This opinion was challenged and a division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

THE SIKH GURDWARAS (SECOND AMENDMENT) BILL, 1959 AS REPORTED BY THE REGIONAL COMMITTEES.)

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, 1959, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜੋ amending act ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇ । ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ election ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ election ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ Original Act ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਾਤ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 3,000 ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ । ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ original ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਨ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ restore ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ election ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ electoral rolls ਬਨਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਫਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ qualifications ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ restore ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਬਧੇਰੇ ਦਫਾਤ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ schedule ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ schedule ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ schedule ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ Original Act ਦੀ ਦਫਾ 85 ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 85 ਵਿਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ basis ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ Interim Board ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਕ ਜਗਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਮਤਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ address ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ address ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ । ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਜੋ Regional ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜ ਦੋਬਾਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ convention ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਜ ਇਕ ਹੋਰ ਜੋ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ electoral college ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਹੁ ਸਮੰਤੀ ਪਰਾਪਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਸਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਿੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 48 ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਸਮਤੀ ਦੇ ਕੇ 51 ਦੀ ਬਹੁਸਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of order, Sir. ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਢੌਂਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : While the decision of the House is there, there should be no reflection on it.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਗੁਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ deputation ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ fast unto death ਰਖਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਸੋ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਬਰੱਤ ਰਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਗਲਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਰਨ ਬਰੱਤ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ulterior motive ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ Public Relation Department ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ funds ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ

ਬਰਤ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿਖ ਕੌਮ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ grievances ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ M.L.As. ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਨੋ ਵਖ ਵਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ideology ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ideology ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ? ਅਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ Bill ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਵੀ Legislature ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ local body ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਛਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ? [Should the members of all the political parties be debarred from the membership of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee or only those who are members of the Congress party.]

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ; ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ, ਭਾਵੇ ਕਿਸੇ party ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕ। ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜ ਚੂੰਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਜ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂਈ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਯੋਗ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। (*interruption*) ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ.......

Mr. Speaker : The hon. Member should avoid such things. He should not single out a particular person in the Cabinet. Government function collectively.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। (ਵਿਘਨ) ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਬਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਵਿਘਨ) ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਗਈ (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ) ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ position ਨੂੰ handle ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਨ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਅਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ......

Mr. Speaker : There is no question of Masterji's personal views here. You can refer to the general resentment. You can quote it as an instance and cannot dilate upon it for such a long time.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਬਰਤ ਨਾਲ direct ਸਬੰਧ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : जो बात अभी existence में नहीं है और जिस का पता नहीं कि क्या trend ले आप उस को इस चीज़ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं । You are connecting it with imaginary things. This is not relevant. [Why is the hon. Member connecting such a thing with this Bill which is neither in existence yet nor is it known what trend it might take. You are connecting it with imaginary things. This is not relevant.]

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੇ dangers ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ warn ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ (ਜੈਤੋਂ) : ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ । (ਹਾਸਾ)

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ .... (*interruption*)

ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉ, ਹਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ । (*interruption*)

Mr. Speaker : No interruption please.

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਰਮੀਮੀ Bill House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ—ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਨਮਿਬਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਾਹ ਹੀ ਅਲਾਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ Tribune ਵਿਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । Centre ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੇਤਾ ਬਤਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । (The hon. Lady Member may please bear this in mind that she is addressing the Punjab Legislative Assembly and not a Khalsa Diwan.)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਜ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਬਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਜਿਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਉ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀ 'ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ । ਸਿਖਾਂ ਦੀ majority ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਸਿਖ ਪੰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਪਰ ਆਮ ਸਿਖ ਜਨਤਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ । ਸਿਖਾਂ ਦੀ majority ਦੀ

12.00 Noon

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਅਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਖਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ . ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਬੋਲੋ । (I am prepared to counsel them but the hon. Lady Member should also confine herself to the Bill under discussion).

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਕ ਕਲੰਕ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਮੇਰੀ ਆਪ ਪਾਸ request ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉ । ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ majority ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਅਜ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਯੋਗ ਸੀ ?

Mr. Speaker : This is not relevant. Try to be relevant please.

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ।

ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ legislators ਨਾ ਹੋਣ । ਫਿਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਵੇਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਰਮਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker : No, that was wrong. It was an omission which has been rectified.

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ community ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ । ਅਤੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ । ਕੋਈ ਇਕ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ । ਇਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸ਼ਡੂਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ attitude ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪਰਕਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੇ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਜੋ ਵੀਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ confuse ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਉਲਝਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ in power ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਥ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ ਇਹ ਲਥ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ ਇਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕੈਬੀਨਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਦਿਉ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿਕ ਤੇ ਹਥ ਰਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ

ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ । ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਚਲਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਜ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਨਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਉਚਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਨਿਕਲ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਸ ਉਚੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ । ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ । ਆਓ ਅਜ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਅਸੂਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਅਜ ਜੇ ਕਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਿਸਚਾ ਜਾਂ ਇਤਕਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਉ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ unanimous ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੋਈ ਬਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ measure ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ agree ਨਾ ਕਰਨ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ । ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਾਖਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਨਾ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ । ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ unanimous ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਘਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵੀ agree ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ work ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ । ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ । ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ unanimous ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਨਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ

ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆੜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ capture ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਕੀ ਜੇ । ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਕ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਕਾ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ?

ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੀ ਦਾ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ । ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰੀਏ । ਪਰ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ position ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ । ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ individual ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ negotiation ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗ ਦੇਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exploit ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ । ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਹੜੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ (ਤਾੜੀਆਂ)। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹਾਂ । ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ । ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੱਲ ਛੱਡੋ 5—7 ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਲਉ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਹੋਣ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । Law and Order ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਡਾ ਦਿਆਂਗਾ । ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਣ । ਏਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ । ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਤਾੜੀਆਂ) ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause. Clause 2 is before the House.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : There is a minor difference in the clause as reported by the Punjabi Regional Committee and that reported by the Hindi Regional Committee. The Punjabi Regional Committee has recommended the deletion of the Ist proviso to Clause 3 (a) as also the word 'further' occurring in line 1 of the 2nd Proviso, whereas the Hindi Regional Committee has not suggested any change.

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਇਹ proviso ਇਸ ਲਈ delete ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ Section 86-A ਵਿਚ cover ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ delete ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 as reported by the Punjabi Regional Committee, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Sardar Harguranad Singh (Nawanshahr 'General') : Sir, I beg to move—

In the proposed new section 90 (1) the following shall be added after clause (x) :—

"(xi) is a legislator or a Member of Parliament or a Member of Local Bodies ; or

(xii) is less than 40 years of age."

ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ political parties ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨਾ ਬਣਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ law and order ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ duty ਹੈ । ਵਾਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ State ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : On a point of order Sir. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Legislature ਜਾਂ Parliament ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ Parliament ਜਾਂ Assembly ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ disqualification ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The amendment of Sardar Harguranad Singh is something against the spirit of the Constitution. I, therefore, disallow it.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : There is no difference in the clause as reported by the two Regional Committees.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Both the Regional Committees have inserted the following words between the words 'its members' and 'or' occurring in line 5 of the clause—

"other than the members and office bearers of the Executive Committee except the President".

The Punjabi Regional Committee has added the following Proviso at the end of the clause :—

"Provided that if a member of the above Committee is elected a Member or office bearer of the Board except the President, he shall cease to be a member of the said Committee after such election."

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 as reported by the Punjabi Regional Committee stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Sardar Dhanna Singh 'Gulshan' (Pakka Kalan 'Reserved') : Sir, I beg to move—

In sub-clause (b), for the existing entry 348, substitute the following :—

"348 (Bhatinda) (Bhatinda) (Bhatinda) Gurdwara Sahib Padshahi Dasmi Qila Mubarik"

In sub-clause (b), against entry 364, column 4, for "Jaga" substitute "Ram Tirath Jagga".

In sub-clause (b), for the existing entry 365, substitute the following :—

"365 (Bhatinda) (Faridkot) (Bahbal Kalan) (Gurdwara Sahib Padshahi Dasmi)"

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਜ਼ 7 ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਤਰਮੀਮ ਮੇਰੀ entry 348 ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਦੂਸਰੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ entry 364 ਦੇ ਵਿਚ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 'Jaga' ਦੀ ਥਾਂ 'Ram Tirath Jagga' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਜਿਹੜੀ entry 365 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (b) for the existing entry 348, substitute the following :—

"348 (Bhatinda) (Bhatinda) (Bhatinda) Gurdwara Sahib Padshahi Dasmi Qila Mubarik)"

In sub-clause (b), against entry 364, column 4, for "Jaga" substitute "Ram Tirath Jagga".

In sub-clause (b), for the existing entry 365, substitute the following :—

"365 (Bhatinda) (Faridkot) (Bahbal Kalan) (Gurdwara Sahib Padshahi Dasmi)".

Does the hon. Minister accept these amendments.

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ accept ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (b), for the existing entry 348, substitute the following—

"348 (Bhatinda) (Bhatinda) (Bhatinda) Gurdwara Sahib Padshahi Dasmi Qila Mubarik)"

In sub-clause (b), against entry 364. column 4, for "Jaga" substitute "Ram Tirath Jagga"

In sub-clause (b), for the existing entry 365, substitute the following—

"365 (Bhatinda) (Faridkot) (Bahbal Kalan) (Gurdwara Sahib Padshahi Dasmi".)

The motion was carried.

Mr. Speak r : Question is—

That Clause 7 as reported by the Punjabi Regional Committee and amended by the Assembly stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause I as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee and amended by the Assembly, be passed.

ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਲੈਣ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee and amended by the Assembly, be passed.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਿਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜ਼ਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਲਖੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਔਰ Politics ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਔਰ politics ਅਲੈਹਿਦਾ ਅਲੈਹਿਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਇਕ

ਐਸੀ ਉਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ inspiration ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ sphere ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ constitutionally ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਵਧੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ politics ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਰਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ conditions ਨਹੀਂ ਰਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ approach ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਨਾ ਰਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ peaceful atmosphere ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਥ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

कामरेड मुन्नी लाल (शिमला) : स्पीकर साहिब इस Bill के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि यह गुरद्वारों के प्रबन्ध के सिलसिले में है । हम चाहते थे कि सिख मेम्बरान कोई मुतफिक्का तजवीज़ ले कर जमा हो जाते लेकिन मैं ने देखा है कि इस Bill के साथ पंजाब में कुछ झगड़े हुए जिस से पंजाब की फिज़ा में कुछ गर्मी आई । इस से डर पैदा हो गया है कि हम कहीं एक agitation से निकल कर दूसरी agitation में न पड़ जाएं । इस लिए इस चीज को मद्देनज़र रखता हुआ अपनी तरफ से दो तीन suggestions पेश करता हूं । पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह वही है जो कि हमारे Chief Minister साहिब ने भी कही है । मास्टर तारा सिंह जी सिख Community के Leader हैं और इन्होंने मरनव्रत की धमकी दी है । मैं महसूस करता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो उससे पंजाब के अमन में कुछ गड़बड़ होने का खदशा है । इसके पेशेनज़र मैं यह चाहूंगा कि जब Minister साहिब speech करें तो वह मास्टर जी से अपील करें कि वह इतना सख्त कदम न उठाएं जिस से सूबे की फिज़ा में गर्मी आए । ज्ञानी जी ने यह कह कर टाल दिया है कि यह बात ग़ैर मुमकिन है और parliament में यह बात हो सकती है । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सरकार समझौता करना चाहे तो उसके लिए रास्ता निकाल सकती है । मास्टर जी का यह इलज़ाम है कि सरकार गुरद्वारों के अन्दर दखल अंदाज़ी करती है । मैं समझता हूं कि इस में कुछ सदाकत है ।

[कामरेड मुनी लाल]
हम अपने सयासी मकसद को पूरा करने के लिए लोगों के धर्म के जज़बे को exploit करते हैं और उस से फायदा उठाना चाहते हैं । इस का नतीजा यह होता है कि सयासत और धर्म इकटठे हो जाते हैं और इस में discrimination नहीं हो सकती । आज हमारी secular State है । इस लिए Constitution के तहत हरेक institution को इजाज़त है कि वह जैसे लोग चाहें वैसे चले । इस लिए मैं समझता हूं कि गुरद्वारों में अगर political interference न हो तो ठीक होगा । मैं मास्टर जी से अपील करता हूं कि वह शिमला की ठंडी हवाओं में तशरीफ लाएं और वहां पर हमें अपनी बातें सुनाएं ताकि यह मामला सुलझाया जा सके । इस के इलावा मैं गुज़ारिश करूंगा कि दलाई लामा को शिमला में तशरीफ लाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से दाअवत दी जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ controversial point ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਇਹ ਬੜਾ wider issue ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ approach ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਖ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ protection ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ delicate ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੱਲਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚੂੰਕਿ ਸਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, negotiations ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਗਲ ਬਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ...... (*interruptions*)

Mr. Speaker : Order, Order. Please be relevant.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ । ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਨਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਦਾ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੱਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲੱ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਜੋ ਗਲ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ S. G. P. C. ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੰਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ S.G.P.C. ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਉ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਉ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ Judicial Commission ਵਿਚ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਦਿਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿਤਾ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ Politics ਵਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ......
(noise and interruptions.)

Mr. Speaker Order, Order, You are not relevant, Please resume your seat now.

ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ secular ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ secularism ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ......

Mr. Speaker : Order, order. No please.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਵਿਚ ਕਈ ਇਕ ਨੇ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਜ ਖਿਜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਜ, ਖਿਜਾਹਟ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਜਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਿਜ ਖਿਜਾਹਟ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਜਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਾਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਕ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਐਸੀ ਹੀ ਮਦਦ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸ ਫਸਾ ਦੀ ਗਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਉ ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਗਲ ਨੂੰ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ । ਜਿਸ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਢ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ (*Loud Cheers*) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . . . . .

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ suggestion

ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਨ । ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸਜੱਣ ਵਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਨਣ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਈਵਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਗਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਲ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰਕਾ ਜਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ . . . (*interruption by Harguanad Singh*) ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਸਜਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਗਲ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਲ ਆਖਰੀ ਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ । 'ਇਹ ਨਹੀਂ' ਕਿ ਅੱਧੀ ਗਲ ਹੁਣ ਇਥੇ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਫੇਰ ਝਗੜਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ . . . . .

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਾਨਾਦ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਫ਼ਿਰਕਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ . . . . . (*Noise and Interruptions*)

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫ਼ਿਰਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਸੱਜਨ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਾਜ਼ ਹਨ ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਏਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਮੈਂ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪੰਥਕ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਔਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਲੋਗ ਕੈਦੋ ਬੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਹਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆਂ ਤੇ ਏਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਣਿਆਂ । ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ-ਸਤ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾ

[ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ]

ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਏਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋਣ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਖੱਣ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਉਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 10-15 ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਇਮਲੀ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟੱਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਏਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ define ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਯੋਗ ਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਖਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅਯੋਗ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਣ ਦੀ ਗਲ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, canvassing ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਇਆ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ । ਅਗਰ ਇਹ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ । ਇਹ ਗਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮੈਂਡਿਗ ਬਿਲ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਇੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ੍ਹ ਨਾ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ

ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਮਨ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ support ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ administration ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ constitution ਵਿਚ ਇਹ provision ਕਰੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲਿਟੀਕਲ activity ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੋਗਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ,

1-00 p.m.

public servants ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ election ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। Elections ਲੜਨ ਦੀ ਖੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਛੱਡਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੁਖ ਪਰਗਟ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ statement ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਮੇਰੇ ਜੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਯਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਉ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਵਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ

[ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਐਨੀ ਗਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਅਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ authority ਯਾ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ authority ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ । ਉਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਰ ਸਾਲਸੀ ਤਾਂ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

Mr. Speaker Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, as reported by the Punjabi Regional Committee and amended by the Assembly, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB RECLAMATION OF LAND BILL, 1958

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Reclamation of Land Bill be taken into consideration at once.

Reclamation ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਿਛੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪਿਛੇ lapse ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ....(ਵਿਘਨ)

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. पिछली दफा जब यह Bill आया तो एतराज़ किया गया कि यह Regional Committees को refer किया जाए । इस पर doubt पैदा हुआ । खुद Minister साहब ने कहा और जनाब ने कहा कि यह doubt है । हमें तो पता नहीं कि उसका क्या हुआ ।

Mr. Speaker : The Advocate-General has opined that this is not a Regional Bill.

चौधरी धर्म सिंह राठी : Governor साहब को refer कर के देख लिया जाए ।

Mr. Speaker : The question does not arise. It is the authority of the Speaker to determine whether a Bill is a Regional Bill or not. If any question arises whether a Bill is a Regional Bill or not, the question shall be referred to the Governor and a certificate issued by him in this behalf shall be final. The Advocate-General has opined that this is not a Regional Bill.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब ने यह कहा था कि यह doubtful है ।

Mr. Speaker : This is not doubtful. Question does not arise.

जरायत तथा जंगलात मन्त्री : Reclamation के सिलसिले में कुछ रुपया खर्च हो गया और कुछ lapse हो गया । जो रुपये lapse हो गए हम ने उनके लिए फिर कोशिश की । जो रकम lapse हो गई वह मिल गई । शुरु में यह कहा था कि 17 लाख रुपया इसी साल में खर्च होना चाहिए । हमें यह अख्तियार होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि Hindi Regional Committee के Bills भी पड़े हैं और time थोड़ा है । इस पर ज्यादा amendments नहीं है । इस लिए इसे जल्दी dispose of कर दिया जाए । (I think some Bills as reported by the Hindi Regional Committee are also to be disposed of and the time is short. There are not many amendments on this Bill. So it may be disposed of in short time.)

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Reclamation of Land Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): जहां तक reclamation के असूल का ताल्लुक है इस से मैं सहमत हूं । जो बंजर ज़मीनें हैं उनको reclaim करना चाहिए । जहां तक इस का ताल्लुक है और इस गवर्नमेंट का जो नज़रिया है उस से मैं पूरी तरह सहमत हूं । लेकिन जो इस Bill में है कि reclamation के ऊपर जो खर्च आएगा वह ज़मीदारों से वसूल किया जाएगा—मालकान से—इसके मैं खिलाफ हूं । स्पीकर साहिब, अगर ज़मीन ठीक हो जाएगी और अनाज पैदा करने लग जाएगा तो उसका ज़मीदार को ही फायदा नहीं होगा, मालक ज़मीन को ही फायदा नहीं होगा बल्कि सारे सूबे को, सारे मुल्क को फायदा होगा और सारे मुल्क का भला होगा । जहां तक उसके खर्च का ताल्लुक है कहते हैं कि उस मालक ज़मीन से लेंगे, उससे वसूल करेंगे । यह अजीब मंतक है । ज़मीन खराब हो जाए, गवर्नमेंट के action से खराब हो जाए, weather से खराब हो जाए, कुदरत खराब कर दे और कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो सारे का सारा मुआवज़ा उसे देना पड़ेगा । गवर्नमेंट कोई मुआवज़ा देने के लिए तैयार नहीं । अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी चीज़ लगे, गवर्नमेंट थोड़ी सी हिम्मत करे और बेहतरी करना चाहे तो कहते हैं कि इसका सारा खर्चा लोगों से लेंगे । स्पीकर साहब, आपको अच्छी तरह पता है और मैं ने भी देखा है कि गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं वे सब इसी तरह होते हैं । भाखड़ा का काम हो चाहे improvement का काम

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

हो इसमें काफी corruption होती है । इस में जो corruption होगी उसका खर्च भी उन ज़मीदारों से, मालकान ज़मीन से लेंगे । सारे का सारा expenditure उन से वसूल किया जाएगा ।

इसके इलावा मैं दूसरी चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूं । Expenditure वगैरह वसूल करने का एक खास तरीका रखा है जिस से ज़मींदारों को अपनी ज़मीने ही गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी । अगर कोई खर्चा नहीं देगा तो उस खर्च को as arrears of land revenue वसूल किया जाएगा । स्पीकर साहब, इस reclamation पर इतना खर्च आएगा कि उतने की ज़मीन नहीं होगी । Reclamation होने के बाद जितना खर्च होगा वह ज़मींदार दे नहीं सकेंगे । (घंटी) फिर यह कि as arrears of land revenue लेंगे । फिर वह अपनी ज़मीन गिरवी रखे, बै करे और रकम अदा करे । यह तरीका है ज़मींदारों को तंग करने का । मैं खास तौर पर ज्ञानी जी से कहूंगा जो इस Bill के मोहतरिम वज़ीर incharge हैं, जिनको ज़मींदारों से बड़ी हमदर्दी है कि जो expenditure ज़मींदारों पर डालना है, अगर वे न दे सकें तो वह as arrears of land reveune न वसूल किया जाएगा । मैं उनसे पुरज़ोर दरखास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि कम अज़ कम ज़मींदारों का ख्याल करते हुए, उन गरीबों का ख्याल करते हुए, उन पर यह बोझ न डालें और इसे as arrears of land revenue वसूल न करें । मैं समझता हूं कि ज्ञानी जी इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे (घंटी) और यह जो कहा गया है यह मंज़ूर करेंगे (घंटी) । इन इलफाज़ के साथ मैं reclamation की तारीफ करता हूं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ provision land reclaim ਕਰਨ ਦੀ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ reclamation ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ land waste ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ notice ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ reclaim ਕਰੇ ਅਤੇ notice ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ facilities ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ reclaim ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Land ਦੀ reclamation ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਇਹ better ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ agency ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ land reclaim ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ waste land reclaim

ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ case ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ reclaim ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ reclaim ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ reclaim ਕਰੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ land reclaim ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ । ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । Land reclaim ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Reclamation Land Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Bill will be taken up clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) AND (3) OF CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of clausse I stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur ' General ') : Sir, I beg to move—

At the end of sub-clause (1), *add* the following proviso :—

" Provided that the owner of the land will be given one year notice to reclaim his land otherwise the Government will take possession of his land for the purpose of this Act ".

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ notice ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ reclaim ਕਰੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ easy instalments ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ suggestion ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ corruption ਦੇ chances ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Mr. Speaker : Motion moved—

At the end of sub-clause (1), *add* the following proviso :—

" Provided that the owner of the land will be given one year notice to reclaim his land otherwise the Government will take possession of his land for the purpose of this Act ".

Mr. Speaker : Question is—

At the end of sub-clause (1), *add* the following proviso :—

" Provided that the owner of the land will be given one year notice to reclaim his land otherwise the Government will take possession of his land for the purpose of this Act ".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): स्पीकर साहिब, इस के बारे में पहले भी कह चुका हूं, अब ज्यादा नहीं कहूंगा। इस clause के बारे में पहले भी यह कहा था और अब भी कहता हूं कि यह बड़ी harsh clause है। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि

> "The total expenditure incurred by the State Government in carrying out reclamation of any reclaimable area shall be equitably apportioned by the Director between the several owners and persons having interest......"

इस में लिखा है कि मुख्तलिफ land owners से रुपया वसूल किया जाएगा। मैं इस clause को oppose करता हूं। सरकार ने यह अपना असूल ही बना रखा है कि अगर कोई भी बेहतरी की स्कीम बनाती है तो उस से चाहे तरक्की सारे देश की होने वाली हो लेकिन उस का सारा खर्चा खेती करने वालों पर डाल देती है। Parks तो शहरों के अन्दर बनते हैं, बेहतरी के काम और Development के सारे काम तो शहरों के अन्दर होते हैं जिन से वहां की जायदादों की कीमत बढ़ती है लेकिन शहर वालों पर उन स्कीमों का कुछ खर्चा नहीं पड़ता। इसके बरअक्स अगर देहात की बेहतरी के लिये कोई भी काम किया जाता है तो पहले ही यह कह दिया जाता है कि इस का खर्चा उन पर डाल देंगे। फिर कहते हैं कि हम लोग शहरी और देहाती का सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूं कि शहरी और देहाती का सवाल तो खुद सरकार पैदा करती है। कोई भी तजवीज़ बनाती है तो उसका खर्चा देहातियों पर डाल देती है चाहे उस से फायदा शहरियों को ही पहुंचता हो। इस लिये मैं अपने मोहतरिम वज़ीर साहिब से कहता हूं कि यह खर्च वाली जो बात है....

Mr. Speaker : The hon. Member has not given notice of any amendment to this clause.

चौधरी धर्म सिंह राठी: जनाब amendment तो नहीं है लेकिन मैं इस कलाज़ की मुखालफित करता हूं। यह बड़ी भारी ज्यादती है, और पंजाब के किसानों के साथ बड़ा भारी जुल्म है। यह नहीं होना चाहिये। इन अल्फाज़ के साथ मैं इस क्लाज़ की मुखालफित करता हूं और ज्ञानी जी से request करता हूं कि वे इस को वापस लें।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ harsh clause ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ court ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ......

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਉਪਰ amendment ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (There is no amendment to this clause.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Amendment ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ clause delete ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): स्पीकर साहिब, यह एक ऐसी चीज़ है जो किसानों को मार देगी। Expenditure लेने वाली क्लाज़ तो चाहे पास कर लो लेकिन expenditure को वसूल करने का जो तरीका इस में दर्ज है वह बहुत harsh है। आप किसी भी स्टेट का कोई कानून उठा कर देख लें, किसी में भी इतनी सख्त provision नहीं की गई। दूसरी स्टेट्स वालों ने भी land को reclaim करने के लिये ऐक्टस बनाए हैं लेकिन किसी ने expenditure को arrears of land Revenue की तरह वसूल करने की provision नहीं की। यह clause तो पंजाब के किसानों के लिये एक बड़ा भारी challenge है। उन को बड़े भारी ज़ुल्म का सामना करना पड़ेगा। यह तो उन से ज़मीन छीनने की बात की जा रही है। किसी भी कानून में इतनी सख्ती नहीं बरती गई। यह तो indirectly उन से ज़मीन छीनने की provision की जा रही है क्योंकि खेती करने वाले खर्चा तो दे नहीं सकेंगे। मैं ज्यादा न कहता हुआ इस clause की पुरज़ोर मुखालिफत करता हूं।

ਫ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। Reclamation ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Question is—

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Mr. Speaker : Question is —

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

(*Chaudhri Balbir Singh rose to Speak*)

Mr. Speaker : You have not given notice of any amendment to this clause.

Chaudhri Balbir Singh (*Hoshiarpur General*): Sir, I want to oppose this clause. I request that this clause be deleted.

Mr. Speaker : How can this clause be deleted without an amendment ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ legal procedure ਕਿਸੇ court ਵਿਚ institute ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ clause ਦੇ victim ਹਾਂ ਇਸ clause ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ in good faith ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ High Court ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ clause ਹੇਠ protection ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਂ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ delete ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ institute ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ clause ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस clause का ताल्लुक है मैं हाऊस को बता देना चाहता हूं कि इस के इसी तरह पास हो जाने से इस का नतीजा यह निकलेगा कि कोई भी अफसर हो चाहे वह Director हो या कोई और authority हो बहुत सी ऐसी ज़मीन जो कागजात में बंजर लिखी हुई होगी या गैर मुमकिन लिखी हुई होगी तो उसके लिये उस के मालिक को notice दे दगा और वह अपने अख्तियारात का इस तरह से misuse करेगा कि क्योंकि उसे यह मालूम होगा के misuse करने के लिये उसके खिलाफ कोई दावा नहीं हो सकेगा । इस लिये मैं इस clause की मुखालिफत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: इस के लिये कोई amendment नहीं दी गई थी फिर भी ये इस पर बोल गये हैं । (Though the hon. Members had not given notice of any amendment to this clause, yet they have made speeches.)

Mr. Speaker : Question is —

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 12 AND 13

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 12 and 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (I) OF CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Agriculture and Forests (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Reclamation of Land Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Reclamation of Land Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Reclamation of Land Bill be passed.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (SECOND AMENDMENT) BILL, 1959

Minister for Revenue) (Rao Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council be taken into consideration.

स्पीकर साहिब. यह बड़ा छोटा सा बिल है । इसके मुताबिक जहां दो revenue estates में दो मुख्तलिफ खित्ते वाक्या हों और जहां एक गांव की ज़मीन दूसरे गांव की ज़मीन में चली जाती हो तो बाज़ औकात इस से consolidation के काम में दिक्कत पेश होती है और blocks provide करने में दिक्कत आती है । तो इस बिल में यह तजवीज़ है कि consolidation के वक्त ऐसी ज़मीन को अलग अलग revenue estates की boundaries को re-adjust कर के ठीक कर दिया जाये ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): स्पीकर साहिब, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ बल्कि सिर्फ यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह बिल पास होना चाहिये । मैं गवर्नमेंट की इस बात को ऐसा कह कर गलत साबित करता हूं जो यह कही जाती है कि Opposition वाले हर सरकारी बिल की मुखालिफत करते हैं ।

Mr. Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation (Second Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council be taken into consideration.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, will be taken up Clause by Clasue.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Counci, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

The motion was carried.

SITTING OF THE ASSEMBLY (EXTENDED)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ meeting ਦਸ ਮਿਨਟ ਲਈ extend ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

उद्योग मन्त्री : मेरी आप से दरखास्त है कि आप 15 मिनटों के लिये इस meeting को extend कर दें ।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनटों के लिये यह sitting extend कर दी जाती है । (This sitting of the Assembly is extended by 15 minutes.)

THE CATTLE TRESPASS (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1959

Miniter for Industries and Local Government (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That the Cattle Trespass(Punjab Amendment) Bill,as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

स्पीकर साहिब, यह बिल council में भी consider हो चुका है और Regional Committees में भी । इस लिये यह जल्दी पास हो जाना चाहिये ।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ Cattle Trespass ਦਾ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ provision ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਰਖ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ provision ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਗੋਸਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਥੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ municipal ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ authority ਉਸ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ incharge ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਗਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ food production ਦਾ ਮਸਲਾ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ clause ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੋਸਦਨ ਮੁਕੱਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਤਨੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ comprehensive ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਐਸੇ cattle ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ definition ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ unattached calves, kids and lambs, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ vague

ਔਰ ambiguous definition ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕੋਈ ਬੜਾ comprehensive ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ।

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि पंद्रह मिनट के लिये यह sitting तो सिर्फ आप के लिये ही extend की है । (I feel thatt his sitting has been extended for fifteen minutes only for the hon. Member, who has just spoken.)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ । ਆਇੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): स्पीकर साहिब, इस में एक provision तो यह रखा गया है कि जहां पहले एक जानवर को फाटक के अन्दर 14 दिन रखा जाता था वहां अब उस को 14 दिन की बजाए 7 दिन रखा जाया करेगा ? दूसरा provision यह है कि जो unattached kids, calves या lambs वगैरह हैं वह अगर फाटक में आ जाएं तो उनको 24 घंटे में ही नीलाम कर दिया जाए । यह बड़ी भारी ज्यादती है । Statement of Objects and Reasons में सरकार यह मानती है कि stray cattle को फाटक में नहीं लेते । फाटक में तो अच्छे जानवरों को ही लेते हैं और उन को जल्दी से नीलाम कर देना उन के मालिकान के साथ ज्यादती है । अगर किसी का कोई मवैशी किसी चरवाहे के पास से कहीं 5 या 6 मील इधर उधर चला जाता है और उस को फाटक में बंद कर दिया जाता है तो उस की तलाश में ही सात आठ दिन लग जाते हैं । इस तरह जब तक वह तलाश करेगा तब तक वह जानवर नीलाम कर दिया जायगा । यह भी आप जानते हैं कि अगर किसी ज़मींदार का बैल एक बार नीलाम हो जाए तो वह दोबारा नहीं ले सकता । इस तरह से यह उस के साथ बड़ी भारी ज्यादती होगी, उसके साथ जुल्म होगा, सितम होगा । इस लिए यह 14 दिन की मुहलत न घटाई जाए ।

दूसरे जो किड्ज़ बछड़े और लैम्ब वगैरह के लिए मियाद 24 घंटे की गई है, यह भी ज्यादती है । यहां कोई अच्छा सा बछड़ा आ गया झट लिख दिया करेंगे कि बछड़ा था और उस को 24 घंटे के अन्दर नीलाम कर लिया करेंगे । इस तरह हम ने सारे हिन्दुस्तान में कहीं होते नहीं देखा । यह कानून 1781 में बना था और इतने सालों में इस में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं महसूस की गई लेकिन यह ज़रूरत इस सरकार को महसूस हुई क्योंकि इन्होंने ज़मींदारों से ज़मीन तो छीन ली अब सोचा कि चलो इन के मवैशी भी ले लो । चूंकि ज्यादा जानवर तो ज़मींदारों के पास ही होते हैं इस लिए उन के ही मवैशी फाटक में आएंगे और जहां कोई जानवर फाटक में आया तो झट नीलाम कर दिया जाया करेगा । (हंसी) इन्होंने सोचा कि ज़मीन तो ले ली अब उन के मवैशी भी ले लो ।

श्री अध्यक्ष: आप तो हर जगह अपना theorem apply कर देते हैं (हंसी) (The hon. Member applies his theorem everywhere. (*laughter*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह तो खेती करने वालों को मारने वाली बात है । पंजाब में 80 फी सदी जानवर खेती करने वाले के ही पास हैं । इस लिए यह ज्यादती ज्यादातर उन्हीं के साथ होगी (हंसी) इस लिए मैं इस बिल की पुरज़ोर मुखालिफत करता हूं और चाहता हूं कि 14 दिन वाला provision वैसे का वैसा ही रहने दिया जाए और दूसरा provision यानी 24 घंटे में बछड़े वगैरह को नीलाम करने वाला भी एक भारी ज़ुल्म और सितम है । (हंसी)

चौधरी बारू राम : On a point of order, Sir, जिस वक्त कोई मैम्बर बोल रहा हो तो क्या इस तरह से हंसना ठीक है ? (विघ्न) जब हम हंसते हैं तो you take it seriously.

श्री अध्यक्ष: अगर कोई हाउस में बैठे बैठे और disturb किये बगैर हंसे तो क्या बात है (विघ्न) आप हंसते ही जाएं, रोते न जाएं (हंसी) (What difference does it make if any Member while sitting laughs without disturbing the House. (*interruption*) The hon. Members should return to their homes in good mood, and not with long faces) (*laughter*)

Mr. Speaker : Question is—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, 1959 as reported by the two Regional Committees be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the house will take up the Bill Clause by Clause.

CLAUSES 2, 3, 1 AND TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2, 3 and 1 and Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Cattle Trespass (Punjab Amendment) bill, be passed.

The motion was carried.

उद्योग मंत्री : स्पीकर साहिब बाकी बिलों के लिए तो अब टाइम नहीं रहा । इस लिए उन्हें शुरू करने का क्या फायदा है ।

श्री अध्यक्ष: हां बाकी Bills को पास करने का अब टाइम नहीं रहा । (Yes there is no time left to pass the remaining Bills.)

The Sabha then adjourned sine die.

6194—P.V.S.—347—C., P. & S. Pb., Chandigarh.